पंचदश माला, खंड 24, अंक 11

मंगलवार, 27 मार्च, 2012
7 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 8
Dated 27 July 2015

(खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमर जैन
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनिता उपाध्याय
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 24, दसवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 11, मंगलवार, 27 मार्च, 2012/7 चैत्र, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1
*तारांकित प्रश्न संख्या 181	1-4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	7
*तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 200	7-135
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300	136-673
सभा पटल पर रखे गए पत्र	673-682, 693
लोक लेखा समिति	
विवरण	683
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
29वां और 30वां प्रतिवेदन	683-684
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
29वां और 30वां प्रतिवेदन	684
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
24वें से 27वां प्रतिवेदन	684-685
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	685
11वां और 12वां प्रतिवेदन	686
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	686
227वें से 229वां प्रतिवेदन	686
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	686
(एक) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग, से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	686-687
(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के.वी. थॉमस	687-688
(तीन) "जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन" के बारे में दिनांक 29.11.2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | **कॉलम**

नियम 377 के अधीन मामले. 688-693

(एक) कैंसर के उपचार के लिए पंजाब के गुरुदासपुर में एक मल्टी-सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिंह बाजवा 694-695

(दो) राउरकेला-इलाहाबाद (ट्रेन सं. 18109/19110) एक्सप्रेस को संबलपुर तक बढ़ाए जाने तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता संबलपुर, ओडिशा चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान 695

(तीन) उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय को तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर "कमांडो" 695-696

(चार) केरल के पश्चिमी तट नहर नेटवर्क के अंतर्गत कैनोली नहर के तल से गाद निकालने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 696

(पांच) लहसुन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह 696-697

(छह) बीड़ी श्रमिकों को कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बीड़ी श्रमिकों की पहचान किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 697

(सात) देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के करीम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्य योजना में शिक्षा को महत्व प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 698

(आठ) कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध से गाद निकाले जाने का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवराम गौडा 698-699

(नौ) झारखंड की "रौतिया", "कोल्ह-तेली" और "पुरन" जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदर्शन भगत 699-700

(दस) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर एक पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमादेवी 700

(ग्यारह) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन गोहैन 700-701

(बारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत मालवीय रोड-कसया रोड इंटरसेक्शन पर एक रेल उपरि पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 701

(तेरह) मगही भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 701-702

(चौदह) तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोलारपेट रेलवे जंक्शन पर स्थित उपरि पुल पर पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 702

विषय	कॉलम
(पन्द्रह) महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	703
(सोलह) दूरदर्शन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंशकालिक रिपोर्टरों/कैमरामैनों को वेतन और परिलब्धियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री संजय दिना पाटील	703-704
(सत्रह) आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	705
(अठारह) सभी अनिवार्य औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित किए जाने तथा अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री जोस के. मणि	705-706
सामान्य बजट (2012-13)-सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)-2012-13 अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2011-12 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2009-10.	707-1098
श्री शैलेन्द्र कुमार	707-712
श्री एस.एस. रामासुब्बू	712-718
श्री प्रेम दास राय	718-724
श्री देवीधन बेसरा	724-725
डॉ. पी. वेणुगोपाल	725-727
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	728-733
श्री सी. राजेन्द्रन	733-735
श्री अर्जुन राम मेघवाल	735-740
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	741-744
श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल	744-747
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	748-753
श्रीमती दर्शना जरदोश	753-756
श्री ए. गणेश मूर्ति	756-759
श्री गजानन ध. बाबर	759-763
श्री रूद्रमाधव राय	763-766
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	766-770
श्री कमलेश पासवान	771-774
डॉ. संजीव गणेश नाईक	774-777
श्रीमती रमा देवी	778-783
श्री नलिन कुमार कटील	783-786
श्री खगेन दास	786-789
प्रो. रामशंकर	789-791
श्री शिवकुमार उदासी	791-795
श्री राजेन गोहैन	795-800
श्री पी.के. बिजू	800-805

विषय | कॉलम

विषय	कॉलम
श्री एस. सेम्मलई	805-807
श्री पी. कुमार	807-810
श्री दत्ता मेघे	810-813
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	813-814
श्री हरिभाऊ जावले	814-816
श्री एन. पीताम्बर कुरूप	816-820
श्री आर. थामराईसेलवन	820-824
श्री अर्जुन राय	824-828
श्री विजय बहादुर सिंह	828-833
श्री आधि शंकर	833-836
श्री ए.के.एस. विजयन	836-838
श्री ई.जी. सुगावनम	838-840
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	840-845
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	845-849
श्री जोस के. मणि	849-851
श्री अधीर चौधरी	851-860
श्री चंदूलाल साहू	860-862
श्री सी.आर. पाटिल	862
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	863-871
श्री अवतार सिंह भडाना	871-872
श्री वीरेन्द्र कश्यप	872-874
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	874-876
श्री चार्ल्स डिएस	876-877
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	877-882
श्री मदन लाल शर्मा	882-884
श्री एंटो एंटोनी	884-888
डॉ. थोकचोम मैन्या	888-891
श्री हर्ष वर्धन	891-893
श्री भक्त चरण दास	893-899
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	899-901
श्री किसनभाई वी. पटेल	901-903
श्री जगदम्बिका पाल	903-905
श्री हंसराज गं. अहीर	905-910
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	910-911
श्री बदरूद्दीन अजमल	911-914
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	914-919
श्री संजय धोत्रे	919-924
श्री दानवे रावसाहेब पाटील	924-925
श्री निलेश नारायण राणे	925-928
श्री पी.सी. गद्दीगौदर	928-930
श्री सुरेश अंगड़ी	930-932
श्री रतन सिंह	932-938

विषय **कॉलम**

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 938-940
श्री ए.टी. नाना पाटील 940-943
श्री अशोक अर्गल 943-945
डॉ. मिर्जा महबूब बेग 945-946
श्रीमती ज्योति धुर्वे 947-949
श्री जे.एम. आरून रशीद 950-953
श्री जी.एम. सिद्देश्वर 953-955
श्री प्रह्लाद जोशी 955-957
श्री सतपाल महाराज 957-960
श्री कैलाश जोशी 960-965
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट 965-966
श्री अधलराव पाटील शिवाजी 966-968
श्री पशुपति नाथ सिंह 968-971
कुमारी सरोज पाण्डेय 971-972
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 972-979
श्री पन्ना लाल पुनिया 979-983
डॉ. जी. विवेकानन्द 983-990
श्री नवीन जिन्दल 990-998
श्री लक्ष्मण टुडु 998-1003
श्री यशवंत लागुरी 1003-1008
श्री नारायण सिंह अमलाबे 1009-1010
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 1010-1011
श्री संजय सिंह चौहान 1011-1013
श्री राजय्या सिरिसिल्ला 1013-1016
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 1016-1020
श्री एम.के. राघवन 1020-1021
डॉ. संजय जायसवाल 1021-1023
श्री रमाशंकर राजभर 1023-1024
श्री सुदर्शन भगत 1024-1026
श्रीमती कमला देवी पटले 1026-1028
श्री जगदानंद सिंह 1028-1032
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय 1032-1033
श्री प्रवीण सिंह ऐरन 1033-1036
श्री इज्यराज सिंह 1036-1040
श्री अरविन्द कुमार शर्मा 1040-1043
श्री असादूद्दीन ओवेसी 1043-1047
श्री यशवंत सिन्हा 1048-1054
श्री पी.टी. थॉमस 1054-1055
श्री घनश्याम अनुरागी 1056-1059
श्री बंस गोपाल चौधरी 1059-1061
श्री एन.एस.वी. चित्तन 1061-1063
श्री महेश जोशी 1063-1064

विषय	कॉलम
श्री नामा नागेश्वर राव	1064-1066
श्री श्रीपाद येसो नाईक	1066-1068
श्रीमती सुशीला सरोज	1068-1070
श्री ए. सम्पत	1070-1074
डॉ. तरुण मंडल	1074-1076
श्री जनार्दन स्वामी	1076-1078
श्रीमती पुतुल कुमारी	1078-1080
श्री प्रेमदास	1080
श्री थोल तिरुमावलावन	1080-1081
श्री प्रणव मुखर्जी	1081-1098
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012	1119
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	1119
विचार करने के लिए प्रस्ताव	1119
खंड 2 से 4 और 1	1120
पारित करने के लिए प्रस्ताव	1120
विनियोग विधेयक, 2012	1120
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	1120
विचार करने के लिए प्रस्ताव	1120
खंड 2 से 3 और 1	1121
पारित करने के लिए प्रस्ताव	1121
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2012	1121
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	1121
विचार करने के लिए प्रस्ताव	1121
खंड 2 से 3 और 1	1122
पारित करने के लिए प्रस्ताव	1122-1123
सदस्यों द्वारा निवेदन	1123
सिविल समाज द्वारा संसद सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक वक्तव्यों के बारे में	1123-1133
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1155
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1156-1164
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1165-1166
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1165-1166

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 27 मार्च, 2012/7 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

सदस्य द्वारा शपथग्रहण

अध्यक्ष महोदया: महासचिव उन सदस्यों का नाम पुकारें, जिन्हें शपथ लेनी है।

महासचिव: श्री के. जयप्रकाश हेगड़े (चिकमंगलूर)

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री के. चन्द्रशेखर राव डॉ. मन्दा जगन्नाथ, श्री जगदीश शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 181-श्री हर्ष वर्धन

[हिन्दी]

चीनी की कीमतें और उसकी उपलब्धता

***181.† श्री हर्ष वर्धन:**
श्री अर्जुन राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुले बाजार में चीनी का 'फ्री सेल कोटा' मासिक आधार पर जारी किया जाता है, ताकि चीनी की कीमतें नियंत्रित रहें;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, 2011 से मार्च , 2012 की अवधि के दौरान माह-वार चीनी का कितनी मात्रा में कोटा जारी किया गया;

(ग) क्या मार्च, 2012 में जारी किया गया 'फ्री सेल कोटा' कम था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पूरे वर्ष समान रूप से चीनी की उपलब्धता और इसके मूल्यनिर्धारण के बीच सार्थक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए माह-वार रिलीज की गई गैर लेवी चीनी के कोटे की मात्रा निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख टन में)

माह	माह के लिए रिलीज किया गया कुल गैर-लेवी कोटा
अक्तूबर, 2011	17.50
नवम्बर, 2011	17.01
दिसम्बर, 2011	17.006
जनवरी, 2012	14.00
फरवरी, 2012	12.50
मार्च, 2012	12.50

(ग) और (घ) मार्च, 2012 माह के दौरान, 12.50 लाख टन गैर-लेवी चीनी के कोटे की निर्मुक्ति, 1 लाख टन के अग्रनयन स्टाक और 2.10 लाख टन लेवी कोटे के साथ मंडी में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता थी और मूल्य स्थिर रहे थे।

(ङ) सरकार का विनियमित रिलीज तंत्र, उचित निर्यात-आयात हस्तक्षेपों और प्रशासनिक उपायों के जरिये चीनी की उपलब्धता और मूल्य-निर्धारण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास रहता है।

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदया, बाजार में चीनी मूल्य नियंत्रण में रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: वे जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन: उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता बनी रहे, इसीलिए सरकार द्वारा गैर लेवी शुगर का आवंटन किया जाता है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अक्टूबर माह से लेकर मार्च माह तक सबसे कम साढ़े बारह लाख टन चीनी मार्च के महीने में उपलब्ध करायी गयी। इसके पूर्व अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर माह में सत्रह लाख टन से अधिक चीनी की उपलब्धता बाजार में गैर लेवी शुगर के जरिए करायी गयी। उपभोक्ताओं की जेब पर डाका न पड़े, इसीलिए यह नीति बनायी गयी है।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि एक लाख टन चीनी कैरीओवर स्टॉक थी और ढाई लाख टन चीनी लेवी शुगर के रूप में बाजार में उपलब्ध करायी गयी यानि मार्च माह में कुल पन्द्रह लाख साठ हजार टन चीनी की उपलब्धता बाजार में थी। यह जो बारह लाख साठ हजार टन चीनी की उपलब्धता थी, यह अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर के माह के मुकाबले काफी कम है जबकि मार्च का महीना हिन्दुओं का त्योहार होली का महीना होता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हर्ष वर्धन: बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए चीनी की अधिक मात्रा रिलीज होनी चाहिए थी।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जानना चाहता हूं कि नॉन लेवी शुगर का जो कोटा होता है, क्या वह मांग के आधार पर रिलीज किया जता है या किसी अन्य आधार पर?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, प्रत्येक माह लगभग 15 से 18 लाख टन चीनी गैर-लेवी कोटा और लेवी श्रेणी के अंतर्गत जारी की जाती है। हम प्रत्येक माह स्थिति की निगरानी करते हैं और बाजार मूल्य के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के ऊपर निर्भर रहते हुए, बाजार में प्रत्येक महीने कितनी मात्रा जारी करने की जरूरत है, हम इसका निर्णय करते हैं। ...*(व्यवधान)* लेवी चीनी जिसे जारी किया गया है उसे गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में वितरित किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आपने जो प्रश्न उठाया था, उसे चार बजे के बाद ले लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.07 बजे

इस समय श्री जगदीश शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: हर्ष वर्धन जी, आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार उत्पादकों के हितों में कार्य कर रही है या उपभोक्ताओं की जेबों पर डाका न पडे, इसके लिए कार्य करती है? यदि ऐसा नहीं है तो यह जो गैर लेवी शुगर कोटा है, यह बाजार की मांग के आधार पर रिलीज न किए जाने का कौन सा कारण है? ...*(व्यवधान)*

यदि सरकार उपभोक्ताओं की रक्षा करना चाहती है तो मार्च के महीने में जानबूझ कर कम कोटा रिलीज करके उपभोक्ताओं को परेशान करने का कार्य सरकार ने क्यों किया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, ...*(व्यवधान)* चीनी ...*(व्यवधान)* जो प्रत्येक महीने जारी किया गया, वह लेवी और गैर लेवी कोटा से है।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाइये क्योंकि माननीय नेता, विपक्ष कुछ कहना चाहती हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि वे तेलंगाना का मामला सुलझाते क्यों नहीं? आपने विपक्ष के लोगों को कहा, वे वापस चले गए। ...*(व्यवधान)* वे बार-बार तेलंगाना के मामले को उलझाए रखेंगे, इसलिए सत्ता पक्ष के लोग यहां वेल में आए हुए हैं। इसलिए आप सरकार को निर्देश दें, अपने लोगों को वापस भेजें।...*(व्यवधान)* हम सब सदन चलाने के लिए बैठे हैं। विपक्ष के लोग आपके कहते ही अपनी-अपनी सीट्स पर वापस चले गए। आप जरा दृश्य देखिए, इस समय सत्ता पक्ष के लोग वेल के अंदर हैं। आज बजट पारित होना है, बजट पर चर्चा चलनी है, एफएम का जवाब आना है। हम सब चीजों के लिए तैयार होकर बैठे हैं, मगर सत्ता पक्ष के लोग यहां वेल में हैं। सरकार इस मसले को सुलझाए।...*(व्यवधान)* तेलंगाना में आत्महत्या पर आत्महत्या हो रही है, इसलिए ये लोग उद्वेलित होकर आ रहे हैं।...*(व्यवधान)* सत्ता पक्ष के लोग इस समय सदन की कार्यवाही को रोके हुए हैं।...*(व्यवधान)* सरकार तेलंगाना का विवाद सुलझाए।...*(व्यवधान)* तेलंगाना का निर्माण करे। ...*(व्यवधान)* तेलंगाना का बिल लेकर आए, हम उसका समर्थन करने को तैयार हैं।...*(व्यवधान)* तेलंगाना बने, उसके लिए हम यहां खड़े हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन सत्ता पक्ष के लोग यहां व्यवधान डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप सभी अपने स्थान पर वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, मार्च 2012 के महीने के दौरान गैर-लेवी चीनी कोटा के 12.50 लाख टन जारी करने के साथ, एक लाख टन का बकाया स्टॉक और लेवी कोटा का 2.10 लाख टन मिलाकर बाजार में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त थी और मूल्य स्थिर बने रहे।...*(व्यवधान)*

महोदया, पिछले ...*(व्यवधान)* के दौरान, यह मोटे तौर पर 16 लाख टन और 18 लाख टन के बीच है जिससे हम मूल्य को स्थिर बनाये हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राय: अध्यक्षा जी, सरकार ने जो अपना जवाब दिया है, उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम चीनी का कोटा चीनी मिल के मालिकों के साथ मासिक तय करते हैं। फिर एक समाचार-पत्र में खबर आई कि अगले महीने से त्रैमासिक कोटा तय होगा। इसके आगे क्या सरकार इसको फ्री करने पर विचार करती है? दूसरी बात यह है कि जब सरकार मासिक कोटा तय करती है, बाजार में चीनी उपलब्ध हो जाने के बाद क्या सरकार ने कोई ऐसा मकेनिज्म डैवलप किया है, ताकि मांग और आपूर्ति में अन्तर नहीं हो, इसके लिए बाजार में कोई ऐसा मकेनिज्म सरकार ने तैयार किया है क्या?

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, सामान्यतया, गैर-लेवी चीनी के मासिक आबंटन का निर्णय होता है, परन्तु ऐसा विचार किया गया है कि हम तीन महीने का आबंटन एक साथ ही कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

हमारा विभाग बाजार में मूल्यों पर लगातार निगरानी रखता है ...*(व्यवधान)* किसी भी समय, यदि बाजार में मूल्य बढ़ जाता है तो तुरंत ही हमारा मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा और बाजार में ज्यादा

चीनी जारी किया जायेगा ...*(व्यवधान)* यही वह तंत्र है जिसके द्वारा हम खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी सरोज पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह सत्य है कि मार्च, 2012 में छत्तीसगढ़ को जारी किया गया चीनी का जो फ्री सेल कोटा है, वह पिछले आबंटन की तुलना में कम है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और बचा हुआ कोटा कब तक जारी कर दिया जायेगा?

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, प्रत्येक राज्य को लेवी कोटा के तहत चीनी जारी किया जाता है और गैर-लेवी कोटा पूरे देश के लिए है।...*(व्यवधान)* लेवी चीनी के मामले में, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाना है।...*(व्यवधान)* सामान्यत:, प्रति व्यक्ति प्रति माह 500 ग्राम गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी हेतु राज्यों को जारी किया जाता है।...*(व्यवधान)* जब भी, राज्य कुछ अधिक मात्रा की मांग करते हैं, विशेषत: त्योहारों के समय में, हम प्राय: उन्हें अतिरिक्ति मात्रा देते हैं।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

***182. श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के विशेष संदर्भ सहित दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस समय दिल्ली में कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं और नियमित की जाने वाली प्रस्तावित ऐसी कालोनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें नियमित किए जाने में अनियमितताओं के दृष्टांत केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के संबंध में एमपीडी-2011 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) खंड 3.3.1.3 पैरा (क) में निवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पुनर्विकास के माध्यम से अनधिकृत कालोनियों का सुधार प्रस्तावित है।

(ii) खंड 4.2.2.2 एमपीडी-2011 के पैरा (ख) में अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की पद्धतियों की व्यवस्था की गई है:

- वास्तविक और सामाजिक अवस्थापना के सुधार सेवाओं और सामुदायिक सुविधाओं का न्यूनतम आवश्यक/व्यवहार्य स्तर के प्रावधान पर विशेष ध्यान देते हुए।
- इसमें भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु अपनाए जाने वाले कम स्थान वाले मानकों की भी व्यवस्था है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि जीएनसीटीडी में 1939 अनधिकृत कालोनियां पंजीकृत की गई हैं तथा जो कालोनियां संगत विनियमनों के अनुसार शर्तों को पूरा करती हैं, वे नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा संबंधित अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण संबंधी कार्य जिसमें संबंधित एजेंसियां शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उनका कार्यान्वयन, समन्वय, निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि जो कालोनियां अस्तित्व में नहीं हैं, उनको अनंतिम नियमितीकरण प्रमाण-पत्र (पीआरसी) देने के मुद्दे के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 11.11.2011 को प्रकाशित समाचार मद के आधार पर जांच की गई थी। डिविजनल आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि तीन अपात्र सोसाइटियों को अनंतिम नियमितिकरण प्रमाणपत्र जारी करने से कालोनियां नियमितीकरण हेतु स्वत: पात्र नहीं बन जाती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तीन अपात्र अनंतिम नियमितीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं। ये (1) कोटला महीराम एक्सटेंशन, जसौला (पंजी. संख्या 26, एलओपी), (2) अबुलफजल एन्कलेव पार्ट-II, जसौला गांव (पंजी. संख्या 1182) (3) राधाकृष्ण विहार (पंजी. संख्या 1600) से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि उत्पादन

183. **श्री जोसेफ टोप्पो:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में कृषि उत्पादन देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार का न राज्यों में किसानों को बीजों पर राजसहायता, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज माफ करने आदि जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती को हतोत्साहित करने और वैज्ञानिक उपाय अपनाकर कृषि उत्पदकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। यह सत्य है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। यह इसलिए है क्योंकि इन राज्यों, जहां प्रमुख रूप से वर्षासिंचित कृषि होती है, में भारी वर्षा, भयानक बाढ़ और दीर्घकालिक सूखा जैसे अनेक अजैविक विपत्तियां नियमित रूप से आती हैं। कृषि यंत्रीकरण का निम्न स्तर, बिजली की कम खपत, उर्वरक की कम खपत, खराब प्रौद्योगिकी अंगीकरण, कम बीज प्रतिस्थापन दर, अम्लीय मृदा, सीढ़ीनुमा क्षेत्र और जोतों का छोटा आकार आदि क्षेत्र में कम कृषि उत्पादन के लिए अन्य कारण हैं।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) और चालू वर्ष अर्थात 2011-12 (केवल असम के लिए) के दौरान विभिन्न खेत फसलों का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार किसानों को असम और त्रिपुरा में कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और असम में पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के कार्यक्रम के अंतर्गत जल बचत युक्तियों जैसे स्प्रिंकलर और पंप सेटों सहित बीज, उन्नत कृषि मशीनरी समेकित पोषाहार प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन जैसे गुणवत्ता आदानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराती रही है। इसके अलावा वृहत कृषि प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत क्षेत्र के अनेक राज्यों में चावल आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी-चावल), दलहन और तिलहन के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, गन्ना आधारित फसलन प्रणाली का सतत विकास (एसयूवीएसीएस) भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अलावा अनेक नई पहलें यथा गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषाहार सुरक्षा पहल (आईएनएसआईएमपी), सब्जी कलस्टर पहल और आयलपाम का संवर्धन भी क्षेत्र के कुछ राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

बागवानी फसलों के लिए क्षेत्र में अनुकूल कृषि जलवायु स्थितियों पर विचार करते हुए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन पर एक अलग स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है।

सरकार 2006-07 से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक की मूलधन राशि का फसल ऋण उपलब्ध करा रही है। सरकार उन किसानों को अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी उपलब्ध करा रही है जो अपने अल्पावधि ऋण निर्धारित भुगतान अवधि के अनुसार अदा करते हैं। इस प्रकार, उन किसानों के लिए प्रभावी दर 4 प्रतिवर्श बनती है जो बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान अवधि के अनुसार अपने फसल ऋण का भुगतान करते हैं।

(ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जनजातियों के सामाजिक रिवाजों में झूम खेती जीवन का एक तरीका है, इसलिए ऐसी प्रथा पूर्णतया बंद की जा सकती है। भारत सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में स्थापित खेती के लिए प्रमुख पद्धतियों के उन्नत पैकेज के साथ उत्पादक प्रयोजनों के लिए झूम भूमि का विकास करने के लिए झूमिया परिवारों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नीकरण घटाने के लिए पनधारा दृष्टिकोण के आधार मृदा और जल संरक्षण उपाय अपनाकर झूम क्षेत्रों के पहाड़ी तराई का विकास करने के लिए झूम खेती क्षेत्रों पनधारा विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

स्थानीय आवश्यकतानुसार कृषि शिक्षा और फसल उत्पादन प्रोद्योगिकियों का सुधार करने के लिए और फसल उत्पादन और उसके द्वारा आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए किसानों को इन प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने के लिए भी इस क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल स्थापित किया गया है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस क्षेत्र में स्थापित किया गया है जिसने पहाड़ी राज्यों के लिए उपयुक्त अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।

झूम कृषि सहित इस क्षेत्र में फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एनईएच क्षेत्र के लिए आईसीएआर

अनुसंधान परिसर द्वारा उन्नत फसल किस्में, भूमि प्रबंधन आदि जैसे वैज्ञानिक उपाय विकसित किए गए हैं। इसके अलावा अत्यधिक जलवायुवीय गतिविधियों जैसे बाढ़, दीर्घकालिक शुष्क अवधि, सूखा आदि में वैकल्पिक फसलों और फसलन प्रणालियों का कार्यान्वयन करने के लिए जिला स्तरीय फसल आकस्मिकता योजना विकसित की गई है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न खेत फसलों का राज्यवार उत्पादन

(लाख टन में)

राज्य	फसल	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12@
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	चावल	1.64	2.16	2.34	
	गेहूं	0.05	0.05	0.06	
	कुल मोटे अनाज	0.78	0.79	0.85	
	कुल दलहन	0.09	0.10	0.09	
	कुल खाद्यान्न	2.56	3.09	3.34	
	कुल तिलहन	0.31	0.28	0.29	
	गन्ना	0.23	0.27	0.29	
असम	चावल	40.08	43.36	47.37	44.83
	गेहूं	0.55	0.64	0.53	0.59
	कुल मोटे अनाज	0.15	0.17	0.17	0.16
	कुल दलहन	0.64	0.65	0.70	0.91
	कुल खाद्यान्न	41.43	44.81	48.76	46.49
	कुल तिलहन	1.38	1.45	1.54	1.47
	गन्ना	11.00	10.59	10.75	9.84
	जूट एवं मेस्ता*	6.74	7.36	6.51	6.86
मणिपुर	चावल	3.97	3.20	5.22	
	गेहूं	0.00	0.00	0.05	
	कुल मोटे अनाज	0.12	0.12	0.42	
	कुल दलहन	0.06	0.07	0.24	
	कुल खाद्यान्न	4.15	3.39	5.93	

1	2	3	4	5	6
	कुल तिलहन	0.007	0.007	0.27	
	गन्ना	0.021	0.21	3.01	
मेघालय	चावल	2.04	2.07	2.07	
	गेहूं	0.007	0.007	0.007	
	कुल मोटे अनाज	0.28	0.28	0.28	
	कुल दलहन	0.04	0.04	0.04	
	कुल खाद्यान्न	2.36	2.39	2.39	
	कुल तिलहन	0.07	0.07	0.07	
	गन्ना	06.03	0.002	0.002	
	जूट एवं मेस्ता*	0.55	0.53	0.53	
मिजोरम	चावल	0.46	0.44	0.47	
	कुल मोटे अनाज	0.09	0.12	0.14	
	कुल दलहन	0.04	0.06	0.06	
	कुल खाद्यान्न	0.59	0.62	0.67	
	कुल तिलहन	0.02	0.03	0.04	
	गन्ना	0.14	0.12	0.08	
नागालैंड	चावल	3.45	2.40	3.81	
	गेहूं	0.02	0.02	0.05	
	कुल मोटे अनाज	1.27	0.77	1.45	
	कुल दलहन	0.40	0.35	0.36	
	कुल खाद्यान्न	5.14	3.54	5.68	
	कुल तिलहन	0.72	0.85	0.66	
	गन्ना	1.86	1.53	1.85	
	जूट एवं मेस्ता*	0.01	0.02	0.08	
सिक्किम	चावल	0.22	0.24	0.21	
	गेहूं	0.08	0.06	0.03	
	कुल मोटे अनाज	0.66	0.74	0.75	
	कुल दलहन	0.12	0.13	0.12	

1	2	3	4	5	6
	कुल खाद्यान्न	1.08	1.17	1.10	
	कुल तिलहन	0.07	0.09	0.08	
त्रिपुरा	चावल	6.27	6.40	7.02	
	गेहूं	0.01	0.01	0.006	
	कुल मोटे अनाज	0.02	0.02	0.04	
	कुल दलहन	0.04	0.04	0.05	
	कुल खाद्यान्न	6.35	6.48	7.12	
	कुल तिलहन	0.02	0.02	0.03	
	गन्ना	0.52	0.45	0.46	
	जूट एवं मेस्ता*	0.09	0.09	0.11	

टिप्पणी: चालू वर्ष के दौरान अर्थात 2011-12 के लिए उत्पादन का द्वितीय अग्रिम अनुमान केवल असम के लिए उपलब्ध है।

*जूट एवं मेस्ता का उत्पादन प्रत्येक 180 लाख गांठें।

@द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार।

15-22 कृषि

मृदा की कम होती उर्वरा शक्ति

***184 श्री वरुण गांधी:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मृदा की कम होती उर्वरा शक्ति के मद्देनजर राष्ट्रीय मृदा गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति प्रबंधन परियोजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उन क्षेत्रों, जहां भू-जल सिंचाई का प्रमुख स्रोत है और सुन्दरवन सहित चक्रवत प्रवण क्षेत्रों में कृषि भूमि की मृदा गुणवत्ता पर लवणता और क्षारीयता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इन कारकों के कारण प्रभावित कृषि भूमि/क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या निवाारक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने के लिए उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने तथा मृदाओं की घटती हुई उर्वरता दर की रोकथाम के लिए वर्ष 2008-09 से "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरता प्रबंधन परियोजना" (एनपीएमएसएच एण्ड एफ) कार्यान्वित कर रही है। एनपीएमएसएच एण्ड एफ के मुख्य घटकों में नई स्थैतिक और चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण और जैविक खादों और मृदा सुधारकों/सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

(ग) और (घ) लवणता और क्षारीयता ने खासकर उन क्षेत्रों में जहां खराब क्वालिटी के भू-जल से सिंचाई की जाती है, सिंधु-गंगा के मैदानों के शुष्क/अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में, सुन्दरवन सहित डेल्टा के मैदानों तथा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार पूरे देश में क्रमश: 3.77 मिलियन हैक्टे. और 2.95 मिलियन हैक्टेयर क्षारीयता और लवणीयता से प्रभावित है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार कृषि प्रयोजनों हेतु क्षारीय और अम्लीय मृदाओं के विकास के लिए "क्षारीय और अम्लीय मृदाओं का सुधार और विकास" (आरएडीएएस) नामक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। आरएडीएएस के मुख्य घटकों का उद्देश्य मृदा उर्वरता में सुधार करना है तथा इसमें मृदा सुधारकों का अनुप्रयोग तथा लवण/क्षार

सहिष्णु फसलों को उगाना शामिल है। इसके अलावा एलपीएमएसएच एण्ड एफ के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जैविक खादों, हरी खादों और मृदा सुधारकों के मिश्रण से संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। आरएडीएएस और एनपीएमएसएच एण्ड एफ के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान मुख्य उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण I

भारत में लवण प्रभावित (लवणीयता और क्षारीयता) मृदाओं की राज्यवार सीमा (जैसा कि आईसीएआर द्वारा सूचना दी गई-2008)

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	भारत में लवण प्रभावित मृदाओं की सीमा		
		लवण	क्षार	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.77	1.97	2.74
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.77	0.00	0.77
3.	बिहार	0.47	1.06	1.53
4.	गुजरात	16.80	5.41	22.21
5.	हरियाणा	0.49	1.84	2.33
6.	कर्नाटक	0.02	1.48	1.50
7.	केरल	0.20	0.00	0.20
8.	मध्य प्रदेश	0.00	1.40	1.40
9.	महाराष्ट्र	1.84	4.23	6.07
10.	ओडिशा	1.47	0.00	1.47
11.	पंजाब	0.00	1.52	1.52
12.	राजस्थान	1.96	1.79	3.75
13.	तमिलनाडु	0.13	3.55	3.68
14.	उत्तर प्रदेश	0.22	13.47	13.69
15.	पश्चिम बंगाल	4.41	0.00	4.41
	सकल योग (लाख हैक्टेयर)	29.55	37.72	67.27
	सकल योग (मिलियन हैक्टे.)	2.95	3.77	6.73

स्रोत: सीएसएसआर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एनआरएसए) हैदराबाद और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यौरों और भू-उपयोग नियोजन (एनबीएसएस एण्ड एलयूपी), नागपुर द्वारा किए संयुक्त अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई)।

विवरण II

11वीं योजना के दौरान क्षारीय और अम्लीय मृदाओं का सुधार और विकास (आरएडीएएस) और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएच एण्ड एफ) की स्कीम के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरएडीएए		एनपीएमएसएचएफ	
		भौतिक (लाख हैक्टे.)	वित्तीय	भौतिक* संख्या	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.03	142.76	35	973.845
2.	असम	0.04	373.00	0	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.02	208.00	5	150.00
4.	बिहार	0.00	0.00	42	1247.60
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	4	59.40
6.	गुजरात	0.39	2291.54	12	186.25
7.	गोवा	0	0.00	1	5.00
8.	हरियाणा	0.19	520.00	12	144.10
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	6	178.72
10.	झारखंड	0	0.00	19	255.80
11.	कर्नाटक	0.00	47.88	22	395.57
12.	केरल	0.00	0.00	24	327.30
13.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6	86.00
14.	महाराष्ट्र	0.03	64.68	23	405.00
15.	मणिपुर	0.07	425.00	0	89.00
16.	मिजोरम	0.01	55.00	4	72.50
17.	मेघालय	0.01	38.55	6	60.00
18.	नागालैण्ड	0.00	0.00	3	15.00
19.	ओडिशा	0.00	0.00	14	435.00
20.	पंजाब	0.12	29.70	23	170.00
21.	राजस्थान	0.24	452.91	40	1091.22
22.	सिक्किम	0.06	286.00	5	130.00

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	24	250.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	4	136.50
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	26	255.00
26.	उत्तराखंड	0	0.00	4	25.00
27.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	13	163.75
28.	आईआईएसएस, भोपाल	0	0.00	0	970.273
29.	उर्वरक कंपनी	0	0.00	35	0.00
	कुल	1.21	4935.02	412	8277.828

*एनपीएमएसएच एण्ड एफ के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाली सुदृढ़ की जाने वाली मंजूर स्थैतिक/चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या दर्शाता है।

21-26

संग्रहालयों की स्थापना

*185. **श्री जयराम पांगी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थित संग्रहालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे संग्रहालयों के अनुरक्षण और रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का खुदाई में मिले महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को रखने के लिए ललितगिरी में एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संग्रहालय की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन अस्थि अवशेषों को ताबूतों में रखकर जनता के दर्शनार्थ कब तक रखा जाएगा?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) संस्कृति मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, के अधीन कुल 44 पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नामक अन्य दो राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में कार्य करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सात अन्य संग्रहालयों को उनके अनुरक्षण और रखरखाव के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। संग्रहालयों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त संग्रहालयों के अनुरक्षण और रखरखाव पर हुआ खर्च संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ललित गिरी में पहले से ही एक मूर्तिशाला है जिसे स्थल संग्रहालय में उन्नत करने का प्रस्ताव है और इसमें उत्खनन के दौरान प्राप्त उत्खनित अस्थि अवशेषों को रखा जाएगा।

इस संग्रहालय के सभी प्रकार से पूर्ण हो जाने पर ये अवशेष जनता के दर्शनार्थ रखे जाएंगे।

विवरण I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों की राज्य-वार सूची

राज्य	क्र.सं.	संग्रहालय का नाम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, अमरावती
	2.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, चन्द्रगिरि
	3.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कोंडापुर
	4.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, नागार्जुनकोंडा

1	2	3
असम	5.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, श्री सूर्य पहाड़
	6.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, बोधगया
	7.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, नालंदा
	8.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, वैशाली
	9.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, विक्रमशिला
दिल्ली	10.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, पुराना किला
	11.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली
	12.	स्वतंत्रता सैनानी स्मारक, सलीमगढ़,
	13.	भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली
	14.	स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली
गोवा	15.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, वेल्हा गोवा
गुजरात	16.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, लोथल
	17.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, धोलावीरा
हरियाणा	18.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर
हिमाचल प्रदेश	19.	कांगड़ा किला संग्रहालय, कांगड़ा
कर्नाटक	20.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, हेलेबिडु
	21.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कमलापुर (हम्पी)
	22.	टीपू सुल्तान संग्रहालय, श्रीरंगपट्टम
धारवाड़	23.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, ऐहोले
	24.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, बादामी
	25.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, बीजापुर
केरल	26.	मत्तनचेरी महल संग्रहालय, मत्तनचेरी
मध्य प्रदेश	27.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, चंदेरी
	28.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, ग्वालियर
	29.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, खजुराहो
	30.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, सांची
ओडिशा	31.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कोणार्क
	32.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, रत्नागिरी
	33.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, रोपड़
राजस्थान	34.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, कालीबंगन
	35.	डीग महल संग्रहालय, भरतपुर
तमिलनाडु	36.	किला सेंट जार्ज संग्रहालय, चेन्नई
उत्तर प्रदेश	37.	ताज संग्रहालय, आगरा
	38.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, फतेहपुर सीकरी
	39.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, सारनाथ
	40.	1857 स्मारक संग्रहालय, रेजीडेंसी, लखनऊ
उत्तराखंड	41.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, जागेश्वर
पश्चिम बंगाल	42.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय, तामलुक
	43.	हजारद्वारी महल संग्रहालय, मुर्शिदाबाद
	44.	कूच बिहार महल संग्रहालय, कूच बिहार

पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के अतिरिक्त अन्य संग्रहालयों की सूची

1. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली, जिसकी बंगलौर और मुंबई में दो शाखाएं हैं
3. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
4. इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
5. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
6. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
7. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, मध्य प्रदेश
9. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संग्रहालयों के अनुरक्षण और रख-रखाव पर किए गए खर्च

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 15 मार्च, 2012 तक)	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1.	राष्ट्रीय संग्रहालय	6.57	6.23	6.39	7.36	9.67	7.62	6.90	7.53
2.	राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा	3.81	2.27	6.11	3.76	11.52	3.56	10.60	4.25
3.	सालारजंग संग्रहालय	7.94	8.30	13.30	8.84	10.00	13.04	6.00	6.84
4.	इलाहाबाद संग्रहालय	0.99	2.00	0.72	1.57	1.41	2.07	0.60	2.15
5.	भारतीय संग्रहालय	3.89	5.80	6.95	7.54	7.89	9.59	4.77	4.67
6.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	3.00	4.13	4.11	3.57	5.85	3.30	6.93	2.78
7.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद	22.26	19.65	22.73	34.91	30.96	34.46	29.70	27.60
8.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	7.37	2.80	9.48	2.90	7.47	2.90	8.65	3.10
9.	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय	9.20	7.92	14.30	10.33	8.60	9.97	3.66	12.17
10.	पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय (चवालीस)	4.50	2.83	50.07	2.32	5.96	2.73	7.60	2.33
	कुल योग	69.53	61.93	89.16	83.10	99.33	89.24	85.24	73.42

खेलकूद परिसंघों में पदाधिकारी

186. श्री अजय कुमार:
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों को परिसंघ-वार प्रदान किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक ही व्यक्ति द्वारा उसी खेलकूद परिसंघ में पदाधिकारी के उसी पद पर लगातार बने रहना इस संबंध में सरकार द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों को उल्लंघन करना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पदाधिकारी कब से उन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विगत तीन वर्षों में प्रत्येक तथा चालू वर्ष में सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों को 35895.31 लाख रु. की राशि जारी की है। एनएसएफ को उपलब्ध कराए गए अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों की आयु और कार्यक्रम सीमा निर्धारित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन्हें 31.1.2011 को जारी भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 में दोहराया गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ एनएसएफ के पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल की सीमा निर्धारित की है:-

(i) भारतीय ओलंपिक संघ सहित किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ का अध्यक्ष ब्रेक के साथ या बिना किसी ब्रेक के अधिकतम 12 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है।

(ii) भारतीय ओलंपिक संघ सहित किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ का सचिव (या किसी अन्य पदनाम जैसे महासचिव/महामंत्री से संबोधित किया जाता है) और कोषाध्यक्ष प्रत्येक चार वर्ष की अधिकतम दो लगातार कार्यकालों तक कार्य कर सकता है और इसके बाद न्यूनतम चार वर्ष की अंतराल अवधि के बाद उसे किसी भी पद के लिए नए चुनाव के लिए आवेदन करना होगा।

(iii) भारतीय ओलंपिक संघ सहित किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस पद पर कार्य करना बंद कर देगा।

(iv) उपर्युक्त (i) से (iii) शर्तें इस परंतुक के अध्यधीन हैं कि इससे किसी भी सदस्य के वर्तमान कार्यकाल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यदि उसका इस पद पर चुनाव उचित ढंग से किया गया हो। दूसरे शब्दों में, भविष्य में होने वाले सभी चुनावों के लिए कार्यकाल की शर्त अनिवार्य होगी क्योंकि ये चुनाव भविष्य में एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे।

(ङ) सरकारी मान्यता प्राप्त करने और भारत सरकार से वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता जैसे रेलवे रियायत, आयकर छूट, सीमा शुल्क छूट आदि प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने तथा महाद्विपीय तथा विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए के लिए राष्ट्रीय टीमों के चयन के लोक कार्यो का निष्पादन करने का प्राधिकार प्राप्त करने, जिसमें सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों, स्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं, सम्मेलनों आदि में देश का प्रतिनिध्वि करने के राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सरकार के निर्देशों का अनुपालन करें। किसी भी राष्ट्रीय खेल परिसंघ को जिसने 1.5.2010 के इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। किसी भी राष्ट्रीय खेल परिसंघ को जिसने 1.5.2010 के इन दिशा निर्देशों को जारी होने के बाद हुए चुनावों के लिए इन अनुदेशों का पालन नहीं किया है, सरकार द्वारा वार्षिक मान्यता प्रदान नहीं की गयी है।

राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहता लाने के लिए सरकार ने एक नियामक रूपरेखा तैयार की है जिसका उद्देश्य खेल निकायों के बीच सुशासन का विकास करना है। राष्ट्रीस खेल विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है ताकि स्टेकहोल्डरों से विधायी पूर्व परामर्श लिया जा सके, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) खेलों के विकास एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता राष्ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्याणात्मक उपायों की तैयारी एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की कार्यपद्धति जिसमें खेलों में डोपिंग को खत्म करना, आयं संबंधी फ्राड एवं यौन उत्पीड़न के मामले एवं भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं के मामले शामिल हैं, के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता (इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्यावसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है)।

(ii) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रबंधन/निर्णय लेने के संबंध में एथलीट सलाहकार परिषद के माध्यम से एथलीटों को शामिल करना है।

(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियां जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

(iv) खेल विवादों के समाधान हेतु कार्यविधि तथा विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना।

(v) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को और अधिक स्वायत्ता और राष्ट्रीय खेल परिसंघों से सरकार के नियंत्रण को कम करना।

(vi) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लाना जिसमें खिलाड़ियों से संबंधित व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधानों को न रखा जाए।

(vii) एंटी डोपिंग प्रावधान में विशेष प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को लागू करने से अलग रखा जा सके जिनमें अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता।

(viii) कोचों, संरक्षकों और अन्य सहायक कार्मिकों को भी ये दायित्व सौंपे गए हैं कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते हैं जिससे खिलाड़ियों खेल स्थलों पर यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उचित परिस्थिति सुलभ कराई जायें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये हैं जिसमें महिला की अध्यक्षता में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रख जाये साथ ही गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाये।

विवरण

विगत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को एनएसएफ को सहायता की स्कीम के अंतर्गत जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण (2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए टीमों की तैयारी की स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए अनुदान भी शामिल है।)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ, नई दिल्ली	659.40	309.94	308.30	790.00*	2067.64
2.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	96.10	360.31	42.10	606.00*	1104.51
3.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	221.40	163.00	180.05	162.13	726.58
4.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	421.07	658.45	509.53	1440.00*	3029.05
5.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	137.62	263.81	256.64	11.29*	669.36
6.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	62.55	49.66	62.33	425.00*	599.54
7.	भारतीय रोइंग परिसंघ, सिकन्दराबाद	57.05	88.79	64.71	319.00*	529.55
8.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	179.80	375.51	356.36	360.00*	1271.67
9.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	15.10	125.07	35.36	122.00*	297.53
10.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नई	57.49	168.25	146.54	68.40	440.68
11.	भारतीय एम्येचोर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	185.47	174.30	165.89	1531.000*	835.41
12.	हॉकी विधा से संबंधित संस्थाएं (पुरुष) एवं (महिला)	346.42	76.82	435.76	1809.00*	3354

1	2	3	4	5	6	7
13.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	26.17	101.13	116.53	567.00*	810.83
14.	भारतीय बैडमिंटन संघ	265.79	435.48	150.71	910.00*	1761.98
15.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	86.26	5.05	0.00	0.00	91.31
16.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	52.58	41.90	610.51	174.99	879.98
17.	भारतीय गोल्फ संघ, नई दिल्ली	18.24	16.43	41.69	23.53	99.89
18.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आई.जी. स्टेडियम, नई दिल्ली	316.78	470.00	153.98	983.00*	1923.76
19.	भारतीय यार्टिंग संघ, नई दिल्ली	36.71	147.85	85.95	255.00*	525.51
20.	भारतीय एम्येचोर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	32.08	11.77	10.00	121.00	174.85
21.	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नई	63.51	73.91	150.53	84.68	372.63
22.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	18.54	87.8	18.43	636.00*	760.77
23.	भारतीय हैंडबाल एम्येचोर परिसंघ, जम्मू कश्मीर	72.38	13.55	46.44	78.70	211.07
24.	भारतीय बास्केट बाल परिसंघ, नई दिल्ली	44.52	61.60	24.24	227.89	358.25
25.	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	24.75	30.56	174.06	36.06	265.43
26.	भारतीय क्याकिंग एंड केनोइंग संघ, नई दिल्ली	30.51	26.21	0.00	185.72	242.44
27.	अखिल भारतीय बहिरंग खेल परिषद, नई दिल्ली	42.38	23.98	47.65	75.82	189.83
28.	भारतीय पैरालंपिक समिति, बंगलौर	40.10	142.83	221.39	13.38	417.70
29.	स्पेशल ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	53.30	3.81	12.00	285.89	355.00
30.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	19.09	13.58	23.77	10.96	67.40
31.	अखिल भारतय कराटे डो परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	10.18	0.00	10.18
32.	भारतीय एम्येचोर बेसबॉलपरिसंघ, नई दिल्ली	11.00	12.49	14.75	12.75	50.99
33.	भारतीय अत्या पत्या परिसंघ, नई दिल्ली	16.50	5.92	12.00	10.50	44.92
34.	अखिल भारतीय साइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	15.90	9.34	7.76	12.00	45.00
35.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97
36.	अखिल भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ, जमशेदपुर	16.00	11.50	0.00	0.00	27.50
37.	भारतीय खो-खो परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	4.50	7.50	16.50	28.50

1	2	3	4	5	6	7
38.	भारतीय कार्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.72	13.31	5.50	2.50	34.03
39.	भारतीय नेट बाल परिसंघ, नई दिल्ली	18.78	65.00	0.00	0.00	83.78
40.	भारतीय सेपक टकरा परिसंघ, नागपुर	12.00	8.00	12.00	12.00	44.00
41.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	9.00	12.00	12.00	12.00	45.00
42.	अखिल भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, इंदौर	0.00	12.25	13.75	11.75	37.75
43.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	0.00	11.89	55.10	490.00*	556.99
44	भारतीय टेनी क्वाईट परिसंघ, बंगलौर	16.50	9.00	19.75	15.25	60.50
45.	अखिल भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	16.00	5.00	9.00	8.50	38.50
46.	अखिल भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	6.00	9.75	16.00	11.25	43.00
47.	भारतीय वुशु संघ, नई दिल्ली	31.24	30.91	0.00	90.56	152.71
48.	भारतीय बिलियर्डस एवं स्कूनर परिसंघ, कोलकाता	37.02	38.87	50.11	50.20	176.20
49.	भारतीय रग्बी फुटबाल संघ, मुम्बई	0.00	2.02	1.41	0.00	3.43
50.	भारतीय विंटर गेम्स परिसंघ, नई दिल्ली	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07
51.	भारतीय साइक्लिंग परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	49.78	82.34	0.00	132.12
52.	भारतीय मलखंभ परिसंघ	9.00	0.16	11.50	0.00	20.66
53.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, अहमदाबाद	6.86	10.75	14.75	11.75	44.11
54.	भारतीय ब्रिज परिसंघ	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
55.	आइस हाकी (एनएसपीओ), नई दिल्ली	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
56.	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	13.36	43.54	5.20	0.00	62.10
57.	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	238.96	204.00	1324.60	39.54	1807.10
58.	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	1000.00	2000.00	3700.16	322.00	7022.16
59.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	0.00	158.45	381.00	160.89	700.34
60.	अखिल भारतीय टेनपिन परिसंघ	0.00	0.00	55.10	0.00	55.10
61.	भारतीय बाउलिंग परिसंघ	1.82	56.86	64.27	0.00	122.95
		5183.36	7992.64	10337.20	13603.38	35895.31

*आंकड़ों में लंदन ओलंपिक 2012 (ओपेक्स लंदन, 2012) के लिए फरवरी, 2012 तक किए गए व्यय और प्रतिबद्ध व्यय शामिल है।

चावल और गेहूं का उत्पादन

***187. श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में चावल और गेहूं की मांग और अपनाए जाने वाले खपत-प्रतिमान का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चावल और गेहूं का मौजूदा उत्पादन देश में इनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए इन मुख्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए योजना आयोग द्वारा फसल-पालन, कृषि आदानों, मांग एवं आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी पर गठित कार्यकारी दल के अनुसार, योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2016-17 के लिए चावल एवं गेहूं की मांग क्रमशः 110.21 मिलियन टन तथा 89.06 मिलियन टन तक अनुमानित है। कार्यकारी दल द्वारा मांग का कोई राज्य एवं संघ शासित प्रदेशवार मूल्यांकन नहीं है।

(ग) और (घ) 2011-12 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल द्वारा प्रक्षेपित 98.79 मिलियन टन चावल तथा 77.36 मिलियन गेहूं की मांग की तुलना में, वर्ष के दौरान उनका उत्पादन क्रमशः 102.75 मिलियन टन तथा 88.31 मिलियन टन तक अनुमानित है। अतः देश में चावल एवं गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा उत्पादन पर्याप्त है। तथापि, सतत आधार पर चावल एवं गेहूं सहित खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो नए कार्यक्रमों अर्थात पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास की शुरुआत की गयी है।

उच्चतर कृषि उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) फसल सुधार से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान, कृषि जैविकीय क्षेत्रों के अनुसार स्थान विशिष्ट किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास सहित विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल लाभप्रद फसल पद्धतियों के मद में इन फसलों के उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियां, गैर-परंपरागत क्षेत्रों एवं मौसम के उपयुक्त संबंधित उत्पादन के उपयुक्त किस्मों/हाईब्रीडों तथा संबंधित उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य कर रहा हैं। इन पहलों के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षेत्रों के साथ भिन्न-भिन्न कृषि जैविकीय क्षेत्रों की बेहतर अनुकूलता के साथ उन्नत किस्मों/हाईब्रीडों वाली फसलों को विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने तथा उसे अपनाना फ्रंटलाइन प्रदर्शनों (एफएलडभ) के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं।

सीआरएफ और एनसीसीएफ के अन्तर्गत वित्तपोषण

***188. श्री मंगनी लाल मंडल:**
श्री के. नारायण राव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आपदा राहत निधि (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) में कितनी धनराशि जमा हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आपदा राहत निधि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) राज्यों द्वारा कितनी धनराशि के लिए अनुरोध किया गया, केन्द्रीय निरीक्षण दल द्वारा कितनी धनराशि की संस्तुति की गई और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या आपदाओं के संबंध में राज्यों को जारी की गई धनराशि में काफी अन्तर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सूचना निम्नानुसार है:-

(i) अब राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) के रूप में नामोद्दिष्ट आपदा राहत निधि (सीआरएफ)

(करोड़ रुपए में)

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
3220.48	3791.87	4337.63	4023.79

टिप्पणी:- यह केन्द्रीय सरकार का अंशदान है और इसमें राज्यों का अंशदान शामिल नहीं है।

(ii) अब राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) के रूप में नामोद्दिष्ट राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ)

(करोड़ रुपए में)

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1800.00	3160.00	3900.01	3998.00

(ख) वर्ष 2008-09 से 2011-12 (आज की तारीख तक) की अवधि के दौरान सीआरएफ (एसडीआरएफ) और एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) से राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध की गई धनराशि, केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत की गई धनराशि और भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई वास्तविक धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II (बाढ़/भूस्खलन, चक्रवात, बादल फटना, भूकम्प) और संलग्न विवरण-III (सूखा) में दिया गया है।

(घ) और (ङ) केवल तत्काल राहत के लिए निधि की आवश्यकता एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से पूरी की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों में विशेष रूप से अवसंरचना से संबंधित दीर्घ-कालिक एवं स्थायी पुनर्निर्माण कार्यों के लिए निधियों की आवश्यकता निरपवाद से शामिल होती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से इन मदों के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है और इन मदों के लिए निधियों की मांग अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता आदि के माध्यम से अलग से की जानी होती है। अतः, मांगी गई धनराशियों और राज्यों को जारी की गई धनराशियों के बीच अंतर है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सीआरएफ (एसडीआरएफ) और (एनडीआरएफ) से जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	जारी सीआरएफ (एसडीआरएफ) में केन्द्र का अंशदान				एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) से जारी की गई निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (आज की तारीख तक)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (आज की तारीख तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	298.73	313.670	481.63	300.71	29.82	685.81	582.11	257.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.15	23.86	33.07	34.72	26.40	32.29	97.24	0.00
3.	असम	157.97	162.80	237.39	124.63	300.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	121.86	125.59	250.87	131.705	1000.00	267.48	368.01	0.00
5.	छत्तीसगढ़	45.72	139.935	56.745	116.33#	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1.83	1.92	1.11	2.275#	0.00	4.04	0.00	0.00
7.	गुजरात	315.29	224.25	376.59	395.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	54.00	167.385	72.34	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	103.63	63.69	117.68	123.57	40.33	14.58	149.95	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	35.38	108.275	77.605	0.00*	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	51.58	157.89	194.59	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	99.55	104.52	120.72	126.76	189.11	1594.36	0.00	0.00
13.	केरल	74.23	77.93	98.31	51.61	9.48	0.00	12.78	0.00
14.	मध्य प्रदेश	208.04	214.41	371.88	231.965	0.00	40.53	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	488.895	366.01	140.32	0.00	182.10	310.48	0.00
16.	मणिपुर	4.48	6.96	3.25	6.66#	5.45	0.91	0.00	0.00
17.	मेघालय	9.23	9.51	6.595	13.52#	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	10.941	3.85	7.89#	49.60	0.00	4.57	0.00
19.	नागालैंड	3.12	3.22	2.235	0.00*	0.00	8.47	0.00	0.00
20.	ओडिशा	324.50	176.504	293.69	308.37	98.87	0.00	560.17	678.65
21.	पंजाब	126.78	133.12	83.595	171.30#	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	360.87	378.90	225.25	698.27#	0.00	115.12	0.00	0.00
23.	सिक्किम	14.35	14.78	10.24	31.74#	8.36	0.00	0.00	200.38
24.	तमिलनाडु	229.17	142.95	220.14	231.15	522.51	0.00	317.17	500.00
25.	त्रिपुरा	10.37	16.09	8.69	26.94#	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	242.15	249.55	289.04	303.50	0.00	148.96	554.26	0.00
27.	उत्तराखंड	112.47	76.39	105.89	0.00*	0.00	0.00	517.66	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	192.07	197.93	228.62	240.05	0.00	166.869	704.85	0.00
	कुल	3220.48	3791.865	4337.63	4023.79	2279.92	3261.519	4179.25	1636.64

* आपदा राहत निधि (सीआरएफ)/राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) में केन्द्र का अंशदान पहले जारी की गई निधियों के जमा करने, उपयोगिता प्रमाणपत्र और वार्षिक रिपोर्ट सये संबंधित सूचना के अभाव की वजह से जारी नहीं किया गया है।

पिछले वर्ष के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ की बकाया राशि सहित।

विवरण II

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन/चक्रवात/बादल फटने तथा भूकम्प के संबंध में राज्य-वार अनुमानित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता की धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आरसईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आरसईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आरसईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आरसईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1148.51	65.63	64.90+3.539 [एआरडब्ल्यूएसपी]	3163.64	1185.41	606.88+69.785 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	9373.076#	930.20	735.65+18.025 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	615.22	132.73	52.88+2.82 [एआरडब्ल्यूएसपी]	-	-	-	681.19	170.71	123.49+32.00 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-
3.	असम	1374.06	406.73	206.40+2.35 [एआरडब्ल्यूएसपी]	-	-	-	745.59	206.17	206.17	-	-	-
4.	बिहार	3394.43	1091.16	614.56 (497.35 + 117.21)	-	-	-	1268.00	26.98	26.926	-	-	-
5.	गोवा	-	-	-	22.297	4.68	2.49+0.5 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-	-	-	-
6.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	1022.94	65.91	65.91 + 0.90 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	1616.01	191.77	93.42+6.00 [एआरडब्ल्यूएसपी]	-	-	-	1793.37	295.597	242.73 + 27.56 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	886.90	120.09	@
8.	जम्मू और कश्मीर	-		-	-	-	-	342.13	45.06	45.06 + 11.10 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-
9.	कर्नाटक	524.32	63.84	51.63 + 2.25 [एआरडब्ल्यूएसपी]	7513.06 +	2130.06 +	1501.79 + 8.16 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	1045.38	197.79	197.75 + 8.66 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-
10.	केरल	-	-	-	312.13	116.90	61.36 + 1.85 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	233.21	28.45	22.20+2.40 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	1427.24	225.56	@
11.	महाराष्ट्र	-	-	-	1329.09	279.287	188.77 + 3.94 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-	-	-	-
12.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	150.81	9.14	6.249	-	-	-
13.	ओडिशा	2678.46	499.98	389.29+7.67 [एआरडब्ल्यूएसपी]	231.488	82.88	39.32	-	-	-	3265.37	1006.75	908.30+10.00 [एनआरडीडब्ल्यूपी]
14.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2842.62*	291.36+41.64 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	227.5+41.34 [एनआरडीडब्ल्यूपी]
15.	तमिलनाडु	2199.75	570.17	570.17	-	-	-	2139.21	512.81	508.69+0.436 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	5237.01 (11199.89+ 4037.12)	680.80	@
16.	उत्तर प्रदेश	269.75	100.50	71.63+1.02 [एआरडब्ल्यूएसपी]	-	-	-	2351.51	874.40	869.40+5.00 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	1458.37	467.74	@
17.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	3932.87	817.91	624.07+71.10 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	-	-	-
18.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	1743.14	765.86	516.859 (478.27 +38.589)	112.76	111.02	107.59+0.07 [एनआरडीडब्ल्यूपी]	525.05**	103.17	@
19.	पुदुचेरी	110.13	33.36	27.73	6.63	0.77	0.35	8.04	0.607	0.607	2435.66 (296.30 + 2139.36)	88.67	@

*तत्काल आपदा के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष 75% के समायोजन के अध्यधीन। आईएमसीटी-अन्तर केन्द्रीय दल। एनआरडीडब्ल्यूपी-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।

#इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए चार ज्ञापन शामिल हैं। $ इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दो ज्ञापन शामिल हैं। **18 सितम्बर 2011 का भूकम्प 21.3.2012 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी)

(टिप्पणी:- यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मानदंडों के दायरे से बाहर की मदों के लिए भी आवश्यकता का अनुमान लगाया था। तदनुसार, उन मदों के लिए किसी सहायता पर विचार नहीं किया गया है।)

विवरण III

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सूखे के संबंध में राज्य-वार अनुमानित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा मांगी गई/ अनुमानित सहायता	आईएमसीटी द्वारा आकलित सहायता	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता*
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	101060.77	1837.10	575.30	-	-	-	3006.41	792.92	@
2.	असम	-	-	-	792.60	95.59	89.94	-	-	-	-	-	-
3.	बिहार	-	-	-	23071.13	910.21	1163.64	5062.75	650.80	1459.54	-	-	-
4.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	608.13	178.32	88.93	-	-	.	-	-	-
5.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	211.82	167.28	156.77	-	-	.	-	-	-
6.	झारखंड	-	-	-	890.31	139.52	200.955	1510.70	833.54	855.30	-	-	-
7.	कर्नाटक	2043.07	93.55	83.83	394.92	260.52	116.49	-	-	-	2605.99	296.58	@
8.	केरल	-	-	-	168.22#	33.02#	33.02#	-	-	-	-	-	-
9.	महाराष्ट्र	-	-	-	15059.64	1288.25	671.88	-	-	-	-	-	-
10.	मध्य प्रदेश	-	-	-	11669.68	317.61	246.31	-	-	-	-	-	-
11.	मणिपुर	-	-	-	22.09	22.09	14.57	-	-	-	-	-	-
12.	नागालैंड	-	-	-	74.76	20.26	21.12	-	-	-	-	-	-
13.	ओडिशा	-	-	-	2266.65	294.75	151.92	2871.00	407.52	376.55	-	-	-
14.	राजस्थान	-	-	-	14927.37	3421.59	1034.84	-	-	-	-	-	-
15.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	12133.42	1685.215	515.05	-	-	-	-	-	-
16.	उत्तराखंड	200.14	58.08	57.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	1100.00	1163.09	724.99	-	-	-

*संबंधित राज्य सरकार के संबंध में आपदा राहत निधि (सीआरएफ)/राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) में उपलब्ध शेष 75% के समायोजन के अध्यधीन।
#ओलावृष्टि के लिए 0.12 करोड़ रुपए सहित। आईएमसीटी अंतर=मंत्रालयी केन्द्रीय दल
@दिनांक 21.03.2012 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी)

राष्ट्रीय बीज मिशन

***189. श्री एम. आनंदन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार/योजना आयोग का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बीज मिशन सहित बीजों के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना 'गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास

एवं सुदृढ़ीकरण' वर्ष 2005-06 से अखिल भारत आधार पर कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य किसानों को सभी फसलों के उच्च उपज वाले प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनका उत्पादन एवं बहुलीकरण सुनिश्चित करना है। योजना के लिए वर्ष 2012-2013 हेतु 330 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। यद्यपि, विद्यमान योजना से पिछले पांच वर्षों में गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता दुगुनी हुई है फिर भी वर्तमान परिदृश्य में योजना का एक केन्द्रित, समयबद्ध एवं समेकित दृष्टिकोण के साथ एक मिशन के रूप में उन्नयन करने तथा विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की गई है जिससे किसानों को गुणवत्ताप्रद बीजों की उचित मूल्यों पर उपलब्धता में सुधार हो सके। तदनुसार, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय बीज एवं रोपण सामग्री मिशन संबंधी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना आयोग ने 12वीं योजना में पुनर्सरचना केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन' में बीज मिशन को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है।

मिशन के बीज घटक का उद्देश्य बीज बहुरत्नीकरण श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम, नई किस्मों को विकसित करना एवं लोकप्रिय बनाना, नई प्रौद्योगिकी बनाना, नई प्रौद्योगिकीयों को प्रोत्साहन, बीज अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, बीज पचार को प्रोत्साहित करना फार्म पर बचाए गए बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाना, सार्वजनिक तथा निजी बीज क्षेत्र दोनों को सहायता, आकस्मिकता स्थिति में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने इत्यादि के जरिए विभिन्न फसलों के लिए प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन तथा बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाना है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास

***190. डॉ. पी. वेणुगोपाल:**
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की कारगरता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या कमियां पाई गई हैं; और

(घ) इन योजनाओं को और सुदृढ़ करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के अंतर्गत दी गई धनराशि का राज्यों द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल न हो, सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) योजना आयोग दिसम्बर, 2010 से चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के त्वरित विकास के लिए एकीकृत कार्य योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में अब 9 वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों के 78 जिले (66 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित) शामिल हैं। राज्य में विकास के प्रभारी विकास आयुक्त/समकक्ष अधिकारी आईएपी के व्यय की जांच और उसकी निगरानी के लिए उत्तरदायी है। आई ए पी की वृहत स्तरीय (मैको लेवल) मानीटरिंग का कार्य सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। योजना आयोग द्वारा आईएपी की नियमित निगरानी संबंधित राज्यों के जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों और विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कान्फरेंन्सों/बैठकों के माध्यम से की जा रही है। अब तक, ऐसे 20 वीडियो कान्फरेन्स/बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट आईएपी के कार्यान्वयन के संबंध में योजना आयोग द्वारा विकसित एमआईएस पोर्टल पर आनलाइन डाटा अपलोड करते हैं। राज्य और केन्द्र दोनों स्तर पर गहन निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार हो और कार्यान्वयन की गति को कायम रखा जा सके।

1.1 आईएपी के अन्तर्गत निधियों को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति के निपटान पर रखा जाता है और उसमें जिला के पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी भी शामिल होते हैं। जिला स्तरीय समिति को उसके द्वारा आकलित आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाओं के लिए धनराशि खर्च करने की छूट है। निधियों को राज्य सरकारों की समेकित निधि में जारी किया जाता है और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ये निधियां संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खोले गए बचत खाते में 15 दिन के अन्दर अन्तरित कर दी जाएं। आईएपी के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की नियमित भौतिक और वित्तीय लेखापरीक्षा राज्य सरकार के पैनल में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा राज्य के महालेखाकार द्वारा की जानी चाहिए। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, आईएपी के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की नियमित जांच तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति द्वारा यथानिर्धारित अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जानी अपेक्षित हैं। राज्य सरकारों और जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि आईएपी के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों की योजनाओं के बारे में स्थानीय संसद सदस्य से परामर्श किए जाएं।

1.2 उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप, दिनांक 26.03.2012 की स्थिति के अनुसार आईएपी के तहत 9 राज्यों द्वारा शुरू किए गए 70, 205 कार्यों में से, 45,385 कार्य पूरे हो गए हैं और जारी की गई 3260.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय निधियों में से, 2024. 91 करोड़ रुपए का व्यय होने की सूचना मिली है।

2.1 सरकार द्वारा 8 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के 34 जिलों में रोड रिक्वायरमेन्ट प्लान-I (आरआरपी-I) के तहत 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5477 किमी. लम्बी सड़क का विकास करने की एक योजना भी अनुमोदित की गई है। योजना के तहत किए जा रहे कार्य की प्रगति की सतत निगरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की जा रही है और उस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एल डब्ल्यूई कार्यों के लिए एक पृथक जोन बनाया गया है।

2.2 आरआरपी-I में कुछेक क्षेत्रों में खराब आवागमन की सुविधा की वजह से टेण्डरों पर कम प्रतिक्रिया की समस्या सामने आयी है। कुछेक मामलों में, जहां राज्य सरकारों के पास आवश्यक क्षमताएं हैं, और ठेकेदार कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, वहां राज्य सरकारों को विभागीय तौर पर कार्य करवाने की अनुमति दी गई है। पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराकर सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं का निराकरण किया जा रहा है, किन्तु कुछ क्षेत्रों में, सड़क निर्माण कार्यों को रोकने के लिए नक्सली कोंडर हिंस और तोड़फोड़ का सहारा लेते हैं।

3. योजना आयोग, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित प्रमुख जिलों में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करा रहा है। भारत सरकार ने सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन दिनांक 14.07.2010 को किया है और उसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एल डब्ल्यू ई) क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी विद्यमान अनुदेशों को निरस्त करने अथवा संशोधित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। दिनांक 23.03.2012 की स्थिति के अनुसार, योजनाओं का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह की 15 बैठकें हो चुकी हैं।

1.7- 49

[हिन्दी]

खेलकूद अवसंरचना हेतु सहायता

191. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेलकूद अवसंरचना के विकास हेतु स्टेडियमों के निर्माण और अन्य कार्यों हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या यह सहायता अब बंद कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का खेलकूद अवसंरचना के निर्माण हेतु उक्त सहायता पुनः शुरू किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो स्कूलों/कॉलेजों में खेलकूद क्रियाकलापों को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) 'खेल' राज्य का विषय है इसलिए अवसंरचना के सृजन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों/केन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

2010-11 में प्रायोगिक आधार पर आरंभ शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत राज्य सरकारों को 29.2.2012 तक खेल अवसंरचना के सृजन/उन्नयन/आधुनिकीकरण अर्थात बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, हाकी मैदान, फुटबाल मैदान और एथलेटिक ट्रैक के लिए सिंथेटिक सतह बिछाना जिसमें कोचों के प्रशिक्षण और खेल सतह/मैदान का संरक्षण शामिल है, के लिए 37.42 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) स्कीम के अंतर्गत ग्राम/ब्लाक पंचायतों में खेल मैदान के विकास और ब्लाक/जिला, राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए 2008-09 से 2010-11 तथा चालू वर्ष में 29.2.2012 तक राज्य सरकारों को 730.40 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए दिल्ली और उसके आस-पास अंतरराष्ट्रीय स्तर की बृहत खेल अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन किया गया। इस उद्देश्य के लिए 3732.72 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। झारखंड सरकार और केरल सरकार को क्रमशः 34वें राष्ट्रीय खेल और 35 वें राष्ट्रीय खेल आयोजित करने के लिए खेल अवसंरचना के सृजन और विकास हेतु क्रमशः 67 करोड़ रुपए और 110 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पायका स्कीम में स्कूलों में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और शारीरिक शिक्षा एवं खेल को स्कूली शिक्षा के साथ मिलाकर सामुदायिक खेल को लिंक करने का प्रावधान है। स्कूल समय के बाद सामुदायिक खेल के संवर्धन के लिए पायका खेल मैदानों के चयन में स्कूल खेल मैदानों को प्राथमिकता दी जाती है। 75% से अधिक पायका खेल मैदान स्कूलों में स्थित हैं। ब्लाक/जिला, राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जिनमें अधिकतर प्रतिभागी स्कूलों से होते हैं। यूएसआईएस के अंतर्गत खेल अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देश भर में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है जो कि अधिकतर स्कूलों में है और विभिन्न खेल विधाओं में लगभग 15,000 लड़के व लड़कियों का पोषण कर रहा है। हाल ही में साई का एक एसटीसी केंद्र पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, शिलांग में स्वीकृत किया गया है जिसमें व्यापक खेल अवसंरचना जैसे छात्रावास, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, तीरंदाजी मैदान और अन्य खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत डीब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम के दस कालेजों में खेल अवसंरचना के सृजन के लिए 2009 में 2.27 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली, 2010 के 'लिगेसी' प्लान के अंतर्गत दिल्ली और उसके आस-पास 2009-10 और 2010-11 के दौरान 18 स्कूल/कालेजों में लगभग 9 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता से खेल अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन किया गया ।

2009-10 और 2010-11 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) को भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट आयोजित करने, कोचिंग शिविरों और विदेश में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए 5.39 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्रदान किया गया।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटन

***192. श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 5 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए तथा इसके अंतर्गत लाभग्राही जिलों और परिवारों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड/तरीका अपनाया गया है;

(ग) क्या उक्त खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य सामान्य आबंटन के अंतर्गत मूल्य से भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सामान्य आबंटन और उक्त अतिरिक्त आबंटन के अंतर्गत खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य क्या है तथा इन्हें राज्य-वार किस मूल्य पर वितरित किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 14.5.2011 और 14.9.2011 के आदेशों में भारत संघ को अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि भारत के 150 निर्धनतम जिलों अथवा हमारे समाज के अत्यंत गरीब और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर खाद्यान्न प्रदान किए जाएं तथा इस प्रयोजनार्थ वितरण करने के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्न आरक्षित किया जाए। न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से यह अनुरोध भी किया था कि वह निर्धनतम जिलों अथवा समाज के निर्धनतम वर्गों की पहचान करें तथा सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त रूप से आवंटित खाद्यान्न समय-समय पर इस वर्ग तक पहुंचे। समिति ने एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धनतम जिलों में गरीबी रेखा से नीचे और अन्त्योदय अन्न योजना वाले 47.15 लाख परिवारों को कवर करने के लिए कुल 23.68 लाख टन चावल और गेहूं का आवंटन करने की सिफारिश की थी। समिति ने कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के अधीन निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से कलैक्ट्रेट, नगर अस्पताल, बस स्टाप जैसे स्थानों में और गरीब तथा कमजोर लोगों की बस्तियों में पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने हेतु 4 राज्यों के 6 जिलों को एक वर्ष के लिए 1473 टन अनाज का आवंटन करने की सिफारिश भी की है।

डी.पी. वाधवा समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई, 2011 से 23.69 लाख टन चावल और गेहूं की कुल मात्रा का आवंटन किया है और इसमें से 7.61 लाख टन का आवंटन अंत्योदय अन्न योजना के लिए निर्धारित मूल्यों पर तथा 16.08 लाख टन का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर किया गया था ताकि इनका वितरण 27 राज्यों में समिति द्वारा पहचान किए गए 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों में किया जा सके। उपर्युक्त में कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के अधीन पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने हेतु 4

राज्यों के 6 जिलों को एक वर्ष के लिए 1473 टन अनाज का आवंटन शामिल है।

निर्धनतम जिलों को वितरण करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों के आवंटन की सिफारिश करने में वाधवा समिति ने अतिरिक्त खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों/परिवारों की पहचान की है और तद्नुसार संबंधित राज्यों को निदेश दिया है:-

1. गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 2001 से 2011 तक बढ़ी आबादी के आधार पर।
2. ऐसे परिवार जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड नहीं है लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मौजूदा मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों के लिए पात्र हैं।
3. ऐसे परिवार जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना का कार्य तो हैं लेकिन जिनकी क्षमता राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की खरीददारी करने की भी नहीं है।
4. ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है और वे समिति द्वारा बनाए गए मानदण्ड के अनुसार इस श्रेणी से बाहर हैं।
5. ऐसे व्यक्ति जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड हैं लेकिन जिनकी क्षमता राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की खरीददारी करने की भी नहीं है; अथवा ऐसे व्यक्ति जो अंत्योदय अन्न योजना/अन्नपूर्णा योजना अथवा राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अधीन नहीं आते हैं लेकिन गरीबी की अवस्था में रह रहे हैं और अपने साधनों से अनाज जुटाने में अक्षम हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य आवंटनों के अधीन सरकार निम्नानुसार केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करती है।

(रुपये प्रति किलोग्राम)

खाद्यान्न	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे
गेहूं	2.00	4.15
चावल	3.00	5.65

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मामले में उचित दर के मालिकों के लिए मार्जिन लागत अन्तिम खुदरा मूल्य पर ली जाए। तथापि अंत्योदय अन्न योजना के मामले में लाभार्थियों के लिए अन्तिम खुदरा मूल्य उपर्युक्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य के अनुसार होगा।

गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को किये गए 23.69 लाख टन खाद्यान्न के अतिरिक्त आवंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निर्धनतम जिलों हेतु 23.69 लाख टन के आवंटन में से जनवरी 2012 तक किया गया उठान 4.47 लाख टन है।

विवरण

वाधवा समिति की सिफारिशों के अनुसार 27 राज्यों के 174 जिलों में खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे के लिए आवंटन	अंत्योदय अन्न योजना के लिए आवंटन	गरीबी रेखा से नीचे+ अंत्योदय अन्न योजना के लिए कुल आवंटन	गरीबी रेखा से नीचे+ अंत्योदय अन्न योजना के लिए कुल उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	71.869	44.928	116.797	0.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.454	0.283	0.737	0.000
3.	असम	9.458	5.882	15.340	0.000

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	437.307	159.204	596.511	117.143
5.	छत्तीसगढ़	98.523	33.429	131.952	92.434
6.	गुजरात	31.754	19.748	51.502	21.165
7.	हरियाणा	7.459	2.280	9.739	0.545
8.	मध्य प्रदेश	10.457	1.080	11.537	9.161
9.	जम्मू और कश्मीर	9.705	2.052	11.757	4.472
10.	झारखंड	92.355	39.874	132.229	21.408
11.	कर्नाटक	19.357	12.038	31.395	7.848
12.	केरल	3.648	1.420	5.068	1.365
13.	मध्य प्रदेश	203.514	74.530	278.044	91.438
14.	महाराष्ट्र	65.240	40.572	105.812	0.101
15.	मणिपुर	0.864	0.351	1.215	0.300
16.	मेघालय	1.060	0.659	1.719	0.000
17.	मिजोरम	0.098	0.061	0.159	0.080
18.	नागालैंड	0.194	0.121	0.315	0.061
19.	ओडिशा	88.744	55.189	143.933	2.252
20.	पंजाब	1.134	0.705	1.839	0.000
21.	राजस्थान	70.762	28.292	99.054	50.904
22.	सिक्किम	0.241	0.023	0.264	0.146
23.	तमिलनाडु	25.247	15.701	40.948	14.646
24.	त्रिपुरा	1.811	0.923	2.734	0.327
25.	उत्तर प्रदेश	195.281	121.443	316.724	9.451
26.	उत्तराखंड	2.109	0.493	2.602	1.319
27.	पश्चिम बंगाल	159.884	99.431	259.315	0.057
	जोड़	1608.529	760.712	2369.241	446.623

[हिन्दी] 55 - 100

एफएम रेडियो सेवाएं

*193. श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री राजेन्द्रसिंह राणाः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन स्थानों से एफएम रेडियो सेवाएं संचालित की जा रहीं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एफएम रेडियो स्टेशन खोलने के लिए स्थान-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) स्वीकृत और अस्वीकृत प्रस्तावों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी दो वर्षों में सरकार का किन-किन स्थानों से एफएम रेडियो सेवाएं संचालित करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय, देश के 196 स्टेशनों में प्रसार भारतीय के 207 एफएम ट्रांसमीटर कार्यशील हैं। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्तमान वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान एफएम रेडियों स्टेशन खोलने के लिए उन्हें कुल 101 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अवस्थिति-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अनुमति-प्रदत्त/कार्यान्वयनाधीन एवं प्रस्तावित प्रस्तावों व उनकी अवस्थितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II व IV में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया है कि 11वीं योजना के दौरान आकाशवाणी द्वारा देश भर के 295 और स्थानों में विभिन्न क्षमताओं के एफएम ट्रांसमीटर अधिष्ठापित किए जा रहे हैं। इन स्थानों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-V में दी गई है।

जहां तक प्राइवेट एफएम रेडियो का संबंध है, प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण-II) संबंधी नीति के अंतर्गत देश में, इस समय, 245 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन (चरण-I की स्कीम के अंतर्गत प्रचालित 21 स्टेशनों सहित) कार्यशील हैं। शहर-वार व अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 7.7.2011 को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से एफएफ प्रसारण का विस्तार (चरण-III) संबंधी नीति का अनुमोदन कर दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत एफएम रेडियो सेवाओं का विस्तार, मौजूदा 86 शहरों के अतिरिक्त, 227 नए शहरों में किया गया है, जिसके कारण नए एफएफ रेडियो चैनलों की कुल संख्या 839 हो गई है। शहर-वार व अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है।

विवरण I

वर्तमान आकाशवाणी एफएम प्रेषित्रों की सूची (राज्य-वार)

क्र.सं.	स्थान	राज्य	पावर (कि.वाट.)
1	2	3	4
1.	पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10
2.	अनन्तपुर	आंध्र प्रदेश	6
3.	हैदराबाद		10 और 10
4.	करीमनगर		5
5.	कोठागुदम		6
6.	कुरनूल		6
7.	मारकापुरम		6
8.	नेलौर		0.1
9.	निजामाबाद		6
10.	ओनगोले		0.1
11.	सूर्यापेट		1
12.	तिरूपती		3 और 10
13.	विजयवाड़ा		1
14.	विशाखापटनम		10
15.	वारंगल		10
16.	मचरैला		3
17.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	10
18.	धुबरी	असम	6
19.	गुवाहाटी		10

1	2	3	4
20.	हाफलांग		6
21.	जोरहट		10
22.	नाउगोंग		6
23.	सिलचर		0.1
24.	औरंगाबाद	बिहार	0.1
25.	गया		0.1
26.	किसनगंज		0.1
27.	पटना		6
28.	पुर्णिया		6
29.	सासाराम		6
30.	सीतामढ़ी		0.1
31.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	6
32.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	6
33.	रायगढ़		6
34.	रायपुर		10
35.	सरायपल्ली		1
36.	दमन	दमन (संघ शासित क्षेत्र)	3
37.	दिल्ली	दिल्ली	20 और 20
38.	पणजी	गोवा	6
39.	अहमदाबाद	गुजरात	10
40.	गोधरा		6
41.	सूरत		10
42.	वड़ोदरा		10
43.	राजकोट		10
44.	हिसार	हरियाणा	6
45.	कुरूक्षेत्र		10
46.	रोहतक		10
47.	बारमौर	हिमाचल प्रदेश	0.1
48.	बरथेन		0.1
49.	धर्मशाला		10
50.	हमीरपुर		6
52.	केलौंग		0.1
53.	कुल्लू		6
54.	मंडी		0.1
55.	रामपुर		0.1
56.	शिमला		10
57.	सुंदर नगर		0.1
58.	भदरवा	जम्मू और कश्मीर	6
59.	गुरेज		0.1
60.	जम्मू		3 और 10
61.	कठुटा		10
62.	लेठ		0.1
63.	पुंछ		6
64.	राजौरी		10
65.	श्रीनगर		10
66.	टिठवाल		0.1
67.	उधमपुर		0.1
68.	उरी		0.1
69.	चाईबासा	झारखंड	6
70.	डाल्टनगंज		10
71.	हजारीबाग		6
72.	जमशेदपुर		6
73.	रांची		6
74.	बंगलूरु	कर्नाटक	10 और 10
75.	बेल्लारी		10

1	2	3	4
76.	बीजापुर		6
77.	चित्रदुर्गा		6
78.	धारवाड़		10
79.	गुलबर्गा		10
80.	हासन		6
81.	हासपेट		10
82.	कारवार		3
83.	मंगलौर		10
84.	मरकारा		6
85.	मैसूर		10
86.	रायचूर		6
87.	श्रीनगेरी		0.1
88.	कोजीकोड (कालीकट)	केरल	10
89.	केनानोर		6
90.	कोचीन		10 और 10
91.	इडुकी		6
92.	मंजेरी		3
93.	तिरूवन्तपुरम		10
94.	बालाघाट	मध्य प्रदेश	6
95.	बेतुल		6
96.	भोपाल		6
97.	छिंदवाड़ा		6
98.	गुना		6
99.	इंदौर		6
100.	जबलपुर		10
101.	खंडवा		6
102.	मंडला		1

1	2	3	4
103.	नीमच		0.1
104.	पंचमढ़ी		0.1
105.	राजगढ़		3
106.	सागर		6
107.	शहडोल		6
108.	शिवपुरी		6
109.	अहमदनगर	महाराष्ट्र	6
110.	अकोला		6
111.	औरंगाबाद		10
112.	बीड		6
113.	चंद्रपुर		6
114.	धूले		6
115.	गढ़चिरौली		0.1
116.	कोल्हापुर		6
117.	मुम्बई		10 और 10
118.	नागपुर		6
119.	नांदेंद		6
120.	नासिक		6
121.	ओसमानाबाद		6
122.	ओरस		5
123.	पूणे		10
124.	सतारा		6
125.	यवतमाल		6
126.	इम्फाल	मणिपुर	10
127.	चुराचांदपुर		6
128.	चेरापुंजी	मेघालय	0.1
129.	जोवाई		6

1	2	3	4
130.	शिलांग		10
131.	आइजोल	मिजोरम	6
132.	लुंगलह		6
133.	कोहिमा	नागालैंड	1
134.	मोकाकचुंग		6
135.	बारीपाड़ा	ओडिशा	5
136.	बरहामपुर		6
137.	बोलानगीर		6
138.	कटक		6
139.	देवगढ़		0.1
140.	पुरी		3
141.	राउरकेला		6
142.	कराइकल	पुदुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	6
143.	पुदुचेरी		10
144.	भटिंडा	पंजाब	6
145.	जालंधर		10 और 10
146.	पटियाला		6
147.	अलवर	राजस्थान	10
148.	बांसवारा		10
149.	चित्तौड़गढ़		10
150.	चुरू		6
151.	जयपुर		6
152.	जैसलमेर		10
153.	झालावाड़		6
154.	जोधपुर		6
155.	माउंट आबू		6
156.	नागौर		6
157.	सवाई माधोपुर		6
158.	उदयपुर		1
159.	चेन्नई	तमिलनाडु	20 और 20
160.	कोयंबटूर		10
161.	धर्मापुरी		10
162.	कोडाईकनाल		10
163.	मदुरई		10
164.	नागरकोईल		10
165.	उटी		0.1
166.	तंजावर		0.1
167.	तिरूचिरापल्ली		10
168.	तिरूनेवेली		10
169.	यारकुड (सेलम)		0.1
170.	अगरतला	त्रिपुरा	10
171.	बेलोनिया		6
172.	कैलाशहर		6
173.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	6
174.	इलाहाबाद		10
175.	बरेली		6
176.	फैजाबाद		6
177.	झांसी		6
178.	कानपुर		10
179.	लखनउ		10 और 10
180.	ओबरा		6
181.	वाराणसी		10
183.	बचेर	उत्तराखंड	0.1
184.	भटवारी		0.1

1	2	3	4
185.	गोपेश्वर (चमोली)		0.1
186.	मसूरी		10
187.	नैनीताल		0.1
188.	प्रताप नगर		0.1
189.	राजगड़ी		0.1
190.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	6
191.	दार्जिलिंग		0.1
192.	कोलकाता		20 और 10
193.	करसियांग		5
194.	मुरशीदाबाद		6
195.	शांतिनिकेतन		3
196.	सिलीगुड़ी		10
	कुल प्रेषित्र		207

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ एम रेडियो केन्द्र खोलने के लिए प्राप्त प्रस्ताव के ब्यौरे

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
वर्ष 2009 के लिए		
1.	करीमनगर	आंध्र प्रदेश
2.	ओंगले	आंध्र प्रदेश
3.	त्रिवनीगंज, सुपौल	बिहार
4.	बांका	बिहार
5.	जामनगर	गुजरात
6.	जूनागढ़	गुजरात
7.	दाहोद	गुजरात
8.	चम्बा	हिमाचल प्रदेश
9.	देवव्रत मंडी	हिमाचल प्रदेश
10.	सिमोगा	कर्नाटक
11.	चामराज नगर	कर्नाटक
12.	पठानपुरम	केरल
13.	देवगढ़	मध्य प्रदेश
14.	बीना (सागर)	मध्य प्रदेश
15.	अशोकनगर	मध्य प्रदेश
16.	रत्लाम	मध्य प्रदेश
17.	मंडसोर, नीमच	मध्य प्रदेश
18.	अमरावती	महाराष्ट्र
19.	किफायरे	नागालैंड
20.	तमालु टाउन	नागालैंड
21.	बीकानेर	राजस्थान
22.	दौसा	राजस्थान
23.	मथुरा	उत्तर प्रदेश
24.	उधमनगर	उत्तराखंड
25.	हरिद्वार	उत्तराखंड
वर्ष 2010 के लिए		
1.	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
2.	लखीमपुर	आंध्र प्रदेश
3.	नंदिलाय	आंध्र प्रदेश
4.	बालीपत्थर, नेप्पारपत्ती	असम
5.	रायपुर	छत्तीसगढ़
6.	भावनगर	गुजरात
7.	जूनागढ़	गुजरात
8.	बेलगांव	कर्नाटक
9.	रेनेबेनूर	कर्नाटक
10.	सिमोगा	कर्नाटक

1	2	3
11.	पठानपुरम	केरल
12.	पठानमित्ता	केरल
13.	अनूपपुर	मध्य प्रदेश
14.	चंदेरी	मध्य प्रदेश
15.	गड्रेवारा, नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
16.	कटनी	मध्य प्रदेश
17.	शिवनी	मध्य प्रदेश
19.	अमरावती	महाराष्ट्र
20.	ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर	महाराष्ट्र
21.	परभणी	महाराष्ट्र
22.	फूलबनी	ओडिशा
23.	करोली	राजस्थान
24.	रतलाम	राजस्थान
25.	गंगतोक और सिक्किम	सिक्किम
26.	रामपुर	उत्तर प्रदेश
27.	पिथौरागढ़	उत्तराखंड
28.	चंचल	पश्चिम बंगाल
29.	कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल
वर्ष 2011-12 के लिए		
1.	आदिलाबाद जिला	आंध्र प्रदेश
2.	अडोनी कुर्नूल जिला	आंध्र प्रदेश
3.	नालगोंडा (आ.प्र.)	आंध्र प्रदेश
4.	रामागुंडम, मंछेरिआला	आंध्र प्रदेश
5.	गिरिडीह, धनबाद और बोकारो	बिहार
6.	फरबीशगंज	बिहार
7.	शिभर और सीतामढ़ी	बिहार
8.	अमरेली	गुजरात
9.	भरूच और नर्मदा जिला	गुजरात

1	2	3
10.	सबरकथा	गुजरात
11.	लोवरकोटि	हिमाचल प्रदेश
12.	मंडी	हिमाचल प्रदेश
13.	बगालकोट	कर्नाटक
14.	बिदर	कर्नाटक
15.	चमराजनगर जिला	कर्नाटक
16.	गंगावती	कर्नाटक
17.	शिमोगा	कर्नाटक
18.	अलपुजा	केरल
19.	पठानपुरम	केरल
20.	पेरिनथमना	केरल
21.	बीना नगर, सागर	मध्य प्रदेश
22.	मंडसौर जिला	मध्य प्रदेश
23.	नगदा कछरोड	मध्य प्रदेश
24.	नरसिंहपुर, गदरवा	मध्य प्रदेश
25.	पन्ना (म. प्र.)	मध्य प्रदेश
26.	पिपेरिया जिला होशंगाबाद	मध्य प्रदेश
27.	सिवनी	मध्य प्रदेश
28.	सिवनी	मध्य प्रदेश
29.	उज्जैन	मध्य प्रदेश
30.	जावरा	मध्य प्रदेश
31.	जालना	महाराष्ट्र
32.	परभनी	महाराष्ट्र
33.	शोलापुर	महाराष्ट्र
34.	वर्धा	महाराष्ट्र
35.	गजापति जिला	ओडिशा
36.	क्योझर	ओडिशा
37.	फूलबनी	ओडिशा

1	2	3
38.	मुक्तसर	पंजाब
39.	बाड़मेर और जैसलमेर	राजस्थान
40.	महुआ, दौसा	राजस्थान
41.	पाली, जिला	राजस्थान
42.	बैकुण्ठधाम	छत्तीसगढ़
43.	देवरिया और कुशीनगर	उत्तर प्रदेश
44.	गोंडा	उत्तर प्रदेश
45.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश
46.	मऊ	उत्तर प्रदेश
47.	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश

विवरण III

गत तीन वर्षों के दौरान एफएम रेडियो केन्द्र खोलने के लिए स्वीकार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
वर्ष 2009 के लिए		
1.	करीमनगर	आंध्र प्रदेश
2.	ओंगले	आंध्र प्रदेश
3.	जामनगर	गुजरात
4.	जुनागढ़	गुजरात
5.	चम्बा	हिमाचल प्रदेश
6.	मंडी में देवव्रत	हिमाचल प्रदेश
7.	शिमोगा	कर्नाटक
8.	देवगढ़	मध्य प्रदेश
9.	बिना (सागर)	मध्य प्रदेश
10.	अशोक नगर	मध्य प्रदेश
11.	रतलाम	मध्य प्रदेश
12.	मंडसोर, नीमच	मध्य प्रदेश
13.	अमरावती	महाराष्ट्र
14.	बीकानेर	राजस्थान
15.	मथुरा	उत्तर प्रदेश
16.	उधमनगर	उत्तराखंड
17.	हरिद्वार	उत्तराखंड
वर्ष 2010 के लिए		
1.	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
2.	नंदीयाल	आंध्र प्रदेश
3.	रायपुर	छत्तीसगढ़
4.	भावनगर	गुजरात
5.	जुनागढ़	गुजरात
6.	शिमोगा	कर्नाटक
7.	चंदेरी	मध्य प्रदेश
8.	अमरावती	महाराष्ट्र
9.	ब्रहमपुरी, चंद्रपुर जिला	महाराष्ट्र
10.	परभणी	महाराष्ट्र
11.	फुलबानी	ओडिशा
12.	करौली	राजस्थान
13.	रतलाम	मध्य प्रदेश
14.	गंगतोक	सिक्किम
15.	रामपुर	उत्तर प्रदेश
16.	लखीमपुर	उत्तर प्रदेश
17.	पिथौरागढ	उत्तराखंड
18.	कृष्णा नगर	पश्चिम बंगाल
वर्ष 2011-12 के लिए		
1.	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
2.	अदोनी, कुर्नूल जिला	आंध्र प्रदेश
3.	गिरीदिह, धनबाद और बोकारो	झारखंड
4.	फरसेबगंज	बिहार
5.	शिबहर और सीतामढ़ी	बिहार

1	2	3
6.	मंडी	हिमाचल प्रदेश
7.	शिमोगा	कर्नाटक
8.	मंडसोर जिला	मध्य प्रदेश
9.	उज्जैन	मध्य प्रदेश
10.	जलना	महाराष्ट्र
11.	सोलापुर	महाराष्ट्र
12.	परभणी	महाराष्ट्र
13.	वर्धा	महाराष्ट्र
14.	गजापति जिला	ओडिशा
15.	क्योझर	ओडिशा
16.	फुलबानी	ओडिशा
17.	बाडमेर और जैसलमेर	राजस्थान
18.	मऊ	उत्तर प्रदेश

विवरण IV

12वीं योजना में एफएम रेडियो केन्द्र खोलने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
वर्ष 2009 के लिए		
1.	बांका	बिहार
2.	दाहोद	गुजरात
3.	चामराजनगर	कर्नाटक
4.	पठानपुरम	केरल
5.	बिना (सागर)	मध्य प्रदेश
6.	किफायर	नागालैण्ड
7.	तमलुटाउन	नागालैण्ड
8.	दौसा	राजस्थान

1	2	3
वर्ष 2010 के लिए		
1.	बालीपथेर, नेप्परपट्टी	असम
2.	बेलगांम	कर्नाटक
3.	रनबेनोर	कर्नाटक
4.	पठानपुरम	केरल
5.	पठानमीथट्टा	केरल
6.	अनूपपुर	मध्य प्रदेश
7.	गदेरवाडा, नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
8.	कटनी	मध्य प्रदेश
9.	शिवनी	मध्य प्रदेश
10.	शयोपुर	मध्य प्रदेश
11.	चंचल	पश्चिम बंगाल
वर्ष 2011-12 के लिए		
1.	नलगौंडा	आंध्र प्रदेश
2.	रामगुंदम, मंचेरीयला	आंध्र प्रदेश
3.	अमरेली	गुजरात
4.	भरूच और नर्मदा जिला	गुजरात
5.	सर्बकांता	गुजरात
6.	लोवेर कोटी	हिमाचल प्रदेश
7.	बगलकोट	कर्नाटक
8.	बिदर	कर्नाटक
9.	चामराज नगर जिला	कर्नाटक
10.	गंगावती	कर्नाटक
11.	आलपुष्पा	केरल
12.	पठानपुरम	केरल
13.	पेरिनथमना	केरल
14.	बिनानगर सागर	मध्य प्रदेश
15.	नगदा खचरोड	मध्य प्रदेश

1	2	3
16.	नरसिंहपुर गदरवाडा	मध्य प्रदेश
17.	पन्ना	मध्य प्रदेश
18.	पीपरिया जिला होशंगाबाद	मध्य प्रदेश
19.	सिवनी	मध्य प्रदेश
20.	सिवनी	मध्य प्रदेश
21.	जवाडा	मध्य प्रदेश
22.	मुक्तसर	पंजाब
23.	महुआ, दौसा	राजस्थान
24.	पाली जिला	राजस्थान
25.	बेकुंठ धाम	छत्तीसगढ़
26.	देवरीया और कुशीनगर	उत्तर प्रदेश
27.	गोंडा	उत्तर प्रदेश
28.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश
29.	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश

विवरण V

आगामी दो वर्षों में नए स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटरों/रेडियो सेवाओं के स्थानों की सूची (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत)

क्र.सं.	स्थान	राज्य	प्रस्तावित ट्रांसमीटर का क्षमता
1	2	3	4
वर्ष 2009 के लिए			
1.	बांका	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
2.	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
3.	महबूब नगर	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
4.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
5.	अनीनी	अरूणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
6.	बोमडीला	अरूणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
7.	चांगलैंग	अरूणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
8.	खोन्सा	अरूणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
9.	डापोरीजो	अरूणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
10.	डिब्रूगढ़	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
11.	गोलपारा	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
12.	करीमगंज	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
13.	लुमडिंग	असम	1 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
14.	तेजपूर	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
15.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	5 किलोवाट एफ.एम.
16.	भुज	गुजरात	5 किलोवाट एफ.एम.
17.	जूनागढ़	गुजरात	10 किलोवाट एफ.एम.
18.	द्रास	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
19.	ग्रीनरिज उरी तेहसिल	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
20.	हिमबोतिगला (कारगिल)	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
21.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
22.	नाथाटौप (उधमपुर)	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
23.	नौसेरा	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
24.	पदम	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
25.	त्रिसूरू (लद्दाख)	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
26.	भद्रावती	कर्नाटक	1 किलोवाट एफ.एम.
27.	त्रिचूर	केरल	1 किलोवाट एफ.एम.
28.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
29.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
30.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
31.	अमरावती	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
32.	जलगांव	महाराष्ट्र	5 किलोवाट एफ.एम.
33.	परभणी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
34.	शोलापुर	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
35.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
36.	सांगली	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
37.	तमेंगलेंग	मणीपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
38.	उखरूल	मणीपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
39.	तुरा	मेघालय	5 किलोवाट एफ.एम.
40.	चेरापुंजी	मेघालय	1 किलोवाट एफ.एम.
41.	कोलासिब	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
42.	ट्यूपेंग	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
43.	चम्फई	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
44.	फेक	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
45.	वोखा	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
46.	जूनहेबोटो	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
47.	भवानीपटना	ओडिशा	5 किलोवाट एफ.एम.
48.	जैपोर	ओडिशा	1 किलोवाट एफ.एम.
49.	क्योंझार	ओडिशा	10 किलोवाट एफ.एम.
50.	सम्बलपुर	ओडिशा	5 किलोवाट एफ.एम.
51.	रायरंगपुर	ओडिशा	1 किलोवाट एफ.एम.
52.	अमृतसर	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
53.	फाजिल्का	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
54.	अजमेर	राजस्थान	5 किलोवाट एफ.एम.
55.	बीकानेर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
56.	चौटन हिल	राजस्थान	20 किलोवाट एफ.एम.
57.	कोटा	राजस्थान	1 किलोवाट एफ.एम.
58.	गंगटोक	सिक्किम	10 किलोवाट एफ.एम.
59.	तुतीकोरीन	तमिलनाडु	1 किलोवाट एफ.एम.
60.	लौंगथराय	त्रिपुरा	5 किलोवाट एफ.एम.
61.	नूतन बाजार	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
62.	उदयपुर	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
63.	आगरा	उत्तर प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
64.	बांदा	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
65.	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
66.	मउनाथभंजन	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
67.	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	20 किलोवाट एफ.एम.
68.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
69.	बागेश्वर	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
70.	चंपावत	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
71.	देहरादून	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
72.	गैरसेन	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
73.	हल्दवानी	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
74.	न्यू टीहरी	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
75.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.
76.	बालूरघाट	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
77.	वर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
78.	दार्जीलिंग	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
79.	कूचविहार	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
80-179	100 वाट लघु क्षमता एफ एम ट्रांसमीटर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में {100 जगहों पर विवरण-V (क)}		
180-278	100 वाट लघु क्षमता एफ एम ट्रांसमीटर पूरे देश भर में {99 जगहों पर विवरण-V (ख)}		
279-295	100 वाट लघु क्षमता एफ एम ट्रांसमीटर पूरे देश भर में {7 जगहों पर (दसवीं योजना के अंतर्गत) विवरण-V (ग)}		

विवरण V (क)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों के अधिष्ठापन हेतु स्थलों की सूची (100 जगहों पर)

(1) निम्नलिखित स्थलों पर 100 वाट एफ एम ट्रांसमिटर का संस्थापन कार्य पूर्ण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	जिमिथैंग	तवांग
2.		तवांग	तवांग
3.		कलकटैंग	पश्चमी केमंग
4.		भालूकपोंग	पश्चमी केमंग
5.		बोमडिला	पश्चमी केमंग
6.		सीपा	पश्चमी केमंग
7.		छयंगताजो	पश्चमी केमंग
8.		रागा	लोअर सुबानसिरी
9.		याचूली	लोअर सुबानसिरी
10.		जीरो	लोअर सुबानसिरी
11.		संग्राम	कुरूंग कुरमे
12.		तालिका	अपर सुबानसिरी
13.		योमचा	पश्चिमी सियांग
14.		मेचूका	पश्चिमी सियांग
15.		रूमगोग	पश्चिमी सियांग
16.		बासर	पश्चिमी सियांग
17.		गेनसी	पश्चिमी सियांग
18.		एलौंग	पश्चिमी सियांग
19.		बोलेंग	पूर्वी सियांग

1	2	3	4
20.		कोयू	पूर्वी सियांग
21.		पासीघाट	पूर्वी सियांग
22.		तुटींग	अपर सियाग
23.		यिंगकियोंग	अपर सियाग
24.		मारीयांग	अपर सियाग
25.		हुनली	लोअर दिवांग
26.		रोंग	लोअर दिवांग
27.		नामसाई	लोहीत
28.		हवाई	लोहीत
29.		हेयूलियांग	लोहीत
30.		तेजू	लोहीत
31.		मेओ	चैंगलैंग
32.		तेंगचो	तिराप
33.	असम	बारपेटा	बारपेटा
34.		डुडनोई	गोलपारा
35.		उडलगुरी	डरांग
36.		बकुलीघाट	कारबी अंगलौंग
37.		सरीहजन	कारबी अंगलौंग
38.		कोकराझार	कोकराझार
39.		लंका	नगांव
40.		नगांव	नगांव
41.		गुवाहाटी	गुवाहाटी
42.		तिनसुकिया	निसुकिया
43.		डिब्रुगढ़	डिब्रुगढ़
44.		मारघेरता	डिब्रुगढ़
45.		तेजपुर	तेजपुर
46.	मणीपुर	सेनापती	सेनापती
47.		चंडेल	चंडेल

1	2	3	4
48.		मोरेह	चंडेल
49.		इम्फाल	ईम्फाल
50.	मेघालय	बाघमारा	दक्षणी गारो हिल
51.		तुरा	पश्चमी गारो हिल
52.		शिलौंग	पूर्वी खासी हिल
53.	मिजोरम	आइजवल	आइजोल
54.		जबरंगीन	आइजोल
55.		खवबुंग	चेमफाई
56.		पुकिजंग	ममीत
57.		रेंगडिल	ममीत
58.		वानलाइफाई	सरचिप
59.		हाईसवराई	लुंगलेह
60.		थिंगसत	आइजोल
61.	नागालैंड	समतोरे	तेनसांग
62.		दीमापुर	दीमापुर
63.		मेलूरी	फेक
64.		हेनिया/तेनिंग	कोहिमा
65.	सिक्किम	रंगपो	पूर्वी सिक्किम
66.		रंगली	पूर्वी सिक्किम
67.		ग्यालसिंग	पश्चिमी सिक्किम
68.		सोरंग	पश्चिमी सिक्किम
69.		डेनतम	पश्चिमी सिक्किम
70.		यूकसोम	पश्चिमी सिक्किम
71.		तासीडिंग	पश्चिमी सिक्किम
72.		गंगटोक	गंगटोक
73.		चूंगथांग	उत्तरी सिक्किम
74.		लाचुंग, फोरेस्ट गेस्ट हाउस	उत्तरी सिक्किम

1	2	3	4
75.		लचेन	उत्तरी सिक्किम
76.		म्ंगन	उत्तरी सिक्किम
77.		जोरेथैंग, पोलिस थाना	दक्षिणी सिक्किम
78.		नमची, जिलाधिकारी कार्यालय	दक्षिणी सिक्किम
79.		नामथैंग, पोलिस थाना	दक्षिणी सिक्किम
80.	त्रिपुरा	दयछारा	उत्तरी त्रिपुरा
81.		वनगुमन/अंगुमन	उत्तरी त्रिपुरा
82.		साखन	उत्तरी त्रिपुरा
83.		चोवमनु	धलाई
84.		गंदचारा	धलाई
85.		खोवाई	पश्चिमी त्रिपुरा
86.		तेलीमूरा	पश्चिमी त्रिपुरा
87.		अमरपुर	दक्षिणी त्रिपुरा
88.		सिलाचेरी	दक्षिणी त्रिपुरा
89.		सबरूम	दक्षिणी त्रिपुरा

(ii) पूर्वोत्तर अंचल में निम्नलिखित स्थलों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया जाना हैं:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	नाचो	अपर सुबानसिरी
2.		नमपोंग	चैंगलैंग
3.		कनुबेरी	तिराप
4.		सरली	कुरूंग कुरमे
5.		वालौंग	लोहीत
6.	मणिपुर	मासोंगसां	सेनापती
7.		परबंग	चुराचांदपुर
8.		तेमेई	तेमलांग
9.		चिंगई	उखरूल
10.	त्रिपुरा	कंचनपुर	उत्तरी त्रिपुरा
11.		खेदछारा	उत्तरी त्रिपुरा

विवरण V (ख)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	नांडयाल	कुरनूल
2.		अदोनी	कुरनूल
3.		खमाम	खमाम
4.		बंसवाडा	निजामाबाद
5.		कमरेडी	निजामाबाद
6.		काकीनाडा	काकीनाडा
7.	असम	नजीरा	सिबसागर
8.		उत्तरी लखीमपुर	लखीमपुर
9.	बिहार	बैतिया	पश्चिम चंपारन
10.		मोतिहारी	मोतिहारी
11.		मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
12.		मधुबनी	मधुबनी
13.		सुपोल	सुपोल
14.		फोरसिबगंज	अररिया
15.		भागलपुर	भागलपुर

1	2	3	4
16.	छत्तीसगढ़	कनकेर	कनकेर
17.		कोरबा	कोरबा
18.		कोंटा	दांतीवाड़ा
19.		डोंगरगढ़	राजनंदगांव
20.		खरोड	जांजगिर चंपा
22.		जगदलपुर	जगदलपुर
23.	गुजरात	भरूच	भरूच
24.		द्वारिका	द्वारिका
25.		मेहसाना	मेहसाना
26.		भावनगर	भावनगर
27.		पोरबंदर	पोरबंदर
28.		जामनगर	जामनगर
29.		अहवा	अहवा
30.	हरियाणा	सिरसा	सिरसा
31.		अम्बाला	अम्बाला
32.	झारखंड	गिरीडीह	गिरीडीह
33.		देवघर	देवघर
34.		दुमका	दुमका
35.		गुमला	गुमला
36.		घाटशिला	पूर्वी सिहंभूम
37.		छत्तरा	छत्तरा
38.		बोकारो	बोकारो
39.	कर्नाटक	तुमकुर	तुमकुर
40.		सागर	सिमोगा
41.		देवंगीर	देवंगीर
42.		होसदुर्ग	चित्रदुर्ग
43.		कुमटा	कुमटा

1	2	3	4
44.	केरल	पुनालुर	कोलम
45.		कलपेटा	वायनाड
46.		ईडुकी	पेनावू
47.		कसारगोडे	कसारगोडे
48.	मध्य प्रदेश	सतना	सतना
49.		झाबुआ	झाबुआ
50.		मंदसौर	मंदसौर
51.		हरदा	हरदा
52.		चंदेरी/अशोकनगर	गुना
53.		रतलाम	रतलाम
54.	महाराष्ट्र	वरधा	वरधाा
55.		गोंडिया	गोंडिया
56.		जलाना	जलाना
57.		बुलडाना	बुलडाना
58.		ब्रहमपुरी	चंद्रपुर
59.		मालेगांव	नासिक
60.	मिजोरम	सइहा	सइहा
61.		लौंगतराई	लौंगतराई
62.	ओडिशा	नौपारा	नौपारा
63.		बलीगुरहा	फूलबनी
64.		रायगाडा	रायगाडा
65.		अंगुल	अंगुल
66.		सुंदरगढ़	सुंदरगढ़
67.		पारलेखीमुंडी	गजापति
68.		पारादीप	पारादीप
69.	पंजाब	गुरदासपुर	गुरदासपुर
70.		फिरोजपुर	फिरोजपुर

1	2	3	4
71.	राजस्थान	अनुपगढ़	गंगानगर
72.		झुनझुनु	झुनझुनु
73.		नाथद्वारा	राजसमंद
74.		भरतपुर	भरतपुर
75.		करौली	करौली
76.		सीकर	सीकर
77.	तमिलनाडु	थिरूपतूर	वैलोर
78.		रामेश्वरम	रामानाथपुरम
89.		वैलोर	वैलोर
80.	उत्तराखंड	पौड़ी	पौड़ी
81.		कालागढ़	पौड़ी गढ़वाला
82.		हरिद्वार	हरिद्वार
83.		पिथौरागढ	पिथौरागढ
84.		काशीपुर	रूद्रपुर
85.	उत्तर प्रदेश	हरदौई	हरदौई
86.		बहराइच	बहराईच
87.		ओरई	जालौन
88.		बलरामपुर	बलरामपुर
89.		महोबा	महोबा
90.		पीलीभीत	पीलीभीत
91.		मथुरा	मथुरा
92.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	पुरूलिया
93.		मेदनीपुर	मेदनीपुर
94.		बलरामपुर	बलरामपुर
95.		बसंती	चौबीस परगना
96.		फरक्का	फरक्का
97.		कृष्णा नगर	कृष्णा नगर
98.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	सिलवासा
99.	लक्षद्वीप	कावारती	लक्षद्वीप

विवरण V (ग)

पहले से अधिष्ठापित और शुरू किए जाने की प्रतीक्षा वाले 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटरों

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1.	छत्तीसगढ़	मानंन्द्रगढ़
2.	दमन और दीव	दीव
3.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर शहर
4.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा
5.	हिमाचल प्रदेश	चोरीखास
6.	हिमाचल प्रदेश	मनाली
7.	जम्मू और कश्मीर	बिम्बरगली
8.	जम्मू और कश्मीर	मंगलादेवी किला
9.	जम्मू और कश्मीर	पहलगांव
10.	जम्मू और कश्मीर	तराल
11.	झारखंड	धनबाद
12.	सिक्किम	यांगयांग
13.	उत्तराखंड	उखीमठ
14.	उत्तराखंड	खेतीखान
15.	उत्तराखंड	रानीखेत
16.	उत्तराखंड	टनकपुर
17.	पश्चिम बंगाल	बालुरघाट

विवरण VI

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर का ब्यौरा

क्र.सं.	शहर	चैनलों की संख्या
1	2	3
1.	अगरतला	1
2.	आगरा	2

1	2	3
3.	अहमदाबाद	5
4.	अहमदाबाद	2
5.	अजमेर	2
6.	अकोला	1
7.	अलीगढ़	1
8.	इलाहाबाद	2
9.	अमृतसर	3
10.	आसनसोल	2
11.	ओरंगाबाद	2
12.	बंगलौर	7
13.	बरेली	2
14.	भोपाल	4
15.	भुवनेश्वर/कटक	3
16.	बीकानेर	1
17.	बिलासपुर	1
18.	चंडीगढ़	2
19.	चेन्नै	8
20.	कोच्चि	3
21.	कोयम्बटूर	4
22.	दिल्ली	8
23.	धुले	1
24.	गंगटोक	3
25.	गोरखपुर	1
26.	गुलबर्गा	1
27.	गुवाहाटी	4
28.	ग्वालियर	4
29.	हिसार	3
30.	हैदराबाद	4

1	2	3
31.	इंदौर	4
32.	ईटानगर	1
33.	जबलपुर	4
34.	जयपुर	5
35.	जालंधर	4
36.	जलगांव	2
37.	जम्मू	1
38.	जमशेदपुर	3
39.	झांसी	1
40.	जोधपुर	3
41.	कन्नूर	4
42.	कानपुर	3
43.	करनाल	2
44.	कोल्हापुर	2
45.	कोलकाता	9
46.	कोटा	3
47.	कोझीकोड़	2
48.	लखनऊ	3
49.	मदुरई	3
50.	मंगलौर	3
51.	मुंबई	7
52.	मुजफ्फरपुर	1
53.	मैसूर	2
54.	नागपुर	4
55.	नांदेड	1
56.	नासिक	2
57.	पणजी	3
58.	पटियाला	3

1	2	3
59.	पटना	1
60.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	3
61.	पुणे	4
62.	रायपुर	4
63.	राजामुंदरी	1
64.	राजकोट	3
65.	रांची	4
66.	राउरकेला	2
67.	संगली	2
68.	शिलांग	2
69.	शिमला	3
70.	शोलापुर	2
71.	सिलीगुडी	4
72.	श्रीनगर	1
73.	सूरत	4
74.	तिरुवनंतपुरम	4
75.	त्रिश्शूर	4
76.	तिरुची	2
77.	तिरुनेलवेली	2
78.	तिरुपति	2
79.	तूतीकोरिन	2
80.	उदयपुर	3
81.	वड़ोदरा	4
82.	वाराणसी	3
83.	विजयवाड़ा	2
84.	विशाखापट्टनम	4
85.	वारंगल	1
	कुल	245

विवरण VII

चरण III के पश्चात् नए एफएम रेडियो चैनलों का शहर-वार तथा अवस्थिति-वार ब्यौरा

क्र.सं.	शहर का नाम	चरण III हेतु उपलब्ध चैनल
1	2	3
1.	हैदराबाद	4
2.	विजयवाड़ा	2
3.	काकीनाड़ा	4
4.	कुरनूल	4
5.	नेल्लूर	4
6.	राजामुंद्री	3
7.	तिरुपति	2
8.	वारांगल	3
9.	अदिलाबाद	3
10.	अदोनी	3
11.	अलवल	3
12.	अनंतपुर	3
13.	भीमावरम	3
14.	चिराला	3
15.	चित्तूर	3
16.	कुडप्पा	3
17.	धर्मावरम	3
18.	इलुरू	3
19.	गुंटकल	3
20.	हिंदुपुर	3
21.	करीमनगर	3
22.	खम्माम	3
23.	कोठागुडेम	3
24.	मछलीपटनम	3
25.	मदनपल्ली	3
26.	महबूबनगर	3

1	2	3
27.	मंचेरियल	3
28.	नालगोंडा	3
29.	नंदियाल	3
30.	निजामाबाद	3
31.	अंगोले	3
32.	प्रोद्दातूर	3
33.	रामगुंडम	3
34.	विजियानगरम	3
35.	पोर्टब्लेयर	3
36.	ईटानगर	2
37.	डिब्रुगढ़	3
38.	जोरहाट	3
39.	नोगांव (नोगांग)	3
40.	सिल्चर	3
41.	तिनसुकिया	3
42.	धुबरी	3
43.	हाफलॉग	3
44.	पटना	3
45.	भागलपुर	4
46.	गया	4
47.	मुजफ्फरपुर	3
48.	आरा	3
49.	बेगुसराय	3
50.	बेतिया	3
51.	बिहार सरीफ	3
52.	छपरा	3
53.	दरभंगा	3
54.	मोतीहारी	3
55.	मुंगेर	3
56.	पुर्णिया	3
57.	सहरसा	3
59.	सिवान	3
60.	चंडीगढ़	2
61.	बिलासपुर	3
62.	दुर्ग-भिलाईनगर	3
63.	जगदलपुर	3
64.	कोरबा	3
65.	राजगढ़	3
66.	दमन	3
67.	दिल्ली	1
68.	अहमदाबाद	1
69.	सूरत	2
70.	राजकोट	1
71.	भावनगर	4
72.	जामनगर	4
73.	भरूच	3
74.	बोतड	3
75.	दोहद	3
76.	गोधरा	3
77.	जैतपुर नवागढ़	3
78.	जूनागढ़	3
79.	मेहसाना	3
80.	पालनपुर	3
81.	पाटन	3

1	2	3
82.	पोरबंदर	3
83.	सुरेन्द्रनगर दुधरेज	3
84.	वीरावल	3
85.	वधवान (सुरेन्द्रनगर)	3
86.	अंबाला	3
87.	बहादुरगढ़	3
88.	भिवानी	3
89.	हिसार	1
90.	जिंद	3
91.	कैथल	3
92.	करनाल	1
93.	पानीपत	3
94.	रेवाड़ी	3
95.	रोहतक	3
96.	सिरसा	3
97.	थानेसर	3
98.	जम्मू	3
99.	श्रीनगर	3
100.	करगिल	3
101.	लेह	3
102.	कटुआ	3
103.	पुंछ	3
104.	भद्रवाह	3
105.	धनबाद	4
106.	जमशेदपुर	1
107.	बोकारो स्टील सिटी	3
108.	देवघर	3

1	2	3
109.	गिरीडीह	3
110.	हजारीबाग	3
111.	बंगलौर	1
112.	बेलगाम	4
113.	बेल्लारी	4
114.	देवानगिरी	4
115.	गुलबर्ग	3
116.	हुबली-धारवाड़	4
117.	मंगलौर	1
118.	मैसूर	2
119.	बिदर	3
120.	बीजापुर	3
121.	चिकमगलुर	3
122.	चित्रदुर्ग	3
123.	गदग बेतीगेरी	3
124.	हासन	3
125.	हॉस्पेट	3
126.	कोलार	3
127.	रायचुर	3
128.	सिमोगा	3
129.	टुमकुर	3
130.	उड्डपी	3
131.	कोच्चि	1
132.	अलापुजा (अलेपी)	4
133.	कोझिकोड़	2
134.	कान्हानगढ़ (कासरगोड)	3
135.	पलक्कड	3

1	2	3
136.	कावारती	3
137.	सागर	4
138.	उज्जैन	4
139.	बुरहानपुर	3
140.	छतरपुर	3
141.	छिंदवाड़ा	3
142.	दमोह	3
143.	गुना	3
144.	ईटारसी	3
145.	खंडवा	3
146.	खरगौन	3
147.	मंदसौर	3
148.	मुरवारा (कटनी)	3
149.	निमुच	3
150.	रतलाम	3
151.	रीवा	3
152.	सतना	3
153.	शिवपुरी	3
154.	सिंगरौली	3
155.	विदिशा	3
156.	मुंबई	2
157.	नागपुर	1
158.	पुणे	2
159.	अहमदनगर	2
160.	अकोला	3
161.	अमरावती	4
162.	औरंगाबाद	2
163.	धूले	3
164.	जलगांव	2
165.	कोल्हापुर	2
166.	मालेगांव	4
167.	नांदेड	3
168.	नासिक	2
169.	संगली	2
170.	शोलापुर	2
171.	अचलपुर	3
172.	बरसी	3
173.	गोंडिया	3
174.	लातूर	3
175.	वर्धा	3
176.	यवतमाल	3
177.	इम्फाल	3
178.	शिलांग	1
179.	जोवाई	3
180.	आइजोल	2
181.	लुंगलेई	3
182.	डीमापुर	3
183.	कोहिमा	3
184.	मोकुकचुंग	3
185.	भुवनेश्वर	1
186.	राउरकेला	2
187.	बालेश्वर	3
188.	बरीपदा	3
189.	ब्रह्पुर	3

1	2	3
190.	पुरी	3
191.	संबलपुर	3
192.	पांडिचेरी	1
193.	अमृतसर	2
194.	लुधियाना	4
195.	पटियाला	1
196.	अबोहर	3
197.	भटिंडा	3
198.	होशियारपुर	3
199.	मोगा	3
200.	पठानकोट	3
201.	जयपुर	1
202.	अजमेर	2
203.	बीकानेर	3
204.	जोधपुर	1
205.	कोटा	1
206.	उदयपुर	1
207.	अलवर	3
208.	बीवार	3
209.	भरतपुर	3
210.	भीलवाड़ा	3
211.	चुरू	3
212.	गंगानगर	3
213.	हनुमानगढ़	3
214.	झुंझुनू	3
215.	पाली	3
216.	सवाई माधोपुर	3
217.	सीकर	3
218.	टोंक	3
219.	चैन्ने	1
220.	मदुरई	1
221.	इरोड	4
222.	सालेम	4
223.	तिरुची	2
224.	तिरुनेलवेली	2
225.	तूतीकोरीन	2
226.	वेल्लौर	4
227.	कोन्नूर	3
228.	डिंडिगुल	3
229.	कराईकुड्डी	3
230.	करूर	3
231.	नगरकोइल/कन्याकुमारी	3
232.	नेवेली	3
233.	पुडूकोट्टी	3
234.	राजापलायम	3
235.	थंजावर	3
236.	तिरुवन्नामलाई	3
237.	वनियामबदी	3
238.	अगरतला	2
239.	बेलोनिया	3
240.	कानपुर	3
241.	लखनऊ	3
242.	आगरा	2
243.	इलाहाबाद	2

1	2	3
244.	मुरादाबाद	4
245.	वाराणसी	1
246.	अलीगढ़	3
247.	बरेली	2
248.	गोरखपुर	3
249.	झांसी	3
250.	मुजफ्फरनगर	4
251.	सहारपुर	4
252.	शाहजहांपुर	4
253.	आजमगढ़	3
254.	बहराइच	3
255.	बलिया	3
256.	बांदा	3
257.	बस्ती	3
258.	बदायूं	3
259.	देवरिया	3
260.	एटा	3
261.	इटावा	3
262.	फैजाबाद/अयोध्या	3
263.	फरूर्खाबाद सह फतेहगढ़	3
264.	फतेहपुर	3
265.	गाजीपुर	3
266.	गोंडा	3
267.	हरदोई	3
268.	जौनपुर	3
269.	लखीमपुर	3
270.	ललितपुर	3
271.	मैनपुरी	3
272.	मथुरा	3
273.	मऊनाथ भजन (जिला मऊ)	3
274.	मिर्जापुर सह विध्याचल	3
275.	उरई	3
276.	राय बरेली	3
277.	सीतापुर	3
278.	सुल्तानपुर	3
279.	देहरादून	4
280.	हलद्वानी सह काठगोदाम	3
281.	हरिद्वार	3
282.	आसनसोल	2
283.	अलीपुरद्वार	3
284.	बहरामपुर	3
285.	बालरघाट	3
286.	बनगांव	3
287.	बांकुरा	3
288.	वर्धमान	3
289.	दार्जिलिंग	3
290.	अंग्रेजी बाजार (मालदा)	3
291.	खडगपुर	3
292.	कृष्णानगर	3
293.	पुरूलिया	3
294.	रावगंज	3
	कुल योग 100-01	839

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम वापस लेना

***194. योगी आदित्यनाथ:**

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में किन-किन स्थानों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम लागू हैं;

(ख) क्या सरकार कुछ राज्यों से इस अधिनियम को वापस लेने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के संबंध में न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी है:

(i) सम्पूर्ण असम और नागालैंड राज्य;

(ii) अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिले;

(iii) अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में असम का सीमावर्ती 20 किमी चौड़ा क्षेत्र;

(iv) इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण मणिपुर राज्य; और

(v) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित त्रिपुरा के भाग;

(vi) जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, श्रीनगर बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, बारामुला और कुपवाड़ा जिले।

एएफएसपीए में निहित प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने दिनांक 19 नवम्बर, 2004 को न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 6 जून, 2005 को प्रस्तुत की थी जिसने इस अधिनियम का निरसन करने की सिफारिश की थी और यह सुझाव दिया था कि ए एफ एस पी ए के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 1967 में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और अन्तर-मंत्रालयी विचार-विमर्श किया गया था। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सुरक्षा संबंधी मामलों पर भारत सरकार किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले बुनियादी स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है।

[अनुवाद] 102

कपास का उत्पादन

***195. श्री एंटो एंटोनी:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कपास के संवर्धन, खेती और उत्पादन हेतु कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत गांवों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अनेक कपास उत्पादक राज्यों में कपास के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) देश में कपास के संवर्धन, खेती और उत्पादन के लिए सरकार कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मिनी मिशन-II की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही हैं। यह स्कीम देश के कपास उत्पादक 13 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं तथा राज्य सरकार द्वारा स्कीम के अंतर्गत क्षेत्र का चयन किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कपास उत्पदन में वृद्धि का रुख देखा गया है। वर्ष 2008-09 में देश में कपास का उत्पादन 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की 222.76 लाख गांठ था। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन 340.87 लाख गांठें अनुमानित हैं। तथापि, वर्ष 2008-09 में मुख्यत: महाराष्ट्र में राज्य के कई भागों में कम वर्षा के कारण, शुष्क अवधियों, पंजाब में नहर के जल को विलम्ब से छोड़ने के कारण बुआई में विलम्ब तथा मई के दूसरे सप्ताह में भारी वर्षा तथा गुजरात में भारी वर्षा जिसके कारण बाढ़ आने से उत्पादन में कमी आई। वर्ष 2009-10 के दौरान मुख्यत: आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण तथा पंजाब में कपास की खेती के तहत क्षेत्र में कमी के कारण उत्पादन में गिरावट आई। वर्ष 2010-11 में कपास की खेती के स्थान पर दूसरी फसल की खेती करने के कारण हरियाणा में उत्पादन में गिरावट आई। वर्ष 2011-12 के दौरान सूखे/नमी दबाव की स्थितियों के कारण आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पादन में कमी आई।

[हिन्दी]

103-10

बीज उत्पादन

***196. श्री गणेश सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों में फसल-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा में बीजों का उत्पादन किया जाता है;

(ग) बीजों के उत्पादन में राज्य-वार और फसल-वार आई गिरावट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) देश में वर्ष 2011-12 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज का उत्पादन और उपलब्धता राज्यों द्वारा यथा सूचित 330.41 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में 353.62 लाख क्विंटल है। फसल-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) देश में प्रमाणित गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन जो कि 2005-06 में 140.51 लाख क्विंटल था, वर्ष 2011-12 में बढ़कर 353.62 लाख क्विंटल हो गया। बीजों के उत्पादन में सतत् वृद्धि के लिए भारत सरकार बीज संबंधी कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत राज्य सरकारों तथा बीज उत्पादक एजेंसियों की सहायता कर रही है:

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

(ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

(iii) समेकित तिलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम)

(iv) वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए)

(v) कपास प्रौद्योगिकी मिशन

(vi) पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन

(vii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

(viii) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई)

(ix) गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण।

(x) मेगा बीज परियोजना (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)।

विवरण I

प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज की अखिल भारत आवश्यकता और उपलब्धता-2011-12

(मात्रा क्विंटल में)

फसल	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी/आधिक्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
गेहूं	10822389	11782832	960443	
धान	8255917	9160208	904291	
मक्का	1082011	1363254	281243	
ज्वार	244348	266268	21920	
बाजरा	297196	336957	39761	
रागी	29844	29791	-53	केवल उत्तराखंड में कमी सूचित की गई है और उसे बीज घाटी से उपलब्ध स्थानीय बीजों से पूरा किया गया

1	2	3	4	5
जौ	168045	180380	12335	
कोदो	1342	16	-1326	छत्तीसगढ़ में स्थानीय किस्म की कमी है जिसे बचाए गए बीजों से पूरा किया गया
कुल अनाज	20901092	23119706	2218614	
चना	1422354	1662757	240404	
मसूर	112695	95066	-17629	अधिशेष आधारी व फार्म पर बचाए गए बीज उपयोग किए गए
मटर	150164	135825	-14339	उपलब्ध मटर सब्जी बीज उपयोग किए गए और आगे की कमियों को प्राइवेट के साथ टाई-अप किया गया
कुलथी	1680	2118	438	
लोबिया	22974	15958	-7016	केवल राजस्थान में कमी सूचित की गई है और उसे रबी/ग्रीष्म 2011 में अतिरिक्त बीज उत्पादन से पूरा किया जाता है
मूंग	220024	230286	10261	
उड़द	244201	337114	92913	
अरहर	271236	354986	83750	
लेथिरस	178	117	-61	फार्म पर बचाए गए बीज के द्वारा पूरा किया गया
राजमा	4411	3491	-920	केवल उत्तराखंड में स्थानीय किस्म की कमी है, स्थानीय रूप से बीज उत्पादन करना होगा।
खेसारी	3490	3490	0	
मोठ	15250	9014	-6236	केवल राजस्थान राज्य कमी की सूचना दी है, बीज उत्पादन स्थानीय रूप से करना होगा और विकल्प खेत से बचाए गए बीज हैं राजस्थान सरकार, आरएसएससी, एनएससी और एसएफसीआई को अपने बीज उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है
अन्य	3991	3992	1	
कुल दलहन	2472648	2854214	381566	
मूंगफली	2919861	3369384	449523	
आरएण्डएम	253360	265989	12629	
अलसी	4316	3639	-677	अधिशेष आधारी और फार्म पर बचाए गए बीज उपयोग किए गए
एरण्ड	49818	64638	14820	
कुसुम	9973	9605	-368	केवल उपलब्ध मात्रा का उपयोग किया गया, अतिरिक्त बीज की आवश्यकता नहीं है

1	2	3	4	5
सूरजमुखी	72497	97769	25272	
तिल	26189	26263	75	
रामतिल	2945	2064	-881	झारखंड और मध्य प्रदेश में कमी, बजी उत्पादन स्थानीय रूप से करना होगा
सोयाबीन	3002545	3444386	441841	
कुल तिलहन	6341504	7283737	942233	
कपास	234619	267265	32646	
पटसन	40396	47515	7119	
मेस्ता	330	413	83	
कुल रेशा	275345	315193	39848	
बरसीम	200	200	0	
जई	6100	6100	0	
ढेंचा	30	30	0	
सनई	26	26	0	
ग्वार	42300	48072	5772	
भारतीय बीन	360	370	10	
अन्य	3612	0	-3612	प्राइवेट से पूरा किया गया
आलू	2996641	1733763	-1262879	प्राइवेट से टाई-आप किया गया है
अन्य	972	972	0	
सकल योग	33040829	35362382	2321553	

विवरण II

प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज की अखिल भारत आवश्यकता और उपलब्धता-2011-12

(मात्रा क्विंटल में)

राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4803670	6951058	2147388	
अरुणाचल प्रदेश	12148	12148	0	
असम	960807	960807	0	

1	2	3	4	5
बिहार	1580080	1706494	126414	
छत्तीसगढ़	626739	600788	-25951	एनएससी, एसएफसीआई, एमएसएससी, एपीएसएसडीसी, यूएसए एवं टीडीसी, नैफेड और कृभकों के साथ टाई अप किया गया
गोवा	5485	5480	-5	एनएससी के टाईअप किया गया
गुजरात	1376304	1414091	37787	
हरियाणा	1084835	1561370	476535	
हिमाचल प्रदेश	163548	163628	80	
जम्मू और कश्मीर	115699	127700	12001	
झारखंड	565010	100830	-464180	एनएससी, एसएफसीआई और प्राइवेट के टाईअप किया गया
कर्नाटक	1159575	1347916	188341	
केरल	120000	109023	-10977	एनएससी और केएसएससी के साथ टाईअप किया गया
मध्य प्रदेश	2916221	3312441	296220	
महाराष्ट्र	2729833	2959821	229988	
मणिपुर	15710	15710	0	
मेघालय	17600	17600	0	
मिजोरम	1073	1073	0	
नागालैंड	140884	46894	-93990	एनएससी के साथ टाईअप किया गया
ओडिशा	835298	623976	-211322	ओडिशा में कमी को टेंडर से पूरा किया गया
पुदुचेरी	11275	11347	72	
पंजाब	1359104	1782098	422994	
राजस्थान	2041562	2499469	457907	
सिक्किम	6349	6349	0	
तमिलनाडु	551110	868789	317679	
त्रिपुरा	23934	25365	1431	
उत्तर प्रदेश	6195415	5102229	-1093187	एनएससी, एसएफसीआई, एनएचआरडीएफ और प्राइवेट के साथ टाईअप किया गया
उत्तराखंड	108170	96913	-11257	एसएफसीआई के साथ टाईअप किया गया और स्थानीय बीज उपलब्ध
पश्चिम	3513391	2930975	-582416	प्राइवेट से पूरा किया गया
सकल योग	33040829	35362382	2321553	

अ०तारां० 111

ऑनर किलिंग्स

***197. श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ऑनर किलिंग्स' से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए गठित मंत्री-समूह ने इस संबंध में अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतिम निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) क्या विधि आयोग ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'ऑनर किलिंग्स' से निपटने के लिए कब तक एक व्यापक विधान अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) आनर किलिंग के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित मंत्री-समूह का विचार-विमर्श अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भारत के विधि आयोग ने "आनर किलिंग्स" के संबंध में अब तक कोई सुझाव नहीं दिया है। इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद] 111 - 13

दिल्ली मेट्रो

***198. श्री प्रबोध पांडा:**
श्री राधे मोहन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में प्रत्येक मेट्रो सवारी डिब्बे की मौजूदा यात्री वहन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार का दिल्ली में मेट्रो रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो खंड/लाइन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली मेट्रो में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) यह सूचित किया जाता है कि प्रत्येक मेट्रो सवारी डिब्बे की मौजूदा क्षमता क्रमशः ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज रेलों में 376 और 328 यात्री है।

(ख) जी हां। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि इस प्रकार है:

वर्ष	2010	2011	2012 (फरवरी तक अर्थात दो माह)
कुल वार्षिक यात्री वहन क्षमता	41,19,61,543	57,72,51,875	10,60,55,152
औसत क्षमता (प्रतिमाह)	3,43,30,129	4,81,04,323	5,30,27,576

(घ) विद्यमान में मेट्रो रेलगाड़ियों के फेरे मांग के अनुरूप हैं। तथापि, फेरे बढ़ाने के बारे में निर्णय लेना एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) यात्रियों की बढ़ती मांग के आधार पर पूर्व में भी समय-समय पर रेलगाड़ियों के फेरों में सुधार किया गया है। इस संबंध में ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(मिनट और सेकेन्ड में)

	व्यस्ततम समय में गति		
	2010	2011	2012 (वर्तमान)
1	2	3	4
लाइन-1 (दिलशाद गार्डन-रिठाला)	4 मिनट 12 से.	4 मिनट	3 मिनट 50 से.
लाइन-2 (जहांगीर पुरी-हुडा सिटी सेंटर)	2 मिनट 42 से.*	2 मिनट 50 से.	2 मिनट 40 से.

1	2	3	4
लाइन-3/4 (द्वारका सैक्टर 21-नोएडा-वैशाली)	3 मिनट 18 से.	2 मिनट 55 से.	2 मिनट 40 से.
लाइन-5 (मुंडका-इंद्रलोक/कीर्तिनगर)	6 मिनट 36 से.	5 मिनट 24 से.	4 मिनट 12 से.
लाइन-6 (केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर)	-	5 मिनट 12 से.	5 मिनट

*लाइन-2 हुडा सिटी सेंटर के लिए विस्तार से पूर्व जहांगीरपुरी और केन्द्रीय सचिवालय के बीच प्रचालन में थी।

(च) दिल्ली मेट्रो में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) रेलगाड़ियों के बेड़े की कुल 123 रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई है। भविष्य में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के उपायों के रूप में 68 रेलगाड़ियों को 8 डिब्बे वाली रेलगाड़ियों में परिवर्तित करने की योजना बनाई है जिसे दिसम्बर, 2012 से आरंभ कर दिसम्बर, 2013 में पूरा किया जाएगा।

(ii) व्यस्ततम समय में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जाती है।

(iii) अगली गाड़ी पहुंचने के संबंध में यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए रेलगाड़ियों/स्टेशनों के भीतर घोषणाएं की जाती हैं।

(iv) यात्रियों के मार्गदर्शन, रेलगाड़ियों की सुलभ आवाजाही हेतु और किसी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए व्यस्ततम प्लेटफार्मों में ग्राहक सुविधादाता एजेंटों को तैनात किया गया है।

113 - 30

शहरी अवसंरचना विकास

***199. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:**
श्री अशोक तंवर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने में आ रही बाधाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) चल रही सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य-वार किस प्रकार का अवसंरचनात्मक विकास अंतर्गस्त है; और

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान शहरी अवसंरचना विकास हेतु प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) शहरी अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) संबंधी परियोजनाओं में वृद्धि करने में आने वाली बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) अधिकांश शहरी क्षेत्र में निवेशों में सरकार की तृतीय स्तर की भूमिका रहती है जिससे निजी क्षेत्र निवेशों हेतु विचारित राजनैतिक जोखिम बढ़ता है।

(ii) ऐतिहासिक दृष्टि से, जलापूर्ति और सफाई सेवाओं को "सार्वजनिक वस्तुओं" के रूप में देशा गया है जिन्हें किफायती कीमतों (नाममात्र कम लागत) पर मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है। जल और सीवरेज के निम्न शुल्क से जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं भरोसेमंद नहीं रहतीं।

(iii) कुछेक नगरपालिकाओं को छोड़कर, अधिकांश नगरपालिकाओं की सामान्य वित्तीय स्थिति अनिश्चित है।

(iv) संक्षिप्त डाटा की कमी विशेष रूप से जल वितरण के मामले में जहां नेटवर्क विन्यास के रिकार्ड की खराब स्थिति और दशाएं परियोजना विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं।

(v) खराब जोखिम के आदान-प्रदान माडल और अव्यवहारित निष्पादन अपेक्षाएं निजी क्षेत्र की अनिच्छा का कारण बनती हैं। जहां वाणिज्यिक और राजनैतिक जोखिमों का उन पक्षों को उपयुक्त आबंटन किया जाता है, जो अभिज्ञात जोखिमों को अधिक सक्षमता से सहन कर सकते हैं, वहां परियोजनाओं की उचित संरचना आवश्यक है।

(vi) विषयक पूर्व-योग्यता मानदण्डों की कमी।

(vii) प्रचालनात्मक अनुभव वाले संचालकों की कमी।

(viii) ठेकों की खराब गुणवत्ता।

(ix) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की संरचना हेतु पर्याप्त क्षमता में कमी आदि।

(ग) शहरी अवसंरचना राज्य का विषय है और संविधान के 74वें संशोधन के कारण, अधिकांश विषय शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं। तदनुसार, सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवस्था में शामिल होने के लिए शहर स्वतंत्र हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं जिनके लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अनुदान निधियों के माध्यम से सहायता दी जाती है, की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी-बनाओ चलाओ हस्तांतरित करो के आधार पर 4 मेट्रो रेल परियोजनाएं नामतः मुम्बई मेट्रो रेल लाइन-I, मुम्बई मेट्रो रेल लाइन-II, हैदराबाद मेट्रो रेल लाइन और दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रैस लाइन सौंपी हैं।

(घ) अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक क्षेत्र-वार और सैक्टर-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी राशियों का ब्यौरा देते हुए क्रमशः संलग्न विवरण-II और III औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग से प्राप्त किए गए हैं, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु नोडल विभाग है। तथापि, शहरी अवसंरचना क्षेत्र हेतु आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण I

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	क्षेत्र	परियोजना लागत	भारत सरकार का अंशदान	राज्य अंशदान	शहरी स्थानीय निकाय अंशदान	सार्वजनिक निजी भागीदारी अंशदान	निजी भागीदारी का नाम	पीपीपी व्यवस्था की प्रकृति	पीपीपी घटक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	नागपुर जलापूर्ति फेज-IV (भाग-2)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति	90.55	30.98	12.39	18.59	28.59	मै. विओलिया वाटर (इंडिया) प्रा.लि. नई दिल्ली	बीओओटी	गोधानी में 115 एमएलडी क्षमता वाले डब्ल्यूटीपी का निर्माण
2.	नागपुर जल लेखा परीक्षा (एनजी-011)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति	27.34	12.50	5.00	7.50	2.34	मै. एनवाओ रैक्स प्रोटेक्शन क. प्रा.लि.	• 50% अंशदान	कन्ज्यूमर मीटर (10,000 सं.) का प्रतिस्थापन
3.	जलापूर्ति हेतु नागपुर ऊर्जा लेखा परीक्षा परियोजनाएं (एनएजी-008)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति	28.83	12.52	5.01	7.51	2.41	मै. विओलिया वाटर (इण्डिया) प्रा.लि. नई दिल्ली	• पीपीपी द्वारा 30% अंशदान • ओ एंड एम	गोरेवाड़ा में डब्ल्यूटीपी में मशीनरी का प्रतिस्थापन
4.	नागपुर कान्हा वृद्धि स्कीम (एनएजी-0.15)	महाराष्ट्र	जलापूर्ति	105.28	41.09	16.43	24.65	23.11	मै. विओलिया वाटर (इण्डिया) प्रा.लि. नई दिल्ली	• पीपीपी संचालक द्वारा अंशदान • ओ एंड एम	मौजूदा डब्ल्यूटीपी का 120 एमएलडी क्षमता वाले नए पुनर्वास संयंत्र का निर्माण और हैड वैर्क्स की सुरक्षा
5.	सार्वजनिक निजी भागीदारी (एनएजी-0.28) के जरिए नागपुर शहर के लिए 24X7 जलापूर्ति परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए पुनर्वास योजना के लिए नागपुर डीपीआर	महाराष्ट्र	जलपूर्ति	387.86	183.93	77.57	-	116.36	मै. विओलिय वाटर (इण्डिया)	• पीपीपी संचालक सेवा प्रदाता होगा।	24X7 परियोजना का संचालन, अनुरक्षण का कार्यान्वयन, जल बिल तैयार करना
6.	नागपुर दूषित जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग (एनएजी-016)	महाराष्ट्र	सीवरेज	130.11	65.06	26.02	-	39.03	टैंडर प्रक्रिया चल रही है।	• महागेमकों परियोजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है।	मोड्यूल-ए-वीयर एण्ड इन्टेक वर्क्स मोड्यूल बी-एसटीपी मोड्यूल सी-सम्प पम्पिंग, मुख्य ट्रांसमिशन मोड्यूल-डी- माक्रोपिफ्लट्रेशन टीवी एण्ड स्टोरेज टैंक मोड्यूल-ई-इन्टर कनैक्शन, मिश्रित कार्य महागेन्को नागपुर के लिए 15 करोड़ रु. वार्षिक आधार पर वार्षिक आधार पर वार्षिकी के रूप में भुगतान करेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	राजकोट बीआरटीएम	गुजरात	शहरी परिवहन	117.50	55.00	22.00	33.00	7.50	चयन जारी है।	• प्रबंध कान्ट्रेक्ट में निजी भागीदारी को बसों की खरीद करनी है और यूएलबी द्वारा निर्धारित मार्गों और फेरे के अनुसार संचालन और चलानी है। • रियायत/कार्य चलने की अवधि-7 वर्ष	• निजी भागीदारी को पायलेट कॉरीडोरों पर किराए और फेरे संबंधी निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बीआरटीएस बसों की खरीद प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण कार्य करना है। *राजकोट नगर निगम टर्मिनल सुविधाओं सहित निजी संचालक के कार्य में सुगमता लाएगा।
8.	सूरत बीआरटी एस (सूरत बीआरटीएस के लिए बसों की खरीद, मुहैया कराना और चलाना)	गुजरात	शहरी परिवहन	540.02	234.51	93.80	140.71	71.00	निजी भागीदारी का चयन किया जा रहा है।	बीओओ	प्रबंध कान्ट्रेक्ट में निजी भागीदार को बसों की खरीद करनी है और यूएलबी द्वारा निर्धारित मार्गों और फेरे के अनुसार संचालन और चलानी है। उन्हें बसों का रखरखाव करना पड़ेगा और कि.मी. लागत के आधार पर भुगतानक्रिया जाएगा। पीपीपी संचालक चरणों में 325 बसों के लिए 71 करोड़ रुपए की राशि लाएगा। अब 50 बसों के लिए पहला टेंडर आरंभ किया गया है।
9.	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	गुजरात	सीवरेज	10.98	5.49	2.20	3.29	-	-	5 वर्षों के लिए सेवा ठेका	• ठेके में सभी मुख्य और गौण भाग आदि शामिल हैं अर्थात सभी में सभी के आधार पर • ठेकेदार को टेंडर के अनुसार संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।
10.	भेसान सीवरेज शोधन संयंत्र का संवर्द्धन	गुजरात	सीवरेज	15.09	7.55	3.02	4.53	-		5 वर्षों के लिए सेवा ठेका	• ठेके में सभी मुख्य और गौण भाग आदि शामिल हैं अर्थात सभी में सभी के आधार पर • ठेकेदार को टेंडर के अनुसार संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।
11.	बामनरोली में माध्यमिक सीवरेज शोधन संयंत्र	गुजरात	सीवरेज	13.22	6.61	2.64	3.97	-		सेवा ठेक 5 वर्षों के लिए पीपीपी संचालक एसटीपी का केवल संचालन और अनुरक्षण कार्य देख रहा है।	• ठेके में सभी मुख्य और गौण भाग आदि शामिल हैं अर्थात सभी में सभी के आधार पर • ठेकेदार को टेंडर के अनुसार संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।
12.	पालपालनपुर क्षेत्र के लिए सीवरेज निष्पादन नेटवर्क और एसटीपी	गुजरात	सीवरेज	21.28	10.64	4.26	6.38	-		सेवा ठेक 5 वर्षों के लिए पीपीपी संचालक एसटीपी का केवल संचालन और अनुरक्षण कार्य देख रहा है।	• ठेके में सभी मुख्य और गौण भाग आदि शामिल हैं अर्थात सभी में सभी के आधार पर • ठेकेदार को टेंडर के अनुसार संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।
13.	बेस क्षेत्र के लिए सीवरेज निष्पादन नेटवर्क और एसटीपी	गुजरात	सीवरेज	34.77	17.19	6.87	10.31	-		सेवा ठेक 5 वर्षों के लिए पीपीपी संचालक एसटीपी का केवल संचालन और अनुरक्षण कार्य देख रहा है।	• ठेके में सभी मुख्य और गौण भाग आदि शामिल हैं अर्थात सभी में सभी के आधार पर • ठेकेदार को टेंडर के अनुसार संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	नए ईस्ट जोन क्षेत्रों के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन	गुजरात	सीवेज	110.66	55.33	22.13	33.20	-		सेवा ठेक 5 वर्षों के लिए पीपीपी संचालक एसटीपी का केवल संचालन और अनुरक्षण कार्य देश रहा है।	• ठेके में सभी मुख्य और गौण भाग आदि शामिल हैं अर्थात सभी में सभी के आधार पर • ठेकेदार को टेंडर के अनुसार संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।
15.	सीएमसी के नए नार्दन ड्रेनेज हेतु सीवरेज सिस्टम	गुजरात	सीवेज	184.04	82.02	36.81	55.21	-		सेवा ठेक 5 वर्षों के लिए पीपीपी संचालक एसटीपी का केवल संचालन और अनुरक्षण कार्य देश रहा है।	• ठेके में सभी मुख्य और गौण भाग आदि शामिल हैं अर्थात सभी में सभी के आधार पर ठेकेदार को टेंडर के अनुसार संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।
16.	नगरपालिका ठेस कचरा प्रबंधन आसनसोल-दुर्गापुर नगरपालिका क्षेत्र	प. बंगाल	एसडब्ल्यूएम	43.57	21.79	8.71	4.66	-	गुजरात पर्यावरण सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. और हजर बायोटेक प्रा.लि.	बीओटी	आसनसोल शहरी समूह के अन्तर्गत 5 यूएलबी के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरा का प्रबंधन और शोधन सभी 5 नगरपालिका कस्बों के लिए सांझा क्षेत्रीय लैंडफिकल सुविधाएं, सांझा लैंडफिकल स्थल से गैस एकत्रिकरण का प्रबंध। एमएसयूडब्ल्यू का दैनिका आधार पर विभेदीकरण और शोधन सुविधाएं आंभ करना। कम्पोस्ट, फ्यूल पैलेट आदि बनाने के लिए पुनचक्रवातीय कचरे का परिवर्तन।
17.	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बड़ोदरा नगरपालिका सीमा में बने नगरपालिका ठोस कचरा के निष्पादन हेतु जम्बुआ में सिक्योर्ड इंजीयर्स लैंडपिकल सुविधा के चरण-2 का डिजाइन, विकास प्रचालन और अनुरक्षण	गुजरात	एसडब्ल्यूएम	30.98	15.49	6.19	9.30	-	गुजरात पर्यावरण सुरक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. और हजर बायोटेक प्रा.लि.	संचालक से बीओटी कन्सैशन आधार लेकिन बिना पूंजी अंशदान	टिपिंग शुल्क के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी निजी संचालक की होती है। सक्रिया प्रचालन अवधि के दौरान 15-15 टिपिंग शुल्क भुगतान रखा जाएगा और अनुरक्षण समाप्ति के दौरान 60 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जाएगा। अनुरक्षण समाप्ति के 15 वर्ष बाद ठेकेदार द्वारा भुगतान ठिकाए बगैर राशि देय है।
18.	सूरत ठोस कचरा उन्नयन प्रणाली	गुजरात	एसडब्ल्यूएम	99.00	26.25	10.50	15.75	46.50	• विकास सूचना केन्द्र • वैश्विक कचरा प्रबंधन प्रकोष्ठ • मै. जिगर ट्रांसपोर्ट क. • हंजेर बायोटेक एनर्जी प्रा.लि.	बीओओटी आधार पर प्रचालन और अनुरक्षण कन्सेशन/कार्य में लगने की अवधि-10 वर्ष) अपनाया गया पीपीपी माडल (बीओओटी 3) कन्सेशन/कार्य में लगे रहने की अवधि-30 वर्ष)	सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा अपनी लागत पर घर घर जाकर कूड़ा कचरा एकत्रीकरण प्रणाली लाई जा रही है।
19.	राजकोट एकीकृत ठोस कचरा शोधन संयंत्र	गुजरात	एसडब्ल्यूएम	18.67	4.34	1.73	2.60	10.00	हंजेर बायोटेक एनर्जी प्रा.लि.	बीओओटी	• पीपीपी संचालक द्वारा कचरा परिवर्तन और शोधन संयंत्र लगाना और आरम्भ करना • कचरा परिवर्तन शोधन संयंत्र में शामिल उपस्करों की पूर्ण जिम्मेदारी सार्वजनिक निजी भागीदार संचालक की होगी। • 7 वर्षों की अवधि हेतु संयंत्र के निर्माण और वेयरहाऊस सुविधाओं के लिए 12 हैक्टेयर भूमि को पट्टे पर देना।
20.	पुडुचेरी हेतु एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	पुडुचेरी	एसडब्ल्यूएम	08.00	39.73	9.93	-	58.34	पुडुचेरी म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रा.लि.	बीओओटी	• घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना • अनुमोदित सी एण्ड टी संयंत्र में अपेक्षित अवधि के अनुसार गलियों और नालियों की सफाई करना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											• एकत्र किए गए कचरे को पी एण्ड एल तक ले जाना • पी एण्ड एल के प्राप्ति बिन्दु पर एमएसडब्ल्यू प्राप्त करना • पी एण्ड एल में ठोस कचरा का शोधन • पीडब्ल्यूएमएस की अवधि के दौरान सेनेटरी लैंडपिकल विकसित करना • लैंडपिफल में अवशिष्ट इर्न्ट तत्व का निष्पादन करना और • आधुनिक प्रयोगशाला बनाना और चलाना।
21.	साल्टलेक में सैक्टर-5 में जलापूर्ति का विकास और प्रबंधन	प. बंगाल	जलापूर्ति	26.07	9.12			16.95	जमशेदपुर यूटिलिटी एण्ड सर्विसेज कम्पनी (जेयूएससीओ)	बीओटी 30 वर्ष कन्सेशन करार	भूमिपरि सेवा जलाशयों, पम्प हाउसों को निर्माण और प्रमुख और वितरण पाइपलाइन को उठाना, क्लोरीनेशन
22.	केएमए की 13 यूएलबी के ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	111.97	39.19		33.59			बीओटी 10 वर्ष रियायती करार	वर्मी पिटस और पोडो का निर्माण, पक्के यार्डों कार्यालय बिल्डिंग बाउंड्री दीवार आदि का निर्माण, सैन्ट्री लैंडफिल और विजनीकरण का निर्माण, प्राथमिक और सेमेन्ट्री एकत्रीकरण के उपकरण का भंडारण।
23.	आगरा में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	31.20	15.42	6.17	9.25	0.36	मैसर्स हैअर	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
24.	इलाहाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	46.04	15.21	6.08	9.12	15.63	मैसर्स एसपीएमएल	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
25.	कानपुर में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	72.47	28.12	11.25	16.87	36.23	मैसर्स एटूजेड	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
26.	लखनऊ में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	74.13	21.46	8.58	12.88	31.21	मैसर्स ज्योति बिल्डटैक	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
27.	मथुरा में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	17.62	7.930	0.99	0.99	7.70	मैसर्स एसपीएमएल	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
28.	मेरठ में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	69.26	11.30	4.52	6.78	46.67	मैसर्स एटूजेड	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
29.	वाराणसी में ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तर प्रदेश	ठोस कचरा प्रबंधन	68.80	24.34	9.74	14.60	20.12	मैसर्स ज्योति बिल्डर्स	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
30.	एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	उत्तराखंड	ठोस कचरा प्रबंधन	24.60	19.68	2.46	2.46	-	मैसर्स एसपीएमएल		• कचरे के मुख्य स्थल पर भंडारण • डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण • सड़क सफाई के कचरे को इकट्ठे करना • कचरे का द्वितीयक स्तर पर भंडारण • कचरे का स्थानांतरण • प्रबंधन हेतु कार्यशाला • कचरे का निपटान करना
31.	गुवाहाटी में ठोस कचरा प्रबंधन	असम	ठोस कचरा प्रबंधन	102.17	31.65	3.52	-	67.00	मैसर्स रामकव इनवारो इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड	बीओओटी	कम्पोसिंग पुन: विकसित ईंटें/ब्लाकों का निर्माण, आरडीएफ और ऊर्जा निर्माण
32.	अलदूर, पल्लवापरूम और केनगदमनगलम में तांब्रम नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन	44.21	15.47	6.63	-	22.11	मैसर्स हाइडोरियर टेक्टोनिक्स (टीसीडी) लिमिटेड, नवी मुम्बई	डीबीओटी	• ट्रासफर स्टेशन शहर सामग्री वसूली सुविधाओं का निर्माण • समान कम्पोस्ड पांचों का लगाना और सेनेटरी लैंड फिल्ड का विकास करना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	चेन्नई में ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन	255.32	12.17	5.47	18.24	218.84	मैसर्स इण्डिया सीमेंट एण्ड मैसर्स तेरा फिरमा (एसडब्ल्यूएम) चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड	डीबीओओटी (कडूगयूर लैडफील साइट के लिए)	एकत्रीकरण, स्थानांतरण, कचरे का श्रेणी करण, कम्पोसिंग रिफ्यूल (आरडीएफ) का निर्माण करना, प्लास्टिक पुनर्किसित करना, ईंटों की इनरट प्रोसेसिंग, सेनेटरी लैंड फिल्मों का विकास, लिचालटी कलेक्शन और शोधन सुविधाएं, आदि।
		तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन						मैसर्स हाइड्रेरियर टेक्टोनिक्स (टीसीडी) लिमिटेड, नवी मुम्बई	डीबीओटी (पैरागुडी लैंड फील साइड के लिए)	
34.	कोयम्बटूर कारपोरेशन में ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन	117.30	48.26	19.30	28.95	29.79	बीईआईएल/यूपीएल कसोटियम	डीबीओओटी 20 वर्षों का रियायती करार	एकत्रीकरण, स्थानांतरण, कचरे का श्रेणी करण, कम्पोसिंग रिफ्यूल (आरडीएफ) का निर्माण करना, प्लास्टिक पुनर्किसित करना, ईंटों की इनरट प्रोसेसिंग, सेनेटरी लैड फिल्मों का विकास, लिचालटी कलेक्शन और शोधन सुविधाएं, आदि।
35.	मदुरै कारपोरेशन में ठोस कचरा प्रबंधन	तमिलनाडु	ठोस कचरा प्रबंधन	74.29	37.15	14.15	5.19	17.10	मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट मोकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड	बीओओटी	• 20 वर्षों के लिए सेनेटरी लैंड फील्ड का विकास और प्रबंधन करना • 20 वर्षों के लिए एरोबिक टीटमेंट पद्धति के तहत कचरे को निपटाने के लिए कचरा निपटान यूनिट का निर्माण
36.	साल्ट लेक, सेक्टर-5 (एनडीआईटीए) में सीवर प्रणाली का विकास और प्रबंधन	प. बंगाल	ठोस कचरा प्रबंधन	34.07	11.93	-	-	22.14	जमशेदपुर यूटिलिटी एण्ड सर्विसेज कम्पनी (जेयूएससीओ)	बीओटी 30 वर्षों का रियायती करार	सीवर पाइपों का बिछाना और मेन होल चेंबरों का निर्माण करना, सीवर शोधन प्लाट का निर्माण करना, इलेक्ट्रीफिकेशन
37.	जयपुर (राजस्थान) नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	राजस्थान	ठोस कचरा प्रबंधन	13.20	6.60	2.64	3.96	-		सेनेटरी लैंड फील्ड के लिए ओ एण्ड एम कांट्रेक्ट	सेनेटरी लैंड फील्ड के लिए ओ एण्ड एम कांट्रेक्ट
38.	बीआरटीएस विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	सीवेज	470.93	226.47	90.59	135.87	80.00	मैसर्स कांस्ट्रक्शन कैप मैसर्स, पुणे	बीओओटी रियायत 18.5 वर्ष	• 78 आधुनिकी बस आश्रय (100 प्रतिशत स्टेनस्टील का निर्माण) • 25 आधुनिक फूड ओवर ब्रिजस (लिफ्ट और रैम्प सहित) का निर्माण
39.	मैसूर में एकीकृत निपटान सुविधा का विकास	कर्नाटक	ठोस कचरा प्रबंधन	29.98	23.98	3.00	3.00	-	जमशेदपुर यूटिलिटी एण्ड सर्विसेज कम्पनी (जेयूएससीओ)	डीबीएफओ	सेनेटरी लैंड फिल की स्थापना और विद्यमान कचरे को ढकना
40.	मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण नेटवर्क को पुन: निर्मित करना	कर्नाटक	जलापूर्ति	194.54	155.63	19.45	19.46	-	जमशेदपुर यूटिलिटी एण्ड सर्विसेज कम्पनी (जेयूएससीओ)	डीबीओटी	अध्ययन पुन: विकास के लिए आपरेटर उत्तरदायी होगा, क्षमता लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ओएण्ड अवधि के दौरान वितरण आपरेटिंग जोन में जल वितरण का परिचालन और प्रबंधन
41.	अहमदाबाद में 12 कि.मी. लम्बा बीआरटीएस	गुजरात	शहरी परिवहन	105.80	30.66	13.14	43.80	18.20	मैसर्स चार्टर्ड स्पीड प्राइवेट लिमिटेड	बीओओटी प्राइवेट रियायत 18.5 वर्ष	पीपीपी और यू एलबी के अपने शेयरों पर बीआरटीएस के लिए बसें प्राप्त करना और परिचालन और प्रबंधन करना।
42.	बीआरटीएस अहमदाबाद	गुजरात	शहरी परिवहन	405.72	142.00	60.86	202.86	-	मैसर्स राज दीप इंटरप्राइजेज	2 वर्षों के लिए 54 बस स्टेशनों की देख भाल के लिए ओ एंड एम अनुबंध	बस स्टेशन देखभाल कार्य, और-परियोजना अक्तूबर 2009 में शुरू की गई।
43.	बीआरटीएस अहमदाबाद फेज-2	गुजरात	शहरी परिवहन	496.14	170.85	73.22	244.07	8.00	मैसर्सक्रिजेन इंजि. एवं सिक्यूरिटी प्रा. लि. एवं मैसर्स गुजरात इंफो पेट्रो लि.	टिकटिंग एवं आरटी प्रणाली का प्रापण एवं प्रबंधन	बस स्टेशन नियंत्रण कक्ष, काल सेंटर इत्यादि के लिए आईटी प्रणाली का प्रापण एवं अनुरक्षण 26 बस स्टेशनों के लिए आईटी प्रणाली के प्रचालन हेतु नीजी संचालक 25 लाख रु. प्राप्त करेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	अहमदाबाद में 180 एमएलडी	गुजरात	सीवरेज	69.22	24.23	10.38	34.61	-	मैसर्स इंवाइरो कंट्रोल अशोसिएट प्रा.लि. सूरत एवं मेसर्स श्रीराम इंपीसी लि. चेन्नई	एसटीपी का प्रचालन एवं अनुरक्षण	3 वर्षों के लिए व्यापक प्रचालन एवं अनुरक्षण
45.	अहमदाबाद में 35 एमएलडी सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	गुजरात	सीवरेज	15.91	3.97	1.70	10.24	-	मेसर्स हाइड्रो एअर टेक्टोनिक्स लि.	एसटीपी का प्रचालन एवं अनुरक्षण	3 वर्षों के लिए व्यापक प्रचालन एवं अनुरक्षण
46.	अहमदाबाद में 200 जल संयंत्र का विकास	गुजरात	जलापूर्ति	53.83	18.84	8.07	26.92	-	मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी	तीन वर्षों के लिए डब्ल्यूटीपी का व्यापक प्रचालन एवं अनुरक्षण	3 वर्षों के लिए व्यापक प्रचालन एवं अनुरक्षण
47.	अहमदाबाद में कचरा प्रबंधन का उन्नयन	गुजरात	एसडब्ल्यूएम	118.86	41.60	17.83	59.43	-		वहान एवं अन्य उपकरणों के रख व्यापक प्रचालन एवं अनुरक्षण	कंटेनर्स, डम्पर प्लेसर यूनिट एवं रोड वैक्यूम स्वीपिंग मशीन का प्रचालन एवं अनुरक्षण
48.	पीसीएमसी में कचरा प्रबंधन	महाराष्ट्र	एसडब्ल्यूएम	100.44	35.22	14.09	21.13	30.00		• स्थापना • एकत्रण वाहन एवं कंपोस्टिंग संयंत्र के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण	• एकत्रण वाहन के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण • मैकेनिकल कंपोस्टिंग संयंत्र के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण • अनुरक्षण 6 मेगावाट बिजली के उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना एवं प्रचालन के लिए पूंजीगत अंशदान
49.	फरीदाबाद शहर के लिए कचरा प्रबंधन	हरियाणा	एसडब्ल्यूएम	76.50	38.25	15.30	22.95	-	मेसर्स एकेसी डवलपर्स लि. (मेसर्स हंजेर बायोटेक इनर्जी, मुंबई एंड उपनेक्स लि. नोएडा) के एजवी)	30 वर्ष के लिए ईपीसी	• एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण संयंत्र का 30 वर्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण • 30 वर्ष की अवधि के दौरान यथा अपेक्षित वर्तमान में 600 टीडीपी से संयंत्र की क्षमता बढ़ना • 7 वर्षों के सैनिटरी लैंडफिल का प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा क्लोजर प्रणाली • यूएनएफसीसी से कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना और यू एलबी को 67% सीईआरएस योजना
	कुल			5,457.94	2,215.29	8,42.25	1,334.80	1,065.60			

विवरण II

अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक वित्तीय वर्ष-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों को दी गई सूचना अनुसार) क्षेत्रक शीर्ष: अवसंरचना

क्र. सं.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि (करोड़ रु. में)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि (अमेरिकी मिलियन डालर में)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि का %
1	2	3	4	5	6
1.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भाग	16,946.46	3,669.35	40.91
2.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	11,619.70	2,521.08	28.10

1	2	3	4	5	6
3.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1,607.54	347.11	3.87
4.	बंगलौर	कर्नाटक	1,492.61	327.42	3.65
5.	चेन्नई	तमिलनाडु, पुदुचेरी	1,452.93	305.18	3.40
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	867.95	194.70	2.17
7.	अहमदाबाद	गुजरात	771.03	169.06	1.88
8.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	215.89	47.18	0.53
9.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	134.52	29.22	0.33
10.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	122.15	26.78	0.30
11.	भुवनेश्वर	ओडिशा	56.03	12.16	0.14
12.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	51.39	10.94	0.12
13.	जयपुर	राजस्थान	1.56	0.34	0.00
14.	पणजी	गोवा	0.82	0.16	0.00
15.	पटना	बिहार, झारखण्ड	0.09	0.02	0.00
3	नहीं दर्शाए गए क्षेत्र	नहीं दर्शाए गए क्षेत्र	6,118.33	1,309.72	14.60
		सकल योग	41,459.01	8,970.42	

*रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा दी गई सूचना अनुसार उपर्युक्त राज्य-वार वित्त राशियों इसकी क्षेत्रवर राशि के अनुसार वर्गीकृत की गई हैं।

विवरण III

अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक वित्तीय वर्ष-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
क्षेत्रक शीर्ष: अवसंरचना

(करोड़ रुपए और अमेरिकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2010-11 अप्रैल-मार्च		2011-12 अप्रैल-मार्च		कुल	
		रु.	यूएस $	रु.	यूएस $	रु.	यूएस $
1.	दूर संचार	7,542.04	1,664.50	8,983.56	1,991.60	16,525.60	3,656.10
2.	वायु परिवहन (वायु किराया सहित)	604.76	133.07	90.02	19.50	694.78	152.57
3.	पोर्ट	49.84	10.92	0.02	0.00	49.86	10.92
4.	निर्माण कार्यकलाप	4,978.75	1,103.02	10,859.34	2,230.21	15,838.09	3,333.23
5.	आवास एवं स्थावर सम्पदा (सीनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, एकीकृत उपनगर और वाणिज्यिक परिसर आदि)	5,600.31	1,226.60	2,750.38	591.00	8,350.69	1,817.60
	सकल योग	18,775.70	4,138.12	22,683.31	4,832.30	41,459.01	8,970.42

अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2012 तक वित्तीय वर्ष-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
क्षेत्रक शीर्ष: अवसंरचना

(करोड़ रुपए और अमेरिकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि		विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि का %
		(करोड़ रुपए)	(यूएस $ मिलियन)	
1.	दूर संचार	16,525.60	3,656.10	40.76
2.	निर्माण कार्यकलाप	15,838.09	3,333.23	37.16
3.	आवास एवं स्थावर सम्पदा (सीनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, एकीकृत उपनगर और वाणिज्यिक परिसर आदि)	8,350.69	1,817.60	20.26
4.	वायु परिवहन (वायु किराया सहित)	694.78	152.57	1.70
5.	पोर्ट	49.86	10.92	0.12
	सकल योग	41,459.01	8,970.42	

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण 129-31

***200. श्री के. शिवकुमार** उर्फ **जे.के. रितीश:**
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रतिशत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जा रहा है;

(ख) बुन्देलखंड क्षेत्र सहित देश में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान देश में फलों और सब्जियों की बर्बादी कम करने के लिए इनके प्रसंस्करण और भंडारण एककों की स्थापना और उनके आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए/पहल की गई;

(घ) क्या सरकार ने उक्त उद्योग का विकास करने हेतु अन्य अगणी फल और सब्जी प्रसंस्करण औद्योगिक देशों के साथ कोई तकनीकी करार किया है या किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राज्य/संघराज्य-क्षेत्र में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के स्तर संबंधी आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) उद्यमियों एवं घरेलू कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का विशेष रूप से दूध, फल एवं सब्जियों, मांस पॉल्ट्री, मात्स्यिकी, वाइन, उपभोक्ता मदों, तिलहनों, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दालों जैसे क्षेत्रों में नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करने और मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करने का विशेष लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रूपए और पूर्वोत्तर तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) देश में शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, शीत श्रृंखला अवसंरचना विकास हेतु सार्वजनिक/निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 11वीं योजना के दौरान

शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम है। स्कीम में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्तर को दूर करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना, जैविक उत्पाद, समुद्री सत्पाद, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी के लिए छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ-साथ मूल्यवृद्धि को प्रोत्साहित करना है। सरकार की अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनडीसीसी) और राज्य सरकार भी अपनी-अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

इसी प्रकार गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम का लक्ष्य आईएसओ 14000, आईएसओ 22000, एचएसीसीपी, जीएमपी, जीएचपी, समेत टीक्यूएम जैसी खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने तथा विश्व व्यापार संगठन के उत्तर काल में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रेरित करना है। स्कीम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि अंतिम उत्पाद/परिणाम/अनुसंधान एवं विकास कार्य के निष्कर्ष, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, उन्नत पैकिंग, मूल्यवृद्धि तथा अग्रणी नवीकरण उत्पाद और प्रक्रियाओं के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ पहुंचाएं, जो वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। दूसरी स्कीम खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए है जो सभी पणधारियों को लाभ पहुंचाएगी।

(घ) जी हां महोदया।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग हेतु कुछ विकसित देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस के साथ समझौते किए हैं जिनमें सामान्यत: फलों और सब्जियों सहित प्रसंस्कृत खाद्य खण्ड शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों में द्विपक्षीय सहायोग के लिए कुछ विकसित देशों जैसे अमेरिका, फांस, कनाडा, नीदरलैण्ड, अर्जेन्टीना, आस्ट्रिया, ब्राजील के साथ अनेक व्यापक समझौते किए हैं जिनमें सामान्यत: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, शीत श्रृंखला आदि शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के अंतर्गत दो संस्थाओं जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) और भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) हैं, के साथ करार किए गए हैं। ये समझौते खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शिक्षण एवं अनुसंधान में सहयोग से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

डीडीए हाउसिंग स्कीम-2010

2071. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीडीए हाउसिंग स्कीम-2010 के अंतर्गत कुल कितने आबंटियों को कब्जा पत्र दिया जा चुका है;

(ख) क्या डीडीए हाउसिंग स्कीम-2010 के कुछ आबंटियों के अभी तक कब्जा पत्र नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डीडीए ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में एलआईजी आवासों के लिए अलग-अलग निर्माण प्रभार नियत किए हैं:

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इन फ्लैटों को एक समान मूल्य पर देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि अब तक डी.डी.ए. आवासीय स्कीम 2010 के आबंटियों को 2298 फ्लैटो का कब्जा दिया गया है।

(ख) और (ग) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि उन मामलों में, जहां स्कीम के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों/औपचारिकताओं को प्रस्तुत/पूरा नहीं किया गया है, फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया जा सका।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के संकल्प के अनुसार, फ्लैटों की मानक लागत का निर्धारण प्लिंथ ऐरिया (क्षेत्र) दरों (पीएआर) के आधार पर किया जाता है जिसमें निम्न शामिल हैं:-

(i) निर्माण की लागत-पीएआर x प्लिंथ क्षेत्र

(ii) उपर्युक्त (i) पर 15% विभागीय प्रभारों की दर से।

(iii) उपर्युक्त (i)-(ii) पर 18 माह के लिए 10% की दर से निर्माण अवधि के लिए ब्याज।

पीएआर, 6 माह की अवधि अर्थात कलैंडर वर्ष का 1/4 से 30/9 तक और कलैंडर वर्ष का 1/10 से 31/03 तक के लिए

दिल्ली में एल.आई.जी. श्रेणी के सभी फ्लैटों के लिए निर्धारित दर है। तथापि जैसा कि डीडीए के भूमि विभाग द्वारा यथा निर्धारित भूमि दरें अलग-अलग जोन के लिए भिन्न-भिन्न हैं। अत: निपटान लागत की मांग प्लिंथ क्षेत्र और विभिन्न जोनो की भूमि दरों के आधार पर लिए भिन्न-भिन्न होती है।

(च) उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना

2072. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अनिवार्य वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय करों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

के.लो.नि.वि. द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

2073. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के सतर्कता विभाग को के. लो.नि.वि. के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में के.लो.नि.वि. के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अधिकारी जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कार्रवाई की गई है/की जा रही है अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों के ब्यौरें निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	जांच किए गए मामलों		दी गई शास्तियों की संख्या
2009	453	31	30	ग्रुप ए अधिकारी-22 ग्रुप बी अधिकारी-07 ग्रुप सी अधिकारी-01
2010	431	36	15	ग्रुप ए अधिकारी-05 ग्रुप बी अधिकारी-06 ग्रुप सी अधिकारी-04
2011	275	59	21	ग्रुप ए अधिकारी-10 ग्रुप बी अधिकारी-10 ग्रुप सी अधिकारी-01
2012 अब तक	57	जांच चल रही है।	-	-

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ अधिकारी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी/की जा रही है अभी भी अपने पद पर बने हुए है। ब्यौरे निम्नानुसार है:-

1. श्री बी.के. शर्मा, मुख्य अभियंता (सिविल)
2. श्री ए.के. सिलेकर, अधीक्षक अभियंता (सिविल)
3. श्री पी.के कुलश्रेष्ठ, अधीक्षक अभियंता (सिविल)
4. श्री विमल कुमार, अधीक्षक अभियंता (इलेक्ट्रिकल)
5. श्री सी.एम. तिवारी, कार्यकारी अभियंता (सिविल)

[अनुवाद]

सीडब्ल्यूजी फ्लैट्स

2074. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रमंडल खेल गांव में बड़ी संख्या में फ्लैटों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी टाइप-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन फ्लैटों को पूरा करने और उनके आबंटन के मामले में डीडीए और निजी निर्माण कंपनियों में कोई मतभेद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन फ्लैटों का आबंटियों को आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि खिलाड़ियों के ठहरने के लिए राष्ट्रमंडल खेल गांव में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से विभिन्न प्रकार के 1168 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। इनमें दो बेडरूम वाले-1 तीन बेडरूम वाले-765, चार बैड वाले-209 और 5 बैडरूम वाले-163 फ्लैट शामिल हैं।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह मामला रिट याचिका (सिविल) सं. 3703/11, 5161/11 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली नगर निगम के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष न्यायालय और दिल्ली नगर निगम के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है। तथापि, अब तक, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत 26 टावरों, जिनमें 908 फ्लैट हैं, के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र दिया गया है।

डीडीए में भ्रष्टाचार

2075. श्री एस. अलागिरी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जनता को मकान आबंटित करने में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें/रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने डीडीए में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और दिल्ली के उप-राज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं। अपने कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामले से निपटने के लिए इसका स्वयं का मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

(घ) डीडीए के अधिकारियों के विरुद्ध जन साधारण शिकायतें उपाध्यक्ष, (ङ): डीडीए को कार्यवाही हेतु जाती हैं। डीडीए अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य सतर्कता आयोग से प्राप्त भ्रष्टाचार के मामलों को डीडीए के मुख्य सतर्कता अधिकारी की जांच और रिपोर्ट हेतु भेजा जाता है।

[हिन्दी]

मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देना

2076. श्री कीर्ति आजाद: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम तैयार की है/चालू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष स्वीकृत/उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के काम में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) वैसे तो मिथिला संस्कृति के संवर्धन के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है, लेकिन सरकार, मिथिला संस्कृति सहित कला और संस्कृति के सभी रूपों की सुरक्षा, विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करती है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ऐसी स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन स्कीमों के अंतर्गत, मिथिला संस्कृति के संवर्धन में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन भी निधियों के अनुदान के लिए पात्र हैं।

विवरण

संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के ब्यौरे

क्र. सं.	स्कीम का नाम
1.	विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
2.	सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम (सीएफजीएस)
3.	स्वैच्छिक संगठनों को शताब्दी/वर्षगांठ के लिए अनुदान
4.	बौद्ध/तिब्बती कला एवं संस्कृति के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता।
5.	हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के विकास के लिए वित्तीय सहायता।
6.	सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम।
7.	भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता।
8.	पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रकाशन समारोहों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता।
9.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षाकृत्ति प्रदान करना।
10.	संस्कृति के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना।
11.	टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक अनुसंधान अध्येतावृत्ति।
12.	साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हों, तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।
13.	स्टूडियों थियेटरों सहित भवन अनुदान।
14.	टैगोर सांस्कृतिक परिसर
15.	क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता।
16.	विज्ञान शहरों एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए संशोधित मानदण्ड/दिशा-निर्देश
17.	राष्ट्रीय स्मारकों के विकास एवं रख-रखाव के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान।
18.	टैगोर स्मरणोत्सव अनुदान स्कीम (टीसीजीएस)

[अनुवाद]

किसानों के लिए राहत पैकेज

2077. श्री शिवराम गौडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त किसानों के लिए कोई राहत पैकेज अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने इसकी कुछ सिंचाई परियोजनाओं को उक्त पैकेज में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरणदास महंत): (क) से (ङ) सरकार ने सितंबर, 2006 में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के 31 अभिज्ञात आत्महत्या प्रवण जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रु. की राशि का पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है। कर्नाटक में बेलगांव, हासन, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, कोडागू तथा शिमोगा नामक 6 जिलों को पैकेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। पैकेज के अंतर्गत गतिविधियों/कार्यक्रमों में ऋण से दबे हुए किसानों की मुश्किलों को कम करने के लिए किसानों के लिए ऋण राहत, संस्थागत ऋण की संशोधित आपूर्ति, कृषि फसल केन्द्रित कार्यक्रम, सुनिश्चित सिंचाई सुविधा, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार तथा कृषि समर्थिन सेवाएं तथा बागवानी के माध्यम से सहायक आय के सुअवसर, पशुधन, डेयरिंग तथा पशु पालन आदि शामिल है। पैकेज की क्रियान्वयन अवधि 30.9.2011 को समाप्त हो गई है। कर्नाटक के लिए पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत 2689.64 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था जिसमें प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई गतिविधियों के 1280.71 करोड़ तथा लघु सिंचाई गतिविधियों के लिए 458.10 करोड़ रु. शामिल है।

138-39

पुलिस कर्मियों का दांडिक अभियोजन

2078. श्री पूर्णमासी राम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कर्मियों के दांडिक अभियोजन के लिए आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4/5 जून, 2011 की रात्रि में बाबा रामदेव तथा उनके अनुयायियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दिनांक 23 फरवरी, 2012 के अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि कुछेक पुलिस कार्मियों का वहां के जन समुदाय के साथ बर्ताव बहुत सहयोगपूर्ण था और उन्होंने रामलीला मैदान खाली करने में उनकी मदद की, जबकि कुछ अन्य पुलिसकर्मी उग्र हो गए थे और उन्होंने उन पर डण्डे बरसाकर चोटें पहुंचायी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस के गलती करने वाले ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रारम्भिक जांच करने और गलती करने वाले अधिकारियों की पहचान करने तथा प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध की जाने वाली विभागीय कार्रवाई की प्रकृति की सिफारिश करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पुलिस स्टेशन कमला मार्किट में दिनांक 09.03.2012 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336 के तहत एक नई एफ आई आर संख्या 24/12 दर्ज की गई है।

पाम तेल की खेती

2079. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पाम तेल की खेती के विस्तार हेतु कोई योजना स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरणदास महंत): (क) और (ख) तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का (आइसोपाम) के केन्द्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम के अंतर्गत आयलपाम विकास कार्यक्रम वर्तमान में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, ओडिशा, केरल तथा महाराष्ट्र के अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

आइसोपाम के अंतर्गत पौध रोपण सामग्री, 4 वर्षों के लिए पौध रोपण का रख-रखाव, कृषि आदानों, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, डीजल पंप सेटों की स्थापना, प्रशिक्षण, बेकार भूमि का विकास, विस्तार तथा प्रचार, स्थापना तथा स्टाफ, प्रदर्शनों, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंतर्गत पत्ता-पोषाहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं तथा जीनोटाइप का परीक्षण तथा नवीन हस्तक्षेपों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

आइसोपाम के अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 2011-12 के दौरान मिजोरम सहित 8 संभावित राज्यों में 60,000 हैक्टे. क्षेत्र लाने के लिए आयलपाम क्षेत्र विस्तार (ओपीएई) कार्यक्रम शुरू किया है। ओपीएई में क्षेत्र विस्तार, महत्वपूर्ण हस्तक्षेप, सहायता का पैटर्न, अनुसंधान एवं विकास घटक, संस्थागत संबंध, मॉनिटरिंग आदि के लिए राज्य विशिष्ट लक्ष्यों को दर्शाते हुए एक कार्यनीति शामिल है।

एचबीएल शुगर मिल का कार्यकरण

2080. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासन में कुप्रबंधन के कारण वर्तमान पिराई सत्र में एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लि. (एचबीएल) द्वारा संचालित चीनी मिलें/संयंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हितधारकों, विशेषरूप से गन्ना उत्पादकों में असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान सत्र के दौरान मिल बंद रखने के क्या कारण हैं;

(ग) शिकायतों के निपटान हेतु उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या (एचबीएल) मिल/संयंत्र द्वारा एथनोल के उत्पाद के कारण फैलने वाले प्रदूषण से इस क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लिमिटेड (एच.बी.एल.) की लौरिया और सुगौली इकाइयों चालू चीनी मौसम 2011-12 से पेराई कार्य शुरू कर दिया है। 15.3.2012 तक उनका पेराई निष्पादन निम्न प्रकार से है:-

	पेरा गया गन्ना (लाख क्विंटल में)	चीनी का उत्पादन किया गया (लाख क्विंटल में)	वसूली प्रतिशतता
लौरिया	14.00	0.55	7.08
सुगौली	14.32	0.69	8.30

इसके अलावा बिहार सरकार ने सूचित किया है कि एच.बी.एल. इकाइयों ने केवल इस वर्ष ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, इसलिए उन्हें प्रारंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, एच.बी.एल. की दोनों इकाईयां किसानों के गन्ना मूल्य बकायों का शीघ्रता से भुगतान कर रही है।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि दोनों इकाइयां आज तक चल रही हैं।

(ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में निहित प्रावधानों के अनुसार चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान सुपुर्दगी के 14 दिनों के भीतर करना बाध्यकर है अन्यथा 14 दिनों से अधिक विलंबित अवधि के लिए शेष राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय हो जाएगा। गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान से संबंधित उक्त आदेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकारों को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं और निहित हैं, जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन हैं।

(घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी] 142

डेयरी विकास कार्यक्रम

2081. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सघन डेयरी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पूरी तरह कब तक लागू की जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित और जारी की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 6 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा 3806.62 लाख रुपए की कुल लागत से इन 6 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	कवर किए गए जिले	अनुमोदन की तारीख और परियोजना अवधि*	अनुमोदित परिव्यय	जारी कुल धनराशि	स्थिति
1.	गुना और नरसिंहपुर	1993-94 से 2007-08	494.06	494.06	पूरी हो गई
2.	खारगांह, छत्तरपुर, सतना और रीवा	7.3.1996 1995-96 से 2007-08	475.28	475.28	पूरी हो गई
3.	झाबुआ	29.9.2005 2005-06 से 2008	228.89	192.44	चल रही है
4.	छिंदवाड़ा और बालाघाट	29.9.2005	420.58	361.77	चल रही है
5.	हरदा, भरवानी, नीमच, शिवपुर और शियोनी	30.3.2077 2006-07 से 2009-10	1422.09	743.27	चल रही है
6.	देवास, धार, खंडवा और बेतुल	16.2.2012	765.72	356.34	चल रही है
			3806.62	2623.16	

*पूरे क्रियान्वयन का समय अनुमोदित परियोजना के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा धनराशि के पूरा उपयोग किए जाने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कुट्टानाड पैकेज

2082. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के कुट्टानाड पैकेज के तेजी से कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुट्टानाडू पैकेज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजना हेतु निधियां जारी कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरणदास महंत): (क) और (ख) कुट्टानाड पैकेज के तीव्र कार्यान्वयन के लिए, कुट्टानाड तथा अलपुझा प्रोस्परिटी कोसिंल तथा कार्यान्वयन तथा प्रबंधन समिति और परियोजना प्रबंधन वाले एक कार्यान्वयन यंत्रीकरण के गठन को सरकार ने अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने केरल सरकार के साथ निरंतरता के आधार पर पैकेज में, कार्यान्वयन मामलों के समाधान के लिए एक समन्वय समिति का भी गठन किया है।

(ग) से (ङ) केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुट्टानाड पैकेज के अंतर्गत 1292.58 रु. की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 90.24 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई है, 4098.60 करोड़ रु. पर विचार के लिए प्रस्तुत की गई है।

सहकारी चीनी मिलों को ऋण

2083. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खोई आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु सहकारी चीनी मिलों को ब्याज रहित ऋण देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दालों का निर्यात

2084. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दालों के मूल्यों में विगत कुछ माह के दौरान वृद्धि का रुख रहा है और अब इनके मूल्य इस वर्ष मार्च तक नीचे आ सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दो वर्षों में दाल के निर्यात का ब्यौरा क्या है और दाल की देश में अधिक मांग के साथ-साथ इसके मूल्यों में तेजी के बावजूद इसके निर्यात के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों से उपलब जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान, चने की दाल को छोड़कर, दालों के थोक मूल्यों में कमी दिखाई दी है।

(ग) दालों का निर्यात दिनांक 27.06.2006 से प्रतिबंधित है। दिनांक 7.3.2007 से काबुली चने के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। जैविक दालों के निर्यात की अनुमति, 10,000 टन की सीमा में रहते हुए, कतिपय शर्तों के अध्यधीन 2011-12 में ही दी गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान दालों के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष/अवधि	दालों का निर्यात	
	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
2009-10	99915	407.35
2010-11	204848	848.86
अप्रैल 11 से नवम्बर 11	121397	740.23*

*अप्रैल-नवम्बर के आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस.

विश्वव्यापी खाद्य मूल्यों का कृषि पर प्रभाव

2085. श्री अरुण यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक तथा खाद्य और कृषि संगठन के अध्ययनों का निष्कर्ष है कि हाल ही में विश्व में खाद्य मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और फसलों के लाभकारी मूल्यों और इसके निर्यात पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरणदास महंत): (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक जो अनाजों, मीट, सब्जी, तेलों एवं चीनी जैसी महत्वपूर्ण खाद्य सामग्रियों के मूल्यों का सूचक है में 2007-08 में रिकार्ड स्तरों तक वृद्धि हुई तथा उसके पश्चात वृद्धि संतुलित रही परन्तु पूर्व 2007-08 की तुलना में उच्च रही थी। फरवरी, 2011 से जून, 2011 में सूचकांक में दूसरी ओर तेजी से वृद्धि हुई एवं तत्पश्चात सूचकांक में मासिक उतार-चढ़ावों के साथ घटती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी थी। इसी तरह की प्रवृत्ति विश्व बैंक खाद्य मूल्य सूचकांक में भी पाई गई थी। मुख्य अनाज निर्यातक देशों द्वारा रख-रखाव किए गए भंडारों के मौसम एवं ड्रा-डाउन के कारण में वैश्विक अनाज की खपत, अत्यधिक भिन्न वैश्विक अनाज आपूर्ति में संतुलित परन्तु धीमी वृद्धि से वैश्विक अनाज बाजारों एवं विस्तृत खाद्य मूल्य अस्थिरता दोनों में अनिश्चित वृद्धि का सामंजस्य स्थापित किया गया है। तेल एवं ऊर्जा उच्च मूल्य, उर्वरकों, सिंचाई तथा ढुलाई की लागत में वृद्धि, खाद्य उत्पादन के स्थान पर बायो-ईंधनों का उत्पादन, अनिश्चित लेनदेन निर्यात प्रतिबंधों जिसके परिणामस्वरूप जमाखोरी एवं कम खरीदारी वैश्विक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व बैंक अध्ययनों द्वारा दर्शाए गए कुछ अन्य कारण हैं। वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं-

कृषि एवं खाद्य संगठन संबंधी खाद्य मूल्य सूचकांक

(2002-2004=100)

वर्ष	खाद्य मूल्य सूचकांक (समायोजित)	अनाज मूल्य सूचकांक	तेल मूल्य सूचकांक	चीनी मूल्य सूचकांक
1	2	3	4	5
1/2011	203.5	215.3	245.8	369.6
2/2011	209.3	227.5	247.3	367.9
3/2011	204.1	221.0	230.2	327.5
4/2011	206.6	233.4	229.5	304.0
5/2011	203.7	229.8	229.5	274.6
6/2011	205.3	227.9	227.8	314.6
7/2011	203.4	217.4	222.5	352.2
8/2011	202.9	222.0	215.7	346.3
9/2011	198.0	214.9	210.6	333.3
10/2011	189.9	203.5	197.3	317.7
11/2011	190.4	201.3	206.6	299.0
12/2011	185.4	191.4	200.1	287.6
1/2012	193.0	202.0	212.0	303.2
2/2012	195.2	205.9	216.5	310.4

अनाजों के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि से निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं आयातों को हतोत्साहित किया जाएगा यदि इन जिन्सों का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तथापि, चूंकि भारत में कृषि जिसों के आयातों एवं निर्यातों का निर्धारण घरेलू अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है, खाद्य फसलों के उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का घरेलू मूल्यों पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति पर अपनी सिफारिश करते समय, अन्य संबंधित कारकों के अलावा, सामान्य मूल्य स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति का ध्यान रखता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश 146-47

2086. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन के मद्देनजर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भारी निवेश के अवसरों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरणदास महंत): (क) जी हां, महोदया।

(ख) और (ग) विजन दस्तावेज वर्ष 2005 में तैयार किया गया था और सरकार ने उसे स्वीकार किया था। विजन दस्तावेज ने क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रणनीति सुझाई थीं सरकार द्वारा विजन दस्तावेज वर्ष 2005 में तैयार किया गया था और उसे स्वीकार किया गया था। विजन दस्तावेज में इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रणनीति सुझाई है। अपनाए गए विजन 2015 में शीघ्र सड़ने-गलने वाले पदार्थो के प्रसंस्करण स्तर में वर्ष 2015 तक 20% बढ़ोत्तरी करने, मूल्यवृद्धि 35% और विश्व खाद्य व्यापार में भारत के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% करने की व्यवस्था की गई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2015 तक 1000 हजार करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया था जिसमें से, 10,000 करोड़ रुपये सरकार से प्राप्त होंगे। तदनुसार, मंत्रालय ने इस क्षेत्र में अपेक्षित निवेश आकर्षित करने के लिए 11वीं योजना स्कीमें तैयार की हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अनेक पहलें की हैं और मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धित केन्द्रों एवं बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है। अवसंरचना स्कीम में अवसंरचना सहायता एवं सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला सहित अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण जोन की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, सरकार ने कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदों पर सीमाशुल्क में कमी जैसे अनेक उपाय किए हैं। १५७-५९

पीडीएस संबंधी कार्यबल

2087. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यूआईडी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों में महत्वपूर्ण मानने वाली नीलकेनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट की उपेक्षा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्यबल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने नेशनल इन्फोरमेटिक सेन्टर द्वारा विकसित प्लेटफार्म अर्थात पीडीएस कामन सर्विसेज प्लेटफार्म पर आधारित कम्पयूटरीकरण हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश तैयार कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क की वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) श्री नंदन नीलेकणि, अध्यक्ष, भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण की अक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है, जो संबंधित लाभभोगियों को मिट्टी के तेल एल.पी.जी. तथा उर्वरक पर राजसहायता की सीधे अंतरण करने के लिए समाधान की सिफारिश करेगा तथा उसे कार्यान्वित करेगा। कार्यबल के विचाराधीन विषयों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार को कवर करने के लिए विस्तार किया गया है। कार्यबल ने 2.11.2011 को माननीय वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में अनय बातों के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करने, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क कहा जाएगा, के लिए समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियान्वित और प्रचालित करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आम साफ्टवेयर मंच का विकास किया जा सकता है जिसमें इसे नीतियों, मूल्य और प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप बनाने के लिए लचीला रुख अपनाने की अनुमति होगी।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक कामन सर्विसेज प्लेटफार्म तैयार किया गया है, जिसका राज्यों द्वारा अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

एप्लीकेशन साफ्टवेयर, की मुख्य विशेषताएं, नामत: स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर, आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण (छत्तीसगढ़

माडल) और फूड कूपन तथा बार कोडेड राशन कार्ड (गुजरात माडल) भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं। रज्ज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी विशिष्ट जरूरत के अनुसार माड्यूल का चयन करें और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ परामर्श करते हुए क्रियान्वयन योजना तैयार करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने के प्रति विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय-सीमा सहित आगे और निदेश भी भेजे गये हैं।

(ङ) सरकार सार्वजनकि वितरण प्रणाली नेटवर्क स्थापित करने के लिए आगे कार्रवाई कर रही है।

[हिन्दी] १५१

लघु सिंचाई योजना

2088. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई योजना के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसकी क्या उपलब्धियां रही; और

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में उक्त योजना के तहत गुजरात को कितनी राशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) गुजरात में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों के खेत में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा रही है। अब तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 2.53 लाख किसान लाभान्वित हुए।

(ख) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान गुजरात को स्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियों की राशि निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित निधियां
2008-09	150.77
2009-10	146.56
2010-11	120.00
2011-12	130.95

लोक-नृत्य को प्रोत्साहन

2089. कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड जैसे नवसृजित राज्यों की विभिन्न लोक-नृत्य शैलियों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) हालांकि, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखड जैसे नवगठित राज्यों में लोक नृत्य रूपों के संवर्धन के लिए कोई विशेष स्कीम तैयार नहीं की गई है, "विनिर्दिष्ट मंचकला परियोजनओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की स्कीम" तथा "सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम" नामक जारी स्कीमों के तहत पूरे देश के सभी राज्यों के लोक नृत्यों सहित में कला के सभी रूपों के संवर्धन के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी), जिनके मुख्यालय, पटियाला, इलाहाबाद, उदयपुर, कोलकाता, तजावुर, नागपुर और दीमापुर में हैं, की स्थापना देश की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति के परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए की गई है। छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के सीमा क्षेत्र में है। झारखंड, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के सीमा क्षेत्र में है और उत्तराखंड, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र और उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के सीमा-क्षेत्र में है। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, विभिन्न लोक नृत्य रूपों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करते है।

(i) राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(ii) गुरु शिष्य परंपरा स्कीम।

(iii) युवा प्रतिभावान कलाकार स्कीम।

(iv) लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन।

(v) लोकतरंग-राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव और ऑक्टेव।

(घ) संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

पत्र-सूचना कार्यालय

2090. डॉ. संजय सिंहः
राजकुमारी रत्ना सिंहः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पत्र-सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो) के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्यां सरकार इन उद्देश्यों को हासिल कर पा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पत्र-सूचना कार्यालय के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) सरकार ने पत्र-सूचना कार्यालय के कार्यकरण को सशक्त करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) का उद्देश्य केन्द्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों व उपलब्धियों के बारे में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना का प्रसार करना है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय प्रैस विज्ञप्तियां, पृष्ठभूमि नोट, विशेष आलेख आदि नियमित रूप से जारी करता है तथा उनको कार्यालय की वैबसाइट 'www.pib.gov.in' पर अपलोड भी करता है। यह कार्यालय मीडिया के लिए सूचना का प्रसार करने हेतु प्रैस दौरों, प्रैस सम्मेलनों, मीडिया ब्रीफिंग्स व साक्षात्कारों का भी आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, पत्र सूचना कार्यालय प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में आधारभूम स्तर के लक्षित लाभार्थियों तक सीधे सूचना पहुंचाने के लिए "भारत निर्माण जन सूचना अभियान" का भी आयोजन करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान, पत्र सूचना कार्यालय ने, अभी तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 527 जन सूचना अभियानों (पीआईसी) का आयोजन किया है।

(घ) से (च) पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संसदीय समितियों, योजना आयोग आदि द्वारा कार्यालय के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसे मंचों पर की गई सिफारिशों को पत्र सूचना कार्यालय के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उसके कार्यकरण की सुचारूता में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

फॉर्मेट व विषय-वस्तु की दृष्टि से मीडिया की जरूरतों के अनुरूप सेवाओं के वितरण में सुधार और नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ अनुकूलन एक सतत प्रक्रिया है। पत्र सूचना कार्यालय सूचना का अधिक त्वरित प्रसार सुनिश्चित करने के लिए, जिसे ई-मेल और पीआईबी की वैबसाइट पर प्रैस विज्ञप्तियों, छायाचित्रों आदि की पोस्टिंग करके मूर्तरूप प्रदान किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों का उत्तरोत्तर रूप से प्रयोग करता रहा है। यह कार्यालय श्रव्य-दृश्य माध्यमों के प्रयोग हेतु अपनी वैबसाइट पर स्ट्रीमिंग वीडियो के रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के वीडियो प्रस्तुत कर रहा है और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की वैबकास्टिंग भी कर रहा है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का आयात

2091. श्री सुरेन्द्रसिंह नागरः क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खाद्य पदार्थों के आयात से देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी अनेक भारतीय कंपनियों की ओर ध्यान दिया है जो अपने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन हेतु मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए हुए विदेशी कंपनियों के ब्रांड नामों का उपयोग कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हित संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारमूलक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) इस मंत्रालय ने देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात के प्रभाव का कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में भारतीय कंपनियों को दो कंपनियों के बीच पारस्परिक समझौते के अनुसार प्रौद्योगिकी को आयात करने और विदेशी कंपनियों के ब्राण्ड नामों का प्रयोग करने की अनुमति दी

जाती है। प्रौद्योगकियों के आयात और विदेशी कंपनियों के ब्राण्ड नामों के प्रयोग से भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता मिलती है और उपभोक्ताओं को किस्मों का विकल्प बेहतर गुणवत्ता और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

(घ) और (ङ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ इसके निर्माण को विनियमित करने के लिए भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना की गई है। यह सुनिश्चित करते समय की देश में अपनाया गया संरक्षण का स्तर कम न हो, खाद्य प्राधिकरण का अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों एवं घरेलू खाद्य मानकों के बीच तालमेल को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसी यूनिटों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है। उल्लंघन की दशा में चूककर्ताओं पर अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार दंड देने की कार्रवाई/कानूनी कार्रवाई की जाती है।

न्यायालयी प्रयोगशाला

2092. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में जांच एजेंसियों के सहायतार्थ एक अत्याधुनिक न्यायालयी प्रयोगशाला (फोरेसिक लेबॉरटरी) स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात की ओर से विधेयक

2093. श्री सी.आर. पाटील:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने 'गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (गुजकोक), विधेयक, (गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गलाइज्ड क्राइम बिल), 2003 को पुनः केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त 'गुजकोक' विधेयक को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां। गुजरात राज्य सरकार ने राज्य विधान मंडल द्वारा यथापारित और गुजरात के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे गए गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को पुनः प्रस्तुत किया है जो गृह मंत्रालय में दिनांक 11.11.2009 को प्राप्त हुआ था।

(ख) राष्ट्रपति ने दिनांक 22.01.2012 को विधेयक पर अपनी सहमति रोक दी है क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के संदेश में दिए गए निदेशों के अनुसार उक्त विधेयक केखण्ड 16 और 20 में कोई भी संशोधन नहीं किया था। इसकी सूचना दिनांक 31.2.2012 को गुजरात के राज्यपाल के सचिव को दे दी गई है।

व्यक्तियों की गिरफ्तारी

2094. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा कई निर्दोष व्यक्तियों को अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण के बिना गिरफ्तार किया गया जिन्होंने कई वर्ष जेल में काटे और बाद में अदालत ने उन्हें प्रथम-दृष्ट्या कोई साक्ष्य न पाने के कारण रिहा कर दिया, जैसा कि मालेगांव गम-विस्फोट काण्ड में हुआ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानक निर्धारित किए गए हैं तथा जांच एजेंसियों के विरुद्ध क्या दण्डिक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का जांच एजेंसियों द्वारा ठोस प्रमाण के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार करने विषयक नियमों की समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार निर्दोष व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा किस प्रकार करने का विचार रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) विद्यमान कानून और उनके अधीन बनाए गए नियम अभिमुक्त के अधिकार और विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपनारी कार्रवाई दोनों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विफलता

2095. श्री पी. कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास हेतु चलाया गया वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) नहीं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की एक उप स्कीम के रूप में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) केवल 2011-12 में प्रायोगिक आधार पर 10 राज्यों अर्थात राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रारंभ किया गया था। उपलब्ध डाटा के अनुसार आएडीपी के अंतर्गत लगभग 1.2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। आएडीपी की मुख्य विशेषताएं हैं:-

(i) मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर फोकस करते हुए किसान केन्द्रित पहुंच।

(ii) फार्म स्तर पर सतत आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा के लिए संयुक्त फार्मिंग।

(iii) शेष उत्पदन प्रणालियों से अनुपूरक उत्पादक के माध्यम से संभावित फसल विफलताओं के प्रभावों को न्यूनतम करने में किसानों की मदद के लिए एकीकृत फार्मिंग प्रणाली।

(iv) कलस्टर दृष्टिकोण को अपनाना।

राज्यों की प्रतिक्रिया के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन हस्तक्षेपों को बारहवीं योजना के दौरान जारी रखा गया है।

खेल नीति

2096. श्री सी. शिवासामी: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खेल संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में खेल विकास के लिए अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित नीति कब तक लाई जाएगी?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी नहीं। खेलों के संबंध में नई राष्ट्रीय नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि खेलों में बड़ी संख्या में सहभागिता और उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 पर्याप्त है।

(ग) और (घ) खेल राज्य का विषय है। अत: खेलों के विकास पर अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता सहित खेलों के विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारें की है। तथापि, केन्द्रित सरकार खेल अवसंरचना को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा खेलों में बड़ी संख्या में सहभागिता और खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के माध्यम से "सभी के लिए खेल" के उद्देश्यों की पूर्ति में राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूचना के अधिकार के दायरे में खेल परिसंघ

2097. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री ओमप्रकाश यादव:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) सहित विभिन्न खेल संघों/परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाने का विचार है ताकि इनके कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इन परिसंघों व बीसीसीआई की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार की ओर से अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या बीसीसीआई को आयकर, सीमा-शुल्क में छूट तथा स्टेडियमों हेतु रियायती उदर पर भूमि इत्यादि जैसे विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों सहित बीसीसीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाने की आवश्यकता के लिए समय-समय पर आवाज उठायी गई है। तदनुसार सरकार ने अप्रैल, 2010 में 10.00 लाख रुपए या इससे अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया था। न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों में राष्ट्रीयों में राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विशेषकर उनके द्वारा देश में राष्ट्रीय टीम के चयन और खेलों के नियंत्रण तथा विनियमन संबंधी राज्य जैसे कार्यों के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए लोक प्राधिकरण के रूप में समझा गया है, जिसके कारण ये खेल परिसंघ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के रिट अधिकारिता के अंतर्गत भी आते हैं। उपर्युक्त के होते हुए सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के मसौदे में बीसीसीआई सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें एथलीटों से संबंधित व्यक्तिगत/गोपनीय सूवलर को संरक्षित करने संबंधी अनुच्छेद से छूट का प्रावधान है।

(घ) और (ङ) जहां तक विशेषकर बीसीसीआई का संबंध है भारत सरकार बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में मानती चली आ रही है और में प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा विदेशों में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए बीसीसीआई के प्रस्ताव का अनुमोदन करती रही है। केन्द्र सरकार की बीसीसीआई को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती। परंतु केन्द्रीय सरकार बीसीसीआई को आयकर, सीमा शुल्क आदि में रियायतें देती रही है। राज्य सरकारों ने भी क्रिकेट एसोसिशनों को कई स्थानों पर भूमि उपलब्ध करायी है।

धारा 80 (जी) 92 (viii) (सी) के अनुसार और कर निर्धारितियों द्वारा एक कंपनी होने की हैसियत से भुगतान की गई धनराशि के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ या भारत में स्थापित किसी अन्य संघ अथवा संस्था को पूर्ववर्ती वर्ष में दान के रूप में केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में (i) खलकूद के लिए अवसंरचना विकास (ii) खेलकूद के प्रायोजन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों को विनिर्दिष्ट कर सकती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्र होने के कारण बीसीसीआई को धारा 12 (ए) सपठित धारा 17 (ए) के अंतर्गत एक चेरिटेबल संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसे कर छूट का लाभ भी मिल रहा था। राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत बीसीआई का किया गया पंजीकरण दिसम्बर, 2009 में 1 जून, 2006 से वापिस ले लिया गया। बीसीसीआई ने 30.6 2006 तक नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एक चैरिटेबल संगठन के रूप में कर छूट का लाभ लिया है।

क्र.सं.	वर्ष	छूट धनराशि
1.	1997-98	11,01,44,329
2.	1998-99	18,18,20,87,740
3.	1999-00	8,37,14,734
4.	2000-01	36,01,22,999
5.	2001-02	42,98,07,762
6.	2002-03	31,46,41,089
7.	2003-04	2628,78,110
8.	2004-05	33,46,89,451
9.	2005-06	32,99,98,557
10.	2006-07	127,51,52,718

2007-08 के बाद से उक्त अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत निर्धारिती का पंजीकरण हटा लिया गया है और मूल्यांकित आय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	मूल्यांकित आय	मांग
1.	2007-08	274,86,30,510	118,03,75,711
2.	2008-09	608,30,07,010	257,12,20,954

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विविभाग) ने सूचित किया है कि अधिसूचना सं. 07/11-कस्टम दिनांक 9.2.2011 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कांउसिल विश्वकप 2011 के आयोजन

के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट खेल सामग्री, चिकित्सा, फोटोग्राफिक, प्रसारण और कार्यालय उपकरणों में छूट को छोड़कर बीसीसीआई को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सर्विस टैक्स में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है।

[अनुवाद] 15-9-6।

एनएसएसओ का किसान संबंधी सर्वेक्षण

2098. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने देश के किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) देश में किसानों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2003 में स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं को "कृषक परिवारों की आय, व्यय और उत्पादक परिसंपत्तियां, 2003" शीर्षक की एनएसएस रिपोर्ट संख्या 497 में प्रकाशित किया गया है तथा उसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने कृषि विकास में तेजी लाने तथा फार्म आय में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र में पूंजीनिवेश में बढ़ोत्तरी करने संबंधी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने फार्म ऋण की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है, उच्चतर कृषि दबाव वाले क्षेत्रों के लिए एक पुनर्वाय पैकेज क्रियान्वित किया है, ऋण छूट संबंधी एक वृहत कार्यक्रम क्रियान्वित किया है, बेहतर फसल बीमा योजनाएं शामिल की हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति के माध्यम से किसानों के आय अर्जन अवसरों में सुधर किया है आदि।

विवरण

"कृषक परिवारों की आय, व्यय तथा उत्पादन परिसंपत्तियां, 2003" शीर्षक की एनएसएस रिपोर्ट संख्या 497 के दिशानिर्देश

लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषक परिवार थे जो खेती, पौध रोपण, पशुपालन, मात्स्यिकी, मधुमक्खी पालन तथा अन्य कृषि क्रियाकलापों जैसी खेती संबंधी क्रियाकलापों में कार्यरत रहते थे।

प्रति 100 अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के कृषक परिवारों के लिए मात्र एक ट्रैक्टर था, जबकि प्रति 100 अन्य पिछड़े वर्ग के कृषक परिवारों के लिए 3 ट्रैक्टर तथा प्रति 100 अन्य कृषक परिवारों के लिए 5 ट्रैक्टर थे।

10 अथवा उससे अधिक हैक्टेयर भूमि का धारण करने वाले बहुसंख्यक कृषक परिवारों में से, प्रति 100 परिवारों के लिए 38 ट्रैक्टर थे। 4-10 हैक्टेयर वाले मध्यम आकार के फार्म के साथ प्रति 100 परिवारों के लिए 18 ट्रैक्टर थे। 04-1.0 हैक्टेयर की श्रेणी वाली भूमि के साथ छोटे किसानों के लिए, प्रति 100 परिवारों के लिए एक मात्र ट्रैक्टर था।

अन्य श्रेणियों के कृषक परिवारों की तुलना में जनजातीय कृषक परिवार के अधीन बड़ी संख्या में गोपशु स्वामी हुआ करते थे। प्रति 100 जनजातिये कृषक परिवारों के लिए गोपशु स्वामी थे। जबकि अनुसूचित जाति के कृषक परिवारों के पास 98 अन्य पिछड़े वर्ग के कृषक परिवारों के पास 126 तथा प्रति 100 कृषक परिवारों के लिए अन्यों के पास 132 गोपशु स्वामी थे।

जबकि प्रति 100 कृषक परिवारों के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के किसानों के पास 40 से 45 भैंसे थीं, प्रति 100 कृषक परिवारों के लिए अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी हेतु 78 से 80 भैंसे थीं।

न्यूनतम मासिक व्यय वर्ग अथवा निर्धनतम स्तर के कृषक घरों के पास प्रति 100 परिवार 31 भैंस थीं, जबकि उच्चतम मासिक व्यय वर्ग के पास प्रति 100 परिवार 113 भैंस थीं।

एक कृषक परिवार की औसत मासिक आय, खेती से 969 रुपए होती थी। मजदूरी अर्जित करने पर 819 रूपए था जबकि प्रति कृषक परिवार के लिए गैर फार्म व्यापार से 236 रुपए तथा पशुओं के पालन से आय मात्र 91 रुपए थी।

उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद एवं रख-रखाव में कृषक परिवारों द्वारा किए गए औसत मासिक व्यय, फार्म संबंधी परिसम्पत्तियों के लिए 81 प्रतिशत, आवासीय मकान के लिए 13 प्रतिशत तथा गैर फार्म व्यापार के लिए 6 प्रतिशत था।

लगभग 58 प्रतिशत किसानों के पास कुछ फार्म पशु थे। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत परिवारों ने डेयरी उद्योग पर औसतन 814 रुपए प्रति माह खर्च किया। कृषक परिवार जो कुक्कुट कार्य में व्यस्त थे ने कुक्कुट पालन पर औसनत 129 रुपये प्रति माह खर्च किया।

कुल वार्षिक खेती पर व्यय का ब्यौरा यह दर्शाता है कि 23 प्रतिशत व्यय उर्वरकों एवं खादों, 22 प्रतिशत मजदूरी प्रभारों के मद में, 16 प्रतिशत बीजों तथा 12 प्रतिशत सिंचाई के लिए था।

सर्वेक्षण से यह पता चला कि कुल मासिक उपभोक्ता व्यय के मद में आंकलित औसत कृषक परिवार का जीवन स्तर अखिल भारतीय स्तर पर और ग्रामीण परिवारों की तुलना में भिन्न नहीं था।

पशु-आहार एवं चारा विकास योजना

2099 श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2010-2011 और 2011-12 के दौरान केन्द्र-प्रायोजित पशु-आहार एवं चारा विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में गुजरात राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है और लंबित प्रस्तावों को मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां।

(ख) इस विभाग को 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

वर्ष	विभाग का नाम	राशि (लाख रुपए में)
2010-11	पशुपालन	1573.80
		5123.08
		1152.43
		32.68
	वन विभाग	275.00
2011-12	पशुपालन	467.50
	वन विभाग	275.00

(2) जारी धनराशि का ब्यौरा:

वर्ष	विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए में)	जारी धनराशि (लाख रुपए में)
2010-11	पशुपालन	630.43	300.00 (2010-11 में) 330.43 (2011-12 में)
	वन विभाग	250.00	250.00
2011-12	पशुपालन	2076.083	1038.00

(ग) शेष धनराशि निधि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पहले ही जारी निधियों की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट मिल जाने के बाद जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

कश्मीर के संबंध में वार्ताकारों की रिपोर्ट

2100. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर के संबंध में नियुक्त किए गए वार्ताकारों ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) जी, हां। वार्ताकारों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को सरकार को प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्र

2101. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वनियोजित कृषि-स्नातकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "कृषि क्लीनिक" और कृषि-व्यापार केन्द्र "स्थापित करने की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों में इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरणदास महंत): (क) जी हां।

(ख) कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अप्रैल, 2002 में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र की स्थापना (एसीएबीसी)" शुरू की। इस स्कीम के उद्देश्य हैं:-

(i) बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमाधारी, कृषि में इन्टरमीडिएट और कृषि संबंधित पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर के साथ जैवविज्ञानीय विज्ञान स्नातक को लाभदायक स्वरोजगार अवसर प्रदान करना;

(ii) कृषि विकास सहायता; और

(iii) किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं को विस्तार सेवाएं आवश्यक रूप से प्रदान करते हुए सार्वजनिक विस्तार के पूरक प्रयास।

स्कीम की प्रमुख विशेषताएं:

(i) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) इस स्कीम के प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात एक वर्ष का प्रारंभिक सहायता का अनुसरण करके कृषि उद्यमिता विकास पर चुने हुए अभ्यर्थियों को "दो माह" का नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ii) इस स्कीम में व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 20 लाख रुपये और सामूहिक परियोजना के लिए 100 लाख रुपये तक की ऋण सहायता (प्रारंभिक ऋण) का प्रावधान है।

(iii) इसमें स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त बैंक ऋण पर ऋण सम्बद्ध पार्श्वांत मिश्रित सहायता का प्रावधान है। महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 44% और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 36% राजसहायता है।

(iv) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बैंक के माध्यम से कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय को राजसहायता का आहरण और ऋण सहायता की मॉनीटरिंग के लिए एजेंसी कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) स्कीम के आरंभ से कुल 27894 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से 9949 ने फरवरी तक कृषि उद्यान स्थापित कर लिया है।

स्कीम के अंतर्गत देश में गुजरात सहित (प्रशिक्षित अभ्यर्थी और स्थापित उद्यम) लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एसीएबीसी खरीफ के अंतर्गत राज्यवार प्रशिक्षित अभ्यर्थी और स्थापित कृषि उद्‌यम

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
		प्रशिक्षित अभ्यर्थी	स्थापित कृषि उद्यम	प्रशिक्षित अभ्यर्थी	स्थापित कृषि उद्‌यम	प्रशिक्षित अभ्यर्थी	स्थापित कृषि उद्यम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	46	39	85	24	120	52
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	6	0
3.	असम	66	17	86	42	57	27
4.	बिहार	271	170	150	66	125	23

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	चंडीगढ़	0	0	1	0	0	1
6.	छत्तीसगढ़	0	13	36	1	0	12
7.	दिल्ली	1	0	1	0	5	1
8.	गोवा	0	0	0	0	1	0
9.	गुजरात	57	12	143	37	104	34
10.	हरियाणा	69	18	70	27	32	23
11.	हिमाचल प्रदेश	32	12	33	1	35	24
12.	जम्मू और कश्मीर	174	29	169	35	150	29
13.	झारखंड	93	15	26	10	22	24
14.	कर्नाटक	160	65	188	105	129	39
15.	केरल	26	4	0	8	0	0
16.	मध्य प्रदेश	1	1	40	9	89	17
17.	महाराष्ट्र	360	207	507	162	920	357
18.	मणिपुर	68	8	27	33	23	15
19.	मेघालय	0	0	2	0	0	1
20.	मिजोरम	1	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	85	1	33	10	0	0
22.	ओडिशा	0	0	29	0	68	21
23.	पुदुचेरी	13	7	12	10	16	11
24.	राजस्थान	62	12	69	12	35	36
25.	सिक्किम	137	41	107	31	210	101
26.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
27.	तमिलनाडु	268	53	282	180	418	237
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	512	285	439	308	657	207
30.	उत्तराखण्ड	0	0	28	0	0	0
31.	पश्चिम बंगाल	0	1	0	0	2	0
	कुल	2503	1010	2564	1111	3224	1292

[हिन्दी] 167-70

धान का उत्पादन

2102. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में धान का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्तावधि के दौरान धान के उत्पादन में वृद्धि/कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने धान का उत्पदन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष अथात् 2008-09 से 2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में धान (चावल के मद में) के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ख) 2009-10 एक सूखा वर्ष, जिसने देश में मुख्य चावल उत्पादक राज्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया को छोड़कर 2008-09 से देश में चावल के समग्र उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

(ग) और (घ) देश में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार विभिन्न फसल विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही है नामत: बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एनएफएसएम-चावल) तथा एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम-चावल (आईसीडीपी-चावल)। इसके अलावा सतत् आधार पर चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भी उच्च पैदावार, कीटप्रतिरोधक एवं जैविकीय सौहार्द किस्मों आदि के विकास के लिए अनेकों अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।

विवरण

2008-09 से 2011-12 के दौरान चावल का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन: (000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	14241.0	10538.0	14418.0	11919.0
अरुणाचल प्रदेश	163.9	215.8	234.0	#
असम	4008.5	4335.9	4736.6	4483.0
बिहार	5590.3	3599.3	3102.1	6755.6
छत्तीसगढ़	4291	4110.4	6159.0	6245.7
गोवा	123.3	100.6	115.0	#
गुजरात	1303.0	1392.0	1496.6	1508.0
हरियाणा	3298.0	3625.0	3472.0	3769.0
हिमाचल प्रदेश	118.3	105.9	128.9	106.3

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	563.1	497.4	507.7	504.6
झारखंड	3420.2	1538.4	110.0	3301.1
कर्नाटक	3802.0	3691.0	4188.0	3892.0
केरल	590.3	598.3	522.7	550.8
मध्य प्रदेश	1559.7	1260.6	1772.1	1783.6
महाराष्ट	2284.0	2183.0	2696.0	2712.0
मणिपुर	397.0	319.9	521.7	#
मेघालय	203.9	206.7	207.0	#
मिजोरम	46.0	44.3	47.2	#
नागालैंड	345.1	240.3	381.4	#
ओडिशा	6812.7	6917.5	6827.7	6857.5
पंजाब	11000.0	11236.0	10837.0	10536.0
राजस्थान	241.1	228.3	265.5	257.2
सिक्किम	21.7	24.3	21.0	#
तमिलनाडु	5182.7	5665.2	5792.4	5982.6
त्रिपुरा	627.1	640.0	702.5	#
उत्तर प्रदेश	13097.0	10807.1	11992.0	13502.0
उत्तराखंड	582.0	608.0	550.4	499.0
पश्चिम बंगाल	15037.3	14340.7	13045.9	15120.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.1	24.9	23.9	#
दादरा और नगर हवेली	23.4	13.5	20.8	#
दिल्ली	31.4	29.0	29.4	#
दमन और दीव	3.8	3.3	3.3	#
पुदुचेरी	50.8	52.4	52.0	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	2359.2
अखिल भारत	99182.5	89092.9	95979.8	102744.2

* 3.2.2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

अन्यों में शामिल थे, एनए: लागू नहीं

[अनुवाद]

171-72

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान

2103. श्री एस. सेम्मलई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में स्थापित कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्या-क्या कार्यकलाप किए गए कितने कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ख) क्या आकाशवाणी के केन्द्रीय अभिलेखागारी में संरक्षित रिकॉर्डिंग-अभिलेखों को डिजिटलीकृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में शुरू की गई विशेष परियोजना पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि यह संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभियांत्रिकी-कार्मिकों की प्रशिक्षण संबधी जरूरतों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा निम्नलिखित अन्य कार्यकलाप निष्पादित किए जाते हैं:-

- विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना।
- तकनीकी नियम-पुस्तिकाएं तैयार करना और उन्हें अद्यतन बनाना।
- सुरक्षा संबंधी नियम-पुस्तिका तैयार करना।
- त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित करना।

प्रशिक्षण संबंधी ब्यौरा:

वर्ष 2009 से 2011 तक के गती तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या = 4547

वर्ष 2012 (जनवरी व फरवरी) के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या = 228

(ख) आकाशवाणी के केन्द्रीय अभिलेखागार में परिरक्षित अभिलेखनीय रिकॉर्डिंग को डिजिटलीकृत करने के लिए वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई विशेष परियोजना को पूरा कर लिया गया है।

(ग) 43,000 टेपों को डिजिटलीकृत कर लिया गया है, जिसमें कुल 16,000 घंटे के कार्यक्रम हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 172-73

खाद्यान्न की मांग

2104. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 से 2006-07 की अवधि के दौरान खाद्यान्न-उत्पादन केवल एक प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न की कुल मांग के वर्ष 2021 तक 280 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए वार्षिक-वृद्धि दर कितनी होना अपेक्षित है; और

(ङ) देश में खाद्यान्न की उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) देश में खाद्यान्न उत्पादन 1.88 प्रतिशत की औसत वार्षक वृद्धि दर के साथ 1997-98 में 193.12 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 217.28 मिलियन टन तक हो गया है।

उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्न में उत्पादन में कम वृद्धि के कारणों में शामिल है- कृषि के लिए व्यापार के मद में गिरावट, उर्वरक उपयोग की वृद्धि में कमी, कृषि को कम बिजली आपूर्ति तथा अनाजों से पृथक आहार विविधता।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केन्द्र (एनसीएपी) द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार, 2020-21 तक खाद्यान्नों की कुल मांग को 280.6 मिलियन टन तक प्रक्षेपित किया गया है। खाद्यान्नों के चालू वर्ष के अनुमानित उत्पादन के 250.42 मिलियन टन को ध्यान में रखते हुए (दूसरे अग्रिम अनुमानों), 2020-21 के दौरान खाद्यान्नों के 280.6 मिलियन टन के उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए 1.34 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि अपेक्षित होगी।

(ङ) देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (एमएमए) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो नए कार्यक्रमों अर्थात पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास की शुरुआत की गई है। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामतः असम एवं झारखंड को शामिल करके 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों के प्रति 1000 हैक्टेयर वाले 1000 एककों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी') नामक एक नया कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है।

उच्चतर कृषि उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) फसल सुधार से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान, कृषि जैविकीय क्षेत्रों के अनुसार स्थान विशिष्ट किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास सहित विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल लाभप्रद फसल पद्धतियों के मद में इन फसलों के उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियां, गैर-परंपरागत क्षेत्रों एवं मौसम के उपयुक्त संबंधित उत्पादन के उपयुक्त किस्मों/हाईब्रीडों तथा संबंधित उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य कर रहा है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षेत्रों के साथ भिन्न-भिन्न कृषि जैविकीय क्षेत्रों की बेहतर अनुकूलता के साथ उन्नत किस्मों/हाईब्रीडों वाली फसलों को विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने तथा उसे अपनाना फ्रंटलाइन प्रदर्शन (एफएलडी) के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मदर डेयरी द्वारा घी और 'धारा' ब्रांड के उत्पादों की बिक्री

2105. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मदर डेयरी' दिल्ली में अपने विक्रय केन्द्रों पर घी और 'धारा' ब्रांड के उत्पाद अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रही है जबकि यही उत्पाद केन्द्रीय भंडार में अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दर पर उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस पर क्या सुधारमूलक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां।

(ख) यह बताया गया है कि केन्द्रीय भंडार घी और धारा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से कम दाम पर बेचता है। खुदरा बिक्री केन्द्रों को उपभोक्ता सामान (उत्पादन की लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य की अनिवार्य छपाई) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत सामान को एम आर पी से अधिक दाम पर बेचने की अनुमति नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के मानक

2106. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने/सुधारने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां महोदया।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में अपनी गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एंव विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम के अंतर्गत देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों द्वारा एचएसीसीपी/आईएसओ 22000, आईएसओ 14000, बेहतर स्वास्थ्यकर पद्धतियां (जीएचपी), बेहतर निर्माण पद्धतियां (जीएमपी), गुणवत्ता/सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्कीम के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकार के संगठन, आईआईटी और विश्वविद्यालय सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियां परामर्श शुक्ल, प्रमाणन एजेंसी शुल्क, आईएसओ-14000,

आईएसओ-22000, एचएसीसीपी, जीएमपी और जीएचपी सहित समग्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% परन्तु अधिकतम 15 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 75% परन्तु अधिकतम 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न पणधारियों जैसे केन्द्र/राज्य सरका के संगठनों, आईआईटीज, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के संगठनों को अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस प्रकार स्थापित खाद्य परीक्षण सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को क्षेत्र के आसपास उनके उत्पादों के परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को अधिसूचित किया है जिसमें खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना की परिकलपना की गई है।

यह सुनिश्चित करते हुए कि देश में स्वीकृत किया गया संरक्षण स्तर के साथ समझौता नहीं किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों तथा घरेलू खाद्य मानकों के बीच सामन्जस्य को बढ़ावा देने के लिए भी खाद्य प्राधिकरण को अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है।

[अनुवाद] 175-78 [illegible]

प्रोटीन पूरक आहार के लिए राष्ट्रीय मिशन

2107. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में 'प्रोटीन पूरक आहार के लिए राष्ट्रीय मिशन- (एनएमपीएस) नामक एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने एनएमपीएस के अधीन वित्तीय सहायता की मांग का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक राज्य सरकारों को आबंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने इस वित्त वर्ष अर्थात् 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हिस्से के तौर पर "राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन" (एनएमपीएस) नामक योजना आरंभ की है। यह योजना 300 करोड़ रुपए के परिव्यय से 22 अभिज्ञात किए गए राज्यों में क्रियान्वयनाधीन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित समय-सीमा के भीतर से भरपूर पशु उत्पाद उत्पादित करने में राज्यों की मदद करना है। एनएमपीएस के तहत घटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एनएमपीएस के तहत वित्तीय सहायता मांगने संबंधी प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रस्तावों का ब्यौरा	राशि (लाख रुपए में)
1.	मात्स्यिकी क्षेत्र	
	(क) जलाशय मात्स्यिकी का विकास	334.00
	(ख) तालाब और पोखरों में सघन जलकृषि	570.00
2	डेयरी विकास क्षेत्र:	
	(क) उत्तरी कर्नाटक के डेयरी सहकारिता समितियों में दुग्ध एकत्रण प्रक्रिया स्वचालितकरण	136.00
	(ख) दूध देने वाली गायों के (सांड माता) रहने के लिए गोपशु शेड का निर्माण	360.00
	(ग) डेयरी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के तहत बछड़ी पालन योजना	450.00
	कुल	1850.00

(ङ) इस वित्त वर्ष 2011-12 में डेयरी और मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को 1850.00 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। कर्नाटक राज्य सरकार को आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	क्षेत्र	आवंटित राशि (लाख रुपए में)	जारी राशि (लाख रुपए में)
1.	मात्स्यिकी क्षेत्र	904.00	904.00
2.	डेयरी विकास क्षेत्र	946.00	956.00
	कुल	1850.00	1850.00

विवरण

राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन (एनएमपीएस)

एनएमपीएस के तहत घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. **डेयरी विकास:** इस योजना का नाम 150 करोड़ रु. के आवंटन से राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन के तहत डेयरी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के रूप में रखा गया है। इस योजना के तहत पशुपालन, और डेयरी विकास क्रियाकलापों के विस्तार के लिए परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है। इसमें क्रियान्वयन के लिए पहचान किए गए क्षेत्र में उत्पादकता उन्नयन कार्यक्रम पशु सांद्रित आहार में पोष्टिकता संतुलन का उन्नयन, चारा विकास क्रियाकलाप और दुग्ध खरीद का उन्नयन, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी मूलभूत सुविधा जैसे उपायों के माध्यम से दूध देने वाले पशुओं की उत्पादकता को वरीयता दी गई है।

2. **मात्स्यिकी:** मात्स्यिकी क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों जिसको एनएमएसपी के तहत लिया गया है, में 100 करोड़ रुपए के जलाशय मात्स्यिकी का विकास और तालाब और पोखरों में सघन जलकृषि।

3. **बकरी पालन:** बकरी पालन क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों जिसको एनएमएसपी के तहत लिया गया है, 25 करोड़ रुपए के आवंटन से सघन बकरी उत्पादन प्रणाली और समुदाय में क्षमता निर्माण के साथ पारंपरिक बकरी उत्पादन को समर्थन है।

4. **सूअर पालन:** सूअर पालन क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों जिसको एनएमएसपी के तहत लिया गया है, 25 करोड़ रुपए के आवंटन से सूअर प्रजनन और गुणनीकरण यूनिटों के माध्यम से उच्च श्रेणी के संकर नस्ल के सूअर के बच्चों की उपलब्धता को बढ़ाना है।

आरकेवीवाई के तहत डेयरी विकास, मात्स्यिकी, सूअर पालन और बकरी विकास के घटकों वाले एनएमपीएस के विस्तृत दिशा निर्देशों को भागीदार राज्यों को जारी कर दिया गया था। इन राज्यों को अपने स्तर पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) की संस्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया था।

178-

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

2108. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ कमांडो में से एक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को रूस, फ्रांस आदि के कमांडो फोर्स के साथ मिलकर कार्य करने का निदेश दिया है ताकि इस बल को नवीनतम आतंक विरोधी तकनीकों की जानकारी मिलती रहे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सर्वश्रेष्ठ कमाण्डो फोर्स में एक ऐसी फोर्स है जो बन्धक बनाए जाने/विमान अपहरण की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी हमला करने में विशेषज्ञता रखती है। यह प्रशिक्षित एवं सुसज्जित है और किसी भी प्रकार की आपरेशनल स्थिति के लिए रण-बांकुरा है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, संबंधित क्षेत्रों में हुई अद्यतन प्रगति से अवगत रहने के लिए विश्व के अन्य विशिष्ट बलों के साथ नियमित अन्तर-सम्पर्क करता रहता है।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गारद भारत और विदेश दोनों में फ्रांस और जर्मनी की विशिष्ट फोर्सो के साथ संयुक्त प्रशिक्षण लेने का कार्य करता है। इसी प्रकार के संयुक्त प्रशिक्षण की योजना अन्य देशों के विशिष्ट बलों के साथ बनायी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, रूस और यू एस ए में इसके सहयोगी संगठनों के साथ वरिष्ठ स्तर पर अन्तर-सम्पर्क करता है।

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ

178-82

2109. श्री अधीर चौधरी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निधि के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थो समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिन्हें अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) निधियां स्कीमवार आबंटित की जाती हैं और इसीलिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लिए कोई विशिष्ट निधियां उदिष्ट नहीं की गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 29.02.2012 कुल 135.86 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

बागवानी फसलों का उत्पादन

2110. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उद्यान मिशन के शुरू होने के समय से बागवानी फसलों के उत्पादन में कई गुणा वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और उत्तरपूर्व एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) की स्कीमों के कार्यान्वयन से देश में बागवानी फसलों के उत्पादन में नियमित वृद्धि हुई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ागवानी फसलों के उत्पादन और चालू वर्ष के लिए अनुमानित उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बागवानी फसलों का उत्पादन

उत्पादन 000 मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	120.7	133.7	142.6	148.7
2.	आंध्र प्रदेश	18987.2	20483.3	23324.5	24107.4
3.	अरुणाचल प्रदेश	261.4	190.3	208	208
4.	असम	4679.3	6327.6	5074.8	5237.8
5.	बिहार	17123.2	17386.4	18556.8	18556.8
6.	चंडीगढ़	2.8	2.8	2.8	1.8
7.	छत्तीसगढ़	4086.4	4889.2	5943.6	6272.2

1	2	3	4	5	6
8.	दादरा और नगर हवेली	24.2	24.2	5.5	5.5
9.	दमन और दीव	0.2	0.2	0	0
10.	दिल्ली	624.1	624.1	503.5	495
11.	गोवा	266.5	253.2	251.4	251.4
12.	गुजरात	13204.7	14818.2	17595.9	17478.1
13.	हरियाणा	4245.7	4386.7	5144.7	5338.8
14.	हिमाचल प्रदेश	1919.6	1803.3	2526.2	1880.7
15.	जम्मू और कश्मीर	2715.3	3079.0	3780.8	3725
16.	झारखंड	4055.0	4276.5	4914	4843.9
17.	कर्नाटक	14967.7	15098.9	17797.9	17573.7
18.	केरल	10274.9	10228.9	10196.3	10359.1
19.	लक्षद्वीप	51.8	55.4	55.3	55.3
20.	मध्य प्रदेश	6862.6	6391.8	7693.3	9307.9
21.	महाराष्ट्र	17827.8	17236.9	17540.2	20724.2
22.	मणिपुर	524.0	511.5	547	547
23.	मेघालय	797.6	799.7	686.9	686.9
24.	मिजोरम	330.6	610.2	459.7	592.3
25.	नागालैंड	269.7	342.3	270.8	270.8
26.	ओडिशा	10506.9	11306.9	10298.5	10526.5
27.	पुदुचेरी	131.8	131.5	44.9	47.4
28.	पंजाब	4720.0	5057.4	5105.8	5333.9
29.	राजस्थान	1804.9	2339.6	2403.9	2403.9
30.	सिक्किम	155.4	207.9	199.1	204.8
31.	तमिलनाडु	20880.1	18305.9	22662.9	21947.1
32.	त्रिपुरा	796.9	1049.2	1210.7	1192
33.	उत्तर प्रदेश	23601.4	28013.9	23279.5	24196.3
34.	उत्तराखंड	1832.8	1755.7	1790.8	1790.8
35.	पश्चिम बंगाल	25997.8	25287.3	30207.6	30853
	कुल	214650.9	223409.4	240426.2	247164.0

183-90

अधिशेष स्टॉक की बिक्री

2111. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास उपलब्ध खाद्यान्नों का कुल अधिशेष स्टॉक कितना है;

(ख) क्या एफसीआई ने अधिशेष स्टॉक की खुले बाजार में बिक्री का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव किए गए तथा बिक्री किए गए खाद्यान्न की मात्रा तथा उनका आरक्षित मूल्य कितना है;

(घ) इस प्रकार के खाद्यान्नों की कम बिक्री के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपलब्ध अधिशेष स्टॉक के प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) केन्द्रीय पूल में 1.3.2012 की स्थिति के अनुसार 212.55 लाख टन गेहूं 331.78 लाख टन चावल उपलब्ध था, जबकि पहली जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार बफर और रणनीतिक मानदंड का संयुक्त रिजर्व 112 लाख टन गेहूं और 138 लाख टन चावल है।

(ख) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक का उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण योजनाओं और खुला बाजार बिक्री योजना के लिए आवंटन करने हेतु किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान लक्षित सार्वजनकि वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण योजनाओं और खुला बाजार बिक्री योजना के लिए 292.91 लाख टन गेहूं और 356.7 लाख टन चावल का आवंटन किया गया है। वर्ष 2012.13 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु 499 लाख टन और अन्य कल्याण योजनाओं हेतु 27 लाख टन खाद्यान्नों का पहले ही अग्रिम आवंटन कर दिया गया है।

खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री करने हेतु और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लघु/प्राइवेट व्यापारियों को बिक्री करने के लिए इसके अतिरिक्त 9 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गया है। हय आवंटन अक्तूबर 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए वैध है। भारतीय खाद्य निगम को 3 लाख टन गेहूं का रिजर्व भी दिया गया है ताकि भारतीय खाद्य निगम इसका आवंटन ऐसे राज्यों को कर सके जहां मौजूदा आवंटन समाप्त हो गया है।

(ग) खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री करने हेतु और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लघु/प्राइवेट व्यापारियों को बिक्री करने के लिए गेहूं के आवंटन और उठान के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में तथा गेहूं के बिक्री मूल्य/रिजर्व मूल्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री करने हेतु और लघु/प्राइवेट व्यापारियों को बिक्री करने के लिए आवंटित 61% गेहूं का फरवरी 2012 तक उठान कर लिया गया है और आवंटन की वैधता गेहूं की खरीददारी न करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 मार्च, 2012 तक तथा गेहूं की खरीददारी करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 मार्च 2012 तक है। खुला बाजार में गेहूं की कम उपलब्धता की इस अवधि के दौरान अधिकतम उठान/बिक्री होने की आशा है। इस स्कीम के अधीन गेहूं की संतोषजनक बिक्री हुई है।

(ङ) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक का उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण योजनाओं और खुला बाजार बिक्री योजना के लिए आवंटन करने हेतु किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण योजनाओं और खुला बाजार बिक्री योजना के लिए 292. 91 लाख टन गेहूं और 356.7 लाख टन चावल का आवंटन किया गया है। वर्ष 2012.13 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु 499 लाख टन और अन्य कल्याण योजनाओं हेतु 27 लाख टन खाद्यान्नों का पहले ही अग्रिम आवंटन कर दिया गया है।

विवरण I

खुला बाजार बिक्री योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से छोटे/निजी व्यापारियों की बिक्री और भारतीय खाद्य निगम के जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री के लिए गेहूं के आवंटन और बिक्री का ब्यौरा

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	बिक्री (फरवरी 2012 तक)	उठान का %
1	2	3	4	5
1.	बिहार	2260.14	0	0
2.	झारखंड	1642.26	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ओडिशा	33223.29		2491.01			7
4.	पश्चिम बंगाल	40354.67		1678.98			4
5.	सिक्किम	18.75		0			0
6.	असम	15141.38		806.49			5
7.	दिल्ली	151612.63		115165.44			76
8.	हरियाणा	66928.09		47761.4			71
9.	हिमाचल प्रदेश	641.26		0			0
10.	जम्मू और कश्मीर	157305.96		98463.34			63
11.	पंजाब	79055.79		82582			104
12.	चंडीगढ़	18539.7		6800			37
13.	राजस्थान	9904.23		2443.55			25
14.	उत्तर प्रदेश	28692.3		3709.39			13
15.	उत्तराखंड	18600.93		505			3
16.	आंध्र प्रदेश	36960.88		8044.1			22
17.	केरल	46404.66		18730.51			40
18.	कर्नाटक	194956.96		119993.52			62
19.	उत्तराखंड	69189.21		52894.78			76
20.	पुदुचेरी	13603.46		2379			17
21.	गुजरात	51444.43		48330.9			94
22.	महाराष्ट्र	125205.73		107690.71			86
23.	गोवा	25729.64		9057			35
24.	मध्य प्रदेश	10350.34		3405			33
25.	छत्तीसगढ़	2233.36		0			0
	जोड़	1200000.05		732932.12			61

विवरण

खुला बाजार बिक्री योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से छोटे/निजी व्यापारियों को बिक्री और भारतीय खाद्य निगम के जरिए थोक उपभोक्ताओं को निविदा बिक्री के लिए गेहूं का बिक्री मूल्य/रिजर्व मूल्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	17.10.2011 से खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दर (रुपए प्रति क्विंटल)	19.10.2011 से खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दर (रुपए प्रति क्विंटल)	17.01.2012 से खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) की दर (रुपए प्रति क्विंटल)	10.03.2012 से खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) कर दर (रुपए प्रति (क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	1186.074	1187.60	1187.60	1191.50
2.	चंडीगढ़	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
3.	पंजाब	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
4.	हरियाणा	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
5.	उत्तर प्रदेश	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
6.	उत्तराखंड	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
7.	राजस्थान	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1217.39	1217.83	1224.73	1226.96
9.	जम्मू और कश्मीर	1184.77	1185.52	1185.52	1188.89
10.	तमिलनाडु	1260.37	1265.52	1265.52	1288.71
11.	पुदुचेरी	1264.91	1270.32	1270.32	1303.41
12.	केरल	1277.87	1284.04	1284.04	1317.28
13.	आंध्र प्रदेश	1249.78	1254.31	1254.31	1274.73
14.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1389.22	1394.21	1394.21	1420.11
15.	लक्षद्वीप	1309.88	1315.58	1315.58	1343.41
16.	कर्नाटक	1263.22	1268.53	1268.53	1303.41
17.	बिहार	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
18.	पश्चिम बंगाल	1240.32	1244.30	1244.30	1265.67
19.	सिक्किम	1283.90	1287.83	1287.83	1310.15
20.	ओडिशा	1249.16	1253.65	1253.65	1274.73
21.	झारखंड	1235.80	1239.52	1239.52	1265.67
22.	असम	1246.76	1251.26	1251.26	1282.04

1	2	3	4	5	6
23.	अरुणाचल प्रदेश	1315.38	1320.15	1320.15	1346.12
24.	मेघालय	1308.43	1312.90	1312.90	1344.23
25.	त्रिपुरा	1300.85	1305.92	13056.92	1340.50
26.	मिजोरम	1297.42	1302.49	1302.49	1337.08
27.	नागालैंड	1264.37	1269.17	1269.17	1294.62
28.	मणिपुर	1430.27	1435.07	1435.07	1460.52
29.	महाराष्ट्र	1238.52	1242.39	1242.39	1265.67
30.	गोवा	1259.87	1264.99	1264.99	1288.71
31.	मध्य प्रदेश	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
32.	छत्तीसगढ़	1242.07	1246.15	1246.15	1265.67
33.	गुजरात	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
34.	दमन और दीव	1250.66	1254.28	1254.28	1270.56
35.	दादरा और नगर हवेली	1247.89	1251.50	1251.50	1267.78

भूख संबंधी सर्वेक्षण

2112. श्री नवीन जिंदल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूख के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों को पिछले कई वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में भूख के संबंध में आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण करवाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक भूख 'सूचकांक' पर हाल में एक रिपोर्ट जारी की है; और

(च) यदि हां, तो विभिन्न उप-मानदंडों सहित सूचकांक के अनुसार भारत की रैंकिंग का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) भुखमरी के संबंध में कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भुखमरी के संबंध में सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) इन्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अक्तूबर 2011 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला है। इस रिपोर्ट में 122 देशों के लिए सूचकांक की गणना की गई है और गणना में अंतिम रूप से शामिल किए गये 81 देशों में भारत का स्थान 67वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स समान रूप से तीन भार संकेतकों अर्थात (i) वर्ष 2005-07 की आबादी में कुपोषित अनुपात का प्रतिशत, (ii) वर्ष 2004-09 में 5 वर्ष से कम आयं के बच्चों में कम वजन की मौजूदगी का प्रतिशत और (iii) वर्ष 2009 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर के प्रतिशत पर आधारित है।

गेहूं का निर्यात

2113. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्ष के दौरान देश से गेहूं का निर्यात दुगुना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 9.9.2011 की अधिसूचना द्वारा खुले सामान्य लाईसेंस के अधीन प्राइवेट रूप से रखे गये स्टाक में से पहले ही गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है और 19.3.2012 की स्थिति के अनुसार 5.92 लाख टन गेहूं की मात्रा निर्यात कर दी गई है।

कृषि क्षेत्र में एफडीआई

2114. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहु-ब्राण्ड खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडभ्आई) का चार हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघु और सीमान्त किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कहीं से कृषि क्षेत्र में एफडीआई के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और राष्ट्रीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड परिषद ने भी कृषि क्षेत्र में एफडीआई का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या कपत्तियां उठायी गयी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ङ) सरकार ने "भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद" के माध्यम से "असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा के प्रभाव" विषय पर एक अध्ययन कराया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किसानों पर संगठित खुदरा के प्रभाव पर विचार किया गया। इसके बाद, सरकार ने सूचित नीति निर्धारण हेतु पणधारियों के विचार एवं टिप्पणियां प्राप्त करने के उद्देश्य से "बहु-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। टिप्पणियां किसानों सहित विभिन्न पणधारियों से प्राप्त की गई थीं। इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियां/विचार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वैबसाइट (www.dipp.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

वर्तमान नीति (2011 का परिपत्र 2 का पैरा 6.2.1- समेकित एफडीआई नीति) के अनुसार 2011 के परिपत्र 2-समेकित एफडीआई नीति के पैरा 6.2.1.1 में किए गए उल्लेख के अनुसार शर्तों के अध्यधीन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में 100% तक एफडीआई अनुमत है।

(i) विनियंत्रित अवस्थाओं में पुष्पखेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन और सब्जियों एवं मशरूम की खेती;

(ii) बीजों एवं रोपण सामग्री का विकास एवं उत्पादन

(iii) विनियंत्रित अवस्थाओं में पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित) मत्स्यपालन, जलकृषि और

(iv) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र से संबंधित सेवाएं

उक्त के अलावा, एफडीआई किसी अन्य कृषि क्षेत्र/गतिविधि में अनुमत नहीं है।

वर्तमान में, कृषि क्षेत्र से संबंधित एफडीआई नीति परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

खेलों में डोपिंग नीति

2115. श्री मनोहर तिरकी:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्यालय खेलों के दौरान प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और खेल स्पर्धा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने खेलों में डोपिंग की समस्या की अनुचित घटनाओं को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) विधा-वार और राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	विधा (खेलों की सं.)
1.	पंजाब	कुश्ती (1), भारोत्तोलन (1), मुक्केबाजी (2)
2.	महाराष्ट्र	कुश्ती (1), मुक्केबाजी (1)
3.	उत्तर प्रदेश	कुश्ती (1),
4.	दिल्ली	भारोत्तोलन (2)
5.	मणिपुर	मुक्केबाजी (1)
6.	चंडीगढ़	मुक्केबाजी (1)

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) स्थापित की गई है और यह 1.1.2009 से कार्य कर रही है। यह एजेंसी सूचना के प्रसार, शिक्षण सत्रों/सेमिनारों/कार्यालयों के माध्यम से डोपिंग के दुष्प्रभावों पर खिलाड़ियों, कोचों और सहायक कार्मिकों को शिक्षित करने तथा प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता न होने के दौरान एथलीटों के डोप-परीक्षण करने और एथलीटों सहित सभी स्टेकहोल्डों को मुद्रित शिक्षण सामग्री का वितरण करने सहित खेलों में डोपिंग से संबंधित सभी विषयों का संचालन करती है।

मछुआरों के लिए आवास योजना

2116. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राष्ट्रीय मत्स्य और वन्य जीव प्रतिष्ठान (एनएफडब्ल्यूएफ) आवास योजना के लिए 50,000/- रुपए की सहायता में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरों के निर्माण की लागत राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होती है और यह श्रम लागत, सामग्री की कीमत और मिट्टी की प्रकृति आदि पर निर्भर करती है;

(घ) यदि हां, तो इस सहायता को बढ़ाए जाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) क्या इस सुविधा को मछुआरों की विधवाओं को भी दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी नहीं। राष्ट्रीय मत्स्य और वन्यजीव फाउंडेशन (एनएफडब्ल्यूएफ) आवास योजना कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित नहीं की जाती है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को सुविधाएं

2117. श्री यशवंत लागुरी:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खिलाडियों की प्रतिभा के संवर्धन के लिए क्या पैकेज, नकद प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को अपने आप तराश रहे हैं और उक्त सुविधाएं और पैकेज का विभिन्न खेल परिसरों द्वारा अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भाखेप्रा की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के अवसर तथा नकद प्रोत्साहन दोनों ही तरह से सहायता प्रदान की जाती है।

(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की स्कीमें:-

(i) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम

(ii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्कीम

(iii) प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण स्कीम

(iv) अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार

(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन की स्कीम

(vi) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नामत: राजीव गांधी खेल रत्न,

अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार

(ख) भाखेप्रा (साई) की स्कीमें:-

(i) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कीम

(ii) भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्कीम

(iii) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)

(iv) सैन्य बाल खेल कंपनी (एबीएससी)

(v) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)

(ख) से (घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भाखेप्रा अभिज्ञात खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण और उनमें भाग लेने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता संबंधी स्कीम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटां और राष्ट्रीय चैम्पयिनशिप के आयोजन, गैर-साई खेल स्थलों में कोचिंग शिविरों के आयोजन तथा खेल उपकरणों की प्राप्ति के लिए संबंधित खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की जाती है जबकि मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की अन्य स्कीमों के अंतर्गत खिलाड़ियों को सीधे ही सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी गई निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए अनुदान दिया गया है, परिसंघों को संपरिक्षित लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं, जिनकी अगले वर्ष का अनुदान जारी करने से पहले विधिवत जांच एवं छानबीन की जाती है।

[अनुवाद] १९८

दूरदर्शन के कार्यक्रमों का अनुमोदन

2118. श्री के. सुगुमारः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के प्रस्ताव कब तक अनुमोदित/स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु प्रस्ताव प्रसार भारती में प्राप्त होते रहते हैं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारण हेतु कार्यक्रम-प्रस्ताव दूरदर्शन महानिदेशालय में प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारण के लिए विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए प्रस्ताव

चैनल/यूनिट का नाम	श्रेणी	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्ताव	प्रक्रियाधीन प्रस्ताव	रद्द किए गए प्रस्तावों की संख्या	टिप्पणी
उर्दू चैनल	कमीशंड	1047	-	1047	-	साक्षात्कार प्रक्रिया/मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और अंतिम अनुमोदन की सूचना आगामी वित्त वर्ष में भेजे जाने की संभावना है।
नेशनल चैनल	प्रोयाजि	5	3	-	2	-
मुख्यालय की केन्द्रीय कमीशनिंग यूनिट	कमीशंड	41	14	16	11	16 प्रस्तावों पर अंतिम अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जा रही है।
डीडी भारती	कमीशंड	3	-	3	-	प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

\ट 7 –

एमपीएफ स्कीम के अधीन छत्तीसगढ़ की श्रेणी

2119. श्री मुरारी लाल सिंहः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की योजना के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य को श्रेणी 'ख' में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू और कश्मीर तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के समान छत्तीसगढ़ को 'क' श्रेणी में रखने के लिए राज्रू सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य में नक्सलाद की समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को 'क' श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर को राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत 100% केन्द्रीय सहायता के लिए श्रेणी 'क' के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि उनक संसाधन आधार बहुत कम है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों को श्रेणी 'ख' के अंतर्गत रखा गया है और उन्हें 75% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा राज्य सरकारें शेष 25% के समतुल्य हिस्से का अंशदान करती हैं।

(ग) से (ङ) राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को 'ख' श्रेणी से अपग्रेड करके 'क' श्रेणी में रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सिख दंगों के गायब एफआईआर

2120. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1984 में सिखों के नरसंहार के दौरान रेवाड़ी, हरियाणा में होंद चितलर सामूहिक नरसंहार की गायब एफआईआर को ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जैसाकि भारत के संविधान में अनुसूची की सूची-27 राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 1 और 2 में उल्लिखित है, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हरियाणा राज्य सरकार ने उक्त घटना की जांच करने के लिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री टी.पी. गर्ग (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच आयोग पहले ही नियुक्त कर दिया है।

सुरक्षा बलों द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग

2121. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नक्सलियों से निपटते समय सुरक्षा बलों हेतु मानक कार्रवाई प्रक्रिया में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में सभी नक्सल प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्य योजना का विस्तार करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो नक्सल-विरोधी कार्रवाइयों के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए सुरक्षा बलों के विरुद्ध लगाई गई हैं। ऐसे मामलों में, राज्य सरकारें/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल जांच शुरू करती हैं और दोषी पाए जाने पर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय/आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 07 मामलों में मौद्रिक मुआवजा दिया गया है। भारत सरकार ने समस्त राज्य सरकारों/सीएपीएफ को वामपंथी उग्रवाद-विरोधी कार्रवाइयों के दौरान मानवाधिकार के उच्चतम मानकों का अनुपालन करने और यदि कोई उल्लंघन है, तो उससे सख्ती से निपटने के लिए निर्देष जारी किए हैं।

(ग) और (घ) नक्सल-विरोधी कार्रवाइयों के दौरान सुरक्षा बलों हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं गतिशील प्रकृति की हैं और वामपंथी उग्रवादी द्वारा अपनाई जाने वाली परिवर्तनशील रणनीति के आधार पर निरन्तर संशोधित की जाती हैं।

(ङ) और (च) एकीकृत कार्रवाई योजना (आई ए पी) इस समय 78 चुने गए जनजातीय एवं पिछड़े जिलों को कवर करती है जिसमें 66 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले शामिल हैं। आई ए पी का विस्तार समस्त नक्सल प्रभावित जिलों तक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

१९९-२००

फलों और सब्जियों की कीमत

2122. श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में फलों और सब्जियों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी लाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरा, फलों तथा सब्जियों हेतु थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) (आधार वर्ष 2004-05=100) निम्न प्रकार हैं:

अवधि	सब्जियां (थोक मूल्य सूचकांक)	फल (थोक मूल्य सूचकांक)	सब्जियां (प्रतिशतता परिवर्तन)	फल (प्रतिशतता परिवर्तन)
फरवरी, 2009	121.0	124.0	-	-
फरवरी, 2010	138.4	145.3	14.38	17.18
फरवरी, 2011	158.3	170.7	14.38	17.48
फरवरी, 2012	160.7	169.8	1.52	-0.53

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, सब्जियों के लिए माह-दर-माह सूचकांक में पूर्व वर्ष (2010) के अनुरूप माह में फरवरी 2011 में 14.38 प्रतिशत की तुलना में फरवरी, 2012 में 1.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु पूर्व वर्ष (2010) के अनुरूप माह में फलों के सूचकांक में फरवरी, 2011 के दौरान 17.48 की तुलना में फरवरी 2012 में (-) 0.53 की गिरावट आई है।

फलों तथा सब्जियों के मूल्य अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। इसमें शामिल है- मौसम अवस्थाओं के कारण उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण मांग तथा आपूर्ति में मेल न होना, परिवहन की लागत, भंडारण, आपूर्ति अड़चन, बिचौलिये की भूमिका, बढ़ती हुई आय के कारण बढ़ती हुई मांग, शहरीकरण आदि।

(ग) फलों तथा सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग देश में 2005-06 से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)" पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जिनको उत्तर पूर्वी तथा हिमालयन राज्यों (एचएमएनईएचएस) को बागवानी मिशन के अंतर्गत कवर किया गया है, को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को मिशन के अंतर्गत कवर किया गया है। इसके अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तत्वाधान के अंतर्गत 2011-12 के दौरान, नए कज्ञर्यक्रम नामतः शहरी समूहों (वीआईयूसी) के लिए सब्जी पहल की शुरुआत की है। इस योजना का कार्यान्वयन 29 राज्यों के प्रत्येक एक शहर में, जिसकी जनसंख्या एक मिलियन है अथवा कैपिटल सिटी में कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन (एक वर्ष 2011-12) के लिए किया जाएगा।

२००-०१

मछुआरों का कल्याण

2123. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश सहित देश में पारम्परिक मछुआरों के अधिकारों का संरक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश सहित देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मछुआरों के कल्याण के लिए कितनी निधि आवंटित की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) सरकार मछुआरा कल्याण तथा मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। पारंपरिक मछुआरे प्रादेशिक जल अर्थात् 12 समुद्री मील तक मत्स्यन संचालन करते हैं जहां राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। राज्य सरकारें अपने समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियमों के जरिए पारंपरिक मछुआरों द्वारा अनन्य

मत्स्यन के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित करती हैं। केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना इस उद्देश्य के साथ क्रियान्वित की जाती है कि बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएं अर्थात् मछुआरा घरों, ट्यूबवैल और समुदायिक केन्द्र का निर्माण। इसके अलावा, मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवर तथा मत्स्यन प्रतिबंध अवधि के दौरान वित्तीय समर्थन के जरिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। 11वीं योजना के दौरान, इस योजना के लिए बजट प्राक्कलन में 149.58 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना मांग आधिारित है, अत: राज्यों को अलग आवंटन नहीं किया जाता है।

[हिन्दी] 201-02

चीनी मिलों के लिए सहायता

2124. श्री राजू शेट्टी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2010-11 के दौरान महाराष्ट्र चीनी मिलों से चीनी विकास निधि (एसडीएफ) के अन्तर्गतसहायता मांगे जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राप्त अनुमोदित/लंबित अनुरोधों की संख्या, मांगी गयी और आवंटित निधि तथा लंबितता के कारण क्या हैं;

(ग) क्या एसडीएफ की बैठक आयोजित करने के लिए कोई समय-सीमा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान बैठकों की संख्या तथा इसके परिणाम क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र की चीनी मिलों से 314.69 करोड़ रुपये की राशि के ऋण के लिए 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। स्थायी समिति द्वारा 09 आवेदनों पर विचार किया गया था, उप समिति/जांच समिति द्वारा 11 आवेदनों पर विचार और संस्तुति की गई है तथा जांच समिति द्वारा 2 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गये हैं। उपर्युक्त में से एक चीनी कारखाने को 20.863 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

(ग) चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के अनुसार समिति यथा आवश्यक रूप से बैठकें कर सकती है लेकिन एक वर्श की हर तिमाही में इसकी कम से कम एक बैठक होगी।

(घ) 28.4.2010, 18.11.2010/24.11.2010 और 20.1.2011 को तीन बैठकें की गई 17 और 11 मामलों की सिफारिश की गई थी। जिनमें सभी राज्यों से प्राप्त 379.25 करोड़ रुपये की राशि के कुल ऋणों हेतु क्रमश: 19, 17 और 11 मामलों की सिफारिश की गई थी।

[अनुवाद] 202

कृषि उत्पाद पर अन्तर्राज्यीय कर

2125. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय किसी ऐसे कानून पर कार्य कर रहा है जिससे कृषि उत्पाद के व्यापारी एवं डीलर समान केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकरण कराकर बहुस्तरीय अंतर्राज्यीय करों से बच सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने कृषि उत्पाद और जिन्सों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा सम्पर्क को बढ़ावा देने, विकसित करने एवं विनियमित करने के लिए कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संपर्क (विकास एवं विनियंत्रण) बिल, 2012 का मसौदा तैयार किया है ताकि बहु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को टालने तथा आन्तरिक व्यापार अवरोधों को न्यूनतम करने के लिए एक साझा राष्ट्रीय स्तर बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लाभ के लिए ऐसे उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय अंतरण सरल बनाया जा सके। मसौदा बिल राज्यों के मामले में उनके विचार जानने हेतु भेज दिया गया है।

[हिन्दी] 202-03

बीज विधेयक में संशोधन

2126. श्री भाइसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीज विधेयक, 2004 में आवश्यक संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) बीज विधेयक, 2004 राज्य सभा में 9 दिसम्बर, 2004 को

पेश किया गया था तथा उस की जांच तथा रिपोर्ट के लिए उसे कृषि संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर मंत्रालय में विचार किया गया था तथा स्वीकृत अनुशंसाओं के आधार पर सरकारी संशोधन किए गए। तत्पश्चात जुलाई, 2010 में संसद के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिस पर कुछ और सुझाव स्वीकृत किए गए थे। तदनुसार 2011 में संसद के मानसून सत्र के दौरान कुल 75 सरकारी संशोधन किए गए थे तथा वर्तमान में बिल राज्य सभा के विचाराधीन लम्बित है।

[अनुवाद] रूपरेखा 203

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोहियों का समर्पण

2127. श्री के. सुधाकरण: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न संगठनों से संबंधित बढ़ी संख्या में विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिये हैं तथा जनवरी, 2012 में सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) 24 जनवरी, 2012 को, 9 (नौ) विभिन्न आतंकवादी गुटों अर्थात असम के आदिवासी कोबरा आतंकवादी (एसीएमए), विरशा कामान्डो फोर्स (बीएसएफ), आदिवासी पीपल्स आर्मी (एपीए), अखिल आदिवासी राष्ट्रीय लिबरेशन आर्मी (एएएनएलए), सन्थाल टाइगर फोर्स (एसटीएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए), यूनाइटेड कुकीगम डिफेन्स आर्मी (यूकेडीए), कुकी लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (के एल ओ), कुकी लिबरेशन आर्मी (के.एल.ए.) और हमार पीपल्स कन्वेन्शन (डेमोक्रेटिक) एच पी सी (डी) के 1695 काडरों ने सरकार से समाझौतापरक बातचीत के माध्यम से अपनी मांगों का समाधान हासिल करने के लिए केन्द्रीय गृह-मंत्री और असम के मुख्य मंत्री के समक्ष शस्त्र-समर्पण कर दिया।

असम की राज्य सरकार से इन समर्पणकर्ताओं के पुनर्वास के लिए समय-बद्ध आधार पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी गई है।

203-04

भारत-नेपाल की भेद्य सीमा

2128. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल की भेद्य सीमा से आतंकवादियों/अपराधियों के बच निकलने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत-नेपाल सीमा से आतंकवादियों के बचकर भाग निकलने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। तथापि, भारत-नेपाल सीमा पर विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधियों/तस्करों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत नेपाल सीमा प्राकृतिक रूप से खुली और सुभेद्य है। आतंकवादियों/अपराधियों सहित असामाजिक तत्वों द्वारा सीमा के उपयोग को रोकने और सीमा पर नाकाबंदी करने के लिए एस एस बी को भारत-नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल के रूप में तैनात किया गया है। सीमा पार से आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए एस एस बी द्वारा नियमित उपस्थिति, चौबीस घण्टे गश्त, औचक जांच और निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस भी निगरानी रख रही है। सुरक्षा संबंधी मुद्दों का नेपाल के साथ संस्थागत वार्ताओं के माध्यम से नियमित रूप से समाधान किया जाता है इन तंत्रों में गृह-सचिव स्तर की वार्ताएं, सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य दल, महानिदेशक सीमा शुल्क स्तर की वार्ताएं और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्शी समूह शामिल हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 29.02.2012 तक) के दौरान गिरफ्तार किए गए तस्करों की संख्या

राज्य	2009	2010	2011	2012 (दिनांक 29.02.2012 तक)	कुल
उत्तराखंड	101	201	7	2	311
उत्तर प्रदेश	714	1140	493	59	2406
बिहार	352	869	668	124	2013
पश्चिम बंगाल	338	287	179	13	817
सिक्किम	2	0	0	0	2
कुल योग	1507	2497	1347	198	5549

खाद्यान्न पर राजसहायता देने का प्रभाव

2129. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबों के लिए खाद्यान्न पर राजसहायता देने से किसानों को उनके उत्पाद का भुगतान कम मूल्य पर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों एवं लोगों के क्या विचार हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं। सरकार किसानों के उत्पाद के लिए उचित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के विनिर्दिष्ट फसलों के लिए मूल्य समर्थन प्रचालन कर रही है। मौजूदा खरीद नीति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, सरकार द्वारा नामित अन्य एजेंसियों, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे निर्दिष्ट केंद्रों पर लाए गए किसानों के उत्पाद के लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा किया जाता है। निर्दिष्ट फसलों के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक विपणन मौसम से पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अपनी सिफारिशें देते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा फसल विशेष के लिए अपेक्षित आदान लागत और प्रत्याशित उचित लाभ को हिसाब में लिया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण पर प्रतिबंध

2130. श्री के.पी. धनपालन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संरक्षित स्मारकों के आसपास निर्माण कार्य की अनुमति देने में मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संरक्षित स्मारकों के आसपास अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के उच्चतम न्यायालय का कोई निदेश आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) 'प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010' के उपबंधों में निर्धारित किए अनुसार केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के आस-पास के क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति देने अथवा न देने संबंधी मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जंतर मंतर मामले में सिविल अपील सं. 2430/2006, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाम नरेन्द्र आनन्द और अन्य में केंद्रीय सरकार और महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010' की धारा 20 क (3) और 20 (ग) के अंतर्गत उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुसार पारित आदेश को छोड़कर किसी प्रकार का आदेश पारित न करने के निदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तुगलकाबाद किले के मामले में एस.एन.भारद्वाज बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं अन्य की 2006 की सिविल अपील सं. 699 में दिनांक 8. 9.2011 के निर्णय में रोक आदेश रद्द कर दिया तथा संबंधित प्राधिकारियों को कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के निदेश दिए हैं।

स्मारकों पर सुविधएं

2131. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मंदिरों एवं स्मारकों का दौरा करने वाले पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु परियोजना कार्य शुरू किया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर हुए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित बहुधा देखे जाने वाले प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर शौचायल, पेयजल, सूचनापट्ट, पहुंच मार्ग, बैंच, ब्राशरों और सदर्शिकाओं आदि जैसी सुख-सुविधाओं का निर्माण अथवा उन्नयन किया गया है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने अथवा विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन पर मंडल-वार किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने अथवा विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन पर मंडल-वार किया गया व्यय

क्र.सं.	मंडलों के नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (आज तक)
1.	आगरा मंडल	40,47,792	7,20,244	1,08,38,145	73,77,639
2.	औरंगाबाद मंडल	25,96,544	64,94,711	32,77,028	82,40,709
3.	बंगलौर मंडल	12,97,126	16,00,183	46,88,544	20,56,010
4.	भोपाल मंडल	1,33,312	28,45,840	19,42,727	2,44,572
5.	भुवनेश्वर मंडल	8,28,480	282,745	12,56,780	2683,660
6.	चंडीगढ़ मंडल	20,99,567	34,62,738	8,98,684	6,85,646
7.	चेन्नई मंडल	41,25,822	29,44,926	14,52,887	-
8.	देहरादून मंडल	-	65,000	20,07,000	2,65,000
9.	दिल्ली मंडल	40,520	24,65,739	2,82,37,141	41,89,764
10.	धारवाड़ मंडल	29,24,767	40,07,969	61,22,739	39,77,653
11.	गोवा मंडल	9,87,821	6,11,319	5,99,925	4,67,824
12.	मुंबई मंडल	26,00,121	22,41,940	2,05,000	90,000
13.	गुवाहाटी मंडल	12,05,000	11,54,000	11,85,000	18,67,000
14.	जयपुर मंडल	15,00,000	20,00,000	25,00,000	15,00,000
15.	हैदराबाद मंडल	7,56,297	3,29,896	7,00,000	40,26,129
16.	कोलकाता मंडल	27,82,000	8,96,000	38,00,000	25,73,000
17.	लखनऊ मंडल	25,03,314	27,91,980	1,03,83,428	52,39,929
18.	पटना मंडल	10,61,570	5,33,782	12,10,058	28,47,563
19.	रायपुर मंडल	39,97,590	75,86,464	72,21,287	39,65,033
20.	रांची मंडल	16,86,964	1392173	11,90,400	5,57,279
21.	शिमला मंडल	78,240	3,80,799	6,56,668	4,30,000
22.	श्रीनगर मंडल	11,17,146	1,49,676	1,37,004	6,95,209
23.	त्रिशूर मंडल	7,01,561	21,97,194	3,14,629	89,681
24.	वड़ोदरा मंडल	14,62,776	34,69,890	41,01,190	72,57,758
25.	लघु मंडल लेह	-	-	-	2,00,000

709

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मेट्रो का वित्तपोषण

2132. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली में मेट्रो चरण-III के लिये अंशत: वित्तपोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में वास्तविक रूप से कितनी मांग लंबित है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि अधिकार प्राप्त मंत्रिमंडल (ईजीओएम) की दिनांक 09.08.2011 को आयोजित बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार, दिल्ली मेट्रो चरण-III के लिए डीडीए 1500 करोड़ रु. का अनुदान तीन सौ करोड़ रु. की पांच बराबर किस्तों में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक की अवधि में दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) को मुहैया करायेगा। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 300 करोड़ रु. की प्रथम किस्त डीएमआरसी को जारी की जा चुकी है।

(ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि इस संबंध में कोई मांग लंबित नहीं है।

209-10

बीआईएस मानक का उल्लंघन

2133. श्री रामसिंह राठवा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसी अनेक कंपनियों से अवगत है जो भारतीय मानक ब्यूरो मानकों (बीआईएस) का उल्लंघन कर रही है तथा उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो को विभिन्न कंपनियों और निर्माताओं द्वारा मानदंडों का अनुपालन न किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर कंपनी के परिसरों में छापे मारे जाते हैं और यदि शिकायत सही पाई जाती है जो न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतों, छापों और दायर किए गए अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या (स्वप्रेरणा से और शिकायत दोनों पर)	अभियोजनों (दायर किए मामलों की संख्या)
2008-09	80	156	135
2009-10	61	152	101
2010-11	33	135	71

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा सहायता

210-

2134. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों का नवीनतम उद्देश्य 'किसान पहले' है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) किसानों को राज्य-वार किए प्रकार सहायता दे रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) कृषि विज्ञान केन्द्र अपने प्रारंभ से ही किसानों के खेती में कृषि प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन और उन्हें अद्यतन बनाने के लक्ष्य सहित किसानों के लिए काम कर रहे हैं।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों से संबंधित कार्यकलापों में खेत परीक्षण और अग्रपंक्ति प्रदर्शन, जानकारी और दक्षता को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए विस्तार कार्यकलापों का आयोजन, बीज, रोपण सामग्री तथा पशुधन नस्ल/फिंगरलिंग्स का उत्पादन शामिल है। इसके अलावा चुने हुए विज्ञान केन्द्रों के कार्यकलापों में मृदा और जल नमूनों की जांच भी शामिल है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिदेश में प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन शामिल है। इस प्रकार, राज्य के विस्तार तंत्र को मजबूत बनाने तथा उपरोक्त क्रिया-कलापों के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

नकली शराब के कारण होने वाली मौतें

2135. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नकली एवं अवैध शराब के कथित सेवन से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने घातक मामलों की सूचना मिली तथा अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस प्रकार के अवैध व्यापार को रोकने हेतु तथा इस संबंध में कानून को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) नकली एवं अवैध शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु की राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, परिवहन, क्रय एवं विक्रय विशेष रूप से भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 के अन्तर्गत आते हैं और इसी कारणवश राज्यों को उनके उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, परिवहन, क्रय एवं विक्रय को विनियमित करने का विशेष अधिकार है। इसलिए राज्य सरकारें नकली शराब की बिक्री को नियंत्रित करने, नकली शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु की ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाने हेतु मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेवार हैं। भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' भी चूंकि राज्यों के विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारें अपने नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने के साथ-साथ अपराधों के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण तथा जांच करने और अपनी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के माध्यम से अपराधियों के अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेवार हैं। तथापि, संघ सरकार अपराध के निवारण के मामले को अधिकतम महत्व देती है तथा इसलिए राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंदर आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने पर अधिक ध्यान देने तथा अपराध के निवारण तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने की समय-समय पर सलाह देती रही है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान नकली/जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	44	42	164
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	2	32	3
4.	बिहार	86	42	25
5.	छत्तीसगढ़	28	5	18
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	91	68	107
8.	हरियाणा	69	6	27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	4	3
11.	झारखंड	18	45	27
12.	कर्नाटक	188	180	235
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	26	68	45
15.	महाराष्ट्र	51	20	8
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	4	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	1	69	15
21.	पंजाब	219	185	183
22.	राजस्थान	28	12	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	101	429	185

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	1	1	1
26.	उत्तर प्रदेश	56	82	47
27.	उत्तराखंड	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	335	136	88
	कुल (राज्य)	1350	1426	1181
	संघ राज्य शासित			
29.	अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	1	2
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली (संघ राज्य शासित)	8	23	19
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल (संघ राज्य शासित)	8	24	21
	कुल (अखिल भारत)	1358	1450	1202

स्रोत: 'भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं आत्महत्याएं'

[हिन्दी]

बाटला हाउस मुठभेड़

2136. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी विशेष एजेन्सी या न्यायिक जांच में माध्यम से बाटला हाउस मुठभेड़ जिसमें दिल्ली पुलिस शामिल थी की जांच करायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार (एन एच आर सी) ने बाटला हाउस मुठभेड़ की जांच स्वयं की थी और आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यह मुठभेड़ वास्तविक थी।

एमू का प्रजनन

2137. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के किसान दस वर्ष से भी अधिक समय से एमू का प्रजनन करा रहे हैं तथा किसानों को इससे अन्य पक्षियों एवं पशुओं के प्रजनन से मिलने वाले लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पक्षी के प्रजनन पर सब्सिडी देने का है तथा बिहार के छह जिलों में 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) पता चला है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के काफी उद्यमियों ने कुछ समय से एमू का प्रजनन कराने का कार्य शुरू किया है। लेकिन, ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि उन्हें इसमें अन्य पक्षियों और पशुओं का प्रजनन कराने की अपेक्षा ज्यादा लाभ मिल रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से पहले ही एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना 'कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष' कार्यान्वित कर रही है जिसमें अन्य मदों के साथ-साथ एमू के प्रजनन फार्म भी शामिल हैं। यह योजना बिहार सहित देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2011-12 से बैंकग्राह्य परियोजनाओं के लिए सब्सिडी का अनुपात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 33.3 प्रतिशत और अन्यों के लिए 25 प्रतिशत है। इससे पहले वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में यह योजना ब्याज मुक्त ऋण की पद्धति पर लागू थी।

[अनुवाद]

सस्ते ईंधन की तस्करी

2138. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक मत्स्यन नौकाएं समुद्री तस्करों से सस्ते ईंधन खरीदने के माध्यम से आतंकवादियों के जाल में फंस रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई; और

(ग) सरकार ने देश में सस्ते ईरानी ईंधन की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भारतीय मत्स्यन नौकाएं समुद्री तस्करों से सस्ते ईरानी ईंधन खरीदने के माध्यम से आतंकवादियों के जाल में फंस रही हैं।

(ग) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) और निकटवर्ती खुले समुद्र की निगरानी जहाजों तथा विमानों (एयरक्राफ्टों) द्वारा कर रहे हैं। तटीय निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सीमांतर्गत जलक्षेत्र में इन प्रयत्नों में वृद्धि की गई है।

215-16

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

2139. **डॉ. कृपारानी किल्ली:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में कंपनियों द्वारा 'इन हाउस' अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए कोई निवेश सम्बद्ध प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां महोदया।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास तथा उन्नत पैकिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा देने एवं शुरू करने के लिए अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों में सार्वजनिक वित्तपोषित संगठनों को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता दी गई:-

क्र.सं.	वर्ष	नई परियोजनाओं की संख्या	उपलब्ध कराई गई सहायता (लाख रुपए)
1.	2008-2009	10	376.47
2.	2009-2010	9	196.88
3.	2010-2011	10	222.51
4.	2011-2012 (चालू वर्ष 21.3.12 तक)	11	331.82
	कुल	40	1127.68

(ग) जी हां, महोदया।

(घ) केंद्रीय बजट 2011-12 में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को और बढ़ावा देने के लिए 'इन हाउस' अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय पर भारित कटौती 150% से बढ़ाकर 200% कर दी गई है। इसके अलावा, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एसोसिएशनों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को किए गए भुगतान पर भारित कटौती 125% से बढ़ाकर 175% कर दी गई है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2011 की धारा 35 एडी का संशोधन जारी किया है। यह प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देगा।

216-22

खेल संघों को निधियां

2140. **डॉ. रत्ना डे:**
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पंजीकृत खेल संगठनों/संघों को संघ संगठन/संघ-वार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संगठनों/संघों ने आवंटित निधियों का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन संगठनों/संघों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित राष्ट्रीय खेल अकादमी को वातानुकूलित प्रशिक्षण हॉल के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो उक्त सहायता कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) गत तीन वर्षो प्रत्येक का तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय परिसंघों को सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी हां। उक्त सभी संगठनों/एशोसियनों ने आबंटन निधियों का उपयोग कर लिया है और तत्संबंधी उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। सरकारी निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से राष्ट्रीय खेल परिसंघों को इस आशय का आवश्यक निर्देश दिया जाता है कि वे समय पर निधि उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा विवरण प्रस्तुत करें। इसके अलावा पूर्व में जारी की गई धनराशि के निपटान के बाद ही आवर्ती अनुदान जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार से 1.00 करोड़ रु. से अधिक वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को एनएसएफ को सहायता की स्कीम के अंतर्गत जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण (2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए टीमों की तैयारी की स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए अनुदान भी शामिल है।)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	अखिल भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ नई दिल्ली	659.40	309.94	308.30	494.38
2.	अखिल भारतीय तीरंदाजी परिसंघ नई दिल्ली	96.10	360.31	42.10	253.50
3.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ नई दिल्ली	221.40	163.00	180.05	162.13
4.	अखिल भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ नई दिल्ली	421.07	658.45	509.53	57.78
5.	अखिल भारतीय टेनिस परिसंघ नई दिल्ली	137.62	263.81	256.64	11.29
6.	अखिल भारतीय जूडो परिसंघ नई दिल्ली	62.55	49.66	62.33	110.37
7.	अखिल भारतीय रोइंग परिसंघ नई दिल्ली	57.05	88.79	64.71	70.34
8.	अखिल भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ नई दिल्ली	179.80	375.51	356.36	283.71
9.	अखिल भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	15.10	125.07	35.36	107.36
10.	अखिल भारतीयस्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नई	57.49	168.25	146.54	68.40

1	2	3	4	5	6
11.	अखिल भारतीय एम्येचोर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	185.47	174.30	165.89	309.75
12.	हॉकी विधा से संबंधित संस्थाएं (पुरुष) एवं (महिला)	346.42	762.82	435.76	423.05
13.	अखिल भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	26.17	101.13	116.53	226.50
14.	अखिल भारतीय बैडमिंटन परिसंघ, नई दिल्ली	265.79	435.48	150.71	199.48
15.	अखिल भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	86.26	5.05	0.00	0.00
16.	अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, नई दिल्ली	52.58	41.90	610.51	174.99
17.	अखिल भारतीय गोल्फ परिसंघ, नई दिल्ली	18.24	16.43	41.69	23.53
18.	अखिल भारतीय आई.जी. परिसंघ, नई दिल्ली	316.78	470.00	153.98	573.51
19.	अखिल भारतीय याटिंग परिसंघ, नई दिल्ली	36.71	147.85	85.95	5.40
20.	अखिल भारतीय एम्येचोर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	32.08	11.77	10.00	121.00
21.	अखिल भारतीय वालीबॉल परिसंघ, चेन्नई	63.51	73.91	150.53	84.68
22.	अखिल भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	18.54	87.80	18.43	130.42
23.	अखिल भारतीय हैंडबाल एम्येचोर परिसंघ, जम्मू कश्मीर	72.38	13.55	46.44	78.70
24.	अखिल भारतीय बास्केटबॉल परिसंघ, नई दिल्ली	44.52	61.60	24.24	227.89
25.	अखिल भारतीय फेसिंग संघ, पटियाला	24.75	30.56	174.06	36.06
26.	अखिल भारतीय क्याकिंग एंड कैनोइंग संघ, नई दिल्ली	30.51	26.21	0.00	185.72
27.	अखिल भारतीय बहिरंग खेल परिषद, नई दिल्ली	42.38	23.98	47.65	75.82
28.	भारतीय पैरालंपिक समिति बंगलौर	40.10	142.83	221.39	13.38
29.	स्पेशल ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	53.30	3.81	12.00	285.89
30.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	19.09	13.58	23.77	10.96
31.	अखिल भारतीय कराटे डो परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	10.18	0.00
32.	अखिल भारतीय एम्येचोर बेसबाल परिसंघ, नई दिल्ली	11.00	12.49	14.75	12.75
33.	भारतीय अत्या पत्या परिसंघ, नागपुर	16.50	5.92	12.00	10.50
34.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	भारतीय भारतीय चाइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	15.90	9.34	7.76	12.00
36.	भारतीय बाडी बिल्डिंग परिसंघ	0.00	0.00	0.00	0.00
37.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	4.97	0.00	0.00	0.00
38.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ जमशेदपुर	16.00	11.50	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
39.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	0.00	4.50	7.50	16.50
40.	भारतीय कार्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.72	13.31	5.50	2.50
41.	भारतीय नेट बाल परिसंघ, नई दिल्ली	18.78	65.00	0.00	0.00
42.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ, कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00
43.	भारतीय सेपक टकरा परिसंघ, नागपुर	12.00	8.00	12.00	12.00
44.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	9.00	12.00	12.00	12.00
45.	भारतीय सॉफ्ट बाल परिसंघ, इंदौर	0.00	12.25	13.75	11.75
46.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, इंदौर	0.00	11.89	55.10	76.14
47.	भारतीय टेनी क्वाईट परिसंघ, बंगलौर	16.50	9.00	19.75	15.25
48.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	16.00	5.00	9.00	8.50
49.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	6.00	9.75	16.00	11.25
50.	भारतीय वुशु परिसंघ, नई दिल्ली	31.24	30.91	0.00	90.56
51.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ, बंगलौर	0.00	0.00	0.00	0.00
52.	भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	37.02	38.87	50.11	50.20
53.	भारतीय रग्बी फुटबाल संघ, मुम्बई	0.00	2.02	1.41	0.00
54.	भारतीय विंटर गेम्स परिसंघ, नई दिल्ली	2.07	0.00	0.00	0.00
55.	भारतीय साइक्लिंग परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	49.78	82.34	0.00
57.	भारतीय मलखंभ परिसंघ	9.00	0.16	11.50	0.00
58.	भारतीय एम्येचोर साफ्ट टेनिस परिसंघ, अहमदाबाद	6.86	10.75	14.75	11.75
59.	भारतीय ब्रिज परिसंघ	3.00	0.00	0.00	0.00
60.	आइस हाकी (एसएनपीओ) नई दिल्ली	1.50	0.00	0.00	0.00
61.	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, नई दिल्ली	13.36	43.54	5.20	0.00
62.	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	238.96	204.00	1324.60	39.54
63.	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	1000.00	2000.00	3700.16	322.00
64.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	0.00	158.45	381.00	160.89
65.	भारतीय टेनपिन परिसंघ	0.00	0.00	55.10	0.00
66.	भारतीय बाउलिंग परिसंघ	1.82	56.86	64.27	0.00

223

सरकारी संपत्ति के लिए पट्टा

2141. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने लोकहिम सुनिश्चित करने हेतु हाल के अपने 2जी मामले के संबंध में र्निाय में बोली और निविदा के माध्यम से सरकारी संपत्ति देने और निपटान करने में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बरते जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) क्या दिल्ली में अत्यधिक मूल्य वाली सरकारी संपत्तियों को पट्टे पर देने विशेषकर ताज होटल सहित होटलों के समूह हेतु नया पट्टा देने में उक्त सिद्धांतों का पालन किया गया है/किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) शहरी विकास मंत्रालय 2जी मामले और उस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सीधे संबंधित नहीं है। तथापि, सार्वजनिक सम्पत्ति के निपटारे में, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ईमानदारी, समानता और जनहित के सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिया गया है।

(ख) और (ग) शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सम्पत्ति यदि और जब पट्टे पर दी जाती है, तो निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसका पारदर्शिता से निपटारा किया जाता है। मंत्रालय ने ताज ग्रुप के होटलों को कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी है मान सिंह रोड पर ताज महल होटल भूमि और विकास कार्यालय द्वारा एनडीएमसी को आबंटित भूमि पर स्थित है।

[हिन्दी] 223 - 34

अनु.जा./अनु.ज.जा. के विरुद्ध अत्याचार

2142. श्री भरत राम मेघवाल:
श्री अशोक तंवर:
श्री वरुण गांधी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में देश में अनु.जा./अनु.ज.जा. के विरुद्ध अत्याचार के मामलों जिनकी सूचना मिली और जो दर्ज किए गए का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यारा क्या है;

(ग) क्या सरकार समाज के इन कमजोर तबकों की रक्षा करने हेतु कोई कठोर कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, क्रमशः वर्ष 2008, 2009 और 2010 के संबंध में देश में दर्ज अत्याचारों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध के संबंध में क्रमशः दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सलाहों में, विभिन्न कदमों यथा सांविधिक प्रावधानों तथा विद्यमान विधानों का सख्त एवं सावधानीपूर्ण प्रवर्तन, सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों, के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कारित अपराधों के प्रति विधि प्रवर्तन मशीनरी को सुग्राही बनाना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कारित अपराध के माकलों में एफ आई आर दर्ज करने में देरी करने, निवारक उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना, अत्याचार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय करने इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008 के दौरान अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के प्रति कारित आई पी सी अपराधों एवं अत्याचार के तहत दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), वे मामले, जिनमें विचारण पूरा हो चुका है (टीसी) और दोषसिद्धि की दर (सीसीआर)

क्र.सं.	राज्य	कुल आईपीसी मामले				अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार				अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार			
		सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	179275	31732	83170	38.2	3875	192	1515	12.7	745	40	392	10.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	2374	285	464	61.4	0	0	0	-	63	0	0	-
3.	असम	53333	2266	14027	16.2	104	7	26	26.9	130	4	20	20.0
4.	बिहार	122669	9981	50600	19.7	3617	229	1244	18.4	99	2	14	14.3
5.	छत्तीसगढ़	51442	11945	23148	51.6	600	122	357	34.2	614	159	494	32.2
6.	गोवा	2742	260	983	26.4	4	0	0	-	1	0	1	0.0
7.	गुजरात	123808	25895	67422	38.4	1228	38	1024	3.7	222	8	261	3.1
8.	हरियाणा	55344	14252	33659	42.3	339	16	151	10.6	0	0	0	-
9.	हिमाचल प्रदेश	13976	1875	6405	29.3	68	3	50	6.0	0	1	3	33.3
10.	जम्मू और कश्मीर	20604	3777	7422	50.9	0	0	0	-	0	0	0	-
11.	झारखंड	38686	5898	25254	23.4	598	30	188	16.0	231	16	96	16.7
12.	कर्नाटक	127540	28062	77757	36.1	2343	47	1664	2.8	400	5	141	3.5
13.	केरल	110620	37530	67468	5506	519	9	208	4.3	106	4	41	9.8
14.	मध्य प्रदेश	206556	59254	114813	51.6	2965	1665	4501	37.0	1071	504	1257	10.1
15.	महाराष्ट्र	20243	7552	80610	9.4	1172	59	681	8.7	268	26	225	11.6
16.	मणिपुर	3349	64	104	61.5	0	0	0	-	1	0	0	-
17.	मेघालय	2318	251	523	48.0	0	0	0	-	0	0	0	-
18.	मिजोरम	1989	1606	1956	82.1	0	0	0	-	0	0	0	-
19.	नागालैंड	1202	503	542	92.8	0	0	0	-	0	0	0	-
20.	ओडिशा	56755	4478	28375	15.8	1836	89	780	11.4	508	37	236	15.7
21.	पंजाब	3514	7226	19670	36.7	101	9	56	16.1	0	0	0	-
22.	राजस्थान	151174	37444	62473	59.9	4302	711	1546	46.0	1038	192	444	43.2
23.	सिक्किम	730	114	213	53.5	17	12	15	80.0	12	5	8	62.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	तमिलनाडु	176833	77993	123496	63.2	1615	126	767	16.4	14	0	8	0.0
25.	त्रिपुरा	5336	253	1626	15.6	4	0	6	0.0	14	3	16	18.8
26.	उत्तर प्रदेश	168996	53565	96583	55.5	7960	3283	5987	54.8	9	9	14	64.3
27.	उत्तराखंड	8856	2540	3657	69.5	42	37	81	45.7	0	3	3	100.0
28.	पश्चिम बंगाल	105419	4077	34018	12.0	19	1	5	20.0	17	0	2	0.0
	कुल राज्य	2033483	430678	1026438	42.0	33328	6685	20852	32.1	5563	1018	3676	27.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	882	73	230	31.7	0	0	0	-	3	0	0	-
30.	चंडीगढ़	3931	1027	1890	54.3	2	0	0	-	0	0	0	-
31.	दादरा और नगर हवेली	401	12	99	12.1	1	0	1	0.0	0	0	0	-
32.	दमण और दीव	248	56	232	24.1	0	0	1	0.0	0	0	0	-
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	49350	12189	18680	65.3	34	3	5	60.0	0	0	0	-
34.	लक्षद्वीप	95	1	2	50.0	0	0	0	-	0	0	0	-
35.	पुदुचेरी	4989	4439	5052	87.9	2	0	2	0.0	0	0	0	-
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	59896	17797	26185	68.0	39	3	9	33.3	13	0	4	0.0
	कुल अखिल भारत	2093379	448475	1052623	42.6	33367	6688	20861	32.1	5576	1018	3680	27.7

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण II

वर्ष 2009 के दौरान अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के प्रति कारित आई पी सी अपराधों एवं अत्याचार के तहत दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), वे मामले, जिनमें विचारण पूरा हो चुका है (टीसी) और दोषसिद्धि की दर (सीसीआर)

क्र.सं.	राज्य	कुल आईपीसी मामले				अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार				अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार			
		सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	180441	29988	89968	33.3	4465	323	1816	12.8	828	59	381	15.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2362	331	569	58.2	0	0	0	-	21	0	0	-
3.	असम	55313	3139	14880	21.1	0	1	26	3.8	9	3	29	10.3
4.	बिहार	22931	8500	47218	18.0	38.36	216	1843	11.7	67	9	43	20.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	छत्तीसगढ़	51370	11431	23636	48.4	466	94	327	28.7	551	103	363	28.4
6.	गोवा	3005	311	1189	26.2	3	0	0	-	0	0	0	-
7.	गुजरात	115183	23467	57081	41.1	1180	43	683	6.3	195	11	135	8.1
8.	हरियाणा	56229	12031	33155	36.3	303	50	274	18.2	0	0	0	-
9.	हिमाचल प्रदेश	13315	1655	6766	24.5	87	12	58	20.7	1	0	0	-
10.	जम्मू और कश्मीर	21975	4776	10323	46.3	0	1	2	50.0	0	0	0	-
11.	झारखंड	37436	10240	33016	31.0	631	95	373	25.5	182	70	202	34.7
12.	कर्नाटक	134042	26209	73367	35.7	2164	32	1565	2.0	272	5	221	2.3
13.	केरल	118369	42935	75230	57.1	467	28	284	9.9	102	4	41	9.8
14.	मध्य प्रदेश	207762	53222	112284	47.4	3040	1014	2614	38.8	1135	409	1098	37.2
15.	महाराष्ट्र	199598	7149	74273	9.6	1072	51	734	6.9	224	10	219	4.6
16.	मणिपुर	2852	7	26	26.9	0	0	0	-	0	0	0	-
17.	मेघालय	2448	209	539	38.8	0	0	0	-	0	0	0	-
18.	मिजोरम	2047	1446	1589	91.0	0	0	0	-	0	0	0	-
19.	नागालैंड	1059	457	566	80.7	0	0	0	-	0	0	0	-
20.	ओडिशा	55740	3359	25517	13.2	1709	52	720	7.2	552	23	196	11.7
21.	पंजाब	35545	6625	18926	35.0	108	8	78	10.3	0	0	0	-
22.	राजस्थान	166565	36722	60471	607	4985	638	1475	43.3	1183	217	515	42.1
23.	सिक्किम	669	154	335	46.0	16	10	13	76.9	14	8	9	88.9
24.	तमिलनाडु	174691	68077	109547	62.1	1310	94	776	12.1	22	10	31	32.3
25.	त्रिपुरा	5486	267	2102	12.7	7	4	10	40.0	27	9	24	37.5
26.	उत्तर प्रदेश	172884	54374	100723	54.0	7461	3186	6063	52.5	4	7	14	50.0
27.	उत्तराखंड	8802	2808	4051	69.3	58	26	56	46.4	0	4	5	80.0
28.	पश्चिम बंगाल	113036	3003	23758	12.6	21	0	2	0.0	16	0	0	-
	कुल राज्य	2061155	412892	1001105	41.2	33389	5887	19792	29.7	5405	961	3526	27.3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	941	56	149	37.6	0	0	0	-	2	0	0	-
30.	चंडीगढ़	3555	684	1420	48.2	0	0	0	-	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	दादरा और नगर हवेली	442	36	146	24.7	1	0	0	-	16	1	4	25.0
32.	दमण और दीव	276	21	166	12.7	2	0	0	-	0	0	0	-
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	450251	11830	20353	58.1	31	0	3	0.0	0	0	1	0.0
34.	लक्षद्वीप	134	0	74	0.0	0	0	0	-	0	0	0	-
35.	पुदुचेरी	4591	2136	2368	90.2	3	0	0	-	0	0	0	-
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	60190	14763	24676	59.8	37	0	3	0.0	18	1	5	20.0
	कुल अखिल भारत	2121345	427655	1025781	41.7	33426	5887	19795	29.7	5423	962	3531	27.2

स्रोत: भारत में अपराध

विवरण III

वर्ष 2010 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कारित आई पी सी अपराधों एवं अत्याचार के तहत दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), वे मामले, जिनमें विचारण पूरा हो चुका है (टीसी) और दोषसिद्धि की दर (सीसीआर)

क्र.सं.	राज्य	कुल आईपीसी मामले				अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार				अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार			
		सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	181438	37816	110365	34.3	4271	263	1748	15.0	803	31	423	7.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	2439	480	814	59.0	0	0	0	-	54	1	4	25.0
3.	असम	61668	2556	15018	17.0	7	2	14	14.3	3	1	13	7.7
4.	बिहार	127453	8562	52733	16.2	3216	158	1378	11.5	71	5	41	12.2
5.	छत्तीसगढ़	127453	8562	52733	16.2	3516	158	1378	11.5	71	5	41	12.2
6.	गोवा	3293	305	1426	21.4	1	0	0	-	0	0	0	-
7.	गुजरात	116439	20939	55227	37.9	1008	72	791	9.1	155	8	140	5.7
8.	हरियाणा	59120	10460	32606	32.1	380	70	303	23.1	0	0	0	-
9.	हिमाचल प्रदेश	13049	1057	5315	19.9	100	5	23	21.7	2	1	2	50.0
10.	जम्मू और कश्मीर	23223	5112	9628	53.1	0	0	0	-	0	0	0	-
11.	झारखंड	38889	6429	26586	24.2	577	95	371	25.6	234	51	200	25.5
12.	कर्नाटक	142322	26027	74484	34.9	2472	80	1614	5.0	294	10	198	5.1
13.	केरल	148313	56274	89741	62.7	583	18	185	9.7	88	5	36	13.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	214269	60489	131902	45.9	3373	1070	3038	35.2	1383	384	1148	33.4
15.	महाराष्ट्र	208168	7973	89001	9.0	1107	36	864	4.2	292	8	215	3.7
16.	मणिपुर	2715	37	54	68.5	0	0	0	-	0	0	0	-
17.	मेघालय	2505	207	492	42.1	0	0	0	-	0	0	0	-
18.	मिजोरम	2174	2134	2280	93.6	0	0	0	-	0	0	0	-
19.	नागालैंड	1059	545	694	78.5	0	0	0	-	0	0	0	-
20.	ओडिशा	56459	3329	33502	9.9	1707	116	1470	7.9	556	64	306	20.9
21.	पंजाब	36648	8314	20673	40.2	115	12	62	19.4	0	0	0	-
22.	राजस्थान	162957	33627	56871	59.1	4979	534	1322	40.4	1319	168	373	45.0
23.	सिक्किम	552	89	188	47.3	3	0	0	-	1	0	0	-
24.	तमिलनाडु	185678	67060	120578	55.6	1628	187	763	24.5	33	2	3	66.7
25.	त्रिपुरा	5805	274	2478	11.1	11	1	4	25.0	35	7	26	26.9
26.	उत्तर प्रदेश	174179	69448	119001	58.4	6272	4827	7493	64.4	0	25	47	53.2
27.	उत्तराखंड	9240	3175	4721	67.3	35	38	72	52.8	0	2	6	33.3
28.	पश्चिम बंगाल	129616	3189	23609	13.5	63	0	3	0.0	47	0	0	-
	कुल राज्य	2164628	449957	1114009	40.4	32548	7708	21916	35.2	5877	912	3628	25.1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	980	82	165	49.7	0	0	0	-	1	0	6	0.0
30.	चंडीगढ़	3373	751	1865	40.3	0	0	0	-	0	0	0	-
31.	दादरा और नगर हवेली	378	30	131	22.9	0	1	1	100.0	2	0	2	0.0
32.	दमण और दीव	203	18	129	14.0	0	0	0	-	0	0	1	0.0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	51292	10112	19641	51.5	16	7	19	36.8	0	0	0	-
34.	लक्षद्वीप	42	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
35.	पुदुचेरी	3935	3178	5091	62.4	5	0	0	-	0	0	0	-
कुल संघ राज्य क्षेत्र		60203	14171	27022	52.4	21	8	20	40.0	3	0	9	0.0
कुल अखिल भारत		2224831	464128	1141031	40.7	32569	7716	21936	35.2	5880	912	3637	25.1

स्रोत: भारत में अपराध

[अनुवाद]

235-38

किशोरों द्वारा अपराध

2143. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किशोरों द्वारा अपराध की दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बच्चों के बीच ऐसी प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2008-2010 के दौरान देश में सूचित किए गए भारतीय दण्ड संहिता के तहत किशोरों द्वारा अपराधों के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण, राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने और संलिप्त अभियुक्तों/अपराधियों का विद्यमान और लागू कानूनों के तहत अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से आयोजित करने तथा बच्चों सहित नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के तहत किशोरों द्वारा अपराधों के मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1170	1208	1369
2.	अरुणाचल प्रदेश	76	112	78
3.	असम	534	546	365
4.	बिहार	1141	935	693
5.	छत्तीसगढ़	2836	2860	2128
6.	गोवा	48	60	56
7.	गुजरात	1693	1428	1459
8.	हरियाणा	1155	959	701
9.	हिमाचल प्रदेश	122	127	159
10.	जम्मू और कश्मीर	8	8	17
11.	झारखंड	440	686	79
12.	कर्नाटक	290	227	161

1	2	3	4	5
13.	केरल	505	441	460
14.	मध्य प्रदेश	5214	4535	5554
15.	महाराष्ट्र	4597	4622	4315
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	97	82	82
18.	मिजोरम	52	19	63
19.	नागालैंड	0	11	46
20.	ओडिशा	477	381	403
21.	पंजाब	80	135	177
22.	राजस्थान	1542	1819	1787
23.	सिक्किम	16	56	66
24.	तमिलनाडु	858	1362	962
25.	त्रिपुरा	22	42	26
26.	उत्तर प्रदेश	275	313	578
27.	उत्तराखंड	89	152	108
28.	पश्चिम बंगाल	624	135	240
	कुल (राज्य)	23961	23261	22132
संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34	27	21
30.	चंडीगढ़	108	88	113
31.	दादरा और नगर हवेली	12	13	16
32.	दमन और दीव	10	2	8
33.	दिल्ली	368	452	416
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	42	83	34
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	574	665	608
	कुल (अखिल भारत)	24535	23926	22740

स्रोत: भारत में अपराध

[हिन्दी] 2012 239-40

खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु परिषद

2144. श्री इज्यराज सिंह:
श्री हरीश चौधरी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम पंचायतों सहित देश में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय खेल विकास परिषद् का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं तथा उक्त परिषद् का गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेलों के प्रोत्साहन हेतु क्या तन्त्र मौजूद हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) ग्राम पंचायतों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास परिषद की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि खेल राज्य का विषय होने के कारण खेलों के संवर्धन और विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकरों की है। विशिष्ट खेल विधाओं को बढ़ा देने और उनके विकास की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। केन्द्रीय सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 'सभी के लिए खेल और खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन' के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) स्कीम लागू की है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से देश में सभी गांवों और ब्लाक पंचायतों में खेलों के मैदान विकसित करना और वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। विगत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) और चालू वित्तीय वर्ष में 29.2.2012 तक पायका स्कीम के अंतर्गत लगभग 51633 गांव/ब्लाक पंचायतों को शामिल किया गया है। वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं। वष्र 2010-11 के दौरान वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में 43 लाख से अधिक ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया।

[अनुवाद] 240-41

मलिन बस्तियों की परिभाषा

2145. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रणब सेन की अध्यक्षता में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के उत्थान के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रणब सेन समिति के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर मलिन बस्तियों की परिभाषा में संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए हैं/किए जा रहे हैं या किन उपायों पर विचार किया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने प्रणब सेन की अध्यक्षता में स्लम सांख्यिकी/जनगणना तथा स्लम जनगणना 2011 कराने संबंधी मुद्दों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया।

(ख) से (घ) प्रणव सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त 2010 को प्रस्तुत की। समिति ने स्लम को निम्न रूप में परिभाषित किया है:

"अपर्याप्त साफ-सफाई और पेयजल सुविधा तथा अस्वच्छकर परिस्थितियों वाली न्यूनतम 20 अनियोजित तथा परस्पर सटे मकानों, जिनमें से अधिकांश कच्चे हों, की सघन बस्ती स्लम है"।

इस परिभाषा को पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए विशेष छूट के साथ राजीव आवास योजना के लिए अपनाया गया है, जहां 10-15 घरों की ऐसी बस्तियों को स्लम माना जाएगा।

2 4 2

(ङ) भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएसएसयूआरएम) का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य देश के शहरी गरीबों हेतु शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत देश में चयनित 65 शहरों में, स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों के लिए आवास एवं अवस्थापना सुविधाएं शुरू करने में शहरों एवं कस्बों को सहायता उपलब्ध कराना है। अन्य शहरों एवं कस्बों के लिए, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य स्लमवासियों को आश्रय एवं बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करके स्वास्थ्य और अनुकूल पर्यावरण के साथ समग्र स्लम विकास के लिए प्रयास करना है। मिशन की अवधि वर्ष 2005-12 वर्ष है।

यह मंत्रालय शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएचएसडीपी) का कार्यान्वयन भी कर रहा है। जिसका उद्देश्य स्लम वासियों सहित शहरी गरीब तबके के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी लाभार्थियों के लिए मकानों के निर्माण एवं खरीद के लिए 1.0 लाख रु. तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। इस स्कीम को अब राजीव आवास योजना में मिला दिया गया है। सरकार के स्लम मुक्त भारत का निर्माण करने के लक्ष्य के अनुसरण में दिनांक 02.06.2011 को राजीव आवास योजना (रे) नाम की एक नई स्कीम आरंभ की गई हैं। राजीव आवास योजना का फेस- 5000 करोड़ रुपए के बजट से स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष कभी अवधि के लिए है जबकि फेस-2 बारहवीं योजना की शेष अवधि के लिए होगा।

इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी।

भागीदारी में किफायती आवास स्कीम जो किफायती आवासों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करती है, को राजीव आवास योजना में मिला दिया गया है। इस स्कीम के तहत किफायती आवासीय ईकाई में 50,000 रुपए प्रति इकाई अथवा नागरिक अवसंरचना (बाह्य एवं आंतरिक) लागत का प्रतितशत जो भी कम हो, की दर से केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है।

भारत सरकार मुद्रणालय का आधुनिकीकरण

2146. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयम्बटूर (तमिलनाडु) स्थित मुद्रणालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्रणालयों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन से कोयम्बटूर सहित भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए कहा गया है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर के मुद्रणालय बनाने के लिए मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण करना है।

(ग) मुद्रणालयों में अनेक उच्च स्पीड मशीनें और उपकरण शामिल किए जाने के बावजूद सभी मुद्रणालयों के कर्मचारियों को बनाये रखा जाएगा। उन्हें नयी मशीनों, उपकरण और सहायक उपस्करों के आपरेशन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

[हिन्दी]

फुटबॉल प्रीमियर लीग

2147. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फुटबॉल खेल को लोकप्रिय बनाने के दृष्टिगत देश में फुटबॉल प्रीमियर लीग आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न खेल विधाओं के विकास की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है और फुटबॉल के मामले में यह जिम्मेदारी अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईआईएफ) की है। सरकार भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों/टीमों के भाग लेने, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग, उपकरणों और उपभोज्य सामग्री आदि की प्राप्ति के लिए लिए दीर्घावादी विकास योजना (एलटीडीपी) करार के अनुसार, इन परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

राज्य स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं के विकास की जिम्मेदारी राज्य खेल परिसंघों और संबंधित राज्य सरकारों की है। इसके अतिरिक्त, भा.खे.प्रा. खेलों को बढ़ावा देने वाली निम्नलिखित स्कीमें चला रहा है। जिसमें फुटबॉल भी शामिल है और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता सहित अनुभवी कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है:-

(क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्कीम (एनएसटीसी)

(ख) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएसएसी)

(ग) साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)

(घ) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)

(ङ) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)

इसके अतिरिक्त भा.खे. प्रा. ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली के उपयोग के लिए अक्टूबर, 2011 में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ एक करार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि भारतीय खेल प्राधिकरण प्रतिवर्ष 40 दिन की अधिकतम अवधि के लिए मुख्य पिच सहित एआईएफएफ के माध्यम से स्टेडियम का प्रयोग करायेगा और दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट, अंतर्राष्ट्रीय मैचों, आई-लीग मैचों, 2012 में नेहरू कप फुटबॉल टूर्नामेंट, अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैचों, अन्य एशियन फुटबॉल कंफिडरेशन/फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) मैचों तथा घरेलू टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए स्टेडियम को एआईएफ को सौंपेगा।

[अनुवाद] 243-44

मानव दुर्व्यापार रोधी उपाय

2148. श्रीमती जे. शांता: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए पूरक उपाय के रूप में पुलिस संगठनों में और अधिक महिलाओं को भर्ती करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने दिनांक 04.09.2009 को महिलाओं के प्रति अपराध पर एक परामर्शी-पत्र जारी किया है। परामर्शी-पत्र के बिन्दु (4) में कहा गया है कि पुलिस बल में महिलाओं का समग्र प्रतिनिधित्व सकारात्मक कार्रवाई द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पुलिस बल में उनकी भागीदारी लगभग 33% हो। मानव तस्करी के संबंध में भारत सरकार ने एकीकृत मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना को मंजूरी प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने 225 मानव व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों को वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमश: 8.72 करोड़ रुपये और 8.338 करोड़ रुपये की निधियां जारी की हैं।

राज्यों में ए एच टी यू की स्थापना के बुनियादी स्तर पर परिणाम दिखाई दिए हैं जिसके फलस्वरूप दर्ज किए गए मामलों की संख्या, बचाव अभियानों की संख्या और दोषसिद्धि हुई है। यह कार्य 3 वर्षों की अवधि में 335 एकीकृत मानव व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना करने की विस्तृत योजना के तहत किया गया है।

[हिन्दी] 244-45

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत पेयजल परियोजना

2149. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में पेयजल पाइपलाइनों को बिछाने हेतु किए गए कार्यों सहित जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निधियों के दुरुपयोग संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत अनुमोदित जल आपूर्ति सहित कुछ परियोजनाओं हेतु निधियों के दुरूपयोग के आरोपों की रिपोर्टें प्राप्त हुई है।

परियोजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा अपने नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सभी नियम संबंधी औपचारिकताओं का पालन करने सहित परियोजनाओं और सुधारों की निगरानी करती है। निधियों के दुरउपयोग के सूचित मामलों में संबंधित राज्य सरकारों से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा जता है। दोषी पाए गए कार्मिक के विरुद्ध की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई संबंधित राज्य द्वारा अपने नियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) निधियों के उचित उपयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्टो (क्यूपीआर) के माध्यम से सूचना देते हैं। इसके अतिरिक्त, निष्पक्ष समीक्षा एरे निगरानी एजेंसी (आइआरएमए), जिसकी नियुक्ति राज्यों द्वारा की जाती है तथा शहरी विकास मंत्रालय की केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसमसी) द्वारा अनुमोदित की जाती है, जेएनएनयूआरएम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन, परियोजना कागजातों की डेस्ट समीक्षा तथा जारी निधियों का उपयोग उद्देश्यपूर्ण और समयबद्ध तरीके से हो, इसकी समीक्षा करने के लिए प्रत्येक परियोजना का स्थल दौरा करती है।

[अनुवाद] 2ss

नागरिकता अधिनियम में संशोधन

2150. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न केवल विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को पुन: परिभाषित करने अपितु, भारतीयों से विवाहित विदेशी नागरिकों को भी सुविधाएं प्रदान करने हेतु भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। नागरकिता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी] 21.6

स्कूलों में अध्यापकों की कमी

2151. डॉ. बलीराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत स्कूलों में अध्यापकों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

(ग) सरकार ने रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 21780 संस्वीकृत पद हैं जिनमें से, 16449 अध्यापक नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं और 3879 अध्यापक संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने यह सूचित किया है कि विभिन्न श्रेणियों के 873 संस्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे अध्यापकों में भी 712 अध्यापक नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं, 21 अध्यापक पुर्नियोजन के आधार पर कार्य कर रहे हैं और 64 अध्यापक संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने यह सूचित किया है कि विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के कुल 43327 संस्वीकृत पदों में से 36184 पद भरे हुए हैं और 7143 पद खाली हैं।

(ग) और (घ) खाली पदों का भरा जाना चलती रहने वाली प्रक्रिया है। फिर भी संबंधित अधिकारियों ने अध्यापकों के खाली पद भरने के कदम उठाए हैं, जिनमें इस सीधी भर्ती के कोटे के तहत खाली पदों को भरे जाने, विभागीय उम्मीदवारों के लिए रखे; गए (पदोननति कोटे के) खाली पदों को भरे जाने, विभागीय पदोन्नति सीमिति की बैठक बुलाए जाने; अस्थायी रूप से अध्यापकों को संविदा के आधार पर काम पर रखे जाने और अतिथि अध्यापकों को काम पर रखे जाने के सिलसिले में यह मामला दिल्ली अधीनस्थ सेवा-चयन बोर्ड से उठाया जाना शामिल है।

247 - 52

एनवाईकेएस के अंतर्गत युवा समन्वयक

2152. श्री मधुसूदन यादव:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेहरू युवा संगठन (एनवाईकेएस) के अंतर्गत जिला और राज्य-स्तर पर युवा समन्वयकों की नियुक्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में जिला और राज्य स्तरों पर रिक्त पड़े युवा समन्वयकों के पदों की संख्या कितनी है और राज्य-वार उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने एनवाईकेएस के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए जिला/राज्य स्तर पर किसी सलाहकार समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। नेहरू युवा केंद्र संगठन (सेवा) विनियमन, 1987 के अनुसार सभी श्रणियों के पदों के लिए नियोक्ता प्राधिकारी संगठन का महानिदेशक है।

(ख) एनवाईकेएस में जिला युवा समन्वयकों के संस्वीकृत पदों की संख्या 623 हैं। इनमें से 300 पद भरे जा चुके हैं और शेष 323 पद संलग्न विवरण-I में दिए गए राज्यवार ब्यौरे के अनुसार रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भर्ती नियमों के अनुरूप शुरू की जा चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के युवा कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) और युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) का गठन निम्नलिखित उद्देश्यां के आधार पर किया गया है:

(i) एनवाईकेएस और राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के बीच प्रभावी संपर्क सूत्र स्थापित करना।

(ii) राज्य के युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विकासात्मक परियोजना का पता लगाना और उनकी पहचान करना।

(iii) राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के कोर समूह के साथ-साथ प्रशिक्षण अवसरंचना के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञों को लाना।

इन समितियों और उनके गठन के लिए पदाधिकारियों को नामित करने के लिए मानदंड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

एन.वाई.के.एस. में रिक्त पड़े पद

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृति पद	स्थिति	रिक्ति
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	6	0
2.	आंध्र प्रदेश	23	12	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	14
4.	असम	27	12	15
5.	बिहार	38	13	25
6.	चंडीगढ़	1	1	0
7.	छत्तीसगढ़	16	4	12
8.	दादरा और नगर हवेली	1	0	1
9.	दमन और दीव	2	0	2
10.	दिल्ली	9	6	3
11.	गोवा	3	3	0
12.	गुजरात	25	11	14
13.	हरियाणा	19	8	11
14.	हिमाचल प्रदेश	12	6	6
15.	जम्मू और कश्मीर	14	11	3
16.	झारखंड	22	10	12
17.	कर्नाटक	27	16	11
18.	केरल	14	7	7
19.	लक्षद्वीप	1	0	1

1	2	3	4	5
20.	मध्य प्रदेश	48	34	14
21.	महाराष्ट्र	34	23	11
22.	मणिपुर	10	8	2
23.	मेघालय	7	4	3
24.	मिजोरम	8	2	6
25.	नागालैंड	11	1	10
26.	ओडीशा	30	7	23
27.	पुडुचेरी	4	1	3
28.	पंजाब	20	10	10
29.	राजस्थान	32	11	21
30.	सिक्किम	4	2	2
31.	तमिलनाडु	30	17	13
32.	त्रिपुरा	4	1	3
33.	उत्तर प्रदेश	71	30	41
34.	उत्तराखंड	13	6	7
35.	पश्चिम बंगाल	23	17	6
	कुल	623	300	323

विवरण II

पदाधिकारियों को नामित करने के लिए मानदंड

युवा का कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एस ए सी वाई पी) और युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति (डी ए सी वाई पी) तथा पदाधिकारियों का नामांकन और उनकी संरचना निम्न प्रकार हैं:-

एस ए सी वाई पी:

* माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार व अध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा गैर सरकारी सदस्य के रूप में संसद सदस्यों/एम एल ए/एम एल सी में से दो स्थानीय प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।

* महानिदेशक ने.यु.के.सं. द्वारा दो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, एक्टिविस्ट, खिलाड़ियों को नामित किया जाता है।

* एस.ए.सी.वाई.पी. के सरकारी सदस्य हैं:- विकास एजेंन्सियों के प्रधान, राज्य के मुख्य लीड बैंक आफीस, डी.जी. ने.यु.के.सं. के प्रतिनिधि, उप कार्यक्रम सलाहकार-एन. एस.एस.।

* राज्य के उपनिदेशक, एन वाई के एस, भी/एस ए सी वाई पी के विशेष आमंत्रित शासकीय सदस्य के रूप में हैं।

डी ए सी वाई पी:

* युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति डी एम/डी सी व डी ए सी वाई पी के अध्यक्ष द्वारा जिले से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा विद, भूतपूर्व सैनिक से तीन गैर सरकारी सदस्य।

* डी ए सी वाई पी में प्रतिनिधित्व के लिए युवा नेताओं द्वारा स्वयं ही दो प्रतिनिधि चुने जाते हैं।

* एन वाई सी स्वयं सेवक भी अपने में से एक प्रतिनिधि चुनते हैं।

* डी ए सी वाई पी के सरकारी सदस्य हैं:- विकास एजेन्सियों के प्रधान, जिला के लीड बैंक आफीसर, कार्यक्रम अधिकारी, एन एस एस।

डी ए सी वाई पी और एस ए सी वाई पी के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है।

युवा कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) का गठन।

क्र.सं.	विवरण	पदनाम
1	2	3
1.	राज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री	अध्यक्ष
2व 3.	सांसद/विधायक/सदस्य विधान परिषद, माननीय मंत्री एवं-अध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नामित किया जाना है।	माननीय सदस्य
4व 5.	प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, खिलाड़ी (महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नामित) (महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नामित)	माननीय सदस्य
6.	मंडल निदेशक	सदस्य सचिव

1	2	3
7.	निदेशक, राज्य युवा सेवाएं एवं खेल	सदस्य
8.	निदेशक, ग्रामीण विकास	सदस्य
9.	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	सदस्य
10.	निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
11.	निदेशक, संस्कृति	सदस्य
12.	निदेशक, कृषि	सदस्य
13.	निदेशक, लघु उद्योग	सदस्य
14.	निदेशक, पर्यावरण एवं वन	सदस्य
15.	निदेशक, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग	सदस्य
16.	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क	सदस्य
17.	राज्य में लीड बैंक का प्रमुख	सदस्य
18.	उप कार्यक्रम सलाहकार, एन.एस.एस.	सदस्य
19.	महानिदशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य
20.	राज्य के उप निदेशक	विशेष आर्मत्रिती

युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) का गठन

क्र.सं.	विवरण	पदनाम
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला युवा समन्वयक	सदस्य सचिव
3.	क्षेत्रीय समन्वयक, एनवाईकेएस	सदस्य
4.	अपर उपायुक्त (विकास और योजना)	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्साधिकारी/सिविल सर्जन	सदस्य
6.	महाप्रबंधक, डीआईसी	सदस्य
7.	जिला जनसंपर्क अधिकारी	सदस्य
8.	फील्ड प्रचार अधिकारी	सदस्य
9.	जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी	सदस्य
10.	जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी	सदस्य
11.	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
12.	परियोजना अधिकारी, डीआरडीए	सदस्य
13.	परियोजना अधिकारी, एनएसएस	सदस्य
14.	एनजीओ के प्रमुख	सदस्य
15.	गैर-सरकारी	सदस्य
16.	गैर-सरकारी	सदस्य
17.	युवा नेता	सदस्य
18.	युवा नेता	सदस्य
19.	राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स (एनवाईसी) स्वयंसेवक	सदस्य

[अनुवाद]

चिकित्सा पर्यटन

2153. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जटिल वीजा विनियमों के करण बड़ी संख्या में संभावित चिकित्सा पर्यटक भारत की अपेक्षा थाइलैंड में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है जिससे यह पता चले कि जटिल वीजा विनियमनों के कारण बड़ी संख्या में संभावित चिकित्सा पर्यटक भारत की अपेक्षा थाइलैंड जा रहे हैं। भारत की यात्रा के लिए चिकित्सा वीजा की मंजूरी हेतु वर्तमान वीजा विनियम जटिल नहीं हैं चिकित्सा वीजा उस विदेशी नागरिक को दिया जाता है जिसने भारत में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता एवं वास्तविकता को सही साबित करने वाले चिकित्सा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए हों। यह भी प्रावधान है कि यदि विदेशी नागरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार उपचार का लाभ उठाना चाहता है, तो उसके मामले पर भी भारतीय मिशनों द्वारा विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

ग्रंथालयों को प्रोत्साहन

2154. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी ग्रंथालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन ग्रंथालयों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालयों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संबंध में दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश में ग्रंथालयों में सुधार करने और उनका विकास करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या के संबंध में अद्यतन डाटा उपलब्ध नहीं है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2003 में कराए गए अधिकृत मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इन सभी पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। पुस्तकालयों को पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के पास सार्वजनिक पुस्तकालयों के सुधार के लिए मैचिंग और गैर-मैचिंग सहायता की स्कीमें हैं, इनके साथ-साथ, अन्य पहलुओं जैसे-पुस्तकों का भंडार बढ़ाना कम्प्यूटरों की खरीद, सेमिनारों के आयोजन के लिए बुनियादी सुधार आदि के लिए सहायता शामिल हैं।

विवरण I

राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की ओर से एसी नेल्सन ओआरजी मार्ग रिपोर्ट (2003) के द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार देश में पुस्तकालयों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुस्तकालयों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	2764
अरूणाचल प्रदेश	49
असम	53
बिहार और झारखंड	4101
गुजरात	6714
गोवा	91
हरियाणा	55
हिमाचल प्रदेश	222
जम्मू और कश्मीर	60
कर्नाटक	2285
केरल	1322
मध्य प्रदेश	15948
महाराष्ट्र	3888
मणिपुर	129
मेघालय	7
मिजोरम	427
नागालैंड	244
ओडिशा	3546
पंजाब	12
राजस्थान	2570
सिक्किम	4
तमिलनाडु	2562
त्रिपुरा	511
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	1624
पश्चिम बंगाल	2642

1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6
चंडीगढ़	2
दादरा और नगर हवेली	3
दिल्ली	218
लक्षद्वीप	1
पुदुचेरी	3
छत्तीसगढ़	0
कुल	52063

विवरण II

राज्य-वार दी गई सहायता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12 से फरवरी, 2012 तक		2010-11		2009-10	
	पुस्तकालयों की संख्या	केन्द्रीय सहायता ₹	पुस्तकालयों की संख्या	केन्द्रीय सहायता ₹	पुस्तकालयों की संख्या	केन्द्रीय सहायता ₹
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	32	21327635	32	10202946.5	467	14606009
अरूणाचल प्रदेश	97	10404731	97	27183526	97	13992417
असम	267	22846536	267	16658482.3	264	10725840
बिहार	22	9989577	22	2994036	22	3625391
गुजरात	824	22083661	824	29265879.5	832	16684188
गोवा	91	557186	91	2352706	91	1483074
हरियाणा	38	3100495	38	4955990	38	2831340
हिमाचल प्रदेश	464	3026423	464	3405460.2	464	3326909
जम्मू और कश्मीर	35	7871587	35	10853963.4	35	2373351
कर्नाटक	2106	22604287	2106	31085720.5	2100	34768686
केरल	540	7713357	540	9763911.5	438	11181653
मध्य प्रदेश	35	13002645	35	5163701	35	5982290
महाराष्ट्र	1097	27650527	1097	18757511.5	1093	28881837
मणिपुर	181	11477362	181	6022583	179	21446614
मेघालय	5	2215833	5	737672	94	2805383
मिजोरम	427	15384630	427	12440206	427	15457391
नागालैंड	258	20769122	258	11044465.9	245	14694797

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	659	8262288	659	21759507	645	10667197
पंजाब	12	2596905	12	2065480	13	2492631
राजस्थान	333	19159239	333	19884699.8	333	17820966
सिक्किम	61	741973	61	6114088.9	61	5810080
तमिलनाडु	1941	15956422	1941	42498399.5	1940	27097365
त्रिपुरा	24	14234008	24	16795426.4	24	5885415
उत्तर प्रदेश	315	11587690	315	30903951.12	315	24209209
पश्चिम बंगाल	2675	30038117	2675	55673710.5	2558	23517842
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	1934108	2	309508.6	22	1253565
चंडीगढ़	6	1885493	6	3056790.8	6	2116784
दादरा और नगर हवेली	2	370986	2	295069	2	341365
दिल्ली	72	2198008	0	750000	0	130000
लक्षद्वीप	1	185493	1	147534	1	170682
पुदुचेरी	4	890987	4	590137	4	732730
छत्तीसगढ़	7	1112959	7	885206	23	1024095
झारखंड	5	1298452	5	1032740	7	3669389
उत्तराखंड	224	4204923	224	1859796	223	3178256
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
कुल	12882	338683646.92	12790	407510805.9	13098	335284740.7

स्मारकों का जीर्णोद्धार

2155. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मध्य प्रदेश सहित जीर्णोद्धार किए जा रहे स्मारकों का स्मारक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यह कार्य पूरा करने की लक्षित तिथि की तुलना में जीर्णोद्धार की वर्तमान स्थिति का स्मारक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित और व्यय की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक वर्ष मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, मध्य प्रदेश सहित, देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और पुनरूद्धार किया जाता है तथा ये स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं। सरंक्षित स्मारकों की विशेष मरम्मत के लिए संरक्षण कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा की जाती है, जबकि पूर्ण हो चुके कार्यों को छोड़ दिया जाता है और नए कार्यों को आरम्भ किया जाता है। तथापि सभी संरक्षित स्मारकों के नेमी रखरखाव का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। इसलिए, स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत प्रकिया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के संरक्षण के लिए आबंटित/उपयोग की गई निधियों तथा चालू वित्तीय वर्ष के आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है:

राशि लाख रुपयों में

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित/उपयोग की गई निधियां
1.	2008-09	13498.60
2.	2009-10	15300.43
3.	2010-11	15649.50
4.	2011-12	13305.00 (आबंटन)

[अनुवाद]

भारतीय कृषि सेवा

2156. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय कृषि सेवा आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूकंप रोधी मकान

2157. श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री महाबल मिश्रा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को देश के शहरी क्षेत्रों में आवासों/कालोनियों के निर्माण में अनिवार्य भूंकप रोधी तकनीक अपनाने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने मकानों को भूंकप रोधी बनाने के लिए उनकी रिट्रोफिटिंग करने हेतु संबंधित प्राधिकरणों और दिल्ली के नागरिकों को निर्देश देने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) देश में शहरी क्षेत्रों में मकानों/कालोनियों के निर्माण में आवश्यक भूकम्परोधी तकनीकों को अपनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनिवार्य निर्देश जारी नही किए गए हैं।

(ख) और (ग) तथापि, देश में आवश्यक परामर्शी रूपरेखा के निर्माण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

भारतीय मानक ब्यूरौ (बीआईएस) ने विभिन्न प्रकार के निर्माण हेतु भूकम्परोधी डिजायन और निर्माण तकनीकों से संबंधित निम्नलिखित भारतीय मानक विकसित किए हैं:

(i) आईएस 1893 (भाग-1): 2000 संरचनाओं के भूकम्प रोधी डिजायन हेतु मानक

(ii) आईएस 4326:1993- भवनों के भूकम्परोधी डिजायन और निर्माण-व्यवहार संहिता

(iii) आईएस 13837:1993- मिट्टी के भवनों की भूकम्प प्रतिरोधित में सुधार-दिशा निर्देश

(iv) आईएस 13828:1993 कम शक्ति के चिनाई वाले भवनों की भूकम्प प्रतिरोधिता में सुधार-दिशानिर्देश

(v) आईएस 13920:1993-डक्टाइल डिटेलिंग आफ रीइंफोसर्ड क्रक्रीट स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टु सीस्मिक फोर्स-व्यवहार संहिता

(vi) आईएस 13935:2009-भवनों की मरम्मत और भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण-दिशा निर्देश

बीआईएस द्वारा प्रकाशित की गई राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 में अन्य बातों के साथ-साथ आयोजन, डिजायन और भूकम्परोधी निर्माण तकनीको के प्रावधान दिए गए है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी मौजूद है तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने समय-समय पर भूकम्प से सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं आपदा प्रबंधन 2009 पर राष्ट्रीय नीति भी है जिसे केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 22 अक्टूबर, 2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राज्य सरकारों को अपने नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियमों और भूकम्पीय जोखिमों से सुरक्षा हेतु विकास नियंत्रण नियम और उप-नियमों को सुवधिनक बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियमन, जोनिंग विनियमन विकास नियंत्रण तथा भवन विनियमन/उप-नियम तैयार किए गए हैं। सभी राज्यों को अनेक अपने अधिनियमों/उप-नियमों-विनियमानों को संशोधित करने की सलाह दी गई है ताकि भूकम्प के खतरों से सुरक्षा के संबंध में निर्माण गतिविधियां विनियमित हो सकें।

आवश्यक संशोधनों के लिए उनको मदद करने हेतु कार्यशाला भी आयोजित की गई है। इस मंत्रालय के तत्वाधान में भवन निर्माण सामग्रियां एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने इस संबंध में व्यापक जागृति लाने के लिए दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्कूलों और अस्पतालों में भूकम्पीय रिट्रोफिटिंग का प्रचार और प्रदर्शन जैसी गतिविधियां आरंभ की हैं।

'भूमि' और 'कालोनी बसान' राज्य का विषय होने के नाते अनिवार्य अभिग्रहण हेतु अपेक्षित प्रावधान करने के लिए अपने विद्यमान विनियमनों को संशोधित करना राज्यों का प्राथमिक दायित्व है।

[अनुवाद]

बांस उद्योग

2158. श्री वैजयंत पांडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र और अन्य पिछड़े क्षेत्रों को अपनी आर्थक स्थिति में सुधार लाने के लिए देश में बांस उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए इस क्षेत्र को दिए जा रहे और प्रस्तावित नए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां। भारत सरकार खासकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देश में बांस उद्योग को बढ़ावा दे रही है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार, बांस प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास सहायता (टीडीए) देने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में राष्ट्रीय बांस अनुप्रयोग मिशन (एनएमबीए) कार्यान्वित कर रही है। इसका लक्ष्य बांस जो उस क्षेत्र में प्रचुरता से उपलब्ध है, के क्षेत्र में उत्तर-पूर्व के लोगों को अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित करना है।

औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार भी औद्योगिकी अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस) के अंतर्गत 52.63 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अनुदान सहित 60.66 करोड़ रुपए की कुल लागत से बांस आधारित कलस्टर, गुवाहाटी (असम) में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन के लिए बांस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2010 में मंजूर परियोजना कार्यान्वित कर रही है। यह परियोजना विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) "मैसर्स बैम्बू टैक्नोलॉजी पार्क गुवाहाटी" द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। 15.79 करोड़ रुपए के अनुदान के प्रथम किस्त निर्गत की जा चुकी थी। 3.27 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रगति प्राप्त की है।

(ग) बांस उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एनएमबीए तकनीकी विकास सहायता (टीडीए) के रूप में उत्तर-पूर्व में बांस उत्पादन और प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता देता है जो परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक, केवल संयंत्र और मशीनरी तक सीमित है, पांच वर्ष की अवधि में भुगतान योग्य है।

[हिन्दी]

तेजाब फैंकने की घटनाएं

2159. श्रीमती उषा वर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं पर तेजाब फैंकने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में पता चले ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, महिलाओं पर तेजाब फेंकने से संबंधित आकड़े एन सी आर बी द्वारा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथिमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार, महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं। जिनमें, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दंड देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच-पड़ताल की गुणवत्ता में सुधार लाने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को कम करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने (महिला प्रकोष्ठ) स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तरों पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन" और पुलिस स्टेशन स्तर पर "महिला/बाल सहायता डेस्क" स्थापित कर लिए हैं।

बलात्कार कानूनों की समीक्षा करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने "दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011" के प्रारूप में धारा 326 ख, तेजाब फेंक कर घायल करना को जोड़ने की सिफारिश की है।

[अनुवाद] 213-70

वरिष्ठ नागरकिों के विरुद्ध अपराध

2160. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार, अपराध-वार और लिंग-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) गिरफ्तार किए गए दोषी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा सुलझाए गए/सुलझाए न गए मामलों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सभी मामलों को सुलझाने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, क्रमशः वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान हत्या, हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानवबद्ध तथा अपहरण एवं व्यपहरण के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार तथापि लिंगवार पीड़ितों (50 वर्ष से अधिक आयु वाले) के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार वरिष्ठ नागरिक के प्रति अपराध सहित अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने तथा अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने दिनांक 27.03.2008 को समस्त राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहकारी पत्र जारी किया है, जिसमें उन्हें परिष्ठ नागरिकों का अभिनिर्धारण करने; वृद्ध व्यक्तियों की संरक्षा, संरक्षण के संबंध में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने; बीट स्टॉफ के नियमित दौरा करने; टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की स्थापना करने, वरिष्ठ नागरकि सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करने; घरेलू नौकरों, ड्राइवरों इत्यादि का सत्यापन करने जैसी पहलों के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों के प्रति सभी प्रकार की लापरवाही, दुर्व्यवहार तथा हिंसा को समाप्त करने तथा सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान 50 वर्ष से अधिक आयु वाले हत्या के पीड़ितों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	हत्या								
		2008			2009			2010		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	221	82	303	184	91	275	325	143	468
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	0	0	0	0	0	0
3.	असम	55	0	55	40	0	40	46	0	46
4.	बिहार	96	18	114	125	18	143	194	31	225
5.	छत्तीसगढ़	112	40	152	117	44	161	105	40	145
6.	गोवा	6	5	11	3	3	6	2	0	2
7.	गुजरात	78	29	107	56	4	90	89	21	110
8.	हरियाणा	100	12	112	83	15	98	65	14	79
9.	हिमाचल प्रदेश	10	4	14	14	9	23	17	2	19
10.	जम्मू और कश्मीर	16	2	18	10	4	14	19	3	22
11.	झारखंड	73	25	98	81	8	89	65	12	77
12.	कर्नाटक	129	43	172	121	66	187	130	57	187
13.	केरल	54	23	77	58	18	76	55	27	82
14.	मध्य प्रदेश	248	64	312	257	77	334	244	60	304
15.	महाराष्ट्र	262	73	335	216	104	320	238	84	322
16.	मणिपुर	12	0	12	16	2	18	8	1	9
17.	मेघालय	9	0	9	7	1	8	8	2	10
18.	मिजोरम	एनए	एनए	एनए	0	0	0	8	1	9
19.	नागालैंड	3	0	3	1	0	1	7	3	10
20.	ओडिशा	51	47	98	118	40	158	72	32	104
21.	पंजाब	66	17	83	42	14	56	65	21	86
22.	राजस्थान	101	30	131	124	35	159	103	32	135
23.	सिक्किम				1		1	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	234	93	327	246	93	339	227	100	327
25.	त्रिपुरा	13	4	17	7	4	11	16	8	24
26.	उत्तर प्रदेश	331	65	396	354	81	435	288	56	344
27.	उत्तराखंड	25	3	28	13	1	14	13	6	19
28.	पश्चिम बंगाल	149	16	165	88	25	113	84	36	120
	कुल राज्य	2456	695	3151	2382	787	3169	2496	792	3288
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2		2	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	1	2	1	0	1	3	1	4
31.	दादरा और नगर हवेली	2	1	3	1	0	1	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	36	7	43	23	18	41	25	14	39
34.	लक्षद्वीप				0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	2	5	2	1	3	8	0	8
	कुल संघ शासित	44	11	55	27	19	46	36	15	51
	कुल अखिल भारत	2500	706	3206	2409	806	3215	2532	807	3339

वर्ष 2008-2010 के दौरान 50 वर्ष से अधिक आयु वाले हत्या की कोटि में न आने वाले सदोष मानवबद्ध तथा अपहरण एवं व्यपहरण के पीड़ितों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानवबद्ध									अपहरण एवं व्यपहरण								
		2008			2009			2010			2008			2009			2010		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	19	3	22	23	5	28	15	11	26	32	5	37	26	3	29	13	10	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	2	0	2	0	0	0
4.	बिहार	27	1	28	15	1	16	16	3	19	16	2	18	4	0	4	1	0	1
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	1	1	2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	गोवा	2	1	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	4	3	7	0	1	1	7	0	7	2	0	2	3	0	3	4	7	11
8.	हरियाणा	3	1	4	7	1	8	3	1	4	6	2	8	4	29	33	7	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	3	1	4	2	0	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
11.	झारखंड	3	0	3	6	1	7	2	1	3	5	0	5	1	1	2	2	0	2
12.	कर्नाटक	5	1	6	3	0	3	6	0	6	13	3	16	8	0	8	19	28	47
13.	केरल	17	2	19	23	10	33	21	5	26	4	1	5	7	1	8	6	0	6
14.	मध्य प्रदेश	20	1	21	2	3	5	3	1	4	5	0	5	7	1	8	7	0	7
15.	महाराष्ट्र	15	5	20	16	3	19	18	3	21	13	2	15	18	2	20	22	2	24
16.	मणिपुर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	17	0	17	21	0	21	19	5	24
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	0	7	1	0	1	1	0	1
20.	ओडिशा	10	7	17	0	0	0	0	0	0	7	1	8	4	5	9	0	0	0
21.	पंजाब	8	4	12	9	3	12	12	6	18	8	1	9	8	0	8	5	1	6
22.	राजस्थान	4	0	4	6	0	6	9	0	9	18	21	39	17	10	27	25	8	3
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	1	2	3	0	3	3	0	3	11	2	13	20	2	22	11	5	16
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1
26.	उत्तर प्रदेश	114	9	123	117	14	131	126	11	137	10	0	10	17	0	17	10	0	10
27.	उत्तराखंड	3	0	3	6	0	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	31	2	33	41	16	57	42	14	56	0	0	0	28	0	28	35	98	133
	कुल संघ शासित	**288**	**41**	**329**	**284**	**61**	**345**	**297**	**57**	**354**	**185**	**40**	**221**	**200**	**54**	**254**	**193**	**166**	**359**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	2	0	2	3	0	3	3	3	6	3	2	5	4	0	4	3	0	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	0	1	0	0	0	4	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	3	0	3	5	0	5	8	4	12	6	2	7	4	0	4	3	0	3
	कुल अखिल भारत	291	41	332	289	61	350	305	61	366	191	42	228	204	54	258	196	166	662

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश

2161. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ित अथवा अन्य प्रकार से पीड़ित महिलाओं की पहचान को उजागर करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों का कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में उल्लंघन हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली डोमेस्टिक वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ मामले में दिनांक 19.10.1994 में दिए गए एक निर्णय में यह निदेश दिया है कि सभी बलात्कार संबंधी विचारणों में, जहां तक अवश्यक हो, पीड़ित महिला की छद्मनामिता को बनाए रखा जाए।

ऐसी कुछेक घटनाओं की जानकारी मिली है जहां पर राज्य पुलिस की ओर से हुई असावधानीपूर्ण चूक की वजह से बलात्कार पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण हो गया है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार, महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा है जिसमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषरी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं प्रभावकारी दण्ड देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच पड़ताल की गुणवत्ता सुधारने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को न्यूनतम करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठ' स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/सां राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तर पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन" और पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला/बाल सहायता डेस्क' स्थापित किए हैं।

गृह मंत्रालय ने मार्च, 2010 में पुलिस की मीडिया नीति पर जारी एक पृथक व्यापक परामर्शी पत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मीडिया से रूबरू होने के दौरान दिशानिर्देशों का नियमनितता के साथ पालन करने की सलाह दी है। इसकी बिन्दु संख्या (2) (फ) में विशेष रूप से किशोर अपराधियों और बलात्कार पीड़ितों की पहचान के संरक्षक से संबंधित विधिक प्रावधानों और न्यायालय के दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने की सलाह दी गई है। कृषि 272

आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत बांस उत्पाद

2162. श्री एम.के. राघवनः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बांस उत्पादों तथा नारियल पत्ती उत्पादों जैसे टोकरी आदि को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन दोनों उप-उत्पादों में शामिल कार्यकलाप रेशम कीट पालन जैसी है और इसे कृषि कार्यकलापों के रूप में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक राज्य योजना स्कीम है। भारत सरकार द्वारा इस स्कीम की परियोजनाएं अनुमोदित नहीं है। राज्य सरकारों को परियोजना के आधार पर निधि की निर्मुक्ति राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा होती है।

यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह स्कीम को राज्य में आगे कायान्वित करें ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हो सके और किसानों की बेहतरी के लिए राज्य में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

बांस उत्पादन और नारियल पत्ती उत्पाद से संबंधित कार्यकलाप रेशम कीट पालन के समान नहीं है। तथापि, काकून उत्पादन स्तर रेशम कीट पालन कार्यकलाप कृषि आधारित कार्यकलाप है। अतः कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने रेशम कीट पालन संबद्ध कार्यकलापों को आकेवीवाई में शामिल किया है।

रोजगार गारंटी योजना

2163. श्री कुवंरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए शहरी रोजगार योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो शहरी गरीबों को रोजगार गारंटी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, नहीं। वर्ष 1997 से कायान्वित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) को हाल ही में वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में जीवनयापन की स्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम भिन्न हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार स्कीम (एमएनआरईजीएस) की तरह अकुशल मजदूरी रोजगार पर अधिक ध्यान देने के बजाए शहरी गरीबों के कौशल विकास के साथ-साथ उनके लिए सुस्थिर स्व-रोजगार अवसर प्रदान करना शायद अधिक आवश्यक है। हाल ही में संशोधित एसजेएसआरवाई के दिशा-निर्देशों में शहरी गरीबों को उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए कौशल विकास पर यथेष्टि फोकस निर्धारित किया गया है ताकि उन्हें शहरी क्षेत्रों में बढ़ते रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

असुरक्षित इमारतें

2164. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली में अनेक इमारतें असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में असुरक्षित इमारतों की संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने के निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में असुरक्षित इमारतों की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि, एमसीडी प्रत्येक वर्ष खतरनाक इमरतों की पहचान हेतु मानसून-पूर्व नियमित सर्वेक्षण करवाता है और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि जहां तक एनडीएमसी क्षेत्र का संबंध है, कोई भी असुरक्षित इमारत नहीं पाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

आवासों और प्रयोगशाला का निर्माण

2165. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के घटक राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग आयोजना ब्यूरो (एनबीएसएस एंड एलयूपी) ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नई दिल्ली में आवास और कार्यालय-सह-प्रयोगशाला बनाने का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के.लो.नि. विभाग ने परियोजना कार्य पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, हां। संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र.सं	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	के.लो.नि.वि. को जारी अग्रिम राशि	अग्रिम राशि जारी करने की तिथि
1.	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली के कार्यालय-सह-प्रयोगशाला निर्माण कार्य	रु. 1,45,79,000-	रु. 48,59,666/-	20.02.2001
2.	क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली में 18 आवासीय मकानों का निर्माण	रु. 78,40,000/-	रु. 26,13,072/-	06.03.2000

(ग) और (घ) जी नहीं। इसके निम्नलिखित कारण हैं:-

1. क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली के कार्यालय-सहय-प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य	दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा अभी तक 'ले-आउट-प्लान' स्वीकृत न होने के कारण।
2. क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली में 18 आवासीय मकानों का निर्माण कार्य	दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और अन्य स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा अभी तक 'ले-आउट-प्लान' स्वीकृत न होने के कारण। इसके अलावा आवासीय मकानों के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को अब कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पुनः आवंटित कर दिया है अतः के.लो.नि.वि. (सीपीडब्ल्यू डी) से रु. 52.26.144/- की जमा राशि एनबीएसएस एण्ड एलयूपी को वापस लौटाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी] 275-76

चीनी विनियंत्रण संबंधी समिति

2166. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री राम सुन्दर दास:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एल राजगोपाल:
श्री संजय भाई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी क्षेत्र के विनियंत्रण के प्रस्ताव की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के उद्देश्यों, रचना और विचारार्थ विषयों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी क्षेत्र के विनियंत्रण से होने वाले लाभ का आंकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम और ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी हां।

(ख) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष, डा. सी. रंगराजन के अध्यक्षता में 24.01.2012 को एक समिति गठित की गई है, जो चीनी क्षेत्र के विनियंत्रण से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगी। समिति का संघटन निम्नानुसार है:-

(i)	डा. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	- अध्यक्ष
(ii)	डा. कौशिक बासु, मुख्य आर्थिक सलाहकार	- सदस्य
(iii)	सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	- सदस्य
(iv)	सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग	- सदस्य
(v)	डा. अशोक गुलाटी, अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग	- सदस्य
(vi)	टी. नन्द कुमार, सदस्य, एन.डी.एम.ए.	- सदस्य
(vii)	सचिव, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	- संयोजन

समिति के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रिति के रूप में चीनी निति का ज्ञान और अनुभव रखने वाले एक अथवा दो विशेषज्ञ/शिक्षाविद् को समिति में आमंत्रित करने का अधिकार है। समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

(ग) और (घ) चूंकि समिति ने अपने निष्कर्ष/सिफारिशें अभी तक प्रस्तुत नहीं की हैं इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 276-78

किसानों की स्थिति

2167. **श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के द्वारा हाल ही में कर्नाटक सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों/वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसानों की स्थिति के संबंध में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या सरकार का किसानों को अपनी आमदनी में वृद्धि करने के लिए कृषि कार्यकलापों को गैर कृषि-कार्यों में विविधीकरण करने हेतु कोई नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के उक्त क्षेत्रों में किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि की स्थिति 2011-12 पर रिपोर्ट तैयार की है तथा इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया गया है। रिपोर्ट को कृषि और सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.agricoop.nic.in पर भी अपलोड किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रभावी प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के जरिए कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में पैदावार के अंतर को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसे कृषि अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ एवं पुनर्मुखीकृत करके, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करके, वर्षासिंचित क्षेत्रों को लक्षित करके, पूर्वी भारत आदि में राज्यों के विकास पर जोर देकर सक्षम आपूर्ति एवं सेवा पद्धति तथा उत्पादन फ्रंटयीर में वृद्धि करने के साथ समायोजित किया जा सकता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव तथा खेती योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट, भू-उत्पादकता के साथ सामंजस्य स्थापित किए बिना फसल कटाई तीव्रता को बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्पादकता में वृद्धि लाने, आदानों, जैसे गुणवत्ता बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक, सिंचाई, विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी पहुंच, लघु जोत क्षेत्रों की अधिकांश संख्या से पैदावार को संचय करने तथा विपणन हेतु समर्थन आाारभूत ढांचे तथा नवीन विपणन प्रणाली आवश्यक है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट होने के कारण, कृषि पर जनसंख्या के लगातार बढ़ते दबाव तथा भू-जोत क्षेत्रों में बढ़ते हुए विखण्डन के फलस्वरूप प्रति परिवारों के खेती योग्य भू-क्षेत्र की उपलब्धता में गिरावट के साथ-साथ कृषि क्षेत्र से ग्रामीण परिवारों की जीविका का रख-रखाव करने मात्र से अतिरिक्त रोजगार के सृजन करने की स्थिति नहीं बन सकती है। गैर फार्म तथा विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन करने की आवश्यकता है। यह लोगों के उपयुक्त बुद्धि विकास के लिए अपेक्षित है ताकि कृषि को सततत तरीके से व्यवहार्य बनाने के लिए गैर फार्म क्रियाकलापों में लाभान्वित करने के लिए तैनात किया जा सके।

(ग) और (घ) इस समय गरीबों के लिए रोजगार में सुधार लाने तथा जीविका अवसरों हेतु बुद्धि विकास पर मुख्य जोर दिया गया है। इस मद में एकी थ्री-टीयर ढांचे का सजन किया गया है। जिसमें शामिल हैं (1) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिल्प विकास परिषद, (2) राष्ट्रीय शिल्प विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी), तथा (3) राष्ट्रीय शिल्प विकास निगम (एनएसडीसी)। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय परिषद में कोर संचालन सिद्धांतों की रूप रेखा तैयार की गयी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों, सिविल सोसाइटी के बीच पार्टनरशिपों पर आधारित शिल्प विकास के लिए सह-सृजित समाधानों संबंधी आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई है। निर्धनतम लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए उपयुक्त कुशलता का सृजन करने पर जोर दिया गया है।

(ङ) कुशलता विकास अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि विस्तार में नियमित अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों, कृषि औजारों के उपयोग तथा मशीनरी, भू-संरक्षण, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, जांच एवं गुणवत्ता प्रबंधन तथा इनके विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता के विकास के अलावा व्यसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

विदेशी नागरिकों के विरुद्ध दर्ज मामले

278-80

2168. श्री अनंत कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कुल मामलों की राष्ट्रीयता-वार, राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) राज्यों में ऐसे मामलों की अधिक घटनाओं वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) वर्ष 2009,2010, 2011 और 2012 (फरवरी तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा विदेशी राष्ट्रिकों नागरिकों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का राज्य-वार और राष्ट्रीयता-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और तमिलनाडु राज्य में ऐसी घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है।

विवरण

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो विदेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार और राष्ट्रीयता-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010		2011		2012	
		दर्ज किए गए मामलों की संख्या	राष्ट्रीयता	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	राष्ट्रीयता	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	राष्ट्रीयता	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	राष्ट्रीयता
1.	चंडीगढ़	1	कनाडा	1	लेसोथो	-	-	-	- -
2.	दिल्ली	3	नाइजीरिया, मोजाम्बिक और थाईलैंड	13	माले फिलीपीन, अफगानिस्तान, सिंगापुर, नेपाल और नाइजीरिया	5	नेपाल नाइजीरिया इस्राइल अफगानिस्तान	-	-
3.	महाराष्ट्र	2	यू एस और कैमरून	2	ईरान, नीदरलैंड और कोलम्बिया	4	नाइजीरिया जर्मनी, इटली	1	बोलीविया, कोलम्बिया, ब्रिटेन
4.	तमिलनाडु	5	नाइजीरिया, केन्या, श्रीलंका, प. अफ्रीका और नेपाल	4	श्रीलंका और मलेशिया	5	श्रीलंका, मालदीव, रूस	2	नाइजीरिया
5.	गुजरात	1	नाइजीरिया	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर प्रदेश	1	नेपाल	-	-	-	-	-	-
7.	पंजाब	1	पाकिस्तान	-	-	-	-	-	-
8.	मणिपुर	-	-	1	म्यांमार	1	म्यांमार	2	म्यांमार
9.	बिहार	-	-	-	-	-	-	1	नेपाल
10.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	1	कैमरून

[हिन्दी]

सीमा पार से तस्करी

2169. श्री महेश्वर हजारी:
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री निशीकांत दुबे:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार से नशीले पदोर्थो/स्वापक खाद्यान्नों और उर्वरकों सहित विभिन्न वस्तुओं की तस्करी की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रकाश में आये मामलों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान

उनसे जब्त की गई वस्तुओं और विदेशियों सहित पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या का सीमा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत नेपाल सीमा और भारत बंगलादेश सीमा जैसे संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा बलों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की सीमाओं पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती और सीमा पार से तस्करी के मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) भारत-नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल है। एसएसबी ने भारत-नेपाल सीमा पर अब तक 450 सीमा जांच चौकियां (बीओपी) स्थापित की हैं। प्रत्येक बीओपी की स्वीकृत क्षमता एक प्लाटून है। एसएसबी को जून, 2010 में 32 अतिरिक्त बटालियनें मंजूर की गई हैं जिनका गठन वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान किया जागगा।

सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) भारत-बांगलादेश सीमा पर 1185 स्वीकृत सीमा जांच चौकियों के साथ इस सीमा पर सीमा रक्षक बल है। इसके अतिरिक्त, इस सीमा के नदीय तटीय क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 03 तैरने वाली (फ्लोटिंग) सीमा जांच चौकियों (बी ओ पी) की भी तैनाती की गई है। सरकार ने भारत-बांगलादेश सीमा पर प्रभावकारी प्रभुत्व के लिए 29 अतिरिक्त बटालियनों का भी अनुमोदन प्रदान किया है। इन बटालियनों का गठन वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों की भावी योजना में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी करना और गश्त लगाना तथा अवलोकन चौकियां स्थापित करना; सीमा पर बाढ़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना; निगरानी के आधुनिक और हाई-टेक उपकरण लगाना; आसूचना के ढांचे का उन्नयन तथा राज्य सरकारों और संबंधित आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा-वार मादक औषधियों/स्वापक पदार्थों, खाद्यान्नों तथा उर्वरकों आदि की तस्करी का ब्यौरा

1. भारत-बांग्लादेश सीमा

क्र.सं.	मद	2009	2010	2011	2012 (फरवरी तक)
1.	मादक औषधि/स्वापक पदार्थ	9549 कि.ग्रा.	9292 कि.ग्रा.	8598 कि.ग्रा.	675 कि.ग्रा.
2.	खाद्यान्न	38004 कि.ग्रा.	20226 कि.ग्रा.	51885 कि.ग्रा.	2833.5 कि.ग्रा.
3.	उर्वरक	295095 कि.ग्रा.	83938 कि.ग्रा.	8477 कि.ग्रा.	2567

2. भारत-पाकिस्तान सीमा

क्र.सं.	मद	2009	2010	2011	2012 (फरवरी तक)
1.	मादक औषधि/स्वापक पदार्थ	148 कि.ग्रा.	146 कि.ग्रा.	75 कि.ग्रा.	99 कि.ग्रा.
2.	खाद्यान्न	–	–	–	–
3.	उर्वरक	–	–	–	–

3. भारत-चीन सीमा

क्र.सं.	मद	2009	2010	2011	2012 (फरवरी तक)
1.	मादक औषधि/स्वापक पदार्थ	–	–	–	–
2.	खाद्यान्न	–	–	–	–
3.	उर्वरक	–	–	–	–

4. भारत-नेपाल सीमा

क्र.सं.	मद	2009	2010	2011	2012 (फरवरी तक)
1.	मादक औषधि/स्वापक पदार्थ	25294.884 कि.ग्रा.	30715.083 कि.ग्रा.	12405.284 कि.ग्रा.	1846.88 कि.ग्रा.
2.	खाद्यान्न	244561 कि.ग्रा.	788939.2 कि.ग्रा.	499408 कि.ग्रा.	11428 कि.ग्रा.
3.	उर्वरक	18330 बैग्स	28094 बैग्स	13261 बैग्स	1627 बैग्स

5. भारत-भूटान सीमा

क्र.सं.	मद	2009	2010	2011	2012 (फरवरी तक)
1.	मादक औषधि/स्वापक पदार्थ	112.365 कि.ग्रा.	397.809 कि.ग्रा.	710 कि.ग्रा.	2 कि.ग्रा.
2.	खाद्यान्न	–	–	–	–
3.	उर्वरक	–	–	–	–

6. भारत-म्यांमार सीमा

क्र.सं.	मद	2009	2010	2011	2012 (फरवरी तक)
1.	मादक औषधि/स्वापक पदार्थ	7747.721 कि.ग्रा.	25349 कि.ग्रा.	11124.148 कि.ग्रा.	894.996 कि.ग्रा.
2.	खाद्यान्न	–	–	–	–
3.	उर्वरक	–	–	–	–

विवरण II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशियों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सीमा-वार संख्या

क्र.सं.	सीमा	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			
		2009	2010	2011	2012 (फरवरी तक)
1.	भारत-बांग्लादेश	4766	3017	2514	371
2.	भारत-पाकिस्तान सीमा	253	246	187	47
3.	भारत-चीन सीमा	-	13	20	-
4.	भारत-नेपाल सीमा	350	1069	577	48
5.	भारत-भूटान सीमा	11	06	09	-
6.	भारत-म्यांमार सीमा	73	157	90	47

285-86

गन्ने का एफ.आर.पी.

2170. श्री राम सुन्दर दासः
श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः
श्री कपिल मुनि करवारियाः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी सत्र हेतु सरकार द्वारा गन्ने के लिए निर्धारित/प्रस्तावित उचित और लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के बावजूद देश भर में गन्ने का समान एफ. आर.पी. निर्धारित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा एफआरपी निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या गन्ने की बढ़ाई गई कीमतें थोक चीनी की कीमतों के अनुरूप नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूलय आयोग की सिफारिशों के आधार पर और विभिन्न हित धारकों के साथ परामर्श करने के बाद किया जाता है। आगामी मौसम के लिए उचित और लाभकारी मूल्य पर विचार किया जा रहा है तथा इसे अभी तय किया जाना है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार संपूर्ण देश के लिए रिकवरी दर से संबद्ध करके गन्ने का एक समान उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। व्यापक स्कीम के अधीन भौगोलिक, उष्ण कटिबंधीय और जलवायु संबंधी परिस्थितियों में अन्तर को लागत आंकड़ों को एकत्र और समेकित करने की प्रक्रिया में हिसाब में लिया जाता है। देश में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, दोनों क्षेत्रों में गन्ना उत्पादक प्रत्येक राज्य का मृदा की किस्म के अनुसार समान कृषि जलवायु अंचलों में स्तर पर किया जाता है तथा इसके बाद प्रत्येक समान कृषि जलवायु अंचल में नमूना कृषि जोत से लागत के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ताकि प्रत्येक राज्य में खेती/उत्पादन की प्रतिनिधि लागत को तय किया जा सके। उचित और लाभकारी मूल्य का एक अन्य पहलु यह है कि इसे 9.5% की मूल रिकवरी दर से जोड़ा जाता है जिसमें 9.5% की मूल रिकवरी दर के ऊपर की रिकवरी दर में 0.1% की प्रत्येक वृद्धि के लिए प्रिमियम दिया जा रहा है। उपर्युक्त मूल रिकवरी से रिकवरी में प्रत्येक 0.1% वृद्धि किसानों को होने वाली गन्ना मूल्य प्राप्ति को अलग-अलग करती है। चूंकि कृषि जलवायु परिस्थितियों में सुक्रोज तत्व में अंतर और उसके परिणामस्वरूप रिकवरी में होने वाले अंतर के साथ संबद्ध होता है इसलिए एक समान उचित और लाभकारी मूल्य के ऊपर प्रिमियम में इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा गन्ने के उचित और लाभकारी मूलय की संस्तुति करते समय केन्द्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित घटकों का विधिवत ध्यान देती है तथा अन्य संगत बातों को भी हिसाब में लेती है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार चीनी के उन मूल्यों को ध्यान में रखती है, जिनके उस संबंधित चीनी मौसम में प्रचलित रहने की संभावना होती है, जिसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य की संस्तुति की जाती है।

(च) केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एक लाभकारी गन्ना मूल्य है, क्योंकि इसमें जोखिम और लाभ का मार्जिन अपफ्रंट शामिल होता है।

786-92

खाद्यान्नों का विपथन

2171. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
डॉ. संजय सिंहः
श्रीमती ज्योति धुर्वेः
श्री अम्बिका बनर्जीः
श्री रवनीत सिंहः
राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री गोपाल सिंह शेखावतः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
श्री यशवंत लागुरीः
श्री अशोक तंवरः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वीः

श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के विपथन/चोरी हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और अन्य एजेंसियों ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की कड़ी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान चोरी हुए खाद्यान्नों की मात्रा और उनका मूल्य कितना है और पीडीएस के कार्यान्वयन पर हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पीडीएस कार्यान्वयन की स्थिति सबसे बदतर हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या खाद्य विशेषज्ञों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को और सक्षम और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार ने खाद्यन्नों का विपथन रोकने और गरीबों को खाद्यन्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस को सुदृढ़/सुकर बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली कमियों की जांच करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता समिति ने 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंध में तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर भी अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। इन रिपोर्टों में केन्द्रीय सतर्कता समिति ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में शामिल न करने की त्रुटि, जाली/अपात्र राशन कार्ड परिचालन में होने, खाद्यन्नों का विपथन/चोरी होने, लाभार्थियों को खाद्यन्नों के उनकी पात्रता को कोटा न मिलने और उचित दर दुकानों का आवंटन मनमाने तरीके से किए जाने जैसी कमियां बताई हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में खाद्यान्नों की हानि सहित अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। जब कभी भी केन्द्र सरकार को शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, इन्हें जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया जाता है। तथापि गुम हुए खाद्यन्नों की मात्रा और कीमत का सही आकलन उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन पर वहन किया गया खर्च खाद्यन्नों के उठान के आधार पर भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीयकृत खरीद योजना वाले राज्यों को जारी की गई खाद्य राजसहायता के रूप में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य राजसहायता के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटि कुल निधियां और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर और अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी राजसहायता तथा वर्तमान वर्ष के लिए जारी राजसहायता तथा वर्तमान वर्ष के लिए बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित निधि	स्कीम-वार राजसहायता		
		गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
2008-09	43695	7294	16157	12615
2009-10	58242	12595	19564	14224
2010-11	62930	15875	20385	14083
2011-12 (संशोधित अनुमान)	62382*	**	**	**

* वित्त मंत्रालय द्वारा बतायी गई राशि। तथापि इसका आवंटन अभी नहीं किया गया है।

** वर्ष के लिए जारी राजसहायता के राज्यवार ब्यौरे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तैयार किए जाते हैं।

(ग) से (च) केन्द्र सरकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यन्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन करती है। 2010-11 और 2011-12 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान खाद्यन्नों के आवंटन/उठान का राज्यवार विवरण संलग्न है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना और इसे सुदृढ़ करना तथा सरल बनाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को नियमित रूप से पत्र लिखती रही है तथा अनुरोध करती रही है कि वे गरीबी रेखा से नीचे और अंत्यांदय अनन योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करें, उचित दर दुकानों पर समय से खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें और विभिन्न स्तरों पर अधिक मॉनिटरिंग और सतर्कता सुनिश्चित करें। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सर्वोत्तम पद्धतियों और सुधारों पर जुलाई 2010 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एक सम्मेलन हुआ था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने सहित कई मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक और सम्मेलन फरवरी 2012 में किया गया था।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसे अधिक कुशल तथा संवेदनशील बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्राथमिकता के आधार कम्प्यूटरीकरण करें, जिसमें उचित दर दुकानों का स्वचालन, आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूरीकरण, लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजीटाइलेशन और पारदर्शी शिकायत निपटान तंत्र स्थापित करना आदि शामिल है।

विवरण I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-2011 और 2011-12 (जनवरी, 2012 तक) चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12*	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3676.48	3433.137	3101.116	2512.793
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	85.023	84.63	67.714
3.	असम	1673.126	1591.641	1492.28	1363.658
4.	बिहार	3543.192	2969.154	3033	2311.965
5.	छत्तीसगढ़	68.032	1135.107	1011.4	889.668
6.	दिल्ली	595.734	607.303	498.038	448.889
7.	गोवा	68.751	53.804	49.81	50.743
8.	गुजरात	1885.998	1532.88	1671.22	1054.551
9.	हरियाणा	685.242	613.097	606.42	505.636
10.	हिमाचल प्रदेश	508.988	486.462	431.156	427.429
11.	जम्मू और कश्मीर	757.104	749.115	630.67	628.232
12.	झारखंड	1919.412	1032.747	1112.59	847.541
13.	कर्नाटक	2260.476	2132.04	1978.358	1879.901

1	2	3	4	5	6
14.	केरल	1399.646	1373.157	1186.226	1203.875
15.	मध्य प्रदेश	2610.454	2707.86	2224.65	2175.342
16.	महाराष्ट्र	4490.412	3687.169	3853.94	3011.686
17.	मणिपुर	141.844	71.209	131.954	112.255
18.	मेघालय	182.928	156.605	150.266	147.539
19.	मिजोरम	70.14	64.502	58.45	55.563
20.	नागालैंड	126.876	138.126	105.73	119.644
21.	ओडिशा	221.788	2052.089	1764.356	1712.746
22.	पंजाब	786.348	680.707	676.104	561.836
23.	राजस्थान	203128	1937.843	1751.89	1749.855
24.	सिक्किम	44.25	43	36.89	38.251
25.	तमिलनाडु	3722.832	3698.126	3102.36	3129.266
26.	त्रिपुरा	302.622	249.02	257.494	226.598
27.	उत्तर प्रदेश	6948.948	6555.953	5902.47	5607.574
28.	उत्तराखंड	474.122	455.838	417.37	367.692
29.	पश्चिम बंगाल	3601.864	3325.618	3120.888	2702.582
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.02	17.921	28.35	13.548
31.	चंडीगढ़	31.38	25.975	28.85	28.17
33.	दमन और दीव	4.98	1.162	4.488	4.026
34.	लक्षद्वीप	462	6.385	3.85	2.703
35.	पुदुचेरी	56.112	48.435	58.86	38.412
	जोड़	47547.329	43720.667	40564.664	36006.335

*जनवरी, 12 तक

प्राचीन गुफाओं का संरक्षण

2172. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) का गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित देश में प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं के संरक्षण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने उक्त गुफाओं का विशेषकर महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा गुफाओं का वैज्ञानिक प्रकार से संरक्षण और प्रशिक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु आबंटित वित्तीय सहायता का गुफा-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क), (ख) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित गुफाओं और संरक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित निधियों का राज्य-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा गुफाओं सहित गुफाओं पर संरक्षण कार्य, उनकी मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, नियमित रूप से किया जाता है। संरक्षण कार्य हेतु, जहां कहीं भी आवश्यक होता है, देश की विख्यात सरकारी एजेंसियों से तकनीकी सलाह ली जाती है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित गुफाओं की सूची और वर्ष 2011-12 के लिए आबंटित निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारक/गुफा का नाम	स्थान		2011-2012 के लिए आबंटित निधियां (राशि रुपए में)
			शहर/कस्बा तहसील/गांव	जिला	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. शैलकृत गुफा मंदिर	मोगला	कृष्णा	23,000
		2. चार मंजिला शैलकृत हिन्दू मन्दिर	रजापुरम उदांवली	कृष्णा	1,80,000
		3. अक्कन्ना मदर्ना गुफा नामक शैलकृत मन्दिर	विजयवाड़ा	कृष्णा	3,90,000
		4. शैलकृत मन्दिर	गुंटूपल्ली	पश्चिम गोदावरी	59,000
2.	असम	1. शैलकृत गुफाओं का समूह	जोगीघोपा	बोंगईगांव	3,50,000
3.	बिहार	1. पत्थरघट्टा पहाड़ी पर बटेश्वर गुफा के समीप पातालपुरी गुफा और साथ लगी भूमि	माधोरामपुर	भागलपुर	50,000
		2. कर्ण चौपड़ गुफा	बराबर पहाडी	जहानाबाद	20,000
		3. सुदामा गुफा	बराबर पहाडी	जहानाबाद	
		4. लोमश ऋषि गुफा	बराबर पहाडी	जहानाबाद	
		5. विश्व झोपा गुफा	बराबर पहाडी	जहानाबाद	
		6. गोपी गुफा	नागार्जु पहाडी	जहानाबाद	1,50,000
		7. वदाथिका गुफा	नागार्जुनी पहाडी	जहानाबाद	
		8. वाहियक गुफा	नागार्जुनी पहाडी	जहानाबाद	
		9. सोने भण्डार गुफा	राजगीर	नांलदा	20,000
		10. सप्तपर्णी गुफा	राजगीर	नांलदा	20,000

1	2		3	4	5	6
4.	छत्तीसगढ़	1.	सीता भेंगड़ा गुफा	उदयपुर	सरगुजा	1,25,000
		2.	जोगीमारा गुफा	उदयपुर	सरगुजा	1,25,000
5.	गोवा	1.	शैलकृत गुफाएं	अरावीलेम	उत्तर गोवा	1,00,000
6.	गुजरात	1.	तलजा गुफाएं	तलजा	भानगर	5,13,942
		2.	बौद्ध गुफाएं	जूनागढ़	जूनागढ़	2,32,320
		3.	बाबा प्यारे, खपड़ा कोडिया गुफाएं	जूनागढ़	जूनागढ़	17,74,665
		4.	ढांक गुफाएं	ढॉक	राजकोट	315
7.	जम्मू और कश्मीर	1.	बर्नजुवा गुफा और मंदिर	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	2,75,000
8.	कर्नाटक	1.	रावण फाड़ी गुफाएं	एहोले	बागलकोट	1,13,238
		2.	शैलाश्रय (शिदलापाडी गुफा)	एहोले	बागलकोट	–
		3.	मीना बस्ती (जैन गुफा)	एहोले	बागलकोट	69,275
		4.	झील के पूर्व में एक प्राकृतिक गुफा में विरासत	बादामी	बागलकोट	–
		5.	जैन एवं वैष्णव गुफाएं	बादामी	बागलकोट	3,92,688
		6.	भूतनाथ के दक्षिण-पूर्व की खड़ी चट्टान के नीचे एक प्राकृतिक गुफा में शैलाकृत, बृहत् बैठी हुई मूर्ति	बादामी	बागलकोट	1,70,246
9.	केरल	1.	शैलकृत गुफा	विझिन्जम, त्रिवेन्द्रम	केरल	1,15,159
10.	मध्य प्रदेश	1.	प्रथम शताब्दि ई.के शिलालेखों वाली गुफाएं	सिलहार	अनूपपुर	7,235
		2.	लोहानी गुफाएं	मांडू	धार	–
		3.	सत कोठारी गुफा	मांडू (सूलीबून्दी)	धार	–
		4.	बौद्ध गुफाएं 1 से 7	बाग	धार	1,34,296
		5.	पांडव गुफाएं	पचमढ़ी	होश्न-गबड	5,87,990
		6.	बौद्ध गुफाएं सं. 1 से 57	धमनार	मन्दस-और	–
		7.	गुफा में शिलालेख	क्षअेती	रेवा	8,189
		8.	गुफाएं	पथारी	विदिशा	–
		9.	गुफाएं 1 से 20	उदयगिरी	विदिशा	99,644
		10.	स्मारकों का समूह			

1	2		3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	1.	ढोकेश्वर गुफाएं	ढोके	अहमदनगर	5,13,841
		2.	पातुर गुफाएं (दो गुफाएं)	पातुर	अकोला	18,355
		3.	अजंता गुफाएं	अजंता	औरंगाबाद	1,68,46,595
		4.	औरंगाबाद गुफाएं	औरगाबाद	औरंगाबाद	19,32,075
		5.	एलोरा गुफाएं	एलोरा	औरंगाबाद	34,73,018
		6.	पीतलखोरा गुफाएं	पीतलखोरा	औरंगाबाद	20,12,284
		7.	तीन मूर्तियों सहित पांडवों की गुफाएं	भांडक	चन्द्रपुर	–
		8.	ध्वस्त रूप में पुराना मुख्य द्वारा और गुफाए	भामेर	ढुलिया	–
		9.	शैल गुफाएं	झारपापड़ा	गढ़चिरौली	–
		10.	स्थानीय रूप से पांडवलेणा के रूप में प्रसिद्ध हिंद गुफाएं	माहूर गांव	नांदेड	–
		11.	गुफाएं	अंकई	नासिक	6,195
		12.	पांडवलेणा	पथोर्डी	नासिक	1,24,784
		13.	जैन गुफाएं	त्रिगंलवाडी	नासिक	10,554
		14.	गुफाएं एवं मंदिर	हरीशचन्द्र	अहमदनगर	52,152
		15.	पोहेल गुफांए	गढ़		
		16.	गुफा मंदिर एवं शिलालेख	पोहला बेडसा	कोल्हापुर, पुणे	
		17.	गुफा मंदिर एवं शिलालेख	भाजा	पुणे	17,66,906
		18.	नानेघाट में गुफा मंदिर एवं शिलालेख	घाटघर	पुणे	70,000
		19.	गुफा मंदिर एवं शिलालेख	जन्नार	पुणे	1,00,000
		20.	गुफा मंदिर एवं शिलालेख			
		21.	पातालेश्वर के गुफा मंदिर			
		22.	उत्खनन एवं शिलालेख	पुणे	पुणे	
		23.	शैलकृत गुफाएं (गणेश लेणा समूह)	शेलरवाड़ी	पुणे	
		24.	बुद्ध गुफाएं			
		25.	मण्डेपेश्वर गुफाएं	पन्हाला काजी	रत्नागिरी	

1	2		3	4	5	6
		26.	जोगेश्वरी गुफाएं			
		27.	कोंडीवेट गुफाएं	जाखिनवाडी	सतारा	295615
		28.	बौद्ध गुफाएं	मण्डपेश्वरी	मुम्बई	
		29.	गुफा	मजास	उपनगर	
		30.	ऐलीफेंटा गुफाएं	कोंडीवेट	मुम्बई	
		31.	बौद्ध गुफाएं	कन्हेटी	उपनगर	
		32.	कोल गुफाएं	अम्बीवली	मुम्बई	5,09,062
		33.	सर्वेक्षण सं. 49 एवं 50 में गुफाएं में गुफाएं	घारापुरी गोमशी	उपनगर मुम्बई	4,00,000
		34.	कोन्डेन गुफाएं	कोल	उपनगर	4,00,000
		35.	कुडा गुफाएं	कोल	रायगढ़	
		36.	थनाला गुफाएं		रायगढ़	
		37.	खड़साम्बला गुफाएं	कोन्डेन	रायगढ़	1,50,000
		38.	गुफाएं	कुडा	रायगढ़	
		39.	कोटली किले के समीप गुफाएं	नदसूर	रायगढ़	
		40.	हिन्दू गुफाएं	पाले	रायगढ़	
		41.	बराड पहाडी पर गुफाएं	पेठ	रायगढ़	
		42.	प्राचीन पुर्तगाली चर्च, निगरानी मीनार और गुफाएं	पोलू सोनाला खुण्डवाड़ा	रायगढ़	
		43.	गुफाओं के ऊपर पुर्तगाली मठ और निकटस्थ पहाड़ी पर विशाल निगरानी मीनार	मण्डपेश्वर मण्डपेश्वर	थाना थाना मुम्बई उपनगर मुम्बई उपनगर	
12.	ओडिशा	1.	खण्डगिरी-उदयगिरी जैन गुफाएं	भुवनेश्वर	खुर्दा	11,39,670
		2.	आले सहित लघु शैलकृत कक्ष और सान्तीकर के शिलालेख	धौली	खुर्दा	–

1	2		3	4	5	6
13.	राजस्थान	1.	बौद्ध गुफाएं	हथियागोर	झालावाड	30,848
		2.	बौद्ध गुफाएं, स्तम्भ एवं मूर्तियां	कोल्वी	झालावाड	33,462
		3.	बौद्ध गुफाएं	बिनायग	झालावाड	31,683
		4.	नरंनजनी की बौद्ध गुफाएं	डाग	झालावाड	26,348
14.	तमिलनाडु	1.	शैलकृत गुफा	तिरूनन्दीकारा,	तिरूनेल्वेली	1,30,054
		2.	शैलकृत गुफा मंदिर	तिरूमलापुरम,	तिरूनेल्वेली	
		3.	शैलकृत गुफा मंदिर, शार्दुलमुख	तिरूनेल्वेली	तिरूनेल्वेली	44,667
		4.	सीतार्मलाई में गुफा	मेट्टपट्टी	डिंडीगुल	–
		5.	शैलकृत गुफा और शिलालेख	तिरूपर्नकुनरम	मदुरै	–
		6.	चट्टान पर उत्कीर्ण दो जैन आकृतियों सहित अखण्ड गुफा और क्षतिग्रस्त शिलालेख	अम्माचतरम	पुदुकोट्टई	–
		7.	शैलकृत शिव गुफा मन्दिर, सौ स्तम्भों युक्त मण्डपम का हाल अथवा स्लिंथ के अगले जोड़े में पहिए सहित रथ मण्डपम	कुन्ननदूर्कोईल	पुदुकोट्टई	–
		8.	शैल किला (i) निचली गुफा, (ii) नचली गुफा के सामने से स्थल की ओर जाने वाला मार्ग, (iii) ऊपरी गुफा की ओर जाने वाला मार्ग; (iv) निचली गुफा के सामने स्थल (v) ऊपरी गुफा	शैल किला, त्रिची	तिरूचिरापल्ली	–
		9.	शैलकृत गुफाएं, मूर्तियां और शिलालेख	मामंदुर	तिरूवनामलाई	–
		10.	शैलकृत गुफाएं	नर्समंगलम	तिरूवनामलाई	10,00,000
		11.	शैल, मूर्तियां एवं गुफाएं	विलापक्कम	वैल्लौर	
		12.	तलगिरिश्वर मन्दिर तथा दुर्गा की मूर्ति सहित एक गुफा और पल्लव शिलालेख	पनामलाई	विल्लुपुरम	–
		13.	शैलकृत गुफा मन्दिर	तिरूनन्दीकर	कन्याकुमारी	–
		14.	विरूपाक्षी कुहा के नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक गुफा एवं स्कंदाश्रम तथा रमणाश्रम से जाने वाला मार्ग	तिरुवनामलाई	तिरूवनामलाई	–
		15.	अलागरमलाई और किदमपट्टी के बीच मध्य मार्ग पर पंचपाडंव शैय्या सहित अलागरमलाई गुफा	मेलूर	मदुरै	–

1	2		3	4	5	6
		16.	कोनेरी पल्लम तालाब के उत्तर-पूर्वी किनारे पर दो शैलकृत मन्दिर	मामल्लपुरम	कांचीपुरम	–
		17.	कृष्ण मंडप के उत्तर में अधूरा शैलकृत गुफा मन्दिर	मामल्लपुरम	कांचीपुरम	–
		18.	कजूडागूमलाई, अलादीपेरूमल परैका में आठ प्राकृतिक गुफाएं, जैन मूर्तियां और शिलालेख	कुलातुर	पुदुकोट्टई	–
		19.	कुडुमियानमलाई के पश्चिमी भाग पर ड्रिप लाईन सहित प्राकृतिक गुफा	कुडुमियानमलाई	पुदुकोट्टई	–
		20.	शैलकृत शिव मन्दिर	मलयादिपट्टी	पुदुकोट्टई	–
		21.	शैलकृत विष्णु मन्दिर (सत्यागिरिश्वर मन्दिर)	तिरूमयम	पुदुकोट्टई	–
		22.	अन्दरमतम नामक प्राकृतिक गुफा	सेमबूती	पुदुकोट्टई	–
		23.	विरूपाक्षी गुहा के नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक गुफाएं एवं स्कंदाश्रम तथा रमणाश्रम से जाने वाला मार्ग	तिरूवनमलाई	तिरूवनमलाई	–
15.	उत्तराखंड		पाताल भुवनेश्वर गुफा	देहरादून	पिथौरागढ़	1,47,287
16.	उत्तर प्रदेश	1.	सीता की रसोई के नाम से प्रसिद्ध गुफा	मंकौर, तहसील-बाड़ा	इलाहाबाद	–
		2.	आस-पास फैली टूटी मूर्तियों सहित पहाड़ी के मध्य में दो विशाल गुफाएं	रौली, तहसील-अटार्रा	बांदा	–
		3.	रीखैन नाम से प्रसिद्ध दो विशाल गुफाएं	बढ़ा कोटरा, तहसील-मऊ	चित्रकूट	–
		4.	पभोसा पहाडी के मध्य मैं बनावटी गुफा	पभोसा, तहसील-माझंमपुर	कौशाम्बी	–
		5.	प्राचीन स्थल महेठ में अंगुलीमाल के नाम पर गुफा	महेठ, श्रावस्ती	श्रावस्ती	973682
		6.	पहाड़ी की चोटी के नजदीक प्रपाती बलुवा पत्थर की खड़ी चट्टान में अनेक गुफाएं	अधेसर	मिर्जापुर	–
		7.	अन्दर चट्टान पर दो, प्रारम्भिक, कुटीला शिलालेखों सहित खोह नामक गुफा	भूइली	मिर्जापुर	–
		8.	दुर्गा खोह	चूनार	मिर्जापुर	20,000

के.रि.पु.ब. में आसूचना इकाई की स्थापना करना

2173. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) में कथित रूप से जांच प्रक्रिया को सुचारू और तीव्र बनाने हेतु के.रि.पु.ब. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इकाई स्थापित करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निवेदन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) के प्रस्तावों पर विचार किया गया है और सरकार ने दिनांक 1.9.2009 और 6.1.2012 के आदेशों के तहत सी आर पी एफ की आसूचना इकाई (यूनिट) के लिए 1716 पद मंजूर किए हैं।

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों का कार्यकरण

2174. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:**
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित/कार्यरत दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या कितनी है और इन केन्द्रों से लाभान्वित दर्शकों और श्रोताओं की संख्या का दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में ट्रांसमीटरों सहित ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई का दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इन केन्द्रों के कम शक्ति के ट्रांसमीटरों के उन्नयन के संबंध में भी उक्त राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर की गई कार्रवाई का दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

शुष्क भूमि कृषि

2175. **श्री राकेश पाण्डेय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान शुष्क भूमि कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत लाई गई कुल भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शुष्क भूमि कृषि हेतु किसानों को दिए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) वर्षासिचित/शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा देने के लिए समेकित पनधारा प्रबंधन दृष्टिकोण के जरिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

कृषि मंत्रालय

1. वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)
2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण (आरवीपी एंड एफपीआर)
3. झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

2. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

3. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

इन कार्यक्रमों को 26.2.2009 से समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समन्वित और समेकित किया गया है।

पिछले दो वर्षों (2009-10 से 2010-11 के दौरान विभिन्न पनधारा कार्यक्रम के लिए आबंटन/व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पनधारा विकास के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज तथा वर्तमान वर्ष हेतु लक्ष्य के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इसके अलावा, लगभग 1.2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 10 राज्यों में 27 0 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के उप-स्कीम के रूप में वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।

(ग) और (घ) पनधारा विकास कार्यक्रमों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों हेतु किसानों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा सभी कृषि संबंधी विकास कार्यक्रम विभिन्न कृषि आदानों/कार्यों हेतु राजसहायता के रूप में किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पनधारा कार्यक्रमों में वर्षासिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता दी है।

विवरण I

पनधारा कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान (2009-10 और 2010-11) व्यय/निर्मुक्त

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनडब्ल्यूडी पीआरए*	आरवीपी/ एफपीआर*	डब्ल्यूडीपी एससीए*	डीपीएपी	डीडीपी #	आईडब्ल्यू डीपी #	आईडब्ल्यू एमपी #
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3.21	14.61		81.65	26.11	46.55	150.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.7	7.53	4.25			53.47	25.53
3.	असम	0	2.97	14.50			34.88	73.36
4.	बिहार	5.56	0.87				5.71	0.74
5.	झारखंड	19.38	1.55				4.37	31.74
6.	गोवा	2.37						
7.	गुजरात	24.58	31.36		69.96	142.26	39.43	211.96
8.	हरियाणा	4.9	9.95			52.28	9.42	0.85
9.	हिमाचल प्रदेश	9.9	15.03		23.4	13.73	30.47	74.28
10.	जम्मू और कश्मीर	5.49	28.01		13.48	30.21	13.49	
11.	कर्नाटक	25.01	25		94.45	71.44	52.76	151.97
12.	केरल	8.41	2.8				10.18	11.01
13.	मध्य प्रदेश	41.54	59.78		85.04		41.31	156.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	छत्तीसगढ़	14.95	4.62	35.68			22.24	64.07
15.	महाराष्ट्र	41.19	57.44		160.72		75.83	275.91
16.	मणिपुर	15.05	9.53	16.55			26.4	11.27
17.	मिजोरम	38.21	11	11.00			64.71	22.2
18.	मेघालय	20.91	1.77	11.00			41.75	12.31
19.	नागालैंड	24.1	7.36	15.70			7.93	36.58
20.	ओडिशा	33.57	5.23		70.74		52.74	95.24
21.	पंजाब	5.37	0.63				4.99	5.74
22.	राजस्थान	27.33	68.61		40.64	219.42	30.45	327.39
23.	सिक्किम	11.19	3.63				10.29	5.05
24.	तमिलनाडु	14.62	31.69		30.66		24.83	76.33
25.	त्रिपुरा	17.74	2.15	7.00				10.61
26.	उत्तर प्रदेश	97.93	43.7		37.63		54.83	156.42
27.	उत्तराखंड	26.62	7.86		19.12		23.24	15.97
28.	पश्चिम बंगाल	17.3	10.46				8.98	
	कुल	581.13	465.14	80.00	763.17	555.45	791.25	2003.74

*व्यय
#निर्मुक्ति
स्रोतः कृषि एवं सहकारिता विभाग और भू-स्रोत विभाग

विवरण II

पनधारा कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान लक्ष्य, विकसित/कवर किया गया क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उपलब्धि (2008-09 से 2010-11)				2011-12 के लिए लक्ष्य			
		एनडब्ल्यूडी पीआरए*	आरवीपी/ एफपीआर*	डब्ल्यूडीपी एससीए*	आईडब्ल्यू एमपी	एनडब्ल्यूडी पीआर*	आरवीपी/ एफसीआर*	डब्ल्यूडीपी एससीए*	आईडब्ल्यू एमपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.11	0.16	0	12.14	0.02	0.12		7.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.32	0.06	0.05	1.59	0.08	0.04	0.01	0.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0.06	0.06	0.19	5.81	0.00	0.02	0.06	3.60
4.	बिहार	0.05	0m	0	0	0.04	0.02		2.17
5.	झारखंड	0.23	0.14	0	2.15	0.08	0.02		2.43
6.	गोवा	0.03	0	0	0	0.01			0.05
7.	गुजरात	0.27	0.49	0	14.22	0.07	0.07		5.29
8.	हरियाणा	0.08	0.1	0	0	0.03	0.04		1.03
9.	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.16	0	4.42	0.03	0.03		1.42
10.	जम्मू और कश्मीर	0.18	0.51	0	0	0.07	0.09		2.68
11.	कर्नाटक	0.53	0.84	0	10.39	0.10	0.20		5.48
12.	केरल	0.12	0.05	0	1.42	0.02	0.01		0.83
13.	मध्य प्रदेश	0.68	0.95	0	12.19	0.16	0.15		8.64
14.	छत्तीसगढ़	0.28	0.12	0	4.93	0.10	0.03		2.42
15.	महाराष्ट्र	0.5	1.15	0	26.1	0.15	0.04		9.20
16.	मणिपुर	0.16	0.12	0.26	1.28	0.05	0.04	0.07	1.52
17.	मिजोरम	0.16	0.12	0.26	1.28	0.05	0.04	0.07	1.52
18.	मेघालय	0.51	0.12	0.15	1.28	0.05	0.01	0.05	0.67
19.	नागालैंड	0.33	0.05	0.23	1.89	0.08	0.02	0.07	0.86
20.	ओडिशा	0.36	0.13	0	6.86	0.08	0.01		3.55
21.	पंजाब	0.09	0.01	0	0.88	0.00			0.73
22.	राजस्थान	0.24	1.13	0	21.83	0.21	0.20		12.89
23.	सिक्किम	0.13	0.03	0	0.29	0.01	0.02		0.14
24.	तमिलनाडु	0.34	0.36	0	5.71	0.68	0.17		2.97
25.	त्रिपुरा	0.19	0.01	0.09	0.6	0.06	0.01	0.03	0.56
26.	उत्तर प्रदेश	1.53	0.77	0	12.47	0.32	0.20		5.63
27.	उत्तराखंड	0.45	0.11	0	2.07	0.25	0.04		0.80
28.	पश्चिम बंगाल	0.19	0.07	0	0	0.12	0.05		3.29
	कुल	8.32	7.35	1.13	151.34	2.96	1.65	0.34	87.39

नोट: इस अवधि के दौरान डीडीपी, डीपीएपी और आईडब्ल्यूपीके लिए नई परियोजनाएं संस्तुत नहीं की गईं।

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग और भू-संसाधन विभाग

[अनुवाद] 313-14

भूमिहीन किसान

2176. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषक आयोग ने प्रत्येक भूमिहीन किसान को एक एकड़ भूमि के प्रावधान की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस विषय को राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में भूमिहीन किसानों की संख्या और स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और ऐसे किसानों की स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने जहां कहीं संभव है, प्रति परिवार एक एकड़ भूमि के प्रावधान की सिफारिश की है, एनसीएफ की सिफारिशों और राज्य सरकारों से परामर्श के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय किसान नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए परिसम्पत्ति सुधार का प्रावधान है कि गांव में प्रत्येक किसान परिवार के पास भूमि, पशुधन, मछली पालने के लिए पोखरा, घर के आसपास खेत और/या उद्यम अथवा मंडी अनुकूल दक्षताओं के जरिए आय जैसी उत्पादक परिसंपत्तियां हो और/या इन तक पहुंच हो ताकि पारिवारिक आय पर्याप्त रूप से बढ़ाई जा सके जो पोषण और आजीविका सुरक्षा ओर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा। आगे की उपयुक्त कार्रवाई हेतु दिसम्बर, 2007 में सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया।

(ङ) और (च) कृषि संगणना 2005-06 के अनुसार "पूर्ण रूप से पट्टे" की भूमि अथवा पूर्ण रूप से "अन्यथा परिचालित भूमि" पर खेती करने वाले भूमिहीन परिचालनात्मक जोतों की अनुमानित संख्या 5,49,029 (बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर) थी। परिसीमित अधिशेष भूमि, सरकारी बंजर भूमि, और भू-दान भूमि को पात्र गरीब किसानों में वितरित करने हेतु कार्यक्रम राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30.06.2011 तक 56.86 लाख लाभानुभोगियों को 51.30 लाख एकड़ परिसीमित अधिशेष भूमि वितरित की जा चुकी है जिसमें से 37.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के है तथा 15. 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा, 153.22 लाख सरकारी बंजर भूमि और 16.67 लाख भूदान भूमि भी पात्र ग्रामीण गरीब लोगों को वितरित की जा चुकी है।

इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में संगठित कामगर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2006 स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम आदि शामिल हैं।

[हिन्दी] 314

पेड न्यूज

2177. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री विनेश चन्द्र यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने हाल ही में हुए पांच राज्यों की विधान सभा चुनावों के दौरान कतिपय इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया को पेड न्यूज के लिए दोषी माना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मीडिया हाउसों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा आरोप लगाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद] 314-16

ओडिशा को वित्तीय सहायता

2178. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खेलों के विकास हेतु ओडिशा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार से उक्त अवधि के दौरान राज्य को जारी की गई वित्तीय सहायता हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) योजना के अंतर्गत ग्राम/ब्लॉक पंचायतों में खेल-मैदानों के विकास के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराया जाता है। शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत भी खेल अवसंरचना के उन्नयन/आधुनिकीकरण अर्थात् बहुद्देशीय हालों के निर्माण, हॉकी मैदान, फुटबाल के मैदान और एथलेटिक ट्रेक के लिए सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान मुहैया कराया जाता है।

(ख) वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ओडिशा सरकार को योजना-वार किया गया सहायता-अनुदान नीचे दिया गया है:-

योजना का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
(1) पायका	(1) ग्राम/ब्लॉक पंचायतों में खेल-मैदानों का विकास	2010-11 और 2011-12 (29.02.0212 तक)	13.32
	(2) वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं	-वही-	4.27
(2) यूएसआईएस	कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हाकी-मैदान में सिंथेटिक सतह बिछाना	2011-12	5.00

(ग) जी, हां।

(घ) 8.79 करोड़ रुपये का आवर्ती अनुदान जो वर्ष 2010-11 में प्राप्त किया गया था, उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2011 को देय हो गया था, जो ओडिशा सरकार से तत्पश्चात् प्राप्त कर लिया गया था।

315-16

उपभोक्ता सूचना केन्द्र

2179. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र की स्कीम को वर्ष 2000 में शुरू किया गया और वर्ष 2004 में इसे बंद कर दिया गया था। इस स्कीम के अन्तर्गत, देश के प्रत्येक जिले में सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना था। जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र का मुख्य कार्य न केवल प्रत्यक्ष उपभोगकर्ताओं अपितु, स्थानीय निकायों और सस्थानों को भी उपभोक्ता संरक्षण के सम्बन्ध में सूचना का प्रसार करना, उपभोक्ताओं के हितों की निगरानी करना, शिकायतें दायर करने को सुकर बनाना, बाट तथा माप प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाना और उपभोक्ता जागरुकता को बढ़ाना था। स्कीम के अन्तर्गत एक जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र के गठन के लिए दिए जाने वाले अनुदान की कुल राशि 5 लाख रु. थी। अनुदान को चरणबद्ध तरीके से 3 वर्षों में दिया जाना था, जिसमें पहले वर्ष में 2.5 लाख रु. दूसरे वर्ष में 1.75 लाख रु. तथा तीसरे वर्ष में 75,000 रु. आबंटित किए गए थे। दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान, जिला मजिस्ट्रेट/जिला समाहर्ता की रिपोर्ट के आधार पर, केन्द्र द्वारा इनके सन्तोषजनक कार्य निष्पादन के बारे में सन्तुष्ट होने के अध्यधीन किया जाना था।

(ग) और (घ) शून्य, चूंकि स्कीम को पहले ही, वर्ष 2004 में बंद कर दिया गया था, अत: अब आगे कोई राशि जारी नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

317-22

कल्याणकारी संस्थाओं के लिए खाद्यान्न

2180. श्री देवराज सिंह पटेलः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मदरसों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों में रह रहे लाभार्थियों एवं राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे की दर पर 15 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति माह उपलब्ध कराने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पहचाने गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या एवं आबंटित खाद्यान्नों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के लिए किया गया आबंटन पात्रता के अनुसार इसकी जरूरतों से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना हेतु खाद्यान्नों की समुचित मात्रा कब तक आबंटित करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारत सरकार राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित भिक्षुगृहों, अनाथालयों, नारी निकेतनों आदि की जरूरत पूरी करने के लिए कल्याण संस्थाओं हेतु खाद्यान्नों का आवंटन करती है। आरम्भ में ये आवंटन 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर किये जाते थे। तथापि खाद्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार कल्याण संस्थाओं के अधीन आवंटन की समीक्षा की गई थी और इसे राज्यों द्वारा किये गये खाद्यान्नों के औसत उठान के आधार पर अगस्त 2005 में युक्तिसंगत बनाया गया था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास स्कीम के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के दो तिहाई विद्यार्थियों वाले छात्रावास 10 महीनों के लिए 15 किलोग्राम अनाज प्रति निवासी प्रति माह लेने के लिए पात्र हैं। इन स्कीमों के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहचान किए गए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा उपर्युक्त स्कीमों में किया गया खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश, कल्याण संस्था स्कीम के अधीन खाद्यान्नों की आवंटित मात्रा से कम का उठान करता रहा है। 2011-12 के दौरान राज्य सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध आवंटनों में से उपयोग में न लाए गए शेष का समायोजन करने के बाद राज्य को 5233.60 टन गेहूं का आवंटन किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास स्कीम में 2008-09 के दौरान राज्य के लिए 24,731 टन गेहूं और 4364 टन चावल का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने आवंटित खाद्याान्नों का उठान नही किया। तथापि राज्य सरकार से इस स्कीम के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए नई मांग भेजने का अनुरोध किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

चूंकि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन स्कीमों के अधीन आवंटन से कम उठान हुआ है इसलिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए कल्याण संस्थाओं के तहत खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	2008-2009			2009-2010			2010-11		
		आवंटन			आवंटन			आवंटन		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	69.267	0.000	69.267	69.267	0.000	69.267	69.267	0.000	69267
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.189	0.081	0.270	0.047	0.020	0.068	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	0.058	0.019	0.077	0.014	0.010	0.024	0.000	0.000	0.000
4.	बिहार	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	छत्तीसगढ़	22.800	1.200	24.000	5.7000	0.300	6.000	22.800	1.200	24.000
6.	दिल्ली	0.211	0.336	0.547	0.211	0.336	0.547	0.211	0.336	0.547
7.	गोवा	0.331	0.142	0.473	0.331	0.142	0.473	0.331	0.142	0.473
8.	गुजरात	1.671	9.466	11.137	0.000	11.137	11.137	0.000	5.568	5.568
9.	हरियाणा	8.036	0.201	0.237	0.000	0.059	0.059	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	0.542	0.542	1.084	0.135	0.135	0.271	0.000	0.000	0.000
11.	जम्मू और कश्मीर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	झारखंड	0.093	0.040	0.133	0.023	0.010	0.033	0.000	0.000	0.000
13.	कर्नाटक	15.878	6.805	22.683	3.970	1.701	5.671	7.939	3.402	11.341
14.	केरल	1.783	0.764	2.547	0.446	0.191	0.637	0.891	0.382	1.273
15.	मध्य प्रदेश	1.125	6.375	7.500	0.000	5.307	5.307	0.000	3.750	3.750
16.	महाराष्ट्र	7548	17ण615	25.163	9.487	22.414	31.901	22.800	54.00	76.800
17.	मणिपुर	0.336	0.144	0.480	0.242	0.142	0.383	0.273	0.142	0.415
18.	मेघालय	1.417	0.000	1.417	1.417	0.000	1.417	1.417	0.000	1.417
19.	मिजोरम	0.953	0.000	0.953	0.953	0.000	0.953	0.953	0.000	0.953
20.	नागालैंड	2.528	0.536	3.064	1.248	0.535	1.783	1.248	0.535	1.783
21.	ओडिशा	13.410	0.000	13.410	13410	0.000	13.410	13.410	0.00	13.410
22.	पंजाब	0.006	0.031	0.037	0.000	0.009	0.009	0.000	0.000	0.000
23.	राजस्थान	0.077	0.433	0.510	0.000	0.128	0.128	0.000	0.255	0.255
24.	सिक्किम	0.137	0.000	0.137	0.137	0.000	0.137	0.137	0.000	0.137
25.	तमिलनाडु	38.693	0.000	38.693	9.673	0.000	9.673	19.346	0.000	19.346
26.	त्रिपुरा	0.680	0.000	0.680	0.170	0.000	0.170	0.680	0.000	0.680
27.	उत्तर प्रदेश	0.255	0.474	0.729	0.010	0.010	0.020	0.000	0.000	0.000
28.	उत्तराखंड	0.018	0.018	0.036	0.000	0.182	0.182	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	2.261	0.969	3.230	2.253	0.959	3.212	2.261	0.969	3.230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.048	0.022	0.070	0.012	0.005	0.017	0.048	0.022	0.070
31.	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नगर हवेली	0.055	0.012	0.067	0.055	0.012	0.067	0.56	0.011	0.067
33.	दमन और दीव	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पुदुचेरी	0.271	0.116	0.387	0.068	0.029	0.097	0.000	0.000	0.000
	सकल जोड़	182.677	46.341	229.018	119.274	43.752	163.026	164.068	70.714	234.782

वर्ष 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हॉस्टल योजना के तहत खाद्यान्नों की राज्यवार आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	2008-2009			2009-2010			2010-2011		
		आवंटन			आवंटन			आवंटन		
		गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़
1.	कर्नाटक	3.612	7.224	10.836	14.152	28.303	42.455	14.152	28.303	42.455
2.	आंध्र प्रदेश	32.935	98.805	131.74	0	98.805	98.805	0	98.805	98.805
3.	नागालैंड	2.708	2.708	5.416	2.708	2.708	5.416	2.257	2.257	4.514
4.	त्रिपुरा	1.428	1.428	2.856	0	1.428	1.428	0	2.775	2.775
5.	मध्य प्रदेश	24.731	4.364	29.095	0	0	0	0	0	0
6.	महाराष्ट्र	0	0	0	0.600	0.600	1.2	0	0	0
7.	दादरा और नगर हवेली	0.084	0.128	0.212	0.084	0.128	0.212	0.128	0.084	0.212
	जोड़	65.498	114.657	180.155	17.544	131.972	149.516	16.537	132.224	148.761

आतंकवादियों एवं नक्सलियों के बीच सांठ-गांठ

2181. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री नीरज शेखर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलियों से स्थानीय संरक्षण प्राप्त लश्कर-ए-तोयबा के कुछ आतंकवादियों को हाल ही में झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा एजेंसियों ने देश में नक्सली आतंकवादी एवं नक्सल-आईएसआई सांठ-गांठ की घातक प्रवृत्ति प्रवृत्ति की सूचना दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में नक्सलियों द्वारा उक्त सांठ-गांठ तथा आतंकवादियों को संरक्षण देने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) जी, हां। लश्कर-ए-तैयबा के एक माड्यूल का दिनांक 28.2.2012 को पर्दाफाश हुआ था, जो दिल्ली में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। दिल्ली पुलिस ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस तथा झारखंड पुलिस की सहायता से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 2 व्यक्तियों को दिल्ली में और 1 व्यक्ति को झारखंड में गिरफ्तार किया गया था। विस्फोटकों/उतेजक सामग्रियों तथा एल ई टी प्रशिक्षण गतिविधियों की वीडियो कवरेज वाली II मेमोरी स्टिकों सहित कई अभिशंसी वस्तुएं उनके पास से बरामद की गई थीं। तथापि, नक्सलियों के साथ लश्कर-ए-तैयबा के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं का संबंध होने की कोई जानकारी जांच एजेन्सियों को नहीं मिली है।

(ङ) केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों के बीच बहुत घनिष्ठ और प्रभावकारी समन्वय है। संभावित योजनाओं और खतरों के बारे में आसूचना जानकारियों का नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है। बहु-एजेंसी केन्द्र (एम ए सी) को सही समय पर आसूचना एकत्र करने और अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ उसका आदान-प्रदान करने के लिए 24x7 आधार पर कार्य करने योग्य बनाने के लिए सुदृढ़ ओर पुनर्संगठित किया गया है तथा सुरक्षा संबंधी आसूचना जानकारियों का भी स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है, जो राज्य और केन्द्रीय सुरक्षा तथा कानून प्रवर्तन एजेंसी के बीच घनिष्ठ समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान तथा सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसके फलस्वरूप आतंकवादी मोड्यूलों का पर्दाफाश हुआ है और कई संभावित आतंकवादी हमलों को रोका जा सका है।

323-24

खेल-कूद गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण

2182. डॉ. भोला सिंह: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जिला एवं राज्य स्तर पर खेलों में प्रतिभा संपन्न युवाओं को बढ़ावा देने के अलावा देश में खेल-कूद गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) देश में खेल कार्यकलापों के विकेंद्रीकरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि खेलों के संवर्धन और विकास पहले से ही विकेंद्रीकृत है क्योंकि खेलों के संवर्धन और विकास की मुख्य जिम्मेदारी सामान्यत: राज्य सरकारों की है। खेल राज्य का विषय है, खेल की विशिष्ट विधाओं का विकास राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और जिला स्तर पर जिला खेल परिसंघों का है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में 'सभी के लिए खेल' और 'खेलों में उत्कृष्टता' के संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करता है।

324-25

आदावाकृत पासपोर्ट

2183. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली विमानपत्तन के टर्मिनल-3 पर भारी संख्या में ऐसे पासपोर्ट मिले थे जिन पर किसी ने दावा नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या जांच की गयी है;

(ग) क्या उक्त मामले में मानव तस्करों के लिप्त होने की खबरें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों में गिरफ्तार लोगों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। कस्टम्स वेयरहाऊस, इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में 105 आदावाकृत पासपोर्ट पाए गए थे। पी पी एक्ट की धारा 12 के तहत और आई पी सी की धारा 420 के तहत, जिसे बाद में जोड़ा गया था, दिनांक 2.1.2012 को प्राथमिकी संख्या 2/12 दर्ज की गई है।

(ग) और (घ) इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यह पाया गया था कि

वे मानव तस्कर हैं। वर्ष 2009, 2010, 2011 तथा 2012 (29.9.2012 तक) के दौरान ऐसे मामलों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2009	40
2010	111
2011	25
2012 (29.2.2012 तक)	07

(ङ) मानव तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

यूएसआईएस के अंतर्गत सहायता

2184. श्री समीर भुजबल: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010-2011 एवं 2011-12 के दौरान शहरी खेलकूद अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित/जारी धनराशि एवं उनके द्वारा उपयोग की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन राज्यों को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्टेडियम के निर्माण के संबंध में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) यूएसआई के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और मेघालय को वर्ष 2010-11 एवं चालू वित्तीय वर्ष 29.03.2012 तक के दौरान खेल अवसंरचना के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए अर्थात् बहुउद्देशीय हाल के निर्माण, हॉकी मैदान फुटबाल मैदान और ऐथेलेटिक ट्रैक के लिए सिंथेटिक सतह बिछाने हेतु 37.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त केरल, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी तथा असम को अभी हाल ही में 15.08 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजनाओं के निष्पादन में सामान्यत: एक से दो वर्ष का समय लग जाता है। जैसा कि कार्य प्रगति पर है, राज्य सरकारों से अनुदान संबंधी उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अधूरे प्रस्तावों, बजट की अप्राप्यता आदि जैसे कारणों से अन्य राज्यों को निधियों अनुमोदित/जारी नहीं की जा सकी।

(ग) यूएसआईएस के अंतर्गत, स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 के दौरान शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्यवार अनुमोदित/जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	(करोड़ रुपये में) अनुमोदित अनुदान	जारी किया गया अनुदान (पहली किश्त)
1	2	3	4	5
	2010-11			
1.	हिमाचल प्रदेश	सिंथेटिक हॉकी फील्ड	5.00	3.50
2.	मिजोरम	सिंथेटिक हॉकी फील्ड	5.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	पंजाब		बहुउद्देशीय इन्डूर हॉल				3.98			2.00
4.	पश्चिम बंगाल		इन्डूर स्पोट्स काम्पलेक्स का नवीकरण/ परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण				6.00			3.00
			कुल				19.98			12.50
	2011-12									
1.	मध्य प्रदेश		सिंथेटिक हॉकी सर्फेश				4.81			3.62
2.	मिजोरम		बहुउद्देशीय इन्डूर हाल				6.00			4.50
3.	नागालैंड		सिंथेटिक ऐथेलेटिक ट्रेक				5.00			3.00
4.	ओडिशा		सिंथेटिक हॉकी सर्फेश				5.00			5.00
5.	राजस्थान		बहुउद्देशीय इन्डूर हॉल				6.00			4.50
6.	मेघालय		सिंथेटिक ऐथेलेटिक ट्रेक				5.50			4.30
7.	केरल		बहुउद्देशीय इन्डूर हॉल				6.00			3.875*
8.	जम्मू और कश्मीर		एस्ट्रोट्रफ फुटबाल ग्राउन्ड				4.50			4.465*
9.	पुदुचेरी		बहुउद्देशीय इन्डूर हॉल				6.00			3.54*
10.	असम		बहुउद्देशीय इन्डूर हॉल				6.00			3.20*
			कुल				54.81			40.00

*जारी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

कैसिनो में निवेश

2185. श्री दत्ता मेघे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के कैसिनों में अपराधियों एवं आतंकवादियों के धन का निवेश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पता चले ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त आर्थिक अपराधों के कारण कितने कैसिनों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक ऐसे संदिग्ध लेनदेन की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

हथियारों के लाइसेंस संबंधी अपीलीय प्राधिकरण

2186. श्री अशोक अर्गल:
श्री यशवीर सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे भारत या किसी भी राज्य में किसी आवेदक के हथियार के लाइसेस की वैधता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इनकार किए जाने पर अपील दायर करने का अपीलीय प्राधिकरण क्या है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को हथियारों के लाइसेंस की वैधता बढ़ाने में अनियमितताओं के संबंध में संसद-सदस्यों से शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) पूरे भारत या किसी भी राज्य में किसी आवेदक के हथियार के लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इनकार किए जाने पर, उसके संबंध में अपील करने के लिए शस्त्र निमावली, 1962 में कोई अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 18(1) के तहत किए गए प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सरकार के निदेश द्वारा या उसके अधीन दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जाएगी।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय वैधता संबंधी आवेदनों की अस्वीकृति के विरुद्ध कुछ संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अधिनियम/शस्त्र नियमावली के कतिपय प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऐसे अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

नक्सल प्रभावित जिले

2187. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने 15 नए जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जिलों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या उक्त जिलों को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) हिंसा की रूपरेखा के आधार पर, इस समय नक्सल-रोधी अभियानों पर राज्य सरकारों द्वारा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के तहत बिहार के 15 जिलों अर्थात अखल, औरंगाबाद, भोजपूर, पूर्वी चम्पारन, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी और पश्चिमी चम्पारन सहित देश के 9 राज्यों के 83 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले शामिल हैं।

सरकार को एस आर ई योजना के तहत बिहार के 07 (सात) अतिरिक्त जिलों अर्थात वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, शिवहर, बांका, मुजफ्फरपुर और खगड़िया को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

एस आर ई योजना के तहत जिलों को शामिल करना/बाहर करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

दिल्ली में अवैध सोसाइटियां

2188. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नगर के बेहतर नगर नियोजन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों/कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में अवैध सोसाइटियां तेजी से बढ़ रही हैं ताकि वे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों/कानूनों का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने ऐसी सोसाइटियों के विरुद्ध क्या कठोर करदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में दिल्ली का गहन और सुव्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान की व्यवस्था है। दिल्ली का मास्टर प्लान (एमपीडी) पहले तैयार किया गया था और वर्ष 1962-1982 के लिए लागू किया गया था और बाद में वर्ष 2001 की संभावित अवधि और उसके बाद में वर्ष 2021 तक मास्टर प्लान में व्यापक संशोधन किए गए।

एमपीडी-2001 में व्यापक संशोधन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए एमपीडी-2021 को केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की उप-धारा 11 ए (2) के अंतर्गत अनुमोदन कर दिया है और इसे दिनांक 7.2.2007 की सा. आ. संख्या 141 (ई) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

शहर की बेहतर टाउन प्लानिंग के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत नियम/विनियम/भवन निर्माण उप-नियम बनाए गए हैं। नियोजित विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विनियम अधिसूचित किए गए हैं। हाल ही में सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित दो विनियम अधिसूचित किए गए हैं:-

1. विशेष क्षेत्र, अनधिकृत विनियमित कालोनियों और ग्रामों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनाक 17.1.2011 की सा.आ. संख्या 97 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए विनियमों/दिशा-निर्देशों को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 1.4.2011 की सा.आ. संख्या 683 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों में सोसाइटियां उनसे संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं। तथापि, जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का संबंध है, रजिस्ट्रार कोपरेटिव सोसाइटी, जीएनसीटीडी ने सूचित किया है कि अनधिकृत सोसाइटी का कोई ऐसा मामला उसके ध्यान में नहीं आया है।

(घ) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 331-32

नारियल का मूल्य

2189. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश के नारियल को विशेष ग्रेड के नारियल के रूप में मान्यता देकर नारियल के लिए अलग मूल्य की घोषणा करने तथा बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के अंतर्गत खरीद शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेफेड के माध्यम से आंध्र प्रदेश में खरीद केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में विभिन्न खेती एवं फसल कटाई व्यवसायों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने 2012 मौसम में प्रापण के दौरान अच्छी औसत किस्म मानक निर्धारित करते समय 30 प्रतिशत तक खोपरा की अनुमति प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया है। राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ 26.3.2012 को उक्त विषय पर एक बैठक निर्धारित की गयी है।

(ग) और (घ) नैफेड ने 2012 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित सभी खोपरा उत्पादक राज्यों में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खोपरा प्रापण करने संबंधी अपेक्षित व्यवस्थाएं की हैं।

332-33

आतंकवादी संगठनों के साथ सांठ-गांठ

2190. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आतंकी धनराशि को रियल एस्टेट, खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धनराशि के कथित प्रवाह एवं उक्त सांठ-गांठ की कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आतंकवादी संगठनों के साथ रियल एस्टेट तथा विनिर्माण क्षेत्र की सांठ-गांठ पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) केन्द्रीय सूचना एजेंसियों और जांचकर्ता एजेंसियों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार रीयल एस्टेट, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों की परस्पर किसी क्रमबद्ध सुभेद्यता अथवा बनाए जाने की सूचना नहीं

मिली है अथवा आकलित नहीं की गई है। इसी प्रकार, आतंकवाद के वित्तपोषण और इन क्षेत्रों के बीच सांठ-गांठ की कोई-सूचना नहीं है।

आसूचना एवं जांचकर्ता एजेंसियों ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यू ए पी ए) के तहत उन विशिष्ट मामलों में कार्रवाई की है, जिनमें जब कभी भी रीयल एस्टेट में विशिष्ट सम्पत्ति/भूखण्ड की खरीद अथवा खनन और विनिर्माण क्षेत्र में चल रही वैध संस्थाओं से जबरन वसूली के माध्यम सहित निधियों/सम्पत्ति के आतंकवाद से हुई आय अथवा आतंकवाद के लिए उसका प्रयोग किए जाने का पता चलता है।

(ङ) यूएपीए और धनशोधन निवारण विधेयक (पीएमएलए) के विद्यमान प्रावधान आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवाद से होने वाली आय दोनों के विभिन्न घटकों को विस्तृत रूप से कवर करते हैं। यूएपीए संघ सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों दोनों को, जब कभी भी ऐसे विशिष्ट मामले ध्यान में आते हैं, कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है। एनआईए ने वर्ष 2010 और 2011 में 14 मामलों में निधियों पर रोक लगाने/जब्त करने तथा आतंकवाद से हुई आय होने अथवा आतंकवाद के लिए प्रयोग किए जाने का पता लगाए गए सम्पत्ति संबंधी 7 मामलों (एक वाहन सहित) की सूचना दी है।

333-34

कर्नाटक की कुक्कुट परियोजनाएं

2191. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को कुक्कुट परियोजनाओं के संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए सरकार द्वारा आबंटित एवं जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) जी, हां। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को केन्द्रीय प्रायोजित योजना "कुक्कुट विकास" के "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" और "ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास" घटकों के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, कर्नाटक के लिए पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित राशि जारी की गई:-

क्र.सं.	योजना का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (23.3.2012 तक)
1.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना "कुक्कुट विकास"			
(1)	राज्य कुक्कुट फार्मो को सहायता घटक	63.20	-	199.20
(2)	ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास घटक	-	-	244.10*

*राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से 12060 लाख रुपए सहित।

[हिन्दी]

335-36

गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन एवं वितरण

2192. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीज ग्राम योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसंरचनागत सुविधाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए ओडिशा का अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा के कितने गांवों में उक्त योजना लागू की जा रही है; और

(घ) ओडिशा में उक्त योजना से लाभान्वित हुए किसानों की संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) जी हां, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

"गुणवत्ता बीजों की उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए बीज ग्राम कार्यक्रमों के लिए ओडिशा को अनुमोदित अनुदान सहायता का ब्यौरा

बीज ग्राम कार्यक्रम

निर्मुक्ति का वर्ष	कार्यान्वयन एजेंसी	रु. (लाख) में निर्मुक्त राशि	ग्रामों की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या
2008-09	कृषि और खाद्य उत्पादन निदेशक ओडिशा	481.62	1251	148852
2009-10	कृषि और खाद्य उत्पादन निदेशक ओडिशा	146.62	253	24239
2010-11	कृषि और खाद्य उत्पादन निदेशक ओडिशा	517.92	696	96100
	कुल	**1083.16**	**2200**	**269191**
2008-09	ओडिशा राज्य बीज निगम लिमिटेड	103.92	181	39059
2009-10	ओडिशा राज्य बीज निगम लिमिटेड	1046.80	817	413315
2010-11	ओडिशा राज्य बीज निगम लिमिटेड	232.389	385	48278
	कुल	**1383.109**	**1383**	**5000652**

[अनुवाद]

पाइरेसी संबंधी समिति

2193. श्री मानिक टैगोर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फिल्म, वीडियों, केबल एवं संगीत में पाइरेसी के मुद्दे की जांच करने तथा इससे मुकाबला करने के लिए उपाय सुझाने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) जी, हां। फिल्म, केबल, व संगीत की पायरेसी की समस्या का सामना करने के लिए उपायों की अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) श्री उदय कुमार वर्मा, तत्कालीन विशेष सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों में सभी संगत स्टेकहोल्डरों की सहभागिता से प्रभावी व सर्वांगीण मल्टी-मीडिया अभियान चलाना, कॉपीराइट अधिनियम, को लागू करने के लिए अधिदेशित सरकारी तंत्र को सुग्राह्य बनाने के स्तर का उन्नयन करना, सभी प्लेटफॉर्मो, स्थानों व फॉर्मेटों में एक ही समय में असा-पास फिल्में रिलीज करना, पारंपरिक सिनेमा थिएटरों को डिजिटल सिनेमा थिएटरों में रूपांतरित करना, प्रामाणिक/असली डीवीडी की कीमतें कम करना तथा थिएटर मालिकों द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जाना कि किसी भी सिनेमा थिएटर के भीतर कैमकॉर्डिंग न होने पाए, शामिल हैं। इस समिति की विस्तृत सिफारिशें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.ic.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) पाइरेसी की समस्या का सामना करने के कार्य में शामिल विभिन्न स्टेकहोल्डरों/एजेंसियों के बीच समन्वय का कार्य किए जाने के अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल एक सलाहकार की भूमिका अदा की जानी होती है। इस संबंध में इस मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

* सभी स्टेकहोल्डरों के बीच पाइरेसी के नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।

* सिमकॉन की बैठकों में राज्य सरकारों से मनोरंजन कर की दरें कम करने का आग्रह किया। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और राज्य सरकारों ने मनोरंजन कर की दरों को 70% से घटकार 50% या उससे भी कम कर दिया है।

* तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिनियमित विधान (गुंडा अधिनियम) के ही समान पायरेसी-रोधी विधान अधिनियमित करने हेतु राज्य सरकारों को सुझाव दिया।

* भारतीय जन संचार संस्थान में विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का उपयोग करके कॉपीराइट के प्रवर्तन व पायरेसी के निवारण के संबंध में 176 पृष्ठ की सघन पठन सामग्री तैयार की गई।

* देश के सभी प्रदर्शकों व उनके संघों को सिनांक 14.12.2011 को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उनसे किसी भी फिल्म का प्रदर्शन प्रारंभ करने से पूर्व पायरेसी-रोधी पर 30 सेकंड/60 सेकंड की वीडियो क्लिप्स (फिक्की द्वारा मुहैया कराई जाने वाली) दिखाने का अनुरोध किया गया है। अन्य विभागों से संबंधित मुद्दे उपयुक्त कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं।

* पायरेसी के विरोध के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी स्टेकहोल्डरों के बीच पायरेसी के विरुद्ध जागरुकता पैदा करना तथा उसका सामना करने की जरूरत के बारे में उन्हें शिक्षित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा इस संबंध में पहले से ही किए गए उपायों को जारी रखने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत फिल्म, प्रसारण व संगीत उद्योग के सभी स्टेकहोल्डरों की सहभागिता से मल्टी-मीडिया अभियान शुरू करने क परिकल्पना हैं फिल्म और मीडिया के सुविख्यात व्यक्तियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे नकली सामान को खरीदने से परहेज करने के संबंध में लोगों के बीच जागृति अभियान चलाएं। इन अभियानों को दूरदर्शन/आकाशवाणी और प्राइवेट टीवी चैनलों व प्राइवेट एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में कॉपीराइट अधिनियम के बारे में सुग्राह्य बनाने के लिए पुलिस, न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाएं आयेजित की जाएंगी। पायरेसी की समस्या का सामना करने के लिए लोक-निजी पहलों के विकास व कार्यान्वयन को संभव बनाने हेतु पायरेसी के प्रभावों पर अनुसंधान कराया जाएगा।

विवरण

समिति की संरचना

(i)	श्री उदय कुमार वर्मा, विशेष सचिव	:	अध्यक्ष
(ii)	श्री यश चोपड़ा, सुविख्यात फिल्म निर्माता	:	सदस्य
(iii)	श्री मनमोहन शेट्टी, अध्यक्ष,	:	सदस्य
(iv)	श्री जी. आदिशेषगिरी राव,	:	सदस्य
(v)	श्री जवाहर गोयल, अध्यक्ष	:	सदस्य
(vi)	श्री प्रशांत पांडे, सदस्य, भारतीय रेडियो प्रचालक संघ	:	सदस्य
(vii)	निदेशक (बीसी)	:	सदस्य
(viii)	निदेशक (फिल्म)	:	सदस्य-सचिव

अंत्योदय अन्न योजना 338-47

2194. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंत्योदय अन्न योजना (एवाई) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्यों को आंबटित खाद्यान्नों की मात्रा एवं मूल्य सहित एसएवाई के अंतर्गत लक्षित परिवारों एवं कवर किए गए परिवारों की राज्य वार वास्तवकि संख्या क्या है;

(ग) क्या उक्त आबंटन राज्यों की पात्रता के अनुसार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए दिसंबर, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसमें बाद में विस्तार करके इसका लक्ष्य 2.50 करोड़ परिवार किया गया था।

इस विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने और प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गये अंत्योदय अन्ना योजना परिवारों को वितरण करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इस अवधि में ऐसे परिवारों के लिए किए गए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आवंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं इसके अलावा दिए गए निदेशों के अनुसरण में और वाधवा समिति की सिफारिश पर 27 राज्यों में 174 जिलों को कवर करने के लिए जुलाई, 2011 से फरवरी, 2012 तक अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए लगभग 7.61 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के मूल्यों पर किए गए इन अतिरिक्त आवंटनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अनुमानित संख्या	पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवार और जारी किए गए राशन कार्ड			
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.380	0.38	0.38	0.38	0.38
3.	असम	7.040	7.04	7.04	7.04	7.04
4.	बिहार	25.010	24.285	24.285	25.010	25.010
5.	छत्तीसगढ़	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189
6.	दिल्ली	1.568	1.502	1.502	1.502	1.502
7.	गोवा	0.184	0.145	0.145	0.145	0.145
8.	गुजरात	8.128	8.098	8.098	8.098	8.098
9.	हरियाणा	3.025	2.924	2.924	2.924	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971

1	2	3	4	5	6	7
11.	जम्मू और कश्मीर	2.822	2.557	2.557	2.557	2.557
12.	झारखंड	9.179	9.179	9.179	9.179	9.179
13.	कर्नाटक	11.997	11.997	11.997	11.997	11.376
14.	केरल	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
15.	मध्य प्रदेश	15.816	15.816	15.816	15.816	15.816
16.	महाराष्ट्र	25.053	24.639	24.639	24.639	24.639
17.	मणिपुर	0.636	0.636	0.636	0.636	0.636
18.	मेघालय	0.702	0.702	0.702	0.702	0.702
19.	मिजोरम	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261
20.	नागालैंड	0.475	0.475	0.475	0.475	0.475
21.	ओडिशा	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
22.	पंजाब	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
23.	राजस्थान	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321
24.	सिक्किम	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
25.	तमिलनाडु	18.646	18.646	18.646	18.646	18.646
26.	त्रिपुरा	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
27.	उत्तर प्रदेश	40.945	40.945	40.945	40.945	40.945
28.	उत्तराखंड	1.909	1.512	1.512	1.909	1.909
29.	पश्चिम बंगाल	19.857	14.799	14.799	14.799	14.799
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.107	0.043	0.043	0.043	0.043
31.	चण्डीगढ़	0.088	0.015	0.015	0.015	0.015
32.	दादरा और नगर हवेली	0.069	0.052	0.052	0.052	0.052
33.	दमन और दीव	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
35.	पुदुचेरी	0.322	0.322	0.322	0.322	0.322
	जोड़	249.998	242.749	242.749	243.871	243.250

विवरण II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए वर्ष 2008-2009, 2009-10, 2010-11 और 2011-2012 में खद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	654.288	654.288	654.288	654.288
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.972	15.972	15.972	15.972
3.	असम	295.692	295.692	295.692	295.692
4.	बिहार	1,019.988	1,019.988	1,047.884	1050.420
5.	छत्तीसगढ़	301.944	301.944	301.944	301.944
6.	दिल्ली	63.084	63.084	63.084	63.084
7.	गोवा	6.108	6.108	6.108	6.108
8.	गुजरात	340.080	340.080	340.080	340.080
9.	हरियाणा	122.820	122.820	122.820	122.820
10.	हिमाचल प्रदेश	82.740	82.740	82.740	82.740
11.	जम्मू और कश्मीर	107.388	107.388	107.388	107.388
12.	झारखंड	385.536	385.536	385.527	385.524
13.	कर्नाटक	503.892	503.892	503.892	497.373
14.	केरल	250.260	250.260	250.260	250.260
15.	मध्य प्रदेश	664.260	664.260	664.260	664.260
16.	महाराष्ट्र	1,034.880	1,034.880	1,034.880	1034.880
17.	मणिपुर	26.724	26.724	26.724	26.724
18.	मेघालय	29.484	29.484	29.484	29.484
19.	मिजोरम	10.920	10.920	10.920	10.920
20.	नागालैंड	19.968	19.968	19.968	19.968
21.	ओडिशा	531.120	531.120	531.120	531.120
22.	पंजाब	75.360	75.360	75.360	75.360
23.	राजस्थान	391.488	391.488	391.488	391.488

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	6.936	6.936	6.936	6.936
25.	तमिलनाडु	783.144	783.144	783.144	783.144
26.	त्रिपुरा	47.520	47.520	47.520	47.520
27.	उत्तर प्रदेश	1,719.480	1,719.480	1,719.480	1719.480
28	उत्तराखंड	63.516	63.516	69.072	80.184
29.	पश्चिम बंगाल	621.684	6210.684	621.684	621.684
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	चण्डीगढ़	0.822	0.624	0.624	0.624
32.	दादरा और नगर हवेली	2.196	2.196	2.196	2.196
33.	दमन और दीव	0.636	0.636	0.636	0.636
34.	लक्षद्वीप	0.492	0.498	0.504	0.504
35.	पुदुचेरी	13.548	13.548	13.548	13.548
	जोड़	10,195.770	10,195.578	10,229.027	10236.153

विवरण III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फरवरी, 2012 तक 174 निर्धनतम जिलों की अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	अंत्योदय अन्न योजना के लिए आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	44.928
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.283
3.	असम	5.882
4.	बिहार	159.204
5.	छत्तीसगढ़	33.429
6.	गुजरात	19.748
7.	हरियाणा	2.28
8.	हिमाचल प्रदेश	2.08
9.	जम्मू और कश्मीर	2.052
10.	झारखंड	39.874
11.	कर्नाटक	12.038
12.	केरल	6.42
13.	मध्य प्रदेश	73.53
14.	महाराष्ट्र	40.572
15.	मणिपुर	0.351
16.	मेघालय	0.659
17.	मिजोरम	0.061
18.	नागालैंड	0.121
19.	ओडिशा	55.189

1	2	3
20.	पंजाब	0.705
21.	राजस्थान	28.292
22.	सिक्किम	0.023
23.	तमिलनाडु	15.701
24.	त्रिपुरा	0.923
25.	उत्तर प्रदेश	121.443
26.	उत्तराखंड	0.493
27.	पश्चिम बंगाल	99.431
	जोड़	760.712

347-50 राजसहायता प्राप्त दालों का वितरण 2780

2195. **श्री जोस के. मणि:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एम. तम्बिदुरई:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राजसहायता प्राप्त दरों पर दालों की आपूर्ति बंद करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान दालों का उत्पादन कम होने की आशंका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दालों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने उक्त योजना के अंतर्गत काफी मात्रा में दालों के ऑर्डर दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2011-12 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, दालों का उत्पादन पिछले वर्ष के 18.24 मिलियन टन के अंतिम अनुमानों की तुलना में 17.28 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। संघ सरकार द्वारा दालों की पर्याप्त उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) चालू वर्ष में दिनांक 15.3.2012 की स्थिति के अनुसार राज्यों और एजेंसियों द्वारा दालों के आयात की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

संघ सरकार द्वारा दालों की पर्याप्त उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम

1. सरकार दालों के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विविध फसल विकास स्कीमों के माध्यम से दालों के उत्पादन को सक्रियाता से बढ़ावा दे रही है;
2. दिनांक 8 जून, 2006 से दालों के आयात पर उत्पाद शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है;
3. काबुली चना और 10,000 टन की सीमा तक जैविक दालों को छोड़कर, दालों के निर्यात पर 27 जून, 2006 से लगाए गए प्रतिबंध को 31.3.2012 तक बढ़ा दिया गया है;
4. दिनांक 29 अगस्त, 2006 से दालों पर स्टॉक सीमा को अधिरोपित किया गया है;
5. ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2006 से मार्च, 2011 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के पदनामित उपक्रमों द्वारा आयात की गई दालों पर हुए नुकसान के 15 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी;
6. देसी चना को छोड़कर दालों के भावी व्यापार पर दिनांक 23 जनवरी, 2007 से प्रतिबंध लगाया गया है;
7. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से नवम्बर, 2008 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 10 रु. प्रति किलोग्राम की सब्सिडी पर एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह, की दालों की सब्सिडी स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण II

सार्वजनिक वितरण स्कीम: चालू वर्ष में दिनांक 15.3.2012 की स्थिति के अनुसार दालों के आयात की स्थिति

मात्रा (टनों में)

सरकार द्वारा 31.03.2011 के उपरान्त अनुमेय दालों का आयात 5,00,000

दिनांक 1.04.2001 के उपरान्त दालों का अनुबंधित आयात निम्नानुसार है:-

एजेंसी	राज्य	दालों की किस्म	
एम.एम.टी.सी.	तमिलनाडु	उड़द एसक्यू	1000
	हिमाचल प्रदेश	उड़द एफएक्यू	8000
	हिमाचल प्रदेश	देसी चिक पीज	2000
	कुल एम.एम.टी.सी.		11000
पीईसी	हिमाचल प्रदेश	चिक पीज	13610
	हिमाचल प्रदेश	उड़द	5850
	तमिलनाडु	उड़द	24000
	तमिलनाडु	पीली मसूर	4000
	तमिलनाडु	तूर	4025
	पंजाब	चिक पीज	17600
	पंजाब	उड़द	6000
	कुल पीईसी		75105
एसटीसी	उत्तर प्रदेश	यैलो पीज	59966
	उत्तर प्रदेश	लैमन जूर	15670
	तमिलनाडु	उड़द एफएक्यू	3135
	तमिलनाडु	तूर अरुशा	1004
	हिमाचल प्रदेश	उड़द एफएक्यू	5009
	हिमाचल प्रदेश	चिक पीज	2000
	पंजाब	चिक पीज	2698
	नागालैंड	यैलो पीज	10000
	कुल योग		185587

स्रोत: पदनामित आयातक एजेंसियां

[हिन्दी]

निजी प्रसारणकर्ताओं से प्राप्त राजस्व

2196. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/दूरदर्शन निजी प्रसारणकर्ताओं से धनराशि वसूलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(घ) राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पीडीएस हेतु स्टॉक

2197. श्री मोहम्मद असरारुल हक: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम सार्वजनकि वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिहार में खाद्यान्नों की आवश्यकता/आवंटन के अनुसार पर्याप्त भंडार का रखरखाव रखने में विफल रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम बिहार सहित अपने सभी खाद्य भंडार डिपुओं में खाद्यान्नों का अपेक्षित स्टाफ बनाये रखने का प्रयास करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन उठान और स्टाक की स्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(लाख टन में)

वर्ष	आवंटन	उठान	औसत मासिक आवंटन	औसत मासिक उठान	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार स्टॉक की स्थिति
2008-09	29.58	15.26	2.47	1.27	3.01
2009-10	33.82	22.74	2.82	1.90	4.79
2010-11	39.19	31.24	3.27	2.60	5.29
2011-12 (जनवरी 2012 तक)	41.54	29.95	4.15	2.99	4.25

उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार राज्य में खाद्यान्नों का स्टाक इनके औसत आवंटन और उठान से अधिक था। तथापि, राज्य में किसी क्षेत्र में विशेष में कुछ समस्या हो सकती है और इसे पास के डिपुओं से खाद्यान्नों के स्टाक का संचलन करके अथवा निकट के डिपुओं से स्टाक उठाने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देकर भारतीय खाद्य निगम द्वारा हल किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि सूचना हेतु केन्द्र

2198. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के लिए के लिए राजस्थान में पंचायत स्तर पर कोई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) राजस्थान राज्य सरकार 'किसान सेवा केन्द्र-सह-ग्राम ज्ञान केन्द्र (केएसकेवीकेसी)' की स्थापना करने पर कार्यवाही कर रही है।

(ख) एक ही परिसर में भू-अभिलेख सूचना केन्द्र (एलआरआईसी) और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के

साथ-साथ 3000 केएसेकवीकेसी स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं। इनमें से नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर आई एफ डी) के अन्तर्गत प्रत्येक केएसकेवीकेसी के लिए प्रस्तावित हैं। इनमें से नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर आई एफ डी) के अन्तर्गत प्रत्यंक केएसकेवीकेसी के लिए 5.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता के साथ 2000 केएसकेवीकेसी स्वीकृत किए हैं।

किसान इन केन्द्रों से लाभान्वित होंगे इन केन्द्रों द्वारा कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उद्यतन प्रौद्योगिकी प्रसारित की जाएगी जिसे सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है।

[अनुवाद] 353-54

महाराष्ट्र से प्रस्ताव

2199. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरालेख तथा संग्रहालयों से संबंधित परियोजना कार्यों के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव की क्या स्थिति है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों, राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालयों से संबंधित महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और उनकी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित परियोजना कार्य के लिए महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

(i) जिला नासिक में सिन्नौर स्थित गोंडेश्वर महादेव मंदिर में और उसके चारों ओर विकास,

(ii) वन विभाग, महाराष्ट्र द्वारा गोविलगढ़ किला, खीखलदेव का विकास,

(iii) अहमदनगर स्थित सलाबतखान के मकबरे का विकास और सौंदर्यीकरण,

(iv) औरंगाबाद क्षेत्र में बृहद पर्यटन विकास परियोजना

ये स्मारकों के संबंध में संरक्षित और/अथवा निषिद्ध/विनयमित क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में आते हैं। ये प्रस्ताव परीक्षणों के विभिन्न स्तरों पर हैं। सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने की समय सीमा बताई नहीं जा सकती।

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभिलेखीय संग्रहों, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता देने की सहायता अनुदान स्कीम के तहत राजभवन अभिलेखागार, महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव। 42,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है।

354-55

सहकारी क्षेत्र का संवर्धन

2200. श्री हरिन पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र के संवर्धन तथा उसे विकसित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) भारत सरकार ने देश में सहकारिता क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सहकारिताओं पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना, बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का अधिनियमन, संविधान (सत्तानबें संशोधन) अधिनियम, 2011 का अधिनियम, लघु आवधिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए प्रो. वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन, सहकारिता पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन आदि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार दो योजना स्कीमें, नामत: भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम और सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कार्यक्रम की सहायता के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम कार्यान्वित कर रही है। सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीमों

का प्रमुख उद्देश्य आम लोगों के बीच सहकारिताओं के बारे में जागरुकता पैदा करना, सहकारी सोसाइटियों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण और सहकारी समितियों के समितियों के सदस्यों और गैर सरकारी सदस्यों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अवगत कराना है।

सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रमों की सहायता के लिए पुनः सूचित केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का उद्देश्य सहकारिताओं के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास है। स्कीम के तीन प्रमुख घटक हैं नामत: (i) सहकारी सहकारी रूप से अल्प तथा अत्यल्प विकसित राज्यों में विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण और आदि कार्यक्रम (ii) उत्पाद/बुनकर सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में सहभागिता और चुने हुए जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना (iii) चुने हुए जिलों में समेकित सहकारिता विकास परियोजना। स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती है तथा ऋण घटक एनसीडीसी द्वारा अपने स्रोतों से दिया जाता है।

355-58

अवैध हथियार

2201. श्री सोमेन मित्राः
श्री नवीन जिन्दलः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार लाइसेंस तथा बिना लाइसेंस शुदा हथियारों का उपयोग करके कुल कितने अपराध किये गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितने बिना लाइसेंस वाले/अवैध/निषिद्ध हथियार बरामद किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने बिना लाइसेंस वाले/अवैध/निषिद्ध हथियारों के संबंध में कोई अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अवैध हथियारों का पता लगाने तथा इनकी बरामदगी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उपाय अपनाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) ये आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (फरवरी, 2012 तक) के दौरान देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जब्त/बरामद किए गए गैर लाइसेंसी/अवैध हथियारों (प्रतिबंधित और गैर-प्रतिबंधित दोनों) की वर्ष-वार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) पिछले वर्षों के आंकड़े ऐसे गैर लाइसेंसी/अवैध हथियारों की संख्या दर्शाते हैं।

(ङ) अवैध हथियारों का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/राज्य सरकारों/पुलिस संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान जब्त/बरामद किए गए अवैध हथियार			
		2009	2010	2011*	2012* फरवरी, 2012 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	59	166	15	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	50	0
4.	असम	251	307	422	51
5.	बिहार	2	0	444	59
6.	चंडीगढ़	34	35	0	8

1	2	3	4	5	6
7.	छत्तीसगढ़	0	0	218	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	260	417	205	42
11.	गोवा	9	13	0	0
12.	गुजरात	175	261	109	21
13.	हरियाणा	249	330	263	41
14.	हिमाचल प्रदेश	0	3	4	1
15.	जम्मू और कश्मीर	965	2796	719	64
16.	झारखंड	0	0	188	65
17.	कर्नाटक	33	100	90	5
18.	केरल	42	30	14	1
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	865	1066	207	42
21.	महाराष्ट्र	388	299	341	32
22.	मणिपुर	221	378	481	80
23.	मेघालय	0	0	72	2
24.	मिजोरम	128	105	35	7
25.	नागालैंड	92	183	105	54
26.	ओडिशा	28	23	74	14
27.	पुदुचेरी	0	1	0	0
28.	पंजाब	35	93	488	53
29.	राजस्थान	473	660	307	31
30.	सिक्किम	2	0	0	0
31.	तमिलनाडु	9	2	34	19
32.	त्रिपुरा	45	30	6	4
33.	उत्तर प्रदेश	117	354	3432	615
34.	उत्तराखंड	206	326	190	11
35.	पश्चिम बंगाल	90	416	2400	132
	कुल	4778	8396	10913	1454

*आकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

2202. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त मिशन के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) सम्मिलित फसलों और योजना हेतु आवंटन तथा मिशन की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एनएफएसएम के तहत अधिक फसलों को सम्मिलित करके इसकी कवरेज का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. चरण दास महंत): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 19 राज्यों के 482 जिलों में तीन घटकों नामत: एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन के साथ कार्यान्वित किया जाता है। एनएफएसएम 16 राज्यों के 144 जिलों में एनएफएसएम-गेहूं 9 राज्यों के 142 जिलों में और एनएफएसएम-दलहन 16 राज्यों के 468 जिलों में कार्यान्वित किया जाता है। मिशन का उद्देश्य ग्यारहवीं योजना के अन्त तक चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन में क्रमश: 10,8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि करना है। मिशन का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन में वृद्धि करना, मृदा उर्वरकों को बहाल करना, रोजगार के अवसर पैदा करना; और किसानों में विश्वास लाने के लिए फार्म स्तर पर आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि करना भी है। वर्तमान वर्ष अर्थात 2011-12 के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत राज्य वार और घटक वार आवंटन और निधि निर्मुक्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उन फसल उत्पादन कार्यकलापों जिनका फसल उत्पादन बढ़ाने और स्थिर करने में सीधा प्रभाव पड़ता है, के क्रियान्वयन में सभी संबंधितें के साथ संपर्कों को आगे बढ़ाता है। स्थान विशेष, लक्ष्य उन्मुख उत्पादन कार्यनीति का अनुसरण करते हुए पहचान की गई फसलों पर सकेन्द्रित ध्यान देते हुए 12वीं योजना के दौरान एनएफएसएम को पुन: सक्रिय किया जा रहा है। इन कार्यनीतियों में मोटे अनाजों और चारा सहित खाद्यान्न फसलों के त्वरित उत्पाद, परिसंपत्ति निर्माण, संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा साथ ही कृषक संगठनों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया है ताकि यह सकेन्द्रित ढंग से किसानों की सेवा कर के सके और इस प्रकार खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार ला सकें।

विवरण

वर्ष 2011-12 (173.12) के दौरान एन एफ एस एम-चावल, एन एफ एस एम-गेहूं एन एस एम-दलहन के अंतर्गत राज्यवार आबंटन, निधियों की निर्मुक्ति और खर्च की गयी राशि

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	राज्य	चावल			गेहूं			दलहन			ए3पी			कुल योग		
		आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	39.27	35.00	20.76	0.00		0.00	47.12	42.19	38.83	23.97	11.68	30.89	110.36	88.87	90.48
2.	असाम	25.24	25.24	49.21	0.00		0.00	9.49	9.49	4.12	3.02	1.85	1.85	37.75	36.58	55.18
3.	बिहार	19.26	17.79	13.89	37.47	36.10	35.06	14.96	16.44	6.42	4.72	4.54	1.87	76.41	74.87	57.24
4.	छत्तीसगढ़	34.48	30.00	21.82	0.00	0.00	23.68	22.45	5.75	5.13	2.80	2.29	63.29	63.29	55.25	29.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	गुजरात	1.90	1.18	1.37	6.15	6.07	2.97	13.52	15.51	8.93	8.70	5.55	3.39	30.27	28.31	16.66
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	21.28	14.37	8.51	9.80	9.38	2.09	3.87	3.32	1.83	34.95	27.07	12.43
7.	जम्मू और कश्मीर	3.59	2.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	2.69	0.00
8.	झारखंड	8.29	0.00	3.22	0.00	0.00	16.00	11.20	2.68	2.81	1.00	6.24	27.10	12.20	12.20	12.14
9.	कर्नाटक	17.38	12.31	7.87	0.00		0.00	45.35	45.35	34.14	17.58	15.60	16.78	80.31	73.26	58.79
10.	केरल	3.04	2.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	2.28	0.00
11.	मध्य प्रदेश	10.61	8.57	6.51	43.53	31.74	22.63	78.79	72.83	48.02	41.10	33.68	36.02	174.03	146.82	113.18
12.	महाराष्ट्र	2045	19.17	14.56	22.17	16.28	7.27	74.35	69.20	38.07	34.70	31.76	32.76	151.67	135.85	92.66
13.	ओडिशा	35.97	38.03	26.62	0.00		0.00	20.41	22.29	7.06	4.63	4.44	3.21	61.01	64.76	36.89
14.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	38.39	27.53	14.59	8.83	7.17	0.44	0.50	0.48	0.00	47.72	35.18	15.03
15.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	22.65	22.44	16.05	50.23	45.60	25.38	21.79	11.24	20.80	94.67	79.28	62.23
16.	तमिलनाडु	21.44	21.58	3.04	0.00	0.00	0.00	11.44	9.66	2.55	3.70	3.30	0.00	36.58	34.54	5.59
17.	त्रिपुरा	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	66.55	61.34	48.25	118.51	101.21	62.22	77.69	68.39	32.11	20.97	14.02	10.77	283.72	244.96	153.35
19.	पश्चिम बंगाल	40.84	30.63	21.75	7.43	3.64	2.63	6.70	0.00	1.84	2.06	1.40	0.00	57.03	35.67	26.22
	कुल	351.94	309.44	238.87	317.58	259.38	171.93	508.36	467.15	258.43	199.25	146.10	168.70	1377.13	1182.07	837.93

361-64

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2203. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन हेतु योजना-वार कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आबंटित एवं राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला और बूचड़खानों की स्थापना के माध्यम से अवसंरचना सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) जैसी गुणालियों के कार्यान्वयन के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, सरकार ने कर में कमी, उत्पाद शुलक को समाप्त करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदों पर सीमाशुल्क में कमी जैसे अनेक उपाए किए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर,

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं योजना अविध के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
जारी की गई राशि	1696.805 (लाख रुपए)	1802.633 (लाख रुपए)	1717.3 (लाख रुपए)	1006.524 (लाख रुपए)	2380.76 (लाख रुपए)

फसल योजना

2204. श्री हरीश चौधरी:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि फसल योजना (एनएसीएस) के तहत राज्य-वार भूमि के कितने क्षेत्रफल को कवर किया गया है;

(ख) इस योजना के तहत किन फसलों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) योजना के पूर्ण लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किये गए है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त उपबंधों का कितनी बार उल्लंघन किया गया है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा "राष्ट्रीय कृषि फसल योजना" (एनएसीएम) नाम से कोई भी स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है, तथापि विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश में राज्य सरकारों के माध्यम से नीचे दी गई बहुत सी कृषि विकास स्कीमें और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित तिलहन, दलहन, मक्का और ऑयल पॉम (आईसोपाम) स्कीम, कपास और जूट पर प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-II, चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए फसल विकास कार्यक्रम समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, बृहत कृषि प्रबंधन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) के अन्तर्गत गन्ना आधारित फसलन प्रणाली का संधारित विकास।

वर्ष 2010-11 में उर्पयुक्त में उल्लिखित स्कीमों के अलावा दो नए कार्यक्रम पूर्वी भारत को हरित क्रानित लाना और वर्षा सिंचित क्षेत्र में 60,000 दलहन और तिलहन ग्रामों का समेकित विकास आर के वी व्राई के अन्तर्गत शुरू किए गए हैं। आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का सुदृढ़ीकरण किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों के प्रत्येक के 1000 हैक्टेयर की 1000 यूनिट को कवर करने के लिए त्वरित दलहन विकास उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी) नया कार्यक्रम ब्लाक प्रदर्शन के रूप में शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

झारखंड में खुदाई

2205. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने झारखंड के इटखोरी तथा बालबाल क्षेत्र में खुदाई की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई खोजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एएसआई का इन स्थलों पर अवशेषों को रखने के लिए संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इटखोरी, जिला चतरा, झारखंड के प्राचीन स्थल पर उत्खनन कर रहा है तथा यह उत्खनन जारी है। झारखंड क्षेत्र के बालबाल (गिधौर ब्लॉक) में किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया गया है।

(ख) नौ खंदकों में उत्खनन आरम्भ किया गया है तथा अभी तक, पत्थर और ईंट की संरचनाओं का पता चला है जो कम ऊंचाई वाले स्तूप के खंडहर प्रतीत होती हैं।

अब तक, कीर्तिमुख, कलश, फलक, कलश, युगल, कॉटा और पौराणिक आकृतियों वाले अनेक मूर्ति कलात्मक पेनल, ध्यानी बुद्ध और मानव मुख की मूर्तियां, टेराकोटा, होपस्कॉच, लौह उपकरणों के साथ-साथ मनके पाए गए हैं।

(ग) और (घ) इस समय स्थल पर संग्रहालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि कार्य प्रगति पर है।

दोहरी नागरिकता

2206. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान में अनेक सिख और हिन्दू भारत और पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। पाकिस्तानी राष्ट्रीकों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीएसयूपी के अंतर्गत उपलब्धियां

2207. श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) के तहत आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन करने के लिए राज्य-वार कौन से कार्य आरंभ किए गए हैं तथा उनमें क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के तहत कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत स्वीकृत और बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ रिहायशी इकाइयों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने 11वीं योजना के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में और शहरी विकास मंत्रालय ने, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-घटक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) सहित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत स्वीकृत और पूरी हुई राज्य-वार रिहायशी इकाइयां

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत रिहायशी इकाइयां	पूरी हुई रिहायशी इकाइयां
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	138054	92945
3.	अरुणाचल प्रदेश	996	92
4.	असम	2260	352
5.	बिहार	22372	352
6.	चंडीगढ़	25728	12736
7.	छत्तीसगढ़	30000	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	0	0
10.	दिल्ली	74312	13820

1	2	3	4
11.	गोवा	155	0
12.	गुजरात	108944	78818
13.	हरियाणा	3248	2844
14.	हिमाचल प्रदेश	636	0
15.	जम्मू और कश्मीर	6677	344
16.	झारखंड	16724	0
17.	कर्नाटक	28288	16872
18.	केरल	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	41446	8732
21.	महाराष्ट्र	152247	52494
22.	मणिपुर	1250	0
23.	मेघालय	768	160
24.	मिजोरम	1096	135
25.	नागालैंड	3504	1270
26.	ओडिशा	2508	907
27.	पुदुचेरी	2964	358
28.	पंजाब	5152	1000
29.	राजस्थान	11151	765
30.	सिक्किम	254	52
31.	तमिलनाडु	91418	31575
32.	त्रिपुरा	256	256
33.	उत्तर प्रदेश	68217	28601
34.	उत्तराखंड	1799	54
35.	पश्चिम बंगाल	160662	61086
	कुल योग	1026663	418450

विवरण II

मूल्यांकन के निष्कर्षों का ब्यौरा

(1) योजना आयोग के मुख्य निष्कर्ष: योजना आयोग के 11वीं योजना के दस्तावेज के मध्यावधि मूल्यांकन से जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) पर निम्नोक्त बिन्दुओं का पता चला है:-

(क) जेएनएनयूआरएम देश भर में शहरी क्षेत्र पर पुन: बल देने में प्रभावी रहा है, फिर भी क्षमता और निवेश के स्रोतों को बढ़ाने की अभी पर्याप्त आवश्यकता है। यह शहरों के वास्तविक अवसंरचना में उल्लेखनीय निवेश को प्रोत्साहन देने में सफल रहा है। इसमें अधिकतर निवेश ऐसी प्रमुख बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में हुआ है जो कि समग्र रूप से अत्यावश्यक हैं। इस कार्यक्रम ने शहरों पर पुन: बल दिया है तथा राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाया है।

(ख) जेएनएनयूआरएम ने राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के भीतर शहरी सुधारों की गहन प्रक्रिया शुरू करने में सहायता दी है। तथापि, सुधारों की गति और गहनता को तीव्र बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ग) क्षमता निर्माण निधियों का उपयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। जेएनएनयूआरएम ने कार्यक्रम की निधियों में से 5 प्रतिशत राशि क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित की है। राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने और मूल्यांकन से इन निधियों के बेहतर उपयोग के लिए अवसरों का पता चलता है ताकि राज्यों में क्षमता पहल प्रयासों को सहायता दी जा सके।

(घ) अब बल "परियोजनाओं" की बजाए सुव्यवस्थित नवीकरण और शहर के विकास के एकीकृत दृष्टिकोण पर अंतरित किए जाने की आवश्यकता है। जबकि शहरों ने अपने परियोजना प्रस्तावों के भाग के रूप में सीडीपी प्रस्तुत कर दी हैं, शहरी नवीकरण और शहरों के दीर्घावधि नियोजन पर बल देना पिछड़ रहा है।

(2) जेएनएनयूआरएम का मूल्यांकन करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए मेसर्ज ग्रांट थोर्नटन की रिपोर्ट में दिए गए मुख्य निष्कर्ष निम्नोक्त हैं:-

* जेएनएनयूआरएम ने देश में शहरी क्षेत्र का नवीकरण में अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता पश्चात जेएनएनयूआरएम शहरी क्षेत्र में अपनी प्रकृति और आकार का देश का प्रथम शीर्षस्थ कार्यक्रम रहा है।

* हालांकि जेएनएनयूआरएम, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सुलभ ऋण के बतौर केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का विकल्प देता है, इस विकल्प का उपयोग करना राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

* यह पहली बार हुआ है कि केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुसार राज्य के विषय के रूप में वर्गीकृत कार्य के लिए इस प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। यह कार्यक्रम न केवल शहरी शासन व्यवस्था तथा राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के चिंतन में ही परिवर्तन ला रहा है अपितु इसने जागरुकता उत्पन्न करने के साथ-साथ जीवन के बेहतर स्तर के लिए जनता की आकांक्षाओं को भी बढ़ाया है।

* 63 मिशन शहरों में से "क" (मेगा शहरी/शहरी समूहों" और "ख" (मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरी/शहरी समूहों) श्रेणी के शहरों को मौजूदा स्कीम में जेएनएनयूआरएम के छत्र के अंतर्गत पर्याप्त निधियों की आवश्यकता नहीं होगी और उनके निए निधियन को कम किया जा सकता है ताकि छोटे कस्बों के लिए निधियों को बढ़ाया जा सके।

* मिशन शहरों के लिए निधियों की व्यवस्था करने का निर्णय, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पता लगाई गई आबादी के आधार पर लिया गया था। उक्त मानदंड के आधार पर ही छोटे कस्बों वाले छोटे राज्यों को, बड़े शहरों की तुलना में नुकसान था।

* राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) का अध्यक्ष सचिव, शहरी विकास होता है या नगरपालिका प्रशासन/स्थानीय स्वयं सेवी सरकार, किसी प्रकार के कटिबद्ध स्टाफ के बिना होती है क्योंकि स्टाफ के पास पहले से ही अत्यधिक कार्यभार होता है।

* पांच से सात वर्ष की अवधि के भीतर 23 सुधारों को क्रियान्वित किया जाना, राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अत्यधिक बड़ा कार्य है। इसके लिए व्यावहारिक अवधारणा अपनाई जानी चाहिए और राज्यों से कहा जाए कि वे स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर सुधारों को क्रियान्वित करें।

* आज के शहरी क्षेत्र में संभवतः क्षमता निर्माण, किया जाने वाला एक मात्र ऐसा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है जिसकी निगरानी, सुधारों और परियोजना के लिए नियुक्त मूल्यांकन और निगरानी एजेंसियों के सदृश एजेंसी द्वारा ही करवाए जाने पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

370 - 74

गन्ना बकाया

2208. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा पिराई के मौसम के दौरान अब तक राज्य-वार गन्ने की कितनी मात्रा की पिराई की गई है तथा कितनी चीनी का उत्पादन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गन्ना किसानों को किए गए भुगतान तथा बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गन्ने के बकाया के शीघ्र भुगतान हेतु कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वर्तमान चीनी उत्पादक राज्यों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान देश में चीनी मिलों द्वारा लगभग 2087.44 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है और लगभग 212.15 लाख टन चीनी का उत्पदन किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 (29.2.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए लिए देय गन्ना मूल्य अदा किया गया मूल्य और बकाया राशि का राज्य-वार/जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलों की भुगतान क्षमता में वृद्धि करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 10 लाख टन की दो खेपों में 20 लाख टन चीनी द्विपक्षीय संधि करार के तहत मालदीव को 0.19 लाख टन, संयुक्त राज्य और यूरोपीय संघ को 0.18 लाख टन और निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल के तहत 1.16 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है ताकि चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर कर सकें। पिछले चीनी मौसम 2010-11 में सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 26.18 लाख टन चीनी के निर्यात की भी अनुमति दी थी। इसके

अतिरिक्त सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को गन्ना मूल्य बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 15.3.2012 तक राज्य-वार पेरे गए गन्ने और चीनी उत्पादन दर्शाने वाला विवरण:

क्र.सं.	राज्य	पेरा गया गन्ना (मात्रा मी. टन में)	चीनी उत्पादन (मात्रा मी. टन में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	100.49	9.78
2.	बिहार	44.20	4.04
3.	गुजरात	83.41	8.74
4.	हरियाणा	45.96	4.08
5.	कर्नाटक	291.52	32.58
6.	महाराष्ट्र	635.68	72.83
7.	पंजाब	40.89	3.67
8.	तमिलनाडु	115.15	11.05
9.	उत्तर प्रदेश	675.85	60.59
10.	उत्तराखंड	33.47	2.98
11.	अन्य*	20.82	1.81
	कुल	2087.44	212.15

स्रोत: संबंधित चीनी उत्पादक राज्यों के गन्ना आयुक्त/चीनी निदेशक

*चीनी मिलों द्वारा भेजे गए अद्यतन प्रोफार्मा-II विवरण के आधार पर

विवरण II

29.2.2012 को 2011-12 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए देय गन्ना मूल्य, अदा किया गया मूल्य और बकाया राशि का राज्य-वार/जोनवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

राज्य/जोन	खरीदे गए गन्ने के लिए कुल देय मूल्य	अदा किया गया गन्ना मूल्य	देय गन्ना मूल्य शेष	शेष देय मूल्य की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
पंजाब	83989.56	69635.66	14353.90	17.09
हरियाणा	85364.80	67336.35	18028.45	21.12
राजस्थान	598.81	392.07	206.74	34.53
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	429717.94	302101.94	127616.00	29.70
मध्य उत्तर प्रदेश	568965.96	387284.51	181681.45	31.93
पूर्वी उत्तर प्रदेश	400100.39	280100.47	120009.92	29.99
पूरा उत्तर प्रदेश	1398794.29	969486.92	429307.37	30.69
उत्तराखंड	74039.78	46750.76	27289.02	36.86
मध्य प्रदेश	9848.04	9485.14	362.90	3.68

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिणी गुजरात	103686.81	69783.29	33903.52	2.70
सौराष्ट्र	6053.30	4062.22	1991.08	32.89
पूरा गुजरात	109740.11	73845.51	35894.60	32.71
दक्षिणी महाराष्ट्र	324790.45	31642.49	11147.96	3.43
उत्तरी महाराष्ट्र	187085.73	168551.02	18534.7स1	9.91
मध्य महाराष्ट्र	334627.69	317968.01	16659.68	4.98
पूरा महाराष्ट्र	846503.87	800161.52	46342.35	5.47
उत्तरी बिहार	80086.24	51354.44	28731.80	35.88
दक्षिणी बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
पूरा बिहार	80086.24	51354.44	28731.80	35.88
असम	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	182417.86	124437.36	57980.50	31.78
कर्नाटक	487949.00	351528.00	136421.00	27.96
तमिलनाडु	199710.31	157314.46	42395.85	21.23
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	3913.81	3153.42	760.39	19.43
पश्चिमी बंगाल	1059.25	759.25	300.00	28.32
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
पुदुचेरी	4041.44	2728.70	1912.74	41.21
गोवा	1532.56	858.00	674.56	44.02
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल अखिल भारत	3570189.73	2729227.56	840962.17	23.56

373-75

बीआरटी परियोजनाएं

2209. श्री किरोड़ी लाल मीणा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शहरी अवसंरचना प्रबंध (यूआईजी) परियोजना के तहत संस्वीकृत धनराशि से की गई 39.5 करोड़ रुपये की कटौती को जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक जारी किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या बस रेपिड ट्रांजिट प्रणाली (बीआरटीएस) हेतु संस्वीकृत परियोजना का कार्य स्वीकृति न मिलने के चलते अधर में लटका हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीआरटीएस हेतु संशोधित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) उप-मिशन के अंतर्गत पहले से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की राशि जारी करने हेतु सरकार के पास धनराशि उपलब्ध है बशर्ते कि जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों का अनुपालन किया जाए।

(ग) से (ङ) बीआरटीएस सहित सभी परियोजनाओं के लिए धनराशि, जेएनएनयूआरएम के यूआईजी उप-मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है। विजयवाड़ा, जयपुर और विशाखापतनम बीआरटीएम के संबंध में संशोधित प्रस्ताव कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए जाने के कारण जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के अंतर्गत समीक्षा और अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। धनराशि जारी करना परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति तथा सुधारों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

375-79

[अनुवाद]

किसानों की ऋणग्रस्तता

2210. डॉ. रामचन्द्र डोम:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
डॉ. रतन सिंह अजनाला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जहां किसान ऋण-ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या परिणाम निकले;

(ग) स्थानीय साहूकार, सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंक आदि से लिए गए ऐसे ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों की ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गय हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) वर्ष 2005 में एनएसएसओ द्वारा जारी की गई "कृषक परिवारों की ऋण ग्रस्तता" (किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण-59वां चक्र) पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) रिपोर्ट संख्या 498 के अनुसार 89.35 मिलियन कृषक परिवारों में से 43.42 मिलियन (48.6%) को या तो ऋण के औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों स्रोतों से ऋणग्रस्त होने की सूचना मिली है। ऋणग्रस्त कृषक परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बकाया ऋण राशि के प्रतिशत के संबंध में ऋण का सर्वाधिक मुख्य स्रोत बैंक 36% बैंक था इसके बाद कृषि/व्यावसायिक साहूकार 26% तथा सहकारी समिति का स्थान 20% है।

(घ) सरकार ने ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों को किसानों की निर्भरता कम करने के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ देश में कृषि ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण, ऐसे किसान जो बैंकों द्वारा निर्धारित भुगतान समय के अनुसार अपने ऋण को चुका देते हैं को 4% प्रति वर्ष की दर पर 3 लाख रु. के फसल ऋण का प्रावधान, परक्राम्य वेयर हाऊस रसीद के प्रति वेयर हाऊस में अपने उत्पाद रखने के लिए 6 महीने की अगली अवधि तक किसान क्रेडिट कार्ड छोटे और सीमान्त किसानों को ब्याज छूट स्कीम का लाभ देना, 1.00 लाख रुपए तक समपार्श्विक ऋणाधार मुक्त ऋण, लघु आवधिक हेतु पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन शामिल है। इन उपायों के फलस्वरूप कृषि ऋण प्रवाह वर्ष 2003-04 में 86981 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 468291 करोड़ रुपए हो गया है तथा आशा की जाती है कि यह वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित 475000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से पार कर जाएगा।

विवरण

प्रत्येक राज्य में ग्रामीण परिवारों और कुल और तथा ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या

राज्य	राज्य ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या('00)	कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या ('00)	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या ('00)	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	142512	60339	49493	82.0

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	15412	1227	72	5.9
असम	41525	25040	4536	18.1
बिहार	116853	70804	23383	33.0
छत्तीसगढ़	36316	27598	11092	40.2
गुजरात	63015	37845	19644	51.9
हरियाणा	31474	19445	10330	53.1
हिमाचल प्रदेश	11928	9061	3030	33.4
जम्मू और कश्मीर	10418	9432	3003	31.8
झारखंड	36930	28238	5893	20.9
कर्नाटक	69908	40413	24897	61.6
केरल	49942	21946	14126	64.4
मध्य प्रदेश	93898	63206	32110	50.8
महाराष्ट्र	118177	65817	36098	54.8
मणिपुर	2685	2146	533	24.8
मेघालय	3401	2543	103	4.1
मिजोरम	942	780	184	23.6
नागालैंड	973	805	294	36.5
ओडिशा	66199	42341	20250	47.8
पंजाब	29847	18442	12069	65.4
राजस्थान	70172	53080	27828	52.4
सिक्किम	812	531	174	38.8
तमिलनाडु	110182	38880	28954	74.5
त्रिपुरा	5977	2333	1148	49.2
उत्तर प्रदेश	221499	171575	69199	40.3
उत्तराखंड	11959	8962	644	7.2
पश्चिम बंगाल	121667	69226	34696	50.1
संघ शासित क्षेत्रों का समूह	2325	732	372	50.8
अखिल भारत	1478988	893504	434242	48.6

एनएसएस रिपोर्ट संख्या 498: कृषक परिवारों की ऋण ग्रस्तता, 2003

[हिन्दी]

डीएमआरसी में ठेके पर कर्मचारी

2211. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा श्रेणी-वार ठेके पर कितने कर्मचारी रखे गये हैं;

(ख) मेट्रो रेल निगम लिमिटेड में ऐसे कर्मचारियों को ठेके पर रखे जाने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है जबकि उनके द्वारा नियमित तथा दीर्घकालीन आधार पर सेवाएं दी जा रही है;

(ग) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन, बीमा कवर आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार/डीएमआरसी को ऐसे ठेके पर रखे गये कर्मचारियों के शोषण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) द्वारा कान्ट्रेक्ट आधार पर श्रेणीवार 144 कर्मचारी निम्नानुसार नियुक्त किये गए हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
1.	सहायक	10
2.	सहायक प्रबंधक	11
3.	पर्यवेक्षक	104
4.	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	1
5.	उपमहाप्रबंधक	1
6.	विभाग प्रमुख	3
7.	विविध	14
	कुल	144

(ख) डीएमआरसी ने सूचित किया है कि निर्माण फेज के दौरान श्रमिकों की भारी आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से उसने फेज-II के लिए कुछ स्टाफ और कार्यपालक अधिकारियों को 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया। निर्माण फेज समाप्त हो जाने पर, भारी संख्या में कामगारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अत: फेज-II के दौरान भी अनुबंधित स्टाफ की नियुक्ति आवधिक आधार पर की गई है।

(ग) और (घ) डीएमआरसी द्वारा फेज-II के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रारम्भ में निर्धारित एकमुश्त वेतन पर रखा गया। तीन वर्षों की सेवा पूरी होने पर और छानबीन के बाद, उनमें से अधिकतर को डीएमआरसी के नियमित कर्मचारी को देय सभी सुविधाओं सहित फेज-III के लिए 5 वर्षों के दीर्घावधिक अनुबंध पर नियमित वेतनमान दिया गया है। वे दुर्घटना/जीवन बीमा के पात्र हैं तथा डीएमआरसी की चिकित्सा नीति के तहत शामिल हैं। फेज-III के लिए कुछ नये कर्मचारी भी डीएमआरसी के नियमित कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं के समान अधिकांश सुविधाएं देकर नियमित वेतनमान में 5 वर्षों के दीर्घावधिक अनुबंध पर नियुक्त किये गये हैं।

(ङ) डीएमआरसी ने सूचित किया है कि ऐसे अनुबंधित कर्मचारियों के शोषण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र का विकास

2212. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री राधे मोहन सिंह:
श्री जफर अली नकवी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े, ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों सहित कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के विकास हेतु कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि के विकास तथा किसानों के जीवन स्तर के उत्थान हेतु आवंटित निधियों/आवंटन में वृद्धि के प्रस्ताव का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग)

देश के पिछड़े हुए गांव और अनुसूचित क्षेत्रों सहित कृषि और समवर्गी क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, भारत सरकार वित्तीय और संस्थागत सहायता के माध्यम से उनके विकास प्रयासों में राज्य सरकारों की मदद करती है। तदनुरूप, कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से बहुत सी स्कीमों का कार्यान्वयन करता है जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएचएम), वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएचएस), विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता (एटीएसए), राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) आदि शामिल है। राज्य सरकारें राज्य की आवश्यकतानुसार कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीम कार्यान्वित कर रही है। आरकेवीवाई के अन्तर्गत जो एक राज्य योजना कार्यक्रम है, राज्य अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए स्वतन्त्र हैं जिसमें कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना है।

इन स्कीमों के अन्तर्गत निधि का आवंटन का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कीमों के अंतर्गत निधियों का आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आरकेवीवाई	एनएफएसएम	एफएमए	एनएचएम	एचएमएनईएचएस	एटीएमए	एनएमएमआई	टीएमसी	एनबीएम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8.26	110.36	53.36	105.40		22.18	252.20	1.25	0.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.26		17.22		40.00	8.64	2.00		6.00
3.	असम	227.77	37.75	13.32		25.00	9.11	2.00		2.02
4.	बिहार	508.82	76.41	32.63	34.00		42.80	6.00		2.02
5.	छत्तीसगढ़	230.57	6.29	17.61	93.50		13.81	20.00		5.43
6.	गोवा	49.55		0.38	2.98		2.11	0.50		0.00
7.	गुजरात	515.48	3027	30.94	76.50		20.04	130.95	1.75	2.00
8.	हरियाणा	168.92	34.95	1.60	80.75		12.05	17.00	0.85	
9.	हिमाचल प्रदेश	99.93		17.05		35.00	7.89			1.50
10.	जम्मू और कश्मीर	103.03	3.59	31.44		35.00	13.87	4.00		0.74
11.	झारखंड	168.56	27.10	9.11	51.00		20.64	10.00		2.50
12.	कर्नाटक	595.90	80.31	40.52	106.25		17.89	92.15	0.70	4.50
13.	केरल	17.93	3.04	10.01	65.45		13.19	2.00		0.00
14.	मध्य प्रदेश	398.37	174.03	52.16	72.25		28.65	90.00	1.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	727.67	151.67	75.38	127.50		29.16	232.80	2.25	2.50
16.	मणिपुर	22.25		17.22		40.00	5.6	1.00		17.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	14.66		19.50		35.00	4.03	2.50		3.13
18.	मिजोरम	34.61		12.02		40.00	4.52	1.50		17.50
19.	नागालैंड	37.54		19.50		40.00	5.97	3.00		17.12
20.	ओडिशा	356.96	61.01	27.07	53.55		31.37	9.00	0.85	5.00
21.	पंजाब	138.87	47.72	13.77	46.75		13.24	16.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	685.04	94.67	47.25	59.50		22.65	130.95	0.70	2.90
23.	सिक्किम	20.08		15.60		40.00	3.27	4.00		3.50
24.	तमिलनाडु	333.08	36.58	27.77	123.25		3081	75.00	0.50	0.65
25.	त्रिपुरा	17.99	3.63	15.60		40.00	4.25	4.00	0.50	2.50
26.	उत्तर प्रदेश	757.26	283.72	92.03	102.00		65.59	10.00	0.30	4.00
27.	उत्तराखंड	131.77		19.65		30.00	9.10	150.		2.40
28.	पश्चिम बंगाल	476.65	57.03	36.28	42.50		27.11	1.00	0.30	1.13
	कुल	7729.24	1377.13	777.99	1243.13	400.00	489.30	1121.05	10.95	110.89

[अनुवाद]

पीडीएस में जीपीएस प्रौद्योगिकी

2213. श्री एम.आई. शानवास: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों की खरीद वाले राज्यों से खाद्यान्नों के उपयोग करने वाले राज्यों तक खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने तथा उनकी निगरानी करने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को बायोमीट्रिक आधारित बार कोड वाले राशन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन से पूर्व कोई प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) खरीद राज्यों से उपभोक्ता राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन का प्रयोग करने और इनकी मानिटरिंग करने के लिए जी.पी.एस. ट्रेकिंग प्रणाली लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र लाभार्थियों को वितरण किये जाने वाले खाद्यान्नों के लीकेज और विपथन को रोकने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों को ढोने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए ऐसे वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेट लगाने के बारे में एक स्कीम पायलट आधार पर 2007-08 में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने यह स्कीम क्रियान्वित की है। बाद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस स्कीम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया गया है और इस स्कीम के अधीन निधियां मंजूर करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिक आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करें, जिसमें स्मार्ट कार्ड बार कोडेड राशन कार्डों/फूड कूपनों का उपयोग करके उचित दर दुकानों को स्वचालित बनाना शामिल है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार करने और नई प्रौद्योगिकियों को दूसरी जगह लागू करने का आकलन करने के लिए दिसंबर 2008 में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी पर एक पायलट स्कीम मंजूर की गई थी। इस स्कीम के अधीन मौजूदा राशन कार्डों के स्थान पर स्मार्ट कार्ड लाये जाने हैं। इन स्मार्ट कार्डों में राशन कार्ड धारक परिवारों के वयस्क सदस्यों के जैविक गुण होंगे।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि राशन कार्ड के प्रपत्र का डिजिटिकरण करने का काम पूरा हो गया है। बिक्री टर्मिनलों के स्थान और 35 उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक तौल मशीन लगा दी गई हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदान किये गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संशोधित एप्लीकेशन को अप्रैल 2012 के प्रथम सप्ताह में क्रियान्वित किया जायेगा। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि 4 पायलट स्मार्ट कार्ड खण्डों के लाभार्थियों के डिजिटिकरण का कम पूरा हो गया है और सार्वजनकि वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने का काम जून 2013 तक पूरा होने की आशा है।

महाराष्ट्र से विधेयक

2214. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र नगर निगम, नगर निगम परिषद् तथा महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर आयोजना (संशोधन) विधेयक, 2010 तथा महाराष्ट्र धन-शोधन (विनियमन) विधेयक, 2010 केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विधेयकों के क्या उद्देश्य हैं साथ ही इन विधेयकों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राज्य विधानसभा द्वारा यथापारित और महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विचारार्थ आरक्षित तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए महाराष्ट्र नगर निगम, नगर परिषद और महाराष्ट्र क्षेत्रीय तथा नगर आयोजना (संशोधन) विधेयक, 2010 पर अब दिनांक 22.02.2012 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उसे दिनांक 28.02.2012 को राज्यपाल, महाराष्ट्र के सचिव को भेज दिया गया है।

राज्य विधानसभा, द्वारा यथापारित और महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विचारार्थ आरक्षित तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए महाराष्ट्र धन-उधार (विनियमन) विधेयक, 2010 दिनांक 11.05.2010 को गृह मंत्रालय को प्राप्त हुआ था। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उक्त विधेयक पर कतिपय प्रेक्षण किए गए जो राज्य सरकार को स्पष्टीकरण हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरणों को दुबारा दिनांक 15.02.2012 को वित्तीय सेवाएं विभाग को जांच हेतु भेजा गया है।

राज्य विधानों की तीन दृष्टिकोणों से जांच करती है, अर्थात (1) केन्द्रीय कानूनों से प्रतिकूलता, (2) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन तथा (3) कानूनी और सांविधानिक वैधता। जब कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को, उपर्युक्त को धन में रखते हुए ऐसे विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। किसी भी निर्णय पर शीघ्रता से पहुंचने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ-विचार विमर्श भी किया जाता है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार

2215. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में तिहाड़ जेल में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, कुप्रबंधन आदि के उदाहरण सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों तथा हिरासत में लिए गए दोषी व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों किए गए मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
2009	08
2010	06
2011	16
2012 (आज की तारीख तक)	05

(ग) प्राधिकारियों ने कारागार में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के प्रयोजन से कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्टाफा के सभी सदस्यों के सर्विस रिकॉर्ड को स्कैन किया गया है। जेलों के अधीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की आचरण नियमों के तहत सत्यनिष्ठा और उचित आचरण सुनिश्चि करने के लिए और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की निगरानी करने पर बल दिया जाता है।

(ii) विभिन्न जेलों में सभी स्तरों पर स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह पर तैनात किया जाता है ताकि वे किसी कारागार में लम्बी अवधि तक कार्यरत रहने के कारण अपने निहित स्वार्थ न विकसित कर सकें।

(iii) सभी स्तरों के स्टाफ को दिल्ली कारागार अधिनियम और दिल्ली कारागार मैनुअल, अधिनियम/ मैनुअल के तहत उनको सौंपी गई ड्यूटियों, प्रतिबद्धता के स्तर, ड्यटी के प्रति समर्पण और सत्यनिष्ठा के विधिक प्रावधानों के बारे में सुग्राही बनाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iv) कैदियों और स्टाफ के सदस्यों की शिकायतों के निपटान के लिए बृहद तंत्र है और प्रत्येक जेल में शिकायत निवारण समिति है।

(v) प्रत्येक जेल के वार्ड में महानिदेशक (कारागार) के याचिका बॉक्स रखे गए हैं और याचिकांए प्राप्त की जाती हैं और उनकी जांच की जाती है।

(vi) प्रत्येक जेल में एक पदनामित विजिटिंग जज होता है जो प्रत्येक दो माह में एक बार जेल का दौरा करता है। प्रत्येक जेल के हर एक वार्ड में रखे गए याचिका बॉक्स को विजिटिंग जज द्वारा खोला जाता है और याचिकाओं पर उनके आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(vii) जनसम्पर्क के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता की शुरूआत की गई है। एक नागरिक अधिकार-पत्र (सिटिजन चार्टर) प्रकाशित किया गया है और कारागारों की वेबसाइट पर कार्य संबंधी मैनुअल दिए गए हैं।

(viii) मुलाकात (रिश्तेदारों और मित्रों की मुलाकात) के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया गया है।

(ix) भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए स्टाफ को लोक सेवक के रूप में उनके दायित्वों के बारे में सुग्राही बनाया जाता है।

(x) तिहाड़ फेसबुस पर उपलब्ध है जिसमें कारागार में शुरू किए गए विभिन्न सुधारात्मक उपायों और सुधारात्मक गतिविधियों में उनकी सहभागिता के लिए लोगों से राय मांगी जाती है। जनता भी कारागार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार की घटनाओं के बारे में प्राधिकारियों को सूचित कर सकती है।

[अनुवाद] 387-90

परमाणु प्रतिष्ठानों की आपदा तैयारी

2216. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने परमाणु प्रतिष्ठापन वाले सभी राज्यों से परमाणु संयंत्रों के आस-पास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) विकसित करने हेतु योजना तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फुकसिमा के अनुभव के मद्देनजर, एनडीएमए द्वारा देश में परमाणु आयात योजनाओं के लिए परमाणु संयंत्रों से हटकर 'मॉक एक्सरसाइज' किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में परमाणु प्रतिष्ठान, ऐसे प्रतिष्ठानों के अगल-बगल बसे परिवारों के लिए किस हद तक सुरक्षित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) परमाणु प्रतिष्ठानों की आपदा तैयारी के संबंध में विद्यमान विनियामक अपेक्षाओं को निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा

विनियामक बोर्ड (एईआरबी) दस्तावेजों में प्रकाशित किया जाता है:-

* एईआरबी ऐफ्टी कोड एईआरबी/एससी/एस "परमाणु विद्युत संयंत्र सिटिंग में सुरक्षा संबंधी कोड ऑफ प्रैक्टिस"।
* आणविक ऊर्जा (रेडियेशन संरक्षण) नियमावली, 2004, नियम 33, (1)।
* एईआरबी/एसजी/ईपी-2 परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए आफसाइट आपात तत्परता की तैयारी।

एईआरबी/एसजी/ईपी-2 आफसाइट आपात कार्रवाई योजनाओं के उन सभी पहलुओं को कवर करता है जिन्हें संचालनकर्ता संगठन और राज्य सार्वजनिक प्राधिकरण, देश में स्थित परमाणु प्रतिष्ठानों में आफसाइट आपात स्थिति में कार्यान्वित करने हेतु तैयार करेंगे और पूर्ण तत्परता के साथ उसका रखरखाव करेंगे।

विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार, सभी परमाणु प्रतिष्ठानों में आनसाइट और आफसाइट आपात तैयारी योजनाएं हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जून से अगस्त, 2011 के दौरान परमाणु संयंत्र संगठनों, जिला प्रशासन, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा जिन राज्यों में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित हैं, उन सभी राज्यों के संकट प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर श्रृंखलाबद्ध कार्यशालाएं और नकली अभ्यास (मॉक ड्रिल) कराए गए थे। तदनुसार, कार्यशालाओं/नकली अभ्यासों के दौरान दिए गए प्रक्षणों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्यों के परमाणु विद्युत संयंत्रों के आस-पास आपात आयोजना जोन (ईपीजेड) का विकास करने संबंधी एक योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया था जिससे न केवल परमाणु आपात स्थिति से निपटने की बेहतर तैयारी करने में सहूलियत होगी बल्कि इससे उसके आप-पास बसे लोगों का विश्वास जीतने में मिलेगी। जून-2011 से अगस्त-2011 की अवधि के दौरान उन सभी 6 राज्यों, जहां परमाणु विद्युत संयंत्र संचालित हैं, अर्थात तारापुर (महाराष्ट्र), कलपक्कम (तमिलनाडु), नरोरा (उत्तर प्रदेश), कोकरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक) और रावतभाटा (राजस्थान) में नकली अभ्यास के कराए गए थे। नकली अभ्यास के दौरान, परमाणु आपदा की स्थिति में समुदाय की तैयारी और जागरुकता सृजन की वर्धित स्तर पर संबंधी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। इसके अतिरिक्त, नक्सली अभ्यास के दौरान पहचान की गई खामियों के मद्देनजर मौजूदा आफ साइट आपात योजनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और यह कार्य एनडीएमए द्वारा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर शुरू किया गया है।

(ङ) परमाणु संयंत्रों का स्थलचयन, उनकी डिजाइन, निर्माण, शुरुआत और संचालन एईआरबी द्वारा निर्धारित विनियामक अपेक्षताओं के अनुसार किया जाता है परमाणु संयंत्र सामान्य संचालन के दौरान नगण्य मात्रा में रेडियोक्टिविटी छोड़ते हैं जिसका वर्ष में अधिकतम एक्सपोजर 0.02 एम एस वी होता है जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि की वजह से रेडियेशन से बहुत कम है। संयंत्र की डिजाइन में बनाए गए सुरक्षा प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि रेडियोधर्मिता की दुर्घटनावश रिलीज की सम्भावना दूर-दूर तक न हो। इसके सहायक उपाय के रूप में वर्तमान आपात योजनाएं परमाणु प्रतिष्ठानों में और उसके आस-पास रह रहे परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

३९०. ११

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

2217. श्री उदय सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पैदा होने वाले करीब 25 प्रतिशत बच्चों के जन्म का पंजीकरण नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन्स इमरजेन्सी फंड (यूनिसेफ) ने 2012 की अपनी रिपोर्ट में यह भी उद्घाटित किया है कि शहरी भारत में केवल उनसठ प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पैंतीस प्रतिशत जन्म का ही पंजीकरण होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, जन्म पंजीकृत नहीं किए जाने के मामलों को रोकने में पूर्णत: विफल है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अद्यतन रणनीति अपनायी जानी है ताकि प्रत्येक नागरिक का जन्म के समय और मृत्यु के पश्चात समुचित पंजीकरण हो सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां; भारत में करीब 25 प्रतिशत जन्मों का रजिस्ट्रीकरण नहीं हो रहा है। भारत में वर्ष 2007 और 2008 के दौरान जन्म के रजिस्ट्रीकरण का स्तर क्रमश: 74.5 और 77.5 प्रतिशत रहा है।

(ख) जी, हां; यूनीसेफ की 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड 2012' की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के नगरीय क्षेत्र में 59 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत जन्म का रजिस्ट्रीकरण होता है।

(ग) जी नहीं; भारत में रजिस्ट्रीकरण का स्तर वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है और जन्म का रजिस्ट्रीकरण स्तर 2000 के 56.2 प्रतिशत से बढ़कर 2008 में 77.5 प्रतिशत हो गया है।

(घ) भारत में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

* भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने केन्द्रीय स्तर पर इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के मायम से जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता और महत्व संबंधी प्रचार अभियानों को तेज किया है।
* राज्यों को केन्द्रीय सहायता की योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है-
  (i) सूचना शिक्षा संचार (आई ई सी) कार्यकलापों के माध्यम से प्रचार और विज्ञापन;
  (ii) रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण और
  (iii) स्टाफ, कम्प्यूटर, आदि के रूप में अवसंरचनात्मक सहयोग उपलब्ध करना।
* जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है।
* सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्थागत जन्म एवं मृत्यु के शत-प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण को सुनिश्चित करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं।

391-92

एनएसएनआईएस का कार्यकरण

2218. श्री नारनभाई कछाड़िया:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाली के कार्यकरण की समीक्षा करने/उसे सुधारने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त संस्थान के इष्टतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में एनएसएनआईएस की नई शाखाएं खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो खेल विधा वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाला की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए प्रो. मूलचंद शर्मा, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था। इस समिति ने संस्थागत इंतजामों, मानव संसाधन आवश्यकताओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों पर अपनी सिफारिशों के साथ सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस मामले पर सरकार द्वारा आगे विचार विमर्श किया गया और यह महसूस किया गया कि एनएसएनआईएस, पटियाला के एकेडमिक मिशन को फिर से लागू किए जाने की आवश्यकता है। एनएसएनआईएस, पटियाला को कोचिंग शिक्षा उत्कृष्टता युक्त संस्थान बनाने के उद्देश्य से भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय में यह निर्णय लिया गया कि एनएसएनआईएस, पटियाला को साई के कार्यक्षेत्र से अलग किया जाए।

(घ) देश में एनएसएनआईएस की शाखाएं खोलने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

392-93

स्टेडियमों का प्रयोग

2219. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में स्थापित शीर्ष खेल स्टेडियमों को सरकारी विश्वविद्यालयों, स्कूलों, निगमित निकायों और पंजीकृत सोसायटियों द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टेडियमों के नाम क्या हैं; और उपर्युक्त को इन स्टेडियमों को सौंपने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त स्टेडियमों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी हां। भारतीय खेल प्राधिकरण

(साई) दिल्ली में निम्नलिखित 5 स्टेडियमों का रखरखाव कर रहा है:-

(i) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम परिसर

(ii) इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर

(iii) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर

(iv) मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम

(v) डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज

इन स्टेडियमों का उपयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों/विद्यालयों/निगमित निकायों आदि द्वारा खेल कार्यकलपों के लिए किया जा रहा है। इन सभी स्टेडियमों में खिलाड़ियों को 'आओ और खेलो' स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उक्त स्टेडियमों के प्रयोग के लिए विस्तृत शर्त और निबंधन (टैरिफ) भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर उपलब्ध है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादियों के साथ वार्ता

2220. श्री राजेन गोहैन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता में सरकार की उम्मीदों के अनुरूप प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ताओं का ब्यौरा क्या और उनके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु सभी विद्रोही/उग्रवादी समूहों को वार्ताओं में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उग्रवादी समूहों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) देश के उत्तर-पमर्व क्षेत्र में विच्छिन्न समूहों (स्प्लिंटर ग्रुप) सहित लगभग 79 उग्रवादी समूह सक्रिया हैं। केन्द्र/राज्य सरकारों ने असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड/प्रे-टॉक (एनडीएफबी/पी); दीमा हलम दाओगाह (डीएचडी)/जोएल और तथा मेघालय में अचिक नेशनल वालन्टियर काउंसिल (एएनबीसी) के साथ कार्रवाई स्थगन (एस ओ ओ) करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ने अगस्त, 2011 में मांगों संबंधी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और भारत सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन (एसओओ) करार पर हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। असम सरकार ने भी आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम (एसीएमए), बिरसा कमाण्डो फोर्स (बीसीएफ), तथा कर्बी लॉगरी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) के साथ एस ओ करार किया है। नागालैण्ड में, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के गुटों के साथ युद्धविराम करार लागू हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/इसाक-मुइवाह (एनएससीएन/आईएम) गुट के साथ वार्ताएं चल रही हैं। मणिपुर में, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) तथा यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) जैसे प्रमुख संगठनों के साथ एस ओ ओ करार लागू हैं।

(ख) विभिन्न विद्रोह समूहों के साथ वार्ता चल रही है और वार्ता के निष्कर्षो को प्रकट करना जल्दबाजी होगी।

(ग) और (घ) सरकार पूर्वोत्तार क्षेत्रों में सक्रिया विद्रोह एवं उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी नीति का अनुकरण कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, समूहों की वार्ता की इच्छा, बशर्ते कि वे हथियार डाल दें, आत्म समर्पण कर दें और हिंसा का रास्ता छोड़ दें, भारत के संविधान की रूपरेखा के तहत उनकी मागों का समाधान ढूंढने, और राष्ट्र की मुख्यधारा में आना शामिल है। सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में स्थिति में सुधार लाए जाने के लिए अपनायी गई नीति में तेजी के साथ अवसंरचनात्मक विकास, रोजगार एवं सुशासन तथा विकेन्द्रीकरण पर जोर देना, पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना, लोगों की विधिसम्मत शिकायतों के संबंध में मिलना तथा मित्रपूर्ण संबंध बनाना, लोगों की विधिम्मत शिकायतों के संबंध में मिलना तथा बातचीत करना और इसके साथ-साथ हिंसा को बर्दाश्त न करने का संकल्प भी शामिल है।

[हिन्दी]

गेहूं का उत्पादन

2221. श्री मिथिलेश कुमार:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं का राज्य-वार उत्पादन कितना हुआ और इस संबंध में देश का विश्व में क्या स्थान है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में गेहूं के उत्पादन में गिरावट की खबरें हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र सहित देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) 2010 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की अद्यतन रिपोर्टो के अनुसार, भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। विगत तीन वर्षो में से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष अर्थात 2008-09 से 2011-12 के दौरान गेहूं के राज्यवार उत्पादन ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ख) और (ग) देश में गेहूं के समग्र उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है तथा 2011-12 (दूसरे अग्रिम अनुमानों) के दौरान यह कुल मिलाकर 88.31 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है।

(घ) उत्तर क्षेत्र सहित देश में गेहूं के उत्पादन मे वृद्धि हो रही है तथा 2011-12 (दूसरे अग्रिम अनुमानों) के दौरान यह कुल मिलाकर 88.31 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है।

(ङ) उत्तरी क्षेत्र सहित देश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रह है नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं (एनएफएसम-गेहूं) बृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं/मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक नये कार्यक्रम अर्थात पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाने की शुरूआत की गई है।

गेहूं सहित विभिन्न फसलों की उच्चतर कृषि उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) फसल सुधार से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान, कृषि जैविकीय क्षेत्रों के अनुसार स्थान विशिष्ट किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास सहित विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल लाभप्रद फसल पद्धतियों के मद में इन फसलों के उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियां, गैर-परंपरागत क्षेत्रों एवं मौसम के उपयुक्त संबंधित उत्पादन के उपयुक्त किस्मों/हाईब्रीडो तथा संबंधित उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्य भी कर रहा है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, विशिष्ट क्षेत्रों के साथ भिन्न-भिन्न कृषि जैविकीय क्षेत्रों की बेहतर अनुकूलता के साथ उन्नत किस्मों/हाईब्रीडों वाली फसलों को विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा उसे अपनाना फ्रंटलाइन प्रदर्शनों (एफएलडी) के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं।

विवरण

2008-09 से 2011-12 के दौरान गेहूं का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन: (000 टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गेहूं			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
आंध्र प्रदेश	16.0	10.0	13.0	7.0
असम	54.6	63.5	52.8	59.0
बिहार	4410.0	4570.8	4097.6	4603.5
छत्तीसगढ़	92.5	121.9	126.8	91.3
गुजरात	2593.0	2352.0	4019.5	3989.8
हरियाणा	10808.2	10500.0	11630.0	11861.0
हिमाचल प्रदेश	547.3	327.1	546.5	629.0
जम्मू और कश्मीर	483.6	289.9	446.3	387.6
झारखंड	153.9	173.2	158.4	273.7
कर्नाटक	247.0	251.0	279.0	183.0
मध्य प्रदेश	6521.9	8410.0	7627.1	8029.3
महाराष्ट्र	1516.0	1740.0	2301.0	1240.2
ओडिशा	7.4	5.8	4.2	5.1
पंजाब	15733.0	15169.0	16472.0	16495.9
राजस्थान	7287.0	7500.9	7214.5	8546.5
उत्तर प्रदेश	28554.0	27518.0	30001.0	30000.0
उत्तराखंड	797.0	845.0	878.0	886.0
पश्चिम बंगाल	764.5	846.7	874.4	895.0
अन्य	92.5	108.8	131.9	131.9
अखिल भारत	80679.4	80803.6	86874.0	88314.8

*3.2.2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

[अनुवाद]

397-

राष्ट्रीय अभिलेखागारों के रिकार्ड

2222. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अभिलेखागारों में उपलब्ध रिकार्डों को किस प्रकार से श्रेणीकृत किया जाता है;

(ख) क्या उक्त रिकार्डों तक शिक्षाविदों और अनुसंधानकत्ताओं की पहुंच सुनिश्चित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त रिकार्डों को अनुसंधान प्रयोजनों हेतु प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा रिकार्डों को श्रेणीकृत नहीं किया जाता है। इसे केवल भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अवर्गीकृत रिकार्ड प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 12 की उप-धारा 1 के उपबंधों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा में सभी अवर्गीकृत रिकार्ड सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 11 के उपनियम (1) और (2) के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर यथार्थ परामर्श और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में पंजीकृत शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं को सुलभ कराए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 के निएम 11 के उपनियम (5) और (6) के उपबंधों के अनुपालन की शर्त के अध्यधीन परामर्श किए जा रहे रिकार्ड से उद्धरण प्रकाशित किए जाने की अनुमति दी जाती है। 397-98

स्वास्थ्यकारी दुग्ध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण

2223. श्री सुवेन्दु अधिकारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में दूध में व्यापक स्तर पर मिलावट किए जाने की खबरों के आलोक में पशुपालकों को इस संबंध में अवगत कराने और शुद्ध दूध का उत्पादन करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग देश में "गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसमें दुग्ध उत्पदकों को उत्पादित कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके शुरू होने के बाद से (2004-05) इस योजना के तहत 22.3.2012 तक 228.84 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 162 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस योजना के तहत 31.3.2011 तक लगभग 6.29 लाख डेयरी किसान सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) इसके शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत 23.3.2012 तक 184.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

राजीव आवास योजना

398-12

2224. श्री महेश जोशी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत देश के शहरों/कस्बों को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) राजीव आवास योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु अब तक चिन्हित किए गए देश के शहरों/कस्बों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वियन हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) दिनांक 02.06.2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) अनुमोदित की गई है। राजीव आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरों का चयन केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। राज्यों द्वारा शहरों के विकास की गति, स्लमों, अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और क्षेत्रों जहां संपत्ति का अधिकार दिया गया है, पर उपयुक्त विचार करते हुए जेएनएनयूआरएम के सभी मिशन शहरों और अन्य छोटे शहरों को शामिल करना अपेक्षित है।

(ख) इस स्कीम में 12वीं योजना के अंत (2017) तक देश भर में लगभग 250 शहरों को शामल किए जाने का अनुमान है। स्लम मुक्त शहरी आयोजना स्कीम अर्थात राजीव आवास योजना के प्रारम्भिक फेज के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने के लिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान 34 फेज के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने के लिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान 34 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को 99.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 162 शहरों की सूची जिसके लिए इन धन राशियों का उपयोग प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए किया जाना है संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आएवाई के फेज-I जिसे स्कीम के अनुमोदन की तिथि से दो वर्षों के लिए बढ़या जाएगा के अंतर्गत व्यापक परिवार-वार स्लम सर्वेक्षण के साथ जीआईएस आधारित स्लम मुक्त शहर योजना विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है क्योंकि राजीव आवास योजना समग्र शहर, सभी स्लम एवं समग्र स्लम कार्यनीति पर जोर देता है। नवीन प्रयोगिक परियोजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो स्कीम के फेज-II में प्रतिरूप और दर्जा बढ़ाने के लिए आधार तैयार करेंगे। 6240 रिहायशी इकाइयों एवं 2160 किराया/अस्थायी आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए 446.2 करोड़ रु. की परियोजना लागत से 8 प्रायोगिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

विवरण

162 शहरों की सूची

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु0 में)/शहरों की संख्या		शहर-एसएफसीपी के लिए जारी निधियां
1	2	3		4
1.	आंध्र प्रदेश	472.72 (11 शहर)	1.	ग्रेटर-हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी)
		969.40 लाख की दूसरी किश्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	2.	ग्रेटर विशाखा पट्टनम नगर निगम (जीवीएमसी)
			3.	विजयवाड़ा
			4.	तिरुपति
			5.	गुंटूर
			6.	नैल्लोर
			7.	करनूल
			8.	राजामुन्दरी
			9.	वारंगल
			10.	काकीनाड़ा
			11.	रामागुनडंम

1	2	3	4	
2.	अरूणाचल प्रदेश	111.29 (2 शहर)	12.	नाहरलागुन
			13.	ईटानगर
3.	असम	76.34 (1 शहर)	14.	गुवाहाटी
4.	बिहार	191.59 (4 शहर)	15.	पटना
			16.	गया-बोधगया
			17.	भागलपुर
			18.	मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	182.88 (4 शहर)	19.	भिलाई नगर
			20.	रायपुर
			21.	बिलासपुर
			22.	कोरबा
6.	दिल्ली	981.96 (डीएमसी)	23.	दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
7.	गोवा	11.70 (3 शहर)	24.	मारमागोवा
			25.	पणजी
			26.	अहमदाबाद
8.	गुजरात	431.64 (8 शहर)	27.	सूरत
			28.	वडोदरा
			29.	राजकोट
			30.	जामनगर
			31.	भावनगर
			32.	भडूच
			33.	पोरबन्दर
			34.	फरीदाबाद
9.	हरियाणा	1513 (3 शहर)	35.	पानीपत
			36.	यमुना नगर
			37.	शिमला
10.	हिमाचल प्रदेश	63.84 (1 शहर)	38.	जम्मू

1	2	3	4
11.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (6 शहर)	39. श्रीनगर
			40. अनंतनाग
			41. उधमपुर
			42. बारामूला
			43. बारामूला
			44. कठुआ
12.	झारखंड	206.11 (4 शहर)	45. जमशेदपुर
			46. धनबाद
			47. रांची
			48. बोकारो स्टील सिटी
13.	कर्नाटक	400.4 (8 शहर)	49. बंगलौर
			50. मैसूर
			51. हुबली-धारवाड़
			52. मैंगलौर
			53. बेलगांव
			54. गुलबर्ग
			55. देवनगरी
			56. ठमससंतल
14.	केरल	263.31 (6 शहर)	57. बिल्लारी
			58. कोच्ची
			59. तिरूअनंतपुरम
			60. कोझीकोडे
			61. कोल्लम
			62. थ्रिसूर
15.	मध्य प्रदेश	282.25 (6 शहर)	63. इंदौर
			64. भोपाल
			65. जबलपुर
			66. ग्वालियर
			67. उज्जैन
			68. सागर

1	2	3	4
16.	महाराष्ट्र	944.67 (18 शहर)	69. ग्रेटर मुम्बई
			70. पूना
			71. नागपुर
			72. नासिक
			73. औरंगाबाद
			74. शोलापुर
			75. भिवंडी
			76. अमरावती
			77. कोल्हापुर
			78. संगली-मिराज कुपवाड़ा
			79. नांदेड़-वागला
			80. मालेगांव
			81. अकोला
			82. जलगांव
			83. अहमदनगर
			84. धुले
			85. चंद्रपुर
			86. लातुर
17.	मणिपुर	55.79 (1 शहर)	87. इम्फाल
18.	मेघालय	95.63 (1 शहर)	88. शिलौंग
19.	मिजोरम	467.07 (8 शहर)	89. आईजवाल
			90. चमफई
			91. कोलासिब
			92. लोंगतई
			93. लुंगलई
			94. मामित
			95. साईहा
			96. सरचिप

1	2	3	4	
20.	नागालैंड	108.03 (2 शहर)	97.	कोहिमा
			98.	दिमापुर
21.	ओडिशा	184.12 (6 शहर)	99.	भुवनेश्वर
			100.	पुरी
			101.	कटक
			102.	राउरकेला
			103.	ब्रह्मपुर
			104.	सम्बलपुर
22.	पुदुचेरी	79.01 (2 शहर)	105.	पुदुचेरी
			106.	ओझूकरी
23.	पंजाब	583.34 (5 शहर)	107.	लुधियाना
			108.	अमृतसर
			109.	जालंधर
			110.	पटियाला
			111.	भटिंडा
24.	राजस्थान	281.15 (8 शहर)	112.	जयपुर
			113.	जोधपुर
			114.	कोटा
			115.	बीकानेर
			116.	अजमेर
			117.	उदयपुर
			118.	भरतपुर
			119.	अलवर
25.	सिक्किम	62.39 (1 शहर)	120.	गंगटोक
26.	तमिलनाडु	480.14 (9 शहर)	121.	चेन्नई नगर निगम
			122.	कोयम्बटूर
			123.	मदुरई
			124.	तिरुचिरापल्ली

1	2	3	4	
			125.	सालेम
			126.	तिरुपुर
			127.	तिरूनावेली
			128.	एरोड़े
			129.	वेल्लौर
27.	त्रिपुरा	54.68 (1 शहर)	130.	अगरतला
28.	उत्तर प्रदेश	733.17 (19 शहरे)	131.	कानपुर
			132.	लखनऊ
			133.	आगरा-नगर-निगम
			134.	वाराणसी
			135.	मेरठ
			136.	इलाहाबाद
			137.	गाजियाबाद
			138.	बरेली
			139.	अलीगढ़
			140.	मुरादाबाद
			141.	गोरखपुर
			142.	झांसी नगर-निगम
			143.	सहारनपुर
			144.	फिरोजाबाद
			145.	मुजफ्फर नगर
			146.	मथुरा
			147.	शाहजहानपुर
			148.	नोएडा
29.	उत्तराखंड	114.63 (3 शहर)	149.	देहरादून
			150.	नैनीताल
			151.	हरिद्वार

1	2	3	4	
30.	पश्चिम बंगाल	423.27 (3 शहर)	152.	कोलकाता
			153.	आसनसोल
			154.	सिलीगुड़ी (भाग)
31.	दमन और दीव	58.06 (2 शहर)	155.	दमन
			156.	द्वीव
32.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (2 शहर)	157.	सिलवासा
			158.	अमली
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (1 शहर)	159.	पोर्ट ब्लेयर
34.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	15.00 (3 शहर)	160.	आमीनी
			161.	कवरत्ती
			162.	मिनीकोए

फलों और सब्जियों का विपणन

2225. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलों और सब्जियों के उत्पादन, विपणन और सुपुर्दगी हेतु कोई संस्थागत व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय पश्च एवं अग्र सम्पर्कों के माध्यम से उत्पादन से उपभोग तक बागवानी के सम्पूर्ण आयाम को कवर करते हुए मिशन मोड दृष्टिकोण में बागवानी के समग्र विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: (1) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन और (2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रहा है। राज्य बागवानी विभागों एवं राष्ट्रीय स्तर एजेंसियों नामत: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचएम), लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचएम), लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संघ (एनएचआरडीएफ), राष्ट्रीय बागवानी प्लास्टीकल्चर अनुप्रयोग समिति (एनसीपीएएच), राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है ताकि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन, विपणन और वितरण हेतु पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जा सके।

कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्यकरण

2226. श्री एम.बी. राजेश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के कार्यकरण को सहायता देने हेतु कोई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2005 से कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया और इन केन्द्रों द्वारा कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण को सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों (कृ.वि.के.) को जारी रखने, उनके सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना पर एक कार्य योजना को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) देश में 611 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 2005 से कृष्ि विज्ञान केन्द्रों का बजटीय आवंटन तथा उनके द्वारा किये गये व्यय को संलगन विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र को 16 कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय के भवन निर्माण, कार्यालय के वाहनों, उपकरणों तथा कृषि औजारों, प्रशिक्षु, होस्टल, 6 आवासीय अपार्टमेन्ट्स तथा दो प्रदर्शन एककों के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है, इसके अलावा अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे ई-कनेक्टिविटी, मृदा तथा जल परीक्षण, वर्षा के जल संग्रह ढांचे, मूल पौध स्वास्थ्य नैदानिकी पोर्टेबल कार्प हैचरी, अल्पतम प्रसंस्करण तथा चुनिन्दा कृषि विज्ञान केन्द्रों में समेकित कृषि प्रणालियों का भी प्रावधान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आठ क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय प्रौद्योगिकी बैकस्टापिंग तथा ज्ञान सशक्तीकरण के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके अलावा, किसान हॉस्टल, मोबाइल नैदानिकी तथा प्रदर्शनी एककों, कृषि विज्ञान केन्द्रों को मानव संसाधन विकास सहायता तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों की सम्पूर्ण गतिविधियों के निरीक्षण के लिए निधियां प्रदान करके बहुविषयी कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालयों को सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा वर्षवार बजटीय आवंटन तथा किया गया खर्च

वर्ष	आवंटन (रुपए लाख में)	व्यय (रुपए लाख में)
1	2	3
2005-06	24376.35	23714.10
2006-07	25002.30	24647.80
2007-08	24142.65,	24138.15
2008-09	27384.85	27322.78
2009-10	29926.62	29926.60
2010-11	60225.78	60225.78
2011-12	49103.98	26800.88*
कुल	240162.53	216776.09

*जनवरी 2012 तक व्यय

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में गुणवत्तापरक विषय-वस्तु

2227. श्री पी.के. बिजू: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आकाशवाणी (एआईआर) केन्द्रों द्वारा तैयार और प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाड़ी केन्द्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं कि आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा गुणवत्तापरक विषय-वस्तु का प्रसारण किया जाए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (घ) आकाशवाणी, प्रसार भारत ने सूचित किया है कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। आकाशवाणी के पास व्यापक नेटवर्क है। देश भर में स्थित श्रोता अनुसंधान इकाइयां समय-समय पर श्रोताओं से संबंधित सर्वेक्षण कराती हैं और विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों/चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में नियमित रूप से फीडबैक मुहैया कराती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति/विशेषज्ञ शाामिल होते हैं। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी उनके सुझावों पर यथोचित ध्यान दिया जाता है श्रोताओं से प्राप्त होने वाले फीडबैक को भी यथाचित महत्व दिया जाता है। आकाशवाणी कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अपने नेटवर्क में भी सुधार ला रहा है। 165 आकाशवाणी केन्द्रों में डिजिटलीकरण का कार्य शुरू हो गया है।

क्षेत्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की प्रत्येक तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें संबंधित राज्य/क्षेत्र के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से भाग लेने वाले कार्यक्रम अधिकारी अनुभवों, विचारों व संकल्पनाओं का आदान-प्रदान करते हैं तथा कार्यक्रमों को बेहतर बनाने हेतु कार्यनीतियां तैयार करते हैं। आकाशवाणी के पास एक संस्थागत तंत्र है जिसमें संगीत कलाकारों, नाट्य कलाकारों व खेल-कूद टीकाकारों की स्क्रीनिंग व स्वर-परीक्षण किया जाता है और विधिवत रूप से गठित समितियों/बोर्डों द्वारा उनका ग्रेडांकन भी किया जाता है ताकि इन फॉर्मेटों में स्तरीय विषय-वस्तु का प्रसारण सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का निर्यात/आयात

2228. श्री प्रेमदासः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधे किसानों से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गयी;

(ख) उक्त खाद्यान्नों की किस दर पर खरीद की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात और निर्यात किया गया; और

(घ) खाद्यान्नों का देश-वार किन-किन दरों पर आयात अथवा निर्यात किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरा खरीदे गये खाद्यानों और उनके खरीद मूल्य अर्थात न्यूनम समर्थन मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

गेहूं की खरीद (लाख टन में)

रबी विपणन मौसम	गेहूं की खरीदारी	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)**
2009-10	253.82	1080
2010-11	255.14	1100
2011-12	283.35	1170

**देय बोनस, यदि कोई हो, सहित

चावल की खरीद (लाख टन में)

खरीफ विपणन मौसम	चावल की खरीदारी	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)**	
		साधारण	ग्रेड 'ए'
2008-09	341.04	900	930
2009-10	320.34	1000	1030
2010-11	341.98	1000	1030

**देय बोनस, यदि कोई हो, सहित

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए चावल की खरीदारी अभी भी चल रही है और 20..2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए 280.41 लाख टन चावल खरीद लिया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ग्रेड-ए चावल के लिए 110 रुपये प्रति क्विंटल और साधारण चावल के लिए 1080 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ग) आयातित और निर्यातित खाद्यान्नों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

गेहूं और चावल निर्यात (लाख टन में)

	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई 2011 तक)
चावल	21.56	22.825	11.01
गेहूं	0.00030	0.00448	0.058

गेहूं और चावल का आयात (लाख टन)

	2009-10	2010-11	2011-12 (जुलाई 2011 तक)
चावल	शून्य	शून्य	शून्य
गेहूं	1.64383	1.84276	–

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम

2229. श्री नीरज शेखरः
श्री यशवीर सिंहः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षमता में गोदामों और शीतागारों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना घोषित/शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितनी सहायता मुहैया करायी जाएगी तथा प्रस्तावित योजना के अंतर्गत अर्हता मानदंड क्या हैं;

(ग) आगामी वर्ष के दौरान कितने गोदाम किराए पर लिए जाएंगे और खाद्यान्नों के भंडारण हेतु कितने किराए का भुगतान किया जाएगा; और

(घ) खाद्यान्नों को सड़ने से बचाने के लिए कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद, प्रसंस्करण कृषि उत्पाद, कृषि आदान आदि का भंडारण करने के लिए किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने हेतु और बंधक ऋण की सुविधा जुटाकर मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए संबद्ध सुविधाओं सहित वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए 1.4.2001 से 'ग्रामीण भंडारण योजना' शुरू की है। संशोधित स्कीम के अधीन 26.6.2008 से सभी श्रेणियों के किसानों, कृषि स्नातकों, सहकारी समितियों और केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों को 25% की दर पर राजसहायता दी जा रही है। सभी अन्य श्रेणियों की व्यक्तिगत कंपनियों और निगमों को परियोजना लागत के 15% की दर पर राजसहायता दी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और उनकी सहकारी समितियों तथा महिला किसानों के मामले में 33.33% राजसहायता होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से इतर के लिए 3 करोड़ रुपये की राजसहायता की अधिकतम सीमा के साथ 30 हजार टन तक अधिकतम क्षमता बढ़ाकर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 3.333 करोड़ रुपये की राजसहायता की अधिकतम सीमा के साथ अधिकतम क्षमता को 25 हजार टन तक बढ़ाकर स्कीम को अधिक आकर्षक बनाया गया है।

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों से भारतीय खाद्य निगम गोदाम किराये पर लेता है जो भंडारण और रख-रखाव के लिए 4.90 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह की दर से प्रभार लेते हैं। इस दर को वर्ष 2008-09 में अन्तिम रूप दिया गया था। बाद के वर्षों के लिए भी इसी दर से भुगतान किया जा रहा है।

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए प्राइवेट पार्टियों से किराए पर लिए गए गोदामों के लिए महाप्रबंधक (क्षेत्र) को 4.16 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह तक किराया अदा करने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी निदेशक (अंचल) के पास 5.21 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह तक की शक्तियां हैं और यदि इससे अधिक दर प्राप्त होती हैं तो प्रस्तावों को भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप से दिया जाता है।

(घ) खाद्यान्नों में क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न पग उठये जाते हैं। कीट/जन्तु बाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपाय किये जाते हैं। प्रभावी मूषक नियंत्रण उपाय भी किये जाते हैं। भंडारण में खाद्यान्नों का उचित परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमित गुणवत्ता जांच भी की जाती है। कैप में भंडारित खाद्यान्नों के स्टॉक के लिए पर्याप्त डनेज प्रदान किया जाता है। डनेज सामग्री साफ की जाती है और जन्तुबाधा से मुक्त की जाती है। कैप के स्टॉक की वर्षा, धूप आदि से सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक चट्टे को पॉलिथिन कवर से ढका जाता है। पालिथिन कवरों को नॉयलॉन की रस्सियों से बांधा जाता है। राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा कैप में भण्डारित गेहूं के स्टॉक का भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। आमतौर पर स्टॉक 'प्रथम आमद-प्रथम निर्गम' के सिद्धांत पर जारी किया जाता है।

[हिन्दी]

1118-26

कृषि विस्तार कार्यक्रम

2230. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विस्तार कार्यक्रम किसानों के बीच कृषि संबंधी सूचनाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता मुहैया करायी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां।

(ख) देश में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कृषि विस्तार कार्यक्रम किसानों के बीच कृषि संबंधी सूचना का प्रसार कर रहे हैं। इसमें शामिल हैं:

(i) विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन का उद्देश्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई सांस्थानिय व्यवस्था के जरिए विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कृषक केन्द्रित विस्तार प्रणाली को सुदृढ़ करना है। योजना के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों में विस्तार अधिकारियों एवं किसानों का क्षमता निर्माण, फ्रंटलाईन प्रदर्शन, एक्सपोजन दौरे, किसान मेले, किसानों के समूहों का संघटन, फार्म स्कूल एवं कृषक-वैज्ञानिक बातचीत शामिल है।

(ii) कृषि योजना को मास मीडिया समर्थन के तहत 180 नैरो कास्टिंग केन्द्रों, 18 खेत्रीय केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्रों के एक राष्ट्रीय केन्द्र एवं 96 एफएम स्टेशन रेडियों के जरिए सप्ताह में पांच/छह दिनों के लिए 30 मिनट का कृषि संबंधी कार्यक्रम ब्राडकास्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कृषि समुदाय से संबद्ध मुद्दों पर एक संकेन्द्रित प्रचार अभियान भी चल रहा है।

(iii) किसान कॉल सेन्टर योजना टोल फ्री दूरभाष लाइनों के जरिए कृषि समुदाय को कृषि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराती है। किसान समुदाय के प्रश्नों का उत्तर स्थानीय भाषा में दिया जाता है। सप्ताह के सातों दिन प्रात: 6 से रात्रि 10.00 बजे तक कॉल अटेन्ड की जाती है।

(iv) 'कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना' संबंधी योजना के तहत कृषि में शैक्षिणक पृष्ठभूमि वाले चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करके तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों की स्थापना हेतु आरम्भिक सहायता देकर किसानों को विस्तार सुविधाएं दी जाती हैं।

(v) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि के विकास पर कृषक समुदाय को सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न स्तरों पर कृषि मेले प्रोत्साहित/आयोजि कर रहा है।

(vi) बीज उत्पादन एवं बीज प्रौद्योगिकियों संबंधी बीज ग्राम कार्यक्रम के जरिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(v) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि के विकास पर कृषक समुदाय को सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न स्तरों पर कृषि मेले प्रोत्साहित/आयोजित कर रहा है।

(vi) बीज उत्पादन एवं बीज प्रौद्योगिकियों संबंधी बीज ग्राम कार्यक्रम के जरिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(vii) आईसीएआर देश में अपने 611 केवीके के नेटवर्क के जरिए प्रशिक्षण द्वारा किसान ग्रामीण युवाओं एवं विस्तार कार्मिकों को सशक्त बना रहा है।

(ग) जी हां। देश में 28 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 604 ग्रामीण जिलों को सहायता उपलब्ध कराई कराई जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान निधियों को निर्मुक्ति का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' के तहत लाभार्थी किसानों की संख्या संबंधी ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के लिए विस्तार सुधारों (एटीएमए) योजना के तहत निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्ति			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1025.87	989.30	2023.39	1700.00
2.	बिहार	2255.76	1246.54	2472.90	5320.82

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	400.00	50.00	397.83	1600.00
4.	गोवा	0.00	0.00		
5.	गुजरात	189.39	556.71	510.44	2200.00
6.	हरियाणा	477.00	737.64	120.00	971.32
7.	हिमाचल प्रदेश	336.88	514.83	402.61	1448.34
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	444.80	200.00
9.	झारखंड	0.00	604.89	781.49	1280.37
10.	कर्नाटक	452.00	250.00	634.63	1623.68
11.	केरल	470.00	343.27	510.00	1073.00
12.	महाराष्ट्र	1425.07	939.17	2234.87	2800.00
13.	मध्य प्रदेश	2198.36	1534.48	990.33	1828.34
14.	ओडिशा	1424.24	1510.57	1838.86	4337.36
15.	पंजाब	637.86	211.42	463.73	800.00
16.	राजस्थान	575.00	1186.90	1058.20	2036.30
17.	तमिलनाडु	1266.28	1113.24	2654.98	2124.95
18.	उत्तर प्रदेश	2586.00	4158.67	4247.81	4838.18
19.	उत्तरांचल	180.30	664.21	300.00	300.00
20.	पश्चिम बंगाल	1815.27	0.00		
21.	असम	200.00	0.00	375.50	300.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	39.00	197.75	337.15	592.98
23.	मणिपुर	286.40	0.00	174.71	468.14
24.	मेघालय	0.00	0.00	220.73	288.74
25.	मिजोरम	192.56	121.54	75.58	403.01
26.	नागालैंड	270.36	378.80	419.54	747.13
27.	त्रिपुरा	286.00	178.12	50.00	589.93
28.	सिक्किम	168.00	75.00		249.26
29.	दिल्ली	7.47	0.00		
30.	पुदुचेरी	0.00	0.00		81.40

1	2	3	4	5	6
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40.00	40.41	27.76	81.37
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00		
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00		
34.	दमन और दीव	0.00	0.00		
35	मैनेज	96.00	255.75	259.65	
36.	डीओई	0.12	0.00	0.72	0.41
	कुल	19301.19	17859.21	24028.21	40285.03

विवरण II

2008-09 से विस्तार सुधार योजना के तहत लाभार्थी किसानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थी किसानों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	316205	98740	148889	134838
2.	बिहार	291042	693225	647933	344656
3.	छत्तीसगढ़	10333	89514	234543	0
4.	गोवा	8225	0	0	0
5.	गुजरात	18822	68323	521369	243757
6.	हरियाणा	179565	79312	38884	32684
7.	हिमाचल प्रदेश	48764	27647	12250	51254
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
9.	झारखंड	34252	36635	20520	58276
10.	कर्नाटक	450465	70415	55164	48749
11.	केरल	152090	226880	114681	23241
12.	महाराष्ट्र	81035	135175	73671	1277710
13.	मध्य प्रदेश	60001000	669475	186948	40111
14.	ओडिशा	756238	380176	122092	39732

1	2	3	4	5	6
15.	पंजाब	198317	440443	107153	109167
16.	राजस्थान	171491	175061	152394	156852
17.	तमिलनाडु	70219	12039	246794	292323
18.	उत्तर प्रदेश	643928	848748	372997	288281
19.	उत्तराचंल	175017	171597	25333	24716
20.	पश्चिम बंगाल	214457	0	0	NA
21.	असम	0	0	0	NA
22.	अरुणाचल प्रदेश	17620	0	6500	NA
23.	मणिपुर	11940	0	7402	NA
24.	मेघालय	0	0	0	NA
25.	मिजोरम	7542	5809	12742	8792
26.	नागालैंड	107331	97716	34156	3347
27.	त्रिपुरा	26019	22525	0	NA
28.	सिक्किम	9432	2135	3632	NA
29.	दिल्ली	0	162	0	NA
30.	पुदुचेरी	3251	0	2577	NA
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4852	6834	5734	7458
	कुल	4608552	4466941	3172358	2035944

[अनुवाद]

425-27

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी समिति

2231. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को और मजबूत बनाने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का विचार है; और

(ङ) इस क्षेत्र का विकास करने हेतु अन्य कौन-से कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और 12वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को और मजबूत करने के लिए उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यसमूह गठित किया गया था।

(ग) और (घ) कार्यसमूह ने अग्रलिखित मुख्य संस्तुतियों (1) राज्य सरकारों के अधिक नवीकरण के साथ-साथ विकेन्द्रीकरण (2) परियोजना कार्यान्वयन के स्थान पर नीति निर्माण और समन्वय पर ध्यान केन्द्रित करना (3) मूल्य अवधि श्रृंखला के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवसंरचना विकास के साथ योजन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

मंत्रालय ने राष्ट्रीरय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के माध्यम से प्रचालित किए जाने वाले बड़ी संख्या में घटकों के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंकरण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, अवसंरचना सृजन अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, खद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, सरकार ने कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदों पर सीमा शुल्क में कमी जैसे अनेक उपाय किए हैं।

बाजार सूचना

2232. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में किसानों की बाजार सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने में उनकी सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा एसएमएस का प्रयोग करने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) कृषि जिन्सों के संबंध में मूल्य और मण्डी संबंधी सूचना की आनलाइन सुविधाएं मुहैया कराकर विकसित किए गए 'एगमार्कनेट' पोर्टल (विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क) के माध्यम से किसानों तथा अन्य मण्डी प्रयोक्ताओं को प्रसारित किया जा रहा है। निकनेट एसएमएस गेटवे का उपयोग करके इस पोर्टल से सूचना के एसएमएस आधारित प्रसार का भी विकास किया गया है और यह 2010 से कार्य कर रहा है।

वर्तमान में 7 राज्यों अर्थात, असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल में कार्यान्वित किए जा रहे नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-एग्रीकल्चर में एसएमएस, आईवीआरएस, आदि सहित पहुंच की विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से कृषक केन्द्रिक सूचना के प्रसार का भी प्रावधान है।

इन्डियन फार्मस एण्ड फटिलाइजर्स कोआरेटिव लिमिटेड (इफको) ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1000 मल्टीमीडिया सक्षम कियोस्क लगाए हैं जिन्हें एगमार्कनेट से जोड़ा गया है। ये एगमार्कनेट सेवा का उपयोग करके राज्य की क्षेत्रीय भाषा में वायस मैसेजेज के रूप में मण्डी सूचना मुहैया करा रहे हैं। मूल्यवर्धित सेवाओं के रूप में मैसेजेज को ग्राहकों को निःशुल्क मुहैया कराया जाता है। फरवरी, 2012 के दौरान, इफको किसान संचार लि. ने 13,03,136 ग्राहकों को एसएमएस/वायस मैसेजेज भेजे हैं। राज्य-वार कवरेज संलग्न विवरण में दिया गया है।

पायलट आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए भारत संचार निगम लि. मोबाईल प्लेटफार्म पर एसमएएस/वायस मैसेजेज के जरिए एगमार्कनेट डाटा का प्रसार करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा शुरू की गई एक परियोजना "भारतीय किसान के लिए डिजिटल मण्डी" किसान के लिए जीपीआरएस एक्षम सेल फोन पर एक अद्वितीय वेब एवं सेल फोन आधारित मल्टी मॉडल कृषि जिन्स के निर्धारित मूल्य की प्राप्ति प्रणाली प्रस्तुत करती है।

विवरण

फरवरी, 2012 के दौरान एगमार्कनेट सेवा का उपयोग करके इफको किसान संचार लि. द्वारा ग्राहकों को भेजे गए मैसेजेज का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	ग्राहकों की सं. (लिस्नर्स)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	3,63,930
2.	हरियाणा	32,045
3.	पंजाब	23,639
4.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	56,053
5.	तमिलनाडु	83,194
6.	बिहार/झारखंड	2,38,651
7.	गुजरात	47,995
8.	ओडिशा	1,48,689

1	2	3
9.	राजस्थान	99,137
10.	पश्चिम बंगाल	42,129
11.	कर्नाटक	1,26,021
12.	आन्ध्र प्रदेश	84,269
13.	केरल	5,809
14.	हिमाचल प्रदेश	7,312
	कुल	1,403,136

स्रोत: इफको किसान संचार लि. से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त सूचना।

[हिन्दी]

खाद्यान्न भंडारण के लिए एजेंसी

2233. श्री भूदेव चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में भारतीय खाद्य निगम को भंडारण की विफलता और उसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त हाने के कारण सरकार का विचार खाद्यान्नों के भंडारण का कार्य किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी को देने का है ताकि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं। तथापि, खाद्यान्नों की खरीदारी बढ़ने के कारण और कवर तथा प्लिंथ में भंडारण में कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की निजी उद्यमी गारंटी सकीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इस स्कीम के अधीन भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य सरकारों की एजेंसियों को क्रियान्वयन एजेंसियां नियुक्त किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अवैध निर्माण में संलिप्तता

2234. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री खगेन दास:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (एनसीटी) में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के अवैध निर्माण और अतिक्रमण में शामिल होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में पंजीकृत मामलों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध निर्माण की अनुमति देने में दोषी पाए गए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन्हें सजा दी गई और सेवा से निकाला गया, का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली में और अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 29.02.2012 तक) के दौरान अवैध निर्माण के बारे में 11953 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, लगाए गए आरोपों की गंभीरता के आधार पर, सतर्कता विभाग द्वारा जांच करने के लिए 403 शिकायतों को चुना गया था। इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	एमसीडी के सतर्कता विभाग को प्राप्त शिकायतों की संख्या	एमसीडी के सतर्कता विभाग द्वारा जांच किए गए मामले	एमसीडी के सतर्कता विभाग में दर्ज नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए)
2009	2753	116	43
2010	2520	91	65
2011	5383	124	25
2012 (दिनांक 29.2.012)	1297	72	5
कुल	11953	403	138

अवैध निर्माण और अतिक्रमण में लिप्त पुलिस अधिकारियों के संबंध में दिल्ली पुलिस को प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
2009	390
2010	616
2011	1476
2012 (दिनांक 29.2.2012 तक)	126
कुल	2608

तथापि, केवल एक मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और एम सी डी के स्टाफ के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 29.02.2012 तक) के दौरान, एम सी डी के 391 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए) दर्ज की गयी थी और एम सीडी के 28 अधिकारियों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माण की अनुमति देने के लिए दिल्ली नगर निगम सेवा (नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1959 के तहत शास्तियां लगाई गई हैं। इसी अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस ने भी विभिन्न प्रकार के अवैध निर्माण और अतिक्रमण करवाने के दोषी पाए गए 418 पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। तथापि, अवैध निर्माण और अतिक्रमण करवाने के लिए दिल्ली पुलिस के किसी भी कार्मिक को दोषसिद्ध अथवा सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है।

(ङ) जब कभी भी कोई अप्राधिकृत निर्माण ध्यान में आता है, तब दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जोन के भवन निर्माण विभाग द्वारा अवैध/अप्राधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। एमसीडी ने दिल्ली में अप्राधिकृत/अवैध निर्माण का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी कक्ष, जोनल नियंत्रण कक्ष इत्यादि का पुनर्निर्माण करना और सुदृढ़ीकरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अप्राधिकृत/अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की निगरानी करने के लिए माननीय दिल्ली सरकार ने सरकारी/निजी भूमि पर अप्राधिकृत/असुरक्षित निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक उप-प्रभाग स्तरीय विशेष कार्य दल का गठन किया है।

उत्तर प्रदेश में संरक्षित स्मारक

2235. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय पुरातत्व विभाग (एस.एस. आई.) द्वारा संरक्षित स्मारकों और रखरखाव स्थलों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त स्मारकों/स्थलों के रखरखाव के लिए आबंटित और उपयोग की गई राशि क्या है;

(ग) क्या ए.एस.आई. ने गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में रखरखाव के लिए और स्मारकों/स्थलों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो स्मारकों का स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित विरासत संरचनाओं और स्थलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित/उपयोग की गई निधियां
1.	2008-09	1975.39
2.	2009-10	2109.00
3.	2010-11	2464.99

(ग) और (घ) जी हां। जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में श्रृंगवेरपुर के उत्खनित स्थल की पहचान कर ली गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

आगरा मण्डल

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	अकबरी महल सहित आगरा किला अंगूरी बाग	आगरा	आगरा

1	2	3	4
	दीवाने आम प्रांगण की बाउली		
	दिल्ली द्वारा प्रवेश के अंदर 1605 ई. का उत्कीर्णित शिलालेख		
	चित्तौड़ द्वार		
	दीवाने आम का सार्वजनिक श्रोता/दर्शक हाल		
	दीवाने खास या निजी श्रोता/दर्शक हाल		
	खास महल के नीचे वीथियां		
	माननीय जॉन रसेल कॉल्विन का मकबरा		
	अंदरूनी अमर सिंह द्वार		
	अंदरूनी दिल्ली द्वार		
	जहांगीरी महल		
	जहांगीर का स्नानागार		
	खास महल या आरामगाह या निजी हाल जिसमें दोनों तरफ के सुनहरे मंडप शामिल हैं		
	नगीना मस्जिद से सटा महिला बाजार		
	मच्छी भवन या फिश हाउस		
	नगीना मस्जिद से टकराता हुआ महारथ भवन		
	मीना मस्जिद		
	मीना मस्जिद या पर्ल मस्जिद		
	शाही स्नानागार		
	नगीना मस्जिद		
	सलीमगढ़		
	पचीसी कोर्ट तथा इर्द-गिर्द के कक्षों सहित समन बुर्ज		
	शाहजहां का अपार्टमेंट		
	शीश महल		
	सोमनाथ द्वार		
	अकबरी महल का कुआं (बाऊली)		
2.	बारह खंभा साथ में समीपवर्ती इलाका जो सर्वेक्षण प्लाट सं. 150 के भाग में शामिल है, जैसा कि स्थल के नक्शे में दर्शाया गया है।	आगरा ताजगंज	आगरा
3.	रामबाग के उत्तर में यमुना तट पर छतरियां	आगरा	आगरा
4.	सम्राट बाबर को अस्थायी दफन स्थल की चौबुर्जी, साथ में चबूतरा जिस पर यह खड़ा है	आगरा	आगरा

1	2	3	4
5.	चीनी का रोजा जिसमें कुआं, टैंक तथा कियोस्क शामिल हैं जो यमुना नदी के सामने हैं	आगरा	आगरा
6.	आगरा द्वार के पश्चिम में नगर दीवार	आगरा	आगरा
7.	मोहल्ला ताजगंज में दक्खिनी दरवाजा	आगरा	आगरा
8.	फिरोज खान का मकबरा	आगरा	आगरा
9.	पुल चंगा मोदी स्थित प्रवेश द्वार	आगरा	आगरा
10.	ताज गंज के भीतरी भाग में स्थित प्रवेश द्वार	आगरा	आगरा
11.	बड़ी ईदगाह	आगरा	आगरा
12.	इमिमाद्-दल-दौला का मकबरा	आगरा	आगरा
13.	महात्मा गांधी रोड के पश्चिम की तरफ आगरा की नगर दीवार के एक टुकड़े पर उत्कर्णित फलक (अकबराबाद)	आगरा	आगरा
14.	जामी मस्जिद	आगरा	आगरा
15.	झुनझुन कटोरा	आगरा	आगरा
16.	खान द्वार	आगरा	आगरा
17.	जोहराबाग में या उसके पास नदी की तरफ के कियोस्क से भिन्न कियोस्क एवं भवन	आगरा	आगरा
18.	ताज के सम्मुख नदी तट पर मेहताब बाग	आगरा	आगरा
19.	चीनी का रौजा तथा बाग वजीर खान के मध्य काला गुंबज नामक मकबरा	आगरा	आगरा
20.	शहर का पुराना दिल्ली दरवाजा	आगरा	आगरा
21.	छावनी, ग्वालियर रोड के निकट पहलवान का मकबरा	आगरा	आगरा
22.	राम बाग के प्रवेश द्वार	आगरा	आगरा
23.	राम बाग हाउ्स कियोस्क, चबूतरे एवं कटरा	आगरा	आगरा
24.	रौजा दीवानजी बेगम तथा मस्जिद	आगरा	आगरा
25.	अलीगढ़ रोड पर राम बाग से सटा सतकुइयां सात कुआं	आगरा	आगरा
26.	आगरा-मथुरा रोड पर छोटी छतरी	आगरा	आगरा
27.	आगरा-सिकंदरा रोड पर अकबर हाऊस की प्रतिमा	आगरा	आगरा
28.	ताज तथा उसके मैदान जिसमें पश्चिम दिशा की मस्जिद, मैदानों के पूर्व एवं पश्चिम के मंडप, बड़ा दक्षिण प्रवेश द्वार तथा बड़ प्रांगण शामिल हैं जो छत्तों से घिरे हैं	आगरा	आगरा

1	2	3	4
	ताज प्रांगण के चारों और दालाने	आगरा	आगरा
	ताज बाग के पश्चिमी परिवेष्टक दीवार में पेयजल फव्वारा		
	खान-ए-आलम बाग का प्रवेश द्वार		
	फतेहपुर मस्जिद		
	काली मस्जिद और बाड़े की दीवार		
	खान आलम बाग साथ में ताज महल के समीप नया कुंड		
	पुरानी मुगल कुल्य		
	सहेलियों का गुंबज नं. 1		
	सहेलियों का गुंबज नं. 2		
	सहेलियों का गुंबज नं. 3		
	सहेलियों का गुंबज नं. 4		
	ताज के भीतरी प्रवेश द्वार के सम्मुख सिरही दरवाजा		
	फतेहपुर मस्जिद के समीप कुंड		
	ताज बाग का कुआं		
29.	छावनी, ग्वालियर रोड के समीप कुंड पहलवान	आगरा	आगरा
30.	राम बाग के पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम कोने में शुरुआती मुगल काल के दो प्रवेश द्वार	आगरा	आगरा
31.	चार बाग का कुआं एवं सीढ़ियां	आगरा	आगरा
32.	जोहरा बाग और नदी की तरफ का कियोस्क	आगरा	आगरा
33.	कोस मीनार	आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, 9 मील, 4 फर्लांग	आगरा
34.	कोस मीनार	आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, 11 मील, 01 फर्लांग	आगरा
35.	कोस मीनार	आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, 12 मील, 07 फर्लांग	आगरा
36.	कोस मीनार	आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, 15 मील, 02 फर्लांग	आगरा
37.	कोस मीनार	आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, 14 मील, 03 फर्लांग	आगरा
38.	कोस मीनार	आगरा-मथुरारोड, 16 मील, 07 फर्लांग	आगरा

1	2	3	4
39.	कोस मीनार	आगरा-मथुरारोड, 9 मील, 04 फर्लांग	आगरा
40.	कोस मीनार	आगरा-मथुरारोड, 126 मील, 01 फर्लांग	आगरा
41.	महताब खान की पुत्री का मकबरा	बाग राजपुर,	आगरा
42.	साम्राज्ञी जोधाबाई का मकबरा-स्थल दर्शाने वाली छतरी	भोगरीपुरा	आगरा
43.	हजीरा नामक दो मंजिला मुगल मंडप	बुढ़िया का ताल	आगरा
44.	बुडिया का ताल नामक गांव	बुढ़िया का ताल	आगरा
45.	फतेहपुर सीकरी	आगरा	आगरा
	अबुल फजल का मकान		
	अबुल फजल का मकान		
	आगरा गेट		
	अजमेर गेट		
	आंख मिचौली और नीचे तहखाना		
	जोधाबाई महल से हिरण मीनार की ओर जाने वाले आच्छादित मार्ग के सामने अतशः जल कार्य द्वारा चबूतरे को सहारा देने वाला तोरण पथ		
	ज्योतिषी का आसन तथा नीचे तहखाना		
	बहा-उद्-दीन का मकबरा		
	जामी मस्जिद का बुलंद दरवाजा		
	आगरा के उत्तरी तरफ हकीम के स्नानागर के नीचे बाउली		
	कुश महल के समीप बरादरी		
	नौबत खाना के समीप बारादरी		
	तेहरा दरवाजा के समीप बारादरी		
	बीरबल द्वार		
	सामान्यतया बैजू का मकान नाम से पुकरा जाने वाला भवन		
	चंदनपोल गेट		
	चोर दरवाजा		
	नगर दीवार		

1	2	3	4
	दीवान-ए आम प्रांगण की ओर जाने वाले दरवाजे से हम्माम के सामने स्थित छत्ते		
	दफ्तरखाना (पुराना डाक बंगला)		
	दलान (मरियम के मकान से संबद्ध)		
	दरोगा का मकान		
	दिल्ली द्वार		
	गोताखेरी कूप		
	छत्तों सहित दीवाने-ए-खास		
	गुंबदनुमा स्नानागार		
	आगरा द्वार पर प्रस्तर पीठ पर गुंबदनुमा प्रवेश द्वार		
	हाथी द्वार या हाथी पोल		
	कन्या विद्यालय		
	जोधाबाई महल से संबंद्ध रक्षक गृह		
	रक्षक गृह (मरियम के मकान से सटा)		
	रक्षक गृह		
	आगरा द्वार पर पीठ से निचले भाग पर रक्षक गृह		
	ग्वालियर द्वार		
	हकीम का स्नानागार		
	हकीम (डॉक्टर) का घर		
	बुलंद दरवाजे के दक्षिण-पूर्व में हम्माम		
	बुलंद दरवाजे के सामने हम्माम		
	हम्माम (जोधाबाई महल से सटा)		
	हम्माम नं. 2		
	हम्माम नं. 3		
	अबुल फजल के घर के बाहर हम्माम		
	हवा महल (जोधाबाई महल)		
	हिरण मीनार		
	अस्तबल, ऊंटशाला एवं हम्माम		
	बीरबल के घर के कोने में अस्पताल		
	अस्पताल एवं शौचालय		
	जामा मस्जिद (दरगाह)		
	जोधाबाई महल		
	कारवां सराय के ऊपर कारवां भवन		

1	2	3	4
	कारवां सराय		
	खानकाह		
	दरगाह जामा मस्जिद से संबद्ध खानकाह		
	खास महल छत्ते		
	खटाई खाना		
	खुश महल या हाडा महल		
	ख्वाबाग (खास महल)		
	जामी मस्जिद का राजा का दरवाजा		
	रसोई (मरियम के मकान से संबद्ध)		
	लाल दरवाजा		
	मरियम का मकान		
	टकसाल		
	नगीना मस्जिद		
	जामी मस्जिद के जनाना रौजा के नाम से आमतौर पर जाना जाने वाला उत्तरी दरवाजा		
	अष्टकोणीय बाउली		
	दलानों सहित पचीसी कोर्ट		
	पंच महल		
	कबूतर खाना		
	जामी मस्जिद के दक्षिण-पूर्व कोने में गरीब खाना		
	हम्माम सहित दीवाने आम और खजाने के बीच स्थित भवन श्रृंखला		
	गरीब खाना (नगीना मस्जिद से संबद्ध)		
	रंग महल		
	अष्टकोणीय बाउली के पूर्व में ध्वस्त स्नानागार		
	सलीम चिश्ती का मकबरा		
	अबुल फजल के घर के उत्तर में समोसा महल		
	संगीन बुर्ज		
	अबुल फजल के घर के उत्तर में छोटा स्नानागार		
	बहाउद्दीन के मकबरे से संबद छोटी मस्जिद		
	दिल्ली द्वार एवं लाल दरवाजा के बीच छोटी मस्जिद		
	पत्थर काटने वाले की मस्जिद		
	सुख ताल		

1	2	3	4
	दीवाने खास का मकबरा		
	इस्लाम खान का मकबरा		
	खजाना और नौबत खाना		
	तुर्की सुल्तान का मकान और हम्माम		
	भरतपुर को जाने वाली सड़क पर सेतु		
	हिरण मीनार के पास का कुआं		
46.	सादिक खान का मकबरा	गेलाना	आगरा
47.	सलाबत खान का मकबरा	गेलाना	आगरा
48.	धाकड़ी का महल	गोपालपुरा	आगरा
49.	जामी मस्जिद	इतिमादपुर	आगरा
50.	जगनेर किला जिसमें ग्वाल बाबा मंदिर साथ में वहां ले जाने वाली सीढ़ियां तथा जगनेर पहाड़ी पर मुख्य द्वार के बाहर तथा नीचे स्थित बाउली	जगनेर	आगरा
51.	जाजऊ सराय के दो प्रवेश द्वार तथा मस्जिद	जाजऊ	आगरा
52.	हुमायूं मस्जिद	कच्छपुरा	आगरा
53.	बारा खम्भा	कगरौल	आगरा
54.	गुरू का ताल	ककरोठा	आगरा
55.	बावन बैल कूप	खवासपुर	आगरा
56.	कमाल खान की दरगाह	खवासपुर	आगरा
57.	पुराना टीला तथा तासु टीला	खवासपुर	आगरा
58.	रोम कैथोलिक कब्रिस्तान तथा इसके सभी मकबरे, चहारदीवारी, प्रवेश द्वार तथा बगीचा	लश्करपुर और सादी का नगला	आगरा
59.	मलबा एवं कंक्रीट का ढेर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां लाडली बेगम और उनके दो भाइयों फैजी तथा अबुल फजल के मकबरे हैं	मऊ	आगरा
60.	इतिबारी खान की मस्जिद	सिकन्दराबाद के पास	आगरा
61.	जसवंत सिंह की छतरी	राजवाड़ा	आगरा
62.	शेख इब्राहिम (सलीम चिश्ती का भतीजा) का मकबरा	रसूलपुर	आगरा
63.	अकबर का मकबरा, प्रवेश द्वार तथा मैदान के चारों तरफ की दीवारें	सिकन्दरा	आगरा
64.	बड़े दक्षिणी दरवाजे के पूर्व एवं दक्षिणी भाग में दलानें तथा इसी दरवाजे के पश्चिमी तरफ का गुंबदनुमा ढांचा	सिकन्दरा	आगरा
65.	अकबर के मकबरे के दक्षिण-पूर्वी कोने में कांच महल	सिकनदरा	आगरा
66.	मरियम का मकबरा	सिकन्दरा	आगरा
67.	चर्च मिशनरी सोसायटी परिसर में स्थित छोटी मस्जिद	सिकन्दरा	आगरा
68.	कैप्टन रोनाल्ड केमरन तथा अन्य सैनिकों की याद में बने स्मारक	अलीगढ़	अलीगढ

1	2	3	4
69.	ऐसे बहादुर व्यक्तियों की याद में बना स्मारक जो विजय क्षण के समय शहीद हो गए	जंजीरी	अलीगढ़
70.	तीन टीले	गोरई थाना, इगलस	अलीगढ़
71.	मस्जिद	पिलखाना	अलीगढ़
72.	खेड़ा टीला	बजेराखेड़ा	अलीगढ़
73.	छोटा टीला	बजेराखेड़ा	अलीगढ़
74.	नगरिया खेड़ा	शाहगढ़ खेड़ा शाहगढ़	अलीगढ़
75.	पुरानी गढ़ी या मड फोर्ट	शाहगढ़ खेड़ा शाहगढ़	अलीगढ़
76.	साहेगढ़ खेड़ा	शाहगढ़ खेड़ा शाहगढ़	अलीगढ़
77.	प्राचीन स्थल जहां एक प्राचीन किले तथा एक विस्तृत खेड़ा के अवशेष हैं	संकारा	अलीगढ़
78.	उँचा पृथक शंक्वाकार टीला	संकारा	अलीगढ़
79.	टीला, जिसके भाग से ऐसा लगता है कि यह बौद्ध स्तूप या मंदिर का अवशेष है	संकारा	अलीगढ़
80.	पुराने किले के समीप का स्मारक	तप्पल	अलीगढ़
81.	थामसन सिम्पसन का मकबरा	तप्पल	अलीगढ़
82.	फील्ड सं. 194/1/(191/1) की कोस मीनार	जरहौलिया	औरैया
83.	फल्ड सं. 215-1 की कोस मीनार	पैगम्बरपुर	औरैया
84.	फील्ड सं. 127 की कोस मीनार	भगवतीपुर	औरैया
85.	प्रवेश द्वार	अजीतमल	औरैया
86.	फील्ड सं. 684 तथा 685 में कोस मीनार, पनहार	राजस्व मौजा के तहत सलेमपुर उर्फ साले पनहार	औरैया
87.	कसूरी का प्राचीन टीला	बमनौली	बागपत
88.	परशुराम का खेड़ा के नाम से जाना जाने वाला टीला	आलमगीरपुर	बागपत
89.	लाखा मंडप के नाम से जाना जाने वाला टीला	आलमगीरपुर	बागपत
90.	बेगम की मस्जिद या तीन ऊंचे गुंद	आंवला	बरेली
91.	रोहिला प्रमुख, हफीजुल मुल्क रहमत खान का मकबरा	बरेली	बरेली
92.	हरमीत शाह दाना का मकबरा	बरेली, बकरगंज	बरेली
93.	लाल बलुआ पत्थर क विशाल स्तंभ-चिह्न	फतेहगज	बरेली
94.	अनेक प्राचीन ध्वस्त टीले जहां इंडो सीथियन सिक्के पाए गए हैं	पचौमी या वाहिदपुर	बरेली
95.	प्राचीन स्थल	रामनगर, आलमपुर कोट	बरेली
96.	किला	रामनगर	बरेली
97.	चिकटिया खेड़ा नामक टीला	रामनगर	बरेली

1	2	3	4
98.	गंधन सागर और आदी सागर के नाम से ज्ञात कुंडों के दक्षिण में स्थित टीला	रामनगर	बरेली
99.	कटारी खेड़ा या कोट्टारी खेड़ा नामक छोटी पहाड़ी	रामनगर	बरेली
100.	स्तूप टीला	रामनगर	बरेली
101.	कोनवारू ताल के समीप दो बौद्ध टीले	रामनगर	बरेली
102.	आंवला रेलवे स्टेशन के समीप का स्थल	रेहतोइया	बरेली
103.	ऊंचे टीले मोरध्वज जिसे मुनावर जार के नाम से भी जाना जाता है	चंदनपुर	बिजनौर
104.	किला	चांदपुर	बिजनौर
105.	मस्जिद	चांदपुर	बिजनौर
106.	प्राचीन ब्रिटिश कब्रिस्तान	दारानगर	बिजनौर
107.	प्राचीन स्थल	दौलताबाद	बिजनौर
108.	नवाब शुजात खान का मकबरा	जहानाबाद	बिजनौर
109.	जामी मस्जिद	मंडवार	बिजनौर
110.	कुआं	मंडवार	बिजनौर
111.	पुराना पठान किला	नगीना	बिजनौर
112.	नवाब नजीबुद्दौला का कब्रिस्तान	नजीमाबाद	बिजनौर
113.	पराठगढ़ किला	नजीमाबाद	बिजनौर
114.	पुराना महल का हिस्सा	नजीमाबदा	बिजनौर
115.	नवाब नजीबृद्दौला का मकबरा	नजीमाबाद	बिजनौर
116.	टीला (कुषाण राजा वासुदेव)	तिप	बिजनौर
117.	इमादुल मुल्क की दरगाह उर्फ पिसान हरी का गुंबद	बदायूं	बदायूं
118.	जामी मस्जिद	बदायूं	बदायूं
119.	मकबरा, मोहल्ला, बेहरामपुर, इखलास खान का मकबरा	बदायूं	बदायूं
120.	अलाउद्दीन आलम की मां मखदूमन जहां का मकबरा	बदायूं	बदायूं
121.	आहार के अंदर और आसपास अनेक विशाल तुमुली (खेड़े)	आहार	बुलन्दशहर
122.	चंद्राणी का मंदिर के नाम से ज्ञात प्राचीन मंदिर के खंडहर	चंडोक	बुलन्दशहर
123.	बलाई कोट ऊपरी किला	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
124.	मोती बाजार के नाम से ज्ञात विशाल टीला	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
125.	दो कब्रिस्तान	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
126.	चिनाई कार्यवाला कुंड तथा प्राचीन मंदिर	दनकौर	बुलन्दशहर
127.	अहीरपुरा टीला या छोटा मंदिर टीला	इंदौर	बुलन्दशहर
128.	कुंदनपुरा टीला या बड़ा मंदिर टीला	इंदोर	बुलन्दशहर
129.	छोटे गांव के साथ ऊंचा टीला जो इसके पूर्व-उत्तर-पूर्वी	इंदोर	बुलन्दशहर

1	2	3	4
130.	तलपतनगरी या म्याजी खेड़ा नामक खेड़ा या टीला	शिकारपुर	बुलन्दशहर
131.	विशाल टीला	अंतरंजीखेड़ा	एटा
132.	खेड़ा बसुंदरा	बसुंदरा	एटा
133.	विशाल टीला जो गांव को दो भागों में बांटता है जिन्हें बिलसार पछिया और बिलसार पूर्वा के नाम से जाना जाता है	बिलसार	एटा
134.	टीला जहां गुप्त काल के प्राचीन अवशेष हैं	बिलसार	एटा
135.	कर्नल गार्डेनर तथा उसकी बेगम का मकबरा	चावनी	एटा
136.	एक प्राचीन मंदिर के अवशेष	मलवान	एटा
137.	दो टीले साथ में एक प्रतिमा, प्राचीन मूर्तियां तथा अन्य प्राचीन अवशेष	नोह खास और खेड़ा नोह	एटा
138.	किला	साकित	एटा
139.	पुराने किले में ध्वस्त मस्जिद	साकित	एटा
140.	विशाल खेड़ा	सराय अघाट	एटा
141.	सीता रामजी का मंदिर	सोरोन	एटा
142.	एक पुराने किले के अवशेष	असईखेड़	इटावा
143.	पुरानी गढ़ी एवं स्थल	चक्रनागा	इटावा
144.	प्रवेश द्वार	इकडील	इटावा
145.	जामी मस्जिद तथा इसके उपांग	इटावा	इटावा
146.	आत सोल्स मेमोरियल चर्च स्थित बंद कब्रिस्तान	फतेहगढ़	फर्रूखाबाद
147.	किले स्थित बंद कब्रिस्तान	फतेहगढ़	फर्रूखाबाद
148.	ब्रिटिश इनफैंट्री लाइन्स में बंद कब्रिस्तान	फतेहगढ़	फर्रूखाबाद
149.	सर्जन थॉमस हेमिल्टन का मकबरा	फतेहगढ़	फर्रूखाबाद
150.	क्वीन विक्टोरिया स्मारक	फतेहगढ़	फर्रूखाबाद
151.	पृथक टीलों में सबसे पूर्व वाला टीला	काम्पिल	फर्रूखाबाद
152.	मेजर राबर्टसन का मकबरा (अब औरैया जिला इसलिए लखनऊ मंडल)	करहार	फर्रूखाबाद
153.	मस्जिद एवं सराय	खुदागंज	फर्रूखाबाद
154.	कब्र में स्थित पत्थर तथा इसका बाड़ा जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां स्वर्गीय फील्ड मार्शल अर्ल राबर्ड, पी.सी.के.जी. आदि ने 1857 में काली नदी के संग्राम में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया था	खुदागंज	फर्रूखाबाद

1	2	3	4
155.	एक प्राचीन बौद्ध विहार का स्थल, विशाल टीला	पखनाबिहार	फर्रूखाबाद
156.	विशाल टीला	पिल्खाना	फर्रूखाबाद
157.	नवाब राशिद खान का मकबरा	मुर्शीदाबाद	फर्रूखाबाद
158.	प्राचीन स्थल	सनकिस्सा	फर्रूखाबाद
159.	नागकुंड जिसे करेवर या कंडायत ताल कहा जाता है	सनकिस्सा	फर्रूखाबाद
160.	ले. कर्नल जॉन गुथ्री का मड फोर्ट स्थित मकबरा	थटिया	फर्रूखाबाद
161.	मोहम्मद खान बंगश नवाब का मकबरा	शेकुपुर गढ़ी, रापड़ी, शिकोहारबाद	फिरोजाबाद
162.	फरीदुद्दीन उर्फ मियां फिद्दु का मकबरा	शेकुपुर गढ़ी, रापड़ी, शिकोहारबाद	फिरोजाबाद
163.	नसीरुद्दीन का मकबरा	शेकुपुर गढ़ी, रापड़ी, शिकोहारबाद	फिरोजाबाद
164.	निजामुद्दीन का मकबर	रापड़ी, शिकोहाबद	फिरोजाबाद
165.	ईदगाह	रापड़ी, शिकोहाबद	फिरोजाबाद
166.	सर्वेक्षण प्लाट सं. 736, 738/2, 738/3 एण्वं सर्वेक्षण प्लाट सं. 737, 738/1 तथा 738/4 के भागों में शामिल पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष जैसा कि स्थल आयोजना में दर्शाया गया है	गुलिस्तानपुर	गाजियाबाद
167.	राजा करण का खेड़ा	परगान पुट, मुस्तफाबाद	गाजियाबाद
168.	किलाह रेलवे स्टेशन के पास का स्मारक	हाथरस	हाथरस
169.	दयाराम किले के अंदर एक पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष	हाथरस	हाथरस
170.	छोटा गोलाकार किला	लाखुन	हाथरस
171.	टीला	लाखुन	हाथरस
172.	मेजर राबर्ट नइम का स्मारक	पीपलगांव	हाथरस
173.	सैमुएल एंडरसन निचटरलिन की याद में बना स्मारक	सासनी	हाथरस
174.	गोहारा खेड़ा के नाम से ज्ञात टीला	सासनी	हाथरस
175.	बाह का कुआं नाम से ज्ञात कुआं या बाउली	अमरोहा	ज्योतिबाफुले नगर
176.	तालिब खान का मकबरा	आमपुर	ज्योतिबाफुले नगर
177.	अब्दुल गफूर शाह का मकबरा	आजमपुर	ज्योतिबाफुले नगर
178.	अब्दुल गफूर शाह के पोते का मकबरा तथा मस्जिद	आजमपुर	ज्योतिबाफुले नगर

1	2	3	4
179.	अज्ञात मकबरा	चौधरियापुर	कन्नौज
180.	मस्केट्री जेम्स नोरफोक के सार्जेंट अनुदेशक का मकबरा	गुरसहायगंज	कन्नौज
181.	बाला पीर का मकबरा	कन्नौज	कन्नौज
182.	बड़ी मस्जिद	कन्नौज	कन्नौज
183.	कछीरीवाला मकबरा	कन्नौज	कन्नौज
184.	मखदुम जहांनियां की मस्जिद और मकबरा	कन्नौज	कन्नौज
185.	पुराना किला के नाम से ज्ञात टीला	कन्नौज	कन्नौज
186.	बाय प्रवेश द्वार	कन्नौज	कन्नौज
187.	बाला पीर के पश्चिम में छोटी मस्जिद	कन्नौज	कन्नौज
188.	छोटा भीतरी प्रवेश द्वार	कन्नौज	कन्नौज
189.	शेख मोहम्मद मेंहदी का मकबरा	कन्नौज	कन्नौज
190.	जनाना गुंबद	कन्नौज	कन्नौज
191.	बंद कब्रिस्तान	मैनपुरी	मैनपुरी
192.	प्राचीन स्थल	बाजना	मथुरा
193.	भानकौर कुंड स्थित पार्श्वमीनार में सवत् 1666 का संस्कृत वालस्तंभ लेख	बरसना	मथुरा
194.	टीला (बरसे का टीला)	वृंदावन	मथुरा
195.	गोविंद देव का मंदिर	वृंदावन	मथुरा
196.	जुगल किशोर का मंदिर	वृंदावन	मथुरा
197.	मदन मोहन का मंदिर	वृंदावन	मथुरा
198.	राधा वल्लभ का मंदिर	वृंदावन	मथुरा
199.	अकबरी सराय	छत्ता	मथुरा
200.	कोस मीनार, 19 मील 1 फर्लांग	छत्ता	मथुरा
201.	कोस मीनार, 24 मील 3 फर्लांग	छत्ता	मथुरा
202	कोस मीनार, 26 मील 7 फर्लांग	छत्ता	मथुरा
203.	कोस मीनार, 29 मील 4 फर्लांग	छत्ता	मथुरा
204.	दो टीले, दूसरे टीले को सिंगेर टीले के नाम से जाना जाता है	गणेशनगर	मथुरा
205.	कोस मीनार	गोहारी	मथुरा
206.	टीला	जयसिंहपुरा	मथुरा

1	2	3	4
207.	चहारदीवारी युक्त सराय तथा इसकी सभी दीवारें एवं प्रवेश द्वार	कोसी	मथुरा
208.	चावड़ के स्थानीय नाम से मशहूर छोटा टीला	कोसी	मथुरा
209.	टीला	कोटा	मथुरा
210.	टीला जो पुराना किला को चिन्हित करता है	महाबन	मथुरा
211.	प्राचीन स्थल जहां प्रतिमाओं के टुकड़े हैं	मट	मथुरा
212.	प्राचीन मूर्तियां, नक्काशी, प्रतिमाएं, निम्न उद्धृत, शिलालेख, पत्थर तथा ऐसी अन्य वस्तुएं	मथुरा	मथुरा
213.	गायत्री टीला	मथुरा	मथुरा
214.	गिरधर पुर टीला	मथुरा	मथुरा
215.	गोपाल खेड़ा	मथुरा	मथुरा
216.	कंकाली टीला, जैन और चौबारा टीला	मथुरा	मथुरा
217.	सर्कुलर रोड स्थित कोस मीनार	मथुरा	मथुरा
218.	पालीखेड़ा टीला	मथुरा	मथुरा
219.	कटरा टीले के हिस्से जो नाजुक टीनेंट के कब्जे में नहीं हैं जिस पर पहले केशवदेव का मंदिर खड़ा था जिसे तोड़ दिया गया तथा स्थल का प्रयोग औरंगजेब की मस्जिद के लिए किया गया	मथुरा	मथुरा
220.	सती बुर्ज जिसके बारे में माना जाता है कि जयपुर के राजा बीहरमल की विधवा के सती होने की याद में उसके पुत्र राजा भगवान दास ने 1970 ई. में बनाया था	मथुरा	मथुरा
221.	प्राचीन पोखर का स्थल (पुष्करिणी)	मथुरा	मथुरा
222.	अहल्यागंज टीला	मथुरा-वृंदावन रोड	मथुरा
223.	चामुंडा टीला	मथुरा-वृंदावन रोड	मथुरा
224.	कोस मीनार, चहारदीवारी से 3 मील 5.175 फर्लांग	मथुरा-दिल्ली रोड	मथुरा
225.	कोस मीनार, 11 मील 5 फर्लांग (चमाह गांव के पश्चिम में)	मथुरा-दिल्ली रोड	मथुरा
226.	कोस मीनार, सड़क से 13 मील 1 फार्लांग सामने	मथुरा-दिल्ली रोड	मथुरा
227.	कोस मीनार, सड़क से 116 मील 400 गज पर	मथुरा-दिल्ली रोड	मथुरा
228.	डीग रोड के शुरुआत में कोस मीनार	मथुरा-डीग रोड	मथुरा
229.	प्राचीन स्थल	मोरा	मथुरा
230.	वृहद स्थल जिसमें एक ऊंचा टीला है जो स्पष्टत: एक किला है जिसमें परकोटे तथा किनरे पर बुर्ज हैं	शाहपुर घोसाना	मथुरा

1	2	3	4
231.	टीला	सोनौठ जनूबी	मथुरा
232.	प्राचीन टीला	अदिंगा	मथुरा
233.	किशोरी रमण कालेज के पास प्राचीन टीला (हाथी टीला)	केशोपुर मनोहरपुर	मथुरा
234.	रानी विक्टोरिया स्मारक	मथुरा	मथुरा
235.	मेरठ-दिल्ली रोड के जंक्शन पर स्थित कब्रिस्तान	मेरठ-दिल्ली रोड के जंक्शन पर	मेरठ
236.	उल्टा खेड़ा वे ऩाम से ज्ञात टीला और रघुनाथ जी का टीला	हस्तिनापुर	मेरठ
237.	आंध्रा कोर्ट, ईट की ऊंची गढ़ी जिसे संभवतः माही द्वारा बनाया गया है	मेरठ	मेरठ
238.	मेरठ रेसकोर्स की कब्रिस्तान	मेरठ	मेरठ
239.	शाह पीर का मकबरा	मेरठ	मेरठ
240.	बेगम महल	सरधना	मेरठ
241.	रोमन कैथोलिक चर्च	सरधना	मेरठ
242.	मकबरा या सरधाना कब्रिस्तान	सरधना	मेरठ
243.	दो टीले (खेड़ा) नामतः खोरकाली तथा जलापार	सरवाड़ा	मेरठ
244.	अमरपाती खेड़ा	अलीपुर	मुरादाबाद
245.	चंदेश्वर खेड़ा	बेमी	मुरादाबाद
246.	खेड़ा या टीला जो किसी महल या राजा वेणा के खंडहर के रूप में मशहूर है	बेरनी	मुरादाबाद
247.	विशाल टीला, एक प्राचीन मंदिर स्थल	भेड़ा भरतपुर	मुरादाबाद
248.	पुराना किला और इसके अवशेष	फिरोजपुर	मुरादाबाद
249.	प्राचीन टीला	गुम्थल खेड़ा	मुरादाबाद
250.	विशाल टीला	करवार	मुरादाबाद
251.	टीला	सरथाल खेड़ा	मुरादाबाद
252.	टीला	सरथाल खेड़ा	मुरादाबाद
253.	कारवां सराय का प्रवेश द्वार	सोंधन मोहम्मदपुर	मुरादाबाद
254.	करवन सराय की मस्जिद	सोंधन मोहम्मदपुर	मुरादाबाद
255.	शाह अब्दुल रजाक और उसके चार पुत्रों की मस्जिद तथा मकबरा	जिनहाना	मुजफ्फरनगर
256.	अष्टकोणीय दीवार	मझेड़ा	मुजफ्फरनगर

1	2	3	4
257.	दीवान सैय्यद मोहम्मद खान का मकबरा	मझेड़ा	मुजफ्फरनगर
258.	सैय्यद हुसैन का मकबरा जिसे सैय्यद छज्जू खान भी कहा जाता है	मझेड़ा	मुजफ्फरनगर
259.	सैय्यद उमर नूर खान का मकबरा	मझेड़ा	मुजफ्फरनगर
260.	सैय्यद सैफ खान और उसकी मां का मकबरा	मझेड़ा	मुजफ्फरनगर
261.	जामी मस्जिद	पीलीभीत	पीलीभीत
262.	बादशाही बाग जिसे स्थानीय तौर पर बादशाही महल के नाम से जाना जाता है	बादशाही महल	सहारनपुर
263.	खेड़ा की बांदी, पुराना कब्रिस्तान	लोधीपुर	सहारनपुर
264.	पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान, खता खेड़ी	सहारनपुर	सहारनपुर
265.	पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान, सहारनपुर शहर	सहारनपुर	सहारनपुर
	लखनऊ मण्डल		
266.	इलाहाबाद का किला 1. अशोक स्तंभ (अभिलिखित प्रस्तर स्तंभ) 2. जनाना महल	इलाहाबाद	इलाहाबाद
267.	कीडगंज के कब्रिस्तान	इलाहाबाद	इलाहाबाद
268.	खुसरो बाग तथा खुसरो बाग का प्रवेश द्वार, बीबी तमोलन का मकबरा, सुल्तान खुसरो का मकबरा, सुल्तान खुसरो की मां का मकबरा, सुल्तान खुसरो की बहन का मकबरा	इलाहाबाद	इलाहाबाद
269.	महारानी विक्टोरिया का अल्फ्रेड पार्क स्थित स्मारक	इलाहाबाद	इलाहाबाद
270.	लघु उच्च टीला, एक विशाल हिन्दू मंदिर का प्राचीन स्थल	बारा	इलाहाबाद
271.	गढ़ा और गढ़ी नामक दो विशाल टीलों में विभाजित बंजर भूमि का क्षेत्र	भीटा	इलाहाबाद
272.	विशाल प्रस्तर निवास गृह जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 8वीं शती के आल्हा और ऊदल नामक दो नायकों का निवास था।	चिल्ला	इलाहाबाद
273.	खड़ी मूर्ति जिसे बुद्ध अश्वघोष का माना जात है तथा पांच सिर वाली सर्प छतरी जिसे श्रृंगारी देवी के नाम से पूजा जाता है।	देवरा	इलाहाबाद
274.	पहाड़ी के दक्षिण भाग में प्रस्तर कक्ष जिसमें पुरुषों एवं पशुओं के कुछ भग्न आरेखों के साथ लाल रंग में इंडो सीथियन काल का तीन पंक्तियों का एक लेख है	गिंजापहाड़ी	इलाहाबाद
275.	समुद्र गुप्त और हंस गुप्त के ध्वस्त किले	झूसी	इलाहाबाद
276.	सीता की रसोई के नाम मशहूर गुफा जिसमें 9वीं सदी की लिपि में एक शिलालेख है।	मानवकुवर	इलाहाबाद
277.	हटगौहा डीह नामक विशाल टीला	शिवपुर	इलाहाबाद

1	2	3	4
278.	गढ़वा किला	शिवराजपुर	इलाहाबाद
279.	सूर्य भीटा नामक विशाल टीला	सिंगरौर	इलाहाबाद
280.	पुरानी नवाबी मस्जिद	अकबरपुर	अम्बेडकर नगर
281.	सालार सैफुद्दीन उर्फ सुर्खरू सलार का मकबरा	बहराइच	बहराइच
282.	विशाल खेड़ा जो स्पष्टत: एक बौद्ध नगर का खंडहर है।	चरदा/चर्दा	बहराइच
283.	महाभारत के राजा कर्ण के एक प्रधान नगर का खंडहर कहा जाने वाला खेड़ा	हथिकुंड	बहराइच
284.	रजब सजर उर्फ हटीला सालार का मकबरा	शहपुर जोत यूसुफ	बहराइच
285.	सैयद सलार मसूद की पूज्य दरगाह के अंदरूनी बाड़ों की प्राचीन दीवार सहित अंदरूनी बाड़े के भीतर स्थित गुंबद और भवन	सिंहा परासी	बहराइच
286.	20 फुट ऊंचा टीला जो स्पष्टत: ठोस ईटों का बना है जहां पृथ्वीनाथ लिंग तथा ताम्र पत्र पाए गए हैं।	पचरन	गोण्डा
287.	सहेठ-महेठ (श्रावस्ती) के प्राचीन अवशेष के समीप बलरामपुर रोड पर स्थित टीला जिसे स्थानीय तौर पर ओड़ाझार के नाम से जाना जाता है।	घुघुलपुर	बलरामपुर
288.	सहेठ-महेठ (श्रावस्ती) के प्राचीन अवशेष के समीप बलरामपुर रोड पर स्थित टीला जिसे स्थानीय तौर पर ओड़ाझार के नाम से जाना जाता है।	घुघुलपुर	बलरामपुर
289.	सहेठ-महेठ (श्रावस्ती) के प्राचीन अवशेष के समीप बलरामपुर रोड पर स्थित टीला जिसे स्थानीय तौर पर खड़हूआझार के नाम से जाना जाता है।	घुघुलपुर	बलरामपुर
290.	बैठक	आकबई	बांदा
291.	बंद कब्रिस्तान, कटरा नाका	बांदा	बांदा
292.	जामी मस्जिद	बांदा	बांदा
293.	जनरल व्हाइटलॉक की फौज की स्मृति में स्मारक	बांदा	बांदा
294.	बाउली	भवानीपुर	बांदा
295.	कालिंजर किला का संपर्क मार्ग	कालिंजर	बांदा
296.	कालिंजर किला, साथ में मुंडेर दीवार, प्रवेश द्वार तथा इसके अंदर के स्मारक अर्थात सीता कुंड, सीता सेज, पाताल गंगा, पांडु कुंड, भैरो की झिरिया, सिद्ध का गुफा, भगवान सेज, पानी का अमन, मृगधारा, कोटि तीर्थ, नीलकंठ का लिंग मंदिर आदि	कालिंजर	बांदा

1	2	3	4
297.	सात प्रवेश द्वारों सहित पुराने किले के अवशेष। महादेव का एक मंदिर तथा संस्कृत में उत्कीर्णित पत्थर तथा इसका संपर्क मार्ग	कालिंजर	बांदा
298.	दो शिलालेख, एक की तिथि, 1520, जबकि दूसरा दिनांक रहित जो पल्सुना नदी के तट पर बेसाल्ट रॉक पर स्थित है।	अनसुइया जी	चित्रकूट
299.	बंद कब्रिस्तान	बरगढ़	चित्रकूट
300.	मंदिर	बरगढ़	चित्रकूट
301.	मंदिर के अवशेष, 10वीं शती, सामान्यत: भारत देउल के नाम से मशहूर	बरहा-कोटरा	चित्रकूट
302.	गर्भगृह तथा सौरस छत वाला छोटा मंदिर	बरहा-कोटरा	चित्रकूट
303.	रिखियन के नाम से मशहूर दो बड़ी गुफाएं	बरहा-कोटरा	चित्रकूट
304.	एक छोटे चंदेल मंदिर के अवशेष	बीरपुर	चित्रकूट
305.	एक ही जगती पर साथ खड़े दो चंदेल मंदिर	गोंडा	चित्रकूट
306.	एक पुराने चंदेल मंदिर के अवशेष	दधवा, रामपुर तथा मानपुर	चित्रकूट
307.	बलारी नाथ	गुलरामपुर	चित्रकूट
308.	दो मंदिरों के अवशेष	गुलरामपुर	चित्रकूट
309.	नगर कब्रिस्तान	कर्वी	चित्रकूट
310.	प्रस्तर मंदिर	गणेश बाग, कर्वी से एक मील दक्षिण-पूर्व	चित्रकूट
311.	मंदिर	जेल के नजदीक कुंड के मध्य में, कर्वी	चित्रकूट
312.	हैहैति मंदिर नामक पुराने जैन मंदिर के अवशेष, साथ में पहाड़ी किले की प्रतिमाओं के टुकड़े	कोह, कर्वी	चित्रकूट
313.	कुछ जैन मंदिरों के अवशेष	लोखड़ी या लौरी	चित्रकूट
314.	मानिकपुर छावनी कब्रिस्तान	मानिकपुर	चित्रकूट
315.	किलेबंदी की दीवार सहित किला तथा उसके अंदर तीन ध्वस्त जैन मंदिर और एक ध्वस्त हिन्दू मंदिर	मरफा	चित्रकूट
316.	दो ध्वस्त मंदिर	मऊ	चित्रकूट
317.	पीपल वृक्ष के नीचे चंदेल काल की अभिलिखित प्रतिमा	हतोवर गांव का पुरवा, मऊ	चित्रकूट
318.	चंदेल शैली के विशाल लिंग मंदिर के खंडहर	हतोवर गांव का पुरवा, मऊ	चित्रकूट

1	2	3	4
319.	पुजारी का मकान	रामनगर	चित्रकूट
320.	एक विशाल मंदिर के अवशेष	रामनगर	चित्रकूट
321.	एक विशाल चंदेल मंदिर के खंडहर	रामनगर	चित्रकूट
322.	खंडहर समूह जिसकी प्रधान वस्तु है एक मंदिर का प्रवेश द्वार	रासीन	चित्रकूट
323.	एक पुराने किले के अवशेष तथा देवी चंडी माहेश्वरी का अप्रयुक्त मंदिर	रासीन	चित्रकूट
324.	चंडी माहेश्वरी मंदिर से सटा हुआ प्रस्तर कुंड	रासीन	चित्रकूट
325.	अपनी दाहिनी भुजा में बच्चे को पकड़े हुए स्त्री की आकृति के साथ कुछ सती स्तंभ	रासीन	चित्रकूट
326.	चंडी माहेश्वरी का मंदिर	रासीन	चित्रकूट
327.	बिखरी हुई टूटी मूर्तियों के साथ पहाड़ी के मध्य में दो विशाल गुफाएं	रौली	चित्रकूट
328.	मणि पर्वत, कुबेर पर्वत तथा सुग्रीव पर्वत के नाम से मशहूर तीन टीले	अयोध्या	फैजाबाद
329.	बेनी खानम का मकबरा	फैजाबाद	फैजाबाद
330.	गुलाब बाड़ी	फैजाबाद	फैजाबाद
331.	बहू-बेगम का मकबरा	फैजाबाद	फैजाबाद
332.	हाजी इकबाल का मकबरा, सदर जहां बंगम का खीजा जिसमें मस्जिद एवं पूरा परिसर शामिल है।	फैजाबाद	फैजाबाद
333.	शुजाउद्दौला का मकबरा	फैजाबाद	फैजाबाद
334.	चौकी नामक टीला	अफुई	फतेहपुर
335.	ए. ब्लैकली की स्मृति में बना स्मारक	आसफपुर	फतेहपुर
336.	टूटी ईटों तथा मृदभांडों से ढका विशाल टीला	असनी	फतेहपुर
337.	विशाल ईट टीला	असोथर	फतेहपुर
338.	छोटा टीला जिसमें पांच विशाल दिगंबर जैन मूर्तिया हैं, जिसे लोग पांच पांडव कहते हैं।	असोथर	फतेहपुर
339.	सम्राट औरंगजेब का पैवेलियन	बाग बादशाही (खजुआ)	फतेहपुर
340.	बाग बादशाही के नाम से मशहूर समूचा परिसर	बाग बादशाही (खजुआ)	फतेहपुर
341.	मंदिर	बहुआ	फतेहपुर
342.	चार विशाल मेसेनरी स्तंभ जिसमें उर्दू एवं हिन्दी में उत्कीर्णन सहित प्रस्तर पट्टियां हैं जो दस कमाडेंट तथा सेंट जान गास्पेल की कुछ कविताओं के अनुवाद हैं जो कस्बे के पश्चिमी हिस्से में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह के ठीक सामने ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है।	फतेहपुर	फतेहपुर

1	2	3	4
343.	टाउन हाल से जुड़े नगर पालिका गार्डन में वर्गाकार बालू पत्थर का स्तंभ जिस पर महिपाल देव दिनांक संवत् 974 उत्कीर्णित है	फतेहपुर	फतेहपुर
344.	टाउन हाल से जुड़े नगर पालिका गार्डन में महिपाल देव के असनी स्तंभ के चारों तरफ समूहबद्ध जिले के विभिन्न भागों से विविध प्राचीन वस्तुओं का संग्रह	फतेहपुर	फतेहपुर
345.	जय चंदी मस्जिद या हाथी खाना मस्जिद	हाथगांव	फतेहपुर
346.	गोलाकार टीला, मंदिर स्थल	खैरई	फतेहपुर
347.	गढ़ी नामक व्यापक टीला	खैरई	फतेहपुर
348.	कर्नल टी.एस. पावेल की स्मृति में बना स्मारक	कुंवरपुर	फतेहपुर
349.	चार मंदिर	कुरारी	फतेहपुर
350.	जय चन्द्र द्वारा निर्मित किले का खंडहर	कुटिला	फतेहपुर
351.	पुराना किला	नाहर खोर	फतेहपुर
352.	पुराना किला	पैना कला	फतेहपुर
353.	चंदेलों का गढ़ कहा जाने वाले प्राचीन किलाबद्ध नगर के व्यापक संडहर	पैना	फतेहपुर
354.	टीला तथा वहां से संग्रहीत प्रस्तर मूर्ति के अनेक टुकड़े	रेन	फतेहपुर
355.	ध्वस्त मंदिर	सतांव	फतेहपुर
356.	ईट के दो मंदिर	सिरहर अमौली	फतेहपुर
357.	दो मंदिर	थिथौरा	फतेहपुर
358.	विशाल टीला तथा हिन्दू मूर्तियों का समूह	टिकसरिया	फतेहपुर
359.	मंदिर	तिन्दुली	फतेहपुर
360	अशोक नाथ महादेव मंदिर के खंडहर के साथ ईटों से ढका टीला	हथिली	गोंडा
361.	टूटी प्रतिमाओं एवं मूर्तियों से ढके कतिपय टीले	कठवा	हमीरपुर
362.	ब्रिटिश कब्रिस्तान	कैथा	हमीरपुर
363.	टूटे ईटों से ढका टीला तथा उनके समीप स्थित तीन खेड़ अर्थात लखनापुर, मिजौपुर और इटारा	सुमेरपुर	हमीरपुर
364.	मेजर राबर्ट का मकबरा	बारामऊ	हरदोई
365.	भंकरगढ़ नामक ईट का टीला	गंडवा	हरदोई
366.	टूटे ईटों तथा मूर्तियों से ढंका ऊंचा अनियमित खेड़ा	हरदोई	हरदोई
367.	कल्हौर या किल्लो नामक टीला	कल्हौर	हरदोई

1	2	3	4
368.	स्मारक मकबरा	खसौरा	हरदोई
369.	टूटे ईटों तथा मृदभांडों से ढका विशाल डीह जहां 10वीं सदी का एक छोटा ध्वस्त मंदिर है।	खेरवा एवं कझगांव, बिलग्राम	हरदोई
370.	स्मारकीय कब्रिस्तान	माधोगंज	हरदोई
371.	मखदूम शाह की दरगाह के पास का कुआं	मल्लावां	हरदोई
372.	सांडी खेड़ा नामक विशाल खंडहर स्थल	पाली	हरदोई
373.	नवाब सदर जहां का मकबरा	शाहाबाद	हरदोई
374.	प्राचीन टीला	पहुंचाखेड़ा (लखमापुर)	हरदोई
375.	फूलमती	सांडी	हरदोई
376.	नवाब दिलेर खान का मकबरा	शाहाबाद	हरदोई
377.	रूपन गुरू के चौकनंदा पर सम्वत् 1672 का संस्कृत में शिलालेख	अकबरपुर या अटौरा	जालौन
378.	कब्रिस्तान	जालौन	जालौन
379.	लोधी शाह बादशाह का चौरासी मकबरा	कालपी	जालौन
380.	कब्रिस्तान	कालपी	जालौन
381.	पूर्वोत्तर किनारे पर किले की दीवार के टुकड़े तथा इसका गोलाकार बुर्ज	कालपी	जालौन
382.	पी.डब्ल्यू.डी. आरामगृह के ठीक पास 6 खंभों पर आधारित गुंबद युक्त भवन	कालपी	जालौन
383.	कब्रिस्तान	कुंच	जालौन
384.	बारह खंबा नामक 12 स्तंभों पर आधारित गुंबद जिसे परम्परागत रूप से पृथ्वीराज के कमांडर का कहा जाता है।	कुंच	जालौन
385.	मस्जिद	उरई	जालौन
386.	चंदेल काल के विशाल मंदिर के खंडहर	बंगमा	झांसी
387.	चंदेल मंदिर	बरुआ सागर	झांसी
388.	घुघुआ का मठ	बरुआ सागर	झांसी
389.	जराई का मठ	बरुआ सागर	झांसी
390.	जराव का मढिय	बरुआ सागर	झांसी
391.	कुंड	बरुआ सागर	झांसी
392.	जामा मस्जिद	एरच	झांसी
393.	घराव का मठ	घराव	झांसी

1	2	3	4
394.	फूटा दरवाजा मार्ग पर स्थित किले के दक्षिण स्थित स्मारकीय कब्रिस्तान	झांसी	झांसी
395.	मेसर्स इदुलजी ब्वायस एंड क. परिसर के पास की पहाड़ी पर स्थित मेजर एफ.डब्लयू. पिंकने का स्मारक	झांसी	झांसी
396.	मढ़िया नामक शिखर-युक्त मंदिर जो गोंड बाबा को समर्पित है	खोजरा	झांसी
397.	चंदेल मंदिर के अवशेष	किशनीखुर्द	झांसी
398.	चंदेल मंदिर	गहेराव, पछराव	झांसी
399.	विशाल चंदेल मंदिर के खंडहर जिसमें पूर्णतया सुरक्षित विष्णु की प्रतिमा है।	पाठा सगौली	झांसी
400.	गुन्नेर बर्किल का मकबरा	रंगांव	ललितपुर
401.	चंदेल मंदिर	सकरार	झांसी
402.	रायताल के ऊपरी छोर पर ध्वस्त मंदिर जिसके किनारे पर गोलाकार शिला है जिसमें संवत 1604 तथा 1608 के दो शिलालेख हैं।	सिखाबरन	झांसी
403.	रानी लक्ष्मीबाई महल	झांसी	झांसी
404.	कुंड के साथ राजा गंगाधरराव की छतरी	दरहियापुर	झांसी
405.	झांसी किला	झांसी	झांसी
406.	एक पुराने चंदेल मंदिर के अवशेष	मढ़ा	झांसी
407.	मंदिर	बिठूर	कानपुर
408.	टीला	कानपुर	कानपुर
409.	आाथो क्रास गार्डन	कानपुर	कानपुर
410.	कचहरी कब्रिस्तान	कानपुर	कानपुर
411.	स्मारक कूप उद्यान	कानपुर	कानपुर
412.	सवादा कोठी, स्मारक जिसमें समीपर्ती पठार के साथ सीढ़ियों का सोपान शामिल है।	कानपुर	कानपुर
413.	सूबेदर का तालाब कब्रिस्तान	कानपुर	कानपुर
414.	व्हीलर्स इंट्रेचमेंट	कानपुर	कानपुर
415.	कोस मीनार	खालसपुर	कानपुर
416.	जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ से कक्षों में स्थित लक्ष्मण, गणेश और विष्णु की तीन प्रतिमाएं तथा एक गुप्त कालीन स्तंभ जो मंदिर परिसर में पड़ा है तथा अन्य प्रतिमाएं।	बेहटा	कानपुर देहात
417.	प्राचीन इष्टिका मंदिर	भीतरगांव	कानपुर देहात

1	2	3	4
418.	विशाल ईटों तथा टूटी मूर्तियों से ढका ध्वस्त टीला	भीतरगांव	कानपुर देहात
419.	कोस मीनार	भोगनीपुर	कानपुर देहात
420.	कोस मीनार	भोगनीपुर	कानपुर देहात
421.	संदल शाह के मकबरे के समीप कुंड	बिछियापुर	कानपुर देहात
422.	फूलमती देवी मंदिर के नाम से मशहूर मंदिर	बिहुपुर	कानपुर देहात
423.	कोस मीनार	चपरघन्ट	कानपुर देहात
424.	कोस मीनार	देवसर	कानपुर देहात
425.	स्तंभ के टुकड़े	दुमापुर	कानपुर देहात
426.	कोस मीनार	गौर	कानपुर देहात
427.	कोस मीनार	गौर	कानपुर देहात
428.	कोस मीनार	हलिया	कानपुर देहात
429.	कोस मीनार	जल्लालपुर सिकन्दरा	कानपुर देहात
430.	प्राचीन इष्टि का मंदिर	कंचिपुर	कानपुर देहात
431.	दो प्राचीन इष्टि का मंदिर	खुर्दा	कानपुर देहात
432.	टीला तथा आधुनिक गुंबदनुमा कक्ष में (स्थापित) प्राचीन स्तंभ और सामने पड़ा पत्थर का मुर्गा	लाला भगत	कानपुर देहात
433.	कोस मीनार	पैलवारू	कानपुर देहात
434.	महादेव बाबा के नाम से मशहूर मंदिर	परौली	कानपुर देहात
435.	कोस मीनार	पीतमपुर	कानपुर देहात
436.	कोस मीनार	राय गवां	कानपुर देहात
437.	कोस मीनार	राजपुर	कानपुर देहात
438.	कोस मीनार	संखिन बुजुर्ग	कानपुर देहात
439.	कोस मीनार	सरदारपुर	कानपुर देहात
440.	गयादीन सकल के कुएं में संस्कृत का शिलालेख	सुभानपुर	कानपुर देहात
441.	निबिया खेड़ा स्थित इष्टिका मंदिर	भदवारा	कानपुर देहात
442.	जय चन्द्र को समर्पित किला	कड़ा	कौशाम्बी
443.	प्राचीन किला (प्राचीन कौशाम्बी को दर्शाने वाला)	कोसम	कौशाम्बी
444.	पभोसा पहाड़ी स्थित कृत्रिम गुफा	पभोसा	कौशाम्बी
445.	पभोसा पहाड़ी के शिखर पर विशाल ईट भवन के अवशेष	पभोसा	कौशाम्बी

1	2	3	4
446.	ब्रिटिश स्मारक	औरंगाबाद	खीरी
447.	दो छोटे शिलालेखों के साथ लिंग नामक तीर्थंकर की विराट मूर्ति सहित जीर्ण बुंदेल मंदिर	बानपुर	ललितपुर
448.	गणेश खेड़ा, एक प्राचीन स्थल साथ में हाथी के सिर वाले देवता	बानपुर	ललितपुर
449.	जैन मंदिर	बानपुर	ललितपुर
450.	मलिक टीला	बानपुर	ललितपुर
451.	पालीखेड़ा	बानपुर	ललितपुर
452.	गौंडवानी शैली के तीन मंदिर, दो विष्णु के तथा एक लिंग महादेव को समर्पित	भदोना	ललितपुर
453.	अधिकांश ग्रेनाइट से बना चंदेल काल का मंदिर	भरौली	ललितपुर
454.	सूर्य देव का मंदिर	बुधनी	ललितपुर
455.	बिलमोरा	चांदपुर	ललितपुर
456.	13वीं शताब्दी का शिलालेख पट्ट	चांदपुर	ललितपुर
457.	संवत् 1325 का शिलालेख पट्ट	चांदपुर	ललितपुर
458.	जैन मंदिर	चांदपुर	ललितपुर
459.	झम्मार	चांदपुर	ललितपुर
460.	सहस्त्र लिंग	चांदपुर	ललितपुर
461.	जंगल में स्थित लघु मंदिर	चांदपुर	ललितपुर
462.	दो एकाश्मक अभिलिखित स्तंभ	चांदपुर	ललितपुर
463.	वराह, अभिलिखित स्तंभ तथा ध्वस्त मंदिर	चांदपुर	ललितपुर
464.	विष्णु एवं लक्ष्मी नारायण	चांदपुर	ललितपुर
465.	भंडरिया वे ननाम मशहूर बिष्णु मंदिर	चांदपुर	ललितपुर
466.	महादेव को समर्पित सपाट छत वाला मंदिर	दसरारन	ललितपुर
467.	चंडी मंदिर को समर्पित देवालय जो आधा ध्वस्त हो चुका है तथा जिसमें एक मंदिर और एक द्वार मंडप है।	दौलतपुर	ललितपुर
468.	चंडी मंदिर के नीचे घाटी के तल में पड़ा हुआ बड़ा पट्ट जिस पर सप्तमातृकार्ये तथा गणेश बने हुए हैं	दौलतपुर	ललितपुर
469.	घाट	देवगढ़	ललितपुर
470.	गुप्तकालीन मंदिर	देवगढ़	ललितपुर
471.	देवगढ़ किले के जैन मंदिर	देवगढ़	ललितपुर

1	2	3	4
472.	विशाल मंदिर	देवगढ़	ललितपुर
473.	वराह मंदिर	देवगढ़	ललितपुर
474.	कठोइया मढ़िया के नाम से विख्यात शिखर युक्त मंदिर	धोंगोल	ललितपुर
475.	चतुर्भुजी के नाम से ज्ञात टूटे शिखर वाला छोटा मंदिर	धोंगोल	ललितपुर
476.	भवानी मंदिर	धोंगोल	ललितपुर
477.	ऊपर तीन सिर वाले महादेव तथा नीचे लड़ाई के दृश्य को दर्शाने वाला सती पट्ट	धोंगरा	ललितपुर
478.	संखनाथ या संतनाथ का छोटा मंदिर	धोंगरा	ललितपुर
479.	अखाड़ा	दुधई	ललितपुर
480.	बजरंग	दुधई	ललितपुर
481.	बनबाबा	दुधई	ललितपुर
482.	बनिया की बारात	दुधई	ललितपुर
483.	छत्र युक्त वराह	दुधई	ललितपुर
484.	जैन मंदिर	दुधई	ललितपुर
485.	बड़ी सुरंग	दुधई	ललितपुर
486.	छोटी सुरंग	दुधई	ललितपुर
487.	महादेव का लिंग	दुधई	ललितपुर
488.	शैलोत्कीर्ण सिंह	दुधई	ललितपुर
489.	मंदिर	दुधई	ललितपुर
490.	गोंडवानी शैली के दो छोटे मंदिर जिसमें से एक गोंडबाबा तथा दूसरा महादेव का है।	दुधई	ललितपुर
491.	कुंड के समीप वराह	दुधई	ललितपुर
492.	दो मंदिर तथा अनेक पुरावशेष	गुढ़ा खेड़ा	ललितपुर
493.	महादेव या लिंग को समर्पित जिसमें एक पूजा कक्ष और एक द्वार मंडप है। सोहावटी पर संवत 1014 का अभिलेख है।	गुढ़ा	ललितपुर
494.	विष्णु को समर्पित मंदिर	गुढ़ा	ललितपुर
495.	कुरेया वीर मंदिर	कुचदौं	ललितपुर
496.	फिरोजशाह के समय पर बांसा भवन	ललितपुर	ललितपुर
497.	चंपा	मदनपुर	ललितपुर

1	2	3	4
498.	जैन मंदिर समूह	मदनपुर	ललितपुर
499.	पंचमढ़िया के सामने स्थित विशाल मंदिर	मदनपुर	ललितपुर
500.	मोदी मढ़	मदनपुर	ललितपुर
501.	मुंडी मढ़	मदनपुर	ललितपुर
502.	पंच मढ़िया	मदनपुर	ललितपुर
503.	महादेव मंदिर	मदनपुर	ललितपुर
504.	मंदिर (बड़ी और छोटी कचहरी)	मदनपुर	ललितपुर
505.	दो छोटे मंदिर, जिसमें से एक महावीर की मां का है।	मदनपुर	ललितपुर
506.	ध्वस्त मंदिर। गर्भगृह में त्रिमूर्ति की एक प्रतिमा है।	मरखेड़ा	ललितपुर
507.	काजा नामक लंबा सती पट्ट जिस पर संवत 1348 का शिलालेख है।	मरखेड़ा	ललितपुर
508.	मंदिर	मरखेड़ा	ललितपुर
509.	मंदिर स्थल	मरखेड़ा	ललितपुर
510.	नीलकंठ का मंदिर	पाली	ललितपुर
511.	जैमिनी घाटी के किनारे प्रलंबित शैल जिस पर कुछ प्रागैतिहासिक मूर्तियां हैं।	पंडुआ	ललितपुर
512.	विशाल विष्णु मंदिर के अवशेष	सतगतो	ललितपुर
513.	जैन मंदिर तथा तोरण या प्रवेश द्वार	सिरोन खुर्द	ललितपुर
514.	सांतिनाथ मंदिर के परिसर में स्थित पट्ट जिस पर महेन्द्रपाल देव के शासन काल का 46 पंक्तियों का कुटिल लिपि में लेख है।	सिरोन खुर्द	ललितपुर
515.	आधुनिक जैन मंदिर के परिसर के बाहर स्थित तोरण या प्रवेश द्वार	सिरोन खुर्द	ललितपुर
516.	मंदिर	सौराई	ललितपुर
517.	बाहर के आले में विष्णु की तीन आकृतियों के साथ छोटा मंदिर	सूराबाद ललितपुर	
518.	किला	तालबेहट	ललितपुर
519.	महादेव मंदिर	वीजापुर	ललितपुर
520.	ईट से ढके टीले	अर्जुनपुर	ललितपुर
521.	कब्रिस्तान	बगरवां	लखनऊ
522.	कब्रिस्तान	जहरैला रोड	लखनऊ
523.	अमजद अली शाह का मकबरा	हजरत गंज	लखनऊ
524.	बिबियापुर हाऊस	कैन्टोनमेंट	लखनऊ

1	2	3	4
525.	चिड़िया झील पर स्थित ब्रिटिश कब्रिस्तान	स्प्रू मार्ग	लखनऊ
526.	दिलकुशा महल के उत्तर-पश्चिम के भवन	कैन्टोनमेंट	लखनऊ
527.	आलमबाग का कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
528.	दिलकुश का कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
529.	गऊघाट का कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
530.	कैसर पसंद के पास का कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
531.	मच्छी भवन किला के पास का कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
532.	राजा इंचा सिंह के अहाते में स्थित कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
533.	ला-मार्टीनियर रोड पर स्थित कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
534.	विलायती बाग स्थित कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
535.	दरगाह हजरत अब्बास	लखनऊ	लखनऊ
536.	दयानत-उत्दौला का कर्बला	लखनऊ	लखनऊ
537.	जनरल वाली कोठी	लखनऊ	लखनऊ
538.	इब्राहिम चिश्ती का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
539.	इमामबाड़ा अमीनुद्दौला	लखनऊ	लखनऊ
540.	आसफुद्दौला का इमामबाड़ा	लखनऊ	लखनऊ
541.	हुसैनाबाद के समीप स्थित जामा मस्जिद	लखनऊ	लखनऊ
542.	कैसर बाग के दरवाजे	लखनऊ	लखनऊ
543.	फकीर मोहम्मद खान के हाते में स्थित कल्लन की लाट तथा इसके समीप स्थित कब्र	लखनऊ	लखनऊ
544.	ताल काटेरा का कर्बला	लखनऊ	लखनऊ
545.	काज मेन भवन	लखनऊ	लखनऊ
546.	मलका जहां का कर्बला	लखनऊ	लखनऊ
547.	आसफुद्दौला से संबंधित मस्जिद	लखनऊ	लखनऊ
548.	93वें हाईलैंडर्स के स्मारक	लखनऊ	लखनऊ
549.	नादान महन	लखनऊ	लखनऊ
550.	डालीगंज स्थित नासिरुद्दीन हैदर का कर्बला	लखनऊ	लखनऊ
551.	नील का दरवाजा	लखनऊ	लखनऊ

1	2	3	4
552.	दिलकुशा स्थित पुराना महल	लखनऊ	लखनऊ
553.	चित्र वीथिका हुसैनाबाद बारादरी	लखनऊ	लखनऊ
554.	रेजीडेंसी विल्डिंग	लखनऊ	लखनऊ
555.	रूमी दरवाजा	लखनऊ	लखनऊ
556.	सैप्पर का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
557.	सिकंदर बाग भवन	लखनऊ	लखनऊ
558.	सिकचा वाली कोठी	लखनऊ	लखनऊ
559.	तहसीन अली की मस्जिद	लखनऊ	लखनऊ
560.	गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
561.	जनाब-ए-आलिया का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
562.	चार खंभा के नाम से मशहूर मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
563.	लोटन बाग स्थित मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
564.	मोहम्मद अली शाह का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
565.	मूसा बाग का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
566.	मुशीर जादी, सादत अली खान की बीवी का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
567.	सादत अली खान का मकबरा	लखनऊ	लखनऊ
568.	दो कब्रिस्तान	लखनऊ	लखनऊ
569.	विक्टोरिया स्मारक	लखनऊ	लखनऊ
570.	तीन मकबरे	लखनऊ-फैजाबाद रोड पर तीसरे और पांचवें मील पर	लखनऊ
571.	दो कब्रिस्तान	लखनऊ-फैजाबाद रोड पर चौथो मील पर	लखनऊ
572.	कब्रिस्तान	लखनऊ-कानपुर रोड पर 13वें मील	लखनऊ
573.	कब्रिस्तान	लखनऊ-रायबरेली रोड पर छठे मील पर	लखनऊ
574.	कब्रिस्तान	मडियांव	लखनऊ
575.	पुरानी मडियांव छावनी में स्थित गदर पूर्व रेजीडेंसी के स्थल को दर्शाने वाला स्मारक स्तंभ	मोहि बुल्लापुर	लखनऊ

1	2	3	4
576.	टीला	नगराम	लखनऊ
577.	टीला	पहाड़नगर	लखनऊ
578.	टीला	टिकुरिया	लखनऊ
579.	बेहता नदी पर स्थित पुल तथा इससे संबद्ध मंदिर	टिकैतगंज	लखनऊ
580.	चार चंदेल मंदिर तथा चिनाई युक्त कुंड	अकोना	महोबा
581.	(चकरिया दाई) हाथ में बच्चे के साथ एक महिला की नक्काशी वाली प्रतिमा	बगवा	महोबा
582.	दो ग्रेनाइट मंदिरों के खंडहर	चरना	महोबा
583.	भैंसासुर के नाम से विख्यात छोटा टीला जिस पर शिखर विहीन मंदिर है जिसमें एक पुरानी प्रतिमा है।	कुवटा	महोबा
584.	ब्रह्म ताल, एक बृहद कुंड जिसके किनारे पर चंदेल मंदिर तथा बैठक भगनावस्था में है।	कबरैया	महोबा
585.	पहाड़ी पर स्थित एक महल के खंडहर	कुल पहाड़	महोबा
586.	मदन सागर के किनारे स्थित मझरी नाम से विख्यात मंदिर की नींव	महोबा	महोबा
587.	ग्रेनाइट स्तंभ	महोबा	महोबा
588.	पांच आदमकद हाथी की मूर्तियां	महोबा	महोबा
589.	जामा मस्जिद	महोबा	महोबा
590.	कीरत सागर की झील	महोबा	महोबा
591.	मदन सागर की झील	महोबा	महोबा
592.	विजयसागर झील	महोबा	महोबा
593.	राजा परामार्दि देव या परमल का महल	महोबा	महोबा
594.	आल्हा की लाट नामक लघु प्रस्तर स्तंभ	महोबा	महोबा
595.	मदन सागर के मध्य में खखरा मठ मंदिर	महोबा	महोबा
596.	संवत् 1206 के लेख सहित 24 तीर्थंकर की शैलोत्कीर्ण प्रतिमाएं	महोबा	महोबा
597.	मकरबाई बंदिरमकरबाई	महोबा	
598.	विशाल ग्रेनाइट मंदिर के खंडहर	मकरबाई	महोबा
599.	ग्रेनाइट के दो ध्वस्त मंदिर	मुहरी	महोबा
600.	संवत् 755 के एक लेख सहित पुराना कुआं	पनवारी	महोबा

1	2	3	4
601.	विशाल कुंड	पतकरी कादिम	महोबा
602.	रहिलिया मंदिर	रहिलिया	महोबा
603.	विशाल चंदेल कुंड जिसके किनारे पर चंदेल शैली का एक विशाल ध्वस्त मंदिर है।	मुहरी	महोबा
604.	छोटा मंदिर जिसका गुंबद गिर गया है।	रावतपुर	महोबा
605.	सिजरी मंदिर	सिजरी	महोबा
606.	बड़ा ताल नामक कुंड जिसके मध्य में स्थित द्वीप पर एक विशाल चंदेल मंदिर के खंडहर हैं।	श्रीनगर	महोबा
607.	हिन्दू मंदिर	सुकुरा	महोबा
608.	जैन मंदिर	सुकुरा	महोबा
609.	मंदिर, एक सपाट छत वाला भवन	उरवारा	महोबा
610.	किले का दरवाजा	रायबरेली	रायबरेली
611.	सईसेतु	रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड	राय बरेली
612.	शिव मंदिर	राजमऊ	रायबरेली
613.	शाक्यों का स्थल, स्तूप और मठ	पिपरहवा	सिद्धार्थ नगर
614.	प्राचीन स्थल	पिपरी	सिद्धार्थ नगर
615.	प्राचीन स्थल	जंगल बेलहर	सिद्धार्थ नगर
616.	प्राचीन स्थल	बर्डपुर फ्रॉन्टिया रोड पर टोला गनवरिया	सिद्धार्थ नगर
617.	प्राचीन स्थल	भारत-नेपाल सीमा के पास सिसवा ताल के दक्षिण-पश्चिम में टोला सालारगढ़	सिद्धार्थ नगर
618.	प्राचीन स्थल	बर्ड गांव नं 1, टोला ठाकुरपुर (शाक्य स्तूप के पश्चिम में)	सिद्धार्थ नगर
619.	बहराइच जिले (अब श्रावस्ती नगर जिला) में 286.026 एकड़ तथा गोंडा जिले (अब बलरामपुर जिला) में 123.93 एकड़ में स्थित सहेट-महेट स्थल	सहेठ-महेठ	श्रावस्ती नगर
620.	भिट्टी गांव के पास प्राचीन स्थल	भिट्टी	श्रावस्ती नगर
621.	कटी बिहारी दास के नाम से मशहूर टीला	इकौना चक्र भंडार (साहेठ-महेठ)	श्रावस्ती नगर

1	2	3	4
622.	कुटी शत्रुहन दास के नाम से मशहूर टीला	इकौना (चक्र-भंडार (साहेठ-महेठ))	श्रावस्ती नगर
623.	बणी नाथ महादेव के नाम से मशहूर टीला	इकौन (चक्र-भंडार (साहेठ-महेठ))	श्रावस्ती नगर
624.	ईंट का ध्वस्त टीला	टंडवा	श्रावस्ती नगर
625.	छोटा गोलाकार टीला	टंडवा	श्रावस्ती नगर
626.	10वीं शताब्दी का ध्वस्त ईंट मंदिर समूह जिसे स्थानीय तौर पर तेलीगढ़ी के नाम से जाना जाता है।	भगुपुर	सुल्तानपुर
627.	मस्जिद	इसौली	सुल्तानपुर
628.	इष्टिका आच्छादित विशाल टीला जो निश्चित रूप से बौद्ध नगर का खंडहर है।	रायपुर, टिकरी शाहगढ़	सुल्तानपुर
629.	चारों कोनों पर ईंट की मीनारों के साथ मझनगांव नामक विशाल डीह	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
630.	कुर्बान मोहम्मद का मकबरा	बांगर मऊ	उन्नाव
	पटना मण्डल		
631.	कैप्टन विल्सन एवं जोन्स और 13वीं थल सेना के ग्यारह सैनिकों के स्मारक	आजमगढ़	आजमगढ़
632.	विद्रोह स्मारक	आजमगढ़	आजमगढ़
633.	प्राचीन ब्रिटिश कब्रगाह	आजमगढ	आजमगढ़
634.	गर्बा का कोट या राजभर का लोट नामक प्राचीन स्थल	गढ़वा	आजमगढ़
635.	सात एकड़ में प्राचीन स्थल तथा खसरा नं. 384 में 800 लिंक	गढ़वा	आजमगढ़
636.	अभिमान का मकबरा	मेहनगर	आजमगढ़
637.	अत्कीर्णित प्रस्तर स्तंभ	पकड़ी	आजमगढ़
638.	प्राचीन भवन के चिन्हों वाला एक बन्य उपवन	अमावे	बलिया
639.	लंबा टीला	बैरन्त	चंदौली
640.	देवी का स्थान के नाम से विख्यात छोटे शंक्वाकार टीले के अवशेष	बैरन्त	चंदौली
641.	ध्वस्त किले वाला प्राचीन स्थल	बैरन्त	चंदौली
642.	बड़ा आयताकार टीला	बैरन्त	चंदौली
643.	ईंट के अवशेषों वाला बड़ा टीला	धानापुर	चंदौली
644.	पहाड़ी के पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में एकश्म सहित तीन स्थल हैं	हाथीनिया पहाड़ी	चंदौली
645.	स्तूप के आकार का शंक्वाकार टीला	अमावनी	देवरिया
646.	स्थानीय तौर पर परशुराम की लाट या गदा के नाम से मशहूर अनगढ़ गधेले भूरे बलुआ पत्थर अवशेषों में उत्कीर्णित महापाषाण	भागलपुर	देवरिया

1	2	3	4
647.	उत्कीर्णित प्रस्तर स्तंभ	कहांव (प्राचीन काकुभा)	देवरिया
648.	दो ध्वस्त मंदिर	कहांव	देवरिया
649.	गोलाकार टीला और स्तूल के अवशेष	चेतियांव	कुशीनगर
650.	विशाल डीह या टीला	चेतियांव	कुशीनगर
651.	विशाल सपाट शिखर वाला खंडहर टीला जिसे झरमटिया कहा जाता है।	चेतियांव	कुशीनगर
652.	असमानपुर डीह नामक ईट के खंडहर वाला टीला	चेतियांव	कुशीनगर
653.	श्रेय नामक खंडहर टीला	चेतियांव	कुशीनगर
654.	क्रम सं. 3 पर स्तूप स्थल के पश्चिमी विस्तार में स्थित टीला	चेतियांव	कुशीनगर
655.	फाजिल नगर का कोट नामक प्राचीन स्थान	फाजिल नगर	कुशीनगर
656.	प्राचीन स्थल	खुखुन्डा तथा साझवर	देवरिया
657.	लम्बा नीचा खडहर टीला	खुन्खुन्डा	देवरिया
658.	विशाल टीला	सोहनाग	देवरिया
659.	डीह या टीला स्पष्टत: बौद्ध स्तूप के अवशेष	ताराकुलवा	देवरिया
660.	प्राचीन स्थल	रूद्रपुर	देवरिया
661.	वर्गाकार ऊंचा टीला	रूद्रपुर	देवरिया
662.	मसाओं डीह के नाम से ज्ञात टीला	अर्योरिहार	गाजीपुर
663.	गंगा नदी का पुल	भीमापुर	गाजीपुर
664.	ध्वस्त किले में खड़ा स्कंद गुप्त के शिलालेख वाला भितारी गुप्त स्तंभ	भितारी	गाजीपुर
665.	कोनों में प्रक्षेपी मीनारों सहित समूचा ध्वस्त किला बाड़ा तथा टीला	भितरी	गाजीपुर
666.	गुप्त काल के अवशेष	भितरी	गाजीपुर
667.	मंदिरों एवं अन्य भवनों के अवशेष वाला खंडहर टीला	दिलदार नगर	गाजीपुर
668.	सूरी कज्ञ राज नामक डीह या खंडहर टीला	गाजीपुर	गाजीपुर
669.	लार्ड कार्नवालिस का मकबरा	गाजीपुर	गाजीपुर
670.	ईट के खंडहर टीले के पश्चिमी छोर पर खड़ा प्रस्तार लाट या स्तंभ तथा नजदीक में जमीन पर पड़ा शीर्ष स्तंभ	लटिया	गाजीपुर
671.	हाई खेड़ा	मसावंदी	गाजीपुर
672.	खंडहर टीला	मसावंदी	गाजीपुर

1	2	3	4
673.	वराह अथवा शूकर अवतार तथा गोपियों के साथ कृष्ण को दर्शाने वाली दो प्रतिमाएं	सैदपुर	गाजीपुर
674.	विशाल ईट का भट्टा	शेखनपुर	गाजीपुर
675.	एक बहुत बड़े प्राचीन नगर के बड़ी संख्या में अवशेष	बढ़ी	गोरखपुर
676.	बड़े टीलों की श्रृंखला	बढ़यापुर या भादर खास	गोरखपुर
677.	ईट के तीन ऊंचे शंक्वाकार टीले जो स्पस्टत: स्तूपों के अवशेष हैं	चावरा	गोरखपुर
678.	वृहत टीला	गोपालपुर	गोरखपुर
679.	बड़ा तथा उँचा टीला, पाचीन दोमनगढ़ के अवशेष गोरखपुर	गोरखपुर	
680.	ईट के अवशेषों के टीलों से ढका प्राचीन स्थल तथा जिसमें एक प्राचीन चिनाई वाला कुआं भी है	गुनाह	गोरखपुर
681.	अटाला मस्जिद	जौनपुर	जौनपुर
682.	तेह शर्की वंश के सात राजाओं की कब्रगाहें	जौनपुर	जौनपुर
683.	किला	जौनपुर	जौनपुर
684.	पुराने किले में हमाम या तुर्की स्नानागर	जौनपुर	जौनपुर
685.	झांझरी मस्जिद	जौनपुर	जौनपुर
686.	जूमा मस्जिद	जौनपुर	जौनपुर
687.	खालिस मुखालिस या चान ऊंगली मस्जिद	जौनपुर	जौनपुर
688.	जौनपुर शर्की की राजाओं का खानकाह या मकबरा तथा शाही विलाप के लिए चैंबर	जौनपुर	जौनपुर
689.	लाल मस्जिद (लाल दरवाजा)	जौनपुर	जौनपुर
690.	कालिच खान का मकबरा	जौनपुर	जौनपुर
691.	शाह फिरोज का रोजा	जौनपुर	जौनपुर
692.	एक छोटे हाथी पर खड़ा विशाल शेर का वाला प्रस्तर	जौनपुर	जौनपुर
693.	नवाब गाजी खान का मकबरा	जौनपुर	जौनपुर
694.	हजरत चिरागेहियूद महल का प्रवेश द्वार	जाफराबाद	जौनपुर
695.	शेख बुर्हान की मस्जिद	जाफराबाद	जौनपुर
696.	जयचन्द्र के पुराने कंकड किले की दीवारें	जाफराबाद	जौनपुर
697.	टूटी हुई ईटों तथा कुछ मूर्तियों से ढका हुआ वृहत टीला	पदरौना	कुशीनगर
698.	ईट के अवशेषों का टीला	सहिया	कुशीनगर

1	2	3	4
699.	देवी स्थान या रणभैर भवानी के नाम से विख्यात मजबूत ईंट कार्य का एक उत्तंग टीला, मठ कुंवर का किला के नाम से विख्यात एक आयताकार टीला जो टूटी हुई ईंटों से ढका हुआ है तथा जिस पर ईंट का बहुत ही क्षतिग्रस्त स्तूप खड़ा है, बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति, एक तपस्वी, एक आदमकद मूर्ति जो बुद्ध के निर्वाण का प्रतिनिधित्व करती है। एक बड़े टीले के उत्तर तथा पूर्व में समतल भूमि पर बिखरे हुए स्मारकों के निकट टूटी हुई ईंटों से ढका हुआ एक कम ऊंचाई वाला चौकोर टीला	कसिया	कुशीनगर
700	प्राचीन स्थल	घोसी	मऊ
701.	पहाड़ी के शिखर पर अनेक गुफाएं	अधेसर	मिर्जापुर
702.	ध्वस्त प्रस्तर किला ललितपुर	अहरौरा	मिर्जापुर
703.	भरदारी देवी का पहाड़ जहां अशोक का शिलालेख है।	अहरावरखास	मिर्जापुर
704.	तीन लघु लिंग मंदिर लगभग 1000 ई. के अवशेष	अहूगी	मिर्जापुर
705.	शिव मंदिर के खंडहर	अहूगी	मिर्जापुर
706.	संग्राम साही-की-पहाड़ी के नाम से मशहूर टीला	भागदेश्वर	मिर्जापुर
707.	खोह नामक गुफा जिसमें भीतरी तरफ शैल पर प्रारंभिक काल के दो कुटिल शिलालेख हैं।	भुल्ली	मिर्जापुर
708.	उत्कीर्णित स्तंभ	बेलखाडत्र	मिर्जापुर
709.	ब्रिटिश कब्रिस्तान	चूनार	मिर्जापुर
710.	दुर्गा खोह	चूनार	मिर्जापुर
711.	उत्कीर्णित फलक	हलिया	मिर्जापुर
712.	ब्रिटिश कब्रिस्तान	मिर्जापुर	मिर्जापुर
713.	इफ्तेखार खान का मकबरा	सरयान सिकन्दरपुर	मिर्जापुर
714.	संकटा देवी के नाम से स्थानीय तौर पर मशहूर आदमकद मूर्ति	शिवपुर	मिर्जापुर
715.	ब्रिटिश कब्रिस्तान	सुल्तानपुर	मिर्जापुर
716.	दो शिलालेखों सहित रामगाय घाट में नदी की गोद में एक द्वीप समूह पर स्थित मंदिर के अवशेष	विन्ध्याचल	मिर्जापुर
717.	मूर्तियों के टुकड़े जिसमें से एक गंगा के किनारे पड़ा कृष्ण स्तंभ है जो रामगया घाट पर स्थित चबूतरे पर है।	विन्ध्याचल	मिर्जापुर
718.	कांतिल किला	विन्ध्याचल	मिर्जापुर
719.	मध्ययुगीन भारस्थी देवी मंदिर के अवशेष	विन्ध्याचल	मिर्जापुर

1	2	3	4
720.	ब्रिटिश कब्रिस्तान	गोपीगंज	संतरविदास नगर
721.	पक्का चिनाई वाला किला	विजयगढ़	सोनभद्र
722.	कब्रिस्तान	चैतगंज	वाराणसी
723.	सुंदर विशाल ईंट निर्मित किले के अवशेष	चन्द्रवटी	वाराणसी
724.	काहूखंडी स्तूप के नाम से मशहूर प्राचीन बौद्ध स्थल	गंज और बरईपुर	वाराणसी
725.	पुराना ध्वस्त कोट (गढ़ी)	हातिमपुर	वाराणसी
726.	सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल जिसमें धमेक स्तूप, जगत सिंह का स्तूप, मेजर किटली का मठ तथा 1884-85 में श्री सेरताल द्वारा उत्खनित सभी स्मारक जिसका क्षेत्रफल 53.04 एकड़ है तथा 21.84 एकड़ की सरकारी जमीन है	परईपुर, खाजुहीगंज (वाराणसी)	वाराणसी
727.	बंद कब्रिस्तान	राजघाट	वाराणसी
728.	लाल खान का मकबरा	राजघाट	वाराणसी
729.	पुरातत्व विभाग द्वारा अन्वेषित बौद्ध स्थल के पूर्व का समूचा क्षेत्र जो नरोखर नामक झील तक फैला है।	सारनाथ	वाराणसी
730.	यूरोपीय अधिकारियों की कब्रें	शिवाला	वाराणसी
731.	प्राचीन सुकलपुरा को दर्शाने वाला खेड़ा या टीला	सुकलपुरा	चन्दलुई
732.	प्राचीन टीला	तिलमापुर	वाराणसी
733.	धरहरा मस्जिद (औरंगजेब मस्जिद)	वाराणसी	वाराणसी
734.	ले. कर्नल पोगसन का मकबरा	वाराणसी	वाराणसी
735.	विद्रोह स्मारक	वाराणसी	वाराणसी
736.	मानसिंह की वेधशाला	वाराणसी	वाराणसी
737.	पहलपुर उत्कीर्णित लाट या महापाषाण जो अब क्वीन्स कालेज के परिसर में खड़ा है।	वाराणसी	वाराणसी
738.	कोषागार भवन पर फलक	वाराणसी	वाराणसी
739.	तेलिया नाला बौद्ध खंडहर	वाराणसी	वाराणसी
740.	ओल्ड आर्टीलरी लाइन्स स्थित दो कब्रें	वाराणसी	वाराणसी
741.	विक्टोरिया स्मारक	वाराणसी	वाराणसी
742.	प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय अवशेष	रदरौली	महाराज गंज

501-

हाइब्रिड बीजों का उपयोग

2236. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कृषि क्षेत्र में उपयोग में लाए जा रहे हाइब्रिड बीजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे बीजों के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उच्च उत्पादकता बीजों के अनुसंधान और विकास के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विभिन्न फसलों में कुल 370 हाईब्रिड किसमें निर्मुक्त की गई हैं जिनमें 47 चावल, 89 मक्का, 82 बाजरा, 32 सोरघम, 65 कपास 29, सूरजमुखी, 4 कुसेम, 17 एरण्ड, 4 तोरिया और सरसों और 1 अरहर शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। बीज अधिनियम, 1966 बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अन्तर्गत बीजों के मूल्य के विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अनुसार बीज एक आवश्यक जिन्स है, यह व्यवस्था गुणवत्ता विनियमन के प्रयोजन हेतु है न कि बीजों के मूल्यों के विनियमन के प्रयोजन हेतु।

(घ) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने उच्च उपज देने वाले हाइब्रिडों के विकास के लिए कई उपाय किए हैं:

(1) नर जीवाणुहीन वंशावलियों का विभिन्न आनुवंशिक पृष्ठभूमि तथा परिपक्वता समूहों में विविधिकरण।

(2) जैविक और अजैविक दबावों के प्रति प्रतिरोधशक्ति/सह्यशक्ति तथा परिपक्वता अवधियों की दृष्टि से पुनः प्रचलित वंशावलियों का विविधिकरण।

(3) मूल वंशाावलियों और साथ ही संकरों के लागत प्रभावी बीज उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकियों का परिष्करण, और

(4) विभिन्न स्रोतों से वांछनीय जीन को शामिल करके आनुवंशिक पूल का पुनर्गठन।

[हिन्दी]

502

फलों और सब्जियों के व्यापार में निजी कंपनियां

2237. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि फलों और सब्जियों के व्यापार में निजी कंपनियों की संल्पितता छोटे किसानों के हितों के विरुद्ध है और न ही यह फलों और सब्जियों के छोटे विक्रेताओं के जीवनयापन के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निजी कंपनियों के एकाधिकार के परिणामस्वरूप फलों, सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2003 में माडल कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम बनाया था एवं सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया था ताकि वे अपने विद्यमान राज्य एपीएमसी अधिनियमों में आवश्यक संशोधन कर सकें। माडल अधिनियम में अपेक्षित विपणन अवसंरचना के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। यह किसानों एवं व्यापार के हित में प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक विपणन चैनल अर्थात सीधे विपणन, संविदा खेती, निजी विपणन आदि को भी बढ़ावा देता है। किसानों से फल एवं सब्जियों के सीधे विपणन, संविदा खेती, निजी विपणन आदि को भी बढ़ावा देता है। किसानों से फल एवं सब्जियों के सीधे प्रापण के नये वैकल्पिक चैनल और फसलोपरान्त विपणन अवसंरचना के विकास से कारोबार/विपणन लगात एवं फसलोपरान्त हानियों में कमी आती है। इससे छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धी विपणन अवसर सहित लाभकारी मूल्य प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजा गुणवत्ताप्रद फल एवं सब्जियां उपलब्ध होंगी।

502-03

फलों और सब्जियों का उत्पादन

2238. श्रीमती रमा देवी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फल और सब्जियों के उत्पादक किसानों के उत्पादों किसानों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उनके साथ कोई वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उक्त परिणमों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) निर्यात के लिए फलों एवं सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार से सरकार की कोई वार्ता नहीं हुई है। हालांकि, सरकार फलों एवं सब्जियों समेत बागवानी के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रही है। इन फलसों की उत्पदकता बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सहायता में नर्सरी एवं टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं के जरिए गुणवत्ताप्रद बीजों एवं रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण, उन्नत किस्तों के साथ क्षेत्र विस्तार, ग्रीन हाऊसों तथा शेडनेट हाऊसों में संरक्षित कृषि शुरू करना, किसानों तथा फील्ड स्टाफ को नवीनतम प्रौद्योगिकियों संबंधी प्रशिक्षण के साथ समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम)/समेकित पोषण प्रबंधन (आईएनएम) शामिल हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में भवनों का गिरना

2239. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आवासों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सर्वेक्षण के दौरान बड़ी संख्या में भवनों/आवासों को खतरनाक घोषित किया गया है और उनकी मरम्मत की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली में गत तीन वर्षों, प्रत्येक वर्ष के दौरान ढहे भवनों की कुल संख्या क्या है;

(च) उक्त घटनाओं में कितने लोग मारे गए/घायल हुए; और

(छ) जिन भवनों को खतरनाक घोषित किया गया तथा जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है उनके मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि एनडीएमसी क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया था।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया है कि वह प्रत्येक वर्ष खतरनाक मकानों का मनसून से पहले सर्वेक्षण करवाता है। दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान कुल 1730034 मकानों की मरम्मत की गई और 7 मकान खतरनाक पाए गए।

(ङ) एमसीडी ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भवनों के गिरने के कुल 9 मामलों की सूचना प्राप्त हुई।

(च) एमसीडी ने यह भी सूचित किया है कि उपरोक्त घटनाओं में कुल 93 लोग मारे गए।

(छ) एमसीडी ने यह सूचित किया है कि भवन के मालिकों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

मिर्च का मूल्य

2240. श्री एल. राजगोपालः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में मिर्च का क्या मूल्य रहा;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में मिर्च के मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट पर ध्यान दिया है जिसकी वजह से देश के मिर्च उत्पादक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार मिर्च का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर विचार कर रही है ताकि मूल्यों के उतार-चढ़ाव से मिर्च उत्पादक किसानों को बचाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान देश के चुनिंदा बाजारों में मिर्च के मासिक मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये आंकड़े हाल के महीनों में मिर्ची के मूल्य में एक घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाते हैं परन्तु गिरावट का स्तर एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) और (घ) मिर्च के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार उन कृषि एवं बागवानी जिन्सों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) क्रियान्वित कर रही है जिन्हें मूल्य समर्थन योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से अनुरोध पर किया जाता है तथा उनके मूल्य आर्थिक स्तरों/उत्पादन लागत से कम हो जाते हैं तब कम बिक्री होने से इन जिन्सों के उत्पादकों की रक्षा की जा सके।

विवरण

चुनिंदा केन्द्रों में मिर्च के मासिक थोक मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

बाजार मासिक/किस्म	गन्टूर सोर्ट 1	गन्टूर सोर्ट 2	वारंगल जीटी	बैंगलूर -	मुंबई -	दिल्ली गुंटूर
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी, 2009	एनआर	एनआर	5000	7250	7450	5300
फरवरी	एनआर	एनआर	4000	7500	8250	5300
मार्च	एनआर	एनआर	एनआर	6575	8250	5250
अप्रैल	5300	एनआर	एनआर	5800	8250	5300
मई	5000	एनआर	4800	6400	9000	5400
जून	5000	3600	3900	5800	9000	5400
जुलाई	एनआर	एनआर	एनआर	6400	8000	5500
अगस्त	एनआर	एनआर	एनआर	6450	6400	5500
सितम्बर	5300	3200	एनआर	6500	5750	5600
अक्तूबर	एनआर	एनआर	एनआर	6950	6500	5700
नवम्बर	5700	3500	एनआर	5640	6500	6200
दिसम्बर	5600	4800	एनआर	7500	7000	7100
जनवरी, 2010	5500	4800	6400	6900	7500	7700
फरवरी	5200	4400	5300	7000	7500	5600
मार्च	5800	4500	एनआर	7000	6500	7300
अप्रैल	5500	4000	एनआर	6500	7000	एनआर
मई	5000	3800	एनआर	6500	7000	11000

1	2	3	4	5	6	7
जून	5000	3600	एनआर	एनआर	5500	12000
जुलाई	5000	3800	एनआर	एनआर	6000	8000
अगस्त	4700	4000	एनआर	6500	6500	5500
सितम्बर	4900	3800	2000	6400	6000	6200
अक्तूबर	5050	4250	एनआर	6500	5650	5800
नवम्बर	5600	5000	एनआर	6400	6000	6000
दिसम्बर	8000	6500	5500	7000	6750	8400
जनवरी, 2011	8000	7200	6600	7000	8000	8300
फरवरी	9500	8500	7500	10800	9666	9600
मार्च	8800	7900	6500	11000	10000	9000
अप्रैल	9300	8000	7000	9200	10000	10000
मई	9500	8300	6400	9500	10333	9200
जून	7000	6400	5400	10600	10000	9600
जुलाई	7200	6500	5500	10500	10000	9500
अगस्त	7000	6500	5800	10400	10000	9200
सितम्बर	7200	6500	एनआर	10500	10000	9700
अक्तूबर	7000	6200	6100	12000	10000	एनआर
नवम्बर	6300	6000	6000	13200	9500	8500
दिसम्बर	7300	6600	6100	9800	9500	7800
जनवरी, 2012	6500	6300	5600	9000	10000	7400
फरवरी	5800	4500	5200	8000	8800	6700

एनटी=कोई लेनदेन नहीं हुआ

एनए=उपलब्ध नहीं

एनआर=सूचित नहीं किया गया

स्रोत: कृषि उत्पादन विपणन समिति तथा विपणन आसूचना यूनिट

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का निलंबन

2241. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009 से जुलाई 2011 के बीच विभिन्न आरोपों के आधार पर निलंबित किए गए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उक्त निलंबित अधिकारियों में से आधे से अधिक अधिकारियों को सेवा में पुन: बहाल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निलंबित अधिकारियों को पुन: सेवा में लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारवादी उपाय किए गए?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) वर्ष 2009 से जुलाई 2011 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के दौर सो (200) कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। 117 कर्मचारियों का निलम्बन वापस ले लिया गया है। निलम्बन एक कार्यकारी कार्रवाई है जिसके द्वारा सरकारी सेवक को अनुशासनहीनता, लापरवाही, दुराचरण आदि कृत्यों हेतु अंतिम कार्रवाई लम्बित रहने तक ड्यूटी से अस्थायी तौर पर बाहर रखा जाता है। यह सरकारी सेवक द्वारा प्रारम्भिक जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और बाधा डालने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी वास्तविक साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के विरुद्ध एक रक्षोपाय है। सक्षम-प्राधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश कभी भी वापस लिया जा सकता, जब यह अभिनिश्चित कर लिया जाता है कि निलम्बित कर्मचारी कार्यवाही को प्रभावित करने अथवा रिकार्ड में हेरफेर करने की स्थिति में नहीं होगा। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी विनियमन 1971 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन की 90 दिनों के भीतर समीक्षा की जाती है और ऐसी समीक्षा के बाद निलम्बन वापस लिया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठाता।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक कार्यक्रम

2242. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों की संस्कृतिक गतिविधियों सांस्कृतिक त्यौहारों ओर नृत्यों को समान मंचपर दर्शाने के लिए कोई स्कीम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विभिन्न राज्यों के नृत्यों और संस्कृति देश के विभिन्न भागों में दर्शाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए है जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में हैं। जेडसीसी के मुख्य उद्‌देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परंपरागत लोक कला और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। जेडसीसी का प्रयास क्षेत्र की विभिन्न कलाओं की समृद्ध विविधता और अद्बितीयता का विकास करना और लोगों को अपनी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और ऑक्टेव और लोकतरंग (राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव) जैसी अपनी स्कीमों के जरिए विभिन्न राज्यों के नृत्यों और अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों का प्रदर्शन करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि में निवेश

2243. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किए गए निजी, सरकारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश का वर्तमान स्तर खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा इसका स्टॉक बढ़ाने हेतु कृषि में सरकारी एवं निजी/विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निजी सार्वजनिक तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ख) से (घ) देश खाद्यान्न उत्पादन में काफी आत्मनिर्भर है। हालांकि विशेष रूप से कृषि अवसंरचना एवं संभार तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए किसी अतिरिक्त निवेश से बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए दीर्घकालिक अधिक उत्पादन होगा।

सरकार कृषि क्षेत्र में वृद्धित योजना परिव्यय के जरिए इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सक्षम नीतियों के माध्यम से

वातावरण बनाया जा रहा है। विशिष्ट कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के संदर्भ में आंके गए सार्वजनिक एवं निजी निवेश का ब्यौरा निम्न है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जीसीएफ		
	सार्वजनिक	निजी	कुल
2008-09	20572	106556	127127
2009-10	22720	108419	131139
2010-11	21500	120754	142254

(2004-05 मूल्यों पर)

पिछले तीन वर्षों में कृषि एवं सुबद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा निम्न है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कृषि एक संबद्ध क्षेत्र में एफडीआई
2008-09	24.61
2009-10	5922.29
2010-11	202.60

औषधीय वनस्पति के मूल्य

2244. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधीय वनस्पति गुणों वाले पौधे के मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि ऐसे पौधों की खेती बड़े स्तर पर करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) अगर खुले बाजार में मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चले जाते हैं तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सरकारी औषधीय पौध फार्मों और हर्बल मेडीसिन निगम लिमिटेड के माध्यम से औषधीय वनस्पति की खरीद का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ङ) औषधीय वनस्पति का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब तक निर्धारित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ङ) औषधीय वनस्पति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव जनजातीय मंत्रालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना

2245. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बनाए रखने और सुरक्षा को मजबूत बनाने के रास्ते में आने वाली मुख्य अड़चनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त उड़चनों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) आतंकवाद/अलगाववाद एक प्रमुख आन्तरिक सुरक्षा चुनौती है जिससे निपटने और इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

सरकार आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कोई भी कारण, यथार्थ अथवा काल्पनिक, आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम में सी आई एस एफ की तैनाती करने के लिए सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन; चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना; आपात में एन एस जी के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन एस जी को

शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना, ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन; प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाले निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विधिविरुद्ध क्रिरूाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्वि-पक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय, द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।

[अनुवाद]

मत्स्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास

2246. श्री निशिकांत दुबे:
श्री एस. अलागिरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में समुद्री खाद्य उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मात्स्यिक क्षेत्र के संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए तटीय क्षेत्रों सहित देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार शीतागारों के निर्माण और मात्स्यिकी प्रसंस्करण संयंत्रों और मशीनों की खरीद के लिए अनुमोदित अनुदान सहायता राशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी नहीं।

(ख) मछली उत्पादन के बारे में नीचे दिए गए आंकड़े समुद्री खाद्य उत्पादन में बढ़ता हुआ रुझान दर्शाते हैं-

(टन उत्पादन)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
उत्पादन	7816090	7913932	8294689
% परिवर्तन	-	+1.25%	+4.8%

(स्रोत: एनएफडीबी)

वर्ष 2010-11 में, पिछले वर्ष (मीडिया वार्षिक रिपोर्ट 2010-11) की तुलना में समुद्री उत्पाद के निर्यात में मात्रा में 18.34% रुपए मूल्य में 26.9% और अमेरिकी डॉलर के अर्थ में 32.39% की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रो में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहले का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्तर को दूर करना, शीत श्रृंखला

अवसंरचना को मजबूत करना, जैविक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, डेयरी, पॉल्ट्रीय आदि समेत बागवानी के लिए छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण जैसी अवसंरना सुविधाओं के साथ-साथ मूल्यवृद्धि का सृजन करना है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना स्कीम के अंतर्गत मछली प्रसंस्करण के विकास हेतु अनुदान सहायता के रूप में जारी की गई राशि निम्नानुसार है-

2008-09	-	407 लाख रुपए
2009-10	-	396.00 लाख रुपए
2010-11	-	342.00 लाख रुपए
2011-12	-	575.75 लाख रुपए (23.03.2012 तक)

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने मैसर्स मिजोफा फिश सीड्स फार्म, मिजोरम के पक्ष में वर्ष 2011-12 में 303.1 लाख रुपए के अनुदान का अनुमोदन दिया है और वर्ष 2011-12 में 75,75,250 रुपए का अनुदान जाी किया गया है।

चीनी का निर्यात

2247. **श्री मनीष तिवारी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चीनी का निर्यात मूल्य क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चीनी की घरेलू खपत का औसत अनुमान क्या है;

(घ) क्या सरकार चीनी के मूल्यों को विनियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वयं चीनी का निर्यात नहीं करती है। चीनी का निर्यात चीनी मिलों/व्यापारी निर्यातकों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किया जाता है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) कोलकाता के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम, 2011-12 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान दिसम्बर, 2011 तक 1458.21 करोड़ रुपये मूल्य की 429505 मी. टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य समय-समय पर बदलते रहते हैं और निर्यात चीनी मिलों/व्यापारी निर्यातकों द्वारा किया जाता है इसलिए वह मूल्य जिस पर चीनी निर्यात की गई थी, का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान, चीनी की घरेलू खपत का अनंतिम रूप से लगभग 220 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। तथापि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में 20.1.2012 को समिति गठित की गई है जो चीनी क्षेत्र के विनियंत्रण के सभी मामले देखेगी।

(च) समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अपहरण गिरोह

2248. **श्री गोपीनाथ मुंडे:**
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री एन.वी.एस. चित्तन:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री रमेश बैस:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री अशोक तंवर:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसे गिरोह का भण्डाफोड किया है जो मासूम बच्चों का अपहरण कर उन्हें महानगरों में बाल श्रम और देह व्यापार करने के लिए मजबूर करते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/प्रस्तावित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) देश में बच्चों के अपहरण और उनसे जबरन श्रम करवाए जाने की कई घटनाएं खबर में आई हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, क्रमशः वर्ष 2008, 2009, और 2010 के दौरान बच्चों के व्यपहरण और अपहरण के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्ज किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र जारी कर दिया गया, उन मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध हो गया, उन मामलों की संख्या जिनमें व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन मामलों की संख्या जिनमें व्यक्तियों को आरोप-पत्र जारी कर दिया गया और उन मामलों की संख्या जिनमें व्यक्ति दोषी सिद्ध हो गए, संलग्न विवरण में दी गई है।

गृह मंत्रालय ने देशभर में गुमशुदा व्यक्तियों का आसानी से पता लगाया जाना सुकर बनाने के लिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में दिल्ली पुलिस के दिनांक 24.10.2009 के मानक आदेश सं. 252/09 का हवाला देते हुए सभी राज्य सरकारों को दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 का पत्र जारी किया था।

गृह मंत्रालय ने बच्चों के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी का मुकाबला करने और उससे निपटने के बारे में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दिनांक 9 सितम्बर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 की विस्तृत सलाहें जारी की हैं जिनमें उन्हें जिलों में 'महिलाओं के खिलाफ अपराध-एकक' स्थापित करने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला एकक' स्थापित कर लिए है। कुछ राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने जिले के स्तर पर समस्त महिला पुलिस थानों और पुलिस थानों में महिला/बाल सहायता डैस्कों को भी स्थापित कर दिया है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के व्यपहरण और अपहरण के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009						2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	433	380	11	563	619	35	632	467	22	638	552	55	581	480	35	589	645	47
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	11	0	11	11	0	17	13	0	12	13	0	5	8	0	6	6	0
3.	असम	7	13	1	9	16	2	5	6	0	7	6	0	17	2	0	11	4	0
4.	बिहार	496	328	15	931	694	17	722	364	7	988	740	17	1359	631	11	1839	1260	25
5.	छत्तीसगढ़	96	94	16	105	104	10	121	103	26	102	106	16	186	160	17	200	196	22
6.	गोवा	24	8	0	28	9	0	21	14	2	24	27	2	14	10	1	12	18	2
7.	गुजरात	521	421	14	606	618	18	503	377	8	528	549	11	565	414	9	607	554	16
8.	हरियाणा	104	82	17	89	92	22	149	77	15	121	114	29	123	90	23	116	120	31
9.	हिमाचल प्रदेश	78	39	4	69	59	6	72	51	8	67	53	5	86	38	1	72	71	5
10.	जम्मू और कश्मीर	3	4	0	4	4	0	10	1	0	1	1	0	5	2	1	3	3	1
11.	झारखंड	18	11	1	36	25	1	8	3	3	10	9	3	6	6	0	1	13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	कर्नाटक	99	41	1	69	61	1	67	63	0	92	80	0	125	70	4	167	155	6
13.	केरल	87	72	2	93	111	2	83	64	4	105	82	4	111	100	4	109	136	5
14.	मध्य प्रदेश	264	246	53	357	351	82	427	329	49	547	542	74	440	364	80	527	505	101
15.	महाराष्ट्र	598	476	13	699	627	17	534	479	17	629	624	19	749	470	7	844	702	11
16.	मणिपुर	61	0	0	5	0	0	52	0	0	34	0	0	60	0	0	33	0	0
17.	मेघालय	21	7	0	12	11	0	9	5	0	4	7	0	16	11	0	10	7	0
18.	मिजोरम	2	2	0	1	1	0	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1
19.	नागालैंड	3	1	0	3	1	0	0	1	0	0	1	0	7	5	4	7	5	4
20.	ओडिशा	8	11	0	24	29	0	30	17	0	36	31	0	51	35	1	39	40	1
21.	पंजाब	184	95	11	160	143	12	355	143	21	451	211	31	373	176	31	424	303	55
22.	राजस्थान	504	226	29	251	247	35	761	349	43	465	468	57	706	254	40	382	370	81
23.	सिक्किम	3	1	1	1	1	1	6	3	3	4	3	3	5	10	0	8	10	0
24.	तमिलनाडु	275	181	19	216	231	19	300	190	7	325	255	12	459	216	15	343	290	22
25.	त्रिपुरा	23	17	2	25	24	2	12	13	0	1	4	0	22	11	1	37	28	1
26.	उत्तर प्रदेश	2224	1308	532	3043	2061	928	1535	1046	531	2370	1913	933	1225	898	649	1937	1570	1093
27.	उत्तराखंड	24	21	9	39	47	11	10	8	6	11	16	13	9	9	4	18	18	6
28.	पश्चिम बंगाल	96	136	2	154	165	5	199	105	3	167	131	1	332	221	8	377	231	8
	कुल राज्य	6369	4232	753	7603	6362	1226	6641	4292	776	7741	6540	1286	7637	4691	947	8718	7260	1544
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	5	0	9	9	0	10	2	0	5	2	0	9	7	0	13	7	0
30.	चंडीगढ़	36	13	7	39	15	8	27	15	7	15	18	9	23	20	5	17	18	5
31.	दादरा और नगर हवेली	11	7	0	17	9	0	8	8	2	11	17	3	10	4	0	11	7	0
32.	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1208	335	46	388	353	68	2248	381	65	326	385	35	2982	342	62	318	359	77
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	14	4	0	10	5	0	11	12	0	14	13	0	8	9	1	8	12	1
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1281	364	53	463	391	76	2304	418	74	371	435	47	3033	382	68	367	403	83
	कुल अखिल भारत	7650	4596	806	8066	6753	1302	8945	4710	850	8112	6975	1333	10670	5073	1015	9085	7663	1627

स्रोतः भारत में अपराध

नोटः पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

S 21-72

भाषाओं को शामिल करना

2249. श्री रतन सिंहः
श्री अजय कुमारः
श्रीमती कमला देवी पटलेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भोजपुरी, वृज भाषा सहित राज्य-वार उन भाषाओं के नाम क्या हैं जिन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है; और

(ग) ये भाषाएं कब तक उक्त अनुसूची में शामिल कर लिए जाने की संभावना है और इन्हें शामिल करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् है:-

	राज्य सरकार	भाषा का नाम
(i)	बिहार	भोजपुरी
(ii)	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ी
(iii)	सिक्किम	भूटिया, लेप्चा और लिम्बू
(iv)	कर्नाटक	कोडावा और टूलू
(v)	मिजोरम	मिजो
(vi)	राजस्थान	राजस्थानी
(vii)	नागालैंड	टेन्यीडी

वर्तमान में, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 38 और भाषाओं को शामिल करने की मांगें की गई हैं। ये निम्नलिखित हैं: (1) अंगिका, (2) बंजारा, (3) बंजारा, (3) बाजिका, (4) भोजपुरी, (5) भोटी, (6) भोटिया, (7) बुन्देलखण्डी, (8) छत्तीसगढ़ी, (9) धात्की, (10) अंग्रेजी, (11) गढ़वाली (पहाड़ी), (12) गोण्डी, (13) गुज्जर/गुज्जरी, (14) हो, (15) कचाछी, (16) कामतापुरी, (17) कारबी, (18) खासी, (19) कोदवा (कुर्ग), (20) कोक बाराक, (21) कुमाउनी (पहाड़ी), (22) कुरक, (23) कुर्माली, (24) लेपचा, (25) लिम्बू, (26) मिजो (लुशई), (27) मगही, (28) मुन्दरी, (29) नागपुरी, (30) निकोबारी, (31) पहाड़ी (हिमाचली), (32) पाली), (33) राजस्थानी, (34) सम्बलपुरी/कोसली, (35) शौरसेनी (प्राकृत), (36) सिरैकी, (37) तेंयिदी और (38) तुलु।

तथापि, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में इन भाषाओं पर सक्रिय विचार नहीं किया जा रहा है। आठवीं अनुसूची में ब्रज भाषा को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आठवीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में संविधान में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में इनके शामिल करने के बारे में कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

[अनुवाद] S 22-28

संकर धान

2250. श्री प्रशांत कुमार मजूमदारः
श्री एम. आनंदनः
श्री मनोहर तिरकीः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में राजारजन 1000 सहित संकर धान की नई किस्में विकसित करके उन्हें खेती के लिए जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे धान का देश में कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में धान की परंपरागत खेती की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से धान सघनीकरण की एक नई प्रणाली शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राजकोषीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी हां। संकर धान की 47 किस्में देश में कृषि के लिए विकसित एवं बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन निर्मुक्त/अधिसूचित की गई है। धान की राजारजन 1000 किस्म

निर्मुक्त/अधिसूचित नहीं की गई है। हालांकि धान कृषि के एक तरीके चावल की तीव्रीकरण पद्धति को तंजौर के बड़े मंदिर के 1000 वर्ष पूरे होने संबंधी उत्सव मनाने के लिए राजारजन 1000 का नाम दिया गया है। अब तक विकसित संकर धान की सूची सहित उनके उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल के तहत चावल तीव्रीकरण पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत चावल तीव्रीकरण पद्धति के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक 04 है. के लिए 3000 रुपये प्रति प्रदर्शन की सहायता देकर इसका संवर्धन किया जा रहा है। 16 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश (11), असम (13), बिहार (18), छत्तीसगढ़ (10), गुजरात (2) झारखंड (7), कर्नाटक (7), केरल (1), मध्य प्रदेश (11), महाराष्ट्र (6), ओडिशा (15), तमिलनाडु (5), उत्तर प्रदेश (27), पश्चिम बंगाल (8), जम्मू एवं कश्मीर (3), एवं त्रिपुरा (2) के 144 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल कार्यान्वित किया जा रहा है। इस विभाग ने इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक से सहायता नहीं ली है।

विवरण

भारत में निर्मुक्त किए गए और अधिसूचित निजी क्षेत्र के चावल संकरों की सूची

क्र. सं.	संकर का नाम	निर्मुक्ति का वर्ष	एडेप्टेबिलिटी	उपज (मएटी/है.)	निम्न द्वारा विकसित
1	2	3	4	5	6
1.	पीएचबी-71	1997	हरियाणा, कर्नटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	8.75	पाइनियर ओवरसीज को. हैदराबाद
2.	पीए-6201	1998	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	6.20	बेयर बाइयो-साइंस, हैदराबाद
3.	पीए-6444	2001	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और उत्तराखंड	6.00-8.00	बेयर बाइयो-साइंस, हैदराबाद
4.	पीआरएच-122 आर (गंगा)	2001	उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और नागालैंड	5.70	पारस एक्स्ट्रा ग्रोथ सीड लि. बंगलुरु
5.	आरएच-204	2003	उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और नागालैंड	7.50-8.00	पैरी मार्सेंट सीड लि. बंगलुरु
6.	सुरुचि	2004	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	7.80	मायको लि. औरंगाबाद
7.	जेकेआरएच- 401	2007	बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा	6.20	जेके एग्री जेनेटिक्स लि. हैदराबाद
8.	पीए-6129	2007	तमिलनाडु, पुदुचेरी और पंजाब	6.00-8.00	बेयर बाइयो-साइंस, हैदराबाद
9.	जीके-5003	2008	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	6.80	गंगा कावेरी सीड्स प्रा.लि. हैदराबाद
10.	डीआरएच-775	2009	छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल	7.00	मेथेलिक्स लाइफ साइंसेज प्रा.लि. हैदराबाद
11.	एचआरआई-157	2009	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और पुदुचेरी	6.00-8.00	बेयर बाइयो-साइंस, हैदराबाद
12.	पीएसी-835	2009	ओडिशा और गुजरात	5.62	अदवंता इंडिया लि. हैदराबाद
13.	पीएसी-837	2009	गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	6.32	अदवंता इंडिया लि. हैदराबाद

1	2	3	4	5	6
14.	यूएस-312 (आईईटी-19513)	2010	बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश	6.10	सीड्स वर्क्स लि. हैदराबाद
15.	27पी 11 (आईईटी-19766)	2010	कर्नाटक और महाराष्ट्र	6-7	पीएचआई सीड्स प्रा.लि. हैदराबाद
16.	इंडैम 200-017 (आईईटी-2245)	2011	महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश	5-6	इंडो अमेरिकन सीड्स प्रा.लि. बंगलौर
17.	वीएनआर 2245 (आईईटी 20716) वीएनआर-204)	2012	छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु	7.32	वीएनआर सीड्य प्रा.लि., रांची
18.	वीएनआर 2255 प्लस (आईईटी-20735) वीएनआर-202)	2012	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु	5.96	(वीएनआर सीड्य प्रा.लि., रांची)

भारत में निर्मुक्त किए गए और अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के चावल संकरों की सूची

क्र. सं.	संकर का नाम	निर्मुक्ति का वर्ष	एडेप्टेबिलिटी	उपज (मएटी/है.)	निम्न द्वारा विकसित
1	2	3	4	5	6
1.	एपीएचआर-1	1994	आंध्र प्रदेश	8.00-8.50	आंध्र प्रदेश चावल अनुसंधान संस्थान मारुटेरू (अंगरॉव, हैदराबाद)
2.	एपीएचआर-2	1994	आंध्र प्रदेश	8.00-8.50	आंध्र प्रदेश चावल अनुसंधान संस्थान मारुटेरू (अंगरॉव, हैदराबाद)
3.	एमजीआर-1 (सीओआरएच-1)	1994	तमिलनाडु	5.90	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर
4.	केआरएच-1	1994	कर्नाटक	6.50-7.50	जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्र, वीसी फार्म, माण्डया (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलूरु)
5.	सीएनआरएच-3	1994			खेत्रीय चावल केन्द्र चिनसूरा, पश्चिम बंगाल
6.	डीआरआरएच-1	1996	आंध्र प्रदेश	6.50-7.50	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
7.	केआरएच-2	1996	कर्नाटक, तलिनाडु, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पशचिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा	7.50-8.50	जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीसी फार्म, माडण्या (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलुरु)
8.	पंत संकर धान-1	1997	उत्तर प्रदेश	6.50-7.50	जीबीपीएयूएण्डटी, पंतनगर
9.	सीओआरएच-2	1998	तमिलनाडु	6.07	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर
10.	एडीटीआरएच-1	1998	तमिलनाडु	6.40	तमिलनाडु चावल अनुसंधान सस्थान अदुथुरई (टीएनएयू)

1	2	3	4	5	6
11.	सहयाद्री	1998	महाराष्ट्र	6.00-6.50	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र करजट (बीएसकेकेवी)
12.	नरेंद्र संकर धान-2	1998	उत्तर प्रदेश	6.70	नरेंद्र देव कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
13.	पूसा आरएच-10	2001	उत्तराखंड	6.00-7.00	गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी
14.	पंत संकर धान-3	2004	उत्तराखंड	6.00-7.00	गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी
15.	नरेंद्र ऊसर संकर धान-3	2004	उत्तर प्रदेश	5.50-6.50	नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय फैजाबाद
16.	डीआरआरएच-2	2005	उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु	5.40	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
17.	राजलक्ष्मी	2005	ओडिशा	6.50	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक
18.	अजय	2005	ओडिशा	5.50-6.00	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक
19.	सहयाद्री-2	2006	महाराष्ट्र	5.00-6.00	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, करजट (बीएसकेकेवी)
20.	सहयाद्री-3	2006	महाराष्ट्र	6.50	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, करजट (बीएसकेकेवी)
21.	एचकेआरएच-3	2006	तमिलनाडु	7.00-7.50	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय केन्द्र कोयंबटूर
22.	सीओआरएच-3	2006	तमिलनाडु	7.00-750	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय केन्द्र कोयंबटूर
23.	इंदिरा सोना	2006	छत्तीसगढ़	5.75	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
24.	जेआरएच-4	2007	मध्य प्रदेश	6.00	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
25.	जेआरएच-5	2007	मध्य प्रदेश	6.10	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
26.	सहयाद्री-4	2008	पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र	6.00	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
27.	जेआरएच-8	2008	मध्य प्रदेश	6.30	मध्य प्रदेश
28.	डीआरआरएच-3	2009	मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश	6.00-6.50	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
29.	सीआरएचआर-32 (सीआर-धान-701)	2012	बिहार और गुजरात	5.00	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

529-30

खाद्यान्न उत्पादन

2251. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री नरहरि महतो:
श्री राधे मोहन सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के कारण 2040 तक चीन को पीछे छोड़ देगा जिससे बढ़ती जनसंख्या को भोजन देना कठिन हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोत्तरी की स्थिति पैदा हुई है; और

(घ) चुनौतियों से निपटने और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) भारत इस समय घरेलू उत्पादन के माध्यम से अधिकांशत: अपनी खाद्य अपेक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। यह खाद्यान्नों का एक निवल निर्यातक है।

(ग) जी, हां महोदया। विगत दो वर्षों के दौरान कच्चे पेट्रोलियम के बढ़ते हुए उच्च मूल्यों ने भी खाद्य मूल्यों में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न की है, क्योंकि कच्चा पेट्रोलियम उर्वरक उद्योग तथा यातायात क्षेत्र के लिए एक मुख्य आदान है जिस पर लागत दबाव कारकों के माध्यम से खाद्य मूल्यों पर उनके प्रभाव पड़ते हैं।

(घ) मौजूदा वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन 250.42 मिलियन टन तक रहा है जिसमें 102.75 मिलियन टन चावल, 88.31 मिलियन टन गेहूं 42.08 मिलियन टन मोटे अनाज तथा 17.28 मिलियन टन दलहन शामिल हैं। तथापि, सतत् आधार पर तिलहन, फलों एवं सब्जियों जैसे खाद्यान्नों एवं अन्य फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है यथा: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना के तहत दो नई पहलों अर्थात 'पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने' (बीजीआरईआई) तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास की शुरुआत की गयी है।

530-32

कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2252. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री दानवे राव साहेब पाटील:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री पी. कुमार:
श्री सुदर्शन भगत:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री एम.के. राघवन:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री रमेश बैस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुख्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की हाल में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो फसल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) छोटे और सीमांत किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) 2011-12 मौसम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) राज्य सरकारों सहित भिन्न-भिन्न पणधारियों के साथ परामर्श करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तथा संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय

मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निर्धारित करती है।

(ङ) सरकार न्यूनतम समर्थम मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से मुख्य कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। छोटे एवं मध्यम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समितियों स्व-सहायता प्राप्त समूहों एवं सहकारी समितियों जिन्हें गेहूं के लिए 2 प्रतिशत की दर से तथा धान प्रापण के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है, के माध्यम से प्रापण को प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	2011-12
1	2	3
खरीफ फसलें		
धान	सामान्य	1080
	ग्रेड ए	1110
	हाईब्रिड	980
	मलदाण्डी	1000
बाजरा		980
मक्का		980
रागी		1050
अरहर (तूर)		3200&
मूंग		3500&
उड़द		3300&
कपास	मध्य स्पेशल	2800
	लम्बा स्टेपल	3300
मूंगफली छिलके सहित		2700
सूरजमुखी बीज		2800
सोयाबीन	काला	1650
	पीला	1690
तिल		3400
रामतिल		2900
रबी फसलें		
गेहूं		1285
जौ		980
चना		2800
मसूर (लेन्टिल)		2800
रेपसीड/सरसों		2500
कुसुम्भ		2500
तौरिया		
अन्य फसलें		
खोपरा	मिलिंद	4525
	बाल	4775
छिलके रहित गिरी		1200
पटसन		1675
गन्ना		145.00#

&पैदावार/दो माह की आगमन अवधि के दौरान, अधिप्राप्य एजेंसियों को बेचे गए खरीफ दलहनों के बारे में 500 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय है।

#उचित तथा लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) 531-32

खाद्य प्रसंस्करण नीति

2253. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कोई नई नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उक्त उद्योगों को कराधान से छूट देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि सहित क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है ताकि कच्चे खाद्योत्पाद की बर्बादी में कमी लाई जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी नहीं महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं महोदया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, अवसंरचना सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, मानव संसाधन विकास, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वियन के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, सरकार ने कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदों पर सीमाशुल्क में कमी जैसे अनेक उपाय किए हैं।

5 73 - 38

[हिन्दी]

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

2254. श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अग्निशमन क्षमता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिए निधि प्राप्त करने हेतु बहु प्रयोजनीय वित्तीय संस्थाओं के परामर्श की स्थिति सहित अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए राज्य-वार कुल कितनी निधि स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीरण संबंधी राज्य सरकारों से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या अर्थोपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत में, गृह मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद (एस एफ ए सी), अग्निशमन सेवा संबंधी मामलों के बारे में सिफारिशें करती है/उनके मानकों का निर्धारण करती है। एस एफ ए सी द्वारा सिफारिश किए गए अग्निशमन सेवा संबंधी मानक सलाहात्मक प्रकृति के हैं और ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ब में उल्लिखित XIIवीं अनुसूची में इसे नगरपालिका कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, इस मानकों को अंगीकार करना और अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सज्जा हेतु पर्याप्त संसाधनों का आबंटन करना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है।

(ग) भारत सरकार ने देश में "अग्निशमन एंव आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक केन्द्र प्रायोजित योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना में उन्नत फायर टण्डर्स, मिस्ट प्रौद्योगिकी वाले हाईप्रेसर पम्प, क्विक रेस्पांस टीम वाहन, खोजी एवं बचाव कार्य हेतु कम्बी टूल्स, एंव विभिन्न स्टेक होल्डरों के क्षमता निर्माण जैसी अधुनातन प्रौद्योगिकी का समावेश करके फायर फाइटिंग और बचाव क्षमताओं में विद्यमान कमियों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान "अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना" के तहत राज्य सरकार को जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे सलंग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

इस चरण में, बहुआयामी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से योजनाओं के लिए निधियां जुटाने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। प्रसीवों की जांच के पश्चात तथा योजना आयोग द्वारा किए गए 200 करोड़ के आबंटन के आधार

पर, एक अनुपूरक पहल के रूप में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की एक योजना अनुमोदित की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार भी, प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मिकों की आवश्यकता को पूरा करने संबंधी संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए 205 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर का उन्नयन कर रही है।

उपर्युक्त के अलावा, 13वें वित्त आयोग ने भी स्थानीय निकायों को 87,519 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। इस अनुदान का एक भाग शहरी स्थानीय निकायों को (एक मिलियन से अधिक आबादी वाले) उनके संबंतिध क्षेत्राधिकार के लिए अग्नि जोखिम संबंधी कार्रवाई तथा उपशमन योजना स्थापित करने की शर्त को पूरा करने के अध्यधीन, उपलब्ध है।

13वें वित्त आयोग ने अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सात (7) राज्यों को 472 करोड़ रुपए, नामत: आंध्र प्रदेश (17 करोड़ रुपए), हरियाणा (100 करोड़ रुपए), मिजोरम (20 करोड़ रुपए), ओडिशा (150 करोड़ रुपए), त्रिपुरा (15 करोड़ रुपए), उत्तर प्रदेश (वाराणसी) (20 करोड़ रुपए) और पश्चिम बंगाल (150 करोड़ रुपए) का आबंटन करने की भी सिफारिश की है।

भारत सरकार ने उपर्युक्त 7 राज्यों को पहले ही 124.39 करोड़ रुपए के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है।

विवरण I

अग्निशमन संबंधी स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए मानक

(i) 50,000 की आबादी से 3 लाख की आबादी तक एक कायर टेण्डर प्रति एक लाख आबादी अथवा उसके किसी भाग के लिए अतिरिक्त फायर टेण्डर और कुल वाटर टेण्डरों का 20% आरक्षित औद्योगिक शहरों और अत्यधिकअग्नि जोखिम वाले क्षेत्रों में, सुरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर इनकी मात्रा था अन्य उपकरणों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ii) प्रत्येक वाहन पर छह कर्मियों का क्रू

(iii) शहरी क्षेत्रों में प्रति 10 वर्ग किमी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 50 वर्ग किमी. क्षेत्र में एक अग्निशमन स्टेशन।

(iv) शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन सेवा कार्रवाई का अधिकतम समय 5 मिनट और ग्रामीण खेत्रों में 20 मिनट।

(v) प्रति 3 से 10 लाख आबादी पर एक बचाव टेण्डर

(vi) विशेष वाहनों यथा टर्न टेबल लैडर, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, इमरजेंसी हल्के वाहन इत्यादि (इनकी संख्या का निर्णय, वास्तविक जोखिम विश्लेषण के आधार पर स्थानीय अगिनशमन प्रमुख की सलाह पर लिया जा सकता है।

विवरण II

वित्तीय वर्ष 2009-12 के बीच देश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को अनुदान सहायता का निर्गम एवं उपयोग

			2009-10		2010-11		2011-12	
		कुल केन्द्रीय आवंटन (2009-12)	जारी निधियां	निधियों का उपयोग	जारी निधियां	निधियों का उपयोग	जारी निधियां	निधियों का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	837	92.928	92.928	217.072	0	527	वर्ष 2011-12 के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र मार्च, 2013 में देय हो जाएंगे।
2.	अरुणाचल प्रदेश	372	5236	52.36	119.64	0	200	
3.	असम	437	16.5	16.5	64.5	64.5	356	
4.	बिहार	703	23.1	23.1	79.9	79.9	600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	छत्तीसगढ़	979	72.644	62.3	162.356	102.59	0	
6.	गोवा	38	66	6.6	19.4	15.42	12	
7.	गुजरात	1250	101.42	101.42	227.58	227.58	0	
8.	हरियाणा	361	16.5	16.5	48.5	0	296	
9.	हिमाचल प्रदेश	403	69.344	69.344	146.656	146.656	187	
10.	जम्मू और कश्मीर	266	13.2	13.2	42.8	42.8	210	
11.	झारखंड	342	13.2	13.2	42.8	42.8	0	
12.	कर्नाटक	513	16.5	16.5	64.5	0	432	
13.	केरल	266	13.2	13.2	42.8	0	210	
14.	मध्य प्रदेश	2355	101.42	101.42	249.58	0	0	
15.	महाराष्ट्र	665	33	0	107	0	0	वर्ष 2011-12 के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र मार्च, 2013 में देय हो जाएंगे।
16.	मणिपुर	471	77.836	77.836	159.164	153.97	151.6265	
17.	मेघालय	483	66.044	66.044	140.956	0	276	
18.	मिजोरम	327	66.044	66.044	142.956	142.956	118	
19.	नागालैंड	552	74.536	74.536	159.464	159.464	318	
20.	ओडिशा	970	91.036	91.036	219.964	219.964	0	
21.	पंजाब	323	13.2	13.2	44.8	0	265	
22.	राजस्थान	1708	101.42	100.69	237.58	86.49	1369	
23.	सिक्किम	151	32.076	32.076	68.924	0	50	
24.	तमिलनाडु	1045	102.828	102.828	238.172	185.21	704	
25.	त्रिपुरा	76	6.6	6.6	19.4	12.6	0	
26.	उत्तर प्रदेश	1330	33	33	141	0	1156	
27.	उत्तराखंड	247	13.2	11.4	36.8	31.63	197	
28.	पश्चिम बंगाल	342	19.8	19.8	55.73	0	266.47	
	कुल	17812	1339.536	1293.66	3299.994	1714.53	7901.097	

[अनुवाद]

2+2 ... 539-41

नई भर्ती नीति

2255. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीपीएफ) की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नई भर्ती नीति बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कॉन्सटेबल /जी. डी. की भर्ती की योजना में परिवर्तन/आशोधन किए जाने के बारे में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से अनुरोध मिले हैं, जिससे कि इन राज्यों और कुछ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों का इस भर्ती में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) इन सन्दर्भो-अनुरोधों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) कर्नाटक की सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जी.डी.) की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करने दिए जाने; नियत तिथि से कम से कम एक महीने पहले क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार किए जाने और दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु) के उम्मीदवारों को अपेक्षित ऊंचाई में 205 से.मी. की ढील दिए जाने का अनुरोध किया था।

(2) पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गोरखों की भर्ती के लिए, गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन के मद्देनजर, विशेष व्यवस्था/शिथिलता का प्रावधान करने का अनुरोध किया था।

(3) हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य की जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक भर्ती नीति समाप्त कम देने और ऐसी भर्तियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया था।

इन राज्यों की चिन्ताओं पर ध्यान देकर उनका समाधान करने की दृष्टि से संघ सरकार द्वारा नीचे दर्शाई जा रहे कदम उठाए गए हैं:-

(1) वर्ष 2012 से, कॉन्सटेबल जी डी की लिखित परीक्षा, हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा मलयालम (केरल) कन्नड़ (कर्नाटक), तेलुगू (आन्ध्र प्रदेश) और तमिल (तमिलनाडु) सहित कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी संचालित की जाएगी।

(2) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रोजगार समाचार और क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले स्थानीय अखबारों और प्रेस कान्फ्रेन्सों तथा श्रव्य-दृश्य माध्यमों में विज्ञापन के जरिए केन्द्रीय सशस्त्र बलों में कान्सटेबल/जी.डी. की भर्ती का व्यापक प्रचार किया जाता है। वर्ष 2012 में की जाने वाली भर्ती का व्यापक प्रचार करने के लिहाज से उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(क) रोजगार समाचार में सूचना जारी की गई।

(ख) श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से पूरे भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों सहित सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में सूचना जारी की गई।

(ग) श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए प्रसार भारती की सेवाएं ली गई जिसमें 18 रेनबो, 4 गोल्ड एफ एम चैनल और राष्ट्रीय समाचार शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच वाले राष्ट्रीय दूरदर्शन का उपयोग किया गया, जिसमें, दिल्ली दूरदर्शन समाचार की सेवाओं का उपयोग करके 30 दिन तक हरेक दिन चौबीसों घंटे हरेक समय राष्ट्रीय समाचार और अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल करके 8 राज्यों में क्षेत्रीय समाचारों में हरेक एकन्तर चक्र पर एक स्क्रोल मैसेज प्रसारित किया गया।

(ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो को भर्ती के प्रचार के बारे में प्रेस नोट दिया गया।

(च) कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने गुवाहाटी, ऐजावाल, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलुरु, त्रिवेन्द्रम में की गई प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से इस भर्ती का प्रचार किया।

(3) गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन के युवकों के लिए शारीरिक परीक्षण के मानक में नीचे दर्शाए जा रहे ब्यौरे के

अनुसार ढील दे दी गई है, जिससे कि केन्द्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में कान्सटेबल (जी.डी) के रूप में भर्ती के लिए और ज्यादा युवक पात्र हो सके:-

पैरामीटर	लिंग	ढील दिए जाने के बाद अनुसूचित जातियों से भिन्न उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानक (से.मी. में)	ढील दिए जाने के बाद अनुसूचित जातियों के लिए शारीरिक मानक (से.मी. में)
ऊंचाई (से.मी. में)	पुरुष	162.5	160
	महिला	152.5	147.5
सीना (से.मी. में)	पुरुष	77	76

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

2256. **श्री सुचारू रंजन हल्दर:**
श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री संजय सिंह:
श्री भोला सिंह:
श्री एस. अलागिरी:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जमाखोरी रोकने तथा उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में उक्त कानूनों के क्रियान्वयन के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है तथा कितने लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गए; और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और उन्हें बेईमानी व्यापारियों के शोषण से सुरक्षा देने के प्रयास में सरकार ने आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के साथ खुद को तैयार किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को सार्वजनिक हित में कुछेक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण के लिए लागू किया गया था। यह आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और विनिर्माण के विनियमन मूल्यों के नियंत्रण, परिवहन, वितरण, निपटान के विनियमन, उपयोग अथवा उपभोग और बिक्री को निषिद्ध करता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के अलावा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों जिन्हें औपचारिक रूप से कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, द्वारा प्रयोग किया जाता है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों ने समय-समय पर अवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और अन्य व्यापारिक पहलुओं के विनियमन सम्बंधी नियंत्रण आदेश जारी किए हैं।

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 जो कि जमाखोरी और चोर बाजारी इत्यादि जैसी अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं के निवारण के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों, जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रख-रखान के प्रति पूर्वाग्रही पाई जाती हैं, को गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदान करने सहित सरकारों को सशक्त बनाता है।

(ख) और (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के सम्बंध में सरकार द्वारा कोई विशेष मूल्यांकन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है।

उक्त दोनों अधिनियम विशेष रूप से मुद्रास्फीति और कमी के दौरान विशेषकर कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्उओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए एक प्रशासनिक उपाय के रूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने की भी अनुरोध किया गया है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान, आवश्यक वस्तु

अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए मारे गए छापों, जब्त किए गए माल के मूल्य और पकड़े गए उल्लंघनकार्ताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है।

(ङ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति को बनाए रखने और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नियमों और अन्य उपायों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसका उल्लेख संलग्न विवरण-IV में किया गया है।

विवरण I

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की गई कार्रवाई वर्ष 2009 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना-31.12.2009 तक

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7873	43	शून्य	1	233.31	दिसम्बर
2.	असम	2382	5	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर $
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	3	3	शून्य	शून्य	नवम्बर
4.	बिहार	17	8	शून्य	शून्य	1.69	दिसम्बर
5.	छत्तीसगढ़	751	36	90	66	858.27	दिसम्बर
6.	दिल्ली	93	98	76	शून्य	शून्य	दिसम्बर
7.	गुजरात	28025	30	89	शून्य	528.31	दिसम्बर
8.	गोवा	30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
9.	हरियाणा	107	8	1	शून्य	0.82	दिसम्बर
10.	हिमाचल प्रदेश	24642	3	2	शून्य	10.99	दिसम्बर*
11.	जम्मू और कश्मीर						दिसम्बर
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	1659	137	9	3	24.58	सूचित नहीं
14.	केरल	48829	21	2	शून्य	121.47	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						दिसम्बर***
16.	महाराष्ट्र	1688	2565	1562	शून्य	13842.38	सूचित नहीं
17.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
18.	मेघालय	8	शून्य	4	शून्य	शून्य	नवम्बर**
19.	मिजोरम	366	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	छपस	शून्य	शून्य	दिसम्बर
21.	ओडिशा	35494	7	149	9	14.56	दिसम्बर
22.	पंजाब	122	54	34	26	464.52	दिसम्बर
23.	राजस्थान	281	3	62	शून्य	36.89	दिसम्बर
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	मार्च
25.	तमिलनाडु	16404	4775	1471	7	623.25	दिसम्बर
26.	त्रिपुरा	66	2	2	शून्य	0.65	दिसम्बर
27.	उत्तराखंड						दिसम्बर
28.	उत्तर प्रदेश	39684	1023	1491	शून्य	1929.48	सूचित नहीं
29.	पश्चिम बंगाल	161	117	16	शून्य	90.4	दिसम्बर
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	208	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
31.	चण्डीगढ़	8	9	शून्य	शून्य	7.97	दिसम्बर
32.	दादरा और नगर हवेली	3	2	शून्य	शून्य	0.22	दिसम्बर
33.	दमन और दीव						दिसम्बर
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
35.	पुदुचेरी	512	63	68	15	15.53	नवम्बर
	कुल	209413	9012	5131	127	18805.29	

*-अगस्त और सितम्बर को छोड़कर **-अगस्त और अक्तूबर को छोड़कर

***-अक्तूबर को छोड़कर $-अगस्त को छोड़कर 7.4.2010 तक अद्यतन

विवरण II

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत की गई कार्रवाई
(स्टॉक नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन के अतिरिक्त-अवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में)
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना-(31.12.2010 तक)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10253	शून्य	शून्य	शून्य	144.96	दिसम्बर-क
2.	असम	69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	332	29	20	10	शून्य	अगस्त-ख
4.	बिहार	65	24	शून्य	शून्य	शून्य	अक्तूबर-ग
5.	छत्तीसगढ़	211	1	18	14	757.58	अगस्त-घ
6.	दिल्ली	66	15	28	4	शून्य	दिसम्बर
7.	गुजरात	82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर-ङ
8.	गोवा	30296	139	88	17	428.99	दिसम्बर
9.	हरियाणा	167	49	5	शून्य	361.62	अक्तूबर
10.	हिमाचल प्रदेश	22353	शून्य	शून्य	शून्य	11.62	नवम्बर
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	2016	138	शून्य	2	317.78	अक्तूबर
14.	केरल	26603	33	22	3	21.931	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	1820	2717	1543	शून्य	1139.46	नवम्बर
17.	मणिपुर	9	5	5	5	0.47	दिसम्बर
18.	मेघालय	64	7	6	3	0.91	नवम्बर
19.	मिजोरम	84	शून्य	शून्य	शून्य	0.11	नवम्बर-च
20.	नागालैंड	2	26	शून्य	शून्य	0.39	सितम्बर
21.	ओडिशा	60155	6	258	शून्य	5.29	नवम्बर-छ
22.	पंजाब	213	21	13	9	1.27	दिसम्बर
23.	राजस्थान						सूचित नहीं
24.	सिक्कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
25.	तमलिनाडु	18894	6995	1257	43	708.69	दिसम्बर
26.	त्रिपुरा	245	7	7	शून्य	7.07	अक्तूबर
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	29723	558	1211	शून्य	6262.85	सितम्बर
29.	पश्चिम बंगाल	222	100	20	शून्य	281.41	दिसम्बर
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसूमह	193	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चण्डीगढ़	10	9	शून्य	शून्य	9.16	अक्तूबर-ज
32.	दादरा और नगर हवेली	1	1	शून्य	शून्य	35	दिसम्बर
33.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई-झ
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर-ञ
35.	पुदुचेरी	635	26	38	51	4.18	अकूतबर
	कुल	204783	10906	4539	161	10500.741	

क-सितम्बर, 2010 को छोड़कर
ख-फरवरी, अप्रैल, मई, 2010 को छोड़कर
ग-मार्च, 2010 को छोड़कर
घ-जन., फर., जून और जुलाई, 2010 को छोड़कर
ङ-नवम्बर, 2010 को छोड़कर
च-जुलाई और अगस्त, 2010 को छोड़कर
छ-अक्तूबर, 2010 को छोड़कर
ज. जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 2010 को छोड़कर

32.2.2011 तक अद्यतन

विवरण III

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत की गई कार्रवाई
(स्टॉक नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन के अतिरिक्त-आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में)
(राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2011 के संबंध में प्राप्त सूचना-31.12.2012 तक)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंन्ध्र प्रदेश	14901	32	21	0	614.51	दिसम्बर
2.	असम						सूचित नहीं
3.	अरुणाचल प्रदेश	269	4	131	शून्य	71.25	जून/सूचित नहीं
4.	बिहार	38	16				मई
5.	छत्तीसगढ़						सूचित नहीं
6.	दिल्ली	38	14	5	1	0.13	दिसम्बर/अप्रैल
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
8.	गोवा	31463	137	81		315.93	दिसम्बर
9.	हरियाणा	120	162	41	26.73		दिसम्बर/सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हिमाचल प्रदेश	1723	1			0.60	जनवरी/सूचित नहीं
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखंड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	1506	186	0	0	40.76	दिसम्बर/सूचित नहीं
14.	केरल	32472	11	6	0	4.931	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	3953	3275	2587	शून्य	4461.84	दिसम्बर/अगस्त
17.	मणिपुर	10	10	4	4	3.64	दिसम्बर
18.	मेघालय	38	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
19.	मिजोरम	306	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सूचित नहीं/सितम्बर
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नवम्बर
21.	ओडिशा	61287	6	287		25.438	अक्तूबर/सूचित नहीं
22.	पंजाब	515	5	4	2	2.05	अक्तूबर/सूचित नहीं
23.	राजस्थान	34	4	0	0	4.42	दिसम्बर/सूचित नहीं
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च/सूचित नहीं
25.	तमिलनाडु						सूचित नहीं
26.	त्रिपुरा	203	3	शून्य	शून्य	6.56	अक्तू./सूचित नहीं
27.	उत्तराखंड						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	30208	488	1264		1124.94	दिसम्बर/सूचित नहीं
29.	पश्चिम बंगाल	188	102	23	-	421.58	दिसम्बर/सूचित नहीं
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	256	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई
31.	चण्डीगढ़	14	12	1		5.122	अक्तूबर
32.	दादरा और नगर हवेली	13	9			31.04	सितम्बर/दिसम्बर
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप						सूचित नहीं/नवम्बर
35.	पुदुचेरी	1230	21	31	23	3.3358	दिसम्बर
	कुल	180785	4498	4486	30	7164.8068	

2.03.2012 तक अद्यतन

विवरण IV

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम निम्नानुसार है: अल्पपकालिक उपाय:

1. राजकोषीय उपाय:

(i) चावल, गेहूं और प्याज, दालों खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए आयात शुल्क को घटकर शून्य किया गया है। रिफाइण्ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया।

(ii) एनडीडीबी को शुल्क दर कोटे के तहत शून्य शुल्क पर 5000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर और होल मिल्क पाउडर तथा 15000 मीट्रिक टन बटर ऑयल और एनहाइड्रस मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई है।

(iii) चीनी मिलों को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत (ओजीएल) तक शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में यह सुविधा, कार्य की मात्रा के आधार पर निजी व्यापारियों को प्रदान कर दी गई।

(iv) आरंभ में 1 मिलियन टन की सीमा निर्धारित करते हुए बाद में एसटीसी/एम एमटीसी/पी ई सी और नेफेड को आयात शुल्क मुक्त सफेद/रिफाइण्ड चीनी के आयात की अनुमति प्रदान की गई। केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों और निजी व्यापारियों को भी बिना किसी सीमा के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई।

2. प्रशासनिक उपाय

(i) सभी प्रकार की आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया।

(ii) खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना और जैविक दलहन को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रतिवर्ष होगी, के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(iii) अल्पावधि के लिए गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(iv) 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों 10,000 टन की सीमा तक खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी गई।

(v) मिल्क पाउडर (जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनरी और शिशु दुग्ध आहार सम्मिलित है), केसीन और केसीन उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई है।

(vi) खाद्य तेलों के टैरिफ दरों में कोई परिवर्तन नहीं।

(vii) चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों, धान और चावल के मामले में समय-समय पर स्टॉक सीमा अधिरोपित की गई।

(viii) जब कभी भी आवश्यक हुआ, प्याज के निर्यात पर अल्प अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया। प्याज के निर्यात का अंशांकन प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य तंत्र के माध्यम से किया गया।

(ix) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को वर्ष 2002 तक कायम रखा गया।

(x) वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन जारी रहा।

(xi) वर्ष 2011-12 के चीनी मौसम के लिए लेवी के रूप में अपेक्षित चीनी उत्पादन के अनुपात को 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(xii) ओ एम एस एस खुदरा बिक्री स्कीम के तहत 10 लाख टन गेहूं ओर 10 लाख टन चावल की मात्रा आबंटित की गई और अक्तूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 की अवधि के लिए 15 लाख टन गेहूं, छोटे व्यापारियों को बिक्री करने सहित थोक बिक्री के लिए आबंटित किया गया।

(xiii) ओ.एम.एस.एस. खुदरा और थोक स्कीमों के तहत अधिक उठान को प्रोत्साहित करने के लिए, ओ.एम.एस.एस. के तहत थोक बिक्री और खुदरा बिक्री, दोनों के लिए मूल्यों को कम करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2011-12 (अक्तूबर 2011 से सितम्बर 2012) से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ओ.एम.एस.एस. स्कीम के तहत खुदरा बिक्री के लिए दिए जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों को गत वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप निर्धारित किया गया और कोई भाड़ा शुल्क

नहीं लगाया गया। इसी प्रकार थोक उपभोक्ताओं को निविदा के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए मूल्यों को गेहूं उत्पादन राज्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अनुरूप निर्धारित किया गया जबकि अन्य राज्यों में भाड़ा शुल्क केवल 50% ही लगाया गया।

(xiv) अब तक 123.68 लाख टन चावल और गेहूं का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया जिसमें निम्नलिखित आबंटन शामिल थे।

(i) 50 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन 16 मई, 2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चालू वर्ष के दौरान मार्च, 2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(ii) दिनांक 30 जून, 2011 से 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आबंटन किया गया जिससे मासिक एपीएल आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह, प्रति परिवार को बढ़ाकर 35 कि.ग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार कर दिया गया।

(iii) 27 राज्यों में 174 सबसे गरीब पिछड़े जिलों को जुलाई, 2011 से फरवरी, 2012 के दौरान 23.68 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया (उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)।

(xv) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 कि.ग्रा. प्रतिमाह कर दी पर 10 रुपए की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण के लिए स्कीम को 31.3.2012 तक बढ़ा दिया गया।

(xvi) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति राशन कार्ड की दर पर प्रतिमाह 15 रु. प्रति किग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम को 30.9.2012 तक बढ़ा दिया गया।

[हिन्दी] 555-60

गन्ना उत्पादन

2257. श्री रेवती रमण सिंह:
श्री राकेश पाण्डेय:
श्री सी. राजेन्द्रन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में गन्ने की खेती के क्षेत्र सहित इसका राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) गन्ने के विश्व में औसत उत्पादन की तुलना में देश में गन्ने का औसत उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने की गणुवत्ता और उत्पादन बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गन्ने की खेती को बढ़ावा देने तथा चीनी की कीमतों के अनुरूप गन्ने की कीमत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष अर्थात 2008-09 से 2011-12 के दौरान गन्ने के राज्यवार उत्पादन एवं क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) 2010 (अद्यतन उपलब्ध), के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्टों के अनुसार भारत में गन्ने की प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन/उत्पादकता 707.72 क्विंटल प्रति हैक्टेयर विश्व औसत उत्पादकता की तुलना में 661.31 क्विंटल/हैक्टेयर रही है।

(ग) और (घ) देश में गन्ने के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, विभिन्न गन्ना उत्पादक राज्यों में कृषि बृहत प्रबंधन मोड के तहत फसल पद्धतीय क्षेत्र आधारित (सुबाक्स) गन्ने के सतत् विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फसल पद्धतीय क्षेत्र आधारित गन्ने के सतत् विकास का लक्ष्य है-क्षेत्रीय प्रर्दशनों के माध्यम से किसानों को उन्नत उतदन प्रौद्योगिकी का अन्तरण, किसानों को प्रशिक्षण, फार्मो उपकरणो की आपूर्ति प्रौध लगाने संबंधी सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना, जल का समक्षम उपयोग पौध लगाने संबंधी सामग्री का प्रचार आदि। बीज नर्सरियों के पालन-पोषण गन्ने की उन्नत किस्मों के रूप में परिणित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन, सिंचाई योजनाएं, रातून प्रबंधयन आदि के लिए चीनी कारखानों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है।

देश में गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बायोटिक एवं गैर-बायोटिक दबावों सहित उपयुक्त किस्मों

पोस्ट्र-हार्वेस्ट एवं प्रबंधन प्रौद्योगिकीयों को विकसित करने के लिए मूल एवं व्यवहारिक अनुसंधान करने में गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्टूर तथा भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ अपने क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों सहित पूर्ण रूप से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहकारी केन्द्रों के साथ गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना गन्ने के विभिन्न पहलुओं का सामना कर रही है।

(ङ) देश में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2010-11 गन्ना मौसम के लिए 139.12 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की तुलना में 145.00 रुपये प्रति क्विंटल पर 2011-12 गन्ना मौसम के लिए गन्ना कारखानों द्वारा देय गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को निर्धारित किया है जिसका समन्वय उच्च स्तर से ऊपर वसूली में प्रति 0.1 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि के लिए 1.53 रुपये प्रति क्विंटल की किस्त की शर्त पर 9.5 प्रतिशत की मूल वसूली दर के साथ है। उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्णय लेते समय, सरकार गन्ने से उत्पादित चीनी के मूल्यों के साथ-आदानों की लागत जैसे सभी संबंधित कारकों का ध्यान रखती है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण, क्रासिंग क्षमता का विस्तार, उपोत्पाद अर्थात ईथेनाल के उत्पादन के लिए ऊर्जा एवं शीरा के सहसर्जन के लिए बायगैस की उपयोगिकता, प्रौद्योगिकी के उन्यन तथा बेतहर सिंचाई सुविधाओं सहित गन्ने के विकास उन्नत बीज किस्म, रातुन प्रबंधन आदि के लिए चीनी विकास निधि (एसडीएफ) से चीनी कारखानों को 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रियायती ऋण भी प्रदान करती है।

विवरण

2008-09 से 2011-12 के दौरान गन्ने का राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)				उत्पादन ('000 टन)			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2008-09	2009-10	2010-11	2010-12*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	196.0	158.0	192.0	204.0	15380.0	11708.0	14964.0	15912.0
अरुणाचल प्रदेश	1.4	1.5	1.5	#	23.4	27.1	29.0	#
असम	28.6	27.1	29.7	25.0	1099.7	1059.0	1075.0	984.0
बिहार	111.9	115.9	248.0	256.1	4959.9	5032.6	12763.6	12924.1
छत्तीसगढ़	10.6	12.4	8.3	15.8	25.4	29.2	21.8	40.7
गुजरात	221.0	154.0	190.0	179.0	15510.0	12400.0	13760.0	12870.0
गोवा	1.0	0.9	0.9	#	49.3	52.3	49.1	#
हरियाणा	90.0	74.0	85.0	98.0	5130.0	5335.0	6042.0	6958.0
हिमाचल प्रदेश	2.3	2.2	1.7	2.1	53.1	45.6	38.3	28.3
झारखंड	5.7	6.5	6.6	6.6	348.8	447.0	457.3	457.3
कर्नाटक	281.0	337.0	423.0	430.0	23328.0	30443.0	39657.0	37991.0
केरल	2.2	3.0	2.8	1.7	275.5	285.0	271.8	156.1
मध्य प्रदेश	70.5	62.1	65.1	80.8	2975.0	2535.0	2667.0	3098.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	768.0	756.0	965.0	1022.0	60648.0	64159.0	81895.7	81991.0
मणिपुर	0.6	0.06	5.2	#	21.3	21.3	301.3	#
मेघालय	0.1	0.1	0.1	#	0.3	0.2	0.2	#
मिजोरम	1.3	1.4	1.4	#	13.7	12.4	7.9	#
नागालैंड	4.3	5.1	4.3	#	185.8	152.9	184.9	#
ओडिशा	10.8	8.0	13.1	12.6	646.2	489.9	902.7	727.1
पंजाब	81.0	60.0	70.0	81.0	4670.0	3700.0	4170.0	4860.0
राजस्थान	6.5	6.0	5.5	16.0	388.2	344.5	367.7	997.6
तमिलनाडु	308.9	293.2	316.0	348.1	32804.4	29745.6	34251.8	36548.0
त्रिपुरा	1.0	0.9	0.9	#	51.7	44.9	46.5	#
उत्तर प्रदेश	2084.0	1977.0	2125.0	2162.0	109048.0	117140.0	120545.0	122652.0
उत्तराखंड	107.0	96.0	106.7	108.0	5590.0	5842.0	6497.6	65.96.0
पश्चिम बंगाल	17.6	13.8	15.0	16.1	1638.3	100.8	1134.1	1175.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.2	0.1	0.2	#	3.0	2.0	2.3	#
पुदुचेरी	1.9	1.8	1.8	#	162.3	247.3	277.7	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	16.3	एनए	एनए	एनए	898..9
अखिल भारत	4415.4	4174.6	4884.8	5081.0	285029.3	292301.6	342381.6	347865.0

* 3.2.2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमन के अनुसार एनए: लागू नहीं #अन्यो में शामिलं

[अनुवाद] कला और संस्कृति 559-62

परंपरागत संस्कृतियां

2258. श्री जगदानंद सिंह:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के उदासीन रवैये के कारण अधिकांश भारतीय परंपरागत लोक संस्कृतियां विलुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय लोक कलाओं के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस नीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत के लोक कलाकार भुखमरी की कगार पर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने देश की लोक और परंपरागत कलाओं और कलाकारों को सहायता देने के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र निम्नलिखि स्कीम कार्यान्वित करते हैं:-

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

2. गुरु शिष्य परंपरा स्कीम
3. युवा प्रतिभाशाली कलाकार स्कीम
4. लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन
5. रंगशाला नवीकरण स्कीम
6. शिल्पग्राम कार्यकलाप
7. लोकतरंग-राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव और ऑटोटेव-पूर्वोत्तर का उत्सव

ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) स्कीम के अधीन पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता ने आजीविका उपार्जन के साधन के रूप में लोक कला रूपों के पुनरुत्थान और पुनर्गठन के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 जिलों के 13 कला रूपों का चयन किया गया था।

लोक कलाओं सहित भारत की विभिन्न कलाओं की सहायता के लिए संस्कृति मंत्रालय की निम्नलिखित स्कीमें भी हैं:

1. विनिर्दिष्ट मंचकला परियोजनाओं में कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की स्कीम
2. सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम
3. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की स्कीम
4. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति पुरस्कार की स्कीम

इसके अलावा, संगीत नाटक अकादमी परंपरागत, लोक और आदिवासी मंचकला का प्रशिक्षण और परिरक्षण, अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की अपनी स्कीमों के जरिए लोक कला रूपों को भी सहायता देती है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन अन्य स्वायत्त संगठन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ने अनेक समारोह जिसमें प्रदर्शनियों, दृश्य-श्रव्य प्रलेखन, सेमिनार, प्रस्तुतियां और प्रकाशन शामिल हैं, के जरिए इन कला रूपों के बारे में प्रलेखन और ज्ञान का प्रसार किया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी लोक और आदिवासी मंचकला परंपराओं को अपने राष्ट्रीय रंगशाला उत्सव और बाल संगम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कई वर्षों से वारली पेंटिंग, गोंड के भित्ति चित्र विभिन्न आदिवासी और अन्य समुदायों आदि के संगीत उपकरण अपने कार्य के भाग के रूप में कुछेक लोक कला और शिल्प रूपों का संग्रह और प्रलेखन किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव कला एक महत्वपूर्ण भाग है, के परिरक्षण के लिए प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करता है।

लोक और अन्य कलाकारों, जो अपनी वृद्धवस्था में दीनहीन हो जाते हैं, को सहायता देने के लिए संस्कृति मंत्रालय एक स्कीम संचालित कर रहा है जिसे "साहित्य, कला और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों और उनके आश्रितों को जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हों, के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम" के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के अधीन ऐसे कलाकारों (विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित), जिन्होंने कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो 58 वर्ष की आयु से कम के न हों और जिनकी आय 4000/- रु. प्रतिमाह से अधिक न हो, को 4000/- रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

512-63

डेयरी विकास

2259. श्री देवजी एम. पटेल:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री गोपाल सिंह शेखावत:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश में दुग्ध उत्पादनों में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौश्रान कितना व्यय होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) भारत सरकार ने 2011-12 से 2016-17 तक राष्ट्रीय योजना चरण-1 (एनडीपी 1) के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर

दिया है। एनडीपी 1 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित 14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों पर जोर दिया जाएगा। तथापि, योजना से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देश में एनडीपी 1 को शामिल किया जाएगा। एनडीपी 1 का उद्देश्य है दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना और वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध कार्यक्रम के जरिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना तथा ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के लिए संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक बेहतर पहुंच को सहयोग प्रदान करना।

(ग) योजना के अंतिम क्रियान्वयन एजेंसियों (ई आई ए) जिसमें राज्य पशुधन बोर्ड, सहकारिता डेयरी परिसंघ, जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघों, उत्पादक कंपनियों, ट्रस्टों (गैर सरकारी संगठनों, धारा 25 कंपनियों) जैसे उद्यमियों के सहकारिता फार्म, सांविधिक निकायों की सहायक कंपनियों, आईसीएआर संस्थानों और पशुचिकित्सा/डेयरी संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा एवं राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निर्णय लिए गए किसी अन्य अस्तित्व द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ई आई ए पात्रता मानक पर आधारित विभिन्न घटकों के वित्त पोषण के लिए पात्र होंगे जिसमें भौगोलिक, तकनीकी, वित्तीय और शासन पैरामीटर शामिल होंगे।

(घ) चूंकि योजना को हाल ही में अनुमोदित किया गया है, एनडीडीबी को ईआईए से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) एनडीपी 1 में 2011-12 से 2016-17 तक लगभग 2,242 करोड़ रुपए के कुल निवेश की व्यवस्था है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एनडीपी 1 के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए (12.76 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान) का बजट प्रावधान है।

[अनुवाद]

दालों और तिलहनों की आवश्यकता

2260. श्री एस.आर. जेयदुरई:
डॉ. भोला सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दालों और तिलहनों के उत्पादन और आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में दालों और तिलहनों के अनुमानित उत्पादन और आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उक्त वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात 2008-09 से 2011-12 के दौरान दलहनों एवं तिलहनों की मांग (जैसाकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा प्रक्षेपित की गई है) तथा अनुमानित उत्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं।

(मिलियन टन)

वर्ष	दलहन		तिलहन	
	प्रक्षेपित मांग	अनुमानित उत्पादन	प्रक्षेपित मांग	अनुमानित उत्पादन
2008-09	17.51	14.57	47.43	27.72
2009-10	18.29	14.66	49.35	24.88
2010-11	19.08	18.24	51.34	32.48
2011-12	19.91	17.28*	53.39	30.53*

*03.02.2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

(ग) देश में दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम दलहन) एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन गांवों के एकीकृत विकास की शुरुआत की गयी है। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामत: असम, एवं झारखंड को शामिल करके 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों के प्रति 1000 हैक्टेयर वाले 1000 एककों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी), नामक एक नया कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है।

[हिन्दी]

सीमाओं पर बाड़ लगाना

2261. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

श्री के. सुगुमारः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न राज्यों से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमा-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सीमाओं पर बाड़ लगाने और फ्लड-लाइटिंग की स्थिति क्या है तथा उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उक्त सीमाओं पर बाड़ लगाने और फ्लडलाइटिंग पर हुए व्यय का सीमा-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) देश के अलग-अलग राज्यों से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सीमा-वार और राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिए गए हैं:-

देश का नाम	सीमा की लम्बाई (कि.मी. में)	राज्य का नाम और सीमा लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3
बांग्लादेश	4,096.70	असम-263.00
		पश्चिम बंगाल-2216.70
		मेघालय-443.00
		त्रिपुरा-856.00
		मिजोरम-318.00
चीन	3,488.00	जम्मू और कश्मीर-1597.00
		अरुणाचल प्रदेश-1126.00
		उत्तराखंड-345.00
		सिक्किम-220.00
		हिमाचल प्रदेश-200.00
पाकिस्तान	3,323.00	जम्मू और कश्मीर-1225.00
		पंजाब-553.00
		राजस्थान-1037.00
		गुजरात-508.00
नेपाल	1,751.00	उत्तराखंड-263.00
		उत्तर प्रदेश-560.00
		बिहार-729.00
		पश्चिम बंगाल-100.00
		सिक्किम-99.00
म्यांमार	1,643.00	अरुणाचल प्रदेश-520.00
		नागालैंड-215.00
		मणिपुर-398.00
		मिजोरम-510.00
भूटान	699.00	सिक्किम-32.00
		पंश्चिम बंगाल-183.00
		असम-267.00
		अरूणाचल प्रदेश-217.00
अफगानिस्तान	106.00	जम्मू और कश्मीर-106.00
	कुल	15,106.70

(ख) भारत-बांग्लादेश, भारत-पाकिस्तान और भारत-म्यांमार सीमाओं पर लगाई जा रही बाड़ तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्थिति तथा उक्त कार्यों को पूरा कर लेने की सम्भावित समयावधि निम्नानुसार है:-

भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर सीमा बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था करना

सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर दो चरणों में बाड़ लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की थी। चरण-I तथा चरण-II के अन्तर्गत भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगायी जाने वाली बाड़ की स्वीकृत कुल लम्बाई 3436.59 कि.मी. है जिसमें से अब तक लगभग 2760.12 कि.मी. की बाड़ का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने चरण-I के तहत निर्मित समग्र बाड़ को बदलने के लिए एक परियोजना (चरण-III) को मंजूरी प्रदान की है। अब तक, चरण-III के तहत 790 (861 कि.मी. में से) कि.मी. बाड़ को बदल दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में प्रायोगिक परियोजना के रूप में 277 कि. मी. लम्बे क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया

गया है। सरकार ने, भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2840 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में अतिरिक्त तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। 1015 कि.मी. की लम्बाई वाले नए सीमा क्षेत्रों में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 612 कि.मी. क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 612 कि.मी. क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य विभिन्न चरणों अर्थात, खम्भे खड़े करना, केबल बिछाना, बिजली साजसज्जा लगाना तथा उसमें बिजली चालू करना जैसे चरणों में प्रगति पर है।

विद्यमान अनुमोदन के अनुसार, उपर्युक्त कार्य मार्च, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, इसके आगे बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि शेष कार्य मुख्यतया दुर्गम क्षेत्रों में पड़ता है और इसमें भूमि-अधिग्रहण, लोक बसावट, जंगल/वन्यजीवन स्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर बाड़ लगाने इत्यादि जैसे मुद्दे सन्निहित है।

भारत-पाकिस्तान सीमा (आई पी बी) पर सीमा बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना:

सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर 2043.63 कि.मी. लम्बाई में बाड़ लगाने तथा 2009-52 कि.मी. लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें से 1940.72 कि. मी. लम्बी बाड़ तथा 1878.92 कि.मी. लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है।

विद्यमान अनुमोदन के अनुसार (20.07.2009 को स्वीकृत), गुजरात क्षेत्र में होने वाला कार्य मार्च, 2012 अथवा तीन कार्य मौसमों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। तथापि, इसके आगे बढ़ जाने की समीावना है क्योंकिशेष कार्य को गुजरात क्षेत्र के "कच्छ का रन" के दुर्गम क्षेत्रों में किया जाना है।

भारत-म्यांमार क्षेत्र में सीमा बाड़ लगाना

भारत सरकार ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर मणिपुर में मोरेह के निकट लगभग 10 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में सीमा चौकी 79 से 81 के बीच के क्षेत्र में बाड़ लगाए जाने का कार्य शुरु करने का निर्णय लिया है। 01 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष जगहों में यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा, भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-म्यांमार सीमा में बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने में हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बाड़ लगाना	सीमा का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
	भारत-बांग्लादेश	393.78	455.17	167.83	280.00
	भारत-पाकिस्तान	91.90	93.49	136.30	73.21
	भारत-म्यांमार	शून्य	5.04	8.38	4.00
तेज रोशनी की व्यवस्था करना	भारत-पाकिस्तान	4.46	38.13	10.11	12.95

*निर्माणकर्ता एजेन्सियों को आबंटित निधियां

कम वृष्टि का प्रभाव

2262. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री अर्जुन राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 2012-13 के खरीफ मौसम के दौरान कम वृष्टि की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन संकेतों के आधार पर कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिये कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) देश में कम वृष्टि की स्थिति में कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान की जानकारी है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीईपी) तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (आईआरआई), यूरोपीय मध्यम रेन्ज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (ईसीएमडब्लूएफ) यू.के. तथा समूद्री-पृथ्वी विज्ञान एवं जापानी प्रौद्योगिकी (जेएएमईएसटीईसी)। 2012 के दौन भारत के लिए जेएएमईएसटीईसी के अलावा कोई भी मॉडल कम मानसून नहीं दर्शाता है।

भारतीय मौसम विभाग विभिन्न एजेन्सियों से 2012 दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के लिए पूर्वानुमान पर लगातार निगरानी कर रहा है। आमतौर पर प्रति वर्ष अप्रैल के दूसरे अर्द्ध में भारतीय मौसम विभाग का पहला दीर्घावधि मानसून पूर्वानुमान जारी किया जाता है।

(ख) से (घ) सरकार दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान भिन्न-भिन्न वर्षा परिद्रश्यों (अधिक/सामान्य/कम) को पूरा करने के लिए आपात योजनाएं तैयार करती है तथा वास्तविक वर्षा की स्थिति के अनुसार अपेक्षित उपाय करती है। 5 एवं 6 मार्च 2012 को हाल ही में आयोजित खरीफ सम्मेलन में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि यदि 2012 में मानसून वर्षा आवश्यकतानुसार नहीं होती है तो सभी को आपात परिस्थितियों का सामना करने क लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा।

धूम्रपान दृश्यों को दिखाना 569-71

2263. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री गोपाल सिंह शेखावत:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित फिल्मों/विज्ञापनों/नाटकों और अन्य कार्यक्रमों में धूम्रपान दृश्यों को दिखाए जाने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकार को ऐसे कृत्यों के विरुद्ध फिल्म/चैनल-वार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू-उत्पाद (विज्ञापन का निषेध एवं व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, पूर्ति व वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, जोकि 14 2003, जोकि 14 नवंबर, 2011 से प्रभावी हुआ, की धारा 31 के अंतर्गत एक अधिसूचना (सं. जीएसआर 786(ई), दिनांकित 27.10.2011) जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, उस सिनेमा हॉल या थिएटर का मालिक या प्रबंधक जहां पर तंबाकू उत्पादों या उनके प्रयोग को प्रदर्शित करने वाली कोई पुरानी भारतीय या विदेशी फिल्म दिखायी जा रही हो तथा तंबाकू उत्पादों या उनके प्रयोग को प्रदर्शित करने वाले किसी भारतीय या विदेशी टेलीविजन कार्यक्रम को प्रसारित करने वाला प्रसारक निम्नलिखित बातों को अनिवार्यत; प्रदर्शित करेगा:

(क) फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम के प्रारंभ या मध्य में न्यूनतम 30-30 सेकंड की अवधि के तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स या संदेश;

(ख) ऐसे प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के निचले भाग में प्रमुख स्क्रॉल के रूप में तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य-चेतावनी;

बशर्ते तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य-चेतावनी स्क्रॉल स्पष्ट व पठनीय होगा-

(i) (क) सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग फॉन्ट के साथ;

(ख) धूम्रपान के रूप में तम्बाकू के प्रयोग के लिए "धूम्रपान से कैंसर होता है" अथवा "धूम्रपान जानलेवा होता है" जैसी चेतावनियों के साथ;

(ग) तम्बाकू को चबाने और उसके अन्य धूम्रहीन प्रयोग के लिए, "तम्बाकू से कैंसर होता है" अथवा "तंबाकू जानलेवा होता है" जैसी चेतावनियों के साथ;

(ii) अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य चेतावनियां:

बशर्ते यह भी कि तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य-चेतावनी स्क्रॉल्स या स्वास्थ्य स्पॉट्स मे उसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जिस भाषा का फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम में किया गया हो तथा डब की गई या उप-शीर्षक वाली फिल्मों या टेलीविजन कार्यक्रमों के मामले में, स्क्रॉल्स या स्पॉट्स डबिंग या उप-शीर्ष की भाषा में प्रसारित किए जाएंगे:

बशर्ते यह भी कि ऐसे टेलीविजन कार्यक्रमों को ऐसे समय में टेलीविजन पर प्रसारित करने की अनुमति दी जाए जब अठारह

वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उक्त कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या न्यूनतम होने की संभावना हो।

फिल्मों में धूम्रपान के दृश्यों के चित्रण के संबंध में कार्रवाई करते समय केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) इस अधिसूधिसूचना के प्रावधानों के मद्देनजर प्रमाणन की प्रक्रिया को निष्पादित करता है। प्राइवेट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। टेलीविज चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों में धूम्रपान के दृश्यों के चित्रण के संबंध में, इस मंत्रालय ने कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ग) अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

571

पुलिस सुधारों पर कृतिक बल

2264. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पुलिस सुधारों के संबंध में कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं तथा अब तक कौन-सी सिफारिशें लागू की गई हैं तथा पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

572

जाति आधारित जनगणना और गरीबी का सर्वेक्षण

2265. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली जाति आधारित जनगणना को गरीबी के सर्वेक्षण के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति की जनगणना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण देश में चरणबद्ध रूप से "सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना" नामक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा।

इस सर्वेक्षण के लिए फील्ड कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय हैं। तकनीकी सहयोग गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय) द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

31 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फील्ड कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। शेष चार राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, मणिपुर, केरल और तमिलनाडु में फील्ड कार्य शुरू करने के लिए नोडल मंत्रालयों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से योजना तैयार की गई है।

572-73

मीठी नदी परियोजना

2266. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री सुरेश कलमाडी:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा मीठी नदी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत मीठी नदी विकास परियोजना के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2006 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मंत्रिमंडल सचिवालय में दिनांक 14.12.2009 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस परियोजना पर जेएनएनयूआरएम के आबंटन के बाहर वित्तपोषण हेतु विचार किया जाएगा। तदनुसार मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) से दिसम्बर, 2009 में संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई थी तथा इसे मूल्यांकन हेतु जनवरी, 2010 में जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) को भेजा गया था। मूल्यांकन एजेन्सी अद्यतन टिप्पणियां सितम्बर 2011 में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि तकनीकी मूल्यांकन पूरा करने के लिए सीधे मूल्यांकन एजेंन्सी से सम्पर्क करें।

पैकेट बंद वस्तुओं संबंधी नियम 573-75

2267. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टैंडर्ड्स आफ वेट्स एंड मेजर्स (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 1977 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नियमों में पुन: संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पुन: संशोधन नियम के कब तक लागू होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 को लागू करते हुए, मानक बाट एवं माप (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 1977 को 1 अप्रैल, 2011 से निरस्त कर दिया गया था।

तथापि, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में सा.का.नि. 784 (अ) दिनांक 24 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि. 832 (अ) दिनांक 23.11.2011 द्वारा और संशोधन किए गए हैं, जो 1 जुलाई, 2012 से कार्यान्वित किए जाएंगे। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(क) नियम (5) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (घ) में उप-नियम (1) के तृतीयक परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ग) नियम 12 में उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(6) इन नियमों के अधीन मात्र की घोषणा में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शब्द अथवा पद अंतर्विष्ट नहीं होगा जिसमें पैकेज में अंतर्विष्ट वस्तु की मात्रा के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर, भ्रामक या अपर्याप्त प्रभाव पड़े या पड़ने की सम्भावना हो।"

(घ) नियम, 19 में, उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(7) पैकेजों पर अनिवार्य घोषणाओं की अपेक्षा फैटक्ट्री स्तर पर और फैक्ट्री के डिपो के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।"

(ङ) नियम 19 में, उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(8) इस नियम के उपबंधों का अनुपालन न करने पर, इन पैकेजों के पांच प्रतिनिधिक नमूनों को अभिग्रहण कर साक्ष्य के रूप में कार्रवाई की जा सकेगी और शेष पैकेजों को,

यथास्थिति, निर्माता अथवा पैकर द्वारा अनुपालन पूरा करने के पश्चात ही छोड़ा जाएगा।"

(च) नियम 26 में खंड (क) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(छ) चतुर्थ अनुसूची में स्तंभ 3 के क्रम संख्यांक 15 के सामने की प्रविष्टि "आयतन" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ठि रखी जाएगी, अर्थात:-

"वजन"

(ङ) और (च) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के खिलाफ कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनको विधिवत निपटा दिया गया है।

575-80

दहेज के कारण मृत्यु

2268. **श्रीमती सुस्मिता बाउरी:**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री भूदेव चौधरी:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्री पी. करुणाकरण:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में दहेज के कारण मृत्यु के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए और दोषी सिद्ध हुए और कितने मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई;

(ग) क्या दहेज मांगने संबंधी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क का दुल्हनों और उनके परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, क्रमश: वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान दहेज हत्या के संबंध में दर्ज किए गए मामलों, आरोप पत्रित, मामलों दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों, दोषसिद्ध व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के दुरुपयोग के संबंध में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों से भी गृह मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार, महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा है जिसमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं प्रभावकारी दण्ड देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच-पड़ताल की गुणवत्ता सुधारने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में विलम्ब को न्यूनतम करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला पुलिस स्टेशन' और पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला/बाल सहायता डैस्क' भी स्थापित किए हैं।

गृह मंत्रालय ने "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के दुरुपयोग" के संबंध में 20 अक्टूबर, 2009 और 16 जनवरी, 2012 को दो व्यापक परामर्शी पत्र भेजे हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भा.द. संहिता की धारा 498 क का विवेकपूर्ण प्रयोग करने से संबंधित सलाह दी है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान हत्या के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीए), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	556	471	67	1585	1619	179	546	500	62	1220	1270	284	588	543	80	1322	1383	230
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	103	83	20	159	143	32	170	95	20	297	181	51	175	132	13	263	192	24
4.	बिहार	1210	783	177	2605	2561	381	1295	705	140	2908	2166	433	1257	831	146	2508	2658	351
5.	छत्तीसगढ़	106	92	25	254	250	89	128	136	31	353	354	78	115	108	31	277	261	81
6.	गोवा	2	3	0	2	10	0	3	2	0	3	2	0	1	0	1	5	0	1
7.	गुजरात	27	27	1	79	76	1	24	20	0	53	55	0	19	15	1	28	34	4
8.	हरियाणा	302	258	69	622	603	169	281	253	63	633	635	142	284	253	89	589	590	223
9.	हिमाचल प्रदेश	3	5	3	8	12	7	1	2	1	3	5	5	2	2	0	4	4	0
10.	जम्मू और कश्मीर	21	15	0	25	24	0	12	18	1	46	45	1	9	9	0	26	24	0
11.	झारखंड	266	219	55	570	538	96	295	281	80	562	541	167	276	235	74	567	585	186
12.	कर्नाटक	259	244	24	698	669	66	264	205	13	666	537	33	248	246	32	621	717	62
13.	केरल	31	25	2	35	25	3	20	21	2	32	33	3	22	26	1	34	47	2
14.	मध्य प्रदेश	805	790	295	2302	2292	765	858	938	257	2474	2473	621	892	877	230	2564	2574	656
15.	महाराष्ट्र	390	397	24	1464	1408	73	341	334	30	1233	1205	83	393	401	22	1438	1377	63
16.	मणिपुर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	2	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	401	333	37	733	693	93	384	346	47	857	850	81	388	485	50	988	1048	131
21.	पंजाब	128	88	39	286	224	108	126	97	61	323	248	154	121	104	56	288	292	138
22.	राजस्थान	439	348	121	643	643	234	436	331	93	553	550	188	462	347	100	616	610	183
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24.	तमिलनाडु	207	187	44	488	433	114	194	190	35	430	479	113	165	151	46	313	300	102
25.	त्रिपुरा	16	31	2	31	27	5	29	27	7	60	57	14	25	23	3	62	56	6
26.	उत्तर प्रदेश	2237	1777	870	8541	6439	3142	2232	1786	823	9203	6518	3245	2217	1757	992	9250	5958	3828
27.	उत्तराखंड	73	64	19	168	164	101	94	84	42	218	194	87	75	60	39	168	163	104
28.	पश्चिम बंगाल	451	339	40	1082	943	80	506	372	36	1002	825	92	507	486	24	1124	1101	55
	कुल राज्य	8036	6580	1934	22383	19799	5738	8239	6743	1844	23129	19223	5875	8242	7091	2030	23057	19974	6430
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	3	3	1	7	7	1	2	2	2	3	6	6	5	4	2	10	10	5
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	129	115	13	230	297	75	141	144	35	242	255	64	143	136	27	209	199	68
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	2	0	0	1	0	0	0	3	1	0	4	4	1	1	0	4	1	0
	कुल संघ शासित	136	120	14	241	307	76	144	150	38	245	266	74	149	141	29	223	210	73
	कुल अखिल भारत	8172	6700	1948	22624	20106	5814	8383	6893	1882	23374	19489	5949	8391	7232	2059	23280	20184	6503

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों कभ सूचना भी सम्मिलित है।

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती

2269. श्री रमाशंकर राजभर:
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नक्सलवाद से लड़ने हेतु नक्सल प्रभावित राज्यों में राज्य-वार कितने सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं;

(ख) क्या नक्सलवादियों की आंतरिक गतिविधियों की सूचना एकत्र करने हेतु सरकार द्वारा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को कोई विशेष आसूचना प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष आसूचना विद्यालय स्थापित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) इस समय, नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सल विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस बलों की मदद करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 74 बटालियनों, 1 नागालैंड इण्डिय रिजर्व बटालियन और कमांडो बटालियन फार रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) की टीमों को तैनात किया गया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की राज्य-वार तैनाती, राज्य में सुरक्षा के परिदृश्य, राज्य सरकारों के अनुरोध और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बटालियनों की उपलब्धता के अनुसार बदलती रहती है।

(ख) और (ग) आसूचना (खुफिया) से जुड़ा प्रशिक्षण, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सुरक्षा कार्मिकों को प्रदान किए जाने वाले नियमित प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण विद्यालय, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए आसूचना प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रम नियमित आधार पर चलाता है। उक्त प्रशिक्षण विद्यालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 8404 कार्मिकों को आसूचना से संबंधित मामलों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने भी अपनी टुकड़ियों को आसूचना से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में एक विद्यालय स्थापित किया है।

[अनुवाद] 581-82

यातायात नियमों का उल्लंघन

2270. श्री ताराचंद भगोरा:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री रघुवीर सिंह मीणा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अव्यवस्थित यातायात और यातायात के नियमों के उल्लंघन के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली से नियमित रूप से बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटना के मामले दर्ज हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़कों पर यातायात को समुचित रूप से नियमित करने और यातायात नियमों को लागू करने में विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) एनसीटी दिल्ली में बेहतर यातायात व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और क्या रणनीति बनायी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार यातायात का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों सहित यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करने और उनमें जागरुकता उत्पन्न करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में घातक सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। वर्ष 2009, 2010, 2011 तथा 2012 (15.03.2012 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	कुल दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
2009	7516	2325
2010	7260	2153
2011	7281	2065
2012 (15.03.2012 तक)	1369	359

(ग) दिल्ली पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निरन्तर प्रयास किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस स्थिति से व्यापक रूप से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है जो सड़क सुरक्षा शिक्षा, विनियमन, प्रवर्तन तथा इंजीनियरिंग समाधानों पर आधारित है। इस यातायात प्रबंधन योजना के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम करने तथा यातायात को सुचारू बनने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) सभी सड़क प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने जो पद्धति अपनायी है उसमें अन्तर-संपर्क व्याख्यान, शिक्षण की कक्षा प्रणाली, फिल्म शो, सचल प्रदर्शनी वैन का प्रदर्शन, क्विज/पेंटिंग/वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, पांच यातायात प्रशिक्षण पार्कों में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली यातायात पुलिस वाणिज्यिक वाहन चालकों, टी एस आर चालकों, पैदल यात्रियों, बस में चलने वाले यात्रियों, साइकिल सवारों, दुपहिया वाहन चालकों, प्राइवेट चार पहिया वाहनों के चालकों, सरकारी संगठन के चालकों इत्यादि जैसे विभिन्न श्रेणियों के सड़क प्रयोक्ताओं के लिए नियमित सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करती है। इसके साथ-साथ मोटर वाहन चालकों को महत्वपूर्ण यातायात नियमों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन देने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाते हैं।

[हिन्दी] 582-92

दुग्ध उत्पादन

2271. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री हर्ष वर्धन:

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री पी. कुमार:
श्री उदय सिंह:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश में दुग्ध उत्पादन और उपभोग में दर्ज वार्षिक वृद्धि दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दूध के मूल्यों में देखी गई प्रवृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में दूध की अपेक्षित मात्रा का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दूध के उत्पादन में वृद्धि हेतु सहकारिता आंदोलन के आंदोलन के अंतर्गत नई और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, नीतिगत सहायता शुरू करने तथा और अधिक गांवों को इसके अंतर्गत लाने के लिए भारत डेयरी संघ सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में एनएसएसओ के 61 वें और 66वें चक्र में राज्यवार प्रतिव्यक्ति दूध के मासिक उत्पादन और खपत के मामले में दर्ज वार्षिक वृद्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों में दूध का वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) (आधार वर्ष 2004-05=100) इस प्रकार है:-

वर्ष	दूध का डब्ल्यू पीआई
2008-09	123.24
2009-10	146.41
2010-11	175.88

(स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

(ग) योजना आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, 2021-22 तक दूध की घरेलू मांग 172920 मिलियन टन होने का अनुमान है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, "राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-I)" के परियोजना क्रियान्वयन योजना दस्तावेज में दर्शाया है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में यानि 2016-17 में देश में दूध की अनुमातिन मांग 150 मिलियन टन रहने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सहकारिता क्षेत्र समेत देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई और नवीनतम प्रौद्योगिकियों, नीति समर्थन को आरंभ करने तथा और अधिक गांवों को जोड़ने के लिए "राष्ट्रीय डेयरी योजना" नामक नई योजना के परियोजना क्रियान्वयन योजना दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार के "राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-I)" जिसे 2011-12 से 2016-17 तक क्रियान्वित किया जाना है, को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अनुमोदन प्रदान किया है।

* दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करना और उसके द्वारा दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करना।
* संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की व्यापक पहुंच बनाने में मदद करना।

एनडीपी-I में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

* वीर्य उत्पादन के लिए उन्नत आनुवंशिक गुणों वाले गोपशु और भैंस सांड़ों का उत्पादन तथा जर्सी/एचएफ सांड़ों का आयात।
* मौजूदा वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण और नए केन्द्र खोलना ताकि उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त खुराकों का उत्पादन किया जा सके।
* पशु टैगिंग और कार्यनिष्पादन रिकार्ड सहित पेशेवर सेवा प्रदाताओं के माध्यम से व्यवहार्य धरद्वार एआई डिलीवरी सेवाओं के लिए (मानक प्रचालन कार्यवाही) पर आधारित) पायलट मॉडल की स्थापना।
* दुधारू पशुओं के आनुवांशिक उन्नयन और मिथेन उत्सर्जन को कम करने के साथ समानुपात में दुग्ध उत्पादन के लिए उनकी पौषगिकता को बेहतर बनाना।

दुग्ध उत्पादकों को संगठित क्षेत्र को अधिशेष दूध की बिक्री के लिए व्यापक अवसर प्रदान करने के लिए ग्राम दूध खरीद

प्रणाली जो स्पष्ट और पारदर्शी लेन-देन को सुकर बनाता है, को 23,800 अतिरिक्त गांवों के कवरेज के माध्यम से डेयरी सहकारिताओं द्वारा विस्तार किया जाएगा और उत्पादक कंपनियों को उनके क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाएगा जहां सहकारिता मौजूद नहीं है या उनका कवरेज और खरीद कम है। इस पहल से 12 लाख ऐसे दुग्ध उत्पादकों को जुड़ जाने की संभावना है जो ग्राम आधारित दुग्ध उत्पादन संस्थानों को दूध देते हैं।

इसके अलावा, भारतीय डेयरी संघ ने इस विभाग को सौंपे अपने बजट पूर्व ज्ञापन में कहा है कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की ओर से नीतिगत समर्थन की अति आवश्यकता है:-

(i) दुग्ध उत्पादन व दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना

(ii) स्वच्छ और गुणवत्ता दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग।

विवरण I

विगत तीन वर्षों यानि 2008-09 से 2010-11 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादकता में दर्ज वर्षवार वार्षिक वृद्धि

राज्य	हजार टन प्रति वर्ष			वार्षिक विकास दर (%)
	2008-09	2009-10	2010-11	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	9,570	10,429	11,203	8.2
अरुणाचल प्रदेश	24	26	19	-12.3
असम	753	756	790	2.4
बिहार	5,934	6,124	6,517	4.8
छत्तीसगढ़	908	956	1,029	6.5
गोवा	59	59	60	0.7
गुजरात	8,386	8,844	9,321	5.4
हरियाणा	5,745	6,006	6,267	4.4
हिमाचल प्रदेश	1,026	971	1,102	3.6
जम्मू और कश्मीर	1,565	1,592	1,609	1.4
झारखंड	1,466	1,463	1,555	3.0
कर्नाटक	4,538	4,822	5,114	602
केरल	2,441	2,509	2,645	4.1
मध्य प्रदेश	6,855	7,167	7,514	4.7
महाराष्ट्र	7,455	7,679	8,044	3.9
मणिपुर	78	78	78	-0.3
मेघालय	77	78	79	1.1
मिजोरम	17	11	11	-17.7

1	2	3	4	5
नागालैंड	53	78	76	19.3
ओडिशा	1,598	1.651	1,671	2.3
पंजाब	9,387	9,389	9,423	0.2
राजस्थान	11,931	12,330	13,234	5.3
सिक्किम	42	44	43	1.4
तमिलनाडु	6,651	6,787	6,831	1.3
त्रिपुरा	96	100	104	4.5
उत्तर प्रदेश	19,537	20,203	21,031	3.8
उत्तराखंड	1,230	1,377	1,383	6.0
पश्चिम बंगाल	4,176	4,300	4,471	3.5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26	24	25	-0.8
चंडीगढ़	47	46	45	-1.7
दादरा और नगर हवेली	10	10	11	1.5
दमन और दीव	1	1	1	1.3
दिल्ली	450	466	480	3.2
लक्षद्वीप	2	2	2	-7.6
पुदुचेरी	46	46	47	1.3
अखिल भारत	1,12,183	1,16,425	1,21,838	4.2

विवरण II

एनएसएसओ के 61वें और 66 वें चक्र में राज्य-वार घरों में दूध की प्रति व्यक्ति खपत

घरों में दूध का मासिक प्रति व्यक्ति खपत-लीटर/महीना

राज्य	शहरी		ग्रामीण	
	66वां चक्र	61वां चक्र	66वां चक्र	61वां चक्र
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4.58	4.38	3.37	3.05
अरुणाचल प्रदेश	1.35	1.47	0.78	0.63
असम	1.73	2.00	1.55	1.31

1	2	3	4	5
बिहार	4.00	3.81	2.67	2.98
छत्तीसगढ़	2.89	2.99	0.77	0.67
दिल्ली	8.86	8.20	7.00	6.54
गोवा	4.44	3.92	2.79	3.18
गुजरात	6.75	6.70	6.18	4.98
हरियाणा	9.55	9.59	13.40	13.13
हिमाचल प्रदेश	9.37	8.17	9.51	8.72
जम्मू और कश्मीर	8.48	8.31	8.14	8.02
झारखंड	3.64	3.94	1.71	1.44
कर्नाटक	4.99	4.87	3.79	3.30
केरल	3.64	3.66	3.06	2.82
मध्य प्रदेश	4.81	4.33	4.00	3.41
महाराष्ट्र	4.98	4.39	3.05	2.73
मणिपुर	0.40	0.33	0.22	0.17
मेघालय	0.99	1.1	0.77	0.77
ओडिशा	1.71	1.82	0.35	0.40
पंजाब	0.46	0.87	0.20	0.29
राजस्थान	2.41	2.25	1.07	0.78
सिक्किम	10.24	10.57	11.56	11.55
तमिलनाडु	8.13	7.38	9.86	9.50
त्रिपुरा	3.12	4.92	5.87	5.57
उत्तर प्रदेश	5.02	4.82	3.20	2.48
उत्तराखंड	1.90	2.11	1.22	1.07
पश्चिम बंगाल	5.39	5.10	4.59	4.64
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.29	6.40	6.65	6.60
चंडीगढ़	2.56	2.59	1.39	1.45
दादरा और नगर हवेली	2.15	1.58	1.23	1.45
दमन और दीव	10.02	10.46	7.27	8.18

1	2	3	4	5
ओडिशा	4.12	5.69	2.33	0.87
पंजाब	4.28	4.83	3.09	3.55
राजस्थान	0.40	0.27	0.35	0.22
पुदुचेरी	6.28	4.88	4.04	2.92
अखिल भारत	5.36	5.11	4.12	3.87

स्रोतः एनएसएसओ 66वां चक्र (जुलाई 2009-जून 2010)
एनएसएसओ 61वां चक्र (जुलाई 2004-जून 2005)

विदेशी टी वी चैनल

2272. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) हेतु अनुमति प्राप्त करने वाले विदेशी टी वी चैनलों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त टी वी चैनलों द्वारा आवेदन देने के समय शेयर धारिता पैटर्न का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चैनलों ने अपने आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अपने अंशधारिता पैटर्न में परिवर्तन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश में विदेशी टी वी चैनलों के प्रवेश/कार्यकरण को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भंडारण क्षमता का सृजन

2273. **श्रीमती इंग्रिड मैकलोड:**
श्री एंटो एंटोनी:
श्री अनंत कुमार:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री तथागत सत्पथी:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री ई.जी. सुगावनम:
डॉ. काकोली घोष दस्तिदार:
प्रो. रामशंकर:
श्री मिथिलेश कुमार:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान खाद्यान्नों का राज्य-वार कुल भंडार और अनुमानित खरीद क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भंडारण क्षेत्र के सृजन हेतु निर्धारित और प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का राज्य-वार, एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष में नए गोदामों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य-वार और एजेंसी-वार क्या कदम उठाए गए/क्या कार्य-योजना बनाई गई; और

(ङ) गोदामों की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए और उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) 1.3.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

जिंस	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	जोड़
चावल	189.52	142.26	331.78
गेहूं	83.13	129.42	212.55
जोड़	272.65	271.68	544.53

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान चावल की खरीदारी का अनुमान 353.15 लाख टन है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। आगामी रबी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान 318 लाख टन गेहूं की खरीददारी होने का अनुमान है, राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम अपनी आवश्यकतानुसार खाद्यान्नों के लिए भंडारण स्थान का सृजन करता है, जो खरीददारी पर निर्भर करते हुए समय-समय पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। 1.4.2008 से 29.2.2012 में लगभग नेट 92 लाख टन क्षमता किराये पर ली गई है। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। इसके अलावा गोदामों का निर्माण करने और ढकी हुई भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 2008 में निजी उद्यमियों गारंटी स्कीम शुरू की थी। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

29.2.2012 की स्थिति के अनुसार निजी उद्यमियों द्वारा लगभग 89 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगम क्रमशः 5.4 और 14.75 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 5 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं। स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार रेलवे साइडिंग से इतर गोदामों को पूरा करने की समयावधि एक वर्ष है और रेलवे साइडिंग के गोदामों के लिए दो वर्ष है। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 5.4 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण करने की योजना को भी अंतिम रूप दे दिया है। ब्यौरे सलग्न विवरण-VI में दिए गए हैं। सरकार ने साईलोज का निर्माण करके 2 मिलियन टन भंडारण क्षमता का सृजन करने का भी निर्णय लिया है।

2008-09 से 2011-12 तक भूमि की उपलब्धता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्यवार भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित भंडारण क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण-VII में दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए इस विभाग द्वारा रिलीज की गई निधियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण-VIII में दिए गए हैं।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए आवधिक रख-रखाव किया जाता है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए राज्यवार खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण-IX में दिए गए हैं।

विवरण I

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान चावल की अनुमानित खरीद

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित खरीद
1.	आंध्र प्रदेश	107
2.	बिहार	9.5
3.	छत्तीसगढ़	40
4.	गुजरात	0.15
5.	हरियाणा	17.4
6.	कर्नाटक	5.2
7.	केरल	2.92
8.	मध्य प्रदेश	65
9.	महाराष्ट्र	1.65
10.	ओडिशा	30
11.	पुदुचेरी	0.33
12.	पंजाब	82
13.	तमिलनाडु	20
14.	उत्तर प्रदेश	18
15.	उत्तराखंड	0.5
16.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	353.15

राजस्थान और झारखंड ने खरीद शून्य दर्शायी है।

विवरण II

रबी विपणन मौसम 2012-13 के गेहूं चावल की अनुमानित खरीद

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमान
1	2	3
1.	बिहार	15.00
2.	गुजरात	1.50
3.	हरियाणा	70.00
4.	मध्य प्रदेश	65.00
5.	पंजाब	108.00
6.	राजस्थान	14.00
7.	उत्तर प्रदेश	42.00
8.	उत्तराखंड	1.00
9.	पश्चिम बंगाल	0.20
10.	जोड़	316.70
11.	अन्य	1.30
सकल जोड़		318.00

विवरण III

अप्रैल, 2008 से फरवरी, 2012 तक राज्यवार कुल किराए पर ली गई/किराए से हटाई गई क्षमता (ढकी/कैप)

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	08-09 के दौरान निवल किराए पर ली गई/किराए से हटाई गई	09-10 के दौरान निवल किराए पर ली गई/किराए से हटाई गई	10-11 के दौरान निवल किराए पर ली गई/किराए से हटाई गई	11-12 के दौरान निवल किराए पर ली गई/किराए से हटाई गई
1	2	3	4	5	6	7
पूर्व	1.	बिहार	0.31	0.13	0.23	0.11
	2.	झारखंड	0.02	0.01	0.12	0.05
	3.	ओडिशा	0.55	0.49	0.36	0.20
	4.	पश्चिम बंगाल	0.32	0.27	0.04	0.01
	5.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (पूर्व जोन)	1.16	0.10	0.03	0.03
पूर्वोत्तर	6.	असम	0.04	0.00	0.05	0.04
	7.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.02	0.01	0.01
	8.	मेघालय	0.04	0.00	0.00	0.00
	9.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.	त्रिपुरा	0.04	0.00	0.03	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.01	0.01
	12.	नागालैण्ड	0.09	0.02	0.01	0.00
		कुल (पूर्वोत्तर जोन)	0.13	0.04	0.03	0.06
उत्तर	13.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
	14.	हरियाणा	1.52	1.13	1.69	0.87
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.01
	16.	जम्मू और कश्मीर	0.01	0.02	0.10	0.00
	17.	पंजाब	0.27	11.83	5.66	0.51
	18.	चण्डीगढ़	0.09	1.14	0.49	0.19
	19.	राजस्थान	1.26	5.81	1.21	4.55
	20.	उत्तर प्रदेश	1.09	0.31	10.58	9.98
	21.	उत्तराखंड	0.82	0.20	0.06	0.31
		जोड़ (उत्तर जोन)	4.32	19.83	19.57	15.69
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	0.33	4.19	6.37	4.08
	23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
	24.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
	25.	कर्नाटक	1.81	1.06	0.01	0.11
	26.	तमिलनाडु	1.80	0.77	0ण.08	0.21
	27.	पुदुचेरी	0.02	0.08	0.04	0.10
		(दक्षिण जोन)	3.26	6.10	6.50	4.28
पश्चिम	28.	गुजरात	0.67	0.53	0.23	0.15
	29.	महाराष्ट्र	2.47	2.19	1.02	0.06
	30.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.	मध्य प्रदेश	2.36	1.61	1.50	1.39
	32.	छत्तीसगढ़	0.38	2.00	0.56	0.74
		जोड़ (पश्चिम अंचल)	5.12	6.33	0.31	0.44
		सकल जोड़	13.99	32.20	26.44	19.44

अवधि के दौरान किराए पर ली गई निवल क्षमता : 92.07 लाख टन

विवरण IV

15.02.2012 की स्थिति के अनुसार पीईजी स्कीम के अधीन आवंटित राज्यवार क्षमता

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	एजेंसी	कुल अनुमोदित क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	451,000
2.	बिहार	300,000
3.	छत्तीसगढ़ (डीसीपी)	222,000
4.	गुजरात	80,000
5.	हरियाणा	3,880,000
6.	हिमाचल प्रदेश	142,550
7.	जम्मू और कश्मीर	361,690
8.	झारखंड	175,000
9.	कर्नाटक	416,500
10.	मध्य प्रदेश (डीसीपी)	360,000
11.	केरल	15,000
12.	महाराष्ट्र	655,500
13.	ओडिशा (डीसीपी)	300,000
14.	पंजाब	5,125,000
15.	राजस्थान	250,000
16.	तमिलनाडु	345,000
17.	उत्तराखंड	25,000
18.	उत्तर प्रदेश	1,860,000
19.	पश्चिम बंगाल (डीसीपी)	156,600
	जोड़	15,120,840

विवरण V

पूरी की गई राज्यवार/एजेंसीवार भंडारण क्षमता

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	एजेंसी	पूरा किया गया कार्य		
		केन्द्रीय भंडारण निगम	राज्य भंडारण निगम	निजी निवेशक
1.	आंध्र प्रदेश	9000	35800	40000
2.	बिहार	–	10000	–
3.	छत्तीसगढ़ (डीसीपी)	5000	–	–
4.	हरियाणा	5000	83500	–
5.	कर्नाटक	10000	–	–
6.	मध्य प्रदेश (डीसीपी)	6400	–	–
7.	महाराष्ट्र	16100	72500	–
8.	ओडिशा (डीसीपी)	32000	25000	–
9.	पंजाब	55800	93600	–
10.	तमिलनाडु	35000	–	–
	जोड़	174300	320400	40000

विवरण VI

पूर्वोत्तर राज्यों में सृजन की जाने वाली कुल अतिरिक्त भंडारण क्षमता

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षमता (टन में)
1.	असम	3,45,000
2.	मणिपुर	45,000
3.	नागालैंड	15,000
4.	मेघालय	35,000
5.	सिक्किम	15,000
6.	अरुणाचल प्रदेश	20,280
7.	त्रिपुरा	45,000
8.	मिजोरम	20,000
	सकल जोड़	5,40,280

विवरण VII

2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण की गई भांडारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	अंचल/राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कर्नाटक				
2.	लक्षद्वीप				2500
	पूर्व				
1.	ओडिशा		9170		
2.	झारखंड				825
	पूर्वोत्तर				
1.	मिजोरम				
2.	त्रिपुरा	2500			
3.	असम			5000	
	जोड़	2500	9170	5000	3325

विवरण VIII

भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों का निर्माण करने हेतु विभाग द्वारा रिलीज की गई निधि और भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को रिलीज की गई निधि	भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया व्यय
2008-09	16.45	16.06
2009-10	24.43	24.49
2010-11	35.00	20.24
2011-12	61.94	18.79

विवरण IX

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गोदामों के रख-रखाव के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया व्यय

(लाख रुपए में)

अंचल/राज्य (क्षेत्र) का नाम	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
उत्तर अंचल				
पंजाब	345.00	250.00	350.00	580.00
हरियाणा/हिमाचल प्रदेश	140.00	150.00	205.00	213.00
उत्तर प्रदेश	290.00	210.00	275.00	380.00
उत्तराखंड	5.00	40.00	30.00	35.00
जम्मू और कश्मीर	75.00	80.00	100.00	166.00
दिल्ली	95.00	80.00	100.00	1102.00
राजस्थान	120.00	100.00	140.00	140.00
अस्थाई प्लिंथ की मरम्मत के लिए बजट	-	30.00		
दक्षिण अंचल				
आंध्र प्रदेश	410.00	506.50	611.00	750.00
तमिलनाडु	190.00	151.00	200.00	290.00
कर्नाटक	130.00	130.00	120.00	120.00
केरल	190.00	202.50	184.00	175.00
अस्थाई प्लिंथ की मरम्मत के लिए बजट	-	75.00		
पश्चिम अंचल				
महाराष्ट्र/नागपुर	340.00	415.00	500.00	545.00
गुजरात	140.00	100.00	150.00	165.00
मध्य प्रदेश	100.00	100.00	150.00	105.00
छत्तीसगढ़	150.00	190.00	200.00	260.00

1	2	3	4	5
पूर्व अंचल				
पश्चिम बंगाल/सिक्किम	260.00	200.00	330.00	1042.00
बिहार	95.00	80.00	100.00	80.00
झारखंड	20.00	20.00	30.00	35.00
ओडिशा	125.00	100.00	140.00	130.00
पूर्वोत्तर				
असम	175.00	182.96	157.00	95.00
शिलांग	105.00	75.00	55.00	25.00
एन एंड एम/दीमापुर	50.00	25.00	38.00	112.00
अरुणाचल प्रदेश				5.00
जोड़	3550.00	3492.96	4165.00	6550.00

चीनी का अतिरिक्त कोटा

2274. श्री रवनीत सिंह:
श्री के. नारायण राव:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को चीनी का प्रति व्यक्ति और कुल आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राज्यों को चीनी का कोटा बढ़ाने अथवा किफायती दर पर अतिरिक्त कोटा आबंटित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और पंजाब सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राज्य-वार वितरण मानदंड (प्रति माह प्रति व्यक्ति ग्राम) और राज्यों को लेवी चीनी का कुल आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा चीनी का कोटा बढ़ाने अथवा किफायती दर पर चीनी का अतिरिक्त कोटा आबंटित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

राज्य-वार प्रति माह प्रति व्यक्ति चीनी वितरण मानदण्ड और लेवी चीनी का कुल आबंटन

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चीनी वितरण मानदण्ड (प्रति माह प्रति व्यक्ति ग्राम)	वार्षिक आवंटन	वार्षिक त्यौहार कोटा	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	500	116280	7614	123894
2.	अरुणाचल प्रदेश	700	10008	94	10102
3.	असम	700	220044	2896	222940
4.	बिहार	500	246192	7527	253719
5.	छत्तीसगढ़	500	54144	2013	56157
6.	दिल्ली	1271	31320	2316	33636
7.	गोवा	500	1440	150	1590
8.	गुजरात	500	70092	4878	74970
9.	हरियाणा	500	29820	1924	31744
10.	हिमाचल प्रदेश	700	56376	608	56984
11.	जम्मू और कश्मीर	700	83544	868	84412
12.	झारखंड	500	83376	2551	85927
13.	कर्नाटक	500	103632	5350	108982
14.	केरल	500	49236	3600	52836
15.	मध्य प्रदेश	500	149292	5523	154815
16.	महाराष्ट्र	500	201504	9014	210518
17.	मणिपुर	700	21156	208	21364
18.	मेघालय	700	20448	200	20648
19.	मिजोरम	700	7992	78	8070
20.	नागालैंड	700	14148	128	14276

1	2	3	4	5	6
21.	ओडिशा	500	104484	3730	108214
22.	पंजाब	500	16620	2392	19012
23.	राजस्थान	500	88104	5092	93196
24.	सिक्किम	700	4692	50	4742
25.	तमिलनाडु	500	129840	6790	136630
26.	त्रिपुरा	700	31764	302	32066
27.	उत्तर प्रदेश	500	396156	15154	411310
28.	उत्तराखंड	700	72396	782	73178
29.	पश्चिम बंगाल	500	169044	7796	176840
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1008	4668	74	4742
31.	चंडीगढ़	611	744	112	856
32.	दादरा और नगर हवेली	500	576	14	590
33.	दमन और दीव	500	132	12	144
34.	लक्षद्वीप	1625	1380	22	1402
35.	पुदुचेरी	583	2916	88	3004
	कुल		2593560	99950	2693510

[हिन्दी]

605 – 14

राज्य सलाहकार समिति

2275. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के युवक कार्यक्रमों संबंधी राज्य सलाहकार समिति में नामित गैर-सरकारी सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के सागर और विदिशा जिलों में एनवाईकेएस के युवक कार्यक्रमों संबंधी जिला सलाहकार समितियों में नामित गैर-सरकारी सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सागर और विदिशा जिलों सहित मध्य प्रदेश में उक्त एनवाईकेएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एनवाईकेएस के कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) इस समय मध्यप्रदेश में ने.यु.के. संगठन (एनवाईकेएस) के युवा कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति में कोई भी गैर-सरकारी सदस्य नामित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में ने.यु. केन्द्र संगठन की राज्य सलाहकार समिति के नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी छानबीन की जा रही है।

(ख) मध्य प्रदेश के सागर और विदिशा जिलों में ने.यु.के. संगठन की जिला युवा कार्यक्रम संबंधी सलाहकार समिति में नामांकित गैर-सरकारी सदस्यों का नाम और पदनाम निम्नानुसार हैब:

1. श्री बधु पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता
2. श्री बीनू राणा, अध्यक्ष, कुश्ती संघ
3. श्री बाबू लाल भोला, अध्यक्ष, श्री कृष्ण लोक कला मंडल
4. श्री बृजेश मिश्रा, अध्यक्ष, ब्लैक टाइगर, जन युवा मंडल
5. श्रीमती पार्वती बाई, अध्यक्षा, सरस्वती महिला मंडल

जिला विदिशा

1. श्री किशन सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, ग्राम विकास मंडल शानावाल
2. सुश्री सबिया अंजुम, अध्यक्ष, युवा विकास केन्द्र, विदिशा
3. श्री वेद प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, युवा विकास केन्द्र विदिशा
4. श्रीमती प्रतिभा आचार्य, (राज्य पुरस्कार विजेता) शिवशक्ति महिला मंडल, विदिशा
5. श्री कमल रघुवंशी, अध्यक्ष, रघुकूल समाज, कल्याण समिति, कुरवाई

(ग) विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सागर और विदिशा केन्द्रो सहित जिला नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और कार्यकलापों का विवरण संलग्न हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। इस आशय के अनुदेश जारी किए गये हैं कि नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों में चुने गए सभी प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद के सदस्यों) को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाए। माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम और खूल ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों में उपस्थित होने तथा देखरेख करने और उनको मार्गदर्शन करने के लिए संसद के सभी माननीय सदस्यों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा है।

विवरण

मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्ति	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्ति	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्ति	लक्ष्य निर्धारित	लक्ष्य प्राप्ति
			2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (20 मार्च, 2012 तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मार्गदर्शक युवा क्लब परियोजना	युवा क्लबों की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	520	253
2.	परामर्श युवा क्लब सदस्यों का क्षमता निर्माण	युवाओं की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1040	402
3.	यु.क. आदान-प्रदान कार्यक्रम	कार्यक्रमों की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24	18	20	20
4.	यु.क. खरीद के लिए खेल सामग्री का प्रावधान सीमावर्ती	युवा क्लबों की सं.	222	213	40	40	3700	3426	3700	1843
5.	200 बॉर्डर/जनजातीय /पिछड़े जिलों में महिलाओं के लिए कौ.उ.प्र. कार्यक्रम	कार्यक्रमों की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	33	33	132	111	264	256
6.	100 जिले जो एसयूटीपी और वाईईएस परियोजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं को एनसीवीटी स्कीम के अंतर्गत कौ.वि. प्र. कार्यक्रम	युवाओं की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	480	00	720	320
7.	कार्य शिविर	शिविरों की सं.	120	107	150	147	178	178	178	172
8.	ब्लॉक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम	कार्यक्रमों की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं			178	178	178	175
9.	जिला लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम	कार्यक्रमों की सं.	40	37	40	40	40	40	40	37
10.	जिला युवा सम्मेलन	कार्यक्रमों की सं.	40	40	40	40	40	39	40	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	प्रमुख राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय दिवस/ सप्ताह का समारोह	पुरस्कारों की सं.	620	620	480	441	400	400	400	400
12.	राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह का समारोह	दिवस एवं सप्ताहों की सं.	204	204	320	320	320	318	320	320
13.	डीएसीवाईपी की बैठक	बैठकों की सं.	160	68	160	64	160	98	160	87
14.	युवा संपर्क एवं फीडबैक कार्यक्रम		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	23585	23354	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	युवा क्लब नेतृत्व की बैठक	बैठकों की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	197	198	178	178	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	युवा क्लब का क्षमता निर्माण	युवा नेतृत्व की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	4000	3775	4000	3790	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	ब्लॉक स्तरीय खेल टूर्नामेंट	टूर्नामेंटों की सं.	160	155	140	140	178	175	80	74
18.	जिला स्तरीय टूर्नामेंट	टूर्नामेंटों की सं.	40	38	40	40	40	39	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	जिला युवा पुरस्कार (व्यक्तिगत)	पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सं.	80	72	80	72	80	72	80	74
20.	जिला युवा क्लब पुरस्कार	क्लबों की सं.	40	40	40	34	40	36	लागू नहीं	लागू नहीं
21.	युवा जागरूकता अभियान	कार्यक्रमों की सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	140	140	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22.	हस्तकला (युवा कृति) और राज्य सांस्कृतिक महोत्सव पर युवाओं के लिए प्रदर्शनी	कार्यक्रमों की सं.	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	समीक्षा सह योजनागत बैठक	कार्यक्रमों की सं.	4	4	4	4	4	4	4	4
24.	युवा कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक (एसएसीवाईपी)	कार्यक्रमों की सं.	2	0	2	0	2	0	2	0
25.	एनआईसी	कार्यक्रमों की सं.	7	7	15	15	15	15	16	15

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

रोजगार कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन

वर्ष 2008-09 के दौरान कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारण और प्रमाणन के लिए किए गए दो जिलों नामत: शिवपुरी और मंसौर में सर्वेक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश के 48 जिलों में आरजीएनआईवाईडी के सहयोग से एनवाईकेएस द्वारा बेस लाइन सर्वेक्षण किया गया।

युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम

वर्ष 2009-10 के दौरान जिला नेहरू युवा केन्द्र, भोपाल, सिहोर, शहडोर, मांडला, ग्वालियर, उज्जैन और नरसिंहपुर में युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम एनपीवाईएडी स्कीम के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया गया।

किशोर परियोजना

वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2010-11 और 2011-12 के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा यूएनएफपीए के वित्तीय सहयोग में मध्य प्रदेश के पांच जिलों (रतलाम, सतना, मांडला, झाबुआ और मांडला) में किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना कार्यान्वित की गई है।

मनरेगा

मरनेगा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 30 जिलों में वर्करों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए यूथ क्लब क्षमता निर्माण की एक परियोजना क्रियान्वित की गई है। इस परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार गांव आधारित युवा क्लबों में कार्यक्रम चलाए गए।

पायका

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खेल विभाग, पायका के मिशन निदेशालय, नई दिल्ली के सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य के 50 जिलों में अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के चार जिलों नामत: रतलाम, सागर, विदिशा और उज्जैन में पायका ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किया गया है।

जनजातीय युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भोपाल, मध्य प्रदेश में तृतीय जनजातीय युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न जिलों के 150 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किया गया है।

जम्मू और कश्मीर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम

जून 2010 के प्रथम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर द्वारा श्रीनगर से जम्मू और कश्मीर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को आरंभ किया। प्रतिभागी महामहिम राज्यपाल और श्री प्रदीप जैन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार से मिले। मध्य प्रदेश में उद्योग और कारखानों, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक भवनों आदि की जानकारी के लिए यात्राएं की गई।

यूनीसेफ-एनवाईकेएस सम्मेलन-सामाजिक परिवर्तन के लिए युवाओं को आगे लाना

"ग्लोबल हैंडवाशिंग डे" के एक भाग के रूप में एनवाईकेएस ने यूनीसेफ की भागीदारी से मध्य प्रदेश में राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर बहुयामी कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से एनवाईकेएस ने 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में अपने स्थापना दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया।

मेरी धरती, मेरा कर्त्तव्य अभियान-राष्ट्र का सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के सहयोग से 'जी न्यूज' ने 5 जून, 2010 को 'मेरी धरती मेरा कर्तव्य' अभियान शुरू किया। इस सामाजिक पहल का उद्देश्य सामाज के विभिन्न सदस्यों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई करने के कार्यों की जानकारी देना, उनमें लगाना और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 40 जिलों में 14.9.2011 को 368882 वृक्षों का रोपण किया गया और 12.9.2012 को 368675 वृक्षों का रोपण किया गया।

'हम भारत के लोग-मेरा कर्तव्य मेरा अधिकार'

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने जी न्यूज के सहयोग से 29-11-2011 को क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल में 'हम भारत के लोग-मेरा कर्तव्य मेरा अधिकार' का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, श्री के.एस. शर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

[अनुवाद]

भांडागारों का पंजीकरण

2276. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों से भंडागारों का पंजीकरण अनिवार्य करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भांण्डागारण (विकास और नियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 3(1) के प्रावधानों के अधीन केवल उन भाण्डागारों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है जो पराक्रम्य भाण्डागार रसीद जारी करना चाहते हैं। इस अधिनियम के अधीन गठित भण्डागार विकास और नियामक प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि राज्य भंडारण नियगमों तथा अन्य संगठनों द्वारा चलाये जा रहे सभी भंडागारों को परामर्श दिया जाये कि यदि वे परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी करना चाहते हैं तो अपने आप को प्राधिकरण के पास पंजीकृत करायें।

आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भाण्डागारों के पंजीकरण के लिए राज्यवार प्राप्त आवेदन

राज्य का नाम	प्राप्त आवेदन
1	2
राजस्थान	73
तमिलनाडु	60
आंध्र प्रदेश	50
मध्य प्रदेश	49
गुजरात	22
उत्तर प्रदेश	29
कर्नाटक	19
महाराष्ट्र	63
हरियाणा	17
पंजाब	16
केरल	11
दिल्ली	06
ओडिशा	03
असम	04
हिमाचल प्रदेश	02
छत्तीसगढ़	02
पुदुचेरी	01
उत्तराखंड	01
बिहार	01
जोड़	432

614-15

पुलिस शिकायत प्राधिकरण संबंधी न्यायालय के निदेश

2277. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने जिला और राज्य स्तरों पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय के निदेश के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) शिकायत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और पुलिस के दुर्व्यवहार तथा जवाबदेही के अभाव की समस्या का निवारण करने हेतु केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल) 310-प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ में दिनांक 22.09.2006 को दिए गए अपने निर्णय के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार को पुलिस सुधारों के संबंध में अनेक निदेश जारी किए गए थे, इनमें से एक निदेश पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई सिफारिशों की जांच करने के लिए राज्य और जिला दोनों स्तरों पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करने से संबंधित है।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रति विचारार्थ एवं यथोचित कार्रवाई हेतु सभी राज्य सरकारों को भेजी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 16.05.2008 के उत्तरवर्ती आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालय के

निदेशों के अनुपालन के संबंध में अलग-अलग राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्रों की जांच करने के लिए उच्च्तम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीन श्री न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है और रिपोर्ट की प्रति उच्च्तम न्यायालय की रजिस्ट्रीय द्वारा दिनांक 04.10.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दी गई है। माननीय उच्च्तम न्यायालय अब, अपने निदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 09 राज्यों ने कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना कर ली है और 12 राज्यों ने अपने नए पुलिस अधिनियम बनाकर अथवा विद्यमान पुलिस अधिनियम में संशोधन करके इसका अनुपालन किया है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.03.2010 को आवश्यक आदेश जारी करके दिए गए हैं।

(ग) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, यह मामला राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है और माननीय न्यायालय इस मामले से अवगत है।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि/हरित क्षेत्रों में विद्यालय

2278. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री अंजनकुमार एम. यादवः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में अनेक सरकारी और निजी विद्यालय संगत विधियों/उप-विधियों का उल्लंघन करते हुए सरकारी भूमि पर/हरित क्षेत्रों में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि सरकारी भूमि पर सरकारी स्कूल चल रहे हैं। तथापि, हरित क्षेत्र में भूमि उपयोग का मामला स्थानीय निकायों यानी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) से संबंधित है। एमसीडी और एनडीएमसी ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में कानून/उप-नियमों के उल्लंघन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

(ख) (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीआईएसएफ की तैनाती

2279. श्री पी. कुमारः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का भारतीय व्यापारिक पोतों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों की तैनाती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएसएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बाद ही तैनात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों द्वारा आत्महत्या के बारे में अध्ययन

2280. श्री हरिभाऊ जावलेः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेषज्ञों द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान किसानों द्वारा आत्महत्याओं के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) ऐसी स्थिति को रोकने हेतु किए गए अल्पकालिक/दीर्घकालिक उपायों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने को रोकने, कृषि क्षेत्र को पुन: सक्रिया करने तथा किसानों की स्थिति में सतत आधार पर सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्ट्र में 31 जिलों को कवर करते हुए पुनर्वास पैकेज कार्यान्वयन जिसके तहत 30 जून, 2011 तक 19910.70 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

(2) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 का कार्यान्वयन जिसके तहत अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65318.33 करोड़ रुपये क ऋण माफी/राहम से लगभग 3.69 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।

(3) मार्च, 2011 तक कृषि क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह 468291. 28 करोड़ रुपये तक बढ़ना। 2011-12 के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य 475000 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई।

(4) किसानों को ऋण प्रवाह में सरलता लाने एवं वित्तीय अन्तर्वेशन बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से सभी पात्र एवं इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराना, अक्तूबर, 2011 तक 10.78 करोड़ केसीसी जारी किए गए हैं।

(5) 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण की समय पर अदायगी के लिए ब्याज दर में छूट उपलबध कराना जिससे समय पर फसल ऋण देने वाले किसानों के लिए ब्याज की प्रभावी दर 4% प्रति वर्ष तक कम होगी।

(6) फसल पूर्व ब्याज दर पर छूट का यह लाभ अब केसीसी धरक छोटे एवं सीमांत किसानों को भी भाण्डागार में उनके उत्पाद रखने के लिए पराक्राम्य भाण्डागार रसीद के विरुद्ध फसलोपरांत आगे 6 महीने की अवधि के लिए उसी दर पर जैसी वि फसल ऋण के लिए है, उपलब्ध है।

(7) लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष चिन्हित कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा। मुख्य कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है उदाहरणार्थ 2004-05 से 2011-12 के दौरान मूंगफली के मामले में एमएसपी 80% से दलहन (मूंग) के लिए 148% तक बढ़ा है।

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन इत्यादि के कार्यान्वयन के जरिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाना शामिल है।

दिल्ली विमानपत्तन पर धोखाधड़ी के मामले

2281. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दलालों द्वारा दिल्ली विमानपत्तन पर विदेशी पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ टाउटिंग एंड मैलप्रैटिसिस अगेंस्ट एक्ट' के कार्यान्यवयन का इन दलालों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमानपत्तनों को इन असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु ऐसे दलालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। इंदिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 तथा 2012 (29.02.2012 तक) के दौरान विदेशी पर्यटक के साथ धोखाधड़ी का मात्र एक मामला आई पी सी की धारा 420/384/120-ख तथा दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ टाउनिंग एंड मैलप्रैक्टिसिस अगेंस्ट टूरिस्ट एक्ट, 2010 की धर 4 के अन्तर्गत प्राथमिकी संख्या 13 दिनांक 09.01.2012 के तहत दर्ज किया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 (29.02.2012 तक) के दौरान इंदिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस द्वारा दलालों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों तथा दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ टाउनिंग एंड मैलप्रैक्टिसिस अगेंस्ट टूरिस्ट एक्ट, 2010 के अधिनियम के बाद उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	सूचित किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	दोषसिद्ध	विचारण लम्बित	लम्बित जांच-पड़ताल
2010	16	17	10	7	-
2011	30	48	10	23	15
2012 (29.02.12 तक)	9	11	-	7	4

[हिन्दी]

मानवाधिकार कार्यकर्ता

2282. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को धमकी, उन पर हमले और उनकी हत्या की घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दर्ज एसी घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने वर्ष 2009-10 से मानवाधिकार के संरक्षकों पर अत्याचारों के संबंध में मामलों का पृथक पंजीकरण शुरू कर दिया है और पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष (15.2.2012 तक) के दौरान उनके द्वारा पंजीकृत किए गए मामलों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का काम है। मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार सलाहकारी पत्र जारी करती है, जबकि एन एच आर सी दिशानिर्देश एवं सिफारिशें जारी करता है। इसके अतिरिक्त, एन एच आर सी में एक वरिष्ठ अधिकारी को मानवाधिकार के संरक्षकों से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने के लिए मुख्य केन्द्र (फोकल प्वाइंट) के रूप में नामित किया गया है। उनके द्वारा अक्टूबर, 2009 के दौरान मानवाधिकार संरक्षकों के संबंध में एक कार्यशाला भी आयोजित की गयी थी।

विवरण

पंजीकृत किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12 (15.2.2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	1
2.	असम	0	0	2
3.	बिहार	0	0	1
4.	छत्तीसगढ़	0	2	3
5.	गुजरात	0	5	2
6.	हरियाणा	0	2	3
7.	जम्मू और कश्मीर	0	2	1
8.	झारखंड	1	3	4
9.	कर्नाटक	0	0	3
10.	मध्य प्रदेश	0	1	0
11.	महाराष्ट्र	0	1	2
12.	मणिपुर	0	1	0
13.	ओडिशा	0	20	10
14.	राजस्थान	2	0	3
15.	तमिलनाडु	0	10	1
16.	त्रिपुरा	0	0	1
17.	उत्तर प्रदेश	4	16	13
18.	उत्तराखंड	0	0	1
19.	पश्चिम बंगाल	0	3	4
20.	दिल्ली	0	2	2
	कुल	7	68	57

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण जनसंख्या

2283. श्री एस. सेम्मलई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971 से 2011 तक जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित जनगणना रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1991, 2001 और 2011 में राज्यों द्वारा कस्बों के वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित जनगणना रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1971 से 2011 तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि और संरचना का आयु-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) 1971 से 2011 तक की जनगणनाओं में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि दर संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों को छ: बड़ी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् श्रेणी-I (एक लाख और उससे अधिक), श्रेणी-II (50,000 से 99,999), श्रेणी-III (20,000 से 49,999), श्रेणी-IV (10,000 से 19,999), श्रेणी-V (5,000 से 9,999) और श्रेणी-VI (5,000 से कम)। जनगणना 1991 में विभिन्न श्रेणियों में आने वाले नगरों की संख्या तथा जनगणना 2011 के अनंतिम परिणामों के परिणामों के आधार पर श्रेणी-I में आने वाले नगरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विररण-II में दी गयी है। जनगणना 2011 के अनंतिम परिणामों में 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों का विवरण शामिल नहीं किया गया है।

(ग) 1971 से 2011 तक की जनगणानाओं में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर संलग्न विवरण-III में दी गई है। 1971 से 2001 तक की जनगणानाओं में जनसंख्या की आयु-वार संरचना संलग्न विवरण-IV में दी गई है। जनगणना 2011 के अनंतिम परिणामों में जनसंख्या की आयु-वार संरचना का विवरण शामिल नहीं किया गया है।

विवरण I

भारत की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 1971-2011

जनगणना वर्ष	ग्रामीण		नगरीय	
	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि का प्रतिशत
2011	83,30,87,662	12.2	37,71,05,760	31.8
2001	74,26,17,747	18.1	28,61,19,679	31.5
1991	62,88,55,513	20.0	21,75,65,526	36.4
1981	52,38,66,550	19.3	15,94,62,547	46.1
1971	43,90,45,675	-	10,91,13,977	-

टिप्पणी:

1. जनगणना 2011 की जनसंख्या के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. जनगणना 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के माओं मारम, पाओमाता और पुरुल उप-भागों की अनुमानित जनसंख्या शामिल है।
3. 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं कराई गई थी। अत: जम्मू कश्मीर के 1991 के जनसंख्या आंकड़े 'आन्तर-गणन' (इन्टरपोललेशन)' द्वारा आकलित किए गए हैं।
4. अशांत स्थितियों के कारण असम में 1981 की जनगणना नहीं कराई जा सकी थी। अत: असम की 1981 के जनसंख्या के आंकड़े 'आन्तर-गणन' (इन्टरपोलेशन') द्वारा आकलित किए गए हैं।

स्रोत: भारत की जनगणना

विवरण II

आकार-श्रेणी के आधार पर शहरों/नगरों की संख्या एवं वर्गीकरण भारत, राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

नगर की श्रेणी	नगरों की संख्या		
	2011	2001	1991
1	2	3	4
भारत			
सभी श्रेणी	7,935	5,161	4,615
श्रेणी-I	497	441	322
श्रेणी-II	-	496	421
श्रेणी-III	-	1387	1,161
श्रेणी-IV	-	1,564	1451
श्रेणी-V	-	1,042	971
श्रेणी-VI	-	231	289
जम्मू और कश्मीर			
सभी श्रेणी	122	75	-
श्रेणी-I	3	2	-
श्रेणी-II	-	5	-
श्रेणी-III	-	6	-
श्रेणी-IV	-	21	-
श्रेणी-V	-	20	-
श्रेणी-VI	-	21	-
हिमाचल प्रदेश			
सभी श्रेणी	59	57	58
श्रेणी-I	1	1	1
श्रेणी-II	-	-	-
श्रेणी-III	-	6	4
श्रेणी-IV	-	7	7
श्रेणी-V	-	16	10
श्रेणी-VI	-	27	36

1	2	3	4
	पंजाब		
सभी श्रेणी	217	157	120
श्रेणी-I	17	14	10
श्रेणी-II	-	18	18
श्रेणी-III	-	36	25
श्रेणी-IV	-	54	46
श्रेणी-V	-	29	14
श्रेणी-VI	-	6	7
	चंडीगढ़		
सभी श्रेणी	6	1	5
श्रेणी-I	1	1	1
श्रेणी-II	-	-	-
श्रेणी-III	-	-	1
श्रेणी-IV	-	-	1
श्रेणी-V	-	-	1
श्रेणी-VI	-	-	1
	उत्तराखंड		
सभी श्रेणी	116	86	83
श्रेणी-I	6	3	3
श्रेणी-II	-	5	3
श्रेणी-III	-	16	15
श्रेणी-IV	-	16	20
श्रेणी-V	-	28	14
श्रेणी-VI	-	18	28
	हरियाणा		
सभी श्रेणी	154	106	94
श्रेणी-I	20	20	11
श्रेणी-II	-	7	11

1	2	3	4
श्रेणी-III	-	26	18
श्रेणी-IV	-	36	31
श्रेणी-V	-	16	21
श्रेणी-VI	-	1	2
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
सभी श्रेणी	113	62	32
श्रेणी-I	15	10	3
श्रेणी-II	-	10	5
श्रेणी-III	-	19	6
श्रेणी-IV	-	12	7
श्रेणी-V	-	8	8
श्रेणी-VI	-	3	3
	राजस्थान		
सभी श्रेणी	297	222	222
श्रेणी-I	29	19	14
श्रेणी-II	-	27	20
श्रेणी-III	-	90	74
श्रेणी-IV	-	61	87
श्रेणी-V	-	20	25
श्रेणी-VI	-	5	2
	उत्तर प्रदेश		
सभी श्रेणी	915	704	670
श्रेणी-I	64	54	38
श्रेणी-II	-	55	44
श्रेणी-III	-	186	130
श्रेणी-IV	-	264	237
श्रेणी-V	-	133	203
श्रेणी-VI	-	12	18

1	2	3	4
बिहार			
सभी श्रेणी	199	130	138
श्रेणी-I	26	19	11
श्रेणी-II	-	19	21
श्रेणी-III	-	67	60
श्रेणी-IV	-	19	37
श्रेणी-V	-	6	7
श्रेणी-VI	-	-	2
सिक्किम			
सभी श्रेणी	9	9	8
श्रेणी-I	-	-	-
श्रेणी-II	-	-	-
श्रेणी-III	-	-	1
श्रेणी-IV	-	1	-
श्रेणी-V	-	1	-
श्रेणी-VI	-	6	7
अरुणाचल प्रदेश			
सभी श्रेणी	27	17	10
श्रेणी-I	-	-	-
श्रेणी-II	-	-	-
श्रेणी-III	-	3	-
श्रेणी-IV	-	7	5
श्रेणी-V	-	6	5
श्रेणी-VI	-	1	-
नागालैंड			
सभी श्रेणी	26	9	9
श्रेणी-I	1	-	-
श्रेणी-II	-	2	2

1	2	3	4
श्रेणी-III	-	4	2
श्रेणी-IV	-	3	3
श्रेणी-V	-	-	2
श्रेणी-VI	-	-	-
मणिपुर			
सभी श्रेणी	51	33	31
श्रेणी-I	1	1	1
श्रेणी-II	-	-	-
श्रेणी-III	-	4	3
श्रेणी-IV	-	8	5
श्रेणी-V	-	15	17
श्रेणी-VI	-	5	5
मिजोरम			
सभी श्रेणी	23	22	22
श्रेणी-I	1	1	1
श्रेणी-II	-	-	-
श्रेणी-III	-	2	2
श्रेणी-IV	-	5	3
श्रेणी-V	-	6	5
श्रेणी-VI	-	8	11
त्रिपुरा			
सभी श्रेणी	42	23	18
श्रेणी-I	1	1	1
श्रेणी-II	-	-	-
श्रेणी-III	-	6	4
श्रेणी-IV	-	9	7
श्रेणी-V	-	7	4
श्रेणी-VI	-	-	2

1	2	3	4
	मेघालय		
सभी श्रेणी	22	16	12
श्रेणी-I	1	1	1
श्रेणी-II	–	1	–
श्रेणी-III	–	5	4
श्रेणी-IV	–	8	4
श्रेणी-V	–	1	3
श्रेणी-VI	–	–	–
	असम		
सभी श्रेणी	214	125	93
श्रेणी-I	4	6	4
श्रेणी-II	–	7	4
श्रेणी-III	–	24	19
श्रेणी-IV	–	34	34
श्रेणी-V	–	43	20
श्रेणी-VI	–	11	12
	पश्चिम बंगाल		
सभी श्रेणी	909	375	382
श्रेणी-I	61	58	44
श्रेणी-II	–	29	35
श्रेणी-III	–	57	64
श्रेणी-IV	–	75	96
श्रेणी-V	–	128	121
श्रेणी-VI	–	28	22
	झारखण्ड		
सभी श्रेणी	228	152	133
श्रेणी-I	10	7	5
श्रेणी-II	–	18	17
श्रेणी-III	–	37	31
श्रेणी-IV	–	35	37
श्रेणी-V	–	45	34
श्रेणी-VI	–	10	9

1	2	3	4
	ओडिशा		
सभी श्रेणी	223	138	124
श्रेणी-I	10	9	8
श्रेणी-II	–	15	10
श्रेणी-III	–	36	29
श्रेणी-IV	–	48	52
श्रेणी-V	–	24	22
श्रेणी-VI	–	6	3
	छत्तीसगढ़		
सभी श्रेणी	182	97	95
श्रेणी-I	9	7	6
श्रेणी-II	–	7	5
श्रेणी-III	–	22	17
श्रेणी-IV	–	38	40
श्रेणी-V	–	23	24
श्रेणी-VI	–	–	3
	मध्य प्रदेश		
सभी श्रेणी	476	394	370
श्रेणी-I	32	25	18
श्रेणी-II	–	26	21
श्रेणी-III	–	94	63
श्रेणी-IV	–	154	151
श्रेणी-V	–	85	112
श्रेणी-VI	–	10	5
	गुजरात		
सभी श्रेणी	348	242	264
श्रेणी-I	30	27	19
श्रेणी-II	–	36	33
श्रेणी-III	–	81	58
श्रेणी-IV	–	57	92
श्रेणी-V	–	23	51
श्रेणी-VI	–	18	11

1	2	3	4
दमन और दीव			
सभी श्रेणी	8	2	2
श्रेणी-I	–	–	–
श्रेणी-II	–	–	–
श्रेणी-III	–	2	2
श्रेणी-IV	–	–	–
श्रेणी-V	–	–	–
श्रेणी-VI	–	–	–
दादरा और नगर हवेली			
सभी श्रेणी	6	2	1
श्रेणी-I	–	–	–
श्रेणी-II	–	–	– –
श्रेणी-III	–	2	–
श्रेणी-IV	–	–	–
श्रेणी-V	–	–	–
श्रेणी-VI	–	–	–
महाराष्ट्र			
सभी श्रेणी	535	378	336
श्रेणी-I	44	40	33
श्रेणी-II	–	44	30
श्रेणी-III	–	135	114
श्रेणी-IV	–	101	102
श्रेणी-V	–	50	46
श्रेणी-VI	–	8	11
आंध्र प्रदेश			
सभी श्रेणी	353	210	264
श्रेणी-I	42	47	36
श्रेणी-II	–	52	42
श्रेणी-III	–	55	106
श्रेणी-IV	–	33	55
श्रेणी-V	–	21	21
श्रेणी-VI	–	2	4

1	2	3	4
कर्नाटक			
सभी श्रेणी	347	270	306
श्रेणी-I	26	30	18
श्रेणी-II	–	28	27
श्रेणी-III	–	105	98
श्रेणी-IV	–	62	86
श्रेणी-V	–	38	50
श्रेणी-VI	–	7	27
गोवा			
सभी श्रेणी	70	44	31
श्रेणी-I	–	–	–
श्रेणी-II	–	3	3
श्रेणी-III	–	2	1
श्रेणी-IV	–	18	9
श्रेणी-V	–	17	14
श्रेणी-VI	–	4	4
लक्षद्वीप			
सभी श्रेणी	6	3	4
श्रेणी-I	–	–	–
श्रेणी-II	–	–	–
श्रेणी-III	–	–	–
श्रेणी-IV	–	1	–
श्रेणी-V	–	2	4
श्रेणी-VI	–	–	–
केरल			
सभी श्रेणी	520	159	197
श्रेणी-I	7	10	7
श्रेणी-II	–	24	20
श्रेणी-III	–	72	100
श्रेणी-IV	–	37	53
श्रेणी-V	–	15	16
श्रेणी-VI	–	1	1

1	2	3	4
तमिलनाडु			
सभी श्रेणी	1097	832	469
श्रेणी-I	32	26	26
श्रेणी-II	-	56	48
श्रेणी-III	-	183	108
श्रेणी-IV	-	340	140
श्रेणी-V	-	214	94
श्रेणी-VI	-	13	53
पुदुचेरी			
सभी श्रेणी	10	6	11
श्रेणी-I	2	2	2
श्रेणी-II	-	1	1
श्रेणी-III	-	3	2
श्रेणी-IV	-	-	3
श्रेणी-V	-	-	3
श्रेणी-VI	-	-	-
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह			
सभी श्रेणी	5	3	1
श्रेणी-I	1	-	-
श्रेणी-II	-	1	1
श्रेणी-III	-	-	-
श्रेणी-IV	-	-	-
श्रेणी-V	-	2	-
श्रेणी-VI	-	-	-

टिप्पणी:

1. जम्मू कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं जहां अशांत स्थितियों की वजह से 1991 की जनगणना नहीं करई गई।

2. चूंकि जनगणना 2011 के आंकड़े अनंतिम हैं अत: शहरों एवं नगरों के केवल श्रेणी-1 से संबंधित जनसंख्या के आंकड़े जारी किए गए हैं।

विवरण III

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि: 1971-2011

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	प्रतिशत दशकीय वृद्धि
1971	54,81,59,652	-
1981	68,33,29,097	24.66
1991	84,64,21,039	23.87
2001	1,02,87,37,436	21.54
2011	1,21,01,93,422	17.64

टिप्पणी:

1. 2011 के जनसंख्या आंकड़े अनंतिम हैं
2. 2001 और 2011 के जनसंख्या आंकड़ें में मणिपुर के सेनापति जिले के माओमाराम, पाओमाता और पुरुल उपभागों की अनुमानित जनसंख्या शामिल है।
3. 1991 में जम्मू कश्मीर में जनगणना नहीं कराई गई थी। अत: जम्मू कश्मीर के 1991 के जनसंख्या आंकड़े 'आन्तर-गणन' (इन्टरपालेशन') द्वारा आकलित की गई है।
4. अशांत स्थितियों के कारण असम में 1981 की जनगणना नहीं कराई जा सकी। अत: असम के लिए 1981 के जनसंख्या आंकड़े 'आन्तर-गणन' ('इन्टरपोल') द्वारा आकलित किए गए हैं।

स्रोत: भारत की जनगणना

विवरण IV

पांच वर्ष आयु समूह की जनसंख्या- व्यक्ति: भारत, 1971-2001

आयु समूह	1971	1981	1991	2001
1	2	3	4	5
सभी आयु	548,159,652	665,287,849	838,567,936	1,028,610,328
0-4	79,559,516	83,509,807	102,378,032	110,447,164
5-9	82,007,472	93,685,876	111,294,732	128,316,790
10-14	68,767,834	85,911,367	98,691,898	124,846,858
15-19	47,468,232	64,138,808	79,034,929	100,215,890
20-24	43,101,354	57,337,858	74,472,704	89,764,132
25-29	40,820,450	50,724,615	69,239,258	83,422,393

1	2	3	4	5
30-34	36,188,417	42,379,744	58,404,484	74,274,044
35-39	32,898,302	38,358,769	52,398,870	70,574,085
40-44	28,287,984	34,187,633	42,556,339	55,738,297
45-49	22,884,783	29,238,729	36,133,798	47,408,976
50-54	20,530,924	25,396,902	31,113,592	36,587,559
55-59	12,828,389	16,416,580	21,472,502	27,653,347
60-64	14,374,032	18,167,562	22,748,976	27,516,779
65-69	7,001,249	9,514,421	12,858,499	19,806,955
70-74	5,878,564	8,196,143	10,554,081	14,708,644
75-79	2,245,708	3,162,497	4,145,573	6,551,225
80+	3,200,178	4,126,764	6,374,511	8,038,718
एएनएस	116,264	333,774	4,695,158	2,738,472

टिप्पणी: 1. ए.एन.एस.-आयु नहीं बताई गई।

2. 1981 के आंकड़ों में असम राज्य के आंकड़े शामिल नहीं हैं जहां अशांत स्थितियों की वजह से 1981 की जनगणना नहीं करई जा सकी।

3. 1991 के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं जहां अशांत स्थितियों के कारण 1991 की जनगणना नहीं कराई जा सकी।

4. 2001 के आंकड़ों में मणिपुर राज्य के सेनापति जिले के पाओमाटा, माओ मारन और पुरुल उप-भागों की जनसंख्या शामिल नहीं है।

बागवानी मिशन

633-34

2284. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) निजी क्षेत्र का निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी हां। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अंतर्गत नर्सरियों, दिश्य कल्चर इकाईयों, शीतागारों एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निजी क्षेत्र के निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उक्त योजना के तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में बागवानी के समग्र विकास के लिए प्रौद्योगिकी सृजन!परिष्करण/प्रदर्शन, परीक्षण एवं प्रदर्शन के लिए रोपण सामग्री के आयात, गुणवत्ताप्रदत बीज एवं रोपण सामग्री का उत्पादन तथा आपूर्ति, उन्नत उच्च उपज किस्मों के क्षेत्र विस्तार, जीर्ण बागानों का पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन, संरक्षित कृषि, प्लास्टिक मल्चिंग, ओला रोधी नेट, जल संसाधनों का सृजन, जैविक कृषि, अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) का प्रमाणीकरण, समेकित नाशीजीव एवं रोग तथा पोषण प्रबंधन का संवर्धन, मधुमक्खी पालन के जरिए परागण समर्थन, यंत्रीकरण को प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, मण्डी अवसंरचना की स्थापना इत्यादि के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के तहत निजी क्षेत्र निवेश (एचएमएनईएच)

(इकाई की सं.)

राज्य	नर्सरी	टिश्यू कल्चर इकाई	शीतागार	प्रसंस्करण इकाई
क. पूर्वोत्तर				
अरुणाचल प्रदेश	47	-	1	3
असम	49	-	23	9
मणिपुर	41	-	-	10
मेघालय	86	1	-	4
मिजोरम	13	-	1	2
नागालैंड	117	2	1	6
सिक्किम	118	3	-	1
त्रिपुरा	67	2	2	
ख. हिमालयी				
जम्मू और कश्मीर	155	-	3	10
हिमाचल प्रदेश	44	6	4	18
उत्तराखंड	42	2	2	26
कुल (क+ख)	779	16	37	89

[हिन्दी]

635-40

शत्रु संपत्ति

2285. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शत्रु संपत्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में शत्रु संपत्ति संबंधी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय शत्रु संपत्ति और इसके अनुमानित मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को शत्रु संपत्ति से कितना राजस्व अर्जित हुआ है तथा उक्त संपत्तियों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) दिनांक 5 मई, 2011 की स्थिति के अनुसार, भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सीईपी) के पास 1175 अचल संपत्तियां निहित हैं। इसके अतिरिक्त, शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 के प्रख्यापन के पशत सी ई पी में 936 अचल संपत्तियों को पुन: निहित किया गया है। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विगत हाल में अचल शत्रु संपत्ति के संबंध में कोई मूल्यांकन नही हुआ है। भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सी ई पी) में निहित अचल संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं और उनमें शत्रु संपत्ति के प्रबंधन एवं संरक्षण के संबंध में शत्रु संपत्ति के उप अभिरक्षक, सहायक अभिरक्षक तथा सी ई पी द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। फरवरी, 2010 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सलाह दी गई थी कि शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित संपत्तियों के संबंध में किसी प्रकार की रजिस्ट्री/उसका दाखिल-खारिज नहीं किया जाएगा, शत्रु संपत्ति के संबंध में किसी भी अन्तरण प्रलेख और/अथवा स्वामित्व का अन्तरण अथवा किसी ब्याज के सृजन अथवा उसके प्रभारों को पंजीकरण नहीं किया जाएगा और "भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक" का नाम शत्रु संपत्ति संबंधी सभी राजस्वय/संपत्ति रिकार्डों में दर्ज किया जाएगा।

(घ) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (फरवरी, 2012 तक) के दौरान भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक द्वारा शत्रु संपत्ति से प्राप्त कुल राजस्व, जिसमें शेयरों/स्टॉक्स पर लाभांश और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर ब्याज और कोषागार बिल शामिल हैं, क्रमश: 2645.41 लाख रुपए, 2623.89 लाख रुपए, 3277.80 लाख रुपए और 4179.33 लाख रुपए हैं। इन वर्षो के दौरान सी ई पी द्वारा उसमें निहित अचल संपत्तियों से प्राप्त राजस्व का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जिला प्राधिकारियों को प्रत्येक अचल संपत्ति से मिली आय का 1/12वां अंश शत्रु संपत्ति के प्रबंधन एवं रखरखाव के संबंध में होने वाले व्ययों के प्रयोजनार्थ अपने पास रखने का हक है। शत्रु संपत्ति के प्रबंधन एवं रखरखाव के संबंध में जिला प्राधिकारियों द्वारा किए गए व्ययों का ब्यौरा भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के कार्यालय में नहीं रखा जाता है।

विवरण I

भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित अचल संपत्तियों के राज्यवार ब्यौरे

(5.5.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं	राज्य का नाम	संपत्तियों की संख्या		कुल
		चीन के राष्ट्रिक	पाकिस्तानी राष्ट्रिक	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	8	8
2.	असम	15	3	18
3.	अंडमान	0	1	1
4.	बिहार	0	7	7
5.	छत्तीसगढ़	0	1	1
6.	दिल्ली	1	37	38
7.	दीव	0	1	1

1	2	3	4	5
8.	गोवा	0	120	120
9.	हरियाणा	0	1	1
10.	कर्नाटक	1	5	6
11.	गुजरात	0	21	21
12.	केरल	0	13	13
13.	मध्य प्रदेश	0	28	28
14.	मेघालय	17	0	17
15.	महाराष्ट्र	0	22	22
16.	राजस्थान	0	4	4
17.	तमिलनाडु	1	5	6
18.	त्रिपुरा	0	1	1
19.	उत्तर प्रदेश	0	622	622
20.	उत्तराखंड	0	8	8
21.	पश्चिम बंगाल	27	205	232
	कुल	62	1113	1175
22.*	शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश के प्रख्यापन पर दिनांक 2.7.2010 को पुन: निहित संपत्ति	0	936	936
	कुल	62	2049	2111

विवरण II

भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक द्वारा उसमें निहित अचल संपत्तियों से प्राप्त राजस्व के राज्यवार ब्यौरे

(धनराशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	10560	7440	0	51088
2.	अंडमान	0	6450	5640	3240
3.	दिल्ली	205411	155443.5	585	289208
4.	दीव	0	47988	0	0
5.	गोवा	8809	5176	4532	0
6.	गुजरात	122954	33096	12131	47978
7.	हरियाणा	0	330	0	0
8.	कर्नाटक	660	0	0	0
9.	मध्य प्रदेश	20532	82710	63000	0

1	2	3	4	5	6
10.	महाराष्ट्र	3610540	1932921	31581955.79	846995
11.	राजस्थान	28550	0	40220	0
12.	तमिलनाडु	1196271	451745	510674	557659
13.	उत्तर प्रदेश	1507618	1239927	3892652.2	3079561.8
14.	उत्तराखंड	7500	18000	13500	12000
15.	पश्चिम बंगाल	1424085	3142420	3218889	6384154
	कुल	8143490	7123646	39343779	11271883

[अनुवाद] 634-44

शीतागारों के लिए सहायता

2286. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आईसीई संयंत्रों और शीतागारों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) बर्फ खाना तथा शीतागार की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की मांग हेतु कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मुक्त सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

विभाग/संगठन	संख्या	सहायता/लागत	
		स्वीकृत	निर्मुक्त
1	2	3	4
राष्ट्रीय बागवानी मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग	2	232.47	232.47
पशुपालन, डेयरिंग और मात्स्यिकी विभाग	18	1947.84	342.85
कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा)	4	738.05	0.000
कुल	26	2918.36	575.32

ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III पर दिया गया है।

विवरण I

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुमोदित शीत भंडार परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	इकाई का नाम और स्थान	क्षमता (एमटी)	सहायता	
			अनुमोदित	निर्मुक्त
1.	मैसर्स महेश शीत भंडार, जिला रायचूर	5561	117.30	117.30
2.	मैसर्स गुलबर्गा शीत भंडार, जिला गुलबर्गा	4799	115.17	115.17
	कुल		232.47	232.47

विवरण II

समुद्री मछुआरों, अवसंरचना और फसलोपरान्त प्रचालनों के विकास पर सीएसएस के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदित बर्फखानों और शीतभंडारों का ब्यौरा (7 दिसम्बर, 2011 तक)

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी/ लाभार्थी का नाम	परियोजना का ब्यौरा	कुल अनुमोदित लागत	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स अलसमुद्र मिनुगारिका बोट मलाकरा प्राथमिक सेवा सहकारी संघ लि. मालपे	मालपे फिशिंग हार्वर युदुपी जिले में 50 टन क्षमता बर्फबारी सह 25 टन क्षमता शीत भंडार का निर्माण	114.50	50.00
2.	मैसर्स यशवी इन्टरप्राइजेज, मालपे	करोउर गांव हार्बर में 60 टन (30 टन क्षमता की 2 इकाई) क्षमता बर्फखाना का निर्माण	111.88	45.00
3.	मैसर्स एमटीआर आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, मालपे	मालपे फिशिंग हार्बर में 60 टन (30 टन क्षमता की 2 ईकाई) क्षमता बर्फखाना का निर्माण	130.00	20.00
4.	मैसर्स एनमैन आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, पन्दुबट्ट	पांडुबेटु, अंबालपेडी जिला उडुपी में 45 टन क्षमता बर्फखाने का निर्माण	105.48	20.00
5.	मैसर्स क्षरसागर फिसरीज एण्ड कोल्ड स्टोरेज, मालपे	कोराउर गांव जिला उडुपी में 45 टन क्षमता के बर्फखाने और 10 टन क्षमता शीत भंडार का निर्माण	108.73	20.00
6.	मैसर्स श्री वैष्णवी फिशरीज, मालपे	कोराउर गांव में 30 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	98.50	15.00
7.	मैसर्स व्यास मत्स्य समस्करण संघा, मंगलौर	मालपे फिशिंग हार्बर, मालपे 40 टन क्षमता बर्फखाना (20 टन क्षमता की दो ईकाई) का निर्माण	101.24	20.00
8.	मैसर्स श्री वज्रेश्वरी आईस प्लांट, नयाकावेडी गुजड्डी, कुंडापुर तालकुा, जिला उडुपी	नायकवारी गुजड्डी में 50 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	96.70	20.00
9.	मैसर्स य के आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, बैकमपडी, मंगलौर	बाइकम्परी औद्योगिक क्षेत्र, मंगलौर में 76 टन क्ष्ज्ञमता (38 टन क्षमता की दो ईकाई) बर्फखाना और 100 टन क्षमता शीत भंडार का निर्माण	164.19	10.00
10.	मैसर्स श्री महालक्ष्मी आईस प्लांट एंड कोल्ड स्टोरेज, मालपे	कोराउर गांव जिला उड्डपी में 25 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	75.00	10.00

1	2	3	4	5
11.	मैसर्स कोरल मराईन, बदनुदियूर	कोराउर गांव जिला उड्डपी में 40 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	104.00	20.00
12.	मैसर्स एमआरएफ मारीन इंडस्ट्रीज, कुंजीबेट्टी	मालपे फिश प्रसंस्करण केन्द्र, मालपे जिला उड्डुपी में 60 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	130.00	20.00
13.	मैसर्स सत्या सुधमा आईस प्लांट एण्ड कम्पनी, शिराकुली	सिराकल गांव, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रीक में 25 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	81.75	15.00
14.	मैसर्स शामली मत्स्य सांमस्करण संघ मालपे	मालपे फिशिंग हार्वर मालपे, जिला उड्डुपी में 50 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	152.30	20.00
15.	मैसर्स सिद्धि आईस प्लांट, कुथापेडी विलेज	कुथपेडी गांव तालुका जिला उड्डुपी में 25 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	75.70	7.85
16.	मैसर्स गंगा कावेरी आईस एंड कोल्ड स्टोरेज, होसाडु विलेज	होसाडु गांव कुन्डापुरा तालुका जिला उड्डुपी में 60 टन (30 टन क्षमता की 2 इकाईयों सहित) क्षमता बर्फ खाना का निर्माण	118.00	10.00
17.	मैसर्स श्री देवी आईस प्लांट, शिराली, शिराली, भतकल तालुका	सिराली तालुकाद्व भटकाल, उत्तर कन्ड में 20 टन क्षमता बर्फखाना का निर्माण	92.00	10.00
18.	मैसर्स न्यू सुप्रीम आईस, बैकमपेडी, मालपे	बाईकमपेडी औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण कन्ड़ जिले में मंगलौर में 38 टन क्षमता बर्फखाना सह 50 टन क्षमता शीत भंडार का निर्माण	87.87	10.00
	कुल		1947.840	342.850

विवरण III

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपेडा की वित्तीय सहायता के साथ कर्नाटक सरकार से अनुमोदित शीत श्रृंखला सुविधाएं

(लाख रुपए में)

राज्य	सं.	सहायता अनुमोदित	निर्मुक्त
कर्नाटक	कोलार में एक शीत श्रृंखला सुविधा	212.75	बैंक गारंटी/सरकारी आश्वासन के प्राप्त न होने के कारण कोई निर्मुक्ति नहीं की गई
कर्नाटक	मैसूर में एक शीत श्रृंखला सुविधा	198.75	
कर्नाटक	हावेरी में एक शीत श्रृंखला सुविधा	183.55	
कर्नाटक	बेलगाम में एक शीत श्रृंखला सुविधा	143.00	
	कुल योग	738.05	

नागरिक आसूचना नेटवर्क

2287. श्री नवीन जिन्दल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना संबंधी बल ने आम नागरिकों को आसूचना संबंधी जानकारी एकत्र करने वाले तंत्र का एक भाग बनाने के लिए एक नागरिक आसूचना नेटवर्क (सीआईएन) स्थापित करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सीआईएन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सीआईएन की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मोटे अनाज की बुआई

2288. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष में मोटे अनाज की बुआई घटकर 6 से 5.5 मिलियन है. रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में मोटे अनाज की बुआई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी नहीं। मोटे अनाजों के तहत कुल क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 27.76 मिलियन है. की तुलना में पिछले वर्ष 2010-11 में 28.43 मिलियन है. था जो 0.76 मिलियन है. अधिक क्षेत्र कवरेज को दर्शाता है। (स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

(ख) और (ग) मोटे अनाजों के क्षेत्र, उत्पादन एवं पैदावार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने "गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषणिक सुरक्षा हेतु पहल" (आईएनएसआईएमपी) पर एक स्कीम की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य स्पष्ट प्रभाव के साथ एक समेकित तरीके से उन्नत उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रौद्योकियों का प्रदर्शन करना है ताकि देश में मोटे अनाजों (कदन्न) के उत्पादन को उत्प्रेरित किया जा सके।

[हिन्दी]

मत्स्य क्षेत्र में रोजगार

2289. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में मत्स्य केन्द्र रोजगार के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मत्स्य पालन केन्द्रों के माध्यम से सृजित रोजगार और अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) 2010-11 में लगभग 150 करोड़ रुपए मूल्य करीब 3 लाख टन उत्पादन और करीब 49.50 लाख लोगों को रोजगार देकर बिहार अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी और जलकृषि के क्षेत्र में अग्रणी उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आया है।

[अनुवाद]

आतंकी मामलों में गलत गिरफ्तारी

2290. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुस्लिम युवाओं सहित बहुत से व्यक्तियों को किसी प्रमाण के बिना गिरफ्तार किया गया है/आतंकी माना गया है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार और जेल भेजे गए ऐसे युवाओं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से न्यायालयों द्वारा अन्तत: रिहा किए गए युवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी प्रमाण के बिना गिरफ्तार और जेल भेजे गए व्यक्तियों को कोई मुआवजा अथवा पुनर्वास पैकेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है ताकि देश में पुलिस द्वारा विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं को मामूली आधारों पर गिरफ्तार न किया जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। 647-49

डेयरी क्षेत्र का संवर्धन

2291. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों के लिए डेयरी क्षेत्र की आर्थक वयवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) डेयरी क्षेत्र में लगे किसानों को राजसहायताकृत दरों पर पशु चारा और अन्य सामग्रियां मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) पशुपालन, डेयरी मत्स्यपालन विभाग निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जिसके तहत डेयरी सहकारिताओं तथा डेयरी किसानों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है;

1. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
2. सहकारिताओं को सहायता
3. गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
4. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

(ख) उक्त चार योजनाओं के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राजसहायता दर पर गोपशु आहार उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग की कोई योजना नहीं है। तथापि, कृषि एवं सहकारिता विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2011-12 से 12 राज्यों में त्वरित चरा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि प्रौद्योगिकियों के सघन संवर्धन के माध्यम से चारा उत्पादन को गत प्रदान की जाए ताकि वर्षभर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं जिससे 25,000 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के तहत 20.3.2012 तक राज्यों को 292.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण

1. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

(वित्तीय उपलब्धि (16.3.2012 तक)

घटक	उपलब्धि
1	2
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	103
कवर किए गए जिले	239
परियोजनाओं का स्वीकृत परिव्यय	611.55 करोड़ रुपए
कुल जारी धनराशि	474.85 करोड़ रुपए
वास्तविक उपलब्धि (31.12.2011 तक)	
संगठित डीसीएस (संख्या)	29373
कृषक सदस्य (लाख)	19.41
दुग्ध खरीद (एलएलपीडी)	21.76
दुग्ध विपणन (एलएलपीडी)	18.36
प्रशीतन क्षमता (एलएलपीडी)	22.41
प्रसंस्करण क्षमता (एलएलपीडी)	27.02

एलएलपीडी-लाख लीटर प्रति दिन

2. गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधा का सुदृढ़ीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

वित्तीय उपलब्धियां (16.3.2012)	
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	162
कवर किए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश	22 राज्य और 1 संघ शासित क्षेत्र

1	2
परियोजनाओं का कुल स्वीकृत परिव्यय	291.70 करोड़ रुपए
परियोजनाओं की कुल केन्द्रीय हिस्सेदारी	238.80 करोड़ रुपए
कुल जारी धनराशि	183.99 करोड़ रुपए
वास्तविक उपलब्धियां (31.12.2011 तक)	
किसानों का प्रशिक्षण (लाख)	6.24
स्थापित थोक दुग्ध कूलर (एलएलपीडी)	39.63
प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	1324
एलएलपीडी-लाख लीटर प्रतिदिन	
3. सहकारिताओं को सहायता (केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं)	
वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां (16.3.2012 तक)	
सहायता किए गए दुग्ध संघों की संख्या	42
परियोजनाओं का संपूर्ण अनुमोदित परिव्यय	310.91 करोड़ रुपए
प्रयोगशालाओं की संपूर्ण केन्द्रीय हिस्सेदारी	155.65 करोड़ रुपए
कुल जारी धनराशि	116.49 करोड़ रुपए
4. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)	
वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां (29.2.2012 तक)	
बैंकएंडिड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में जारी की गई कुल राशि	92.80 करोड़ रुपए
मंजूरी की गई डेयरी इकाइयों की संख्या	21,448

उपभोक्ता मंच की समीक्षा 649-62

2292. श्री के. सुगुमार:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश सहित देश में कार्यरत उपभोक्ता मंचों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त मंचों द्वारा निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान मंचों में राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) देश में उपभोक्ता मंचों के कार्यनिष्पादन/कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) देश में कार्य कर रहे उपभोक्ता मंचों की संख्या, दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ता मंचों द्वारा दायर किए गए और निपटाए गए मामलों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उपभोक्ता संरक्षण उपायों पर आवधिक (तिमाही/मासिक) रिपोर्टों के माध्यम से देश में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण की नियमित रूप से समीक्षा करती है और चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(ङ) देश में उपभोक्ता मंचों के कार्यनिष्पादन/कार्यकरण में सुधार लाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को लोकसभा में दिनांक 16.12.2011 को पुरःस्थापित किया गया है। इस विधेयक में उपभोक्ता मंचों को, मामलों के शीघ्र निपटान के संबंध में निर्णय लेने, चयन प्रक्रिया को सरल बनाने, आवेदनों को ऑन लाईन दायर करने और दण्डिक उपबंधों को कठोर बनाने हेतु सशक्त बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

(ii) राज्य सरकारों को, अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों को भरने और नियुक्तियों में विलम्ब से बचने के लिए तथा भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए सदस्यों का पैनल बनाने के लिए, समय रहते कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है

कि जहां कहीं भी आवश्यक हो आस-पास के उपभोक्ता मंचों को आपस में जोड़ा जाए ताकि किसी अस्थायी उपस्थिति अथवा रिक्ति के कारण उपभोक्ता मंचों का कार्यकरण प्रभावित न हो।

(iii) लंबित मामलों को निपटाने के लिए, राष्ट्रीय आयोग की सर्किट पीठें भी प्राय: राज्यों के दौरे करती रहती हैं। अभी तक, राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, मैंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, एर्नाकुलम, अहमदाबाद और भोपाल में सर्किट पीठ की बैठकें आयोजित की हैं। कुछ राज्य आयोगों ने पिछले लंबित मामलों का निपटान करने के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त पीठों का गठन किया है।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपभोक्ता मंचों के आधरभूत ढांचे (भवन और गैर-भवन परिसम्पतियों) के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहयता प्रदान की जाती है। देश भर के सभी उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग का कार्य भी "कान्फोनेट" स्कीम के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कार्यन्वित किया जा रहा है।

(v) कुछेक राज्य आयोग और जिला मंच मामलों के तुरंत निपटान के लिए लोक-अदालततें आयोजित करने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग ने भी लोक-अदालत आयोजित करना प्रारंभ कर दिया है।

विवरण I

कार्य कर रहे/कार्य न कर रहे उपभोक्ता मंचों के संबंध में सूचना (राज्य आयोग/जिला मंच)

(29.02.2012 तक अद्यतन)

क्र.सं.	राज्य	राज्य आयोग कार्य कर रहा है या नहीं	जिला मंचों की संख्या	कार्य कर रहे	कार्य नहीं कर रहे	की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हां	29	29	0	31.12.2011
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हां	1	1	0	31.3.2006
3.	अरुणाचल प्रदेश	हां	16	13	3	31.12.2011
4.	असम	हां	27	27	0	30.09.2011
5.	बिहार	हां	38	38	0	31.03.2011
6.	चंडीगढ़	हां	2	2	0	31.12.2011
7.	छत्तीसगढ़	हां	16	16	0	31.12.2011
8.	दमन और दीव	हां	2	2	0	31.03.2011
9.	दादरा और नगर हवेली	हां	1	1	0	31.03.2011
10.	दिल्ली	हां	10	10	0	30.09.2011
11.	गोवा	हां	2	2	0	31.12.2011
12.	गुजरात	हां	30	30	0	31.12.2011

1	2	3	4	5	6	7
13.	हरियाणा	हां	21	19	2	31.12.2011
14.	हिमाचल प्रदेश	हां	12	12	0	31.12.2011
15.	जम्मू और कश्मीर	हां	2	2	0	31.03.2009
16.	झारखंड	हां	22	16	6	30.09.2011
17.	कर्नाटक	हां	30	30	0	31.12.2011
18.	केरल	हां	14	14	0	31.12.2010
19.	लक्षद्वीप	हों	1	1	0	31.12.2011
20.	मध्य प्रदेश	हां	48	48	0	31.12.2011
21.	महाराष्ट्र	हां	40	40	0	30.06.2011
22.	मणिपुर	हां	9	9	0	31.12.2008
23.	मेघालय	हां	7	7	0	30.11.2011
24.	मिजोरम	हां	8	8	0	31.12.2010
25.	नागालैंड	हां	8	8	0	31.12.2008
26.	ओडिशा	हों	31	31	0	31.12.2011
27.	पुदुचेरी	हां	1	1	0	30.09.2011
28.	पंजाब	हां	20	20	0	31.12.2011
29.	राजस्थान	हां	34	33	1	30.09.2011
30.	सिक्किम	हां	4	4	0	31.12.2011
31.	तमिलनाडु	हां	30	14	16	31.12.2011
32.	त्रिपुरा	हां	4	4	0	31.12.2011
33.	उत्तर प्रदेश	हां	75	75	0	31.12.2011
34.	उत्तराखंड	हां	13	13	0	31.12.2011
35.	पश्चिम बंगाल	हां	21	21	0	31.12.2010
	कुल		629	601	28	

विवरण II (क)

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में वर्षवार दायर किए गए मामले और उनका निपटान

(31.12.2011 तक)

	2008		2009		2010		2011	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
राष्ट्रीय आयोग	5873	5456	5399	7350	5444	4497 5	099	4219

राज्य	2008		2009		2010		2011	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2014	1595	1485	552	1518	221	31	229
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				
अरुणाचल प्रदेश	3	4	0	0				
असम	146	20	79	194	73	133		
बिहार	616	755	720	717	700	389		
चंडीगढ़	2376	1448	783	1127	575	1061	537	737
छत्तीसगढ़	962	451	891	1232	843	1109	815	758
दादरा व नगर/ दमन व दीव हवेली	0	0	4	0				
दिल्ली	1464	1859	1359	1129				
गोवा	90	177	75	121	78	65	54	25
गुजरात	2428	1739	2248	2516				
हरियाणा	2274	2134	1923	3906	2013	4201	1826	7202
हिमाचल प्रदेश	1508	1521	1694	1789	1722	1689	1357	1183
जम्मू और कश्मीर	182	236	211	236	259	286	260	280
झारखंड	583	515	448	418	368	435	242	363
कर्नाटक	3149	3105	4610	4500	5569	3056	4405	4238
केरल	463	1632	834	1684	792	1545		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लक्षद्वीप	0	0	2	2	10	0	0	
मध्य प्रदेश	3250	3201	2764	1962	2880	2228	1986	1709
महाराष्ट्र	4673	3935	3839	3783	3532	3645	1475	169
मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				
मेघालय	22	4	11	6				
मिजोरम	21	25	9	9	12	12		
नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				
ओडिशा	1122	573	1216	1136	840	1725	871	1192
पुदुचेरी	48	34	19	25	9	12	14	30
पंजाब	1742	1926	2020	1791	2339	1681	2056	1627
राजस्थान	3196	4604	2887	3902	3535	3201	2568	2646
सिक्किम	0	2	4	0	3	6	2	3
तमिलनाडु	1039	933	566	309	1056	1180		
त्रिपुरा	68	121	71	63	53	57	109	86
उत्तर प्रदेश	2832	3569	2733	2161	2760	6998		
उत्तराखंड	290	289	242	391	482	330	281	310
पश्चिम बंगाल	502	694	769	825	967	743		
कुल	37063	37101	34516	36486	32978	36008	18889	22787

विवरण II (ख)

जिला मंचों में वर्षवार दायर किए गए मामले और उनका निपटान

(31.12.2011 तक)

	2008		2009		2010		2011	
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	5561	5358	5015	4075	5418	1749	1368	85
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	16	13						
असम	743	802	154	60				
बिहार	2873	2326	3952	4046	3044	4002		
चंडीगढ़	2908	2791	2600	2477	2509	2123	2261	2420
छत्तीसगढ़	1976	2105	2064	2271	2123	2018	2664	2047
दादरा व नगर हवेली/ दमन एवं दीव	6	0						
दिल्ली	11378	10358	11288	9411				
गोवा	214	278	190	169	177	119	139	110
गुजरात	9418	7895	9970	9636				
हरियाणा	10986	8751	12050	11732	12165	12649	10985	11638
हिमाचल प्रदेश	2153	2290	2387	2253	2229	1956	2298	1943
जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				
झारखंड	1748	2308	1488	1802	918	843	772	642
कर्नाटक	10073	10189	10041	9672	11799	10817	8272	9796
केरल	5119	5802	5608	6177		5115	5991	
लक्षद्वीप	2	3	5	0	8	4		
मध्य प्रदेश	12267	11006	13889	11644	13125	12166	12394	10482
महाराष्ट्र	16956	16375	17933	14578	13708	13614		
मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				
मेघालय	253	214	869	248	72	462		
नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				
ओडिशा	4099	4108	4420	4250	4271	3376	4393	4129
पुदुचेरी	104	61	102	12	123	67	56	60
पंजाब	8684	8917	10559	10247	10745	10961	10063	8962
राजस्थान	17690	15558	15543	10518	18943	16360	14326	11708

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	19	6	7	13	12	13	23	17
सिक्किम	3363	3354	3985	2520	3904	6672		
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं				
उत्तर प्रदेश	24895	19671	24868	18829	25804	24514		
उत्तराखंड	1073	939	1037	890	1218	1626	1206	1083
पश्चिम बंगाल	3907	3325	5207	4911	3849	4467		
कुल	158484	144803	165231	142441	141279	136569	71220	65122

661 -

कृषि और बागवानी संयंत्र सामग्री हेतु 'लोगो'

2293. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 'लोगो' वाले सहायक संस्थानों द्वारा विकसित सभी कृषि बागवानी संयंत्र सामग्री का ब्रांड निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु एक-समान लोगो तैयार करने और लोगो की ब्रांडिंग और उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसके सभी संघटक यूनिटों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 'लोगो' के उपयोग में एकरूपता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, पहले उपयोग में लाए गए कुछ ब्रान्ड नाम अथवा लोगो प्रसिद्ध और मान्यता वाले और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बौद्धि सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के दिशानिर्देशों, भरतीय कृषि अनुसंधान परिषद लोगो के साथ-साथ ऐसे ब्रान्ड नाम/ट्रेडमार्क/लोगो का लगातार इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

661 - 65

केन्द्रीय भण्डार के लिए आबंटित स्थान

2294. श्री पूर्णमासी राम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसरण में नवम्बर 2005 में केन्द्रीय भण्डार को आवंटित स्थानों को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्थानों को रिक्त कराने और उनके विरुद्ध सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख तक बकाया किराया धनराशि और अब तक कुल बाजार किराया से कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(घ) सीसीए निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) महोदया, आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसरण 10.1.2005 संलग्न विवरण के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय भंडार को कहा गया था कि वे उन्हें आबंटित सभी इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से 3 वर्ष की अवधि में खाली कर दें अर्थात प्रत्येक वर्ष एक तिहाई इकाइयों को खाली किया जाए।

(ख) केन्द्रीय भंडार ने अब तक सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) की 17 इकाइयों को खाली किया है। शेष 25 इकाइयों के बाजार किराया प्रभारित किया जा रहा है। आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के पिछले निर्णय की समीक्षा के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिचालित आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए नोट के प्रारूप और मौजूदा जीपीआरए इकाइयों

से केन्द्रीय भंडार को कार्य करने की अनुमति देने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के मद्देनजर केन्द्रीय भंडार की इकाइयों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अंतिम रूप में सीसीए नोट अभी आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष रखा जाना है।

(ग) दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडार पर 5,36,61,290/- रुपये की राशि बकाया है और 2,92,28,921/- रुपये की राशि वसूल कर ली गई है।

(घ) शहरी विकास मंत्रालय ने सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय भंडार के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 09.12.2009 को केन्द्रीय भंडार को आबंटित इकाइयों को खाली कराने की स्थिति की समीक्षा की। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्रीय भंडार द्वारा सरकारी कॉलोनियों में 22 स्थानों पर चिह्नित भूमि पर केलेनिवि द्वारा उनकी दुकानों के निर्माण किए जाने तक दिनांक 09.12.2009 से बाजार किराए के भुगतान पर मौजूदा इकाइयों से केन्द्रीय भंडार को कार्य करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय (शहरी विकास) ने पुन: दिनांक 15.03.2012 को इस मामले की समीक्षा की और केन्द्रीय भंडार द्वारा इकाइयों को खाली करने के बारे में आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के पिछले निर्णय की समीक्षा के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से पूरक सूचना लेकर आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए एक नोट प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।

विवरण

सं. 12035/2/94-नीति-2
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
संपदा निदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 10 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय भंडार को सामान्य पूल रिहायशी आवास का आबंटन।

अधोहस्ताक्षरी को यह निदेश हुआ है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय भंडार को सामान्य पूल आवास के आबंटन के मामले पर विचार किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि:-

(क) भविष्य में केन्द्रीय भंडार अथवा इसी तरह के किसी अन्य संगठन को अथवा किसी फुटकर आउटलेट को रिहायशी/कार्यालय आवास की कोई भी नई इकाई आबंटित नहीं की जाएगी।

(ख) विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय भंडार को अब तक आबंटित किए गए रिहायशी/कार्यालय आवास को चरणबद्ध तरीके से 3 वर्ष की अवधि में खाली कराया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय भंडार को दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर अबंटित रिहायशी/कार्यालय आवास के लिए दिनांक 01.11.2005 से आगे आवास खाली करने की तारीख तक केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा नियत लाइसेंस शुल्क की बाजार दर प्रभावित की जाएगी।

2. सभी अनुभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि वे केन्द्रीय भंडार के कब्जे में चल रहे आवास के आबंटन को 01.11.2005 से मंसूख कर दें और उपर्यक्त निर्णय के अनुसार चरणबद्ध तरीके से आवास खाली कराने की कार्यवाही शुरू करें। यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय भडार के कब्जे वाले आवास के संबंध में संशोधित दरें पर किराया बिल तुरंत जारी करें।

3. यह कार्यालय ज्ञापन इस निदेशालय के दिनांक 24.10.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12016 (2)/80-नीति-2 (खण्ड-3 (11) के अधिक्रमण में जारी किया जा रहा है।

ह/-
(महेन्द्र सिंह)
संपदा उप निदेशक
दूरभाष: 23061749

सेवा में,

अध्यक्ष, केन्द्रीय भंडार, पुष्पा भवन, ई विंग, प्रथम तल, मदनगीर रोड दिल्ली-110062. अनुरोध है कि केन्द्रीय भंडार के कब्जे वाले रिहायशी/कार्यालय आवास को दिनांक 01.11.2005 से 3 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से खाली किया जाए। चरणबद्ध तरीके से आवास खाली कराने का कार्यक्रम बनाया जाए और 1 महीने के भीतर संपदा निदेशालय को सूचित किया जाए। यदि निर्धारित समय में कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाता और इस कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय भंडार के कब्जे वाले एक तिहाई आवास को खाली नहीं किया जाता, तो उसे संपदा निदेशालय द्वारा खाली कराया जाएगा। यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय भंडार के कब्जे वाले आवास के संबंध में हर महीने की 7 तारीख तक संशोधित दर पर किराया संपदा निदेशालय में जमा कराया जाए।

प्रति प्रेक्षित:-

1. श्री के.एल. शर्मा, उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. संपदा निदेशालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।

3. संपदा निदेशालय के सभी प्रादेशिक कार्यालय।
4. संपदा उप निदेशक (किराया)।
5. सहायक संपदा निदेशक (प्रादेशिक)।
6. सचिव (श.वि.) के वरिष्ठ प्र.नि.स.।
7. अपर सचिव (श.वि.) के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी (मार्केटिंग) के निजी सचिव।
8. संपदा निदेशक/संपदा निदेशक-2 के निजी सचिव।

ह/-
(महेन्द्र सिंह)

संपदा उप निदेशक

[हिन्दी]

मरुस्थल क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अनुदान

2295. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदानों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) जी नहीं महोदया। देश के मरुस्थल क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार ने मरुस्थल क्षेत्रों सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी), जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्यागों के विकास को बढ़ावा देने तथा उनहें वैश्विक बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टिकोण से, सरकार ने कर में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करना/कम करना, विशिष्ट खाद्य मदों पर सीमाशुल्क में कमी जैसे अनेक उपाए किए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकरण योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम खेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

खुले एअर थियेटरों को प्रोत्साहन

2296. श्री अशोक तंवर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खुले एअर थियेटरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले एअर थिएटरों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है अथवा कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित और उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में खुले एअर थिएटरों सहित किसी थिएटर का निर्माण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) देश में खुले एयर थिएटरों के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार "स्टूडियो थिएटर सहित भवन अनुदान योजना" कार्यान्वित करती है जिसके अधीन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में थिएटरों, स्टूडियो थिएटरों और खुले एयर थिएटरों सहित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक स्थानों के निर्माण, नवीकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण आदि के लिए सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान के लिए पूर्व की स्कीम के स्थान पर जनवरी, 2011 में यह स्कीम शुरू की गई थी।

पिछले तीन वर्षों में इन स्कीमों के अधीन किया गया आवंटन और व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटन (सं.अ. स्तर पर)	व्यय
2009-10	2.10	1.30
2010-11	3.90	1.12
2011-12 (अद्यतन तारीख तक)	3.00	1.10

(घ) और (ङ) इस स्कीम के अधीन सरकार केवल खुले एयर थिएटरों सहित थिएटरों के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यनिष्पादन

2297. श्री जयराम पांगी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यनिष्पादन में लगतार गिरावट आ रही है क्योंकि लक्षित समूहों का विस्तार नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में समुदाय केन्द्रों/सेवा केन्द्रों/प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण/स्व:रोजगार हेतु कार्यक्रम तथा उधार सोसाइटी आदि भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक ओडिशा सहित इससे राज्य-वार क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के मुख्य घटकों के तहत कार्य निष्पादन निम्नलिखित हैं:

	शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)		शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप अप)	
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2008-09	120000	184736	150000	303418
2009-10	21250	86066	170000	187644
2010-11	25000	82668	200000	254229

अत: राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा यथा-सूचित कार्य निष्पादन में सुधार आया है।

(ग) और (घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों को निम्नलिखित घटकों के लिए निदशी आबंटन से धनराशि जारी की जाती है:

(1) शहरी रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(2) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी)

(3) शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप अप)

(4) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्लयूईपी)

(5) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (यूसीडीएन)

एसजेएसआरवाई के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अध्ययधीन, राज्यों के लिए शहरों और कस्बों में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करने हेतु लचीलापन है जिसमें सामाजिक परिसम्पत्तियों का निर्माण, स्वरोजगार, थ्रिफ्ट और क्रेडिट ग्रुपों को सहायता आदि शामिल है। इनसे संबंधित आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

फोरेंसिक स्टॉफ

2298. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस विभाग के जटिल मामलों को सुलझाने के लिए फोरंसिक स्टाफ की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) साक्ष्य को समुचित ढंग से रिकार्ड करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विभिन्न पुलिस बलों को फोरेंसिक टीमों के साथ-साथ जांच के लिए गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रशिक्षण कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण यह मामला राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्रीय स्तर पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण यह मामला राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। जहां तक संघ सरकार का संबंध है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के कोलकाता, हैदराबाद और चंडीगढ़ स्थित 'केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण' नामक तीन संस्थान हैं जो वैज्ञानिक जांच के विषयों पर पाठ्यक्रम चलाते हैं। गृह मंत्रालय ने दिनांक 16.01.2012 से गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और जयपुर (राजस्थान) में दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय (सीडीटी) शुरू किढ हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण अपराध एवं विधिविज्ञापन संस्थान (एलएनजेएनएनआईसीएफएस) अपराध-विज्ञान और विधि विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी कार्य में सक्रिया है। इसके अतिरिक्त विधिविज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के तहत केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) भी जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा आवश्यकता की सूचना दिए जाने पर समय-समय पर पुलिस अधिकारियों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। डीएफएसएस जब कभी भी आवश्यक हो वैज्ञानिक जांचों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सीडीएस को भी सहायता उपलब्ध कराता है।

सांस्कृतिक निकायों में पेशेवर

2299. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सांस्कृतिक संस्थाओं में पेशेवरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कमियों को दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) यह निर्णय लिया गया था कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन 8 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख के पद खोज-सह-चयन तरीके से व्यावसायिकों द्वारा भरे जाएं। उक्त पद और संगठन निम्नलिखित हैं:-

(1) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(2) महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय

(3) निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय

(4) महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार

(5) निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

(6) निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधनशाला

(7) निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय

इनमें से निम्नलिखित 3 पद खोज-सह-चयन तरीके से व्यावसायिकों की नियुक्ति द्वारा भरे गए हैं:-

(1) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(2) महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार

(3) निदेशक राष्ट्रीय पुस्तकालय।

सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ सांस्कृतिक संगठनों में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए अनेक पद भी सृजित किए हैं।

बीजों की गुणवत्ता

2300. श्री अरुण यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बीज उद्योग के समक्ष आ रही चुनौतियों का आकलन कराने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बीज उद्योग को उसके वैज्ञानिक आधार में सुधार करने के लिए क्या सहायता दी जा रही है ताकि बीजों की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाया जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी नहीं। देश में बीज उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का आकलन करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए अवसरंचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के तहत बीज उद्योग को बीजों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधों के लिए इसके वैज्ञानिक आधार

की प्रगति सहित कई कार्यकलापों हेतु सहायता मुहैया करा रहा है। स्कीम के घटकों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) बीज ग्राम कार्यक्रम

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता।

(iii) निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता।

(iv) बीज बैंक की स्थापना और रखरखाव।

(v) बीजों के संचलन पर परिवहन राजसहायता।

(vi) बीजों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंध।

(vii) कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

(viii) संकर चावल बीज उत्पादन के लिए सहायता।

(ix) बीज निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता।

स्कीम के तहत 2005-06 से निर्मुक्त की गई घटक-वार निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

स्कीम के तहत 2005-06 से निर्मुक्त की गई घटक-वार निधियां

क्र. सं.	घटक का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	बीज ग्राम	14.77	87.17 (पीएम पैकेज शामिल है. 73.69)	357.12 (पीएम पैकेज शामिल है. 310.55)	503.18 (पीएम पैकेज शामिल है. 445.81)	216.60	160.02	220.02	1559.18
2.	सार्वजनिक क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाएं	12.70	6.25	29.39	25.29	127.46	37.87	24.71	263.67
3.	निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	7.00	0	0	5.00	2.62	9.65	5.00	29.27
4.	बीज बैंक	8.11	8.00	5.63	4.52	4.45	6.70	3.23	40.64
5.	परिवहन राजसहायता	0.98	1.00	1.33	4.14	3.03	2.65	0	13.13
6.	गुणवत्ता नियंत्रण	2.02	15.96	7.07	3.58	6.67	4.84	2.58	42.72
7.	कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग	12.31	10.00	4.14	2.62	0.77	0.85	0.84	31.53
8.	संकर चावल बीजों को बढ़ावा	2.41	7.80	2.12	0.58	4.40	4.75	2.24	24.30
9.	बीज निर्यात बढ़ाना	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	60.30	136.18	406.80	548.91	366.00	227.33	258.92	2004.44

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0 1/4 बजे

इस समय डॉ. जी. विवेकानन्द और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0 1/2 बजे

इस समय श्री रमेश राठौड़ और कुछ अन्य सदस्य आगे आकर सभा पटल के फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदया: अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री शरद पवार

...(व्यवधान)

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

   (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल.टी. 6304/15/12]

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

   (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

   (दो) गुजरात सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6305/15/12]

5. कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6306/15/12]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. गृह मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-एक) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6307/15/12]

2. गृह मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (बिना विधायिका के संघ राज्यक्षेत्र) (खंड-दो) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल.टी. 6308/15/12]

3. गृह मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6309/15/12]

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): महोदय अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:-

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6310/15/12]

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6311/15/12]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पर रखता हूं:-

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6312/15/12]

2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6313/15/12]

...(व्यवधान)

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, अपनी सहयोगी, कुमारी सैलजा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6314/15/12]

2. (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6315/15/12]

4. (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6316/15/12]

6. (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6317/15/12]

8. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6318/15/12]

(दो) संस्कृति मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6319/15/12)

(तीन) संस्कृति मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6320/15/12]

...*(व्यवधान)*

विधि और न्याय मंत्री तक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदया, मैं विधि और न्याय मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6321/15/12]

युवा कार्य और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की सभा पटल पर रखता हूं:-

1. युवा कार्य और खेल मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6322/15/12]

2. (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6323/15/12]

...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखता हूं:-

1. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6324/15/12]

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6325/15/12]

(तीन) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6326/15/12]

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 886(अ)/एस्स.काम./सुगर जो 16 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वर्ष 1996-1997 से वर्ष 2000-2001 सुगर सीजन के लिए अधिसूचित लेवी प्राइस को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6327/15/12]

(दो) सा.का.नि. 859(अ)/एस्स.काम./सुगर जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2007-2008 सुगर सीजन के लिए

गन्ना का फैक्टरी-वार उचित और लाभकरी मूल्य अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6328/15/12]

...*(व्यवधान)*

679-81 **गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन):** महोदया, मैं विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) का.आ. 340(अ) जो 28 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले के अंतर्गत रक्सौल में अवस्थित इमीग्रेशन चेक पोस्ट के लिए 29 फरवरी, 2012 से वरिष्ट आप्रवास अधिकारी, इमीग्रेशन ब्यूरो, रक्सौल को 29 फरवरी, 2012 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का.आ. 330(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत गुजरात राज्य में अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए "रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" के कृत्यों के निष्वादन के लिए मुख्य आप्रवास अधिकारी, अहमदाबाद को 29 फरवरी, 2012 से नियुक्त किया गया है।

(तीन) का.आ. 331(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ गुजरात राज्य के अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए मुख्य आप्रवास अधिकारी, अहमदाबाद को 29 फरवरी, 2012 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(चार) का.आ. 146(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ केरल राज्य में कोझीकोड सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोझीकोड रूरल पुलिस डिस्ट्रीक्ट और कालीकट (कोझीकोड) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कालीकट (कोझीकोड) बंदरगाह सहित मलापुरम जिले सहित कोझीकोड की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कालीकट (कोझीकोड) को 29 फरवरी, 2012 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(पांच) का.आ. 147(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत कोझीकोड सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोझीकोड रूरल पुलिस डिस्ट्रीक्ट और कालीकट (कोझीकोड) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कालीकट (कोझीकोड) बंदरगाह सहित मलापुरम जिले सहित कोझीकोड की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कालीकट (कोझीकोड) को 29 फरवरी, 2012 से 'रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(छह) का.आ. 148(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ केरल राज्य में कोचीन (कोच्चि) अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन सहित कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोच्चि और एर्नाकुलम रूरल डिस्ट्रिक्ट सहित संपूर्ण एर्नाकुलम राजस्व जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोचीन (कोच्चि) को 31 जनवरी, 2012 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(सात) का.आ. 149(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत केरल राज्य में कोचीन (कोच्चि) अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन सहित कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोच्चि ओर एर्नाकुलर रूरल डिस्ट्रिक्ट सहित संपूर्ण एर्नाकुलम राजस्व जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोचीन (कोच्चि) को 31 जनवरी, 2012 से "रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(आठ) का.आ. 150(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ केरल तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन सहित सिटी और रूरल दोनों पुलिस डिस्ट्रिक्ट से बने संपूर्ण तिरुवनंतपुरम जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तिरुवनंतपुरम को 31 जनवरी, 2012 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(नौ) का.आ. 151(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सहित सिटी और रूरल दोनों पुलिस डिस्ट्रिक्ट से बने संपूर्ण तिरुवनंतपुरम जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तिरुवनंतपुरम को 31 जनवरी, 2012 से "रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6329/15/12]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौगत राय): महोदया, मैं कैलेंडर वर्ष 2011 के दौरान 5% विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत किए गए विवेकाधीन आवंटनों के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6330/15/12)

...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): महोदया, मैं वर्ष 2012 के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6331/15/12]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): महोदया, मैं, अपने सहयोगी, डॉ. एस. जगतरक्षकन की ओर से वर्ष 2012-13 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6332/15/12]

...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): महोदया, मैं वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 2012 जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6333/15/12]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदया, मैं वर्ष 2012-2013 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6334/15/12]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6335/15/12]

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6336/15/12]

(तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6337/15/12]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 199 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 2011 जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 95(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल.टी. 6338/15/12]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. "दोषपूर्ण स्लीपिंग बैगों का प्रापन" के बारे में 20वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
2. "पारस्परिक रूप से सहमत अपेक्षाकृत कम मूल्य के अंगीकरण के कारण अवमूल्य" के बारे में 79वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
3. "स्वीकृत अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय और प्रभारित विनियोग (2005-06)" के बारे में 84वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
4. "स्वीकृत अनुदानों अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय और प्रभारित विनियोग (2006-07)" के बारे में 26वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
5. "पनडुब्बियों के अर्जन में वेंडर को अनुचित लाभ" के बारे में 29वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
6. "बाघ अभयारण्यों में बाघों का परिरक्षण और संरक्षण" के बारे में 34वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

अपराह्न $12.2^1/_2$ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

29वां और 30वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं-

1. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों 2011-2012 के बारे में कृषि संबंधी समिति (2010-11) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2011-2012 के बारे में कृषि संबंधी समिति (2010-11) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

29वां और 30वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राव इन्द्रजीत सिंह (गुड़गांव): महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न $12.03^1/_2$ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

24वें से 27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हेमानन्द बिसवाल (सुंदरगढ़): महोदया, मैं, श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी

---

*ये प्रतिवेदन अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 16 फरवरी, 2012 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष (पन्द्रहवीं लोक सभा) को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'जूट क्षेत्र का विकास' के बारे में वस्त्र मंत्रालय से संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(3) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

(4) श्रम और रोजगार मंत्रालय के 'नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय एक समीक्षा' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

11वां और 12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर): महोदया, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन की समीक्षा' के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

(2) 'क्षीण होते भूमिगत जल स्तर के संवर्धन, भूमिगत जल का सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, प्रयोग तथा जल प्रदूषण का निवारण' के बारे में 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

अपराह्न $12.04^1/_2$ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

227वें से 229वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी): महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के पुनरूज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 218वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाई टिप्पण संबंधी 227वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनरूज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 219वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाई टिप्पण संबंधी 228वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित एमएसएमई सेक्टर को ऋण सुविधाओं के बारे में 229वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): महोदया, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2014 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में कृषि संबंधी समिति की बाईसवें प्रतिवेदन (2011-12) में शामिल की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*(सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6339/15/12)

कृषि संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का बाईसवां प्रतिवेदन 29.08.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 हेतु कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है और इसमें 18 सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें मुख्यत: भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति, निधियों के आबंटन और उपयोग, नई स्कीमों, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आयोजना, कृषि उत्पादन अनुमानों, कृषि उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली, सहकारिता, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, भारत में कीट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन और बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित हैं। समिति को प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणों पर की गई कार्रवाई की विवरणी दिनांक 26.12.2011 को कृषि से संबंधित स्थायी समिति को भेजी गई।

18 सिफारिशों में से एक सिफारिश (1.4) समिति को छठे प्रतिवेदन के अंतिम उत्तर में है और दूसरी (3.43) सामान्य स्वरूप की है। शेष 16 सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का उल्लेख मेरे वक्तव्य के अनुबंध में किया गया है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं इस अनुबंध की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए सदन का बहुमूल्य समय लेना नहीं चाहूंगा, इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.05½ बजे

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो के.वी. थॉमस): महोदया, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम (माननीय अध्यक्ष लोक सभा द्वारा जारी लोक सभा बुलेटिन, भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 का ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बारहवें प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई/स्थिति दर्शाने वाला विवरण अलग से संलग्न है। कृपया नोट किया जाए कि बारहवें प्रतिवेदन में 33 सिफारिशें की गई थी, जिनमें से 31 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। समिति की इन सिफारिशों की जांच उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा सावधानीपूर्वक की गई है। जिन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। स्वीकार नहीं किया गया है। जांचाधीन हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:'

बारहवीं रिपोर्ट

सिफारिशों की कुल संख्या	स्वीकार	आंशिक रूप से स्वीकार/कार्यान्वित	जांचाधीन
33	31	1	1

बारहवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई से समिति को कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/10/2011-एसी दिनांक 4 नवम्बर 2011 द्वारा अवगत कराया गया था।

अपराह्न 12.06 बजे

''जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन'' के बारे में दिनांक 29.11.2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं, जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन के संबंध में दिनांक

*(सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6340/15/12)

*(सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 6341/15/12)

29.11.2011 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर को निम्नानुसार संशोधित करने का निवेदन करता हूं:-

उत्तर दिए गए प्रश्न का भाग	के स्थान पर	पढ़ा जाए
(क) और (ख)	जी, हां। वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात्, 01.01.2011 से 31.10.2011 तक 96,15,60,797,00 रु. के अंकित मूल्य के कुल 1946712 जाली भारतीय करेंसी नोटों को जब्त तथा बरामद किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अवधि के दौरान सूचित ऐसी जब्ती तथा बरामदगी का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।	जी हां। वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात 01.01.2011 से 31.10.2011 तक 17,01,21,026,00 रुपए के अंकित मूल्य के कुल 364986 जाली भारतीय करेंसी नोटों को जब्त तथा बरामद किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अवधि के दौरान सूचित ऐसी जब्ती तथा बरामदगी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

विवरण

जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन

(*दिनांक* 01.01.2011 से 31.10.2011 तक के आंकड़े)

क्र.सं. राज्य	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित किए गए नोटों की कुल संख्या (आर+एस)	कुल मूल्य (रुपये) (आर+एस)	एफआईआर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	43497	19311970	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	11000	2
3.	असम	911	526850	31
4.	बिहार	7051	2533605	27
5.	छतीसगढ़	409	209970	17
6.	गोवा	965	596390	29
7.	गुजरात	21167	11838940	113
8.	हरियाणा	1408	215960	14
9.	हिमाचल प्रदेश	174	111000	3
10.	जम्मू और कश्मीर	5689	3123890	34
11.	झारखंड	10	5000	1
12.	कर्नाटक	11348	6314180	20
13.	केरल	5119	2165650	23
14.	मध्य प्रदेश	5094	1466190	4

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	54368	29296070	187
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	211	121400	6
20.	ओडिशा	3688	1379020	0
21.	पंजाब	3705	1283100	5
22.	राजस्थान	9654	3956665	18
23.	सिक्किम	104	61500	3
24.	तमिलनाडु	20802	11226320	0
25.	त्रिपुरा	120	57200	5
26.	उत्तर प्रदेश	36272	13366695	114
27.	उत्तराखंड	192	93300	9
28.	पश्चिम बंगाल	39419	20367061	72
	कुल	271398	129638926	832
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	13319	3669450	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	80264	36809650 30	
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	5	3000	2
	कुल	93588	40482100	32
	कुल योग	364986	170121026	864

टिप्पणी:

आर: भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद

एस: पुलिस द्वारा जब्त

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो।

आंकड़े अनंतिम हैं और निरंतर अद्यतन बनाए जाने के अध्यधीन हैं।

विलंब के कारण

जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन के संबंध में दिनांक 2911.2011 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 102 का उत्तर तैयार करते समय, आसूचना ब्यूरो (आईबी) सहित विभिन्न एजेंसियों से जानकारी मांगी गई थी। आसूचना ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में अनुलग्नक के रूप में एनसीआरबी के आंकड़े संलग्न करते हुए एफआईसीएन की जब्ती के ब्यौरे दिए हैं। आसूचना ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में एनसीआरबी के आंकड़ों में त्रुटि पर आपत्ति/टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा, एनसीआरबी ने गृह मंत्रालय की जब्ती एवं बरामदगी की अद्यतन जानकारी अलग से दी जिसमें जब्ती/बरामदगी के आंकड़े, आईबी द्वारा अनुलग्नक में दिए गए आंकड़ों से थोड़ा बहुत अधिक थे। गृह मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न का उत्तर देने के दिन ब्रीफिंग के दौरान आईबी द्वारा बरामदगी/जब्ती के आंकड़ों को संशोधित करने की बात नहीं की गई थी। ऐसी मानवीय त्रुटि इस वजह से हुई थी कि एनसीआरबी द्वारा जानकारी प्रस्तुत करते समय ये आंकड़े असावधानीवश दर्ज हो गए थे। तद्नुसार, तारांकित प्रश्न का उत्तर उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 29.11.2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के तहत पहले दिए गए उत्तर को संशोधित करने की कार्रवाई आरम्भ की गई है।

असुविधा के लिए खेद है।

अपराहन 12.07 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-*जारी*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): महोदया, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से वर्ष 2012-2013 हेतु संसद, राष्ट्रपति सचिवालय और उपराष्ट्रपति सचिवालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी) और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6303/15/12]

अपराह्न 12.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन अन्तर्गत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं इस संबंध में अपनी पर्ची पटल पर व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनके लिए नियत समय के अन्दर सभा पटल पर पर्चियां प्राप्त हुई हैं। शेष मामलों को व्यपगत समझा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) कैंसर के उपचार के लिए पंजाब के गुरदासपुर में एक मल्टी-सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमानों से पता चला है कि किसी भी समय भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 28 लाख के लगभग रहती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार यह संख्या प्रत्येक वर्ष दर्ज किए जा रहे 9.8 लाख नए मामलों से अलग है। विकासशील दुनिया में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण होने के नाते कैंसर की बीमारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या भारत में बढ़ रही है। प्रति लाख जनसंख्या पर 30.54 कैंसर रोगियों के औसत से इस संबंध में पंजाब की स्थिति काफी निराशाजनक है।

रिपोर्टों से पता चलता है कि डीडीटी, बीएचसी (बेजीन हेक्सा-क्लोराईड) जैसे कीटनाशकों और यूरेनियम और भारी धातुओं की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति के कारण भूमिगत जल ने कैंसर काकरेल का रूप ले लिया है। वैकल्पिक स्रोतों की कमी के कारण ऐसे निर्दोष लोग जो इस जल का उपयोग कर रहे हैं, वे इस भरी आफत का शिकार हो रहे हैं और स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि राज्य के अंदर एक बड़े क्षेत्र को कैंसर पट्टी का नाम दे दिया गया है।

कैंसर की पहचान और उसके उपचार की प्रक्रिया अभी तक शिथिल रही है। आईसीएमआर और 'नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफोक्मैटिक्स एंड रिसर्च' ने यह दावा किया है कि राज्य में कैंसर के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। कैंसर रोगियों की अधिक संख्या के कारण राज्य के स्वास्थ्य ढांचे के साथ कोई तालमेल नहीं बैठ पाता। कैंसर रोगियों को दूसरे राज्यों से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

राज्य में मुट्ठीभर कैंसर के अस्पताल हैं। गरीब के लिए कैंसर का उपचार अभी तक एक दु:स्वप्न है और कड़वी सच्चाई है। उत्तरी क्षेत्रों जैसे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुरदासपुर सहित राज्य के विभिन्न भागों में विशेष नैदानिक और उपचार सुविधाओं से लैस

*सभा पटल पर रखे माने गए।

मल्टी-सुपर स्पेशालिटी अस्पताल खोलने की तत्काल और अपरिहार्य आवश्यकता है।

कैंसर से जूझ रहे लोगों की संख्या पता लगाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर तत्काल कदम उठाए जाएं। कैंसर को एक सूचनीय बीमारी बनाने की आवश्यकता है ताकि अस्पतालों के लिए प्रत्येक कैंसर मामले की जानकारी देने और उसका उपचार करने की अनिवार्यता हो। एक सुस्थापित कोष वितरण तंत्र के माध्यम से ऐसे रोगियों को नि:शुल्क देखभाल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मैं माननीय मंत्री से मामले की जांच करने और गुरदासपुर को प्रथामिकता देते हुए एक ऐसा मल्टी-सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल खोलकर लोगों को आशा की एक किरण उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

(दो) राउरकेला-इलाहाबाद (ट्रेन सं. 18109/19110) एक्सप्रेस को संबलपुर तक बढ़ाए जाने तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता संबलपुर, ओडिशा चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अमरनाथ प्रधान (संबलपुर): मृतक की अंतिम रीतियों को पूरा करने के लिए संबलपुर से इलाहाबाद तक कोई सीधा ट्रेन संपर्क न होने के कारण समस्त पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र के लोग बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं रेल मंत्री से 18109 राउरकेला-इलाहाबाद और इलाहाबाद-राउरकेला ट्रेन (18110) जम्मू-पूरी एक्सप्रेस को संबलपुर तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं जिसका राउरकेला से यात्रा समय बमुश्किल ढ़ाई घंटे हैं। दूसरे भुवनेश्वर राजधानी जो प्रतिदिन भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक चलती है को समस्त पश्चिमी ओडिशा के रेल यात्रियों की काफी समय से लंबित चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 दिन बरास्ता संबलपुर चलाया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय को तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में लगभग आधी आबादी मुस्लिमों की है, यहां पर बड़ी संख्या में जनजातीय लोग, गरीब, अनुसूचित, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यहां का शिक्षा का स्तर अत्यंत गिरा हुआ है। निर्धनता के कारण माता पिता अपने बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। यहां के गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। इसको देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। बार-बार अनुरोध करने के बाद भी किन्तु अभी तक न तो केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ न ही किसी किराये के भवन में केन्द्रीय विद्यालय को खोला गया।

सरकार से अनुरोध है कि जनहित में बहराइच संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय का शीघ्र निर्माण कराने तथा केन्द्रीय विद्यालय का शिक्षक किराये के भवन में प्रारंभ कराने की अनुमति देने की कृपा करें।

(चार) केरल के पश्चिमी तट नहर नेटवर्क के अंतर्गत कैनोली नहर के तल से गाद निकालने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.के. राधवन (कोझिकोड): मानव निर्मित कैनोली नहर पश्चिमी तट नहर नेटवर्क का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय परिवहन नीति समितियों द्वारा चिहि्त किया गया है। 1950 तक, इस नहर को एक प्रमुख व्यापार बिन्दु के तौर पर उपयोग किया जाता था। वर्तमान में यह अत्यधिक प्रदूषित है। 1948 में निर्मित इस 11.4 किमी लंबी नहर का अनियंत्रित तरीके से अतिक्रमण किया गया है और इसमें ठोस अपशिष्ट डाला जा रहा है। बहाव की बहाली के लिए नहर के तल से गाद निकालने तथा कुछ स्थानों पर इसे गहरा करने की भी आवश्यकता है। बेहतर मोटयुक्त परिवहन सुविधा के कारण यह सामान ढोने और यात्री यातायात के लिए एक वैकाल्पिक रास्ता हो सकता है। इस नहर का पानी खारा है और अध्ययन यह दर्शाता है कि इसने आस-पास के भूमिगत जल को भी प्रभावित किया है। इस ऐतिहासिक नहर का पुनरुद्वार करने के लिए एक मजबूत कार्य योजना की आवश्यकता है जिससे यह एक प्रमुख जल-मार्ग बन सकता है। यह एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बन सकता है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इसके पुनरुद्वार हेतु तत्काल कम से कम 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाएं और काम शुरू किया जाए।

(पांच) लहसुन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा के संभाग परिक्षेत्र में लहसुन की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, परंतु अधिक उत्पादन होने के कारण लहसुन 5 रुपये से 10 रुपये के बीच

किसानों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक बिगहा में लहसुन का उत्पादन करने के लिए रु. 18,000 की लागत आ रही है, अधिक लहसुन के होने के कारण किसानों को उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रही है जिसके कारण किसान जब मंडी में लहसुन बेचने के लिए ले जाता है तो व्यापारी लोग 5 रुपये किलो में लेने को ही तैयार है और किसानों को कहा जाता है बेचना हो तो 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही व्यापारी देंगे नहीं तो लहसुन को अपने घर ले जाओ। खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है। किसानों के हितों को देखते हुए लहसुन का समर्थन मूल्य घोषित तत्काल किया जाना अति आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों की हालत में सुधार करने एवं उनकी उत्पादन लागत से अधिक मूल्य मिले इसके लिए लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये।

(छह) बीड़ी श्रमिकों को कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बीड़ी श्रमिकों की पहचान किए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में 15 हजार से ज्यादा बीड़ी श्रमिक होने के बाद भी अभी तक प्रतापगढ़ को बाड़ी मजदूर बहुत क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं किया है। जिसके कारण इन मजदूरों को स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण संबंधी एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के गोला ब्लाक, कालाकांकेर ब्लाक, पट्टी ब्लाक, मानदाता ब्लाक, कुन्डा ब्लाक, शिवगढ़ ब्लाक में यह बीड़ी मजदूर बहुत क्षेत्र के रूप में कल्याण संबंधी एवं केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना का लाभ नहीं पट्टी ब्लाक, मानदाता ब्लाक, कुन्डा ब्लाक, शिवगढ़ ब्लाक में यह बीड़ी मजदूर फैले हुए हैं और इनके परिवार दयनीय स्थिति से गुजर रहे है और कई परिवार टी. बी. की बीमारी से ग्रस्त है। प्रतापगढ़ जिले में 22 इकाईयों में बीड़ी बनाने का कार्य इनको सिखाया जा रहा है जिससे बीड़ी मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास के जिलों में बीड़ी मजदूरों को चिन्हित किया हुआ है तो प्रतापगढ़ को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर दो हजार बीड़ी बनाने के लिए 35 रुपये दिया जाता है। एक परिवार जिसमें चार सदस्य होते हैं वे दो दिन में 2000 हजार बीड़ी बना पाते है जो एक दिन का 15 रुपये से कम पड़ता है। इस तरह से बीड़ी मजदूरों को उनकी मेहनत का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ को बीड़ी मजदूरों की बहुलता वाले क्षेत्र के रूप में चिहित किया जाये जिससे बीड़ी मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके।

(सात) देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के करीम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में एकीकृत जिलों में एकीकृत कार्य योजना में शिक्षा को महत्व प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): मैं बारहवीं योजना अवधि में के पूरे देश, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में समेकित कार्य योजना में एक साथ शिक्षा को लेने और इसे सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

जैसा कि सरकार को जानकारी है कि पूरे देश में वामपंथी नक्सल उग्रवाद प्रभावित लगभग 150 जिलों में कार्यावित की जा रही अद्वितीय समेकित कार्य योजना के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों हेतु विकास योजनाओं को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे देश में चर्यानत 15 जिलों में आंध्र प्रदेश से छह और जिलों को शामिल किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमनगर को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए मैं सरकार का आभारी हूं। सरकार को 12वीं योजना अवधि में आईएपी योजना के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य सरकार के स्कूलों जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा करीमनगर सहित प्रत्येक राज्य में सभी कॉलेजों को सुदृढ़ बनाकर लोगों के बीच शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर और उसे विकसित करके पूरे देश में शिक्षा को महत्व देते हुऐ आईएपी योजना का स्कूल बनाने पर और अधिक ध्यान देना चाहिए।

अत: मैं अध्यक्ष पीठ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से ऐसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमनगर के निर्धन और दलित वर्ग के लोगों की बेरोजगारी दूर करने के अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं योजनाएं तैयार और आरंभ करके तथा आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों के सहयोग से चयनित जिलों को बराबर अनुदान/निधियां जारी करके इस योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आईएपी के अंतर्गत पहले से चयनित जिलों में शिक्षा को महत्व देने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध से गाद निकाले जाने का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवराम गौडा (कोप्पल): तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में कोप्पल, रायचूर और बेल्लारी जिलों से हो कर बहती है। इस नदी

के किनारों पर बसे लोगों की समृद्धि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण 1953 में किया गया। यह बांध कर्नाटक के मलनाड और सूखे क्षेत्रों में जल का एक प्रमुख स्रोत है, इस जलाशय से 1 लाख 50 हजार और 570 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, आस-पास के कस्बों और गांवों की पेय जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तुंगभद्रा नदी का उपयोग किया जा रहा है। आसपास के शहरों को भी इसके जल की आपूर्ति की जा रही है। इस जलाशय की मूल भंडारण क्षमता 133 टीएमसी फुट है। हाल के वर्षों में घटिया रख-रखाव के कारण बांध में गाद जमा हो गई है।

जिससे हाल ही में इसकी जल भंडारण क्षमता कम हो कर 104 टीएमसी फुट रह गई है।, एक अनुमान के अनुसार, प्रति वर्ष 29 टीएमसी जल की हानि होती है। इसके परिणामस्वरूप विनाशकारी परिणाम आए है क्योंकि प्रतिवर्ष मानसून के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ और गर्मियों से सुखे की स्थिति से कृषि और पेय जल दोनों की भारी कमी हो जायेगी।

अत: मैं केन्द्र सरकार से तुरंत तुंगभद्रा बांध की गाद निकालने का कार्य आरंभ करने का सुझाव देता हूं ताकि नदी की जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि तुंगभद्रा बांध के अतिरिक्त जल को नहरों के माध्यम से आस पास स्थित झीलों और तालाबों में प्रवाहित किया जाए।

अंत में, मैं केन्द्र सरकार से इन सुझावों पर विचार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। 699-700

(नौ) झारखंड की "रौतिया", "कोल्ह-तेली" और "पुरन" जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

(Rule 377)

[हिन्दी]

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मैं सरकार का ध्यान झारखंड राज्य सहित देश की उन जातियों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि मूल रूप से जनजाति समाज से संबंधित हैं तथा उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है अत: इन जातियों को जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता क्षेत्रीय जनता द्वारा वर्षों से महसूस की जा रही है। ये जातियां हैं: 1. रौतिया 2. कोल्ह-तेली 3. पुरान जाति। झारखंड राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के पास भी उपरोक्त जातियों के जन-जाति होने संबंधित प्रमाण उपलब्ध होंगे। पूर्व में इन जातियों को जन-जाति के रूप में स्वीकार करने के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा अनुशंसा भी की जा चुकी है। परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार ने इस विषय पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। इसके क्या कारण हैं? जबकि जाति-निर्धारण सम्बन्धित सभी मापदंड इन जातियों को जन-जाति होने का प्रमाण देते है।

उपरोक्त तीनों जातियों के संदर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध है, कि कृपया जनहित को ध्यान में रखते हुऐ, इन तीनों जातियों को शीघ्र-अतिशीघ्र जन-जाति घोषित किया जाये, जिससे कि इनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और यह समाज में ससम्मान अपना जीवन यापन कर सके तथा इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। 700

(दस) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर एक पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

(Rule 377)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे शिवहर लोक सभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 104 के 38वां कि.मी. अन्तर्गत फतेहपुर-शिवहर का आर.सी.सी. पुल का निर्माण विगत तीन वर्षो से अधूरा पड़ा हुआ है। यह शिवहर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला एक मात्र सड़क पुल है। डायवर्सन के सहारे आवागमन जारी है तथा वर्षा के दिनों में जल-जमाव से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने पूर्व में कई बार पत्र के माध्यम से एवं स्वयं मंत्री महोदय से मिलकर इस विषय पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है परन्तु अब तक कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है। दो जिलों को परस्पर आपस में जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क पुल का अब तक निर्माण न हो पाने से क्षेत्र की जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग-104 के 38वां कि.मी. अन्तर्गत फतेहपुर-शिवहर का आर.सी.सी. पुल के निर्माण की कार्यवाही की जाये जिससे कि उक्त पुल से आवागमन सुगम हो सके। 700-01

(ग्यारह) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

(Rule 377)

[अनुवाद]

श्री राजेन गोहैन (नोगोंग): एआर इंडिया का परिचालन व्यय, अन्य निजी संचालकों की तुलना में लगभग दोगुना है। प्रति विमान कार्य पर लगाई गई श्रमशक्ति भी कुछ अन्य निजी यातायात संचालकों की तुलना में लगभग 80% अधिक है। एअर इंडिया के

पायलटों को कुछ अन्य निजी संचालनों से 60% अधिक वेतन और अनुपलब्धियों का भुगतान किया जाता है और फिर भी एआर इंडिया के पायलट अपने वेतन और परिलब्धियां बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं जबकि संगठन का तुलन पत्र वर्ष दर वर्ष करोड़ों रुपये का घाटा दिखा रहा है। सरकार को घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कारणों का पता लगाना चाहिए और करदाताओं के पैसे पर एक वर्ग के लोगों द्वारा उठाये जा रहे आनंद को बंद करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। पुन: यह देखा गया है कि बहु एकक परिचालन वाले कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम खराब परिचालन अथवा किसी विशेष इकाई के बंद हो जाने के कारण घाटा उठा रहे हैं। ऐसे मामलों में विनिवेश के बजाय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समग्र निष्पादन को सुधारने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे बंद रुग्ण एकको पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत मालवीय रोड-कसया रोड इंटरसेक्शन पर एक रेल उपरि पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): उत्तर पूर्वी रेलवे अंतर्गत देवरिया कसया रेलवे प्रखंड में स्थित मालवीय रोड एवं कसया रोड क्रॉसिंग पर एक उपरी पुल बनाया जा रहा है जिसकी रेलवे लाइन छपरा तक जा रही है। जिस सड़क मार्ग पर उपरी पुल बनाया जा रहा है वह अत्यंत व्यस्त मार्ग है और उपरी पुल बनाने का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है जिसके कारण एक ओर तो यातायात बाधित हो रहा है और दूसरी ओर लोगों को मिलने वाली सुविधा दिलवाने के कार्य में नाहक देरी हो रही है। इस उपरोक्त पुल पर डबल ट्रेक एवं रेलवे लाइन विद्युतीकरण का कार्य भी होना है जो उपरोक्त उपरी पुल पर धीमी गति से कार्य होने से उनके कार्य को आरंभ करने पर प्रभाव पड़ेगा एवं इन कार्यों को करने में देरी हो रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त उपरी पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाये।

(तेरह) मगही भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मगही बिहार के जन-जन की भाषा है और बिहार के नालन्दा, नवादा, पटना, गया, औरंगाबाद, बाढ़, शेखपुरा बख्तियारपुर, फतुहा, टेरी, हिसुआ, राजगीर इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है। इसको बोलने वाले लगभग 5 करोड़ लोग हैं लेकिन इसको अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में नहीं लिया गया है। बिहार के लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं आंदोलनरत हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। मगही, मगध क्षेत्र की भाषा है। मगही, मगध का ही अपभ्रंश है। मगध साम्राज्य को आज इतिहास भूल नहीं सकता।

इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो मगही भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में ले लें।

(चौदह) तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोलारपेट रेलवे जंक्शन पर स्थित उपरि पुल पर पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूवन्नामलाई): तिरूवन्नामलाई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जालारपेट रेलवे जंक्शन एक्सप्रेस पैसेन्जर और मालगाड़ी सेवाओं के एक विशाल रेल यातायात को संभालता है। जैस कि कस्बा का विकास हो रहा है और आकार में बढ़ता जा रहा है, रेलवे जंक्शन अब जोलारपेट कस्बे के मध्य में आता जा रहा है। आम लोग, जिन्हें सरकारी अस्पताल, रेलवे एवं पशु चिकित्सालयों, स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, विभिन्न बैकों, पुलिस थाने और बिजली बोर्ड कार्यालयों के अलावा विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जाना पड़ता है, निरपवाद रूप से एवं अनिवार्यत रेलवे उपरि पुल, जो कि जोलारपेट कस्बे के पूर्वी और पश्चिमी भाग को जोड़ता है, पर निर्भर है। प्रतिदिन कम से कम पचास हजार लोग उस रेलवे उपरि पुल का उपयोग करते हैं। दुर्भाग्यवश, उस रेलवे उपरि पुल का उपयोग करने से रेलवे पदाधिकारियों द्वारा जनता को रोका जाता है, जिसे बंद करने की जरूरत है। चूंकि, इससे सभी संबंधित व्यक्तियों को भारी असुविधा हो सकती है, अत: इसके पास में एक और उतना ही मजबूत रेलवे पुल के निर्माण किए जाने पर विचार करना ज्यादा ठीक है। इस बात पर अथवा ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली में मेट्रो रेल, जहां कहीं भी जरूरत हो, विस्तृत सड़क पुल या सुरंग पथ का निर्माण करके जनता विशेषट पादचारियों को फायदा देने में सहायता करता है। इसलिए, मैं रेल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि जनता को बिना कोई असुविधा पहुंचाये एक और मजबूत पुल का निर्माण करके जनता के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। मैं माननीय रेल मंत्री से इस संबंध में सकारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करता हूं।

703

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा जिले में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

(नियम 377)

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा): नियम 377 के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा जिले में एफएम रेडियो सेवा को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जबकि कई जिलों में एफ एम रेडियों सेवा उपलब्ध करवा दी गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों के पास मनोरंजन के साधन नहीं हैं वह टी वी खरीद नहीं सकते हैं और कृषि कार्य में व्यस्त होने के कारण टी वी के कार्यक्रम भी नहीं देख सकते हैं। एफ एम के माध्यम से वह ज्ञान विज्ञान की जानकारी एवं संगीत एवं गाने के रूप में उन्हें ज्ञान एवं मनोरंजन का अच्छा साधन उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर इस सेवा को मेरे बुलढाणा जिले में एफ एम रेडियो के माध्यम से प्रचारित किया जाये तो विज्ञापन से आय की काफी संभावना है। विश्व में आधुनिक तकनीकी विकसित हो चुकी है परन्तु भारत में एफ एफ रेडियो सेवा को कई जिलों में अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सरकार द्वारा सभी जिलों में एक साथ एवं एक जैसी सुविधाएं एफ एम रेडियो की सुविधा प्रदान की जाये। किसानों को, आदिवासियों एवं गरीब वर्ग जो पिछड़े जिलों में रहता है उनको अभी तक एफ एम रेडियो की सुविधा नही दिलाये जाने से यहां के लोग ज्ञान एवं मनोरंजन के साधन से वंचित हैं। एक तरफ कई शहरों में रेडियो मिर्ची, विविध भारती, ज्ञान भारती इत्यादि सेवाएं दी जा रही हैं जबकि दूसरी ओर छोटे जिलों को एफ एम की सेवा से वंचित किया हुआ है।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा जिले में एफ एम रेडियो की सुविधा दी जाये और यह कारण भी बताये जाये कि बुलढाणा जिले को अभी तक यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकी है।

703-04

(सोलह) दूरदर्शन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंशकालिक रिपोर्टरों/कैमरामैनों को वेतन और परिलब्धियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

(नियम 377)

[अनुवाद]

श्री संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर पूर्व): मैं संपूर्ण भारत में कार्यरत दूरदर्शन न्यूज के स्ट्रिंजरों के संतुलित रूप से समाचारों को कवर करने एवं एकत्रित करने के मुद्दे को उठाना चाहूंगा।

स्ट्रिंजर्स, देश के विभिन्न हिस्सों में घटनाओं को कवर करने के लिए दूरदर्शन द्वारा नियुक्त अंशकालिक रिपोर्टर/कैमरामैन हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आर.एन.यू.) जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अपने समाचारों के लिए इन्हीं स्ट्रिंजरों पर लगभग शत प्रतिशत निर्भर है। चूंकि दूरदर्शन न्यूज में अपनी सेवा हेतु विरले ही कोई स्थाई संवाददाता है, न्यूज अनुभाग को इन्हीं स्ट्रिंजरों की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। सम्पूर्ण देश में स्ट्रिंजरों को 3 सी.सी.डी. कैमरों, वाहनों, लैपटापों, फैक्स मशीनों, मोबाइलों इत्यादि जैसे उपस्करों के साथ नियुक्त किया जाता है, वे दूरदर्शन के स्थाई कर्मचारियों के स्थानापन्न के समान हैं और इस प्रकार उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को दिये गये वेतन के अनुसार वेतन नहीं देने के कारण दूरदर्शन को फायदा होता है। डी.डी. न्यूज दूरदर्शन द्वारा संचालित एक 24 घंटे वाला चैनल है और इन्हीं स्ट्रिंजरों की सहायता से वह अन्य सभी निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा करता है।

माननीय मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि दूरदर्शन में कार्यरत स्ट्रिंजरों की दयनीय स्थिति पर विचार करें क्योंकि ये न्यूज अनुभाग की रीढ़ हैं। तत्कालीन राजग सरकार ने अचानक ही अंशकालिक संवाददाताओं को वर्ष 2013 तक कवरेज दी जा रही राशि को 50% तक घटा दिया। दूरदर्शन नियुक्त अंशकालिक संवाददाता को प्रति स्थानीय कवरेज के लिए 1650/- रुपए देता है और यदि वह नियुक्ति वाले शहर से बाहर जाता है तो उन्हें प्रति कवरेज 2400/- रुपए + परिवहन प्रभार मिलता है। तत्कालीन राजग सरकार ने प्रभारों को क्रमशः 800/- और 1000/- रुपए तक कम कर दिया। विभिन्न अंशकालिक संवाददाता संघों की लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद मंत्रालय ने इस धनराशि को क्रमशः 1200/- रुपए और 1500/- रुपए तक बढ़ा दिया, जोकि 2003 में मूल रूप से दी गई धनराशि के भी बराबर नहीं है।

एक तरफ मुद्रास्फीति की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, सरकार अपने कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन दे रही है और अंशकालिक संवाददाता जो खबरों के लिए सूरज और बारिश में इधर-उधर भागते हैं उन्हें कम पैसा दिया जा रहा है। वे भुगतान ढांचे में बढ़ोतरी के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और वार्षिक भुगतान सीमा को 2 लाख रुपए प्रति अंशकालिक संवाददाता से 5 लाख रुपए प्रति अंशकालिक संवाददाता किया जाए। यहां तक कि इस संबंध में मैंने दो बार लिखा है और अंशकालिक संवाददातों के शिष्टमंडल के साथ माननीय मंत्री से मिलने का भी प्रयत्न किया किन्तु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इस अवसर पर मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने और दूरदर्शन समाचार के अंशकालिक संवाददाताओं के साथ न्याय करने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): मैं सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट में रह रहे लोगों में से ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं और वे अपनी नाममात्र की आय के साथ अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर छात्र नितांत गरीबी और जानकारी के अभाव के कारण निजी संस्थानों में पढ़ाई का खर्चा वहन करने में अक्षम हैं। यदि सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र नरसारावपेट में पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करती है तो छात्रों को विशेषकर जो जनजातीय और अल्पसंख्यक क्षेत्रों से आते हैं, बहुत लाभ होगा और निश्चित तौर पर इससे एकसमान प्रक्रिया के साथ हमारे देश के सभी हिस्सों में ज्ञान के स्तरों में वृद्धि होगी।

मैं इसलिए, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नरसारावपेट अथवा पिडुगुरल्ला या पलनाडु क्षेत्र में अतिशीघ्र केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) सभी अनिवार्य औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित किए जाने तथा अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम): भारत का औषधि उद्योग फल-फूल रहा है और इसने पूरे विश्व में जैनरिक औषधियों का मूल्य कम करने में योगदान दिया है। परन्तु, दुर्भाग्यवश भारत में औषधियों को अधिक और अवहनीय मूल्य पर बेचा जाता है और यह मानव अधिकारों का मौन रूप से घोर उल्लंघन है जिससे लाखों मरीजों की नींद उड़ जाती है और अंततः वे वेदना और निर्धनता के शिकार बन जाते हैं। औषधि उद्योग में बड़े पैमाने पर लाभ होता है जो कि 100-400 प्रतिशत तक है। प्रतिस्पर्धियों की बढ़ती संख्या के बावजूद औषधियों के मूल्यों में कमी नहीं आई है और इस कारण स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में वृद्धि हुई है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग औषधियों का खर्च वहन नहीं कर पाते और उन्हें औषधियां खरीदने के लिए अपने वेतन के एक बड़े भाग या उधार ली गई धनराशि खर्च करनी पड़ती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की जा रही है और स्वास्थ्य देखभाल में 50 से 80 प्रतिशत धनराशि औषधियों पर खर्च होती है और स्वास्थ्य बीमा योजना की स्थिति दयनीय है तथा स्वास्थ्य सुरक्षा एक भ्रांति बनी हुई है। औषधियों के मूल्य में अधिक वृद्धि होने के बावजूद मरीजों के पास कोई विकल्प नहीं बचता क्योंकि वे इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि वे किस मूल्य पर क्या खरीदें।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अधिक मूल्यों पर औषधियों की बिक्री पर रोक लगाने और सभी अनिवार्य औषधियों को मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची में सभी अनिवार्य औषधियों का मूल्य नियंत्रण किन्हीं विशेष औषधियों की बजाय चिकित्सकीय श्रेणी पर आधारित होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, क्या आप अपने स्थान पर जाकर कुछ बोलना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में जो स्वर्णकार हैं, वे आंदोलन पर हैं...*(व्यवधान)* उनकी मांग है...*(व्यवधान)* सराफे का जो मामला है इससे एक लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे।...*(व्यवधान)* जो गरीब लोग अपने घर में काम कर लेते हैं उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* इसलिए सबसे बेहतर है कि सरकार ने जो कानून, टैक्स बढ़ाया है उसे वापस लिया जाए।...*(व्यवधान)* सभी दलो के नेताओं से बात कर ली।...*(व्यवधान)* आप से भी बात कर ली। ...*(व्यवधान)* त्योहार का मामला है।...*(व्यवधान)* मैं आपको आज बता सकता हूं कि इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे ...*(व्यवधान)* स्वर्णकारों का आंदोलन जायज है। वास्तव में वे जो कह रहे हैं वे ऐसे ही नहीं कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन यह सरकार सुन नहीं रही है। ...*(व्यवधान)* मेरी आपसे अपील है कि पूरे देश में जो अव्यवस्था फैल रही है...*(व्यवधान)* सारे दुकानदार परेशान हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* शादी-विवाह हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* शादी-विवाह में लोगों को कुछ न कुछ जेवर लेने पड़ते हैं। ...*(व्यवधान)* नेता समझदार हैं, सुलझे हुए हैं। इसलिए मेरी तरफ से मंत्री जी तक अपील पहुंचा दी जाए कि उनका आंदोलन जायज हो रहा है। ...*(व्यवधान)* इससे पूरे देश में इंस्पैक्टर राज हो जाएगा और बहुत रश्वितखोरी हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* इसलिए इसे वापिस लिया जाए। ...*(व्यवधान)* सर्वदलीय बैठक करके कोई रास्ता निकाला जाए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): मैडम, मैं एक अहम मसले के बारे में बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* पंजाब में सब अखबारों में बलवंत राजोआना की फांसी के बारे में आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समेवत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

14.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

(एक) सामान्य बजट (2012-13) सामान्य चर्चा (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 2012-13 (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2011-12 और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2009-10

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम समान्य बजट पर चर्चा करेंगे। श्री शैलेन्द्र कुमार अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2012-13 पर बोलने का अवसर दिया। बजट में पक्ष, प्रतिपक्ष के तमाम सम्मानित सदस्यों के सुझाव बड़े विस्तार से आए हैं। अगर देखा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण संकट गहराने की तमाम बातें सामने आई हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो फ्लकचुएशन हुआ, मध्य पूर्व की उठा-पटक उसका मेन कारण रही। समय-समय पर कच्चे तेलों की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें भी इसका असर काफी पड़ा है। दूसरी तरफ जापान और अन्य जगह पर जो भूकंप आया, उससे भी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा असर पड़ा है। उर्वरकों पर सब्सिडी की आवा-जाही पर बराबर नजर रखने हेतु बजट में जो प्रावधान किया गया है, श्री नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में काफी ...*(व्यवधान)*

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हो गया। आपने सारा दिन अपनी बात कह ली, अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: उर्वरक प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है यह बहुत अच्छी बात है।...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: इनके भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आपने कर सुधारों पर व्यापक पैमाने पर कार्य किया है।...*(व्यवधान)* जहां तक कर सुधारों की बात कही गई है, अभी हमारे सम्मानित नेता

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देश में ब्रांडेड सोने के आभूषणों पर बढ़ाए गए टैक्स के बारे में कहा। आयात, एक्साइज ड्यूटी के बारे में आज पूरे देश के स्वर्णकार स्ट्राइक पर हैं। हमारे माननीय नेता जी ने इस बारे में अपनी आवाज उठाई है और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन किया है। हम चाहेंगे कि वे उस पर जरूर गौर करेंगे। आपने विद्युत और कोयले की सप्लाई के बारे में भी व्यवस्था की है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में विद्युत उत्पादन बढ़े। हमें इस पर भी गौर करना होगा कि हमारे पास कोयले का कितना रिजर्व स्टॉक है।

कुछ दिन पहले टेलीविजन पर सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि कोयले के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले की खबरें आई हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में निगरानी समिति बनाई जाए, ताकि उत्पादन में जो कोयला खर्च होता है, वह समिति उस पर निगरानी रखे और हमारा उत्पादन बढ़े।

मैं सड़क परिवहन के बारे में कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी द्वारा देश के कोने-कोने पर सीआरएफ योजना (सैंट्रल रोड फंड) प्रचालित की गई है। एनएचएआई की तमाम सड़कें हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से रायबरेली होते हुए इलाहाबाद की जो फोर लेन की सड़कें प्रस्तावित हुई हैं, माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में इसी सदन से घोषणा की, लेकिन उस पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सीआरएफ योजना के अंतर्गत सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के क्षेत्र में सीआरएफ योजना के तहत मुख्य सड़कें, जो जनपद को जोड़ती हैं, बनाई जाएं। आवास नीति पर आपने ईसीबी, अनुमानित क्रेडिट गारन्टी फण्ड स्कीम आपने लागू की है वह अच्छी बात है। जहां तक कपड़े के क्षेत्र में आपने हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण माफी की जो बात कही है, वह अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं हुई है, जिससे आज भी तमाम बुनकर कर्ज के बोझ में दबे हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें बिजली और रॉ मैटेरियल समय पर मिल जाए, ताकि वे भारत में अग्रणी बनकर आगे आ सकें। आपने आंध्र प्रदेश और झारखंड, नागालैंड, मिजोरम एवं झारखंड को मेगा हथकरघा और गरीब हथकरघा बुनकरों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तीन बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भदोही, परियावां है प्रतापगढ़ में, मऊआइमा-इलाहाबाद, नैनी, वाराणसी और कानपुर में बड़े पैमाने पर जो कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी तकनीकी सहायता बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित हों। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गीय के लिए आपने 5000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की व्यवस्था की है।, उसमें एसएमई के द्वारा आपने, एक्सचेंज के द्वारा अपनी वार्षिक खरीद में चार प्रतिशत जो शिड्यूल्ड कास्ट-शिडयूल्ड ट्राइब्स उद्यमियों के लिए आपने जो निधारित किया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। कृषि क्षेत्र में जहां तक देखा जाए, सहकारिता और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की बात होनी चाहिए। आज भी बड़े पैमाने पर चाहे किसानों के लिए खाद की बात हो या सहकारिता उद्योग से संबंधित चीजों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आपका समय समाप्त हो गया, समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं एक मुख्य बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

जो स्वामिनाथन की रिपोर्ट आई है, उसमें व्यवस्था होनी चाहिए और ज्यादातर बढ़ावा देने की बात है। अगर कृषि उत्पादन क्षेत्र हमारा बढ़ा, तो हमारे देश की आमदनी बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा। यहां विजय बहादुर जी बैठे हैं, अभी वह मुझे एक आंकड़ा दिखा रहे थे कि विभिन्न देशों में देखा गया है, कृषि क्षेत्र में हमारा उत्पादन विश्व के तमाम देशों की तुलना में नंबर दो या तीन पर रहा है। अगर कृषि क्षेत्र को, जैसा कि स्वामिनाथन रिपोर्ट में सिफारिश की गयी है, बढ़ावा दिया गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड में आपने स्मार्ट कार्ड बनाकर जो एटीएम की सुविधा किसानों को दी है, हम चाहेंगे कि यह तभी पूरी तरह फलीभूत हो पाएगा, जब एटीएम की सुविधा कस्बों एवं बड़े-बड़े गांवों में दी जाएगी। तभी किसान इससे लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण में आपने व्यवस्था की है, उसमें हम चाहेंगे कि ऐसे स्टोरेज ब्लाक एवं टाउनस्तर पर दिए जाएं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां फल एवं सब्जियों का उत्पादन होता है, यदि यह सुविधा किसानों को दी गयी, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। चूंकि खाद्य सुरक्षा का मामला चूंकि स्थायी समिति के सामने लंबित है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। किसानों एवं मजदूरों की आजीविका के बारे में इसमें विस्तार से कहा गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

अपराह्न 2.09 बजे

इस समय श्री नामा नागेश्वर राव और श्री रमेश राठौड आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: ग्रामीण विकास और पंचायती राज में आपने व्यवस्था की है कि पेयजल और स्वच्छता के लिए, हम चाहेंगें कि समय-समय पर हमारे तमाम सम्मानित सदस्यों ने यह आवाज उठाई है कि आज ग्रामीण स्तर पर पेयजल की व्यवस्था बहुत ही गंभीर है, इसे देखते हुए इंडिया मार्क हैण्डपम्प, बड़े-बड़े कस्बों में पेयजल टंकी, डीप बोरिंग करके लगाने की व्यवस्था की

जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने सर्व शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल खोलने की बात की है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री शैलेन्द्र कुमारः हम चाहेंगे कि जो सुदूर के जो पिछड़े जिले हैं, उनमें 6000 स्कूल खोलने की व्यवस्था की है, उनके चयन में अगर सम्मानित सदस्यों से राय ली जाएगी, बहुत उचित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एनएचआरएम में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। उनकी जांच कराई जाए।

अध्यक्ष महोदयाः शैलेन्द्र कुमार जी, अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमारः प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जो संसद सदस्य गंभीर बीमारी में अपनी सिफारिश करते हैं, उसका कोटा बढ़ाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए, आपको बाद में समय देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइए, आपको बाद में समय देंगे।

...*(व्यवसान)*

अध्यक्ष महोदयाः इतना मत बोलिए, जाकर बैठिए, आपको बाद में समय दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.09$^1/_2$ बजे

इस समय श्री नामा नागेश्वर राव और श्री रमेश राठौड अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः गरीब को इलाज नहीं मिल पाता है, उनको सही इलाज मिल सके। इन्हीं बातों के साथ सामाजिक सुरक्षा कमजोर वर्गों की जरूरतों के बारे में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम और बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को भी बढ़ावा देने के लिए, चूंकि उसकी जनगणना हो रही है, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन्ही बातों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरुनेलवेली): वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांग पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने हेतु यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

प्रतिकूल विकास दर के बावजूद, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने एक संतुलित और विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। तथापि, किसी अन्य देश के मुकाबले हम आर्थिक विकास में आगे हैं। दो वर्ष पहले, आर्थिक मंदी, जो कि पूरे विश्व में खतरे के रूप में मंडराया था, का हमने कुशलता से सामना किया। इस बात के संकेत हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था वापस आ रही है क्योंकि मुख्य क्षेत्रों और विनिर्माण में सुधार के अच्छे चिन्ह दिख रहे हैं। सरकार हमारे औद्योगिक उत्पादन को प्रोन्नत करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है जिससे हमारी सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ेगी और वर्ष 2012-13 में इसके लगभग 76% तक पहुंचने की उम्मीद है।

कृषि की बात करें तो हमने कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। जनसंख्या विस्फोट को ध्यान में रखते हुए, हमें कृषि वस्तुओं के उत्पादन में सुधार करने और सभी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं कुपोषण तथा भूख से मौत को शून्य करने के लिए और प्रयास करना होगा। हम दुग्ध उत्पादन में भी द्वितीय स्थान पर हैं। फिर भी, दुग्ध व दुग्ध उत्पाद और खाद्य-सामग्रियों के मूल्य कुछ सालों में अत्यधिक बढ़ गए हैं। सरकार को खाद्य सामग्रियों के मूल्यों पर नियंत्रण करने हेतु

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सम्मिलित प्रयास करना चाहिए और मुद्रास्फीति, यद्यपि वर्तमान में यह नियंत्रण में है, पर रोक लगानी चाहिए। जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट को रोकने हेतु भी कदम उठाए जाने चाहिए। नई पौध, बीज प्रजातियों पर अनुसंधान हेतु 200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आबंटन से कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।

किसानों के हितों की रक्षा को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वे हमारे अन्नदाता हैं। किसानों को सस्ते ऋण दिये जाने चाहिए। ऋणग्रस्त किसानों को आत्महत्या किए जाने से बचाना चाहिए और उनकी सूदखोरों से रक्षा की जानी चाहिए। सरकार धान, गन्ना, गेहूं हेतु लाभकारी कीमत दे रही है। तथापि, सब्जी उत्पादकों को अपेक्षित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। अपर्याप्त परिवहन सुविधा, शीतागार सुविधाओं के अभाव, वित्तीय और अन्य बाधाओं के कारण किसान अपने उत्पादित फलों एवं सब्जियों के भंडारण में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्राय: उन्हें अपने उत्पाद को लागत मूल्य से काफी कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उन्हें लगातार बिचौलियों द्वारा ठगा जाता है, जो अत्यधिक लाभ कमाते हैं। सामान्यत:, फलों एवं सब्जियों के मूल्य किसानों द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि बिचौलिए एवं दलाल ही मूल्य निर्धारित करते हैं। मैं, इसलिए माननीय मंत्री जी से अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ सब्जियों एवं फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा करने एवं उनके उत्पादन में लगे हुए गरीब किसानों को बचाने के लिए निवेदन करता हूं।

तमिलनाडु में मेरे तिरूनेलवेली जिले के कलाकाडु, वल्लीयुर, अम्बासमुद्रम, अलंगगुलाम और नांगुनेरी क्षेत्र पूरी तरह कृषि-उन्मुख हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और उनके मुख्य पैदावार धान, गन्ना, केला रोपण, सब्जियां इत्यादि हैं। तथापि, उन्हें अपने उत्पाद के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती है। कई अवसरों पर, उनके फसल, जो पर्याप्त रूप से बड़ी हो चुकी होती है और पकने/फसल कटाई के चरण में होती है, अचानक शक्तिशाली 'चक्रवात' के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उन्हें रातों-रात भारी हानि उठानी पड़ती है और यहां तक कि वे अपनी बुआई की कीमत भी नहीं वसूल पाते हैं और ऋणग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि, सरकार द्वारा बाढ़, सूखा, सुनामी के कारण फसलों की हानि होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है, परंतु चक्रवात के कारण उन्हें वित्तीय सहायता हेतु विचार नहीं किया जाता। यह भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है इसका अनुमान लगा पाना कठिन है, अप्रत्याशित है और इस प्रकार की हानियों हेतु किसान मुआवजा के पात्र हैं।

इस परिस्थिति में, मैं माननीय मंत्री जी से 'चक्रवात' को एक प्राकृतिक आपदा मानने एवं प्रभावित किसानों, जिन्होंने चक्रवात के कारण सम्पूर्ण देश में भारी हानि उठाई है, को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए निवेदन करता हूं।

विगत वर्षों से, विभिन्न वस्तुओं पर सरकार के राज सहायता बिल लगातार बढ़ रहे हैं। राज सहायता के मुद्दे पर सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए। हमें राज सहायता बिल को न्यूनतम करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। 2012-13 में केन्द्रीय राजसहायताओं को सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत रखने और अगले तीन सालों में इसे 1.75% तक नीचे लाने के सरकार के प्रयास से निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। कृषि के संबंध में, विगत वर्षों में, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कई गुणा बढ़ जाता है जिससे सरकार पर राजसहायता बोझ बढ़ा है और किसानों को यूरिया, पोटाश आदि उर्वरकों पर अधिक खर्च करना पड़ता है और वे उन्हें आसानी से उपलब्ध भी नहीं हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से किसानों को जैविक उर्वरकों जैसे पौधों/पशु सह-उत्पादों, कृषि अवशिष्ट, सूखी पत्तियों, रसोईघर अपशिष्ट आदि के उपयोग पर शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। साथ ही इससे रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता में कमी होगी, सरकार के राजसहायता बोझ में और आयात बिल में कमी होगी, फसलों का नुकसान कम होगा और उचित समय आने पर उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

वर्ष 2013 के लिए, सरकार ने विनिवेश के जरिए 30,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किया गया था और सरकार ने ज्यादा राजस्व प्राप्त किया। हालांकि, कुछ मामलों में श्रमिक वर्ग द्वारा पुरजोर तरीके से विनिवेश का विरोध किया गया था। विनिवेश के मामलों में सरकार को कामगारों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए और इसमें कोई छंटनी नहीं होनी चाहिए तथा घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यदि कोई हों, तो उनका पुनरुद्धार किया जाए। इसके अतिरिक्त, अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लंबे समय से अध्यक्षविहीन हैं जिसके कारण निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब हुआ है। उसके अलावा कुछ घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, कर्मचारियों का वेतन समयबद्ध तरीके से नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारी मुसीबत में हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से कर्मचारियों की वास्तविक परेशानियों पर विचार करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी खाली पदों को भरने का भी अनुरोध करता हूं।

बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में, भारतीय बैंक बहुत साख वाले और लाभकारी हैं। मंदी के समय पर, विभिन्न देशों में काफी बैंक बंद हुए थे परंतु हम सफलतापूर्वक संकट से उबर गए थे। परंतु हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं और उनके काफी समय

से लंबित वेतन अनुबंध की सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं निपटाए गए हैं। आजकल, बैंक की नौकरियां आकर्षक नहीं हैं। सरकार को बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक परेशानियों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

बहुत से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है। वे अपना शिक्षा ऋण प्राप्त करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अक्सर शिक्षा ऋण पर बहुत सी शिकायतें मिलती हैं, यद्यपि सरकार छात्रों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दे रही है। अपना शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए वे मारे-मारे फिर रहे हैं। अक्सर, बैंक अधिकारियों की बदनीयती के कारण कोई ना कोई विसंगति बताकर उनके मामलों को अस्वीकृत किया जाता है। यद्यपि छात्रों को संस्थानों में प्रवेश पर विचार उनके द्वारा प्राप्त मेरिट/अंकों के आधार पर किया जाता है, लेकिन बैंकों द्वारा उन्हें शिक्षा ऋण इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त अंक विचारण हेतु कम है। यह संस्थानों द्वारा अभ्यार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मानकों की नितान्त उपेक्षा है और बैंकों का दृष्टिकोण उन गरीब छात्रों के नैतिक बल और विश्वास को कम करेगा जो उच्च शिक्षा के अभिलाषी हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से बैंक अधिकारियों को शिक्षा ऋण के वितरण में उच्च प्राथमिकता देने का आदेश देने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, इस क्षेत्र को सरकार का आवंटन अपर्याप्त है। देश में सभी गरीब लोगों को वहनीय मुफ्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। हमने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, इसमें कुछ बाधाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। चिकित्सकों/एमबीबीएस प्रशिक्षुओं की ग्रामीण तैनाती के हमारी सरकार के पहले के प्रस्ताव से इस क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत करने का सरकार का प्रस्ताव शहरी गरीबों की स्वास्थ्य जरूरतों को बढ़ावा देगा। छह और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन संबंधी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी समय की मांग है। मैं सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स जैसी संस्था की तीव्र ग्रति से स्थापना के प्रस्ताव को गति देने का भी निवेदन करता हूं।

इस संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि पलयमकोट्टई गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, जो मेरे तिरुनेलवेली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र/जिले में 1964 से कार्यरत है, देश में काफी अधिक संख्या में छात्रों को सस्ती एवं गुणात्मक सिद्ध पद्धति की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक है।

शैक्षिक वर्ष 2011-12 हेतु कक्षाओं के प्रारंभ होने के संबंध में इस महाविद्यालय ने ढेर सारी समस्याओं का सामना किया है और आयुष विभाग ने स्वीकृति को रद्द कर दिया है और इस महीने के प्रथम सप्ताह तक कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई थीं। इसके परिणामस्वरूप, हजारों स्नातक और परास्नातक छात्रों का भविष्य दाव पर लग गया। विद्यार्थी मानसिक दबाव और घोर व्यथा से ग्रसित हो गये और धरना/अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, यह महाविद्यालय पुनः खुला है। इस परिस्थिति में, मैं केन्द्र सरकार से महाविद्यालय को सभी आवश्यक सहायता देने के लिए निवेदन करता हूं जिससे उन छात्रों को, जो हमारी प्राचीन सिद्धा चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं, सुविधा मिल सके।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के सरकार के प्रस्ताव से छोटी कंपनियों को सहायता मिलेगी। इस क्षेत्र के तीव्रतर विस्तार और पूंजी अन्तर्प्रवाह के लिए और बल देने की आवश्यकता है क्योंकि वे निधियों के लिए अधिकतर बैंक ऋणों पर निर्भर रहते हैं जो सामान्यतः उन्हें सख्त शर्तों के साथ प्राप्त होती हैं। इस प्रस्ताव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लघु उद्योग क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में, हम बिजली की भारी कमी से जूझ रहे हैं। देश में कई राज्य, विशेषतः तमिलनाडु, बिजली की भारी कमी से लड़खड़ा रहा है। परिणामस्वरूप, राज्यों की अर्थव्यवस्था जवाब दे रही हैं, उद्योगों पर बंद होने का खतरा है और सभी आवश्यक सेवाएं रुक सी गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों से ज्यादा बाधाओं का सामना करने के बाद, सरकार के सतत प्रयासों से तमिलनाडु की कुडनकुलम विद्युत परियोजना, जो विद्युत की कमी से जूझते हुए राज्य की एकमात्र उम्मीद है, को प्रारंभ करने का रास्ता साफ हो गया। इसके अतिरिक्त, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रें जैसे—पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो गैस इत्यादि से और अधिक विद्युत उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे देश में विद्युत की कमी को दूर किया जा सके और इस क्षेत्र को उदार ऋण दिया जाना चाहिए।

अगर परिवहन क्षेत्र की बात करें तो सरकार जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एस.यू.आर.एम.) के अंतर्गत शहरी बस सेवाएं चलाने के लिए राज्यों को भारी मात्रा में निधि प्रदान कर रही है और परिणामस्वरूप अधिकांश शहरों में बस सेवाओं में सुधार हुआ। तथापि, ऐसी सूचना है कि कुछ राज्यों ने इस निधि को अन्य कार्यों के लिए खर्च किया है या दुरुपयोग किया है। इस स्कीम के तहत अतिरिक्त अनुदान देने के पहले सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों द्वारा निधि का समुचित उपयोग किया गया है। मेट्रो रेल सेवाओं के संबंध में, दिल्ली मेट्रो

रेल सेवा से विश्व में काफी लोकप्रिय हो चुका है। कई राज्यों ने मेट्रो-मोनो रेल परियोजनाएं प्रारंभ कर दी हैं। मैं केन्द्र सरकार से राज्यों को विशेषकर तमिलनाडु को उपरोक्त परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए उदार ऋण प्रदान करने के लिए निवेदन करता हूं जिससे उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद मिलेगी और शहरों में भीड़-भाड़ एवं निजी वाहनों पर निर्भरता में कमी आयेगी।

जहाजरानी क्षेत्र के संबंध में, हमारे योग्य जहाजरानी मंत्री ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और आंतरिक नौसंचालन को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे उपाय किए हैं। उन्होंने तूतीकोरिन बंदरगाह में सुविधाओं के उन्नयन और विभिन्न हिस्सों में लाइट हाउस म्यूजियम, जो छात्रों के लिए काफी शिक्षाप्रद होगा, प्रारंभ करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने तूतीकोरिन-कोलम्बो के बीच नौवाहन सेवाएं प्रारंभ की हैं और रामेश्वरम्-थलाईमन्नार से भी नौवाहन सेवाएं प्रारंभ करने के प्रस्ताव हैं।

किसानों की ही तरह इस देश के बुनकर भी कष्ट में हैं। इनमें से अनेकों को रोजगार से निकाला गया और इन्होंने आत्महत्याएं कीं। ऋण माफी योजनाएं बुनकरों तक सही ढंग से पहुंचनी चाहिए और इन्हें उदार ऋण दिए जाने चाहिए। कपास किसान सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार को इनके उत्पादित सामान की खरीद और निर्यात हेतु कदम उठाने चाहिए।

मैं भी इस अवसर पर देश के मुख्य शहरों और नगरों में निम्न आय समूहों हेतु आवासों की कमी के समाधान करने वाले सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम नि:संदेह समस्या का समाधान करेंगे।

इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि विगत कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों विशेषकर तमिलनाडु से नदी से अवैध रूप से रेत निकालने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। रेत में खनिजों की उपस्थिति के कारण रेत खनन काफी लाभकारी है और यह निर्माण प्रयोजनों हेतु कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है।

तथापि रेत खनन माफिया समूह के नियंत्रण में रहा है। वे इस व्यापार को कर रहे हैं और कई बार अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ में नदी तटों से अवैध रूप में रेत से भरे ट्रकों को भेजकर पैसा छाप रहे हैं। इसी कारण देश में नदियां उथली हो गई हैं और पानी खरा हो गया है और इस कारण पेयजल प्रयोजनों हेतु अत्यधिक कमी हो रही है। इनके एजेंट रेत को 4000 रु. प्रति इकाई पर बेचते हैं, जबकि राज्य सरकारों द्वारा तय दर सहित इसकी अनुमानत: लागत 600 रु. प्रति इकाई है। इसके अतिरिक्त अनेक देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर और मालदीव को भी रेत निर्यात किया जाता है जिस कारण सरकारी प्रयोजनों और मकानों के निर्माण हेतु इनकी कमी हो जाती है। इसके परिणामत: देश में गरीब/मध्यम वर्ग लोग अपने झोंपड़ों/घरों के निर्माण में काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अवैध रेत खनन के कारण, रेत खनन को रोकने वाले अधिकारियों और आम जनता पर हमले और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेत को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और देश में रेत खनन में संलिप्त माफिया समूहों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

माननीय मंत्री जी ने आयकर छूट सीमा में वृद्धि के रूप में करदाताओं को कुछ राहत दी है और कर स्लैब में भी कुछ परिवर्तन किए हैं जो प्रतिवर्ष 22,600 रु. तक का लाभ देगा। तथापि, मैं यह जानकर निराश हूं कि उत्पाद शुल्क और सेवा कर की दरों में वृद्धि के कारण अधिकतर क्षेत्र प्रभावित होंगे और अंतत: आम आदमी को इसका भार वहन करना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सेवा कर और उत्पाद शुल्कों में वृद्धि पर पुनर्विचार करें और आयकर की छूट सीमा को भी बढ़ाकर न्यूनतम 3 लाख रु. करें, जिससे वेतनभोगी वर्ग के लोगों को काफी लाभ होगा।

***श्री प्रेम दास राय** (सिक्किम): कर का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2007-08 में 17.4% से गिरकर 2010-11 (बजट अनुमान) में 14.7% रह गया है। सकल कर संग्रहण भी 2011-12 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 10% से बढ़कर 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद का 10.6% प्रतिशत होने का अनुमान लगाना गया है। इस स्थिति में हम अपने तेजी से बढ़ते हुए सेवा क्षेत्र के लिए धन की व्यवस्था कैसे करेंगे। यह तस्वीर और भी धूमिल है। केंद्रीय बजट से सामाजिक क्षेत्र में होने वाला व्यय वर्ष 2008-09 से अब तक सकल घरेलू उत्पाद के 1.8% से 2.0% के बीच बदलता रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है कि ये कितनी सक्षम हैं और ये कितने अच्छे तरीके से चल रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें प्रशासनिक लागत में वृद्धि करने और रिक्तियों को भरने की जरूरत है। शायद यह सही उत्तर न हो। कम श्रमशक्ति की पुन: तैनाती और एक अपर्याप्त नौकरशाही को बनाना ही संभवत: एक रास्ता है। अर्थात, हम केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को जिस प्रकार लागू करते हैं उस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समवेशी विकास के क्षेत्र में, वंचित वर्गों के लिए आय में वृद्धि करने के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आय पुनर्वितरण के बजाय उत्पादक रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिक्षा

- शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान हेतु 25.555 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है। यह 2011-12 से 21.7% की वृद्धि है।
- आई.सी.टी. शिक्षा के मुद्दे का समाधान करने हेतु कोई नया आवंटन अथवा विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मिशन हेतु 943 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे परन्तु इस बार इस पर विचार नहीं किया गया है।
- शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% खर्च की अभी कोई संभावना नहीं है। जनसंख्या संबंधी लाभांश का भारत को उपयोग करना है और उसके लिए खर्च में वृद्धि करना अनिवार्य कदम है।
- समावेशन के कार्य में रुकावट आई है क्योंकि नि:शक्तों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रावधान हेतु अनुदान में कटौती कर दी गई है। यह समानता के मूलभूत सिद्धांत, जो हमारे संविधान में बताया गया है, के खिलाफ है।
- सरकार की योजनाओं की हमेशा बढ़ती हुई संख्या और उसके लिए अनुपयुक्त आवंटन का एक मुद्दा है। 100 लोगों को एक-एक रुपया देने के बजाय 10 लोगों को दस-दस रुपये देना बेहतर है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय और तकनीकी शिक्षा पर वास्तविक व्यय के बीच भारी अंतर है। यह व्यय क्रमश: 41.14%, 22.04% और 71.73% रहा है। ऐसा अंतर स्कूलों से कम गुणवत्ता वाली शिक्षा लेकर आने वाले छात्रों की समस्या को बढ़ा सकता है, समानता के मुद्दे को बढ़ा सकता है और तकनीकी शिक्षा की अवसंरचना की कमी में वृद्धि कर सकता है।
- शिक्षा उप-कर, शिक्षा के वित्त पोषण के पूरक के तौर पर शुरू किया गया था जो अब इसका विकल्प बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

आलोचना

- अपर्याप्त परिव्यय
- शिक्षा में अस्पष्ट प्राथमिकीकरण
- आवंटित निधियों का कम उपयोग

शिक्षा का अधिकार

- शिक्षा का अधिकार मानदंडों में कार्यात्मक शौचालय का प्रावधान है। एक स्वस्थ मन और शरीर के लिए स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अभियान में 4500 करोड़ रुपये की वृद्धि, छात्र-अध्यापक अनुपात को कम करने और स्कूलों में स्वच्छता के मुद्दे का भी समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- सितम्बर 2009 के अनुसार, भारत में 36% स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय नहीं हैं और 25% में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय नहीं है।
- वर्तमान अध्यापक अनुपात संतोषजनक नहीं है और आवश्यक छात्र-अध्यापक अनुपात 30% है। इसके लिए अध्यापकों को प्रोत्साहन दिया जाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

स्वास्थ्य

- गत तीन बजटों के विपरीत बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य बीमा संबंधी प्रावधान के संबंध में कोई विशेष प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई गई। गत वर्ष का आवंटन 26,760 करोड़ रुपये था। पिछले बजट के दौरान, ब्यौरा तैयार करने और सरकार को जोखिमपूर्ण खनन कार्यों में लगे असंगठित कामागारों और स्लेट और स्लेट पेंसिल, डोलोमाइट, अभ्रक और एसबस्टोस आदि जैसे संबद्ध उद्योगों के कामगारों का आरएसबीवाई का विस्तार करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया और कार्यविधि की सिफारिश करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया। इस परिदृश्य में कोई नया या संशोधित आवंटन कोई बाधा नहीं है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। मेरे राज्य में लोगों को निकटतम डिस्पेंसरी जाने के लिए 10-12 किमी. चलना पड़ता है। मेरे राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोगों को उपचार कराने के लिए पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ती है। अत: मैं ऐसी नीतियां तैयार करते समय

और निधियां आवंटित करते समय पर्वतीय राज्यों के लिए पृथक मानदंड अपनाने का सुझाव देता हूं।

- पंचवर्षीय योजना में परिव्यय की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को संसाधनों के कम आवंटन में एक वृहद मुद्दा सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 89478 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे परन्तु 2011-12 तक लगभग 76% आवंटन किया गया था। अत: इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास

- प्रस्तावित बजट 825 करोड़ रुपये तक कम हुआ था जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इस तथ्य के दृष्टिगत कि देश की आधे से अधिक जनसंख्या अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, यह एक उचित कदम नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि इन्दिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और मनरेगा में काफी अंतर है। चूंकि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है इसलिए ग्रामीण जनसंख्या के लिए और अधिक आवंटन किया जाना चाहिए था।

(कार्य समूह की सिफारिश)

मनरेगा

- सरकार की अग्रणी योजना के लिए आवंटन में कमी आई है। व्यापक परिदृश्य यह है कि अब सरकार को योजना के कार्यान्वयन संबंधी व्यय पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और पर्यवेक्षणीय व्यय में वृद्धि होनी चाहिए।
- मनरेगा के अंतर्गत काम की वास्तविक उपलब्धि का त्वरित अवलोकन करने से हमें पता चलता है कि लक्षित कार्य का औसत 50% प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह क्रियान्वयन और निरीक्षण की कमी को दर्शाता है।

आलोचना

- अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं करना और विलम्बित कार्यवाही जिससे मजदूरी के भुगतान में विलंब हुआ।
- शिकायत समाधान प्रणाली के साथ मुद्दे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- 2011-12 में 2681.3 करोड़ से 2012-13 (बजटीय अनुमान) में 3915 करोड़ की परिव्यय वृद्धि।
- चिन्ता का विषय यह है कि आवंटन में परिव्ययित आवंटन और जो पिछले 5 वर्षों में हुए हैं, आपस में मिलान नहीं करते हैं और उनमें अन्तर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परिव्यय का केवल 67.8% तक ही आवंटन किया गया था।
- स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय उपलब्धि और ऋण वितरण झूठा है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना

- 2011-12 में 14450 करोड़ (संशोधित प्राक्कलन) से 2012-13 (बजट प्राक्कलन) में 181772.8 करोड़ का बढ़ा हुआ आवंटन। 2010-11 में आवंटन 17412.5 करोड़ था।

कृषि

- कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर खर्च में 2010-11 (वास्तविक) में 11.21% से 2012-13 (बजटीय प्राक्कलन) में 9.3 की कमी। यह एक अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि अधिकतर जनसंख्या अपनी आजीविका खेती बाड़ी से कमाती है।
- फसल बीमा के लिए आवंटन में 2010-11 (वास्तविक प्राक्कलन) में 3135 करोड़ से 2012-13 (बजटीय प्राक्कलन) में 1136 करोड़ की भारी कमी। असमान वर्षा, बदलती जलवायु के परिदृश्य में यह कमी काफी किसानों को मुसीबत में डाल सकती है। सिक्किम में, बड़ी इलायची कीटों का शिकार हुई है और यदि ऐसी कार्यवाही होती रही तो किसानों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे।

जलवायु परिवर्तन

- बहुत से सीधे कार्यक्रम संबंधी पहलों, जैसे 'ग्रिड इंटरऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिड रिन्यूबल पॉवर एंड रिन्यूबल एनर्जी फॉर रूरल एप्लीकेशन', जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को लाभार्थियों के बीच वितरित और प्रोत्साहित किया जाता है, को कम आवंटन प्राप्त हुआ है।

- हरित भारत मिशन का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे कार्बन पृथक्करण और भंडारण, जल संबंधी सेवाओं और जैव विविधता में बढ़ोतरी करना है और सहायक सेवाओं जैसे ईंधन, चारा और गैर काष्ठीय वन उत्पाद को भी बढ़ाना है। इसका लक्षित परिणाम अगले 10 सालों में 46000 करोड़ के अनुमानित व्यय के साथ 10 मिलियन हेक्टयर अतिरिक्त वन भूमि, बंजर भूमि और सामुदायिक भूमि का वनीकरण करना है। हालांकि क्रियान्वयन के 2 वर्षों के बाद भी मिशन को 2012-13 (बजटीय प्राक्कलन) में केवल 200 करोड़ और 2010-11 (संशोधित प्राक्कलन) में 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके निधीयन का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से भी आता है जिसकी संकल्पना नवोन्मेषी परियोजनाओं हेतु अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों को वित्त प्रदान करने के लिए एक समर्पित कायिक निधि के रूप में की गई।

- जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण नीति हस्तक्षेप का एक संवेदनशील क्षेत्र है। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के व्यापक चिन्हित परिणाम हिमालय क्षेत्रों में हिमनदों एवं हिमक्षेत्रों के तीव्र ह्रास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेज 2012 के अनुसार 12वीं योजनावधि के दौरान अनुमानित लागत 89,101 करोड़ रुपये है। मिशन के विपरीत, जल संसाधन मंत्रालय का बजट कुल बजटीय आवंटनों का सिर्फ 0.13% ही है।

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन ने सन् 2020 तक देश में 20,000 मेगावाट की सौर विद्युत क्षमता की अवस्थापना करने का निर्धारित किया है। प्रथम चरण (2010-12) में 4337 करोड़ की अनुमानित लागत पर 1000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने की योजना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 2011-12 (बजट अनुमान) में लक्ष्य स्तर व्यय का विश्लेषण सूचित करता है कि इसने लगभग 500 करोड़ रुपये प्राप्त किया है जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के लागू करने के प्रथम चरण की अनुमानित लागत से काफी कम है।

केन्द्र राज्य संबंध

- भारत के परिसंघीय प्रणाली में यह एक संशयी प्रवृत्ति है जहां लचीले कराधार केन्द्र के हाथ में है हालांकि मुख्य जिम्मेदारियां (विकास पर व्यय के लगभग 80% कृषि, सड़क, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर) राज्यों के ऊपर हैं।

केन्द्र से राज्यों को सकल हस्तांतरण (जी.डी.टी.सी.एस.)। सन् 1997 से केन्द्र द्वारा संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए (जो कुछ उदार नीतियों का परिणाम थी) केन्द्र से राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय संसाधनों की मात्रा को भी कम कर दिया गया है। केन्द्र से राज्यों को सकल अंतरण (जी.डी.टी.सी.एस.) 1991 के जी.डी.पी. के 7% के स्तर से 2012-13 (बजट अनुमान) में लगभग 5% तक गिर गया है। सभी राज्यों के बजट के कुल व्यय के अनुपात में जी.डी.टी.सी.एस. 1991 के 45% से 1998-99 में 39% तक गिर गई है; इसके बाद यह 1999-2000 में 31.1% से 2003-04 में 28% तक नीचे गिर गया है। बाद के वर्षों में, क्रमिक वृद्धि हुई है और 2010-11 में लगभग 33% पर स्थिर हो गया है।

[हिन्दी]

***श्री देवीधन बेसरा** (राजमहल): मैं 2012-13 के आम बजट पर अपने विचार रखता हूं। आम तौर पर बजट गरीब विरोधी खास करके झारखंड विरोधी है। इस बजट से गरीबी समाप्त नहीं होगी बल्कि गरीब लोग अवश्य समाप्त हो जायेंगे। भारत देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और पूर्णरूपेण खेती पर निर्भर है। इस तरह के बजट से रोजमर्रा की वस्तुओं एवं खाद्यान्न की कीमतों में भारी वृद्धि होगी।

मैं झारखंड प्रदेश के राजमहल लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। झारखंड एक नया प्रदेश है, यह आदिवासी बहुल प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली की सुविधा अभी तक गांवों में उपलब्ध नहीं है।

झारखंड के 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भगवान भरोसे खेती करते हैं जिससे सुखाढ़ की स्थिति से सामना करना पड़ता है। इसके संबंध में झारखंड के लिए बजट में उचित प्रावधान नहीं किया गया है।

शिक्षा का घोर अभाव है, आबादी के हिसाब से इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज का अभाव है। स्वास्थ्य की सुविधा गांवों में उपलब्ध नहीं है। झारखंड में जानलेवा बीमारी की चिकित्सा के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इसका ध्यान बजट में नहीं रखा गया।

बिजली का जहां तक सवाल है, झारखंड के कोयले से पंजाब, बिहार एवं बंगाल के ताप ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। लेकिन झारखंड के लोगों को उचित बिजली भी नहीं दी जाती है। वहां की जनता अंधकार में अपना जीवन-निर्वाह करती है। विशेषकर संथाल परगना में बिजली का घोर अभाव है। एन.टी.पी.सी. फरक्का, पं. बंगाल, एं एन.टी.पी.सी. कहल गांव बिहार के पूर्णरूपेण झारखंड

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के कोयला से बिजली का निर्माण होता है। बिजली तो झारखंड को उचित मात्रा में नहीं दी जाती है।

यहां तक कि कोयला का छाय भी झारखंड की जनता को नहीं दिया जाता है। झारखंड के कोयला से भारत सरकार को अरबों रुपयों की राजस्व प्राप्त होता है लेकिन दुख की बात है कि इसका उचित हिस्सा झारखंड को नहीं दिया जाता है। झारखंड प्रदेश से यूरेनियम, तांबा, सोना, कोयला इत्यादि से अरबों रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। हमारे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पाकुड़ जिला से 2600 करोड़ रु. सालाना रेलवे को मालभाड़ा के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है।

इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से झारखंड के लिए विशेष पैकेज का मांग करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरूवन्नामलाई): हमें उम्मीद थी कि यूपीए सरकार के मुख्य घटक द्वारा चुनाव में हार से सरकार सबक लेगी और पेश किये गये बजट में यूपीए सरकार की पहले से चली आ रही नीति पंगुता को दर्शाता है। जैसा कि हमारी प्रिय नेता डॉ. पुराची तलावी अम्मा ने इस बजट पर टिप्पणी की है, यह बजट एक निरर्थक प्रयास है, एक ऐसी हवा है जो ऐसे बहती है कि किसी का भी भला नहीं कर सकती, और इससे भी बढ़कर यह जनविरोधी है। यह केन्द्र सरकार की पहले से चली आ रही नीति पंगुता को दर्शाता है। बजट बिगड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि अप्रत्याशित समस्याओं से ग्रस्त है और ठोस उपायों की आवश्यकता है जोकि इस बजट में नहीं है तथा यह बजट कोई उपयोगी समाधान प्रदान नहीं करता।। यह 'रोजमर्रा के काम' जैसा हो गया है जिसमें इधर-उधर कुछ जोड़ दिया गया है। 7.6 प्रतिशत के प्रक्षेपित विकास दर को प्राप्त करना कठिन होगा क्योंकि निजी निवेश को बढ़ावा देने के अलावा कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

यद्यपि, पिछले तीन साल से विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए काफी बात हो चुकी है, परंतु इस बारे में कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। इस बजट में राजकोषीय समेकन के नियंत्रण और व्यापक सुधार के खाका का अभाव है। व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम कर लाभ थोड़ा बहुत दिया जा रहा है परन्तु सेवाकर/उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क इत्यादि में वृद्धि से आम आदमी पर अतिरिक्त भार पड़ने जा रहा है, यह तो पुन: वही बात है कि थोड़ा सा दो ओर ज्यादा वापस लो।

साल दर साल यह अत्यधिक स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रतिभूति बाजारों के लिए बजट सिर्फ एक दिन की घटना है और इससे अधिक कुछ नहीं। काला धन वापस लाने के लिए बिना किसी समय सीमा के श्वेत पत्र लाने का एक आकस्मिक जिक्र हुआ था, परन्तु उससे अधिक कुछ नहीं हुआ। इसके प्रति एक अधिक गंभीर दृष्टिकोण से सरकार की बड़ी राजस्व समस्या हल हो सकती है।

स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से अन्ततोगत्वा अधिक सहायता नहीं मिलेगी और इससे अनैतिक क्रियाकलापों में बढ़ावा होगा और मांग को कम करना नहीं रोक पायेगें। इससे सिर्फ स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और इससे आभूषण निर्माण में लगे श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक हेतु पूर्ण राज सहायता देने के प्रस्ताव पर, कई राज्य सरकारें पूरी शक्ति से विधेयक का पहले ही विरोध कर चुकी हैं क्योंकि यह राज्यों के सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विकृत कर देगा।

खुदरा खरीदारों को उर्वरकों पर राजसहायता का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किसानों को लाभ होने की अपेक्षा सिर्फ अत्यधिक नुकसान ही होगा। उर्वरकों की पहले से ही भारी कमी है और इससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत:, सरकार को किसानों को उर्वरक प्रदान करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

यह मानते हुए कि अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने के लिए सीधे संसाधन जुटाने के लिए राज्यों को अधिकार देने के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। केन्द्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अवसंरचना ऋण निधि की तर्ज पर ऐसी परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए ऋण निधि जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार को एक करार करना चाहिये था। स्वच्छता, स्वास्थ्य इत्यादि जैसे क्षेत्र जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था की उपेक्षा की गई। भारत स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% से भी कम खर्च करता है। जबकि जेब से स्वास्थ्य पर 73% खर्च होता है। जबकि आकार और अर्थव्यवस्था में भारत से छोटे देश भी सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत से अधिक खर्च करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 5 साल की आयु से नीचे के 20 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तीन कुपोषित बच्चों में लगभग एक भारत में रहता है और 3 वर्ष से कम आयु के 45.9% बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार को ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि अधिक नए-नए तरीके के रोग देश में फैल रहे हैं। अस्पतालों में अच्छे उपकरण नहीं हैं। लोगों और डॉक्टर के अनुपात का घनत्व अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको कई किलोमीटर तक डॉक्टर नहीं मिलेगा। इसलिए यह तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5% खर्च करने के लिए प्रभावी कदम उठाये। यही सब क्षेत्र हैं जिस पर सरकार को और ध्यान देना चाहिए। हम इन क्षेत्रों की कब तक अनदेखी कर सकते हैं? देश में शहरों और वहां रहने वाले लोगों का ही विकास हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की हालत देश के शहरों और कस्बों से बिल्कुल विपरीत है। भारत इसके गांवों में बसता है और जहां पिछले 20 वर्ष में शहरों का भारी विकास हुआ है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह का विकास नहीं हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी और स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, स्वच्छता इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे की कमी की समस्या से ग्रस्त हैं। इसके कारण युवा रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं। इसकी भारत से अमरीकी की ओर प्रतिभा पलायन से तुलना की जा सकती है। समावेशी विकास करने के लिए हमारे गांवों का शहरों के बराबर विकास करने की आवश्यकता है और वह जीवन स्तर में सुधार लाना पड़ेगा। यदि ग्रामीण भारत गरीब है तो भारत गरीब है। जहां हमारे शहरों में पूर्णतया वातानुकूलित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल हैं वहीं गांवों के स्कूलों में कम्प्यूटर तो अभी तक बेंच और कुर्सियां भी नहीं हैं। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की भारी कमी है और स्कूल बीच में छोड़ने वालों की दर बहुत अधिक है। शहरों में हमारे पास चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर तथा अंडरपास हैं जबकि बहुत से गांवों में अभी तक सही सड़कें भी नहीं हैं। शहरी-ग्रामीण सड़क सम्पर्क ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गांवों में रोजगार के अवसर नहीं हैं जिससे युवा शहर जाने के लिए मजबूर होते हैं और पारिस्थितकीय प्रणाली में असंतुलन पैदा होता है और गांव वंचित रह जाते हैं। जहां शहरों में हमारे पास अनेक अस्पताल, नर्सिंग होम और चिकित्सा सुविधाएं हैं वहीं गांवों में न तो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। यह जानने के लिए कि कितने ग्रामीण लोग बेसिक उपचार के लिए भी शहरों में भागते हैं अ.भा.अ.सं. (एम्स) जैसे प्रमुख अस्पतालों की दशा देखिए। महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं। बैंकिंग सेवाओं को लोकप्रिय बनाये जाने की जरूरत है और कृषि जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए ऋण उपलब्ध होना चाहिए।

अत: जैसा कि हमारी प्रिय नेता डॉ. पुराची तालवी अम्मा ने कहा है कि इस बजट में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु धन जुटाने के लिए राज्य के हेतु कुछ भी नहीं है। राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब इसके ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण विकास हो। संक्षेप में, प्रस्तुत बजट अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर ले जाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की एक खराब तस्वीर है।

[हिन्दी]

***श्री नरेन्द्र सिंह तोमर** (मरैना): माननीय वित्त मंत्री ने आम बजट 2012-13 के लिए जिन प्रस्तावों को पेश किया है उससे उन्होंने खुद को यूपीए दो सरकार को सबसे असफल सरकार साबित किया है। ऐसा लगता है जैसे पिछले दो-तीन सालों से यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों को लकवा मार गया है। इस बजट के बाद मुझे लगता है कि यह सरकार कोमा की स्थिति में चली गई है। समय की कमी के कारण बहुत सारे मुद्दों पर मैं नहीं बोलना चाहता जिस पर मेरे अन्य साथियों ने अपनी राय इस बजट के खिलाफ व्यक्त की है। मैं अपने साथियों की इस बात से भी सहमत हूं कि यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही देश की जनता का जीना दूभर हो गया है और इस बजट ने आग में घी डालने का काम किया है। इसी महंगाई और भ्रष्टाचार की लपटों का असर केन्द्र सरकार ने हाल ही में पांच राज्यों के चुनाव परिणामों में भी महसूस किया है। जिस आम आदमी के नाम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वह आम आदमी अब समझ गया है कि यह सरकार आम आदमी की नहीं पूंजीपतियों की सरकार है। एक तरफ व्यक्ति महंगाई की मार से कराह रहा है वहीं दूसरी ओर आपकी नीतियों के कारण सोना व्यवसायी दस दिन हड़ताल कर अपना विरोध व्यक्त कर रहे है। आपने कस्टम ड्यूटी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और एक्साइज ड्यूटी 1 प्रतिशत लगा दी जो उचित नहीं है। यह शुल्क वृद्धि व्यापारियों को तो परेशान करेगी ही तथा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देगी। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे आम गरीब आदमी पर भी भार पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब की बेटी का विवाह सोने की लौंग के बिना सम्पन्न नहीं होता है। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।

आंकड़े बताते हैं कि देश की 36 फीसदी आबादी आज भी गरीब है। देश के गरीबों की 70 फीसदी जनता हमारे गांवों में रहती है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। सरकार यह भूल गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की हालत इस दौर में और भी खस्ता हो गई है। इस पूरे बजट में मेरे गरीब भाई-बहन के लिए कुछ भी नहीं किया गया है जो उनको कहीं आशा की किरणें दिखा सकें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट है जो पिछले साल 2011-12 के 74143.72 करोड़ रुपये से घटा कर इस साल 2012-13 के बजट में 73221.82 करोड़ रुपये कर दिया है। गरीबों की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की इस बजट में जमकर उपेक्षा की गई है मैं अपनी बातें इन्हीं मुद्दों पर केन्द्रित करूंगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

1. **मनरेगा**-सरकार ने मनरेगा का बजट में 15 फीसदी की कमी कर दी है। 2011-12 में यह 40 हजार करोड़ रुपया था अब घटा कर 33 हजार करोड़ कर दिया गया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही मेरे गरीब भाई-बहनों को 100 दिनों का रोजगार भी यह सरकार मुहैया नहीं करा पा रही थी अब इस बजट में भी कटौती करने के बाद गरीब के लिए और मुश्किल हो जाएगी। महंगाई का दानव भी गरीबों को और डसेगा। सरकार को मनरेगा का बजट बढ़ाकर दुगुना करना चाहिए था लेकिन कर दिया और कम। इससे और गरीबी बढ़ेगी, गरीबों का जीना दुश्वार होगा। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी कम करने में मनरेगा का योगदान हो सकता है लेकिन सरकार की नीतियों से ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा मनरेगा को मरेगा बनाने की है।

2. **आजीविका**-वित्तमंत्री ने बड़े जोर से आजीविका का प्रचार किया है। इसकी असलियत क्या है मैं बताता हूं। पिछले साल के आंकड़ों में वित्तमंत्री ने 34 फीसदी की वृद्धि की है लेकिन इसी को समझा जाए तो सरकार की यह वृद्धि बहुत ही मामूली सी है। असलियत में सरकार 400 करोड़ रुपए किताबी खातों के लिए रख रही है। महिलाओं के विकास के लिए एसएचजी कॉरपस फंड की मूलनिधि सरकार ने 100 करोड़ से बढ़ा कर 300 करोड़ कर दी है। दूसरी ओर नया संस्थान भारत लाइवलीहुड फाउंडेशन आफ इंडिया खड़ा कर दिया है जिसको इसी फंड में से 200 करोड़ दे रहे हैं। वास्तव में यह राशि सरकार की वृद्धि को ही पूरा कर पाएगी। इसमें गरीब को कोई राहत नहीं मिल सकेगी।

3. **इंदिरा आवास योजना**-यह ग्रामीण गरीबों के लिए एकमात्र आवास योजना है हाल ही में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 34 फीसदी आबादी एक कमरे में पांच से ज्यादा व्यक्ति के रहने को मजबूर है यह भयावह स्थिति है। सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह इंदिरा आवास योजना के बजट में वृद्धि करेगी लेकिन इस साल इंदिरा आवास योजना के बजट में भी कमी की गई है। वर्ष 2010-11 में 10337.46 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था जो इस साल घटा कर 9966 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मकानों की निर्माण लागत आसमान छू रही है, सीमेंट की कीमतों में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है फिर भी सरकार ने इस महती योजना का बजट बढ़ाने की बजाए कम कर दिया। सरकार ने गरीब जनता की आवास की मूलभूत आवश्यकता को ही नकार दिया है। केन्द्र सरकार इस योजना में म.प्र. के गरीब और आदिवासियों के साथ आवंटन देने में पक्षपात कर रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आजादी के 65 वर्ष व्यतीत होने के बाद क्या कभी वह दिन आयेगा कि जब देश में कोई भी आवासहीन नहीं रहेगा?

4. **शहरी विकास**-शहरी विकास के दावे किये जा रहे हैं। जेएनयूआरएम और यूआईडीएसएसएमटी जैसी योजनाएं भी सात वर्षों में मूर्त रूप नहीं ले सकी हैं। अभी तक प्रथम फेस पूरा नहीं हुआ तो दूसरे फेस की कल्पना कैसे की जा सकती है। यू.पी.ए. सरकार की संतुलित एवं समयबद्ध विकास की परिकल्पना ही नहीं है। शहरी क्षेत्र की दोनों योजनाओं को स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। स्थानीय संस्थाएं जैसे तैसे पैसा जुटाकर परियोजना तैयार कर केन्द्र को भेजती है। यहां से स्वीकृत होने में एक वर्ष से अधिक समय लगता है। स्वीकृत दिनांक योजना की लागत दोगुनी हो जाती है और केन्द्र सरकार कहती है बढ़ी हुई का इन्तजाम आप करो यह कैसे हो सकता है इस कारण देश में काम अधूरे पड़े हैं नागरिक परेशान हैं।

5. **राजीव आवास योजना**-ग्रामीण ही नहीं शहरी गरीबों के लिए भी सरकार की उपेक्षा का यहीं रूख इस बजट में देखने को मिल रहा है। राजीव आवास योजना भी सरकार की मार से बच नहीं सकी है उसके बजट में भी सरकार ने कमी कर दी है पिछले साल के 39.97 करोड़ से घटा कर इस साल के लिए 30 करोड़ रुपये किया गया है। शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए पिछले बजट में 972.81 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था जो इस बजट में घटा कर 932.15 करोड़ रुपए किया गया है। जिस 25 लाख रुपये तक के फ्लैट के लिए वित्तमंत्री ने छूट दी है वह गरीबों के लिए नहीं है। सरकार उसी को गरीब मानती है जो 25 लाख रुपए तक का फ्लैट खरीद सकता है। वह यह बात भूल गई है कि जो दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है वह 25 लाख का फ्लैट कहां से खरीदेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश में आम गरीब आदमी को भी आवास का अधिकार होना चाहिए।

6. **खाद्य सुरक्षा**-औद्योगिक क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए आपने दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर जापानी सरकार की सहायता से बनाने की बात की है। बजट प्रावधान भी किया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं। दिल्ली से मुंबई तक बनने वाले कॉरीडोर में आगरा, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ छोड़ दिया है। जबकि म.प्र. सरकार इस क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त भूमि, पानी, बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपनी सहमति दे चुकी की है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के नाम पर सरकार कई दिनों से भ्रमित करने में लगी है कि वह गरीब को दो वक्त की रोटी देना चाहती है लेकिन ना तो सरकार अभी अक यह बता सकी है कि खाद्य अनुदान के असली हकदार गरीब की क्या पहचान है? और ना यह बता सकी है कि उस गरीब तक यह सुविधाऐं कैसे पहुंचाई जाएगी? हालांकि सरकार ने खाद्य अनुदान को 72823 करोड़ रुपये से तीन फीसदी बढ़ा कर 75 हजार करोड़ रुपए किया है। तीन फीसदी की मामूली वृद्धि तो महंगाई से निपटने मे ही कम पड़ेगी। सरकार के आंकड़ों को यदि देखें तो उसकी मंशा साफ नजर आती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने

के और हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार कितनी चिंतित है और इसका फायदा क्या नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा? उस अंतिम व्यक्ति तक रोटी पहुंचाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानि पीडीएस का काम है। यदि खाद्य सुरक्षा को सफल बनाना है तो पीडीए को सुधारना होगा उसकी क्षमता बढ़ानी होगी। यहां तक कि सरकार ने अनाज भंडारण के लिए भी मात्र 39.56 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसमें भी 38.15 करोड़ रुपए योजना खर्च है और गैर योजना मद के लिए 1.41 करोड़ रुपए है। क्या सरकार सच में गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के बारे में सोच रही है? मुझे इस बारे में संदेह है। जिस तरह सरकार ने पिछले तीन सालों में गरीब का मजाक बनाया है उसी तरह से वह खाद्य सुरक्षा का भी मजाक बना रही है। ऐसे कई उदाहरण इस बजट में है जो सरकार के सारे दावों को खोखला साबित करते हैं। जैसे पंचायती राज को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी, स्वच्छता, शौचालयों की अभी भी भारी कमी है। आज भी हमारी माताएं-बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचालय जाने को विवश हैं, पेयजल के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। महिलाओं के लिए इस पूरे बजट में कुछ भी नहीं है उनकी जमकर उपेक्षा की गई है। लगता है जैसे यूपीए सरकार ने गरीबों का मजाक उड़ाने की कसम खा रखी है। बजट के अगले दिन ही सरकार के योजना आयोग ने फिर से गरीब के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि शहर में 29 रुपए रोज और गांव में 23 रुपए रोज कमाने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। इन आंकड़ों को योजना आयोग के अलावा और कोई नहीं मानेगा। यह बजट मेरे गरीब भाई-बहनों के साथ एक क्रूर मजाक है।

7. **कृषि**-पिछले डेढ़ दशक में दो लाख से ज्यादा किसानों की खुदकुशी भी यही बताती है कि कृषि क्षेत्र एक त्रासद स्थिति में पहुंच गया है। सरकार किसानों के लिए आंसू बहाने में कभी पीछे नहीं रहती लेकिन खेती को संकट से उबारने की या तो उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है या उन्होंने इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है। पिछले कुछ सालों में जो दो खास कदम उठाए गए हैं उनसे किसानों का कोई भला नहीं हो सका है। कृषि के लिए बजट का आवंटन 2012-13 में 20530.22 करोड़ रुपए किया गया है। कुल बजट में कृषि का हिस्सा मात्र 1.8 फीसदी है। जिस देश में हरित क्रांति की बात हो रही है और जिस देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती किसानी में लगी है उस देश में दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश भर में तथा विशेषकर चम्बल अंचल में भिंड, मुरैना, श्योपुर पानी के कटाव से कृषि योग्य हजारों एकड़ भूमि बीहड़ में तब्दील हो रही है और ग्रामवासी गांव खाली करने के लिए विवश हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। कई बार किसान संगठनों ने इस कृषि आवंटन को बढ़ा कर 20 फीसदी तक करने की मांग की है लेकिन सरकार सिर्फ खोखले दावे ही करती है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो उसको कृषि का हिस्सा बढ़ाना चाहिए इससे ग्रामीण भारत की गरीबी भी कम होगी और साथ ही गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस साल सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक की घोषणा की है उसके बदले सरकार ने अपना रूख न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए साफ नहीं किया है। एक ओर आसमान छूती महंगाई ने किसानों को आत्महत्या पर विवश कर रखा है दूसरी ओर उसको अपनी फसल की सही कीमतें भी नहीं मिल पा रही हैं। अब यह कहा जा रहा है कि एक सप्ताह बाद डीज़ल की कीमतों में और वृद्धि होगी। मेरा सुझाव है कि सरकार बेकार की चीजों पर पैसे व्यय ना करते हुए देश के अन्नदाता को राहत देने के लिए इस वर्ष एमएसपी की दरें बढ़ा कर उनके साथ न्याय करें तथा किसानों को 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जावे।

8. **रक्षा**-वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 193407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी ज्यादा है। देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है इसी तरह से हम उसके बजट में मामूली बढ़ोतरी करते रहे तो हमारे सामने कई संकट खड़े हो सकते हैं। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कितने बेहतर हैं यह सब जानते हैं। चीन हमारी सीमा का उल्लंघन कई बार कर चुका है हमारी सीमाओं पर वह लगातार निर्माण कार्य किए जा रहा है यह सब कुछ सरकार के संज्ञान में है। पाकिस्तान अपने घरेलू उत्पाद का पांच से छः फीसदी हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। चीन का रक्षा बजट 106.41 बिलियन डॉलर होगा। इतना अधिक बजट हमारे जैसे पड़ोसी देश के लिए खतरे की घंटी है। उसके मुकाबले वित्तमंत्री ने जो रक्षा बजट दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। रक्षा क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन नीति की जरूरत है इस मद में जीडीपी का तीन फीसदी हिस्सा दस साल के लिए तय किया जाना चाहिए था। आज सैन्य जरूरतें काफी बढ़ गई हैं सैन्य सामानों का आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक हथियारों की खरीद, प्रशिक्षण, ट्रायल से लेकर शस्त्रागारों का निर्माण तक काफी खर्च होता है। माननीय वित्तमंत्री ने जो बजट में वृद्धि की है उससे तो मात्र वेतन भत्तों का ही खर्च निकल सकता है। पिछले कुल सालों में सैन्य सामग्री के खर्च की तुलना में वेतन-भत्तों का खर्च बढ़ता जा रहा है जबकि आदर्श स्थिति वह है जब दोनों को आधा-आधा हिस्सा मिले। हथियारों की खरीद में भी काफी असंतुलन है देश के पास नवीनतम राईफलों तक नहीं हैं। हमारे सैनिकों से ज्यादा आधुनिक राईफलें आतंकवादी और माओवादी उपयोग कर रहे हैं। तोपखाना पुराना हो चुका है बोफोर्स बूढ़ी हो चुकी है लेकिन सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। डीआरडीओ और रक्षा उत्पादक इकाईयां होने के बावजूद भी हम आज भी दुनिया के सबसे बड़े

हथियारों के खरीददार है यह देश के लिए शर्म की बात है। हमारी रक्षा नीतियों और रक्षा बजट को देख कर इस्लामाबाद और बीजिंग मे बैठे लोग अवश्य खुश हो रहे होंगे।

वैसे भी यूपीए दो सरकार की उलटी गिनती अब शुरू हो चुकी है और अब गिनती के चंद दिन बचे हैं। इस बजट के बाद अब सरकार की उम्र और भी कम हो गई है। अंत में वित्तमंत्री को मैं यह कहना चाहता हूं कि "अगर तुम गरीबों को भुला दोगे तो गरीबों की आहें राख कर जाएगी तेरी सपनों की दुनिया, ना फिर तू जी सकेगा और ना तुझको मौत ही आएगी"।

[अनुवाद]

***श्री सी. राजेन्द्रन** (चेन्नई दक्षिण): जैसा कि हमारी नेता और तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, केन्द्र के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष आ रही समस्याओं यथा जी.डी.पी. विकास दर में कमी होना, निवेश में कमी, उच्च मुद्रास्फीति दर, भारी राजकोषीय घाटा और डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना आदि के संबंध में किसी ठोस समाधान का प्रावधान नहीं किया गया है। शिशु मृत्यु दर पर और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है; बच्चे कुपोषण के शिकार हैं; बच्चों को स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती; बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रही है और लोगों में पूर्ण रूप से असंतोष है। यह देखकर खेद होता है कि भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया है।

वित्त मंत्री द्वारा भारी राजकोषीय घाटे की घोषणा की गई है और यह प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 8.5% विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु यह घटकर 6.9% रह गई। चूंकि सरकार राजकोषीय घाटे को एफआरईबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक नियंत्रित नहीं कर सकी। अत:, वित्त मंत्री ने यह कहा कि अधिनियम में संशोधन कराएंगे ताकि सरकार इस सीमा को बढ़ा सके। मेरा यह मानना है कि सरकार को नियमों में परिवर्तन करने की बजाय राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय तलाशने चाहिए। इस संबंध में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा ने जो कहा है वह उल्लेखनीय है। हमारी नेता ने यह कहा है कि जब कि केन्द्र सरकार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास कर रही है वहीं राज्यों को कोई छूट नहीं दी गई है जिससे राज्यों को अनावश्यक कठिनाइयों और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए केन्द्र को राज्यों को किसी प्रकार की छूट देने पर विचार करना चाहिए।

कुछ माह तक स्थिर रहने के पश्चात मुद्रास्फीति की दर फिर से बढ़ने लगी है। यह एक चिंता का विषय है और इस संबंध में तुरंत पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

काले धन के विषय में वित्त मंत्री ने केवल यह कहा है कि वह काले धन पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेंगे। यह काम पर्याप्त नहीं है। ऐसी रिपोर्ट हैं जो यह दर्शाती है कि 500 बिलियन डॉलर के बराबर धनराशि विदेशी बैंकों में जमा है। सरकार को कर छूट वाले देशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। केवल संधियों पर हस्ताक्षर करने और अन्य देशों के साथ वार्ता करने से काले धन की समस्या का समाधान नहीं होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और निर्धनों का राजसहायता प्रदान करने वाली अन्य योजनाओं के मामले में बजट में कहा गया है कि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त दी जाने वाले राजसहायता में कमी करेगी। पहले ही जनता मुद्रास्फीति और महंगाई की मार झेल रही है। यदि राजसहायता में भी कमी की जाती है तो जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अलग-अलग समितियों के पास बीपीएल परिवारों के आंकड़ों में भिन्नता है। सक्सेना समिति और तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के संबंध में भिन्न-भिन्न आंकड़े दिए हैं। दूसरे, योजना आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में यह कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 28 रुपये से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपये प्रतिदिन की आय वाले व्यक्ति को निर्धन नहीं माना जाएगा; और यह कि भारत के समग्र निर्धनता दर में कमी आई है। यह एक हास्यास्पद बात है और इन क्षेत्रों की पुन: समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक रूप से निर्धन व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें पर्याप्त रूप से राजसहायता प्रदान की जा सके।

संघीय व्यवस्था में, राज्यों और केन्द्र को समान स्तर पर माना जाता है। परन्तु, केन्द्र राज्यों को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा है और विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों की सत्ता वाले राज्यों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्यों को कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र के समक्ष याचना करने के लिए विवश किया जाता है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए।

किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा अत्यावश्यक है। विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त निवेश किए जाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि बहुत से राज्य घोर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए अधिक परियोजनाएं लगाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु समुचित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 100 रुपये की मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। जो लोग पेंशन पर निर्भर हैं इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होने जा रही है। यहां यह उल्लेख करना बहुत उपयुक्त होगा कि तमिलनाडु सरकार प्रति माह 1000 रुपए पेंशन दे रही है। केन्द्र सरकार को पेंशन राशि में वृद्धि करने हेतु इस योजना में संशोधन करना चाहिए।

सेवा कर में 10% से 12% की बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति के रूख में भारी वृद्धि होगी। मैं वित्त मंत्री जी से इसे 10% पर ही सीमित रखने का अनुरोध करता हूं।

शिक्षा क्षेत्र की बात करें, हालांकि पिछले चार वर्षो के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के आवंटन में दो गुना वृद्धि देखी गई है, एक सर्वेक्षण कहता है कि कोष का केवल 6% ही उनकी शिक्षा पर खर्च होता है और बाकी दीवारों की रंगाई से लेकर अन्य विद्यालय आयोजनों पर खर्च होता है। इस परिणाम के साथ, यह बताता है कि कक्षा 2 के छात्रों की किताबों को कक्षा-5 के छात्र मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। यह भारतीय शिक्षा के मामले की दुख स्थिति है।

मनरेगा का प्रयोजन गरीबों को एक न्यूनतम धनराशि के लिए एक साल में कुछ दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें धन उपलब्ध कराना है। परंतु यह योजना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से ग्रस्त है। पिछले छह सालों में सरकार ने इस पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। हर साल प्रति व्यक्ति काम के दिनों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। मैं सरकार से संपूर्ण योजना को सुदृढ़ करने का अनुरोध करता हूं।

निष्कर्ष रूप में, मुझे यह कहना है कि केन्द्र सरकार की नीतिगत अक्षमता के कारण यह बजट निष्फल है। जितनी जल्दी यह इससे उबरेगा और इससे बाहर निकलेगा, यह देश और इसके गरीबों के लिए अच्छा होगा।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): मैं 2012-13 के जनरल बजट के संबंध में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा देश एवं प्रदेश से संबंधित प्रस्तावों को जनरल बजट में सम्मिलित करने की मांग करता हूं:-

1. बजट के पैरा 137 के तहत आयकर में स्लेब वाईज़ छूट देने का प्रस्ताव किया गया है इस प्रस्ताव के माध्यम से कर्मचारियों को कोई लाभ प्राभ नहीं हुआ है। क्योंकि इतनी तो महंगाई बढ़ गई है, इससे इस बजट के प्रस्तावों से आम कर्मचारी की परेशानी बढ़ी है तथा खास कर्मचारी जिसको प्राय: अधिकारी वर्ग से जाना जाता है को ही फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। अत: मेरी यह मांग है कि 3 लाख रुपये सालाना जिन कर्मचारियों की आय है उनके लिए भी वित्त मंत्रीजी बजट में राहत देने की घोषणा करें। मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय की फाईनेंस कमेटी ने भी 3 लाख रुपये तक आयकर में छूट देने की सिफारिश की थी और उस फाईनेंस कमेटी में सभी दलो के प्रतिनिधि, होते है और यह एक मिनी संसद होती है।

2. वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के पैरा 9 से 15 तक में देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में जिक्र किया है। निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है लेकिन मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के वूलन सेक्टर का जिक्र नहीं है जो गत दो-तीन सालों से मन्दी पकी मार झेल रहे है। वूलन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा वूल सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए 125 करोड़ के पैजेज की मांग की गई थी, जिसका बजट में उल्लेख नहीं होना, बीकानेर के वूलन सेक्टर के लिए चिन्ता का विषय है, क्योंकि बीकानेर वूलन मंडी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। इस सेक्टर को मन्दी से उबारने के लिए वित्त मंत्री जी से 125 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग करता हूं।

3. बजट के पैरा 67 से 70 में टैक्सटाईल क्षेत्र का जिक्र किया गया है, लेकिन राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिले में सिंचित क्षेत्र होने के कारण कपास पैदावार ज्यादा होती है। वहां के लोगो की यह मांग भी है कि इस क्षेत्र में एक टैक्सटाईल पार्क की स्थापना की जावें, लेकिन बजट में टैक्सटाईल पार्क नहीं मिला जिससे कपास उत्पादको में एवं कपास की प्रोसेसिंग करने वाले लोगों में भयंकर निराशा है। पैरा 68 में दो मेगा हैण्डलूम कलस्टर स्थापित करने की भी बात कहीं गई है। राजस्थान में भी हैण्डलूम कलस्टर स्थापित करने की भी बात कही गई है। राजस्थान में भी हैण्डलूम का बहुत बड़ा काम है, पश्चिमी राजस्थान के लोग अकाल के समय भी हैण्डलूम पर काम करके गुजारा करते है। अत: राजस्थान के लिए भी हैण्डलूम कल्स्टर की मांग जायज है जिसकी भी घोषणा बजट में होनी चाहिए। पैरा 70 में पॉवरलूम मेगा कल्स्टर की घोषणा की गई। राजस्थान में किशनगढ़ (अजमेर) और भीलवाड़ा में बहुत ज्यादा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पॉवर लूम स्थापित है यदि इन दोनों में से किसी एक स्थान पर मेगा पॉवर लूम कल्स्टर की स्थापना होती तो राजस्थान के पॉवर लूम उद्योग को भी विकसित होने का अवसर मिलता जो इस बजट ने नहीं दिया है जो क्षेत्र के लोगों को निराश करता है। अत: इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

4. पिछले 2-3 बजटों में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री जी करते आये हैं, लेकिन इस बार के बजट में इस बिन्दु को गायब कर दिया गया है। मेरी मांग है कि बीकानेर में मेगा फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में लम्बित है। अत: उसकी शीघ्रता से घोषणा की जानी चाहिए।

5. बजट भाषण के पैरा 108 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का जिक्र किया गया है। लेकिन बजट के दूसरे दस्तावेज है उसमें महानरेगा में पिछले साल से बजट कम कर दिया गया है और मात्र 33 हजार करोड का ही बजट उपलब्ध करवाया गया है इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की मांग कम हुई है। मैं वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि नरेगा के तहत राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जावें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में खेती के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमत: राजस्थान के सभी 11 मरुस्थली जिलों में सभी लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावें। इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों और प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र (आगौर) बनाया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टांका पूरा भर जाए। इस माप के टांके आगौर के निर्माण पर तकनीकी आंकलन के आधार पर लगभग 80,000/- का खर्चा आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टांकों का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा। जिससे उसके सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेराजगार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

6. बजट भाषण के पैरा 74 से 86 तक में कृषि विकास के बारे में उल्लेख किया गया है कि कृषि विकास का सीधा सम्बन्ध फसल बीमा योजना से है। अत: फसल बीमा योजना के बारे में भी बजट में उल्लेख किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना के बारे में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान में फसल बीमा योजना में सम्पूर्ण तहसील को ईकाई माना गया है, जिसे किसानों को बहुत कम लाभ इस योजना का मिल रहा है। यदि तहसील की जगह गांव को ईकाई मान लिया जावे, तो इस योजना को लाभ अधिक से अधिक किसान उठा सकेंगे एवं कृषि विकास मे अपना सहयोग दे सकेंगे। कृषि विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना चाहिए एवं नवीनीकरण के समय वर्तमान मे बैंको द्वारा जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। एक बार किसान क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने से किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा एवं किसान कृषि के विकास में अपना अपेक्षित योगदान दे सकेंगे। पैरा 82 में किसान क्रेडिट कार्ड को एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया है लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के जो वर्तमान में मापदण्ड हैं उसमें सुधार नहीं होगा तो इसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं होगी।

7. बजट भाषण में आधारभूत ढांचे के विकास की बात पी.पी.पी. (निजी सहभागिता) मोड़ पर करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने जैसी महत्वपूर्ण योजना का उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं कि देश की नदियां जोड़ने के प्रस्ताव को बजट में स्थान मिलें एवं इस हेतु उचित बजट प्रावधान करके देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाना चाहिए। जिससे राजस्थान जैसे रेगिस्थान प्रदेश को एवं देश के अन्य प्रदेशों जहां बाढ़ की परिस्थितियां बनी रहती हैं, नदियों के जुड़ने से देश में सूखे तथा बाढ़ दोनों परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

8. बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी उल्लेख किया गया है लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की सही संख्या का ही पता नहीं लगेगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही ढंग से लागू कैसे किया जा सकता है। अत: इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिसका भी मकान कच्चा हो वो बी.पी.एल. की श्रेणी में आना चाहिए और जो बी.पी.एल. पक्का मकान रखता हो उसको बी.पी.एल. की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों से इस संबंध में सर्वेक्षण करवा कर सही संख्या ज्ञात कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर ढ़ग से लागू किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

9. बजट के पैरा सं. 71 से 73 में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को राहत देने की बात कही गई है। मैं इस संबंध में वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि ऋण माफ किये गये हैं उसी तरह छोटे छोटे कारीगरों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पीयों ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग से 1000 रुपये से 3000 रुपये तक के ऋण आज से 20-25 वर्ष पूर्व में लिये थे। वर्तमान में इन छोटे कामगारों एवं बुनकरों हस्तशिल्पियों की ऋण राशि चुकाने की क्षमता भी नहीं है और वे आत्महत्या भी कर रहे हैं अत: वित्त मंत्री जी से मांग है कि इनकी ऋण राशि को माफ करने की घोषणा बजट प्रस्ताव में करें जिससे सूक्ष्म, लघु कारीगरों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को वास्तविक रूप से राहत मिल सकें।

10. महंगाई को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस कार्य योजना नहीं पेश किया गया है। आश्चर्य की बात तो तब है जब भारत सरकार ने महंगाई को रोकने के सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों के एक दल के गठन की घोषणा की थी और गुजरात के मुख्यमंत्री उस दल के अध्यक्ष थे और सभी दलों के मुख्यमंत्री उसमें सदस्य थे पूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात वायदा कारोबार को बन्द करने की उस कार्य दल द्वारा सिफारिश की गई है अत: वित्त मंत्री को अविलम्ब प्रभाव से खाद्य पदार्थे के लिए वायदा कारोबार को बन्द करना चाहिए।

11. आयकर छूट में महिलाओं के लिए पृथक से आयकर स्लैब हुआ करता था जो इस बजट में नदारद है। महिलाएं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शताब्दी वर्ष मना रही हैं और भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के आयकर स्लैब को खत्म करना महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्ण मजाक है। अत: महिलाओं के लिए आयकर छूट में बढ़ोतरी की जाए एवं स्लैब को पूर्व की भांति यथावत रखा जायें।

12. बेरोजगारी से भारत संकट की स्थिति से गुजर रहा है फिर भी बजट में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस बजट में ठोस उपायों का अभाव है। इससे बेरोजगार युवा परेशान हैं और दिग्भ्रमित है। अत: सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी खास कार्ययोजना की घोषणा बजट में करनी चाहिए।

13. देश में अन्य पिछडा वर्ग की संख्या 40 प्रतिशत के आसपास है, लेकिन पूरे बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग का जिक्र तक नहीं करना पूरे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है अत: पिछड़ा वर्ग के लिए भी किसी योजना की घोषणा की जानी चाहिए।

14. माननीय रेलमंत्री जी ने रेल बजट में लैंड बैंक बनाने की बात का उल्लेख किया है। मैं माननीय वित्तमंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे पटरी के साथ-साथ खाली पड़ी रेलवे पड़त भूमि का उपयोग रतन जोत (जेट्रोफा) की खेती के लिए किया जा सकता है, इससे रेलवे की पड़त भूमि का उपयोग होने से भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो सकती है तथा देश को हरा-भरा करने में भी इसका योगदान हो सकता है एवं रतन जोत के माध्यम से बायो डीजल मिलने से देश की डीजल बढ़ोत्तरी के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

15. बजट भाषण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बारे में उल्लेख किया है एवं एक्साईज में छूट के सम्बन्ध में भी जिक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र में विनियोजित करने वाली ईकाईयों को एक्साईज की ड्यूटी में छूट का प्रावधान है, वैसा ही प्रावधान राजस्थान के रेगिस्थानी ईलाकों में भी विनियोजन करने वाली औद्योगिक ईकाईयों के लिए भी होना चाहिए, ताकि राजस्थान के रेगिस्थानी इलाकों का विकास हो सके एवं संविधान की भावना के अनुरूप क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर किया जा सके।

16. पैरा 213 में नॉन-ब्रांडेड ज्वेलरी आइटम (सोने के आइटम) पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई है जिससे पूरे देश विशेषकर राजस्थान में आंदोलन हो रहा है अत: यह ड्यूटी वापिस ली जाए क्योंकि इससे आम आदमी पर मार पड़ेगी व महंगाई बढ़ेगी।

***श्री मनसुखभाई डी. वसावा** (भरुच): माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट 2012-13 प्रस्तुत किया है यदि इसे भटका हुआ बजट कहा जाये तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें सारी चिन्ताओ को हल करने के प्रयास में कुछ भी नहीं किया जा सका है कुछ इधर से उधर एवं कुछ उधर उधर से इधर किया हुआ है। परन्तु न जाने क्यों कांग्रेस को महंगाई से बहुत प्रेम हो गया है इसलिए जो भी काम करती है उससे महंगाई ही होती है एवं माननीय मंत्री जी कहते रहते हैं कि अगले पन्द्रह दिन में महंगाई कम हो जाएंगी। इस तरह सं यह एक महंगाई बढ़ाने वाला बजट हो गया है और इससे एक ओर जहां विकास कार्य पीछे जाएगा, वहीं दूसरी ओर आम आदमी और कॉरपोरेट जगत दोनों के लिए अहितकारी हो गया है। सेवा कर व उत्पाद कर में बढ़ोत्तरी होने के कारण महंगाई की दर बढ़कर 7-8 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है जिसका सब से बुरा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है तथा महंगाई के कारण औद्योगिक विकास और नये रोजगारों के सृजन का मार्ग रूक जाएगा। साथ ही बचत कुछ भी नहीं हो पाएगी जिसके परिणाम से निवेश प्रभावित होगा, मांग घटेगी, औद्योगिक विकास कम होगा साथ ही अर्थव्यवस्था धीमी विकास के दुष्चक्र में फस जाएगी। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के मुताबिक गरीबी के दुष्चक्र को दूर करने के लिए बचत का होना अति आवश्यक है जो बजट में नही है जिससे यह बजट गरीब को और गरीब करेगा।

इस बजट में कृषि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि देश की काफी खेती योग्य भूमि असिंचित है और इन्द्र देवता के सहारे चल रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र भरुच एवं इसके अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा बाहुल्य आदिवासी नर्मदा जिला भी इससे अछूता नहीं है जहां पर कि आदिवासियों की काफी संख्या है और वहां पर सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण वहां के किसान 4 महीने खेती का काम करते हैं उसके बाद रोजगार के अभाव में वे शहरों की ओर पलायन कर लेते हैं। यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाये और बारहों मास पानी मिलने लगे तो उनका पलायन रूक जाएगा और खेती बाड़ी के कार्य एवं पशुपालन के विकास कार्यो एवं डेयरी उद्योग आदि का कार्य तेजी से पनप सकता है।

आज देश को आजाद हुए 65 साल होने को है किन्तु देश में गरीब आदिवासी लोग जो जंगलों में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं उनके खेत को सिंचाई की सुविधा से अभी तक वंचित किया हुआ है। खेती बाड़ी के लिए पानी का होना अति आवश्यक है। आदिवासी लोग अपने खेतों को पानी देने के लिए पूरी तरह से बरसात पर निर्भर है। आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 15 प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र हैं केन्द्र सरकार ने आज तक उनको सिंचाई सुविधा दिये जाने हेतु कोई विधान नहीं बनाया है देश मे कितने आदिवासी लोग हैं और कितनी भूमि उनकी सिंचित है ऐसे कोई आकड़ें सरकार के पास नहीं हैं। इन सब उपेक्षाओं के कारण उनका जीवन स्तर अन्य वर्गों की अपेक्षा कमजोर है सरकार कहती है कि 99 बड़ी सिंचाई एवं 148 मध्यम सिंचाई योजना जनजातियों के क्षेत्रों में बनाई हैं इस तरह से सरकार गुमराह कर रही है। आदिवासी लोग मेहनती हैं, उनकी जमीन भी उबड़ खाबड़ है परन्तु उपजाउ है। परन्तु सिंचाई के अभाव में वह अपने खेतों में अच्छी फसल खड़ी करने में असमर्थ हैं। सरकार कहती है कि उन्होंने त्वरित सिंचाई लाभार्थी योजना चला रखी है, परन्तु इस योजना से आदिवासी क्षेत्र को विशेष फायदा नहीं हो रहा है। जनजाति विकास के लिए अलग से मंत्रालय है, परन्तु इस मंत्रालय ने सिंचाई के लिए अपना कोई योगदान नहीं दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच के डडियापाडा में डैम बनाने के लिए आदिवासियों को विस्थापित किया है और ऐसी जगह विस्थापित किया जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। देश का वन एवं पर्यावरण विभाग सिंचाई के साधन स्थापित करने एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कई बाधा खड़ी करता है।

हमारे देश के छोटे एवं मध्यम किस्म के उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काफी रोजगार देते हैं इस बजट में छोटे व बड़े उद्योगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। गांवों में पुरानी कहावत है कि मांगने गयी बेटा और पति भी गवां बैठी। मांग में कमी और महंगे कर्ज से छोटे एवं मध्यम उद्योग जगत सिकुड़ जाएगा जिसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। छोटे-छोटे उद्योग इस बजट से न जाने कितनी उम्मीद लगाये बैठे थे। उनकी उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया और उन्हें दिया सेवा करों एवं उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त भार। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास दर को कोई मदद नहीं मिलेगी। इस बजट के कारण घटती बिक्री से परेशान कार कंपनियों को भी बड़ा झटका लगा है। किसी उद्योग को पनपने के लिए उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग का होना अति आवश्यक है अगर मांग नहीं होगी तो किस तरह से अपना माल बेचेगी और वे क्यों वस्तुओं का उत्पादन करेगी। इस मांग को पैदा करने लिए लोगों की जेब में पैसा होना आवश्यक है यह पैसा आय से प्राप्त होगा परन्तु इस प्रस्तुत बजट से लोगों की आय बढ़ने के आसार कम होंगे और बढ़ती महंगाई इस मांग को कम कर देगी। महंगाई की वृद्धि की आशंका से ब्याज दरों में कमी और दूर की कौड़ी सिद्ध होगी। अब अधिकतर सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 59 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले सर्विस उद्योग सेवा शुल्क की दर 10 से 12 प्रतिशत होने से प्रभावित होगा। ब्रांडेड कपड़े बनाने वाली कंपनियों पर काफी बोझ बढ़ा दिया गया है। यही नहीं व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों पर काफी बोझ पड़ेगा और इसका बोझ जाकर जनता पर ही पड़ेगा। इस बजट में छोटे व्यापारियों के व्यापार को मजबूत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

और आधुनिक करने के लिए सरकार ने कोई नीति घोषित नहीं की है जिसके कारण उत्पादन लागत में कमी होने के आसार कम है एवं नई तकनीक के अभाव में बाजार में उनका नामोनिशान समाप्त हो सकता है, परिणामस्वरूप वे भी काफी परेशान हैं।

इस बजट के आने से गृहणियां भी काफी निराश है उनका कहना है कि इस झटके से घर का बजट ही चरमरा जायेगा।

इस बजट को देखने से तो ऐसा लगता है कि सरकार गरीबी हटाने के बदले गरीबों के हटाने में लग गई है। गरीबों को राहत पहुंचाने को कौन कहे सरकार उनके पीछे ही पड़ ही गई है अपर मिडिल क्लास तो किसी तरह से अपना जीवनयापन कर सकता है। लेकिन रोज कमाने खाने वाले गरीबों का जीना और मुश्किल हो जाएगा। गरीबों और असंगठित मजदूरों के बारे में इस बजट में कोई जिक्र तक नहीं है। इस बजट से साफ हो गया है कि यह सरकार मजदूर विरोधी है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मजदूर के बिना कोई माई का लाल उत्पादन नहीं कर सकता है और यह सरकार मजदूर को भूल गई, मेरे दिमाग में यह बात समझ में नहीं आ रही है कि माननीय वित्त जी यानि दादा पश्चिम बंगाल के है और पश्चिम बंगाल का कल्चर मजदूरों के हितों को सोचने का है तो भी मजदूर की बात, उनकी चिंता एवं उनकी समस्या इस बजट से गायब है।

बजट की भाषा से लगता है कि सरकार जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के दर्द से वाकिफ नहीं है आदिवासियों के विकास के लिए वन अधिकार कानून पास किये गये हैं परन्तु इन कानूनों पर इच्छी नीयत से अमल नहीं किया जा रहा है। जनजाति मामले के संबंध में एक मंत्रालय कार्यरत है जिसको यही मालूम नहीं कि देश में कितने अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं एवं विकास संबंधी कार्यो के अन्तर्गत हुए प्रगति कार्यो का ब्यौरा भी इस मंत्रालय के पास नहीं है एवं विकास सम्बंधी जो योजनाएं एन जी ओ के माध्यम से चल रही हैं एवं जो पैसा एन जी ओ को मिल रहा है उस पैसे से कहां पर विकास हो रहा है संसदीय प्रश्नों के माध्यम से कई बार जाने का प्रयास किया है परन्तु हर बार गोल मोल जवाब दिया जाता है इस आवंटित पैसे की बंदरबाट हो रही है। जंगलों में सिंचाई, सड़कों, विद्यालय निर्माण के कार्यो को वन कानूनों की धारा लगाकर रोका जाता है खेद है कि यह बजट आदिवासी क्षेत्र में रहने वालों के विरुद्ध है।

इस बजट में सरकारी खर्च को कम करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है सरकारी कार्यालयों में अनाप-शनाप खर्च हो रहा है और विकास कार्यों पर कम खर्च हो रहा है और दूसरी ओर सब्सिडी में कटौती की जा रही है। अगर सरकार अपने खर्च को कम कर ले तो विकास कार्यों में धन को लगाया जा सकता है।

बजट में घाटा बढ़ा है उसे पूरा करने के लिए जो ऋण लिया जाएगा उस पर ब्याज देना पड़ेगा। परिणामस्वरूप देश का काफी पैसा ब्याज के रूप में चला जाता है उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। वर्तमान समय में ब्याज के रूप में अरबों रुपया जा रहा है दूसरी ओर जो ऋण लिया गया उसका सदुपयोग नहीं हुआ।

बिल्डरों की मिलीभगत से ब्याज दरों में कमी की जा रही है उसमें छूट दी जा रही है इससे बचत प्रवृति को कम किया जा सकता है जिससे देश में घरों की कीमत बढ़ने की आंशका है जिसके कारण लोगों का अपने घरों का सपना, सपना ही रह जायगा।

आम बजट के बाद शायद पहली बार होगा जब खाद इतनी महंगी हो जाएंगी कि वह खेती को ही खाने लगेगी यानी खेत में खाद डालने से लागत बढ़ जाएगी और न डालने पर पैदावार घट जायेगी। आम बजट के ठीक पहले उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती की गई है इससे लगभग सभी प्रकार की खाद का दाम और बढ़ना तय है। सरकार की नीति भी समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवा पाती, सदन में कई बार खाद की कम आपूर्ति एवं महंगी खाद एवं खाद की काला बाजारी की बात सुनने को मिली है। अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच जिले का जो खाद का कोटा है उसी कोटे में नर्मदा जिले को खाद दी जाती है अभी तक नर्मदा के लिए खाद कोटा जारी नहीं किया है।

इस प्रकार यदि पूरे बजट का गहराई से अध्ययन किया जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट से देश का कोई भी वर्ग खुश नहीं हैं सभी इस बजट के आने से परेशान से दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए मैं देशहित एवं जनहित में सरकार से मांग करता हूं कि बढ़े हुए सेवाकर व उत्पाद कर को समाप्त किया जाए जिससे गरीब तथा अन्य लोगों को राहत मिल सके।

***श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल** (दादरा और नगर हवेली): मैं यह बताना चाहता हूं कि यूपीए-2 के माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह आम बजट एक जनविरोधी बजट है। इसमे आम जनता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

इनकम टैक्स का स्लैब पहले 1.80 लाख का था जो अब 2.0 लाख किया गया है। उसमें केवल 20000 की बढ़त की गयी है जो कि बहुत ही कम है। जबकि एक आदमी के राशन की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कीमतों में 20000 से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। इनकम टैक्स के स्लैब को कम से कम 3.0 लाख किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें आम आदमी के रोजमर्रा की चीजें को महंगा कर दिया गया है। जो सीधा आम आदमी के उपर असर करेगा। इस समय देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है भारत सरकार ने सर्विस टैक्स एक्साईज ड्यूटी में 2 परसेंट बढ़ाकर आग में घी डालने का काम किया है। इसमें सभी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ जायेगा। अगर सरकार को आय का स्रोत ही बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। टैक्स लीकेज बढ़ती जा रही है। टैक्स कलेक्शन रेसीओ, टैक्स आमदनी और जी. डी.पी. का अनुपात घट रहा है। दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में यह अनुपात घट रहा है। दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में यह अनुपात 30% से अधिक है। यदि हम सिर्फ 5% इस अनुपात को बढ़ाए तो सरकार को 3.0 लाख करोड़ की अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है। पर इसके लिए टैक्स रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बल्कि टैक्स कलेक्शन इन्फोर्समेन्ट को दुरूस्त करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए।

दादरा नगर हवेली में शुगर फैक्टरी में पुरानी मशीनरी लगाकर बड़ा घोटाला किया है। यह मशीनरी 40 साल पुरानी है। सरकार को 16 करोड, देना बैंक का 6 करोड़ 50 लाख लोन, 2 करोड़ 75 लाख शेयर होल्डर का, 25 करोड का कौभाड 85 एकड सरकारी जमीन का घोटाला किया है। जिसमे बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जिसकी जांच होनी चाहिए।

मैं दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश से सांसद हूं। हमारे संघ प्रदेश का काम-काज गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हमारा प्रदेश 1954 में पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ तथा यहां की जनसंख्या करीब 3.50 लाख है। इस जनसंख्या का करीब 65 प्रतिशत आदिवासी है। हमारा संघ प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्व के हिसाब से सबसे आगे है।

दानह में कुल 4800 से अधिक उद्योग है जिससे केन्द्र सरकार को एक्साइज एवं वैट के रूप में रेवन्यु मिलती है जो इस प्रकार है।

		बजट मिला
2009-10 में	5918.14 करोड़	288 करोड़
2010-11 में	6533.75 करोड़	349.90 करोड़
2011-12 में	7156.37 करोड़	431.44 करोड़
2012-13 में	8000.00 करोड़ से से अधिक	716.00 करोड़

यह बजट जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसमे आम जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

दादरा नगर हवेली के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। जिससे दानह के निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास के कार्य किये जा सकते हैं।

दादरा नगर हवेली में जिला पंचायत एवं नगरपालिका में पीने के पानी के स्कीम की आवश्यकता है जिसमे सेलवेज प्लांट का आयोजन कर घर-घर में पीने का पानी पहुंचाया जा सके और मधुबन डैम से पानी सभी जगह पहुंचाकर किसानों को पानी की सुविधा प्राप्त हो इसके लिए कम से कम 500 करोड़ की आवश्यकता है। अभी तक दादरा नगर हवेली में भूमिगत जल का दोहन हो रहा है जो की पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के साठ सालों के बाद भी दानह में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था। मेरे सांसद बनने के बाद 2011 में सरकारी स्नातक कॉलेज चालू हुआ है। दानह में कॉलेज के साथ उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी आवश्यकता है। यहां पर जितने भी स्कूल हैं उनके भवनों एवं शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कम से कम 600 करोड़ की आवश्यकता है। यहां पर जितने भी स्कूल हैं उनके भवनों एवं शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कम से कम 600 करोड़ की आवश्यकता है।

दादरा एवं नगर हवेली में बिजली, सड़क, पुल एवं चेकडेमो की आवश्यकता है, चेकडेम बनाए जाने से भूमिगत जमीन का जलस्तर ऊपर आयेगा। जिसके लिए कम से कम 550 करोड़ रु. की आवश्यकता है।

दादरा एवं नगर हवेली में एक आधुनिक अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। जिससे मरीजों को मुम्बई एवं सूरत नहीं जाना पड़े। इसके लिए कम से कम 200 करोड़ की आवश्यकता है।

दादरा एवं नगर हवेली में सरकारी कर्मचारियों की कमी है इसलिए सभी विभागों एवं खासकर शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियों की जरूरत है।

दादरा नगर हवेली में पर्यटन की अपार संभावनाएं है जिसको विकसित करने की जरूरत है। मधुबन डैम में पानी का भराव लगभग 30 कि.मी. तक लम्बा है ताकि वहां बोटिंग, मछली उद्योग किया जा सकता है इसके लिए भी दानह को विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए लोग हमें चुन कर पार्लियामेंट में भेजते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि प्रदेश की

जनता का विकास हो। दादरा नगर हवेली में 20 करोड़ से बड़ी स्कीम विविध मंत्रालयों में जाती है। उसमें देरी होने की वजह से प्रदेश में प्रशासक बदल जाते हैं। एस्टीमेट पुराने हो जाते हैं और इसमें यही कहानी चलती रहती है। जिससे दादरा एवं नगर हवेली की फाइलें विविध मंत्रालयों में घूमती रहती हैं। मेरा वित्त मंत्री एवं गृहमंत्री से अनुरोध है कि सभी यू.टी. एडमीनीस्ट्रेशन की प्रशासनिक फायनेन्शियल पॉवर बढ़ाई जाए, जो विविध स्कीमों के लिए 20 करोड़ से 50 करोड़ की जाए।

* जंगल की जमीन वन अधिकार अधिनियम 2005 हमारे यहां जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। हमारे वनवासियों में कम से कम 4 हजार परिवार हैं, उनको कृषि का फायदा जल्द से जल्द मिलना चाहिए।
* किसानों के लिए मछली उत्पादन की योजना लागू करने की जरूरत है।
* खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) धान के उत्पादन के लिए लागू करने की आवश्यकता है।
* दलहन उत्पादन के लिए विशेष योजना लागू करने की आवश्यकता है।

मैं दादरा और नगर हवेली के विकास के लिए प्रयत्नशील हूं लेकिन यह मेरे विरोधियों को मंजूर नहीं है, वो किसी भी प्रकार से मुझे परेशान करना चाहते हैं। सी.बी.आई.के द्वारा मेरे विशेषाधिकार का हनन किया गया। सी.बी.आई. के द्वारा दिनांक 22.2.2012 को एक मनगढंत एफ.आई.आर. दर्ज किया गया और 24.2.2012 को सी.बी.आई. मेरे तथा मेरे रिश्तेदारों के घर सुबह सुबह ही आ गई, जिसमें उन्हें आय से अधिक सम्पति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। सन 2001 से 2009 तक 2 करोड़ 18 लाख रुपया इन्कम दिखाया था। लेकिन मेरे द्वारा कमाए गये वर्षों के मान सम्मान को ठेस पहुंचायी गयी। सी.बी.आई. सत्ता पक्ष के हाथ का खिलौना बन गयी है।

मैंने एक्स एम.पी. के विरुद्ध में सी.बी.आई. को सम्पलेंट किया था जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर करोड़ों रुपयों खर्चा करके बांध का काम किया है। उसके बावजूद भी सी.बी.आई. द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जब दादरा एवं नगर हवेली में सरकारी कॉलेज चालू किया गया उस समय इस एक्स एम.पी. द्वारा देश के गृह राज्यमंत्री को काला झंडा दिखाने का षड्यंत्र रचा गया था।

इसी के साथ मैं वित्त मंत्री से विशेष अर्थिक पैकेज की मांग करता हूं।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): 16 मार्च, शुक्रवार 2012 को पूरे भारत की जनता की निगाहें लोक सभा और बांग्लादेश में चल रही एशिया क्रिकेट कप पर ठहरी थी। लोक सभा में वित्त मंत्री प्रणब दा ने करों की बौछार करके भारत की जनता का दम निकाला-रुलाया वो तो अच्छा हुआ की उसी वक्त क्रिकेट के जादूगर सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी की सेंचुरी लगाकर पूरे भारत की जनता को बजट के सदमें से बाहर निकाला और हंसी-खुशी फैलायी।

इस बार संसद में जो बजट पेश किया गया वह नौवां बजट था और अगर वित्त मंत्री जी के रूप में पेश किए गए मनमोहन सिंह जी के भी पांच बजट इस सूची में जोड़ लिए जाएं तो यह 14वां बजट था और देश का 81वां बजट था। मैं जानना चाहती हूं कि, देश की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ, दोहरे अंकों में ले जाने के लिए कितना समय और कितने बजट चाहिए?

रेल बजट के निराशा भरे और नकारात्मक माहौल के बावजूद लोगों को हल्की सी उम्मीद थी कि शायद राजनीतिक हितों के बजाय देश के आर्थिक हितों को थोड़ी तरजीह (value) दी जाएगी। इस बजट को देखें तो लगता है कि हमारे देश में दो भारत हैं एक गरीब भारत, एक अमीर भारत। बजट आम लोगों कि सुख-सुविधाओं पर केन्द्रित होना चाहिए लेकिन इसमें आम वर्ग, खास वर्ग, महिलाएं, वरिष्ठ, युवक किसी भी वर्ग पर केन्द्रित नहीं है।

इस बजट को देख कर लगता है कि सरकार की येन-केन-प्रकारेण खुद को सत्ता में रखने की एकमात्र आशा है। संसद में कामचलाऊं बजट पेश कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई है।

वित्त मंत्रीजी ने कुछ लोक-लुभावन घोषणाएं जरूर की हैं लेकिन उनका कोई लाभ आम आदमी को शायद ही मिले क्योंकि उन्होंने एक हाथ से दिया कम है और दूसरे हाथ से ज्यादा लेने के प्रबंध अधिक किए हैं। बजट में आयकर दाताओं को 20 हजार की छूट दी गई परंतु कर थोपकर 41 हजार करोड़ रुपए जनता की जेब से निकालने का इंतजाम पहले ही कर लिया गया। इस बजट से पहले से ही भड़की महंगाई को और हवा मिलने लगी है।

आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 फीसदी पर आ गया है। सरकार को जहां योजनाओं को सीमित रख, योजनाओं की संख्या कम करने की अनुशंसा थी वहीं शिक्षा, ग्रामीण सड़कें, पीने का पानी और साफ-सफाई कृषि, आवास, ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक इन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

योजनाओं को सीमित रखना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी देखने-सुनने में नहीं आया। मगर सरकार ने जीवनरक्षक दवाओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी है उसकी मैं सराहना करती हूं। कम से कम सरकार को लोगों के स्वास्थ्य का तो ख्याल है।

इस बजट में लोगों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बजट में सिर्फ 2.7 हजार करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। शहरी गरीबों की खस्ता हालत के बावजूद उनके लिए कोई योजना नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा का कोई प्रावधान नहीं है।

जेएनएनयूआरएम के तहत सरकार ने चुप्पी साध ली, राजीव आवास योजना के लिए बेहद ही कम आवंटन, शहरी विकास तथा शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को मिलाकर महज 10 हजार करोड़ रुपयों का ही प्रावधान किया गया है साथ ही शहरी सड़क परिवहन की उपेक्षा की गई है।

इस बजट में हर तरफ सिर्फ टैक्स की बौछार दिखाई देती है। टैक्स ढांचे का जाल और सघन हो गया है। 2012-13 के बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में 4,500 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि का अनुमान हैं परंतु अप्रत्यक्ष करों से 45,940 करोड़ के राजस्व लाभ का अनुमान भी है। उत्पाद शुल्क में वृद्धि तथा सेवाकर की दर बढ़ाकर वित्त मंत्रीजी ने आने वाले समय में महंगाई बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है।

यह बजट जनविरोधी बजट, महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला बजट है। वित्त मंत्री जी ने कोई भी राहत देने के बजाय बजट भाषण में सिर्फ उपदेश ही दिए हैं।

मनरेगा, एनआरएचएम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और इस प्रकार की अन्य अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार जगजाहिर है। एक साल में औसत परिवार को केवल 32 दिन ही काम मिला है इस पर मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि क्या 32 दिन कमाकर कोई परिवार जिंदा रह सकता है? यह बजट गरीबी को कम करने की सोच रखता है लेकिन गरीबी हटाने का आदर्श कहीं भी दिखाई नहीं देता।

आज देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है फिर भी वित्त मंत्री जी इस तूफान से पूरी तरह बेपरवाह नजर आते हैं। एक सख्त अर्थव्यवस्था और नियंत्रित खर्च के विचार का बजट में उल्लेख तक नहीं किया गया है।

आने वाले वाले वित्त वर्ष में 7.6 फीसदी विकास दर केवल एक स्वप्न बन कर रह जाएगी। बजट के तहत वित्त मंत्रीजी ने वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद (कल्पना) तक भी नहीं कि जा सकती थी उन्होंने प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर आम आदमी पर 45940 करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया है। यह वृद्धि तब की गई है जब रेलवे ने माल भाड़े और यात्री किराए में वृद्धि के रूप में आम आदमी पर पहले से 20 हजार करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है।

मौजूदा वर्ष में सरकार का कुल खर्च 1,257,729 करोड़ रु. था। जो अगले वर्ष के लिए बजट खर्च 1,490,925 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। बजट में भारी वृद्धि के बावजूद मंत्री जी ने रक्षा बजट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रक्षा बजट में यह वृद्धि बस मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखकर ही की गई है।

2010-11 में हमारी विकास दर प्रवाहमय और व्यापक आधार वाली रही ऐसा वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले भाषण में कहा था लेकिन उनका यह दावा कितना खोखला था यह 12 महीने के भीतर ही स्पष्ट हो गया है।

महिलाओं के लिए यह बजट किसी झटके से कम नहीं चाहे वह नौकरीपेशा हो या गृहिणी, उनके लिए टैक्स बढ़ोतरी से घर के किचन की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। सरकार ने अपने बजट में दाल, चावल, चीनी सहित घरेलू चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हर साल बढ़ती महंगाई में यह आग में घी का काम कर रहा है। इस तरह खाद्य उत्पादों पर बढ़ती महंगाई से लोगों के रहन-सहन का स्तर और गिर जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के बजट में महिलाओं के लिए आयकर में 30 हजार रुपयों की खास रियायत, वर्तमान वित्त मंत्री प्रणब दा ने 11-12 में और 12-13 के बजट में एक झटके में बजट से बाहर करके महिलाओं के साथ अन्याय किया है।

समाज के पिछड़े तबकों एवं महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ से यह बजट इन तबकों के लिए निराशाजनक रहा हैं क्योंकि इनके लिए बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस बजट ने गृहणियों के सपनों पर पानी फेर दिया है इतना ही नहीं सरकार ने गैर ब्रांडेड जेवरात पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया है। सोने का कारोबार करने वाला छोटा सुनार ज्यादातर गांव में बसता है और वहां मध्यम वर्गीय परिवारों की छोटी-मोटी सेवा करके अपना गुजारा करता है वह भी आयकर विभाग के चक्कर में फंस गया है। इससे सोने के उपर तस्करी को भी बढ़ावा मिलेगा।

हाल ही में गुडीपड़वा जो सांस्कृतिक त्यौहार है उसी दिन लोग सगुन के लिए 5-10 ग्राम तक सोने की खरीदारी करते हैं लेकिन इसी साल लोग हड़ताल की वजह से निराश हुए। छोटे से छोटा तथा मध्यम वर्गीय परिवार भी सामाजिक व्यवहार में सोने का उपयोग करते हैं, जो उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया है।

वित्त मंत्री जी ने उत्पादों पर कोई राहत नहीं दी, हर तरफ महंगाई का हल्ला है। आखिर कितनी बढ़ेगी?

बजट पर नजर डालने से लगता है कि यह आम बजट 2011-12 अमीरों का, अमीरों के लिए तैयार किया गया है। विकास का जो मॉडल वित्त मंत्रीजी ने बजट में पेश किया है उसे आम आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बजट में गरीबों की सरासर अनदेखी की गई है। महंगाई पर काबू पाने का कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आता। बजट में सरकार ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि वह आम आदमी को इस महंगाई से कैसे छुटकारा दिलाएगी। कर बोझ से आम आदमी और मध्यम वर्ग की कमर झुक गई है और उस पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा कर सरकार ने गिरते पर लात मारने की कोशिश, यूपीए-2 की आम आदमी का भला करने की बात नहीं दिखाई देती।

2012-13 के बजट में एनसीटीसी के लिए अलग से धन आबंटन का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्या आतंकवाद से निपटने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं होगी? बजट में प्रावधानों से मानो एनसीटीसी का भविष्य तो अधर में लटका नजर आता है। क्या सरकार नहीं चाहती की देश की जनता को आतंकवाद से छुटकारा मिले?

हमारे पडोसी साम्यवादी चीन ने अपने सुरक्षा बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, पाकिस्तान भी अपने जीडीपी का 5-6 प्रतिशत सुरक्षा बजट में लगाता है इसके तहत हमें भी सुरक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए क्योंकि देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा।

आम आदमी के लिए 2,50,723 करोड़ रुपयों की सब्सिडी तो उद्योग जगत को 5,39,522 करोड़ रुपयों की सब्सिडी वित्तीय वर्ष 11-12 में दी थी। देश के जीवन पद्धति कृषि है जो देश 70 प्रतिशत जनता को रोजगार मुहैया करवाती है।

इसके तहत फर्टिलाइजर और खाद्य की सब्सिडी कम करने की सोच खतरे की घंटी के समान है।

यह बेहद शर्म की बात है कि जब भी देश में बजट आता है और जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों पर अनाप-शनाप कर और शुल्क लगाए जाते हैं उनसे साफ नजर आता है कि हमारे राजनेता अभी भी सामंती मानसिकता से उबरे नहीं हैं। करों के प्रावधान देखकर उन राजाओं की याद आ जाती है जो किसी भी बात के लिए जनता पर कर थोप देते थे। बजट में तमाम चीजों पर लगाए टैक्स/करों का भुगतान आखिर किसे करना होगा?

2012-13 के बजट में आय के घटते साधनों और बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी पर 41 हजार रुपये का बोझ, आखिर सरकार जनता के गरीब लोगों से चाहती क्या है? क्या लोग अपनी रोजमर्रा के जरूरतों को पूरा करना छोड़ दे? अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलना मुश्किल हो जाएगा।

इस बजट का कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश सिर्फ यही है कि सरकार में देश के सामने उभर रही समस्याओं का सामना करने का साहस नहीं है। यह बजट आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बजट है। यह बजट पढ़ने से लगता है कि हमारी अर्थनीति का राजनीतिकरण हो रहा है। चुनाव की छत्रछाया में बना हुआ बजट दिखाई देता है। क्योंकि सरकार ने 45 करोड़ की रियायत दी है और 45,000 करोड़ रु. आम आदमी की जेब से ले लिए हैं।

प्रणब दा द्वारा प्रेरित यह केन्द्रीय वित्त बजट ऊपर से आम के रस की तरह दिखाई देता है लेकिन उसका स्वाद पपीते के जैसा है।

सरकार को समग्रता के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त हों।

राजकोषीय और आय के घाटे को घटाते हुए बजट को संतुलित करना चाहिए।

काम को अंजाम देकर योजनाओं के खर्च में कटौती तथा सरकार के गैर-जरूरी खर्चों में कमी लानी चाहिए।

आम आदमी को 3 लाख रुपए, महिलाओं को 3.5 लाख तथा वरिष्ठ को 5 लाख तक की कर में छूट दी जानी चाहिए।

टैक्स कानूनों में बदलाव लाना चाहिए। सर्विस टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देना चाहिए।

शहरी क्षेत्र में पेयजल को उपलब्ध कराने हेतु तथा इस समस्या से निपटने के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए।

फार्मासिस्ट के जरिए आम जनता को अस्पतालों में मुफ्त दवा उपलब्ध करानी चाहिए।

जीएसटी जो असमंजस में है उसको स्पष्ट करना चाहिए।

कृषि में गुजरात का अच्छा काम हो रहा है और कृषि दर गुजरात का 10 प्रतिशत से भी ज्यादा है तो गुजरात की कृषि युनिवर्सिटी को कपास के रिसर्च में 25 करोड़ देना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गुजरात को वित्तीय आबंटन करना चाहिए।

वर्ष 2010-11 के केन्द्रिय सेल टैक्स का मुआवजा जो लंबित पड़ा है उसको जल्द से जल्द गुजरात को दे देना चाहिए।

सहकारिता विभाग के तहत वेदनाथन कमेटी की सिफारिशें मान लेनी चाहिए और आयकर नाबूत कर देना चाहिए।

गांधीनगर जो अब महानगर निगम में तबदील हो गया है उसको तथा सरदार पटेल की कर्म भूमि करमसद को जेएनएनयुआरएम के तहत वित्तीय सहायता रिलीज करनी चाहिए।

सरदार सरोवर प्रोजेक्ट-नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना जाहिर करके वित्तीय सहायता अन्य नदियों के विकास योजना के तहत रिलीज कर देना चाहिए।

अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे को मुंबई तक बनाने की जो लंबित दरखास्त है उसको मंजूर किया जाना चाहिए। साबरमती हैरीटेज मार्ग के फेस-2 के लिए वित्तिय सहायता मुहैया कराएं।

2000 से ज्यादा बस्ती वाले गांव के लिए राष्ट्रीकृत बैंक की शाखाएं खोलने में तेजी लानी चाहिए। काला धन वापिस लाने के लिए स्वेत पत्र की बात इसी सत्र में कार्यान्वित होनी चाहिए।

एक्साइज/कस्टम डयूटी 1/2 से 2 लाख की सोने की खरीदारी पर पैन कार्ड/आयकर के प्रावधान से पूरा उद्योग चरमरा गया है। मेरा सुझाव है कि इसे हटा दिया जाए क्योंकि मध्यम वर्ग में सभी के पास पैन कार्ड नहीं होता है। अत: इससे काला बाजारी को भी बढ़ावा मिलता है।

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत): लोगों को बहुत आशा और अपेक्षा थी की 100 दिनों में महंगाई से निजात दिलाने का वचन देने वालों को सत्ता का सिंहासन सौपने के बाद महंगाई, बेरोजगारी, जैसी जनता को रोजाना परेशान करने वाली समस्याओं से निजात मिलेगा लेकिन आज जनता अपने निर्णय पर पछता रही है उसे विश्वासघात का अनुभव हो रहा है। वर्तमान बजट को देखकर जनता मन ही मन में सोचती है कि कांग्रेस हमें ऐसे ही दिन दिखलायेगी, हर साल हमें इसी तरह रुलायेगी, हो रेल या आम बजट कांग्रेस इसी तरह हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करेगी हमने इन पर भरोसा क्यों किया, ये तो जनता के आंसुओं में कलम डुबोकर बजट बनाती।

इस बार तो सरकार ने जनता को सच में खून के आंसू रुलाया है। रेल बजट में 8 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी के घाव भरे नहीं थे और सामान्य बजट ने उन्हें भरने की बजाय मरहम लगाने की बजाय उन्हें कुरेदा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शायद ही कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा होगा जिसने बजट को सराहा होगा पूरा देश इन बजटों पर खुश नहीं है। बजट के एक दिन पहले आये ईकोनोमिक सर्वे में जो चिंता जताई गई है उन चिंताओं को भी बजट में कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आज सरकार का बेलेन्स ऑफ पेमेन्ट गड़बडाया है और शायद इसलिए इस बजट के कारण आम आदमी को बेलेन्स ऑफ लाईफ गड़बड़ा गया है। पावर सेक्टर में ज्यादा ध्यान देने की जरुरत थी। सर्वे बता रहा है कि पिछले एक साल में वर्तमान सरकार न्युक्लीयर पावर के सेक्टर में कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है। हम जिस तेजी से बढ़ने की बात करते हैं, पावर सेक्टर अगर पीछे रहेगा तो कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता।

यूएनओ के ह्यूमन डेवपलमेन्ट/रिपोर्ट के मुताबिक हम मध्यम तबके ग्रुप में आते हैं। वर्किंग एज़ ग्रुप में जिसमें 15 से 59 साल के लोगों को गिना जाता है, इस साल इस ग्रुप में देश में करीब 63.5 लाख युवा जुड़ेंगे। लेकिन इस ग्रुप को अगर शिक्षित, स्वस्थ और स्कील्ड नहीं बनाया गया तो देश को इस शक्ति के माध्यम से विकास की पटरी पर दौड़ाने की बजाय अव्यवस्था की गर्त में धकेलने की स्थिति आ सकती है। इस शक्ति को चैनलाइज करने की कोई योजना इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है।

सरकार ने बजट के दो दिन पहले रेल बजट में 8 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके आम आदमी को दुखी किया। दूसरे दिन प्रोविडन्ट फंड में 1.25 प्रतिशत की कटौती की और जनता के आंखों में आंसू ला दिये क्योंकि आम आदमी को अपने बेटा या बेटी की शादी करते वक्त प्रोविडन्ट फंड का आधार होता है,वो भी छीनने की कोशिश की और बजट जिस तरह दिया जनता रो रही है।

सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाकर जनता के हर एक कदम को टैक्स के दायरे में ला दिया है। जिससे देश की आम जनता पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ने वाला है। ईन्कम टैक्स में राहत के नाम पर जो राहत दी गई है वह भी खुश करने का कोई कारण नहीं दे रही है। विशेष कर महिला वर्ग को जो अपेक्षाएं थीं वो अपेक्षाएं पूरी करने में एक महिला द्वारा मार्गदर्शित सरकार फेल हो गई है। देश की 50 प्रतिशत आबादी सोचती थी की सोनिया जी के नेतृत्व के कारण उन्हें मुस्कुराने का मौका मिलेगा लेकिन पूरे बजट में उसे मुस्कुराने को कुछ नहीं है। आवश्यकता थी की नौवीं योजना में किये गये सजेशन्स को मानकर हर योजना में 30 प्रतिशत महिलाओं के लिये आवंटित किया जाय जो की पिछले साल में तो सिर्फ 6 प्रतिशत ही था। भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मेरी वित्त मंत्रीजी से मांग है कि महिलाओं को गृहनिर्माण हेतु सहायता हेतु ठोस कदम लिये जाय, महंगाई जिस तरह से सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रही

है स्वास्थ्य का क्षेत्र भी महंगाई के कारण दिन दौगुना बढ़ रहा है। मेरी मांग है की 15 हजार तक का स्वास्थ्य पर किया गया खर्च किसी भी प्रकार के टैक्स के दायरे में न हो। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं उस शहर में पूरे दक्षिण एवं मध्य गुजरात के कुछ क्षेत्र से गरीब आदिवासी लोग अपने हृदय, किडनी वगैरह का ईलाज करवाने आते हैं पर वहां से मा. वडाप्रधान सहायता कोष में एक भी मान्यता प्राप्त अस्पताल नहीं है मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री सहायता कोष में मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची को बढ़ाकर आम आदमी को सबसे महंगे खर्च में राहत मिले ऐसे कदम उठाये जाय। त्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को राहत हेतु शून्य बेलेन्स एकाउन्ट की व्यवस्था की जानी चाहिये।

सुरक्षा की अगर बात करे तो उस क्षेत्र में जितना करना चाहिये था वह किया नहीं गया है। मोटे तौर पर देखने की बजाय छोटे स्तर पर अगर देखे तो देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उन सबमें जो आदमी या सुरक्षाकर्मी स्थल पर उपस्थित होता है वह है ट्रैफिक हवालदार या कोन्स्टेबल। उनकी क्षमता को विकसित किया जाय तो इन घटनाओं पर नियंत्रण ला सकते हैं क्योंकि वह आतंकी को या किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को पहचान सकता है। वैसी कोई योजना इस बजट में लाने की जरुरत थी लेकिन सरकार ने वो मौका गवां दिया है।

मैं टेक्सटाईल एवं हीरे की नगरी का प्रतिनिधित्व करती हूं सभी को ऐसी अपेक्षा थी की सरकार कोई तो ऐसा निर्णय करेगी ताकि इन व्यावसायियों को चमकने का मौका मिलेगा लेकिन सरकार ने किसी भी उद्योग को कुछ खास मुस्कुराने का मौका दिया नहीं है। हीरा उद्योग और जवेलरी उद्योग दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों उद्योग बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण यूनिट है खासकर सूरत में हीरा उद्योग में कच्चे माल को लेकर जो समस्याएं हैं उनको अगर हल किया जाये तो हीरा उद्योग को जीवन-दान मिल सकता है। केन्द्र सरकार को खुद कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से खरीदी करके देश में उन्हें तैयार करवाना चाहिये जिससे ब्लड डायमंड, कच्चे माल की सोर्टेज दूर होने के साथ कारीगरों का ज्यादा पैसा मिलेगा और उद्योग को ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन दुख की बात ये है कि सालाना करोड़ों रुपये की आमदनी सरकार को देने वाले उद्योग के प्रति भी वर्तमान सरकार की तैयारी नहीं है। जवेलरी उद्योग में पिछले सालों में घोषित किये गये ज्वेलरी पार्क जैसे बहु आयामी प्रकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। बजट में डाले गये टैक्स के कारण ज्वेलर्स स्ट्राईक पर है, उनसे सहानुभूति रखते हुये मेरी मांग हैं की उनके साथ बातचीत करके उनकी समस्या का निराकरण किया जाये। ऐसी ही समस्याएं टेक्सटाईल उद्योग के समक्ष लेकिन लाखों लोगों को रोजगारी देने वाले करोड़ों रुपये की आय सरकार को देने वाले दोनों उद्योग केन्द्र सरकार के बजट में कहीं भी दिखाई नहीं देते।

आम आदमी की बात करने वाली सरकार हर बजट में आम आदमी को ही भूल जाती है। आज आम आदमी परेशान है महिला परेशान है तो बच्चों की शिक्षा पर भी कुछ करने की सरकार को जरुरत महसूस नहीं हुई। शिक्षा क्षेत्र में आवंटन का दायरा बढ़ाना चाहिये था। पूरे देश में सिर्फ 6000 स्कूल बनाने का लक्ष्य है जो कि देश की आवश्यकता को देखते हुए कुछ नहीं है। रोड बनाने का जो लक्ष्यांक दिया है उसके मुताबिक अगर देखे तो देश भर में रोजाना 10 कि.मी. ही सड़क बनाना सरकार चाहती है। आज भी कई गांव शिक्षा एवं कनेक्टीवीटी से वंचित है। उनकी सोचने की सरकार को जरुरत महसूस नहीं हो रही है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। उसकी समस्याओं से निजात दिलाने हेतु सरकार चुनती है अगर सरकार चुने जाने के बाद आम आदमी का नहीं सोचती तो उसका गुस्सा उफान पर आता है।

जनता का गुस्सा उफान पर आता है तो भूचाल आता है,
जनता मचलती है तो तूफान मचल जाता है।
जनता को सत्ता के मद में सताने की कोशिश मत करो
वह करवट बदलती है तो इतिहास बदल देती है।

इसलिये मेरी मांग है कि बजट में सुधार करके जनता को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात मिले, किसान को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिले और गरीब और भूखे को रोटी, युवा को रोजी वृद्ध को स्वास्थ्य सेवा मिले ऐसे कदम उठाये जाये। जो इस बजट में नहीं है यह दुख की बात है इसलिये में इस बजट की निंदा करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री ए. गणेश मूर्ति** (इरोड): सभापति महोदय, वर्ष 2012-13 के बजट पर इस सम्मानीय सभा में इस समय चर्चा हो रही है। अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस बजट का कई कारणों से अनेक लोगों द्वारा इस वर्ष उत्सुकता से इंतजार किया गया। दुर्भाग्य से, न तो वेतनभोगी वर्ग, न तो छोटे व्यापारी, न तो कृषक और न ही वस्त्र उद्योग क्षेत्र को शामिल करते हुए आम जनता ही इस आम जनता ही इस बजट से खुश है। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और इस बजट से उन सभी को निराशा हुई है।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्पाद शुल्क और सेवा कर में वृद्धि से मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि इस बजट ने साइकिल सहित दोपहिया वाहनों, घरेलू सामान, होटल के भोजन बिल और मोबाइल फोनों को नहीं छोड़ा है।

---

*मूलत: तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

विद्युत मोटरों एवं पंप सेटों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से कृषक एवं पंप सेट विनिर्माता दोनों ही प्रभावित होंगे।

वस्त्रोद्योग क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी नई व्यावहारिक स्कीम या योजना के बारे में नहीं बताया गया है। छोटे व्यापारी कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे परन्तु उनके आशाओं पर आघात पड़ा है।

देश में कई कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान प्राप्त हो रहा है। परन्तु उसी समय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को किसी प्रकार का वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि यह अनुसंधान सुविधाओं के साथ बहुत ही पुरानी कृषि संस्था के रूप में एक पथप्रदर्शक संस्था है जो अपनी अनेक नवाचारों एवं आविष्कारों पर गर्व कर सकता है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय निधि से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न देकर उपेक्षित करना निन्दनीय है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस साल के बजट पर चर्चा में कम से कम उनके उत्तर में एक घोषणा करने का निवेदन करना चाहूंगा।

यह कहा गया है कि सम्पूर्ण भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जायेगी और विभिन्न समितियों ने उन स्थानों, जहां पर ये विश्वविद्यालय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित होंगे, की सिफारिश की हैं। सन 2008 के शुरूआत में ही मानव संसाधन मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक कोयम्बटूर में स्थापित होगा। इसकी लोक सभा और राज्य सभा दोनों में प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन मंत्री जी द्वारा पुष्टि की गई। केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय से कोयम्बटूर के अलावा अन्य स्थानों पर स्थापित हुईं जहां इस संबंध में कार्य प्रारंभ होने की एक झलक अभी तक नहीं देखी गई है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह देखे कि घोषणा महज घोषणा ही न रह जाए और मैं केन्द्र से वहां पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पर्याप्त निधि का आवंटन चाहता हूं।

सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दिए जाने से हमारे छोटे खुदरा व्यापारी वर्ग और छोटे निर्माताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं एवं छोटे व्यापारियों के हित ही प्रभावित होंगे।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में, मुझे डर है कि सरकार ने पैनिक बटन को दबा दिया है और स्वदेशी उत्पादन में सहायता अनुदान को 2% कम कर दिया है।

सरकारी व्यय में कमी करने के नाम पर, सरकार उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों पर दी गई राजसहायता को कम करने के बारे में विचार कर रही है। सरल और कारगर करने के नाम पर कुछ उपायों का आश्रय लिया गया है जिससे उलझन बढ़ गई है एवं अव्यवस्था में वृद्धि हो गई है। मैं इस बात का संकेत करना चाहूंगा कि इससे हमारे किसानों पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

खाद्य उत्पादन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और सरकार ने ऐसे उपाय नहीं बताए हैं जिसमें इसे बढ़ाये जाने पर विचार किया गया हो। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य नियंत्रण का अधिकार छोड़ दिया है। उर्वरक मूल्यों को निश्चित करने के दौरान भी इसका आश्रय लिया गया है।

अब उर्वरक इकाइयों को ही अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु अधिकृत कर दिया गया है। और इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होती गई है जो प्रतिवर्ष दोगुना होता है।

उर्वरक के मूल्यों पर नियंत्रण हेतु कोई उपाय नहीं है, कृषि आगतों की लागत तीन गुनी से चार गुनी तक बढ़ गई है। कृषि की तरफ पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं आ पा रही है और इसके कारण कृषि मजदूरी में वृद्धि हो गई है। कृषि संबंधी क्रियाकलापों को समय पर सम्पन्न नहीं किया जा पा रहा है। बिजली की कमी के कारण भी कृषि उत्पादन की मात्रा में कमी हुई है। इसलिए, कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है जबकि उसी समय किसानों को उनके कृषि उत्पाद का कम मूल्य प्राप्त हो रहा है। किसानों को मुश्किल से ही लाभकारी मूल्य मिल पाता है। किसानों द्वारा इस प्रकार की हानि उठाए जाने से उल्टी प्रवृत्ति और एक प्रकार की मंदन उत्पन्न हुई है।

पिछले वर्ष हल्दी 17,000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर बेची गई। इस वर्ष मुश्किल से 3500 रुपए प्रति क्विंटल मिला है। नारियल के मूल्य भी नीचे गिरे हैं। कसावा का मूल्य 8000 रुपए और 9000 रुपए प्रति कुंतल से 1500 रुपए प्रति कुंतल तक नीचे आ गया है। किसानों से कृषि उत्पाद की अधिप्राप्ति हेतु एक प्रत्यक्ष अधिप्राप्ति यंत्र होना चाहिए और सरकार को आगे आकर मूल्यों को सुनिश्चित करना चाहिए। हल्दी का अधिकतम बिक्री मूल्य 10,000 रुपए प्रति कुंतल होना चाहिए और नारियल का अधिकतम बिक्री मूल्य 70 रुपये प्रति किलोग्राम होना चाहिए। सरकार द्वारा अवश्य ही इसकी घोषणा की जानी चाहिए और किसानों से इसे सीधे खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आम नागरिकों को इस बजट में कोई लाभ या सुरक्षा कवर प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया विनिवेश करने के लिए अपने निर्णय को बता दिया है। यह एक गलत कदम है जैसे कि दीवार बेचकर एक भीति चित्र को खरीदना या घर बेचकर किराना के मूल्य चुकाना है।

उत्पाद शुल्क में पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि से हमारे औद्योगिक विकास में केवल व्यवधान ही आएगा। लघु उद्योगों को महज 5,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित होती है। यह बिल्कुल अपर्याप्त है। कंपनियों पर करों में कमी की उम्मीद थी परंतु वह व्यर्थ ही सिद्ध हुई।

मनरेगा के अन्तर्गत योजनाओं को सुचारू नहीं बनाया गया है और अवसंरचना अथवा राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जनशक्ति का कम उपयोग हुआ है और केवल मध्यस्थों को लाभ मिला है। इसलिए, मैं सरकार से वास्तविक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे कृषि और वस्त्र क्षेत्र को उत्पादक तरीके से मजबूत करने हेतु इस सवेतन श्रम का उपयोग करने के तौर-तरीके ढूंढने का अनुरोध करता हूं।

यह बजट राजस्व और खर्च को दर्शाने वाला प्राप्तियों और भुगतानों का एक वक्तव्य मात्र है। इसमें सृजनात्मक आर्थिक सुधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह बजट वृद्धि और विकास का वादा करने में असफल रहा है। इस बजट में हमारी अवसंरचना को मजबूती प्रदान करने की रूपरेखा शामिल नहीं है।

मैं दैनिक 'दिनमणि' के संपादकीय से सहमत हूं जिसके अनुसार इस बजट में कुछ भी नया और बड़ा नहीं है। 'तंतई पेरियार' जैसी टिप्पणी करने के लिए, मैं केवल यही कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री का बजट किसी प्याज की तरह है जिसे जब परत दर परत छीला जाता है तो कुछ भी हासिल नहीं होता और खाली मिलता है तथा आखिर में केवल आंसू ही बचते हैं।

[हिन्दी]

***श्री गजानन ध. बाबर** (मावल): बजट का अभिप्राय यह कभी नहीं होता कि आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए। एक अच्छा बजट वही होता है, जो वर्तमान को संभालता है और भविष्य को संवारने के लिए रणनीति तैयार करता है। मैं सरकार से सामान्य बजट के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा।

आम बजट 2012-13 में वित्त मंत्री ने जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में धारा 80 सी के तहत कटौती एवं धारा 10(10डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स छूट की पात्रता शर्तों में बदलाव करते हुए जीवन बीमा प्रीमियम की राशि का न्यूनतम 10 गुना "वास्तविक बीमा पूंजी राशि" अनिवार्य कर दी है। यह प्रावधान जीवन बीमा के पेंशन प्लान को छोड़कर अन्य सभी प्लानों पर लागू होगा। साथ ही "वास्तविक बीमा पूंजी राशि" को परिभाषित किया गया है। "वास्तविक बीमा पूंजी राशि" से आशय किसी भी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पॉलिसी के अधीन न्यूनतम बीमा राशि से है। "वास्तविक बीमा पूंजी राशि" की गणना में निम्न को शामिल नहीं किया जाएगा।

1. किसी करार के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम वापसी राशि (रिटर्न ऑफ प्रीमियम)।
2. बोनस के रूप में प्राप्त होने वाली राशि।

वर्तमान में कई जीवन बीमा उत्पाद में आरंभिक वर्षों में तो न्यूनतम बीमा राशि का पालन कर लिया जाता है, परंतु बाद के वर्षों में बीमा राशि कम कर दी जाती है, जिससे बीमाधारक को संपूर्ण पॉलिसी अवधि में न्यूनतम बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पाता है। अत: अब वास्तविक बीमा पूंजी राशि का प्रावधान जुड़ जाने से बीमाधारक को न्यूनतम बीमा राशि का लाभ संपूर्ण पॉलिसी अवधि में मिल सकेगा। यह प्रावधान जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में धारा 80 सी के सहत कटौती एवं धारा 10 (10डी) के तहत मैच्योरिटी पर टैक्स छूट दोनों पर या उसके बाद जारी सभी जीवन बीमा पॉलिसियों (पेंशन प्लान को छोड़कर) पर लागू होना प्रस्तावित है।

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत व्यक्तिगत एवं एचयूएफ करदाता कुल आय की गणना करने में एक लाख की कटौती के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, एनएससी, इकिवटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सेविंग टाइम डिपॉजिट एवं हाउसिंग लोन रिपेमेंट आदि में निवेश/अंशदान कर सकते हैं एवं आयकर अधिनियम की धारा 10 (10डी) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी (पेंशन प्लान को छोड़कर) मैच्योरिटी की राशि पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में धारा 80सी एवं 10 (10डी) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम राशि का 5 गुना या अधिक बीमा राशि होने पर कटौती/टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है, जिसे अब बढ़ाकर न्यूनतम 10 गुना होने पर ही कटौती/टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग में बीमा एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। हमारे देश में अधिकांश लोगों ने बीमा पॉलिसी तो ले रखी है, परंतु उनकी बीमा राशि पर्याप्त नहीं है। वित्त मंत्री का यह कदम स्वागत योग्य है एवं इससे व्यक्ति अधिक बीमा राशि लेने के लिए प्रोत्साहित होगा।

बजट पेश करते समय प्रत्येक भारतीय को लगा था कि माननीय वित्त मंत्री जी आम लोगों के हित में अपना यह बजट पेश करेंगे। परन्तु जब बजट पेश किया और लोगों ने सुना तो उनके हाथ निराशा ही लगी। जनता सोच रही थी कि शायद पिछले कटु अनुभवों एवं जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए वित्त मंत्री जी कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे जिससे जनता का दु:ख दूर हो परन्तु माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला, भारी मुद्रास्फिति, महंगाई, घोटालों को रोकने जैसी कोई भी बात इस बजट में नजर नहीं आई।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पिछले दो साल से आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, दवाईयां, कृषक उपकरण मालभाड़ा, तेल, रसोई गैस सब वस्तुओं के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है परन्तु माननीय मंत्री जी ने इन बढ़ते दामों पर रोक लगाने हेतु कोई भी सख्त कदम उठाने की बात इस बजट में नहीं की।

अकसर देखा गया है कि जब बजट का प्रारूप बनता है तो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों, उद्योगपतियों और अमीरों से राय ली जाती है। किसान, मजदूर, बुनकर ये ऐसे लोग हैं जिनसे हिन्दुस्तान की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, ऐसे लोगों को बहुत कम पूछा जाता है और इन्हें बिठाकर बजट तैयार नहीं किया जाता है। अगर यह कहा जाये कि यह अमीरों का बजट है तो यह बात सत्य है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बजट 2012-13 के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो कि निम्नलिखित हैं-

1. मौजूदा महंगाई एवं जनता कि परेशानी को दूर करने के लिए वेतनभोगियों कि आयकर में छूट कम से कम 3 लाख तक की जाने कि आवश्यकता है महिलाओं को जो टैक्स में छूट मिलती है, उसका तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। महिलाओं को आय कर में 3.50 लाख तक की छूट देने की आवश्यकता है।

2. कृषि उपकरण बीज खादों एवं किसानों को दी जाने वाली छूट में भी कम से कम 5 प्रतिशत और अधिक करने कि आवश्यकता है।

3. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर और अधिक सब्सिडी करने की आवश्यकता है।

4. मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं वे कोई ऐसी नीति तैयार करें, जिससे विदेशों में जमा कालाधन हमारे देश में लाया जा सके और उस धन को देश के विकास में लगाया जा सके। कृषि प्रधान देश होने की वजह से उस पैसे को कृषि के विकास के लिए देना चाहिए।

5. प्रधानमंत्री राहत कोष से मेडिकल फेसिलिटी मिलती है। इस कोष को बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कोई लिमिट न रखी जाय। इसमें संसद सदस्य जितनी भी संस्तुति करे, उसकी की गई संस्तुति के आधार पर इलाज की व्यवस्था कराएं।

6. आज भी 20 किलोमीटर के दायरे में बैंक नहीं है। 20 गांवों के लिए एक बैंक की व्यवस्था की है। छ: लाख गांवों में सिर्फ कुछ ही बैंकों की शाखाएं हैं। आज वहां बैंकों को खोलने आवश्यकता है। अगर ये बैंक खुल जाएंगे तो मेरे ख्याल से किसान ऋण भी ले लेगा और साहूकार के पास नहीं जाएगा। उसका यह विकास के काम के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास होगा। वह उत्पादन भी करेगा और देश का विकास भी करेगा।

7. मैं यह भी आग्रह करूंगा कि सरकार को कोयला, कच्चा तेल, स्टील पर आयात शुल्क कम करने की आवश्यकता है। ये सब वस्तुएं आवश्यक एवं आम जन के लिए उपयोगी है। अगर इस पर आयात शुल्क कम किया जाएगा तो गरीब जनता को इसका लाभ अवश्य पहुंचेगा।

8. किसानों की कर्जा माफी को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है कि हमने किसानों के ऋण माफ किए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में रहने वाले जो सीमान्त और छोटे किसान हैं उनमें से कितनों के ऋण माफ किए गए हैं? मैं आशा करता हूं की वित्त मंत्री जी ऐसी नीति जरूर बनायेंगे जिससे कि पैदावार, जलप्रबन्ध, कृषि उत्पादन को उचित बल मिलेगा एवं देश के कृषकों को हो रही परेशानी समाप्त होगी तथा बहुत सी विकास योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में चलाई जाती हैं परन्तु इन योजनाओं में स्थानीय सासंद कि भागदारी नहीं होने के कारण स्थानीय अधिकारी एवं राज्य के मंत्री निर्णय लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। आपस में ही निर्णय लिया जाता है। मेरा मानना है कि इसमें स्थानीय सासंद कि घोर उपेक्षा अत: माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सब मंत्रालयों को निर्देश दे कि यह सब विकास कार्य स्थानीय सांसद को भी विश्वास में लेकर किये जाएं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसी योजना है जो दूरस्थ गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यह योजना काफी राज्यों में चल रही है परन्तु मेरे चुनाव क्षेत्र में जनता को इसका फायदा अभी तक नहीं मिला है मैंने कई बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सम्बन्धित मंत्रालय को सौपी हैं। परन्तु अभी तक इस पर कोई भी कार्य योजना नहीं बनी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों को संज्ञान में लेकर मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ पहुंचाने हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान देश में बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूले जा रहे टोल टैक्स कि ओर लाना चाहूंगा वाहन

मालिक जब वाहन खरीदते हैं तो उस समय ही वाहन मालिक से रोड टैक्स लिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर भी उपकर (सैश) लगाया जाता है और बाद में इन सभी से टोल टैक्स भी वसूला जाता है इस प्रकार एक आम आदमी से कई बार टैक्स वसूला जाता है। मेरा मानना है कि जब कोई विभाग पहले ही रोड टैक्स वसूल रहा है एवं केन्द्र सरकार उपकर (सैश) लगाती है तो इन सब सड़कों का निर्माण कार्य भी सम्बन्धित विभाग कि जिम्मेदारी है एवं एक बार रोड टैक्स देने एवं उपकर (सैश) देने के बाद वाहनों से टोल टैक्स लेने की नीति पर फिर से विचार किये जाने कि आवश्यकता है। देश में कई जगहों पर अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है परन्तु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने ठेकेदार को टोल वसूलने का अधिकार दे दिया है उसकी भी समुचित जांच करने की आवश्यकता है तथा प्रतिदिन एक ठेकदार द्वारा कितना टोल टैक्स जमा किया जा रहा है। इसकी भी जांच कि जाने कि आवश्यकता है तथा टोल टैक्स हर साल उसे 5% बढ़ाया जाता है जो कि गरीब जनता के साथ खिलवाड़ है मेरा मानना है कि 5% टैक्स बढ़ाने का प्रावधान समाप्त होना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री रुद्रमाधव राय** (कंधमाल): संप्रग दो सरकार के शासनकाल में प्रस्तुत किए गए सभी बजट आर्थिक वृद्धि, संस्थागत परिवर्तनों के विकास, जिनसे कल्याण कार्यक्रम उद्भूत होते हैं, वे लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहे हैं। यह एक जन विरोधी, दिशाहीन और पूर्णतया निराशाजनक बजट है। भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों के प्रति बजट में गंभीरता नहीं दिखाई गई है। वर्ष 2012-13 के बजट में सरकार की सकल कर प्राप्तियां 10,77,612 करोड़ रुपए आंकी गई हैं जबकि बीच के घाटे को उधारी के माध्यम से पूरा किया जाएगा, परंतु माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह उधारियां कहां से आएंगी।

वैश्विक संकट ने देश के विकास को प्रभावित किया है। पिछले दो वर्षों में 8 से अधिक की दर से वृद्धि होने के बाद सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 में 6.9 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। वैश्विक संकट ने देश के विकास को प्रभावित किया था। महोदया, माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय राजसहायता पर खर्च को 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से नीचे रखने की रूपरेखा बनाई है और अगले तीन सालों में इसे 1.75 प्रतिशत तक घटाना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार आने वाले वर्षों में राजसहायता को घटाना चाहती है।

इस संबंध में, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि आजकल राजसहायता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ज्यादातर सरकारी कार्यक्रम, यहां तक कि राज्य सरकारों के कार्यक्रम भी बिना राजसहायता के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सकते। राज्य इतनी सारी कल्याण योजनाएं सामने ला रहे हैं। हम उर्वरक, गैस पर भी राजसहायता दे रहे हैं जिसके बिना हम सरकार नहीं चला सकते अपने नागरिकों का ख्याल रखना सरकार का कर्तव्य है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो हम राजसहायता कम करने के बारे में नहीं सोच सकते।

सरकार ने अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा दिया है जिसका देश में आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा। 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ देश भर में आम जनता को बुरी तरह प्रभावित करेगा। उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर दो प्रतिशत की बढ़ोतरी देश में श्रम-प्रधान रोजगार के अवसर जैसे पर्यटन आदि को प्रभावित करेगी।

कृषि विकास, सिंचाई और ग्रामीण विकास हेतु 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण श्रमिक मांग में तेजी आ सकती है। जहां तक शहरी मध्य-वर्गीय मांग का संबंध है, तो स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। मुद्रास्फीति की उच्च दर के साथ-साथ बेरोजगारी में वृद्धि से शहरी लोगों की क्रय शक्ति बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। इसके साथ ही ईपीएफ की ब्याज दरों को कम करके 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है। तीन खामियों की वजह से जैसे कि कौशल के अभाव, कच्चे माल की कमी और विशेष रूप से तट और विद्युत, विमानन, राज्य मार्गों और पत्तनों जैसी अवसंरचना के अभाव पर ध्यान दिया गया था और निधि आवंटन और नवीन पहलों की दृष्टि से इन क्षेत्रों में काफी कार्य किया गया है। परन्तु इन सबके बावजूद 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर बहुत बड़ी प्रतीत होती है क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटे और बढ़ती मुद्रास्फीति के दृष्टिगत भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी लाने में विफल रहेगा। ब्याज दरों में कमी किए बिना उपभोग और निवेश में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं की जा सकती।

कृषि के संबंध में मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह हमारे देश की रीढ़ है। यदि हम कृषि का विकास करना चाहते हैं तो हमें कृषि को और अधिक प्रोत्साहन देना होगा। इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। यद्यपि, हम औद्योगिकीकरण और कृषि क्षेत्र के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु हमारे कार्यकलाप कृषि आधारित हैं जो कि इस समय अनिश्चितता की स्थिति में है। विभाग के कुल योजना परिव्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हमारे पास विश्व में सबसे अधिक पशुधन है, सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है परन्तु बड़ी चिंता का विषय यह है कि प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से और प्रति गाय और प्रति भेड़ की दृष्टि से उत्पादन अभी काफी कम है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश में फसल कटाई के पश्चात कुल हानि लगभग 40% है। 18% तक वृद्धि करके क्या हम कृषि क्षेत्र की ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है, अधिकांश किसान कृषि कार्यों को छोड़ रहे हैं। हमारे राज्य में हम धान का उत्पादन कर रहे हैं परन्तु किसान उचित मूल्यों पर अपने उत्पादों की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। हमारे राज्य में समुचित और अच्छे स्तर के भंडार गृह नहीं हैं। ओडिशा में वैज्ञानिक दृष्टि से गोदामों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। इससे न केवल राज्य के किसानों को बल्कि खाद्यान्नों का भंडारण करने में राज्य को भी सहायता मिलेगी। कृषि अनुसंधान के लिए हम अपने सकल कृषि घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत भी आवंटित नहीं कर रहे हैं। कृषि अनुसंधान के लिए पर्याप्त आवंटन के अभाव में हम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। ओडिशा राज्य के कटक में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है, का विगत में काफी योगदान रहा है। परन्तु इस अनुसंधान संस्थान के लिए कोई विशेष बजट आवंटन नहीं है। इसलिए, यह अनुरोध है कि वर्तमान योजना में इस संस्थान के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए ताकि सीआरआरआई, कटक राष्ट्र के विकास में अपना प्रभावी योगदान दे सके। माननीय मंत्री जी ने निजी क्षेत्र के लिए निवेश को बढ़ाकर 18 प्रतिशत या उससे अधिक करने की बात कही है जो कि पर्याप्त नहीं है। कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

जब तक सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक अवसंरचना श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं कर सकेगी और उसका विकास नहीं करेगी तब तक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि से लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकेगा। हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विश्लेषण करने के लिए निगरानी तंत्र विकसित करना पड़ेगा। देश में चिकित्सा उपचार हेतु गरीबी रेखा से नीचे की सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है। ओडिशा जैसे पिछड़े राज्य में अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जाएं ताकि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी पूरी की जा सके।

देश के भविष्य के निर्माण हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र की तरह शिक्षा क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सहायता में निरंतर गिरावट के कारण पर्याप्त शिक्षण कर्मचारी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अवसंरचना विकास का अनुपात बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, भारत सरकार ने देश में काफी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं परन्तु ये भवन और अवसंरचना के बगैर ही कार्य कर रहे हैं। राज्यों को मिलने वाली केन्द्र सरकार की सहायता में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि देश में आंगनवाड़ी केन्द्र चलाने के लिए आवश्यक अवसंरचना और भवन निर्माण कराया जा सके। ओडिशा में इन कार्यक्रमों की सफलता हेतु अधिक आवंटन किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

मैं यहां अपनी अर्थव्यवस्था में काले धन के चलन के बारे में भी उल्लेख करना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक काला धन चलन में नहीं है। यह केवल एक ही भाग है; एक और चीज है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है और वह है जाली मुद्रा। जाली मुद्रा के चलन के बड़ी संख्या में मामले प्रकाश में आए थे और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होते हैं और ये विभिन्न मार्गों से हमारे पड़ोसी देशों से भारत में आ रहे हैं। जमीन जायदाद की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है और यह केवल जाली मुद्रा और काले धन के चलन में होने के कारण ही है। इसलिए, सरकार को इस महत्वपूर्ण समस्या को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ओडिशा के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखायें।

[हिन्दी]

***डॉ. किरोड़ी लाल मीणा** (दौसा): आखिरकार देश का एक और आम बजट पेश कर दिया गया। माना जा रहा था कि आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए प्रणब मुखर्जी कई कड़े कदम उठा सकते हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कई अहम आर्थिक नीतियों पर पड़ा असमंजस का परदा आज भी वैसे का वैसे है। इस आम बजट से देश के हर तबके को कुछ न कुछ उम्मीद थी। 'दयावान' वित्तमंत्री की तंगदिली ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अगर कुछ दिया एक हाथ से तो दोनों हाथों से अधिक वसूली का रास्ता खोल दिया है। प्रत्यक्ष करों के रूप में आम जनता के अगर साल भर के 4500 करोड़ रुपये बचाए हैं तो इसका करीब दस गुना 41,440 करोड़ अप्रत्यक्ष करों के रूप में जनता को चपत लगाई है। इस बजट के नतीजों ने अपरिहार्य हो चुके आर्थिक सुधारों की बाधा को और कठिन कर दिया है। अगला आम बजट लोकसभा चुनावों के साए में होगा जिसमें रेवड़ियां बांटना तय है। यानि इस बार की चूक अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन गंभीर असर डाल सकती है। लिहाजा आम बजट 2012-13 का हर क्षेत्र पर पड़ने वाला कड़वा असर बड़ा मुद्दा है। विनिवेश प्राप्तियों में से संकटग्रस्त सार्वजनिक कंपनियों की बहाली के लिए बजट में कदम नहीं उठाया जाना निराशाजनक है। हमें उम्मीद थी कि सरकार विनिवेश प्राप्तियों में से 25 प्रतिशत संकटग्रस्त कंपनियों में जान फूंकने के लिए व

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लाभ में चल रही कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए करेगी, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए न केवल विनिवेश का लक्ष्य घटाकर 30 हजार करोड़ रुपए कर दिया है बल्कि विनिवेश से प्राप्तियों से सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए आवंटन भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा, तेल व गैस क्षेत्र की कंपनियां उत्खनन व उत्पाद पर कर रियायतों की उम्मीद लगाएं बैठी थी, लेकिन पहले के बजटों की तरह इस बजट में भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देश में तेल उत्पादन स्थिर रहने की एक वजह तेल व गैस उत्खनन में निवेश के लिए प्रोत्साहन में कमी है। प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पर टीडीएस और सेवाकर में दो फीसदी वृद्धि से संपत्ति की कुल कीमत में इजाफा होगा। इससे आने वाले दिनों में घर और महंगे हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस बजट को लेकर रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए खुशियां कम गम ज्यादा हैं। बजट का विश्लेषण करें तो सामने आता है कि उद्योगों पर इस बजट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्साईज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की दरों में वृद्धि का भार कम्पनियां सीधे उपभोक्ताओं पर डाल देंगी। वहीं कुछ कम्पनियों को सीमा शुल्क में छूट देकर संरक्षण देने की कोशिश की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानि कम्पनियों के लाभ पर कोई सेंधमारी नहीं होगी। आम निवेशक को वर्तमान बजट में एसटीटी 0.01 प्रतिशत रखकर एवं डिलीवरी एसटीटी में 20 प्रतिशत की छूट देकर कुछ फायदा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है। बजट में खुदरा निवेशकों के लिए राजीव गांधी इक्विटी स्कीम घोषित की गई है जिसमें 50 हजार रुपये के निवेश पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसका लॉक-इन पीरियड तीन वर्ष कर दिया गया है। ऐसे छोटे निवेशक कम होते हैं जो शेयर बाजार में तीन वर्ष के लिए पैसा फसाते हैं। इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रभाव शेयर बाजार पर नहीं पड़ेगा। जीएसटी के मामले में भी जब तक राज्य सरकारें तैयार नहीं होंगी, संशय बना रहेगा। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। इसके अलावा, महंगाई की दर को कम रखना भी सरकार के लिए चुनौती भरा काम होगा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की दरों में वृद्धि महंगाई को बढ़ाएगी। ऐसे में शेयर बाजार के लिए यह बजट बहुत अच्छी खबर नहीं लाया है।

कृषि को सरकार प्राथमिकता क्षेत्र मान रही है लेकिन सिर्फ तीन हजार करोड़ की वृद्धि को अपर्याप्त अन्न भंडारण की क्षमता में प्रत्याशित इजाफा नहीं किया गया। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नदी जोड़ने वाली परियोजना महत्वपूर्ण है लेकिन बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया। नदी जोड़ो परियोजना के लिए प्रावधान किए होते तो इससे असिंचित क्षेत्र को लाभ मिलता। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति या योजना का जिक्र तक नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए ठोस नीति या योजना का जिक्र नहीं है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने की ठोस योजना होती तो शहरों पर दबाव कम और आबादी संतुलन बना रहता। रक्षा बजट में अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला। बजट में रक्षा मद में मात्र 17 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान। इससे तो उन रक्षा सौदों को भी पूरा कर पाना असंभव जिन पर हम पहले से काम कर रहें हैं। उम्मीद के मुताबिक भारत में रक्षा क्षेत्र में निजी सेक्टर को आगे लाने, विदेशी कंपनियों से हथियार खरीदने की प्रक्रिया को तेज करने, भारत में स्वदेशी तकनीकी से डीआरडीओ के जरिए विकसित होने वाले हथियारों की निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना की घोषणा भी नहीं की गई है। इसलिए सेना की जरूरतें पूरी नहीं होने से क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से सभी तरह के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। सोने के आभूषण और महंगे हो जायेंगे। सोना व अन्य महंगी धातुओं के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने के कारण सोना महंगा हो जायेगा। सीमेन्ट उत्पाद शुल्क का फार्मूला बदलकर खुदरा बिक्री मूल्य पर शुल्क लगाने से महंगा हो जायेगा। मेडीकल कॉलेजों की घोषणा को छोड़कर उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर कोई घोषणा नहीं की गई एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में कोई नई घोषणा नहीं की तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल या हॉस्टल की कोई घोषणा नहीं की गई। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में किसी नई योजना की घोषणा नहीं। सरकार ने कई कृषि विवि को बजट में स्थान दिया है। किन्तु राजस्थान में दो कृषि विवि हैं, लेकिन दोनों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। केन्द्र की राज्य में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा पुरानी है लेकिन बजट में इसके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इस प्रकार वित्त मंत्री ने राजस्थान के साथ अन्याय किया है। बजट में गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गये हैं। उच्च शिक्षा के लिए बजट में अलग से किसी भी आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि एजुकेशन गारंटी की घोषणा तो हुई है लेकिन इसका फायदा समाज का वही तबका उठा सकता है जो एजुकेशन लोन को वापस करने में समर्थ हो। ऐसे में वित्तमंत्री को गरीब छात्रों का ध्यान रखते हुए उनके लिए भी कुछ घोषणा करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहां समाज का एक बड़ा तबका है जो आर्थिक मजबूरियों के चलते अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाता है।

बजट में वित्त मंत्री ने ब्लॉक स्तर पर 6000 स्कूल खोलने की घोषणा तो कर दी है। लेकिन शिक्षकों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में सरकार ग्रामीण इलाकों और कस्बों में प्राथमिक

शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी योजना को इस घोषणा के जरिए कितना अमलीजामा पहना पाएगी यह देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि शिक्षा क्षेत्र पहले से ही शिक्षकों की कमी से जुझ रहा है। कई स्कूलों में तो एक या दो ही शिक्षक पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनने वाले इन स्कूलों में से 2500 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाने हैं। बजट में वित्तमंत्री ने विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की है। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में अकसर उच्चवर्गीय समाज के बच्चे ही होते हैं। ऐसे में कई बार योग्य छात्र धनाभाव के चलते विदेश में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। साथ विदेश में पिछले कुछ समय में कई भारतीय छात्रों की हत्या व दुर्व्यवहार के मामले सामने आये हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी वित्तमंत्री ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किए हैं।

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने फिर गठबन्धन राजनीति और ममता बनर्जी द्वारा रेल बजट को डिरेल करने के फैसले की ओर इशारा करते हुए यह स्वीकार किया कि वे बजट में कुछ खास नया नहीं कर पाए। बाजार उनसे आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरूआत की उम्मीद लगाए हुए था। इस दिशा के कई फैसले अटके पड़े हैं और कई मामलों में देर होने का रोना रोया जा रहा है। पर सोनिया गांधी की अगुवाई में चलने वाली यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं में मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और सामाजिक क्षेत्र के लिए चलने वाली सात बड़ी योजनाएं रही हैं। फिर भी बजट देखकर नहीं लगता कि सरकार में अब इनको लेकर कोई उत्साह बचा हुआ है। वित्त मंत्री ने इन मामलों में कोई पहल नहीं की, बल्कि समावेशी विकास जेंडर बजटिंग और परिव्यय आधारित बजट जैसे जो खूबसूरत शब्द पी. चिदंबरम ने उछाले थे, उनकी अब गूंज भी नहीं सुनाई दे रही है। असल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जिन संस्थाओं की देखरेख में भूमंडलीकरण का अभियान चल रहा था, वहां भी इन नीतियों से होने वाले नुकसानों की चिंता हुई मगर नीतियां बदलने की जगह नुकसान को खूबसूरत लफ्जों से ढंक देने का काम किया गया। हर विकास परियोजना से होने वाले विस्थापन को देखते हुए परियोजना में ही पुनर्वास का कार्यक्रम भी जोड़ दिया गया। लेकिन विकास कार्यक्रम पूरा करने की मुस्तैदी तो रखी गई, लेकिन पुनर्वास को भुला दिया गया। संभवत: अपने यहां के बजट में भी समावेशी विकास का खूबसूरत पद उसी प्रेरणा से आया। इस बजट का सबसे चौंकाने वाला फैसला महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के धन में कटौती का ही था। इस योजना के पैसों में चोरी और हेराफेरी की शिकायतें भी आई हैं, पर उसका मतलब जौं के साथ घुन को भी पीस देना नहीं है। इस योजना ने ग्रामीण जीवन और मजदूरी के मामले में क्रांतिकारी काम किया है। वित्त मंत्री ने इस मद में आवंटन पिछले साल के चालीस हजार करोड़ रुपये से कम करके तैंतीस हजार करोड़ रुपये कर दिया। ग्रामीण विकास के कुल बजट में मात्र पांच फीसदी से कम की वृद्धि है। इसका व्यावहारिक मतलब हुआ कि मनरेगा का बजट तो गिरा ही, ग्रामीण विकास के धन में भी कमी आ गई है।

राजकोषीय घाटा के एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच जाने के बाद यह कटौती ज्यादा होने की आशंका थी। बारह फीसदी की कटौती हुई है जो कम नहीं है, पर यह प्रसंग कई तरह के पेंच से भरा है। वित्त मंत्री ने दो वर्षों में सब्सिडी को जीडीपी के दो फीसदी स्तर पर लाने का वादा किया है, पर उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल से बढ़ने वाले बोझ का हिसाब नहीं रखा है। इससे दो बातें हो सकती है। या तो गरीबों को राहत देने वाला खाद्य सुरक्षा कानून इस साल नहीं आएगा या फिर उसे लागू करने के बाद अभी दी जा रही कई तरह की सब्सिडी में कमी कर दी जाएगी, अर्थात डीजल से लेकर रसोई गैस तक महंगे हो जायेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना का आवंटन बीस हजार करोड़ से बढ़कर चौबीस हजार करोड़ हो गया है। मनरेगा जैसी योजनाओं में लूट होती हैं, पर वह गांव और देहात में बड़े पैमाने पर बंटता है, जबकि सड़क, पुल, बांध, नहर जैसी कथित विकास योजनाओं का धन नेता, नौकरशाह और ठेकेदार मिलकर बांट लेते हैं। यह लॉबी सदा बड़ी विकास योजनाओं के पक्ष में रहती। सामाजिक सेवाओं का कुल बजट वैसे तो इक्कीस फीसदी बढ़ा है, पर ग्रामीण विकास के बजट में मात्र पांच फीसदी की ही वृद्धि हुई है, जो मुद्रास्फीति की दर से भी कम है। महिलाओं को तो खैर समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या खाएं, क्या पीएं और क्या लेकर परदेश जाएं। स्कूल से निकले बच्चों को लैंगिक मसलों पर सचेत और संवेदनशील बनाने के लिए सरकार ने इस बजट में 'सक्षम' नाम से एक योजना शुरू करने की घोषणा की है। सौ जिलो में गिरते स्त्री-पुरुष अनुपात के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी चिंता प्रकट की गई। परिवार नियोजन की भी चिंता जताई गई, लेकिन बजट रखा गया है बीस करोड़ रुपये का। इससे भी बुरा हाल अल्पसंख्यक विकास नामक कर्मकांड का है। माना जाता है कि इसका रिश्ता उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं मिलने से है। इस मद के फंड में मात्र दस फीसदी की वृद्धि हुई है। मुख्य निराशा खाद्य सब्सिडी के बारे में साफ घोषणा न होने और मनरेगा का बजट कम करने से ही हुई। वित्त मंत्री ने भोजन के अधिकार कानून का जिक्र किया, पर इतनी भारी-भरकम योजना के लिए बजट में कोई खास प्रस्ताव न करने से जरूर काफी लोगों को निराशा हुई। ऐसे में अब यह कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि सरकार को समावेशी बजट जैसा जुमला याद भी है या नहीं।

***श्री कमलेश पासवान** (बांसगांव): इस वर्ष का आम बजट निराशाजनक और महंगाई बढ़ाने वाला है। सर्विस टैक्स और एक्साईज ड्यूटी की दरों में बढ़ोतरी से करीब सभी वस्तुओं की कीमतें आसमान को छूएंगी। सर्विस टैक्स को 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने से आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। एक्साइज और सर्विस टैक्स में दो-दो फीसदी वृद्धि से महंगाई डेढ़ गुना बढ़ जाएगी। सीमेंट और स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब लोगों का जो पक्का घर बनाने का सपना था। वह पूरा नहीं हो पाएगा। पहले से आर्थिक तंगहाली झेल रहे मजदूर वर्ग पर खर्चो का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा।

यह बजट बहुत ही नकारात्मक है क्योंकि इसमें टैक्स बढ़ाया गया है जो वित्तीय घाटे को रोकने के लिए एक उपाय था वित्तीय घाटे को काबू में करने का दूसरा उपाय था सरकार के अनुत्पादक खर्चों जैसे नौकरशाही या सरकारी कर्मचारियों पर खर्चे हैं या भ्रष्टाचार पर कटौती की जाए लेकिन इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसको पोषित करते हुए केवल टैक्स की उगाही ज्यादा की जाए केवल इस तरफ ध्यान है। इससे सरकार अपने वित्तीय घाटे को कुछ नियंत्रित कर पाएगी। लेकिन इसका आर्थिक विकास और महंगाई पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर्विस टैक्स यानी सेवा कर को बढ़ाए जाने से सब पर बोझ बढ़ेगा। इसका सभी चीजों पर जैसे मिठाई के डिब्बों से लेकर बिजली और टेलीफोन के बिल पर फर्क पड़ेगा इस टैक्स का प्रभाव सर्वव्यापी है। इसका भार जनता पर पड़ेगा। क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के बेसिक रेट को ही बढ़ा दिया गया है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर ब्याज दर में की गई 1.25 फीसदी की कटौती ने कर्मचारियों को झटका दिया है। इससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। विदेशी फर्म पर 25 लाख पर एक प्रतिशत छूट देने की घोषणा गलत है। ईपीएफ ब्याज दर में कटौती के फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए।

आयकर अदा करने वालों के लिए करमुक्त आय की न्यूनतम सीमा जो पिछले साल एक लाख 80 हजार थी उसे बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है। जोकि बहुत ही कम है। आयकर छूट की सीमा तीन लाख रुपए की जानी चाहिए थी। आम बजट में महंगाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद 8.9 प्रतिशत से कम होकर 7.6 प्रतिशत तक सिमट जाना अर्थव्यवस्था के संकट को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने भीषण महंगाई भ्रष्टाचार के समय में कोई भी राहत देने के स्थान पर बजट भाषण में केवल उपदेश दिए हैं जिससे आम जनता में घोर निराशा है। बजट से महंगाई और बढ़ेगी। देश के सामने इस समय तीन बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और यह बजट इन तीनों ही चुनौतियों का ठीक से मुकाबला करता नहीं दिख रहा है। पहली चुनौती विकास दर में आई गिरावट को लेकर है। जीडीपी की विकास दर 6.9 फीसदी तक पहुंच गई है। यह सबसे चिंताजनक पहलू है। उसे अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 7.6 फीसदी तक ले जाने का प्रयास किया गया है और उसके अगले वर्ष में इसे 8. 6 फीसदी तक ले जाने का इरादा है। लेकिन विकास दर को किस तरह बढ़ाया जाएगा। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर हम देखें तो इस समय निवेशकों के हौसले पस्त हैं। अगर निवेश बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा। लेकिन बजट में ऐसी नीतियों का उल्लेख नहीं है। जो विकास दर बढ़ाने की उम्मीद बंधाती हों निवेशकों को यह भरोसा देती हों कि उनका निवेश फलदायी होगा।

दूसरी बड़ी चुनौती वित्तीय घाटे को लेकर है। दरअसल इसके साथ ही चालू खाते का घाटा भी हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। इन दोनों को मिलाकर जुड़वां घाटा कहा जाता है। यह जुड़वां घाटा तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय घाटा 5.9 फीसदी तक चले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अंत में यह वित्तीय घाटा छह फीसदी तक पहुंच ही जाएगा। अब अगर इसमें राज्यों का भी वित्तीय घाटा जोड़ लिया जाए। तो यह नौ फीसदी तक हो जाएगा। जो काफी खतरनाक है। वित्तीय घाटा तब बढ़ता है जब सरकार की आमदनी कम हो और खर्च बढ़ जाए। आर्थिक मंदी के कारण जीडीपी घटी है तो सरकार का राजस्व भी घटना ही था। फिर सरकार ने विनिवेश का जो लक्ष्य तय किया था वह भी पूरा नहीं हो सका। समस्या यह है कि आगे के लिए भी कोई बड़ी उम्मीद नहीं बंधती।

वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा है कि वह वित्तीय घाटे को एक फीसदी तक घटाएंगे। लेकिन कैसे? यह तब तक संभव नहीं है। जब तक आप सब्सिडी को नहीं घटाते। ऑयल सब्सिडी के बारे में कहा गया है कि डीजल और केरोसिन की सब्सिडी अब सीधे उपभोक्ताओं को नकदी के रूप में सौंपी जाएगी। लेकिन यह डॉयरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा कैसे? जिन उपभोक्ताओं को इसका फायदा देना है। क्या उनकी पहचान कर ली गई है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। उन्हें क्या बाजार दर पर डीजल और केरोसिन मिलेगा। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। कैश ट्रांसफर की बात ही यूरिया पर सब्सिडी के मामले में की गई है और वहां भी सवाल यही है। बजट में यह तो कहा गया है सब्सिडी को जीडीपी की दो फीसदी से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा लेकिन यह एक वायदा लक्ष्य भर है।

तीसरी चुनौती कुछ खास क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलावों को लेकर थी। बजट में इसके लिए भी बहुत कुछ नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हम विकास में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात बहुत कर रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार इसी क्षेत्र में मिल सकते हैं। इसी तरह विद्युत नागरिक उड्डयन और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की जरूरत थी। लेकिन वैसा दिखा नहीं। विद्युत व नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए जो किया भी गया वह बहुत कम है।

इन तीन चुनौतियों के अलावा क्षेत्रीय विषमता व आमदनी की असमानता को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी। दोनों तरह की विषमताएं हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। बजट के शुरुआत में वित्त मंत्री ने दुनिया की आर्थिक मंदी, भारत में निवेश में आई कमी, भारत के विकास दर में कमी का जिक्र किया। लेकिन इन समस्याओं से लड़ने के लिए बजट में कोई उपाय नहीं है।

यूपीए सरकार भले ही ढिंढोरा पीटती रहे कि उसने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बजट 2012-13 के दस्तावेजों से साफ से साफ है कि वह केंद्रीय आयोजना व्यय का महज 2.71 फीसदी हिस्सा कृषि व संबंधित गतिविधियों पर खर्च करती है। नए वित्त वर्ष 2012-13 में कुल केन्द्रीय आयोजना व्यय 6,51,509 करोड़ रुपए का है। इसमें से 17,692.37 करोड़ रुपए ही कृषि व संबद्ध क्रियाकलापों के लिए रखे गए हैं। इन क्रियाकलापों में फसलों से लेकर पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, प्लांटेशन, खाद्य भंडारण, सहकारिता व अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को लोक सभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा, ''हमारे जैसे विशाल व जटिल देश में, जिसकी 65 फीसदी श्रमशक्ति किसान हों, वहां भारत की कृषि की दशा देखकर संसद व सरकार को चिंतित हो जाना अपरिहार्य है।'' आगे उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने कृषि में सरकारी निवेश को बढ़ाने और कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रखी है।

लेकिन बजट दस्तावेजों से साफ हो जाता है कि मनमोहन सिंह जैसा 'ईमानदार' शख्स भी कितना बड़ा झूठ कितनी सफाई से बोल जाता है। कोई कह सकता है कि कृषि के आयोजना व्यय के साथ ग्रामीण विकास और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए निर्धारित खर्च को भी शामिल किया जाना चाहिए। नए साल में ग्रामीण विकास का परिव्यय 40,763.45 करोड़ रुपए और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण का खर्च 1275 करोड़ रुपए तय किया गया है। कृषि व इन दोनों मदों को मिलाकर कुल केन्द्रीय आयोजना खर्च 59730.82 करोड़ रुपए निकलता है। ग्रामीण इलाकों से जुड़ा ये सारा खर्च केन्द्र सरकार के कुल आयोजना व्यय का केवल 9.17 फीसदी निकलता है।

जिस देश की 65 फीसदी श्रमशक्ति गांवों में लगी हो, 70 फीसदी से ज्यादा आबादी की आजीविका जहां से चलती हो, उस विशाल क्षेत्र को केन्द्रीय आयोजना व्यय का महज 9.17 फीसदी देना सरकार की नीयत को साफ कर देता है। इस खर्च में मनरेगा जैसी रोजगार योजनाओं के लिए रखे गए 33,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

कोई कह सकता है कि इस बार कृषि ऋण का लक्ष्य सरकार ने 4.75 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.75 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और इस पर किसानों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन यह तो बैंकों का धंधा है। इससे सरकार का क्या लेना-देना। यह भी सच है कि वित्त मंत्री ने कृषि मंत्रालय का आवंटन 18 फीसदी बढ़ाकर 20,208 करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन यह तो मंत्रालय की नौकरशाही के लिए है, किसानों के लिए नहीं। इस बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर निर्धारित व्यय 42 फीसदी बढ़ाकर 1780 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन मात्र 530 करोड़ रुपए की वृद्धि राष्ट्र को क्या खाद्य सुरक्षा दे सकती है?

असल में समस्या की जड़ में यह है कि सरकार किसानों को किसी तरह जिंदा भर रखना चाहती है। वो जिस तरह उद्योग व सेवा क्षेत्र की लाभप्रदता के लिए चिंतित है, वैसा कोई सरोकार उसका किसानों व खेती के प्रति नहीं है। यही नहीं, वह आकस्मिकता आने पर भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। यह इस तथ्य से झलकता है कि नए साल में फसल बीमा योजनाओं पर निर्धारित खर्च 1.2 फीसदी घटा दिया गया है। उर्वरक सबसिडी का हल्ला राजकोषीय घाटे और कंपनियों की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए उठाया जाता है। लेकिन सरकार को परवाह नहीं कि इसके हट जाने से किसानों की लाभप्रदता कितनी घट जाती है। नए साल के बजट में उर्वरक सब्सिडी 6000 करोड़ रुपए घटा दी गई है। सबसे पहले अपने भीतर जरा-सा झांककर देख लीजिए कि इतनी अमानवीय क्रूरता आपके अंदर कहां से आई है। सरकारी प्रचार और अपनी अज्ञानता में इतने अंधे तो मत बनिए कि अपनी माटी और अन्नदाता को भी भूल जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. संजीव गणेश नाईक** (ठाणे): मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विश्वव्यापी आर्थिक समस्या के दौर में भी माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और संप्रग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल मार्गदर्शन में अच्छा बजट प्रस्तुत किया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 जिसमें पिछले 12 माह में अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, में 2011-12 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का वास्तविक अनुमान 6.9 प्रतिशत लगाया गया है। अनुमान है कि कृषि में 2.5 प्रतिशत, उद्योग में 3.9 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्रक में 9.4 प्रतिशत वृद्धि होगी। पिछले दो वर्षों की तुलना में, मुख्यत: औद्योगिक विकास की धीमी गति और विशेषकर निजी निवेश में आई कमी के कारण अर्थव्यवस्था में अब और मंदी आई है। ऋण की बढ़ती लागत एवं कमजोर घरेलू व्यापारिक मानसिकता के कारण मंदी और बढ़ गई है।

वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू खाता घाटा लगभग 3.6 प्रतिशत रहने की संभावना है। इसके साथ ही साथ दूसरी व तीसरी तिमाही में कम निवल पूंजी आवक से विनिमय दर पर दबाव बढ़ा है।

अवसरंचना परियोजनाओं को ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. ने ऋण-वृद्धि एवं धन क्षय के लिए एक रूपरेखा बनाई है। सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं (पीपीपी) के लिए निविदाएं प्रस्तुत करने के पूर्व ही विकासकर्ताओं को सीधे ऋण तथा सिद्धान्तत: अनुदान मंजूरी के लिए परस्पर-सहयोग व्यवस्था का सृजन भी किया गया है।

विद्युत और कोयला

विद्युत उत्पादन में ईंधन आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पादन संभावनाओं को प्रभावित कर रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कोल इंडिया लि. को उन विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते पर दस्तख्त करने की सलाह दी गई है जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों के साथ दीर्घावधि विद्युत-खरीद समझौते किए हैं और जो 31 मार्च, 2015 को या इससे पूर्व चालू हो जाएंगे। आवंटित कोयला खदानों की आवधिक समीक्षा करने तथा अनावंटन संबंधी सिफारिशें करने के लिए एक अंतरमंत्रालयीय समूह का गठन किया जा रहा है।

सड़क परिवहन और नागर विमानन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष 2011-12 के दौरान एनएचडीपी के अंतर्गत 7300 किमी. लंबाई वाली परियोजनाओं का काम देने के लक्ष्य को हासिल करेगा। वर्ष 2011-12 के दौरान सौंपी गई 44 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाओं ने लाभार्जन किया है। प्राय: इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहती है।

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा

पश्चिमी क्षेत्र हेतु समर्पित रेल माल ढुलाई पथ के दोनों तरफ दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का विकास किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही निधि प्रदान करें ताकि कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को इक्विटी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ 5000 करोड़ रुपये की 'भारत-अवसर उद्यम निधि' की स्थापना की है।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सरकारी खरीद नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने ऐसी एक नीति को मंजूरी दी है जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों से और अधिक वार्षिक खरीद का प्रावधान होगा।

कृषि अनुसंधान

हमारे प्रिय नेता शरद पवार जी देश में किसानों के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अधिक उत्पादन वाली एवं जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी पादप एवं बीज की किस्में विकसित करने हेतु उत्तरदायी संस्थानों और उनके अनुसंधान-दल, दोनों के लिए अनुसंधानगत पुरस्कार हेतु सहायता राशि के रूप में 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

पिछले 5 वर्षों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 8 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से विकास कर रहा है। सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ करने का निर्णय किया है।

शिक्षा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। सरकार ने इस योजना के तहत और अधिक निधियां उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इससे राष्ट्र-निर्माण में सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी क्षेत्र में लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्यों में 'एम्स' जैसे संस्थान शीघ्र स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराएं।

काला धन

पिछले वर्ष सरकार ने काले धन के एकत्रीकरण और परिचालन तथा भारत के बाहर इसके अवैध रूप से अंतरण के मुद्दे से निपटने के लिए पांच सूत्रीय नीति की रूपरेखा बनाई। इस संबंध में सरकार ने विभिन्न प्रकार के कदम उठाने शुरू किए हैं।

प्रत्यक्ष कर

प्रस्तावित व्यक्तिगत आयकर के स्लैबों को इस प्रकार किया जाए:

3 लाख रुपये तक की आय पर आयकर	शून्य
3 लाख से ज्यादा और 8 लाख रुपये तक की आय पर आयकर	10 प्रतिशत
8 लाख रुपये से ज्यादा और 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर	20 प्रतिशत
12 लाख से ज्यादा आय पर आयकर	30 प्रतिशत

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत केंद्र सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्यस्तरीय संचालन समिति ने 135 करोड़ विस्तृत परियोजनाओं को मंजूर तथा संस्तुत किया था और भारत सरकार को इनके अनुमोदन और अंतिम सहायता हेतु भेजा था। इन 135 विस्तृत परियोजना-रिपोर्टों में से सरकार ने 93 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया और 42 परियोजनाएं लंबित हैं। महाराष्ट्र के लिए उपलब्ध आवंटित धनराशि लगभग समाप्त हो गई है।

कुछ अन्य राज्यों के संबंध में यू.आई.जी. उप-मिशन के अंतर्गत आवंटिन धनरारशि अप्रयुक्त रही है। इस आवंटन को महाराष्ट्र को आवंटित किया जा सकता है, जिसने अपनी आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया है और जिसके पास एस.एल.एस.सी. द्वारा यथा अनुमोदित अनेक विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अभी भी किए जाने हेतु तैयार हैं। वर्ष 2011-12 जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन हेतु अंतिम वर्ष है। इसलिए मैं सरकार से जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कम-से-कम दो वर्ष का समय और दिए जाने का आग्रह करता हूं। मैं सरकार से प्रभावी शहरी अवसंरचना सुविधाओं के लिए पुराने मिशन की तर्ज पर एक नया मिशन शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

मैं सरकार से केन्द्रीय वजट के प्रभावी कार्यान्वयन का अनुरोध करता हूं, ताकि देश का आम आदमी लाभान्वित हो सके।

[हिन्दी]

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर): बजट का प्रावधान इसलिए होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करके देश के संसाधनों का क्षमतानुसार दोहन कर देश को विकास की पटरी पर लाया जा सके, जिससे देश के लोगों को सुविधा पर्याप्त मात्रा में उचित कीमत पर मिल सके। परन्तु इस बजट में सब उल्टा कर दिया है देश को स्थिरता से बचाने के लिए सरकार को स्थिर किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जिन चीजों को आम आदमी प्रयोग कर रहा है उस पर कई कर लगा दिये हैं। सेवा कर को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करके 18,650 करोड़ लिया जा रहा है। सेवा क्षेत्र में कर लगाने का दायरा 117 सेवा क्षेत्र से 219 कर दिया है। अब केवल 17 ऐसे सेवा क्षेत्र हैं जहां पर करमुक्त किया हुआ है। अगले साल उन पर लगा दिया जाएगा। उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर 16,910 करोड़ रुपया बटोरा जाएगा। यह टैक्स आखिरकार लोगों को देने होंगे जिससे जनता पर अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा एवं इस बढ़ती महंगाई से उद्योग बन्द हो रहे हैं और जनता पहले से परेशान है। आयकर सीमा में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की है जिससे आयकर दाताओं को 2 हजार के करीब का फायदा हुआ है परन्तु जो कर लगाये जाने का प्रस्ताव है उससे 41 हजार के करीब और टैक्स देना पड़ेगा। एक हाथ से एक रुपये दिया दूसरे हाथ से 20 रुपये के करीब लिया।

सतारुढ़ दल के सदस्य इस बजट को कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास वाला बता रहे हैं। मनरेगा में 7000 करोड़ की कटौती की है जो ग्रामीणों की आय को कम करेगा। सरकार की प्रबंध व्यवस्था से जो विकास 9 प्रतिशत होना था वह केवल हुआ 6.9 प्रतिशत, कृषि का विकास का लक्ष्य था 4 प्रतिशत पर हुआ केवल 2.5 प्रतिशत। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 24000 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि अभी तक कई गांवों की सड़कों के सम्पर्क मार्ग नहीं बने हैं मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में जो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई दो साल पहले बनाई थी वह टूट गई है और ठेकेदार कहता है कि जब इस पर वाहन चलेंगे और बैलगाड़ी फसल लेकर चलेगी तो यह टूटेगी ही। जब इन सड़कों का उपयोग नहीं होगा तो इन सड़कों का क्या फायदा। केन्द्र सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण इलाके में बनने वाली सड़कों की राशि को अटका कर रखा हुआ है और अभी तक जारी नहीं की है जिस कारण बिहार में 9 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इन प्रस्तावित प्रधान मंत्री सड़क योजना अंतर्गत 950 पूल भी हैं जिनका निर्माण किये जाने का भी प्रस्ताव बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसके लिए बिहार सरकार ने बार बार रिमाईंडर भेजे हैं पर केन्द्र सरकार टालमटोल कर रही है जिसके कारण बिहार में ग्रामीण विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। केन्द्र सरकार बिहार सरकार के साथ भेदभाव कर रही है जबकि विकास कार्यो में राजनीति नहीं की जानी चाहिए जो केन्द्र सरकार आज बिहार सरकार के साथ कर रही है। आने वाले समय में पानी की विकट समस्या पैदा हो जाएगी। पेयजल के आवंटन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की है। पेयजल की जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं वह मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में देखने को नहीं मिलती हैं एवं बिहार में जो हर साल बिहार से आने वाले पानी से उत्तरी बिहार को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए इस बजट मे कोई व्यवस्था नहीं की है जिसका अत्यंत खेद है।

आज भी नक्सलवाद से देश के विकास पर असर है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से सड़क बनाने का प्रस्ताव है, कितना इस दिशा में काम होगा यह तो समय ही बताएगा। भारत सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने हेतु जो तरीका अपना रही है उससे नक्सलवाद समाप्त होने वाला नहीं है क्योंकि हमें नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ इसकी जड़ में जाना होगा। जहां पर नक्सलवाद है वहां पर भीषण रूप से बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण आदिवासी नवयुवक नक्सलवाद शक्तियों के दबाव में आ रहा है। नक्सलवाद वहां पर है जहां पर विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है विकास कार्य न होने से लोग असंतोष की भूमिका में हो जाते हैं। इसके लिए आपको सामाजिक ढंग एवं आर्थिक ढंग से रोकना होगा।

पर्यटन क्षेत्र से हम काफी मात्रा में राजस्व कमा सकते हैं, परन्तु वहां तक आने जाने के साधन नहीं है इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। उसका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर बिहार में हमारे पूर्वजों की अपार धरोहर दबी पड़ी है जिस पर अब तक 30 प्रतिशत उत्खनन कार्य ही किया गया है। केसरिया जो पूर्वी चम्पारण में स्थित है, यहां स्थित बुद्ध स्तूप का संरक्षण कार्य असंतोषजनक है। बिहार की भूमि अहिंसा का संदेश देती है अगर केसरिया का उत्खनन को योजनाबद्ध ढंग से किया जाये तो इतिहास बिहार के अहिंसा प्रेम एवं अहिंसा की कर्म भूमि के और प्रमाण मिलेंगे। विश्व विख्यात गया की तरह केसरिया को विदेशी पर्यटक का आकर्षण केन्द्र बनाया जा सकता है। केसरिया में कार्य बंद होने से एवं अपूर्ण कार्य से किये गये संरक्षण कार्य दिन प्रति दिन नष्ट हो रहे हैं। उक्त क्षेत्र के पास एक जलाशय होना प्रतीत होता है जिसे आम जन गेंगया के नाम से पुकारते हैं। इस भू भाग का अधिग्रहण भी नितांत आवश्यक है एवं इसे जलाशय बनाया जाये जिसके मध्य में कमल पुष्प किये जाये जिससे इस बुद्ध स्तूप की सुन्दरता को बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में आने जाने के सुलभ साधन भी होने चाहिए। इसी स्थान पर रानीवास अर्थात बौद्ध बिहार एवं इसके निकट गौरही स्थान के परीक्षण स्तरीय उत्खनन किया जाये जिससे उस समय में समाए मिट्टी में बंद पड़े इतिहास को उजागार किया जा सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बजट का 4.97 दिया है एवं जी.डी.पी. का 9.73 प्रतिशत खर्च हो हो रहा है परन्तु शिक्षा की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता नीचे होती जा रही है। उच्च शिक्षा में गरीबों एवं पिछड़े क्षेत्र के लोगों को वंचित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय बिहार के मोतिहारी जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में कई बाधा खड़ी कर रहा है जिससे यह साबित होता है कि केन्द्र सरकार विपक्षी राजनैतिक दलों की राज्य सरकारों के साथ घोर भेदभाव एवं पक्षपात कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री जी कहते हैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अच्छी फैक्ल्टी हो, यातायात हो एवं हवाई सेवा हो जबकि देश के अन्य राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अलग-अलग राज्यों के लिए अलग मापदंड है। इसके लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी लालीपोप दे रहे हैं कभी कहते हैं कि गया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के माननीय मंत्री जी रक्षा मंत्री जी से कहकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवा देंगे और मोतिहारी में स्टेट विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। परन्तु क्या कारण है जनभावना के आधार पर बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव कि क्रेंदीय विश्वविद्यालय की स्थापना असाक्षरता बहुल्य क्षेत्र में खोला जाये। सरकार किस तरह से महात्मा गांधी के कर्मभूमि पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने से मना कर रही है यह समझ में नहीं आता है। बिहार को विकासान्मुख बनाने वाले बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव दिया है वह जनहित एवं जनभावना पर आधारित है इससे यह भी साबित होता है कि केन्द्र सरकार जहां पर शिक्षा पहले से है वहां पर शिक्षा मुहैया करवाती है और दूसरी ओर बिहार राज्य सरकार है जो जहां पर शिक्षा नहीं है वहां पर शिक्षा का विस्तार कर रही है। वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री जी आज दो विभाग को संभाल रहे हैं और दोनों को मटियामेट कर रहे हैं जिसमें शिक्षा काफी संवेदीनशील है एवं दूरसंचार राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इन दोनों मंत्रालय का जिम्मा गलत हाथों में है। एवं माननीय मंत्री जी का दिमाग कहता है कि 2 जी में देश को नुकसान नहीं है।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस बजट में 11,472 करोड़ आबंटित करने का प्रावधान रखा है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनने चाहिए वहां नहीं बना रही है उत्तरी बिहार के झपहां से रक्सौल के बीच सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना जनहित में है। यह मार्ग झपहां-मीनापुर-तरियानी-शिवहर-ढेंग-

बैरगनिया-फुलवारिया-गुड़हेनवा-चैनपुर-घोडासहन-बकटवा-छौड़ादानो-कटकेनवा से आदापुर होते नेपाल की सीमा रक्सौल तक जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग 28ए तक मिल जाएगा और इधर राष्ट्रीय राजमार्ग-77 तक मिल जाएगा। इससे पटना से रक्सौल के बीच यातायात को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है। झपहां से रक्सौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बाद रक्सौल से पटना की दूरी को कम किया जा सकता है। दूसरी बात है कि झपहां से रक्सौल के बीच का क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है। इस प्रस्ताव से इन पिछड़े क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है एवं नेपाल की सीमा के साथ लगा है।

भारत में गरीबी हटाओ के काफी नारे लगाये गये। उन्हें गरीबी हटाओ के नारे से लालच में लाया गया परन्तु गरीबी दूर नहीं हुई। परन्तु सरकारी आकड़ों ने गरीबों को समाप्त करने का दुस्साहस किया। भारत सरकार ने आकड़ों के आधार पर गरीबी दूर की और सरकारी आकड़े बताते हैं कि देश के नौकरशाह देश में अपने मनमाने ढंग से सरकारी गरीबी का आकड़ा तैयार किया और कहा जा रहा है कि गरीबी अब 25 प्रतिशत से कम आ गई परन्तु विश्व बैंक कह रहा है कि भारत में गरीब लोगों की संख्या 41 प्रतिशत से ज्यादा है। गरीबों के साथ अन्याय यह भी कि केवल उपभोग करने के आधार पर गरीबी को नापा गया। उनकी गरीबी का शिक्षा से, चिकित्सा से, वस्त्र, से आवास से कोई मतलब नहीं था। केवल कैलोरी से उनकी गरीबी मापी जाती थी। केन्द्र सरकार ने राज्यों की व्याप्त गरीबी को नहीं माना क्योंकि उन्हें लगता है कि राज्य गरीबी के आधार पर ज्यादा खाद्यान्न की मांग करेंगे। सरकारी नौकरशाहों ने गरीबी के आकड़े को संकलित करने में इतना घुमा दिया जिससे भारत की गरीबी के आंकडें भारत में रहने वाले गरीबों से काफी दूर हो गये। मेरे बिहार में 1 करोड़ 35 लाख गरीब है, जबकि भारत सरकार मात्र 65 लाख गरीब मानती है। एक गांव में कौन लोग गरीब है यह आसानी से पता लगाया जा सकता है, कोई गरीब महिला, विकलांग, गृहविहीन, खेतवहिन के माध्यम से हम गरीबों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। परन्तु देश के नौकरशाही ने इस गरीबी को इतना उलझा दिया है कि इसकी गरीब की बीमारी का पता ही नहीं लग पा रहा है तो हम कैसे इन गरीबों का इलाज कर पाएंगे। एक गरीब व्यक्ति के घर पर एक बल्ब जल रहा हो तो उसे गरीब से अमीर मान लिया जाता है। उसके बंजर एवं बिना उपजाऊ वाली जमीन है तो भी उसे अमीर माना जाता है। 1992, 1997 एवं 2002 में भारत की गरीबी का सर्वे किया गया परन्तु, उसमें ऐसे प्रश्न थे जो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। गरीबी का पता लगाने एवं गरीबी के आंकड़े का प्रस्तुतीकरण करने में सरकार अपनी मनमानी करती है। संसद में इस पर ध्यान दिलाया जाता है परन्तु, केबिनेट उस पर कोई गौर नहीं किया। वर्तमान सरकार में अब संसद मंत्रीपरिषद को नहीं चला रही अपितु मंत्रीपरिषद संसद को चला रहा है। वह भारत की गरीबी के आंकड़ें के आसपास है एवं इन आकड़ों में शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा के व्यय को जोड़ने का प्रयास किया है और इन आकड़ों से देश के गांव की गरीबी एवं शहरों की गरीबी की संख्या ज्यादा हो गई है। गरीबी का आकलन में महंगाई, जीवन के बुनियादी खर्च को शामिल करना चाहिए और गरीबी का पता लगाना हो तो निर्धन जन से बात भी करनी चाहिए जो गरीबी के कारण को अच्छी तरह से जानता है।

देश में खाद्य वस्तुओं की महंगाई विश्व में एक रिकार्ड बन चुकी है और हमारे देश के मंत्री तो हर महीने अगले महीने महंगाई कम होने का आश्वासन देते हैं और हमारे देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है जिससे महंगाई कम कर सके। यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। महंगाई पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सरकार की है एवं अर्थशास्त्र में महंगाई को कम करने के कई उपाय हैं और देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे हैं। उसके बावजूद देश के लोगों को खाद्य महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। पेट्रोल पर एक ही बार में प्रति लिटर पांच रुपये बढ़ा दिये और कीमतों के बढ़ने के जो कारण हैं उन कारणों को सरकार ने पैदा किया है। यदि सरकार 5 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल बाजार में देती है तो अरबों रुपये मुद्रा बचायी जाती है तथा पेट्रोल का कीमत भी कम की जा सकती है। अब जब महंगाई रूक नहीं रही तो बैंकों के कर्जों पर ब्याज दर को बढ़ाया जा रहा है अब घटाने की सोच रही है। हमारे देश का एक गरीब परिवार अपनी रसोई पर 33 प्रतिशत से ज्यादा खर्च कर रहा है और इस महंगाई ने उसका खर्च और बढ़ा दिया है जिसका असर यह होगा कि अब मध्यम परिवार के लोग अपने बच्चों की शिक्षा एवं चिकित्सा पर कम खर्च कर पाएंगे। दूसरी ओर एशियन डेवलेपमेंट बैंक के अनुसार देश में महंगाई से 2.3 करोड़ गांव भारत की सरकारी गरीबी में शामिल हो गये और शहरी गरीबी में 66. 8 लाख गरीब हो गये हैं। सरकार का प्रयास कृषि विकास होना चाहिए परन्तु सरकार कृषि विकास पर केवल कागजी कार्यवाही कर रही है 1950-51 से लेकर 2010-11 के बीच जी डी पी 300 प्रतिशत बढ़ा परन्तु कृषि क्षेत्र में विकास केवल 75 प्रतिशत हुआ है। सरकार को बड़े घरानों के उद्योग एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा खाद्यान्नों की खुदरा खरीद पर ध्यान देना होगा जो एक महंगाई का कारण भी है।

देश में बढ़ती महंगाई बढ़ती ब्याज दर, एवं भ्रष्टाचार के चलते कई विदेशी निवेशक भारत में पूंजी निवेश का इरादा छोड़ रहे हैं। भारत के संथागत विदेशी निवेश में 14 प्रतिशत की गिरावट मई

के महीने तक हो चुकी है। कुछ वर्ष पूर्व विदेशों के निवेशक भारत के बाजार में एवं उद्योगों में निवेश करने के लिए बेचैन रहते थे परन्तु अब उल्टा हो गया। मई महीने से पहले 14 हजार करोड़ के शेयर वापिस ले चुके हैं। इस काम के लिए हमारे वित्त मंत्री जी अमेरिका भी हो आये हैं परन्तु देश की हालत के कारण किसी भी विदेशी निवेशक ने पूंजी निवेश की इच्छा जाहिर नहीं की है। वर्तमान स्थिति हमारे वित्त मंत्री जी की असफलता का परिणाम है। देश की विकास दर को ठेस पहुंच रही है और महंगाई अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। मैं इस बजट का विरोध करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री नलिन कुमार कटील** (दक्षिण कन्नड़): मैं यह इंगित करना चाहता हूं कि जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है, बजट प्रावधान में कमी आई है। पहले, 74,001 करोड़ रुपये का प्रावधान था और अब यह घटकर 73,150 करोड़ रुपये रह गया है। हम जानते हैं कि हमारी 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, हमारी जनता भी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोई स्वास्थ्य देखभाल और विद्यालय संबंधी अवसंरचना नहीं है। किसी देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं, जो किसी भी राष्ट्र की सम्पत्ति होती है। हमारे देश में लगभग 42 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र की है। लेकिन इस क्षेत्र हेतु आवंटन मात्र 4.8 प्रतिशत है। मेरा मानना है कि आवंटन बहुत ही अपर्याप्त है। इसलिए, बजट में ग्रामीण क्षेत्र हेतु धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य के संबंध में, 2010-11 में केन्द्र और राज्यों दोनों को मिलाकर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग एक प्रतिशत है। अब इसे बढ़ाकर जीडीपी का 2.3 प्रतिशत कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य इसे 4 प्रतिशत करने का है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लगभग 69.5 प्रतिशत बच्चे अल्परक्तता से पीड़ित हैं, 42.5 प्रतिशत बच्चे अपने उम्र से कम वजन के हैं; 22 प्रतिशत बच्चे न्यून जन्म दर का शिकार हैं। यद्यपि हमारे देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध है, लेकिन आज भी लाखों बच्चे होटलों या बस स्टैंड या अन्य जगहों पर कार्यरत हैं। लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए, सरकार को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि के क्षेत्र में हमारे बच्चों का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार को खाद्य सुरक्षा हेतु परम अग्रता देनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खाद्य सुरक्षा के बारे में लंबे-चौड़े दावे करती है, लेकिन राजसहायता में कमी करती है। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि सरकार को राजसहायता के माध्यम से गरीब लोगों को राहत देनी चाहिए। जब हमने ईंधन पर 25000 करोड़ रुपये और उर्वरकों पर 6000 करोड़ रुपये की राजसहायता कम दी है तो खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना कैसे संभव है? इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ गरीब जनता को मिलें।

मैं यह इंगित करना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक खामियां हैं। गरीब और असली जरूरतमंद लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सामग्री का उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है इसलिए, समय की यह मांग है कि देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कारगर बनाया जाए। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विनियमित करने हेतु प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। सरकार को उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकलाप में पारदर्शिता लाने हेतु व्यापक उपाय करने चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं पात्र लाभार्थियों को जारी हों और तत्संबंधी लेन-देन का ब्यौरा जनता के लिए प्रदर्शित हो। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना का कम्प्यूटरीकरण, राज्यों को खाद्यान्नों के विपणन और फर्जी राशन कार्ड की समस्या के समाधान करने में भी समर्थ बनाएगा।

जहां तक पी.डी.एस. का संबंध है देश में इस योजना में खाद्यान्नों की आपूर्ति, अयोग्य व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने, खाद्यान्न सामग्रियों (खाद्य वस्तुओं) के वितरण आदि से संबंधित अनियमितताएं हैं। इसके परिणामस्वरूप पीडीएस वास्तविक अनेक निर्धन परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को प्रत्येक पीडीएस प्रक्रिया, जैसे उचित दर दुकान का स्वचलन, आपूर्ति शृंखला का कंप्यूटरीकरण, लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजटलीकरण आदि का शीघ्रातिशीघ्र कंप्यूटरीकरण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि पीडीएस के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और पीडीएस के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिल सके।

मैं लोक सभा में दक्षिण कन्नड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इस तटीय जिले में मत्स्यकी प्रमुख पेशा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटक तट पर पुराना मंगलौर पतन मत्स्यकी का मुख्य केन्द्र है। चूंकि यह पत्तन काफी व्यस्त हो गया है इसलिए इस पत्तन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस पत्तन से 1500 से अधिक पोत चलते हैं। मत्स्यकी विभाग ने केन्द्रीय मत्स्यकी तटीय अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईसीसीईएफ) बैंगलोर के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बैंगलोर में मौजूदा दक्षिण घाट का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

502 मीटर तक विस्तार करने के साथ-साथ एक 579 मी. लंबे नए घाट का निर्माण किया जाना चाहिए।

इस पत्तन का विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि प्रभावी रूप से मत्स्यकी कार्यकलापों को प्रभावी रूप ढंग से करने के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। गाद निकालना, भूमि समतल करना, मौजूदा घाटों की मरम्मत, यातायात क्षेत्र का विकास, मछली नीलाम केन्द्र की स्थापना करना, मछुआरों के लिए गेयर शेड, जाल सुधार शेड, विश्राम गृह, बोट मरम्मत केन्द्र, रेस्तरां, रेडियो संचार टॉवर की स्थापना करना, सुरक्षा कार्मिकों को आश्रय स्थल, बिजली और पानी की आपूर्ति व्यवस्था, आरसीसी बॉक्स पुल और वर्षा जल संचयन व्यवस्था को अविलंब इस परियोजना में शामिल करना चाहिए।

इस वर्ष कर्नाटक में भयंकर सूखा पड़ा। कर्नाटक ने 176 ताल्लुकों में से 110 ताल्लुकों (राजस्व उप खंड) को सूखाग्रस्त ताल्लुक घोषित किया गया था।

इस बार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा हुई है और यहां लगातार चार सप्ताह तक वर्षा नहीं हुई। सितम्बर का तो माह पिछले चार दशकों में सबसे बुरा रहा। इस कारण दक्षिण कर्नाटक में 67 प्रतिशत और उत्तर कर्नाटक में 62 प्रतिशत कम वर्षा हुई।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की सहायता के लिए आगे आए और सूखा राहत उपायों जैसे-पेयजल प्रदान करने, पशुओं और अन्य पशुधन के लिए चारे और खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पर्याप्त निधियां जारी करे।

मंगलौर विमानपत्तन कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण विमानपत्तन है और 21 सितम्बर, 2011 को यह 60 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जैसे आव्रजन सीमा शुल्क और धावन पट्टी जैसी सभी सुविधाएं हैं। हाल के वर्षों में मंगलौर विमानपत्तन से विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। लोगों की काफी लम्बे समय से मांग है कि मंगलौर में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हो। परन्तु इसे अभी तक मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मंगलौर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा देने के लिए तत्काल कदम उठाए।

जहां तक काजू की फसल का संबंध है यह कर्नाटक के ततीम क्षेत्र में उगाई जाती है। काजू क्षेत्र सभी लोगों को सतत् रोजगार प्रदान कर रहा है। उसके निर्यात से देश को काफी आय हो रही है। परन्तु घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और व्यवस्थित पद्धतियों के माध्यम से फसल क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। काजू उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए काजू की उच्च पैदावार वाली किस्में उपलब्ध कराया जानी चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह कर्नाटक और साथ ही केरल राज्य के तटीय भाग में एंडोसल्फान मुद्दे के बारे में है। यहां एंडोसल्फान के पीड़ितों की काफी संख्या है। जेनेवा सम्मेलन में एंडोसल्फान के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं इसके मानवीय पक्ष पर विचार करते हुए पीड़ितों को कुछ सहायता प्रदान की जाए।

प्रधानमंत्री राहत कोष वास्तव में एक मॉडल है। तथापि कठिनाई यह है कि कुछ मामलों में लोगों को 1 लाख से 2 लाख रु. तक की सहायता मिलती है और कुछ मामलों में किसी को कुछ नहीं मिलता। इस निधि के संबंध में कोई तंत्र होना चाहिए।

***श्री खगेन दास** (त्रिपुरा पश्चिम): सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय बजट 2012-13 जन विरोधी और विकास विरोधी है। यह आम लोगों की समस्या का समाधान करने में एकदम विफल रहा है।

यह बजट, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निराशाजनक है।

विशेष श्रेणी दर्जा

यह महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है। देश आज बेतहाशा महंगाई, आर्थिक मंदी, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, विदेशी बैंकों में जमा काला धन और देश के युवाओं के समक्ष गंभीर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है।

केन्द्रीय बजट 2012-13 अनियंत्रित उदारीकरण के मार्ग पर चल रहा है जो भारतीय पूंजीपतियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संरक्षण और लाभ प्रदान करेगा।

सरकार की अर्थव्यवस्था और नीतिगत निर्णय न लेने के कारण वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास को लगातार कम किया है।

सरकार ने यह नहीं बताया कि वह विकास दर, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में किस प्रकार सुधार करेगी जो अधिक विकास दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि विकास दर में और कमी आती है तो पूरे देश में सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो जाएगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हाल ही में संपूर्ण विश्व के विभिन्न भागों में विशेषकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक मंदी के साथ-साथ अधिक महंगाई का भी सामना करना पड़ा है जिससे निर्धनतम काफी प्रभावित हुए हैं। भारत को भी अत्यधिक महंगाई के साथ-साथ आर्थिक विकास में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।

एक ओर कार्पोरेट जगत विभिन्न आर्थिक पैकेजों और प्रोत्साहनों के कारण काफी अधिक लाभ अर्जित कर रहा है वहीं दूसरी ओर गरीब लोग विशेषकर खाद्य उत्पादों की अत्यधिक महंगाई दर से परेशान हैं।

समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए उच्च खाद्य महंगाई के प्रभावों को कम करने हेतु आपका हस्तक्षेप दृष्टिगोचर होने चाहिए।

वर्ष 2012-13 का केन्द्रीय बजट एक प्रतिगामी बजट है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में वृद्धि होगी और कामकाजी लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा।

कारपोरेट और अमीर लोगों के प्रति पक्षपात इस बजट की इस बात से दिखाई देता है कि अमीर लोगों पर अध्यारोपित प्रत्यक्ष कर से 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा जबकि उन पर अप्रत्यक्ष कर भारित है। यह उस समय से समग्र वृद्धि और उत्पाद प्रशुल्कों के माध्यम से है, जिससे 45,900 करोड़ रुपए के लाभ की प्रत्याशा है। राजसहायता अथवा ईंधन राशि में कटौती 25,000 करोड़ रुपए है। इससे ईंधन की कीमतों में और अधिक वृद्धि होगी। उर्वरकों पर राजसहायता में 6000 करोड़ रुपए की कटौती से उर्वरकों की कीमत में और भी वृद्धि होगी, जबकि इससे पहले ही किसानों पर बोझ असहनीय है।

जहां अमीर वर्ग को राजस्व रियायतों का लाभ मिलता है, वहीं इस मूल्य वृद्धि का गरीब वर्गों को नुकसान हो रहा है।

केन्द्र सरकार एक विचित्र वित्तीय नीति का अनुसरण कर रही है। एक ओर तो यह स्वयं ही विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है वहीं दूसरी ओर राज्यों की वित्तीय व्यवस्थाओं पर अधिक बोझ डालने का प्रयास कर रही है।

केन्द्र सरकार ने स्वत: ही 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजस्व घाटे की अधिकतम सीमा का ध्यान नहीं रखा है बल्कि जब कोई राज्य 3% के राजस्व घाटे के एफआरबीएम लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहता है, तो वह एफआरबीएम लक्ष्यों की पालन न करने के लिए उन राज्यों को दंडित कर रही है। जबकि 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राज्य विशेष अनुदानों को जारी नहीं किया जाता है और लघु बचत के बदले ऋण उच्च ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है–ऐसा वित्तीय दृष्टिकोण सभी नैतिकताओं से रहित है।

यह बजट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं करता है।

- मनरेगा जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के लिए प्रावधानों में 9000 करोड़ रुपए की भारी कमी देखी गई है;
- कम आवंटन के साथ राज्य सरकारों के लिए प्रत्येक कार्डधारक को 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी असंभव होगी।
- अ.जा./अ.ज.जा. उप योजनाओं हेतु आवंटन में बढ़ोतरी के दावे में इस बात को छुपाया गया है कि ये योजनाएं योजना व्यय के 16.5% के वास्तविक आवंटनों को पूरा नहीं करती हैं।
- केन्द्रीय राशि क्रमश: केवल 7% और 4% हैं।

परिवर्तनीय कृषि को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान 50/- रुपए की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए कोई धनराशि नहीं रखी गई है। इस लघु राशि को भी वापस ले लिया गया है, जिससे पूर्वोत्तर के जनजातीय लोगों को ठेस पहुंचेगी।

पूर्वोत्तर में शहरी अवसंरचना विकास संबंधी के लिए प्रावधान को वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान में 115.00 करोड़ रुपए से घटाकर वर्ष 2012-13 में 90.00 रुपए कर दिया गया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (राज्य संघटक) के लिए प्रावधान को बढ़ाया गया था किंतु बढ़ी हुई राशि को कुछ चुनिंदा राज्यों को दे दिया गया है। केन्द्र सरकार का ऐसा दृष्टिकोण पूर्णत: अनपेक्षित है।

"विशेष योजना सहायता" हेतु प्रावधान में बढ़ोतरी की गई है। किंतु इस बढ़ी हुई राशि को केवल कुछ ही राज्यों को लाभ मिला है। केन्द्र सरकार किन्हीं उद्देश्यपूर्ण मानदंडों का पालन किए बगैर विशेष श्रेणी वाले राज्यों में इस निधि अंतरण की भेदभावपूर्ण और अपारदर्शी प्रणाली को अपना रही है।

मैं यह इंगित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि वर्ष 2012 में उनका प्रयास केन्द्रीय राजसहायता संबंधी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक सीमित रखने का होगा।

अगले तीन वर्षों में इसे और घटा कर जीडीपी के 1.75 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

चूंकि प्रमुख राजसहायता खाद्य, उर्वरकों और पेट्रोलियम पर है इसलिए आशंका यह है कि राजकोषीय समेकन के नाम पर पीडी जैसे राजसहायता को समाप्त अथवा कम कर दिया जाएगा।

कारपोरेट जगत के लिए प्रशुल्क माफी और कर छूट हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु वित्त मंत्री ने उन राजसहायताओं पर सीमा लगा दी है जिससे समाज के गरीब तबकों का सीधा संबंध है।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री का दृष्टिकोण मात्र भारत के ''चमकते भारत और व्यथित भारत'' के बीच अन्तर को और बढ़ाना है।

[हिन्दी]

***प्रो. रामशंकर** (आगरा): हमारे वित्त मंत्री जी ने आम बजट में आम आदमी से लेकर उपभोक्ता तक को घोर निराशा देने वाला बजट प्रस्तुत कर पूरे देश को हैरानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस ढंग से बजट को प्रस्तुत किया उसमें न तो किसानों का भला होने वाला है, न गरीबों का, न मजदूरों का और न ही व्यापारियों को किसी भी प्रकार की राहत की दिशा में कोई भी कदम आगे बढ़ाने की बजाए उस तरफ ध्यान तक नहीं दिया गया है। सरकार से देश की अपेक्षा थी कि लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है जिससे आम आदमी ही नहीं मध्यम वर्गीय परिवारों को घर चलाना मुश्किल हो गया है।

इस बजट में जब किसानों की तरफ नजर डालते हैं तो ध्यान में आता है कि बजट में किसानों के हाथ में झुनझुना तो दिया गया है किन्तु उसमें आवाज ही नहीं है।

किसानों को सस्ते बीज, खाद, पानी, बिजली, कीटनाशक दवाएं सस्ते कीमत के साथ सही समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों के उत्पादनों का उचित कीमत एवं समय से भुगतान के अभाव में आत्महत्याएं जैसी घटनायें निरन्तर बढ़ रही हैं। इस दिशा में कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा एवं आगरा मंडल में देश का सर्वाधिक अच्छा आलू पैदा होता है किन्तु वह सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आलू सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर है।

मेरे क्षेत्र में आलू से सम्बन्धित किसी भी उद्योग की आवश्यकता है जिससे किसान आलू की पैदावार कर सके और उसका सही मूल्य प्राप्त कर सकें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस सरकार से किसानों को आशा थी कि भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी विषय में वित्त मंत्री जी जरूर चिंता करेंगे, किन्तु बड़े उद्योगपतियों के दबाव में वित्त मंत्री चुप्पी साध गये जो किसानों के लिए एक बड़ा मजाक है।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए भी पूरी तरह से कंजूसी दिखाई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए चुप्पी नहीं तोड़ी।

प्रधान मंत्री सड़क योजना को थोड़ा बढ़ाया है लेकिन वह बहुत कम है। कांग्रेस पूरे समय मनरेगा का गीत गाती रही किन्तु बजट में उस गीत गाने वाले गले को ही दबा दिया और उसमें कटौती कर मनरेगा के पेट पर लात मारने का काम किया।

शहरी क्षेत्र में सफाई, शिक्षा एवं शुद्ध पानी की दिशा वित्त मंत्री जी ने मौन धारण कर लिया है। ऐसा लगता है मानो शहरी क्षेत्र में इसी प्रकार को न ही कोई समस्या है, न ही उसके लिए कोई ठोस योजना की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र आगरा में खारा पानी है। यमुना सूखी पड़ी है। नीचे के पानी में टी.डी.एस. 2000 से 5000 तक की मात्रा है। कोई पानी पी नहीं सकता। 70 प्रतिशत आबादी उसी को पीने को मजबूर है जिससे बीमारियां हो रही हैं और गरीब आदमी पानी खरीद कर नहीं पी सकता। वह 50 साल तक की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है।

मेरी मांग है कि पानी की उपलब्धता की दिशा में सरकार को उपयुक्त राशि देने की आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई जिससे प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक गरीब छात्र पढ़ सके। अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों सहित गरीब बच्चों के लिए कोई न शिक्षा की दिशा में न उनके कल्याण की दिशा में और न ही उनके स्वास्थ्य की दिशा में कोई व्यवस्था की गई है।

आज पूरे देश के सर्राफा व्यवसायी अपने व्यवसाय को बन्द कर अनशन और धरने पर बैठे हैं। हमारे आगरा के व्यवसायी सरकार के नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठते हैं। हमारी मांग है कि वित्त मंत्री कस्टम डयूटी कम करें। 2 प्रतिशत एक्साइज डयूटी के साथ ब्रांडिड आभूषणों पर बढ़ाया हुआ कर समाप्त करें।

ब्रांडिड आभूषणों की जगह निर्मित आभूषणों पर पूर्व में छूट थी जिस पर एक प्रतिशत बढ़ा दी, उसको वापस लें। कस्टम डयूटी 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी है उसे भी वापस लें। इस नीति से इंस्पेक्टर राज कायम होगा, आम व्यापारी का उत्पीड़न होगा। हमारे आगरा में ताजमहल के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उद्योग धंधे बन्द हो गये हैं। सोना

चांदी के काम में लगे लाखों मजदूरों को बेघर होने से बचाया जाए।

सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कोई पहल नहीं की है इससे जुड़े लोग बहुत निराश है। हमारे आगरा में आज देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं किन्तु उसके अनुसार पर्यटकों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकार के ऐसे पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसके विकास की पहल करने के बारे में कहीं उल्लेख नहीं है।

आगरा में नेशनल हाइवे-2 शहर के मध्य से गुजरता है। पूरा शहर हर समय जाम में फंसा रहता है। देशी विदेशी पर्यटक एवं वी.आई.पी. भी जाम में फंसे रहते हैं। वहां पर ऐलीवेटिड रोड बनाये जाने की आवश्यकता है।

सरकार ने नेशनल हाईवे के रखरखाव के लिए जो बजट घोषित होना चाहिए था वह नहीं किया।

पूरे बजट को देखकर यही लग रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई एवं दयनीय अर्थव्यवस्था से जूझ रहे देश के नागरिकों के सामने हताश निराश सरकार अपनी मजबूरी को छिपाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है।

वित्त मंत्री ने देश की जनता को बड़ी चालाकी से गुमराह करने की कोशिश तो की है किन्तु आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं उसे जनता भली भांति समझ रही है कि माननीय वित्त मंत्री जी बड़ी चतुराई से अपने पौटली आने वाले के लिए छोड़ रखी है जब लोक सभा के चुनाव होंगे। इसलिए यह बजट पूरी तरह से जनता और देश के हित में नहीं है बस एक राजनैतिक बजट देश की जनता को गुमराह करने का जोखम भरा कदम है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि महंगाई को कम किया जाए। सर्राफा व्यवसायियों की मांगों को माना जाए। किसानों को छूट मिले, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अत: मैं इस बजट में संशोधन की मांग करता हूं और आशा करता हूं कि संशोधन की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ठोस कदम उठायेंगे।

[अनुवाद]

***श्री शिवकुमार उदासी** (हावेरी): मेरे हिसाब से बजट में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) की दिशा और दृष्टि की रूपरेखा स्पष्ट की जानी चाहिए थी। चूंकि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रथम बजट है, इसलिए सप्रंग-II द्वारा एक सशक्त और गतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, क्योंकि इस बजट में ऐसे दृष्टिकोण का अभाव है, जिसका खाका योजना आयोग द्वारा खींचा गया था। मेरे हिसाब से सप्रंग-II दूसरी पीढ़ी के सुधार करने से बचता रहा है, क्योंकि इसे चुनाव में हार होने का भय है। चूंकि उन सभी सरकारों को अगले आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने सुधार किए। इसलिए, मैं सप्रंग सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दलगत हित की बजाए राष्ट्रीय हितों के प्रति निष्ठावान रहे। किंतु दुर्भाग्यवश इसमें दिशाहीनता है और मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इस बजट में सप्रंग की असमंजसता दिखती है। अपने सहयोगी दलों और 2012 अथवा चुनावों में हारने के डर से इस बजट में 12वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा, दिशा-निर्देश का भी उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि व्यापक रूप से ऐसा माना जाता है कि जिन सरकारों ने सुधार किए हैं, उन्हें अगले चुनावों में हारा का सामना करना पड़ा है।

यह बजट शब्दों के हिसाब से अच्छा किंतु संख्या के हिसाब से गलत है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। मंत्री जी का कहना है कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य वसूली हेतु घरेलू मांग आधारित वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना है। यदि उन्हें घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना है तो उन्हें कर में कटौती करनी होगी और लोगों के पास खर्च दान के लिए अधिक धन छोड़ना होगा। लेकिन उन्होंने ठीक उल्टा किया है। प्रत्यक्ष करों में 4500 करोड़ रुपए की कमी की गई है जबकि अप्रत्यक्ष करों में 45940 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर से अमीर लोग लाभान्वित होते हैं जबकि अप्रत्यक्ष कर से कामकाजी लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है तथा ऐसा होने से आम आदमी पर दोहरी मार पड़ती है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में समग्र बढ़ोतरी होती है। इसके परिणामत: लोगों की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। अंतत: घरेलू मांग में कमी आने से विकास अवरूद्ध होता है। अत: यह बजट बहुत ही विरोधाभाषी है। इसके अलावा ईंधन पर राजसहायता में 25000 करोड़ रुपए तथा उर्वरकों पर 6000 करोड़ रुपए की भारी कमी की गई है। यह सब राजकोषीय समेकन के नाम पर किया गया है। परंतु राजकोषीय समेकन के नाम पर कुल 30,000 करोड़ रुपए का भारी विनिवेश किया गया। किंतु कुल राजकोषीय घाटा अब 5,21,980 करोड़ रुपए का है जो जीडीपी का 5.9 प्रतिशत है एवं इस वर्ष में कुल (अर्थात सरकार द्वारा स्वेच्छा से एकत्र नहीं किया गया) 5,29,432 करोड़ रु. का राजस्व छोड़ दिया गया है तथा यह राजकोषीय घाटे से 8000 करोड़ रु. अधिक है। इसके अलावा धनी लोगों और कारपोरेट को ज्यादा रियायतें दी गई हैं। अत: इस बजट का सिद्धांत पूरी तरह स्पष्ट है, धनी लोगों को विकास के नाम पर रियायतें दी गई हैं एवं गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को भार समझ कर उसमें कमी की गई है। बजट की भाषा से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह भी पता चलता है कि भारत में धनी लोगों को दी जाने वाली रियायतों को प्रोत्साहन कहा जाता है एवं गरीबों को दी जाने वाली सहायता को सब्सिडी कहा जाता है एवं मध्य वर्ग को दी जाने वाली सहायता को छूट कहा जाता है। अत: करों का प्रस्ताव करते समय माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य "मुझे दयालु होने के लिए निर्दयी होना पड़ता है" से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि माननीय मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वह आम आदमी, छोटे, सीमांत किसानों एवं कामगार लोगों के प्रति इसलिए निर्दयी हैं कि धनी लोगों के प्रति दयावान हैं।

अर्थशास्त्र हमें बताता है कि कराधान को प्रगामी अर्थात अमीरों पर कर, गरीबों को सब्सिडी की तरह होना चाहिए। लेकिन आपने इस बजट में इसे नहीं अपनाया है जो प्रकृति में बहुत अद्योगामी है। यदि कारणसम्मत करों का संग्रह किया जाता है तथा करों की वसूली, जो लंबे समय से देय है एवं यदि गरीब एवं अमीर लोगों में प्रोत्साहन बांटने की बजाय कर की चोटी की गुंजाइश को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया रहता, तो कर संग्रह और अधिक होता।

अब मैं कृषि, ऊर्जा एवं परिवहन के मुद्दे पर आता हूं।

माननीय मंत्री ने 2012-13 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रु. कर दिया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में एक लाख करोड़ रु. अधिक है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि इसमें लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। किसानों की आदान लागत में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के कृषि श्रम लागत दोगुनी हो चुकी है एवं उर्वरकों की लागत भी दोगुनी हो गई है। यूरिया और डीएपी की लागत दोगुनी हो गई है।

अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आदान लागत एवं महंगाई संबंधी अर्थमानकों को देखते हुए किसानों के लिए कृषि ऋण की राशि को बढ़ाएं। मैं आग्रह करता हूं कि सभी किसानों को कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिया जाना चाहिए। मुझे हाल के वर्षों में कृषि ऋण के बारे में घालमेल के कई मामले की जानकारी है। चंडीगढ़ और दिल्ली नगर में ऋण लेने वालों ने 2009-2010 में 32000 करोड़ रु. का ऋण लिया है जबकि उ.प्र., बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को 31,000 करोड़ रु. का ऋण दिया गया है जो अविश्वसनीय है। यह ऋण मुख्यत: नगरीय और महानगरीय बैंकों की शाखाओं से दिया गया है। रिपोर्ट मिली है कि बैंक की नगरीय शाखाओं से कुल कृषि ऋण में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 में वितरित कृषि ऋण का 52 प्रतिशत छह राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों-आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु एवं चंडीगढ़ को दिया गया है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 24 प्रतिशत ऋण का वितरण फरवरी-मार्च के महीने में किया गया है जो खेती का समय ही नहीं होता है। लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत: बेहतर समय होता। बैंक की नगरीय और महानगरीय शाखाओं को लेकर यह प्रश्न उठता हे कि यह किस क्षेत्र को दिया जा रहा है।

यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के बारे में सुझाव है।

भारत में कृषि ऋण परिदान प्रणाली हेतु बहु-अभिकरणीय उपागम मौजूद है। प्रणाली की दो शाखाओं में प्रणालीगत खामियां हैं। वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण के लिए अनिच्छुक भागीदार हैं तथा सहकारिता निर्णय लेने में गैर पेशेवर रवैया अपनाती हैं जो उसके अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। आंतरिक शक्ति का दोहन करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि हेतु ऋण परिदान प्रणाली का भविष्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अनुसार होना चाहिए, उन्हें अपने मौजूदा नेटवर्क और श्रम शक्ति को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी तथा इसे कृषि ऋण हेतु प्रमुख ऋण तंत्र के रूप में आगे आना होगा। ऐसा करने से सहकारी और वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की खामियां भारत में संपूर्ण ऋण परिदान प्रणाली को बाधित नहीं करेगी।

2009-12 के बीच प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारत का बजट दोगुना कर दिया है फिर भी अधिगमन क्षमताओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि निधियों में वृद्धि के बावजूद 78 प्रतिशत राशि शिक्षकों के वेतन और प्रबंधन में खर्च हो जाती है और छात्रों को 6 प्रतिशत मिलता है तथा कुल निवेश में मुख्यत: दीवारों की सफेदी एवं पूरे भारत में विद्यालयी कार्यकलापों पर 2004 में प्रति छात्र आवंटन को बढ़ाकर 4269 रु. कर दिया गया है एवं 2009-10 से 11-12 के सर्वेक्षण में शिक्षकों पर व्यय एवं बच्चों के अधिगम स्तर के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं पाया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण तथा बच्चों पर किए जाने वाले निवेश एवं विद्यालय अवसंरचना एवं शिक्षकों पर आने वाली लागत की तुलना में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है।

सभी विद्यालयों में दीवारों की सफेदी बहुत लोकप्रिय थी क्योंकि यह कार्य आसानी से और जल्दी हो जाता तथा उपयोग प्रमाण पत्र शीघ्र दिया जा सकता है ताकि आप के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अधिक निधि जारी की जा सके।

कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाना चाहिए। धान और मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इनकी उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है।

रेशम के आयात शुल्क में भारी वृद्धि की जाती है क्योंकि चीन से भारी मात्रा में माल भेजा जा रहा है जो हमारे किसानों के लिए बाधा है।

स्वर्ण और स्वर्णाभूषणों पर उत्पाद शुल्क को कम किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में स्वर्ण और स्वर्णाभूषणों के माध्यम से निवेश किया जाता है अत: सामान्य जनता के लिए और अधिक बचत हेतु इस कदम को उठाना चाहिए।

मैं स्वागत करता हूं:

'आशा' गतिविधियों को आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव, 100% प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने और बच्चों में बेहतर अन्तर सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

एन.एस.बी.सी. के साझेदारों ने 24 राज्यों के 220 जिलों में 496 स्थाई और 2429 मोबाइल केन्द्र खोले हैं। इसे सभी जिला स्तरों पर लागू किया जाना है।

मैं माननीय मंत्री से एन.एस.डी.एफ. के लिए और अधिक निधियां आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। मैं संसद के वर्तमान सत्र में काले धन की रोकथाम और सभा पटल पर काले धन पर श्वेत पत्र लाने के उपायों का भी स्वागत करता हूं।

कर्नाटक में भीषण सूखा पड़ा है। 175 तालुकों में से 110 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से कर्नाटक के किसानों के लिए ज्यादा निधियां आवंटित करने तथा उनके लिए एक पैकेज घोषित करने का अनुरोध करता हूं। बजट में किए गए उपाय समुद्र में एक बूंद के समान है जैसा कि 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्य योजना में उल्लिखित है। 2020 तक कुल विद्युत उत्पादन में 15% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के अनुसार नहीं है।

आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने और ऊर्जा आपूर्ति की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कारगर हो सकती है। इसके साथ ही यह लाखों ग्रामीण गरीबों को गरीबी उन्मूलन में सहायता प्रदान करेगी और स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण को बढ़ावा देगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ज्यादा निधि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं ताकि देश के ऊर्जा संकट पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा सके।

***श्री राजेन गोहैन** (नोगोंग): वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया वर्ष 2012-13 का बजट असंतुलित बजट है जिसमें बहुत सारे वायदे ऐसे हैं जिनके लिए कोई अर्थोपाय नहीं है। सप्रंग सरकार की अस्थाई और रुग्ण स्थिति बजट में पूर्णत: स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वित्त मंत्री ने गठबंधन साझेदारों की स्वार्थी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की इच्छाओं के विरूद्ध एक असंतुलित बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री अपने लंबे अनुभव से हमें आर्थिक, संतुलित, देश के समग्र विकास को अच्छी गति प्रदान करने वाला बजट दे सकते थे।

सूर्योदय की भूमि से आने वाले जन-प्रतिनिधि के रूप में अपना परिचय देते हुए मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। साथ ही सूर्योदय की भूमि के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को देखकर पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से वाजपेयी जी की सरकार को छोड़कर सभी सरकारों ने उत्तर-पूर्व के प्रति सौतेला रवैया दिखाया है। उत्तर-पूर्व की प्रत्येक मुद्दे पर अनदेखी की गई है चाहे वह बजट हो या अपरदन, आप्रवासन हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उग्रवादी समस्या हो या अंतर्राज्यीय सीमा; विकास से दूर रखा गया है। विकास परियोजना के लिए जैसे कि बोगाईगांव रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ब्रह्मपुत्र नदी पर नरनारायण और बोगीवील पुल आदि सभी के लिए उत्तर-पूर्व के लोगों को हर समय आन्दोलन करना पड़ता है। यहां तक कि विदेशियों की पहचान करना जो कि संप्रभु सरकार का मूल कर्तव्य है उनका निर्वासन करना जैसे मुद्दों पर भी उत्तर-पूर्व के लोगों को छह वर्ष के लंबे समय तक आंदोलन करना पड़ा था और अभी तक यह मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। इस बार भी उत्तर-पूर्व के किसी विशेष विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं यह देखकर वंचित महसूस करता हूं, जब ब्रह्मपुत्र नदी के तल को सूखते जाने की अनेदखी करते हुए गंगा की सफाई हेतु हजारों करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाती है। ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में रह रहे लोगों द्वारा बाढ़ की विभीषिक झेलने की अनदेखी करते हुए पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के उपखंड के निवासियों हेतु विशेष निधि (439 करोड़) बनाई जाती है। इसी तरह माओवादियों से प्रभावित जिलों हेतु विशेष विकास निधि घोषित करना किंतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना भी अत्यधिक दुख का कारण है।

मैं इस तरह के अनेक उदाहरण घंटों उद्धृत कर सकता हूं।

असम में बाढ़ और अपरदन से पहले ही लाखों लोग बेघर और भूमिहीन हो गए हैं। सरकार द्वारा समाधान किए जाने वाले मुद्दों में से यह एक मुख्य मुद्दा है और इसे देश की राष्ट्रीय समस्या के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। बाढ़ के पीछे कई प्राकृतिक और मानव-निर्मित कारण हैं। बाढ़ की समस्या के पूर्ण समाधान की हम उम्मीद नहीं कर सकते लेकिन अपरदन एक ऐसी घटना है जिसका आधुनिक तकनीक के उपयोग से आसानी से समाधान किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर बांस के तीन टुकड़ों को एक साथ बांधकर नीचे भार को बांधकर बांसों का बाड़ा बनाकर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सीधे-साधे ग्रामीण लोग अपरदन से सुरक्षा प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके अपरदन को रोका जा सकता है जिसके लिए सरकार की सदिच्छा की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ब्रह्मपुत्र घाटी में अपरदन को रोके जाने के लिए उपयुक्त उपाय करे ताकि और अधिक लोग बेघर और भूमिहीन नहीं हों।

विश्व के दूसरे देशों में एक भी गैर-प्राधिकृत विदेशी व्यक्ति को प्राधिकृत अवधि के बाद एक सप्ताह तक भी रहने की अनुमति नहीं है लेकिन, भारत एक ऐसा देश है जहां आम जनता को देश में गैर कानूनी रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को देश से वापस भेजे जाने हेतु आन्दोलन करना पड़ता है। गैर-कानूनी प्रवासियों की पहचान वाले और उन्हें देश से बाहर भेजने के मुद्दे पर असम के लोगों का छह वर्ष तक लंबा आंदोलन चला फिर भी सरकार ने यह भी महसूस नहीं किया कि यह उसका अपना कार्य है। असम आंदोलन के पूर्व के समय की तुलना में गैर-कानूनी बांग्लादेशी प्रवासियों के लगातार आने की गति में बहुत वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में 12/3/2012 को जब देश के माननीय राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे तब असम के कोलियाबोर के "रेलवे यात्री मंच" ने 60 गैर-कानूनी बांग्लादेशी प्रवासियों को, जो घातक हथियारों और बांग्लादेशी मोबाइल सिम से लैस थे, असम के जखलबंधा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा। एक बड़े राष्ट्र विरोधी गिरोह के कार्य करने की सूचना मिली है जो बांग्लादेशियों को देश में लाने का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है और उत्तर-पूर्व के आरक्षित वन क्षेत्र में उनको बसा रहा है। पूरे देश को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने कैंसर की तरह जकड़ लिया है। परंतु सरकार मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है। आम जनता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब सरकार को संदिग्ध राष्ट्रीयता वाले लोगों की मांग के आधार पर असम में एनआरसी को तैयार करने संबंधी प्रायोगिक परियोजना को रोकना पड़ा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह "अवैध रूप से रह रहे विदेशियों" के मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले; साथ ही एनआरसी तैयार करे, सभी भारतीय नागरिकों को पहचान-पत्रा जारी करें; सुनियोजित तरीके से सभी विदेशियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करे और इस पूरे कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता वाली राष्ट्रीय परियोजना की तरह माना जाए।

अरुणाचल में भारत-चीन सीमा पर अचानक हो रही हलचलों के कारण उत्तर-पूर्व के लोग डर की मानसिकता के साथ जी रहे हैं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न प्रकार का अवसंरचनात्मक ढांचा विकसित करते हुए ब्रह्मपुत्र की स्रोत श्यांग नदी पर बांध का निर्माण कर लिया है। इतना ही नहीं, उसने खुले तौर पर भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे की आलोचना तक की। फिर भी, हमारी सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकता के इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। चूंकि यह मुद्दा भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यह और भी आवश्यक है। चीन के आक्रमण को लेकर उत्तर-पूर्व के लोगों के अतीत में कड़वे अनुभव रहे हैं। चूंकि, यह विषय देश की बाहरी सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर उचित कार्रवाई करे।

देश के अन्य भागों की तुलना में उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। उग्रवादी गतिविधियों के कारण होने वाली अशांति भी वहां पिछड़ेपन का एक कारण है। सरकार की साख की कमी के कारण मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया में भी अच्छी प्रगति नहीं हुई है। क्षेत्र में स्थायी रूप से शांति-बहाली के लिए यह आवश्यक है कि एक साथ सभी विद्रोही समूहों से शांति-वार्ता में तेजी लाई जाए। सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम के रूप में नक्सलवाद-प्रभावित क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। उत्तर-पूर्व के समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी इस प्रकार के पैकेज का प्रावधान किया जाना चाहिए।

आम जनता भी अपनी सम्पत्ति की सीमा को चिन्हित करती है। लेकिन, हमारी सरकार जिसके हाथ में सारी मशीनरी है, इस राज्य क्षेत्र की आंतरिक सीमा का पूरी तरह सीमा-निर्धारण भी नहीं कर पाई है। परिणामस्वरूप, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कारण इसका खामियाजा सीमावर्ती इस राज्य या उस राज्य में रह रहे मासूम लोग भुगत रहे हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान जान और माल के नुकसान की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। सरकार की गलती के कारण हमारे अपने देश के लोगों के बीच अब और अधिक लड़ाई-झगड़ा न हो, इसके लिए मेरी मांग है कि उत्तर-पूर्व राज्यों की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं के निर्धारण का काम छह महीने के अंदर पूरा होना चाहिए।

देश में खाद्य पदार्थों के बंपर उत्पादन में सरकार की सफलता की मैं सराहना करता हूं। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। परंतु, निगरानी के अभाव में ये योजनाएं किसानों को कोई राहत नहीं दे रही हैं। 50 फीसदी से ज्यादा कृषि-भूमि आज भी सरकार की सिंचाई सुविधा के तहत शामिल नहीं है। सिंचाई के प्रयोजनार्थ आवश्यक बिजली भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कृषि-क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि उचित विपणन और भंडारण की सुविधा के अभाव में किसानों को अपनी मेहनत से उपजाए कृषि-उत्पादों की वास्तविक कीमत नहीं मिल पा रही है तथा बिचौलिए व्यापारी और जमाखोर सारा मुनाफा लूट रहे हैं। परिणामस्वरूप, कृषि घाटे का व्यवसाय बन गया है और वे किसान, जो कृषि से इतर वर्गों के लोगों के लिए अतिशय

खाद्यान्न पैदा करते हैं, वे कृषि को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जा रहे हैं। यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, तो देश को अगले कुछ वर्षों में एक बार फिर से अकाल का सामना करना पड़ेगा।

सरकार ने कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान की घोषणा करके उच्च शिक्षा के लिए कई पैकेजों पर विचार किया है। असम के लोग उत्तर-पूर्व के महान संत श्री श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर बनने वाले विश्वविद्यालयों हेतु वित्तीय पैकेज पर विचार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। उत्तर-पूर्व के लोग इस हेतु बजट में पैकेज की उम्मीद को लेकर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। लेकिन, इस बार भी ''शंकरदेव विश्वविद्यालय'' के लिए कोई विचार नहीं किया गया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और इसके लिए वर्तमान बजट में वित्तीय पैकेज का प्रावधान किया जाए।

सरकार ने सहकारी क्षेत्र के बैंकों, नाबार्ड, आईआईएफसीएल और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 15,688 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसमें से 14,588 करोड़ रुपए की राशि क्षेत्र के बैंकों के लिए है। परंतु, सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति के गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के फंड का एक बड़ा हिस्सा देश के कुछ चुनिंदा करोड़पति व्यवसायियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय मदद लेने से आम जनता वंचित हो रही है। कई वर्षों से इस तरह के ऋणों की गैर-वसूली के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसा कि बताया गया है, वरिष्ठ बैंक अधिकारी भी अपने निजी गलत फायदों के लिए ऐसे करोड़पतियों को ऋण देने पर विचार करने में ज्यादा रूचि दिखाते हैं। इसलिए, ऐसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जरूरत है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से विकास के साथ-साथ देश के जीडीपी में वृद्धि से भी जुड़ा है। परंतु, मैं इस पर आश्चर्यचकित हूं कि कुछ अन्य वित्तीय संस्थान जैसे एसएफसी, आईडीएफसी, जो बुनियादी स्तर पर सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों की वृद्धि, ग्रामीण लोगों के स्वरोजगार, हथकरघा और हस्तशिल्प की वृद्धि, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार इत्यादि गतिविधियों के लिए काम कर रहे हैं, वे आज की तारीख में, बहुत सीमित उच्च लागत वाले पूंजी निवेश के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए उनकी सेवा को पहचानकर, सरकार को उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन्हें समान अवसर देने पर विचार करना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बजट में इन संस्थानों को ऐसी प्राथमिकता के आधार पर प्रदत्त-पूंजी में वृद्धि के द्वारा वित्तीय रूप से मजबूत बनाने पर विचार करे।

देश की आबादी के मांसाहारी लोगों का प्रतिशत शाकाहारी लोगों से दोगुना है। पौष्टिक मांसाहारी खाद्य पदार्थों जैसे कुक्कुटपालन के विकास, मत्स्यपालन इत्यादि की वृद्धि के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। सरकार को देश में कुक्कुटपालन तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियों तथा मत्स्यपालन के विकास के लिए प्रावधान करने चाहिए।

सरकार ने 6 नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा संस्थान एवं अनुसंधान केंद्रों का प्रावधान बिल्कुल सही किया है। देश में फैल रही नई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए भैषजिव शिक्षा के बजाय भैषजिक अनुसंधान पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही देश में दवाओं की अनुचित अत्यधिक कीमतों पर नियंत्रण करने एवं गरीबों को राहत देने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में कुछ जीवन-रक्षक औषधि-विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक भैषजिक अनुसंधान-सह-विनिर्माण इकाई की स्थापना की जाए।

***श्री पी.के. बिजू** (अलथूर): यह बजट सरकार की उन नव-उदारवादी आर्थिक सुधारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जिन्हें इस देश में लगभग दो दशकों से लगातार बढ़ावा दिया गया है। यह कार्पोरेट जगत के घोषणा-पत्र की तरह है और लज्जाहीन तरीके से व्यापार का हिमायती है।

उदारीकरण/निजीकरण इस बजट का मूल सिद्धांत है।

एक सरसरी तौर पर भी कोई समझ सकता है कि इस बजट में केन्द्रिकता की कमी है, यह विकास-केंद्रित नहीं है, आम आदमी के लिए इसमें बस नाममात्र ही है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देने में असफल है। किसी भी बजट का आकलन करते समय चार स्थूल लक्ष्य ध्यान में रखे जाने चाहिए: विकास, समानता, रोजगार औ मूल्य-स्थिरीकरण। उक्त चारों लक्ष्यों पर, यह केवल एक 'बढ़त भर का बजट' है और इसमें किसी नीति-निर्देशन की स्पष्ट कमी है। जबकि पूरा देश अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि की मार झेल रहा है, इस वर्ष के बजट ने सेवा-कर और उत्पादन शुल्क-दर फिर बढ़ा दी है और आम आदमी को अंधाधुंध लूटा जा रहा है। सेवा-कर एवं उत्पादन-शुल्क में वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सीमेंट और इस्पात की कीमतों में वृद्धि ने गरीबों का खुद का एक घर बनाने का सपना चकनाचूर कर दिया है। आयकर छूट सीमा को 1.80 लाख से 2 लाख रु. कर दिया गया है जो कि लोगों के लिए मामूली सी राहत है। वरिष्ठ नागरिकों को कोई राहत नहीं दी गई है। ई.पी.एफ. ब्याज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दर में कटौती के कारण निजी उद्यमों में कार्यरत मजदूर-वर्ग की हानि होगी।

पिछले 20 वर्षों से किसानों की दुर्दशा हो रही है और संरचनात्मक समायोजन एवं आर्थिक नीतियों की शुरूआत के बाद से वे अत्यंत निराशा में हैं। नव-उदारवाद के अधिवक्ताओं के दावों के विपरीत, सांख्यिकीय साक्ष्य बताते हैं कि 2.5 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है जो एक चौंकाने वाली खबर है। यह एक ऐसे देश के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है जहां अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और कृषि पर गुजारा करती है। किसान पहले से ही भारी ऋणों के बोझ के तले दबे हैं और अब कृषि ऋण पर ब्याज में और बढ़ोतरी से उन पर और दबाव पड़ेगा। कृषि-औजारों जैसे ट्यूब-वेल, ट्रैक्टर आदि पर ब्याज दर कम न होने के परिणामस्वरूप किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने पर 13 प्रतिशत की उच्च दर पर ब्याज देना पड़ेगा। उत्पाद-शुल्क एवं सेवा-कर में वृद्धि का वर्ष 2012 के बजट पर उलटा प्रभाव पड़ेगा जबकि यह बजट बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने और कृषि-क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करता है। 2011-12 के लिए जी.डी.पी. में वस्तुत: 6.10% की वृद्धि हुई है और 2010-11 में जीडीपी की 8.5% की वास्तविक वृद्धि दर की तुलना में यह बहुत निराशाजनक रूप से कम है।

शिक्षा वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे इसमें सबसे बड़ा झटका लगा है। उच्च शिक्षा के प्रति सरकार का रवैया इस बात से साफ हो गया है कि सरकार ने इस क्षेत्र पर उतना पैसा भी खर्च नहीं किया जितना उसने पिछले वर्ष के बजट में वादा किया था। जबकि 1011-12 में उसका बजट आवंटन 21912 करोड़ रु. था, इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह केवल 19844 करोड़ रु. दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष 2068 करोड़ रु. खर्च नहीं किए गए जो कि उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किए गए थे। सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उत्थान की बात करती रही है। लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले अनुदान में से 100 करोड़ रु. की कटौती को किस प्रकार न्यायोचित ठहराया जा सकता है? 2 करोड़ रु. की राशि 100 अल्पसंख्यक-बहुल शहरों/नगरों में शिक्षा के प्रसार के लिए दी गई है जिसका अर्थ कि मात्र 2 लाख रु. प्रति शहर के लिए। आर.जी.एन.एफ. में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है जिसे 2010-11 में 144 करोड़ रु. से कम कर 2011-12 में 123 करोड़ रु. कर दिया गया है। बजट में विद्यार्थी-ऋण हेतु आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है लेकिन, यह स्पष्ट है कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा पर राजसहयता को कम करना और फिर फीस-वृद्धि और विद्यार्थी-ऋणों की बात करना है।

विगत वर्ष अधिकांश मंत्रालयों के वास्तविक खर्च में शर्मनाक गिरावट आई है। एमजीएन आरईजीए जैसे अहम कार्यक्रमों में विगत वर्ष 9000 करोड़ रु. से अधिक की कमी देखने को मिली है जो कि अनुमानित बजट और संशोधित अनुमान के बीच का धन-अंतराल है। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए बजट में वास्तविक खर्चे में 1200 करोड़ रु. की कमी की गई। यह भी घाटा नियंत्रित करने की एक अघोषित विधि है। मुद्रास्फीति को देखते हुए, अधिकांश कार्यक्रमों के लिए आवंटन सर्वथा अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए, रिकार्ड बताते हैं कि अब तक अनुसूचित जाति उपघटक योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए हालांकि आवंटन में वृद्धि हुई है लेकिन यह अब भी योजना-व्यय के 16.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत के अपेक्षित धनांश से कम है और वस्तुत: यह पिछले वर्ष से भी कम है। यह क्रमश: मात्र 7 और 4 प्रतिशत ही है।

मैं 'हमारे देश में गरीबों की संख्या को कम करने' के योजना आयोग के भारी-भरकम कार्य के लिए उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा शहरी जनसंख्या के लिए 29 रु. प्रति व्यक्ति व्यय और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रु. प्रति व्यक्ति आंका गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेंक सिंह आहलूवालिया देश में निम्न गरीबी-सीमा के लिए एमएनएसएसओ द्वारा प्रदत्त गलत आंकड़ों को दोषी ठहरा रहे हैं। अधिकांश देशों में विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए मानव विकास सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार, भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। अब उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उससे गरीबों के हकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात की भी काफी चर्चा है कि राजसहायता को यूआईडी आधारित 'आधार' योजना से जोड़ा जाएगा। इस तरह के बदलाव से लाखों लोग राजसहायता की परिधि से बाहर होकर और अधिक दिक्कत झेलेंगे। तथापि, अब प्रश्न यही है कि और जिसका अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, कि अब कौन गरीबी रेखा से नीचे है? क्या यह वह व्यक्ति है जो शहरी भारत में रहता है और 28 रु. से कम व्यय करता है (2009-10); या फिर वह जिसका प्रति व्यक्ति व्यय 32 रु. (जून 2011) से कम है। भारत में गरीबी कम हुई है लेकिन गरीब और गरीब हो गए हैं। यह कहकर कि शहरों में 28.35 रु. का (और ग्रामीण क्षेत्रों में 22.42 रु.) का दैनिक व्यय करने वाला व्यक्ति ऊपर है-योजना आयोग ने हमारे राष्ट्र की सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपहास किया है।

मुझे संक्षेप में यह भी कहना है कि यह बजट कार्पोरेट और अमीरों का पक्षदार है जो कि बजट में स्पष्ट है। इसका राजकोषीय घाटा, कार्पोरेट और अमीरों को दी गई रियायत की तुलना में कम है। अमीरों पर लगाये जा रहे प्रत्यक्ष कर से राजकोष में 4580 करोड़ जा रहे हैं, जबकि इन पर अप्रत्यक्ष कर जिसकी मार सबसे

ज्यादा गरीबों और मध्यम वर्ग पर पड़ती है से यह राशि 45,940 करोड़ की होगी। राजस्वार्जन के लिए अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता के कारण सर्वत्र कीमतें बढ़ेंगी। ईंधन और उर्वरक राजसहायता को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कम रखने के बारे में वित्त मंत्री की चिंता, व्यपगत राजस्व के ब्यौरे में यथादर्शित, वर्ष 2011-12 के दौरान वसूल न किए गए 5.3 लाख करोड़ से अधिक की कर राशि पृष्ठभूमि में शेखी ही लगती है। इसमें से 50 हजार करोड़ से अधिक राशि तो कार्पोरेट जगत के लाभ पर कर-रियायत के रूप में गई है। धनी वर्ग को दी जाने वाली ऐसी राहसहायता अब सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है। वित्त मंत्री ने राजसहायता में कटौती अर्थात ईंधन पर 25 हजार करोड़ रु. और उर्वरकों पर 6000 करोड़ रुपये की कटौती की घोषणा की है। इससे मूल्य-वृद्धि अधिक होगी। उर्वरक खुदरा विक्रेताओं, एलपीजी और किरोसिन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के संबंध में बजट में घोषित प्रायोगिक परियोजनाएं आगामी मूल्य-वृद्धि का माहौल तैयार करती मरीचिकाएं हैं जिससे महंगाई आगे और बढ़ेगी। फिर, राजसहायता में कटौतियां अतार्किक हैं। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के नाम पर राजसहायता में यह कटौती की जा रही है। मुख्यतया, कार्पोरेट जगत से कम राजस्व-संग्रह के कारण बजट अनुमान की तुलना में सकल कर राजस्व में 30,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसके विपरीत राजकोषीय घाटा 5.29 लाख करोड़ रु. है। ऐसा राजसहायता के कारण नहीं बल्कि कार्पोरेट जगत को दी गई रियायत के कारण है। बड़े कार्पोरेट घरानों एवं धनी वर्गों पर प्रत्यक्ष कर लगाकर संसाधन जुटाने के बजाय बजट 2012 में दो प्रतिशत तक सेवा-कर और सामान्य उत्पाद शुल्क दर बढ़ाई गई है जिसका बोझ अपरिहार्य रूप से आम लोगों पर ही पड़ेगा।

जबकि सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में कार्पोरेट करों के कम होने का अनुमान लगाया गया है, अप्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ेगा। प्रत्यक्ष कर का कुल दरों से अनुपातांश वर्ष 2010-11 में 38 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 2012-13 में 35 प्रतिशत हो गया है। इससे सरकार की कराधान-प्रणाली शासन के पिछड़ने का पता चलता है। शेयर बाजार में निवेश हेतु प्रोत्साहन ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 9.5 प्रतिशत से गिरकर 8.25 प्रतिशत हो गई है। ऐसे विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले धन की निवेश में अंतर्ग्रस्त जोखिमों की अनदेखी करते हुए विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी निवेशकों को भी भारतीय शेयर बाजार व बांड बाजार में सट्टेबाजी की अनुमति दी जा रही है।

यह बजट धनी एवं और कार्पोरेट का बजट होने के अलावा इसमें निधि आवंटन का तरीका भी क्षेत्रीय भेदभाव से प्रेरित है। उदाहरण के लिए, केन्द्र ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना (जिसमें 5000 करोड़ रुपये से अधिक लागत आने का अनुमान है) को केवल 60 करोड़ रुपये आवंटित करके इसका उपहास किया है। केंद्रीय बजट 2011-12 में निर्धारित नए कराधनों से तो केरल पर्यटन की रीढ़ ही टूट जाएगी। यदि वातानुकूलित होटलों, अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को लेकर बताए गए विशिष्ट कर प्रस्ताव बहुत बुरे थे तो हवाई यात्रा पर सेवा-कर लगाना तो एक और करारी चोट थी जिससे 'ईश्वर का स्वदेश' माने जाने वाले इस राज्य की यात्रा बहुत अधिक खर्चीली बन गई है। इस राज्य की अन्य जरूरतों के अंतर्गत इसके कुछ पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देकर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। यद्यपि यह लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है, तथापि इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पलक्कड जिले में पड़ने वाला क्षेत्र यहां अच्छे स्कूल, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालयय आदि न होने के लिए प्रख्यात है। केरल की अपनी विगत यात्रा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केरल के लिए एक आईआईटी का वादा किया था पर उस सपने को अमली जामा पहनाने की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया। केरल में सबसे पिछड़ा जिला होने के कारण पलक्कड में ग्रामीण प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए एक संस्थान (सामुदायिक महाविद्यालय) की भी जरूरत है एक और सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र कृषि है। जबसे राज्य में कांग्रेस का शासन शुरू हुआ है, 8 माह की अवधि के भीतर ही किसानों द्वारा आत्महत्या के 40 से अधिक मामलों की खबर केरल से आई है। फसल की बर्बादी और उसका मूल्य न मिलना उनकी आत्महत्या का तात्कालिक कारण रहा है। उर्वरक मूल्य में वृद्धि एवं राजसहायता में कटौती सहित केन्द्र की अन्य नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे किसान और अधिक दु:ख में आ गए हैं। नारियल, सुपारी, काली मिर्च आदि जैसी नकदी फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। सामाजिक सशक्तीकरण भी एक चिंता का विषय है। सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाएं समाज के अंतिम ग्राही हैं और उनके सशक्तीकरण के लिए इस क्षेत्र में प्रभावी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में जनजातीय लोगों की जनसंख्या हेतु विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता थी और इस हेतु केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की अपेक्षा थी। समग्र रूप से वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट में केरल की विशेष आवश्यकता और मांगों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है।

नकारात्मक विकास रुझानों के बावजूद यह समझना मुश्किल हो रहा है कि भारत नव-उदारवाद के अपने एजेंडे पर अभी तक क्यों टिका हुआ है। विश्व भर में जनता स्वयं ही नव-उदारवाद के दुर्ग को ढाह रही है। यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि

नव-उदारवाद के मार्ग को अपनाना अनर्थकारी, अपमानजनक और गरीबों को हाशिए पर ढकेलना है। यू.एस., ब्रिटेन, फ्रांस आदि जैसे विकसित देशों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है। इन देशों में सरकारों को युवाओं में बेरोजगारी की अनायास बढ़ोतरी को समाप्त करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी भारत नव-उदारवाद को आगे बढ़कर अपना रहा है और 2012 का बजट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह स्पष्ट है कि बजट 2012 गरीबों की समस्याओं को दूर करने में सक्षम नहीं होगा और उनकी समस्याओं को संभवत: और बढ़ाएगा। इस बजट के माध्यम से सरकार ने एक बार फिर उदारवाद और निजीकरण के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। इसलिए मैं इस बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री एस. सेम्मलई** (सलेम): इस वर्ष के बजट से कोई राहत नहीं मिली है। इस बजट से आम आदमी परेशान हुआ है। महंगाई को रोकने तथा बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट में विकास और मुद्रास्फीति पर चर्चा नहीं की गई है। 2011 में निर्धारित राजकोषीय घाटा 4.6% रखने के लक्ष्य को हमने प्राप्त नहीं किया है। इस वर्ष के बजट में प्रस्तावित राजकोषीय घाटा 5.1% तक रखने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तथ्य यही है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हमारी प्रति व्यक्ति आय निम्न (2011 में वर्तमान यू.एस. डालर के स्तर पर 1529) बनी रहेगी। यह क्या इंगित करता है? विकास के संबंध में हमारे लंबे-चौड़े दावों का कोई अर्थ नहीं है। माननीय वित्त मंत्री निश्चित रूप से जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर पर कम निर्भर रहना और अप्रत्यक्ष कर से ज्यादा पैसा उगाहने की रणनीति को वित्त विशेषज्ञ भी नकार देंगे। वास्तव में उत्पाद कर में वृद्धि और सेवा कर को 10.1% से बढ़ाकर 12% करने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। एक साथ दोनों करों में वृद्धि करने से संभवत: घरेलू खर्च प्रभावित होगा और इस प्रकार, विकास दर में कमी आएगी। बचत देश के आर्थिक प्रदर्शन का मुख्य संकेतक है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी त्रैमासिक प्राक्कलन के अनुसार वर्तमान बाजार प्रक्रिया पर सकल घरेलू उत्पाद की दर के रूप में सकल घरेलू बचत 2009-10 में 33.87% से गिरकर 2010-11 में 32.3% हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 दर्शाता है कि इस गिरावट का कारण निजी बचतों, मुख्यत: वित्तीय परिसम्पत्तियों में घरेलू बचतों में कमी है।

यह इंगित करता है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भ्रामक है और यह वास्तव में गरीबों को लाभ प्रदान नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि सरकारी उधार बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से इससे ब्याज दरों पर दबाव पड़ता है। सप्रंग सरकार आम आदमी की प्रशंसा में गीत गाती है लेकिन इसके विपरीत काम करती है। राजसहायता में कटौती एक गलत संकेत है और यह आम आदमी को प्रभावित करेगी। किसान हमारे देश के आधार स्तंभ हैं। राजसहायता में कमी किसानों पर भी गहरा आघात है। भारत में कृषि एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें लोग अब भी निवेश से उत्पादकता सुधारने के लिए निवेश प्रोत्साहनों पर निर्भर हैं। जब उस क्षेत्र की स्थिति यह है तो फिर किसके कहने पर ऐसा कदम उठाया जा रहा है–माननीय वित्त मंत्री यह स्पष्ट करें।

माननीय वित्त मंत्री का राजसहायता को सीमित करने और राजकोषीय घाटे को कम करने का इरादा है। परन्तु मुझे यह संशय है कि इन दो उद्देश्यों को एक साथ किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा।

तथापि मैं कृष्क क्षेत्र और शिक्षा का अधिकार अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि का स्वागत करता हूं। सत्तापक्ष के सदस्य भी इस हेतु माननीय वित्त मंत्री की पहल की प्रशंसा करेंगे। अभी कल ही माननीय सदस्य श्री के. एस. राव ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा था कि कृषि क्षेत्र से आखिर क्या लाभ मिल रहा है, किसान को केवल 1 प्रतिशत दर से मुनाफा हो रहा है जबकि कार्पोरेट अथवा कारोबारी घरानों को 200 प्रतिशत लाभ हो रहा है। यद्यपि शिक्षा पर काफी पैसा खर्च किया गया है, परन्तु इसका केवल 6 प्रतिशत लाभ ही प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को मिल पा रहा है। और फिर, बुनियादी शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। यद्यपि, शिक्षा क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन किया गया है परन्तु उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता की दृष्टि से इसका परिणाम संतोषजनक नहीं है। इसका कारण नीतियों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि केवल आवंटन कर देना ही पर्याप्त नहीं है, राशि का उचित उपयोग भी आवश्यक है। इससे गुणवत्ता बढ़ने में सहायता मिलती है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री को चाहिए कि वे सभी मंत्रालयों को सचेत करें। स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटन एक स्वागत-योग्य कदम है। हथकरघा बुनकरों के लिए वित्तीय पैकेज भी एक बड़ी राहत है। मैं बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शीघ्र आरम्भ किए जाने की घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दोनों से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु के सलेम नगर निगम को उन शहरों की सूची में शामिल किया जाए जहां उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। स्टैंडर्ड सोने पर सीमा-शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का कदम मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा आघात है।

विनिवेश सरकार की वह प्रक्रिया है जिसमें वह अर्थव्यवस्था पर से अपना नियंत्रण कम करके निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता दे रही है। यह ऐसा है जैसे कि किराने के सामान का बिल अदा करने के लिए कोई अपना मकान बेचने लगे। वित्तीय सुदृढ़ीकरण का यह

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विवेकपूर्ण उपाय नहीं है। साइकिलों पर बुनियादी सीमा-शुल्क को 10% से बढ़ाकर 30% करने से निम्न मध्यम वर्ग प्रभावित होगा। क्या इसका हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनावों से कोई संबंध है जहां 'साइकिल' चुनाव चिह्न वाली समाजवादी पार्टी को विजय प्राप्त हुई है? कुल मिलाकर बजट में कुछ सकारातमक बातें तो हैं लेकिन नकारात्मक बातें ज्यादा हैं। तो, वर्ष 2012-12 का यह बजट विकास की ओर प्रेरित नहीं करता बल्कि आम आदमी पर अधिक बोझ डालता है। जैसा कि हमारी आदरणीय नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुराची तलैवी ने कहा है "वर्ष 2012-13 का यह बजट एक फिजूल की कवायद है और इसकी नई बातों से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला!"

***श्री पी. कुमार** (तिरूचिरापल्ली): हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा यह आम बजट ऐसे समय प्रस्तुत किया गया है जब देश में भारी महंगाई है और प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि हम समग्रत: इस बजट को देखें तो यह अत्यंत निराशाजनक है जिसमें आम आदमी की कोई भलाई नहीं है और इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी।

यह बजट बढ़ती मुद्रास्फीति और देश की अर्थव्यवस्था की समस्या का ठोस समाधान करने में असफल रहा है। माननीय मंत्री ने मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे आयकर में कुछ मामूली राहत देने की घोषणा की है।

आयकर की सीमा में 20000 रु. की मामूली वृद्धि की गई है और इसे मौजूदा 1,80,000 रु. से बढ़ाकर 2,00,000 रु. कर दिया गया है। 20,000 रु. पर 10% की कर छूट, अर्थात मात्र 200 रु. की छूट देकर माननीय मंत्री महोदय ने मध्यम वर्ग, विशेषकर वेतनभोगी लोगों का अपमान किया है। सरकार को यह समझना पड़ेगा कि मध्यम वर्ग के लोग आयकर में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और ये वे लोग हैं जो कर देने से कभी नहीं बचते। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वेतनभोगी लोगों के लिए आयकर-सीमा में बढ़ोतरी की जाए। यहां तक कि 200 रु. की यह मामूली रियायत मध्यम वर्ग को वस्तुत: मदद नहीं करेगी जिसकी क्रय शक्ति काफी घट गई है। यह विश्व भर में स्वीकार किया जा चुका है कि अमीर लोगों पर अधिक कर लगाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी भुगतान करने की क्षमता है। परन्तु विडम्बना है कि केन्द्रीय सरकार राजस्व सृजन हेतु केवल आम आदमियों को निशाना बनाती है और अमीरों को काला धन एकत्रित करने देती है।

मैं काले धन के मुद्दे पर काफी चिंतित हूं और इस धन को निकालकर विदेशों में जमा किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि स्विस बैंकों में काले धन धारकों की सूची में हमारा देश शीर्ष पर है। प्रत्येक वर्ष यह राशि तीव्र गति से बढ़ रही है परन्तु सरकार ने काफी समय से इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

काले धन की कुल मात्रा हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद का 40% है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा राष्ट्र जहां 450 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वह विदेशी बैंकों में खाताधारकों की सूची में शीर्ष पर है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने केवल यही कहा है कि काले धन पर एक श्वेत पत्र संसद में रखा जाएगा। माननीय मंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि विदेशों में परिसंपत्तियों की अनिवार्य घोषणा और कुछ विदेशी सरकारों के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौतों जैसे उपाय किए गए हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उचित कार्य योजना के अभाव में मात्र घोषणाएं हमारे देश में काले धन को वापस लाने में यह मदद नहीं करेगी और ऐसी अप्रभावी घोषणाएं केवल छलावा मात्र हैं।

माननीय मंत्री ने घोषणा की है कि कृषि और सहकारिता विभाग हेतु कुल योजना परिव्यय 2011-12 में 17,123 करोड़ रु. से 18 प्रतिशत बढ़ाकर 2012 में 20,208 करोड़ रु. कर दिया गया है। परन्तु इस योजना परिव्यय के साथ 4 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। कृषि और अनुसंधान विज्ञान के लिए अधिक आवंटन किया जाए।

इस संबंध में मुझे निराशा है कि कृषि अनुसंधान और विकास हेतु माननीय मंत्री ने 200 करोड़ रु. के आवंटन की घोषणा की है, जो कि संस्थानों और ऐसी वैज्ञानिक खोजों हेतु उत्तरदायी अनुसंधान दल को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादकता को इस समय बढ़ाना महत्वपूर्ण है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्याप्त निधियों का आवंटन कर कृषि अनुसंधान कार्यकलापों को अधिक वरीयता दी जाए।

इसके अतिरिक्त सेवा कर को 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने से आम आदमी पर अतिरिक्त भार पड़ा है। महंगाई से त्रस्त लोगों को अब अधिक बिल देने पड़ रहे हैं। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करने का एक अन्य तरीका है। सेवा कर में यह वृद्धि प्रगतिशील राज्य सरकारों को भी प्रभावित करेगी।

बच्चों में कुपोषण देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह कहा जाता है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना एक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। माननीय मंत्री ने आईसीडीएस योजना हेतु 15,850 करोड़ रु. भी आवंटित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किए हैं। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 58% अधिक है। परन्तु निधियों के आवंटन मात्र से लक्षित परिणाम नहीं आएंगे जब तक कि इसे प्रभावी ढंग से लागू न किया जाए।

अभी भी लगभग 42 प्रतिशत बच्चों का वजन कम है और वे कुपोषण से ग्रस्त हैं। बच्चों में कुपोषण व्याप्तता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। अतएव कुपोषण की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में आईसीडीएस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए पहल की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत आवंटन को 2011-12 में 6158 करोड़ रु. से बढ़ाकर 8447 करोड़ रु. कर दिया गया है। बीपीएल लाभार्थियों हेतु चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन राशि को 200 रु. से बढ़ाकर 300 रु. किया गया है।

इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरथची थलाईवी अम्मा वृद्ध लोगों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दे रही है। इसे एक उदाहरण के रूप में ध्यान में रखते हुए सरकार को पेंशन की न्यून 300 रुपए की राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए क्योंकि इस राशि से इसके लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी।

अवसंरचना का जहां तक संबंध है, अवसंरचना के विकास को आवश्यक महत्व नहीं प्रदान किया गया है। योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। विकास के लिए अत्यावश्यक विद्युत क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, सड़कों, पुलों, सिंचाई इत्यादि में भी भारी निवेश की आवश्यकता है। चूंकि सरकार स्वयं ही इन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश नहीं कर सकती इसलिए व्यापक रूप से निजी निवेश और पीपीपी वाली परियोजनाओं की आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे तदनुसार ही आवश्यक उपाय करे।

अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व, मैं उन लोगों के प्रति केन्द्र सरकार की निष्ठुरता के बारे में बताना चाहता हूं जो लोग हाल के थाणे चक्रवात, जिसने तमिलनाडु के कुछ जिलों में तबाही फैलाई थी, द्वारा बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। माननीय अम्मा के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार लगातार पुनर्वास उपाय करती रही है। किंतु केन्द्र सरकार द्वारा शुरूआती 500 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

इस चक्रवात में हजारों पेड़ गिर गए और कई किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे तमिलनाडु राज्य में प्रभावित किसानों की स्थिति पर विचार करें और ऋण माफी योजना, सब्सिडी में वृद्धि एवं कृषि हेतु ऋण सुविधा इत्यादि जैसी कतिपय पुनर्वास योजनाओं सहित आवश्यक राहत पैकेज की घोषणा करे।

[हिन्दी]

***श्री दत्ता मेघे** (वर्धा): सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात के बधाई देना चाहता हूं की उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के जमीनी हकीकत का ध्यान रखा है। यह बात वित्त मंत्री जी ने अपने पोस्ट बजट टिप्पणी में भी दोहराई है। एक तरफ उन्होंने जहां देश के किसानों के लिए खजाना खोल दिया है वहां मध्य वर्ग को ढाई लाख तक आयकर में छूट दी है। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी। हम सब यह जानते हैं कि बजट में सभी वर्गो को खुश रखना संभव नहीं है। वैश्विक हालात को देखे तो यह बजट काफी सकारात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजमर्रा वस्तुओं के ऊंचे दाम, विकसित देशों में अनिश्चितता, तेल के दामों में अस्थिरता जैसी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था पर लगातार दवाब बना रही है। यह हमारी खुशनसिबी है की हमारे घरेलू बाजार पर वैश्विक हालात का परिणाम नहीं हुआ जितना अन्य देशों पर हुआ है। वित्त मंत्री जी ने जो भी कदम उठाये हैं वह सब स्वागत योग्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से भविष्य के भारत का ध्यान रखा है और ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को उबारने का समुचित प्रबन्ध किया है।

मैं सरकार का ध्यान मुख्यत: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण भारत निर्माण योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष ग्रामीण भारत निर्माण योजनाओं के अच्छी राशि आवंटित की गयी है। पीने के पानी के लिये पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत बढ़ाकर 14 हजार करोड़ की गई है, गृह निर्माण के लिये 4 हजार करोड़ और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 24 हजार करोड़ आवंटित किये गये हैं। इसके पहले भी सरकार ने कृषि और ग्रामीण भारत की दशा सुधारने की कोशिश की है लेकिन आवंटित राशि का सही उपयोग में लाना सरकार के लिय हमेशा टेढ़ी खीर रही है जिस कारण केन्द्र सरकार द्वारा योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किये होते हैं वह बेनेफिशरी तक पहुंचते-पहुंचते सिकुड़कर एक चौथाई से भी कम रह जाते हैं। कोई भी राज्य सरकार लक्ष्य प्राप्त करना तो दूर, इसके आस-पास तक पहुंचने में भी सफल नहीं होते। ऐसी योजनाओं का मकसद सिर्फ शोषित-वंचित लोगों का उत्थान करना नहीं है

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बल्कि मौजूदा क्षेत्रीय व सामाजिक असंतुलन को खत्म कर के इन में एकरूपता भी लाना है। आज आवश्यकता है कि सरकार ग्रामीण विकास को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दे, जिस कारण गांवों में हो रहे पलायन को हम रोक सकें।

यह खुशी की बात है कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर गंभीरता से सोचा है और सर्व शिक्षा अभियान को 25,555 करोड़ धन की व्यवस्था की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिये, उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमारे विद्वानों का प्रतिशत बढ़ना चाहिये और तंत्र प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे देश में स्कूलों की कमी को देखते हुए, बारहवीं योजना में 6000 नये मॉडल स्कूलों का बजट में प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो इसलिये ऋण गारंटी कोष की स्थापना की घोषणा की है। सरकार के इस घोषणा से निश्चित ही गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को फायदा होगा।

वित्त मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य के लिए 2012-13 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, (1) हमारा देश पोलिओ से मुक्त हो गया है एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। (2) कैन्सर, एड्स, बी.पी. जैसी बीमारियों में उपयोग में आने वाली दवाईयां और उपकरण सस्ते किये हैं। (3) मौजुदा टीका यूनिटों का आधुनिकीकरण और चैन्नई में नया टीका युनिट स्थापित किया जायेगा। (4) आशा कार्यकर्ताओं का और विस्तार किया जायेगा और उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जायेगी।

एनआरएचएम के लिए 18,115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,822 करोड़ रुपए किया गया है। स्वास्थ्य मिशन योजना शहरी क्षेत्रों में भी लागू होगी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 20,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एम्स की तर्ज पर देश भर में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की जाएगी।

इन सब योजनाओं को देखकर लगता है कि वित्त मंत्री जी ने देश की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर उचित ध्यान दिया है। मैं सरकार का ध्यान ग्रामीण की तरफ दिलाना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मरीजों का समय पर इलाज नहीं होता और अनेक बार मरीज की मृत्यु हो जाती है।

शहरों की तुलना में गांवों में डाक्टरों का प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि, जो डाक्टर गांवों में और दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए और उनको विशेष पदोन्नति भी दी जानी चाहिए।

अंत मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह सही है कि महाराष्ट्र अन्य राज्यों के तुलना में विकसित है। लेकिन यह विकास उस शरीर की तरह है जिसका एक हाथ स्वस्थ है और दूसरा अस्वस्थ है मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह पश्चिम महाराष्ट्र का विकास हुआ है, उसकी तुलना में हमारे विदर्भ का विकास नहीं के बराबर है। मैं अपने सारे संसदीय कार्यकाल में लगातार विदर्भ पिछड़ेपन की बात उठाते आया हू लेकिन दुर्भाग्य से मुझे यह कहना पड़ रहा है की विदर्भ की एक भी समस्या आज तक हल नही हुई है। मैं उन समस्याओं को फिर उजागर करना चाहूंगा।

नागपुर शहर में मिहान (मल्टीमोडल हब एअरपोर्ट) प्रकल्प की घोषणा किए तीन वर्ष हो चुके हैं, देश तथा विदर्भ की तकदीर बदलने वाला यह प्रकल्प आज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है मुझे दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है कि जिस रफ्तार से मिहान का काम होना चाहिए वह कहीं भी दिखाई नहीं देता। भारतीय वायुसेना की 278 हेक्टेयर जमीन और उसके बदले वायुसेना को 400 हेक्टेयर जमीन देने के करार पर मिहान कंपनी और वायुसेना में सहमति बन चुकी है पर इस समझौते पर कारवाई अभी तक होनी बाकी है, जिस कारण मिहान प्रकल्प पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

हमारी दूसरी मांग कृषि सिंचाई को लेकर है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा की उन्होंने किसानों की अनदेखी नहीं की। इस वर्ष के बजट में खेती के लिये खर्च की सीमा 5.75 करोड़ कर दी गई है जो पिछले वर्ष के तुलना में एक लाख करोड़ ज्यादा है। आपको यह मालूम होगा की विदर्भ अवर्षण ग्रस्त क्षेत्र है। यहां की सारी खेती मानसून पर आश्रित है। अगर मानसून मेहरबान रहा तो कपास, सोयाबीन है दलहन की फसल होती है नहीं तो हमारे नसीब में अकाल तय है। पिछले साठ वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया जिस कारण किसानों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। विदर्भ की नब्बे फीसदी जनता खेती पर निर्भर है। विदर्भ का किसान मेहनती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई व्यवस्था की गई तो दूसरी हरित क्रांति में देरी नहीं होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में सिंचाई व्यवस्था के लिये काफी राशि उपलब्ध कराने की बात कही है। अगर सरकार इस राशि में से कुछ राशि विदर्भ के सिंचाई व्यवस्था को देती है तो, हमारे पीने के पानी की समस्या, खेती के पानी की समस्या और अकाल से हमेशा के लिये मुक्ति मिलेगी और लगातार हो रही किसान आत्महत्याओं पर रोक लगेगी।

इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान सोने पर जो एक्साईज ड्यूटी लगाई जा रही है उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरे देखने में आया है कि सर्राफ स्वर्णकार सभी लोग इससे चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं फिर से एक्साईज इंस्पेक्टर का राज शुरू ना हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक्साईज ड्यूटी तुरंत हटाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

***श्रीमती जे. हेलन डेविडसन** (कन्याकुमारी): मैं, 16 मार्च, 2012 को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के आम बजट पर विचार साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं वर्ष 2012-13 के लिए ऐसे प्रभावी और विकासोन्मुख बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देती हूं।

हमारे देश के समक्ष कई चुनौतियां हैं। हमारे पास बहुत संसाधन हैं और इनके इस्तेमाल से हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। मैं मानती हूं कि जो चुनौतियां हमारे राष्ट्र के समक्ष हैं, इनसे निपटने के लिए यह बजट पूर्णत: उपयुक्त और विकासोन्मुखी है। वर्तमान में हमारी आर्थिक विकास दर 7.6 प्रतिशत है और आशा है कि यह और बेहतर होगी। वैश्विक मंदी के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखा है। किंतु मैं यह बताना चाहती हूं कि कृषि क्षेत्र में विकास दर में कमी आई है जो 2.5 प्रतिशत के आसपास है। आज हमारे किसानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उनके उत्पादों का विपणन है। उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सरकार को हमारे किसानों के लिए इस संदर्भ में अधिक ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी कड़ी मेहनत फलदायी हो सके।

सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों के लिए लगभग एक लाख छियासठ हजार करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव है तथा यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

'मनरेगा' योजना के लिए चालीस हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे जिसमें से 31 हजार करोड़ रुपये व्यय किए गए एवं 9 हजार करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर 25,555 करोड़ रु. व्यय करने का प्रस्ताव है जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है।

बजट में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमएसवाई) के लिए 24 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया जो विगत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए आवंटन में 19 प्रतिशत वृद्धि कर 18,515 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के आवंटन को 68 प्रतिशत बढ़ाकर 12,522 करोड़ रु. कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना, मध्याहन भोजन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा समेकित बाल विकास योजना आदि के आवंटन में वृद्धि की गई है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आयकर छूट की सीमा को एक लाख अस्सी हजार से बढ़ाकर दो लाख करने की घोषणा की है। आयकर दाताओं के लाभ के लिए वैयक्तिक आयकर के स्लैब में बदलाव किया गया है। मेरा वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि वह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से समाज के गरीब तबकों के कौशल में वृद्धि पर ज्यादा ध्यान दें। हमें ब्याज दरों को कम करने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते रहना कोई समाधान नहीं है। मैं अनुरोध करती हूं कि शिक्षा ऋण पर ब्याज दर में और कमी की जाए।

पूरे देश विशेषकर मेरे राज्य तमिलनाडु में समाज के गरीब तबके के छात्र अपना अध्ययन बड़ी कठिनाई से करते हैं। वे अपने आगे के अध्ययन के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह छात्रों और उनके अभिभावकों पर से बोझ कम करने के लिए ब्याज दर कम करें तथा यदि संभव हो, तो हमारे समाज के गरीब और अध्ययनशील छात्रों के लिए ब्याज माफ कर दें।

मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ देने के लिए आवास ऋण पर ब्याज दर का उचित निर्धारण किया जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह मेरे अनुरोधों पर विचार करें।

मैं पुन: वित्त मंत्री को बजट में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से लाभप्रद प्रावधान की घोषणा करने एवं इसे अधिक विकासोन्मुख तथा फलदायी बनाने के लिए बधाई देती हूं।

[हिन्दी]

***श्री हरिभाऊ जावले** (रावेर): 2012-13 के जनरल बजट पर मेरे विचार मैं सदन में रखना चाहता हूं। यह 2012-13 का बजट 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक हालात देखते हुए इस साल का बजट सरकार की तरफ से बेहद अहम माना जा रहा है। इस बजट का कुल अनुमान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

14,909.25 अरब रुपये है। इसमें 5135.90 अरब रुपये का राजकोषीय घाटा छोड़ा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत है। कुल प्रस्तावित खर्च में सिर्फ 5210.25 अरब रुपये की राशि का प्रावधान योजनागत मद से किया गया है और बाकि भरकम 9699.00 अरब रुपये की राशि गैर योजनागत मदों में खर्च होगी।

योजनागत प्रावधान में गत वर्ष के कृषि आवंटन में 18 प्रतिशत बढ़ाकर 20,208 करोड़ कर दिया है। कृषि कर्ज 5,75,000 करोड़ किया है इससे थोड़ी बहुत राहत किसानों को मिल सकती है लेकिन सरकार जो खाद्य सुरक्षा बिल ला रही है उसे अच्छी तरह से लागू करने के लिए जो कृषि विकास दर 4 प्रतिशत चाहिये उसके लिए काफी नहीं है।

65 प्रतिशत जनता को सरकार उस बिल के माध्यम से सस्ता अनाज देना चाहती है। जनता के लिए यह बिल लुभावना होगा लेकिन उसका पूरा बोझ किसानों पर पड़ने वाला है। इसके लिए किसानों को ज्यादा उत्पादन निकालना पड़ेगा।

मैं माननीय प्रणब दा के सामने किसानों के लिए ओर सरकार का मिशन पूरा करने के लिए कुल मांगें रखना चाहता हूं।

1. खाद्य सुरक्षा बिल आने के बाद काम करने वाले हाथ कम होने की आशंका हैं। खेती में काम करने के लिए आज ही मजदूर मिलते नहीं, इस बिल के बाद उसमें कटौती हो जाएगी इसके लिए खेती में काम करने वाले मजदूरों को उसके जमीन के मुताबिक मनरेगा से मजदूरी मिलना चाहिए।

2. ज्यादा उत्पादन निकालने के लिए किसानों को सिंचाई, ऊर्जा और कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था जिसमें खेती अन्तर्गत कटाई के रास्ते और भंडारण गृह की व्यवस्था मिलनी चाहिए।

पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा कहा गया था कि एक साल में पूरे देश में काम से कम 50,000 करोड़ का नुकसान खाद्यान्नों के खेत से मुख्य रास्ते पर लाने की व्यवस्था न होने से और भंडारण की समस्या को लेकर होता है।

मैं मांग करता हूं कि किसानों की कटाई के रास्ते बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये और भंडारण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें करना चाहिए। मेरे जलगांव क्षेत्र से पूरे देश में केला (बनाना) जाता है। पूरा केला हमें बारिश में निकालना पड़ता है। खाद्यान्न कभी-कभी बारिश में निकालना पड़ता है। इसके लिए 109 करोड़ रुपये का एक प्रायोगिक परियोजना (जलगांव जिले के कटाई के रास्ते बनाने का) राज्य सरकार के माध्यम से हमने केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास भेजना है, ये कटाई के रास्ते का प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी देने के बारे में मैंने योजना आयोग के अध्यक्ष, माननीय अर्थ मंत्री प्रणबदा को पत्र देकर मांग भी की है, कृपया देश के किसानों के इस पथदर्शी प्रस्ताव को आप मंजूर कीजिए। पंत प्रधान ग्रामीण सड़क योजना लागू करने के बाद माननीय अटल जी का नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लिया जाता है। माननीय प्रणब दा आप ये खेती अंतर्गत कटाई के रास्ते की योजना शुरू करो, आपका भी नाम देश के किसानों की जुबानों पर होगा।

सिंचन के लिए देश की पूरी 13 लाख वाटर बाडीज आर.आर.आर. (थ्री आर) योजना के माध्यम से तैयार करनी चाहिए। ए.आई.बी.पी. योजना के माध्यम से अधूरी सिंचन योजनाएं त्वरित पूरी करने के लिए गति दिया जाना जरूरी है। कृत्रिम पुनर्भरण के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले में तापी नदी पर मेगा रिचार्ज स्कीम का प्रस्ताव सी.जी.डब्ल्यू.बी. की ओर से देने के बाद भी मंजूर नहीं है, उसे मंजूरी मिलना चाहिए। ऊर्जा का पूरा प्रावधान किसानों के लिए होना चाहिए। उर्वरक समय पर और सस्ती कीमत पर मिलना जरूरी है।

मेरी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अर्थ मंत्री जी से मांग रहेगी कि खाद्य सुरक्षा बिल को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय को स्वतंत्र बजट मिलना चाहिए। देश के 6.5 लाख गांवों में खेती है, किसान हैं, 60 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। देश का विकास कृषि विकास पर निर्भर है तो उसके लिए स्वतंत्र बजट होना ही चाहिए।

सर्वसामान्य कर दाताओं की मांग थी कि आयकर में 3.00 लाख रुपये तक की आय तक की आयकर में छूट मिलनी चाहिए, यह मांग पूरी करनी चाहिए।

सोने के गहने बनाने के लिए उत्पादन पर 0.3 प्रतिशत एक्साइज डयूटी लगाई है, उसे रद्द करना चाहिए क्योंकि उस पर 50 लाख कारीगरों का भविष्य निर्भर है।

[अनुवाद]

***श्री एन. पीताम्बर कुरूप** (कोल्लम): आम बजट 2011-12 यह दर्शाता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष 8.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि के पश्चात 2011-12 में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। तुलनात्मक रूप से भारत अभी भी आर्थिक वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। हमारा कृषि क्षेत्र अच्छी तरक्की कर रहा है। भारत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की आर्थिक मंदी के लिए कम औद्योगिक वृद्धि लगभग पूरी तरह जिम्मेदार है।

आगामी वित्त वर्ष के दौरान पांच लक्ष्य चिन्हित किए गए हैं:

1. घरेलू मांग आधारित वृद्धि दर पुन: प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना;
2. निजी निवेश में उच्च वृद्धि दर शीघ्र प्राप्त करने हेतु वातावरण तैयार करना;
3. विशेष रूप से कोयला, बिजली, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और नागर विमानन सहित कृषि, ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्रों में आपूर्ति के गतिरोध को दूर करना;
4. विशेष रूप से अत्यधिक प्रभावित 200 जिलों में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए निर्णायक हस्तक्षेप करना; और
5. परिदान प्रणाली, शासन और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए तथा काला धन और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान हेतु लिए गए निर्णयों का शीघ्र एवं समन्वित कार्यान्वयन।

हमारे देश में पिछले एक वर्ष में पोलियो का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जैसी संस्थाओं की स्थापना करना तथा 7 और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रोन्नयन को शामिल करने के लिए मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रोन्नयन अवश्यंभावी हो गया है। इससे वहनीय तृतीयक चिकित्सा विद्याओं की उपलब्धता बढ़ेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण कामगारों के लिए एक प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दर है। इससे आर्थिक तंगी के कारण होने वाले प्रयास में कमी आई है। सामुदायिक परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं और बंजर और परती जमीन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

बीपीएल लाभार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन राशि को 200/- रुपये से बढ़ाकर 300/- रुपये कर दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक परिवार के 18 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु पर उस समय दी जा रही एकमुश्त राशि 10,000 रु. को दोगुना करके 20,000/- रुपये कर दिया गया है और इतनी ही राशि का अंशदान राज्य सरकारों से अपेक्षित है। इस बजट में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस को मूल शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

अगले पांच वर्षों में भारतीय रेल यात्री सुरक्षा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। ये परियोजनाएं तीव्र गति वाली रेलगाड़ी के लिए रेलगाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली अधिष्ठापित करना और रेल पटरी अवसरंचना का उन्नयन करना है। इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपकरणों पर से मूल उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस बजट की महत्वपूर्ण बात यह है कि छह विशिष्ट जीवन-रक्षक औषधियां/टीके उत्पाद शुल्क सी.वी.डी. से पूर्णत: मुक्त कर दिए गए हैं। इन्हें एच.आई.वी./एड्स, गुर्दे के कैंसर आदि जैसी बीमारियों के उपचार या रोकथाम हेतु उपयोग किया जाता है।

महिलाओं और बच्चों में प्रोटीन की कमी और कुपोषण को रोकने के लिए सोया प्रोटीन कंसेंण्ट्रेट और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन पर क्रमश: 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से आयोडीन की कमी और इससे संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं में उत्पाद शुल्क में 6 प्रतिशत की कमी के साथ ही बुनियादी सीमा शुल्क में 2.5 प्रतिशत की कमी दी गई है। जीवाणु संक्रमण इलाज के लिए प्रोवायोटिक्स एक किफायती साधन है। अत: इन पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को 10 से 15 प्रतिशत तक घटा दिया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए संतुलित और वृद्धि आधारित आम बजट का समर्थन करते हुए सरकार से, केरल राज्य की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केरल के कोल्लम में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्तर की एक संस्था की स्थापना की जाए।

महात्मा गांधी के महान आदर्शों का अनुपालन करने वाले खादी कर्मियों के हितों की रक्षा की जाए। उनको एक विशेष वित्तीय पैकेज दिया जाए। उनके वेतन और पेंशन को बढ़ाया जाये।

कायर, हथकरघा, काजू और मछुआरे समुदाय बहुत परेशानी में हैं। इनको आवास सुविधा और विशेष वित्तीय पैकेज दिया जाए।

ऑटो, टैक्सी और अन्य निजी चालक बहुत परेशान हैं। उनको और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन सुविधा प्रदान की जाए।

घरेलू नौकरानियों और रसोइयों के समुदाय की हमारे देश में अत्यधिक अनदेखी की गई है।

इनको वित्तीय सहायता, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त कानून का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

निर्धन परिवारों और उन गरीब परिवारों, जो अपनी बेटी के विवाह के दौरान सोना खरीदते हैं, की मदद करने के लिए सोने और चांदी की खरीद पर लगाए जाने वाले दो प्रतिशत कर के प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए।

पेटेंट-धारकों के अलावा कंपनियों को जीवन-रक्षक दवाएं बनाने की अनुमति देने संबंधी सरकार के बड़े फैसले से देश में दवाओं की कीमतें कम करने में मदद मिली है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस निर्णय को सभी दवा उत्पादक कंपनियों तक विस्तारित करें ताकि देश में दवाओं की कीमतें सस्ती हो सकें।

देश में केरल रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। रबर के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पुनालुर, कोल्लम में एक रबर पार्क विकसित किया जाना चाहिए।

केरल में काजू श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता के पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

समुद्र में हत्याओं, हमलों और कठिनाइयों को झेलने वाले मछुआरों के जीवन की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून अधिनियमित किया जाना चाहिए।

केरल में कुट्टनाड के विकास के लिए पूर्व में घोषित किए गए वित्तीय पैकेज को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

छात्रों को आसानी से ऋण लेने में मदद करने के लिए बैंकों के कठोर ऋण नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए। छात्रों को दिए गए शैक्षिक ऋण का ब्याज माफ किया जा सकता है।

केरल को अधिक चावल, चीनी और गेहूं आवंटित किया जाना चाहिए क्योंकि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी मजबूत और पारदर्शी है।

केरल में एक आईआईटी की स्थापना की जानी चाहिए।

केंद्रीय सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के फायदे के लिए कोल्लम में एक सीजीएचएस केंद्र खोला जाना चाहिए।

कोल्लम, केरल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के उप-केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए।

कोल्लम में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए वहां एक समुद्र जल-शोधन केंद्र खोला जाना चाहिए।

केरल के लिए एक विशेष अकाल सहायता पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री आर. थामराईसेलवन** (धर्मापुरी): हमारे प्रिय नेता डॉ. कलैनार ने माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी है कि यह बजट स्वागत और परिहार्य विशेषताओं का मिश्रण है और लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में इसकी क्षमता को अभी देखना होगा।

बजट के कुछ सकारात्मक पहलू हैं-विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण और कृषि अनुसंधान के संबंध में, परंतु यह युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के विषय में बिल्कुल मौन है। हाल ही के एक आर्थिक सर्वेक्षण ने उल्लेख किया है कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान पिछले वर्ष के 14.5 प्रतिशत के मुकाबले 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के 13.9 प्रतिशत तक नीचे आया है और ग्रामीण भारत में कृषि अब भी रोजगार प्रदान करने वाला प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियोजित प्रति एक हजार लोगों में से 750 से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का घटता हुआ योगदान रोजगार के लिए एक बढ़ती हुई जिम्मेदारी बन रहा है। हमारी आबादी अधिकांशत: युवा है और 2020 तक भारत नौजवानों का राष्ट्र होगा। दुर्भाग्य से कृषि की ओर युवाओं को आकर्षित करने और इस क्षेत्र में उन्हें बनाए रखने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, जो आज भारतीय कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसा खाद्य सुरक्षा विधेयक, जो निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देता है, लागू होने के साथ ही उत्पादकता, लाभप्रदता और सुलभता सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो गया है। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पुरुष-महिलाओं को कृषि को पेशे के तौर पर अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाने होंगे।

साइकिल आम आदमी का वाहन है और उस पर सीमा-शुल्क 30 प्रतिशत तक बढ़ाने से परहेज किया जाना चाहिए था। विनिवेश प्रस्ताव कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं है और यह अस्वीकार्य है। हालांकि, कृषि क्षेत्र और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 18 प्रतिशत वृद्धि, कृषि ऋण के लिए 5.75 खरब रु.

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का आवंटन; 3804 करोड़ रु. के बुनकर ऋण को बट्टे खाते में डालना; राजीव गांधी के नाम पर इक्विटी निवेश योजना; टीकाकरण इकाई की स्थापना, फिल्म उद्योग को सेवा-कर से छूट और पिछले वर्ष एक भी पोलियो का मामला दर्ज न होना; स्वागत योग्य है। उर्वरकों, एलपीजी और केरोसिन पर लाभार्थी को प्रत्यक्ष राजसहायता प्रदान करने की घोषणा एक सराहनीय कदम है। हालांकि, गरीबों के लिए राजसहायता में कमी का परिहार किया जाना चाहिए। इसलिए, जैसा कि हमारे प्रिय नेता डॉ. कलैनार ने कहा है यह बजट एक मिश्रित बजट है।

मुझे यह कहते हुए भी खेद है कि बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने, घटाने या इनका नियंत्रण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

एक अन्य बात, जो मैं कहना चाहूंगा, वह स्वास्थ्य से संबंधित है। वस्तुत: स्वास्थ्य ही धन है और देश के लोगों का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपदा है। स्वास्थ्य-देखभाल पर, वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए मात्र 2700 करोड़ रु. की आवंटन वृद्धि घोषित की है। माननीय वित्त मंत्री ने कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेहतर तृतीयक स्वास्थ्यचर्या के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना और सुधार शुरू करने की घोषणा की है। यह सराहनीय है, लेकिन इनमें से कोई भी उन सुधार-प्रस्तावों के स्तर का नहीं है जो अभी खोलना उपयोग के बराबर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण बहुत नहीं बदला है। यूएचसी के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार प्रदान करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य पैकेज को आगे बढ़ाने के लिए अधिक सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी।

इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सरकार को स्वास्थ्य पर खर्च को कम से कम राष्ट्रीय जीडीपी का 2.5 प्रतिशत करना चाहिए जो वर्तमान में 1.2 है। राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के अनुमानित बजट को पार कर गया जबकि प्रारंभ से ही जोर घाटा कम करने पर था। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए कोई ठोस सिद्धांत आपके पास नहीं है जबकि भारत में सार्वजनिक ऋण और जीडीपी का अनुपात 2010-11 के 51.2% से घटकर 2011-12 में 45.71% पर आ गया है। तथापि, राजकोषीय घाटा कम करने की धुन में वित्त मंत्री द्वारा कुछ विचित्र नीतियों की घोषणाएं की गई हैं।

सबसे पहले तो यह कि राजकोषीय घाटा कैसे कम किया जाए? यह दो विकल्पों से किया जा सकता है: या तो कर-संग्रहण में वृद्धि करके या फिर व्यय कम करके। कर-संग्रहण के संदर्भ में कहूं तो, प्रत्यक्ष-कर-संग्रहण में काफी कमी आई है, और इस विषय में तार्किक कदम होगा–प्रत्यक्ष कर-संग्रहण को बढ़ाना। लेकिन वित्त मंत्री ने यह निर्णय लिया है कि वेतन-भोगी लोगों को कर में राहत दी जाए और कार्पोरेट जगत से कर संग्रहण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हीं के शब्दों में कहा जाए तो वेतन भोगियों को दी गई कर-राहत के कारण 4500 करोड़ रु. की राजस्व-हानि होगी। कर-संग्रहण बढ़ाने हेतु, वित्त मंत्री जी को भरोसा है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके 45940 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सामान्य अर्थशास्त्र कहता है कि प्रत्यक्ष कर के बजाए अप्रत्यक्ष कर से राजस्व जुटाना प्रतिगामी कदम होता है। दूसरी तरफ, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से ही चेतावनी दी है कि और अप्रत्यक्ष करों पर मुद्रास्फीति बढ़ने के खतरे की। ऐसी निर्भरता सरकार की महंगाई कम करने की प्रतिबद्धता पर संदेह उत्पन्न करती है। तथापि यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बहुत सी वस्तुएं, जिन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है, विलासिता की वस्तुए हैं, अत: इसका स्वागत है। परन्तु प्रतिभूति संव्ययवहार कर में कटौती दर्शाती है कि सरकार आम आदमी के बजाय वित्तीय राजधानी के हितों के संरक्षण में अधिक रुचि ले रही है। अगले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश से निधि संग्रहण का लक्ष्य 30,000 करोड़ रु. घोषित किया गया है।

अन्य शब्दों में, इसलिए इस बजट में प्रस्तावित राजस्व और व्यय निश्चय ही धनिक समर्थक और गरीब-विरोधी है।

मेरा वित्त मंत्री से प्रश्न है कि हालांकि राजकोषीय घाटे में कटौती महत्व की है, पर हमें मुद्रास्फीति पर संतुलित नियंत्रण भी रखना होगा। मेरे विचार में सेवा कर में वृद्धि मध्यम-आय वर्ग परिवारों का बोझ बढ़ाएगी और मुद्रास्फीति और अधिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सरकार के व्यय का मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होता। अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति रही है। यदि इस मंदी को बदलना है, तो देश में निवेश में वृद्धि करनी होगी, जो पिछले वर्ष भी कम रहा है। मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि कैसे निवेश में वृद्धि को सुनिश्चित किया जाए। इसके दो तरीके हैं, जिनसे निवेश को बढ़ाया जा सकता है। पहला सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के द्वारा और दूसरा निजी निवेश के द्वारा।

पिछले वर्ष इन दोनों ही निवेशों में कमी आई है। अत: सरकार इस बारे में क्या कर रही है? वित्त मंत्री अपने भाषण में उन कदमों की एक लंबी सूची देते हैं, जो वह अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए उठाना चाहते हैं। ये सभी कदम निश्चित रूप से निजी कार्पोरेट क्षेत्र को संकेत देते हैं कि सरकार द्वारा उनके हितों की

रक्षा की जाएगी। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान संवृद्धि प्रक्रिया अनिवार्यत: कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा चलाई जाती है। इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश का 30000 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश परिवार चलाने के लिए सोना बेचने जैसा है। इसलिए, सरकार को इस संबंध में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सम्पत्ति सरकार की निधि है।

बजट कुछ लोकलुभावन घोषणाओं के अतिरिक्त करदाताओं के सम्पूर्ण समूह की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल है। उच्च मुद्रास्फीति और रुपए की क्रयशक्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए स्थायी समिति द्वारा यथा सिफारिश की गई आयकर छूट सीमा 2,00,000 रु. के स्थान पर 3,00,000 रु. तक बढ़ाया जाना चाहिए।

कर कानूनों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन का परिणाम विदेशी निवेशकों के मध्य भारतीय वित्तीय नीतियों के प्रति विश्वास की कमी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नकारात्मक वृद्धि के रूप में होगा।

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान केवल 2 लाख रु. मूल्य से अधिक के सोना-चांदी और जवाहरातों की बिक्री पर लागू है। यह जौहरियों को कम मूल्य के बीजक बनाने या पृथक् लेन-देन को प्रोत्साहित करेगा।

इससे स्वर्ण आभूषणों के मूल्य में वृद्धि भी होगी और साथ ही साथ स्वर्ण उद्योग और इसमें लगे कर्मकारों को भी प्रभावित करेगा।

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान 25 लाख रु. से अधिक की कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति के अन्तरण के सभी लेन-देनों पर लागू होते हैं। कर कटौती के प्रमाण और उसे राजस्व खाते में जमा किए बिना कोई पंजीकरण संभव नहीं है।

अंतरणकर्ता के पास पैन (पीएएन) न होने के मामले में उद्योगों के लिए इसका परिणाम अनुपालन भार और भू-अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के रूप में होगा।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वे शीघ्र ही मुद्दों को देखेंगे और बताएंगे कि क्या उपाय किए जाएंगे? व्यय के संबंध में, राजसहायता में भारी कटौती हुई है। राजसहायता में कटौती का यह लक्ष्य मुख्यत: पेट्रोलियम उत्पादों पर 25000 करोड़ रु. की राजसहायता की कटौती से प्राप्त किया जाना है। यह अनिवार्य तौर पर अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के गैर-विनियमन की पूर्व सूचना देता है। अन्यथा वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि और भारत में तेल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राजसहायता में किसी भी प्रकारर से कटौती नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, निकट भविष्य में हम डीजल या रसोई गैस के मूल्यों को विनियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके मूल्यों में फिर से वृद्धि होगी और देश में मुद्रास्फीति स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ-साथ सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि लक्षित राजसहायता प्रदान करने के लिए वह आधार परियोजना द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर भरोसा करके नकदी अंतरण योजनाओं पर अधिक से अधिक निर्भर रहेगी। राजसहायता के इस प्रकार लक्ष्यित किए जाने से बड़े स्तर पर गरीब इससे बाहर हो जाएंगे और वो इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे।

यह बजट तेल और गैस क्षेत्र के लिए नकारात्मक है। इस बजट में वित्तीय वर्ष 2013 के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर मिलने वाली राजसहायता में सरकार का हिस्सा केवल 43,737 करोड़ रुपये रखा गया है जोकि ब्रेन्ट क्रूड के वर्तमान स्तर (115 अमरीकी डालर/बीबीएल से अधिक) पर बने रहने या डीजल और रसोई गैस सिलिंडर मूल्यों में वृद्धि नहीं किए जाने पर, अपर्याप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2012 के लिए सब्सिडी में सरकार का हिस्सा 68,533 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और यह 23,696 करोड़ रुपये के सरकार के लक्ष्य से बहुत अधिक है। क्या माननीय वित्त मंत्री सभा को बताएंगे कि यदि क्रूड तेल मूल्यों में और अधिक वृद्धि हुई तो उसका वह कैसे सामना करेंगे? वे सभा को यह भी बताएं कि इस वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजसहायता की गणना करने के लिए कौन-कौन से पैरामीटर अपनाए गए हैं?

इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं माननीय वित्त मंत्री मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री ने 2012-2013 के लिए देश के सामने यहां बजट पेश किया था। इस देश की अर्थव्यवस्था को वर्तमान में सम्भालने और अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल भविष्य के लिए उपयुक्त बजट नहीं है। मंत्री जी ने आय-व्यय का लेखाजोखा पेश किया किया है। वर्ष 2011-2012 में जब इस सरकार ने इसी सदन में बजट पेश करने का काम किया, तो देश के सामने वित्त मंत्री जी ने पांच वादे किए थे। इन पांच वादों का जिक्र उन्होंने उस समय अपने बजट भाषण में

किया था। लेकिन वर्तमान बजट जो पेश किया गया है, उससे लगता है कि उन्हें पिछले साल उन वादों को पूरा करने में सफलता नहीं मिली।

वित्त मंत्री जी ने कहा था कि टैक्स वसूली का लक्ष्य 2011-2012 में 6,64,457 करोड़ रुपए होगा। लेकिन जब इस वित्त वर्ष की समाप्ति हो रही है तो 5,50,280 करोड़ रुपए ही हुए। इसी तरह आपने कहा था कि सब्सिडी 1,43,570 करोड़ रुपए तक जाएगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आपस में बात न करें और शांत रहें।

श्री अर्जुन राय: लेकिन वह 2,43,570 करोड़ रुपए तक चली गई। इसी तरह से आपने कहा था शेयर आफ रिसीट 40,000 करोड़ रुपए का सोचा था, लेकिन वर्ष की समाप्ति पर 14,000 करोड़ रुपए तक गया। ग्रोथ एक्सपेंडिचर का आपने लक्ष्य रखा 3.4 प्रतिशत का, जो जब 13.4 प्रतिशत हो गया है। विकास दर का लक्ष्य गत वर्ष आपने कहा कि साल के अंत तक नौ प्रतिशत होगी, लेकिन आपकी वह जीडीपी 6.9 प्रतिशत के करीब ही रही है।

इस तरह से जो आपने पिछले बजट में पांच वादे किए थे, उन पर आप और आपकी सरकार खरी नहीं उतरी। पिछले बजट में घाटे का जो आकलन किया था वह 4,12,800 करोड़ रुपए था, लेकिन वह साल के अंत तक 5,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो घाटे में वृद्धि हुई वह योजना उद्व्यय में वृद्धि नहीं हुई। गैर योजना मद में 2011-2012 में आपने तय किया था, 8,16,200 करोड़ रुपए, वह साल के अंत तक 8,92,100 करोड़ रुपए हो गए। कहने का मतलब यह है कि गैर योजना मद में एक साल में आपकी लगभग 75,000 से 76,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

जिससे देश का विकास होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होता है, इंडस्ट्री क्षेत्र में भी विकास होता है, जिससे देश का सम्पूर्ण विकास होना है, वह योजना मद से, प्लान एक्सपेंडिचर से होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपने 2011-2012 में प्लान एक्सपेंडिचर के लिए 4,41,000 करोड़ रुपए तक किए थे, लेकिन वर्ष की समाप्ति होने पर 4,26,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अर्थात् जो प्लान एक्सपेंडिचर में आपका खर्च होना चाहिए था, जो आपने तय किया था, उसमें 15,000 करोड़ रुपए कम खर्च किए और गैर योजना मद, जिससे देश का कोई भी विकास नहीं होता है, वेतन में पेंशन में और अन्य व्यवस्थाओं में जो खर्च हुआ, उसमें आपने बजटीय अनुमान से 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करके इस देश के वर्तमान को, देश की जनता, मजदूर किसान सबके लिए जो योजना बनाई, उसमें खरे नहीं उतरे।

अध्यक्ष जी, अब मैं वर्तमान बजट पर आता हूं। वर्तमान बजट जो वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखा, उस पर विस्तार से एक दिन चर्चा भी हुई। वह बजट 14,90,925 करोड़ रुपए का है। लेकिन उसमें योजना व्यय 5,21,225 करोड़ रुपए का है, वहीं लगभग दोगुने से थोड़ा कम गैर योजना मद में आपने 9,59,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कहने का मतलब यह है कि लास्ट ईअर में जो योजना-मद और गैर-योजना-मद में तुलनात्मक वृद्धि हुई, उसमें गैर-योजना-मद में 1,43000 करोड़ रुपये की वृद्धि की और याजना-मद जिससे देश का विकास होना है, यहां के नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन करना है, देश की तरक्की करनी है, अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, उस क्षेत्र में आपने केवल 79,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। लेकिन जो बजटीय घाटे का अनुमान आपने वर्ष 2011-2012 में 4.6 प्रतिशत रखा था वह अनुमान वर्ष 2012-2013 में बढ़कार 5.1 प्रतिशत हो गया। कहने का मतलब है कि आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं या सरकार चाहती है कि देश में गरीबों के कमाए हुए पैसे को गैर-योजना-मद में खर्च करके देश को और बदहाली की ओर बढ़ाया जाए।

माननीय मंत्री जी, एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि देश का बजटीय घाटा जो बढ़ रहा है तो माननीय मंत्री जी की नींद उड़ गयी। लेकिन माननीय मंत्री जी का बयान आया कि यह बजटीय घाटा जो देश में बढ़ रहा है इसका कारण सब्सिडी में हो रही वृद्धि है। लेकिन माननीय मंत्री जी आपने वर्ष 2011-2012 में सब्सिडी के लिए 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये तय किये और वर्ष 2012-2013 में आप जो बजट लाए उसमें आपने कमी कर दी। सब्सिडी के लिए आपने 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर सबसे बड़ा कोई कलंक का धब्बा है, सबसे बड़ी परेशानी का कोई कारण है वह देश में तेजी से बढ़ रहा ब्याज दर है।

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन राय: हमारी पार्टी से हम अकेले हैं, हमें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आप संक्षेप में बोलिये और आप भी संक्षेप में बोलियेगा। आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन राय: माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप सरकार में वर्ष 2004-2005 में आये तो आपने

1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया लेकिन वर्ष 2011-2012 में आपने 5 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में देश को डुबाने का काम किया। आप जो बड़े लोगों को सब्सिडी देते हैं, जो उद्योग के क्षेत्र में छूट देते हैं, पूरे जीडीपी का 6.66 प्रतिशत छूट देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि देश में सब्सिडी बढ़ रही है, करीब 2 लाख 16 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी है लेकिन बड़े लोगों को टैक्स पर जो छूट देते हैं वह 5 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। अगर आपका ध्यान ब्याज को कम करने को कम करने की दिशा में जाता है, बड़े लोगों को छूट कम करने की दिशा में जाता है तो निश्चित रूप से यह देश तरक्की करेगा और देश का बहु-आयामी विकास हो सकेगा। मंत्री जी, जितना आप कर के रूप में देश से टैक्स इकट्ठा करते हैं उसका 35-36 प्रतिशत ब्याज देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने दिन-दुगुना रात-चौगुना ऋण लेने की प्रवृत्ति पैदा कर दी। "यावज्जीवेत सुख जीवेत, ऋण कृत्वा घृतं पिवेत।" इस देश की आम जनता ऋण लेती है लेकिन आपकी सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे 2 जी के मामले में हो या कॉमनवैल्थ के मामले में हो या कोल घोटाले की बात आ रही है, घृत पीने का काम करते हैं। आपके बजट भाषण से लोग देश और दुनिया में सीखते हैं लेकिन आपने जो बजटीय प्रबंधन किया है, इसमें निश्चित रूप से देश के लोगों को निराशा हाथ लगी है।

एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप कहते हैं कि 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है, प्लान एक्सपेंडिचर में आपने 18 प्रतिशत वृद्धि की है लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी सरकार की जो उदासीनता रही है, उसकी वजह से आज एग्रीकल्चर जिसमें 65 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, उसमें आपने कोई विकास नहीं किया है। पांच साल पहले एग्रीकल्चर की भूमिका 20 प्रतिशत थी वह अब 13 प्रतिशत हो गयी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाइये। बहुत से सदस्यों को बुलाना है, दूसरों का भी ख्याल रखिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसके अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: अब आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अर्जुन राय: मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2012-13 के बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बजट का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण को शुरू करते समय जो शेक्सपीयर की लाइन कोट की थी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे 222 पैराग्राफ का बजट कम से कम 10 बार बढ़ा है। इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए समय बहुत कम है। मैं बुंदेलखड से आता हूं और यह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। मैं समझ नहीं पाया कि हमारे वित्त मंत्री किसानों के लिए काइंड हैं या क्रूअल। मैं जहां तक इस बजट को समझा हूं, इनकी काइंडनैस बिलकुल नहीं है और मोस्टली यह क्रूअलिटी की तरफ है।

मैं एक बात बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं। मैं प्रोफेशनली तो लॉयर हूं, लेकिन बेसिकली मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूं। 65 साल से भारत में जो ग्रोथ हुई, वह रूरल इंडिया में कम हुई और अर्बन इंडिया में ज्यादा हुई। एग्रीकल्चर से संबंधित पैराग्राफ 74 से 75 में इसकी चर्चा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 6.9 की ग्रोथ लाने की उम्मीद है और खेती के लिए इन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ 2.5 है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? आज आंकड़ों में आ गया है कि 42 प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोफेशन में कोई जाना नहीं चाहता है। इसका क्या कारण है, इसके लिए मैं आपको पहला उदाहरण देना चाहता हूं। इनकी जो प्राइज फिक्सेशन है, जिसे एमएसपी कहते हैं, उसके अंतर्गत गेहूं की प्राइज 1080 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की तीन एग्रीकल्चर यचूनीवर्सिटीज का लॉयर हूं। मैंने वहां के हैड आफ दि डिपार्टमेंट से बात की और मैं बहुत चैलेंज के साथ हाउस में कहता हूं कि इस समय नार्दन इंडिया में गेहूं एक हजार रुपए प्रति क्विंटल में पैदा हो ही नहीं सकता है। अगर उसकी लागत है, तो लागत 1400 से 1500 रुपए प्रति प्रति क्विंटल फ्लकचुएट करती रहती है।...*(व्यवधान)* मैं मिनिमम रेट कोट कर रहा हूं, नहीं तो दादा नाराज हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसान गेहूं पैदा करता है, तो नुकसान में जाता है और घाटे का सौदा है। इसका नतीजा यह है कि उत्तरी भारत में गेहूं की पैदावार निरंतर घटती जा रही है।

अब मैं दाल की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैडम सुषमा जी ने पिछले साल अपने भाषण में कहा था कि 90 रुपए किलो पीली दाल बिक रही है। भारत का किसान जब अपनी दाल बेचने जाता है, तो उसे औसत 25 या 30 रुपए दाम मिलता है। वही दाल 90 रुपए किलो बाजार में बिकती है। बात यह है कि बीच के 60 रुपए कहां जाते हैं? इसी प्रकार आलू और प्याज की हालत है। जब भी ज्यादा आलू पैदा होता है, तो उसका रेट

भी किसान को नहीं मिलता है। अभी पीछे किसानों ने अपने आलू सड़कों पर फैंके थे। मैं पिछले दिनों एक मुकदमें के सिलसिले में जापान गया था। मैंने वहां कृषि प्रणाली देखी उन्होंने गांवों में छोटे-छोटे गोदाम बनाए और उन गोदामों का दस-दस साल के किराये की जिम्मेदारी ले ली। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.24 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

चेंज ऑफ गॉर्ड हुआ है। मैं यूपी की बात बता रहा हूं

योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उनको लोग बाग बिना समझे बहुत भारी इंटेलीजेंट समझते हैं, पता नहीं उनकी इंटेलीजेंस क्या है? आजकल भारत में अगर इंग्लिश सैक्शन से बोलें, ऑक्सफोर्ड की बात करें तो लगता है कि आप बड़े विद्वान हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में यह आया कि प्रति गांव में सचिवालय बनेंगे जिसमें प्रधान जी बैठेंगे और 10 लाख तथा 15 लाख रुपये में भवन बनने शुरू हो गये। मैं कहता हूं कि इसकी क्या जरूरत है? अगर प्रधान है तो उसके पास अपना वरांडा है, अपना कमरा है। वहां काम चल रहा था और काम चल रहा है अगर यही 15-15 लाख के छोटे-छोटे गोदाम बन जाते तो एफसीआई में एक-एक अरब रुपया होता, तो इसमें क्या दिक्कत थी?

आजकल कम्प्यूटर का युग है। जितने गोदाम थे, उन गोदामों का आप एसैसमेंट ले लेते और कम्प्यूटराइज्ड डील करने लगते। मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वकील था। अगर दो बार गेहूं ट्रांसफर होता है तो 35 प्रतिशत लॉस दिखाया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तगड़ा हो रहा है लेकिन किसान दुबला हो रहा है।

अब 121 करोड़ की आबादी हो रही है। जमीन उतनी ही है बल्कि जमीन में ज्यादातर औद्योगीकरण हो रहा है। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, मेरे मित्र शैलेन्द्र कुमार जी ने जिन्हें बताया था। मैंने एनसाइक्लोपीडिया से फिगर्स बताये थे कि इंडिया की क्या फिगर है। मैं वह किताब लाया हूं। एग्रीकल्चर सैक्टर में जब तक किसान को खेती के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव विकल्प आप नहीं देंगे तो किसान की तरक्की नहीं हो सकती, जैसे जापान में 350 और 400 रुपये में प्रति पौंड भिंडी बिकती है। मैं पार्लियामेंट का मैम्बर बनने से पहले एक कंसलटेशन में ओसाटा गया था। वहां पर 12-12 भिंडी इसी तरह से लगी हुई थी। मेरे इंडिया के होस्ट थे जिन्होंने दो दर्जन भिंडी ली और जब उन्होंनें उसके दाम बताये तो मैं चौंक गया। वहां मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि फिलीपाइन्स से इस तारीख को इन्हें तोड़ा गया और इनकी ये एक्सपायरी डेट है और वहां पर वह भिंडी दनादन बिक रही थीं। उसी तरह अगर भिंडी के पैकेजिंग के गांवों में छोटे-छोटे कारखाने हो जाएं तो वो किसान जिसकी भिंडी दो रुपये और पांच रुपये में बिक रही है, वह 200 रुपये और 400 रुपये किलो बाहर बिक जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत है?

सभी लोग बाहर जाते हैं। लंदन की बात देखिए, वहां पर पिछले 4 साल से दशहरी आम नहीं मिल रहा है। दूसरे देशों के आम वहां भरे हुए हैं। मैंने साउथोल की तरफ एक सरदार जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब पता नहीं, एयर इंडिया लाइन का कुछ गड़बड़ हिसाब है और वहां पाकिस्तान का आम भरा पड़ा था। यह क्या तमाशा हो रहा है? इसमें कौन सी इलैक्ट्रॉनिक कलाविधि है? इसको हवाईजहाज से पैकेजिंग करके आम भेजने में कौन सी दिक्कत है? इसमें कौन सा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्टे-ऑर्डर है कि आप नहीं कर रहे हैं? यह बात आप बता दे। मैं ले करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब आप वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। एक्सपोर्ट जोन भी आप बनाइए। आप अपनी पॉवर समझिए। इंडिया की जलवायु और जमीन विश्व में सबसे बढ़िया है। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर एक खेती तीन बार हो सकती है। बाकी देशों में तो छह महीने बर्फ जमी रहती है। आप कार बनाने में जोर लगा रहे हैं। क्या आप जापान को हरा सकते हैं? क्या आप होंडा को हरा सकते हैं? क्या आप जनरल मोटर्स को हरा सकते हैं? क्या आप मर्सिडीज को हरा सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप गेहूं और चावल पैदावार में विश्व में नम्बर एक स्थान पर हो सकते हैं। अब इकोनॉमिक मैग्जीन जो वर्ल्ड की है, उसका हू इज हू में निकला हुआ है। शैलेन्द्र कुमार जी ने उसका जिक्र किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)* मैं कोई भी बात इररेलेवेंट नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यूरो कंट्रीज में जो व्हीट 119 है और नम्बर टू 109 चाइना का है और भारत का 75 है। अगर इंडिया दुनिया में गेहूं पैदा करने में नम्बर तीन है तो हम नम्बर एक या नम्बर दो क्यों नहीं बन सकते? यह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप जब किसान को उसका दाम एक हजार रुपये देंगे तो किसान गेहूं क्यों पैदा करेगा। हम ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन श्री प्रदीप जैन यहां बैठे हैं, यह हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव से सत्तर किलोमीटर दूर रहते हैं। वहां फूड कारपोरेशन इंडिया ने गेहूं खरीदा ही नहीं है, किसान आठ सौ रुपये के भाव से मंडी में गेहूं छोड़ गया है। उन्होंने कहा कि बोरे नहीं आये, यह नहीं आया, वह नहीं आया और मजबूरी में किसान अपना गेहूं सात सौ, आठ सौ रुपये में छोड़कर चला गया।

महोदय, मैंने एक चीज यहां बहुत अच्छी अनुभव की, पार्लियामैन्ट में एक बड़ी अच्छी चीज निकली। यह मेरा फर्स्ट टर्म

है और हो सकता है कि यह लास्ट टर्म हो। लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां यह होता है कि किसी भी चीज में गडबड़ी है तो वह स्टेट की जिम्मेदारी है। यह आपत्ति क्यों की गई है? कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है। आप सिर्फ पैसा धकेलते हैं और कुछ नहीं। चावल उत्पादन में चाइना 130 मिलिटन्स पर टन है और इंडिया 96 मिलियन पर टन है। यदि हमारा उत्पादन 96.00 है तो हम चावल उत्पादन में 103 क्यों नहीं हो सकते, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें कौन सी इलैक्ट्रोनिक और एटोमिक चीजें इनवोल्व हैं कि जो हमारे यहां उतना चावल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहां मोटिवेशन नहीं है। दिल्ली में चार फ्लाई ओवर्स में जो पैसा लगता है, उससे पूरे बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आ सकता है। लेकिन यहां फ्लाई ओवर जरूर बनेगा। लेकिन हमारे यहां हमीरपुर, महोबा, छतरपुर में पानी नहीं आयेगा।

महोदय, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। चाय उत्पादन में भारत नम्बर दो पर है। अभी आपने क्या किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सात प्रतिशत किसान को लोन दिया जायेगा। यह सात प्रतिशत पर कैसे देंगे और यह भी कहा कि यदि वह छः महीने या साल भर में वापस दे देगा तो तीन परसैन्ट पर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह हो ही नहीं सकता। एक ट्रैक्टर के मिनिमम दाम कितने हैं। यदि सात परसैन्ट नहीं तो 11 परसैन्ट पर बैंक लोन देते हैं। अगर सात परसैन्ट भी मान लिया जाए तो 35 हजार रुपये उसका इंटरैस्ट बनता है। वह 35 हजार रुपये के हिसाब से गेहूं का या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर नहीं सकता। यदि हमारे क्षेत्र में दस ट्रैक्टर्स लोन में उठते हैं तो दसों नीलाम होते हैं, दसों किसानों की जमीन बिकती है और वे किसान सड़क पर आ जाते हैं। अभी हमें हमारे मित्रों ने बताया कि आप नकल करिये, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी गलत है तो आप भी गलत है यह एक परसैन्ट पर किसानों को लोन दे रहे थे तो दादा क्यों नहीं दे सकते आपका लोन देने का जो रेट है और इंडस्ट्रिलस्ट्स के बराबर आप किसानों की बात करेंगे तो वह गलत है।

मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि आप भारत में इंफ्रस्ट्रक्चर की बात करते हैं। दो साल से प्रधान मंत्री सड़क योजना में एक पैसा नहीं मिला। इसी तरह से राजीव गांधी विद्युत योजना में पैसा नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान चित्रकूट है, जो इलाहाबाद से सौ किलोमीटर दूर है, महोदय, आपको चित्रकूट का मतलब मालूम होगा, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम 12 साल रहे। यदि यह इलाहाबाद से लगभग सौ किलोमीटर है तो यहां नेशनल हाइवे नम्बर 76 जाता है। लेकिन तीन घंटे में आप वहां नहीं पहुंच सकते। ट्रैक्टर का चलना भी मुश्किल होता है। हम यूपीए को बताना चाहते हैं कि अगर आपने चित्रकूट की इसी तरह से उपेक्षा की और आपको यदि भगवान राम श्राप देंगे तो आप इधर चल जायेंगे। यह पक्की बात है। ...*(व्यवधान)* दूसरी बात मैं मनरेगा के संबंध में कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंहः मैं मनरेगा के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें मजदूरों की पेमेंट नेशनलाइज्ड बैंकों के जरिए होती है।

उपाध्यक्ष महोदयः आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंहः मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मजदूरों को मनरेगा की पेमेंट तीन-चार महीने से पहले नहीं मिलती है। अगर मजदूरों की पेमेंट में तीन-चार महीने लगेंगे तो मजदूर क्या करेगा। वे मजदूर तीन-चार महीने तक बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं और बदले में बहुत बेइज्जत होते हैं। उनके साथ इनह्युमन ट्रीटमेंट होता है। इस बारे में मुझे शिकायतें मिलीं तब मैंने डीएम और कलेक्टर से कहा तो वे कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक हमारी सुनते ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक कलेक्टर और डीएम की बात भी नहीं मानते हैं। इमने कहा कि फिर वहीं फिर एजिकल मामला शुरू हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विजय बहादुर सिंहः आप मनरेगा की पेमेंट दस दिन के अंदर क्यों नहीं कराते हैं? दूसरा, एक चीज इसे खत्म कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदयः आपने पहले बोला कि एक चीज खत्म कर दीजिए फिर अभी बोला कि एक चीज खत्म कर दीजिए। कितनी एक चीज निकलती जाएंगी?

श्री विजय बहादुर सिंहः आप हमारी बात तो सुनिए, हम कोई इर्रेलिवेंट बात नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः और भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री विजय बहादुर सिंहः मिड-डे मील नाम की एक योजना आई। प्रणब दादा ने पता नहीं क्रूएलिटी दिखाई कि क्या दिखाई, इन्होंने 11937 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। मिड-डे मील में 11 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं। गांवों के गरीब से गरीब किसान, मजदूर यह चाहते हैं और कहते हैं कि हम अपने लड़के को खाने

के लिए नहीं भेजते हैं उसे पढ़ाई कराएंगे। मिड-डे मील में इतना खराब भोजन मिलता है कि बच्चे उसे खा नहीं सकते हैं। वह खाना पूरी तरह से बर्बाद होता है। आप मिड-डे मील को खत्म कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें। माननीय कैलाश जोशी जी आप बोलिए।

[अनुवाद]

***श्री आधि शंकर** (कल्लाकुरिची): इस संयुक्त प्रगतिशील सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. कलाइग्नार जैसे नेताओं की अगुवाई में 8 वर्ष पूर्व सही शुरूआत की थी और अभी भी यह मजबूती से चल रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इस शेष कार्य अवधि में बेहतर कार्य करेगी और रिकार्ड तीसरी बार सत्ता में वापस आएगी।

इससे पहले कि मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश किए गए इस वर्ष के बजट से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को उठाऊं, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे नेता डॉ. कलाइग्नार ने सरकार से बेरोजगार युवाओं को दिए गए ऋण माफ किए जाने का अनुरोध किया है।

इससे बेरोजगार युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी अन्यथा ब्याज सहित ऋण वापस करने में उन्हें कठिनाई होगी। अत: यह हमारे नेता, डॉ. कलाइग्नार का अनुरोध के साथ मांग भी है कि ऋण माफ किया जाए।

हमारे नेता और हमारी पार्टी की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग है कि छात्रों को दिया गया शिक्षा ऋण भी माफ किया जाए। इससे उन्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी और उन्हें ऋण के भुगतान के बारे में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा।

महंगाई हमारे सामने है और सरकार वर्ष के अंत तक इसे कम करने के लिए संयत उपायों के बारे में सोच रही है। सरकार की यह सोच कार्रवाई में नहीं बदल पाई है क्योंकि इस वर्ष कर प्रस्ताव कुछ कठोर रहे हैं।

यह जानने के लिए कि किसी भी नये कर प्रस्ताव और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि का मूल्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर भार में वृद्धि ही होगी जिससे महंगाई और बढ़ेगी, किसी अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं है और आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमने एक जिम्मेदार गठबंधन के रूप में व्यवहार किया है। हमारी यूपीए-2 सरकार ने प्रत्येक रचनात्मक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हमारी साझेदारी मजबूरी की साझेदारी नहीं थी, यह एक सहमति की साझेदारी है जो कि प्रशंसनीय रूप से अपनी अवधि को पूरा करेगी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आम आदमी के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हमें युद्ध स्तर पर और उचित तरीके से प्रयास करने चाहिए। उदाहरण के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित और स्थिर बनाया जाए।

मैं अपने नेता, डॉ. कलाइग्नार और अपनी पार्टी, डी.एम.के. की ओर से अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम के मूल्यों में बार-बार वृद्धि को रोकने के लिए कोई फार्मूला लाए।

हमारी विकास दर, जो कुछ वर्ष पहले 8.6 प्रतिशत पहुंच गई थी एवं दोहरे अंक तक पहुंचने का जिसका अनुमान लगाया गया था, में अब गिरावट की प्रवृत्ति आई है तथा अब हम इसका लक्ष्य वर्तमान 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 9 प्रतिशत निश्चित करना चाहते हैं। मुझे तमिल की एक कहावत याद आ रही है जिसका अर्थ है कि हम आधा फुट ऊपर चढ़ रहे हैं जबकि एक फुट नीचे गिर रहे हैं।

हमारे जनानुकूल उपाय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की देन हैं क्योंकि बहुत प्रशंसित मनरेगा एवं ऋण माफी योजना से हमारे लोगों को सप्रंग सरकार में भरोसा बहाल करने में मदद मिली है एवं हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिली है। इसी कारण हम तब टिके रह सके जब अमेरिका जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं भारी मंदी की चपेट में आ गई थी। हम जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते और गलत बात नहीं मान सकते कि हमारी वर्तमान समस्या उस मंदी का ही परिणाम है। हमें आत्मान्वेषण करने की जरूरत है।

बजट में घोषित आय कर राहत बहुत मामूली है एवं वेतन भोगी वर्ग की आकांक्षाओं से बहुत कम है। उत्पाद शुल्क लगाने से आम आदमी की साइकिल सहित वाहनों की मूल्य वृद्धि हुई है। मैं गरीबी स्तर निर्धारित करने तथा गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की पहचान करने संबंधी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि गरीब और अमीर के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। इस प्रकार हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बजटीय उपायों के दुष्प्रभावों से गरीबों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त निवारक उपायों को जारी रखा जाए।

इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने एवं हमारी अवसंरचना मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र जैसे कुछेक

क्षेत्रों की तात्कालिक एवं महत्वपूर्ण जरूरतों पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए था। उन सभी के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज समय की जरूरत है जो विद्युत इकाइयों में निवेश करने एवं इन्हें संचालित करने के लिए आगे आएंगे।

मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री कम से कम इस बहस के उत्तर में इस पर ध्यान दें। तमिलनाडु में जब हमारे नेता डॉ. कलायंगार करूणानिधि मुख्यमंत्री थे तब हमारे राज्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए नई विद्युत परियोजनाओं की शुरूआत की गई थी।

मुझे यह बताने दें कि यदि उस समय केंद्र ने सकारात्मक रूप से एवं उदारतापूर्वक हस्तक्षेप किया होता तो स्थिति अभी अधिक बेहतर हुई होती। लेकिन अभी भी मैं इस बात का अनुरोध केंद्र से करता हूं कि मंद आर्थिक वृद्धि से बचने के लिए तमिलनाडु जैसे विद्युत की कमी से जूझ रहे राज्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए।

हमारे आर्थिक सर्वेक्षण एवं इस वर्ष के बजट दोनों हमारी आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इस प्रकार विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है।

इस सम्मानीय सभा में, मैं तमिलनाडु में किसानों एवं अन्य व्यवसायों की दयनीय दशा के बारे में बताना चाहता हूं। तमिलनाडु में नई सरकार के सत्तासीन होने से विद्युत समस्या नहीं सुलझने की हद तक बढ़ गई है। यद्यपि तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार ने आधिकारिक बयान दिया है कि यहां 8 घंटे बिजली कटौती होगी पर वास्तव में उससे अधिक बिजली कटौती हो रही है। यह प्रतिदिन 12 घंटे या इससे अधिक है।

इससे समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ है। आप कह सकते हैं कि हर कोई चाहे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हों या हमारे देश के अन्नदाता किसान हों या छोटे पैमाने एवं मध्यम पैमाने के उद्योग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हों–प्रभावित हुआ है तथा आम आदमी तो बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। यह तमिलनाडु के हालात की दयनीय दशा है। केंद्र सरकार को 'अन्नाद्रमुक' द्वारा सत्ता संभालने से शुरू हुए क्षरण को ठीक करने के संबंध में हस्तक्षेप करना चाहिए।

सिंचाई परियोजनाओं पर और अधिक ध्यान जरूर दिया जना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि अनुसंधान पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है। इससे प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक को ठोस रूप प्रदान करने में हमें मदद मिल सकती है। खाद्य उत्पादन बढ़ने से खाद्य उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि युवाओं को कृषि में बनाए रखने और उन्हें इसकी ओर आकर्षित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

सरकार द्वारा स्वास्थ्य को अति महत्व दिया जाना चाहिए। हम लोग कुपोषण, बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट देखते रहते हैं। आजादी के 65 वर्षों के बाद अभी भी हम लोग इस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं कि हम लोग अपनी एक चौथाई जनसंख्या को भी प्राथमिक और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके हैं।

इसके अलावा, राजसहायता में कमी नहीं की जानी चाहिए। उर्वरकों पर राजसहायता मिलती रहनी चाहिए। क्योंकि बाजार में उर्वरकों की कमी और इसके मूल्यों में भिन्नता है जिससे किसान और कृषि प्रभावित होती है। मैं सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश को जारी रखने में सावधानी बरतने का निवेदन भी करता हूं। कम-से-कम उर्वरक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केंद्र द्वारा बड़ी सहायता दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत आम बजट 2012-13 का समर्थन करता हूं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह जनता विशेषकर जो हाशिए पर हैं उनके लिए और उपेक्षित क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा।

जब कतिपय संवैधानिक पदों पर आसीन लोग नीतिगत बारीकियों को समझे बगैर राजस्व को हुए काल्पनिक और घाटा और घाटे संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगा रहे थे तब सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी। अब सरकार को बड़ी कवायद करनी है और हमारे प्रयास उस कहावत के समान हैं जैसे 'अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत'।

हमने जब ध्यान दिया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की निकासी हो रही है और विदेशी निवेशक आशंका कर रहे हैं तब हमने कार्रवाई शुरू की है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव से यह परिलक्षित होता है।

हमारी अर्थव्यवस्था का ध्येय लोगों में विश्वास को सुदृढ़ करना होना चाहिए। इससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। मुझे भय है कि उन कतिपय बढ़ाए-चढ़ाए आरोपों, जिसमें मीडिया परीक्षणों में कुछ व्यक्तियों को पहले ही दंडित कर दिया

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

गया है, सही ढंग से नहीं निपटा गया है। ऐसी स्थिति में जब गठबंधन की सरकार हो तब गैर जिम्मेदाराना आरोपों के आगे सरकार का झुकना अच्छा संकेत नहीं है जबकि सरकार से अपेक्षा होती है कि वह अपनी दृढ़ता का परिचय दे।

कृषि हेतु राशि आवंटन में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी आ रही है, तो इस आवंटन से हमें ग्रामीण बैंक साख प्रणाली से मांगों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। 'नाबार्ड' को 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं पर और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे हमें प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा नियंत्रण को मूर्त रूप देने में सहायता प्राप्त होगी।

'मनरेगा' वह योजना है जिससे ग्रामीण जनता को रोजगार प्राप्त होता है। इस योजना जिससे ग्रामीण जनता बहुत ही लाभान्वित हुई है और इसका विस्तार कृषि संबंधित कार्यों में किया जाना चाहिए। कृषि मजदूरों को लाभकारी रोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अतिरिक्त इस योजना में बड़ा निवेश होने से कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुझे आशा है कि कृषि/कृषि संबंधी कार्यों में 'मनरेगा' का विस्तार करने के प्रस्ताव को देश में कृषि में समेकित विकास के लिए विचार किया जाएगा।

फिलहाल, नगर पंचायत क्षेत्रों में 'मनरेगा' का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। अनेक राज्यों में नगर पंचायतों के आसपास अधिकांशत: गांव होते हैं। इस प्रकार योजना के दायरे से नगर पंचायतों को बाहर रखकर 'मनरेगा' के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने से नगर पंचायतों के आस-पास रहने वाले भूमिहीन श्रमिक वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना में भी कार्यान्वित किया जा सकता है। इससे भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार प्रदान होगा। अत: मैं निवेदन करता हूं कि 'मनरेगा' को नगर पंचायतों में शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में इस वर्ष बढ़ोतरी नहीं की गई है। समाज के वंचित वर्गों को शामिल कर समावेशी विकास को जारी रखने की आवश्यकता का आग्रह करते हुए मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सरकार को वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आम आदमी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु उचित प्रकार से युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोका जाना चाहिए और उन्हें स्थिर बनाया जाना चाहिए।

मैं अपने नेता डॉ. कलाईग्नार और अपने दल द्रमुक की ओर से यह आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर बढ़ती कीमतों की रोकथाम के लिए कोई सूत्र तैयार करना चाहिए।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हमें कुपोषण, बाल दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। स्वतंत्रता के 65 वर्षों के बाद भी अभी भी यह कड़वी सच्चाई है कि हम अपनी एक चौथाई जनसंख्या को प्राथमिक और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार देश के जरूरतमंद व्यक्तियों तक सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब और वंचित लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करे।

शिक्षा एक क्षेत्र है जिसमें सप्रंग सरकार, द्रमुक जिसका प्रमुख घटक दल है, काफी बल दे रही है। जिसका उदाहरण है शिक्षा का अधिकार विधेयक।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं वर्ष 2012-13 के बजट का स्वागत करता हूं।

***श्री ई. जी. सुगावनम** (कृष्णागिरि): हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अत्यंत ही योग्यतापूर्वक विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है और समाज के सभी वर्गों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। तथापि यह निराशाजनक है कि वृद्धि दर इस वर्ष के दौरान जीडीपी के नए न्यूनतम स्तर तक जाने की संभावना है। सरकार को व्यापार संतुलन में सुधार करने के प्रयास करने चाहिए जिससे जीडीपी वृद्धि दर में सुधार होगा।

सरकार को देश में कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए और कदम उठाने चाहिए। अत्याधुनिक तकनीक, उचित दरों पर किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता और जैविक खेती से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। भंडारण संबंधी खामियों को दूर करना, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कृषि वस्तुओं के वितरण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे तमिलनाडु में मेरे कृष्णागिरी जिले में आम की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 400000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न किस्मों के आम की खेती होती है और वार्षिक उत्पादन लगभग 4 लाख टन है। ये पूरे देश

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में भेजे जाते हैं और विदेशों को इसका निर्यात होता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के अतिरिक्त सरकार को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इस क्षेत्र की उच्च क्षमता पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृष्णागिरी जिले की पहचान की है। चूंकि यहां का आम उत्पादन काफी अधिक होता है अत: आम का गूदा भी यहां अधिक उत्पादित होता है। कृष्णागिरी जिले का आम-गूदा उद्योग देश में आम के गूदे का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग है। इसी प्रकार, यहां टमाटर, इमली और शिमला मिर्च का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, परंतु पर्याप्त परिवहन और शीत-भंडारण सुविधाओं के बिना किसान विशेषकर टमाटर की खेती करने वाले किसान, अत्यधिक नुकसान उठा रहे हैं और कई बार पर्याप्त समर्थन मूल्य न मिलने से उन्हें टमाटर को खेतों में ही नष्ट करना पड़ता है।

इसलिए मेरे कृष्णागिरी जिले में कृषि-उत्पादों की बढ़ती खेती को सहारा देने और इन उत्पादों की शीघ्र खराब होने की प्रकृति को देखते हुए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में पर्याप्त संख्या में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, शीत-भंडारण सुविधाएं और एक कृषि निर्यात जोन भी यथाशीघ्र स्थापित किया जाए।

इसके अतिरिक्त मेरे कृष्णागिरी जिले में गुलाब की बड़ी मात्रा में खेती होती है तथा उन्हें देश के विभिन्न भागों और विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। गुलाब की खेती को और विकसित करने के लिए इस परियोजना में कार्यरत किसानों को अधिक वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए और तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में निर्वाचन क्षेत्र में गुलाब निर्यात जोन स्थापित करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अंशधारिता के विनिवेश के माध्यम से वर्ष 2012-2013 में 30,000 करोड़ रु. अर्जित करने का प्रस्ताव किया है। यद्यपि इससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा तो भी इन सरकारी क्षेत्र के उपक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, कर्मियों के हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इनकी छंटनी नहीं होनी चाहिए और इनका वेतन समय पर जारी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की एक रुग्ण इकाई, विशेषकर हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस, ऊटी, तमिलनाडु के जीर्णोद्धार हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए।

अन्य देशों की तुलना में, हमारे देश में डॉक्टर-रोगी अनुपात काफी कम है। इन कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु और अधिक आवंटन काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण लोगों को अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और गांवों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

व्यक्तिगत आयकर सीमा में 20,000 रु. की वृद्धि काफी कम है। इस कर-सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रु. करने की मांग काफी समय से की जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि काफी समय से लंबित इस मांग पर विचार करें ताकि वेतनभोगी वर्ग को सुविधा प्रदान की जा सके। सेवा कर में 2% की वृद्धि करने से सभी वर्ग के लोग और सोने, चांदी व हीरे और अन्य वस्तुओं के आयात-शुल्क में वृद्धि होने से रोजगार के अवसरों पर असर पड़ेगा और इससे राजस्व घटेगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उक्त प्रस्तावों पर पुनर्विचार करें और वित्त विधेयक में इस हेतु आवश्यक परिवर्तन करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री राजेन्द्र अग्रवाल** (मेरठ): वैश्विक मंदी की सब तरफ चर्चा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया, माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में इसकी चर्चा की। दुनिया भर के विद्वान इस मंदी पर बहस कर रहे हैं, इसे दूर करने के उपाय बता रहे हैं, हालांकि सच यह है कि अर्थशास्त्र के इन विद्वानों की सम्पूर्ण योग्यता के बावजूद अथवा उनके द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण ही यह मंदी आई है। मैं अर्थशास्त्र का जानकार तो नहीं हूं परन्तु एक सरल बात मुझे समझ आती है मंदी तब आती है जब बाजार में माल तो होता है परन्तु खरीददार नहीं होते। क्रयशक्ति घटती है तो मंदी आती है तथा क्रयशक्ति आती है रोजगार से। इसी संदर्भ में मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहले अपने मेरठ-हापुड़ संसदीय क्षेत्र की बात ही करूंगा। यह सम्पूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की बात थी, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अन्तर्गत राजमार्गों के निर्माण की बात थी, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की बात थी, परन्तु क्या हुआ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के गठन को 27 वर्ष हो रहे हैं परन्तु अभी हाईस्पीड ट्रेन की बातें प्रारम्भिक अवस्था में हैं। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रैस हाइवे अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। सड़क परिवहन मंत्री कभी बताते हैं कि यह एक्सप्रैस हाइवे दिसम्बर 2014 तक पूरा होगा, फिर बताते हैं

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कि इसको पूरा करने की समय-सीमा दिसम्बर 2015 है। दिल्ली में नित्य आवागमन करने वालों का 40 प्रतिशत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश से है परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का बुरा हाल है। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों से बात की तो वे बताते हैं कि क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं को राज्य सरकार का समर्थन व प्रोत्साहन नहीं है। बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण मेरठ-हापुड़ की औद्योगिक प्रगति ठप्प है। दो तिहाई इकाइयां बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ-हापुड़ के बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले तथा इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे।

मेरठ मध्यम व लघु उद्योगों का केन्द्र है परन्तु जैसा मैंने कहा कि स्थिति खराब है। वित्त मंत्री जी ने भी माना है कि 'लघु और मध्यम उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं'। इस बिल्डिंग ब्लॉक्स की अधिक चिन्ता किये जाने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में मैं छोटी-छोटी तीन बातें कहना चाहता हूं।

– वैट को लागू करते समय कहा गया था कि सीएसटी को 4 प्रतिशत से क्रमश: कम करके शून्य किया जायेगा। इसमें 1 प्रतिशत की कमी तो तत्काल हो गई, 2008 में 1 प्रतिशत की कमी और हुई परन्तु अब यह 2 प्रतिशत ही है। कृपया अपना वादा निभाइये।

– एक्साईज डयुटी पर एक्जेम्पशन लिमिट 1.50 करोड़ के स्थान पर न्यूनतम 2 करोड़ होनी चाहिए ताकि एसएमई को राहत रहे। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। एसएसआई यूनिटस के रिहैबलिटेशन के लिए रिजर्व बैंक ने 2002 में बैंकों को एक परिपत्र जारी किया था जिसे 12 सितम्बर 2011 को जारी सर्कुलर द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस नए परिपत्र में बैंकों को बीमार एसएसआई यूनिटस के रिहैबलिटेशन के मामले में स्वयं की नीति बनाने की छूट दे दी गई है। इसका क्या परिणाम होगा? मध्यम व लघु औद्योगिक इकाइयों को मदद करने के मामलों में पहले से झिझकने वाले बैंक अब इन इकाइयों की मदद से पूरी तरह हाथ खींच लेंगे। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार रिजर्व बैंक को अपना 12 सितम्बर 2011 को जारी किया गया यह सर्कुलर वापिस करने का निर्देश दे।

मेरठ खेल सामानों का प्रमुख उत्पादन केन्द्र है, परन्तु इसकी दो प्रमुख कठिनाइयों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कश्मीर विल्लो पर 2003 से देश के अन्य प्रदेशों में जाने पर प्रतिबंध है, इसको आंशिक रूप से ही सही परन्तु हटाया जाना चाहिए। देश की एकता अखण्डता के नाते भी ऐसा किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्रिकेट के बल्ले को क्रिकेट सामानों की रिजवर्ड कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए, अभी इस कैटेगरी में 7 उत्पाद शामिल हैं।

मेरठ तथा उसके आसपास हैन्डलूम कपड़े का उत्पादन होता है। मेरठ, सरथना, मुरादनगर, खेकड़ा, पिलखुवा आदि वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं। बुनकरों की मदद के लिए इस क्षेत्र में टैक्सटाइल क्लस्टर का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

सरकार ने मेगा फूड पार्कों की योजना बनाई है। अभी 15 फूड पार्क प्रस्तावित हैं। जैसा कि बताया गया है कि इन फूड पार्कों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रस्संकरण के लिए बुनियादी सुविधाएं निर्माण करना है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के वर्तमान 6 प्रतिशत के स्तर को 2015 तक 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हापुड़ तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है, मेरठ-बागपत-जे.पी.नगर-बुलंदशहर जनपदों में हापुड़ के चारों ओर फलों की बेल्ट है। यह मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि किसानों की जीवन भर लड़ाई लड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के निकट नूरपूर मटैंया नामक गांव में है। मेरा सरकार से निवेदन है कि चौधरी साहब की स्मृति में उनके जन्मस्थान पर एक मगा फूड पार्क का निर्माण किया जाये ताकि आलू तथा विभिन्न फलों के प्रसंस्करण में किसानों को मदद मिल सके। किसानों को लाभ हो तथा नये रोजगारों का भी निर्माण हो।

पूरे देश का सर्राफा व्यापारी व स्वर्णकार आज आंदोलित है–देश भर में बाजार बंदी हो रही है। वित्त मंत्री जी ने सोने पर आयात शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। अन्ब्रान्डेड ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क की योजना है तथा दो लाख से ऊपर की आभूषण खरीद पर कर कटौती का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से इस काम में लगे व्यापारियों व कारीगरों को धक्का लगेगा। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप सोने की स्मगलिंग होगी, अपराध बढ़ेंगे तथा गोल्ड कंट्रोल के समय की तरह लोगों का भारी उत्पीड़न होगा। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इन प्रस्तावों को वे वापिस लेने की घोषणा करें तथा इस कारोबार में लगे लाखों लोगों को आश्वस्त करें तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम न होने दें।

मैं अब हाउसिंग सैक्टर की बात करना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी ने कुछ प्रावधान किये हैं–बाह्य वाणिज्यिक ऋण की इजाजत दी है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना की बात की है, ग्रामीण आवासीय निधि को 3000 करोड़ से 4000 करोड़ किया है इत्यादि। मैं इन कदमों का स्वाभाविक ही स्वागत करता हूं परन्तु इस संबंध

में मेरा कुछ निवेदन है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अनुसार शहरी क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ मकानों की कमी है। वर्तमान में शहरी आबादी के आमदनी की दृष्टि से सर्वोच्च केवल 15 प्रतिशत की आवश्यकता का ध्यान रखा जा रहा है। शहरी तथा अर्द्ध-शहरी आबादी के 40 प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 8 से 20 हजार रुपये मासिक है तथा जिन्हें 4 से 10 लाख के बीच के मकानों की जरूरत है। शेष 45 प्रतिशत तो 4 लाख से 10 लाख के बीच की इस श्रेणी के लिए भी सक्षम नहीं है। सरकार सुलभ आवास की बात करती है परन्तु यह बड़ी व्यापक व अस्पष्ट टर्म है। मेरा सुझाव है कि 10 लाख से नीचे की एक अलग उपश्रेणी बनाई जाये, हाउस लोन्स की फाइलनैंसिंग में इस श्रेणी के आकार को ध्यान में रखते हुए 40 प्रतिशत का कोटा आरक्षित हो। साथ ही इस श्रेणी के होम लोन में समपार्श्विक प्रतिभूति की बंदिश न हो। अध्यक्ष ही, इस निम्न आय समूह के लोग समपार्श्विक प्रतिभूति की व्यवस्था कहां से करेंगे? इस प्रकार की बंदिश कमजोर वर्ग के लोगों को होम लोन न देने का बहाना बन जाता है। आंकड़े बताते हैं कि होम लोन सबसे सुरक्षित लोन है। अपनी छत को कोई गंवाना नहीं चाहता तथा पूरी कोशिश करके लोन को चुकाने की व्यवस्था करता है। समपार्श्विक प्रतिभूति की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है।

आईटी की स्थायी समिति का मैं सदस्य हूं। इस मंत्रालय से सम्बन्धित अनेक बातें मुझे चिंतित करती है। देश को झकझोर देने वाले 1.76 लाख करोड़ का घोटाला यहां हो चुका है, हालांकि कोयला मंत्रालय ने घोटाले की दृष्टि से संभवत: सर्वकालिक नया रिकार्ड बना दिया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। वित्त मंत्री जी अपने बजटीय घाटे को लेकर चिन्तित रहते हैं। उसे कम करने के अनेक प्रयास करते हैं परन्तु मेरा इस सरकार पर आरोप है कि घोटालों के कारण खजाने में न आ पाने वाले रुपयों के प्रति यह सरकार गंभीर नहीं है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बन्धित अनियमितताओं की विभिन्न आशंकाओं को लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को 5 पत्र लिखे हैं, संक्षेप में मैं उनका विवरण दे रहा हूं। दिनांक 28.6.2011 को मैंने यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के दुरूपयोग के बारे में लिखा जिसमें रूरल टेलीफोनी के नाम पर लगभग 1650 करोड़ का घोटाला हुआ, दिनांक 4.7.2011 को लिखे पत्र में मैंने रिलायन्स ग्रुप पर किए गए 650 करोड़ के जुर्माने को विभाग के मंत्री जी द्वारा मात्र 5.49 करोड़ किए जाने का मुद्दा उठाया, दिनांक 8 दिसम्बर 2011 को लिखे अपने तीसरे पत्र में मैंने टेलीकॉम कन्सल्टैंट ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के शेयर लगभग 2000 करोड़ कम दाम में भारती हैस्काम को दिये जाने की चर्चा की, 7 दिसम्बर 2011 तथा 4 जनवरी 2012 को लिखे पत्रों में मैंने घोटालों के बाद भी गलत ढंग से आवंटित स्पैक्ट्रम की विड्थ बढ़ाने का मुद्दा उठाया परन्तु इन पांच पत्रों में से किसी का भी समाधानकारक उत्तर मुझे नहीं मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय से केवल यही उत्तर आया आपका पत्र प्राप्त हुआ, मामलों की जांच की जा रही है। सरकार का यह रवैया भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा या उसे बढ़ाएगा? इन सब विषयों पर सरकार की नजर रहे तो निश्चित ही वित्त मंत्री जी के पास देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अधिक पैसा होगा।

आई टी सैक्टर से सम्बन्धित एक और बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार द्वारा आईटी के क्षेत्र में हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन की स्थिति अत्यन्त खराब है, अत्यन्त चिन्ताजनक है तथा इसके कारण देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। स्वदेशी उत्पादन के नाम पर हम केवल टावर खड़े कर रहे हैं, केबिल का इस्तेमाल करते हैं या छोटा मोटा लोहा लंगड़ का उपयोग करते हैं जबकि ऐसा करते समय सभी महत्वपूर्ण उपकरणों का हम आयात करते हैं। जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। इन उपकरणों में चीन में निर्मित उपकरणों का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है जिसके कारण हमारी सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। पैट्रोल के बाद आईटी हार्डवेयर के आयात पर हम सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं जिसके भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में विस्तृत कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता है। इस समय हाल यह है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आईटी हाईवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुल 1100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, विभाग की लापरवाही के चलते उसमें से केवल 61.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके। इस योजना के वर्ष 2010-11 में इस मद में केवल 2.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो उस वर्ष के लिए प्रस्तावित 250 करोड़ रुपये की रकम का केवल 1 प्रतिशत था, यह बानगी है—आई टी क्षेत्र में स्वदेशी हाईवेयर के उत्पादन के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता की। क्या हम इस तरीके से चीन सहित अपने वैश्विक प्रतियोगियों से मुकाबला कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा, आईटी के क्षेत्र में सम्पूर्ण एवं विस्तृत कार्ययोजना की तुरन्त आवश्यकता है, चीन इत्यादि देश अपने यहां स्वदेशी उत्पादन के लिए उत्पादकों की मदद करते हैं, हमारी सरकार को भी वैसा करना चाहिए। वित्त मंत्री जी को इस दृष्टि से विशेष आर्थिक प्रावधान करने चाहिए।

मैं समझता हूं कि समय की सीमा है, मैं केवल एक और विषय सम्मानित सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह विषय है हमारी सरकारी हवाई सेवा एयर इन्डिया का। सब जानते हैं कि एयर इंडिया की हालत खराब है-क्यों है? इस पर श्वेत पत्र आना चाहिए, नवनियुक्त माननीय नागर विमानन मंत्री जी ने श्वेत पत्र लाने का वादा भी किया है, वे जरूर लायें तथा जल्दी लायें ताकि पता चले कि बीमारी क्या है। तथा सरकार इस बीमारी का क्या इलाज करने जा रही है।

एयर इंडिया के केबिन क्रू के कर्मचारी बहुत दुखी हैं। तीन महीने से उनके वेतन नहीं मिल रहे, अक्टूबर 2011 से उनके भत्ते उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। एयर इंडिया में ओवर स्टाफ की समस्या पहले से है परन्तु संविदा के आधार पर नए एरलाइन अटैंडेंट भर्ती किए गए हैं। इन अटैंडेंटस का तो भुगतान हो रहा है परन्तु नियमित कर्मचारियों की चिन्ता एयर इंडिया को नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे तथा इन कर्मचारियों की समस्या हल करे।

[अनुवाद]

***श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): मैं अपने माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को इस कठिन आर्थिक समय में एक संतुलित बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है, यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने हेतु बधाई दी जानी चाहिए। इस बजट में ग्रामीण भारत में वास्तविक बदलाव लाने तथा गरीबों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है।

वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां हैं। किंतु यह भी एक तथ्य है कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत अभी भी आर्थिक वृद्धि में अग्रणी देशों में से एक है। मैं माननीय वित्त मंत्री के जज्बे के आगे नतमस्तक हूं। हमारे समक्ष इन बड़ी चुनौतियों के बावजूद हम निराश नहीं हुए हैं।

वर्ष 2011-12 में इस अवधि से जुड़े कई संकेतक यह बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में अब बदलाव आ रहा है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट और विद्युत क्षेत्रों में सुधार के संकेत हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका समग्र अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में भी पुनरुद्धार के लक्षण हैं।

हमारे लिए उच्च मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित कर रही है। संरचनात्मक सुधारों के साथ सरकार द्वारा किए गए उपायों से उच्च मुद्रास्फीति एकल अंक में बनी हुई है। मैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए सरकार के अथक प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं।

मैं राजसहायता में हो रही चोरी को रोकने के लिए वित्त मंत्री के विचार का स्वागत करती हूं क्योंकि यह राजसहायता लक्षित लाभार्थियों को मिलनी चाहिए। मैं खाद्य सुरक्षा विधेयक को दी जाने वाले पूर्ण बजटीय सहायता का स्वागत करती हूं। इस वित्तीय वर्ष में मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (एमएफएमएस) के कार्यान्वयन से लक्षित किसानों को राजसहायता का लाभ देने में निश्चित ही सहायता मिलेगी। इस कदम से 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और उर्वरकों के दुरुपयोग में कटौती से राजसहायता पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

वित्तीय लिखतों में बचतों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने और घरेलू पूंजी बाजार में सुधार लाने के लिए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना नामक इस प्रस्तावित योजना से उन नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत तक आयकर कमी का लाभ मिलेगा जो इक्विटी में प्रत्यक्षत: 50,000 रुपए का निवेश करते हैं और जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम है। मैं वित्त मंत्री से यह देखने का अनुरोध करती हूं कि इससे डाक बचत योजनाओं इत्यादि जैसी छोटी बचत योजनाएं प्रभावित न हों।

सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ष 2012-13 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और नाबार्ड सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण हेतु 15,888 करोड़ रुपए का प्रावधान एक स्वागतयोग्य कदम है। हमारे विकास में पर्याप्त अवसरंचना की कमी एक बड़ी बाधा है। अब तक हमने जिस नीति का अनुसरण किया है वह नीति है सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के सामंजस्य के माध्यम से अवसंरचना में निवेश को बढ़ाना है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचना निवेश 50 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे शरापुलोवा होते हुए श्रीकाकुला तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को 4 लेन से विस्तार कर 6 लेन वाला करें। अवसंरचना में पीपीपी के समर्थन के लिए इस स्कीम के तहत व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण लिखत है। इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि इस स्कीम के तहत वीजीएफ हेतु सिंचाई (बांध, नहर और तटबंध सहित), टर्मिनल मार्केट, कृषि बाजार में सामान्य अवसंरचना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और उर्वरक क्षेत्र में पूंजी निवेश को ग्राह्य बनाया जाए। तेल और गैस/एलएनजी भंडारण सुविधाएं एवं तेल तथा गैस पाइप लाइन, दूरसंचार के लिए नियत नेटवर्क एवं दूरसंचार टावरों को भी व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के लिए पात्र बनाया जाएगा।

मैं बड़े शहरों और कस्बों में निम्न आय वर्ग के लिए आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए तथा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों के ऋणों की माफी के लिए सरकार के 3,884 करोड़

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रुपए के वित्तीय पैकेज का स्वागत करती हूं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की बाजार में पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक नीति बनाई है जिसमें मंत्री और केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों (सीपीएसई) को अपनी वार्षिक खरीद को कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदने को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद किए जाने के लिए नियत किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुदृढ़ करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

किसानों को वहनीय ब्याज दरों पर ऋण की आवश्यकता होती है। मैं कृषि ऋण के लक्ष्य को 2012-13 में बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं। यह चालू वर्ष के लक्ष्य में 1,00,000 करोड़ रुपए की हानि को दर्शाता है।

मैं ब्याज छूट योजना का स्वागत करती हूं क्योंकि किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से अल्पकालिक ऋणों को 2012-13 में जारी रखा जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की छूट प्रदान करने से ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा पराक्रम्य भण्डागार रसीद पर फसल कटाई के छह महीने बाद तक ऐसी ही ब्याज में छूट उपलब्ध रहेगी। इससे भण्डागारों में किसानों को अपनी उपज रखने हेतु बढ़ावा मिलेगा। इन सभी उपायों से भारतीय किसानों को बहुत राहत मिलेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं, जैसा कि आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है, कि वह बिना ब्याज के ऋण दें। इस पड़ाव पर मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं वह परांथी तथा चेवेल्ला सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं का दर्जा देने में मदद करें।

मैं समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीसी) योजना को पुनर्गठित कर इसे सुदृढ़ करने का स्वागत करती हूं। वर्ष 2011-12 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 2012-13 में 15,850 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे इसमें 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इस उपाय का स्वागत करती हूं जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा। जल की गुणवत्ता के साथ खराब स्वच्छता उन कारकों में से एक है जो कुपोषण को बढ़ावा देता है। ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता में वर्ष 2011-12 में 11,080 करोड़ को बढ़ाकर 2012-13 में 14,000 करोड़ करने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है।

ग्रामीण सड़कें समग्र रूप से संपर्क स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है।

बारहवीं योजना में उत्कृष्ट 6000 आदर्श विद्यालय के रूप में ब्लॉक स्तर पर खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए पर्याप्त अतिरिक्त राशि के आवंटन से शैक्षिक अवसंरचना में सुधार में बहुत मदद मिलेगी।

हमारे बहुत से युवाओं को डिग्री और प्रमाण पत्र मिल रहे हैं किंतु वे नौकरी या स्व-नियोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित आवंटन से युवाओं को बहुत लाभ होगा। यह जानकर खुशी हुई कि प्रशिक्षित लोगों में से 80 प्रतिशत को रोजगार मिल रहा है। कौशल विकास करने हेतु सुधारों के लिए पृथक ऋण गारंटी निधि से संस्थागत ऋण के प्रवाह में सुधारों को बाजारोन्मुखी कौशल अर्जन में लाना होगा। मैं इस कदम का स्वागत करती हूं। मैं बीपीएल लाभार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किए जाने का स्वागत करती हूं।

बीपीएल परिवार के मुख्य उपार्जक व्यक्ति के 18 से 64 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु होने पर परिवार लाभ योजना के अंतर्गत एकमुश्त अनुदान को दोगुना कर 20,000 रुपए करने से पीड़ित परिवार को मदद मिलेगी। मैं वित्त मंत्री जी को अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कृषि संस्थाओं को निधियां प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूं जिसमें हैदराबाद स्थित आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय को प्रदान किए गए 100 करोड़ रुपए शामिल हैं। मैं वित्त मंत्री से संस्थाओं के सभी वांछित स्कंधों को अनुदान समान रूप से वितरित करने के लिए निदेश देने हेतु अनुरोध करती हूं।

7 और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का विस्तार किया जा रहा है। मैं सरकार से तटवर्ती आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योयजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध करती हूं।

सप्रंग की हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने विभिन्न मंचों पर बार-बार जोर दिया है कि सप्रंग काले धन का पता लगाने और भ्रष्टाचार मिटाने की इच्छुक है। मैं वित्त मंत्री के संसद के वर्तमान सत्र में सभा पटल पर काले धन संबंधी श्वेत पत्र को रखे जाने के प्रस्ताव का स्वागत करती हूं।

मैं वित्त मंत्री को गुंटूर तथा दूसरा झारखंड में गोड्डा एवं पड़ोसी जिलों में दो और हथकरघा मेगा क्लस्टर्स पहला आंध्र प्रदेश में प्रकाशम और लगाने की घोषणा तथा हथकरघा, विद्युतकरघा एवं चमड़ा उद्योग क्षेत्रों से संबंधित पांच मेगा कलस्टरों में महिला कामगारों के लिए डोरमिटरियों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

आवास हर किसी के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता है। वित्त मंत्री जी ने न्यूनतम वहनीय लागत वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक ऋणों और आवास संबंधी ऋणों के लिए संस्थागत ऋणों की और अधिक आवक सुनिश्चित करने के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि फंड की स्थापना की अनुमति का प्रस्ताव रखा है। न्यूनतम वहनीय लागत वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक ऋणों निम्नलिखित बजट संबंधी उपाय स्वागत योग्य है।

(क) आवासीय ऋणों के लिए सांस्थानिक ऋणों की और आर्थिक आवक सुनिश्चित करने के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि की स्थापना;

(ख) ग्रामीण आवासीय निधि के अंतर्गत प्रावधानों को 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपये करना।

मैं माननीय वित्त मंत्री से सेवा कर को 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हूं। मैं उनसे सेवा कर में ऋणात्मक सूची को बढ़ाने का भी अनुरोध करती हूं।

अंत में, मैं कहना चाहती हूं कि यदि हम स्वयं को बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में ढाल लें, तो हम आर्थिक विकास हासिल करने वाले अग्रणियों में अवश्य ही अपना स्थान बनाए रख सकते है, जिसका परिणाम समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। हम बिना निर्दयी हुए भी अच्छे हो सकते हैं।

मैं केन्द्रीय बजट 2012-13 का समर्थन करती हूं।

***श्री जोस के. मणि** (कोट्टयम): मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किए गए वर्ष 2012-13 के बजट पर अपनी पार्टी के विचार रख रहा हूं।

सर्वप्रथम, मैं सरकार को बजट प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं जिसमें राष्ट्र की राजकोषीय स्थिति को ठीक करने और सभी को कुछ न कुछ देने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए गए हैं।

राजसहायताओं से आरंभ करते हुए मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि देश के लोगों की दिनचर्या भोजन, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल से शुरू होती है। आम आदमी पर इनकी कीमतों में थोड़ी वृद्धि का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली हलचलों से बजट में राजसहायताओं की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए कहा गया कि परिवारों को राजसहायता बचाती रही है। फिर भी केन्द्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद का राजसहायता पर होने वाले व्यय को 2% तक सीमित करना चाहती है जिसे आने वाले वर्षों में कम करके 1.75% से कम की दर पर लाया जाएगा।

भारत में, हमें अपने सभी नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करनी है और सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारियों की सीमा निर्धारित करना न्यायोचित नहीं है और इसलिए इनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है।

कृषि के संदर्भ में सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत में खेती करना जुआ खेलने के समान है जिसमें कि अनिश्चित जलवायु की स्थिति और इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ते हुए लागत मूल्य शामिल हैं। इस प्रकार सरकार को कम से कम किसानों को निम्न दरों पर ऋण समय पर सुनिश्चित करना ही चाहिए ताकि किसानों को गरिमा के साथ कृषि कार्य करने में मदद मिल सके। इस संबंध में सरकार ने ऋण-लक्ष्य के तौर पर 5,75,000 करोड़ रुपए ठीक ही रखे हैं और 7 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज छूट योजना जारी रखी है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। छोटे और सीमांत किसान, जिनका प्रतिशत कुल किसान परिवारों का 80 फीसदी से ज्यादा है, औपचारिक वित्तीय माध्यमों से एक प्रकार से बहिष्कृत ही हैं। राष्ट्रीय ऋण परिषद की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि वाणिज्यिक बैंकों को पहचान किए गए क्षेत्रों को अपने बैंकिंग-ऋणों का 40 फीसदी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में देने में तथा प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कृषि को 18% बैंक गारंटी देकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के वित्तपोषण में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

तथापि, 26 में से 18 सरकारी बैंक और 10 निजी बैंक वर्ष 2011-12 में अपने उक्त 18 प्रतिशत कृषि-ऋण के लक्ष्य को पाने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा, बैंकों द्वारा खेती के लिए ऋण के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के ऋणों के रूप में कृषि से दूर तक संबंध न रखने वाली गतिविधियों के लिए भी अपने ऋण को वर्गीकृत करने के भी कई उदाहरण हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में खबर आई थी कि एक सरकारी बैंक ने एक धनी फार्महाउस मालिक को टोयोटा कार के लिए आंशिक वित्तपोषण करके और इसे प्राथमिक क्षेत्र के ऋण के रूप में वर्गीकृत किया था। हाल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तक जब तक आरबीआई ने इसे नहीं रोका, बैंक किसानों द्वारा सोने के आभूषण गिरवी रखकर प्राप्त किए जाने वाले कृषक ऋण के लिए एनबीएफसी को दी जाने वाली अग्रिम राशि को अपने कृषि-ऋण का हिस्सा मान रहे थे।

समावेशी बैंकिंग के आदर्श सिद्धांत से धोखाधड़ी करने के अलावा, इस प्रक्रिया से एनबीएफसी ने भारी मुनाफा भी कमाया, क्योंकि उन्होंने बैंकों से 7 से 8 प्रतिशत की दर से ऋण लेकर और इसी ऋण के लिए किसानों से 15 से 16 प्रतिशत के बीच ब्याज दर वसूली। अत:, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के वर्गीकरण और कृषि-ऋण अग्रिम के मुद्दे को एक बार फिर से तुरंत देखे जाने की जरूरत है और वह फोरम, जो आरबीआई तथा एमओएफ के स्तर पर इस मामले की जांच करता है, उसे इस सिलसिले में सांसदों, कृषक संगठनों आदि से भी उनके विचार जानने चाहिए ताकि कृषि की परिभाषा में गतिविधियों/क्षेत्रों की पहचान की जा सके। इस संबंध में उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

शिक्षा के वित्तपोषण की बात करें तो वर्ष 2009 से बैंकों द्वारा शिक्षा-ऋण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए काफी फायदेमंद रहा है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिससे इस सक्षम योजना की पहुंच सीमित हो गई है। वर्तमान में बिना संपार्श्विक सुरक्षा के ऋण प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल है तथा व्यावसायिक और कौशल-विकास पाठ्यक्रमों के लिए ऋण उपलब्ध ही नहीं है। मेरा सुझाव है कि शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रदर्शन के सापेक्ष करते हुए इसके लिए उसके प्रदर्शन और उसके संस्थान की समुचित प्राधिकारी से मान्यता को ऋण की मंजूरी के लिए एकमात्र मापदंड बनाया जाए। इसके अलावा इसका कौशल-विकास और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी विस्तार होना चाहिए। चूंकि बजट में इस बात का उल्लेख है कि सरकार का इरादा योग्य अभ्यर्थियों हेतु ऋण के बेहतर प्रवाह के लिए ऋण-गारंटी निधि की स्थापना करने का है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है, क्योंकि इससे बैंक ऋण के संवितरण में सक्षम हो पाएंगे और उसके जोखिम वाले महत्वपूर्ण भाग पर एक गारंटी-फंड की हामीदारी उपलब्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरकार की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री अधीर चौधरी** (बहरामपुर): मैं 2012-13 के बजट प्रस्तावों का दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से समर्थन करता हूं जो एक चतुर और सक्रिय वित्त मंत्री के अधीनवर्ती वित्त मंत्रालय के अत्यधिक श्रम और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है।

इस बजट दस्तावेज में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह है कि उन्होंने इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की बाधाओं और उपलब्धियों को खुलकर स्वीकार किया है। यह बजट मंदी भरे आर्थिक वातावरण में रखा जा रहा है। हमने अरब देशों की क्रांति, उत्तर-अफ्रीकी देशों में राजनीतिक उथलपुथल, मध्य-पूर्व देशों में संकट, वॉल स्ट्रीट घेरो जन प्रदर्शन को देखा है। इन सभी बातों ने हमें मुश्किल में डाला और यह सब जारी रहा। उक्त यह स्थिति यूरोप के संप्रभु देशों में ऋण-संकट की वजह से और घनीभूत हुई।

इन सभी विपत्तियों के बावजूद भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.9% के स्तर को छू रहा है जबकि हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्था है।

सभी मान रहे हैं कि यदि हमारे देश में हमारे पास अपने वित्तीय विशेषज्ञ राजनीतिक नेता और विनियामक न होते तो हम इस अतंर्घ्य वित्तीय संकट के भंवर में बुरी तरह फंस गए होते।

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को वैश्विक सकल उत्पाद की 2012 के आधारभूत आउटलुक के लिए यथावत वृद्धि से ही काम चलाना पड़ेगा जो कि 2012 के निम्नतम परिदृश्य में 2.6% को छू रहा है और वर्ष 2010 के 4% से गिरकर 2013 में 3.2% होगा।

संयुक्त राष्ट्र अर्थशास्त्रियों ने आगे पूर्वानुमान किया है कि वर्ष 2012 मंद आर्थिक सुधारों के साथ या तो निर्माण या फिर विनाश का सिद्ध वर्ष होगा जो मंदी की ओर भी ले जा सकता है।

तथापि, भारत को दुनिया भर का विश्वास अभी भी हासिल है। एचडीएफसी के परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रबंध निदेशक, श्री मिलिन्द बर्वे ने कहा, "कुछ वर्षों पहले, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह सोचती थीं कि भारत में क्षमता तो है लेकिन जोखिम भी है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अब सब ये मान रहे हैं कि भारत में निवेश न करना जोखिम की बात है। भारत में वर्तमान में, स्थिरता की एक लाभदायक स्थिति है जहां प्रत्येक राजनीतिक दल सुधारों की आवश्यकता को पहचान रहा है, भले ही सुधारों की गति को लेकर मतभेद हो।"

वित्त मंत्री ने बजट में कुल व्यय 14,90,925 करोड़ रु. बताया है जिससे सकल कर प्राप्ति 10,77,612 करोड़ रु. है जो कि वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानों से 19% अधिक है और डीटीसी और जीएसटी के प्रारंभ को लेकर वह सभी हितधारकों के बीच सम्मति बनाने के लिए अपने चातुर्य का इस्तेमाल कर रहे हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

'कौटिल्य' के शब्दों में, जिस प्रकार उद्यान से कोई फल पकने पर ही तोड़ा जाता है, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि राजस्व की वसूली उसके देय होने पर ही करे।

जिस प्रकार कोई कच्चे फल नहीं तोड़ता, उसी प्रकार राजा को देयतापूर्व कोई संपदा हासिल नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर प्रजा नाराज होकर राजस्व का वह स्रोत ही नष्ट कर सकती है।

कर प्रस्तावों के संदर्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान उस अभ्यावेदन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि मुझे रत्न और आभूषण विनिर्माताओं से पुनिर्विचारार्थ प्राप्त हुआ क्योंकि काफी बड़ी संख्या में कारीगर और कुशल सुनार इस व्यापार से जुड़े हैं और जिन्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए आपके हस्तक्षेप की जरूरत है।

सुनारों और आभूषणों पर कर प्रस्तावों से संबंधित

- सोने का आयात लगभग 960 टन है। (संदर्भ: डब्ल्यूजीसी) जिसमें से ईटीएफ मांग-आधारित आयात, तथा विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेशार्थ अलाभकारी तथा बेचे गए सोने के सिक्के और सोने की ईंटों का हिस्सा कुल आयात का लगभग 20% है। (स्रोत: डब्ल्यूजीसी/रायटर्स)
- कुल आयात में से, निर्यात लगभग 25% है जो निर्यात का लगभग 70,000 करोड़ रु. बैठता है और जिसकी आभूषणों की घरेलू मांग के आकलन के लिए कटौती की जानी चाहिए। चूंकि निर्यात क्षेत्र में काफी रोजगार मिलता है। (स्रोत: एआईजीईपीसी)
- यह भी बताया गया है कि सोने की ऊंची कीमतों के कारण, कुल आभूषणों की घरेलू खपत में कमी आई है, हालांकि निवेश की उच्च प्रवृत्ति के कारण समग्र आंकड़ों से आयात में वृद्धि का पता चलता है। [गैर-लाभकारी]
- स्पष्ट है कि देश में सोने की खपत में वृद्धि वास्तव में कच्चे सोने और सोने की ईंटों में निवेश के कारण है न कि आभूषणों की खरीद के कारण।
- यह भी बताया गया है कि ईटीएफ आधार पर सोने की खपत दोगुनी हो गई है। [स्रोत: डब्ल्यूजीसी]
- 2 लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद पर लगाए जाने वाला कर आम जनता के हित में हानिकर है क्योंकि इस राशि से केवल लगभग 600 ग्राम सोना ही खरीदा जा सकता है और आयकर विभाग के उत्पीड़न से बचने के लिए अनधिकृत स्रोतों से स्वर्ण खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
- यह आश्चर्य की बात है कि 99.5%, 99.9% और अधिक की शुद्धता वाले सोने और चांदी के सिक्कों पर उत्पाद शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। यह शुद्धता स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं की जा सकती और आयात के लिए प्रोत्साहन देकर इन जिंसों को आयातित ही किया जाना चाहिए।
- सरकार का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह सिक्के या ईंट के रूप में सोने की जमाखोरी और शुद्ध सोने में व्यापार को प्रतिबंधित करे।
- भारतीय समाज में सोने के आभूषणों को 'स्त्री धन' कहा जाता है और आने वाले वर्षों में सरकार के लिए इस परंपरा को बदलना असंभव होगा और ऐसा करना गुप्त व्यापार को बढ़ावा देगा।
- इस बात की पूरी संभावना है कि घटिया गुणवत्ता के स्वर्ण आभूषण बिना किसी दस्तावेज के खरीदे जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे, जैसा कि 1963 में स्वर्ण नियंत्रण के अधिरोपण के बाद हुआ था।
- न केवल इस उद्योग के कामगार, जो कि एक करोड़ से अधिक हैं, बुरी तरह प्रभावित होंगे, बल्कि आम जनता भी गुप्त व्यापार के जरिए सोना खरीदने पर मजबूर होगी जिससे चारों ओर भ्रष्टाचार फैलेगा।

मैं कर प्रस्ताव के संबंध में दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार संसाधनों का सृजन करने और नए क्षेत्रों से कर का अर्जन करने के लिए सेवा कर का अधिरोपण करती रही है। इस संदर्भ में, मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि लघु व मध्यम सेवा प्रदाता नियमित रूप से सेवा कर जमा करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक समेत बड़े सेवा प्रदाता छोटे विक्रेताओं को सेवा कर देना नहीं चाहते हैं।

सरकार को इन लघु व मध्यम सेवा कर प्रदाताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बहुत से होटल और रेस्तरां अपने ग्राहकों अतिथियों से वेट (वीएटी) और सेवा कर दोनों वसूलते हैं, क्या वे पारदर्शिता रखते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं?

क्या मैं वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के बारे में कुछ बता सकता हूं।

हाल के महीनों में समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य और गैर-खाद्य प्राथमिक वस्तुओं से संबंधित भागीदारी में कमी आई है। ईंधन समूह

समग्र मुद्रास्फीति की वृद्धि में भारी योगदान करना जारी रखे हुए है, जबकि विनिर्मित गैर-खाद्य वस्तुओं के योगदान में थोड़ी वृद्धि हुई है।

खनन और विनिर्माण के धीमे पड़ने और निर्माण गतिविधियों में मंदी आने से औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह सेवा क्षेत्र के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आठ मूल उद्योगों में भी मंदी आई है। 2011-12 के दौरान प्रति व्यक्ति आय (0-4.5 मूल्य) 38005 रु. है जो पिछले वर्ष से कुछ कम है।

प्रमुख विकासशील देशों में चीन और भारत की वृद्धि दर मजबूत बने रहने की संभावना है। फिर भी, चीन में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 2010 में 10.3% से घटकर 2011 में 9. 3% रह गई है और 2012-13 में 9% तक गिरने की संभावना है।

निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पिछले वर्ष की संगत अवधि में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2011 के दौरान 25.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है।

संस्थागत विदेशी निवेश (एफआईईआई) के मामले में, गत 10 माह के दौरान, भारत को गत वर्ष प्राप्त 39.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में केवल 4.68 अरब अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त हुए, जो अमेरिका की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की गिरावट और यूरो क्षेत्र में गहराते ऋण संकट की ओर इशारा करता है। रुपए का मूल्यह्रास भी एक बड़ी चिंता का विषय है और कच्चे तेल का मूल्य इसे और भी प्रभावित कर सकता है।

फिर भी, चुनौतीपूर्ण कार्य केवल घरेलू मुद्दों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य समावेशन और निरंतरता के साथ-साथ वृद्धि दर सुनिश्चित करना है।

अभी भी भ्रष्टाचार हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.5% खा जाता है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत का 134वां स्थान है। विश्व के एक तिहाई गरीब भारत में रहते हैं। लगभग 50% बच्चे कुपोषित हैं। हमें अपने सभी मौजूदा संसाधनों के साथ आगे बढ़ना ही होगा।

यदि भारत समावेशी विकास चाहता है, इस प्रकार का कायाकल्प तो विनिर्माण क्षेत्र ही कर सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अकुशल लोगों के लिए बड़ी संख्या में अधिक वेतन वाली नौकरियां सृजित की जा सकती हैं।

विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ियों में से एक रहा है। इसकी कमजोरी का प्रमुख कारण इसका अपेक्षाकृत छोटा आकार है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र के मध्य से दीर्घ अवधि में 12.0-14. 0 प्रतिशत के लक्षित वृद्धि स्तर से कच्चे माल की आवश्यकता पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। कुछ कच्चा माल जैसे कि कोकिंग कोयला स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है अथवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इन कच्चे मालों के विदेशों में स्रोतों के अधिग्रहण के द्वारा ऐसे कच्चे माल की निश्चित आपूर्ति हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करते समय सैद्धांतिक रूप से, विशेषकर उन कच्चा माल परिसंपत्तियों के निर्यात को निरूत्साहित किया जाना चाहिए जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और खनन क्षेत्र देश के लिए कच्चे माल की सुरक्षा उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। न केवल स्टील और अल्यूमिनियम बल्कि ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुएं तथा जर्मेनियम, गैलियम, औस्मियम, इंडियम, ऐलेनियम, कोबाल्ट, नियोबियम, बेरीलियम, टैंटालम, वोल्फ्राम, बिस्मथ इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी धातुएं और रेयर अर्थ धातुएं, जिनका इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग होता है, महत्वपूर्ण अन्वेषण, खनन और उत्खनन तथा पुनःचक्रण को बढ़ाने के साथ-साथ देश की दीर्घावधिक रणनीतिक आवश्यकता को संपुष्ट करने के लिए वैश्विक कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयुक्त रणनीति और निधियों के बारे में बारहवीं योजना में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण उद्यमों के लिए कुशल मानव संसाधन आवश्यक है। भारत में रोजगार दिए जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या है और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के साथ उद्योगों की जरूरतों को जोड़ने वाली गतिशील कौशल विकास प्रक्रिया भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती है। कुशल कामगार अच्छे विनिर्माण सुपरवाइजर और प्रबंधक—ये सभी मानव संसाधन पूल का हिस्सा हैं। ये विनिर्माण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनिवार्य हैं। वास्तव में, उत्पादकताा के लिए आवश्यक समन्वय और निरंतर सुधारों की ये कुंजी हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग स्नातक अब फैक्ट्रियों में कार्य नहीं करते हैं। वे सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योगों में काम करते हैं और उनमें से अनेक, प्रबंधन विद्यालयों से निकलकर, वित्तीय परामर्श तथा अन्य सेवा उद्योगों में कार्य करने लग जाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र को अवश्य एक बार फिर से भारत की प्रतिभा के लिए एक आकर्षक करियर बनाया जाना चाहिए।

भारत में विनिर्माताओं के समक्ष आने वाली दो अन्य चुनौतियां विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की प्रकृति को दर्शाती हैं। प्रारूपों और निरीक्षणों की अत्यधिक संख्या, जिनका पालन विनिर्माताओं को करना पड़ता है, के कारण अन्य देशों के मुकाबले भारत में व्यापार करने की

लागत बहुत अधिक है और इनमें से कुछ तो ऐसे कानूनों में करनी होती है जिनकी समीक्षा दीर्घ काल से लंबित है जैसे कि फैक्टरी अधिनियम। इन्हें शीघ्र कारगर बनाने के लिए राज्यों और केंद्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसके कारण कुछ राज्य निवेश के लिए अधिक आकर्षक बन रहे हैं।

लोकतांत्रिक भारत में समग्र विनिर्माण रणनीति को विकसित और कार्यान्वित करने में कई चुनौतियां हैं।

उद्योग के विभिन्न पक्षों से निपटने के लिए मंत्रालयों की बहुलता है जैसे कि वाणिज्य, श्रम, पर्यावरण, विज्ञान, वित्त आदि।

अवसंरचना के प्रावधान, विभिन्न स्थानीय विनियमों के प्रबंधन और श्रम संबंधी कानून के प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में विनिर्माण में वृद्धि लाने में राज्यों की प्रमुख भूमिका होती है।

सदस्यों के (बहुधा विरोधाभासी) हितों की पैरवी करने वाले उद्योग संघ महत्वपूर्ण हितधारक हैं।

संघ, भूस्वामी आदि वे अन्य हितधारक समूह हैं जिन्हें और अधिक व्यवस्थित तथा सकारात्मक विचार-विमर्श में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

निरीक्षण निकाय समितियां बहुत अधिक संख्या में हैं। उनकी भूमिका को प्रखर बनाये जाने और उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

जनसांख्यिकी रूपरेखा के लाभ को देखते हुए, वर्ष 2020 में चीन और अमेरिका के 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप के 45 वर्ष तथा जापान के 48 वर्ष के मुकाबले औसत भारतीय की आयु मात्र 29 वर्ष होगी।

इसका लाभ उठाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रणनीतिक हस्तक्षेप और दूरदर्शिता की जरूरत है।

शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में तीव्र गति से वृद्धि करने की आवश्यकता है जो कि ग्रामीण परिवारों के लिए 63% और शहरी परिवारों के लिए 73% है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के मामले में भारत विकसित और विकासशील देशों से पीछे है।

वर्ष 2010 में उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन 12% था जबकि वर्ष 2020 तक चीन में 23%, ब्राजील में 34%, यू.के. में 57%, आस्ट्रेलिया में 77%, अमेरिका में 83%, जर्मनी में 30% नामांकन होगा। यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

हमें शिक्षा प्रणाली में सुधारों को कार्यान्वित करने और उत्पादन के नये घटकों अर्थात ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी जिनमें अर्थव्यवस्था की उत्पादक सीमाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता है, का सृजन करने की आवश्यकता है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए।

कृषि ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण दिए जाने की आवश्यकता है। सहकारी क्षेत्र द्वारा ऋण दिए जाने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है और नाबार्ड को अन्य जरूरतों के साथ ऋण सेवाओं को कवर करने में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

सहकारिता क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण केवल ऋण देने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कौशल बुद्धि और ज्ञान की दृष्टि से भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी को समेकित और कलस्टर दृष्टिकोण के द्वारा लाए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण संवितरण के लिए कृषि सहकारिता सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जहां सहकारिता प्रणाली कमजोर हो, वहां सहकारिता को वाणिज्यिक बैंकों के साथ जोड़ना एक विकल्प हो सकता है।

सरकार मानव संसाधन विकास पर बल दे रही है। लेकिन, मेरा मानना है कि किसी सांत्वना से पूर्व अभी हमें काफी कार्य करना है।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में टेलिफोनों की संख्या में 31 मार्च 2007 को 206.8 मिलियन से बढ़कर 31 दिसंबर 2011 को 926.5 मिलियन हो गई। दूरसंचार घनत्व (टेली डेनसिटी) देश में दूरसंचार पहुंच का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह मार्च 2007 में 18.2% से बढ़कर दिसंबर 2011 में 76.8% हो गई। तथापि, शहरी क्षेत्र में यह 167.4% हो गई जबकि दिसंबर के अंत तक ग्रामीण दूरसंचार घनत्व केवल 37.5% था।

मोबाइल घनत्व का लाभ उठाकर हम अपनी स्वास्थ्य सेवा का प्रसार कर सकते हैं। इस वर्ष एनआरएचएम के लिए 20.822 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यदि मोबाइल फोनों में टेलीमेडिसिन संबंधी मोबाइल एप्लीकेशंस को डाला जाए और तदनुसार लोगों को इसका उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाए, तो ग्रामीण भारत, जहां अवसरंचना खराब और अपर्याप्त है, में विभिन्न बीमारियों और व्याधियों को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। टेलीमेडिसिन इस अंतर को दूर कर सकती है और संचालकों के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं के रूप में राजस्व भी सृजित कर सकती है।

इस वर्ष के बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री ने कृपापूर्वक मुर्शिदाबाद जिले के कांदी सब डिविजन में बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 439 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कांदी मास्टर प्लान मुर्शिदाबाद, बीरभूम और बर्दवान जिलों के लोगों का बहुप्रतीक्षित स्वप्न था जहां बाढ़ एक चिरस्थायी समस्या है जिससे भूमि, फसल, घरों और संपत्तियों की हानि होती है। तथापि, यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसे चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। वित्त मंत्री की उदारता के कारण आने वाले वर्षों में ये लोग जलप्लावन और अकथनीय कष्टों से बच सकेंगे।

इस जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए मैं प्रस्ताव करूंगा कि मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अधीन एक केंद्र की स्थापना की जाए।

गंगा, पदमा और भागीरथी नदियों के तटों पर भूमि के कटाव की तीव्रता को देखते हुए मैं ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड के समान गंगा-पदमा-भागीरथी नदी बोर्ड की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मैं प्रस्ताव करूंगा कि राष्ट्रीय जूट प्रौद्योगिकी मिशन को 12वीं योजनावधि में शामिल किया जाए और पूर्वी भारत के जूट उत्पादकों को लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए जहां दूसरी हरित क्रांति प्रस्तावित है।

मैं मुर्शिदाबाद को बहुक्षेत्रक पोषण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं पश्चिम बंगाल से हूं जहां 34 वर्ष के वामपंथी शासन के बाद सरकार बदल गई है लेकिन किसानों की दशा पूर्ववत ही है। पश्चिम बंगाल को एक विकेंद्रीकृत खरीद राज्य के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के कारण केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिससे हमें अत्यधिक ठेस लगी है और निराशा हुई है। इस गिरोह में बिचौलिया, चावल मिल मालिक तथा खाद्य आपूर्ति विभाग के बाबू शामिल हैं जो किसी न किसी बहाने से किसानों को वंचित रखकर धन लूट रहे हैं। किसान अपने उत्पाद को गैर-लाभकारी मूल्यों पर बेचने के लिए मजबूर है जिससे उन्हें अत्यधिक वित्तीय हानि होती है। हमारे देश के संघीय ढांचे को बनाए रखते हुए केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र वित्त मंत्री द्वारा 13-14 अक्तूबर 2010 को पहले से ही आरंभ किया जा चुका है जिसके द्वारा 'लुक ईस्ट पॉलिसी' से तालमेल बिठाते हुए इस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया में एक प्रमुख उत्प्रेरक भूमिका निभाने का वायदा किया गया था। कोलकाता में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसे 12 मार्च 2012 को वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में फिर से आरंभ किया गया जो कि वास्तव में भ्रामक है। कोलकाता में प्रस्तावित वित्तीय केंद्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

मैं इंदिरा आवास योजना की धनराशि प्रति परिवार 45,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किए जाने की सिफारिश और प्रस्ताव करता हूं।

अंत में यह बजट आने वाले दिनों में सभी परेशानियों को दूर करेगा और भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री चंदूलाल साहू** (महासमंद): केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया 2012-13 का सामान्य बजट देश के लोगों के लिए अत्यत निराधाजनक एव महंगाई बढ़ाने वाला रहा है। इस बजट की चहु ओर आलोचना हो रही है तथा जनविरोधी साबित हुआ है। इस बजट से 70 प्रतिशत जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बजट में आयकर की सीमा एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की गई। जबकि सभी सोच रहे थे कि यह सीमा 3 लाख तक होगी किन्तु आयकर की सीमा में मामूली सी वृद्धि कर लालीपॉप थमा दिया गया। सेवा कर एवं उत्पाद कर में 2-2 प्रतिशत बढ़ोतरी कर देश को जनता पर 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला गया है। देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चारो ओर महंगाई बढ़ रही है। वहां सरकार प्रतिकूल टिप्पणी से बचने के लिए साकारात्मक कदम उठाने की बजाय खामोश है। बजटीय इतिहास में सबसे अधिक करों का बोझ लाद दिया गया। इस उच्च कराधान का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से स्वर्ण आभूषण में उत्पाद कर लगाने से इंस्पेक्टर राज की वापसी के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्व का नुकसान होगा। कारपोरेट जगत इसका फायदा उठायेगा। इस उत्पाद कर से प्रति 10 ग्राम सोना 1300 1400 रुपये महंगा हो जायेगा। इस उत्पाद कर के कुप्रभाव से देश के सर्राफा व्यवसायी विगत 10-11 दिनों से आंदोलित एवं आक्रोशित हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कृषि है। किन्तु धान पैदा करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान इस बजट में नहीं किया गया। किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। उत्पादन लागत और समर्थन मूल्य लगभग बराबर है। जबकि इस बजट में बेहतर मूल्य देने के व्यवस्था होनी चाहिए थी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी बजटीय व्यवस्था की गई है जबकि यह बिल अभी स्थायी समिति में लंबित हैं। और यह तय नहीं हो पाया कि गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कि क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 रुपया एवं शहरी क्षेत्र के लिए 32 रुपया तथा संशोधित राशि 22 रुपया एवं 28 रुपया तक खर्च करने वाला प्रति व्यक्ति गरीब नहीं होगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो गरीबी दूर करने के बजाय गरीब को ही दूर करना होगा तथा गरीबी के साथ क्रूर मजाक होगा। जो एक हास्यास्पद होगा।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर दम भरने वाली यह यूपीए सरकार वर्तमान बजट में कटौती कर क्या संदेश देना चाहती है। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। गरीबों को निर्धारित 100 दिन में से सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। इस योजना से कोई स्थायी परिसम्पत्ति नहीं बन पायी और न ही गांव, गरीब का विकास हो पाया।

सबको शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 से प्रारम्भ हुआ है। किन्तु कितने लोगों तक यह विधेयक पहुंच पाया। कितने बच्चे इसका लाभ ले पाये। क्या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे शिक्षित हो पाये। क्या कचरे के ढेर में अपनी जिंदगी चुनने वाले बच्चों तक शिक्षा का अधिकार पहुंच पाया। यदि नहीं तो आपने इसके लिए क्या उपाय किये हैं। यदि आप कोई कारगर उपाय नहीं कर पाये तो आपका यह पूरा बजट ही बेकार साबित होगा।

हमारा देश अध्यात्म, धर्म, कला संस्कृति, दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है और गुरु होने का गौरव प्राप्त था किन्तु दुर्भाग्य है कि आजादी के 64 वर्ष बाद भी उस गौरव को हम प्राप्त नहीं कर सके और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अग्रणी हो गये हैं। आज देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम सीमा पर है। प्रतिदित नये-नये घोटाले उजागर हो रहे हैं। जिसको रोकने के लिए आपके द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति है।

देश का करोड़ों-अरबों रुपया काले धन के रूप में स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं अन्य देश में जमा है। किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक हम उस काले धन को अपने देश में नहीं ला पाये। जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इसमें सफल रहे हैं और हम सिर्फ परीक्षण कराते हुए रह गये। इस बात का आपको धन्यवाद देता हूं कि कालेधन के संबंध में आपने श्वेत पत्र जारी करने का वायदा किया है किन्तु यह वायदा केवल वायदा ही न रहे इस बात का विशेष ध्यान देने का निवेदन करता हूं।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र महासमुंद बागबहारा ब्लाक में धर्मपुरा जलाशय एवं पीपरक्षेणी बांध (छुरा ब्लॉक) के प्रोजेक्ट वन मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हुए हैं जिसकी स्वीकृति के बिना जलाशय एवं बांध नहीं बन पा रहे हैं इन्हें अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाये।

प्रस्तुत बजट देश के विकास के संबंध में न तो कोई योजना दर्शाता है और न ही इसके जीडीपी के ग्रोथ रेट में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होने की संभावना है और न ही इससे महंगाई रूकने वाली है। अत: मैं इस बजट में कटौती का प्रस्ताव रखते हुए इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सी. आर. पाटिल** (नवसारी): दो लाख रुपये के स्वर्ण आभूषण की खरीद के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता के लागू होने के साथ निम्न आय समूह के लोगों के हुए उत्पीड़न को नकारा नहीं जा सकता। यदि कोई गरीब किसान विवाह के लिए 2 चूड़ियां और एक मंगलसूत्र खरीदने के लिए जाता है तो वह अपने आप नहीं खरीद सकता। उसे कोई अवैध माध्यम अपनाना पड़ेगा और तब ही वह उसे खरीद पाएगा, उस पर एक अन्य अतिरिक्त भार यह है कि उसे या तो पैन कार्ड तत्काल बनवाना होगा। हम सभी समझते हैं कि इन गरीब किसानों/कामगारों के लिए तत्काल का अर्थ है शातिर एजेंटों की मदद लेना जो हमारी सरकारी मशीनरी के सभी जटिल नियमों को उन्हें दिखाकर उनकी मेहनत की कमाई को लूटने की फिराक में रहते हैं।

इस संबंध में मेरा दृढ़ निवेदन है कि हमें उनके जीवन को 2 स्वर्ण कंगनों और एक मंगलसूत्र खरीदने के लिए, जो कि हमारे समाज में बेटी के विवाह के लिए मूल आवश्यकता है, पैन कार्ड की अनिवार्यता जैसे नियमों से और अधिक कष्टदायी न बनाकर उनके जीवन को सुचारू बनाने के लिए प्रावधान करने चाहिए।

गुजरात, विशेषकर सूरत के हीरा और स्वर्ण आभूषण उद्योग गंभीर मंदी से गुजर रहे हैं और कर के अतिरिक्त भार ने इसकी कठिनाई और बढ़ा दी है।

मैं निम्नलिखित को वापस लेने का विनम्र निवेदन करता हूं:

(एक) निर्धन किसानों/श्रमिकों के लिए 2 लाख से अधिक के स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता का खंड;

(दो) स्वर्ण और हीरा उद्योग पर अतिरिक्त करों और शुल्कों को समाप्त किया जाए क्योंकि इससे काफी संख्या में रोजगार और कारोबार जुड़ा हुआ है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी** (अहमदनगर): मैं आम आदमी विशेषकर समाज के निर्धन और मध्य वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 के लिए लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की मुख्य विशेषताओं और इसमें आवश्यक सुधारों को सभा पटल पर रखता हूं।

केंद्रीय बजट 2012-13 में, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बहुप्रतीक्षित आयकर दरों के स्लैब में मामूली लाभ प्रदान किया है। सर्वाधिक लाभ उन व्यक्तियों को होगा जिनकी आमदनी 800001 रु. से 99,999 रु. वार्षिक है। वे 30% के स्लैब से 20% के स्लैब में आ गए हैं।

व्यक्तिगत आयकर स्लैब

न्यूनतम आयकर स्लैब को मौजूदा 1.8 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रु. करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे 180,001 रु. से 199,999 रु. तक की आमदनी वाले सभी करदाताओं को 2000 रु. की बचत होगी। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर स्लैबों की घोषणा नहीं की है लेकिन इनकी प्रतीक्षा है।

वेतनभोगी और नौकरीपेशा वर्गों के नए कर स्लैब में मामूली बढ़ोतरी की गई है। गत 1.8 लाख रु. की तुलना में 2 लाख रु. तक कोई आयकर नहीं होगा। इस वर्ष के बजट में न्यूनतम आयकर सीमा में बढ़ोतरी मध्य वर्ग की आशा से काफी कम है।

यह वास्तविकता है कि अधिकांश निम्न मध्य वर्ग आरंभिक कर छूट सीमा से प्रभावित होता है। 2 लाख की सीमा में कमी होने की आशा कम है। 2 से 5 लाख के लिए 10% और 5 लाख रु. से 10 लाख रु. के लिए 20% और 10 लाख रु. से अधिक पर 30% तक का कर निर्धारित किया गया है।

इस तथ्य को देखते हुए कि आमदनी के साथ-साथ देश में जीवनयापन की लागत में वृद्धि हुई है जिससे बड़ी संख्या में देश के लोग अधिक आय अर्जित करने वाले समूह में आ गए हैं वे कराधान की इस योजना से प्रभावित होंगे।

निरंतर मुद्रास्फीति को देखते हुए इस कर योजना में आम आदमी के लिए बहुत कम राहत है। अधिक कर राहत की आशा धूमिल हुई है और यह प्रत्यक्ष रूप से मध्य वर्ग की जीवनशैली और खपत पैटर्न को प्रभावित करेगा।

कार्पोरेट कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इससे वेतन भोगी वर्ग में व्याप्त असंतोष में और वृद्धि होगी। इस तथ्य को देखते हुए कि संसदीय स्थायी समिति ने आरंभिक कर छूट सीमा को 3 लाख रु. तक बढ़ाए जाने और पात्र लिखतों पर छूट की सीमा 3.2 लाख करने की सिफारिश की थी इस प्रस्ताव के विरुद्ध राजनैतिक विरोध की संभावना है।

तथापि इसमें केवल एक अच्छी बात यह है कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के वित्त विशेषज्ञ, श्री यशवंत सिन्हा, जो प्रत्यक्ष कर संहिता पैनल के अध्यक्ष भी हैं, ने विभिन्न आय वर्गों हेतु क्रमश: 10%, 20% और 30% के स्लैबों को जारी रखने पर सहमति जताई है। तथापि, श्री सिन्हा ने प्रारंभिक छूट सीमा को बढ़ाने हेतु कई बार सार्वजनिक रूप से मांग की है।

इस स्कीम के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है, क्योंकि अधिकतर करदाता छूटों में पर्याप्त वृद्धि किए जाने को लेकर काफी आश्वस्त थे।

वस्तुत: अधिकतर बजट पूर्व सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि आम लोगों को निजी आय पर 3 लाख रुपये तक राहत मिलने का विश्वास था, जिससे उन्हें अधिक बचत और अपने परिवार हेतु अच्छे जीवनयापन का अवसर मिलेगा।

सभा पैनल की सिफारिशों को वित्त मंत्री द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया गया है। उनकी चिंता काफी पुष्ट होगी, जिनका बजट चर्चा के दौरान संसद में उद्घाटन किया जाएगा।

तथापि, अधिकतर वेतनभोगी मध्यम वर्ग, जो करों के रूप में अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देता है, को अधर में लटका दिया गया है। रत्न और आभूषण क्षेत्र संबंधी मुद्दा माननीय वित्त मंत्री ने संपूर्ण देश पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है।

समस्याएं: केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक विस्तृत कानून है और इसके लिए विस्तृत हिसाब-किताब बुक कीपिंग रखने की आवश्यकता है। लागतों और अन्य ब्यौरों को रखना श्रमसाध्य कार्य है। सामान्य सुनारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह पारिवारिक स्वामित्व वाला लघु व्यवसाय है। केंद्रीय उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न से सुनारों को मानसिक पीड़ा होगा। इससे सुनार अपने व्यवसाय को बंद करेंगे अथवा डर के मारे खातों में अपने कारोबार को घोषित नहीं करेंगे। यह अतीत में जाने जैसा होगा, जब सुनारों को इंस्पेक्टर राज द्वारा परेशान किया जाता था।

समाधान: आभूषणों पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दें। सीमा शुल्क को भी पहले ही 1% से बढ़ाकर 4% कर चार गुना किया जा चुका है। इससे सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2 लाख रुपये और उससे अधिक के सभी नकदी लेन-देनों पर कर संग्रहण संबंधी मुद्दाः माननीय वित्त मंत्री ने बड़ी आभूषण खरीद पर बिक्री स्थल पर ही कर लगाने का प्रावधान लागू किया है। 2 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेनों पर अब खुदरा दुकानों में आय कर (स्रोत पर कर संग्रहण) के रूप में 1% अधिक देना होगा और सुनारों को इसे सरकार को जमा करना होगा।

समस्याः यह संग्रहण अव्यवहारिक है क्योंकि ग्राहक सुनारों को कम राशि का बिल देने के लिए कहेंगे अथवा उस सुनार के पास जाएंगे जो बिना बिल के बेचने का जोखिम उठाने को राजी हो। इससे चोरी छुपे का व्यवसाय पनपेगा और समांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को वैट की भी हानि होगी, इसलिए सभी उद्योगों को एक समान मानें। आभूषण उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आज 2 लाख रुपये में वर्तमान दर पर 60 ग्राम स्वर्ण आभूषण भी नहीं खरीदे जा सकते।

समाधानः इस उपबंध को पूरी तरह समाप्त कर दें या वापस ले लें।

स्वर्ण आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि

मुद्दाः माननीय वित्त मंत्री ने आयात शुल्क 1% से बढ़ाकर 4% कर दिया है।

समस्याः 1% का वैट और जोड़ने से भारत में स्वर्ण पड़ोसी देशों की तुलना में 5% महंगा हो जाता है। यह काफी बड़ा अंतर है, जो सर्राफा व्यापारियों को तस्करी के लिए प्रोत्साहित करेगा। जहां एक ओर सरकार अवैध लेनदेन, धन अशोधन और काले धन को समाप्त करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर इस वृद्धि से अवैध व्यापार बढ़ेगा। इससे सरकार धनराशि के निर्गम की समस्या को तो हल कर लेगी परंतु फिर से काले धन को बढ़ावा मिलेगा।

समाधानः हमारा मानना है कि वर्तमान स्वर्ण दर में 2% की उगाही लेनी तर्कसंगत है।

अंत में अति महत्वपूर्ण तथ्यः

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए सरकार का इरादा क्या है? यह उद्योग स्वर्णकारों और कारीगरों सहित 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग से जुड़े लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े कुशल कारीगरी करने वाले पुरुष और महिलाएं हैं। जिन उत्पादों का निर्माण वे करते हैं वे भारतीय संस्कृति का आधार हैं। क्या सरकार का इरादा भारत की संस्कृति और शिल्प को नष्ट करने का है?

शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में केंद्र सरकार के स्तर पर विचारार्थ महत्वपूर्ण मुद्दे

जैसा कि आप जानते हैं कि सहकारी बैंकिंग प्रणाली एक कठिन दौर से गुजर रही है और सदस्यों/जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए, अनुरोध है कि बैंक की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय को अलग से नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि निम्नांकित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए।

लाभ पर आयकर का अधिरोपण

शहरी सहकारी बैंकों ने अपने ऊपर से आयकर के अधिरोपण और धारा 80त की नई उपधारा 4 को समाप्त करने का अनुरोध किया है ताकि सामान्य कटौती को बहाल किया जा सके जो सहकारी बैंकों को उपलब्ध थी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80त में शामिल करने से इस क्षेत्र को वंचित रखना एक ऐसा उपाय है जिससे संभावित रूप से इस क्षेत्र को बड़ी क्षति होगी जिसकी इस देश के जन आंदोलन के रूप में प्रशंसा की जाती है।

कर के रूप में पूर्व प्रावधान वाले लाभ के करीब एक तिहाई को निकाल लेने से जमाकर्ताओं को नुकसान होता है। शेयरधारक कम से कम न्यूनतम लाभांश की आशा करते हैं। इस कर बोझ से इस मामले में बैंकर अशक्त हो जाएगा और इससे प्रदत्त पूंजी का प्रवाह क्षीण हो जाएगा।

मैं महसूस करता हूं कि सहकारी बैंकों पर कर लगाने से पूंजी सृजन की प्रक्रिया बाधित होती है। इस उपाय से केंद्रीय खजाने को बहुत अधिक लाभ की संभावना नहीं है बल्कि इससे इस क्षेत्र, जिसे इस देश के जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है, को बड़ी हानि होने की संभावना है। इस बैंक के लाभ के आधार पर मितव्ययी मानदंडों का अनुपालन करना सहकारी बैंकों के लिए बड़ा कठिन है।

संक्षेप में हम निम्न रूप से अनुरोध करेंगे:

(1) कृपया धारा 80(त) को समाप्त किया जाए जिसे सहकारी बैंकों हेतु वित्त अधिनियम 2006 द्वारा लागू किया गया था;

(2) अधिशेष को बनाए रखने के लिए उन्हें अनुमति देकर विकास हेतु सहकारी बैंकों की सहायता करना;

(3) सहकारी बैंकों के पास पूंजी जुटाने के सीमित साधन होते हैं अतः कर अधिरोपण द्वारा अधिशेष पूंजी हिस्सेदारी को न लें।

(4) सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेशी विकास का सबसे अच्छा उत्प्रेरक है। कृपया इन्हें मजबूत बनाया जाए।

(5) छूट को बहाल करना और सहकारी बैंकों की सहायता करना ताकि वे हमारे लोगों के कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा कर सकें।

सभी बैंकों (टीयर-I एवं टीयर-II) के आकार के निरपेक्ष ऋण के लिए 90 दिनों के बदले 180 दिनों का एनपीए मानदंड।

आप जानते हैं कि वैश्विक मंदी के कारण पिछले 2-3 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना एवं सूखे व बाढ़ के कारण ब्याज की आय में गिरावट आई है और इस वजह से शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।

समाज के निम्न तबकों और छोटे व सूक्ष्म कारोबारी उद्यमों या व्यक्तियों के वित्त-पोषण में शहरी सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा निर्धारित समय-सीमा में किस्त के भुगतान में बैंकों के उधारकर्ताओं को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वे भुगतान के लिए या तो बड़े कार्पोरेट या सरकारी संगठनों के भुगतान पर निर्भर होते हैं। अत: शहरी सहकारी बैंकों के लिए 90 दिन के गैर निष्पादनकारी अस्तियों (एनपीए) संबंधी मानक बहुत कड़े हैं, क्योंकि इनके अधिकांश क्रेडिट पोर्टफोलियो में लघु और मध्यम आयकर के वे उद्यमी तथा व्यक्ति शामिल हैं जो बड़े कार्पोरेट एवं सरकारी संगठनों पर आश्रित थे।

अत: हमारा आपसे अनुरोध है कि सभी बैंकों (टियर-I और टियर-II) के आकार पर विचार किए बिना गैर निष्पादनकारी अस्तियों संबंधी मानक फिर से 90 दिन की बजाए 180 किए जाएं।

शहरी सहकारी बैंक-निधियों का संवर्धन

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में यह सुविदित है कि शहरी सहकारी बैंकों के पास बहुत अधिक अनुप्रयुक्त निधि है, जो इनकी लाभ प्रदता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। साख की मांग के अभाव के सामान्य कारण के अतिरिक्त एक और कारक है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रक्षित 'सीआरआर' और 'एसएसआर' भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है। गैर-एसएलआर निवेश तथा अन्तर बैंक जमा राशियां भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित इष्टतम स्तर तक है। इसके अलावा भारी मात्रा में अधिशेष निधि अनुप्रयुक्त पड़ी है। इन निवेशों पर ब्याज-दर एवं शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों पर लगाई जाने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए बैंकों का लाभ बहुत कम हो गया है, जिससे चालू वर्ष 2009-10 में बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निधियों के निवेश के कुछ और रास्ते खोजे जाने की तत्काल आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि यही उचित समय है जब कि भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों को अपनी जमाराशियों में से कुछ धनराशि अर्थात 5% तक धनराशि वाणिज्यिक बैंकों की तरह स्टॉक मार्किट में शेयरों की खरीद-फरोख्त के माध्यम से इक्विटी बाजार में लगाने की अनुमति दे। इसे लाभ अर्जित करने वाले नवरत्न के नाम से जाने जाने वाले केंद्र सरकार के उपक्रमों में लगाने तक ही सीमित किया जा सकता है। इस सूची की समीक्षा हर वर्ष की जा सकती है।

शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित करना

भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के अनुसूचीकरण के लिए पूर्व-अपेक्षा मानक निर्धारित किए हैं। तदनुसार, अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्राप्त करने वाले बैंकों के पास 250 करोड़ की जमाराशि होनी चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से बैंकों ने अनुसूचित दर्जा प्राप्त करने के पूर्व-अपेक्षा मानकों को पूरा किया है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों को अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान किए जाने पर विचार नहीं कर रहा है। हम मानते हैं कि यह उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह उचित नहीं होगा जो अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तथा जो बिना अपनी किसी गलत के 25. करोड़ रु. से अधिक की जमाराशियों के बावजूद अनिश्चित काल तक यह दर्जा प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें लगता है कि कम से कम उन कुछ बैंकों जिन्होंने बहुत पहले अनुसूचित बैंकों का दर्जा पाने के लिए आवेदन किया था और जो लगातार सशक्त रूप से आगे प्रगति कर रहे हैं को अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया जाए।

बैंकों के पुनर्वास संबंधी उन्नयन में विलंब:

वे शहरी सहकारी बैंक, जिन्होंने तत्कालीन एसएलआरसीसी बैठकों (अब टीएएफसीयूबी) में स्वयं के उन्नयन का दावा किया है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी न होने के कारण वे एक से दो वर्ष तक की लंबी अवधि तक उसी ग्रेड में लटके रहने को मजबूर किया गया। इससे अनावश्यक रूप से जनता का विश्वास कम होता है। अत: हमारा सुझाव है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सांविधिक लेखा परीक्षाओं/आंतरिक लेखाकारों, जो अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैं के प्रमाणन पर भरोसा करना चाहिए। वस्तुत: भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की प्रकटन सीमा के संबंध में ऐसे प्रमाण-पत्र पर आश्रित होता है। अत: ग्रेड के संबंध में सांविधिक लेखाकारों/आंतरिक लेखाकारों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र

पर भरोसा करने से कोई हानि नहीं होगी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक इस विकल्प पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे ऐसे ग्रेडीकरण मानकों के लघु निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए तथा यदि ऐसे निरीक्षण से पता चलता है कि इन बैंकों द्वारा किए गए दावे वास्तविक नहीं हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक उचित कार्रवाई कर सकता है। किंतु उन्नयन किए गए बैंकों को लंबे समय तक निचले ग्रेड में रखना अन्याय है तथा यह कुछ हद तक बैंक की छवि को खराब करता है।

प्रस्तावित एमसीएस अधिनियम में शहरी सहकारी बैंकों के लिए विशेष अध्याय

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सहकारी अधिनियमों में संशोधन/इनके निरसन का निर्णय किया है। इनमें संशोधन/इनके निरसन की प्रक्रिया में ऐसे अतिरेक उपबंधों जिनके लिए मानक मानदंड, सरलीकरण वसूली विधियों, नियमों और प्रक्रिया एवं त्वरित न्यायलयों की स्थापना के संबंध में प्रत्येक अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है, को समाप्त कर शहरी सहकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं हेतु पृथक अध्याय का प्रावधान करना आवश्यक है।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा चीनी मिलों का वित्त पोषण

राज्य सरकार द्वारा जारी गारंटी के आधार पर चीनी मिलों को, जो वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, अपनी स्थिति सुधारने हेतु शहरी सहकारी बैंक ऋण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में गारंटी के मानकों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। चीनी मिलों से अतिदेय राशि की वसूली में शहरी सहकारी बैंकों को कठिनाइयां आ रही हैं। अत: केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को उनके द्वारा जारी गारंटी की शर्तों का पालन करने के लिए अनुदेशित करे।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले

कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई, 2011 के परिपत्र संख्या-यू.बी.डी. बी.पी.डी. (पी.सी.बी.) एम.सी. 3/09.14.000/2011-12 का संदर्भ लें। इस परिपत्र के पैरा सं. 2.2.2 में ऋण लेने वाले के साथ व्यवहार का उल्लेख किया गया है और इसमें इस परिपत्र के पैरा 2.2.2 में किसी ऐसे ऋणग्राही के संबंध में, जिसे उस बैंक में एकाधिक सुविधाएं प्राप्त हैं, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के व्यवहार के संबंध में सुविधा-वार उल्लेख नहीं है, कि क्या इस सिलसिले में बैंक द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं को ही गैर-निष्पादनकारी आस्तियां समझा जाएगा अथवा किसी ऐसी सुविधाविशेष या उसके किसी हिस्से को जिसमें अनियमितता देखी गई है।

इस संबंध में, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को उनके निदेशक-मंडल के अनुमोदन से और बैंक पूंजी के बारे में अधिकतम निवेश सीमा निर्धारित करनी होती है।

एक या उससे अधिक संयुक्त साझेदारों सहित अलग-अलग फर्में, चाहे वे एक ही परिवार की हों, विभिन्न क्षेत्रों से अपनी गतिविधियों के जरिए व्यापार करती हैं और फिर वे सक्रिय रूप से काम करके उस व्यापार या उद्योग को आगे बढ़ाती हैं और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती हैं।

लेकिन प्राकृतिक आपदा, वित्तीय कठिनाइयों या उद्योगों में आई परेशानी के कारण बैंकों से उधार ली गई राशि के भुगतान करने में कठिनाई आती है और फिर भारतीय रिजर्व बैंक की उपर्युक्त वर्तमान नीतियों के अनुसार, ऐसी इकाइयों/उद्योगों के सभी साझेदारों को चूककर्ता मान लिया जाता है। मैं समझता हूं कि, यह उस इकाई/उद्योग के प्रति पूर्णत: अन्याय है और फिर उस इकाई के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लगभग तय हो जाती है। इसलिए, इस बारे में एकमुश्त भुगतान योजना या पुनर्वास योजना स्वीकार की जानी चाहिए। इस सिलसिले में आप देखिए कि भले ही वह उद्योग चूककर्ता है लेकिन उसकी ऋणग्राही की अन्य परियोजनाएं भली-भांति काम कर रही हैं या नहीं। यदि एक उद्योग ने चूक की तो उसके परिणाम नकारात्मक होते हैं, और फिर शेष लोग भी प्रगति नहीं कर पाते हैं। ऋणग्राही का उसके बैंकर के साथ गहरा संबंध होता है। इसलिए यह सुझाव है कि यदि कोई इकाई चूक कर गई तो उसे तो एन.पी.ए. मान लिया जाए परंतु उसके संयुक्त परिवार की अन्य औद्योगिक इकाइयों को इस कोटि में न रखा जाए। केवल चूककर्ता इकाई को ही ऐसा माना जाए। उसी परिवार की अन्य कार्यरत इकाइयों को एन.पी.ए. न माना जाए। अत: अन्य भली-भांति कार्यरत इकाइयों के विकास की दृष्टि से नीति में इस तरह का परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में उसी ऋणग्राही की अन्य इकाइयों को एन.पी.ए. न माना जाए और यह अन्याय समाप्त किया जाए। कृपया इस मामले को सावधानीपूर्वक देखें और उक्त नीति पर पुनर्विचार करके संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

निदेशकों के संबंधियों/सरोकारों हेतु ऋणों पर रोक

उक्त प्रकार की रोक लगाना मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सेवा के लिए निदेशकों के साथ अन्याय है, चूंकि ये सभी निदेशक अवैतनिक हैं और अपना कीमती समय इन कार्यों एवं उद्देश्यों के लिए दे रहे हैं। शहरी सहकारी बैंक उक्त निर्धारित प्रतिशत का कड़ाई से पालन कर रहे हैं इसलिए इसे दोबारा शुरू न करें। इस कोटि में सभी अच्छे ऋणग्राही हैं। यह भी नोट किया

जाये कि इस कोटि में अतिदेय राशि का प्रतिशत बहुत ही कम है। इसलिए निदेशकों, उनके संबंधियों/सरोकारों हेतु ऋण और अग्रिम देय पर से रोक हटाई जानी चाहिए।

नए शहरी सहकारी बैंकों को अनुज्ञप्ति संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सुझाव और टिप्पणी

कमजोर और रुग्ण शहरी सहकारी बैंकों को सभी तरह की सहायता, मार्गदर्शन और मदद देने की दृष्टि से उन्हें धन प्रदान कर विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। तभी एकछत्र प्रमुख संगठन का विचार कार्यान्वित हो पाएगा।

शहरी सहकारी बैंक के सभी शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित शहरी सहकारी बैंक के निदेशक-मंडल के सदस्यों की मौजूदा शक्तियां, कार्य और अधिकार पूर्व की तरह ही अस्तित्व में रहेंगे। प्रबंधक मंडल की स्थापना का विचार ऐसे निर्वाचित निदेशक-मंडल की प्रतिष्ठा, शक्तियों तथा अधिकारों का वंचन नहीं करेगा।

आर्थिक रूप से समृद्ध, सक्षम व योग्य सहकारी संस्थाओं को अब शहरी सहकारी बैंकों का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी सहकारी संस्थाओं के सदस्य अब बेहद कम बचे हैं।

अतएव, हम आपके बहुत आभारी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मालेगांव विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय उक्त संदर्भों व सुझावों पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

***श्री अवतार सिंह भडाना** (फरीदाबाद): मैं वित्त मंत्री माननीय श्री प्रणब दादा को बधाई देता हूं कि इस कठिन परिस्थिति और आर्थिक मंदी के बावजूद उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर को 7 प्रतिशत रखा है। कृषि क्षेत्र में हम 4 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं, यह 2.5 प्रतिशत ही है हम खाद्य सुरक्षा विधेयक की बात करते हैं तो हमें कृषि क्षेत्र पर बल देना चाहिए आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता है। उद्योगपतियों के हितों के लिए जिस प्रकार सरकार सोचती है उसी प्रकार किसानों के लिये भी विशेष प्रावधान किया जाये। मेरा वित्तमंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करें। देश में भंडारण स्टोरेज की भारी कमी के कारण भी किसानों की उपज बर्बाद हो रही है। जहां तक सिंचाई का संबंध है मेरे हरियाणा राज्य में पानी की कमी है जिस कारण समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आपने तीन परसेंट का स्पेशल इंसेंटिव का प्रावधान किया है, अगर किसान समय पर अपना ऋण अदा करता है, यह स्कीम किसानों के लिए अच्छी है। मध्यम और सीमान्त किसानों के लिए सरकार ने 10000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में की है और किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है, उसे एटीएम कार्ड के रूप में उपयोग करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, इससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा और बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि किया जाना बहुत जरूरी है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमने कुपोषण को दूर करने के लिये समेकित बल विकास योजना कार्यक्रमों पर बल देकर विशेष कार्यक्रम चलाए हैं और इसके लिये 15850 करोड रुपये का आवंटन किया है, और राजीव गांधी किशोर बालिया सशक्तिकरण योजना शुरू करने का प्रावधान किया है, मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं। देश में सुधार और विकास हो रहा है। ऐसा सरकार की अच्छी नीतियों के कारण है। मनरेगा के द्वारा गांव के निर्धन वर्गो का आत्म विश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है। सरकार को विशेषकर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन वर्गो के अनुभव का लाभ उठाकर उसमें सुधार करना चाहिए। हमें आम जनता को राहत देने के लिये ब्याज दों में कटौती करनी चाहिए, ब्याज दरों में वृद्धि होने से महंगाई कम होने वाली नहीं है। युवाओं को आत्म निर्भर करने हेतु उन्हें आठवीं कक्षा से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर देना चाहिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित करे।

वर्ष 2011-2012 में पांच लाख करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं की गयी है और इसे धनी लोगों को दिया गया है। उस समय राज सहायता के लिए दी गई कुल राशि दो लाख करोड़ रुपये थी, यदि सरकार राजस्व को इस तरह से वसूल करना बंद न करे तो फिर इसे विभिन्न कार्यक्रमों पर राज सहायता देने के लिए खर्च किया जा सकता है, जिसका वास्तव में गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ेगा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेवात एक बहुत ही गरीब एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र हैं, जहां पर 90 प्रतिशत गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक रहते हैं। इस क्षेत्र के गरीब एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है।, जहां पर 90 प्रतिशत गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक रहते हैं। इस क्षेत्र के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास के लिये, केवल उसी क्षेत्र के लिये, एक विशेष पैकेज दिया जाये ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके।

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला): केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी के माध्यम से वर्ष 2012-13 का वार्षिक बजट 16 मार्च को पेश किया गया है। देश के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं और ऐसे वक्त जब हर व्यक्ति महंगाई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से जूझ रहा हो तब तो सभी राहत चाहते हैं। इस बजट से देश का कोई भी वर्ग शायद ही खुश होगा। इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर दहाई का आंकड़ा पार कर गई है। आम आदमी जिसके लिए यह यूपीए की सरकार नाम लेते थकती नहीं-की हालत बद से बदतर कर रही है।

इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के क्षेत्र में कुछ धन के आवंटन में बढ़ोत्तरी की है। परंतु कुछ मदों में कम किया गया है। इसमें जैसे 'हार्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ-ईस्ट एंड हिमालय स्टेट्स' की ही बात लें तो पता चलेगा कि इसमें 20 करोड़ रुपये का बजट कम कर दिया गया है। वर्ष 2011-12 में जहां 160. 00 करोड़ रुपये को आवंटन कर उसे घटाकर 2012-13 में 140. 00 करोड़ रुपये कर दिया है। निश्चित ही इन पहाड़ी राज्यों में इसका असर पड़ेगा। इसी तरह सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत 2011-12 में 68.19 करोड़ रुपये का आवंटन था जोकि 2012-13 में 19.11 करोड़ रुपये का रह गया। यानि लगभग 50 करोड़ रुपये की कमी की गई है। कुछ अन्य मदों में बढ़ोतरी की गई है परंतु उसमें और धन की उपलब्धता करनी चाहिए ताकि उनमें और बेहतर तरीके से कार्य हो सके। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने क्राप इंश्योरेस के अंतर्गत जो मामूली 24 करोड़ रुपये की वृद्धि की है वह नाकाफी है फसल बीमा योजना को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए। इसी तरह कृषि क्षेत्र में रिसर्च एंड एजुकेशन में अधिक कार्य हो उसमें भी धन अधिक उपलब्ध करवाना उचित होगा।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के मकान अधिकाधिक बने, के अंतर्गत भी धन का आवंटन कम किया है। जैसे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल मात्र 970 करोड़ है। गत वर्ष से यानि 8996 करोड़ से अधिक दिया है। जबकि इसमें अधिक घरों का निर्माण हो, ऐसी योजना बनानी चाहिए। मैं यहां यह भी मांग करना चाहूंगा कि गत वर्ष इस योजना में प्रति यूनिट धन अधिक तो किया गया था परंतु इस वर्ष वह केवल 48500 रुपये ही रखा गया है। इसे बढ़कार एक लाख करना चाहिए तथा पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में इसे 25 प्रतिशत अधिक करके 1.25 लाख कर देना ही गरीब लोगों के हक में होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट को अधिक नहीं बढ़ाया गया है। सरकार को जीडीपी का 6 प्रतिशत बगैर शिक्षा पर दिए जाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अधिक अध्यापकों को ट्रैनिंग मिले और प्रशिक्षित अध्यापक ही बच्चों को शिक्षा दे तो इका लाभ उन बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। इस ओर भी बजट में प्रावधान ठीक से नहीं किया गया है। छात्रों को दसवीं के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए जो वजीफे दिए जाते हैं वह भी कम किया गया है। गत वर्ष 2011-12 में जहां यह राशि 2404.20 करोड़ रुपये थी इस वर्ष इसे घटाकर 1470 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी तरह दसवीं से पहले पढ़ रहे उन बच्चों की छात्रवृत्ति जोकि अस्वच्छ (अनक्लीन) काम में लगे हुए हैं, को भी कम कर दिया है। गत वर्ष 2011-12 में यह धनराशि 68.60 करोड़ रुपये थी जिसे घटाकर अब 2012-13 में मात्र में मात्र 10 करोड़ ही कर दिया गया है। सरकार आज बैंकों के माध्यम से उन बच्चों का शिक्षा ऋण दे रही है जोकि गरीबी के कारण अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे; ब्याज पर दे रही है परंतु आज शिक्षा पूर्ण करने पर भी नौकरियां तो मिल नहीं पा रही और ब्याज दर इतनी अधिक है कि उसे लौटा पाना उनके बस में नहीं है। सरकार को इस प्रकार के बच्चों को ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बनानी चाहिए।

2012-13 के बजट में वित्त मंत्री ने पर्यटन में मात्र 1210 करोड़ रुपये का ही आवंटन किया है जोकि नाममात्र ही है। जब हम एक तरफ पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए वित्त मंत्री बजट को बढ़ाए। पर्यटन मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 22800 करोड़ रुपये की मांग रखी है जिसे वित्त मंत्रालय को पूर्ण करना चाहिए ताकि पर्यटन के माध्यम से बेरोजगार लोगों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। क्योंकि पर्यटन के माध्यम से हम अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं सरकार को पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए हैं जोकि 20% से 25% तक के है और जब प्रदेश में जाते हैं तो उस पर प्रदेश के टैक्स और लग रहे हैं। 35% तक के टैक्स पर्यटकों से लेना बेइंसाफी है। इसका युक्तिकरण करके कम करना उचित होगा अन्यथा पर्यटन क्षेत्र में बहुत कमी आ जाएगी। नीति यह होनी चाहिए कि अधिक से अधिक पर्यटक का आवागमन हो तथा उन्हें स्वच्छ व कम दामों पर हर चीज उपलब्ध हो। सर्विस टैक्स जोकि 10% से 12% करने की योजना है उसे वापिस लिया जाना चाहिए।

करदाताओं को सीधे टैक्स में छूट न के बराबर है। यदि हम मुद्रास्फीति की दर को देखें और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसके अनुसार तो वो छूट गत वर्ष 1.80 लाख रुपये थी वह तो अपने आप में ही 2.00 लाख हो गई है। इस प्रकार करदाताओं को खासकर के कर्मचारी वर्ग के छोटे-छोटे व्यवसायियों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। इसे 3.00 लाख करना उचित है जैसे कि वित्त कमेटी ने पारित किया है।

[अनुवाद]

***डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): वर्ष 2012-13 का केंद्रीय बजट एक प्रतिगामी बजट है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और कामकाजी लोगों पर भारी बोझ पड़ेगा। बजट में कार्पोरेट और अमीर लोगों के प्रति पूर्वाग्रह इस तथ्य से पता चलता है कि अमीर लोगों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर लगे प्रत्यक्ष करों की वसूली में 4500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और सभी सेवाओं तथा उत्पाद शुल्क में वृद्धि के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत 45,940 करोड़ रुपए का लाभ होने की आशा है।

हम विलासिता की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर का स्वागत करते हैं, चूंकि यह कदम राजस्व जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता का दृढ़ता से विरोध करता है, क्योंकि इससे और सर्वत्र कीमतें बढ़ती हैं। हम रियायती ईंधन में 25,000 करोड़ रुपए की कटौती का भी विरोध करते हैं। इससे ईंधन की कीमतें अपरिहार्य रूप से और बढ़ेंगी। उर्वरकों के लिए राजसहायता में 6000 करोड़ रुपए तक की कटौती से भी उर्वरकों की कीमतें और बढ़ेंगी, जिसका किसानों पर पहले से ही असहनीय बोझ पड़ रहा है।

राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में करने के नाम पर राजसहायता में कटौती करने के बारे में सरकार की चिंता बस एक ढोंग ही है। वर्ष 2011-2012 में पहले से ही 5.3 लाख करोड़ रु. के राजस्व की भारी रकम उदित्त पड़ी है, जिसमें से पचास हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वह टैक्स-छूट की है जो कार्पोरेट जगत को दी गई /बजट अनुमानों की तुलना में सकल कर राजस्व में 30,000 करोड़ रुपए की कमी रही है, मुख्य रूप से कार्पोरेट जगत से सुस्त राजस्व संग्रह के कारण। फिर, यह बजट शेयर बाजार में निवेश करने के लिए भारी रियायतें भी दे रहा है। ऐसे समय में जब विश्व भर के देशों की सरकारें सट्टेबाजी पर कराधान द्वारा शेयर बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, इस बजट में एसटीटी (सुरक्षा लेन-देन कर) में 25 फीसदी तक कटौती की गई है और खुदरा शेयर बाजार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कर में एक नई छूट की घोषणा की गई है और यह ऐसे समय में किया गया है जबकि ईपीएफ की ब्याज दरें घटाकर 9.5 प्रतिशत से 8.25 प्रतिशत कर दी गई हैं। सट्टेबाजी को रोकने के लिए आवश्यक पूंजीगत अभिलाभ-कर की भी सरकार द्वारा एक बार फिर से अनदेखी की गई। जहां तक जनता का सवाल है, तो वास्तविक व्यय के खराब रिकार्ड के कारण उनके लिए और अधिक आवंटन करने के दावे दिखावटी हैं। बजट अनुमानों के रूप में सरकार कुछ भी आंकड़े दे सकती है, परंतु वह उस अनुमानित राशि का वास्तविक रूप से कितना खर्च कर पाती है, यह देखना होगा। पिछले वर्ष, ज्यादातर मंत्रालयों में वास्तविक व्यय में शर्मनाक कमी रही। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पिछले वर्ष 9000 करोड़ से ज्यादा की भारी कमी देखी गई, यह बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच की राशि का अंतर था। इसी प्रकार, महिलाओं हेतु बजट के अंतर्गत वास्तविक व्यय में 1200 करोड़ की कमी देखी गई। यह भी घाटे को नियंत्रित करने का एक अघोषित तरीका है।

मुद्रास्फीति पर ध्यान दें तो अधिकांश कार्यक्रमों के लिए आवंटन पूरी तरह अपर्याप्त है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति उप-घटक योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए आवंटन यद्यपि बढ़े हैं पर यह अभी भी योजना व्यय के 16.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की अपेक्षित राशि से काफी कम है और वस्तुत: पिछले वर्ष से भी कम है। यह क्रमश: 7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत है। यह बजट वृद्धि में गिरावट को रोकने के लिए सरकारी व्यय को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में असफल रहा है। ईंधन व उर्वरक राजसहायता में भारी कटौतियों और अप्रत्यक्ष कर दरों में समग्र रूप से बढ़ोतरी मुद्रास्फीति को और बढ़ाएगी।

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित): माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया 2012-13 का बजट, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में 7.6% की वृद्धि की अपेक्षा की गई है, सही दिशा में है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री ने हमारे देश की जमीनी सच्चाइयों को समझने वाला दृष्टिकोण अपनाया है और लोगों की अधिकांश श्रेणियों को संतुष्ट करने के लिए प्रावधान किए हैं और साथ ही वित्त क्षेत्र की समग्र वृद्धि का भी ध्यान रखा है।

वितरण प्रणालियों, शासन और पारदर्शिता में सुधार और सार्वजनिक जीवन में काला धन और भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करने के लिए किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाना निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगा।

2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत 8,800 किमी. का लक्ष्य तय किए जाने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। केरल में राजमार्गों और बाइपासों के विकास के लिए और निधियां आवंटित की जानी चाहिए। एरनाकुलम में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 बाइपास के कुडान्नूर, व्यट्टिला, पलारीवोट्टम और इडाप्पिल्ली जंक्शनों पर फ्लाइओवर बनाए जाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अंतर्गत खादी क्षेत्र को संवर्धित करने के उपाय स्वागतयोग्य हैं। परन्तु खादी उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए देश में खादी भवनों के नवीनीकरण के लिए त्वरित उपाय किए जाने चाहिए और खादी भवनों में कार्यरत बिक्री कार्मिकों को नियमित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर किए जाने वाले एकमुश्त भुगतान की राशि 20,000 रु. तक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी जानी चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आयकर के भुगतान के लिए आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, पर निम्न आय वर्ग को राहत देने के लिए इस सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए था।

कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से बुरी तरह प्रभावित करती है। परन्तु पड़ोसी देशों में लागू पेट्रोल मूल्य को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रित किए जाने चाहिए और उनमें वृद्धि का भार आम आदमी पर नहीं डाला जाना चाहिए।

डाकघरों के माध्यम से बचत को बढ़ावा देने के लिए, ब्याज दरों को संशोधित किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में काम कर रहे अभिकर्ताओं को पर्याप्त कमीशन और अन्य लाभ दिए जाने चाहिए।

नारियल विकास बोर्ड के लिए बजट प्रावधान बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि पौधों की मांग बढ़ गई है और नारियल की अधिक पैदावार वाली और रोग प्रतिरोधक किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान स्टेशनों की स्थापना के लिए निधियों की आवश्यकता है।

बैंक संबंधी औपचारिकताओं को कम करके और ब्याज-दर को घटा कर शिक्षा ऋणों को उदार बनाया जाए। वर्तमान ब्याज दर अनुचित है और शिक्षा ऋण हेतु यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्गों द्वारा ऋण का उपयोग किया जा सके।

खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से राजसहायता का प्रावधान करके करोड़ों लोगों को राहत देना एक क्रांतिकारी कदम है।

विद्यालय जाने वाले पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और खाद्य उपलब्ध कराने के लिए और ज्यादा धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के समग्र विकास का ध्यान रखना है।

***श्री कोडिकुन्नील सुरेश** (मावेलीकारा): आज भी अर्थव्यवस्था कोई अछूती अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। न तो इस सिद्धांत के हम अपवाद हैं और न ही विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं। आर्थिक मंदी के दौरान जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा है, हमारी अर्थव्यवस्था ने मंदी का सामना किया क्योंकि हमारे वित्तीय संस्थान मजबूत हैं। जब विश्व भर में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं डूब रहे थे, तब हमारे बैंक मजबूती के साथ बने हुए थे और इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था की सहायता की।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह सब यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी के कुशल नेतृत्व के कारण हमारा सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 में 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं 2008 की आर्थिक मंदी के प्रभाव से अभी भी जूझ रही हैं। यूपीए सरकार के सबल नीतियों के कारण हमने उस प्रकार की उथल-पुथल नहीं देखी जैसी कि अन्य देश आज देख रहे हैं। यह सभा अच्छी तरह से अवगत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार "सीज द वाल स्ट्रीट" आंदोलन का सामना किया और उसे हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना पड़ा।

यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष देश में खाद्यान्न का रिकार्ड पैदावार होने वाली है। खाद्यान्न का उत्पादन प्राक्कलित लक्ष्य से ज्यादा लगभग 250 मिलियन टन होने का अनुमान है। मैं सरकार और अपने किसानों को खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन के लिए बधाई देता हूं। हम लोग अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में हैं। यह संतोष का विषय है कि सरकार ने किसानों के लिए अल्पकालीन फसल ऋण हेतु 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण परिदान योजना जारी रखी है और साथ ही वैसे किसान जो अपने फसल ऋण को बिना विलंब के चुका रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त प्रतिशत ऋण परिदान योजना को जारी रखा है। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बैंक वैसे किसान को और फसल ऋण देने से बच रहे हैं जिन पर अन्य ऋणों की राशि बकाया है। यह केरल के किसानों का अनुभव है। मैं सरकार से ऐसे किसानों को फसल ऋण देने से नहीं बचने के लिए बैंकों को निदेश देने का अनुरोध करता हूं।

यह बजट 2012-13 आई.आई.एम. और आईआईटी के लिए राहत लाया है। इस बजट में शिक्षा हेतु आवंटन 17 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। नए आईआईएम और आईआईटी की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह प्रशंसा की बात है कि विद्यालयी शिक्षा को सेवा कर से मुक्त रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सर्वशिक्षा अभियान हेतु 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सप्रंग सरकार ने कौशल-विकास को गंभीरता से लिया है और इस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि हेतु 1000 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से शिक्षा क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा देने और देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कौशल-विकास केंद्रों में कार्य कर रही कंपनियों को कर-लाभ देने की भी मांग करता हूं।

मेरे राज्य केरल और विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की भारी कमी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाए।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजाति उपयोजना के आवंटन में क्रमश: 18% और 17.6% की बढ़ोतरी की है। यह कदम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की खुशहाली सुनिश्चित करेगा।

मैं सरकार को स्मरण कराना चाहूंगा कि उसने कुछ वर्ष पूर्व कुट्टनाड पैकेज की घोषणा की थी। कुट्टनाड पैकेज का काफी धीमी गति से कार्यान्वयन हो रहा है। मैं सरकार से इस पैकेज को समयबद्ध सीमा में कार्यान्वित करने का निवेदन करता हूं।

सरकार द्वारा आयकर छूट की सीमा 1,80,000 रु. से बढ़ाकर 2,00,000 रु. कर दी गई है। यद्यपि यह एक स्वागतयोग्य कदम है तथापि आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 2,50,000 रु. तक किया जाना चाहिए।

अब मैं अपने राज्य केरल पर आता हूं।

हजारों भारतीय नागरिक जिनमें से अधिकांश केरलवासी हैं, मध्य-पूर्व और अन्य दूरदराज के देशों में अशांति की स्थिति के कारण स्वदेश वापस आ गए हैं। वे वहां अपना धन और कारोबार खो चुके हैं और खाली हाथ वापस लौटे हैं। इन भारतीय नागरिकों ने करोड़ों रु. वहां से स्वदेश भेजकर हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है। परंतु मुझे यह देखकर दुख होता है कि 2012-13 के आम बजट में इनके पुनर्वास के लिए किसी निधि का आवंटन नहीं किया गया है। ये लोग दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से इनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त निधि के आवंटन की मांग करता हूं।

केरल में आईआईटी स्थापित करने के लिए जोरदार मांग की जा रही है। केरल शत-प्रतिशत साक्षरता वाला राज्य और शिक्षा का केंद्र है। केरल सरकार वहां आईआईटी की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है परंतु बजट में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। केरल के विद्यार्थी अन्य राज्यों के आईआईटी में प्रवेश लेने के लिए बाध्य हैं जिससे उन्हें अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से केरल में आईआईटी की स्थापना के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करने का निवेदन करता हूं।

अग्रणी समुदायों के भी करोड़ों लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वे आरक्षण आदि के लाभ से वंचित हैं और इसलिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार को उनकी दशा पर विचार करना चाहिए और उनके कल्याण के लिए अगड़े समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक निगम की स्थापना करना चाहिए।

कोल्लम जिले में लाखों कामगार हैं जो काजू उद्योग से जुड़े हैं। वे अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके कल्याण की बात नहीं कर रहा है। काजू बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समक्ष काफी समय से लंबित है। मैं मांग करता हूं कि कोल्लम जिले में बिना किसी और विलंब के काजू बोर्ड की स्थापना की जाए।

कोच्चि मैट्रो के लिए इस बजट में 60 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं। यह राशि इतनी कम है कि इसे मैट्रो की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। चूंकि मैट्रो कार्य में बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। अत: मैं यह मांग करता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रु. किया जाए।

अजा./अ.जा.जा. के लिए आरक्षित हजारों पद काफी समय से रिक्त पड़े हुए हैं जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन रिक्तियों को समय पर भरा जाए। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने बिना किसी और विलंब के इन पदों को भरने का निदेश दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ करने के लिए सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निदेशित करे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ करने के लिए सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निदेशित करे।

मलिन बस्तियों और कालोनियों में कई करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोग रह रहे हैं। वे पर्याप्त पेयजल, उचित स्वच्छता, प्राथमिक स्कूलों और उचित सड़क संपर्क के बिना रह रहे हैं। इनके मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। ऐसे कोई भी सामुदायिक केंद्र प्रदान नहीं किए गए हैं, जहां ये लोग एकत्रित होकर सामाजिक आयोजन कर सकें। यह बेहतर होगा यदि सरकार इन मलिन बस्तियों और कालोनियों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु उचित ध्यान दे और इस बाबत पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

ऐसे लाखों श्रमिक हैं जो पारंपरिक उद्योगों जैसे नारियल जटा उद्योग हथकरघा, काजू और मत्स्यन में काम कर रहे हैं। इन पारंपरिक उद्योगों का अस्तित्व संकट में है। चूंकि सरकार ने इनके उत्थान और बेहतरी हेतु उचित बयान नहीं दिया है। इन पारंपरिक उद्योगों को तत्काल पर्याप्त राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

कुट्टानड विश्व के सबसे उर्वर क्षेत्रों में से एक है जो अलपुझा कोट्टायम और पाथनमथिट्टा तीन जिलों में फैला हुआ है। इसे केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने कुट्टानड नम भूमि परितंत्र के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 1840.75 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान करने को सिद्धांततः स्वीकृति प्रदान की थी। परंतु इस परियोजना का कार्यान्वयन काफी धीमा है और इसमें गति लाने की आवश्यकता है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुंडरोथुटु द्वीप है, जहां पेयजल, स्वच्छता और बेहतर सड़क संपर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इन पहलुओं पर गौर करे और यह सुनिश्चित करे कि कुट्टानड पैकेज को बिना विलंब के लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त केरल सरकार को मुंडरोथुटु द्वीप में उचित पेयजल, स्वच्छता और बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। सरकार को धान के भंडारण हेतु अधिक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदाम निर्मित करने चाहिए। उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में किसानों को वर्षा के दौरान अपना धान खुले में रखना पड़ता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है।

पिछले कुछ समय से चेंगानूर में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। जब भी बुलेट टैंकर मालिक हड़ताल पर जाते हैं, केरल में एलपीजी की कमी हो जाती है। ग्राहकों को समय पर एलपीजी रिफिल नहीं मिलता है और कई बार प्रतीक्षा अवधि दो माह से अधिक होती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिना विलंब के चेंगानूर में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र स्थापित किया जाए।

पाटनपुरम ताल्लुक कोल्लम जिला, केरल रबर उत्पादन में एक महत्वपूर्ण संयंत्र है। इस क्षेत्र में सीमांत और बड़े किसान रबर का उत्पादन कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष पाटनपुरम ताल्लुक में बड़े पैमाने पर रबर उत्पादित किया जाता है। केरल के अर्णाकुलम जिले में इरापुरम ताल्लुक में एक रबर पार्क कार्यरत है, जो काफी अच्छा कार्य कर रहा है। इस रबर पार्क में अनेक रबर उत्पाद उत्पादित किए जा रहे हैं। इस रबर पार्क के माध्यम से हजारों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। वर्तमान में, पाटनपुरम ताल्लुक में कोई भी रबर आधारित उद्योग नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पाटनपुरम ताल्लुक में रबर पार्क की स्थापना की जाए। केवल तभी पाटनपुरम में रबर उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए अधिक लाभ मिल सकेगा। इसलिए मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि पाटनपुरम ताल्लुक कोल्लम जिला, केरल में एक रबर पार्क की स्थापना की जाए।

अंततः जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय वहनीय शुल्क पर देश में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस हेतु अत्यधिक मांग है कि केरल में और केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएं। जो वहां रहे रहे विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा की सुविधा प्रदान करेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य में और केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएं।

***श्री मदन लाल शर्मा** (जम्मू): मेरा निर्वाचन क्षेत्र अधिकांशतः नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यहां लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आम उन पर गौर करें और उनका परम अग्रता के आधार पर समाधान करें।

वास्तविक नियंत्रण रेखा सीमा पर बाड़ के आसपास रह रहे लोगों के जीवन, सम्पत्ति, पशुधन और फसलों हेतु बीमे का प्रावधानः भारी गोलाबारी के समय नियंत्रण रेखा पर रह रहे लोगों को सीमा पार से गोलीबारी को देखते हुए अपने घरों, पशुधन को छोड़ने और पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हाल ही में युद्ध विराम के उल्लंघन की कई घटनाएं तथा पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय सीमा में घुसने आतंकवादियों को कवर देने की सूचना मिली है। घुसपैठ रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर 103 किमी. तक बाड़ लगाई गई है, जिससे एक ओर तो इसके पीछे रह रहे लोगों को राहत मिली है और दूसरी ओर बाड़ के निकट रह रहे लोगों के जीवन को अधर में लटका दिया है तथा उनका जीवन को सदा खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, जो बच्चे पहले कुछ ही समय में अपने विद्यालय चले जाते थे, उन्हें अब बाड़ के बीच में लगे द्वार से होकर जाना पड़ता है, जिसमें उनका अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसके अतिरिक्त बाड़ के पास लोगों के घर और खेत हैं, किंतु युवाजन प्रायः बाड़ के पीछे ही रहते हैं और उन्हें द्वार के खुलने व बंद होने के समय का पालन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके खेतों में समय पर बुआई नहीं होती है। गर्मियों में कृषि कार्य का समय सुबह या देर शाम तक होता है और इस दौरान प्रायः द्वार बंद रहता है। मेरा माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से विनम्र निवेदन है कि वे नियंत्रण रेखा पर रह रहे लोगों के जीवन, सम्पत्ति, फसलों और पशुधन को बीमा कवर प्रदान करें। ये लोग न केवल असमानता का सामना कर रहे हैं बल्कि उन्हें सीमा विकास का वह लाभ भी नहीं मिलता जो वास्तव में इन लोगों के लिए है, किंतु स्थानीय और राजनीतिक खेल के कारण इसका सही-सही व्यय नहीं किया जाता है।

मेरे हाल ही के दौरे के दौरान मेरी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो अपंग हो गए हैं और उन्हें दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है और वह समय पर भी नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राजौरी के पुखरनी गांव में 14 वर्ष के बच्चे, यासर अराफात ने अपना एक हाथ खो दिया है, किंतु अधिकारियों ने यह बहाना बनाते

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हुए उसे मुआवजा नहीं दिा कि बारूदी सुरंग वाली जगह पर यह धमाका नहीं हुआ है। चूंकि बारूदी सुरंग धरातल के नीचे होती है, इसलिए यह अनुरोध है कि एक प्रावधान किया जाए, जिसमें उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए जो बारूदी सुरंग वाले क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में हुए धमाके के शिकार हुए हैं। यह भी अनुरोध है कि बारूदी सुरंग वाले क्षेत्र को सही ढंग से चिन्हित किया जाए और सदभावना के तहत सेना यह जागरूकता फैलाए कि बारूदी सुरंगों को फटने से कैसे रोका जाए।

लोगों के लिए उचित पुनर्वास पैकेज: जिन लोगों को गत वर्ष अग्र-नियंत्रण रेखा से बाड़ के पीछे के गांवों में स्थानांतरित किया गया है, उन्हें आईएवाई गृह के प्रावधान के साथ उनके मूल स्थान पर स्थानांतरित किया गया। उनके अनुसार, चूंकि उनके घरों और अन्य सम्पत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है और उनके पशुधन और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी देखभाल के प्रावधान के साथ एक उचित पुनर्वास तंत्र की स्थापना की जाए ताकि वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। बारूदी सुरंग की घटना में घायल हुए लोगों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जाए।

अग्रणी गांवों में सुरक्षा तंत्र: चूंकि नियंत्रण रेखा पर सीमा पर बाड़ काफी पीछे लगाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भारी गोला बारी कर रही थी और बाड़ लगाने के कार्य में बाधा डाल रही थी, इसलिए यह आवश्यक है कि अग्रणी गांवों में तार अथवा बाड़ के रूप में किसी प्रकार का 'कान्सटेंरा' लगाया जाए, जहां बाड़ से आगे लोग रहते हैं और जिनके साथ सदा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है।

शरणार्थी संबंधी मुद्दे: यह मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है कि राज्य के जम्मू प्रांत में कई वर्षों से रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों को वहां के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, इस प्रकार उन्हें मताधिकार, राशन कार्ड के अधिकार और सरकारी नौकरी पाने के अधिकार से वंचित रखा गया है। यह अनुरोध है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के मुद्दे का शीघ्र हल निकाला जाए क्योंकि इस समुदाय ने पहले ही काफी परेशानी झेली है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1947, 1965 और 1971 में आए शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधित कई मुद्दे लंबित हैं और इनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किए जाने की आवश्यकता है। मैं, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के सभी मुद्दों का एक बार में ही समाधान करने हेतु विशेष पुनर्वास और क्षतिपूर्ति पैकेज की मांग करता हूं।

भूतपूर्व सैनिकों का मुद्दा: जम्मू-कश्मीर में पूर्व-सैनिकों को वे विशेषाधिकार नहीं मिल रहे हैं जो उनके समकक्षों को अन्य राज्यों में मिल रहे हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार के पास पूर्व सैनिकों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

इन दिनों कैंटीन की वस्तुओं पर, विशेष रूप से शराब पर, मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाने के कारण पूर्व-सैनिकों को बहुत कठिनाई हो रही है। मेरा अनुरोध है कि पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन की वस्तुओं और शराब पर से मूल्य-वर्धित कर (वैट) को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए और उनके और उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं।

***श्री एंटो एंटोनी** (पथनमथीट्टा): सर्वप्रथम मैं प्रगतिशील, सकारात्मक और दूरदृष्टि वाला यह बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। बधाई के पश्चात यह कहूंगा कि सरकारर को समष्टिगत आर्थिक उद्देश्यों और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

यह देखकर अच्छा लगा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरूआत अर्थव्यवस्था में व्याप्त वर्तमान मुश्किलों के बारे में एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा प्रस्तुत करके की है और इसे आगे ले जाने के लिए आवश्यक तात्कालिक पहलों को भी समझाया।

इस बार बजट का गणित भी अधिक वास्तविक प्रतीत होता है; सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि, मुद्रास्फीति 6 से 6.5 प्रतिशत तक रहने की धारणा और कर की उच्च दर और विनिवेश, सभी कारण उचित प्रतीत होते हैं।

माननीय वित्त मंत्री को कठोर निर्णय लेने का श्रेय भी जाता है। लहमैन बैंक के कारण वर्ष 2008-09 में उद्योग जगत को दिए गए प्रोत्साहनों को वापिस लेकर उन्होंने उत्पाद-शुल्क सेवा कर के दायरे को भी बढ़ा दिया है और इसके बाद उसकी दर पर भी उत्पाद शुल्क के बराबर 12 प्रतिशत कर दी। इस प्रकार उन्होंने माल और सेवा कर की ओर बढ़ने का मार्ग बना दिया है।

अप्रत्यक्ष कर दर नियत किए जाने की संभावना है क्योंकि प्रत्यक्ष करों के संबंध में ऐसा पहले ही किया जा चुका है। फिर, इसके आगे के बजटों में कोई बड़ा कर-परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

इस बजट का उद्देश्य द्रुतगति से और समग्र विकास करना है। घरेलू मांग के आधार पर वृद्धि दर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही माननीय मंत्री जी ने विभिन्न अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में आपूर्तिगत बाधाओं का समाधान करते हुए निजी निवेश के शीघ्र पुनरुद्धार हेतु स्थिति बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

परिदान प्रणाली, शासन और पारदर्शिता में सुधार संबंधी निर्णयों के कार्यान्वयन को द्रुतगति प्रदान करने की कोशिश करते हुए उन्होंने भूख और कुपोषण की समस्या के समाधान की बात की है। बजट के यह पांच तत्त्व परस्पर सहायक होंगे। यह बजट नीतिगत उद्‌घोषकों और सुपरिभाषित लक्ष्यों के साथ-साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विश्वस्तरीय मानचित्र के बारे में भी बताता है।

बहुत से अर्थों में इस बजट-भाषण की सबसे उत्साहजनक विशेषता यह है कि सरकार की राजसहायता संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश और इस हेतु सभी सुधारोपाय बेहतर लक्ष्य-चयन सहित राजसहायता में सेंध या इसके अपव्यय को कम करके माननीय वित्त मंत्री ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रोत्साहित करते हुए उर्वरक, रसोई गैस और किरोसिन तेल पर ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष नकदी को राजसहायता को आधार कार्ड का उपयोग करके इस सिलसिले में कुशलता बढ़ाने और नकद अंतरण के लिए प्रणाली अपनाने हेतु विभिन्न कार्यविधियां तैयार करने और संस्थागत ढांचे के सृजन पर ध्यान दिया है। लोग इसके तेजी से आरंभ होने की उम्मीद की होगी, परंतु नकद अंतरण योजना लागू करने तथा प्रायोगिक योजना से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता की सराहना की जानी चाहिए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), एक रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वत: स्थिरता लाने वाला घटक बन चुका है जो परस्पर विपरीतभासी खर्च और ग्रामीण उत्पादन से परिलक्षित होता है। मनरेगा के खर्च में आई गिरावट स्वयं इस बात की सूचक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है।

गठबंधन सरकार में खर्च पर लगाम कसना और इसकी संरचना में बदलाव अपेक्षाकृत सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2010-11 में पेंशन और रक्षा व्यय में कमी की गई है तथा 2012-13 के बजट में राजसहायता में भारी कमी की गई जिसके परिणाम गैर-योजनागत व्यय के लिए समग्र रूप से सहायक सिद्ध हुए। वहीं दूसरी तरफ, योजनागत औसतन कोई कमी नहीं की गई और 2012-13 में इसके अंतर्गत बजट में काफी वृद्धि की गई है।

इस बजट में सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, जैसे पेयजल और स्वच्छता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक के परिव्यय में वृद्धि की है। यह स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है।

इस बजट में दूसरी बड़ी बात कृषि के बारे में है। स्पष्टतया, जीवन और आजीविका के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए हमें शीघ्र जवाब ढूंढने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आजीविका के मामले में कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13.9 प्रतिशत रह गया है, परंतु यह क्षेत्र अभी भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को आजीविका प्रदान करता है। वर्ष 2012 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने पूर्वी भारत में हरित क्रांति के लिए सहायता में वृद्धि करने की घोषणा की है, जिससे धान के उत्पादन में वृद्धि होगी। परंतु इससे इस समस्या का समाधान नहीं होता है। हम जानते हैं कि किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ, उर्वरकों, बीजों से लेकर पानी और श्रम तक की आदान लागतों में वृद्धि हो रही है। उदाहरणार्थ, अधिकांश राज्यों में श्रम की लागत में पिछले दो वर्षों में 20 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई हैं। जबकि, इससे लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होता है, लेकिन इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बढ़ा है, लेकिन इससे खेती की लागत में हुई बढ़ोतरी पूरी नहीं होती है। जब फसल अच्छी होती है और कीमतें गिर जाती हैं तथा इस संवर्धित उपज की सार्वजनिक खरीद नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप धान सड़कों पर सड़ता रहा। किसान मुश्किलों से जूझते रहे। यहां तक कि आत्महत्या की खबरें भी आईं। बढ़े हुए बजट परिव्यय में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इस असंतुलन को ठीक किया जाए। वरना, और अधिक पैसा भी कोई मदद नहीं कर पाएगा।

जबकि राजकोषीय समेकन में एक गंभीर प्रयास करते हुए गलती नहीं की जा सकती और आप वितरण पर पूरी तरह अप्रत्यक्ष कर की ओर से एक व्यापक विवेकाधीन कराधान प्रयास का प्रभाव गंभीर हो सकता है।

बजट में 2012-13 के लिए 41,000 करोड़ रुपए के विवेकाधीन कर उपायों का प्रावधान किया गया है, जिससे वर्ष 2012-13 में कर राजस्व की सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उगाही हो सकेगी। चिंता की बात यह है कि यह सब और इससे भी ज्यादा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों से आता है। चूंकि, प्रत्यक्ष आम करों से 4,500 करोड़ रुपए का वास्तविक विवेकाधीन नुकसान हुआ है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि सरकार सिर्फ बिगड़े हुए आय वितरण के माध्यमसे ही समेकन बना पाने में समर्थ थी।

बजट में निजी वाहनों में राजसहायता प्राप्त डीजल के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को यह पता है कि ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं और इसके मूल्य की अस्थिरता को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले महीनों में उसकी कीमतें और बढ़ें। तेल के आयात पर हम ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं, जबकि तेल के रूप में ईंधन की आपूर्ति करने वाली तेल कंपनियां घाटे को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। हमें यह सब पता है। निजी वाहनों में डीजल का उपयोग बढ़ा

है और पेट्रोल की कीमत में और बढ़ोतरी इस अंतर को और बढ़ाएगी जिससे डीजल का इस्तेमाल और बढ़ेगा तथा इससे तेल कंपनियों का घाटा और हवा में विषैलापन बढ़ेगा। फिर, सरकार यह सब जानती है और इस बोझ को कुछ हद तक कम करने के लिए डीजल वाले वाहनों पर कर लगाए जाने को लेकर एक गंभीर चर्चा भी हुई थी। लेकिन, यह एक छोटा सा कदम जो न तो आम आदमी को प्रभावित करता और न ही मुद्रास्फीति को बढ़ाता है–भी नहीं उठाया गया है। ऐसा करने के बजाय, 1500 सीसी की श्रेणी में बड़ी कारों पर कर 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया और इससे बड़े वाहनों पर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। यह अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके कारण वाहनों का डीजलीकरण नहीं रुकेगा।

मैं आदरणीय मंत्री महोदय को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए एक वास्तविक और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

***डॉ. थोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट कुल मिलाकर एक अच्छा बजट है। विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद, वित्त मंत्री इस वर्ष के बजट को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके हैं। वित्त मंत्री, सप्रंग की अध्यक्षा और माननीय प्रधानमंत्री को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, जिनके मार्गदर्शन में ऐसा अच्छी कार्य हो रहा है। जनसंख्या और आकार दोनों की दृष्टि से ऐसे विशाल देश के लिए बड़े प्रयास करने आवश्यक हैं। मैं तो यह कहूंगा कि वर्तमान सप्रंग-II सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है।

हमारे वित्त मंत्री ने इस वर्ष का बजट सहजता और निष्ठापूर्वक प्रस्तुत किया, जिसके लिए उनका अभिवादन किया जाना चाहिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि वह निरंतरता की अत्यंत स्पष्ट अवधारणा को कायम रखते हुए बजट निर्माण का प्रयास करते हैं। एक लोकतंत्र में, निरंतरता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।

हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा है, "इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र, सतत् और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना है।" जैसा कि हम सबको पता है कि यह योजना 2012-13 के बजट प्रस्ताव के साथ शुरू की जाएगी।

इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने पांच उद्देश्य चिन्हित किए हैं जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में प्रभावी ढंग से प्राप्त करना होगा। इस प्रकार, उनके बजट में पांच उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं जो विकास, निवेश, आपूर्ति संबंधी बाधाओं, कुपोषण दूर करने और शासन से संबंधित हैं।

इन पांच उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस वर्ष के वित्त विधेयक के एक भाग के रूप में बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

इस बजट में, केंद्रीय राजसहायता सकल घरेलू उत्पाद के 2% से नीचे रखी गई है, जिसे आगामी तीन वर्षों में घटा कर सकल घरेलू उत्पाद के 1.75% पर लाया जाएगा। निवेश के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है।

बहु ब्रांड खुदरा बिक्री प्रणाली में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति लिए जाने के निर्णय के संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से व्यापक आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।

12वीं योजना में बुनियादी ढांचे पर निवेश 50,00,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इसका आधा निजी क्षेत्र से आना अपेक्षित है।

कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 5,75,080 करोड़ रु. कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा है।

यूआईडी-आधार को 40 करोड़ लोगों के नामांकन के लिए पर्याप्त निधियां दी गई हैं।

अलेखांकित धन के प्रयोग और सृजन को रोकने के लिए बहुत से उपाय प्रस्तावित हैं।

संसद के चालू सत्र में काले धन पर श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

कर प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ने की दिशा में प्रगति को दर्शाते हैं।

आयकर छूट सीमा 1,80,000 रु. से बढ़ाकर 2,00,000 रु. कर दी गई है, 20 प्रतिशत कर स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रु. कर दी गई है।

कर अपवंचन का सामना करने के लिए सामान्य परिहार रोधी नियम (जीएएआर) प्रारंभ किया गया है।

उत्पाद शुल्क की मानक दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की गई है; सेवा कर दरें 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की गई है; गैर कृषि वस्तुओं पर अधिरोपित 10 प्रतिशत के अधिकतम सीमा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानों में 5.9 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

तेरहवें वित्त आयोग के 50.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में केंद्र सरकार पर ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 45.5 प्रतिशत है।

वस्तुत: वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोक सभा में शुक्रवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2012-13 में आगामी वित्तीय वर्ष में पांच लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें घरेलू मांग आधारित वृद्धि दर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, निजी निवेश में उच्च वृद्धि दर में शीघ्र पुन: प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना; कृषि में ऊर्जा और विद्युत विशेषकर कोयला, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और नागरिक विमानन क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए विशेष रूप से अत्यधिक प्रभावित 200 जिलों में निर्णायक रूप से हस्तक्षेपप करना तथा परिदान प्रणालियों, शासन और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए लिए जा रहे निर्णयों के समन्वित कार्यान्वयन में तेजी लाना और सार्वजनिक जीवन में काले धन और भ्रष्टाचार की समस्या से निपटना शामिल है।

माननीय वित्त मंत्री ने राजकोषीय समेकन और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बुनियादी घटकों सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने वित्त विधेयक, 2012 के भाग के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संशोधनों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि "प्रभावी राजस्व घाटा" की परिकल्पना और "मध्य आवधिक व्यय ढांचा" विवरण के लिए व्यय संबंधी सुधारों एफआरबीएम अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह विवरण व्यय सूचकांकों के लिए तीन वर्षीय प्रवाही लक्ष्य निर्धारित करेगा।

वित्त मंत्री ने राजस्व व्यय, विशेषकर राजसहायता की वृद्धि पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार 2012-13 में केंद्रीय राजसहायताओं पर किए जाने वाले व्यय को घटाकर जीडीपी के 2 प्रतिशत से भी कम करने का प्रयास करेगी और अगले तीन वर्षों में इसे घटाकर जीडीपी के 1.75 प्रतिशत तक ले आया जाएगा। श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाले कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, उर्वरकों व राजसहायताओं के संचालन के संबंध में पूरी सूचना प्रदान करने के लिए एक मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है, जिसे देश भर में 2012 के दौरान लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फुटकर विक्रेताओं और बाद में किसानों को राजसहायता के अंतरण का कार्यान्वयन आगामी चरणों में किया जाएगा, जिससे 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

वर्ष 2011-12 में 1.8 लाख रु. तक की आय करमुक्त थी, अब 2 लाख रु. तक की वैयक्तिक आय आयकर से मुक्त होगी। 5 लाख रु. से 10 लाख रु. तक की आय पर अब 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा जबकि 2011-12 में 5 लाख रु. से 8 लाख रु. पर 20% कर स्लैब था। बचत बैंक खातों से अर्जित 10,000 रु. तक के ब्याज पर कोई कर नहीं लगेगा। स्वास्थ्य बीमा के लिए अनुमति प्राप्त कटौती की वर्तमान सीमा के भीतर निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5000 रु. तक की कटौती की अनुमति दी जा रही है। व्यवसाय से आय अर्जित नहीं करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब अग्रिम कर भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

यद्यपि बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 4500 करोड़ रुपये की निवल राजस्व हानि होगी, अप्रत्यक्ष करों से 45,940 करोड़ रुपये की निवल राजस्व प्राप्ति होगी। अत: कर प्रस्तावों से 41,440 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति होगी।

मेरे राज्य मणिपुर में इस राज्य की एकमात्र जीवन रेखा दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर चली लगभग चार माह लंबी आर्थिक नाकेबंदी के कारण पिछले वर्ष बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। अवश्य ही वहां अभी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा उग्रवाद की भारी समस्या है। इन सभी कारणों से राज्य में विकास संबंधी क्रियाकलापों की गति धीमी हो जाती है जिन्हें दूर करना इस राज्य के लिए नितांत आवश्यक है।

राज्य में पर्यटन उद्योग की असीम संभावना है। यहां इंफाल-मांडले-यांगून-बैंकांक मार्ग पर बस द्वारा लोगों के यात्रा करने की संभावनाएं हैं। हाल ही में मणिपुर के उत्साही युवकों ने इंफाल से यांगून तक कार रैली का आयोजन किया। यदि इन मार्गों पर ऐसी यात्राएं नियमित बना दी जाती है, तो उसके आर्थिक एवं अन्य बहुत से लाभ होंगे। ऐसी खबर है कि म्यामांर ने भारत के साथ सीमा पार व्यापार के लिए नाम्फलांग में 700 दुकानें खोली हैं, परंतु भारत में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मणिपुर के सीमावर्ती शहर के माध्यम से किए जाने वाले व्यापार को 1995 में ही वैध बनाया जा चुका है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों की बार-बार नाकेबंदी एवं सुरक्षा संबंधी कारणों से यह व्यापार अभी तक गति नहीं पकड़ पाया है।

मणिपुर प्रशासन जिरिवाम-तुपुल इंफाल मार्ग पर रेलवे लाइन को अति शीघ्र पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मेरे राज्य में कई परियोजनाओं को शुरू किए जाने की बात सुनने में आती रहती है पर उनके पूरा होने की बात बहुत ही कम सुनने में आती है।

मैं अत्यंत आदरपूर्णक केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह हस्तक्षेप करे एवं मणिपुर राज्य के समग्र विकास के लिए मणिपुर सरकार की हर संभव सहायता करे। मेरे राज्य मणिपुर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं। ये हैं–

(क) मणिपुर की प्रादेशिक अखंडता को सांवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना।

(ख) राज्य में उग्रवाद की जटिल समस्या का राजनीतिक समाधान निकालना।

(ग) सशस्त्र बल (विशेष) शक्तियां अधिनियम 1958 का निरक्षण।

(घ) आर्थिक नाकेबंदी आदि से पार पाने के लिए मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल की स्थापना।

(ङ) राज्य के समग्र विकास हेतु पर्यटन उद्योग को प्रमुख क्षेत्र बनाना।

इन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को इस राज्य के योजनागत आकार को बढ़ाने एवं राज्य के वर्तमान गैर योजनागत परिव्यय को सशक्त करने के लिए भी आगे आना चाहिए। राज्य छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद से भारी वित्तीय घाटे से जूझ रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं केंद्रीय बजट 2012-13 का पुन: समर्थन करता हूं तथा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

[हिन्दी]

***श्री हर्ष वर्धन** (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में होते हुये भी मैं माननीय वित्त मंत्री से आदर सहित कुछ बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे अपेक्षा करता हूं कि सम्यक विचारोपरांत वह इस संबंध में आवश्क कार्यवाही निश्चित ही करेंगे। देश को स्वतंत्र हुए 65 वर्ष हो रहे हैं इस लंबी अवधि के पश्चात भी सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ जारी एक विसंगति भयंकर चिंता का कारण है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान मात्र स्टीपेंड दिया जा रहा है। सशस्त्र सेनाओं-थल, जल एवं नभ के यह अधिकारी आज भी ब्रिटिश राज्य के दौरान बनाये गये नियमों के चलते देश में अन्य सेवाओं के सामने दोयम दर्जे के अधिकारी बने हुये हैं मैं यह बताना चाहता हूं कि सशस्त्र सेनाओं हेतु चयनित अधिकारी एवं सिविल सेवाओं आई.ए.एस., विदेश सेवा, फारेस्ट सेवा एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों का चयन एक ही संस्था-लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है एवं दोनों ही सशस्त्र सेनाओं एवं सिविल सेवाओं के अधिकारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी समकक्ष-स्नातक का ही है। सिविल सेवाओं एवं उससे संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों की उनकी अकादमी में प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से ही वेतन मान्य हो जाता है जबकि देहरादून कोझीकोड, हैदराबाद, चेन्नई में प्रशिक्षण एवं सशस्त्र सेना अधिकारियों को प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात वेतनमान अनुमान्य होता है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। देश की रक्षा के लिय सदैव तत्पर सशस्त्र सेना के इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दौरान वेतन नहीं देना उनके साथ अन्याय ही नहीं वरन् उनकी देश के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना का दोहन है। माननीया अध्यक्ष जी, इस विसंगति का एक और भयंकर पक्ष भी है। एक ही समय सशस्त्र एवं सिविल सेवा अकादमियों के प्रशिक्षण पा रहे अधिकारियों में से सशस्त्र सेना के प्रशिक्षु अधिकारी जब वेतनमान की स्थिति में आते हैं तो वह अपने समकक्ष समकालीन प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारियों की तुलना में 1 वर्ष से डेढ़ वर्ष तक कनिष्ठ हो जाते हैं क्योंकि जहां सिविल सेवा अधिकारी प्रशिक्षण के पश्चात सेवारत होते हैं। इस विसंगति के चलते प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना अकादमियों में कठिन प्रशिक्षण के चलते प्रति वर्ष बार्ड आउट होने के कारण लगभग 15 प्रशिक्षण सशस्त्र सेना अधिकारी अपने शेष जीवन के भरण-पोषण हेतु पूरी सेवाओं या अवसरों को तलाशने हेतु बाध्य होते हैं क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवा के अधिकारियों के समान सेवारत नहीं होने के कारण उन्हें सेवारत अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं अनुमान्य नहीं होती हैं। आज सशस्त्र सेनाओं में लगभग 15 हजार सैन्य अधिकारियों की कमी का एक कारण यह विसंगति भी है। उपेक्षा एवं बेपरवाही के चलते 120 करोड़ की आबादी के इस देश में पढ़े लिखे युवा आज सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होना चाहिए यह स्थिति देश की सुरक्षा हेतु भयावह है। सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान पूर्ण वेतन-मान दिये जाने से देश के सैन्य बजट पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य है परंतु इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने का महती काम करेगा। मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से मांग है कि सशस्त्र-सेनाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान सिविल एवं संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों की तरह प्रशिक्षण के प्रथम दिन से वेतनमान दिया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री रेल विकास योजना की घोषणा की है। मेरा आग्रह है कि इस योजना में पिछड़े एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेशों से प्राथमिकता के आधार पर नई रेल लाइन का निर्माण होवे। पिछड़े राज्यों से रेल लाइन निर्माण हेतु निर्माण में होने वाले व्यय का कुछ भाग उपलब्ध कराये जाने की योजना आयोगी की मंशा पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। पिछड़े राज्यों में नई रेल लाइन निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा सिद्धांतत: स्वीकृत परियोजनाओं के पिछड़े एवं सामरिक महत्व के प्रदेशों से अपेक्षित धन को प्रधानमंत्री रेल सेवा योजना से उपलब्ध कराया जाये। अत: मैं एक दूसरे गंभीर विषय की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सोना एवं स्वर्ण आभूषणों के संबंध में की गयी घोषणाओं का सीधा प्रभाव इस व्यवसाय से जुड़ छोटे स्वर्णकारों एवं कारीगरों पर पड़ता है। स्वर्ण आयात पर बढ़ाये गये आयात शुल्क के चलते तस्करी के रास्ते स्वर्ण खानों में बढ़ोतरी होगी जिसका सीधा प्रभाव आयातित सोने की मात्रा पर पड़ेगा और कुल आयात युक्त में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होगी। स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद कर एक्साइज टैक्स लगाये जाने से देश में इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी जिसका दुष्प्रभाव छोटे स्वर्णकारों पर पड़ना अनिवार्य है। माननीय मंत्री जी स्वर्ण की आभा के पीछे उसे अपने कठिन परिश्रम एवं कारीगरी से वैभव प्रदान करने वाला कारीगर आज भी अपने भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत और कम मेहनताना पाने वाला व्यक्ति है। स्वर्ण पर एक्साइज टैक्स लागू किये जाने से छोटे स्वर्णकारों एवं कारीगरों की जीविका पर दुष्प्रभाव पड़ना लाजिमी है। देशभर में मैंने इस बहुत बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने तथा देश में स्वर्ण की कालाबाजारी को प्रभावी रूप से समाप्त करने हेतु मेरी आपसे अपेक्षा है कि कि आप बढ़े हुये आयात शुल्क को वापस होने के साथ ही एक्साइज टैक्स को लागू नहीं करेंगे ताकि स्त्रियों का मंगल-सूत्र अनावश्यक रूप से महंगा न हो जाये।

[अनुवाद]

***श्री भक्त चरण दास** (कालाहांडी): वैश्विक संकट के बाद, भारत की वैश्विक स्तर पर साझेदारी बढ़ाने और घरेलू सुधारों की तीव्र गति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन सुधारों का आशय बड़े निवेश सुनिश्चित करने के साथ-साथ समग्र विकास भी करना है। समाजवादी योजनाओं पर से ध्यान हटाए बिना उन सेक्टरों का विकास और भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है जो विकास में सहायक रहा है। इस पृष्ठभूमि में, मैं समझता हूं कि बजट 2012-13 एक संतुलित बजट है।

इस बजट का उद्देश्य मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करना और वैश्विक आर्थिक सरोकारों पर ध्यान देने वाली एक स्थिर अर्थव्यवस्था बनाना है। इसमें कृषि, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर जोर देने का प्रयास किया गया है। वर्तमान बजट के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि भारत पुन: उच्च विकास दर को प्राप्त करेगा।

माननीय वित्त मंत्री ने प्रत्येक सेक्टर, विशेषकर उन सेक्टरों पर, जो कि धीमी वृद्धि से प्रभावित हुए हैं बराबर ध्यान दिया है, और जिन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट वर्ष 2012-13 में 7.6% और 2013-14 में 8.6% की आर्थिक वृद्धि अवश्य सुनिश्चित करेगा।

माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने समावेशी विकास के महत्व को पहचाना है। देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं उनका अत्यंत आभार प्रकट करता हूं। वाम अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों को यथोचित वरीयता दी गई है। उन्होंने 22% की वृद्धि सहित 12,040 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना को 12वीं योजना में ले जाने का निर्णय किया है। यह कहते हुए मुझे खेद है कि इस योजना पर जिला प्रशासन, संसद सदस्यों की राय नहीं ले रहा है। इन क्षेत्रों के लिए परियोजना शुरू करते समय संसद सदस्यों के मतों को भी शामिल किए जाने के अनुर्दश दिए जाने चाहिए।

''कई बार हम सोचते हैं कि गरीबी का अर्थ केवल भूखा, नंगा और बेघर होना है। अवांछित, प्रेम रहित और देखभाल रहित होना ही सबसे बड़ी गरीबी है, इस प्रकार की गरीबी को दूर करने की शुरूआत हमें अपने घरों से करनी पड़ेगी।''—महात्मा गांधी।

मैं इस बजट से और इस बात से प्रसन्न हूं कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा तथा कमजोर वर्गों की जरूरतों पर अत्यधिक ध्यान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अतिरिक्त आवंटन में 6,158 करोड़ रुपये से 8,447 करोड़ रुपये की 37% वृद्धि की है।

बीपीएल लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है।

18 से 64 वर्ष की आयु वाले मुख्य कमाई करने वाले की मृत्यु पर एकमुश्त अनुदान की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है।

सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने ऋण से जुड़े सब्सिडी कार्यक्रम अर्थात प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(पीएमईजीपी) के अंतर्गत दी जाने वाली राजसहायता की राशि को 1,037 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,276 करोड़ रुपये किया है जो 23% वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को 3% का अतिरिक्त ब्याज परिदान सहित उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है। तीन लाख रुपये तक के ऋणों के लिए महिला स्व सहायता समूहों को भी 7% ब्याज परिदान और समय पर भुगतान के लिए 3% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 300 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 13 में शिक्षा का अधिकार के लिए 25,555 करोड़ रुपये दिए हैं।

वर्ष 2012-13 में समेकित बाल विकास योजना के लिए 15,850 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने हैं।

एनआरएचएम आवंटन को बढ़ाकर 20,820 करोड़ रुपये किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013 में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के लिए 14,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री ने एलपीजी, केरोसीन के लिए सीधे नकद सब्सिडी के मामले का निपटान किया है।

कुपोषण संबंधी खबरें बार-बार सामने आती रही हैं एवं सरकार के लिए चिंता का सबब बनती रही हैं। इसी वजह से माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में कुपोषण पर स्पष्टत: ध्यान दिया है।

शिक्षा के बारे में चर्चा करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6,000 स्कूलों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री जी ने 15 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर दी गई 1 प्रतिशत ऋण राजसहायता पर बल दिया है।

खाद्य सुरक्षा के लिए नई आ.वि.प्र. (पीडीएस) को अपनाया जाना है।

कृषि उद्देश्य हेतु सिंचाई हेतु अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कहा गया है कि राज्य संचालित सिंचाई सुविधा स्थापित की जाएगी।

बजट में खाद्य राजसहायता पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकारी सेवाएं, शिक्षा, मनोरंजन, सार्वजनिक परिवहन, स्कूली शिक्षा को सेवा कर से छूट दी गई है।

सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के लिए नए कानून बनाए गए हैं।

7 चिकित्सा महाविद्यालयों को अखिल भारतीय संस्थानों के स्तर तक उन्नयित किया गया जाना है। शिक्षा ऋणों के लिए साख गारंटी निधि की स्थापना की जानी है।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय आयोग पर बल दिया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्तयन हेतु 'नाबार्ड' को 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 100,000 करोड़ रुपये से 5,75,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना सही अग्रगामी कदम है।

माननीय वित्त मंत्री ने डेरी उत्पादन में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से 292 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव किया है।

खुदरा विक्रेताओं, किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता दी जाएगी।

सिंचाई बांधों के लिए विशेष रूप से निधि आवंटित की जाएगी।

माननीय वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया है कि अगले 5 वर्षों में देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

उर्वरक संयंत्रों हेतु उपकरण पर 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क की छूट का भी प्रस्ताव किया गया है। विदेशी एयरलाइनों को भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर बजट में सक्रिय रूप से विचार किया गया है। अगले वर्ष के लिए विमानन क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत तक की बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाने वाली है।

वर्ष 2012-13 में अर्थव्यवस्था में 7.6 प्रतिशत की दर से विकास होने की संभावना है।

बजट में बहु-ब्रांड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वचनबद्धता जताई गयी है।

कर-मुक्त अवसरंचना बांड की 60,000 रुपये तक की अनुमति दी जाएगी।

विनिवेश के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की उगाही की जानी है।

प्रत्यक्ष ऋण के लिए कंसोंटियम की अनुमति दी गई है।

प्रत्यक्ष कर संहिता को अतिशीघ्र लागू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

व्यक्तिगत करदाता छूट सीमा को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये किया गया है। 20 प्रतिशत ब्रैकिट के लिए ऊपरी सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।

नया कर स्लैब है: 2 लाख रुपये तक–शून्य; 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक–10 प्रतिशत; 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक–20 प्रतिशत; 10 लाख रुपये से अधिक–30 प्रतिशत।

वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान से छूट दी जाती है।

वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच हेतु स्वास्थ्य बीमा के लिए 5,000 रुपये तक की छूट दी गई है।

वित्त वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने इस सत्र में सूक्ष्मवित्त संस्थान विनियमन विधेयक; राष्ट्रीय आवास बैंक विनियमन विधेयक; पंजीकृत बैंक विनियमन विधेयक तथा सार्वजनिक ऋण प्रबंधन विधेयक को पटल पर रखने के संबंध में आश्वस्त किया है। यह बहुत ही साहसिक और प्रशंसनीय प्रयास है।

पीएसयू बैंकों के लिए पुन पूंजीकरण हेतु 15,890 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

10 लाख रुपये से कम के व्यक्तिगत शेयर निवेश पर कर छूट दी गई है।

वित्त मंत्री ने नए निवेशकों के लिए कर प्रोत्साहन का वादा किया है।

अवसंरचना ऋण निधि प्रारंभ की जाएगी।

काले धन के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशों में जमा काले धन संबंधी सूचना प्राप्त हो रही है और कुछ मामलों में अभियोजन किया जाना है। वित्त मंत्री ने काले धन पर संसद में श्वेत पत्र लाने का प्रस्ताव किया है।

विदेशों में स्थित परिसंपत्तियों पर सूचना देने की अनिवार्यता शुरू करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2013 में गैर-योजना व्यय 9.74 लाख करोड़ रु. रखा गया है।

गैर-कर राजस्व प्राप्ति रु. अनुमान 1.64 लाख करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्री ने नई इक्विटी बचत योजना की घोषणा की है।

खनिजों के सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण हेतु जरूरी मशीनों तथा उपकरणों के लिए तथा रेलगाड़ियों की सुरक्षा व चेतावनी प्रणाली की प्रतिष्ठापना हेतु अपेक्षित उपकरणों एवं उच्च गति की रेलगाड़ियों हेतु रेल पटरियों का स्तरोन्नयन के लिए मूलभूत सीमा शुल्क में कमी लाने का प्रस्ताव है।

सड़क निर्माण, सुरंग बनाने वाली मशीनों व उसकी असेंबली के पुर्जो हेतु कतिपय श्रेणी के विशेष उपकरणों पर आयात शुल्क पर पूर्ण छूट।

माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2013 में 8,800 किमी. राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव किया है और इसके लिए परिव्यय भी बढ़ाया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वष्र 2012 में राजकोषीय घाटा 5.9% और वित्तीय वर्ष 2013 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने की ओर इंगित किया है।

"नीति एक अस्थायी सिद्धांत है जो बदलता रहता है, लेकिन जब इससे भला हो तब उत्साह के साथ इसे कार्यान्वित करना होगा।"–महात्मा गांधी।

हमें महात्मा गांधी के दर्शन को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने भारत के गांवों के बारे में स्वप्न देखा था। हमने एक के बाद एक कुल 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। इस बजट में हमारा वार्षिक व्यय 14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास गांवों के लिए आदर्श योजना नहीं है। देश में एक लाख से ज्यादा गांव नदियों के किनारे स्थित हैं जो हमेशा बाढ़, जल-जमाव और रेत भराव की समस्या से जूझते रहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र पर हमारा व्यय ग्रामीणों को स्थायी राहत देने में असमर्थ है। धर्म और जाति संघर्ष की मानवीय समस्या ने गांवों को खंड-खंड कर दिया है और एकता, शांति और प्रगति युक्त मजबूत गांव बनाने के लिए इन समस्याओं का स्थायी समाधान किए जाने की जरूरत है। इसलिए एक ग्राम आदर्श योजना बनाए जाने की जरूरत है जो सभी मुद्दों का समाधान करे और सभी ग्रामीणों की भागीदारी से एक सबल विकसित ग्राम सुनिश्चित करे। पंचायती राज की कमियों को भी इस आदर्श योजना में निपटाया जाना चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान ओडिशा के पश्चिमी जिलों से संबंधित मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। केबीके शैक्षिक रूप से सार्वजनिक पिछड़ा क्षेत्र है और केबीके क्षेत्र के मध्य में स्थित कालाहांडी की जनता एक ग्रामीण विश्वविद्यालय, एक कृषि

विश्वविद्यालय और एक चिकित्सा कॉलेज की मांग करती आ रही है।

कुल मिलाकर मैं वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2012-13 से खुश हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला** (खजुराहो): वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट एक औसत बजट है। ऐसे समय जब थोड़ी स्थिति खराब है तो वित्त मंत्री जी से उम्मीद की जा रही थी कि वे बजट से राहत पहुंचाएंगें, अर्थात सुधार होने की उम्मीद की जा रही थी परन्तु वह बजट में कही नहीं नहीं दिख रही है। विशेष रूप से आम आदमी के लिए यह बजट निराश करने वाला है। सरकार ने केवल शहरों में रहने वाले आठ से दस लाख आय वाले वर्ग को फायदा पहुंचाया है। जिनकी संख्या बहुत कम है। गरीबों पर सेवाकर की ज्यादा मार पड़ने वाली है। सेवा कर को 10 से 12 प्रतिशत करने से महंगाई और बढ़ेगी। लोग मुद्रास्फीति हैं, उनको राहत देने की बजाय उन पर बोझ डालने वाला बजट बनाया गया है। पिछले कुछ वर्षो से सरकार विकास दर की उच्च दरों का बहाना कर विकास का परिदृश्य खड़ा कर रही थी लेकिन 2011-12 में विकास दर का 6.9 होने से सरकार का भ्रामक प्रचार देश के सामने आया है।

कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास दर की जगह 2.5 प्रतिशत से कुछ कम, सेवा क्षेवा क्षेत्र की 9.3 प्रतिशत विकास दर छोड़ दें तो उद्योग क्षेत्र की 3.9 प्रतिशत घटती विकास दर से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विफल रही है।

सेवा कर एक प्रतिगामी कर होता है। गरीबों, कम आय वाले पर इसका भार ज्यादा पड़ता है। धनिकों पर कम, वित्त मंत्री के इस निर्मम उपाय से 18 हजार करोड़ अतिरिक्त सरकार को मिलेंगे। लेकिन बच्चों को कोचिंग दिलाने से लेकर अन्य जरूरी काम महंगे हो जायेंगे। इसी प्रकार उत्पाद शुल्क की दर को 10 से 12 प्रतिशत कर दिया है। इससे भी दैनिक जीवन की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं तथा वस्तुए महंगी हो जायेंगी। जब सरकार का योजना आयोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए शहरी क्षेत्र में 28.65 पैसे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 22.42 रुपये काफी मानता है। दूसरी ओर सरकार उसके सिर पर महंगाई का बोझ लादती है। इस सरकार के कथनी और करनी में भारी अंतर दिखायी दे रहा है। सरकार ने आयमुक्त कर सीमा 1 लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की है, इसको कम से कम 3 लाख तक करना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार के छठे वेतन आयोग से कर्मचारियों की आय बढ़ी है। मध्यम वर्ग को सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। तीन, चार, पांच लाख कमाने वाले को मात्र 2060 रुपये की बचत और 10 लाख से अधिक कमाने वाले को 22 हजार की छूट। बजट के कुल असर का आकलन करें तो धनी लोगों के मुकाबले गरीब और कम आय वाले लोगों पर 10 गुना ज्यादा बोझा डाला गया है। नये कर प्रस्तावों से सरकार को करीब 40 हजार करोड़ रुपये और सरकारी उपक्रमों के निवेश के लक्ष्य के अनुसार 30 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे लेकिन राजकोषीय घाटा अब खतरे की घंटी यानी सकल घरेलू उत्पाद 5.9 प्रतिशत पर पहुंच चुका है। दुनिया भर में तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा आर्थिक स्वास्थ्य की निशानी माना जाता है। सरकार ने अगर सारा वैध कर और राजस्व वसूल किया होता है इस धनराशि को बुनियादी विकास के लिए उपयोग किया जाए तो इससे अतिरिक्त रोजगार पैदा हो सकते हैं।

सरकार ने बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 8.6 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत होने का दावा किया है। लेकिन देश में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए यह दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन का दावा भी इसी तरह खोखला साबित हो रहा है। जॉब कार्ड पंजीयन की करोड़ों की संख्या और वास्तविक रोजगार उपलब्ध कराने की संख्या में भारी अंतर इसका प्रमाण है।

सरकार ने दिल्ली तथा मुंबई के औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए 18 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किन्तु खजुराहो जो एक विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र है इसके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया है। इससे लगता है कि सरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है। यहां के औद्योगिक विकास के लिए भी सरकार कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटन करने की मैं पुरजोर मांग करता हूं।

जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान अभियान के तहत खजुराहो के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन करने की आवश्यकता है। इस मद में सरकार भारी धनराशि विशेषरूप से खजुराहो तथा मध्य प्रदेश के अन्य महानगर के लिए निर्मुक्त करे ऐसी मैं मांग करता हूं।

सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण का निर्माण करने वाले मजदूरों पर एक प्रतिशत का जो उत्पाद शुल्क लगाया है उसको तत्काल वापिस लिया जाये। आम आदमी की बात करने वाली यह सरकार गरीबों के साथ इस प्रकार से क्यों अन्याय कर रही है। अतः यह लगाया गया शुल्क तुरंत वापिस लिया जाये।

सरकार ने बजट पूर्व जो अपेक्षाएं बढ़ायी थीं उसके अनुसार बजटीय प्रावधान अनुकूल नहीं रहे। बजट से मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण आम लोगों का जीना कठिन होगा। यह बजट आर्थिक स्थिति के अनुसार भी विकास से मेल नहीं खाता है। इसलिए इस निराशाजनक बजट का मैं विरोध करता हूं।

***श्री किसनभाई वी. पटेल** (वलसाड): पिछले वर्ष भारत ने चुनौतियों के चलते प्रगति की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछला वर्ष चुनौतियों से भरा रहा है। कई वैश्विक और घरेलू कारकों ने इसके विकास पर हमला बोला लेकिन देश ने चुनौतियों के चलते इन वर्षों में प्रगति की है और आगे भी ऐसा ही करेगा क्योंकि हमारे सम्मानित वित्त मंत्री बहुत बड़े विद्वान हैं। 16 मार्च को बजट सदन में प्रस्तुत हुआ। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी बातें बताईं। इन पर इसी सदन में बड़े विस्तार से चर्चा हुई। हाल ही में विदेशों में भी विभिन्न घटनाएं घटी हैं। चाहे वह यूरो जोन में सांवरन ऋण संकट का और गहराना, मध्यपूर्व में राजनैतिक उठा पठक ने व्यापक अनिश्चितता पैदा की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, जापान में भूकंप का आना आदि चुनौतियों के चलते भी देश ने प्रगति की है, जिसके फलस्वरूप की 6.9 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। सन 2008 में मंदी का दौर शुरू हुआ और सी.ए.जी.आर. के आधार पर हिन्दुस्तान का ग्रोथ रेट 6-7 प्रतिशत रहा। वहीं अन्य देश जैसे की ब्राजील और रूस आदि की ग्रोथ हमसे कम रही।

आज भी हमारे सामने बड़ी समस्यायें हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और माननीय मंत्री जी ने इन पर पूरा ध्यान दिया है। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सफलता के लिए 28,679 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस वर्ष में करने से हम इन योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा कर पायेंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा भ्रम है क्योंकि देश में अभी भी हमारे पास स्कूलों में पूरी तरह से वे सारी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जो कि होनी चाहिए। स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। देश का भविष्य इन्हीं स्कूलों से होकर देश की प्रगति के लिए आता है। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि वे इन समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2012-13 में उचित धन उपलब्ध करायेंगे और इनसे निपटने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे।

जिस प्रकार शिक्षा का महत्व है, उस प्रकार स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछले वर्ष देश में एक भी पोलियों का नया मामला नहीं आना, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एन.आर.एच.एम. के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 270 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव क्या इसके उद्देश्यों को प्राप्त कर पायेगा। मैं समझता हूं कि जब तक हम इस प्रोग्राम में आबंटन के खर्च की उचित निगरानी की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक धनराशि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आज देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास मेडिकल कॉलेजों की कमी है। जब तक हम अच्छे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रों में नही भेजेंगे तब तक हम एन. आर.एच.एम (छत्म्ड) को सफल नहीं बना सकते। इसके लिए इस दिशा में ज्यादा काम करने की जरूरत है।

कृषि के क्षेत्र में भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश में किसान ही अन्नदाता है केवल हम देश में चर्चा करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं परन्तु उनकी समस्याओं का निवारण करने में हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि किसान को अपनी उपज और मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। जब उत्पादन अच्छा होता है तब उचित दाम नहीं मिलता। जब दाम उचित मिलने की संभावना होती है तब उत्पादन कम होता है। इस असंतुलन को हम ठीक करने में असफल रहे हैं। उपज अच्छी होने के बाद भी स्टोरेज की कमी के कारण नुकसान होता है। एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40 प्रतिशत पोस्ट हारवेस्ट फसल का नुकसान देश को होता है। हमें स्टोरेज की कमी पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन से देश में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। अभी भी देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पानी की कमी है और किसान इस तकनीक से अछूते हैं इस दिशा में भी और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

मनरेगा स्कीम से आज गांव में मजदूर के घर में खुशहाली आई है। आज गांव मे मजदूर के पास मोबाइल फोन, मोटरसाईकिल और साईकिल है, किन्तु मनरेगा के आने के बाद देश में किसान मजदूर की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस पर भी ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। यदि हम इस दिशा में ध्यान न दें तो आगे चलकर ये हमारी कृषि उत्पादन पर बहुत बड़े असर डाल सकता है।

आवास की व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह एक सराहनीय बात है कि मुख्य शहरों में कम आय वर्ग का ध्यान रखकर सरकार ने कम लागत की आवास परियोजनाओं के लिए ई.सी.वी. की अनुमति तथा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना आदि का प्रस्ताव किया। मेरी राय में इसी प्रकार की व्यवस्था क्या हम ग्रामीण क्षेत्र की आवास की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। इस विषय पर भी कोई पहल होनी चाहिए क्योंकि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित आवास की व्यवस्था भी एक अति महत्वपूर्ण विषय है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम की सफलता से देश को प्रदेशों को और लोगों को बहुत लाभ हुए हैं। इनसे देश में खुशहाली आई है। कुशल वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में इन प्रोग्राम्स को कैसे और ठीक किया जाये। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आम बजट भविष्योंन्मुखी बजट है, इसके लिए वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज): मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2012-13 के लिए प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने हेतु आप का आभारी हूं। केन्द्रीय बजट सरकार के पूरे वर्ष का लेखा-जोखा होता है तथा सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए विभिन्न योजनाओं में कितना वार्षिक परिव्यय होगा उसका उल्लेख होता है। किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भारत निर्माण के लिए आवंटित परिव्यय उस सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है। इस बार पूरे विश्व में आर्थिक मंदी से जो प्रभाव भारत में पड़ा है उसके फलस्वरूप भारत की विकास दर 2011-12 में जीडीपी 6.9% है लेकिन यूपीए की सरकार ने इसे वर्ष 2012-13 में विकास दर जीडीपी 7.6% करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए फिसकल डेफिसिट को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसीलिए केन्द्र सरकार ने इस बार के बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दिया है। पिछले वर्ष के कृषि बजट में 17000 करोड़ के मुकाबले इस बार 20208 का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत 7680 करोड़ रुपये से 9217 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा पूर्वी भारत के लिए 400 करोड़ रुपये से पेड्डी योजना के अंतर्गत 7 मिलियन टन अधिक पैदावार इस वर्ष हुआ है। फलस्वरूप सरकार ने 400 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये बजट में वृद्धि की है। केन्द्र सरकार ने नाबार्ड को 10000 करोड़ किसानों को वितरण करने के लिए आवंटित किया है। किसानों के लिए वर्षा जल संचयन योजना परिव्यय दिया गया है। इस बार केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास खंडों में 6000 विद्यालय खोले जाएंगे। जो माडल स्कूल के रूप में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार ने 25,555 करोड़ निर्धारित किया है। गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लोन्स देने का निर्णय हुआ है। उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया गया है।

इस बार केन्द्रीय बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिव्यय की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के अंतर्गत 2011-12 के 18,115 करोड़ बजट के मुकाबले इस वर्ष 2012-13 में 20,822 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है। उक्त धनराशि से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण एवं आशा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत 7 राजकीय मेडिकल कॉलेजों को एम्स के तर्ज पर अपग्रेड करने का निर्णय सरकार ने लिया है। देश में बहुत बड़ी आबादी बुनकरों की है। पिछले दिनों सूत के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। उनको कर्ज से उबारने के लिए कर्ज माफी करने का निर्णय लिया है। बुनकरों के कर्ज माफी के लिए केन्द्र सरकार ने 3884 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। केन्द्र सरकार ने इस बार 5 मेगा क्लस्टर एवं पावरलूम के लिए भी परिव्यय की व्यवस्था की है। अभी सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ काफी बढ़ गया है। आज भी खाद्य सुरक्षा पर 75,000 करोड़, खाद पर 61,000 करोड़ तथा पेट्रोलियम पर 40,000 करोड़ केन्द्र सरकार सब्सिडी का बोझ बर्दाश्त कर रही है। अभी भी कुल 1,79,554 करोड़ की सब्सिडी जारी है जो जीडीपी का 2.5% है जबकि सरकार ने इस वर्ष 2% तक लोन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले तीन वर्षों में 1.75% जीडीपी के सब्सिडी का लक्ष्य करने का प्रयास होगा। इसमें कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस बार हमने कृषि के क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन 250 मिलियन टन्स की पैदावार हुई है। कृषि क्षेत्र में किसानों के कर्जे में एक लाख करोड़ की वृद्धि की गई है। परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु पर 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता उसके आश्रितों को दी जाएगी।

फरवरी माह में देश का निर्यात 4.3% बढ़ा है जबकि आयात 20.6% बढ़ गया है। इसके चलते व्यापार घाटा तय अनुमान से कहीं अधिक 15.2% अरब डालर पर पहुंच गया है। सरकार इस बार प्रयास करके चालू वित्त वर्ष में निर्यात का लक्ष्य 300 अरब डालर का निर्धारित किया है। सरकार का सबसे बड़ा कार्य ब्याज के भुगतान की मद में 2011-12 में 2.68 लाख करोड़ रुपये का है। यदि सरकार की उधारी बढ़ती रही तो ब्याज भुगतान भी बढ़ेगा और इसकी पूर्ति के लिए करों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। आज का उधार कल का जनता के ऊपर कर (टैक्स) है। राष्ट्रीय आय में इसकी हिस्सेदारी लगभग 3% से कुछ अधिक मानी जाती है। वैश्विक स्तर पर मंदी के बीच देश के निर्यात का लक्ष्य फरवरी महीने में सिर्फ 4.3% था जो 24.6% अरब डालर रहा। यदि निवेश में कमी होगी तो भारत की जीडीपी प्रभावित हो सकती है। इधर जनवरी, 12 में औद्योगिक उत्पादन 6.8% हो गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 15,000 आईटीआई तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले जाएंगे। फिस्कल टारगेट को इस वर्ष 5.1% पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2012-13 में 85 लाख लोगों को और 12वीं योजना में कुल 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1500 आईटीआई पर पीपीपी के अंतर्गत 13 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार इस

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बार देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियां आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं आंतरिक-बाहरी सुरक्षा पर काम करने का निर्णय लिया है। मनरेगा के अंतर्गत अब तक 1100 करोड़ श्रमदिवसों को रोजगार सृजन हुआ है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 25 करोड़ लोगों को फायदा मिला है।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर दिया है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। सरकार समावेशी विकास करना चाहती है। केन्द्र सरकार ने डायरेक्ट टैक्स में एक लाख 80 हजार से दो लाख रुपये तक छूट देने का निर्णय लिया है। जिससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सोने के ऊपर 1% से 4% तथा सिल्वर पर 3% से 6% की वृद्धि की गई है जिसके कारण काफी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इसको लेकर के 1963 के गोल्ड कंट्रोल एक्ट जिसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सोने के इंपोर्ट की पूर्णतया इजाजत दी थी, न्यूनतम कस्टम ड्यूटी पर। लेकिन पुन: जो इस बजट में करों में वृद्धि हुई है उससे 6% सोना भारत के अंतर्गत महंगा हो जाएगा। जिससे 1 किलोग्राम सोना पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भारत में 168000/- प्रति किलोग्राम महंगा हो जाएगा। जिससे पुन: भारत में अवैध सोने-चांदी के व्यापार की संभावना बन जाएगी उससे सरकारी राजस्व की हानि भी होगी तथा जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे भी काफी कठिनाई होगी क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। 85% आबादी कृषि पर निर्भर है जिससे राजस्व को नुकसान होगा। इससे छोटे-छोटे लाखों कारीगर बेकार होंगे क्योंकि वो रजिस्टर बनाने में सक्षम नहीं होंगे। अत: वित्त मंत्री जी आप इस पर पुनर्विचार का कष्ट करें जिससे पुन: देश में सोने-चांदी का कारोबार सामान्य हो सके। केवल उत्तर प्रदेश में इसे लागू रहने से 3200 करोड़ राजस्व का नुकसान होगा। इसी के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): आम बजट इस बार जिन परिस्थितियों के बीच आया है, उसमें आर्थिक के साथ राजनितिक दबाव और पेचीदगियां सरकार के आगे थीं। महंगाई और विकास दर के मोर्चे पर पहले से पछाड़ खा रहे देश के अर्थ प्रबंधन के समाधनाकारी रास्ते पर ले जाने की चुनौती इन बार वित्तमंत्री के आगे थी, पर यह बजट न तो आर्थिक योजनाकारों की उम्मीदों पर और न ही आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। मध्यम वर्ग और आम आदमी के सरोकार की बात तो सरकार ने नए कर ढांचे में उसके सिर पर आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार ने इस बार पेंट्रोलियम सब्सिडी में भी कटौती कर दी है। इसका सीधा असर आगे चलकर डीजल की कीमतों पर पड़ने वाला है। खाद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में भी कटौती की है। किसानों के सिंचाई के लिए डीजल का खर्च और खाद पर किया जाने वाले खर्च ने किसानों को दोतरफा मार दी है। सरकार ने अप्रत्यक्ष दरों में बढ़ोतरी की है। जिससे हर चीज की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है। सरकार ने केवल शहरों में रहने वाले आठ से दस लाख वाले आय वर्ग को फायदा पहुंचाया है। गरीबों पर सेवा कर की सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। सेवाकर में 10 से 12 फिसदी इजाफा करने और नई सेवाओं को कर दायरे में लाने के कारण महंगाई में और बढ़ोतरी पक्की है।

खाद सब्सिडी को लाभार्थीयों तक पहुंचाने की बात बजट में कही गई है। इसके लिए 50 जिलों का चयन भी किया गया है। लेकिन सरकार तो नकद राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करा देगी लेकिन बैंकिग सुविधाएं गांव के स्तर पर कितनी है, यह हम सभी जानते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह इसके भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की संभावना है।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में एक्साईज और कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा कर निजी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की, अनाज भंडारण के क्षेत्र में 20 लाख टन अनाज भंडारण की सुविधा और इसे बढ़ाकर 50 लाख टन करने का प्रस्ताव है, भारत सरकार के पास 2.34 करोड़ टन गेहूं और 3.18 करोड़ टन चावल के भंडार को देखते भंडार के लिए और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार अनाज भंडार सुविधा के लिए युद्धस्तर पर काम करें।

देश के कृषि क्षेत्र में 62 फीसदी लोगों की आजिविका का साधन है, इसका सकल घरेलू उत्पाद में (जीडीपी) में 15 से कम और निर्यात में करीब 15 फीसदी योगदान है। उद्योग और सेवा क्षेत्र की मांग का 46 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र से आती है। खाद्य और पोषण सुरक्षा जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र का विकास बेहद जरूरी है।

- इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन 18 फीसदी बढ़ाकर 20,208 करोड़ रुपये किया गया है।
- त्वरित सिंचाई व्यवस्था के लिए 14,000 करोड रुपये का प्रावधान किया है।
- इस साल भी कृषि का विकास 4 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 2.5 रहा है।

– देश में आज भी 60 फीसदी कृषि वर्षाजल पर निर्भर है, केवल 40 फीसदी कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो वह केवल 19 फीसदी है।

– देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 82 फीसदी आबादी वर्षाजल निर्भर कृषि क्षेत्र में रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है की ग्रामीणों को रोजगार, आय और क्रमशक्ति बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधा जरूरी है। इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के भरोसे नहीं रहे सिंचाई के लिए विशेष योजना चलाये।

वर्षाजल पर निर्भर कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टर उत्पादन 1.1 टन खाद्यान्न है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन चार टन है। इसका मतलब यह है कि वर्षाजल निर्भर क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा की गई तो देश में भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं नष्ट हो सकती हैं।

– एक अनुमान के अनुसार सरकार को देश के सभी क्षेत्रों में सिंचाई साधन उपलब्ध करने के लिए 4 से 5 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है और अगर समय पर सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया तो लाभ अवश्य होगा इसलिए केन्द्र सरकार सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष निगरानी समिति का गठन करें।

दुनिया भर में तीन फीसदी राजकोषीय घाटा, आर्थिक स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है, लेकिन हमारा राजकोषीय घाटा बढ़कर 5.9 यानि खतरे के स्तर पर पहुंचा है। (5,21,980 करोड़ रुपये)

* सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी में 25 हजार करोड़, खाद के मद में 6,000 करोड़ रुपये के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों (पीयूसी) के विनिवेश के द्वारा 30 हजार करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आर्थिक भार किसान और गरीब लोगों के सिर पर ही दिया है।

* एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि की स्थिति खराब होने में चीन, भारत, पाकिस्तान अव्वल है। इन देशों में सिंचाई के अनियोजित तरीकों के कारण तेरह करोड़ हेक्टयर भूमि जलभराव और क्षारीकरण के चपेट में है। वनों के विनाश के कारण दक्षिण एशिया में 7.4 करोड़ हेक्टयर भूमि मरुभूमि या बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई है। इसमें अनुमानित किया गया है कि एशिया में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत वनक्षेत्र गायब हो जाते हैं। देश के कुल वनक्षेत्र का हिसाब लगाया गया तो आज जो आंकड़ों में दर्ज वनक्षेत्र भी उपलब्ध नहीं होगा। हमें प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रहित में दोहन करना है, न कि शोषण, इस पर हमें ध्यान देना होगा।

* देश में खेती योग्य जमीन घट रही है, इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि कृषि योग्य भूमि के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के लिए बाद भी आज 55.27 मिलियन हेक्टयर खराब भूमि है। ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए 17 हजार 205 करोड़ रुपये दिये गये लेकिन इसके मध्या बीच तक केवल 30 फीसदी खर्च करने का समिति ने उल्लेख किया है। परियोजनाओं के लिए उपलब्ध खर्च नहीं करने का किसे दोषी माना जाये।

– कृषि मंत्री शरद पवार जी ने संसद में पेश किये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 में 18 करोड़ 15.42 लाख हेक्टयर कृषि भूमि थी जो घटकर 2008-09 में 18 करोड़ 23.85 लाख हेक्टेयर रह गई। इसी तरह कृषि योग्य भूमि के रकबे में 27.6 लाख हेक्टेयर की कमी आई है।

– राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 305 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से 55 फीसदी कृषि योग्य है, और 23 फीसदी भूमि पर वन है। आजादी के समय 119 मिलिटयन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। हम हरित क्रांति का बखान करते नहीं थकते लेकिन पिछले 60-65 साल में यह क्षेत्र बढ़कर केवल 140 मिलियन हेक्टेयर हो पाया है। जबकि आबादी तीन गुना बढ़ी है और गैरकृषि कार्यों के लिए उपयो भूमि का क्षेत्र 9 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 25 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचा है। बढ़ती आबादी के अनुपात में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगानी होगी।

– राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 40 फीसदी किसान कृषि कार्य छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों को इस तरह बढ़ावा दिया जाए कि यह परंपरागत कृषि उद्यम का रूप लेकर पुन: जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सके। सरकार को इस बारें में विशेष ध्यान देना होगा।

– सरकार ने योजना आयोग के माध्यम से गरीबी रेखा की सीमा रेखा शहरी क्षेत्र के लिए 32 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 रु. रखी थी इसे कम करके शहरों में 28.65 और ग्रामीण क्षेत्र में 22.42 रुपये से अधिक कमाई वाला अमीर होने की व्याख्या की है। सरकार ने हाल ही में जारी कुपोषण संबंधी रिपोर्ट के बाद 42 फीसदी बच्चे कुपोशित होने की जानकारी पर स्वयं प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय शर्म कहकर टाल गये, क्या 32 और 28 रुपये में कोई दो जून की रोटी खा सकता है, पोषक आहार तो दूर की बात है। इससे इस सरकार का नजरिया पता चलता है। सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेनगुप्ता आयोग ने देश में 20रु. प्रतिदिन पाने वाले लोगों की संख्या 20 होने की बात कही है। देश का बड़ा तबका गरीब और कुपोषित रहने के बावजूद हम महासत्ता बनने की बात कैसे कह सकते है।

देश की प्रमुख समस्याओं में बेरोजगारी भी एक है जिससे देश की 20 करोड़ से ज्यादा युवा हाथ काम मांग रहे हैं। सरकार रोजगार के अवसर अधिकाधिक निर्माण करे। सरकारी उपक्रमों मे रोजगार कटौती की नीति देश के लिए घातक है। सी.आई.एल., एस.ए.आई.एल, एन.एम.डी.सी., आर.आई.एन.एल., नाल्को, एचसीएल जैसी सरकारी कंपनियों में हर दिन मैन पावर कम किया जा रहा है। इस पर गंभीर विचार हो। रोजगार नियुक्तियां बढ़ाने की नीति बनाएं। किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाती है। भूमि अधिग्रहण कानून 1894-एलए एक्ट जो ब्रिटश कालीन चला आ रहा है। इस कानून में किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों के लिए उचित मूल्य मिले। भूमि का (कृषि) अधिग्रहण विस्थापित किसानों की मांगानुसार चर्चा के माध्यम से रोजगार के साथ मूल्य तय होना चाहिए। इस ओर आवश्यक नया कानून बनाने हेतु विधेयक लाने की मांग करता हूं। हाल ही में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला सामने आया। हम पिछले 6 वर्षो से माननीय प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रालयों प्लानिंग कमीशन व अन्य सरकारी जांच एजेंसियों सीएजी, सीवीसी के पास शिकायतों की कोयला खनिज अन्य प्रमुख खनिज लोहा, मैंगनीज बॉक्साइट, सोना, तांबा जैसी अन्य प्रमुख खनिजों को बिना मूल्य फ्री ऑफ कास्ट निजी कंपनियों व व्यवसायियों को आवंटन रोका जाए। इस सभी खनिज संपदाओं की नीलामी करने की मांग करता रहा हूं। इन सभी सामग्री का बोली द्वारा ही निजी कंपनियों को आवंटन होना चाहिए। बांटे हुए सभी कोल ब्लॉक खनिज सिज (एम एल) कैंसिल करे। सरकार अपने अधिकार में ले। खरबों रुपये की यह संपदा जो 120 करोड़ जनता की है यह उन्हीं को लाभ मिले। ऐसी नीति बनाएं जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिले। ऐसी नीति व दोहन होना चाहिए।

निर्यात संबंधी नीति में निश्चित होना चाहिए की कृषि उपज पर कभी भी निर्यात पर पाबंदी ना लगे। भारत विश्व बाजार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य है। हम कृषि उपज कपास चावल गेहूं व अन्य कृषि उपज पर पाबंदी नहीं लगाएं ऐसी घोषणा तथा नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): इस बजट में देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही बढ़ती हुई आबादी जो सभी समस्याओं की जड़ है इसे निपटने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाए गए हैं। आज भ्रष्टाचार पूरे देश में व्याप्त है। सरकार की सारी योजनाओं में भ्रष्टचार की बलि चढ़ रही है। वित्त मंत्री जी ने प्रत्यक्ष करों के रूप में आम जनता को 4500 करोड़ रु. देने की बात कही है वही बड़ी सफाई से अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से 41,440 करोड़ निकालने का काम किया है। सोने के छोटे व्यापारी पूरे देश में धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने ब्रान्डेड जेवरात पर भी टैक्स लगा लिया है इससे गरीब लोगों को शादी-विवाह के लिए जेवरात बनाने में और अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। सरकार एक तरफ कहती है कि उसे उर्वरक, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थों आदि पर सब्सिडी के लिए 2,250,725 करोड़ रु. सालाना खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन वह यह नहीं देखती है कि कारपोरेट जगत को वह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि के रूप में 5,39,532 करोड़ रु. की सालाना सब्सिडी देती है यह बजट देश का गरीब जनता के लिए अच्छा नहीं है। सरकार द्वारा 10,15 एवं 20 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वे लाखों करोड़ रु. खर्च करने के बाद भी आज आधे अधूरे पड़े हैं।

आज खेती घाटे का सौदा हो गयी है। खेती के अनुदानों और श्रम की लागत बढ़ गयी है। किसान खेती से अपने बच्चों को अच्छा जीवन स्तर नहीं दे सकता है। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सेन्ट्रल रोड फंड योजना आदि बहुत अच्छी योजना है परन्तु उनमें भ्रष्टचार का बोलबाला है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ठेका बड़ी-बड़ी कंपनी ने लिया है और कोई काम पूरा नहीं हुआ है इसमें बड़ी-बड़ी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जाए। मनरेगा अच्छी योजना है परन्तु यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मनरेगा की निगरानी की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए।

दो वर्ष पूर्व सरकार ने दावा किया था कि आर्थिक वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत है किन्तु अब ये लगभग 6.9 प्रतिशत है। कृषि के लिए लक्ष्य 4 प्रतिशत से अधिक का था किन्तु आज ये 3 प्रतिशत से भी कम है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। यह सरकार के गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार ने कृषि क्षेत्र लिए बैंक ऋण में 1 लाख करोड़ की वृद्धि की है किन्तु इस पर ब्याज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दर 7 प्रतिशत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2010-2011 में राज्य और केन्द्र का संयुक्त व्यय हमारे घरेलू उत्पाद का लगभग 1 प्रतिशत था जबकि लक्ष्य 4 प्रतिशत था। योजना आयोग ने सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया परन्तु अब तक इस समिति की एक भी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं की गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिक सहायता की आवश्यकता है। वे आर्थिक और सामाजिक दोहरे भेदभाव का सामना कर रहे हैं। बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं झारखंड राज्य के गिरिडीह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। झारखंड नया राज्य है और पूर्व से ही सरकारी उपेक्षा के कारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। राज्य का विभाजन 11 वर्ष पूर्व हुआ परन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक राज्य का सचिवालय, विधानसभा यहां तक की विधानसभा सदस्यों का आवास तक अपना नहीं हैं। झारखंड राज्य को अलग राज्य करने का उद्देश्य था कि यहां की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विषमताओं को समाप्त करना। अलग राज्य गठन होने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण ढांचागत विकास की अत्यंत आवश्यकता है एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वार इसकी मांग भी की जाती रही है। देश के कुल खनिज का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन झारखंड राज्य करता है लेकिन इसके एवज में केन्द्र सरकार से मिलने वाले रॉयलिटी शेष अनुपातिक नहीं होने के कारण राज्य को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बजट में झारखंड राज्य के लिए किसी भी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गयी है। यह बजट देश के गरीब किसानों एवं जनता के हित में नहीं है। अत: इसमें अपेक्षित संशोधन आवश्यक है।

[अनुवाद]

***श्री बदरुद्दीन अजमल** (धुबरी): सर्वप्रथम मैं आपको राष्ट्र के लिए एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

6.9 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर अवसरंचना विकास, किसानों को प्रत्यक्ष राजसहायता 'वैट' के स्थान पर जीएसटी आरंभ करने, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना, 'स्वाभिमान' योजना के अंतर्गत 1000 नई बैंकिंग सुविधाओं की घोषणा, शिक्षा क्षेत्रक व सामाजिक क्षेत्र के विकास पर आप के द्वारा बल दिया सराहनीय है।

आप जानते हैं कि हमारी पार्टी एआईयूडीएफ सप्रंग सरकार का इस मुद्दे पर इसलिए समर्थन कर रही है कि उससे असम के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे बाढ़ और भू-कटाव, जो निर्धारित समयावधि से पिछड़ रही है और लागत अधिक आ रही है चालू राष्ट्रीय परियोजनाएं को शीघ्र पूरा करने, अल्पसंख्यक विकास योजनाओं आदि के समाधान में सहायता मिलेगी। मैं यहां असम के कुछ प्रमुख मुद्दों को उजागर कर रहा हूं और इन्हें असम के लिए विशिष्ट तौर पर बनाए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों में शामिल करने का निवेदन करता हूं।

तथापि, वर्ष 1012-13 के आम बजट की विस्तृत समीक्षा के पश्चात्, मैं इसमें असम के राष्ट्रीय मुद्दों और विकासगत खामियों के समाधान हेतु कोई विशेष प्रावधान तलाश नहीं कर पाया। बल्कि, मैंने पाया कि इसमें असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों विशेष जरूरतों की काफी हद तक अनदेखी की गई है।

1. बाढ़ और मृदा अपरदन को राष्ट्रीय समस्या के रूप में घोषित करना, नई परियोजनाएं शुरू करना अथवा बाढ़ संरक्षण और नदी तट अपरदन प्रबंधन संबंधी मुद्दों के अध्ययन हेतु पृथक निधि की स्थापना करना। प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी में बालू बनने के कारण इसके जलस्तर में वृद्धि होती है।

1. अपरदन के कारण पीड़ित लोगों का पुनर्वास।

2. ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी-फुलबाड़ी सेतु का निर्माण।

3. असम के मुस्लिम-बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विज्ञान कॉलेज और मात्स्यिकी कॉलेज की स्थापना।

4. धुबरी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विशेष परिसर की स्थापना।

5. कपसी विमानपत्त को पुन: खोलना।

6. धुबरी अंतर्राष्ट्रीय नदी-पत्तन को पुन: खोलना।

7. असम की सभी चार और मुस्लिम बहुत पंचायतों में ग्रामीण बैंक परियोजना की स्थापना।

8. सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों व निजी क्षेत्र में मुस्लिमों को आरक्षण और मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उन्हें आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, कृषि विज्ञान कॉलेजों, पॉलीटैक्निकों और असम स्थित आईआईटी में प्रवेश में आरक्षण।

9. 'चार' भूमि हेतु पट्टा प्रदान करना।

10. असम हेतु स्वीकृत एमएसडीपी योजनाओं की समीक्षा और पुनर्विचारण।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

असम और पूर्वोत्तर राज्यों के वंचन संबंधी मुद्दे: असम और पूर्वोत्तर राज्यों की पूर्णत: अनदेखी की गई है और उन्हें वंचित रखा गया है। बजट में केवल पूर्वोत्तर के भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े पारंपरिक वस्त्रों के संवर्धन और अनुप्रयोग हेतु प्रायोगिक योजना के लिए 500 करोड़ रु. दिए जाने का उल्लेख किया गया है।

वंचन और भेदभाव के प्रमुख दृष्टांत:

1. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए निधियों में 18% की बढ़ोतरी की गई है। यह अच्छी बात है, परंतु अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक पाई भी नहीं दी गई है।

2. किसानों को अब सीधे राजसहायता प्रदान की जाएगी परंतु असम में ब्रह्मपुत्र के तटीय क्षेत्र (चार) में रहने वाले लगभग 20 लाख किसानों को केसीसी-ऋण भी नहीं मिलता है।

3. सेवा-कर और साथ ही उत्पाद शुल्क में 2% की बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी।

4. यह बजट और बजट-पश्चात माननीय प्रधानमंत्री का भाषण ईंधन की कीमत में आगे और बढ़ोतरी का एक स्पष्ट संकेत है जिससे आम लोगों के कष्ट में और वृद्धि होगी।

5. इस बजट में 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम कमाने वाले के लिए कर में छूट दी गई है जो पिछले स्लैब से मात्र 25000 रुपए अधिक है, जबकि यह सीमा 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष होनी चाहिए। इससे सामान्य जनता को थोड़ी सहायता मिलेगी।

6. सभी दलों द्वारा कई वर्षों से की जा रही मांग के बावजूद बाढ़ और भू-कटाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है।

7. असम की निर्धारित समय और लागत से पिछड़ रही तीन राष्ट्रीय परियोजनाओं; यथा–बोगीबिल में रेल-सह-सड़क पुल, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग परियोजना और सिलचर-लामडिंग रेल आमान परिवर्तन पूरे होने का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

8. असम के पटसन किसानों और चाय की खेती करने वाले छोटे किसानों, जो दयनीय दशा में हैं, को कोई राहत नहीं दी गई है।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी यह मानेंगे कि उपर्युक्त सभी प्रस्तावों का संपूर्ण असम, जहां अधिकांश जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदाय की है, की विकास संबंधी समस्याओं को दूर करने में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

***श्री सुरेन्द्र सिंह नागर** (गौतम बुद्ध नगर): वर्तमान में देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी हुई है। और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से मजबूर किसानों द्वारा आत्म हत्या किए जाने के प्रकरण सामने आते रहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े कृषकों को जहां सीधे ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, वहां उनके द्वारा पूर्णत: ऐसा नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े कृषकों को जहां सीधे ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, वहां उनके द्वारा पूर्णत: ऐसा नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को बहुत कम मात्रा में सीधे ऋण प्रदान करते हैं तथा उनके द्वारा नाबार्ड को अधिक धन का आवंटन किया जाता है तथा नाबार्ड जब किसानों को ऋण प्रदान करता है तो वह न केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक ब्याज किसानों से वसूल करता है, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त धन को कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े किसानों को देने में शिथिलता भी बरतता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही सस्ती दर पर सीधे ऋण की सेवा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

वर्तमान में किसानों को उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जा रही है, वह बहुत ही कम है। किसानों को महंगी कृषि लागत होने के कारण अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह विदित ही है कि कृषकों की जीविका का एकमात्र सहारा उनकी कृषि उपज ही है। लेकिन, जब उनको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकेगा तो उनकी दयनीय स्थिति होना स्वाभाविक ही है।

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर गौतमबुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के गौतमबुद्धनगर एवं बुलन्दशहर जनपदों में कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में कृषि उपज हेतु उर्वरक न मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा अनुरोध है कि वह उ.प्र. राज्य के विशेषकर गौतमबुद्धनगर संसदीय क्षेत्र के गौतमबुद्धनगर एवं बुलन्दशहर जनपदों के कृषकों को मांग के अनुरूप रियायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस वित्तीय बजट में स्टैंडर्ड गोल्ड बार और प्लेटिनम बार पर सीमा शुल्क की बेसिक दर दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत, कट और पॉलिश किए हुए रंगीन रत्नों पर दो प्रतिशत बेसिक सीमा शुल्क की दर निर्धारित की गयी है और गांव देहात या शहरों में धंधा कर रहे सुनारों के बनाए आभूषण भी अब एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार से सोने पर ड्यूटी बढ़ने के विरोध में सोने-चांदी के कारोबारियों द्वारा अनिश्चित काल के लिए दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से अभी गुड़ी पड़वा का त्यौहार बिलकुल फीका रहा। 16 मार्च को इस त्यौहार के दिन देशभर के सोने व्यापारियों को हजारों करोड़ रु. का नुकसान हुआ है। हड़ताल की वजह से न केवल दुकानदार, बल्कि दुकानें बंद रहने से नव वर्ष के दिन सोना खरीदने निकले ग्राहकों को भी परेशानी हुई। इस प्रकार से सोने पर ड्यूटी लगाए जाने से कारोबारी कारीगर और ग्राहकों को दिक्कतें हो रही हैं और ज्वलेर्स का कहना है कि सोने पर ड्यूटी वापिस लिए जाने तक यह हड़ताल जारी रहेगी।

जूलर्स का यह कहना उचित है कि बाजार में वैसे भी डिमांड में कमी का दौर चल रहा था। कुछेक अवसरों को छोड़ दे तो सोने और उसकी जूलरी की खरीदारी में पहले जैसी बात नहीं रह गयी है। ऐसे में डटूटी बढ़ाने से डिमांड और घट जाएगी जिससे कारोबार घटने का पूरा डर है। फिलहाल डिमांड सामान्य से बीस प्रतिशत कम है। इस प्रकार से बजट में ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्तावों से मार्किट का सेंटिमेंट प्रभावित होना निश्चित है। इसका नेगेटिव असर सोना मार्किट पर भी पड़ेगा।

अत: ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सोने से ड्यूटी वापिस लिए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए, जिससे सोने व्यापारियों की हड़ताल समाप्त होकर कारोबारी, कारीगर और ग्राहकों को राहत मिल सके।

देश के किसानों को बदहाली से बचाने के लिए उन्हें दीर्घ काल के लिए सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है। सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर के लिए विगत आम बजट में काफी सहूलियतें दिए जाने का प्रावधान किया था, वहीं देश के किसानों के लिए केवल 4.75 लाख करोड़ का कृषि ऋण सुलभ कराने की घोषणा के साथ उन्हें 4 प्रतिशत की दर पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदत्त की थी, जो किसानों के साथ अन्याय था। अच्छा होता यदि सरकार किसानों को दीर्घ काल की अवधि पर और अधिक सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराने का प्रावधान करती।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011-12 में निम्न उत्पादों पर सब्सिडी प्रदान की थी:-

1. फर्टिलाईजर पर 67199 करोड़ रुपए की सब्सिडी
2. खाद्य पर 72823 करोड़ रुपए की सब्सिडी
3. पेट्रोलियम पर 68481 करोड़ रुपए की सब्सिडी
4. आई.टी. पर 42320 करोड़ रुपए की सब्सिडी

(कुल 250823 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गयी)

वहीं कॉर्पोरेट को विगत बजट वर्ष में निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की गयी:-

1. सीमा शुल्क पर 276093 करोड़ रुपए की सब्सिडी
2. उत्पाद शुल्क पर 212176 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गयी
3. उद्योग पर 512176 करोड़ रुपए की सब्सिडी

(कुल मिलाकर 539561 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गयी)

इस प्रकार से यदि हम विगत वर्ष के बजट में दी गयी सब्सिडी से करें तो उर्वरक के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रु. की सब्सिडी दी गयी और वहीं कॉरपोरेट को लगभग 5 लाख करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गयी? इन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार की नीति कृषकों व आम लोगों के कल्याण की न होकर बड़े घरानों के लिए है। अच्छा होता यदि केन्द्र सरकार किसानों एवं आम गरीब लोगों के उपयोग में आने वाले उत्पादों में अधिक सब्सिडी देकर इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाती और कॉर्पोरेट के लिए जो सब्सिडी प्रदान की गयी, उससे अधिक सब्सिडी उर्वरक इत्यादि पर देती। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया था और आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है।

यह बजट देश के किसानों सहित सभी वर्गों विशेषकर गरीब, मध्यम लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट ने युवाओं को हताश किया है तथा इसमें बेरोजगारी व महंगाई दूर किए जाने हेतु कुछ भी नहीं है। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोई ठोस और निर्णायक कदम के संकेत नहीं मिलते हैं। इस बजट से देश के आम आदमी पर महंगाई का बोझा और अधिक बढ़ेगा। यह बजट विकास की दर में अधिक वृद्धि न करते हुए उसे और पीछे ले जाता है और महंगाई में अधिक बढ़ोत्तरी की ओर निर्देशित करता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में यदि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाये तो कहीं पर भी विकास दर को बढ़ाने के कार्य नहीं किए गए हैं तथा न ही हवाई अड्डों, बंदरगाहों एवं तापीय संस्थानों में नए निवेश करने हेतु कोई घोषणा की गयी है। जितनी व्याख्या सामाजिक उद्देश्यों

जैसे कि स्वास्थ्य और कृषि के लिए की गयी है वह पूर्व निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से काफी नीचे है। देश की खाद्य सुरक्षा भी काफी चिंतनीय है। इस सबके अलावा किसी अन्य तथ्यों की उद्घोषणा नहीं की गयी है। वर्तमान में कोई विदेशी पूंजी निवेश हेतु नीति निर्धारित नहीं की गयी है। इस प्रकार मौजूदा सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए स्वर्णिम अवसर को खो दिया है।

मौजूदा बजट में जिनती भी व्यवस्थाएं बतायी गयी हैं, वे सभी कारण देश में मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कारक हैं। बजट में 17 छूटों के अलावा सभी प्रकार की सेवाओं पर सेवा कर का दायरा बढ़ाया गया है। इसके साथ सेवा कर की दर जो 10 से 12 प्रतिशत थी उसको बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार 90 प्रतिशत उत्पादों पर निर्यात शुल्क 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया हैं। बढ़ाये गए इन सभी करों से मुद्रास्फीति की दर में भी सीधे तौर पर वृद्धि होगी।

इस बजट का यदि ध्यान से आकलन करते हैं तो पाते हैं खाद्य पदार्थ, ईंधन एवं उर्वरकों पर छूट का लाभ वापस लिया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी की मंशा डीजल, एलपीजी गैस पर अधिक दाम बढ़ाने की है जो कि एक आदमी की महंगाई से कमर तोड़कर रख देगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वे उन उपायों की ओर ध्यान दें जिससे एक आदमी को महंगाई के बोझ से कुछ राहत मिल सके।

वर्तमान में देश में मात्र 36 प्रतिशत कृषि क्षेत्र सींचित है। प्रायः इस सींचित क्षेत्र में परम्परागत कृषि यंत्रों एवं तकनीकों का ही उपयोग हो रहा है। पर्याप्त संसाधनों का अत्यन्त अभाव है। इन सिंचाई संसाधनों को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में यह बताना भी उचित होगा कि वर्ष 1970 के बाद से रासायनिक कृषि का मॉडल देश में अपनाया जा रहा है। जिससे भूमि में अत्यधिक उपयोग किए जाने से उर्वरक शक्ति कमजोर होने के साथ-साथ भूमि की प्राकृतिक एवं उपजाऊ भूमि के पोषक तत्वों की भी निरंतर कमी होती जा रही है। इसलिए भूमि में अत्यधिक रसायन के प्रयोग को बंद कर प्राकृतिक एवं परम्परागत साधनों को आधुनिक उपायों के साथ अपनाकर देश को हरित क्रान्ति की ओर ले जाए जाने की आवश्यकता है।

आज देश के अंदर लाखों टन अन्न बिना भंडारण के खराब होने की स्थिति में पड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अतिरिक्त अन्न को भूखे नागरिकों तक पहुंचाए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार ने इस बारे में आज तक कोई ऐसी कारगर नीति नहीं तैयार की है जिससे भंडारण के बाहर पड़े हुए अन्न को सड़ने से पहले गरीब भूखे लोगों तक पहुंचा दिया जाए। यह देश की बड़ी भारी विडम्बना है कि किसान द्वारा पैदा किया गया अनाज न तो किसी एक गरीब आम आदमी के काम आता है और न ही उसे कोई पशु आदि खा सकता है। खाद्य सुरक्षा में किसकी सुरक्षा निहित है? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। हरित क्रांति की बात की जा रही है। जो जैविक बीजों से तैयार होगा, उससे किसका भला होगा, यह विचारणीय विषय है।

हमसे ज्यादा विकसित देश जो हमारे पशुपालन में हमसे कहीं अधिक पीछे हैं, वे भी अपने पशुपालकों एवं डेयरी उद्योग में कई अधिक धनराशि सबसिडी के रूप में प्रदान कर रहे हैं। इंग्लैंड, कैनेडा, अमेरिका में तो वहां की सरकार पशुपालन के लिए पचास हजार से एक लाख डॉलर तक पशुओं के शेड बनाने के लिए दे रही है। विश्व के विकसित देश दुग्ध उत्पादकों को एक डॉलर में 35 से 37 सेंट दे रहे हैं और भारत में अमूल जैसे दूध उत्पादक को एक रु. में मात्र 60 पैसे किसानों को दे रहे हैं और कॉरपोरेट तो 36 से 37 पैसे तक दे रहे हैं।

देश के किसानों का हर जगह शोषण हो रहा है। वालमार्ट का 30 बिलियन डॉलर का दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच रहा है जिसमें से वह 10 बिलियन डालर किसानों को दे रहा है और आज वह लगभग 60 बिनियन डालर का व्यापार कर रहा है तो मात्र 6 बिलियन डालर ही किसानों को दे रहा है। वालमार्ट अपना सारा माल चाइना को बेच रहा है और मुनाफा अमेरिका ले जा रहा है। केन्द्र सरकार का यह कहना कि एक करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। अकेले अमेरिका में ही वालमार्ट जो कि 422 मिलियन डालर का व्यापार कर रहा है, में मात्र 21 लाख कर्मचारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार देश में एक करोड़ बेरोजगारों को कहां से रोजगार उपलब्ध करवाएगी?

केन्द्र सरकार ने गरीबी की परिभाषा 22 रु. से 26 रु. में मिलने वाले भोजन से की है। क्या गरीबों को मिलने वाली रोटी का मूल्यांकन केवल 22 रु. से 26 रु. है? क्या आज की महंगाई में इतनी कम राशि में किसी गरीब को एक वक्त का भोजन मिल सकता है? एक गरीब आदमी जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय पी लेता है, समोसा खा लेता है क्या वह 25 रु. में चाय और पेंसठ रु. में बर्गर खाने के मल्टीनशनल के कैफेटेरिया में जाने को पैसे कहां से लाएगा?

व्यवस्था को सुधारने के लिए विदेश नीतियां अपनाने की आवश्यकता है। क्या विदेशी नीतियों को अपनाकर उससे व्यवस्था में सुधार आएगा व्यवस्था सही कृषि नीति और नीयत से सुधरेगी। ताकि किसानों को उनको वाजिब हक, मूल्य एवं बेरोजगारों को

उचित रोजगार के अवसर प्रदान कर हम कृषि प्रधान देश होने का वास्तविक गौरव हासिल कर सकेंगे।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्यों से जमा होने वाले केन्द्रीय करों को निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में केन्द्रीय करों के संग्रह में सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का मिल रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार से उ.प्र. को उसका जायज हिस्सा नहीं मिल पा रहा है तथा केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी सहायता उपलब्ध कराना तो दूर जो राज्य के विकास में अतिरिक्त के रूप में हो, उसके द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय योजनाओं की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भी विगत 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य को केन्द्र से उसका वाजिब हिस्सा व प्रायोजित योजनाओं का आवंटन समय पर तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

***श्री संजय धोत्रे** (अकोला): कृषि हमारे देश की रीढ़ है। हमारे देश के कृषक हमारे जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक की पूर्ति करने में हमारी मदद करते हैं। मैं यह उल्लेख करते हुए दुख महसूस करता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों बाद भी हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। प्रत्येक वर्ष इस देश के किसान बजट में कुछ राहत की आशा करते हैं। तथापि, प्रत्येक वर्ष की तरह वे इस वर्ष भी निराश हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री ने यद्यपि इस देश के किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त की है किंतु उन्होंने उनकी समस्याओं को इस बजट की कुछ ही पंक्तियों में समेट दिया है। सरकार की नीतियों से यह एकदम स्पष्ट है कि देश में कृषि और कृषकों का भविष्य एकदम निराशाजनक है। हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या पूर्णतः कृषि पर निर्भर है किंतु सरकार की इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस देश के किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगार भुखमरी के कगार पर हैं।

जैसा कि आपको अवगत होगा किसानों की आत्महत्या के अधिकांश मामले विदर्भ क्षेत्र से हैं और आत्महत्या करने वाले अधिकांश किसान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक थे। विदर्भ क्षेत्र के ऐसे छह जिले गंभीर रूप से समस्याग्रस्त हैं और इन्हें देश में कृषकों की आत्महत्या हेतु प्रवण जिलों के रूप में घोषित किया गया है। पूर्व में प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा यहां के लिए पैकेज की घोषणा की गई थी। तथापि, इन पैकेजों का लाभ इस प्रयोजनार्थ उचित दिशानिर्देशों के न होने और सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच पाया। इस प्रयोजनार्थ एक जांच समिति का भी गठन किया गया जिसने स्पष्टत: बताया है कि सरकार भी इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार से अवगत है। इसके अतिरिक्त, जहां तक कपास के निर्यात और आयात का संबंध है, इस संदर्भ में सरकार की कोई स्पष्टत नीति नहीं है। कभी सरकार कपास के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगा देती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी हानि होती है और कभी-कभी सरकार कपास पर आयात शुल्क को कम कर देती है जिससे अन्य देशों के कपास उत्पादकों को लाभ होता है और इस देश के कपास-उत्पादक किसान भुखमरी की हालत में हो जाते हैं। इस संबंध में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे देश में कपास की घरेलू मांग और आवश्यकता इसके 200-220 लाख गट्ठों की है और गत पांच वर्षों से इसका उत्पादन लगभग 350-380 लाख गट्ठा हुआ है। इस प्रकार 150-180 लाख गट्ठा अतिरिक्त पैदावार है। तथापि, सरकार प्रतिवर्ष मात्र 25-50 लाख गट्ठा कपास के ही निर्यात की अनुमति दे रही है और उस पर भी कभी-कभी अचानक पाबंदी लगा दी जाती है। निर्यातकों को बढ़ावा देने के बजाए सरकार वस्त्र और परिधान क्षेत्र से जुड़े समूहों के दबाव में इन निर्यातकों का उत्पीड़न कर रही है। परिधान उद्योग में उनकी वृद्धि लगभग 400 प्रतिशत है जबकि कुछ लोगों को लाभ देने के लिए कपास उगाने वाले किसान और कपास के निर्यातकों, जिनकी संख्या अधिक है, को परेशान किया जा रहा है। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार प्रतिवर्ष 150 से 200 लाख गांठ कपास के निर्यात की अनुमति दे।

कपास उगाने वाले किसानों के अलावा, प्याज, तिलहन एवं दलहन उगाने वाले किसानों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जब भी वे अपनी उपज से लाभ पाने की स्थिति में होते हैं, तब सरकार निर्यात क्षेत्र के बिचौलियों के इशारे पर इन वस्तुओं के निर्यात पर एकाएक प्रतिबंध लगा देती है एवं इन वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर देती है या हटा देती है जिससे किसानों को आगे चलकर भारी हानि होती है। हमारे देश में यह एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है जिसे सरकार की मदद से सुदृढ़ किया जा रहा है। सरकार की स्पष्ट नीति के अभाव में आयातकों की इन वस्तुओं की प्रत्येक वर्ष नियमित आपूर्ति की गारंटी नहीं होती है। इसके कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में भारी अंतर भी होता है।

मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार द्वारा इस संबंध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाए कि किन परिस्थितियों में सरकार किसानों के विषय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य हुई।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सरकार द्वारा विगत समय में 72,080 रुपए का किसानों का ऋण माफ किया गया था। तथापि, योजना में वास्तविक लाभार्थी किसान नहीं बल्कि बैंक थे। इसका अर्थ यह है कि किसानों को कोई राहत देने के बजाय किसानों के नाम पर बैंकों को राहत दी गई तथा केवल उन किसानों का जिनके पास 5 एकड़ भूमि थी, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी, योजना का लाभ मिल पाया।

माननीय वित्त मंत्री किसानों की ऋण से जुड़ी एकमात्र समस्या को देख पाए। अत: किसानों के प्रति सरकार की सहानुभूति किसानों को प्रदान किए जा रहे ऋण तक ही सीमित है।

किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने के संबंध में ब्याज संबंधी राजसहायता का उल्लेख किया गया है जिसे 2012-13 में जारी रखा जाएगा। यह उल्लेख किया गया है कि त्वरित भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त राजसहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, परक्राम्य भाण्डागार रसीद प्रस्तुत करने पर फसल कटाई के बाद छह महीने तक इतनी ही ब्याज संबंधी राजसहायता प्रदान की जाएगी। यह किसानों को अपनी उपज को भाण्डागार में रखने को बढ़ावा देगा। तथापि, सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पैदा की जा रही वास्तविक समस्याओं की पहचान नहीं कर पाई है। यद्यपि किसान बकाए का भुगतान शीघ्र करना चाहते हैं तथापि बैंक इस आधार पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की जगह 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ले रहे हैं कि इस संबंध में उनके पास सरकार से कोई स्पष्ट अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी सेवा प्रभार के नाम पर बैंक मनमाने ढंग से किसानों से एकमुश्त राशि वसूलते हैं। सरकार का बैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं है और जब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा होता है तो सरकार आंख मूंद लेना बेहतर समझती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों को चार प्रतिशत की ब्याज दर पर न केवल मियादी ऋण प्रदान करे बल्कि सभी कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर की खरीद एवं लघु सिंचाई सुविधाएं सृजित करने के लिए अवसंरचना हेतु लिए गये ऋण भी प्रदान करे।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में खाद्य सुरक्षा का उल्लेख किया है। उक्त उल्लेख का आशय यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क का सृजन किया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न खामियों की ओर दिलाना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों की तस्करी की जा रही है तथा इसे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल में खुले आम बेचा जा रहा है। जरूरतमंद लोग आज भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिए जाने वाले गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों से वंचित हैं। इन कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए भांडागारों और गोदामों की कमी जैसी कई समस्याएं हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान खामियों को दूर किए बिना तथा यह सुनिश्चित किए बिना कि खाद्यान्न गलत हाथों में जाने के बजाय उचित गंतव्य तक पहुंचता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिकाधिक निधियां प्रदान करना निरर्थक ही होगा।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से नामांकन, प्रतिधारण, उपस्थिति में वृद्धि हुई है और बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि करने में भी मदद मिली है और चालू बजट में इस योजना हेतु 11,937 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। फिर भी मैं सरकार का ध्यान विद्यालयों में छात्रों को परोसे जा रहे घटिया भोजन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल ही में हमें सरकार की मध्याह्न भोजन योजना में व्याप्त बेतहाशा भ्रष्टाचार के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा कुछ राज्यों के विद्यालयों में नामांकन में ऐसे रहस्यात्मक तरीके से वृद्धि हुई है जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि क्या एक ही समय में एक छात्र का एक से अधिक विद्यालयों में नामांकन किया जा रहा है।

इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच किए जाने की आवश्यकता है। इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू निगरानो व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना, सबला, जो किशोरियों के आत्मविकास हेतु पोषण, शैक्षिक और कौशल संवर्धन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, की भी ऐसी ही स्थिति है।

इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया हैं फिर भी यह देखने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है कि किशोरियों की निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है या पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सदुपयोग किया जा रहा है।

मानक सोने की छड़ों; 99.5 प्रतिशत से अधिक शुद्धता वाली सोने के सिक्कों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। प्लेटिनम पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर 2 से 4 प्रतिशत और गैर-मानक सोने पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसी क्रम में शोधन हेतु स्वर्ण अयस्क, सांद्रिक और छड़ों पर मूल सीमा शुल्क 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा

है। उत्पाद शुल्क पर शोधित स्वर्ण पर इसी अनुपात में उत्पाद शुल्क भी 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जा रहा है।

सोने का व्यापार करने वाले लोगों में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में हुई इस वृद्धि को लेकर असंतोष है। इस वृद्धि को वापस लेने के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क कर को लागू करने के फलस्वरूप सोने और इससे संबंधित वस्तुओं की पड़ोसी देशों से काला बाजारी और तस्करी शुरू हो जाएगी। जैसा आपको मालूम ही है कि पड़ोसी देशों से गैर-कानूनी तरीके से आयात की जा रही नकली /जाली मुद्रा के प्रचलन के कारण हम पहले से ही गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद भी हम जाली मुद्रा के आयात को रोक पाने की स्थिति में नहीं हैं। सोने और इससे संबंधित वस्तुओं पर सीमा-शुल्क और उत्पाद कर बढ़ाकर हम स्वयं के लिए एक और समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पड़ोसी देशों से इन वस्तुओं की तश्करी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, कई प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं की शुरूआत की गई है। जैसे कि 2.00 लाख रुपये मूल्य के आभूषण खरीदने वाले ग्राहक का रिकार्ड रखना होगा और उन पर स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) का अधिरोपण एक छोटे आभूषण विक्रेता के लिए पूर्णतः असंभव है और इन सभी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं की समीक्षा किए जाने और वापिस लिए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कदम से छोटे आभूषण विक्रेता और उनसे संबंधित कामगार कुछ ही वर्षों के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और इस व्यवसाय में बड़े-बड़े कार्पोरेट घराने बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही टिक पाएंगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार इन लघु आभूषण-विक्रेताओं और इस कार्य में लगे कामगारों को क्यों भूखा मारना चाहती है। इस प्रकार तो कार्पोरेट घरानों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर इन लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सोने और अन्य संबंधित मदों पर सीमा तथा उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी को शीघ्र वापस लिया जाए।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इसका एक अहम कारण देश के जरूरतमंद इलाकों में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित न किया जाना हो सकता है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठा रही है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। इससे भी बढ़कर, हमें इस समस्या से निपट रही विभिन्न एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस प्रक्रिया में बिना किसी हस्तक्षेप के विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जाएं। इस बजट में मुख्य क्षेत्रों जैसे–जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वच्छता में सुधार, शिक्षा के स्तर में विशेषकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा समुचित मूल्यांकन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, बेहतर संचार व्यवस्था इत्यादि की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम देश में व्याप्त नक्सली समस्या को हल करना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने और बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र पर बात करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि यूनेस्को के भारत विशिष्ट सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, जहां कस्बों और शहरों के 76 प्रतिशत स्कूलों में बिजली है, वहीं गांव के स्कूलों में यह महज 27 प्रतिशत है। गांवों के आधे से भी कम स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय हैं। शहरी-ग्रामीण विभाजन की बाध्यताएं अहम हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि भारत एशिया के उन तीन देशों में से एक है, जहां आधे से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में 17 प्रतिशत से भी कम नामांकन होते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभीरता से ध्यान दे और अतिरिक्त अवसंरचनात्मक ढांचा सृजित करने के अलावा इस क्षेत्र के वर्तमान अवसंरचनात्मक ढांचे में सुधार करे वरना शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रमुख उद्देश्य ही विफल हो जाएग। गांवों के स्कूलों में न सिर्फ गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता है, बल्कि अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे–शौचालय, स्वच्छता, पेयजल ब्लैक बोर्डो इत्यादि की भी जरूरत है तथा उन पर समुचित ध्यान भी दिया जाना चाहिए।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, वित्त संबंधी संसदीय समिति ने प्रत्यक्ष कर संहिता की विस्तृत जांच की है और यह सिफारिश की कि कर-छूट की सीमा को 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.00 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। तथापि, संसदीय समिति की सिफारिश को दरकिनार करते हुए बजट में आय-कर छूट की सीमा सिर्फ 2.00 लाख रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस गंभीर पहलू की ओर ध्यान दे तथा आयकर छूट की सीमा 3.00 लाख रुपए तक घोषित करे।

[हिन्दी]

***श्री दानवे रावसाहेब पाटील** (जालना): इस बजट से इस देश किसानों को मजदूरों को और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा और विकास के लिए यह बजट अच्छा रहेगा ऐसी हमारी अपेक्षा थी।

लेकिन जो बजट प्रस्तुत हुआ यह बजट देखकर इस देश की जनता इस इस सरकार पर नाखुश है बजट में जो प्रावधान है उस

---
*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में गरीबों है उस में गरीबों के लिए कोई प्रावधान नहीं है और विकास के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, कोई सेवाकर बढ़ाया नहीं, लेकिन सेवाकर के माध्यम से इस सरकार ने अपत्यक्ष कर वसूल करने का काम किया है यह एक अन्याय है गत अनेक सालों से हम हमारे क्षेत्रों में कुछ विकास की मांगें कर रहे हैं लेकिन सरकार का ध्यान इन बातों पर बातों पर नहीं है। मेरा लोक सभा क्षेत्र जालना-औरंगाबाद मिलाकर है यहा अजंता एलोरा जैसी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल हैं। यहां विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं लेकिन हर साल मांग करने के बाद भी अजंता एलोरा जैसी वर्ल्ड हेरीटेज जैसे स्थानों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए सुविधा देने के लिए 1000/- रु. का प्रावधान इस बजट में किया जाये।

जालना जैसे शहर में स्टील और बीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है यहां से महाराष्ट्र के हर जिले तक स्टील जाता है बीज देश के हर राज्य में ताजा है लेकिन, यहां जो सड़क मार्ग है वह मार्ग जालना से हैदराबाद, जालना से मुंबई, जालना से नागपुर, जालना से इंदौर यह सड़क मार्ग को सिक्स लेन करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाये ताकि इस शहर का जो स्टील और बीज का कारोबार है वो बढ़ सके।

औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है इस जिले में पैठन, फुलंबी, सिल्लोड ऐसे महत्वपूर्ण ताल्लुक आते हैं, इस ताल्लुक में सिक्स लेन सड़क मार्ग करना बहुत जरुरी है इस लिए में मांग करता हूं कि इस बजट में कोई प्रावधान किया जाए।

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में चीनी मिलें हैं और इस देश का चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। इस उद्योग की हालत खराब होती जा रही है इस उद्योग के लिए एक राहत पैकज इस बजट में दिया जाए ऐसी मांग करता हूं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में जालना से खामगांव और सोलापुर से जलगांव (जालना होते हुऐ) नई रेल मार्ग बनवाने का प्रावधान करने की विनती हमने मा. रेल मंत्री जी से की थी लेकिन इस रेल बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया वित्त मंत्रीजी विनती करता हूं कि मैंने जो बात रखी है उसका बजट में प्रावधान किया जाये।

[अनुवाद]

***श्री निलेश नारायण राणे** (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अपने तीक्ष्ण ज्ञान और गहरी सूझबूझ के साथ वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हमारी अर्थव्यवस्था को मुश्किल समय में भी संभालते रहे हैं। यह बजट एक मजबूत और लचकदार अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बजट वर्तमान अर्थव्यवस्था का एक व्यापक दस्तावेज है, जो कई क्षेत्रों में विगत कार्य निष्पादन से संकेत ग्रहण कर भावी प्रक्षेपण करता है। अनेक व्यक्तियों ने बजट 2012-13 को यथास्थिति बनाए रखने वाला बताया है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। मेरे लिए 'यथास्थिति' निंदात्मक शब्दावली नहीं है, यह अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और उसकी नम्यता का द्योतक है। मेरे विचार से गठबंधन सरकार के अलग-अलग विचारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। साथ ही अर्थव्यवस्था के दीर्घावधिक विकास के बारे में भी चिंतन किया गया है। लगभग सभी विवादास्पद क्षेत्रों जैसे-खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना, भूमि अधिग्रहण और विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रत्यक्ष कर संहिता, सामान्य सेवा कर आदि के संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल सुस्पष्ट है। यह बजट राजसहायता के भार को अगले तीन वर्षों में विद्यमान 2.4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत पर लाने का संकेत देता है। तेल पर राजसहायता संबंधी बजटीय आंकड़ों में लगभग 36.4 प्रतिशत तक की कमी करने का संकेत मिलता है। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु एक गतिशील व्यवस्था शुरू करने का भी संकेत दिया है। लेकिन यह सब कुछ एक ही पल में नहीं किया जा सकता। नीति-निर्माण में अपने सहज विचार-विमर्श के दृष्टिकोण के साथ वित्त मंत्री को पूरा भरोसा है कि सरकार एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में सभी गठबंधन सहयोगियों और अन्यों को भी अपने साथ लाएगी।

बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है, जो गत तीन दशकों में औसत तीन से चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से, पिछले दशक के अधिकांश भाग में आठ प्रतिशत से अधिक तक की वृद्धि के साथ साफ तौर पर उर्ध्वगामी विकास की ओर अग्रसर है। यद्यपि इस वर्ष विकास की दर सात प्रतिशत से थोड़ी कम है, लेकिन यह दुनिया भर में समग्र आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए अभी भी प्रभावशाली है। वित्त मंत्री जी ने हम सभी को विश्वास दिलाया है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था में थोड़ा बेहतर विकास होगा। मेरा मानना है कि हमारा विकास रिकॉर्ड वैश्विक आर्थिक रुख पर ज्यादा निर्भर करता है, जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अनेक हिस्सों में अस्थिर राजनीतिक माहौल से बुरी तरह प्रभावित है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संवर्धित हो रहे विकास को संजोए रखते हुए हमें राज्यों का विकास स्कोर कार्ड नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। भारतीय सांख्यिकी संगठन के अद्यतन आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, देशभर में बिल्कुल असंतुलित है। महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह दोहरे अंकों में बढ़ रही है, जबकि पांच राज्यों में यह सात प्रतिशत से कम बढ़ रही है। सभी राज्यों में यथोचित संतुलित विकास की आवश्यकता को कम नहीं आंका जा सकता।

वित्त मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के रास्ते पर ले जाने की क्षमता है। इसके लिए, उन्होंने कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए अधिक धनराशि का आवंटन करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि लक्ष्य ठीक ही रखा है। अनेक राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय अनुदानों की घोषणा वास्तव में ही स्वागत योग्य है। घोषित अनुदानों में केरल कृषि विश्वविद्यालय (केएयू) और आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरएयू), हैदराबाद को सौ-सौ करोड़ रुपये; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और ओडिशा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर को पचास-पचास तथा कृषि व्यापार विद्यालय, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को 25 करोड़ रुपये का अनुदान, (आईआरएमए) आनन्द शामिल हैं। वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र राज्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस संबंध में, मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां कटिबंधों के अनुकूल कृषि जलवायु है; भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र सहित लंबे तटीय समुद्री छोर है जो धान की व्यापक खेती वाला क्षेत्र है और जहां बागवानी और तटीय जल-कृषि की अच्छी संभावना है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दपोली में डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ में कोंकण के कृषि बागवानी किसानों के फायदे के लिए काफी अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे कोंकण कृषि विद्यापीठ को उसके अनुसंधान और विकास कार्यों हेतु उदार अनुदान दिए जाने पर विचार करें।

पर्याप्त आधारभूत ढांचे की कमी एक अन्य क्षेत्र है, जो हमारे विकास में एक प्रमुख बाधा है। इसलिए, इस बजट में आधारभूत ढांचे पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने वित्तीय संस्थानों को कर-मुक्त बांडों से लगभग 60,000 करोड़ रुपये उगाहने तथा और अधिक निजी भागीदारी की परिकल्पना सहित अनेक प्रस्ताव घोषित किए हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएगा जिसमें से लगभग आधा निजी क्षेत्र से प्राप्त होना अपेक्षित है।

विकास के अलावा, राजकोषीय समेकन एक अन्य क्षेत्र है, जिस पर बजट में पर्याप्त जोर दिया गया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद को घटाकर 5.1 प्रतिशत तक करने की प्रतिबद्धता सुविचारित और सुनियोजित है। गैर-कर राजस्व को बढ़ाने के बारे में सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। वित्त मंत्री के पास राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सुस्पष्ट योजना है। मुझे विश्वास है कि जब सरकार और देश की 'रेटिंग' इस बात पर निर्भर है कि हम कैसे लक्ष्य प्राप्ति करने जा रहे हैं, कुछ गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसकी इस बजट ने उपेक्षा की गई है, पर अपना असंतोष व्यक्त करना चाहता हूं। यह पर्यटन क्षेत्र है। चूंकि मैं महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो कि पर्यटन महत्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुझे यह जानकर दुख होता है कि यात्रा व पर्यटन क्षेत्र, जो इस देश में सबसे बड़ा रोजगार सृजक है, को एक बार फिर वह महत्व नहीं दिया गया, जो इसे मिलना चाहिए था। इसे उद्योग का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त आतिथ्य क्षेत्र और अन्य पर्यटन संबंधी सेवा प्रदाताओं को जो विदेशी विनिमय कमाते हैं, यद्यपि हाल ही में सेवा निर्यात वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित निर्यात संवर्धन परिषद् (एसईपीसी) में 13वें क्षेत्र के रूप में शामिल हैं; विदेशी विनिमय अर्जित करने वाले अन्य सेवा निर्यातकों की भांति कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। सेवा कर की दरों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। फिर भी मैं निराश नहीं हूं। सरकार कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से हमेशा कार्यप्रणाली संबंधी सुधार कर सकती है। केवल बजट द्वारा सब कुछ कहा और किया नहीं जा सकता।

बजट में बहुत से बेहतर बिंदु हैं, जिन पर मेरे विद्वान साथियों ने मुझसे पहले चर्चा की है... मैं कहना चाहता हूं कि 2012-13 का बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि देश इस साल से शुरू होने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना की दहलीज पर है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जिन्हें पांच वर्ष के आधार पर निपटाए जाने की आवश्यकता है। इस बजट में एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य निहित है। हमें समाज के गरीब और वंचित वर्गों के व्यापक हित में सरकार का इसके दीर्घकालिक आर्थिका सुधारों को लागू करने के संकल्प को मजबूत करने की आवश्यकता है।

***श्री पी.सी. गद्दीगौदर** (बागलकोट): आयकर छूट सीमा को 2 लाख रु. से 3 लाख रु. तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे बहुत से लोग खुश होते।

बजट में "काले धन" पर श्वेत पत्र का वादा और छिपाई गई आय के उपायों को सख्त करने के कुछ उपाय भी शामिल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

थे। इसमें शामिल प्रावधान, जैसे विदेश में स्थित सभी संपत्तियों की घोषणा करने को अनिवार्य बनाना और सोना-चांदी, आभूषण आदि जैसे अधिक मूल्य वाली वस्तुओं की नकदी खरीद पर स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस) प्रशंसनीय है। काले धन पर श्वेतपत्र की समयसीमा और माध्यम का उल्लेख नहीं किया गया है-यह धन भारत के 40 लाख करोड़ के ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों तक कर उगाही और बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सबसे बड़े कर सुधारों में से एक, प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को संसदीय स्थायी समिति द्वारा डीटीसी विधेयक पर अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने के बावजूद प्रास्थगित स्थिति में रखा गया है। साथ ही इसमें कार्पोरेट क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ खास नहीं था, जिससे वह उत्साहित महसूस करे। बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर के बारे में भी केवल यह कहा गया है कि आदर्श विधान का प्रारूपण चल रहा है।

ऐसा मालूम होता है कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है और खाद्य मूल्यों में तीव्र वृद्धि लाने वाली आपूर्ति रुकावटों को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं है।

गंभीर आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए यह बजट उद्योग के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा सकता है। अप्रत्यक्ष करों द्वारा अतिरिक्त 45,940 करोड़ रुपये जुटाने वाले कार्यक्रमों/ प्रयासों से मूल्यों में और वृद्धि हो सकती है।

सामान्य सेवा कर लागू किए जाने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है क्योंकि इसकी एक बार स्थापना/संकलन किए जाने के बाद समष्टि स्तर पर राजस्व में वृद्धि होगी और समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा।

ट्रैक रिकार्ड की विश्वसनीयता पर अपव्यय को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए अत्यधिक समर्थन दिया गया है लेकिन पर्याप्त बिजली की जरूरत वाली सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि क्षेत्र में नाम मात्र 2.5% वृद्धि दर को वृद्धि दर नहीं माना जा सकता है। ऋणों पर 3% प्रोत्साहन छूट देने की अपेक्षा वित्त मंत्री को कृषि ऋण पर ब्याज दरों को कम करना चाहिए।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "आधार कार्ड" के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी दी जाएगी लेकिन "आधार कार्ड" कार्य वांछित स्तर पर पूर्ण नहीं हो सका है और इसमें कई समस्याएं आ रही हैं।

अंतरराज्जीय नदियों को जोड़ने की प्रसिद्ध परियोजना, जो कि राष्ट्र हित में बेहद महत्वपूर्ण मामला है, को सही ढंग से नहीं निपटाया गया है।

नरेगा के अंतर्गत, निधियों का सृजन हुआ है लेकिन इसके उपयोग के बारे में कोई पैमाना नहीं है।

एयरलाइनों को एक वर्ष के लिए एक बिलियन रुपये तक बाहरी उधार से पूंजी जुटाने और योजना 2012-13 में 7293 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 4000 करोड़ रुपये का आवंटन और विमान कलपुर्जों और उपकरणों पर सीमा शुल्क में पूरी छूट देने का प्रस्ताव और एटीएफ (एविशन टरबाइन फ्यूल) के सीधे आयात की अनुमति देना इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी सहायता है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

किसानों की तरह, बुनाई क्षेत्र को भी सहायता की जरूरत है। लंबे समय से यह क्षेत्र समस्याओं से घिरा हुआ है-कुछ और सहायता की शुरूआत किए जाने की आवश्यकता है और यह समय की मांग है।

***श्री सुरेश अंगड़ी** (बेलगाम): मैं कहना चाहूंगा कि यदि इस बजट में किसी चीज को वापस लिया जाना चाहिए तो वह है सब्सिडी के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण सब्सिडी उन लोगों के लिए है जो जीडीपी में वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। इस बजट में सब्सिडी को वर्ष 2012-13 में जीडीपी के 2% तक सीमित करने और अगले तीन वर्षों में इसे 1.75% तक कम करने का प्रस्ताव है। यह जीडीपी उन लोगों का योगदान है जो कि मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। यदि वे अधिक उत्पादन करेंगे तो जीडीपी में वृद्धि होगी। इसलिए, उनके भोजन, ईंधन और उर्वरक पर सब्सिडी अवश्य दी जानी चाहिए। इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, इन सब्सिडियों में वृद्धि की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे लाभार्थियों तक शत-प्रतिशत पहुंचें।

सप्रंग-2 की नीति नागरिक-विरोधी है। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि जहां भी संभव हो वहां लोगों पर कर लगाया जाना चाहिए। इस सरकार ने प्रत्येक चीज पर कर लगाया अर्थात कमाई, विनिर्माण, व्यापार, खर्च और यहां तक कि शिक्षा पर भी कर लगाया। आयकर के अलावा शिक्षा उपकर भी लगाया गया है। लगभग 55% आम आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करों पर खर्च करते हैं।

उत्पाद शुल्क में 2% की वृद्धि से विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसमें मंदी आ जाएगी। इस बजट में, औद्योगिक वृद्धि के लिए कोई गुजांइश नहीं है। उदाहरण के लिए, स्वर्ण-व्यापार पर लगाए गए शुल्क व करों से स्वर्ण और आभूषण निर्माण व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। इससे देश से उसका निर्यात बाधित होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सेवा कर को 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सेवाओं की गिनती बढ़ाकर उन्हें सेवा कर नेट के अंतर्गत लाया गया है। कोई यह नहीं कह सकता कि कर नहीं लगाए जाने चाहिए। कर देश-निर्माण और विकास के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन उक्त कर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। इसके बजाय, वे कर-वंचन और काले धन को प्रोत्साहित करने के लिए रास्ता तैयार करते हैं।

अवसंरचना को नजरअंदाज किया गया है एवं यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राजमार्ग-निर्माण का 20 किमी. प्रतिदिन का लक्ष्य वास्तव में जमीन पर महज 5 किमी. प्रतिदिन है। विद्युत क्षेत्र कोयला-आपूर्ति की समस्या और पर्यावरर्णिक मुद्दे से जूझ रहा है। देश के अधिकांश भागों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, में विद्युत परिदृश्य बहुत धूमिल है। देश के विद्युत क्षेत्र की बेहतरी की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

सरकार विभिन्न मंत्रालयों के अधीन केंद्रीय-प्रायोजित योजनाओं का वित्तपोषण करती है। वर्ष 2011-12 के बजट की तुलना में जेएनएनयूआरएम में सबसे अधिक 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना को लगभग 40 प्रतिशत अधिक राशि आवंटित की गई है। यद्यपि ऐसा आवंटन अच्छी बात है पर वास्तविकता यह है कि ऐसे बढ़े आवंटन लक्षित वर्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। जेएनएनयूआरएम में अधिकतम लाभ अभी भी बिचौलियों को जाता है। सरकार ने लक्षित वास्तविक लाभार्थियों को लाभ देने के लिए इन निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

देश का वेतनभोगी वर्ग आय का एक महत्वपूर्ण करदाता है। इस आय अर्जन पर कर प्राय: स्रोत पर ही काट लिया जाता है। तथापि, मुद्रास्फीति दर के बढ़ते रहने के बावजूद सप्रंग-II सरकार ने कर छूट कोटि में आने वाली राशि 1,80,000 रुपये में महज 20,000 रुपये की और बढ़ोतरी करते हुए इसे दो लाख रुपये किया है। जबकि कर मुक्त राशि की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जाना चाहिए। लेकिन संप्रग-I सरकार ने उच्च आर्य वर्ग का पक्ष लिया है अर्थात 5 लाख रु. से 10 लाख रुपये तक का आयार्जन करने वाले वर्ग का और उन्हें 20 प्रतिशत के दायरे में ले लिया है।

कृषि देश का मूलाधार है–यह तो कोई बच्चा भी जानता है। तथापि यह दुखद है कि संप्रग-II सरकार ने इस क्षेत्र को जान-बूझकर नजरअंदाज किया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए बजट में कोई योजना या स्कीम नहीं है। संप्रग-I सरकार द्वारा ऋण माफी योजना की घोषणा के बावजूद देश के किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि इस योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा।

कृषि और औद्योगिक विकास दोनों मजबूत अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। संप्रग-II सरकार की दृष्टि, नीति और उसके कार्यान्वयन में कमी के कारण इन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गंगा-कावेरी नदी योजना जैसी नदीजल संयोजन के योजना प्रारंभ करने का साहस किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पूरे देश के हितार्थ नदियों को आपस में तत्काल जोड़ने के लिए विशेष पैनल गठित करने के लिए संप्रग-II सरकार को निदेश दिया है। यद्यपि 2012-13 के बजट में न तो नदियों को जोड़ने और न ही इसके लिए निधि आवंटन के बारे में कोई उल्लेख किया गया है।

समग्रत: यह बजट देश के गरीब व आम आदमी की समस्या बढ़ाने वाला एवं असंतोषप्रद बजट है। इसलिए, मैं संप्रग-II सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर पुनर्विचार करे तथा देशहित में निर्णय ले।

[हिन्दी]

***श्री रतन सिंह** (भरतपुर): माननीय यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय युवा नेता श्री राहुल गांधी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के निर्देशों में माननीय वित्तमंत्री, भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 का जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। विश्व के अनेकों देशों में वैश्विक संकट हुआ, उसका परिणाम उनके सामने आया। भारत वर्ष भी इससे थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ परन्तु इसके बावजूद भी देश भी वित्तीय स्थिति मजबूत रही। यह बहुत अभिनन्दनीय है। वर्ष 2012-13 के बजट में रुपये 1490925 लाख करोड़ की आमद व व्यय प्रस्तुत किया है, जो देश के लिये अत्यधिक प्रगति सूचक एवं सभी समाजों व आम आदमी के विकास से जुड़ा हुआ है। विश्व में व्याप्त मंदी के दौर में देश की विकास दर 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 9 प्रतिशत किया जाना इस बजट में प्रस्तावित किया गया है एवं कृषि विकास दर 2.5 प्रतिशत प्रस्तावित है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट से समाज के किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया है, सभी को कुछ न कुछ दिया है।

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं उसमें गति प्रदान करने के लिए कोयला, उर्वरक, सीमेंट एवं बिजली सेक्टर को जो प्राथमिकता दी है, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के सफल क्रियान्वयन वे बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं और इस पंचवर्षीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

योजना का ध्येय तीव्रतर, सतत् और अधिक समावेशी विकास करना है। इस बजट में गरीब, दलित एवं आम आदमी के विकास के लिए जो योजनाएं चाहे व मनरेगा हो, वृद्धावस्था पेंशन या खाद्यान्न वितरण की योजनाएं हों, उनके सफल बनाने के लिए आधार कार्ड बनाने के कार्य पर जोर दिया है और इससे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को दूर करने एवं कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने के कार्य में सुधार होगा।

मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने हेतु वितरण, स्टोरेज एवं विपणन व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए इस बजट में प्रावधान है। किसी देश को विकास करने के लिए निवेश अति आवश्यक है। देश में विदेशी निवेश एवं आन्तरिक स्त्रोत से निवेश किये जाने के जो प्रबंध इस बजट में किये गये है, उससे देश में नये उद्योग धंधे स्थापित होंगे और अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। पूंजी बाजार के दोषों को दूर करने हेतु इस बजट में संतोषजनक प्रावधान है।

कई सालों से हटकर इस बजट में कृषि को जो प्राथमिकता दी है, प्रस्तुत बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे हरित क्रान्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस बजट में की है और इस वर्ष इसमें 24000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राजीव गांधी पंचायत शक्तिकरण अभियान के माध्यम से देश भर में पंचायतों को मजबूत बनाने का एक प्रस्ताव है। मिड-डे-मिल पर 11,937 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं एवं बच्चों के विकास के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा में 58 प्रतिश की वृद्धि की है। सरकार ने वित्तीय तौर पर कमजोर 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पूंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इससे ग्रामीण वित्त व्यवस्था में सुधार होगा। किसानों को जो क्रेडिट कार्ड द्वारा ए.टी.एम. से आवश्यक समय में धन प्राप्त करने की सुविधा दी है। देश में 82 ग्रामीण बैंक है, जिसमें 81 ग्रामीण बैंकों का निष्पादन कार्य संतोषजनक रहा है।

प्रस्तुत बजट में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने के संकेत दिये है। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना उत्साहजनक है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में बिजली की विशेष कमी है, जिसके कारण कई उद्योग बिजली के अभाव में बन्द पड़े हैं, जिससे यहां के लोगों के रोजगार पर विपरीत असर पड़ रहा है। एवं मेरे संसदीय क्षेत्र में 85 प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय में कार्यरत्त हैं। बिजली के भरपूर उत्पादन हेतु भरतपुर जिले अंतर्गत रूपवास में एक गैस आधारित पांवर प्लांट की स्थापना किया जाना आवश्यक है। धौलपुर से गैस पाईप लाईन मेरे संसदीय क्षेत्र जिला भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर अलवर एवं आगे हरियाणा जा रही है। रूपवास क्षेत्र में इस प्लांट के लिए आवश्यक पानी चम्बल नदी से लिया जा सकता है। रूपवास में गैस आधारित पॉवर प्लांट लगने से राजस्थान के पूर्वी भाग में औद्योगिक विकास तेजी के साथ किया जा सकता है एवं इस प्लांट की स्थापना से बैरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता मिलेगी।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में दलित एवं मुस्लिम आबादी अधिक है और इन वर्गों में साक्षरता दर काफी कम है। इसके लिए नदबई, रूपवास, नगर एवं कामां में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी एवं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में तहसील नगर, नदबई, रूपवास एवं कामां एवं भरतपुर जिले की प्रत्येक तहसील में एक-एक राजकीय महाविद्यालय खोले जाये, जिससे इस जिले के सामाजिक रूप से पिछड़े दलित एवं मुस्लिम वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाया जा सके। साथ ही दलितों एवं अल्पसंख्यकों में शिक्षा साक्षरता स्तर को देखते हुए एवं शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए भरतपुर जिले में आवासीय केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या को बढ़ाना अतिआवश्क है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भरतपुर की प्रत्येक तहसील में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या में 20-20 की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में भी 20-20 अतिरिक्त विद्यालय खोले जाये एवं माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20-20 विद्यालय खोले जाने का प्रबंध होना चाहिए।

राजस्थान का मेरा संसदीय क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से पक्षी अभ्यारण्य की दृष्टि से एवं कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल और ऐतिहासिक धरोहरों के स्थित होने के कारण अति महत्वपूर्ण माना जाता है, जो पर्यटन का मुख्य आधार है। भगवान श्रीकृष्ण के क्रीडा स्थलों एवं ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा एवं धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं धार्मिक आस्था रखने वाले काफी संख्या में आते है एवं यूनेस्को ने 2 वर्ष पूर्व नेटवर्क ऑफ सिटीज के अंतर्गत भरतपुर का चयन किया है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बयाना में द्वापर युग के तत्कालीन सम्राट बाणासुर का जो विशाल किला है, आज बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। वहां उनकी पुत्री के नाम से ऊषा मंदिर भी भव्य स्थिति में निर्मित है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों एवं सैर के लिए जाते हैं। उक्त किला राजस्थान में स्थित सभी किलों से बड़ा एवं प्राचीन है। अत: इसको संरक्षण व पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाये। इसी प्रकार डीग के विश्व प्रसिद्ध जल महल, वैर फुलवारी, सफेद महल को पर्यटन के लिए पूर्ण रूप से विकसित किया जाये। साथ ही भरतपुर जिले को पर्यटन जिला घोषित कर पर्यटन जिससे पर्यटन के माध्यम से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। भरतपुर पर्यटन जिला घोषित होने से यहां के स्थानीय

लोगों को रोजगार मिल सके एवं ऐतिहासिक धरोहरों एवं स्थलों को संरक्षण भी प्राप्त हो सकेगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के मुख्यालय में सुजानगंगा व डीग तथा वैर में किलों की झील है। पूर्व में जल उपयोग में इन झीलों का महत्व था परन्तु बढ़ती जनसंख्या एवं रहन-सहन की वजह से इन झीलों में शहर की गंदगी आ रही है, जिससे एक ओर तो गन्दगी फैल रही है तथा दूसरी ओर इन झीलों का पानी दूषित होने से मच्छर पैदा हो रहे हैं और आसपास के लोगों में कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सुजानगंगा एवं डीग व वैर की झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने का आदेश प्रदान करे। इनकों संरक्षित व विकसित किया जाये।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य एक विश्व धरोहर है जहां पर सर्दियों में विश्व के विभिन्न भागों से हजारों प्रकार के पक्षी आते हैं। राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में निरन्तर ये पक्षी आते रहें, इसके लिए में मांग करता हूं कि राष्ट्रीय केबलादेव पक्षी अभ्यारण्य स्थल को पांचना बांध करौली से भी 500 एम.सी.एफ.टी. पानी छोड़ने का कार्य सुनिश्चित करवायें।

भरतपुर सम्भागीय मुख्यालय से हजारों की संख्या में विद्यार्थी प्रतिवर्ष मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन के लिए बाहर जाते है, जिससे उनके ग्रामीण क्षेत्र के होने के बावजूद उन पर भी बहुत वित्तीय भार पड़ता है एवं उन्हें काफी कठिनाई महसूस हाती है। बृज अंचल क्षेत्र से धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर एवं करौली जिला जुड़ा हुआ है। यहां एक 300 बैड का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करना अति आवश्यक है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी चल रही है। कृपया मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ कराये साथ ही सम्भागीय मुख्यालय को पूर्ण विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में जे.एन.एन. यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि आवंटित कराई जाये, जिससे क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सके।

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का होना अति आवश्यक है एवं इस वित्तीय वर्ष के बजट में 8,800 किलोमीटर सड़क को कवर किये जाने का निर्णय लिया है और इस कार्य के लिए 25,360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत अधिक है। बराब एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरस्त करने के कार्यो को प्राथमिकता दी जाना चाहिए मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 भरतपुर के खेड़ली मोड़ से नगर-पहाड़ी-कामां-गुड़गांव होते हुए हरियाणा के फिरोजपुर मार्ग को जोड़ने का काम करता है। यह सड़क अति जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में हैं, जिसके कारण सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही में कठिनाई हो रही है। इस मार्ग को सुगम मार्ग बनाने हेतु इसे चार लेन का मार्ग बनाना समय की मांग है। चार लाईन मार्ग बनाने से मध्य प्रदेश श्योपुर, राजस्थान के दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, श्री गोवर्धन जी, मथुरा, वृंदावन, गुडगांवा एवं दिल्ली व हरियाणा के बीच सुगम यातायात एवं मार्ग उपलब्ध किया जा सकता है, जो देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करेगा। इसी के साथ मेरा वित्त मंत्री एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि मथुरा से बारां वाया भरतपुर, बयाना, भाडोती, सवाईमाधोपुर, पालीघाट, इटावा, मांगरोल के बीच 332 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाये। भरतपुर से सालाहसर वाया अलवर, बानसुर, कोटपूतली, नीम का थाना, सीकर को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से इन क्षेत्रों के बीच स्थित पिछड़े क्षेत्रों को विकास के अवसर दिलाये जा सकते हैं। यह मार्ग 301 किलोमीटर का है। कोसी से धौलपुर वाय कामां, डीग, भरतपुर, रूपवास को राजमार्ग में विकसित करने की मांग करता हूं, यह मार्ग 162 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण से पूरे राजस्थान में त्वरित आवागमन उपलब्ध होगा और प्रभावित क्षेत्र का औद्योगिक, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक विकास तीव्र गति से होगा एवं इन क्षेत्रों को यातायात पूरे देश से सुगम हो सकेगा। भरतपुर से नगर, नगर से सीकरी, कामा, जुरेहरा एवं कोसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये एवं इसका निर्माण शीघ्र कराया जाना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। इससे ब्रज एवं मेवात क्षेत्र अत्यधिक लाभान्वित होगा।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भरतपुर को राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में शामिल करने से दिल्ली एवं भरतपुर के बीच के क्षेत्रों को विकास की गति मिलेगी और दिल्ली पर शहरी समस्याओं के निजात में सहूलियत मिलेगी। भरतपुर कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है एवं दिल्ली से इसकी दूरी 180 किलोमीटर है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में विदेशी मुद्रा कमाने एवं देश की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास इस बजट से किया है। भरतपुर में अनेक खानें हैं एवं अनेक खानों के आधार पर यहां पर उपलब्ध खनिज पदार्थो पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है एवं भरतपुर जिले के सैन्ड स्टोन लाल एवं सफेद पत्थर से राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन भी बना हुआ है। इस तरह के पत्थरों के उद्योग स्थापित कर यहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है एवं देश के भवनों को इस पत्थर से बनाने के लिए प्रोत्साहित कर देश के भवनों को आकर्षक बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में इस पत्थर की काफी मांग होने के कारण विदेशों में इस पत्थर को निर्यात किया जा रहा है। अगर यहां सैन्ड स्टोन लाल पत्थर के आधार पर उद्योग स्थापित हो जाये तो इस प्रत्थर से कई आकर्षक आकार की मूर्तियों एवं अन्य वस्तुओं को विदेशों में निर्यात कर काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।

कृषि क्षेत्र सरकार का प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा, यह वायदा इस बजट में किया गया है एवं कृषि एवं सहकारिता विभाग को इस बजट से 20,208 का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर भी एक कृषि प्रधान जिला है, जहां पर 85 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं एवं खरीफ व रबी फसल का उत्पादन सर्वाधिक है एवं यहां पर जिस प्रकार के शहर का उत्पादन होता है, उसकी मांग पूरे देश में है। शहद के कई रोगों के निदान एवं स्वास्थ्य को कायम करने के कारण विश्व में काफी मांग है और यह मांग बड़ी तीव्रता के साथ बढ रही है। इसके लिए शहर आधारित उद्योगों की स्थापना कर भरतपुर में कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो अन्तत: किसानों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगा। किसानों को अल्पकालीन ऋणों की भांति दीर्घकालीन ऋणों में 3 प्रतिशत छूट देकर कुल ब्याज की राशि 4 प्रतिशत वसूल की जानी चाहिए।

कई दशकों से मांग की जा रही है कि ब्रजभाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। यह भाषा अत्यन्त मीठी एवं रसीली है और अनेक धार्मिक ग्रन्थ इसी भाषा में है। इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ब्रज भाषा को आठवीं अनुसूची में जल्द शामिल किया जाये।

माननीय वित्त मंत्री जी ने माना है कि आने वाले समय में जल की कमी एवं जल समस्या कृषि उत्पादन के लिए एक खतरा बनेगी। यह बात अभी राजस्थान राज्य में दृष्टिगोचर हो रही है। राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है। पानी की किल्लत को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के बीच समझौते करा कर कई प्रयास किये हैं परन्तु उन समझौतों पर निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार समुचित एवं समय पर पालन नहीं हो रहा है। समझौते के हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर को 1281 क्यूसेक पानी दिलाने का समझौता हुआ है परन्तु अभी भी 800 क्यूसेक पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के अभाव में राजस्थान में सिंचाई, पशुओं को चारा एवं पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जबकि सूखे एवं पानी के अभाव में लोग कृषि पर ज्यादा जोर न देकर पशु पालन एवं डेयरी उद्योग में लगे हुए हैं। गुड़गांवा नहर से पानी लेकर सिंचाई योजना के द्वारा सीकरी बांध में डाला जाना चाहिए, जिससे भरतपुर जिले के सभी क्षेत्रों को लाभ हो सकेगा और जमुना का बाढ़ का पानी इस बांध में डाला जाये। राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिएं। राजस्थान सरकार ने 83 पेयजल सम्बन्धी परियोजनाएं चला रखी हैं, जिसका खर्चा 50,000 करोड़ रुपये के लगभग है एवं राजस्थान सरकार के पास कोई विशेष राजस्व स्रोत नहीं होने से इन परियोजनाओं पर काम धीरे-धीरे हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि राजस्थान को पेयजल की उपरोक्त योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए केन्द्र स्तर पर 50,000 करोड़ रुपये का एक पैकेज दिलाने का प्रबंध करने की कृपा करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र ब्रजमंडल भरतपुर में राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए अच्छे खिलाड़ियों का सृजन किया जा सकता है। इस जिले से कई खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निकल कर आई हैं। इन प्रतिभाओं एवं खिलाड़ियों के समग्र विकास हेतु मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भरतपुर जिले की प्रत्येक तहसील के 10-10 गांवों में एक-एक स्टेडियम की स्थापना होना आवश्यक है।

प्रस्तुत बजट आम आदमी, दलित, मजदूर, किसान व्यापारी एवं विधार्थी सभी वर्गो के समग्र विकास, उत्थान एवं जनकल्याणकारी होने का समाधान है। प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत एवं समर्थन करता हूं।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के शुरू में ही स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह वर्ष पुनरूथान में व्यवधान का वर्ष रहा। मगर ये सबके लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने यूरो जोन में सोवरन ऋण संकट, मध्यपूर्व में राजनीतिक उठा-पटक, कच्चे तेल की कीमतें में बढ़ोतरी, जापान में भूकम्प वगैरह बाते रखकर अपनी सरकार की निष्फलता का ठीकरा किसी ओर पर फोड़ने का व्यर्थ प्रयास किया है। दो पूर्ववर्ती वर्षो में 8.4 प्रतिशत विकास दर, सन् 2012-13 में 6.9 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है। पिछले कई सालों से राजकोषीय शेष की स्थिति खराब होती जा रही है।

हमारे देश का संघीय ढांचा है जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें संविधान की धाराओं के तहत क्रियान्वित होती हैं। अगर हम केन्द्र की सरकार और राज्य सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो केन्द्र की तुलना में राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से अच्छी और विकासशील रही हैं।

एक और केन्द्र सरकार का राजकोषीय शेष चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है तब राज्य सरकारों का अर्थव्यवस्था और राजकोषीय शेष उत्साहजनक है। केन्द्र सरकार में वित्तीय व्यवस्थापन के लिये प्रधानमंत्री जी से लेकर कई विशेषज्ञ काम कर रहे हैं मगर मुझे ताज्जुब होता है कि इतने वारे अर्थशास्त्रीय होते हुए भी हमारी अर्थव्यवस्था में व्यवधान हो रहा है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राजस्व घाटे के संबंध में बजट में लीपापोती करके घाटा कम बातने की विफल कोशिश की गई है। 3,5042 करोड़ रुपये बताया गया जबकि एक और हेड प्रभावी राजस्व घाटा 1,85,752 करोड़ रुपये दिखा के राजस्व घाटा कम दिखाने का प्रयास किया गया है। राज्यों को दी गई इन्फ्रास्ट्रक्चर राशि के तहत बना इन्फ्रास्टक्चर को दिखा कर आभासी उपलब्धि दिखाने की कोशिश की गई है।

सेक्टोरल ग्रोथ में देखा जाये तो कृषि, सर्विस एवं इन्डस्ट्रीयल सेक्टर में लगातार बेहत प्रदर्शन नहीं, जो कुछ भी है वह कई राज्यों, खासकर गुजरात का 13.2 फीसदी कृषि दर की बजट से है। उद्योग क्षेत्र जिसमें माईनिंग, मेन्युफेक्चरिंग एवं उर्जा शामिल है वो सन् 2008 में 9 फीसदी से घट कर इस साल में 3 फीसदी तक कम हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी चिंता का विषय है। जबसे संप्रग सरकार सत्ता में आयी है तब से बड़े गवर्नन्स एवं कई घाटालों की वजह से महंगाई काबू नहीं आती नहीं है। गरीब आदमी के लिये दो वक्त की रोटी मुनासिब नहीं है। तब योजना आयोग गरीबी के मानकदंड की अलग अलग घोषणा करके गरीबों का उपहास कर रही है। गरीबी मिट रही है और गरीबों की संख्या कम हो रही है ऐसा हास्यास्पद बयान देकर गरीबों का क्रूर मजाक उड़ाया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए हर बजट में आवंटन एक फीसदी से भी कम किया जाता है। अनुसुचित जातियों को आरक्षण 15 फीसदी दिया जाता है जब कि उनकी बस्ती करीबन 22 फीसदी से भी ज्यादा है। ऐसी ही हालत अनुसूचित जनजातियों की भी है।

मेरी मांग है कि अ.जाति एवं अ.जनजातियों के लिए आम बजट में उनकी बस्ती के हिसाब से आरक्षण किया जना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को सन् 2011-12 में किए गए 18,115 करोड़ रु. के आबंटन को बढ़ाकर 2012-13 में 20,822 करोड़ रु. का प्रस्ताव रखा है। मगर बजट सत्र के शुरू में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास दर (जीडीपी) के फीसदी करने की बात रखी थी उसे पूरा किया जाये और राशि बढ़ाई जाये।

शहरी क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना की जानी है। मेरी मांग है कि अहमदाबाद में एक्स जैसी स्वास्थ्य संस्था स्थापित की जाये।

मैं प्रत्यक्ष कर की बात करुंगा। वैयक्तिक करदाताओं को 1,80,00 रु. से बढ़ाकर 2,00,000 रु. की मामूली बढ़ोतरी की गई है। मैं समझता कि आयकर भरने की बाबत् में सरकारी एवं अन्य कर्मचारी गण सौ फीसदी आयकर का भुगतान है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। छठे पगार पंच के बाद वर्ग डी के कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों पर आयकर लागू होता है। मेरी मांग है कि निजी आयकर की लिमिट बढ़ाकर तीन लाख की जाये।

मेरी ये भी मांग है कि महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिकों की लिमिट भी बढ़ानी चाहिए।

पर्यावरण को बचाने के व्यवसाय खासकर सभी प्रकार के वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली संस्थाओं को आयकर में राहत देनी चाहिए।

इस बजट में बिना ब्रांडेड कीमती धातुओं के आभूषणों को उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है और इसके पंजीकरण एवं भुगतान की जिम्मेदारी जॉब वर्क पर आभूषणों के विनिर्माण करवाने वाले छोटे व्यक्ति पर डाली जाएगी।

मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पिछले कई सालों से सोने की कीमतों में हुई वृद्धि से समाज के सभी वर्गों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। भारत में सभी वर्गों के लोगों को सोने के आभूषणों की खरीद्दारी करनी पड़ती है, इसमें गरीब से लेकर मध्यम एवं अमीर वर्ग भी आ जाता है। गरीब वर्ग को सोना एवं अन्य धातु के आभूषणों की खरीद्दारी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व विभाने के लिए करनी पड़ती है। अपने परिवार में शादी और अन्य प्रसंगों पर उसे सामाजिक जवाबदेही निभाने के लिए कीमती धातुओं के आभूषणों को खरीदना पड़ता है।

इस से इन्स्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार होने की भी आशंका है। इसके मद्देनजर उत्पाद शुल्क वापस लेने की मांग है।

अंत में यह बजट आम आदमी का विरोधी और महंगाई बढ़ाने वाला है।

***श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव): सरकार ने जो बजट पेश किया है, इससे उद्योग जगत को आम आदमी से दोगुना फायदा दिया है। आम जनता को दी जा रही सब्सिडी को एक बड़ा बोझ बताने वाले वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट सेक्टर को दी जाने वाली कर सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की है। ऐसे समय जब सरकार का राजस्व संग्रह कम हो रहा है तब भी कंपनियों को दी जाने वाली कर छूट में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनियों को 5,39,552 करोड़ रुपये की कर रियायत दी गई, जो आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी से लगभग दोगुना है। अभी भी सरकार सोच रही है कि आम जनता और किसानों को दी जा रही उर्वरक, खाद्य व पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती करनी है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के गंभीर हालात के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बावजूद वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट कर के मामले में 51,292 करोड़ रुपये की छूट देकर उद्योग जगत को राहत देने का काम किया है जबकि आम जनता को आयकर के मामले में थोड़ा छूट देकर दूसरी ओर सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाकर आम आदमी की जेब पूरी तरह ढीली कर दी है। अभी सभी वस्तुएं महंगी होने वाली हैं। इस तरह से सरकार ने आम आदमी के साथ धोखा किया है।

सरकार ने पूर्वोत्तर भारत हेतु हरित क्रांति लाने की पहल करने को कारगर मानते हुए इस योजना हेतु आबंटन में 2011-2012 में 400 करोड़ से बढ़ोत्तरी कर 2012-13 में 1000 करोड़ कर दिया है। इस तरह की योजना महाराष्ट्र किसानों के लिए क्यों नहीं चालू की गई। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार कब जागेगी। सरकार बीमार पड़ने के बाद क्यों जाग जाती है? जैसे महाराष्ट्र विदर्भ किसानों द्वारा आत्महत्या करने से उन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए पैकेज की घोषणा की, इसका किसको फायदा हुआ है, यह सभी जानते हैं। लेकिन किसानों को तो कतई नहीं हुआ है। विशेषकर महाराष्ट्र में तो। अभी इस कर्ज माफी आबंटन में सैंकड़ों अधिकारियों को दोषी पाया गया है और सरकार उन पर कानूनी कार्यवाही करने की बात कर रही है। तो मेरा सरकार से यह कहना है कि आप किसानों की खेती को लाभकारी बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज कई सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 40 प्रतिशत किसान, यदि उसे आजीविका चलाने के लिए दूसरा कोई विकल्प मिला तो, खेती छोड़ने को तैयार हैं। सरकार किसानों को मजबूर कर रही है। अभी तो किसान ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। यदि सच में किसान खेती छोड़ेगा तो देश में क्या होगा? इसका कोई अंदाजा सरकार लगा रही है।

दुनिया में भुखमरी का शिकार हर पांचवां इंसान भारतीय है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2011 के मुताबिक भूख से लड़ रहे देशों की सूची में नेपाल, पाकिस्तान और सुडान जैसे देश भारत की तुलना में कहीं बेहतर हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है?

इस देश में सभी क्षेत्र में उत्पादकों को अपने उत्पादन के दाम तय करने और मुनाफा कमाने का अधिकार प्राप्त है मगर किसानों का देश की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। किसानों को उसके उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार नहीं फिर देश में बढ़ रही महंगाई के उस पर पड़ रहे प्रभाव से वह खेती से निराश हो रहा है। किसानों पर क्राप हालिडे की नौबत आ रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों की हर फसल के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाये और केवल घोषणा ही नहीं उसकी उचित समय पर खरीद करने का प्रावधान भी करना पड़ेगा क्योंकि यह कटु अनुभव भी सामने आये हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद में देरी करने से किसानों को उसका खामियाजा भुगतान पड़ता है। इसलिए उसे समय पर खरीदने का प्रावधान भी करना अनिवार्य है और यदि इसमें कोई अधिकारी की लापरवाही होती है तो उसके उपर दंडनीय कार्यवाही करने का प्रावधान भी करना पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राज्य को कुछ भागों में बांटकर उस पर चौमुखी विकास के लिए महामंडलों की स्थापना की गई है। जैसेकि पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडल, उत्तर महाराष्ट्र विकास महामंडल, विदर्भ महाराष्ट्र विकास महामंडल की राज्य सरकार ने स्थापना कर उसे महाराष्ट्र सरकार से पारित कर केन्द्र सरकार से भी महामंडलों की स्थापना की मंजूरी ली है और इससे राज्य के उन भागों में इसका असर भी देखने को मिलता है। इस महामंडल के अंतर्गत हर साल केन्द्र सरकार से अलग से बजट आबंटन होता है उससे राज्य के उन भागों के चौमुखी विकास के कार्यो में खर्च किया जाता है। जैसे सिंचाई प्रकल्प हो या खेती रास्ते हो या किसानों की उर्वरक, खाद्य की समस्या हो ऐसे सभी कार्यों में लगाया जाता है जिससे वहां के किसानों को उसका लाभ मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जैसे तीन चार महामंडल बनाए हैं उसी तरह खानदेश वैधानिक विकास महामंडल की स्थापना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2006 में पारित कर केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है और आज की तिथि के अनुसार लगभग 6 से 7 साल हो गये अभी तक उसका कुछ नहीं किया गया है। यह खंदेश विभाग की आम जनता व किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस विषय को मैंने संसद में पहले भी कई बार उठाया है फिर भी कुछ नहीं हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पुन: आग्रह करता हूं कि खांदेश वैधानिक विकास मंडल को मंजूरी देकर वहां के किसानों को लाभांवित करे वरना महाराष्ट्र का चौमुखी विकास संभव नहीं होगा।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ देश के विकास से भी जुड़ा है, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी माना है कि देश में किसानों के लिए गांव से खेत जाने के लिए खेत रास्ते नहीं होने से समय पर अनाज घर नहीं ला पाने के कारण देश में हर साल लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह केवल खेतों से समय पर अनाज घर नहीं लाने के कारण होता है। समय पर अनाज नहीं लाने की केवल एक ही समस्या है, वह है गांवों से खेतों को जोड़ने का रास्ता नहीं होना। पिछले कई सालों से खेती रास्ता जोड़ने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना कर राज्य सरकार से अप्रूवल करके केन्द्र सरकार के पास भेजा है और इस विषय पर मैं माननीय ग्रामीण

विकास मंत्री जी और विभागीय सचिवों से और माननीय वित्त मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं और इस समस्या के बारे में और इस स्पेशन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की थी और मैंने इस विषय को लोक सभा में कई बार उठाया है लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को विशेष तौर पर अनुमति प्रदान कर जलगांव के किसानों को जो केवल उत्पादन में देश में सबसे ज्यादा उत्पादन जलगांव से होता है और मैंने योजना आयोग के सदस्य श्री नरेंद्र जाधव जी और अन्य अधिकारियों को मिलकर इस प्रोजेक्ट का विवरण दिया है। मैं माननीय मंत्री जी कैसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप नरेगा के नियमों में कुछ परिवर्तन कर खेती रास्दों को जोड़ने का काम भी मनरेगा से कराया जाये जिससे पूरे देश में किसानों को हो रही समस्या और बर्बाद हो रहे अनाज को रोका जा सकता है और देश के जी.डी.पी. में योगदान हो जायेगा।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी जोड़ो अभियान को पुन: शुरू करने का निर्देश दिया। नदी जोड़ो योजना यह एक ऐसी योजना है, इसका सीधा सीधा फायदा देश के किसानों से जुड़ा हुआ है और सरकार की नीति जैसे हरित क्रांति लाने का सपना देखती है, ऐसे विषय पर हमने महाराष्ट्र से लोवर तापी प्रकल्प उसी के अंदर नदी जोड़ों अवसर जैसे प्रोजेक्ट लोवर तापा का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र जल आयोग से मंजूर कर केन्द्र सरकार के पास भेजा है। लेकिन आज तक इस विषय पर केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रोजेक्ट के विषय में हम हल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों को कितनी बार मिले और चर्चा की। फंड नहीं देखेंगे यह कहकर छोड़ दिया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोवर तार्पा प्रकल्प को तुरंत मंजूर कर उसे धनराशि आबंटन करने की आवश्यकता है इसलिए सरकार इस प्रोजेक्ट को मंजूर करें।

***श्री अशोक अर्गल** (भिंड): केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया या 2012-13 का सामान्य बजट देश के लोगों के लिए अत्यंत निराशाजनक एवं महंगाई बढ़ाने वाला रहा है। इस बजट की चहुं और आलोचना हो रही है तथा जनविरोधी साबित हुआ है। इस बजट से 70 प्रतिशत जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बजट में आयकर की सीमा एक लाख 80 प्रतिशत जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बजट में आयकर की सीमा एक लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख की गई। जबकि सभी सोच रहे थे कि यह सीमा 3 लाख तक होगी किन्तु आयकर की सीमा में मामूली सी वृद्धि कर लालीपॉप थमा दिया गया। सेवाकर एवं उत्पाद कर में 2-2 प्रतिश बढ़ोतरी कर देश की जनता पर 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझा डाला गया है। देश में जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चारों ओर महंगाई बढ़ रही है। वहां सरकार प्रतिकूल टिप्पणी से बचने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बजाया खामोश है। बजटीय इतिहास में सबसे अधिक करों का बोझा लाद दिया गया। इस उच्च कराधान का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से स्वर्ण आभूषण में उत्पाद कर लगाने से इंस्पेक्टर राज की वापसी के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्व का नुकसान होगा। कारपोरेट जगत इसका फायदा उठायेगा। इस उत्पादन कर से प्रति 10 ग्राम सोना 1300 से 1400 रुपये महंगा हो जायेगा। इस उत्पाद कर के कुप्रभाव से देश के सर्राफा व्यवसायी विगत 10-11 दिनों से आंदोलित एवं आक्रोशित हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदंड कृषि है। किन्तु धान पैदा करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान इस बजट में नहीं किया गया। किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। उत्पादन लागत और समर्थन मूल्य लगभग बराबर है। जबकि इस बजट में बेहतर मूल्य देने की व्यवस्था होनी चाहिए थी।

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी बजटीय व्यवस्था की गई है जबकि यह बिल अभी स्थायी समिति में लंबित है। और यह तय नहीं हो पाया कि गरीबी रेखा का मापदंड क्या होगा। यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 रुपया एवं शहरी क्षेत्र के लिए 32 रुपया तथा संशोधित राशि 22 रुपया एवं 28 रुपया तक खर्च करने वाला प्रतिव्यक्ति गरीब नहीं होगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो गरीबी दूर करने के बजाय गरीब को ही दूर करना होगा तथा गरीबी के साथ क्रूर मजाक होगा। जो एक हास्यास्पद होगा।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पर दम भरने वाली यह यूपीए सरकार वर्तमान बजट में कटौती कर क्या संदेश देना चाहिए है। मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। गरीबों को निर्धारित 100 दिन में से सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। इस योजना से कोई स्थायी परिसम्पत्ति नहीं बन पायी और न ही गांव, गरीब का विकास हो पाया।

सबको शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 से प्रारम्भ हुआ है। किन्तु कितने लोगों तक यह विधेयक पहुंच पाया। कितने बच्चे इसका लाभ ले पाये। क्या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे शिक्षित हो पाये। क्या कचरे के ढेर में अपनी जिंदगी चुनने वाले बच्चों तक शिक्षा का अधिकार पहुंच पाया। यदि नहीं तो आपने इसके लिए क्या उपाय किये हैं। यदि आप कोई कारगर उपाय नहीं कर पाये तो आपका यह पूरा बजट ही बेकार साबित होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारा देश अध्यात्मक, धर्म, कला संस्कृति, दर्शन एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है और विश्व शुरू होने का गौरव प्राप्त था किन्तु दुर्भाग्य है कि आजादी के 64 वर्ष बाद भी उस गौरव को हम प्राप्त नहीं कर सके और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अग्रणी हो गये हैं। आज देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम सीमा पर है। प्रतिदिन नये-नये घोटाले उजागर हो रहे हैं। जिसको रोकने के लिए आपके द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति है।

देश का करोड़ों-अरबों रुपया काले धन के रूप में स्वीटरजरलैंट, जर्मनी एवं अन्य देशों में जमा है। किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक हम उस काले धन को अपने देश में नहीं ला पाये। जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इसमें सफल रहे हैं और हम सिर्फ परीक्षण कराते हुए रह गये। इस बात का आपको धन्यवाद देता हूं कि कालेधन के संबंध में आपने श्वेत पत्र जारी करने का वायदा किया है किन्तु यह वायदा केवल वायदा ही न रहे इस बात का विशेष ध्यान देने का निवेदन करता हूं।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...मेरा संसदीय क्षेत्र भिंड, दतिया जहां बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह क्षेत्र चंबल अंचल में आता है जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहां रोजगार की दृष्टि से जो उद्योग लगे थे उसका लाभ भिंड को नहीं मिला। क्योंकि वे उद्योग ग्वालियर के निकट लगे हैं। यहां का युवा सेना में अर्धसैनिक बलों की भर्ती में यहां के लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

जो नदिया बह रही हैं उन नदियों में पानी रोकने के लिए स्टाप डैम बनाया जाये। चंबल के जो बीहड़ है उनका समतलीकरण करके बरोजगारों को दिये जाये। जो कृषि भूमि बीहड़ में बदल रही है उसके लिए विशेष योजना लाई जाये।

प्रस्तुत बजट देश के विकास के संबंध में न तो कोई योजना दर्शाता है और न ही इससे जीडीपी के ग्रोथ रेट में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होने की संभावना है और न ही मुद्रा स्फीति नियंत्रण में आने की संभावना और न ही इससे महंगाई रूकने वाली है। अत: मैं इस बजट में कटौती का प्रस्ताव रखते हुए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. मिर्जा महबूब बेग** (अनंतनाग): वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आम बजट पर उत्तेजक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की वाहवाही अथवा शोरगुल अथवा वापस लेने की मांग नहीं की है। कुल मिलाकर बजट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। आलोचक भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में संयम बरत रहे हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की समय पूर्व चुनाव कराने की मंशा नहीं है, क्योंकि जैसाकि एक रिवाज बन गया है। यह लोकलुभावन बजट नहीं है। ईंधन, उर्वरकों अथवा खाद्य पदार्थों पर भी आवंटन में कमी करना एक दीर्घावधिक योजना है। डीजल राजसहायता पर नियंत्रण करना एक प्रोत्साहित करने वाला विचार है, क्योंकि जो पेट्रोल पर खर्च कर सकते हैं, वे डीजल का उपयोग कर रहे हैं और डीजल की कीमतों पर राजसहायता प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने रेल बजट को एक अग्रगामी कदम बताया है, लेकिन जहां तक सभा में व्यवस्था का प्रश्न है, ऐसा न हो कि सरकार को इस संबंध में भी आलोचना का सामना करना पड़े।

विपक्ष के श्री जसवंत सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला, सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाया और कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार सफल हो क्योंकि इसकी सफलता राष्ट्र की सफलता से जुड़ी है। संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली की विश्वसनीयता को धक्का लगा है और विपक्ष एवं सरकार दोनों को ऊपर उठकर इसे पुनः प्राप्त कर करना होगा। क्या आपने निष्ठापूर्वक यह कामना की थी कि सरकार सफल हो? सरकार और राष्ट्र की सफलता के लिए विपक्ष को बहुत कुछ करना है। निरंतर अनिश्चितता बनाए रखने के लिए कुछ भी करने से राष्ट्र का भला नहीं होगा। रोजाना समय पूर्व चुनाव कराए जाने की बात करने से यह स्थिति पैदा हुई है।

माननीय वित्त मंत्री जी, हमारे राज्य जम्मू एवं कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं; कश्मीर में अनेक स्थानों की पर्यटनकी दृष्टि से खोज नहीं की गई है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए, तो कश्मीर के कालीन उद्योग, केसर, हस्तशिल्प, बागवानी, पुष्प कृषि से भारी राजस्व प्राप्त हो सकता है।

1989 की राजनीतिक उथल-पुथल के कारण जम्मू, उधमपुर और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में प्रवासी (कश्मीरी) आए हैं। हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से इनके विकास में मदद नहीं कर सकते। कृपया हमें उन क्षेत्रों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और ज्यादा उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें।

माननीय वित्त मंत्री जी, इस सरकार को जनसंख्या विस्फोट और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने लिए साहस जुटाना होगा। जब तक इन दोनों मोर्चों पर तत्काल, प्रभावी, ठोस समयबद्ध कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक बजटों से ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

---
*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल): आदरणीय मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट को पेश किया जहां पूरा देश एक आशा भरी निगाहों से देख रहा था। वहीं वित्त मंत्री जी निराशाजनक बजट को देश की 100 अरब की आबादी में, निराशा की राह की नजर आई अत: वित्त मंत्री जी की एक लाइन में उन्होंने यह कह भी दिया कि "दयावान बनने के लिए मुझे क्रूर बनाना होगा" अपितु ज्वलंत मुद्दे को देखे केवल महंगाई ही है जिसे कम कपना बहुत जरूरी है महंगाई की मार करीब एवं आम जनता पर पड़ रही है।

यूपीए सरकार की वित्तीय वर्ष 12-13 के आम बजट में सरकार के चार सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया आर्थिक सलाहकार सी. रंगराजन की प्राथमिकता में विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा 5000 करोड़ डालर से बढ़ाने और बहु ब्रांड खुदरा में विदेशी निवेश की अनुमति का खाका इस बजट में तय कर राजकोषीय घाटा कम करने एवं राजस्व को जुटाने का प्रबंध तय किया है।

लेकिन इसी संसद के पटल पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जब 2011-12 के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.6 फीसदी का अनुमान लगाया पर वास्तविक आंकड़ा अनुमानित 5.5 फीसदी के ईद-गिर्द था उससे अधिक ही होगा और माननीय मंत्री जी ने कहा 2013-14 तक घाटे को कम करके 3.5 फीसदी के स्तर तक लाया जायेगा। क्या यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है जबकि कोई इस वर्ष 3जी 2जी की नीलामी जैस कोई कार्यक्रम भी नहीं है जिसके बदौलत सरकार ने 2011-12 में काफी धन जुटाया था। अब माननीय वित्त मंत्री जी के नये फार्मूला जैसे सामाजिक दर्जा में होने वाले खर्च और राज्य सरकार की भागीदारी में आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि आपकी दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सी प्राथमिकता होती है (सदन को बताएं)। हमारी दृष्टि से सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, आवासीय, आवासीय, समग्र स्वच्छता आदि महत्वपूर्ण जिसका सीधा गरीबी अतिगरीब, जिसकी सुरक्षा का संपूर्ण कार्य सरकार की पूर्ण सचेतक होकर इनकी सुरक्षा एवं उनके देख भाल का प्रहरी सरकार होती है। परंतु मंत्री जी की एक छोटी सी भूल से इन गरीबों पर सीधा प्रहार, शायद उनके साथ अन्याय ही होगा। यदि राजस्व को देखा जाए तो भी राज्य सरकार के द्वारा अच्छे राजस्व आने की पूरी संभावना होती है। अन्य देश से तो राजस्व नहीं आता है, अत: आपके द्वारा राज्य पर सामाजिक क्षेत्र डालने वाले दबाव क्या उचित है।

सकल घरेलू उत्पाद की दर 6.9 है इसका मतलब अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। लागत में बढ़ोतरी एवं उंची ब्याज दर केन्द्रों के द्वारा लिया गया निर्णय, आज औद्योगिक क्षेत्रों को पूरी तरह बंद करने में ब्याज की दर उंची कर उद्योगों को लगाने में सहयोग के बजाय उसे खत्म करने का काम किया। परिणाम उत्पादन घटा और इसी वित्तीय घाटे को दूर करने का मंत्री जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। आय इस वर्ष पिछले 7% की अपेक्षा 2.5% की गति बढ़ी है, और उद्योग धंधे की गति 3.9 प्रतिशत ही रही है। जो चिंता का विषय है। वहीं चीन को देखें जिसकी विकास दर 8.9% है। ऐसा होना नीतिगत विसंगतियां ही है। एक बार फिर हमारे पास संसाधन कम है और खर्च ज्यादा है। वित्त मंत्री जी की नींद उड़ने का यही स्पष्ट कारण है। आखिर एक व्यक्ति और एक बजट भारी भरकम लोक लुभवने खर्च और निरंतर बढ़ते राजकोषीय खर्च से कैसे निपटा जाए। यह प्रश्न हमें हमेशा याद? इस प्रश्न का केवल यही रास्ता है कि हमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना एवं कृषि क्षेत्र के उत्पादन को होने वाले खर्च में कम करने के रास्ते बनाने होंगे जिससे हम देश को एक सही दिशा देने में सक्षम होंगे।

कृषि क्षेत्र को अहम प्राथमिकता दी चाहिए। संभव हो तो कृषि का अलग बजट ही होना चाहिए। फसली-गैर फसली ऋण का अंतर समाप्त किया जाना चाहिए। ऋण ब्याज रहित होना नहीं भी हुआ परंतु इसे मात्र हमेशा 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज साधारण ही रहना चाहिए। किसानों के उपर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना चाहिए। यदि किसान पुरुष ऋण आवेदन करें तो पत्नी की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। महिला को परिवार का प्रमुख माना जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह लाभकारी मूल्य लागू होना चाहिए। जो किसान की लागत से अधिक होना चाहिए। खाद, बीज, बिजली, डीजल मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिए या सरकार की तरफ से छूट मिलनी चाहिए। शहर गांव में क्रमश: 32 और 26 रुपये प्रतिदिन के खर्च गरीब को सरकारी विकास और कल्याण योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को सूची में शामिल कराने की छूट होनी चाहिए। शहरी हदबंदी कानून दोबारा बनाना चाहिए। सारी संपत्ति जिनका आकलन सही कीमत से काफी कमी किया गया है। सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया जाना चाहिए। ताकि काले धन की संपत्ति और भूमि में निवेश न हो सके। आवास के लिए प्रस्तावित सीमा प्रति परिवार 300 से 500 वर्गमीटर का प्लॉट या 3500 से 4000 वर्ग का फ्लैट काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 500-1000 रुपये के बड़े नोट अर्थव्यवस्था से वापस लिए जाने चाहिए।

अव्यावहारिक तर्क, सरकार के इस फैसले से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। कोष का विदेशी निवेशकों द्वारा सट्टबाजी के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। सरकार बार-बार यह तर्क देती है कि वर्तमान वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी को प्रवाहित करना आवश्यक है। हमने बार-बार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दोहराया है कि अमीरों और कारपोरेट घरानें को दी जा रही सुविधाओं और छूट को यदि खत्म कर दिया जाए तो वित्तीय घाटे को पूरा किया जा सकता है। कारपोरेट छूट के द्वारा एक ओर जहां करोड़पति की संख्या बढ़ रही है, वहीं इन करोड़पतियों को देश की कुल संपत्ति के एक तिहाई हिस्से पर एकाधिकार हो गया है। स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीतियां विदेशी पूंजी और देश के कारपोरेट घरानों की संपत्ति को बढ़ाने वाली साबित हो रही है। इन नीतियों से आम आदमी को कोई फायदा नहीं बल्कि उसका जीवन निरंतर गिरते जा रहा है। और इसी का स्वरूप वित्तीय घाटे को कम करने के लिए आगामी बजट में सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए खर्च की जाने वाली राशि में कटौती की प्रबल संभावना है।

आज हमें सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है परंतु यदि सरकार चाहे तो विभिन्न मुद्दे पर विचार अतिशीघ्र करें। खर्च को नियंत्रित करने का स्थायी समाधान सरकार तुरंत करे। सेवा कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर पर विचार करें। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी केवल बचत दर पर ही टिका होता है। सरकार की गतली नीति से यह प्रभावित हुआ है, इसे बचाना होगा। राज्य को स्वतंत्र एवं संघीय ढांचे पर प्रहार न करते हुए उनके विकास एवं गति में सहयोग करें। बजट का प्रमुखता तभी होती है जब वर्ष के लिए बनाया जाए, परंतु रोजमर्रा प्रयोग की चीजों की दाम में बढ़ोतरी एवं उसमें लगाम की आवश्यकता है। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स एवं एक्साईज ड्यूटी द्वारा निर्धारित करों के अतिरिक्त भार का निर्धाण किया गया है जो कि व्यवहारिक एवं न्याय संगत नहीं है। इस कर निर्धारण का सीधा असर आम जनता मध्यम वर्गीय पर सीधा असर पड़ेगा। अत: जहां सुरक्षात्मक व्यवहारिकता पर सीधा प्रहार होगा, जिसका आने वाले समय में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

अत: निवेदन करते हुए अध्यक्षा जी सरकार को अपनी गलत नीतियों को वापस एवं आम जनता को राहत भरी सभी आवश्यक कदम उठाते हुए इस बजट में अपने सभी सुझाव को तर्क रूप को रखा अथवा अपेक्षा करते हैं कि देश डेढ़ अरब की आबादी वाले देश की जनता के हित में सरकार उनके पक्ष में निर्णय करेगी जिसका सीधा संदेश आम जनता और देश की आबादी पर असर पड़ेगा और यह देश यूनान संकट एवं इरन संकट जैसी वैश्विक मंदी के कारणों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय को सुरक्षित दशे को शांति एवं सुरक्षा एवं विकास तथा सर्व हितों को ध्यान में रखेगी। ''सर्वजन सुखाय: सर्वजन हिताय:'' यही देश के हित का सही मापदंड होगा।

[अनुवाद]

***श्री जे.एम. आरून रशीद** (थेनी): हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा सम्यक कार्य हेतु सम्यक व्यक्ति के रूप में चुने गए डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का यह लगातार सातवां बजट है। मैं हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी को भी उनके साहसिक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने आर्थिक चुनौतियों के समय में भी एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया है।

आयकरदाताओं, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों, जिनमें से अधिकतर समूह 'ग' के कर्मचारी हैं, की ओर से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये करके आयकर कम करने के लिए धन्यवाद देता हूं। 20% के स्लैब में उच्चतर सीमा को बढ़ाकर दस लाख रुपये करने से बड़ी संख्या में वेतनभोगी कर्मचारी लाभांवित होंगे। इससे कम-से-कम 4000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर राजस्व की हानि होगी।

वित्त मंत्री ने यह इंगित किया है कि उर्वरकों पर राजसहायता को सुचारू बनाने की प्रक्रिया जारी है। मैं वित्त मंत्री जी से यह सुनिश्चित कराने का आग्रह करता हूं कि अव्यवस्था बिना किसी गुजांइश के राजसहायता संबंधी तंत्र के मौजूद है। जब हमने कृषि हेतु आवंटन को बढ़ाकर 18% किया है तब हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ किसानों को मिले, ताकि हमारे खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मैं इस बजट के आलोचकों से इस बात पर सहमत हूं कि खाद्य-राजसहायता का आवंटन जमीनी स्तर की आवश्यकता से काफी कम है। मुझे आशा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक इस कमी को पूरा करेगा।

वित्त मंत्री ने 9% आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है और मैं भी उनके समान ही आशावादी होना चाहता हूं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में व्याप्त तीन वर्षों की मंदी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी महसूस किया गया है। रुपये का अवमूल्यन, खाद्य मुद्रास्फीति सहित आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि, समग्रत: मूल्य-वृद्धि की स्थिति और तेल-कीमतों में निरंतर वृद्धि का हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि बढ़ाए गए आवंटन से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि रुपये की गिरती कीमत अथवा मुद्रास्फीति इसे पूरा नहीं पड़ने देगी। इसलिए, हमें अपने उत्पादन, विशेषकर कृषि-उत्पादन में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है जो हमारा मुख्य आधार है।

कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों पर बल देना चाहिए। उस

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महत्वपूर्ण समय पर जब किसानों को इसकी आवश्यकता हो, कृषि ऋण अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं यह इंगित करना चाहता हूं कि हमारे बैंक किसानों को सकारात्मक तरीके से प्रोत्साहित करने में काफी पीछे हैं। चूंकि, बैंक छोटे और मझोले किसान को उनसे संपर्क करने के लिए निरुत्साहित करते हैं इस कारण हमारे किसान साहूकारों के जाल में फंसते जाते हैं और इससे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। हमारी बहुचर्चित ऋण-माफी योजना से किसानों को काफी लाभ हुआ है और उसे व्यर्थ नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि कृषि ऋण-सुविधा को सशक्त किया जाए। खाद्य-उत्पादन में वृद्धि करने और प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधान का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि-कार्यकलापों के लिए एक विशेष पैकेज देना होगा। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में मसाले और अन्य नकदी फसलें उगाई जाती हैं, उनके लिए भंडारण और विपणन सुविधाओं की आवश्यकता है। यदि उत्पादक और उपज-मालिक को अपने उत्पादन का काफी कम दाम मिले तो स्वाभाविक ही है कि वे कृषि श्रमिक और बागान व प्रसंस्करण-इकाइयों के कामगार कृषि कार्य जारी रखने के प्रति आकर्षित न होंगे। एक विश्वसनीय विपणन प्रणाली के अभाव में बिचौलिए बिक्री के दौरान भारी मुनाफा कमाते हैं और फिर श्रमिकों और कामगारों को अदा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता है।

ऐसे समय जब कीमतें बढ़ रही हों कृषि-श्रमिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि होनी चाहिए। प्रसंस्करण इकाइयां व शीतागार सुविधाएं स्थापित करके और मसालों के लिए बेहतर विपणन और सुविधाएं सुनिश्चित तथा उनके निर्यात को प्रोत्साहित करके हम पश्चिमी घाट क्षेत्र की तराई में कृषि-आर्थिक कार्यकलापों का संरक्षण कर सकेंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पेरियाकुलम कम्बम के और बोदिनेईकन्नूर में मसालों से संबंधित परंपरागत खेती होती है। इसलिए, मैं सरकार से देश में उन विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करने और चयनित करने की मांग करता हूं जहां चाय, काफी और मसालों के साथ-साथ अन्य नकदी फसलों की खेती होती है। फिर, सरकार को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए धन प्रदान करना चाहिए जिससे हमें व्यवहार्य प्रसंस्करण इकाइयां और उत्तम विपणन अवसर प्राप्त करने में सहायता हो।

कृषि क्षेत्र में विशेषकर खाद्य उत्पादन और खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र में, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। श्रमिकों, विशेषकर कृषि क्षेत्र के कामगार वर्ग में, युवकों को निरंतर जोड़े रखने की आवश्यकता है। हमें अपने परंपरागत कार्य, कृषि, में अधिक से अधिक युवकों को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है। हमारी अधिकांश जनसंख्या युवा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए। हमारे कृषि क्षेत्र का दायरा व्यापक है। खाद्य-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए एक रूपरेखा बनाने की अविलम्बनीय आवश्यकता है और इन्हें एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए।

इस वर्ष हमारा सकल कर राजस्व 10.77 करोड़ रु. होगा। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सकल राजस्व में 1.75 करोड़ रु. की वृद्धि होगी। यह उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, कार्पोरेट कर और आयकर के जरिए केंद्रीय खाते में आता है। राज्यों को दिया गया हिस्सा काफी कम पाया गया है। इस वर्ष तमिलनाडु को केवल 15,000 करोड़ रु. मिले हैं। कुछ राज्य सेवा कर में भी हिस्से का दावा कर रहे हैं। सभी राज्यों की संतुलित वृद्धि तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब इसे राज्य सरकारों के साथ बांटने पर पुनर्विचार किया जाए। केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला सेवा कर प्रणाली के जरिए जुटाया गया राजस्व प्राय: सेवा क्षेत्र की सभी गतिविधियों में लगाया जाए।

यह बजट इस बात पर बल देता है कि हम अपनी अवसंरचना को बढ़ावा दें। इसका स्वागत करते हुए मैं वित्त मंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों की बात भी करना चाहूंगा। मैंने पाया कि एनआरएचएम और आईसीडीएस हेतु अधिक आवंटन किया गया है। इसको देखते हुए, मैं केंद्र से आग्रह करना चाहूंगा कि पहाड़ों और वन्य क्षेत्र स्थित सुदूर गांवों, जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र धोनी जैसे स्थलों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को भी यह सुविधाएं प्रदान करें। इसके साथ मैं, वित्त मंत्री के उस कदम का भी स्वागत करना चाहूंगा कि जिसके अंतर्गत उन्होंने कतिपय जीवन रक्षक औषधियों पर कर-छूट प्रदान की है।

इस वर्ष के बजट में, यह पाया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आवंटन को नहीं बढ़ाया गया है। विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जब हम वंचित वर्गों और दमित वर्गों को साथ लेकर समग्र विकास का उद्देश्य रखते हैं तो हमें उनके शैक्षिक उत्थान के अलावा उनके आर्थिक उत्थान हेतु भी पर्याप्त निधि आवंटित करनी चाहिए। उन्हें सामाजिक दृष्टि से ऊपर लाने में मदद करने हेतु यह सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक है।

सरकार को हमारी सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के विनिवेश का कदम उठाते समय सजग रहने की सलाह देने के साथ-साथ मैं वित्त मंत्री से यह भी आग्रह करता हूं कि वे सावधानीपूर्वक कदम उठाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि एलआईसी को जबरन खरीदार बनाने जैसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति न हो। हमें सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु बदलते समय के अनुरूप तैयार होने में मदद करनी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन उर्वरकों की कमी है और जो ऊंची कीमत पर बेचे जा रहे हैं उन्हें उपलब्ध कराने के लिए और हमारी कृषि और किसानों को बचाने के लिए प्रभाव आवश्यक कदम उठाए जाएं। मैं, इस संबंध में सरकार के प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं।

***श्री जी.एम. सिद्देश्वर** (दावणगेरे): वर्ष 2012-13 का केंद्रीय बजट निराशाजनक है और इसमें आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है परंतु माननीय वित्त मंत्री ने इसके पुनरुद्धार हेतु कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। देश की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आ रही है परंतु बजट में इसकी वृद्धि को गति देने हेतु कुछ भी प्रयास नहीं किया गया है।

पिछले दो वर्षों से लोग मुद्रास्फीति–जोकि दो अंकों से नीचे नहीं गई है, से बुरी तरह त्रस्त हैं। खाद्य-संबंधी महंगाई बढ़कर 22% हो गई है। आर्थिक सुधारों को लेकर देश के लोगों की उम्मीदों को अधर में छोड़ दिया गया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा-कर दोनों को 2% बढ़ाया गया है। इससे न केवल सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और सेवा-प्रभार में वृद्धि होगी बल्कि इससे महंगाई भी बढ़ेगी। इसका गरीब और मध्यम वर्ग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट सेवा-क्षेत्र पर काफी आश्रित है, जो देश के सकल घरेलू उत्पादन में 59% का योगदान देता है। इस क्षेत्र पर और अधिक निर्भरता देश के आर्थिक विकास पर असर डालेगी। यदि हम प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की अनदेखी करते हैं और केवल सेवा क्षेत्रक को बढ़ावा देते हैं तो इससे परेशानी बढ़ेगी। पश्चिमी देशों में आर्थिक मंदी काफी सामान्य बात है, क्योंकि वे क्षेत्रक पर बहुत अधिक आश्रित हैं और इस कारण वहां आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ।

देश के लोगों को आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री डीजल और पेट्रोलियम की कीमतों को कम करने हेतु कदम उठाएंगे। परंतु इस बजट में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है, परंतु माननीय वित्त मंत्री जी ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।

ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद-शुल्क में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे न सिर्फ ग्राहकों पर बोझ बढ़ेगा, बल्कि स्वर्ण आभूषणों की कीमतों में भी 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मुद्दे की जांच करें।

जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, यह बजट निराशाजनक है, क्योंकि पहले ही बिजली संकट का सामना कर रहे औद्योगिक विकास के लिए इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं है। कर्नाटक सहित संपूर्ण देश बिजली संकट से जूझ रहा है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री को राज्यों को और अधिक बिजली उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विकास के लिए बिजली बहुत आवश्यक है, किंतु दुर्भाग्यवश इसे नजरअंदाज किया जाता है। यह घोषणा की गई थी कि विद्युत परियोजनाओं को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाएगा, किंतु विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए अन्यथा देश के समक्ष कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि ऋण के लिए 1.98 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए थोड़ा प्रोत्साहक कदम उठाया है।

कृषि में मुख्य समस्या फसलोत्तर प्रौद्योगिकी की कमी की है किंतु शीतागारों और अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई निवारक कदम नहीं उठाया गया है। कृषि विकास में छोटी जोत एक अन्य बड़ी बाधा है। इस मुद्दे से निपटने के लिए ठेके की कृषि, जैसा कि पंजाब राज्य में प्रचलित है, को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। बड़ी कंपनियां उर्वरक, गुणवत्तापूर्ण बीजों जैसे सभी कृषि उपदानों की किसानों को आपूर्ति कर रही हैं और उन्हीं कंपनियों द्वारा किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद की जाती है। इसी प्रकार की प्रणाली को संपूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए।

इस बजट में अवसरंचना संबंधी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट में बंगलुरू शहर हेतु अवसरंचना विकास का कोई उल्लेख नहीं है। किंतु यह संतोषजनक है कि बंगलुरू की नम्मा मेट्रो परियोजना के लिए मात्र 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

कर्नाटक में 120 तालुका ऐसे हैं, जिन्हें "सूखा प्रभावित" तालुका के रूप में घोषित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने कई अभ्यावेदन दिए हैं, जिनमें उसने पेयजल की आपूर्ति मुहैया कराने सहित सूखा राहत कार्य शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। किंतु माननीय वित्त मंत्री जी ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। राजकोषीय घाटे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सब्सिडी में कटौती की है, किंतु किसानों और गरीब लोगों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।

*मूलत: कन्नड़ में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

यद्यपि संपूर्ण बजट निराशाजनक है, फिर भी किसानों को रासायनिक उर्वरक राजसहायता का सीधा अंतरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी का इसके उपभोक्ताओं को सीधा अंतरण, एटीएम किसान क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करना, 6,000 मॉडल विद्यालयों की स्थापना, विधवा और निशक्त व्यक्तियों की पेंशन में 100 रुपए की वृद्धि जैसी अच्छी स्कीमें हैं।

***श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़): 16 तारीख को माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 का बजट दोनों ओर से रूखा बजट है और इसमें न तो गरीब और न ही अमीर के लिए कोई महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में देश ने वर्ष 2013-14 के चुनावी बजट के पूर्व संप्रग-II के अंतिम बजट को ध्यान में रखते हुए इस बजट से काफी उम्मीद की थी और इस प्रकार वित्त मंत्री के पास मंदी की ओर जा रही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी कड़े उपाय करने का पूरा अवसर था, किंतु दुर्भाग्यवश वे चूक गए। किंतु, मुझे कहना चाहिए कि गठबंधन के कुछ साझीदारों से संभावित प्रतिक्रिया के डर से जानबूझकर चूक की गई है।

कृषि, जो हमारे देश की रीढ़ है, के लिए काफी उम्मीद की गई थी। सरल आर्थिक भाषा में यह था कि इस क्षेत्र हेतु आवंटन में वृद्धि करने के लिए सब किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह क्षेत्र 60 प्रतिशत भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है और इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को किसी भी तरफ मोड़ने की क्षमता है जबकि वर्ष 2011-12 में इस क्षेत्र के बारे में दिखाई गई गुलाबी तस्वीर के बावजूद कृषि विकास दर सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से कम है। बजट में इस क्षेत्र के लिए आवंटन में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात कही गई है, किंतु इसमें कृषि को नई हरित क्रांति की ओर ले जाने के लिए कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देखते हुए इसकी जरूरत है। इस क्षेत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए 20000 करोड़ का आवंटन ऊंट के मुंह में जीरा है।

आज कृषि और कृषकों के लिए यह किए जाने की जरूरत है कि ऋण माफी या धान के भार को बट्टा खाता में डालने जैसे लोकप्रिय उपायों से किसानों की प्रत्यक्ष मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह भारतीय कृषकों को कहीं का नहीं छोड़ता है। कृषि ऋण प्रवाह को वर्ष दर वर्ष बढ़ाया जा रहा है और इस समय यह बढ़कर 5.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है तथा इसमें लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। लेकिन इन उपायों से देश के सभी क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या कभी नहीं रुकी। कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उपायों पर बहुत बात होती है किंतु 200 करोड़ रुपये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कम है। यह वास्तव में निराशाजनक है कि सरकार प्रत्येक वर्ष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उतावली होती है किंतु जानबूझकर लक्ष्य प्राप्त नहीं करती और यह वर्ष भी इसका कोई अपवाद नहीं है एवं कृषि को बढ़ावा देने में सभी अपेक्षित उपाय छोड़ दिए जाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है जिसकी व्यवस्था करने में यह बजट पूरी तरह असफल रहा।

कृषि उपज की निर्यात-आयात नीति को सुचारू बनाने में असमर्थता इस बजट की दूसरी विशेषता है। फसल के मौसम में प्याज के निर्यात नीति में हमेशा समस्या रही है। मैंने कई अवसरों पर मामले के इस पहलू को सरकार की जानकारी में लाया एवं इस आवश्यकता पर बल दिया कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने तथा इसे विशेष रूप से कर्नाटक में प्याज उगाने वाले किसानों पर भारी मार पड़ने से बचाने के लिए प्याज के आयात और निर्यात नीति को निर्धारित और मानकीकृत किया जाए तथा यह बजट इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देने और किसानों की मदद करने में असफल रहा है।

सरकार ने एक बार फिर से काले धन जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर बन गया है जैसी ज्वलंत समस्या पर ढुलमुल रवैया अपनाया है। वस्तुत: बजट देश का वह वास्तविक प्लेटफार्म होता है जो देश को समस्या से निपटने के लिए उपाय सुझाता है। केवल श्वेत पत्र लाने से इस क्षेत्र के चोरों को नहीं पकड़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकार इसके बारे में गंभीर नहीं है।

वित्त मंत्री द्वारा महंगाई और मुद्रास्फीति जैसी ज्वलंत समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया गया है। खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था का नकारात्मक पक्ष है और अर्थव्यवस्था के इस पक्ष से जीडीपी में वृद्धि हमेशा प्रभावित होती है। एक ओर खाद्य पर सब्सिडी बिल हमेशा बढ़ता रहता है किंतु दूसरी ओर अभी भी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं जोकि सरकार के इस मुद्दे से निपटने में संपूर्ण विफलता को दर्शाता है।

बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि कार्पोरेट औद्योगिक वृद्धि को लेकर खुश हो। वित्त मंत्री ने मल्टी ब्रांड में एफडीआई जैसे सुधारों को रखने का वादा किया है। लेकिन संसद में विधेयक पुर:स्थापित कर वित्तीय क्षेत्र के कई अंगों में उदारीकरण करने पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है तथा इसमें ज्यादा प्रतिबद्धता नहीं है।

अंतत: सरकार और विशेष रूप से वित्त मंत्री ने यूएएस धारवाड़ के रूप में उत्कृष्टता केंद्र को अनुदान स्वीकृत करने की मेरी सतत मांग को स्वीकार किया। मैं सरकार और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीज विकास आदि के क्षेत्र में नए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ के कृषि विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है।

माननीय वित्त मंत्री ने सबसे बड़े कर सुधारों में से एक अर्थात प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को डीटीसी बिल के संबंध में संसद की स्थायी समिति द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बावजूद भी इसे प्रास्थगित रखा। उन्होंने इसके क्रियान्वयन के लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार का आर्थिक उधार, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक आकार देने में मदद करता है, करने का कोई इरादा नहीं है। इसके विपरीत सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में कुछ मामलों में दिए गए निर्णयों को निष्क्रिय करने के लिए आयकर अधिनियम में पश्चगामी संशोधन करने जा रही है।

मनरेगा जैसी आग्रणी महत्वपूर्ण योजना को सुचारू बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि योजना के आवंटन को बढ़ाया गया है तथापि सरकार को योजना को कृषि हितैषी बनाने के लिए इसे और युक्तिसंगत बनाने हेतु बहुत कुछ करना है। सभी राज्यों के किसान वर्ग के एक तबके ने इसके विशेषरूप से मानसून और अन्य फसल मौसमों के दौरान विरोधाभास मुक्त क्रियान्वयन हेतु कहा है क्योंकि इसके कारण कृषि कामगारों की उपलब्धता की समस्या हो गई है। मैं इस सरकार से इस समस्या के समाधान का अनुरोध करता हूं और इस मामले के संबंध में बजट में उपयुक्त बदलाव करने का भी अनुरोध करता हूं।

सेवा कर और उत्पादउ शुल्क में क्रमशः 12% और 10% वृद्धि के कारण आगे तेजी से मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति हो सकती है।

इस कार्रवाई से सूक्ष्म सेवा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा और इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

लेकिन आयकर की 2 लाख तक की छूट सीमा एक स्वागतयोग्य कदम है और वित्त मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

[हिन्दी]

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): यूपीए सरकार द्वारा पेश बजट 2012-13 स्वागतयोग्य है। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आज सारे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर केन्द्रित है। वैश्विक मंदी के दौर में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं स्लो-डाउन के दौर से गुजर रही हैं ऐसे में भारत सरकार की दूरदर्शी, स्पष्ट, कुशल और सुविचारित नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो-डाउन के दौर में भी विकास कर रही है। आज अन्य देशों की अपेक्षा भारत आर्थिक विकास के मोर्चे पर अग्रणी देशों में बना हुआ है, इसके लिए मैं यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी को धन्यवाद देता हूं।

हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

मेरे कुछ अन्य प्रस्ताव यदि उन पर गौर किया जाये तो देश की अर्थव्यवस्था और उन्नत हो सकती है:-

पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य विकास दर में पिछड़े हैं, यहां विकास दर तीव्र करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम सुनिश्चित करने चाहिए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।

जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र जहां जम्मू एवं श्रीनगर, शिमला एवं धर्मशाला मुम्बई एवं नागपुर में क्रमशः जिस प्रकार दो स्थानों पर विधान सभा के सत्र आहूत होते हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य में भी देहरादून के अतिरिक्त गैरसैंण में विधान सभा का ग्रीष्म कालीन सत्र आहूत होना चाहिए।

पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में मूलभूत ढांचे का आभाव है, पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। उत्तराखंड राज्य में सड़कों का आभाव है, अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही वहां वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड में सिचाईं व्यवस्था का आभाव है। वहां के पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में 68 प्रतिशत वन है, पर्यावरण की दृष्टि से वनों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में कृषि, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, पेयजल, दूरसंचार, सड़क के लिए मैदानी राज्यों की अपेक्षा अलग से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जानी चाहिए। पर्वतीय राज्यों में शिक्षा का भी एक गंभीर विषय है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं इनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड राज्य

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के देवाल में स्थित लाटू देवता, टिहरी जिले के देवप्रयाग के लोस्तूपट्टी में घंटाकरण देवता, मां चन्द्रबदनी, पौड़ी जिले में डांडा नागराजा और ज्वालपा, रुद्रप्रयाग जिले में काली मठ एवं कार्तिकेय स्वामी आदि ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें धामों की तरह विकसित करने पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जिस प्रकार चंडीगढ़ में 174 रुपये, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 150 रुपये तथा अंडमान और निकोबार में 170 एवं 181 रुपये की दर से पारिश्रमिक का दैनिक भुगतान किया जाता है उसी प्रकार विषय भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत भुगतान की दर बढ़ाकर 181 रुपये दैनिक की जानी चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा यह अभियान सारे देश में व्यापक रूप से चलाया जा रहा है।

गढ़वाल एवं कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान करना चाहिए।

राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए देश बार्डर रोड्स का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गत होने में काफी समय लगता है, ऐसे में बोर्डर रोड्स के निर्माण के प्राथमिकता देकर शीघ्र करवाना चाहिए।

मतदान में पोस्टल बैलेट व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

पर्वतीय राज्यों में हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक योजना बनाकर कार्यान्वित की जानी चाहिए।

सूरत के हीरा उद्योग में अपार संभावनाएं हैं जिसे विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत मदद से इन उद्योगों का उच्चीकरण सुनिश्चित हो सकेगा। जिस प्रकार कपड़ा उद्योग को केन्द्र सरकार से हर वर्ष आर्थिक सहायता मिलती है, इसी तरह हीरा उद्योगों को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

भारत विश्व के 7 बड़े देशों में आता है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है तथा विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

ज्वैलरी का व्यवसाय भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस व्यवसाय में करीब ढाई करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं। 2 लाख रुपये की ज्वैलरी खरीदने पर पेन कार्ड की कॉपी रखना, अनुचित है। आज 2 लाख रुपये में 60 ग्राम ज्वैलरी भी नहीं आती। इस नियम को समाप्त किया जाना चाहिए। ज्वैलरी व्यवसाय में इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। ज्वैलरी व्यवसाय पर एक्साईज डिपार्टमेंट नहीं थोपा जाना चाहिए। पूर्व की भांति कस्टम विभाग के अधीन ही इसे रहने देना चाहिए। सरकार कर लगाना ही चाहती है तो उसे कच्चे माल पर कर लगाना चाहिए तैयार आभूषणों पर नहीं, इससे और अधिक राजस्व की प्राप्ति सरकार को होगी। हमारे यहां 950 टन सोना प्रतिवर्ष आयात किया जाता है सरकार 0.3 प्रतिशत की जगह 0.6 प्रतिशत कर उस पर लगा दे, ऐसा करने से सरकार के पास काफी ज्यादा राजस्व एकत्रित हो जायेगा और छोटे व्यापारी, कारीगरों के रोजगार भी चलते रहेंगे।

अभी 24 मार्च, 2012 की रात बढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र के चौरास में निर्माणाधीन मोटर पुल के ढहने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हैं। मैं मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसी प्रकार सतपुली के चमोलीसैंण में निर्माणाधीन अस्पताल की दीवार को डायनामाईट से उड़ा दिया गया है। चूंकि उत्तराखंड सीमान्त राज्य है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल के साथ लगती हैं और ऐसे में यह कोई आतंकवादी घटना न हो, इसकी गहनता से जांच करवानी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेष योजना बना कर राज्यों के साथ मिलकर लागू करनी चाहिए।

मैं यू.पी.ए. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, मा. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा आम बजट 2012-13 तैयार किया और मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कैलाश जोशी (भोपाल): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष सन् 2011-12 का बजट प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा की थी कि इस बजट के पारित होने के बाद जीडीपी बढ़ जाएगी, घाटा कम हो जाएगा और महंगाई पर अंकुश लगेगा। लेकिन इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि मुद्रास्फीति कम हो गई है, घाटा बढ़ रहा है और उस प्रकार से महंगाई पर भी अंकुश नहीं लग पाया है। अभी बजट प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एक वित्तीय संस्था के कार्यक्रम में भाषण देते हुए यह कहा कि तैयार हो जाइए आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है। आखिर ये बातें, जो दोनों बजट में प्रस्तुत हुई हैं, उनसे लगता है कि सरकार किस नीति पर चल रही है? क्या केवल आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने

का प्रयत्न किया जा रहा है। कि आम जनता को राहत मिल रही है। परंतु वास्तविकता यह है कि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वर्ष अपने बजट भाषण में पृष्ठ दो पर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि मैं जानता हूं कि केवल शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है और इसलिए अब मैं कुछ ठोस रूप से नीति निर्धारित करना चाहता हूं। परन्तु इस पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद और बजट को देखने के बाद यह कही नहीं लगता है कि कहीं बहुत ठोस रूप से नीतियों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। आज भी वही नीतियां चल रही हैं, जो देश के विकास में सहायक न होकर विनाशक सिद्ध हो रही हैं।

महोदय, आज गांव का जीवन कैसा हो गया है, यह हम लोगों को पता है जो गांव में रहते हैं या उन लोगों को पता है जो गांवों में जाते हैं। हम लोग तो कस्बों में रहते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि गांव की हालत क्या है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद भी गांवों का सड़कों से जुड़ना शुरू नहीं हुआ। संयोग से वर्ष 2000 में ऐसी सरकार आयी थी, जिसने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ना आरम्भ किया था और अब वहां सड़कें पहुंच रही हैं। आज भी गांव के लोगों का रहन-सहन कैसा है और इधर शहर की स्थिति क्या है? अरबों रुपया शहरों के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन शहरों में फिर भी लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम देश को झुग्गी मुक्त बनायेंगे। क्या इसी मार्ग पर चलते हुए देश झुग्गी मुक्त बनेगा? गांव में आज कोई काम नहीं बचा है, पढ़ने-लिखने के बाद आज गांव में कोई आदमी रह नहीं सकता है। इसी कारण से शहरों की तरफ लोगों का पयालय हो रहा है। इस पलायन को रोकने का उपाय केवल यह नहीं है कि हम जेएनयूआरएम का पैसा जायें और कहें कि विकास करो। यह विकास तब होगा, जब हम मौलिक रूप से नीतियों में परिवर्तन करेंगे और इस बजट में कहीं भी यह परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। जिससे यह माना जाये कि आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है।

महोदय, इसी प्रकार से बजट में यह कहा गया है कि सरकार आधारभूत संरचना के क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी। यह कौन सी आधारभूत संरचना है, अचारभूत संरचना तो वह मानी जायेगी कि जिसमें देश के जन-जीवन में व्यापक परिवर्तन आये, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे नगरीय क्षेत्र में हो। किन्तु यहां तो केवल आंकड़े दिये जा रहे हैं। मौलिक रूप से कहीं भी यह देखने को नहीं मिलता कि ठोस परिवर्तन की कल्पना इस बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने की है।

महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में बापू जी ने जो बात कही थी, आज उनकी एक बात भी पूरी नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा था कि जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, तब मैं समझूंगा कि देश आजाद हो गया, लेकिन आज गांव आत्मनिर्भर नहीं हैं। गांव के सारे उद्योग-धंधे शहरों में आ गये हैं। गांव में बेरोजगार आदमी ही रहेगा और जो रोजगार करना चाहे, उसे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे शहर में ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से उन्होंने दूसरी बात कही थी कि भारत का शासन भारत की भाषा में चलेगा। क्या आज भारत की भाषा में शासन चल रहा है?

महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि यहां हमें जो साहित्य दिया जा रहा है, जब हम उसमें मध्य प्रदेश के गांवों के नाम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे गांवों के नाम ही गलत लिखे हुए हैं। क्योंकि वे अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और फिर उनका हिन्दीकरण किया जाता है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है? तीसरी बात गांधी जी ने कही थी कि न्याय सस्ता और सुलभ होगा। क्या आज 60 वर्ष के बाद भी यह स्थिति आ गयी है कि न्याय सुलभ हो गया है और न्याय सस्ता हो गया है? इसलिए इस बजट भाषण को देखने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस बजट के द्वारा, आने वाला जो वर्ष है, वह कोई युगान्तरकारी परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होने वाला नहीं है। इस दिशा में वित्त मंत्री जी पुनर्विचार करें, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। मैं शासन से भी अपेक्षा करता हूं कि वह इस विचार करेगा।

महोदय, इसके बाद मैं मनरेगा पर आता हूं। मनरेगा की योजना चल रही है, अपने इस बजट भाषण में भी वित्त मंत्री जी ने उसकी राशि को बढ़ाया है और यह कहा है कि हम मजदूरों का वेतन भी बढ़ायेंगे। मनरेगा की स्थिति आज देश में क्या हो गयी है, हमारे प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि मनरेगा के नाम पर जो काम हो रहे हैं, उनसे मजदूरों का कोई हित नहीं हो रहा है और न ही ठीक प्रकार के निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो बड़ा भारी मामला सामने आया है। अन्य प्रदेशों में भी मनरेगा की काफी गंभीर शिकायतें आयी हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन पर पुनर्विचार करे और मनरेगा योजना को इस ढंग से तैयार किया जाए जिससे वास्तव में विकास हो सके और मजदूरों की समस्याएं भी हल हो और भ्रष्टाचार की कोई शिकायत वहां न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले वर्ष के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम एफडीआई के मामले में और जीएसटी के मामले में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों से भी समन्वित चर्चा हुई है किन्तु इतना समय बीत जाने के बाद आज भी यह निर्णय नहीं हो पाया है कि एफडीआई की क्या स्थिति है और जीएसटी की क्या स्थिति है। एफडीआई के माले में, अर उसको जैसे का तैसा लागू किया जाता है तो छोटे और खुदरा

व्यापारी बड़े संकट में पड़ जाएंगे। गांव-गांव में उद्योग-धंधों पर एक प्रकार से अंकुश लग जाएंगे। इस कारण हम यह मांग करते हैं कि इन मामलों में सरकार शीघ्र निर्णय ले और व्यावहारिक दृष्टि से निर्णय ले जिससे आम जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सके।

उसी प्रकार से काले धन के बारे में भी अपने बजट बजट भाषण में वित्त मंत्री जी बोले हैं। पिछले वर्ष के बजट भाषण में भी उन्होंने इस पर काफी कुछ कहा था। पिछले वर्ष के बजट भाषण में उन्होंने जो कहा था, उस दिशा में कोई प्रगति हुई है, ऐसा मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने उस समय जो घोषणा की थी, उसका परिणाम तो यह आने वाला था कि अब तक स्थिति स्पष्ट हो जाती कि काले धन के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, सिवाय इसके वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में यह कहा है कि काले धन के मामले में हम एक श्वेतपत्र लाने वाले हैं। जो स्थिति आज बन रही है, दुनिया के दूसरे देशों को जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हमारा इतना विशाल देश होने के बाद भी हमारे पास आज तक जानकारी नहीं है कि हमारा काला धन किन-किन देशों में और कहां-कहां पर जमा है। इसलिए इस दिशा में भी सरकार तुरंत कदम उठाए, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कृषि के बारे में बहुत कुछ कहा गया। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कृषि की स्थिति आज देश में बड़ी विपन्न हो चुकी है। आज भी किसान जगह जगह आत्महत्या करने पर उतारू हैं। उनके समाधान की दृष्टि से वित्त मंत्री ने भाषण में कोई नया सुझाव नहीं दिया, कोई नई व्यवस्था नहीं दी है। इससे लगता है कि यह बजट कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल निराशा देने वाला बजट सिद्ध हुआ है। इस दिशा में सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में यहां पर कहा गया है कि नया विधेयक लाया जाएगा लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, वैसे कदम आज तक केन्द्र सरकार द्वारा नहीं उठाए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि दो प्रदेशों ने इस दिशा में अच्छे कदम उठाए हैं। एक तो बिहार की सरकार ने उठाया और दूसरा मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया है। उन्होंने एक लोक सेवा गारंटी कानून अपने-अपने प्रदेश में बनाया और उसमें यह व्यवस्था दी है कि यह यह काम इतने दिन में कर्मचारियों तथा अधिकारियों को करने होंगे। जो कर्मचारी और अधिकारी नहीं करेगा, उस पर जुर्माना किया जाएगा। उसके कारण लोगों को समय पर जानकारियां मिलने लगी हैं। परंतु इसी प्रकार का एक कड़ा कानून यदि केन्द्र में आएगा तो उसका परिणम अच्छा निकल सकता है। सुनने में जरूर आता है। कि केन्द्र सरकार कोई कदम उठाने वाली है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई परिणामकारी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। इसलिए इस दिशा में भी सरकार को विचार करना चाहिए।

उसी प्रकार से जो करारोपण किया गया है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आयकर में केवल 20000 रुपये की जो छूट दी है, वह अत्यंत अपर्याप्त है। इस छूट को और बढ़ाना चाहिए। विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं के मामले में सरकार को छूट पर उदारता से विचार करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: किसी और माननीय सदस्य की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)*

महोदय, जैसा मैंने अभी एफडीआई के बारे में कहा था, उसी प्रकार से स्वर्णकारों पर और नॉन ब्रांडेड सोने-चांदी का काम करने वाले स्वर्णकारों पर जो एक प्रतिशत उत्पाद कर लगाया गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग इन्हें बोलने दीजिए।

श्री कैलाश जोशी: यह अत्यंत अनुचित है और देश भर में इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, हड़तालें चल रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए इसको तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होगी। इसलिए इस कर को तुरन्त सरकार को वापस ले लेना चाहिए।

महोदय, जो अन्य कर लगाए गए हैं, उन पर भी सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कुछ कर ऐसे लगाए जा रहे हैं, जो अनावश्यक हैं और वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए उन करों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यह मैं सरकार से मांग करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आजकल बजट भाषण कैसे बना रह हैं, वह हम को तो समझ में नहीं आता हैं।

इसलिए समझ में आता है कि वह केवल आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन उसका लाभ सामान्य लोगों को कितना मिलेगा, इसका कहीं पता नहीं लगता है। इसलिए इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए। केवल आंकड़े देने से काम नहीं होगा। जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, वह भले इसमें कड़ा रुख अपनाएं, उन्होंने एक जगह कहा भी है कि कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अपनाएं कड़ा रुख, लेकिन वह राष्ट्र हित और जनता के हित में होना चाहिए। ऐसे कदम न उठाएं, जिनसे सामान्य लोगों को परेशानी हो और विभिन्न वर्ग के लोगों के सामने नई कठिनाइयां पैदा हों।

इसलिए सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए। इतना ही मुझे अपने विचार रखते हुए कहना है।

[अनुवाद]

***श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट** (कच्छ): इस बजट का कोई आयाम नहीं है और यह विवेकपूर्ण बजट नहीं है। नए करों के कारण मध्यवर्गीय लोग परेशान हैं। सेवा कर में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कर की उच्च दरों से कर वंचन में वृद्धि होगी।

संपत्ति के हस्तातरंण पर भी कर वांछित नहीं है। यह सभी वस्तुओं को महंगा करने वाला और आम आदमी के ऊपर बोझ डालने वाला बजट है। सरकार उनके निवेश विदेशों में राशि जमा करने वाले लोगों के नाम और घोषणा करे। 10,000/- रुपये से अधिक राशि का दान चैक द्वारा करना अन्यथा इसकी अनुमति नहीं देना, गलत निर्णय है।

सोने की खरीद पर कर ठीक नहीं है। सोना भारतीय महिलाओं के लिए बचत का माध्यम है, इसकी सीमा बढ़ाकर 10 लाख तक की जानी चाहिए।

कर दरों में परिवर्तन के कारण 5 लाख रुपये तक आय कमाने वालों को कर लाभ दिया गया है वह मात्र 2060/- रुपये है जबकि 10 लाख रुपये तक आय कमाने वालों को 22600/- रुपये कर लाभ दिया गया है। इसलिए अधिक लाभ आम आदमी की बजाय अधिक आय कमाने वाले व्यक्तियों को दिया गया है। आश्चर्यजनक यह है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक लाभ दिया गया है। जबकि वरिष्ठ नागरिकों को कर स्लैब बढ़ाकर कोई भी अतिरिक्त कर लाभ नहीं दिया गया था।

सेवा कर स्वयं में पूर्ण और पृथक नहीं है। यह विभिन्न घोषणाओं, विधानों और बजटों के आधार पर भारत में अभी चल रहा है। सेवा कर के विभिन्न प्रावधानों में बहुत सारी जटिलताएं हैं। सेवा कर संबंधी समस्याओं का समाधान करने और उसके प्रावधानों को सरल करने के बजाय सेवा कर की दर को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। सबसे ज्यादा दुख इस तथ्य से हुआ कि न केवल सेवा कर की दर को बढ़ाया गया है, अपितु अनेक सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया है, क्योंकि अब से सेवा कर नकारात्मक सूची पर लागू हैं, उदाहरण के लिए नकारात्मक सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर के अन्य सभी सेवाएं कर देय होंगी। इस प्रकार न केवल कर दरों में वृद्धि की गई है, इसके साथ ही कर देय सेवाओं में वृद्धि से भविष्य में पूरे भारत वर्ष में महंगाई और बढ़ेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए दोहरे कराधान का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी भारतीय या विदेशी पार्टियों को विकास संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। इससे विशेष रूप से पोत परिवहन कम्पनियों की कठिनाइयां होंगी। यदि विदेशी पार्टियों को इस प्रावधान का जानकारी नहीं होती है, और समय पर निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं, तो किसी भी भारतीय पत्तन को छोड़ने से पहले ऐसी कम्पनियों को कम से कम 20% कर देना होगा। कभी कर दाताओं तक वैकाल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) का विस्तार कुछ वास्तविक करदाताओं के लिए निश्चित रूप से मुश्चिक भरा सावित होगा। इससे पहले इस तरह का वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) एमएटी के नाम पर सिर्फ कंपनियों पर लागू था।

सभी ऐसे अनिवासी भारतीयों, जिनका भारत से बाहर कोई संपत्ति, व्यवसाय होगा, के लिए आय कर विवरणी भरना जरूरी होगा जिनकी यहां तो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली, हमारे देश के लिए अनिवासी भारतीय विदेशी मुडा का बहुत अच्छा स्रोत हैं। अत: इस प्रावधान के होने से ऐसे अनिवासी भारतीयों में निश्चित रूप से निराशा उत्पन्न होगी। दूसरी, इस बात की जांच कौन भारत के बाहर कोई संपत्ति है अयवा नहीं? कृपया ध्यान रखें कि आय कर अधिकारी को इस संबंध में भारत से बाहर जांच करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। और इस प्रयोजनार्थ, अनिवासी भारतीयों को भी आश्वस्त करना होगा कि उन्हें आय कर विभाग की तरफ से किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा अन्यथा विदेशी मुद्रा के रूप में भारत को सबसे कम राशी प्राप्त होगी।

अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) किसी भीतर से आवश्यक नहीं था। स्टांप शुल्क मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत पर सम्पत्ति बेचने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में विभाग विफल रहा है। इसलिए, पहले से ही अन्त: स्थापित धारा का समुचित अनुपालन किए बिना एक और प्रावधान जोड़ देना कानून को और अधिक पेचीदा बनाने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि साइकिल, जो गरीबों का वाहन है, वह महंगी हो जाएगा, जबकि एलसीडी जैसी विलासिता की वस्तुएं सस्ती हों जाएंगी।

***श्री अधलराव पाटील शिवाजी** (शिरूर): आम भावना यह है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही निराशजनक है; इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, साथ ही सब तरफ वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा यह बजट अंतर्विरोधों और विसंगतियों से भरा हुआ है। मैं यहां कुछ बातों का उल्लेख करना चाइगा जिनके संबंध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसा कि आप जानते हैं कि आभूषण के व्यवसाय से जुड़े कार्य कर रहे लोग छोटे। मध्यम स्तर के कारीगर, सुनार तथा अन्य व्यवायी हैं। ये लोग सोने की बहुत अधिक कीमतें होने के कारण पहले से ही अत्याधिक मंदी की मार झेल रहे हैं। सोने और अन्य कीमत धातुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाने तथा परिष्कृत सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने से भी उन पर मार पड़ेगी।

माननीय मंत्री ने गैर-ब्रांडेड आभूषणों को भी उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है।

आभूषण व्यवसाय में निर्यात की क्षमता है और हमें इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह सोने जैसी कीमती धातुओं के आयात पर लगाए गए अतिरिक्त सीमा-शुल्क और गैर-ब्रांडेड आभूषणों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क की समीक्षा करें।

वैयक्तिक कर में दी गई राहत बहुत कम है। कर छूट की सीमा में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी महज आंखों का धोखा है। बढ़ते खर्च की तर्ज पर इसकी समीक्षा तथा इसकी छूट सीमा अधिक किए जाने की आवश्यकता है।

कर-दरों में संशोधन को तोड़ मरोड़ कर पेश गया है; 5 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत आयकर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है; जबकि "5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय" पर 20% की दर से आय कर लगता है उस सीमा को बढ़ाकर "5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक" कर लिखा गया हैं। इस का मतलब यह है कि 8 लाख रुपए से अधिक की आय वालों को कर में बड़ी राहत दी गई है। वास्तव में, कर राहत का फायदा निचले स्तर के करदाताओं को दिया जाना चाहिए। कर की दरें निम्नवत रूप से परिवर्तित की जानी चाहिए:

2 लाख रुपए से ऊपर और 7 लाख रुपए तक	10%
7 लाख रुपए से ऊपर और 9 लाख रुपए तक	20%
9 लाख रुपए से ऊपर	30%

महिलाओं (वस्तुत: अब महिलाओं के लिए अलग से छूट की कोई सीमा नहीं है) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है यह पूर्व परंपरा के साथ भेद रखने वाला एक प्रतिगामी कदम है।

महिलाओं के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित की जानी चाहिए।

सेवा कर हमारे लिए एक नयी समस्या पैरा कर रहा है। नकारात्मक सूची में आने वाली सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं अब सेवा कर के दायरे में आती हैं। सेवाएं ठीक से परिभाषित नहीं है और इसके कारण जनता का उत्पीड़न हो सकता है। सेवा कर 10% से 12% कर दी गई है।

सेवाओं को परिभाषित/निरूपित किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त 2% सेवा कर या तो मयोदिन किया जाना चाहिए या वापस लिया जाना चाहिए।

अनेक मदों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके कारण पूरा राजकोषीय तंत्र प्रभावित होगा और जीवन यापन लागत बढ़ेगी। इससे मुद्रास्फीती बढ़ेगी और लोगों पर भार बढ़ेगा।

यह बजट शहरी अव संरचना के सुधार के लिए कोई उपाय नहीं करता है। बड़े शहरों की मुख्य समस्या ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन है। सरकार ने इस मुदे पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया है।

यद्यपि वित्त मंत्री ने विदेश में रखे काले धन को वापस लाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करने का वायदा किया है तथापि बिना प्रभावी अधिनियम और परिचालन कार्य के यह नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है

[हिन्दी]

***श्री पशुपति नाथ सिंह** (धनबाद): आम बजट पेश किया गया जिस पर देश की निगाहें लगी हुई थीं कि यह बजट गरीबों के हित का बजट होगा, आम लोगों के हित का बजट होगा, लेकिन जिस तरह देश भर के लोग इस बजट का विरोध कर रहे हैं। जन विरोधी बजट इसे करार दिया गया है।

सरकार दावा कर रही है कि आर्थिक सुधार के आधार पर देश के विकास के लिए बजट बनाया गया है। एक तरफ विकास दर को बढ़ाने की चिन्ता कर रही है लेकिन दूसरी ओर महंगाई पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है।

अगर सच में विकास हो रहे है तब महंगाई के अनुकुल गरीबी रेखा को सरकार क्यों नहीं परिभाषित कर रही है। एक तरफ वैयक्तिक कर दाताओं के आय सीमा 18,000 से 20,000 कर रही है यानि महंगाई के वजह से कर सीमा को बढ़ाना आवश्यक मान रही है। लेकिन दूसरी ओर गरीबी रेखा के मापदंड को उच्च आय तक बढ़ाने में आनाकानी कर रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सभी राज्यों के आय के संतुलन को देखा जाय तब आपको स्पष्ट होगा कि हर एक राज्य के औसत प्रति व्यक्ति आय में काफी असमानता है, यहां तक कि प्रत्येक राज्य के मनरेगा के श्रम की कीमत भी अलग अलग है लेकिन कर निर्धारण पूरे देश के लिए एक समान है। पिछणे राज्यों के प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष आय को बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

लघु उद्योगों के माध्यम से इस देश के अधिकांश लोगों को रोजगार मिलता है। लघु और मध्यम उद्योग काफी संख्या में बन्द पड़े हैं उसके पुनरुद्धार के लिए सरकार ने बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग के अनुसार देश की 200 परियोजनाएं जो कि 150 करोड़ से ऊपर की हैं, वह लम्बित पड़ी हुई हैं जिसको पूर्ण करने के लिए आर्थिक व्यवस्था तथा कब तक पूरा होंगे इसका संकल्प इस बजट में नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि पांच-पांच वर्ष विलम्बित यह परियोजना अर्थाभाव तथा सरकार के इच्छाशक्ति के अभाव के कारण पूरी नहीं की जा रही है।

ईंधन के लिए देश के लोगों को कोयला प्राप्त नहीं हो पा रहा है न ही गैस उपलब्ध हो पा रही है। जिसके लिए सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि कोयला और गैस चूल्हा के अभाव में लोग लकड़ी काट काट कर ईंधन का उपयोग कर रहे हैं जो पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है।

आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष संख्या बढ़ रही है। यू.पी.ए. सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं कि हम आम आदमी तथा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। खास कर युवा वर्ग राष्ट्र की मुख्यधारा से विमुख होते जा रहे हैं।

आज पूरे देश में बजट के बाद आभूषण व्यापारी आन्दोलित हैं उनकी चिन्ता निश्चित रूप से सेवा कर के माध्यम से इन्सपेक्टरों के हाथों का खिलौना बनने का है। लेकिन आम लोग भी चिन्तित हैं कि अपनी बेटियों के हाथ पीला करने के बाद हाथों में पीला रंग का सोने का कंगना दे पायेंगें कि नहीं।

सेवा कर के वजह से देश में सभी सामानों का दाम बढ़ना प्रारम्भ हो गया है। एक तो पहले से ही लोग महंगाई के मार से परेशान थे दूसरा इस बजट ने आग में घी का काम किया है।

मैं सरकार का ध्यान अपने राज्य झारखंड की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कोख में अमीरी है लेकिन लोग गरीब हैं। खान खनिज सम्पदा से भरा झारखंड के लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय देश में सबसे कम है। मानव संसाधन के उपयोग के लिए क्षमता नहीं रहने के कारण यहां के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में प्रतिदिन पलायन करते हैं। यहां समुचित मात्रा में बिजली है, न पानी है, न समुचित मात्रा में सड़क है, न रेल लाईन है। राज्य सरकार राज्य के लिए योजनाएं बनाकर केन्द्र सरकार को देती है लेकिन यू.पी.ए. पसन्द सरकार झारखंड में नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार आवश्यक सहयोग नहीं कर रही है ताकि झारखंड के लोग भी गरीबी से मुक्ति पा सके तथा राज्य का संतुलित विकास हो सके।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार झारखंड सरकार को आवश्यक सहयोग करें ताकि यहां के लोग, समाज एवं राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़कर आदमी की जिन्दगी जी सकें।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र धनबाद तथा बोकारो की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 13 हजार करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी था और इसी आधार पर 2008 में मा. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोकारो जाकर लोक सभा आम चुनाव के पूर्व इस विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। चुनाव समाप्त हुई केन्द्र में सरकार यू.पी.ए. की बनी और इस प्रोजेक्ट को छ: हजार दो सौ करोड़ कर दिया गया।

बोकारो स्टील प्लांट और डी.वी.सी. ने मिलकर 500 मेगावाट का पावर प्लांट बोकारो में लगाने का निर्णय लिया है लेकिन पांच वर्ष पूर्व जमीन अधिग्रहण के बाद नये प्रोजैक्ट लगाने की दिशा में एक कदम भी कार्य नहीं बढ़ा है।

सिन्द्री खाद कारखाना वर्षो से बन्द पड़ा हुआ है काफी अच्छा आधारभूत संरचना है और खुशी है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां स्टील प्लांट, खाद कारखाना तथा पावर प्लांट बैठाया जाएगा लेकिन जिस रफ्तार से काम बढ़ना चाहिए वह आगे नहीं बढ़ रहा है।

डीवीसी का सारा कार्य जल से लेकर उत्पादन तक झारखंड में है लेकिन यहां के विस्थापितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है वे बराबर आन्दोलित हैं। इसी तरह बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित, कोल इण्डिया के बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., ई.सी.सी. एल, के विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। अत: केन्द्र सरकार विस्थापितों को नौकरी देने हेतु इन्साफ करे।

बीसीसीएल के भूली श्रमिक नगरी में वर्षो से रह रहे क्वाटरों को नियमित करने हेतु सरकार से आग्रह करता हूं या तो उन्हें लीज पर दें या इन्हें लाइसेन्स पर आवंटित करें।

सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि धनबाद को देश का कोयला राजधानी गिना जाता है, जहां देश के अधिकांश कोकिंग कोल प्राप्त होता है तथा अधिकांश कोयला खादान झारखंड में है। अत: कोल इण्डिया का मुख्यालय धनबाद लाया जाए।

डीवीसी का भी पूरा कार्य उत्पादन झारखंड में होता है। अत: डी.वी.सी. का मुख्यालय झारखंड में लाया जाए।

अंत में सरकार से निवेदन करूंगा कि इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद को आई.आई.टी. बनाया जाए।

***कुमारी सरोज पाण्डेय** (दुर्ग): जब मंत्री जी लोक सभा में बजट पेश कर रहे थे तो सारे देश की जनता की नजर माननीय वित्त मंत्रीजी की भाषण पर टिकी हुई थी। जनता यह आशा भरी नजर से देख रही थी कि इस बजट में क्या सरकार गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देगी, क्या सरकार देश को महंगाई व बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी। जी नहीं फिर वही हुआ जो पिछले कुछ सालों से होता आ रहा है और देश की जनता को निराशा हाथ लगी।

इस आम बजट से देश के हर तबके को कुछ न कुछ उम्मीद थी। परंतु दयावान वित्त मंत्री की तंगदिली ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अगर कुछ दिया एक हाथ से तो दोनों हाथ से अधिक वसूली का रास्ता खोल दिया है। प्रत्यक्ष करों के रूप में आम जनता के अगर साल भर में 4500 करोड़ रुपये बचाए हैं तो इसका करीब दस गुना 41,440 करोड़ अप्रत्यक्ष करों के रूप में जनता को चपत लगाई है।

पूरे बजट में महंगाई कम करने बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। मंत्री जी द्वारा पूरे भाषण में बेरोजगारों को रोजगार को रोजगार दिलाने एवं बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। देश की आम जनता का धन जो काला धन के रूप में विदेश में जमा है, उसे वापस लाने के बारे में भी कोई खास जिक्र है।

किसी भी घर का बजट महिलाओं को रखना पड़ता है। इस बजट में गृहिणी व महिलाओं को भी कोई राहत नहीं दी गई है। करों के मामले में मामूली रियायत से जो थोड़ी बहुत अतिरिक्त खर्च योग्य आय होगी वह बुनियादी उत्पाद शुल्क और सेवा कर में बढ़ोतरी की भेंट चढ़ जाएगी। जिस प्रकार इस बजट में बुनियादी उत्पाद शुल्क और सेवा कर में 200 आधार अंकों से लेकर 12 फीसदी तक बढ़ोतरी की है उसको देखते हुए इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाएगी कि अब कच्चे माल की उच्च लागत का गंभीर दबाव झेलने वाली तकरीबन सभी कंपनियों की मजबूरी हो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाएगी कि वे कर बढ़ोतरी का यह बोझ उपभोक्ताओं पर डालें। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की गति सुस्त पड़ रही है, हमारे वित्त मंत्री भी चाहते हैं कि लोग महंगी चीजों पर खर्च कम करें। उन्होंने उन गृहीणियों के सपनों पर पानी फेर दिया है, जो जेवरात और महंगी कारें खरीदना चाहती थीं। सरकार ने गैर ब्रांडेड जेवरात पर भी उत्पाद शुल्क लगा दिया है। जेवरात बाजार में इस तरह के जेवरों की हिस्सेदारी 90 फीसदी है। स्टैंडर्ड व गैर स्टैंडर्ड सोने पर सीमा शुल्क दोगुना करके 4 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है। दूसरी ओर बड़ी कारों पर उत्पाद शुल्क 22 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी कर दिया गया है।

इस बजट में वित्त मंत्री जी ने वैसे भी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई है और देश के मौजूदा गंभीर चुनौतियों जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, आदि को कम या खत्म करने के लिए कोई भी ठोस कदम या प्रावधान नहीं किया गया है इसके उलट, उद्योग जगत को दी जा रही सब्सिडी में 20% की बढ़ोतरी की गयी है, एक तरफ तो वित्त मंत्री जी जनता के इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजों, जैसे कि पेट्रोलियम और अनाज पर तो सब्सिडी घटाने की बात करते हैं दूसरी तरफ उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी को बढ़ाने फैसला लेते हैं।

वित्त मंत्री जी, इस देश के किसी कोने में रहने वाले किसी छोटे से गांव के एक व्यक्ति को शायद आपकी यह आंकड़ों की बाजीगरी समझ में नहीं आएगी उसे तो सिर्फ इस बात से मतलब है किसका जीवन आज के बाद कितना कठिन या कितना सरल हो पायेगा। उसे तो इस बात से मतलब है कि उसकी दो जून रोटी की कीमत क्या पड़ेगी, रात को रौशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले केरोसिन कितना महंगा होगा, अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।

कुछ उनके लिए सोचिये क्योंकि हमारा देश इन्हीं लोगों से बना है। इन्हीं लोगों का है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि इनके जरूरतों को, इनके दर्द को समझें और आपके पास मौका है कि उन्हें राहत दें। साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं......

ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल,
दस्तूर है कि खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते,
न रखना किसी का मार के हक अपने खजानों में,
यह कर्ज वह है जो दोजखों में भी चुकाए नहीं जाते।

***श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव** (बुलढाणा): माननीय वित्त मंत्री जी ने 2011-12 का जो लेखा जोखा बजट के रूप में पेश किया है के आर्थिक विकास से दूर है एवं अर्थव्यवस्था

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की समस्या का निदान करने एवं देश को पटरी पर लाने में सरकार अपने दायित्व से भी दूर होने का संकेत दे रहा है। सरकार ने आर्थिक एवं वित्तीय सुधारों का कोई रोड मेप नहीं बनाया है। लोगों को इस बजट से कई उम्मीदें थीं परन्तु खेद के साथ सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस बजट से उन्हें काफी निराशा हुई है। वित्त मंत्री जी का परम कर्तव्य था कि महंगाई से लोगों को निजात दिलाते परन्तु यह उलटा हुआ है और लोगों पर, कारपोरेट पर, उद्योगों पर करो का भारी बोझ डाल दिया, पहले सेवा कर 117 सेवा क्षेत्र पर लगता था जो बढ़ाकर 219 और सेवा क्षेत्र कर दिये और सेवा कर में 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी कर दी। उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की, सब्सिडी को कम कर दिया। हरित क्रान्ति के नाम पर उत्तर पूर्वी राज्यों को धन दिया है एवं अन्य राज्यों की अवेहलना की है। आयोजन व्यय में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है एवं कृषि ऋणों के लक्ष्यों को बढ़ाया गया है आज देश के किसानों की खेती व्यवसाय एक घाटे का सौदा बन गया है। सरकार की नीतियों एवं नीयत के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है देश को खाना देने वाला आज जीना नहीं चाहता है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है।

भारत के कृषि प्रधान देश में किसानों की आत्महत्या एक कलंक है भारत में आज भी 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी कर अपने परिवार को लालन पालन कर रहे हैं। भारत के किसानों की दयनीय हालत आजादी के बाद भीषण रूप से गम्भीर हो गई है। आज के किसानों पर कर्जा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको कृषि करने के लिए बीज, खाद एवं सिंचाई के साधन महंगे मिल रहे हैं और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है अगर किसानों को हर साल सूखे का बाढ़ का, एवं जंगली जानवरों से उनकी फसल का बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है। अपनी दयनीय हालत और गरीबी के कारण देश में हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है रोजाना 47 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केवल 2009 में 17,368 किसानों ने आत्म हत्या की। मेरी जानकारी में है कि 2010 में 16000 किसानों ने आत्महत्या की। भारत को विश्व का पावरफुल देश बताने वाले किसानों की बात नहीं करते और किसानों की आत्महत्या पर कोई चिंता करते हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान करने में महीनों लग जाते हैं और उद्योग पतियों की समस्याओं को कुछ क्षणों में दूर कर दिया जाता है। सरकार द्वारा 55000 करोड़ से 60000 करोड़ के कर्ज अमीरों के लिए माफ किए जाते हैं और जब किसानों के लिए 10 हजार रुपये माफ करने की बात आती है तो हाये तौबा मच जाती है।

देश का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कई बेकार की वस्तुएं देश में कुछ लोगों की सुविधा के लिए आयात की जा रही है और जिन चीजों का हम अच्छा निर्यात कर सकते हैं उनको कई कानूनों से नहीं होने देते है। कपास निर्यात के बारे में जो नाटक वाणिज्य मंत्रालय में हुआ इसकी सबको जानकारी है कपास ज्यादा होता है तो उसकी निर्यात नीति में देर की जाती है जिससे दलालों को फायदा हो और किसानों को घाटा हो। मैं महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से आता हूं जो विदर्भ का एक हिस्सा है जहां के किसान परिवार पूरी तरह से कपास की खेती पर निर्भर करते हैं परन्तु केन्द्र सरकार की कपास के सम्बंध में नीतियां हैं उनसे किसानों को बहुत नुकसान होता है। किसानों की कपास जब आती है तो सरकार उस समय कपास की नीति नहीं बनाती है जिसके कारण जरूरत से ज्यादा कपास को निर्यात करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के कार्य में नाहक देरी होती है और इस बीच के समय में किसानों का व्यापारी लोग शोषण करते हैं। जब कपास नीति की जरूरत नहीं होती है तब सरकार कपास नीति लेकर आती है उस समय किसानों का कपास व्यापारी के हाथ में चला जाता है। यह सब व्यापारियों को फायदा और किसानों का शोषण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। हमारे देश के उद्योग एवं व्यापार विभाग किसानों को शोषण करने के लिए काम कर रहे है जिन्हे मंत्रीगणों का समर्थन मिला हुआ है। विदर्भ की सिंचाई योजना के लिए केन्द्र सरकार ने जो 300 करोड़ दिया है उसका आभार व्यक्त करता हूं इस सम्बंध में सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका जहां से मैं आता हूं किसानों के आंसू सरकार ने अभी तक पोछे नहीं हैं। किसान भारतीय अर्थव्यस्था की एक रीढ़ है विदर्भ की भूमि पर किसानों की उनकी फसल की लागत नहीं मिल पाने के कारण एवं ऋणग्रस्तरता के कारण किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2008 को लाल किले से अपने संदेश में कहा कि विदर्भ के किसानों की हालत देखी नहीं जाती। केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2006 को विदर्भ के किसानों की खुशहाली के लिए विशेष पैकज देने की घोषणा की थी जिसमें सिंचाई के लिए 2177 करोड़ विदर्भ के अमरावती, वर्धा, यवतमल, अकोला वाशिम एवं बुलढाना छह जिलों के 50 हजार हेक्टेयर भूमि को शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया, 112 करोड़ रुपये ऋण माफी के लिए 1275 करोड़ अतिरिक्त कर्जे के लिए, मवेशी एवं पशुपालन के लिए 135 करोड़ रुपये, संतरों के विकास के लिए 225 करोड़ रुपये एवं 189 करोड़ नये बीज एवं वर्षा संग्रहण के लिए दिये गये। खेद के साथ सदन का सूचित करना पड़ रहा है कि पैकेज के अंतर्गत जारी धनराशि का दुरुप्रयोग नौकरशाहों ने जमकर किया। जिन प्रोजेक्टों पर काम किया जाना था वह भी नहीं किया गया अपर वर्धा में जो काम किये उनमें काफी अनियमिताएं बरती गईं है। जो पानी किसानों के खेत को मिलना चाहिए था वे पानी उद्योगों को दिया जा रहा है। सिंचाई कार्यों पर जिन कंपनियों ने काम

किया है उन्होंने जबरदस्त लूट खसोट की है। महाराष्ट्र राज्य में भ्रष्टाचार कई लेवलों पर आसानी से देखा जा सकता है जो विदर्भ की समस्या के निराकरण की बजाय बढ़ा रहा है इसलिए इस आवंटित 300 करोड़ रुपये को सदुपयोग किये जाने हेतु पक्षपातरहित मशीनरी का होना आवश्यक है।

इसी तरह से देश में चीनी मिलों से चीनी का उत्पादन ज्यादा हो सकता है अगर चीनी को निर्यात करके हम अच्छी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं एक ओर तो उदारवादी नीतियां लागू कर रखी हैं दूसरी ओर चीनी उत्पादन पर नियंत्रण कर रखा है। चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम इससे विदेशी मुद्रा कमा सके और गन्ना किसानों को अच्छा भुगतान कर सके और खेती बाड़ी को लाभकारी बनाया जा सके। देश में गन्ना का काफी उत्पादन हो रहा है, देश में चीनी मिलों के माध्यम से लोगों को अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला हुआ है एवं चीनी मिलों के माध्यम से चीनी के अलावा जो पदार्थ निकल रहे है उनसे पैट्रोलियम पदार्थ एवं उर्जा सम्बंधी तत्वों एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी किया जा सकता है। जैसा कि सरकार चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चीनी के निर्यात नीति की घोषणा करती है उसमें काफी कमियां होती है जिनके कारण चीनी उद्योग एवं गन्ना उत्पादित किसानों के विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चीनी निर्यात का जो लक्ष्य रखा जाता है इसके लिए जो स्वीकृति दी जाती है उसमें मानीटरिंग का कोई कार्य नहीं होता है। इस साल कितनी परमिशन मिली है और कितना निर्यात किया गया है इसका कोई अता पता नहीं है। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने एवं उनकी फसल को उचित कीमत दिलाने की दिशा में कोई घोषणा नहीं की है। किसानों से जिस कीमत पर व्यापारी एवं दलाल सब्जी, फल एवं खाद्यान्न लेते हैं उससे कई गुणा पर बाजार में बेचते है। इससे किसानों को उनकी फसल का प्रतिफल नहीं मिलता है और दूसरी ओर ग्राहकों को काफी कीमत देनी पड़ती है।

आज देश में कई वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं परन्तु उसमें भेदभाव किया जाता है जिसके कारण हमारा विश्व व्यापार में केवल 1.55 प्रतिशत हिस्सा है जबकि विश्व में भारत का भूमि हिस्सा 7 प्रतिशत एवं जनसंख्या हिस्सा 15 प्रतिशत है। इसी तरह से हम फलों, सब्जी, दूध से बने पदार्थे का, खाध प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात का हिस्सा भी बहुत ही कम है केवल नाममात्र का। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय के कार्यो की समीक्षा करना अति आवश्यक है। देश का आयात देश के निर्यात से दुगुना है। यह शर्म की बात है।

देश का यह बजट देश की स्थिरता के लिए नहीं बल्कि सरकार की स्थिरता के लिए है ऐसा लगता है, इसमें कुछ उसको, कुछ इसको, कुछ इसको, थोड़ा थोड़ा दिया है परन्तु दूसरे हाथ से जितना दिया है उससे छह गुणा वापिस भी ले लिया है यानि इधर का उधर एवं उधर का इधर। इन भावना से देश का आर्थिक विकास नहीं होगा बल्कि महंगाई बढ़ेगी। न जाने क्यों सतारुढ़ दल को महंगाई से इतना प्यार क्यों है। सरकार इस महंगाई के प्रति प्रेम में गरीबों एवं आम आदमी की जीवन लीला ही खत्म न कर दे।

सरकार की महंगाई पर नियंत्रण करने की सारी योजनाएं विफल हो रही हैं क्योंकि उसके पीछे सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं विभिन्न योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से पड़ रहा है। देश की विकास दर महंगाई के आगे झुलस गई है एवं यह विकास दर जो दो साल पहिले 9 प्रतिशत से बढ़ रही थी उसमें गिरावट हो कर यह 6.9 प्रतिशत की दर की रही और अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उससे विकास दर में आगे भी गिरावट होगी। महंगाई से पूंजी निवेश घटा है और उद्योगों ने अपने विस्तार योजनाओं को टाल दिया है और इस महंगाई ने छोटे उद्योगों एवं मध्यम उद्योगों की कमर को तोड़ दी है। लागत में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी से महंगाई कम होने की बजाय बढ़ेगी क्योंकि लागत एवं महंगाई में एक कुचक्र हो गया है लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लागत बढ़ रही है सरकार इस दुष्चक्र को तोड़ने की बजाय फौरी उपाय करने में लगी है और महंगाई बढ़ने के अनेकों आधारहीन कारण बताये जा रहे। देश के आर्थिक मैनेजर लोगों को झूठी दिलासा देते रहे कि देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना आवश्यक हैं हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि मार्च 2012 तक कीमतें नियंत्रण में आ जाएंगी और प्रधान मंत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महंगाई कम होने की बात डंका ठोककर कही बाद में कहने लगे कि उनके पास महंगाई को रोकने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। जितना वेतन नहीं बढ़ रहा उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार विकास के लिए महंगाई को आवश्यक मानती है अगर देश में 6.9 प्रतिशत विकास होता है और मुद्रास्फीती की दर 11 से 20 प्रतिशत हो ऐसा वित्त प्रबंधन किस काम का।

जहां जहां पर जो कच्चा माल ज्यादा होता है वहां उन वस्तुओं के आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिएं। जहां कपास ज्यादा होता है वहा कपड़े की मिल स्थापित की जा सकती है। एक जमाने में कपड़े का उत्पादन एवं उसकी क्वालिटी विश्व में काफी प्रसिद्ध थी जिसकी वजह से भारत के गांवों में खेती बाड़ी के साथ बुनकर अतिरिक्त आय कमाते थे परन्तु आज हम उनके केवल ऋण माफी कर रहे हैं उनको सुविधा एवं उनके बने कपड़ों को बाजार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। कपड़े के क्षेत्र में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को 500 करोड़ रुपये की विशेष मदद की है एवं बुनकरों के ऋण माफ के लिए 3,884 करोड़ रुपये दिये है। देश में बन्द कपड़ा

मिलों को चलाने के लिए एवं उनको आधुनिक बनाने की दिशा में यह बजट शून्य है। महाराष्ट में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में ईचाल करणजी में विद्युत करघा मेगा कलस्टर की स्थापना के लिए दिया है इसके लिए महाराष्ट्र के लोग इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

निवेश विकास का एक पहला कदम है परन्तु आज भारत को असुरक्षित कर दिया है जिससे विदेशों से निवेश नहीं हो रहा है सरकार की लापरवाही से मुम्बई कई बार बम धमाकों की शिकार हुई है एवं शृंखलाबद्ध ढंग से बम ब्लास्ट हुए। मुम्बई हर साल 70 हजार करोड़ रुपये का टेक्स देती है केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने मुम्बई की दुर्दशा बड़ी भंयकर कर दी है। खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि खोजबीन के बजाय हमारे देश के गृह मंत्री हाथ बांधे इस हादसे पर लीपापोती करते रहे। हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी इस बम्ब बलास्ट कांड की तुलना ईराक और अफगानिस्तान से करते हैं और कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं क्या यह मुम्बई के लोगों पर जले पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है। पहले के ब्लास्ट में पूर्व गृह मंत्री जी का इस्तीफा हुआ था। दुख की बात है कि करोड़ों रुपया गुप्तचर एजेन्सियों पर खर्च हो रहा है परन्तु उनको इस बम्ब बलास्ट की भनक तक नहीं लग पाई, क्या फायदा ऐसी गुप्तचर एजेन्सियां का जो हर दिन एवं हर घंटे जानकारी एकत्र करती हैं। क्या नेताओं के सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता है आम आदमी की सुरक्षा को भगवान के सहारे छोड़ दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़े अशांत पड़ोस में रह रहा है। 12 मार्च 1993 के बम विस्फोट के मुजरिमों में से 12 को सजा ए मौत और 30 को आजीवन कारावास परन्तु इसमें अभी तक किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया। संसद हमले का आरोपी अफजल गुरु तंदूरी चिकन खा रहा है उसकी फांसी की फाईल अफसरों के टेबिल पर घूम रही है 26 नवम्बर के आरोपी कसाब को फांसी सुना दी गई परन्तु अभी तक फांसी नहीं हुई और उस पर 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। जब तक देश में कौम राजनीति होती रहेगी तब तक किसी आंतकवादी को सजा नहीं मिलेगी और तब तक देश में बम्ब विस्फोट होते रहेंगे।

विश्व में सिंगापुर जैसे कई देश ऐसे हैं जो अपने पर्यटन उद्योग से ही राजस्व कमा रहे हैं और अपना खर्चा बचत के साथ चला रहे हैं परन्तु इस बजट में सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में क्या कहा है और कौन सी योजना बनाई है उसका इस बजट में अता पता नहीं है देश में कई विश्व विख्यात स्थल हैं जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं है और न ही बुनियादी सुविधा है। इस तरह से पर्यटन का विकास कैसे हो सकता है और हम इसी वजह से इन पर्यटन क्षेत्रों से अधिक राजस्व कमाने में असमर्थ हैं मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढ़ाणा में एक लोनार क्रेयरटर स्थान है जहां पर एक तारा टूटकर गिरा था एवं जिस स्थान पर तारा गिरा वहां पर एक तालाब बन गया है और इस तालाब की वजह से लूनार केयरटर को ए ग्रेड का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है परन्तु सदन को बताते हुऐ खेद हो रहा है कि प्रकृति की देन वाले तालाब के 500 मीटर के दायरे में अपार गन्दगी है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने इस पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए कोई आने जाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराये है जिसके कारण लोग चाहते हुए इस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं और जाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर्यटन स्थल को विकसित करने में भी केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने कोई रुचि नहीं ली है और न ही ले रही है। सरकार से अनुरोध है कि लोनार केयरटर स्थान को पर्यटन सुविधा से सुसज्जित किया जाये।

आने वाले समय में पानी की विकट समस्या का संकेत है, पानी जीवन का आधार है चाहे वह मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे वह वन सम्पदा है, चाहे खेतीबाड़ी हो। सिंचाई परियोजना में निवेश की बात कही गई है एवं सिचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जारी धन की प्रक्रिया में ढांचागत परिवर्तन की बात इस बजट में कही गई है। जब किसी चीज को खराब करना हो तो उसमें परिवर्तन किया जाता है सरकार की यह परिवर्तन नीति सिंचाई व्यवस्था पर विपरीत असर डालेगी। आज देश में सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता है जिसको प्राथमिकता नहीं दी गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाना जो एक कृषि प्रधान जिला है और इस जिले के 80 से ज्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे हैं और पशुपालन के माध्यम से अपने परिवारों का लालन पालन कर रहे हैं। परन्तु पानी के अभाव में यहां के किसानों को अपनी खेती की सिंचाई करने में, एवं अपने पशुओं को चारा एवं समुचित पानी उपलब्ध करवाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। स्वयं लोगों को अपने लिए पेयजल नहीं मिल पा रहा है दूषित जल के उपयोग से बुलढाणा जिले में कई बीमारियां हो रही हैं। बुलढाणा जिले में वर्षा कम होती है एवं सिंचाई के साधन भी बहुत ही कम हैं। इन कारणों से बुलढाणा जिले का भू जलस्तर नीचे जा रहा है जिसके कारण वन सम्पदा भी खतरे में है।

भारत अभी गांवों का देश है महात्मा गांधी जी का कहना था कि गांव का विकास देश का विकास। सरकार ने ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता हेतु 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो 27 प्रतिशत की वृद्धि है, प्रधान मंत्री सड़क ग्रामीण योजना में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 24,000 करोड़ का प्रावधान किया है, ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य योजना के लिए 20,822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बढ़ोतरी की है, जितनी बढ़ोतरी इन उपरोक्त योजनाओं में की है लेकिन बढ़ती महंगाई से इन बढ़ी हुई का राशि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बजट से ग्रामीण विकास पर असर पड़ेगा।

इस बजट में सर्व शिक्षा अभियान हेतु 2012-13 में 25,555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष से 21,7 प्रतिशत ज्यादा है परन्तु सर्व शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता केवल संख्या बढ़ाने के चक्कर में सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं और इस बजट में पिछले दरवाजों से कई गैर सरकारी संगठनों को किसी न किसी बहाने करोड़ों रुपया आवंटित किया जा रहा है और मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में एक ऐसे गैर सरकारी संगठन को जन शिक्षा संस्थान का काम सौंपा हुआ है जिसके कार्यो का अता पता नहीं है इस सम्बंध में धन का दुरुप्रयोग एवं इस गैर सरकारी संगठन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों के सम्बंध में एक पत्र भी माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को लिखा था जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र जांच एवं निगरानी तो दूर की बात है बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

यह बजट देश के हित में नहीं है गरीबों एवं किसानों पर एक मार वाला बजट है एवं जन भावना को ध्यान में रखते हुऐ इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2012-13 के बजट पर अपने विचार देने का अवसर प्रदान किया।

महोदय यूपीए-1 का बजट वर्ष 2004-05 में प्रस्तुत हुआ था और वह लगभग पांच लाख करोड़ रुपए का था। जब पन्द्रहवीं लोक सभा का पहला बजट 2009-10 में प्रस्तुत हुआ, तो वह दस लाख करोड़ रुपए के खर्च का बजट था। माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ इसी हाउस में कहा था कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहली बार केन्द्रीय बजट दस लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2012-13 का बजट लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के खर्च का बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। बधाई केवल इसलिए नहीं कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। यह इसलिए भी नहीं कि उन्होंने इनकम टैक्स में व्यक्तिगत आय में कुछ बढ़ोतरी की है और इसलिए भी बधाई नहीं कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा धनराशि का आवंटन किया है, बल्कि मैं उनको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत करने का जो प्रयास यूपीए की सरकार की तरफ से होता रहा या कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता रहा, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।

महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वह आर्थिक सुधारों की पहली शुरूआत थी। उसके बाद आर्थिक सुधारों को मजबूत करते हुए और मजबूत नींव रखने का काम डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में किया। माननीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा अत्यंत कुशलतापूर्वक इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यह सभी लोग जानते हैं कि अवस्थापना सुविधाओं के बिना विकास संभव नहीं है। ये आंकड़ें यहां बताए गए हैं कि अगर हम अपने जी.डी.पी. की नौ प्रतिशत की विकास चाहते हैं तो अवस्थापना सुविधाओं में कम से कम बारह फीसदी विकास हमें हासिल करना होगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता, कोई स्कूल-कालेज खोलना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर अवस्थापना सुविधाएं नहीं हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बारहवीं पंचवर्षी योजना की शुरूआत जो पहली अप्रैल, 2012 से इस बजट से प्रारंभ होगी, इसमें उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि इसके लिए पचास लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। इस पचास लाख करोड़ रुपए की पचास प्रतिशत राशि उन्होंने निजी क्षेत्रों के माध्यम से प्रस्ताविक किया है। पिछले बजट में उन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए जो 30 हजार करोड़ रुपए के टैक्स-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स जारी किए थे, उसे इस वर्ष उन्होंने 60 हजार करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया है। ये बांण्ड्स राजमार्ग, बन्दरगाह, रेलवे, विद्युत आवास, उद्योग आदि के लिए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2012-13 अगली पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। इसके माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं में भारी निवेश करने की जो योजनाएं हैं, वे वास्तव में पूरे हिन्दुस्तान में आर्थिक विकास को तेजी से ले जाने में मदद देंगी। हमारी यूपीए सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं, अनेक फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 24000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले से 20 प्रतिशत से ज्यादा प्रावधान है। इसके अंतर्गत दो लाख किलोमीटर की नयी सड़कें बनी। एक करोड़ तैंतीस लाख किलोमीटर की जो पुरानी सड़कें थीं, उनको भी ठीक किया गया और नई सड़कें बनीं। इन्दिरा आवास हो, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, इसमें भी एक करोड़ सत्तर लाख नए कनेक्शन दिए गए और पिछले साल के मुकाबले 38 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया।

महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का 52 हजार मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजित की गयी और वर्ष 2012-13, जो कि बारहवीं पंचवर्षीय का पहला वर्ष होगा, उसमें 15000 मेगावाट की क्षमता इस एक साल में सृजित की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान हो या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हो, या अन्य योजना हो, अभी मिड-डे मील के माध्यम से हमारे साथी ने उसकी कटु आलोचना की, लेकिन पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें 12 करोड़ बच्चे

प्रतिदिन भोजन लेते हैं। सामान्य बच्चों को वह खाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है, जिनके घर में खाने को नहीं है, वह चाहता है कि इस बहाने मैं पढ़ने भी जाऊंगा और उन्हें खाने को भी मिलेगा। ये योजनाएं पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हैं। इसमें अवस्थापना सुविधाएं आगे बढ़ी हैं।

महोदय, मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा और इस पर विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा कि वर्ष 2011-12 में जैसा कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारी जी.डी.पी. ग्रोथ की गति में कुछ कमी आयी है। उसके कारण हैं। यूरो जोन की समस्या से हमारे उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में कमी आई हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हमने पूरी 2.5 परसेंट ग्रोथ ली, जो सर्विस सैक्टर में पूरी ग्रोथ हुई, लेकिन फिर भी यह कमी होने के बावजूद यूरो जोन की समस्या होने के बावजूद हमारा जो टैक्स कलैक्शन है, जो 50 हजार करोड़ रुपये के करीब कम हुआ है, उसके बावजूद हर तरीके से हमने प्रयास किया है, इसका ज्यादा कारण नहीं दिया गया, लेकिन 6.9 परसेंट ग्रोथ हुई। अगले वर्ष हम उम्मीद करते हैं कि 7.6 परसेंट यह ग्रोथ होगी, जो कि कम नहीं हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं यह बताना चाहूंगा कि बाकी देशों में अमेरिका में केवल 1.8 परसेंट ग्रोथ है, चाइना में 8.2 परसेंट ग्रोथ है, जापान में 1.7 परसेंट ग्रोथ है, पाकिस्तान में 3.8 परसेंट ग्रोथ है और इंडिया में इस बार जो हमारी फटेहाल हालत थी, हमारी हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां थीं तो भी 6.9 परसेंट हमारी ग्रोथ हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पन्ना लाल पुनिया: अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: समय तो बहुत हो गया।

श्री पन्ना लाल पुनिया: आपसे विशेष गुजारिश है। अगले साल हमारी 7.6 परसेंट होगी, आर्थिक समीक्षा में इसका पूरा उल्लेख है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह मैं अवश्यक बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमने सब्सिडीज का 1,43,570 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण सब्सिडीज का बिल 2,16,296 करोड़ रुपये हुआ, उसके बावजूद हम 6.9 परसेंट ग्रोथ ले सके।

सब चीजों को छोड़कर मैं विशेष रुप से बात बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में वित्तीय प्रबन्धन की खास बात यह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के साथ-साथ प्रदेश सरकारों की वित्तीय स्थितियों में भी हमने सुधार किया है। एक समय था, बहुत लम्बा समय नहीं हुआ, जब राज्य सरकारों के चैक बाउंस होते थे, जब उनकी वित्तीय हालत जर्जर थी, उनका दिवाला निकला हुआ था, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स कलैक्शन का शेयर या सैण्ट्रल असिस्टेंस का भी कुल मिलाकर 4,31,919 करोड़ रुपया राज्यों को ट्रांसफर होता है। उसके मुकाबले में सैण्ट्रल मिनिस्ट्रीज, की अगर बजटरी सपोर्ट देखी जाये, तो वह 3,91,027 करोड़ रुपये है। इसा मतलब हो हमारा अपने केन्द्रीय मंत्रालयों का आबंटन है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पन्ना लाल पुनिया: उससे कहीं ज्यादा हमने राज्य सरकारों के लिए आबंटन किया है और इसलिए इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को देना चाहूंगा। मैं बहुत छोटी-छोटी बातें बताना चाहूंगा।

हमेशा भारत सरकार ने इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात की है और उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए और विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जाता रहा है। 1989 में इन्दिरा जी ने यह स्पेशन कम्पोनेंट प्लान प्रारम्भ किया था और उसका प्रावधान भी किया जाता है कि आबादी के हिसाब से उतना बजट खर्च करना करना होग, लेकिन आज क्या हो रहा है, आबंटन दिखाया जाता है, लेकिन खर्च जनरल स्कीम्स में किया जाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा, पिछले बजट में अलग से हैड खोलने का आपने आदेश दिया, लेकिन जो गाइडलाइंस योजना की जारी की हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेंडेटरी हो कि दलित समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से योजना बने, उसके हिसाब से खर्च हो, तभी जाकर इसमें उत्थान हो सकता है, वरना इन्क्लूसिव ग्रोथ करने की बात बेमानी होगी।

दूसरे, मैं कहना चाहूंगा कि राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण कहीं पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकारों ने भी पूरा नहीं किया, केन्द्र सरकार ने भी अभी तक पूरा नहीं किया है, हमारे विशेष रूप से जो डिफाल्टर्स हैं, सैंट्रल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, हमारी बीमा कम्पनियां हैं, वे तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। जो केन्द्रीय सरकार के नियम हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये एस.सल.पी. में जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि उन पर आदेश सख़्ती से लागू हो और आरक्षण पूरा हो।

महोदय, एक-दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान प्रारंभ हुआ। बाराबंकी उन जनपदों में से एक है। लगभग 52 करोड़ रुपए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः समाप्त कीजिए। अभी बहुत से सदस्यों के सवाल हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनियाः मान्यवर, केवल आधा मिनट और लूंगा, आपकी विशेष कृपा होगी।

उपाध्यक्ष महोदयः विशेष कृपा की बात नही हैं, समय का सवाल है, अभी और सदस्य भी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनियाः ...*(व्यवधान)* हजार करोड़ रुपए बाराबंकी को आवंटित हुए, लेकिन अब आगे जितना होना चाहिए, मैं चाहूंगा कि उसमें जरूर दिया जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो कोर नेटवर्क वर्ष 2002 में बना था, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज दस वर्ष में परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्रीमती हरसिमरत कौर बादल।

अब आप बोलिए

श्री पन्ना लाल पुनियाः उसके हिसाब से नयी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनें, इसलिए आपसे विशेष गुजारिश है। देवा रोड में ओवर ब्रिज बनना चाहिए, केन्द्र सरकार उसके लिए मदद करे। घाघरा नदी पर बंधा बनने का प्रावधान है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

डॉ. जी. विवेकानन्द (पेड्डापल्ली): मैं वित्त मंत्री राजकोषीय सम्मेलन, कृषि और विनिर्माण पर ध्यान देने के साथ-साथ ही आधारिक संरचना, सामाजिक क्षेत्र और हमारे कर कानूनों में सुधार को ध्यान रखने के लिए बधाई देता है।

हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित रुकावटों के बावजूद, भी 6.8% की दर से बढ़ा:

1. यूरोपीय संकट

2. यूएस की धीमी विकास दर

3. गत वर्ष के 100 बिलियन डालर की तुलना में 140 बिलियन उच्च ईंधन तेल बिल

फिर भी, हम 250 बिलियन डालर (23% विकास) के माल का निर्यात करने, 6.8% जीडीवी विकास प्रात्र करने और गरीबी स्तर को 32% से 29% तक घटाने में सफल रहे। हमने इस वर्ष के दौरान 250 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया जिसमें 100 मिलियन टन धान और लगभग 90 मिलियन टन गेहूं था।

वित्त मंत्री ने 5 आवश्यक क्षेत्र बताए है:

(1) एक अच्छा घरेलू बाजार ताकि वैश्विक मंदी का असर हमारे देश पर ना पड़े।

(2) निजी निवेश ताकि बहुतायत में रोजगार उत्पन्न हो।

(3) कृषि का उच्च विकास ताकि गत वर्ष की भांति मुदा स्फीति का असर रोका जा सके।

(4) 200 जिलों में कुपोषण को कम करना जिससे भारत को एक स्वरूप पीढ़ी के निर्माण में मद्द मिलेगी।

(5) सरकारी कार्यक्रमों का वितरण सुधारा जाए ताकि गरीबों को अधिक से अधिक राजसहायता प्राप्त हो।

यद्यपि राजसहायता में 2% और बाद में 1.75% की गिरावट नियोजित थी, वित्त मंत्री ने बेहतर विवरण सुनिश्चित करके उच्च संसाधनों की योजना बनाई है उदाहरणार्थ, कर्नाटक में आधार कार्ड कार्यक्रम और अप्रभावी तरीके से कार्य करने और गरीबों तक कम रुपया पहुचानें के बजाय उनके खातों में प्रत्यक्ष मैट्रिक राज सहायता पहुंचाने में सरकार को मद्द मिलेगी। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूगा कि जब पैसा उनके खातों में प्रत्यक्ष रूप से जा रहा है तो बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य किया जाए।

यहां फिर से मैं वित्त मंत्री को चालू वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 5.9% रखने और आगामी वर्ष के लिए 5.1% लक्षित करने के लिए बधाई देता हूं। मेरी राय में, परिस्थितियों की परवाह किए बगैर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के लिए एक आदर्श संख्या नहीं हो सकती। यह उस वातावरण पर निर्भर करता है जिससे अर्थव्यवस्था गुजर रही है। लेकिन बढ़ती तेल की कीमतों उच्च मुद्रा स्फीति जिसके कारण ब्याज दर में वृद्धि होती है, उच्च सामग्री, और उद्योग की अन्य इन्पुट लागत और आर्थिक मंदी जिसके कारण निर्यात में कमी आती है, के लिए हमें राजकोषीय लस्यों के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत के साथ अन्य देशों में उत्पन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरूप निरन्तर परेशानियों से घिरे रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों के लिए विशेषकर पिछले कुछ वर्षो से कृषि और कृषि वित्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पिछले कुछ वर्षो में की गई पहलों ने 2.5% की कृषि वृद्धि के रूप में उल्लेखनीय परिणाम दर्शाए हैं। यद्यपि यह वृद्धि 2010-11 के दौरान दर्ज 5.4% वृद्धि से कम है तथापि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह एक अच्छी वृद्धि है। कम वर्षा के बाबजूद 100 मिलियन टन चावल, 90 तिलियन टन गेहूं और 340 लाख कपास की गांठों का उत्पादन केवल महान भारतीय किसानों द्वारा ही संभव था।

अनियमित वर्षा के बावजूद हमारे किसानों ने 250 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया है और इसके लिए भारतीय किसानों की प्रशंसा की जानी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए श्रेष्ठ उपायों के परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है और इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र है। खाद्य मुद्रास्फीति जो फरवरी 2010 में 20.2% थी, तेजी से गिरकर मार्च 2011 में 9.4% हो गई और अन्तत: जनवरी 2012 में नकरात्मक हो गई। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके परिव्यय में 18% की वृद्धि की गई जो 17.123 करोड़ से 20.208 करोड़ हो गया। माननीय वित्त मंत्री ने पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के लिए और वर्षा आधारित क्षेत्रों में 60,000 टन दालों के संवर्धन के लिए इसके बजट को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए इनके परिणामस्वरूप गत 2 वर्षो के दौरान उत्पादन में 9 मिलियन टन की तीव्र बढ़ोतरी हुई है। कृषि ऋण को गत वर्ष लगभग 25% बढ़ोतरी के साथ 100,000 करोड़ से 5,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही, डिप सिचाई के लिए जल आवंटन से शीघ्रातिशीघ्र 300 मिलियन टन तक उत्पादन कर पाने में सहायता मिलेगी। आवास सुविधाओं के सृजन के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे किसानों को माल का भंडारण करने और बेहतर मूल्य मिलने में मद्द मिलेगी। मैं वित्त मंत्री के व्यवहार्यता अन्तराल के वित्तपोषण के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिससे खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 जो संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है, खाद्य सुरक्षा को विधिक हक के रूप में सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विद्यान है। राजसहायता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए है:

1. दिसम्बर 2012 तक कम्प्यूटरीकृत आधार प्लेटफॉर्म
2. बाल विकास सेवाएं योजना के लिए आवंटन को 58% बढ़ाकर 10,000 करोड़ से 15,850 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
3. विद्यालयों में पंजीयन, अवधारण और उपस्थिति में सुधार से उत्साहित होकर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना के लिए आवंटन 10,380 करोड़ से बढ़कर 11,937 करोड़ कर दिया गया है।
4. अनुसूचित जाति व जनजाति उप-योजनाएं: ये अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पर्याप्त समर्थन के योग्य हैं। मैं अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के आवंटन के लिए पृथक सूक्ष्म मदों के अंतर्गत योजना बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूं। एससीएसपी के आवंटन को भी 18% की खासी वृद्धि के साथ 37.113 करोड़ रुपए और टीएसपी के आवंटन में 17.6% की वृद्धि के साथ 21,710 करोड़ रुपए किया गया है। चूंकि उपर्युक्त सूक्ष्म मद के अंतर्गत व्यय को प्रदर्शित नहीं किया गया है; आवश्यकता है कि (क) इन उपयोजनाओं के लिए पृथक प्रमुख मद दिए जाएं; (ख) ये निधियां अत्यपगतनीय और अविभाज्य होनी चाहिए; और (ग) इन निधियों के प्रयोग के लिए एक नोडल एजेंसी की घोषणा की जानी चाहिए।

   अनुसूचित जातियों अननुसूचित जनजातियों से 4% माल खरीदना निवार्य बनाने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रस्तावित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) उद्यम पूंजी निधि की पांच हजार करोड़ रुपए की राशि में से 500 करोड़ रुपए की राशि से कमजोर वर्गो को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे कमजोर वर्गों को भी बाकी लोगों के बराबर आने में सहायता मिलेगी और व्यापक विकास भी होगा।

5. पेयजल और सड़क तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास: पेयजल और स्वच्छता के लिए आवंटन में 27% की वृद्धि कर इसे 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए किया गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवंटन 20% बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपए किया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटन 22% बढ़ाकर 12,040 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आवंटन को 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।
6. शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के लिए आवंटन 21.7% बढ़ाकर 25,555 करोड़ रुपए किया गया है। ब्लॉक स्तर

पर आदर्श विद्यालयों की स्थाना पर जोर दिया जा रहा है। छह हजार विद्यालयों के कुल लक्ष्य में से 2,500 विद्यालय सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत होंगे। गुणवतापटक माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटन 29% बढ़ाकर 3,124 करोड़ रुपए किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन 18,115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,822 करोड़ रुपए किया गया है। इन पहलों से हमारे असंख्य युवाओं को उचित शिक्षा मिलेगी और वे रोजगार प्राप्त करने लायक बनेंगे और आने वाले वर्षों में देश की विकास प्रक्रिया में भाग लेंगे।

रोजगार, कौशल विकास, (10,000 करोड़ रुपए) विधवा पेंशन, (200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए) निःशक्ता पेंशन के लिए अनेक अन्य उपाय किए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है।

7. आयकर छूट: मुद्रास्फीति और उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवा कर की इस वर्ष बढ़ी हुई दरों के कारण बढ़ती महंगाई के कारण वर्ष प्रति वर्ष वास्तविक आय कम होती जा रही है। लेकिन, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि छूट सीमा यदि 5 लाख रुपए नहीं की जा सके तो उसे कम से कम 3 लाख रुपए तक बढ़ाकर विशाल मध्य वर्ग की इससे आंशिक रक्षा की जाए। यह मेरा सुविचारित मत है कि राजकोष को होने वाली हानि की पूर्ति हमारे लोगों की बचत संभावना और क्रम शक्ति से बड़ी असानी से हो जाएगी जिससे विकास पर भी एकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नागरिकों को उनकी कार्यशील आयु के पश्चात सहायता उपलब्ध कराना। सरकारी कमचारियों को पेंशन दी जाती है जो जीवनयापन सूचकांक के आधार पर उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। इसके अलावा, इस संबंध में उनकी कार्यशील आयु के दौरान प्रति वर्ष दिए जाने वाले किसी भी मत पर कोई कर नहीं है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की विशाल और हमेशा बढ़ रही अनसंख्या को यह लाभ प्रगत नहीं है। इसलिए, वे अधिवार्षिता निधि का सृजन करते हैं जिसमें वे अधिवार्षिता निधि का सृजन करते हैं जिसमें उनके नियोजक इनके कार्यशील जीवन के दौरान अंशदान देते हैं जो कि उनकी कार्यशील आयु के पश्चात वार्षिक वृत्ति के रूप में पेंशन देने के लिए उपलब्ध रहेगी। कुछ वर्षों बाद यदि ब्याज दरें कम हो जाएं तो ये वार्षिक वृत्ति भी उत्तरोत्तर कम हो जाएगी जबकि बढ़ती महंगाई उनकी वार्षिक वृत्ति के वास्तविक मूल्य को समाप्त कर देगी। वर्तमान में, एक लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक अधिवार्षिता पर कर लगाया जाता है। यदि इस पर छूट दे दी जाए तो इससे इन नागरिकों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान उन्हें उपलब्ध पेंशन को बढ़ाकर बेहतर सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा और उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे निजी क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलेगी और विकास दर बढ़ाने में मद्द मिलेगी।

हम सभी जानते हैं कि आज विश्व में, विशेषकर भारत के लिए कोयला कितना महत्वपूर्ण और अपर्याप्त है। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करता हूं जिसमें उनेक कोयला खानें हैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 30% खान मजदूर हैं।

यदि आयकर अधिनियम के नियम रख के साथ धारा 10(14) के अधीन भूमिगत क्षेत्र की छूट को कोयला खनिकों के लिए 800 रुपए (प्रति वर्ष 9,600 रुपए) से बढ़ाकर 1750 रुपए प्रति माह (प्रतिवर्ष 21,000 रुपए) किया जाता है तो इससे कोयला खनिकों की कठिनाइयों को दूर करने में बहुत मद्द मिलेगी। यह अधिक लोगों को खानों में काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा एवं इससे कोयले का उत्पादन बढ़ेगा जो उत्पादन को 500 मिलीयन टन तक बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है जिससे वर्तमान में व्याप्त विद्युत की कमी को दूर करने में मद्द मिलेगी।

वर्ष 2025 तक हमारी विश्व में अद्वितीय स्थिति होगी जिसमें हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग कार्यशील आयु वर्ग में होगा। यदि हम अभी से ही समुचित योजनाबद्ध तरीके से काम करे तो इससे हमें उस समय तक विकसित देश बन पाने का अवसर भी मिलेगा। हमें इस युवा पीढ़ी के हितों का ध्यान रखने की समुचित योजना बनानी है ताकि वे हमारे देश के लिए एक बहुमूल्य परिसपत्ति बन सके। हमें न केवल उनके पालन पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनके रोजगार के अवसरों के लिए भी पहल करनी है एवं उन्हें सही शिक्षा तथा कौशल विकास के माध्यम से रोजगार योजना बनाने के लिए भी पहल करनी होगी।

8. अवसंरचना और उद्योग: बारहवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र से 50 प्रतिशत सहित 50 लाख करोड़ का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर दिए जा रहे समुचित ध्यान को दर्शाता है। इन निवेशों से वृद्धि दर

बढ़ेगी एवं अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वित्त मंत्री ने मध्यम लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उद्यम पूंजी निधि के रूप में 5000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। एसएसडी से सरकारी खरीद का 20 प्रतिशत होना है।

विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन आपूर्ति बाधाओं का समाधान ऐसे विद्युत संयंत्रों से के साथ ईंधन आपूर्ति समझोंते पर हस्ताक्षर करने की सलाह को इंडिया लि. को देकर करने की कोशिश की गयी है जिन्होंने ऐसे दीर्घावधि विद्युत खरीद समझौते किए हैं जो मार्च 2015 के पूर्व चाल हो जाएंगे। इसे दिया गया महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए अन्तर्मंत्रालीय समूह गठित किया जा रहा है। ई सी बी को वर्तमान विद्युत परियोजनाओं के रुपये में ऋण के आंशिक वित्त पोषण करने की भी अनुमति दी जा रही है और इस प्रकार और अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

9. सड़क एवं नागर विमानन: वर्ष 2011-12 के दौरान 7300 किमी लंबी सड़क परियोजनाएं संविदाएं प्रदान की गईं। है जो पिछले वर्ष से 44 प्रतिशत अधिक है। अगले वर्ष के लिए 8000 किमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो बढ़े हुए आधार से 10 प्रतिशत अधिक है। इससे परिवहन संबंधी बाधाएं बहुत हद तक कम होने की आशा है। आवंटन बढ़ाकर 25,360 करोड़ रुपये किया गया है जो 14 प्रतिशत अधिक है।

10. उर्वरक: यूरिया के लिए मूल्यन एवं निवेश नीति को अंतिम रूप दिया गया है ताकि आयात पर हमारी निर्भरता कम हो सके एवं हम अगले 5 वर्ष में यूरिया निर्माण में आत्म निर्भर हो सकें। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय उप समिति ने गैस का आबंटन करके भारतीय उर्वरक निगम (जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है) को पुन: संचालित करने की अनुमति दी है एवं इस परियोजना को तेजी से लागू करने से यूरिया के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।

11. काला धन: पूर्व की पारंपरिक काफी योजनाओं जो लोगों को काला धन जमा करने के लिए साहस ही प्रदान करती है, करने के लिए साहस ही प्रदान करती है, के विपरीत हमारे माननीय वित्त मंत्री इसका जड़ से नाश करने के लिए व्यवस्थित समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं जो विगत से महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रस्थान है। इस समस्या से निबटने के लिए पिछले वर्ष घोषित उनकी 5 स्तरीय रणनीति प्रशंसनीय है जो उनकी दृष्टि एवं दीर्घावधि व्यवस्थित योजना को दर्शाता है। इस कुरीति को हतोत्साहित करने के लिए किसी समुचित साइट पर व्यक्तियों के नाम एवं उनसे वसूल किए गए काले धन को प्रकाशित करना समुचित हो सकता है। इससे संबंधित प्रगति 82 दोहरे कराधान परिहार समझौतों, 17 कर सूचना आदान प्रदान समझोतों के रूप में प्रशसनीय है। इस तथ्य से परिणाम देखे जा सकते हैं कि विदेश में भारतीयों के बैंक खातों एवं परिसंपत्तियों के बारे में सूचना आनी प्रारंभ हो गयी है तथा अभियोजन किसी भी समय शीघ्र प्रारंभ हो सकता है।

12. तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में कृष्णा और गोदावरी नदियों के प्रवाह की लम्बाई का 70% हिस्सा आता है। इन नदियों पर परियोजनाओं की असमुचित नियोजन के कारण तेलंगाना में जल उपयोक्ता मात्र 22 प्रतिशत हैं।

इस सम्मानित सभा के 7 बार सदस्य रहे। मेरे पिता श्री जी वेंकटस्वामी द्वारा परिकल्पित प्रनहिता चेवल्ला परियोजना से यह तेंलंगाना की सुनिश्चित होगा कि 17 लाख एकड़ बंजर भूमि की सिंचाई हो सकेंगी। मैं इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का अनुरोध करता हूं। पिछले अनेक वर्षों के दौरान तेलंगाना में विकास भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तेलंगाना के लोग सरकार में शामिल नहीं हैं। तेलंगाना क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक पृथक राज्य बनने लायक है। श्री कृष्ण आयोग ने भी इस बात की पुष्टि की है। जनता भी पृथक राज्य के पक्ष में बहुत ही प्रबल इच्छा है। इसलिए, तेलंगाना की जनता पृथक राज्य के गठन की प्रतीक्षा कर रही है। और उसे आशा है कि इस मांग की स्वीकार कर लिया जाएगा।

श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधान मंत्री मनमोहन जी, हमारे युवा नेता श्री राहुल जी माननीय वित्त मंत्री जो, श्री प्रणब मुखर्जी जी के प्रगतिशील नेतृत्व और कृत संकल्पित तथा देश भक्त मंत्रियों, पेशवरों तथा ऊर्जा स्तियों के समर्थन से पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है और हल और जमा गौरव प्राप्त करने के बहुत करीब हैं तथा जल्दी ही विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री को ऐसा अनोखा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं, जिसे राजकोषीय संमकन के उद्देश्य से केवल सुधारोनमी बजट, दिवासोन्मुखी बजट संवर्धनोन्मुखी बजट कहा जा सकता है, बल्कि आम आदमी और युवा भारतीयों का बजट भी कहा जा सकता है।

[हिन्दी]

***श्री नवीन जिन्दल** (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं। आज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विश्व की आर्थिक व्यवस्था को मंदी की सुनामी ने घेर रखा है, इन विषम परिस्थितियों में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक अच्छा और संतुलित बजट पेश किया है, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। माननीय श्री मुखर्जी एक सुयोग्य प्रशासक तथा परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, जिसका प्रमाण है यह संतुलित बजट। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, जो स्वयं एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयासों से सदन के समुख विचाराधीन है।

आम बजट से देश के प्रत्येक व्यक्ति की आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी रहती हैं। यह भी देखा गया है कि मीडिया भी बजट पेश होने से पहले उसके विभिन्न पहलुओं पर हर प्रकार का विवेचन करती हैं। यह भी एक सच्चाई है कि बजट का काम केवल संसद में पेश या पास होने पर ही समाप्त नहीं हो जाता, परंतु सारा साल वितीय प्रबंधन चलता रहता हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के प्रारंभ में शेक्सपियर को कोट किया था कि "मुझे सदय होने के लिए निर्दय होना ही होगा।" अच्छे परिणाम के लिए कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। यहां पर मैं मेरे वरिष्ठ साथी श्री संजय निरूपम जी की बात से सहमत हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि देश की तथा विश्व की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री जी ने ऐसी कठोरता का कोई काम नहीं किया है, जो वे कर सकते थे।

इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन को यह जानकारी दे दी थी कि देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर जो 2010-11 में 8.4% थी वह वर्ष 2011-12 में घटकर 6.9% हो गई है। विकास दर में हुई यह कमी विश्व में फैली हुई आर्थिक मंदी के कारण है। परंतु इसके बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वित्त मंत्री जी ने यह भी आशा दिलाई है कि वर्ष 2012-13 में विकास दर 7.6% रहेगी जो चीन की अनुमानित 7.5% से अधिक है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यू.पी.ए. के 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान औसत जीडीपी विकास दर 8% से अधिक रही, जबकि एन.डी.ए. के कार्यकाल में यही औसत केवल 5.8% थी। यह सतत विकास माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी के मार्ग निर्देशन तथा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में विकास दर 10% से अधिक भी हो सकती है, अगर हम सब एकजुट होकर काम करें

वर्ष 2011-12 में आशा की गई थी कि वितीय घाटा जीडीपी का 4.6% रहेगा, परंतु यह 4.12 लाख करोड़ से बढ़कर 5.22 लाख करोड़ यानी 5.9% हो गया है। इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण खाद्य, उर्वरक व पैट्रोलियम पदार्थों में दी जाने वाली सब्सिडी में 44 हजार करोड़ से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़े हुए वितीय घाटे का लगभग 40% है। यह आशा की गई थी कि कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल रहेगी, परंतु यह कीमत बढ़कर 115 डॉलर प्रति बैरल रही। आर्थिक मंदी के कारण कर वसूली की दर भी काफी मात्रा में कम रही, जिससे वितीय घाटा और बढ़ा।

हमारा देश विशाल है और इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

* किसान को उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी आवश्यक है।
* आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए सब्सिडी की आवश्यकता है।
* ईंधन की कीमतें भी एक सामान्य स्तर पर रखने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विभिन्न वस्तुओं पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता देश की वितीय व्यवस्था के संतुलन को खराब न करें और हमारे देश में भी पाश्चात्य देशों जैसा आर्थिक संकट न झेलना पड़े। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस विषय पर कहा है कि आने वाले तीन वर्षों में दी जाने वाली सब्सिडी जीडीपी की 24% से घटाकर 1.75% कर दी जाएगी उन्होंने इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का विवरण भी दिया है।

वित्तीय सहायता बांटने के लिए टैक्नोलॉजी का सहारा लिया जाना अति आवश्यक है, जिससे दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के हाथ मे पहुंचे ताकि उसका उचित इस्तेमाल हो सके।

इस वर्ष के बजट में मोबाईल बेसड प्लेटफार्म बनाए जाने की घोषणा की है, जिससे 12 करोड़ किसानों को उर्वरक के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके हाथ में पहुंच सकेगी। देश के विभिन्न शहरों में लाभार्थियों को सीधी सब्सिडी पहुंचाने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन पायलेट प्रोजेक्टों को और भी शहरों में चलाना चाहिए।

मैंने अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक सर्वे कराया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि लोग भी चाहते हैं कि सब्सिडी सीधे उन्हें ही मिले। 'आधार' तथा अन्य 'स्मार्टकार्ड' दिए जाने से यह आर्थिक सहायता जरूरतमंद लोगों को सीधे दी जा सकेगी।

खाद्य सुरक्षा

पिछली लोक सभा में मैंने व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना विषय पर एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा था, जिसमें सरकार से यह निवेदन किया गया था कि ऐसे प्रयास किए जाएं, जिससे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। भूखमरी और कुपोषण एक अभिशाप है।

बच्चों में कुपोषण के दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को पौष्टिक आहार दें।

श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित जी द्वारा यूनाइटेड नेशन के सामने दिए गए भाषण में कहा था कि वैसे लोगों के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह समय की मांग है कि हर भारतीय नागरिक को भरपूर तथा पौष्टिक भोजन मिले। इन्हीं उद्देश्यों तथा आम आदमी को दिए गए अपने वचन को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार ने पिछले सत्र में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह बिल संसद की स्थायी समिति के समक्ष विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बिल के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जरूरी धन आवंटन करने का विश्वास दिया है।

इससे हमारी सरकार की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की गरीबों के प्रति चिंता तथा देश से भूखमरी मिटाने के संकल्प का पता चलता है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से इस मानवीय उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग देने के लिए आह्वान करता हूं।

कृषि

कृषि के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। इस वर्ष अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, जो 2 करोड़ 50 लाख टन से भी अधिक है। जिसके लिए हमारे देश के किसान बधाई के पात्र हैं।

इस बजट में कृषि क्षेत्र को कम ब्याज दर पर दिए जाने वाले कर्ज की रकम को 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर वर्ष 2012-13 के लिए 5.75 लाख करोड़ कर दिया गया हैं। इससे निश्चय ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज किसान भाई केवल कर्जा नहीं चाहता बल्कि वह चाहता है कि उसे समय पर खाद मिले, बीज मिल, उचित भंडारण की व्यवस्था मिले तथा उसके द्वारा पैदा किए हुए खाद्य पदार्थों का उचित मूल्य मिले।

माननीय वित्त मंत्री जी ने समय पर लौटा दिए जाने वाले ऋण पर 3% की छूट का प्रावधान किया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत अब स्मार्टकार्ड भी दिए जाएंगे, जिनका उपयोग तुरंत ए.टी.एम. से पैसे निकलवाने के लिए किया जा सकेगा।

कृषि की एलोकेशन 18% बढ़ाई गई है। .....

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन प्रयासों के द्वारा भारत में कृषि की विकास दर आने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी।

शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान अथवा शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने वाले बजट में क्रमशः 21.7% तथा 29% की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 7 वर्षों में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट में दी जाने वाली राशि तीन गुणा हो गई है और प्रत्येक बच्चे पर किए जाने वाले खर्च की राशि पिछले दो वर्षों में दोगुनी हो गई है। फलस्वरूप स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है और जल्द ही देश में रहने वाला हर बच्चा शिक्षा पा सकेगा।

अब हमारा सारा ध्यान दी जाने वाली शिक्षा की गुणवता पर केन्द्रीत होना चाहिए। जिसमें अध्यापकों की अहम भूमिका है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद को दिए अपने अभिभाषण में अध्यापकों को समय-समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने के लिए जोर डाला था। मेरा विश्वास है कि अध्यापकों की कार्यकुशलता पर इससे काफी अच्छा असर पड़ेगा, परंतु अध्यापकों को उतरदायी बनाने के लिए निश्चित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब प्रयासों के द्वारा शिक्षा का स्तर और उंचा उठ सकेगा।

पानी एवं सफाई व्यवस्था

हमारे देश के 70% ग्रामीण घरों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं हैं और अभी भी 67% लोग खुले स्थानों पर शौच के लिए जाते हैं। यह एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार स्वच्छ पीने के पानी की भी समस्या है। केवल 18% ग्रामीण घरों में स्वच्छ पानी मिलता है और बहुत से गांवों में रहने वाली जनता दूषित पानी पीती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए तथा सफाई के लिए बजट में 27% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र के कुरुक्षेत्र जिले में 31 मार्च 2012 तक खुले में शौच जाने की मजबूरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

हरियाणा में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला यह पहला जिला होगा।

नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की महानत का ज्ञान इस बात से होता है कि वह अपने कमजोर तबके के लोगों का किस तरह रख-रखाव करता है।

नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत बजट में दी गई राशि 37% बढ़ा दी गई है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन स्कीम के अंतर्गत तथा इंदिरा गांधी विकलांगता पैंशन स्कीम के अंतर्गत राशि बढ़ाकर 200 रु. से 300 रु. कर दी गई है। किसी परिवार के एक ही कमाने वाले व्यक्ति की दुखद मृत्यु के बाद बी.पी.एल. परिवार को दी जाने वाली राशि भी 10000 रुपए से बढ़ाकर 20000 रुपए कर दी गई है।

इस विषय में मेरे दो सुझाव हैं। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राज्य सरकारों के सहयोग से कम से कम 1000 रु. प्रति माह कर दी जानी चाहिए। मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों से प्रभावित बच्चों के रख-रखाव के लिए उनके मां-बाप के लिए भी पेंशन का प्रावधान करने की आवश्यकता हैं।

खेल-कूद

मैं एक शूटिंग तथा पोलो का खिलाड़ी हूं तथा विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग ले चुका हूं। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि इस वर्ष यूथ अफेयर और स्पोर्ट मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान केवल 30 करोड़ रुपए ही बढ़ाया गया है। मैं हरियाणा से हूं और मुझे इस बात का वर्ग है कि हरियाणा प्रदेश से ओलंम्पिक तथा राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने खेल की विभिन्न विधाओं में उच्च कोटि के खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। मेरा सुझाव है कि इसी वर्ष होने वाले ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए खेल तथा खिलाड़ियों को बेहतर साधन व सुविधाएं दी जाएं।

आने वाले दिनों में भी खेल-खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन मिले ताकि वे समय-समय पर होने वाले राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल समागमों में भारत का नाम रोशन कर सकें।

सरकार के साथ-साथ उद्योग जगत द्वारा भी इस विषय में आर्थिक सहायता खिलाड़ियों को दी जाने की व्यवस्था की जाए तथा कंपनियों द्वारा ओलंपिक खेलों में लगाए हुए धन पर 200% कर की छूट दी जाए। जैसे कि बजट प्रस्तावों में रिसर्च और डिवेलपमेंट पर किए जाने वाले खर्च में वेटिड डिडक्शन 200% है। मैं कार्पोरेट सैक्टर द्वारा खेलों की तरक्की पर किए जाने वाले खर्च पर दी जाने वाली इसी प्रकार की छूट की मांग करता हूं, ताकि 2016 व 2020 ओलंपिक में हम अपने खिलाड़ियों से अधिक उम्मीदें रख सकें।

डिफेंस

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था, "सेना के तीनों अंगों को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारी सेना, दुनिया की तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सेनाओं में से एक हो।"

हमारे देश की सेना की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रक्षा पर किए जाने वाले व्यय में उचित बढ़ोतरी की गई है। लगभग 80 हजार करोड़ रुपए केपिटल एक्पेंडिचर के लिए आवंटित किए गए हैं। मैं यहां पर यह कहना आवश्यक समझता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता आधुनिकरण की होनी चाहिए।

यह बड़ी खुशी का विषय है कि देश की सुरक्षा पर किसी प्रकार का समझौता किए बगैर रक्षा क्षेत्र में जितनी राशि की भी आवश्यकता होगी वह आवंटित की जाएगी। इस दिशा में आवश्यक कदम जल्द ही उठाए जाने चाहिए और रक्षा की किसी भी प्रकार की मांग को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा

2005 में शुरू किए जाने के बाद इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों लोगों को चाहे थोड़े समय के लिए ही रोजगार मिला है। यह विश्व की अपनी किस्म की एक अनूठी योजना है। वर्ष 2011-12 में 16 फरवरी 2012 तक 4 करोड़ से अधिक परिवारों ने इस योजना के अंतर्गत फायदा उठाया है। अभी इस योजना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके द्वारा अधिक समय तक रहने वाले ऐस्सेट्स बनाए जा सकेंगे। सरकार ने एम.पी.लैड. तथा मनरेगा दोनों को आपस में जोड़ दिया हैं जिसके द्वारा एम.पी.लैड. की राशि मनरेगा के उन कार्यों में खर्च की जा सके, जिसको जिला पंचायत और जिला कोर्डिनेटर ने मंजूरी दे दी है। मेरा विश्वास है कि इस योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर और अधिक लोगों को रोजगार तथा सुविधाएं मिलेंगी। फिर भी यह बहुत जरूरी है कि यह योजना सही तरीके से संचालित की जाए तथा इसका फायदा उचित लोगों को ही मिल सके।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक दूरदर्शी और संतुलित बजट है। विश्व तथा देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान

में रखते हुए तथा देश में सस्टेनेबल तथा इन्क्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, इसका यह एक अनूठा प्रयास है। हमारा उद्देश्य समृद्धि के केवल छोटे-छोटे टापू बनाना नहीं बल्कि समृद्धि के विशाल समुद्र बनाना है, जिससे हमारे देश का कोई भी वर्ग अछूता न रहे। मेरी धारणा है कि इस बजट से यू.पी.ए. सरकार के समान तथा संतुलित विकास के उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं दो अन्य महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसको मैं लगभग पिछले 5 साल से उठा रहा हूं। परंतु अभी तक उसका संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया है। अभी भी आईटीडीसी द्वारा प्रचालित ड्यूटी फ्री दुकानों पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों से भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं की जाती है।

कुछ समय पहले भारतीय मुद्रा आईटीडीसी की ड्यूटी फ्री दुकानों पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती थी। मैंने लगभग 4 वर्षों तक इस मामले के संबंध में पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक से पत्राचार किया। इसके फलस्वरूप सितंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा 5000 रुपए की भारतीय मुद्रा में भारतीयों द्वारा इन दुकानों पर सामान खरीदने की छूट मिल गई।

परंतु खेद का विषय है कि अभी भी आईटीडीसी की ड्यूटी फ्री दुकानों में विदेशियों से भारतीय मुद्रा अभी भी स्वीकार नहीं की जाती है। मैंने देखा है कि विदेशों में ऐसी ही दुकानों पर वहां की स्थानीय मुद्रा बड़ी खुशी से ली जाती है, बल्कि वस्तुओं के भाव भी स्थानीय मुद्रा में ही दिखाए जाते हैं।

प्रायः देखा जाता है कि भारत छोड़ते समय विदेशी पर्यटकों के पास थोड़ी-बहुत भारतीय मुद्रा बच जाती है, जिससे वह अपने परिचित व प्रिय व्यक्तियों के लिए कुछ यादगार चीजें व उपहार खरीदना चाहते हैं। परंतु उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि उनसे भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं की जाती, हालांकि अब भारतीयों से यह मुद्रा स्वीकार की जाने लगी है।

यह मेरा तर्कसंगत सुझाव है कि सद्भावना के प्रतीक के रूप में विदेशी पर्यटकों से ड्यूटी फ्री दुकानों पर भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाए। इससे विदेशियों के लिए सही निर्देश जाएंगे और उनका हमारे देश की मुद्रा की मजबूती और हमारे देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती के बारे में विश्वास बढ़ेगा।

मेरा पुनः वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि इस विषय पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई करके उचित निर्देश देने की कृपा करें।

कुरुक्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग

मुझे कुरुक्षेत्र से दूसरी बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह क्षेत्र न केवल भारत में बल्कि विश्व में अच्छी प्रकार से जाना जाता है। इस क्षेत्र का अपना एक धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व हैं। इसी स्थान पर योगीराज श्रीकृष्ण ने अपने समय के सबसे बड़े अर्जुन को गीता का अनूठा व अद्वितीय ज्ञान दिया था। यहां सूर्यग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ब्रह्मसरोबर में पवित्र स्नान करते हैं। देश के कौने-कौने से पिहोवा जो कुरुक्षेत्र जिले में है, आकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान आदि करते हैं। इस क्षेत्र में मां आदिशक्ति का शक्तिपीठ, छठी पातशाही गुरुद्वारा तथा महाभारत कालीन कई ऐसे ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से और अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर, सन्नेहित सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, श्री कृषिण म्यूजियम, पैनोरमा, कल्पना चावला तारामंडल तथा कई अन्य प्राचीन एवं धार्मिक मान्यता रखने वाले तीर्थ स्थान एवं मंदिर हैं, जिन्हें पयर्टन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुचारू रूप से इनके रख-रखाव की अत्याधिक आवश्यकता है।

इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह अन्य तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास और रख-रखाव के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं। उसी तरह कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्मक्षेत्र है, के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया जाए।

अंत में एक बार फिर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज): मैं ओडिशा के उस मयूरभंज जिले की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो भारत के अत्यंत गरीब और पिछड़े जनजातीय जिलों में से एक है। आजादी के बाद मेरे जिले के गरीब और पिछड़े जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास तथा इसके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया गया है। उसे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार के केन्द्रीय बजट 2012-13 में भी मेरे जिले के सर्वांगीण विकास और इसके गरीब और पिछड़े जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया गया है। जब केन्द्र सरकार अपने अनेक भाषणों में देश में जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रही है, तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार ऐसे विकास

के लिए मेरे जिले पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है। अत: मैं अपने जिले को चहुमुखी विकास हेतु इसकी कुछ प्रमुख मांगों, प्रस्तावों और आवश्यकताओं की और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के 60 से ज्यादा वर्ष बीत के बावजूद भी मेरा जिला अभी भी औद्योगिक विकास में बहुत ही पिछड़ा है। यह देखकर बहुत ही दु:ख होता है कि मेरे जिले में लौह अयस्क और अन्य खनिजों के भारी भंडार होने के बावजूद भी, कोई भी निजी निवेशक यहां कोई बज औद्योगिक एकक लगाने का इच्छुक नहीं है। इससे मेरे जिले, में विविध प्रकार की बेरोजगारी है। अतएवं मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मेरे जिले में एक उपयुक्त स्थान पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की एक बड़ी लौह और इस्पात विनिर्माण इकाई की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि कोई भी निजी निवेशक यहां बड़ी इकाई स्थापित करने इच्छुक नहीं है और मैं इस आश्य हेतु केन्द्रीय बजट 2012-13 में कम-से-कम 50 करोड़ रुपये था प्रारंभिक बजट आवंटन करने का भी अनुरोध करता हूं। मेरे जिले में इस इकाई की स्थापना होने से यहां के गरीब और पिछड़े जनजातीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा इससे जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में भी मदद मिलेगी।

इसी प्रकार आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे जिले में हर वर्ष गुणवत्तापरक आमों और अन्य फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन मेरे जिले में कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई न होने और फलों की शीघ्र नाशवान होने की प्रकृति होने के कारण इन फलों को मेरे जिले में और इसके बाहर विभिन्न पार्टियों को बहुत ही सस्ते दाम पर बेच दिया जाता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मेरे जिले में एक उपयुक्त स्थान पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपये का आरंभिक बजटीय आवंटन करने का अनुरोध करता हूं। इससे मेरे जिले में रोजगार सृजन और जनजातियों सामाजिक आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी।

मेरे जिले में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित भांडागारों की स्थापना किए जाने और अथवा अधिक संख्या में शीतागार श्रृंखला स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया केन्द्रीय बजट 2012-13 में 5 करोड़ रुपये की आरम्भिक राशि का आवंटन करें।

किन्हीं भी औद्योगिक एककों की स्थापना और सुचारू कार्यकरण मुख्यत: अवसंरचना पर निर्भर है। इसलिए विभिन्न अवसंरचनाओं जैसे सड़क, रेल, विमानपत्तन, भांडागार शीतागर श्रृंखला आदि का विकास काफी आवश्यक है।

इस अलोक में मेरे जिले से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 18 और 49 का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है और राची, विजयवाड़ा नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। जहां बनाओं चलाओं हस्तांतरण करो (बीओटी) माडल के अंतर्गत 4 लेन का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग 18 वाला बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं मेरे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के कुछ हिस्सों का उन्नयन करके 4 लेन बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद है कि मेरे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के कुछ हिस्से की स्थिति अत्यंत खराब है। राष्ट्रीय राजमार्ग में अनेक गड्ढे हैं और पुल भी अत्यंत कमजोर हैं। इससे सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा को खतरा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे मेरे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन को प्राथमिकता प्रदान करे। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन कर प्राथमिकता के आधार पर 4 लेन वाला बनाया जाए।

जहां तक रेल संपर्क का संबंध है मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे मेरे जिले में बंगरीपोसी गोरूमहीषनी नई ब्रांड गेज परियोजना को "राष्ट्रीय महत्व की परियोजना" के तौर पर आरम्भ करने पर विचार करे, क्योंकि इससे नई रेल लाइन मेरे गरीब और पिछड़े जनजातीय के लिए बहु प्रतिक्षित विकास होगा।

जहां तक विमानपत्तन का संबंध है, मुझे आपको यह सूचित करने में प्रसन्नता है कि मेरे जिले का रसगोविन्दपुर विमान से क्षेत्र (एयर फील्ड) क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया के सबसे बड़ा विमान क्षेत्र है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह विमान क्षेत्र परित्यक्त पड़ा है और नियमित विमानपतन के तौर पर इसका विकास नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया विमान क्षेत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से नियमित विमानपतन के रूप में विकसित करें। इस प्रयोजन केन्द्रीय बजट 2012-13 में 10 करोड़ रुपये की आरम्भिक राशि आबंटित की जाए।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे जनजातीय जिले में नार्थ ओडिशा विश्वविद्यालय स्थित है। इस विश्वविद्यालय को शीघ्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त मैं इस विश्वविद्यालय के अवसंरचना संबंधी विकास और इसकी उन्नति के लिए केन्द्रीय बजट 2012-13 में 5 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की मांग करता हूं।

मेरे जिले के गरीब और पिछड़े आदिवासियों को उन्नयन चिकित्सा उपचार सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे जिले में

कोई मेडिकल कालेज और अस्पताल नहीं है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों की खराब वित्तीय स्थिति उन्हें मेरे जिले से बाहर स्थित उन्नत चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में बाधक है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले के जिला मुख्यालय बडीपदा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना के लिए केन्द्रीय बजट 2012-13 में 5 करोड़ रुपये आरम्भिक बजटीय आवंटन करने अथवा केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से बडीपदा जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल करने का निवेदन करता हूं। इससे मेरे जिले के विशेषकर गरीब और पिछड़े आदिवासी लोगों तथा मेरे जिले और ओडिशा झारखंड और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी जिलों के अन्य लोगों को वहनीय दरों पर उन्नत चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी।

जैसा कि आप जानते ही होंगे मयूरभंज का द्दऊ नृत्य विश्व प्रसिद्ध है और मुझे इस बात का काफी गर्व है। द्दऊ नृत्य के प्रशिक्षण और विकास हेतु इस समय जिला मुख्यालय नारीपदा में द्दऊ नृत्य प्रतिष्ठान और अनुस्थान केन्द्र कार्यरत है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया बडीपदा में प्रस्तावित राष्ट्रीय द्दऊ नृत्य अकादमी की स्थापना करे, क्यों मयूरभंज द्दऊ नृत्य अकादमी की स्थापना करें क्योंकि मयूरभंज द्दऊ नृत्य विश्व प्रसिद्ध है और इसने विश्व में अपने लिए स्थान बनाया है। माननीय वित्त मंत्री बदीपदा स्थित द्दऊ नृत्य प्रतिष्ठान और शीघ्र केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर इसे राष्ट्रीय द्दऊ नृत्य अकादमी का दर्जा देने पर भी विचार करें और केन्द्रीय बजट 2012-13 में इस हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजटीय आवंटन करें। इसी प्रकार मैं मांग करता हूं कि द्दऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष बदीपदा में राष्ट्रीय स्तर का एक द्दऊ नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाए। इतना ही नहीं द्दऊ नृत्य के छात्रों को प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का छात्रवृत्ति भी दिया जाना चाहिए।

मुझे यह बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि मेरा जिला प्रसिद्ध झूमर लोक नृत्य का भी केन्द्र है। यह लोक नृत्य बिहार पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वो राज्यों में काफी लोकप्रिय है। इस संदर्भ में, मैं लोकप्रिय झूमर नृत्य गीत की कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगा। "मदल बजिन देबो है देश दुनिया नचिदेबो अमर मयूरभंज रे झूमर गाएं गाएं हे देश दुनिया नचिदेबो" इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि झूमर लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए मेरे जिले में रायरंगपुर में झूमर लोक नृत्य शोध केन्द्र की स्थापना की जाए।

मुझे यह बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि मेरे जिले में विश्वप्रसिद्ध यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व "सम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान" है। सिम्लीपाल के अतिरिक्त मेरे जिले में अनेक पर्यटन स्थल और केन्द्र हैं जैसे खिचिंग, हरीपुर गढ़, देवकुंड, लुलुंग, भीमकुंड, बदीपदा इत्यादि। यह सूची काफी लम्बी है। ये सभी पर्यटन स्थल और केन्द्र प्रत्येक वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे जिले के इन पर्यटक स्थलों और केन्द्रों के रखरखाव और विकास हेतु केन्द्रीय बजट 2012-13 में न्यूनतम 50 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की घोषणा करें। इसी प्रकार मैं सिम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान के रखरखाव और विकास हेतु केन्द्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कायिक निधि के साथ सिम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान विकास निधि के निर्माण की मांग भी करता हूं क्योंकि यह हमारे राष्ट्र का गौरव है।

अब, मैं केन्द्रीय बजट 2012-13 में अंतर्विष्ट वर्तमान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

यद्यपि वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त अन्य के लिए मूल आयकर ट्रस्ट सीमा को 2 लाख रुपए तक बढ़ाना एक स्वागतयोग्य कदम है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला करदाताओं जोकि वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, हेतु मूल कर सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह केन्द्र सरकार जोकि हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है की छवि के अनुरूप नहीं है। केन्द्र सरकार को अपने कार्यों में भी महिला सशक्तिकरण दर्शाना चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि महिला करदाताओं जो वरिष्ठ और अतिवरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, हेतु मूल आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 2,10,000 रुपए कर दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, मुझे यह बताते हुए दुख है कि वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों हेतु मूल आयकर छूट सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वरिष्ठ नागरिक की उम्र में स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा न्याय काफी अधिक होता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों हेतु मूल आय कर छूट सीमाओं को बढ़ाकर क्रमशः 2,70,000 रुपए और 5,30,000 रुपए किया जाए।

हमारे जैसे प्रगतिशील और कल्पाणकारी देश में सर्व समावेशी विकास के लिए अधिक आय वाले व्यक्ति को अधिक कर और कम आय वाले व्यक्ति को कम कर देना चाहिए। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुख है कि वर्ष 2012-13 के संघीय बजट में अंतविष्ट अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में गरीब और अमीर दोनों लोगों को समान रूप से कर का बोझ उठाना पड़ेगा। इससे देश के गरीब और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है इन लोगों पर अनुचित भार पड़ेगा। जहां तक कर आरोपण का संबंध है, अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में गरीब और अमीर को समान माना गया है। इस पृष्ठभूमि में मैं इसकी पुरजोर वकालत और मांग करूंगा कि गरीबों पर कम कर का

भार हो और अमीरों पर अधिक कर का बोझ हो। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उन सभी मदों से जुड़े अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि को वापस लें जिनके लिए गरीबों को अधिक कर देना होगा। इसी बीच मैं माननीय वित्त मंत्री जी को प्रस्ताव देना चाहूंगा। कि वे 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक कुल कर योग्य आय के लिए वैयक्तिक आय कर स्लैब में एक और स्लैब बनाए। इससे 10 लाख रुपए से अधिक और 60 लाख रुपए तक की कुल कर योग्य आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। उसी प्रकार, 60 लाख रुपए से अधिक कुल करयोग्य आय पर 32 प्रतिशत की थोड़ी अधिक दर से कर लगाया जाए और ऐसा करने से अमीर को थोड़ा अधिक कर देना पड़ेगा। इतना ही नहीं मेरा प्रस्ताव है कि घरेलू और विदेशी कंपनियों हेतु विद्यमान कॉरपोरेट कर में एक प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इससे राजकोष में अधिक राजस्व जमा होने में सहायता मिलेगी।

चूंकि मैं ओडिशा के मयूरभंज जिले के गरीब और पिछड़े जनजातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री यशवंत लागुरी** (क्योंझर): 2012-13 का यह बजट देश की असली तस्वीर पेश नहीं करता केवल जनता को रिझाने और भरमाने के उद्देश्य यह बजट लाया गया है एक तरफ कुछ रियायत दी तो दूसरी तरफ गई गुणा का भार डाल दिया गया। इस बजट से नई मुसीबतें आएंगी। मजदूरों के सी पी एफ की ब्याज दर को 9.5 से 8.25 प्रतिशत कर दिया। आयकर की सीमा में केवल 20,000 रुपए का इजाफा देकर मामूली राहत दी और दूसरे अन्य करों के माध्यम से इसका छः गुणा वसूल किया जाने का प्रावधान 2012-13 के बजट में है। आने वाले समय एल पी जी एवं पेटोलियम पदार्थो की कीमतों के बढ़ने के संकेत दिये जा रहे हैं इसी माह में रेलवे माल भाड़े में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में सेवा कर में 10 प्रशित से 12 प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया बलिक सेवा करों का दायरा 117 सेवाओं से बढ़ाकर 219 नये सेवा क्षेत्रों पर कर दिया है इससे नये सेवा क्षेत्र पर कर लगेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में मांग को सीमित होने से आर्थिक विकास की गति धीमी होगी।

देश में मौजूदा आर्थिक समस्याओं एवं बढ़ती महंगाई के लिए वित्त मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय कारणों को जिम्मेदार ठहराया है एवं सबसे कम 6.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि पर संतोष जताया है। इस आर्थिक वृद्धि में कृषि का अंश 2.5 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र का अंश 9.4 प्रतिशत एवं ओद्योगिक विकास 3.9 प्रतिशत है। भारतीयों का जीवन स्तर इन्हीं तीन क्षेत्रों से पड़ता है और इनकी आर्थिक वृद्धि दर्शाती है कि देश की हालत ठीक नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से सरकार की नीति एवं नीयत जिम्मेदार है। एवं इसका मुख्य कारण भारत सरकार का कुप्रबंधन है। इसी कुप्रबंधन की वजह से राजकोषीय घाटा 4.13 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था परन्तु हुआ 5.22 लाख करोड़ रुपया। और तो और उद्योग पहले से मुद्रास्फीति की मार झेल रहे हैं और उन पर नये करो का भारी बोझ लाद दिया है और यह बोझ अन्त में जाकर लोगों पर ही पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी बढ़ती महंगाई पर कहते थे कि आने वाले समय में महंगाई घटेगी, पर महंगाई कहां घटी, इसी तरह से माननीय वित्त मंत्री जी बेहतर भविष्य का भरोसा दिला रहे है पर अभी भी देश की आर्थिक वृद्धि छह प्रतिशत रह गई है एवं इसे मुद्रास्फीति से जोड़े तो यह आर्थिक वृद्धि न होकर आर्थिक कमी है जिससे हर साल देश में दो करोड़ बेरोजगार हो जाते हैं और आने वाले समय में बढ़ती महंगाई की मार से बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी।

देश में 6.9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान है जिसमें कृषि की विकास दर 2.5 है। खेद की बात हैं 6.9 सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अब तक के भारत इतिहास में सबसे कम है जिसका उत्तरदायित्व वित्त मंत्री जी को जाता है। 2.5 कृषि विकास दर बहुत ही कम है क्योंकि देश में एक तिहाई लोग अभी तक कृषि में लगे हैं और कृषि व्यवसाय ही भारत का मूल आधार है। कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाने की बात कही गई है परन्तु ऋण राशि बढ़ाने से किसान की समस्या हल नहीं होती। खेती व्यवसाय को जब तक लाभकारी नहीं बनाया जाएगा तब तक किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का आश्वासन एक बहाना एवं धोखा है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए खाद, बीज एवं सिंचाई साधनों का होना अति आवश्यक है एवं सिंचाई खर्चा भी देश में ज्यादा है।

देश में करों को बढ़ाकर घाटा पूरा करने का प्रयास किया है। देश में आज कई करोड़ मोबाईल हैं। एक मोबाईल पर 500 रुपये का रिचार्ज करने पर 440 रुपये का टाल्क टाईम मिलता है एवं 60 रुपये सेवा कर में जाते हैं। इस तरह से सरकार कितना कमा रही है, राजस्व सरकार कमाएं परन्तु राजस्व कमाने का यह मतलब नहीं है कि फिजूलखर्ची की जाये। सरकार ने खर्चा कम करने के जो उपाय किये हैं वह सब्सिडी में कमी करके पूरा करना चाहती है। इस बजट में प्रावधान है कि जीडीपी का 2 प्रतिशत सब्सिडी को लाना है। परन्तु अन्य फिजूल खर्चो को कम नहीं किया गया है। देश में कई केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम चल रहे है जिन उदेश्यों के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं वह उदेश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और इन प्रयोजित कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार के चलते आवंटित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

धनराशि का केवल 15 प्रतिशत पहुंच रहा है। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।

सरकार ने कुल मिलाकर 35 लाख करोड़ रुपये का कर्जा ले रखा है। उस पर हर साल एक लाख करोड़ से भी अधिक ब्याज जा रहा है जिस पर सरकार ने चिंता व्यक्त नहीं की ह, कहने का मतलब है कि जो ऋण हमारी सरकार ने विकास कार्यो के लिए किया है उसका समुचित उपयोग हो रहा या नहीं। आर्थिक विकास निवेश से होता है निवेश से नये उद्योग खोलते हैं और नये रोजगार पैदा होते हैं परन्तु इस बजट में निवेश का महौल बहुत ही खराब हो जाएगा जिससे भारत में निवेश की संभावना कम हो जाएगी जिससे सीधा सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ेगा। देश में बिजली एवं बुनियादी सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है एवं सरकार ने इसके लिए कई बातें कही हैं परन्तु इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा इस पर बजट में नहीं बताया गया है।

सी ए जी की एक लीक रपट में 2004 से 2009 तक बिना नीलामी के हुए कोयला ब्लाक से 10.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है जो 2 जी घोटले से छह गुणा है, परन्तु सरकार येन केन प्रकरेण इस पर कार्यवाही करने की बजाय लीपा पाती करने पर तुली हुई है इसी तरह से आयरन ओयर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति अपना कर देश के राजस्व को नुकसान पहुचाना जा रहा है, लोगों का विचार है कि इसमें सरकार की मिलीभगत थी। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर में आयरन एवं अभ्रक के विशाल भंडार होने पर एवं सेल को कच्चे माल की आपूर्ति 70% मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर से होती है। हमने सदन मे कई बार सवाल उठाया था कि क्योंझर में एक स्टील प्लांट स्थापित किया जाये इससे सरकार को उत्पादन लागत में कमी आएगी और यहां के रहने वाले आदिवासी लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इससे पिछड़े क्षेत्र के विकास के अवसर मिलेगा। परन्तु खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है इस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। उक्त प्लांट को लगाने के लिए यहां पर प्लांट लगाने की सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं सड़क है, रेल मार्ग, पानी की व्यवस्था है।

सरकार ने खनिज संबंधी नियमावली एवं भारतीय खान ब्यूरो के कार्य ऐसे हैं जो अवैध खनन कार्य को रोक नहीं सकते हैं। हालांकि खान की मंजूरी एवं उनको रियायत के अधिकार केन्द्र सरकार के पास ही है। 2007 एवं 2008 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के अंतर्गत 764 खानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें 1505 उल्लंघन पाऐ गये हैं और केवल 22 मुकदमें चलाये गये हैं और इसमें से 12 मामलों में खनन मालिकों के साथ समझौता कर लिया गया। कार्यवाही के स्थान पर समझौते किये गये इससे अवैध खनन कार्य क्या रोक पाएंगे।

देश में 8800 किलोमीटर सड़क बिछाने का उदेश्य इस बजट में है एवं 11472 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में निवेश दिये जाने का प्रावधान है एवं 1500 करोड़ रुपया नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए प्रावधान किया है ओडिशा के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग खराब है एवं खनिज पदार्थो के माल की आवाजाही में इन मार्गो का उपयोग होने से यह खराब हो गये हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के जोडा ब्लाक के अंतर्गत कालीमाटी से डेकानाल जिले के अंतर्गत कंकडाहाड तक वाया वासपल तेलवाई होते हुए मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि कोयला, लोहा एवं बाक्साईट जैसे खनिज सम्पदा से यह भरपुर इलाका है, इस इलाके में आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत बहुत पिछड़ी हुई है। औद्योगिक विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां पर माओवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एवं रोजगार के अभाव में यहां के नवयुवक माओवादी के चंगुल में आ रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को इसी बजट में शामिल किया जाये।

आदिवासी क्षेत्र में विकास के नाम पर इस बजट में कुछ भी नहीं है जो नक्सलवाद एवं माओवाद के बढ़ने का कारण हैं। वर्तमान सरकार आदिवासी लोगों को एक वस्तु के रुप में रख रही है। विभिन्न परियोजनाएं तथा कल-कारखानों की स्थापना के कारण विस्थापित आदिवासी समाज को असीम पीड़ा झेलनी पड़ रही है। सदियों से शोषित, उपेक्षित, अत्याचार एवं अन्याय से पीड़ित आदिवासी समाज अपने अस्तित्व तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए आन्दोलित है। भारत के सबसे गरीब सभी जिले प्रायः आदिवासी क्षेत्र में पड़ते हैं। भीषण गरीबी तथा बेरोजगारी असहनीय शोषण और अत्याचार से उपजे असंतोष के कारण आदिवासी युवक नक्सलवाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। लॉ एंड आर्डर का मामला समझकर सरकार नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर सकती है। नक्सलवाद से प्रभावित होने के मूल कारणों तक जाना होगा। इसके लिए आदिवासी कल्याण के कार्य करने होंगे एवं आदिवासियों को राष्ट्रीय धारा में लाना होगा। खेद की बात है कि जनजाति मामले मंत्रालय की जो जनजाति कल्याण की स्कीमों का फायदा अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं पहुंच रहा।

अंडमान एवं निकोबार के ज्वार द्वीप की तरह से आदिवासी महिलाओं को विदेशी पयर्टकों के सामने नंगा नचाया गया है। इस मामले को रफा दफा कर दिया, क्या यह आदिवासी विकास है। भारत सरकार ने जनजाति विशेषकर जंगलों में रहने वाली आदिवासी के कल्याण एवं उनकी सुविधाएं दिलाये जाने के लिए केन्द्र सरकार

ने कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चला रखी हैं परन्तु उन तक इन योजनाओं का 15 प्रतिशत का भाग भी नहीं पहुंच रहा है इस तरह से अनुसूचित जनजाति की योजनाओं में आवंटित धन का दुरुपयोग हो रहा है एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों एवं दी जा रही धनराशि का उपयोग अधिकारीगण मनमाने ढंग से कर रहे हैं। इसमें जनजाति मंत्रालय के कार्यो की समीक्षा की जाये तो तथ्य उजागर हो पाएंगे।

इस बजट में सरकार ने 11472 करोड़ रुपये करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश करने का प्रावधान किया है एवं 1500 करोड़ रुपये नक्सलवाद क्षेत्र प्रभावित में सड़कों एवं संर्पक मार्ग बनाने के लिए दिया है और 7881 करोड़ रुपये केपिटेल आउटलेट के लिए आवंटित किया है परन्तु ओडिशा की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। ओडिशा सरकार ने आदिवासियों के क्षेत्रों के विकास करने के लिए डेकानाल, जोडा वाया कंकराहाड़, तेलकुई, बासपाल, बामेबारी को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए निवेदन किया है परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। इसे लम्बित विषय बनाये जाने के कारण ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई मूल्यवान खनिजों के अपार भंडार है परन्तु राजमार्ग नहीं होने के कारण यहां पर कोई उद्योग लगने की बजाय यहां के खनिज पदार्थो को ढो कर ले जाया जाता है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित होने के कारण इन सड़कों का विकास हो सकेगा उससे इस क्षेत्र के औद्योगिककरण करने में सहायता मिलेगी जो देश के संतुलित विकास को दिशा प्रदान करेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 215 के सेक्शन पानीकुईली-रमोली का निर्माण कार्य 10 साल पूर्व स्वीकृत हो चुका है परन्तु इस पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसका कार्य शुरु क्यों नहीं हुआ है उसके क्या कारण है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति इससे इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। यह कार्य आदिवासी क्षेत्र में है और इस क्षेत्र के औधोगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उक्त सेक्शन पर कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाये और नीति के परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है नीति में परिवर्तन किया जाये। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कोलकता से मुम्बई वाया जामसेला-संभलपुर-क्योंझर होकर जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर शहर के बीच में होकर निकलता है इस मार्ग पर बड़े वाहन के यातायात रात-दिन चलते हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दिन के समय यातायात जाम हो जाता है जिससे लम्बे रुट के वाहनों एवं स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या बायपास की व्यवस्था हो जाये तो इन सब परेशानियों से निजात पाई जा सकती है।

फोरेस्ट रिजर्व लेन्ड एवं सेन्यूचूरी लेन्ड पर आदिवासी लोगों को बुनियादी सेवा उपलब्ध करवाने में जो विकास कार्य होने चाहिए वे फोरेस्ट रिजर्व एवं सेन्यूचूरी लेन्ड संबंधी कानूनों के चलते उक्त विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को 63 साल के बाद अभी तक बुनियादी सेवाएं नहीं मिल पाई हैं जिनके कारण उन्हें नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनजाति के विकास में एवं उनके कल्याण के कार्यों में जो लापरवाही एवं भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

खान संबंधी मालिकाना हक के स्थानांतरण एवं इन खानों से राजस्व प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार रायल्टी के माध्यम से धन प्राप्त करती है। राज्य सरकार को रोयल्टी दिये जाने हेतु स्टेडी ग्रुप द्वारा जो रोयल्टी की दर निर्धारित होनी चाहिए वे तीन साल में एक बार होनी चाहिए जिनका पालन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को नागरिक सुविधा के लिए कई विकास कार्य इन खान स्थलों के पास करने होते हैं। बढ़ती महंगाई से इन विकास कार्यों की लागत बढ़ रही है परन्तु रायल्टी की दरों में कई सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरा गृह राज्य ओडिशा, जिसमें कई खानें हैं उनसे जो रायल्टी प्राप्त हो रही है वह काफी साल पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार दरों से प्राप्त हो रही हैं जो बहुत ही कम है जिनसे विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। स्टडी ग्रुप द्वारा जो सलाह दी जाती है उनको नहीं माना जा रहा है उसमें कई कमियां बताई जा रही हैं। अगर उपरोक्त रायल्टी की दरें नहीं बढ़ाई गईं तो कई राज्यों में इन खानों में खनन कार्यों में दिक्कत हो सकती है। एवं माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि खानों के एवज में जो रायल्टी मिलती है इस रायल्टी में वर्तमान महंगाई के परिवेश में इस रायल्टी की दर को बढ़ाना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में काफी खानें हैं जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं परन्तु श्रम संबंधी सुविधाओं उन्हें प्राप्त नहीं हो रही हैं। सरकार ने जो योजनाएं उनके लिए बनाई हैं वह भी उनको नहीं मिल रही है। दमा एवं टी बी की बीमारी मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के खान मजदूरों में आम बात हो गई है। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र क्योझर में ईम्लाईज प्रोविडेन्ट फंड आग्रेसाईजशन के आफिस का कम्प्यूटरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है।

यह बजट महंगाई को बढ़ावा देगा एवं लोगों के जीवन में कई मुसीबतें खड़ी करेगा इसलिए मैं इस बजट का विरोध विरोध करता हूं।

***श्री नारायण सिंह अमलाबे** (राजगढ़): माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण के दौरान कहा है कि यह वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान में बाधा का वर्ष है, इसमें दुनिया के कठिन आर्थिक हालातों की सच्चाई दिखती है। लेकिन भारत के विकासशील व ताकतवर अर्थव्यवस्था की सेहत पर दुनिया की उम्मीदें टिकी हैं जिससे पता चलता है कि विश्व मंच पर हमारा भारतवर्ष आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है।

तमाम परिस्थितियों व परेशानियों में अनुशासित निर्णय लेते हुए हमारे अनुभवी, परिश्रमशील व गंभीर माननीय वित्त मंत्री प्रणब दा ने वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत करते हुए देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान भाई पर जो मेहरबानी बनाये रखी है उसके लिये मैं तहेदिल से किसान पुत्र होने की साधारण हैसियत से पुनः आदरणीय प्रणब दा को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

यूरिया के क्षेत्र में भारत की विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिये इस बजट में उठाये गये कदम वाकई सराहनीय है, और गंभीरता से कृषि क्षेत्रों की दिक्कतों को दूर करने की भी एक ईमानदार कोशिश है। इस बजट में उर्वरक नीति के बताये रास्ते पर अनुशासन से यदि चला जायें तो हम आगामी 5 सालों में उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर होकर देश के किसानों को निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि और कई सौगातें दे सकते हैं।

गांवों में बसे भारत की आत्मा, कृषि क्षेत्र है। बजट में इसे प्राथमिकता का क्षेत्र बनाये रखने के लिये मैं सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष परियोजना का खर्च 17 हजार 123 करोड़ से बढ़ाकर 20 हजार 208 करोड़ रुपये किये जाने की प्रशंसा की जाना चाहिये। यह कदम यूपीए-2 सरकार की चेयरमैन आदरणीय सोनिया जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी व उदारमना वित्त मंत्री प्रणब दा की किसानों की प्रति गहरी संवेदना को दर्शाता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास परिव्यय 7 हजार 860 करोड़ से बढ़ाकर 9 हजार 217 करोड़ रुपये किया जाना सराहनीय है। साथ ही पूर्वी भारत क्षेत्र की तरक्की के लिये भी अतिरिक्त धान उत्पादन के लिये 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना बिलकुल तार्किक है और स्वागत योग्य है।

कृषि कार्य में उत्पादकता बढ़ाने के लिये उपयुक्त प्रोद्योगिकी पर जोर देने व किसानों की दक्षता के प्रावधानों को अमल में लाने के लिये मंत्रालय से लेकर खेत तक निरन्तर जोर दिये जाने से निश्चित ही बेहतर परिणाम आएंगे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये किया जाना किसानों की जरूरत के मुताबिक है। मैं, माननीय वित्त मंत्रीजी से भविष्य में इस पर और ज्यादा रहमदिली की मांग करना चाहूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन कर उन्हें एटीएम कार्ड में बदले जाने से किसानों का तालमेल आधुनिकता से बढ़ेगा और सुविधाओं में भी और अधिक इजाफा होगा।

अन्त में, मैं, वही बात दोहराना चाहूंगा जो कि विगत 3 वर्षो से निरन्तर इस सदन में आम बजट के पश्चात अपने भाषण के दौरान कहता आ रहा हूं। इस बजट में भी 7 प्रतिशत की दर पर अल्प अवधि की दर पर अल्प अवधि कृषि ऋण जारी रखने व समय पर अदायगी होने पर 3 प्रतिशत की राहत बनाये रखने के लिये पुनः आभार व्यक्त करता हूं। सरकार ने आने वाले समय में इस मद में और अधिक उदारता के आवाहन के साथ, कठोर अनुशासन की अर्थव्यवस्था की जरूरत के समय में भी, कृषि क्षेत्र के लिये उक्त सुविधाओं को बनाये रखने और राहत देने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

***श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** (शिरडी): माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किये बजट में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन से मैं सहमत नहीं हूं। वित्त मंत्री महोदय ने जहां एक ओर आयकर में छूट देकर राहत दी है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 46 हजार करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष कर लगाकर आम जनता पर बोझ डाला है। इस से मुद्रा स्फीति की दर में बढ़ोतरी होगी परिणामी महंगाई में बढ़ोतरी होगी ओर पहले ही महंगाई की मार झेल रही देश की आम जनता की हालत और बदतर होगी।

कृषि हमारे देश के करोड़ों लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कृषि में लागत अधिक होने व आमदनी कम होने से कई से कई किसान कर्जो के बोझ से आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार ने खाद उर्वरक व पेट्रोल उत्पादा कों पर सब्सिडी कम करने का इशारा किया है। इससे उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। डीजल महंगा होगा व इन सभी का परिणाम कृषि लागत पर होगा। कृषि में लागत खर्चा भी बढ़ेगा।

सरकार को सिंचाई, उर्वरक, अच्छे बीज, कीटनाशक किसानों को उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरी हरित क्रांति को लाना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केन्द्रों को अपना काम मुस्तैदी से करना चाहिए। उन्हें किसानों को अच्छी जानकारी देना आवश्यक है।

सरकार को पावर, तेल, कोयला इत्यादि आधारभूत संरचना का उत्पादन बढ़ाना होगा। आज हम अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत तेल, 30 प्रतिशत कोयला व लगभग 40 प्रतिशत उर्वरक विदेश से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आयात कर रहे हैं। यह खेद का विषय है। क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? क्या हमारे पास कामगारों की कमी है? यह आयात क्यों किया जाता है? श्रम व आभूषण के क्षेत्र में हमारे कई कामगार कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। इस क्षेत्र पर कर लगाकर सरकार ने और अधिक बोझा बढ़ाया है। सरकार इस क्षेत्र पर एक्साईज ड्यूटी खत्म कर दे। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सरकार की आय बढ़ी है 2 लाख के ऊपर वाले व्यवहार पर 1 प्रतिशत इनकम टैक्स लगाने का जो प्रस्ताव है उसे वापस लिया जाए। सोने के आयात पर जो ड्यूटी1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत बढ़ाई है वह अधिक है। उसे 1 ही प्रतिशत रखा जाय। महोदय इन उद्योगों में 2 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जो गरीब तबके में आते हैं उन कारीगरों को ध्यान रखना चाहिए।

मेरे चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र के शिरडी के पास एक एयरपोर्ट विकास का प्रस्ताव है, मैं चाहूंगा उसे जल्द पूरा किया जाय, जिससे शिरडी जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। महाराष्ट्र में फलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, परन्तु उचित संसाधनों के अभाव में फल उत्पादक इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग से अधिक मात्रा में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाए। पिछड़े क्षेत्रों के लिए बजट में बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड को बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ने तक का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के मराठवाडा, विदर्भ व कोंकण क्षेत्रों के विकास के लिए इस फंड से सहायता प्रदान की जाय। काले धन पर सरकार एक श्वेत पत्र लाने जा रही है।

इस पत्र में हवाला मार्ग से जो राशि विदेश जाती है और वहां से पीएन नोट के सहारे एफएलएल के द्वारा फिर देश में आती है। इस का विस्तृत उल्लेख किया जाए। सरकार पीएन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा पायी? इन कारणों का भी समावेश श्वेत पत्र में किया जाय।

***श्री संजय सिंह चौहान** (बिजनौर): मैं अपनी बात का प्रारंभ इस देश के महान नेता स्व. चौधरी चरण सिंह जी के इस वाक्य से करता हूं कि "यदि राष्ट्र को सबल बनाना है तो सभी को पुरुषार्थ करना होगा"। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को इस बजट में किये गये विभिन्न प्रावधानों के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, जब विश्व की अर्थव्यवस्था भारी संकटों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बजट बनाना एक मुश्किल कार्य है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था कि सुदृढ़ में आज भी मुख्य भूमिका भारत के किसानों और मजदूरों द्वारा किया जा रहा कठिन श्रम एक महत्वपूर्ण वजह है। मैं माननीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के किसान वर्ग को सबल बनाने से ही इस देश की उन्नति संभव है। इससे पूर्व भी मैं अनेकों बार सरकार को यह बात कह चुका हूं कि कृषि कोई एक बहुत व्यवस्थित उद्योग नहीं है और किसान उसके विकास के लिए दिए गये ऋण को कृषि संबंधी व्यापार में खर्च करने के स्थान पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में खर्च कर देता है। वह इसी प्रकार ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। देश में विभिन्न स्थानों पर किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं इस तथ्य को उजागर करती है। मेरा दृढ़मत है कि यदि किसान कि आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उसे उसकी फसलों का उचित दाम देना व सूदखोरों के चुंगल से निकालना होगा। उदारहण के तौर पर मैं देश के सबसे संपन्न कृषि क्षेत्र पंजाब व हरियाणा के किसानों कि वास्तविक स्थिति को इस सदन के सम्मुख लाना चाहता हूं। वहां के किसान पूरी तरह आढ़तियों के ऋण जाल में फंसे हुए हैं।

बजट पर होनी वाली इस चर्चा के द्वारा मैं इस सदन का ध्यान भारत के भीतर पनप रहे विभिन्न दो वर्गो की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके एक हिस्से में वो पुराना गरीब आदमी हैं जिसकी स्थिति अब से 100 वर्ष पहले भी ऐसी थी जिसके पैरों में न जूते थे न दो वक्त का भोजन, वह आज भी उसी स्थिति में है। विकास से कोसो दूर उस व्यक्ति के पास आज भी अपने बच्चों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना असंभव है उसके पास न पीने का पानी है, न बीमारी के ईलाज की सुविधा है, न बिजली, न शिक्षा है, जो बाढ़ व सूखे का अब भी उसी प्रकार सामना कर रहा है। व दूसरी ओर एक नव धनाढ्य हिन्दुस्तान है जो आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद निरंतर विलासिता की ओर अग्रसर हैं।

यह हमारे समाज का विरोधाभास है कि किसान पिछले वर्ष दो लाख पचास हजार टन खाद्यान का उत्पादन कर भी आत्महत्या के मुहाने पर है। व दूसरी ओर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 70 करोड़ मोबाइल धारक भारत में मौजूद है। यह एक दुखद विडम्बना है कि इस राष्ट्र की सभी योजनाएं उस सबसे गरीब तबके को दृष्टिगत रखते हुए बनती है लेकिन उसका लाभ नव उपभोक्तावादी वर्ग उठा रहा है, अपने तर्क के पक्ष में, मैं यहां किसानों एवं गरीब आदमी को दी जाने वाली डीजल, मिट्टी के तेल की सब्सिडी का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। एक आंकड़ेनुसार भारत वर्ष की आबादी का 12% ही उस किसान वर्ग से आता है जो कृषि उपज के लिए डीजल व घर में उपयोग करने के लिए कैरोसिन का प्रयोग करता है। जबकि बकाया 88% डीजल, कैरोसीन उद्योग धधों में, महंगी कारों में, यातायात सुविधाओं सब्सिडी गरीबों के लिए कहकर न्यायसंगत साबित करने की कोशिश की जा रही है। सब्सिडी किसान, गरीब के लिए है। इस पर मेरा सुझाव है कि

हम वास्तविक गरीबों को बी.पी.एल कार्ड द्वारा व किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा चिह्नित कर उनकी आवश्यकता अनुमान अनुसार नकद उनके खातों में जमा करवा दे व उच्च धनढ्य वर्ग को मिलने वाली सब्डिसी को समाप्त कर दें। मेरा स्पष्ट मत है कि ऐसा करके हम इंडिया और भारत के फर्क को समाप्त कर सकेंगे और जो हमारा प्रथम कर्त्तव्य, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचने का होना चाहिए उसे पूरा कर सकेंगे।

मेरा यह भी मत है कि अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रहित को राजनीति से एवं सत्ता में बने रहने के उपकरण से ऊपर उठकर सोचें व लोकलुभावन नीतियों को त्यागकर वास्तविकता के कठोर धरातल पर चलने का प्रयास करें, समाज में फैले विभिन्न रोगों की दवा कड़वी तो जरूर साबित होगी लेकिन लम्बे परिप्रेक्ष्य में हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होंगे। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और देश का आधारभूत ढांचा जिसमें कुपोषण से मुक्ति, अच्छी शिक्षा, समान चिकित्सा सुविधा, अच्छी सड़कें, देश के अंतिम स्थानों तक पहुंचने वाली रेल व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विमानन सुविधा व हर हाथ को काम देने की योजना बनानी होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि इस समय विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा के उत्पादन को हम देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें।

[अनुवाद]

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल): माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने ठोस अनुभव के आधार पर एक चालाकी भरा बजट तैयार किया है। मैं इसे रिकवरी बजट कहूंगा क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था को वर्ष 2011-12 के दौरान 6.9 प्रतिशत के स्तर से वर्ष 2012-13 के दौरान जीडीपी में 7.6 प्रतिशत तक ले जाने का प्रस्ताव है।

यह बड़े संतोष की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वित्तीय हालत वैश्विक मंदी के बाद भी संभली हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि संकेतक वैश्विक संकट और उसके बाद की हालत के झटके झेल सकते हैं।

देश दोहरे अंको वाली मुदास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनायी गई मौद्रिक और राजस्व नीतियों का इसकी अर्थव्यवस्था के अन्य संघटकों पर असर पड़ा। देश अपने लक्षित विकास दर को प्राप्त नहीं कर सका। विशेषकर प्रत्यक्ष करों और विनिवेश के माध्यम से संसाधनों को जुटाने के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। जबकि दूसरी ओर उर्वरकों, खाद्य पदार्थों एवं ईंधनों पर उच्चे सब्सिडी के परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि हुई। इसी कारण राजस्व और व्यय के बीच का अंतर बढ़ा एवं इसलिए राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस प्रकार एक ओर बाह्य कारण व कम प्राप्ति तथा दूसरी ओर अधिक खर्चे ने अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रबंधन को पटरी से नीचे उतार दिया। वर्तमान बजट में इसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की गई है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के दौरान 7.6 प्रतिशत वृद्धि दर को प्राप्त करने के लक्ष्य में राजकोषीय घाटा को वर्ष 2011-12 के 5.9 प्रतिशत से घटा कर वर्ष 2012-13 में 5.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। हांलाकि अगले वर्ष अर्थात् 2012-13 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष भी है। जिसके तहत संपूर्ण पांच वर्ष अर्थात् 2012-2017 की अधिक के दौरान 10 प्रतिशत वृद्धि दर को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इतनी बड़ी वृद्धि कर को हासिल करने के किए वित्त मंत्री ने इस बजट में कतिपय कठोर निर्णय लिए हैं।

इस बजट में पांच उद्देश्यों की पहचान की गई है यथा घरेलू मांग प्रेरित विकास, निजी निवेश में उच्च वृद्धि का तीव्र पुनरुद्धार, कृषि और मुख्य अवसंरचना क्षेत्र की बाधाओं को दूर करना, कुषोषण की समस्या को दूर करना और करना, और कालाधन एवं भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करते हुए सेवा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार करना। इस बजट में इन पांच उद्देश्यों के लिए रोडमैप बनाया गया है।

इस बजट में राजकोषीय समेकन के बारे में चर्चा की गई है जिसे राजस्व व्यय के बेहतर प्रबंधन से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है ताकि आस्ति सृजन संबंधी व्यय जैसे पूंजी व्यय के लिए संसाधन जुटाया जा सके।

इन सब्सिडियों को बेहतर तरीके से लक्षित करते हुए वर्ष 2012-13 में इन्हें जीडीपी को जीडीपी के 2% तक घटाए जाने का प्रस्ताव भी है।

वित्त मंत्री ने कर संबंधी नियमों में सुधार लाने के लिए "प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक" और वस्तु और सेवा कर विधेयक" को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान विनिवेश के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव है। सरकार वर्ष 2011-12 के दौरान विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में केवल 14,000 करोड़ रुपए ही जुटा सकी।

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर की वसूली में कमी एवं विनिवेश के माध्यम से कम पूंजी जुटाने के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसे 2012-13 में दोहराया नहीं जाना चाहिए।

एफडीआई को प्रोत्साहन देकर निवेश के परिवेश को बेहतर बनाने एंव विदेशी निवेशकों में कर अनिश्चितता को दूर करने के लिए अग्रिम मूल्यन समझौता करने का विचार है। बजट में पूंजी बाजार में सुधार लाना भी शामिल है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नए कारण बनाने का प्रस्ताव है जिसमें सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय आवास बैंक लघु औद्योगिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में सुधार करने एवं तेजी लाने के लिए मजबूत अवसंरचना की आवश्यकता है जिसमें विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रेलवे, नागर विमानन और दूरसंचार शामिल हैं। मुख्यत: जल विद्युत और परमाणु स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने, मुख्यत: भूमिगत खनन के माध्यम से कोयले के उत्पादन को बढ़ाने कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने परिवहन क्षेत्र मुख्यत: रेलवे की क्षमता का समर्पित माल भाड़ा गलियारे का निर्माण कर विस्तार तुरंत करने की आवश्यकता है। इन सबके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। जिसका प्रस्ताव इस बजट में सार्वजनिक निवेश एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी करके किए जाने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री ने छूट सीमा में वृद्धि कर आयकर के भार को कम कर दिया है तथा इससे संग्रह में 4500 करोड़ रुपए की कमी आई है। नकारात्मक सूची में शामिल सेवाओं के अथवा सभी सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया है तथा इसे 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। यह थोड़ा अधिक है और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसे केवल 10 प्रतिशत रखें।

पान मसाला, गुटखा, चबाने वाले तंबाकू, अप्रसंस्कृत तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू पाउच पर भारी उत्पाद शुल्क लगाया जाए। वित्त मंत्री ने इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का उल्लेख नहीं किया है जिससे स्वास्थ संबंधी समस्याएं हो रही है तथा यह युवाओं में अधिक हो रही है।

वित्त मंत्री का 2012-13 के दौरान सेवा कर के माध्यम से 18660 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संबंधी इनके प्रस्तावों से राजकोष को 27.280 करोड़ रुपए मिलेंगे। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो एक ओर वित्त मंत्री ने 4500 करोड़ रुपए की राहत दी है जबकि दूसरी ओर उन्होंने आम जनता पर प्रत्यक्ष करों का 45940 करोड़ रुपए का बोझ लाद दिया है। इस प्रकार निवल भार 41440 करोड़ रुपए है। सरकार को हमेशा प्रत्यक्ष करों के माध्यम से संसाधन जुटाना चाहिए जिससे आम आदमी पर कम से कम भार पड़ेगा। इससे मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।

कुल मिलाकर यह अच्छा बजट है और मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती हरसिमरत कौर बादल आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): धन्यवाद, महोदय, विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी आई है, हमारे लोग इस परिवेश में आश्रय के लिए लाए और आम बजट की बाट जोह रहे हैं तथा वे राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुपरिभाषित और विकासोन्मुखी मार्ग पर ले जाने के लिए सरकार के निर्णायक निर्णय की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं।

यद्यपि मुझे अपने विकासोन्मुखी वित्त मंत्री के कौशल और ज्ञान के बारे में कोई संशय नहीं है तथापि मैं 2012-13 के प्रस्तुत किए गए बजट में योजना के अभाव एवं नीति निर्माण में उत्साह की कमी को अस्वीकार नहीं कर सकती। देश को आर्थिक वृद्धि के वित्तीय संकट में ले जाने, सार्वजनिक और निजी निवेश में प्रतिकूल मंदी, उच्च मुद्रा स्फीति और अधिक बेरोजगारी से देश को बचाने के लिए एवं ऐसे सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए जो आज आम आदमी को प्रभावित कर रहे है जैसे कि कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति , बेरोजगारी भ्रष्टाचार आदि के लिए वृद्धि संबंधी रणनीति सहित एक सुधारवादी बजट लाया जाना चाहिए था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि बजट में इनके समाधान के लिए कुछ भी नहीं है बल्कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा, प्रस्तुत किया गया लेखाओं का विवरण मात्र है।

अपराह्न 3.07 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

महोदय, यदि मैं आज आम आदमी की भावनाओं को व्यक्त करूं तो मेरे यह कथन गलत नहीं होगा। कि आज आम आदमी के प्रत्येक कार्य कलाप पर कर लगाया गया है। यदि वह कमाता है तो उस पर कर पर लगाया जाता है। यदि वह बेचता है तो उस पर कर लगाया जाता है यदि वह खरीदता है तो उस पर कर लगाया जाता है, यदि वह सड़क का उपयोग करता है तो उसे चुंगी कर का भुगतान करना होता है। यदि वह पानी का उपयोग करता है तो वह कर का भुगतान करता है। यदि वह बिजली का उपयोग करता है तो वह कर का भुगतान करता है, यदि वह बचत करता है तो वह कर का भुगतान करता है तथा यदि वह मनोरंजन

भी करने जाता है तो उसे मनोरंजन कर देना पड़ता है। यह सरकार खाने और सोने के अलावा आम आदमी के हर चीज पर कर लगाती है।

अत: यदि हम इन उत्पाद शुल्क करों शिक्षा उपकर, चुंगी, वैट एवं अन्य विभिन्न प्रकार के करों की गणना करें तो मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी अपनी कमाई के आधे का कर भुगतान कर के रूप में करता है। कमाई के बड़े हिस्से का भुगतान कर के रूप में करने के पश्चात कम से कम इस बजट से वह अम्मीद करता है कि इससे बड़ी जरूरतों का समाधान होगा जिससे मूल्य वृद्धि में कमी आएगी। हमारे युवकों और उनके बच्चों को अच्छा और वहनीय स्वास्थ्य और शिक्षा, कौशल विकास सुविधाएं, नौकरियों के अवसर देकर कृषि संबंधी संकट, किसान के मामलों का समाधान होगा, अर्थव्यवस्था और उद्योग सक्रिय होंगे और देश समृद्धि और प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। यह वही है जिसके लिए आम आदमी बजट का तरफ देखता है।

लेकिन, महोदय, मैं दुर्भाग्यवश महसूस कर रहा हूं कि सरकार इन सभी मुद्दों के समाधान में असफल रही है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वे कहते हैं कि वह पुन: कार्य कर रहे हैं, वह वादा करते हैं कि वह मूल्य कम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वह क्या करते हैं? वह सेवा कर को 10 से 12 प्रतिशत बढ़ाते हैं, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। वह कहते हैं कि गरीबी कम करने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। वह सभी गरीबी रेखा को 321 रुपये प्रति व्यक्ति आय से कम करके 261 रुपये कर रहे हैं जिसे अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम करके प्रति व्यक्ति आय क्रमश: 271 रुपये 221 रुपये कर दिया गया है। अब यह गरीबी रेखा है। इसलिए इस सभी से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार केवल गरीबी रेखा को नीचे लाने में ही रूचि रखती है, लेकिन गरीबी कम करने में नहीं। उनके लिए गरीब आदमी मतदाता मात्र है। उनके कष्टों से उनको कोई लेना-देना नहीं है।

महोदय, इसलिए मैं इस सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं चूंकि वे आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य शिक्षा जल और स्वच्छता पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इसे भी उन्होंने कम किया है सामाजिक क्षेत्र की कीमतों पर वर्ष 2011-12 के बजट का सकल घरेलू उत्पाद का व्यय 14.8 प्रतिशत से कम करके इस बजट में 14.7 प्रतिशत कर दिया है। जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए राशि वास्तव में दो गुनी होनी चाहिए जिसकी बहुत लोगों द्वारा मांग की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल विकास दर नहीं बढ़े बल्कि कर अदा करने वाले व्यक्तियों का रुपया आम आदमी, गरीब और किसान तक पहुंचे।

महोदय, मैं तीन मुख्य मुद्दे उठाना चाहती हूं। यदि हमारी जनसंख्या के 60 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं और 70 प्रतिशत भारत गांवों में निवास करता है, तब ग्रामीण समृद्धि समग्र विकास का मुख्य मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? आज जब कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ का हड्डी है और देश भयंकर कृषि संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि सरकार कृषि पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं कर रही है, इस पर पूरा खर्च किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सरकार ने आर्थिक सुधारों के नाम पर राजसहायताओं को इस सीमा तक कम किया है कि किसानों को उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते मूल्यों से परेशानी हो रही है। उर्वरक राजसहायता को 90,000 करोड़ रुपये से घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया है। पेट्रोलियम राजसहायता को 68,000 करोड़ रुपये से घटाकर 43,000 करोड़ रुपये कर दिया है। लेकिन वस्तुओं की कीमतें नामत: बीजों, खाद, मशीनरी कई गुना बढ़ गई हैं, और इसके अतिरिक्त मंत्री ने बताया पेट्रोलियम पर से राजसहायता और कम की जाएगी जिससे भविष्य में कीमतों में और भी वृद्धि हो रही है।

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: हाल ही के नौ महीनों में उर्वरक की कीमतें 80 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में डीजल की कीमतें 50 प्रतिशत बढ़ गई हैं। लेकिन हर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य मुश्किल से केवल 5 प्रतिशत गेहूं का और मुश्किल से 8 या 9 प्रतिशत चावल का बढ़ता है। इसलिए सरकार नीतियां बना रही है जो कृषि को अव्यवहार्य बनाने के लिए मजबूर कर रही हैं। आज लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार इस बात का समाधान नहीं कर रही है कि किसान कर्ज में क्यों डूब रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले को पूर्णत: अनदेखा कर रही है।

इसलिए मैं, अपने राज्य पंजाब का एक उदाहरण देना चाहती हूं हमारे पास भारत की जमीन का 2 प्रतिशत है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया, कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय: आप एक मिनट और ले लीजिए और समाप्त कीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, मुझे कम कम पांच मिनट समय चाहिए। मैं अपनी पार्टी से बोलने वाली अकेली व्यक्ति हूं। कुछ सदस्यों ने 15 मिनट बोला है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं आप मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का समय दें।

सभापति महोदयः कृपया बहस न करें, दो मिनट और ले लीजिए और समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं आपसे सुनने का अनुरोध करती हूं। मेरे राज्य के पास भारत की जमीन की 2 प्रतिशत है। हम राष्ट्र का 50 प्रतिशत खाद्यान उत्पादन करते हैं। आज, यदि पंजाब को खाद्यान उत्पादन से रोकने के लिए मजबूर किया जाता है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को भोजन देता है, तो महोदय, आप मुझे बताइए, तो हमारे देश में खाद्यानों का संकट नहीं होगा? तत्पश्चात, यदि पंजाब खाद्यान्न उत्पादन नहीं करता है, तो सरकार को अन्न आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज विश्व में हर एक सातवां व्यक्ति भारतीय है। इसलिए, यदि खाद्यान्नों का आयात किया गया तो, इससे न केवल देश में अन्न का संकट पैदा होगा, बल्कि इससे विश्व व्यापी अन्न संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए जब एक इतना छोटा राज्य जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक के विषय में बात करती है लेकिन उस राज्य की परिसंपति की बात नहीं करती जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है।

मैं इस सदन में कर्कश आवाज में बेशुमार चिल्लाई हूं कि मेरे राज्य का जलस्तर इस सीमा तक कम हो गया है कि नासा ने कहा है कि अगले 15 वर्षों में पंजाब रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगा क्योंकि हमारे पास 150 वर्ष पुरानी सिंचाई प्रणाली है और इस प्रणाली से रिसाव के कारण 30 प्रतिशत पानी की हानि हो जाती है। हम इस प्रणाली के पुनरूद्वार के लिए केवल 5000 रुपये मांग रहे हैं लेकिन यह सरकार विभिन्न योजनाओं पर मुक्तहस्त से व्यय कर सकती है, लेकिन इसके पुनरुद्धार हेतु 5000 रुपये नहीं दे सकती है जिससे राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। बैठ जाइए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय, 2008-09 में इस सरकार ने किसानों को 70,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया था। एक किसान, जो देश को करीब 50 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा देता है, लेकिन बदले में उसे महज एक प्रतिशत खाद्य सुरक्षा ही मिलती है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय, यह मेरा अंतिम और न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपको ग्रामीण खुशहाली की फिक्र है, तो महोदय, आपको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करनी होंगी, जिसके मुताबिक किसान को उसके उत्पादन की लागत और उस पर 50 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा। यदि किसान के पास पैसा है, तो उसे फिर खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वह अपना खाना खरीद सकता है और अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल दूसरी जरूरी चीजों को खरीदने में कर सकता है, जिससे अन्य उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तुओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस सूत्र को अपनाकर आप अन्य राजसहायता के अपने बोझ को क्यों नहीं घटाते तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त क्यों नहीं करते? इस मामले में, आप अपने पैसे का इस्तेमाल बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित सुविधाओं के लिए क्यों नहीं करते, जिसकी हमारे देश को जरूरत है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। आपके लिए मुझे कितनी बार समय बढ़ाना पड़ेगा?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय, मुझे अपने राज्य के अहम बिंदु उठाने के लिए सिर्फ दो मिनट चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सिर्फ एक मिनट में समाप्त कीजिए, अन्यथा मैं दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः अगर हम अपने देश के स्वास्थ्य की दशा देखें; अगर हम बुनियादी चीजों जैसे मातृत्व मृत्यु दर की ओर देखें, तो पाएंगे कि यहां यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर भी काफी अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में, हमें सिर्फ एक एम्स अस्पताल मिला है। देश की जनसंख्या तीन गुनी हो चुकी है, परंतु हमारे पास 'एम्स' जैसी सुविधाएं नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आप जो भी बोल रही हैं, उसे वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)* *

****श्री एम.के. राघवन** (कोसिकोड): मैं इस बजट को अपना समर्थन देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सभी वर्गों की समस्याओं की बात की गई है। इतना ही नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से समावेशी

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विकास की बात भी की गई है। कृषि और सेवा क्षेत्र में हमारा देश अच्छा काम कर रहा है। साथ ही, कोयला, मत्स्य पालन, सीमेंट और विद्युत के क्षेत्र में भी हमने अच्छी सफलता हासिल की है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को दिखाता है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को विभिन्न स्तरों पर विशेषकर खाद्य वस्तुओं और दवाओं के क्षेत्र में, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। वरना, अगर हम इसे रोकने में विफल रहे, तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए, माननीय रेल मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें गरीब हितैषी जीवन स्तर पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपने देश पर गर्व है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं।

[हिन्दी]

***डॉ. संजय जायसवाल** (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रणब दा का आभारी हूं कि उन्होंनें सिर्फ दो घंटे का बजटीय भाषण किया क्योंकि दो घंटे बोलने के एवज में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी एवं सर्विस टैक्स में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर आम आदमी की जेब में पीछे से हाथ डालकर 45000 करोड़ रुपये कमा लिए। अगर कहीं ये पांच-छ: घंटे भाषण करते तो गरीबों के साथ मध्यम वर्ग भी दो जून की रोटी के लिए तरस जाता। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था,

[अनुवाद]

कि यूरोप में गंभीर ऋण-संकट, मध्य पूर्व में राजनीतिक उथल पुथल, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और जापान में आए भूकंप के कारण इस वर्ष वसूली बाधित रही।

[हिन्दी]

अर्थात हम सभी भारतीयों को मंदिर-मस्जिद में जाकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस वर्ष यूरोप में कोई दिक्कत न हो, मिडिल ईस्ट में शांति रहे, जापान में भूकम्प न आए। अगर यह सब कुछ इस वर्ष नहीं होता है, तो प्रणब दा हमारे देश की तरक्की कराकर दिखा देंगे। जितनी चिंता माननीय मंत्री जी ने विदेशों की आर्थिक स्थिति के बारे में की है, उसके बदले इन्होंने अपने देश के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया होता, तो देश भी तरक्की करता और उन्हें भी वाहवाही मिलती। आपने खुद जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 25 प्रतिशत करने की बात कही है, पर आज आपकी पॉलिसी से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ तीन प्रतिशत हो गया है और पिछले महीनों में यह नेगेटिव में भी जा चुका है।

मंत्री जी ने अपने भाषण में इस वर्ष सेंट्रल सब्सिडी को 20 प्रतिशत के भीतर रखने की बात की है पर इसके लिए इन्होंने जो उपाय सुझाए हैं, वे कमाल के हैं। इन्होंने कहा है:

[अनुवाद]

1. 2012 के लिए देश भर में मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली।
2. एलपीजी में पारदर्शिता हेतु पोर्टल।
3. छह महीने के अंदर कम से कम 50 जिलों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए 'आधार' समर्थित भुगतान।
4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी राज सहायता पूर्ण रूप से प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

इन सभी चीजों से ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसकी तो उम्मीद की जा सकती है, पर गैस सिलिंडर अथवा फूड सब्सिडी ट्रांसपेरेंट हो जाने से सरकार का सब्सिडी बर्डेन कैसे कम हो जाएगा, यह बात समझ से परे है। मैं मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि ये चीजें सब्सिडी के बाद विदेशों में स्मगल हो जाती हैं, जिससे कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है। इसी प्रकार पूर्व बजट के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 का वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.6 प्रतिशत अनुमानित था, परन्तु यह अब 5.9 प्रतिशत होने की संभावना है। फिर इस साल के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत निर्धारित कर इसे फिस्कल कंसोलिडेशन का रूप देना फिस्कल कंसोलीडेशन शब्द का मजाक है।

इसी प्रकार टैक्स रिफार्म्स के रूप में जीएसटी नेटवर्क के लिए नेशनल इन्फोर्मेशन यूटीलिटी अगस्त, 2012 में आपरेशनल होने की बात कर रहे हैं, परन्तु जीएसटी कमेटी की जो अनुशंसा थी कि स्टेट जिन चीजों से रेवेन्यु जेनेरेट करती है, उस आप नेगेटिव लिस्ट में रखेंगे। उसका पालन करने के बजाए सर्विस टैक्स बढ़ा कर उनके लिए रेवेन्यु जेनेरेशन का स्कोप बंद कर दिया। यह लागू होने से राज्य सरकार की अपनी आमदनी बढ़ने की सम्भावना खत्म हो जाएगी और केन्द्र सरकार पर उनकी निर्भरता बढ़ेगी। भारतीय संविधान में निर्धारित संघीय ढांचे को तोड़ने मरोड़ने की केन्द्र सरकार की कोशिश का एक और उदाहरण है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस बजट में इनफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार के लिए काफी बातें कही गई हैं, जैसे कि प्राइवेट पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इर्रिगेशन और डैम प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर इनवेस्टमेंट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात तो समझ में आती है, परन्तु इसके साथ टेलीकोम गियर एंड टावर्स, आयल एंड गैस पाइप लाइन एंड स्टोरेज जिनका बिजनेस हिंदुस्तान के अरबपति करते हैं, उन्हें टैक्स पेयर के पैसे से वायबिलिटी गैप फंडिंग क्यों की जाएगी, यह बात समझ से परे है।

जिस इनफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी पीठ थपथपाई जा रही है, उस पर भी ठोस कदमों से परहेज करके इन्हें इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। पिछले आठ सालों में केन्द्र सरकार द्वारा गठित असंख्य इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का कामकाज देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस बजट में सुझाए गए उपायों को वास्तविक रूप में अमल में लाने के लिए थोड़ी भी गंभीर है।

इस बात की पुष्टि के लिए मैं बस एक उदाहरण देता हूं। सरकार ने वर्ष 2010 में कोयला पर 50 रुपए प्रति टन का क्लीन एनर्जी सैस लगाया और कहा कि इससे रिन्युएबल एनर्जी में काफी बढ़ोतरी लाई जाएगी, परन्तु इस सैस के अरबों रुपए से क्या काम हुआ, इसकी इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। अगर यह सरकार वाकई इस देश की तरक्की चाहती है, तो मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में अच्छी पोलिसी बनानी होगी, जिससे हम इसे वाकई जीडीपी का 35 प्रतिशत पहुंचा सकें और इसके कारण ही जो देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान हो पाएगा, क्योंकि आज भारत सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ही 86 लाख आवेदन प्रोसेस किए जाते हैं। आज देश का 83 प्रतिशत इंजीनियर बेरोजगार है, परन्तु यूपीए-2 सरकार इनफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की के नाम पर 2जी टेलीकॉम स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, सीडब्ल्यूजी स्कैम, कोल और न जोन किस-किस स्कैम की चर्चा में आ रही है और आम आदमी कहां पिस रहा है, इसे देखने की सरकार को फुर्सत नहीं है।

***श्री रमाशंकर राजभर** (सलेमपुर): भारत गांवों का देश है वहां तो और बड़ी समस्या है जहां आबादी घनत्व बहुत ज्यादा है। इसी सत्र में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह उत्तर दिया कि पिछली पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण वर्ष 2009-2010 में एन.एस.ए.ओ. द्वारा आयोजित हुए तीन सर्वेक्षणों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार जो 1999-2000 में 305.33 मिलियन था वह 2004-05 में बढ़कर 349.35 मिलियन हुआ लेकिन 2009-10 में गिरकर 340.61 मिलियन हो गया जिसका मुख्य कारण सरकार ने कृषि कार्यों में रोजगार की गिरावट के कारण हुई गिरावट को मानती है। इसी तरह से 15-29 आयु वर्ग में अनुमानित रोजगार दर 2004-2005 में 41 प्रतिशत थी वह गिरकर 2009-10 में 28.8 प्रतिशत हो गई, तथा शहरी क्षेत्रों में 2004-05 में 18.4 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 14.4 प्रतिशत हो गई। आम बजट का फोकस अवसर प्राप्ति के तरफ ज्यादा अवसर वंचित की तरफ कम है। यही हालत रही तो देश के कुछ लोग आसमान पर होंगे कुछ लोग रसातल में चले जायेंगे।

गरीबी मिटाने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, अन्तोदय अन्न योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, स्वर्ण शहरी रोजगार योजना। यह गरीबी कम करने की योजनाएं मात्र कागजों में सफल है धरातल पर सफल नहीं है। योजनाओं को संचालित करने वालों की गरीबी हट रही है गरीब की नहीं। देश में सभी वर्गों में बेरोजगार नौजवानों की फौज बढ़ी है वह निराश व हताश हैं एक तरफ कार्यों हेतु कर्मचारी नहीं है दूसरे तरफ नौजवानों की बेरोजगार फौज है। देश की आय 10,77,612 करोड़ व्यय 14,10,625 बजट में बताया जाता है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों को समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा है। गरीबी भगाने में सहायक स्वरोजगार सुअर पालन, कुक्कुट बकरी पालन, हेतु बजट नहीं रखा गया है। यह भविष्य के गर्भ में छोड़ दिया गया वित्त मंत्री जी द्वारा यह कहा गया उपयुक्त व्यवस्था होगी। इसमें मधुमक्खी पालन का जिक्र तक नहीं किया गया जबकि यह सफल कुटीर कार्य है। इसी तरह महोदय, सम्पूर्ण बजट में 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग का कहीं उल्लेख नहीं किया गया तो उनके कल्याण को भी भविष्य के गर्भ में छोड़ दिया गया, आंगनवाड़ी कार्य कर्मियों का मानदेय पिछले बजट में 3000 रुपया किया गया परन्तु आज तक उनको मानदेय नहीं मिला उनके अंदर घोर निराशा है। स्वास्थ्य ग्रामीण व गरीब को ज्योति, आशा कार्यकर्ता बनकर उभरी है। परन्तु उनको भगवान भरोसे छोड़ा गया है। उनके मानदेय देने हेतु बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। सर्वाधिक आबादी घनत्व के जिले जनपद-देवरिया व बलिया है। आज तक उसे पिछड़ा जनपद में नहीं घोषित किया गया। कारपोरेट जगत के उद्योगों को लाभान्वित करने का बजट बना परन्तु गोरखपुर खाद कारखाना चलाने का प्रयास नहीं हुआ, गोरखपुर मेडिकल कालेज व बी.एच.यू. वाराणसी को एम्स स्तर पर लाकर एम्स की आधी भीड़ कम की जा सकती है। बजट इस पर मौन है।

***श्री सुदर्शन भगत** (लोहरदगा): जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड राज्य जनजातीय बहुल प्रदेश हैं व इस प्रदेश में खनिज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संपदा के अकूत भंडार हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह राज्य संपन्न है तथा ऐतिहासिक धरोहरों व धार्मिक स्थलों की दृष्टि से भी इस प्रदेश का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां के लोग बहुत ही परिश्रमी व साहसी हैं, यहां कृषि, वन उत्पादों व कुटीर उद्योगों की प्रधानता है। इस प्रदेश की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की दृष्टि से भी देशभर में एक अलग पहचान है।

इन सभी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ तो बहुत हैं, पर खनिज आधारित उद्योग नहीं, गत दिनों में इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए भी कोई को ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे। हर वर्ष सूखा और अकाल झेल रहे इन क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल और खाद्य भंडारण के लिए कोई नीति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाई गयी। इन क्षेत्रों के लोगों में पशुपालन का विशेष प्रचलन है अत: डेयरी विकास की असीम संभावनाएं भी यहां पर हैं। इस क्षेत्र में वनों व वनस्पति की अधिकता होने के बावजूद भी यहां वन आधारित उद्योगों का अभाव है यहां पर दुर्लभ जड़ी-बूटियां पायी जाती हैं जिनका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। यहां से उत्पन्न खनिज पदार्थों से वस्तु निर्माण सम्बन्धी कल-कारखानें अन्य प्रान्तों में लगाये जा रहे हैं। जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है तथा सम्बन्धित कल-कारखानें अन्य प्रान्तों में लगाये जा रहे हैं। जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है तथा सम्बन्धित प्रदेशों को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। जनजातीय क्षेत्र शिक्षा के अभाव में विशेषकर तकनीकी व रोजगार परक शिक्षा न होने के कारण बड़ी संख्या में युवक दिशाहीन हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों सहित कोयले की कोई कमी नहीं है परन्तु फिर भी बिजली की भारी कमी से ये क्षेत्र जूझ रहे हैं, जिसका सीधा असर इन क्षेत्रों की कृषि व उद्योग-धंधों पर पड़ता है।

इसी कारण आज झारखंड राज्य सहित देश के लगभग सभी जनजाति बहुल क्षेत्रों से लोग देश के महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। देश के लगभग सभी प्रांतों में इन क्षेत्रों के लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं इसमें महिलाएं व पुरुष दोनों सम्मिलित हैं विशेषकर युवावर्ग तथा जिनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार की घटनाएं भी आज आम हो गई हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों, संसाधनों के अभाव के कारण ही यहां के लोग विशेषकर युवा आज असमाजिक गतिविधियों व उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा उठाई गई उपरोक्त सभी समस्याओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृपया जनहित में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित मुद्दों को आम-बजट में सम्मिलित कर उनके समाधान की योजना बनाई जाए।

शिक्षा—नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सकीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि सभी प्रकार की रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

कृषि—कृषि क्षेत्र में विशेषकर सिंचाई पर अधिक ध्यान देते हुए आवश्यकता है जैसे-लघु सिंचाई प्रोजेक्ट तैयार करना, तालाबों का निर्माण करवाना, जल भंडारण हेतु व्यवस्था करवाना, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अनाज मंडी के रूप में सरकारी क्रय-विक्रय केन्द्रों का निर्माण करवाने सहित इन क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वृहत कार्य योजना बनायी जानी चाहिए।

उद्योग—जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग-धंधों के विकास के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, विशेषकर वन और खनिज उत्पादों से सम्बन्धित उद्योगों के निर्माण किया जाना।

बिजली—इन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता अधिक हो सके इसके लिए कार्य योजना बनाना जिससे कि यहां के उद्योगों, शिक्षण संस्थानों व यहां की कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

स्वास्थ्य—जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के लिए देश के महानगरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो कि यहां के लोगों के लिए बहुत ही खर्चीला व पहुंच से बहुत दूर भी है।

***श्रीमती कमला देवी पटले** (जांजगीर-चम्पा): महंगाई की मार झेल रही जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, जनता को उम्मीदें थी कि इस बार के बजट में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जायेगा, लेकिन यह बजट निराशाजनक प्रगति विरोधी विकास विरोधी भीषण महंगाई बढ़ाने वाला है, यह आम आदमी का बजट नहीं है। सरकार देश से गरीबी हटाना चाहती है या गरीबों को? इस बजट में न तो योजनाओं का दायित्व है, न ही कार्यक्रम, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों किसानों और न ही मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की कोशिश की गई है।

सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के साथ ही खाने-पीने, घूमने फिरने की चीजों पर टैक्स की बढ़ोत्तरी से आम आदमी को राहत के बजाय उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है, जिन मामलों में सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए, उन्हें छोड़कर भारत के एक अरब जनता की दैनिक उपयोग की चीजों, आवश्यकताओं, जरूरतों में वित्त मंत्री जी ने डाका डाला है। सर्राफा व्यवसाय में एक्साइज ड्यूटी लगने से छोटे मझौले एवं निम्न आय वर्ग के कारीगरों के समक्ष जीवकोपार्जन का संकट उत्पन्न हो जाएगा।

बजट ने कर्मचारियों को हताश किया है, इनकी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती कर इन्हें निराश किया है। छठवें वेतनमान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के बाद कर्मचारियों की सैलरी काफी ज्यादा हो चुकी है ऐसी स्थिति में आयकर की सीमा मामूली बढ़ाते हुए दो लाख की गई है, जिसे पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री माननीय यशवन्त सिन्हा जी की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति के सिफारिश अनुसार 3 लाख की जानी चाहिए।

विद्यार्थियों की पढ़ाई लोन ब्याज मुक्त होना चाहिए, स्कूल शिक्षा के लिए और अधिक राशि का प्रावधान बजट में होना चाहिए। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एवं प्राइवेट सेक्टर जाब में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

सीमेन्ट और स्टील की कीमतों में बढ़ोत्तरी से बांध बनाने का क्षेत्र बर्बाद होगा, गरीबों और मध्यम वर्ग का घर का सपना लुट जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, केवल बड़े कार्पोरेट हाउस और बिल्डर को ही बढ़ावा मिलेगा।

देश में 70 प्रतिशत जनता खेती से जुड़ी है। बजट में कृषि ऋणों पर ब्याज दर 7 प्रतिशत रखी गई है तथा समय पर अदायगी करने वालों की 3 प्रतिशत रियायत अर्थात छूट दी जायेगी, उसे 4 प्रतिशत पर ऋण मिलेगा। हमारी मांग है कि इसे कम करके 1 प्रतिशत किया जाय क्योंकि आज किसान ब्याज की ऊंची दर के साथ ही मूल राशि भी समय पर अदा करने में असमर्थ हैं। मैं इस विषय में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपने राज्य में किसानों को स्वयं के संसाधनों से 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर खेती के लिए ऋण सुविधा दे रखी है। मेरे विचार से कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा करने से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। हमें किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की तरह कृषि से संबंधित अलग से बजट प्रस्तुत करना चाहिए।

इस बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ भी नहीं दिया गया है। वर्तमान में राज्य नक्सलवाद से ग्रसित है, इस पर नियंत्रण करते हुए सरकार को पर्याप्त मात्रा में स्पेशल आर्थिक पैकेज देकर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यहां पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, फिर भी प्रदेश में गरीबी एवं निरक्षरता है। यहां के एक मात्र स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसके लिए नया टर्मिनल बनकर तैयार भी हो गया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिला जांजगीर चांपा पावर हब बनने जा रही है लेकिन आज तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, प्रधान डाकघर नहीं है जबकि शासन के न्यूनतम 20 उप-डाकघर के विरुद्ध यहां 36 उपडाकघर संचालित है। बी आर जी एफ योजना लागू नहीं है। मैं सरकार से यहां मेडिकल कालेज एवं इंजिनियरिंग कालेज की मांग करती हूं, शहर के बीच से निकलने वाली नेशनल हाईवे 49 शहर जांजगीर नैला, बाराद्वारा एवं सक्ती के लिए बायपास मार्ग रायपुर से ओडिशा बारास्ता बलौदाबाजार, सरसींवा राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन करने अनुरोध करती हूं। प्रदेश की एक मात्र क्रोकोडायल पार्क कोटमीसोनार को राष्ट्रीय पार्क के रूप में विकसित करने हेतु बजट में शामिल करने की मांग करती हूं।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस साल इस देश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत पर जाएगा। चालू वर्ष में यह राजकोषीय घाटा, इस सदन को आश्वासन था कि 4.6 प्रतिशत रहेगा, लेकिन वह बढ़कर 5.9 प्रतिशत रहा। हमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2012-13 में 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहेगा। चालू वर्ष की जो स्थिति है इस वर्ष राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत से ऊपर जाएगा। इस साल योजना व्यय में 80 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस राष्ट्र को आश्वस्त किया है कि हमने योजना व्यय अधिक बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जब हम योजना व्यय की तरफ निगाह डालते हैं तो 80 हजार करोड़ रुपये में से 74 हजार करोड़ रुपये रिवैन्यू एक्सपैंडीचर है। यदि योजना के नाम पर रिवैन्यू एक्सपैंडीचर की बढ़ता जाएगा तो इस राष्ट्र में योजनाएं सही तरीके से नहीं चल पाएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम वर्ष 2011-12 के बजट पर निगाह डालते हैं तो जहां गैर-योजना व्यय में बढ़ोतरी हुई है, वहां योजना व्यय में 15 हजार करोड़ रुपये की कटौती हुई है। इसका मतलब शायद यह सिलसिला आगे भी चलेगा। वर्ष 2011-12 में योजना व्यय में जो कटौती की गई है, उसके प्रमुख सैक्टर्स हैं। कृषि में 800 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन पर 2500 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 300 करोड़ रुपये की कटौती हुई है और जिस विद्युत पर आज जहां देश के गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, वहां लोगों के जो कमिटमैंट था, उसमें 4 हजार करोड़ रुपये की कटौती की गई है। ग्रामीण विकास जिसमें हम गांव में रहने वाले लोगों को आश्वस्त करते हैं, उनकी रोजी-रोटी, उनके लिए अन्य सारे साधन जुटाने के लिए राशि देते हैं, उसमें 7 हजार करोड़ रुपये की कटौती हुई है। इस तरह 15 हजार करोड़ रुपये की कटौती ऐसे सैक्टर्स में हुई है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, गांव में रहने वाले किसान और मजदूरों के लिए आवश्यक खर्च का आश्वासन था।

महोदय, आज पूरा देश फूड सिक्योरिटी के लिए पूर्वी भारत पर निगाह डाले हुए हैं। यह माना जा रहा है कि अगर भविष्य में कहीं कृषि की संभावनाएं हैं, तो इस देश के पूर्वी भारत में

हैं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा हमें इतनी बड़ी संभावना वाले इलाके में कृषि के लिए 400 करोड़ रुपये और अधिक बजट देने का आश्वासन मिला है। मुझे अफसोस है कि जहां खाद, पानी, बिजली और मजदूरी के लागत खर्च बढ़ते जा रहे हैं, वहां हम उस इलाके के लिए 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं। जहां इस देश के भविष्य की फूड सिक्योरिटी की संभावनाएं बनती हैं, वहां हम खर्च करने के लिए अधिक निधि नहीं दे पा रहे हैं।

महोदय, किसान मेहनत करके किसी तरह से अपनी पैदावार बढ़ा रहा है, लेकिन उसे उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही है। इस देश मे बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां लोगों को पैडी का मिनिमम सपोर्ट प्राइज 1080 रुपये की जगह 800 से 900 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक नहीं मिल पा रहा है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यदि पूर्वी भारत के इलाके में उत्पादित माल की कीमत नहीं मिलेगी तो इस कारण किसानों के हाथ मे पूंजी नहीं रह पायेगी। आखिर वे खेती कैसे कर पायेंगे। यदि वहां की खेती डूबेगी, वहां खेती का नुकसान होगा, तो इस देश में भविष्य के फूड सिक्योरिटी की संभावनाएं कहां बनती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी भारत में अधिक खेती की संभावनाएं हैं। वहां की जमीन उपजाऊ है, वहां आज भी सॉयल की फर्टिलिटी बची हुई है। वहां पानी, सिंचाई की संभावनाएं हैं, इसलिए अधिक पूंजी देनी चाहिए।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस साल कृषि ऋण बैंकों से 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये इस देश के किसानों को मिलेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों को बैंक से ऋण पाना बहुत आसान नहीं है। आज बैंक्स जितना फर्जी काम कर रहे हैं, इस देश कोई भी इंस्टीट्यूशन उतना फर्जी काम नहीं कर रहा है। किसानों के हाथ में ये पैसे नहीं जायेंगे। किसानों को जो ऋण दिये जा रहे हैं, वहीं उनसे 25% ले लिये जायेंगे। किसानों की पैसे चुकाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी इसका नतीजा यह होगा कि एनपीए बढ़ता जायेगा। इससे कृषि सैक्टर में जो आज अधिक ऋण की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, उसे आप घटाते चले जायेंगे। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों के हाथों में यदि सचमुच 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये तरीके से आसानी से लागत के रूप में मिल जायें, तो इस राष्ट्र की खेती की पैदावार, जो चीन तथा अन्य राष्ट्रों की चर्चा हो रही है, उससे ऊपर पैदावार करके भारत के किसान आपके गोदामों मे अनाज दे सकेंगे। आप प्राइज सिक्योरिटी द्वारा ही फूड सिक्योरिटी की गारंटी दे सकते हैं। जब तक प्राइज की सिक्योरिटी नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो इससे रिलेटिड है। अभी बिहार के मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 120 रुपये मजदूरी मिलेगी, तो हरियाणा के मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 190 रुपये मजदूरी मिलेगी। दुनिया में इससे बड़ा गलत काम नहीं हो सकता। भारत सरकार जब इम्प्लायमैंट की गारंटी दे रही है, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इम्प्लायर जो इम्प्लायमैंट देता है, वह दो तरह के वेजेस, मजदूरी नहीं देता। अभी इम्प्लायमैंट इसलिए दिया जा रहा है, ताकि हमारे मजदूरों का पलायन रूके। वह इसलिए दिया जा रहा है कि उनकी श्रम शक्ति उनके खेतों में काम आये। मैं नहीं समझता कि इस देश में इस तरह की विसंगति किसी रूप में कानूनन जायज है कि किसी राज्य का इम्प्लायर अपने मजदूरों को 120 मजदूरी दे और किसी राज्य का इम्प्लायर अपने मजदूरों को 190 रुपये मजदूरी दे।

महोदय, गरीबी के कारण, क्षेत्रीय विषमता के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं नहीं बदल जाती हैं। हो सकता है कि किसानों को मजदूरी देने की क्षमता में कमी हो इसीलिए सरकार इम्प्लायमैंट गारंटी देती है यह सैंट्रल एक्ट है। मैं समझता हूं कि सैंट्रल एक्ट में दो, तीन, चार तरह की मजदूरी तय करना राष्ट्र के लिए बिल्कुल गलत है। यह राष्ट्र एक है और यहां एक ही तरह की मजदूरी होनी चाहिए।

महोदय, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हम गांवों में लोगों को स्वच्छ जल भी नहीं दे पा रहे हैं। एक बड़ी रकम माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें रखी है। मैं सदन के सामने आपके माध्यम से इस बात को रख रहा हूं, क्या गांव के गरीबों के पीने के पानी और अमीरों के पीने के पानी में अंतर होना चाहिए? यदि अमीरों को जो पानी नुकसान करेगा, गरीब उस पानी पर जिंदा कैसे रह सकता है? आप कहते हैं कि हम लोगों को स्वच्छ पानी दे रहे हैं। यह बोतल बंद पानी है, भारत सरकार ने इसका मानक तय किया है कि इसका टीडीएस 25 से 95 के बीच होगा और गांव के लोग जो पानी पिएंगे, चापाकल का कुएं का या पाइप लाइन का, उसका टीडीएस 1500 से 2000 के बीच होगा। मैं नहीं समझता हूं कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो पानी में घुलनशील पदार्थ है, यदि वह गंदगी शहर के लोगों को नुकसान करती है, तो गांव में रहने वाले लोगों को भी नुकसान करती है, शायद कोई भी राष्ट्र इस तरह की विसंगति कम से कम पीने के पानी में नहीं रख सकता है कि एक बोतल बंद पानी का टीडीएस जहां 50 से 90 के आस-पास हो, वहां यह तय किया जाए कि गांव में रहने वालों के लिए स्वच्छ पानी हम उसको कहेंगे जिसका टीडीएस 1500 से 2000 होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह: महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, विद्युत सेक्टर में, जहां हमने हर गांव को, हर घर को बिजली देते का वादा किया है। किसी गांव के विद्युतीकरण का मतलब होता कि प्रत्येक परिवार को आप बिजली देंगे। चालू वर्ष में योजना की राशि में से 4000 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी। मैं बहुत अदब और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम बिजली बिहार के लोगों को मिलती है। इस देश में बिजली का सबसे कम पर कैपिटा कंज्म्पशन बिहार में है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र से चार से पांच हजार मेगावाट दक्षिण के क्षेत्र में, पश्चिम के क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में, वहां के लोगों की बिजली कटौती कर-करके देश के चारों भागों में दी जा रही है।

सभापति महोदय: समाप्त कीजिए।

श्री जगदानंद सिंह: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर बिहार या पूर्वी क्षेत्र के लोगों का क्या गुनाह है कि यदि उनके यहां बिजली पैदा हो रही हो, जो डेफिसिट रीजन हो, जहां पर बिजली का पर कैपिटा कंजम्प्शन सबसे कम हो, वहां की बिजली को उठाकर शहरों को रोशन किया जा रहा है। हीटर, गीजर, एयर कंडीशनर चलाने के लिए बिजली दी जाएगी और खेत में पसीना बहाने वाले को, मजदूरों और किसानों को बिजली नहीं दी जाएगी। यह राष्ट्रीय हित में नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। अगली बारी श्री इज्यराज सिंह की है।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह: महोदय, मैं बहुत कम समय में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

महोदय, मैं भारत की सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि रीजनल इंबैलेंस को खत्म करना भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। चाहे वह गरीबी या अमीरी का अंतर हो या किसी क्षेत्र का हो, यदि रीजनल इंबैलेंस को इसी तरह भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा ...*(व्यवधान)* शहर और गांव की गरीबी बढ़ गयी है, गांव में रहने वालों की गरीबी बढ़ गयी है। यह रीजनल इंबैलेंस भारत को खतरे में डालता चला जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री इज्यराज सिंह, अब आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह: इसलिए रीजनल इंबैलेंस को रिमूव कीजिए। इसी के लिए भारत के बजट बनते हैं।...*(व्यवधान)*

***डॉ. विनय कुमार पाण्डेय** (श्रावस्ती): बजट वर्ष 2012-13 का समर्थन करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र की निम्न योजनाओं को सम्मिलित किए जाने का सुझाव देना चाहूंगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत जनपद श्रावस्ती एवं जनपद बलरामपुर (उ.प्र.), जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ पर्यटन एवं संरक्षित वन क्षेत्र के साथ ही साथ अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है में

राप्ती नदी की बाढ़ से बचाने हेतु वाटर रिसोर्स मंत्रालय की फ्लड मैनेजमेंट स्कीम के तहत वि.सं. जमुनहा के लक्ष्मणपुर बैराज के पास के कलकलवा/ककादरी तथा अन्य राप्ती तटीय ग्रामों के साथ-सथ हरिहरपुर रानी, इकौना विकास खंडों के अंधापुरवा से मथुरा (बगहा) घाट के राप्ती नदी के किनारे के गांवों को कटान से बचाने हेतु राप्ती के दोनों ही तटों पर तटबन्ध बनाकर उनकी बोल्डर पिचिंग एवं ठोकरों का निर्माण कराया जाना।

इसी प्रकार जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के दोनों तटों पर मथुरा घाट से कोंडरी घाट तक तटबन्ध बनाकर बोल्डर पिचिंग पिचिंग एवं ठोकरों का निर्माण कराते हुए राप्ती नदी पर मधवापुर धाट का निर्माण कार्य के साथ ही साथ अंधरपुरवा पुल का निर्माण पूरा कराया जाना। जनपद श्रावस्ती में तथा कोंडरी घाट को पूरा कराकर आवागमन लायक बनाया जाना जनपद बलरामपुर में।

पर्यटन स्थल श्रावस्ती में बौद्ध तीर्थ स्थल एवं जैन तीर्थ स्थलों को विशेष पैकेज से आच्छादित कर वहां के ऐतिहासिक महत्व के ओंइदा तालाब, डैंढ़ी तालाबों का सुन्दरीकरण पक्के घाटों का निर्माण, सीताद्वार (श्रावस्ती) का सुन्दरीकरण कराया जाना।

बार्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत श्रावस्ती में राप्ती पर मधवापुर घाट का निर्माण एवं सुहेलवा वन का टाइगर रिजर्व एवं गेरुआ नदी के मुहाने पर डाल्फिन ब्रीडिंग सेंटर जो कि नोर्मल है के डेवलपमेंट का कार्य कराया जाना।

शाहजहांपुर से बहराइच, श्रावस्ती-बलरामपुर-बढ़नी-गोरखपुर बौद्ध परिपथ को नेशनल हाइवे में कन्वर्ट कर पर्यटन एवं विदेशी राजस्व की प्राप्ति को बढ़ाया जा सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कृषि प्रधान इस क्षेत्र में श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी, गिलौला, सिरसिया एवं इकौना तथा जनपद बलरामपुर के हरैया सतधरवा, तुलसीपुर गैसड़ी, पचपेडवा एवं श्रीदन्तगंज विकास खंडों में सिंचाई हेतु कम से कम 100-100 नलकूपों की स्थापना हेतु धन प्रदान कर सिंचाई की व्यवस्था करना।

कोकून उत्पादन हेतु जनपद श्रावस्ती एवं बलरामपुर में विशेष पैकेज देकर तथा स्किल डेवलममेंट के तहत सेरीकल्चर एंड टैक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से विशेषकर महिलाओं के उत्थान की योजनाओं पर ध्यान दिया जाना तथा डेयरी डेवलपमेंट के तहत बीआरएफजी/ एमएसडीपी योजनाओं के साथ डप्टेल कर क्षेत्र का विकास किया जाना।

जनपद श्रावस्ती एवं जनपद बलरामपुर के पीएमजीएसवाई एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का धन आवंटन सुनिश्चित कराया जाना।

वैकल्पिक ऊर्जा एनईडीए के तहत श्रावस्ती एवं बलरामपुर में सौर विद्युत केन्द्रों की स्थापना किया जाना।

बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत पचपेड़वा तथा तुलसीपुर में एसएसबी की बैरकों का निर्माण एवं सेंट्रल स्कूल की स्थापना किया जाना।

जनपद श्रावस्ती में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना किया जाना।

थारू जनजातीय क्षेत्रों कृषि सिरसिया (श्रावस्ती) एवं वि.सं. गैसड़ी, पचपेड़वा (बलरामपुर) के उत्थान हेतु बीआरजीएफ एवं बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत सोलर लाइट्स लगाया जाना एवं रोजगार सृजन की योजनाओं तथा कुटीर उद्योगों की योजनाओं हेतु स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं को लागू किया जाना।

***श्री प्रवीण सिंह ऐरन** (बरेली): मैं प्रस्तावित बजट 2012-13 में बजट का सामान्यत: पूर्ण समर्थन करते हुए कुछ संशोधन हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बरेली एवं उत्तर प्रदेश की विभिन्न सर्राफा व सुनार एसोसिएशन की भावना और तकलीफों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

यह बजट 2012-13 में प्रस्तावित सर्राफा व्यापार पर उत्पादन कर आरोपित करने के विरोध में है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि ब्रांडेड ज्वैलरी के अतिरिक्त यह कुटीर उद्योग है और कुटीर उद्योग पर उत्पादन कर नहीं लगता है। जैसा कि ज्ञापन के पैरा 3 में उल्लेख है कि कुटीर उद्योग में यह कार्य 8 विभिन्न प्रक्रियाओं में अलग-अलग जगह होता है। इन लोगों को भय है कि इस कर के लगने पर उद्योग व व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति इसकी चपेट में आयेगा और उत्पाद कर विभाग के निरीक्षक इन सबका शोषण करेंगे, जिससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस उद्योग को उत्पादन कर से मुक्त करें। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान निम्न की ओर दिलाना चाहता हूं:-

आगामी बजट 2012-13 में प्रस्तावित उक्त प्राविधान के कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष में सर्राफा व्यवसाय से जुड़े लाखों व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है। देश भर में सदियों से फैले इस घरेलू कुटीर उद्योग पर रोजी रोटी के संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

इस संबंध में प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है:-

यह कुटीर उद्योग घर-घर में एक पूरा परिवार एकत्रित होकर अपने जीवन यापन के लिए इस कार्य को अपनी रोजी का साधन बनाता है।

विधि व नाम के अनुसार उत्पादन कर जहां निर्माण इकाई बनी हो उस बिन्दु पर लगता है। निर्माण इकाई में काफी मात्रा में (वाल्यूम क्वालिटी में) वस्तुओं का उत्पादन होता है। भारत में कहीं भी किसी वस्तु पर ट्रेडर व्यापारी पर यह कर आरोपित नहीं किया जाता है जबकि प्रस्तावित बजट में सर्राफा व्यवसाय पर उत्पादन कर लगा दिया गया है जो पूर्णतया विधि-विरुद्ध व अव्यवहारिक है।

यह कि अनब्रांडेड ज्वैलरी की कोई भी ज्वैलरी एक व्यक्ति विशेष या किसी फैक्ट्री द्वारा निर्माण नहीं की जाती है, अपितु इसमें निम्नलिखित 8 अलग अलग कार्य में निपुण व्यक्ति अपने घरों पर बैठकर निम्न कार्य करते हैं-

(1) गलाई (2) डाई (3) कटिंग (4) जुड़ाई (5) मीना (6) पालिश (7) छिलाई (8) जड़ाई

उपरोक्त आठों कार्य करने के बाद तब जाकर कहीं एक आभूषण तैयार होता है।

भारत सरकार के सीईबीसी प्रेस नोट दिनांक 20.3.2012 के अनुसार यह आशंका व्यक्त की गयी है कि इस आभूषण व्यवसाय पर उत्पादन कर लगाने से इंसपेक्टर राज पुन: स्थापित होगा। जैसाकि 1963 में गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट लगने से हुआ था जोकि पूर्णतया सत्य है फिर भी सरकार द्वारा ऐसा मानने के बाद भी एक्साइज विभाग को सर्राफा व्यवसाय का उत्पीड़न करने के लिए भारत वर्ष में रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जो पूर्णतया विधि-विरुद्ध अव्यवहारिक दुर्भाग्यपूर्ण एवं निन्दनीय है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत सरकार द्वारा इस बजट में गोल्ड को आयात करने पर 2% की जगह 4% कस्टम ड्यूटी कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी उस पर सोने से अपनी आर्थिक सुरक्षा एवं अपनी पत्नी के लिए आभूषणों का निर्माण कराकर भविष्य की सुरक्षा के लिए रखता है। तब ऐसी स्थिति में उसके ऊपर पुन: एक्साइज ड्यूटी लगाना एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसका हम पुर-जोर विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि ज्वैलरी का हाल यह कर दिया है। वैट दो, इन्कम टैक्स दो, तीन गुना कस्टम ड्यूटी दो, एक्साइज दो, जॉव-वर्क पर सर्विस टैक्स दो, बिल लो तो टी.सी.एस. दो, पैन-कार्ड दो जैसे ज्वैलरी न हो आरडीएक्स और एके 47 हो।

सभी सर्राफा व्यवसायी राष्ट्र निर्माण में पूर्ण रूप से टैक्स देकर सहयोग करते रहे हैं एवं अपेक्षित कर केन्द्रीय कर के रूप में देने को तैयार हैं परन्तु किसी भी हाल में एक्साइज ड्यूटी के रूप में एक्साइज विभाग द्वारा उत्पीड़ित होते हुए किसी भी कीमत पर कर देने को तैयार नहीं हैं।

कहने का तात्पर्य है कि सम्पूर्ण भारत में कहीं भी जो सोना आता है वह विदेशों से आता है। सरकार द्वारा 4 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी बजट में आरोपित की गयी है। ऐसी स्थिति में दोबारा से उत्पीड़न करने की दृष्टि से इस लघु कुटीर उद्योग को पूर्णतया समाप्त करने के उद्देश्य से 1 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाकर एक ऐसे विभाग से हमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो अपराधियों के लिए बना है और भ्रष्टाचार के दल-दल में फंसा हुआ है और उत्पीड़न करने के महा भयानक नाम से जाना जाता है।

यह व्यवसाय दिनांक 17.3.2012 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में पूर्णतया बन्द है। सर्राफा व्यवसायी इतनी नासमझ, बेबकूफ नहीं है जो अपने साथ जुड़े व्यापारियों, कारीगरों की रोजी-रोटी को पूर्णतया बंद करते हुए बैठा हुआ है। यह एक्साइज ड्यूटी गलत है इसलिए बजट के बाद से दिनांक 17.3.2012 से अपना व्यवसाय बन्द करके इसका घोर विरोध कर रहे हैं।

सभी सर्राफा व्यवसायी मांग करते हैं कि अन्ब्राण्डेड आभूषणों पर लगायी गयी एक्साइज ड्यूटी वापिस ली जाये क्योंकि संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि किसी भी हालत में हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप या स्थापित विधि के विरुद्ध कोई कानून हम पर थोपा नहीं जायेगा। हम पुन: विधि सम्मत यह बात कहते हैं कि उत्पाद कर (एक्साइज ड्यूटी) निर्माण इकाई स्थल पर जहां कि बहुतायत में किसी एक वस्तु का निर्माण किया जाता है पर लगाई जाती है। सर्राफा व्यवसाय एक लघु कुटीर उद्योग उसी तरह का है जैसा कि कुम्हार के घर में चाक रखा हुआ है और वह इससे मिट्टी के बर्तन बना रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप कृपया बैठ जाए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सिर्फ श्री इज्यराज सिंह जो कह रहे हैं उसे ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। शेष कुछ भी वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं कठिन परिस्थितियों के वातावरण में विकास और स्थिरता की ओर लक्ष्योन्मुख एक अति यथार्थ बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। बजट वह कार्यक्रम है जो न केवल हमारे देश के वित्तीय मापदंड तय करता है बल्कि भविष्य के लिए विकास नीतियां भी तय करता है। इस बजट की प्रभावी बात है; कृषि और अवसंरचना मजबूत करने पर बल देना है।

कृषि में, विगत वर्ष की तुलना में परिव्यय 18 प्रतिशत बढ़ाया गया है और यह देखना उचित सुसंगत होगा कि कृषि जिसका जीडीपी 12.3 प्रतिशत है, संपूर्ण रोजगार में 65 प्रतिशत हिस्सा रखता है। हमारा देश अभी भी मुख्य ग्रामीण है और देशवासी कृषि और संबंधित व्यवसायों में संलग्न है। विगत कई वर्षो से किसानों को काफी परेशानियां आ रही हैं और वास्तव में, एनएसएसओ के एक हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार यह वास्तविकता सामने आई है कि यदि 50 प्रतिशत किसानों को यदि अन्य व्यवसाय का विकल्प मिले तो वे कृषि नहीं करना चाहेंगे।

अब किसानों के समक्ष कौन सी समस्याएं और आती हैं? उनकी समस्या बढ़ती निवेश लागत और पर्याप्त वित्त एवं उधार की सुविधाओं से संबंधित होती हैं। ताकि वे कृषि कार्य क्रियाकलापों, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और फसल कटाई के बाद वे नुकसानों जो कि 44,000 करोड़ रुपए तक का है। और फसलों के लिए अच्छी कीमते पाने जैसे मामले हल कर सकें। इस बजट में इन सभी मुद्दों को उठाया गया है और कृषि उधार के लिए लक्ष्य को विगत वर्ष की तुलना में इस बजट में 21 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार, समय पर ऋण भुगतान पर किसानों को 3 प्रतिशत प्रोत्साहन दर भी जारी है जिसके कारण आज भुगतान की प्रभावी दर मात्र 4 प्रतिशत हो जाती है जबकि साधारण दर 7 प्रतिशत है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, 10000 करोड़ रुपए नावार्ड को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुर्नवित्त पाषण के लिए आवंटित किए गए हैं ताकि ये बैंक छोटे और सीमांत किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋणों के भुगतान के लिए ऋण उपलब्ध करावा सकें।

तथापि वास्तविकता यह भी है कि कृषि ऋण प्राथमिकता या आधारभूत रूप से भू-स्वामित्व ऊपर दिया जाता है और जो किराए पर भूमि लेकर कृषि कार्य करते हैं वे ऐसा ऋण नहीं ले सकते। इसलिए, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यह समस्या देश के अधिकांश भागों में है।

फसल पश्चात की हानि शीतागारों और भंडारगृहों की अपर्याप्तता के कारण होती है। इनका समुचित विकास करने से किसानों को उपज को बर्बादी से बचाने और सही समय पर फसल बेचने में सहायता होगी। लेकिन, अगर हम तथ्यों की ओर ध्यान दें, तो भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है और अगर हम फलों और सब्जियों का उत्पादन देखें तो 30 से 40 प्रतिशत उपज खराब हो जाती है या पैदावार के बाद नष्ट हो जाती है। 2009 में यह तथ्य सामने आया इस प्रकार का फसल पश्चात् नुकसान 4400 करोड़ रुपए तक था।

यह बजट खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अनेक उपायों के जरिए जैसे कि कृषि बाजारों का विकास राष्ट्रीय खाद्य मिशन और फसल पश्चात् ऋणों की उपलब्धता आदि सुधार का प्रयास करके इन मुद्दों पर ध्यान देता है।

शीतागार श्रृंखला सुविधाओं, भंडारगृह और स्टोरेज में निवेश संबद्ध कर कटौती को इस प्रकार बनाया गया है कि इस क्षेत्र में निजी उद्यमिता एवं भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एंजेंसियों द्वारा उनके अनाज की खरीद महत्वपूर्ण है। तथापि, एफसीआई और ऐसी अन्य कंपनियों के पास पर्याप्त आधारिक संरचना नहीं है और इस खरीद के लिए उन्हें राज्य की एजेंसियों से समन्वय करना पड़ता है। समन्वयगत मुद्दों के कारण अकसर, ये खरीद केन्द्र समय से तैयार नहीं हो पातें और परिणामस्वरूप खरीद देर से होती है तथा किसानों को वित्तीय समस्या और अन्य बातों का सामना करना पड़ता है। विकेन्द्रीकृत खरीद जैसी योजनाएं, जिसमें राज्य सरकार ही खरीद, संग्रहण और वितरण का कार्य करती है, को इस बजट में राज्यों को वित्तीय सहायता देते हुए और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

यह बजट सिचाई टर्मिनल बाजारों और एवं कृषि बाजारों में बुनियादी ढांचे को व्यवहार्यता अंतर पाटने हेतु वित्त भी प्रदान करता है। आशा है, कि इससे उत्पादकता में सुधार आएगा और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

जहां तक आधारिक-संरचना की बात है तो महोदय, इस क्षेत्र में प्रगति राष्ट्र के विकास की गति को बढ़ाती है और इस क्षेत्र में 30000 से 60000 करोड़ रुपए के कर मुक्त आधार संरचना ऋणपत्र निश्चय ही एक सकारात्मक कदम है। तथापि, भूमि अधिग्रहण और कार्यक्रम कार्यान्वन के मुद्दे अभी यथावत हैं। यदि सड़क के क्षेत्र की ओर संक्षिप्त दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 8000 किमी. के लक्ष्य को आगामी वित्त वर्ष में पूरा करने की उम्मीद वास्तव में प्रशंसनीय है। यह लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान 7300 किमी के लक्ष्य की पूर्ति के बाद का कार्यक्रम जिसकी उपलब्धि सुनिश्चित है और पिछले किसी भी प्राप्त लक्ष्य की तुलना यह 44 प्रतिशत अधिक है जो कि वास्तव में एक महान उपलब्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में इस मंत्रालय में 14 प्रतिशत अधिक आबंटन दिया गया है और इसके साथ नियंत्रण कर में भी 20 प्रतिशत से कमी करके उसे 5 प्रतिशत किया गया है तथा वाणिज्यिक उधारी की अनुमति देने से भी इस क्षेत्र को और विकसित करने में मदद मिलेगी।

विशेषत: उल्लेखनीय और उत्साहजनक बात यह है कि बजट आवंटन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अतिरिक्त 20 प्रतिशत की वृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढांचें को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निर्धारित की गई है तथा इससे बना बेहतर सड़क संपर्क निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता सुधारेगी। फिर भी, गांवों के भीतर की सड़कों की गुणवत्ता दूसरा ऐसा प्रमुख मुद्दा है कि जिस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सड़कें कच्ची हैं और अधिकांशत: मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती हैं, जिससे वर्ष में कतिपय समय के लिए गुजरना मुश्किल होता है गांवों के भीतर बेहतर सड़कों का निर्माण करने के लिए किसी न किसी प्रकार की परियोजना की नितांत आवश्यकता है।

अब, संक्षेप में ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान दें तो पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता हमारे उद्योग और हमारे ग्रामीणों के दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री इज्यराज सिंह: अब, इस दिशा में कई तरीकों से कार्य गये हैं। इस मामले में, बाह्य वाणिज्यिक ऋण में कमी के अलावा कोयले और प्राकृतिक गैस के शुल्क मुक्त आयात में लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

जबकि हम पाते हैं कि कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों और अन्य सम्बद्ध ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों की कीमतों पर

काफी दबाव है तथा इन क्षेत्रों की परियोजनाएं समस्याएं झेल रही हैं। फिर भी, यदि आप नए ऊर्जा साधनों को देखें तो आप पाते हैं कि नवीन ऊर्जा साधनों ने लगातार लक्ष्यों से अधिक निष्पादन किया है, जबकि कोयला व ऊर्जा के अन्य पारम्परिक साधनों ने कम निष्पादन किया है।

इसलिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सौर तापीय, सौर फोटो वोल्टेइक, पवन ऊर्जा और बायोगैस के माध्यम से हो सकता है। प्राक्कलन समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश बहुपक्षीय लाभ देगा। इस प्रकार के निवेश से समाज के हाशिये पर स्थित वर्गों जैसे ग्रामीण गरीब, जनजातियों और महिलाओं को जीवन स्तर और बेहतर हो जाएगा। समिति ने यह भी सिफारिश की कि इन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट में कुल बजट के एक प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। फिर भी यदि आप 2010-11 के आंकड़ों को देखें तो इस मंत्रालय का बजट केवल 0.024 प्रतिशत या और चालू बजट में यह केवल 0.096 प्रतिशत है, जो कि वांछित लक्ष्य एक प्रतिशत से बहुत कम है। इसलिए, हमें इस पर कहीं अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैं संक्षेप में यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे पास एक जोखिम गारंटी कोष होना चाहिए। वर्तमान में, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत केवल ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए एक भुगतान सुरक्षा प्रणाली है। हालांकि यह अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा और बायोगैस के लिए संभव नहीं है। इसलिए, हमें केन्द्र या राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त एक ऐसे जोखिम तंत्र की आवश्कयता है जिसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर विचार किए बिना सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को गारंटी प्रदान करे।

अंततः में बताना चाहता हूं कि मेरे अपने गृह क्षेत्र कोटा में, स्वर्ण व आभूषण क्षेत्र में कुछ लेवी के विरुद्ध धरना और प्रदर्शन होते रहे हैं, जिस पर मेरे विचार में, ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमने यह भी देखा है कि बजट में नागर विमानन क्षेत्र और विमानन क्षेत्र की कंपनियों के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है जो कोटा में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वहां जहां संभव हो, एक हवाई अड्डे के लिए प्रयासरत हैं। हमारे पास सड़क, रेल और जल का पर्याप्त आधारभूत ढांचा है।

इस बजट का स्थायी प्रभाव आधार कार्ड पर दिया गया ध्यान है, जिसे देश में 50 जिलों में लागू किया जाना है और यह एक गरीबी दूर करने के उपाय है, जो बेहतर लक्ष्य राजसहायताओं के साथ, हमें अपनी राजसहायताओं में और प्रभावी होने में समर्थ बनाएगा। यह इस बजट का बेहद उत्साहवर्धक कदम है और शायद इसे बतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जितने के यह योग्य है।

मैं हाल ही में घोषित किए गए 3884 करोड़ रुपए के बुनकर पैकेज की चर्चा करना चाहता हूं। यह एक बहुत स्वागतयोग्य कदम है, जो देश-भर में बुनकरों की जरूरतों को पूरा करता है फिर भी, कोई भी पैकेज जो केथुन के उन बुनकरों को शामिल नहीं करता, जिन्होंने कोटा साड़ी को विश्वप्रसिद्ध बनाया है, एक अपूर्ण पैकेज है। अतः मैं वित्त मंत्री से उन्हें शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा** (करनाल): वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है उस स्थिति से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ठोस, नीतिगत आर्थिक सुधारों से संबंधित फैसले लेने की बहुत जरूरत थी और वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो कुल मिलाकर हमारे देश के हित में कहा जा सकता है। जिस तरह से वैश्विक मंदी एवं परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव आ रहा है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी खींचतान की स्थिति बनी है उससे कुछ हद तक हमारे देश के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी इन परिस्थितियों में भी बिना विचलित हुए देश के सभी सेवा क्षेत्रों, आयकर दाताओं, कॉरपोरेट हाउसेस एवं औधोगिक घरानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार का एक और सराहनीय केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया है जो कि देश में व्याप्त महंगाई और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पर्याप्त है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतर एवं सतत विकास और चालू वित्तीय वर्ष का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। और यूपीए सरकार का यह सफल प्रयास रहेगा कि सकल घरेलु उत्पाद की दर 2012-13 में 7.6 प्रतिशत बनी रहेगी।

माननीय मंत्री महोदय जी ने आम बजट 2012-13 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 1.80 लाख से बढ़ाकर 2.00 लाख करने का प्रस्ताव समान्य श्रेणी के करदाताओं को 20 हजार रुपये का फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के करदाताओं को 2 लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर मात्र 10 प्रतिशत की कर वसूली का प्रावधान किया है। आयकर के लिए डीटीसी दर का शुरु करना और बचत बैक खातों से मिलने वाले ब्याज पर 10 हजार रुपये की कर छूट आम जनता के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हालांकि संसद की स्थाई समिति ने यह सिफारिश की थी कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख तक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कर दी जाए मगर देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने हेतु छूट की सीमा 2 लाख तक रखी गयी। इससे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी के देश को आर्थिक हितों की भी चिंता है। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से ये आग्रह करता हूं कि स्थायी समिति के सुझावों पर भी वे पुनर्विचार करें।

वर्ष 2012-13 के बजट में कृषि के लिए आवंटन 18 प्रतिशत बढ़ाने, केन्द्रीय सब्सिडी व्यय जीडीपी के 2 प्रतिशत रखने, विनिवेश के जरिए 30 हजार करोड़ जुटाने, बुनियादी ढांचे में 50 लाख करोड़ निवेश बढ़ाने, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरु करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्युटरीकृत करने और देश के समक्ष काले धन पर संसद के इसी सत्र में श्वेत पत्र लाने का यूपीए सरकार का इरादा जनहित में काफी कारगर सिद्ध होगा और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उत्पाद शुल्क की दर में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि से उपभोक्ता वस्तुएं महंगी होने की संभावना है। मगर आर्थिक सुधारों के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने की भी जरूरत है। दैनिक एवं रोज-मर्रा की चीजों को जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने सस्ता किया है उससे ये परिलक्षित होता है कि उनको आम एवं गरीब जनता की जरूरतों की काफी चिंता है।

वित्त मंत्री महोदय जी ने 60 वर्ष या इससे अधिक व 80 वर्ष से कम आयु वर्ग के आयकरदाताओं के लिए 20 प्रतिशत कर स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किये जाने की घोषणा से भी आयकर दाताओं में व्याप्त खुशी है। क्योंकि इसके साथ-साथ उन्होंने 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले सम्मानित बुजुर्ग करदाताओं के लिए 5 लाख तक की आय पर किसी भी तरह का कर ना लगाने का प्रावधान किया है जो हमारे देश के बुजुर्गों के लिए सम्मान है। फिर भी प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से लगभग 4500 करोड़ का राजस्व नुकसान होने का अनुमान है।

यूपीए सरकार का इस बजट में सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत 11 हजार 937 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान देश के गरीब एवं स्कूली बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए एक सार्थक पहल है। वित्त मंत्री जी द्वारा उठाया गया यह कदम दर्शाता है कि हमारी सरकार देश के भविष्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना सुविधा तैयार करने की घोषणा से देश हित में आम जनता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता जरूरी है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना शुरु करने के प्रस्ताव पर भी सरकार को सराहना प्राप्त हुई है क्योंकि इसमें नये खुदरा निवेशकों को 50 हजार तक निवेश करने पर 50 प्रतिशत की आयकर की छूट मिलेगी जिन निवेशकों की आय 10 लाख रुपये से कम है।

देश की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील बजट की आवश्यकता होती है जिसमें समाज के सभी वर्गों विशेषकर किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, वेतनभोगियों, बेरोजगारों, विद्यार्थियों, व वरिष्ठ नागरिकों व वरिष्ठ नागरिकों के साथ महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के का प्रावधान है। इसलिए यह उचित एवं जन हितैषी बजट है। कृषि ऋण के लिए 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखना व किसानों के लिए समय पर सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, किसानों की फसलों का उचित मूल्यांकन एवं आपदा में उचित मुआवजा समय पर देना, कृषि यंत्र एवं बीजों पर सब्सिडी प्रदान करना, फसल बीमा योजना लागू करना व किसान क्रेडिट कार्ड योजना को संशोधित कर के समार्ट कार्ड बनाया जाना इस बजट की किसान हितोप्लब्धियां हैं। कृषि विकास योजना के परिव्यय को बढ़ाकर 9217 करोड़ करना किसानों के लिए एक सौगात है।

बजट सत्र में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक, बैंकिंग विधि विधेयक एवं बीमा विधि विधेयक में संशोधनों के लिए प्रस्ताव लाना स्वागत योग्य है। क्योंकि विधवा पेंशन एवं विक्लांगता पेंशन को बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह करने, बीपीएल परिवारों के 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु पर दिए जाने वाले अनुदान को दोगुना करना, 200 जिलों में मातृ एवं बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम को शुरू करना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन नामक एक नई योजना लागू करना, अनुसूचित जाति सब-प्लान के लिए 37 हजार 113 करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी देना, समाज के कमजोर एवं कामगार वर्ग के लिए बहुत ही लाभप्रद है।

देश के औद्योगिक घरानों, निवेशकों, उत्पादकों, खुदरा व्यापारियों एवं पेशेवरों ने आम बजट पर सेवा करों में बढ़ोत्तरी उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी से चिंता व्यक्त की है जिससे उत्पादित संसाधनों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है व आम लोगों को महंगाई के नाम से डराया जा रहा है। आम बजट 2012-13 में सरकार द्वारा गैर ब्रांडेड आभूषणों पर 1 प्रतिशत बढ़े हुए उत्पाद शुल्क के कारण, सोने के भाव बढ़ने के कारण, एम.सी.एक्स. के कारण व टैक्स एवं एक्साईज ड्यूटी लगाने की वजह से हो रही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बजट 2012 के दौरान सभी गैर ब्रांडेड आभूषणों पर 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को समाप्त करने के लिए सभी आभूषण व्यापारियों की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है। इस बारे में जल्द से जल्द व्यापारियों के हित में उचित कार्रवाई की जाए। व्यापारियों का मानना है कि पहले से ही आभूषण व्यापारी मंदी की मार झेल रहे हैं और सोने के भाव अत्यधिक होने के कारण बाजारों में आभूषणों की खरीद ना के

बराबर हो गई है। चूंकि आम बजट की घोषणा के बाद से ही मेरे संसदीय क्षेत्र की भी सभी सर्राफा एसोसिएशन जैसे कि सर्राफा एसोसिएशन करनाल एवं ऑल इंडिया सर्राफा एसोशिएसन, पानीपत, हरियाणा स्वर्णकार संघ, पानीपत, स्वर्णकार सभा, पानीपत ज्वैलर्स एसोसिएशनों इस 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क बढ़ाने के विरोध में जगह-जगह सरकार के खिलाफ धरने एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरेआम इसके विरोध में बाजारों को बंद किये हुए हैं। जो कि अनुचित है फिर भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश हित में उपरोलिखित शुल्कों में वृद्धि की दर पर पुनिर्विचार करें। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगरी पानीपत और राजा कर्ण की धार्मिक नगरी करनाल जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर अवस्थित है व उत्तरी भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जीवन रेखा है। क्योंकि यह दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर व जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल को सारे देश से जोड़ता है। इन दोनों जिलों के शहरी ढांचागत सुधार के लिए केन्द्रीय जवाहरलाल नेहरू शहरी सौंदर्यकरण (नवीनिकरण) योजना के तहत एक विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करें।

देश में सड़क परिवहन को मजबूती प्रदान करते हुए एनएचडीपी के तहत 8800 मिलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव, बड़े शहरों में कम आय वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव, हथकरघा बुनकरों के कर्ज को माफ करना और उनकी सहकारी सोसाइटियों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव लाना, केन्द्रीय सश्स्त्र पुलिस बलों के लिए 4 हजार आवासीय ईकाईयों का निर्माण करना, वेयर हाउस सुविधाओं के लिए 5 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता, शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना, क्षेत्रों के लिए बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करना व सभी ब्लॉक स्तरों पर 6 हजार मॉडल स्कूलों की स्थापना करना माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी एवं यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया वर्ष 2012-13 का आम बजट अति-सराहनीय हैं एवं वैश्विक मंदी में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने वाला है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाले इस लोक हितैषी बजट की मैं सराहना करता हूं एवं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए किया गया बजट आवंटन बहुत ही कम है। इसके तीन कारण है। पहला यह है कि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग से 47,000 करोड़ रुपए मांगे थे। यदि आप आंकड़े देखें तो केवल 3154.70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है, जो कभी भी मंत्रालय द्वारा योजना आयोग से की गई मांग के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

दूसरी बात कि इस वर्ष 2012-13 के लिए मंत्रालय ने 4000 करोड़ रुपए की मांग की है सरकार ने इस अनुरोध को नहीं माना। तीसरी बात कि और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना आयोग द्वारा गरीबी अनुमान जारी किए गए है। यद्यपि ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में गरीबी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप नगरीय क्षेत्रों में धार्मिक समूहों को देखते हैं, तो अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक गरीब कौन लोग हैं? ये मुस्लिम हैं जिनमें 33.9 प्रतिशत लोग गरीब हैं। यहां आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि तथाकथित सर्वाधिक विकसित राज्य गुजरात के नगरीय इलाकों में 42.4 प्रतिशत मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य है बिहार वहां 56.5 प्रतिशत मुस्लिम गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 49.5 है। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मुस्लिमों की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है-असम में 53.7 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में 44.4 प्रतिशत है। यही कारण है कि आंकड़ों से स्पष्टत: पता चलता है कि गत आठ वर्षों में मुस्लिमों की गरीबी के उन्मूलन के लिए कोई पर्याप्त वास्तविक सुधार नहीं हुआ है। आप मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के सहायता अनुदान को ही ले लीजिए। 2012-13 के लिए 100 करोड़ रुपए घटा दिए गए है। यद्यपि कोष को 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है पर इसमें कोई पर्याप्त योजना नहीं है।

इस सरकार ने शिक्षा और रोजगार में अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। इस 4.5 प्रतिशत आरक्षण को प्राप्त करने के लिए सरकर की मदद की जरूरत है। नि:शुल्क कोचिंग योजना के लिए 18 करोड़ रुपये दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए छात्र सहायता नामक योजना है और इसके मात्र 3.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुसलमान 4.5 प्रतिशत आरक्षण और वह भी अल्पसंख्यक वर्ग में कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब कि सरकार मात्र 18 करोड़ और 35 करोड़ रुपये का आवंटन कर रही है? राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत है और इस 7 प्रतिशत में से केवल 4 प्रतिशत मुसलमानों के पास उच्च शिक्षा डिग्रियां हैं। इस प्रकार यह आवंटन बिल्कुल अपर्याप्त है। चूंकि मैं सरकार का समर्थन करने वाला सहयोगी हूं, हमें यह कहा गया था कि हम कटौती प्रस्ताव पेश नहीं करें। यह दूसरी बात है कि

सत्ताधारी दल के सदस्य सभा की कार्यवाही में रूकावट डाल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या सरकार इस आवंटन को बढ़ाने की इच्छुक है जो कि बेहद अपर्याप्त है?

योग्यता-सह-साधन, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को देखें। इन तीनों योजनाओं की सब तरफ काफी मांग है। प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए 10 आवेदक हैं। इस सरकार द्वारा वायदा किया गया था कि संतुलन स्तर प्राप्त का लिया जाएगा लेकिन गया लेकिन वह अपने वायदे को पूरा नहीं कर सकी है। एक बार फिर हम संख्याओं पर जा रहे हैं। यह अत्यधिक कम है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री, सभा के नेता से अनुरोध करूंगा कि योग्यता सह साधन, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाया जाए।

शिक्षा के प्रसार की योजना के उद्देश्य के लिए 257 में से 100 अल्पसंख्यक शहरों और कस्बों की पिछड़े शहर/कस्बे के रूप में पहचान की गई है। केवल 45 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो कि प्रत्येक शहर या कस्बे के लिए 4.5 लाख बनता है। यह राशि एक छोटी-सी कक्षा के निर्माण के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से इस राशि को बढ़ाए जाने का अनुरोध करता हूं। हम यह सब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमें लोगों के पास जाना पड़ता है अब मुसलमानों को और अधिक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है।

मुस्लिम समुदाय की तरफ से वास्तविक मांग सुरक्षा और विकास है। ये दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले हैं यदि आप एक चीज देंगे और दूसरी नहीं देंगे तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगें। आप को ये दोनों चीजें प्रदान करनी होगी।

अब आवास पर आते हैं। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा है कि शहरी भारत में किराये के घरों में रह रही सर्वाधिक संख्या मुसलमानों की है। मुसलमानों को आवास प्रदान किए जाने के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। एक अच्छी योजना है और कक्षा 9 की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदान किए जाने की योजना का मैं स्वागत करता हूं। यहां फिर 4.5 करोड़ रुपए की अल्प राशि दी गई है जबकि बिहार में प्रत्येक छात्रा को साइकिल मिल रही है। लड़कियों की इस योजना के लिए कम-से-कम 20 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए।

अब मैं एमएसडीपी पर आता हूं। यहां भी, आवंटित राशि 998 करोड़ रुपए से घटाकर 887 करोड़ रुपए की गई है। आश्चर्य की बात यह है कि वर्ष 2010-11 में, एमएसडीपी के लिए आवंटित राशि का केवल 68% ही खर्च किया गया है। हमसे वायदा किया गया था कि मानदंड को 25% से घटाकर 15% किया जाएगा तथा 63 और जिले जोड़े जाएंगे, लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसडीपी में लक्ष्यित समुदाय मुस्लिम है लेकिन क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण इसे दूसरे समुदायों की ओर मोड़ दिया है क्योंकि जिलों पर ध्यान केन्द्रित है न कि मुस्लिम बहुलता वाली बसावटों पर। कार्यान्वयन इकाई के रूप में, हम बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। नौ टीएमसीडी में चाहे कोई भी योजना क्यों न हो, मुस्लिमों को एक भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

अब मैं वरीयता क्षेत्र उधार योजना पर बात करूंगा। माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। सरकार का लक्ष्य 15% है लेकिन इस 15% में से 2% मुस्लिमों को भी वरीयता क्षेत्र उधार योजना के अंतर्गत ऋण नहीं मिल रहा है।

वक्फ बोर्डों को सहायता अनुदान राशि दी जाती है। आवंटन 13-50 करोड़ रुपए है। इस राशि से, अन्य संपत्ति बात तो दूर भारत के किसी शहर की एक वक्फ संपत्ति में भी सुधार नहीं किया जा सकता है। तो वक्फ द्वारा कितनी आय अर्जित की जाएगी? इसे कम-से-कम 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, कौशल विकास पहल एक नई योजना है और इसके लिए 18 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भगवान के लिए, कृपया हमें खैरात न हैं। हम यह योजना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री के अधीन कौशल विकास आयोग है। यदि सरकार इसका 15% हमें प्रदान करे तो बहुत अच्छा होगा।

एनएमडीएफसी का आवंटन 150 करोड़ रुपए से घटाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह निगम 90 करोड़ रुपये से क्या करेगा? हज चार्टर के प्रचालन के लिए 655 करोड़ रुपये की सब्सिडी है। महोदय, मैं हाथ जोड़कर माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमें यह हज सब्सिडी नहीं चाहिए। वे 655 करोड़ रुपये की इस सब्सिडी को वापस ले लें और इसे अल्पसंख्यक बालिका छात्रवृत्ति योजना को दे दें क्योंकि यह मुस्लिमों के नाम पर घाटों में चल रहे उद्यम एयर इंडिया को देने के अलावा और कुछ नहीं है। हमें यह 655 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने वाली योजना नहीं चाहिए। सरकार को भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। यह कहकर कि वे हमें हज सब्सिडी दे रहे हैं, वे हमें धोखा क्यों दे रहे हैं? जिन मुस्लिमों के पास आर्थिक साधन है वे हज पर जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि इस सब्सिडी को समाप्त कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि इस राशि का उपयोग अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उन्नयन के लिए किया जाए।

समान अवसर आयोग के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। यदि समान अवसर आयोग की स्थापना की जाए, तो दलितों, पिछड़े वर्गों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को समाज में उनका सही हिस्सा प्राप्त करने में यह अत्यधिक मददगार साबित होगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को देखे।

आवंटनों में वृद्धि करनी होगी। यह बहुत ही कपटपूर्ण तर्क है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू ही होने वाली है और हम इसमें वृद्धि करने जा रहे हैं। मैंने कल कभी नहीं देखा है। कृपया इसकी राशि में अभी वृद्धि करें क्योंकि इससे गलत संदेश गया है।

आखिरी बात वही बात है जो श्री जायसवाल ने भी कही है अर्थात्, आभूषणों पर उत्पाद शुल्क का हटाया जाना। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शत प्रतिशत आभूषण की दुकानें पर हड़ताल चल रही हैं एवं उन कामगारों में 90 प्रतिशत पश्चिम बंगाल से हैं वे मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनकी शिकायतें माननीय वित्त मंत्री को बताऊं। कृपया आभूषण दुकानों पर से उत्पाद शुल्क हटा लें।

सभापति महोदय: मैं अब अंतिम वक्ता को आमंत्रित करता हूं। जिन अन्य माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिए है वे अपने भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, आपके होते हुए भी हम बोल नहीं पा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप श्री यशंवत सिन्हा के भाषण के बाद बोल सकते हैं। कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशंवत सिन्हा (हजारीबाग): महोदय, कृपया उन्हें बोलने दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सिन्हा, कृपया आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, मैं कुछ मौलिक बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं लेकिन उस विषय पर आने से पहले मैं पुरजोर सिफारिश इस बात की यहां पर करूंगा कि हमारे जो तेलगुदेशम के मित्र हैं, उनको बजट पर बोलने का समय मिलना चाहिए। वो एक राजनैतिक दल से हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, कल पूरा दिन बेकार चला गया था। हम चाहते थे कि ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: मैं उस पर बोलने जा रहा हूं। कल पूरा दिन बेकार चला गया था ..*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हमने इसके लिए पर्याप्त समय रखा है पर तथा यह है कि इस चर्चा को समाप्त करना होगा एवं माननीय मंत्री को 4 बजे उत्तर देना है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब यह निर्णय लिया गया है कि माननीय मंत्री 4 बजे उत्तर देंगे। श्री सिन्हा कृपया आप चार बजे तक बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, मुझे भी इस बात का खेद है कि कल का सारा दिन इसी में समाप्त हो गया। आज का आधा दिन समाप्त हो गया। अगर सरकार तेलंगाना के मुद्दे पर अपने किये हुए वादे पर कायम होती...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि आज आप बिल लाइए। हम लोग तेलंगाना का पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप बिल लाते नहीं हैं। आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सिन्हा, कृपया आप बजट पर बोलिए

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: मैं बजट पर बोलने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इस देश की अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या क्या है? उसी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या मुद्रास्फीति है। आज वित्त मंत्री जी को यह संतोष हो सकता है कि इंफ्लेशन हाल के महीनों में धीरे-धीरे नीचे आया है लेकिन फरवरी के जो आंकड़े आए हैं, उससे पता चलता है कि इंफ्लेशन फिर आगे बढ़ रहा है। एक समय था इंफ्लेशन का दर अगर 7 और 8 प्रतिशत होता था तो हम लोगों को बहुत चिंता होती थी। आज हम लोग इस बात का उत्सव मनाते हैं कि इंफ्लेशन की दर 7-8 प्रतिशत नीचे आ गयी है और वित्त मंत्री जी खड़े होकर बोलते हैं कि 20 प्रतिशत थी और वहां से 7 प्रतिशत पर आ गयी है। इंफ्लेशन अगर केन्द्रीय मुद्दा है तो क्यों है?

अगर आप पिछले कई वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि वर्ष 2007-2008 तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वर्ष 2003 में मेरे काबिल दोस्त जसवंत सिंह जी इस देश के वित्त मंत्री थे। 2003-2004 में इस देश ने छलांग लगाई और हम तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। ...*(व्यवधान)* अरे कुछ पढ़ो, लिखो तो पता चले। इस देश ने छलांग लगाई और उसके बाद आप 2007-2008 तक आंकड़ा उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि सब कुछ बढ़िया था। ग्रोथ रेट 9 प्रतिशत से ऊपर था, फिसकल डैफिसिट कंट्रोल में था, रेवेन्यू डैफिसिट कंट्रोल में था, इंफ्लेशन रेट कंट्रोल में था, संविंग रेट आज तक उतनी नहीं हुई, 37 प्रतिशत इंवेस्टमेंट रेट से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गई। इस तरह से हम सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक 2008-2009 के वर्ष में इस मुल्क में एक भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। क्योंकि उस साल सरकार ने सरकारी घाटा दो लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिया। एक लाख तीस हजार करोड़ बजट में था, वह बढ़कर तीन लाख तीस हजार करोड़ से ऊपर चला गया। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसी सदन में बयान दिया था कि जितना हमारा घाटा बढ़ा है, उसे आप स्टिमुलस मान लीजिए और दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसेज आया है, उसके लिए हम स्टिमुल्स दे रहे हैं। इसलिए ये दो लाख करोड़ हमने स्टिमुलस दे दिया। अब आप देखिये कि वहां से गिरावट कैसे शुरू हुई। वर्ष 2008-2009 में फिस्कल डेफिसिट छः प्रतिशत हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट साढ़े चार प्रतिशत हो गया, उसके बाद मुद्रास्फीति की दर 4.8 प्रतिशत से बढ़कर आठ प्रतिशत हो गई और तब से लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। क्योंकि एक चक्रव्यूह है, एक विशेष साइकिल है। वह विशस साइकिल क्या है कि जब आपका सरकारी घाटा बढ़ेगा और इस साल वह पांच लाख करोड़ रुपये तक या और जब आपका घाटा बढ़ेगा तो उसका असर मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ेगा, जब मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी तो आरबीआई हरकत में आयेगा और आरबीआई हरकत में आयेगा और आरबीआई उसके बाद ब्याज दर बढ़ाना शुरू करेगा। 13 बार आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाई है। जब आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ानी शुरू की तो उसके बाद उसका नतीजा यह हुआ कि देश में जो इनवैस्टमैन्ट होता है, पूंजी निवेश होता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ा, क्योंकि पूंजी न केवल अवहनीय बल्कि अनुपलब्ध भी हो गयी है। न बाजार में पैसा था और जो

अपराह्न 3.52 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

पैसा था उसका ब्याज दर इतना था कि लोगों ने कहा कि हम इनवैस्टमैन्ट नहीं करेंगे और जब उन्होंने इनवैस्टमैन्ट नहीं किया या इनवैस्टमैन्ट करना कम कर दिया तो उसके बाद उसका असर ग्रोथ रेट पर पड़ा और जो लास्ट तिमाही के आंकड़े आये हैं, यदि वह 6.1 प्रतिशत हो गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अचानक कौन सी आफत आ गई। 2008-2009 में इन्होंने कहा कि दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसेज हो गया, अमेरिका के बैंक कोलैप्स कर गये। उसके बाद आज कह रहे हैं कि यूरो जोन का क्राइसेज आ गया। 2008-2009 में आपने सैंट्रल एक्साइज की दर घटा दी और इसे 12 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया। उस समय यह सही कदम था। आज अगर यूरो जोन का क्राइसेज है तो आपने उसे दस से बारह प्रतिशत क्यों कर दिया। हमारा कहना है कि दोनों सही नहीं हो सकते। अगर यह सही है तो वह सही नहीं था और अगर वह सही है तो यह सही नहीं था अब क्या हो रहा है कि दोबारा इस बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि "मैं दयालु बनने के लिए निष्ठुर होने जा रहा हूं" इस बजट का नतीजा यह हुआ कि यह 41 हजार 42 हजार करोड़ रुपये टैक्स में उठाने जा रहे हैं। उसके साथ आप रेलवे बजट का जो बोझ है, खासकर जो फ्रेट रेट है, उसे जोड़ दीजिए तो आप पायोंगे कि इन सबका सीधा असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा और अर्थशास्त्र का कोई नियम यह नहीं कहता कि आप घाटा बढ़ाते जाओ और उसका असर नहीं पड़ेगा। उसका असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा मुद्रास्फीति फिर तेजी से आगे बढ़ेगी और इंफ्लेशन के बारे में कहा गया है कि यह कराधान का सबसे खराब रूप है यह बगैर विधान का कराधान है। सरकार को यहां आने की जरूरत नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है, इसलिए हम तुम्हारी मंजूरी चाहते हैं। सदन की बिना मंजूरी के यह टैक्स सरकार वसूल करेगी हम सरकारी घाटे के कारण बढ़ती मुद्रासफीति के दुश्चक्र में फिर फंस गए हैं। उसके बाद ब्याज दर में वृद्धि, निवेश भी कमी विकास दर पर

प्रभाव, मैं वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके बजट ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज मैं यहां खड़े होकर दावा करूं कि जब हम लोग सरकार में थे तो हमने इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। आप यहां पर बैठे हैं और जो लोग हां-हां कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आप इसे स्वीकार करें या न करें। ...*(व्यवधान)* आप इसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन दुनिया इस बात को मानती है कि हम लोगों के समय में महंगाई नहीं थी। हम लोगों के समय मे इंट्रेट रेट को सॉफ्टन किया गया था।...*(व्यवधान)* अभी सोनिया जी आ कर बैठी हैं।

अध्यक्षा जी, इसी सदन में जब सोनिया जी सुषमा जी की जगह बैठी हुई थी तब वे हम लोगों की सरकार के लिए एक अविश्वास का प्रस्ताव लाई थीं और लास्ट डेसिमल तक कंपेयर किया था कि हमारे समय में ग्रोथ रेट क्या था, आपके समय में ग्रोथ रेट क्या था। कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक आंकड़ा कंपेयर कीजिए कि हमारे समय में महंगाई कितनी थी और आपके समय में महंगाई कितनी है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जगदम्बिका पाल जी, आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाए, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ये क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्षा जी, मैं जिस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था वह यह है कि इस चक्रव्यूह से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को निकालना है। मुझे लगता है और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी का जो इस साल का बजट है, वह हमें और ज्यादा इसकी गहराई में ले जाएगा। उससे हमें फायदा नहीं होने वाला है। अगर यह है तो फिर हम क्या उम्मीद करें? एक-दो बातें और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

एक तो यह है कि यहां पर जीएसटी की चर्चा हुई है। अभी हाल में राज्यों ने सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो उनका बकाया था, उसके बारे में वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि हमारे 19 हजार करोड़ रुपये आपके ऊपर निकलते हैं, क्योंकि आपने सेंट्रल सेल्स टैक्स को 4 प्रतिशत से कम कर के 2 प्रतिशत कर दिया है और यह कहा कि हम राज्यों को कंपनसेट करेंगे। राज्यों का जो उचित मुआवजा है उसे देने के बजाय आपने उन्हें यह कह दिया कि हम 6 हजार करोड़ रुपये आपको देंगे और हमारा-तुम्हारा हिसाब साफ हो गया, अब हम राज्यों को इसके आलावा कोई पैसा नहीं देंगे। आप जानती हैं कि बिना राज्यों की सहमति के जीएसटी लागू नहीं हो सकता है। अगर जीएसटी लागू नहीं होगा तो यही सरकार कहती है कि बड़ा भारी सुधार का कदम है। तब क्या होगा? मैं एनसीटीसी और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर वित्तीय प्रबंधन में राज्यों के साथ नाइंसाफी की और राज्य आप से नाराज होते हैं तो उनसे आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी लगाने में वे आपका सहयोग करेंगे।

मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को लेकर राज्यों का जो देय है, वह उन्हें उपलब्ध कराइए ताकि वे अपना काम-काज चला सकें।

दूसरी बात, जो हमारे कई साथियों ने कही सारे देश का सर्राफा बाजार 12 दिनों से बंद है। जिस दिन से बजट आया है उस दिन से सर्राफा बाजार हड़ताल पर हैं। चाहे वह झारखंड का हो, अहमदाबाद का हो, चांदनी चौक का हो, हैदराबाद का हो, महाराष्ट्र का हो और चाहे गुजरात का हो, पूरे देश का सर्राफा बाजार बंद है। टैक्स लगाने का अगर कुछ अनुभव हमें है, तो मैं उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इन छोटी-छोटी सर्राफा की दुकानों पर टैक्स लगा कर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ यही होगा कि आपके पदाधिकारी जाएंगे और उन लोगों को परेशान करेंगे। उसके बाद, भ्रष्टाचार का जो आलम है, जिससे हम सब परिचित हैं, उसी को बढ़ावा मिलेगा। आपको कोई टैक्स मिलने वाला नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया आपने यह जो टैक्स लगाया है, उस टैक्स को अभी, जब आप

जवाब देने के लिए उठेंगे, आप फाइनेंस बिल का इंतजार मत कीजिये, आप यहीं पर घोषणा कीजिये कि आपने सर्राफा के ऊपर जो टैक्स लगाया है, उसे आप वापस ले रहे हैं। ताकि उन लाखों लोगों को रिलीफ मिल सके, जो लोग आज हड़ताल पर हैं और जिनकी रोजी-रोटी उनसे छिन गयी है, उन लोगों के लिए मैं आपसे पुरजोर सिफारिश करता हूं कि आप उन्हें राहत पहुंचायें।

मैं एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं, क्रुएलिटी और काइंडनेस की बात है, आपने तो लोगों की जेब पर डाका डाला। 41 हजार करोड़ रुपया उसमें से निकाल लिया, लेकिन आपने सरकार के खर्च को काटने के लिए या कम करने के लिए क्या किया? आपका व्यय प्रबंध कहां है?

महोदया, मैं बहुत जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार में वित्त मंत्री जी ने नहीं कहा कि मंत्रियों के विदेश जाने पर हम रोक रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि बड़े सरकारी पदाधिकारियों के विदेश जाने पर हम रोक लगा रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि जो ट्रैवलिंग एलाउन्स है, उसमें हम यह कटौती कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रालयों से नहीं कहा कि कागज के दोनों तरफ टाइप करो। उन्होंने पैट्रोल, डीजल आदि किसी भी चीज के बारे में नहीं कहा। ऑस्टेरिटी के बारे में इनकी बजट स्पीच में एक शब्द नहीं है। देश को आप कहते हैं कि बेल्ट बांधकर तैयार हो जाओ, टर्बोलेंट वेदर आ रहा है। पहले तो आप अपना बेल्ट बांधो। आप अपना बेल्ट नहीं बांधेंगे, आप कहेंगे सरकार का बिजनेस ऐज यूजवल है, तो देश की जनता आपकी बात क्यों मानेगी? अभी यहां जायसवाल साहब बैठे हैं, कानपुर में बोलकर आये हैं कि *...*(व्यवधान)* ये खुद कहकर आये हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करें। समय हो गया है।

...*(व्यवधान)*

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): आप हमारी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

श्री यशंवत सिन्हा: ये कानपुर में बयान देकर आये हैं कि ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: ऐसी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। आप इतने सीनियर मेंबर हैं, हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। ...*व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: आपका सब अखबार में छप गया है, आप क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: यशवंत सिन्हा जी, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, बहुत सारी बातें थीं, लेकिन संक्षेप में मैं यह कह रहा हूं कि आप देश के साथ न्याय कीजिये। देश की जनता के साथ इंसाफ कीजिये और यह जो आपने एक भयानक क्रूर रूप दिखाया है, क्रूर रूप, आपका जो क्रूएल चेहरा है, वित्त मंत्री जी वह नहीं जंचता है क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया मुस्कुराइये, देश की जनता को राहत पहुंचाइये। देश की जनता आपका नाम लेगी, और कोई इस सरकार में नहीं बचा, जिसमें देश की जनता को थोड़ा भी विश्वास है। अगर किसी में विश्वास है तो आपमें है, इसको बना रहने दें।

[अनुवाद]

***श्री पी.टी. थॉमस** (इदुक्की): सर्वप्रथम में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को वित्त के रूप में पूरे राष्ट्र को प्रति उनके द्वारा दिए गए। योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा महोदया, वह जैसी हिमालय पर्वत का शीर्ष स्थान है उसी तरह वह आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी हैं। हमारे वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करता हूं। महोदया, पिछले बजट में हमने कृषि क्षेत्र के लिए 4.75 लाख रुपये आवंटित किए जबकि इस बार यह आवंटन 5.75 लाख रुपये है। यह वास्तव में किसान किसानोन्मुखी बजट है। इस भारी भरकम राशि से हमारे इन किसानों को आजीविका मिलेगी जो अपना स्थायीत्व बनाए रहने के लिए संघर्षरत है। महोदया, किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर से तीन लाख रुपये तक का ऋण बैंको से प्राप्त होगा। महोदया क्या सम्मानीय सभा में कोई भी इसमें कोई दोष ढूंढ कसता है? ग्रामीण भारत, जहां सच्चे किसान रहते हैं, द्वारा इस घोषणा का पुरजोर स्वागत किया गया है।

बैंक इस किसानोन्मुखी योजना में अडंगा डालने की कोशिश कर रहे है। वे ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं। बैंक इस ऋण देने में बहुत सी शर्तें अनावश्यक रूप से लगा रहे हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृषि ऋण के वितरण के बारे में गहन अध्ययन कराएं। मैं इसका तत्स्थानिक निरीक्षण किए जाने का भी अनुरोध करता हूं। महोदया, मेरे राज्य केरल में, लगभग सभी बैंक जरूरतमंद किसानों को कृषि ऋण देने से इंकार कर रहे हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हैं कि जो शिक्षा क्षेत्र को निधि आवंटन के बारे में है। 75,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की गयी है। इससे शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा क्षेत्र को आवंटित राशि से पूरे राष्ट्र को मदद मिलेगी।

वर्ष 2009 से ही दिया जा रहा ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण गरीब के अनुकूल निर्णय है। महोदया, मैं शिक्षा ऋण पर ब्याज दर कम करने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने का अनुरोध भी वित्त मंत्री से करता हूं। अब यह 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत है। महोदया, एक गरीब विद्यार्थी इतनी अधिक ब्याज दर कैसे वहन कर सकता है?

यह व्यावहारिक भी नहीं है। महोदया, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक मॉडल शिक्षा ऋण योजना प्रारंभ करे जिसमें, 5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर निर्धारित न की जाय। महोदया, शिक्षा, निवेश है। मैं वर्ष 2011-12 की तुलना में इस राशि को 21.7 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर आवंटित करने के लिए भी सरकार को बधाई देता हूं।

बजट में ग्रामीण अवसंरचना विकास संबंधी घोषणा भी उल्लेखनीय है। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन में वृद्धि करके इसे 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

गरीबों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक सुरक्षा उपाय। 18 से 68 वर्ष के आयु समूह के बीपीएल परिवार में मुख्य अर्जक की मृत्यु होने पर 20,000 रुपए की एकमुश्त अनुदान राशि से उन्हें अत्यधिक फायदा पहुंचेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूरे भारत में परिचारिका नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए एक समान शुल्क संरचना प्रारंभ करें। अभी परिचारिका स्कूल और कालेज परिचारिका नर्सिंग विद्यार्थियों से भारी राशि शुल्क के रूप में ले रहे हैं। परिचारिका पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इन विद्यार्थियों को बहुत कम राशि वेतन के रूप में मिलती है। मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे नर्सिंग स्टाफ के लिए न्यूनतम वेतन व्यवस्था प्रारंभ करें। अभी उन्हें 10,000 रुपये से कम वेतन मिलता है। महोदया मेरा विनम्र सुझाव है कि केन्द्र सरकार पूरे भारत में नर्सिंग समुदाय के वेतन की न्यूनतम सीमा कम से कम 15,000 रुपए निर्धारित करे। आज पूरे भारत में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर हैं। इसका शीघ्र निपटान भी जरूरी है। इन्ही शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन): सरकार ने जो बजट पेश किया है, इससे उद्योग जगत को आम आदमी से दोगुना फायदा दिया है। आम जनता को दी जा रही सब्सिडी को एक बड़ा बोझ बताने वाले वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट सेक्टर को दी जाने वाली कर सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की है। ऐस समय जब सरकार का राजस्व संग्रह कम हो रहा है तब भी कंपनियों को दी जाने वाली कर छूट में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनियों को 5,39,552 करोड़ रुपये की कर रियायत दी गई, जो आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी से लगभग दोगुना है। अभी भी सरकार सोच रही है कि आम जनता और किसानों को दी जा रही उर्वरक, खाद्य व पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती की जाए। सरकार ने अर्थव्यवस्था के गंभीर हालात के बावजूद वित्त मंत्री ने कारपोरेट कर के मामले में 51,292 करोड़ रुपये की छूट देकर उद्योग जगत को राहत देने का काम किया है जबकि आम जनता को आयकर के मामले में थोड़ा छूट देकर। दूसरी ओर सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाकर आम आदमी की जेब पूरी तरह ढीली कर दी है। अभी सभी वस्तुएं महंगी होने वाली हैं। इस तरह से सरकार ने आम आदमी के साथ धोखा किया है।

सरकार ने पूर्वोत्तर भारत हेतु हरित क्रांति लाने की पहल करने को कारगर मानते हुए इस योजना हेतु आबंटन में 2011-2012 में 400 करोड़ से बढ़ोत्तरी कर 2012-13 में 1000 करोड़ कर दिया है। इस तरह की योजना उत्तर प्रदेश किसानों के लिए क्यों नहीं चालू की गई। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार कब जागेगी। सरकार बीमार पड़ने के बाद क्यों जाग जाती है। जैसे महाराष्ट्र विदर्भ किसानों द्वारा आत्महत्या करने से उन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए पैकेज की घोषणा की, इसका किसको फायदा हुआ है, यह सभी जानते हैं। लेकिन किसानों को तो कतई नहीं हुआ है। विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तो। अभी इस कर्ज माफी आबंटन में सैंकड़ों अधिकारियों को दोषी पाया गया है और सरकार उन पर कानूनी कार्यवाही करने की बात कर रही है। तो मेरा सरकार से यह कहना है कि आप किसानों की खेती को लाभकारी बनाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। आज कई सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 40 प्रतिशत किसान, यदि उसे आजिविका चलाने के लिए दूसरा कोई विकल्प मिला तो, खेती छोड़ने को तैयार हैं। सरकार किसानों को मजबूर कर रही है।

अभी तो किसान ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। यदि सच में किसान खेती छोड़ेगा तो देश में क्या होगा? इसका

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कोई अंदाजा सरकार लगा रही है? बुंदेलखंड में हजारों किसानों ने गरीबी एवं भुखमरी व सरकारी कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्यायें कर ली हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों की 50 हजार रुपये के ऋण शीघ्र ही माफ करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें तथा उत्तर प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध कराया जाये, जिससे किसानों को राहत मिल सके। सिंचाई की नई परियोजनाएं नदियों, बांधों तथा जहां जहां जलाशय हैं, वहां से निकाली जायें। आवश्यकतानुसार बांध अवश्य बनवाये जायें। जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पंचनदा पर बांध अत्यंत जरूरी है, इसको शीघ्रातिशीघ्र सरकार को धन उपलब्ध करवा कर इसका निर्माण करवाना चाहिए।

झांसी में अथवा जालौन जिले के उरई में मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर एम्स की ही तरह मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। पूर्व में हमारी मांग पर भी सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी, इस हेतु शीघ्र धनराशि उपलब्ध करवाई जाये। हमारे संसदीय क्षेत्र जालौन के भोगनीपुर क्षेत्र में एवं बुंदेलखंड के जालौन जिले में शीघ्र एक बड़ी विद्युत परियोजना हेतु धन आबंटित करने की कृपा करें, जिससे वहां की बिजली की समस्या दूर हो सके तथ बेरोजगारों एवं नौजवानों को रोजगार मिल सके।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मनुष्य की मूलभूत समस्याएं, जैसे दवा, शिक्षा पूर्ण रूप से सरकार को नि:शुल्क उपलब्ध करवाना चाहिए। गरीबों को आवासों की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत से लोग आज भी खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। आज का नौजवान रोजगार ढूंढने के लिए भटक रहा है तथा दर-दर की ठोकरें खा रहा है। शीघ्र नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था करना चाहिए तथा जिनको रोजगार न दे सकें, उन्हें बेरोजगारी भत्ता, कम से कम एक हजार रुपये की दर से, उपलब्ध करवाना चाहिए।

कन्या धन ऐसी पुनीत योजना है, उसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो गांव और मजरे सड़क से वंचित हैं, उन्हें शीघ्र धन उपलब्ध करवा कर उन गांवों में सड़कें बनवाई जाये, जिससे उन गांवों का विकास हो सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई जगह अभी भी सड़क बिजली, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल एवं स्कूलों की कमी है। मैं सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को सड़क, बिजली, दवा, शिक्षा, सिंचाई इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवा कर कार्य पूर्ण करवाना चाहिए। सरकार अमीरों के प्रति उद्योगपतियों के लिए मेहरबान है लेकिन किसानों, नौजवानों, गरीबों एवं महिलाओं के विकास कराने के लिए उदासीन है।

दुनिया में भुखमरी का शिकार हर पांचवा इंसान भारतीय है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2011 के मुताबिक भूख से लड़ रहे देशों की सूची में नेपाल, पाकिस्तान और सूडान जैसे देश भारत की तुलना में कहीं बेहतर हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही हैं?

इस देश में सभी क्षेत्र में उत्पादकों को अपने उत्पादन के दाम तय करने और मुनाफा कमाने का अधिकार प्राप्त है मगर किसानों का देश की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। किसानों की उसके उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार नहीं है फिर देश में बढ़ रही महंगाई का उस पर पड़ रहा प्रभाव से वह खेती से निराश हो रहा है। किसानों पर क्राप हालिडे की नौबत आ रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों के हर फसल को सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया जाये और केवल घोषणा ही नहीं उसे उचित समय पर खरीद करने का प्रावधान भी करना पड़ेगा क्योंकि यह कटु अनुभव भी सामने आये हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद में देरी करने से किसानों को उसका खामियाजा भुगतान पड़ता है। इसलिए उसे समय पर खरीदने का प्रावधान भी करना अनिवार्य है और यदि इसमें कोई अधिकारी की लापरवाही होती है तो उसके ऊपर दंडनीय कार्यवाही करने का प्रावधान भी करना चाहिए।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ देश के विकास से भी जुड़ा है, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी माना है कि देश में किसानों के लिए गांव से खेत जाने के लिए खेत रास्ते नहीं होने से समय पर अनाज घर नहीं ला पाने के कारण देश में हर साल लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह केवल खेतों से समय पर अनाज घर नहीं लाने के कारण होता है। समय पर अनाज नहीं लाने की केवल एक ही समस्या है, वह है गांवों से खेतों को जोड़ने का रास्ता नहीं होना।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी जोड़ो अभियान को पुन: शुरू करने का निर्देश दिया। नदी जोड़ो योजना यह एक ऐसी योजना है, इसका सीधा सीधा फायदा देश के किसानों से जुड़ा हुआ है और सरकार की नीति जैसे हरित क्रांति लाने का सपना देखती है। केन बेतवा नदी को शीघ्र जोड़ना चाहिए, जिससे बुंदेलखंड के किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

माननीय मंत्री जी मैंने अपने सुझाव रखे हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र जालौन एवं भोगनीपुर और पूरा बुंदेलखंड अत्यंत पिछड़ा हुआ है। देश के लिए एवं प्रदेश के लिए तथा अपने संसदीय क्षेत्र जालौन एवं बुंदेलखंड के विकास के लिए जो मैंने सुझाव दिए हैं, वह शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाने का

कष्ट करें ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके एवं पूरे क्षेत्र का विकास हो सके।

[अनुवाद]

***श्री बंस गोपाल चौधरी** (आसनसोल): मैं, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट पर निम्नलिखित बातें सभा पटल पर रख रहा हूं।

इस समय देश तीन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है।

1. बेराजगारी (2) मूल्य वृद्धि और पश्चिमी देशों में मंदी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में संकट। इस बजट में सरकार ने बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कोई सकारात्मक लक्ष्य नहीं रखा है। केवल सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ती दरों का उल्लेख किया गया है जबकि हर एक क्षेत्र अर्थात् कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर में लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।

वास्तव में, रोजगार सृजन करने के लिए उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में बजट में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। आप देश में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र कृषि है। इसके लिए सिचाई सुविधाओं को बढाने की आवश्यकता है। इस समय 48% भूमि पर सिचाई सुविधाएं अपलब्ध हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ की राशि आबंटित की गई है जो कि योजना बजट का केवल 3% है।

अब देखना यह है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार रोजगार सृजित किए जाएंगे? इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं। आप कृपया देश के किसानों की स्थिति का अध्ययन करें जो इस समय भयावह है। गरीब किसान आत्म-हत्या कर रहे हैं। यह मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में भी हो रहा है। लेकिन सरकार ने उर्वरकों से राज सहायता की राशि कम करने का निर्णय लिया है। डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. उर्वरकों से राज सहायताओं में 274% और 10% की भारी कमी की गई है। नाइट्रोजन, फोस्फेट और पोटाश में राज-सहायता कृमश: 11.6%, 32.6% और 10.3% कम की जा रही हैं।

उर्वरक की कीमतों से नियंत्रण हटाने संबंधी नीति को समात्र किया जाना चाहिए।

सरकार बाजार कृषि उत्पादों को समर्थन मूल्य प्रदान नहीं कर रही है। क्या बजट में ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है? उत्तर नकारात्मक है लेकिन ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु 33,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया है इसकी राशि में भी कटौती कर दी गई है। इस प्रकार लघु और कुटीर उद्योग के लिए आवंटन वर्तमान वर्ष की तुलना में कम है। रोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादन वृद्धि हेतु अवसंरचनात्मक विकास आवश्यक है। अवसंरचना के निर्माण हेतु सरकार निजी भागीदारी को बढ़ा रही है।

नव-उदारीकरण नीति से विश्व-व्यापी मंदी का निर्माण हुआ हो। सरकार विदेशी निवेश पर कैसे निर्भर रहेगी। अवसंरचना निर्माण हेतु सरकार के व्यय से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। लेकिन बजट में मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

अब मैं देश में अधिक मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा शुरू कर रहा हूं। मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई है। देश में मंहगाई की उच्च दर होना खतरा का संकेत है। खाद्य पदार्थ गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हैं।

सरकार गरीब लोगों को कैसे सीधे धनराशि उपलब्ध कराएगी। बीपीएल और एपीएल का मात्र भेद करना ही समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को वायदा व्यापार को बंद करना चाहिए। सरकार को बाजार के एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहिए। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण पुन: मूल्य वृद्धि होगी; रसोई गैस, डीजल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राज सहायता कम कर दी गई है। इस तरह से आम आदमी से कुल 73,000 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष रूप से संग्रहित किए जाएंगे जिससे मूल्य वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

लेकिन कोर्पोरेट क्षेत्र के लिए बजट इतना उदार क्यों हैं। धनी और कार्पोरेट घरानों के लिए 5 लाख 29 हजार करोड़ रुपये की कर रियायत दी गई है केन्द्रीय बजट की यही मूल बात है। मैं माननीय वित्त मंत्री से रत्न और आभूषण उद्योग पर लगाए गए उत्पाद कर में क्योंकि कर इन उद्योगों को बचाने का अनुरोध करता हूं।

सरकार ने विनिवेश नीति की घोषणा की है जिसमें देश के असंगठित निर्धन श्रमिकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है वे देश में विना किसी रोजगार सुरक्षा और उचित वेतन ढांचे के जीवन यापन कर रहे हैं।

इन गरीब देशवासियों के लिए बजट में कल्याणकारी कदमों का उल्लेख नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि भविष्य निधि में जमा श्रमिकों के जीवन भर की बचत पर निशाना क्यों साधा जाता है। भविष्य निधि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमा नियत जमा सहित अन्य जमा निधियों से भिन्न है क्योंकि श्रमिकों का भविष्य निधि एक सामाजिक सुरक्षा निधि है और यह निधि सरकार के पास पच्चीस से तीस सालों की दीर्घ अवधि के लिए रहती है। सरकार ने देश के श्रमिकों को कोई भला नहीं किया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात आवास गणना 2011 की रिपोर्ट सरकार के लिए शर्मनाक है। परन्तु बजट इन लोगों के लिए नहीं है जो दयनीय स्थिति में रह रहे है यद्यपि उनकी संख्या काफी है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं करता।

***श्री एन.एस.वी चित्तन** (डिंडीगुल): माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के बजट में लोगों पर ज्यादा बोझ डाले बिना संतुलित लेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। खाद्य पदार्थों के लिए दी जा रही राजसहायता में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करने से सरकार की यह मंशा परिलक्षित होती है कि वह समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिबद्ध मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती है ताकि गरीब केन्द्रित और ग्रामीण लोग जिनकी आबादी काफी अधिक है उनको ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। यद्यपि अगले वित्त वर्ष में उर्वरक और तेल पर दी जा रही राजसहायता सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के अंदर ही सीमित रखी जाएगी। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राजसहायता को सीमित करने के लिए वित्त मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य संगत कीमतों को समायोजित करने के लिए सरकार को एक प्रभावी कार्यक्रम लाने की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने पुन: आश्वस्त करते हुए बजट पश्चात् बात-चीत में कहा कि "जब उचित महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आएगा, तब हम अपने सभी सहयोगी दलों को उस निर्णय में शामिल करेंगे और उनसे परामर्श करेंगे। इससे यह ज्ञात होता कि यह गठबंधन सरकार गठबंधन धर्म के सभी पहलुओं का पालन करेगी और अर्थव्यवस्था की विभिन्न खामियों को दुरुस्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने से नहीं चूकेगी और "अर्थव्यवस्था के प्रबंधन हेतु सतत् रणनीति" लागू करेगी जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है।

बजट में अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार दोनों में तेजी प्रदान करने के लिए गम्भीर प्रयास किए गये हैं। जिनकी करोड़ों भारतीय युवाओं की महत्वाकांक्षी मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राजकोषीय समेकन हेतु इस पर विचार करते हुए कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 57 प्रतिशत योगदान करने वाले सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति मुक्त विकास सुनिश्चित करने के लिए 17 सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को कराधान के दायरे लाना एक साहसिक कदम है। वित्त मंत्री ने वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे गैर-योजनागत और गैर-उत्पादक व्यय को नियंत्रित करने के लिए व्यय सुधारों के तरीके के द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) में संशोधन आरम्भ करने की घोषणा की है। प्रभावी राजस्व घाटे को लागू करने की पहल जो राजस्व घाटे और पूजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान एक प्रसंशनीय कदम पहल है। क्योंकि यह राजस्व घाटे के खपत घटक को नियंत्रण करने में सहायक होगा और टिकाउ परिसंपत्ति सृजन हेतु पूंजी व्यय में वृद्धि का मार्ग स्थापित करेगी और व्यय सूचकों हेतु तीन वर्षीय चक्रीय लक्ष्य निर्धारित करता है जो आवश्यक व्यय की योजना तैयार करने एवं अनावश्यक व्यय को रोकने में काफी महत्वपूर्ण होगा।

बजट में मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि इस राजकोषीय वर्ष में प्राक्कलन 6.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2012-13 में 7.5 प्रतिशत की लक्षित जीडीपी वृद्धि को प्राप्त करने हेतु एक अनुकूल माहौल निर्मित किया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण और उसके बाद प्रस्तुत बजट में औद्योगिक क्षेत्र का जीर्णोद्धार करके अर्थव्यवस्था की वृद्धि कर प्राप्त करने पर समुचित बल दिया गया है, क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि में रोजगार का सृजन करने वाले इस विनिर्माण क्षेत्र का योगदान हाल में बहुत धीमा रहा है। विनिर्माण उद्योग हेतु लौह अयस्क पेलैट संयंत्रों या लौह अयस्क शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु आयातित संयंत्र और मशीनरी विद्युतीय इस्पात के विनिर्माण हेतु कोटिंग साम्रगी निकल अयस्क और सान्द्रन तथा निकल ऑक्साइड/हाइड्रोक्साइड पर सीमा शुल्क संबंधी कई कटौतियों की घोषणा की गई है। समस्याएं झेल रहे क्षेत्र जैसे इस्पात, वस्त्र, ब्रांडेड रेडीमैड वस्त्र कम लागत वाले चिकित्सा यंत्र, व्यापक पैमाने पर खपत की जाने वाली वस्तुएं तैयार करने वाले श्रम प्रधान क्षेत्र और माचिसों का निर्माण करने वाले अर्ध मशीनीकृत इकाइयों को राहत प्रदान की गई है। आयातित कच्चा तेल के आयात बिल में भारी वृद्धि की आशंका को देखते हुए ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने के लिए बजट में ऊर्जा बचत करने वाले यंत्रों और सौर तापीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक संयंत्रों और उपस्करों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समुचित रियायतों और छूटों का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क में और गैर-ब्रांडेड आभूषणों पर उत्पाद शुल्क में इसलिए वृद्धि की गयी है कि सोने के बढ़ते आयात को घटाया जा सके, जोकि चालू खाता घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

चूंकि पर्याप्त संसाधनों के बिना कोई विकास नहीं हो सकता है, इसलिए बजट में इनिशियल पब्लिक ऑफर्स (आईपीओएस) हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर भारतीय कार्पोरेट बांड बाजार में अर्हक संस्थागत विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करके तथा सरकारी बांडो में संस्थागत विदेशी निवेश (एफआईआई) को बढ़ाकर पूंजी बाजारों में गतिशीलता लाने पर समुचित ध्यान दिया गया है।

चूंकि अवसंरचना विकास के लिए अहम है, संघ बजट में 12वीं योजना के दौरान अवसंरचना निवेश हेतु 50 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से लगभग आधी राशि निजी क्षेत्र से आएगी। अत: बजट ने अनेक नवाचारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निधियन स्रोतों के पाबंदियों को कम किया गया है। इससे कार्पोरेट क्षेत्र के लिए कम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लागत वाली निधियों उपलब्ध हो जाएगी और कई मुख्य क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में कई सकारात्मक प्रावधान किए गये हैं जैसे अलेखांकित धन के सृजन और प्रयोग के रोकने के उपाय, वाले धन पर श्वेत पत्र और प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ने के लिए अप्रत्यक्ष और सेवा कर दोनों पर अपने कर प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता। आयकर छूट सीमा को 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है और 20 प्रतिशत कर स्लैब की उच्चतर सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर अनेक वेतन भोगी लोगों पुरुष और महिलाओं दोनों, को राहत देना एक बड़ा कदम है, जोकि उन्हें बचत करने या अपने विवेकानुसार अपनी खर्चयोग्य आय को बढ़ाने में मदद करेगा।

देश के किसानों हेतु वित्त मंत्री काफी उदार रहे हैं क्योंकि अगले वित्त वर्ष हेतु कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 5.75 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि एक ही वर्ष में एक लाख करोड़ रुपए की अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है। इससे निस्संदेह किसानों के लिए किफायती ब्याज दर पर प्रचुर ऋण समय पर मिल सकेगा। बजट में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संबंधी कई रियायतों का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कृषि, बागवानी, दुग्ध और पशुपालन में निजी क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त निवेश किए जाएंगे। आधुनिक साइलो और पात्र के निर्माण करके अनाज भण्डारण क्षमता में दो मिलियन टन की वृद्धि करने के लिए उदार उपबंध किए गए हैं। बजट में सिंचाई और कृषि अनुसंधान और विस्तार हेतु पर्याप्त अतिरिक्त आवंटन किया गया है। कृषि के लिए मौजूद विभिन्न योजनाओं को पांच मुख्य मिशनों के अंदर लाने से इनको विशेषरूप से मदद देने में सहायता मिलेगी।

इस अर्थव्यवस्था के विभिन्न वास्तविक क्षेत्रों हेतु निधियां सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री के समक्ष आ रही बाधाओं को देखते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमियों को समान अवसर प्रदान करने के मार्ग में आ रहीं बाधाओं को दूर करने के लिए सोचा-समझा प्रयास किया है ताकि संसाधनों को प्रभावी तरीके से आवंटित किया जा सके और विकास की कठिन यात्रा में सभी पणधारकों और शेयरधारकों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री महेश जोशी** (जयपुर): मैं केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी का बजट में हर वर्ग का विशेषकर कृषि क्षेत्र एवं आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ ही ग्रामीण भारत, कृषि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रों, रेलवे, सड़क परिवहन एवं महिला कार्यक्रमों के विकास के लिए बजट में समुचित प्रावधान रखने पर उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने आयकर छूट की सीमा बढ़ाये जाने और कर सीमा सलेब को आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किये जाने के लिए माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।

निवेदन है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र जयपुर जवाहरात एवं आभूषणों के बड़े केन्द्र के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है देश के सोने, चांदी एवं जवाहरात के कुल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर से संचालित किया जाता है।

प्रस्तुत बजट 2012-13 वैसे कुल मिलाकर एक शानदार बजट बजट कहा जा सकता है लेकिन सर्राफा, जवाहरात एवं आभूषण व्यापारी इसके कुछ प्रावधानों में राहत चाहते है एवं इसके लिए लगातार मांग के साथ आंदोलन भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अपने क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में जवाहरात सर्राफा व्यापारी हैं ये भी आंदोलनरत हैं और इसी सिलसिले में ये मुझसे मिले भी थे। इनकी मांगों के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि इनकी मुख्य मांग सर्राफा व्यापार पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी हटाने को लेकर है।

मेरा भी यह मानना है कि व्यापारी वर्ग को अलग-अलग विभागों के जितना हो सके कम से कम चक्कर लगाने पड़े। यह ठीक माना जाता है इसलिए विभिन्न स्तरों पर सिंगल विंडो सिस्टम को लोग पसन्द करने लगे हैं।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि सर्राफा व्यापार को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में विचार करने की कृपा करें। यदि आप यह समझते है कि एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त राशि नहीं आने से सरकार को विशेष आर्थिक हानि होती है तो यह कर दूसरे मद में एक प्रतिशत बढ़ाकर वसूल किया जा सकता है और ये व्यापारी इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लेंगे।

आशा, है आप इस संबंध में विचार करने की कृपा करेंगे ताकि सर्राफा व्यापारियों को एक्साइज ड्यूटी से राहत मिल सके और उन्हें एक और विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर न होना पड़े।

इन्हीं विचारों के साथ मैं माननीय वित मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2012-13 का समर्थन करता हूं।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदया, आपने मुझे आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देता हूं। बजट में वित्त मंत्री जी ने प्राब्लम्स को तो थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, उन्होंने बजट स्पीच में यह बात बोली थी कि इसमें पांच प्रॉब्लम्स हैं। ये पांच अंगुलियों जैसी पांच प्रॉब्लम्स हैं, उसमें वे बोलते हैं कि एक तो कृषि की प्राब्लम है, एनर्जी की, कोल की, पावर की, रेलवेज की और सिविल एविएशन की प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ-साथ ब्लैक मनी और करप्शन भी है। वित्त मंत्री साहब आपने बीमारी को तो पहचान लिया, मगर आप दवा देने में टोटली फेल हो गये। बीमारी की दवा देने में फेल हो गये। अभी कोल के बारे में बात की गयी, कोल की हालत क्या है, कोल के स्कैम्स क्या हैं, हम लोगों को मालूम हैं। रेलवे के बारे में बोला है, रेलवे के लिए बजट में जितना प्रोविजन देना चाहिए, वह नहीं दिया गया है। अभी रेलवे के बजट के टाइम में क्या बोला है, बाद में क्या बोला है, यह सारी दुनिया जानती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में बोला है, एग्रीकल्चर का तो बजट एलोकेशन में आ लोग वर्ष-दर-वर्ष कम कर रहे हैं। आपने प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई किया, लेकिन बजट एलोकेशन में कुछ भी नहीं है। आपने ब्लैक मनी के बारे में पिछले साल भी बोला था इस साल भी बोला है, आपने बोला है कि उस पर श्वेत पत्र लायेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है।

यूपीए-2 को तीन साल हो गए हैं, और दो साल बाकी है। दो सालों तक ब्लैक मनी के बारे में कुछ भी नहीं होने वाले है। केवल बातें, कार्रवाई नहीं ...*(व्यवधान)* करप्शन के बारे में बोला है और दिन पर दिन उसको कंट्रोल करने के लिए मौका भी है, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस तरह से देश की बीमारी के बारे में बाले हैं, उस तरह से बजट में दवा नहीं दे पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं सुझाव दूंगा आप जरा पेशेन्स से सुनिये। मैं सुझाव भी दूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उधर नहीं इधर देखकर बोलिये।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदया, वे कहते है, "भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यूरोपीय ऋण सकट, मध्य पूर्व में राजनीतिक उथल-पुथल तेल के मूल्य में वृद्धि और जापान में भूकम्प के कारण इस वर्ष पुरानी वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूरे विश्व पर दोष मढ़ दिया गया।

[हिन्दी]

इसका मतलब क्या है? इसका ब्लेम ईस्ट, साउथ और वैस्ट पूरे वर्ल्ड में डाल दिया है मगर अपनी इनएफिशियेन्सी की वजह से पॉलिसी चेन्ज करने के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब देश भारी राजकोषीय घाटा झेल रहा है। इंटरस्ट रेट है, हायर इनफ्लेशन रेट है, अनइंप्लॉयमैंट है और कमोडिटी प्राइसेज स्काइरॉकेटिंग कर रहे हैं। इसलिए मेन इश्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन अगर हम देखें तो भारत पांचवा कर्जदार देश है। जीडीपी की ग्रोथ के बारे में जिस तरह से बोल रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ की वजह से कॉमन मैन की लाइफ में कोई सुधार नहीं हो पाया है। मिडिल क्लास के लोगों की लाइफ में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। यह सब भी देखना चाहिए। अगर आप देखें तो एनडीए के समय में एग्रीकल्चर सैक्टर की ओवरआल जीडीपी 23 एरसेंट थी, अब यह गिर कर 14 प्रतिशत हो गया है। 9 प्रतिशत कम है। यह बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप देखें तो बजट एलोकेशन 1.66 परसेंट से लेकर 1.26 परसेंट पर आया है। इसमें बहुत ड्रॉप है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। किसानों के बारे में ये बोल तो रहे हैं लेकिन जब तक एग्रीकल्चर सैक्टर को प्रोटैक्ट को प्रोटैक्ट करने के लिए किसान को एम.एस.पी. सही तरीके से नहीं देंगे, तो एग्रीकल्चर सैक्टर बहुत दिक्कत में आएगा और किसानों द्वारा सूसाइड कंट्रोल में नहीं आएंगे। पूरे देश में किसानों द्वारा सूसाइड हो रहे हैं। इसलिए उनको प्रॉपर एम.एस.पी. देना चाहिए। जो भी स्वामिनाथन कमीशन की रिकमंडेशन थी, उसको तुरंत इंप्लीमैंट करिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिये।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदय, जब से हम आजाद हुए, तब से यूपीए-1 की सरकार के आने के बाद से जो 20 हजार करोड़ रुपये का डैट था, वह अब 45 हजार करोड़ रुपये का डैट हो गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: बहुत अच्छा। आपका धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिये। आपने सभी बिन्दुओं पर बोल लिया है। बैठ जाइए।

****श्री श्रीपाद येसो नाईक** (उत्तर गोवा): माननीय अर्थ मंत्री जी ने साल 2012-2013 का बजट 16 मार्च, 2012 को प्रस्तुत

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किया। देश की जनता आशा भरी नजरों से देख रही थी कि माननीय अर्थ मंत्री जी के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान इस बजट में होगा और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी की चपेट से माननीय अर्थ मंत्री जी उनको कुछ न कुछ राहत दे देंगे। लेकिन आमजन की और मध्यमवर्गीय लोगों की स्थिति और दयनीय बनाने में अर्थ मंत्री कामयाब हुए हैं। इस बजट में उनको कुछ भी राहत नहीं मिली है। उल्टा साइकिल जैसे बिना पैट्रोल के चलने वाले गरीबी और मध्यमवर्गीय लोगों के वाहन पर और ज्यादा भार भाल दिया है, उसकी कीमत बढ़ाई है।

महंगाई के कारण देश की जनता पहले ही त्रस्त थी। इस बजट में महंगाई कम करने का वादा यूपीए सरकार ने किया था। लोक सभा चुनाव के दौरान यूपीए ने कहा था कि वे और उनकी सरकार फिर सत्ता में आने के बाद सौ दिन के अंदर महंगाई कम करने का वायदा किया गया था, लेकिन महंगाई कम करने की बात छोड़ो, उल्टी हर दिन महंगाई बढ़ती चली गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है। बेरोजगारी से भी वह पीड़ित है। काम करना चाहता है लेकिन हाथ को काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई के साथ-साथ भ्रष्टाचार का शैतान देश को बरबाद कर रहा है।

देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है देश को अनाज पैदा करके खिलाने वाले किसान की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार का ध्यान खेती और खेती करने वाले किसान के ऊपर नहीं है। असमय की बारिश के कारण, खाद की उपलब्धता ठीक समय पर नहीं मिलने के कारण किसान अपनी फसल उगा नहीं पा रहा है, इसलिए यहां महंगाई बढ़ रही है। किसानों की समस्याओं के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारे संकट और गहराएंगे और देश का विकास नहीं हो पाएगा।

देश का नवयुवक आज त्रस्त है। अपने हाथ को वह काम मांग रहा है। लाखों रुपये खर्च कर वह डिग्री हासिल करता है लेकिन शिक्षा पूरी करने के बाद भी उसको काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता तो वह गलत रास्ता अपनाता है। आतंकवादी या नक्सली बनता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ उपाय यह सरकार करे।

बड़ी चिन्ता का विषय है भ्रष्टाचार। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की गतिविधियां चल रही हैं। उससे देश खतरे में से गुजर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई के कारण भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। इस पर काबू पाने में सरकार असफल रही है। भ्रष्टाचार के बारे में ठोस योजना यदि सरकार नहीं बनाती तो देश की स्थिति और दयनीय बन जाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे ताकि देश प्रगति की दिशा में आगे बढ़े।

माननीय अर्थ मंत्री जी हर मंत्रालय को उनकी योजनाओं के लिए पैसा देते हैं। पूरे साल के लिए दिया हुआ पैसा कितना खर्च किया जाता है, इसका हिसाब देश की जनता को नहीं मिलता है। दिये हुए पैसों में से केवल 40 प्रतिशत पैसा खर्च किया जाता है। 60 प्रतिशत फंड खर्च नहीं होता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इस तरह से देश का विकास कैसे होगा? मैं मांग करता हूं कि बजट का पैसा ठीक तरह से खर्च करके किसानों को मदद दी जाए। भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय किये जाएं और बेरोजगारों को रोजगार देकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करके देश को मजबूत किया जाए।

***श्रीमती सुशीला सरोज** (मोहनलालगंज): वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के बजट में महिलाओं और किसानों की जिस प्रकार उपेक्षा की गई है वह निराशाजनक है। इस बजट से महिलाएं और किसान अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। आजादी के पहले और उसके बाद भी महिलाओं ने (पुरुष प्रधान मानसिकता वाले) समाज में बड़े संघर्षों के बाद हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है लेकिन इस बजट में जिस तरह महिलाओं और किसानों की अनदेखी की गई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है।

बजट आने के पहले ही महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी कि गृहस्थी चलाना, चौका चूल्हा आबाद रखना महिलाओं के लिए दूभर बना हुआ था। अब सुनने में आ रहा है कि बजट के बाद रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, डीजल को नियंत्रण मुक्त सरकार करने वाली है, यानी-खाने-पीने की चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। महिलाओं के सामने अशिक्षा, अत्याचार, बेरोजगारी जैसे कई गंभीर सवाल हैं जिनसे वित्तमंत्री को रू-ब-रू होना था। यह सुनिश्चित किया जाना था ताकि बजट प्रावधानों से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। बजट के मद्देनजर, समस्याओं को दूर न करने की रणनीति को देखते हुए यूपीए सरकार की खामोशी हैरान करने वाली है।

इस बजट में आप किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने की बात की है, जो किसानों के हित में नहीं है, पिछले रिकार्ड पर आपने गौर नहीं किया, आप ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि किसानों द्वारा देश में ऋण की अदायगी न कर पाने के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की जा रही हैं। पिछले डेढ़ दशक में तकरीबन 2 लाख किसानों ने कृषि की समस्याओं तले दब कर आत्महत्या की है। खेती आज पूरी तरह अलाभकारी हो

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

चुकी है। कृषि को किसान छोड़ना चाहता है पर उसके सामने विकल्प नहीं है यदि किसानों को विकल्प मिल जाए तो वह निश्चित तौर पर कृषि छोड़ देगा पर उसके सामने विकल्प नहीं है। कृषि क्षेत्र के त्रैमासिक वृद्धि दर के आंकड़े चौकाने वाले हैं।

आर्थिक समीक्षा 2011-12 में कृषि के त्रैमासिक आंकड़े 2.7 दर्ज हैं। इससे और अधिक चिन्ता की बात क्या हो सकती है कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि हम 50 वर्ष पहले कृषि में वर्तमान समय से अच्छे थे। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा का ही नतीजा है कि पैदावारों में हम अपने पड़ौसी देशों से काफी कम खाद्यान्नों का उत्पादन प्रति हैक्टेयर कर रहे हैं। चीन प्रति हेक्टेयर हमसे दुगना पैदावार कर रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका भी पैदावारों के मामले में भारत के मुकाबले अधिक खाद्यानों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कर रहा है। पर खेद है कि इन सब समस्याओं से वाकिफ होने के बावजूद सरकार उसी पुरानी दर पर कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने की नीति बजट में रख दी यानी साफ है कि किसान आत्महत्या करते रहें पर सरकार उनके प्रति कोई लचीला रूख अख्तियार करने वाली नहीं है। यह सरकार किसानों के आत्महत्याओं पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं किसानों को 2 फीसदी की ब्याज दर पर ऋण देने की मांग करती हूं। इस पर सरकार विचार करे और किसानों के हित में कदम उठाए।

एक तरफ आप किसानों के आत्महत्याओं से विचलित नहीं नहीं होते हैं। पर दूसरी तरफ निजी एअरलाइंस के डूबने से बचाने के लिए अपने सभी महकमों को तत्परता से उसकी मदद की बात करते हैं, उनके लिए राह निकालने की बात करते हैं, सस्ते कर्ज की बात करते हैं, यह इस देश में क्या हो रहा है जिस देश की 70 फीसदी जनता कृषि में लगी हो, उस कृषि के विकास की बात, उस कृषि को उबारने की बात और उसे सुविधाओं की बात, सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

आज उर्वरकों की महंगी दरें, कालाबाजारी और समय पर किसानों को उर्वरक न मिलने की घटनाओं से हम सभी रूबरू हैं पर क्या कारण है कि सरकार किसानों को राहत देने के मूड में नहीं है।

किसान क्रेडिट कार्ड को संशोधित करने की बात आपने इस बजट में रखी है, यह कार्य कब तक पूर्ण होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है और किसान क्रेडिट कार्ड में जो दिक्कतें किसानों को पहले से आ रही है, उसके समाधान में आपने कोई कदम उठाने की बात नहीं कही है। मैं यहां बताना चाहूंगी कि केसीसी एकाउंट (किसान क्रेडिट कार्ड एकाउंट) खुलवाने में किसानों को बहुत सारे कागजातों को बैंकों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के चलते बहुत सारे किसान केसीसी एकाउंट नहीं खुलवा पाते हैं, जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। बजट में इसके समाधान की बात नहीं है।

किसान क्रेडिट कार्ड एकाउंट में एक अन्य कठिनाई किसानों के सामने यह है कि बार जब केसीसी एकाउंट खुल जाता है और यदि 1 या 2 वर्ष किसान उसमें लेनदेन नहीं करता है तो उस केसीसी एकाउंट को बैंक द्वारा अपने आप बंद कर दिया जाता है और जब किसान उस एकाउंट से पुनः लेनदेन चाहता है तो किसान से फिर केसीसी एकाउंट खुलवाया जाता है, इस प्रक्रिया से किसानों को काफी असुविधा होती है और उन्हें सही समय पर इसका लाभ नहीं मिल पाता। आप किसानों के लिए ऐसी यूनिक व्यवस्था क्यों नहीं करते जिससे वे जब तक उससे ऋण लेना चाहें ले सकें?

महिलाओं के अधिकारों की उन्हें सशक्त बनाने की बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन उनके लिए होता कुछ नहीं हैं। इस बजट में महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान किए जा सकतें थे जिससे वे अधिकार सम्पन्न बन सकें लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। पुरुषों के लिए आयकर की सीमा में छूट दे दी गई लेकिन यहां महिलाओं को अलग किसी छूट से वंचित कर दिया गया। पूरा बजट महिलाओं को नजर अंदाज करते हुए प्रस्तुत किया गया है। आधी आबादी को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के प्रति बजट पूरी तरह खामोश हैं। मैं तो यूपीए सरकार की महिलाओं के प्रति ऐसी संवेदनहीनता से हैरान हूं, निराश हूं।

मैं यह भी आग्रह करूंगी कि महिलाओं के हित में किये जाने वाले खर्च की योजना इस तरह रखी जाए कि उनका विकास तो हो ही, साथ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियमों का सही ढंग से पालन हो तथा समाज में महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आ सके ताकि महिलाओं को सही मायने में बराबरी का हक हासिल हो सके।

[अनुवाद]

***श्री ए. सम्पत** (अटिंगल): यद्यपि मैंने बेहतर ढंग से अपने मन और मस्तिष्क का इस्तेमाल किया किन्तु मुझे इस आम बजट 2012-13 की प्रशंसा और समर्थन करने का कोई रास्ता नहीं मिला। यह दस्तावेज आम लोगों की कीमत पर नव उदारवाद का घोषणा पत्र है। यह एक प्रतिगामी बजट है, इससे कामगार वर्ग की मुश्किलें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी।

यदि सरकार कहती है कि उसका लक्ष्य मितव्ययिता है, तो मैं कह सकता हूं कि यह मितव्ययिता लोगों की कीमत पर है। सरकार अभी भी गरीबों की कीमत पर अमीरों, नव धनाढ्यों और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समृद्ध वर्गों को ही फायदा पहुंचाती है। समानान्तर अर्थव्यवस्था, जो विशाल रूप ग्रहण कर चुका है और इसमें मुख्य घटक काला और गैर-कानूनी धन है, की वृद्धि को रोकने के लिए किन्हीं साहसिक और ठोस उपायों की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए मुझे सरकार के इरादे पर संदेह है कि वह धन आशोधन के तरीकों को आगे जारी रखंगी।

खाद्य सुरक्षा संकट में है। खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना एक दैनिक घटना बन गयी है। विनिर्याण क्षेत्र ने अपने लक्षित विकास को हासिल नहीं किया है। तब वित्त मंत्री अगले 30,000 करोड़ रुपए के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुन: बेचने को न्यायोचित कैसे ठहरा सकते हैं?

यह बजट रोजगार सृजन के क्षेत्र में एकदम असफल है। विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लाखों पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं। इस बजट से ठीक पहले भविष्य निधि पर ब्याज दर का कटौती से गलत मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मैं इस आर्थिक नीति तथा इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

इस बजट के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में स्पष्टत: वैश्विक अर्थव्यवस्था में लचर कार्यनिष्पादन को दर्शाया गया है। न केवल अमेरिकी महादेश बल्कि यूरोप में भी बेरोजगारी दर अत्यधिक है। चीन जैसे देशों जहां विकास दर बहुत अधिक है, वहां भी रोजगार अपेक्षित दर से नहीं बढ़ रहे है। आज कल सरकारें लोगों को हताश और निराश से उबासे के लिए अपने खर्चे में वृद्धि कर रही है। जहां बढ़े हुए खर्चो एवं कारपोरेट घरानों को नियंत्रित करने के आग्रह के साथ अल्प संसाधनों के सामान्य स्वामित्व के लिए विश्व के सभी देश प्रसारी राजकोषीय नीतियों पर चल रहे हैं, वहीं हम यह समझने नहीं पा रहे हैं कि हम इन सब्सिडियों को कम करने के बहाने के अपने घाटों को कम करने पर आतुर क्यों हैं?

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इस वर्ष के बजट में भी बड़े कारपोरेट घटानों और आयकर दाताओं को कर रियायत दिया गया हैं और उत्पाद शुल्क और सेवा करों में 12 प्रतिशत की वृद्धि कर आम लोगों पर इस बोझ को डाल दिया गया है। घरेलू तेल उत्पादन पर लगाए गए उपकर को भी बढ़ा दिया गया है। वैसी स्थिति में माननीय वित्त मंत्री राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में कमी कर गौरवान्वित महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं जब ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम है और तेजी से घट रहे हैं।

हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में कर जीडीपी अनुपात विश्व के अर्थ देशों की तुलना में बहुत कम है। हमारे देश में अधिकांश लोग गरीब हैं। कुछ-कुछ क्षेत्रों में मानव विकास सूचकांक और गरीबी का स्तर अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र से भी बदतर है। वित्त मंत्री आम आदमी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह असफल है। वर्ष के लिए प्रत्यक्ष करों में 4500 करोड़ रुपए की रियायत देने के बाद उन्होंने चालाकी से 45,940 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क एवं सेवा करो में वृद्धि के द्वारा अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोत्तरी कर इसका भार आम आदमी पर डाल दिया।

संपूर्ण विश्व में एक तरफ सरकारें पूंजी बाजारों को विनियमित करने का प्रयास कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था पर उनका नकारात्मक प्रभाव न पड़े वहीं दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री की प्रतिकूल सोच है। पिछले वर्ष ही ''आकुपाई वाल स्ट्रीट मुवेंमट'' ने वित्त बाजारों में लोभ की तरफ ध्यान खींचा था। इस स्थिति में वित्त मंत्री ने प्रतिभूति संव्यवहार कर को 0.121 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने पर विचार क्यों किया। इससे निश्चित रूप से हमारे पूंजी बाजार में उच्च गतिशीलता होगी।

इस सरकार के पास कर राजस्व को जुटाने और एकत्र करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजस्व को सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और कार्पोरेट आयकर के शीर्ष से हटाना चौंकाने वाला है। यह कुल बजट के एक तिहाई से अधिक है। यह बजट धनी लोगों के लिए धनी लोगों द्वारा और केवल धनी लोगों का है। सरकार अब बेशर्म होकर दावा करती है कि अगले पंचवर्षीय योजना में इसके क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अपनाने का प्रयास करेंगे। देश में पहले ही पीपीपी आधार पर बनाई जाने वाली परियोजनाओं का बड़ी संख्या में विरोध हुआ है। पीपीपी के अंतर्गत होने वाले करार में पारदर्शित की कमी है अभी इनमें से अधिकांश संविधान से उल्लिखित सामाजिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके अलावा हमारी पूर्व योजना अवधि से स्पष्ट रूप में पता चला है कि निजी क्षेत्र अवसंरचना से जुड़ी उन परियोजनओं के लिए वे आगे नहीं आ रहे हैं जिनकी परिपक्वता अवधि लंबी है। जहां कहीं थी निजी क्षेत्र को सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने का कार्य दिया गया है, वहां बहुत विवाद हुए हैं। यह विनिर्माण क्षेत्र में पीछे रहा है। राज्य की सहायता से बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की लूट होती है। पूर्वोत्तर के राज्यों मे पीपीपी कहां है?

हम सब्सिडी के मुद्दे पर राई का पहाड़ बना रहे है। किसी भी सभ्य समाज में उर्वरकों खाद्य पदार्थों तथा पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी दी जाती है। अन्य देशों की तुलना में हमारा सब्सिडी बिल 2.2 बिलियन (2010-11) डालर है जो कि बहुत कम है। अब

वित्त मंत्री सुझाव दे रहे हैं कि इसे हटाकर 1.7 प्रतिशत कर दिया जाए। आगामी वर्ष के लिए हमारे उर्वरक साब्सिडी में 6000 करोड़ रुपए की कमी की गई है जिससे निश्चित रूप से किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। जब पूरे विश्व में तब भी तेल की कीमतों के गिराने की संभवना है। पेट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी में कमी से हमें तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि करना पड़ेगा जिसमें अंततः मुद्रास्फीति की दर बढेगी।

वित्त मंत्री ने सरकार के कतिपय अग्रणी कार्यक्रम के बारे में जोर-शोर से बताया है वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2011-12 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के व्यय बजट के अनुसार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी से निपटने के लिए मनरेगा में आवंटित 40,000 करोड़ रुपए व्यय करने में असफल हुई है। संशोधित अनुमान में उल्लेख है कि अभी तक केवल 30,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए है। वर्ष 2012-13 के लिए बजट में केवल 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो हमारे देश की जीडीपी का केवल 0. 32 प्रतिशत है।

जब सरकार दावे कर रही है कि इस योजना के तहत जीवन यापन मजदूरी से जोड़ने के मामले पर विचार करेगी, तब भी इस शीर्ष में निधियों का आबंटन बहुत कम है। वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में विश्व के आर्थिक और राजनैतिक समालोचक भारत में मनरेगा की इस बात के लिए प्रशंसा कर रहे हैं कि इसे दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की परेशानियां कम होगी।

इसके बाबजूद भी सरकार का रुढ़िवादी प्राक्कलन जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण (पृष्ठ सं. 309) में उल्लेख किया गया है कि ओडिशा में गरीबी बहुत अधिक 57.2% है और बिहार में 54.4% ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने के लिए गम्भीर नहीं है। केन्द्र सरकार के अनेक अग्रणी कार्यक्रम बिना किसी दृढ़ संकल्प से किए जा रहे आधे-अधूरे उपाय किए जा रहे हैं। यहां तक कि आरकेवीवाई और एनएफजीएमपी में आबंटित 1/3 राशि भी खर्च नहीं हुई थी।

वर्ष 2007-2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय से हमारे देश में सकल पूंजी निर्माण इसके अधिकतम 38.1% से घटकर चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% रह गया है। अब तक जहां तक निजी निगमित क्षेत्र का संबंध है, इसमें सबसे ज्यादा कमी आई है 17.3% (2007-08) से घटकर अब यह 12.1% हो गया है अर्थात लगभग 5% की कमी आई है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार के योजना पूंजी व्यय व्यापक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को आरंभ करते हुए बढ़ाना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने के बजाय बजट दस्तावेजों से पता चलता है कि हमारा पूंजी व्यय 2% (2010-11) से कम होकर 1.99% (2012-13) ई. हो गया, जबकि योजना पूंजी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.98% है।

अनिवासी भारतीय अर्थात विदेशों में कार्यरत प्रवासी भारतीय कामगार जो कुछ राहत और कल्याण कार्यक्रमों हेतु बड़ी गम्भीरता से बार-बार प्रत्येक एक के बाद एक आने वाले बजट की ओर उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन, अफसोस उनकी पुकार को अनसुना कर दिया गया। यद्यपि पिछले वर्ष 3.5 मिलियन से अधिक विदेशों विशेषरूप से मध्य पूर्व में कार्यरत केरल वासियों ने लगभग 30,000 करोड़ रुपयों का प्रेषण किया है। यह केन्द्र सरकार द्वारा मेरे राज्य हेतु कि गए बजट संबंधी प्रावधानों से लगभग 7 गुना अधिक है। वैश्विक वित्तीय संकट से रोजगार के अवसर और विदेशों में काम करने वाले लोगों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अप्रवासी भारतीयों के लिए किसी राहत और पुनर्वास कल्याण उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

***डॉ. तरुण मंडल** (जय नगर): मैं जन विरोधी, समृद्धोन्मुखी पूंजीपति उन्मुखी वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय बजट का पुरजोर विरोध करता हूं जो भारत के गरीब बंचित और बेसहारा लोगों की स्थिति और भी खराब कर देगा। प्रस्तावित बजट धनी लोगों के लिए धनी लोगों द्वारा तैयार, धनी लोगों का बजट है। मुझे कहने पर बाध्य होना पड़ रहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी आम आदमी के प्रति तो बेहद कठोर और उद्योगपतियों और के प्रति बेहद दयालु रहे हैं।

यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि गरीब लोगों के कल्याथार्ण किसी बात उन्हें कुछ राहत देने को लोकप्रिय उपाय कहा जाता है जबकि लोक-विरोधी उपायों को, अप्रत्यक्ष करो में सीधी वृद्धि से शुरू करके सेवा करों का विस्तार और उनमें वृद्धि, ईंधन प्रशुल्क में भारी वृद्धि, राज सहायताओं का हटाया और कम किया जाना तक के सभी उपायों को वृद्धि और विकासोन्मुखी साहसिक कदम बताया जा रहा है। पिछले वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री ने इस सदन में बताया था कि अर्थव्यवस्था लचीली और विदेशी घटनाक्रमों से सुरक्षित रहने में समर्थ थी तब वित्त मंत्री क्यों अब वैश्विक स्थिति के कारण अर्थ व्यवस्था के नीचे जाने का बात कर रहे हैं। उन्हें हमारे देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के व्याप्त संकट को छुपाने का कोशिश नहीं करनी चाहिए और यह बात इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघीय देशों, जापान, चीन के लिए सही है और उनके लिए भी। जो इसी अर्थव्यवस्था के मॉडल को चला रहे हैं।

बढ़ती हुई बेरोजगारी, छंटनी, नौकरी के छूटने, वेतन में बढोत्तरी नहीं होने के कारण आम आदमी की क्रय शक्ति घटती जा रही है, अधिकतम लाभ की तलाश में रहने वाले पूंजीपति शासकों और स्वामियों के लिए भी बाजार संकट उत्पन्न होगा। इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वित्त मंत्री ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं लेकिन कम उधार लिए जाने का शिकायत की गई है। जिससे मांग की कृत्रिम स्थिति को बढ़ावा मिलता है। यदि ब्याज दर कम होती है तो अतिरिक्त धन मुद्रास्फीति को बढ़ायेगा। इस दोहरी मार से पूंजीवाद को कोई पाखंड नहीं बचा सकता। वे किसी न किसी तरह एक बड़े संकट में फंसने के लिए एक नए संकट को उत्पन्न कर रहे हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस आर्थिक पतन के लिए आम जनता, दुखी लोग, दरिद्र और वंचित लोग जिम्मेदार हैं? यदि नहीं, तो इस संकट का बोझ वो क्यों झेलें? वो आखिर क्यों टैक्स भरें, जबकि अमीर और समृद्ध लोग कर अपवंचन कर बैंक ऋणों को न चुकाकर, भविष्य निधि का पैसा हड़पकर या व्यापार में नुकसान की भरपाई के नाम पर सरकारी खर्चे से राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में हजारों करोड़ रुपए प्राप्त कर बच निकलते हैं।

वैयक्तिक करदाताओं, जो कि आबादी का करीब 7 से 8 प्रतिशत हैं, को करीब 4000 करोड़ रुपए की मामूली राहत दी गई है। अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर के अधिरोपण से करीब 41,000 करोड़ रुपए उपार्जित होने का अनुमान है, जिसका बोझ पहले से ही ऊंची कीमतों की मार झेल रहे लोगों को और अधिक महंगाई के रूप में झेलना पड़ेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कमी से कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वंचित होगा। मल्टी ब्रैंड उत्पादों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आने के सकेत छोटे और मध्यम दोनों स्तर के व्यापारियों और देश के किसानों के लिए कठिनाई खड़ी करेंगें। पूंजी आस्तियां विशेषकर सट्टा पूंजी बाजार, में विदेशी निवेश के प्रवाह का उदारीकरण कई बड़े खतरे लेकर आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में सीधा हिस्सा न बढ़ाकर वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का रास्ता दिखाया है, जिससे आम जनता पर स्वास्थ्य और शिक्षा का और भी दबाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा...............

मेरी समझ में नहीं आता कि स्वतंत्र भारत में जनता के दबाव में और जनता के पैसे के बने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश के एकतरफा फैसले सरकार कैसे लेती है।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई मंत्रियों, राजनेताओं, नौकरशाहों और कॉरपोरेट मालिकों की सांठगांठ के कारण जनता के लाखों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के कर्ज में फंसे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाए और विदेशों में परिशोधित तेल की बिक्री करने वाली निजी क्षेत्र की बड़ी इकाइयों पर कर लगाया जाए तथा सरकार तेल फर्मों द्वारा कम वसूली को नुकसान के रूप में दिखाकर लोगों के साथ धोखा-धाड़ी बंद करे।

***श्री जनार्दन स्वामी** (चित्रदुर्ग): मैं समझता हूं कि एक ऐसा बजट पेश करना, जो सबको संतुष्ट कर सके, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। माननीय वित्त मंत्री के काम की सराहना करते हुए मैं 2012-13 बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा, जो इस प्रकार हैं:

प्रत्यक्ष कर छूट की सीमा बढ़ाई जाए; देश के उन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कम आय के साथ अच्छा जीवन जी पाने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिए टैक्स छूट की सीमा को 1.8 लाख रुपए से 2.0 लाख रुपए किया गया है। मेरा मानना है कि इसे कम से कम 4.0 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए था।

सरकारी क्षेत्र में वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के परिवार और उन पर निर्भर लोग अच्छा जीवनयापन कर सकें। कम वेतन के कारण जीवनयापन मुश्किल हो जाता है है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

कृषि में 2.9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) काफी कम है क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है; इस स्थिति में सुधार के लिए गंभीर है; इस स्थिति में सुधार के लिए गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए।

यह बजट कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में विफल रहा है।

20% खाद्य स्फीति बहुत ज्यादा है। यह स्वाभाविक है कि समाज के निचले वर्ग जीवनयापन हेतु भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रहे है और मुद्रा स्फीति का यह स्तर सरकार के खराब कार्य निष्पादन को दर्शाता है।

माननीय वित्त मंत्री का इस देश के लिए क्या दृष्टिकोण है? ऐसा प्रतीत होता है यह सरकार इस देश के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बनाने में असफल रही है और उसे पूरा करने के लिए बजट देने में मुझे प्रतीत होना है कि यह पिछले वर्ष के बजट आकड़ों में कुछ प्रतिशत बदलाव है। भारत सरकार को इस देश के लिए एक दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए था और उसे पूरा करने के लिए बजट बनाना चाहिए इस प्रकार एक अवसर और गंवा दिया गया।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता काफी हद तक शेष दुनिया से हमारे अलगाव की वजह से है न कि मजबूत आर्थिक योजना या रणनीति की वजह से। बजट में सभी चीजों को यथावत रखते हुए यथास्थिति बनाए रखा गया है।

बजट लेखाबद्ध धन पर आधारित है। इस देश में प्रचलित काले धन का क्या प्रभाव है? क्या माननीय वित्त मंत्री स्पष्ट करेंगे।

आधार पर हमारी "मत पूछो मत कहो" की नीति क्यों है? संसद और जनता इस परियोजना पर और अधिक जानना चाहती है। कर चोरी रोकने के लिए कोई योजना या रणनीति नहीं बनाई गई है।

पीपीपी मॉडल में सार्वजनिक आधारभूत संरचना (बांध, तेल और गैस, दूरसंचार आदि के लिए) के लिए दिए गए 50 लाख करोड़ रुपए का स्वागत है। बजट में रक्षा व्यय को लेकर ब्यौरा नहीं दिया गया।

यह बजट शिक्षा क्षेत्र के महत्व को आंकने में भी असफल रहा है जिसमें भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत कुछ करना है।

नदियों को जोड़ने को भी गंभीर महत्व नहीं दिया गया है।

ग्रामीण आवास के लिए 3 हजार करोड़ से 4 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि अभी भी बहुत कम है।

भारतीय उधमों की स्थिति को देखते हुए उद्यम निधि के तौर पर दिए गए 5 जहार करोड़ रुपए भी बहुत कम है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जो कि 63 लाख प्रति तालुक से भी कम है अत्यंत ही छोटी रकम है और विधायक निधि से भी कम है जो कि आम जनता में संसद सदस्य की छवि को खराब करता है।

भारत सरकार और ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति गंभीरता दिखाने में भी असफल रही है।

मेरा चुनाव क्षेत्र चित्रदुर्ग सूखा प्रवण क्षेत्र है और भारत सरकार कोई भी राहत पहुंचाने में असफल रही है। मजदूर तथा किसान गांवों को छोड़ कर पलायन कर रहे हैं। इस बजट में राहत निधियों के बारे में कोई चर्चा नहीं है।

भारत में पर्यटन के लिए संभावित के संभावित स्थान है। उदाहरण के लिए, मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र चित्रदुर्ग में एक ऐतिहासिक किला है जो कि पर्यटकों को सारे विश्व से आकर्षित करता है तथापि इस बजट में ऐसे पर्यटकों के आकर्षण स्थलों को आधारभूत सुविधाओं जैसे कि जल, मानचित्र, सुरक्षा आदि उपलब्ध करवाकर बढ़ावा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार गरीबों के उत्थान के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भारत को सक्षम करने के लिए इस अक्सर को प्रयोग करेगी।

संक्षेप में, ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट गत वर्ष के बजट की कुछ संख्याओं में थोड़ा बहुत बदलाव है। यह नहीं लगता कि इसमें माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री के अनुभव, बुद्धिमता और अनुभवों का उपयोग किया गया है।

[हिन्दी]

***श्रीमती पुतुल कुमारी** (बांका): दिनांक 16 मार्च को प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा आम बजट प्रस्तुत किया गया। पूरा देश इस बजट को बड़ी उम्मीदों से देख रहा था कि प्रणब दा की थैली से क्या उपहार निकलता है।

प्रणब दा के बजट की मुख्य विशेषताएं हैं–

शिक्षा के अधिकार 25,555 करोड़, जो कि सन् 2011-12 से 21.7% अधिक है।

एनएचआरएम को 18.118 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 20.822 करोड़ रुपये किया गया है। उसी तर्ज पर शहरी स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई है।

पीएमजीएसवाई के बजट में 20% की वृद्धि।

कृषि के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 5,75,000 करोड़ की वृद्धि।

बच्चों और महिलाओं में प्रोटीन की कमी को ध्यान में रखते हुए सोया उत्पाद पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क को घटाया गया है।

एक नजर में इस बजट में उत्पाद शुल्क में 2% की कमी और सर्विस टैक्स में 12% की वृद्धि की गई है। कुछ दिन पहले ही योजना आयोग की रिपोर्ट आई 22 रुपये और 28 की सीमा तय की गई है। जो व्यक्ति गांव में 22 रुपये और शहर में रह कर 28 रुपये कमा रहा है वह गरीबी रेखा से ऊपर है। योजना आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष शायद गांव न गए हो, गरीबों को नजदीक से न देखा होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दयावान बनने के लिए मुझे क्रूर बनना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दादा आपने आम आदमी को एक हाथ से और दोनों हाथें से ले लिया।

सेवा कर और उत्पाद-कर में जो वृद्धि की गई है, उसका बोझ कंपनी नहीं सहेगी, उसे उपभोक्ता को ही चुकाना पड़ेगा।

पूर्वी क्षेत्रों के प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है। धान उत्पादन का आधा हिस्सा पूर्वी क्षेत्रों से आता है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र के किसानों को कोई पैकेज नहीं दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने जा रहे हैं। बिहार में अलूवियल साइल बुनकरों के लिए इतना बजट का प्रावधान है लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के बुनकर हमारे बिहार के बांका के बुनकरों के लिए कहीं जगह नहीं है। क्या इनकी गरीबी और लाचारी के लिए आपका दिल नहीं पिघलता है। इनकी बेबसी आपको दिखती नहीं है? घर के चार सदस्य मिल कर पांच मीटर रेशम बनाते हैं। वह रेशम जो हमारी राजधानी दिल्ली में बड़े स्टोर में ब्रांड के साथ बिकता है और बड़े लोग पहनते हैं। उन्हें मनरेगा के मजदूरों से कम कीमत मिलती है। क्या हुनरमंद लोगों की इतनी ही इज्जत है। अब बात आती है वित्तीय घाटे को पूरा करने की। इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए ही सब्सिडी में कमी और सेवा-दर और उत्पाद-दर में वृद्धि की गई है। इसमें डिमांड और सप्लाइ का बैलेंस बिगड़ेगा और महंगाई की आग तेजी से भड़केगी और औद्योगिक क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ेगा।

कुल बजट में भारी वृद्धि के बाद में रक्षा बजट में मामूली वृद्धि की गई है। इसमें जो वृद्धि है वह सिर्फ मुद्रस्फीति को ही सामने रख कर की गई है। आज जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि कर के अपनी तैयारी को बढ़ा रहे हैं। हम कहीं न कहीं उन तैयारियों के प्रति सजग नहीं हैं।

प्रणब दा, आय कर में मामूली छूट दे कर उसमें ज्यादा बोझ आने मध्यम वर्ग पर डाल दिया है। इस तबके से कम आय वाले आदमी को अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने, मूल्य वृद्धि के अलावा सब्सिडी में कटौती की मार झेलनी पड़ेगी।

रेलवे में मालभाड़े की वृद्धि के साथ महंगाई की आग और बढ़ेगी।

हम लोगों ने गरीबों को और गांवों को नजदीक से देखा है। हम उन्हीं के वोट से जीत कर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि 90 रुपये किलो ढास कम से कम बीस रुपये किलो चावल की कीमत है। गरीबी रेखा के 22 रुपये और 28 रुपये की आमदनी के मापदंड में आम आदमी कहां जाएगा? यह आम आदमी और गरीबों के साथ मजाक हे।

इस बजट से आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

***श्री प्रेमदास** (इटावा): आज आम बजट पर चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि:

1. भारत निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जो भारत में विकास का मामला है।
2. ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाए।
3. मिड-डे मील स्कीम बंद कर दी जानी चाहिए जो कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रही है।
4. सर्राफ बाजार में जो टैक्स लगाया गया है उसे तुरंत हटाया जाए।
5. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन को बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

****श्री थोल तिरुमावलावन** (चिदंबरम): मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बजट में अंतर्विष्ट कर प्रस्ताव आम आदमी विशेषकर समाज के निम्न स्तर में आने वालों को प्रभावित करेंगे। सेवा कर और उत्पाद शुल्क बढ़ाए गए हैं, जो हाशिए पर रह रहे लोगों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दूसरों से अधिक बुरी तरह प्रभावित करेंगे। अत:, मैं सरकार से इन कर प्रस्तावों को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

यह पुन: सिद्ध हो गया है कि हमारे बजटीय प्रयास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास को सुनिश्चित करने की विशेष आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहे हैं। मैं इस सरकार को हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के घोषणापत्र की याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का वादा किया गया था। हमने अपने दूसरे कार्यकाल में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, पर यह दुखद है कि हम अपने जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों और सामाजिक क्रम में उनकी उर्ध्वगामी गतिशीलता का ध्यान रखने में असफल हैं।

समाज के इन वर्गों को केवल सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। जबकि निजीकरण कार्य के लगभग सभी क्षेत्रों में पूरे उत्कर्ष पर हैं, अभी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**मूलत: तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतरण।

उपलब्ध आरक्षण के समाप्त होने का एक आसन्न खतरा है। दलित सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण तभी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। दलित लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि वे समाज के अन्य वर्गों और जातियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें, इसलिए वे शक्ति को साझा नहीं कर सकते और उनका सामाजिक सशक्तीकरण नहीं हो पाता। अतः मैं इस संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने के पहले कदम के रूप में विधान बनाएं।

आज भी लाखों दलित लोग अपने पारंपरिक रूप से थोपे गए व्यवसाय मैला ढोने को जारी रखे हुए हैं। न केवल रेलवे, बल्कि बहुत सी नगरपालिकाएं, निगम और नगर पंचायतें अभी भी इस घृणित सामाजिक प्रथा को जारी रखे हुए हैं। देश के उत्तरी भागों में, सिर पर मैला ढोने की प्रथा बदस्तूर जारी है। लोगों को उत्तर के कुछ भागों और यहां तक कि राष्ट्रीय राजधानी के आसपास भी निजी घरों के भीतर से अपने हाथों से मैला इकट्ठा करना पड़ता है और उसे सिर पर रखकर ढोना पड़ता है। इस पर हमारे सिर शर्म से झुक जाने चाहिएं। हम राष्ट्रों की मंडली में सिर उठाकर खड़े नहीं हो सकते। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारत की राष्ट्रपति द्वारा संसद को दिए गए उनके अभिभाषण के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करें ताकि यह अशोभनीय मजदूरी समाप्त हो सके।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजिंदर सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्टों के आधार पर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों की हार्दिक सराहना करता हूं। श्री यशवंत सिन्हा के प्रति जो मेरे विशिष्ट पूर्ववर्ती रहे हैं, तत्काल पूर्ववर्ती तो नहीं, पर जिनके नाम 1998-99 से 2002-03 तक छह बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड दर्ज है—एक अंतरिम बजट सहित जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे सहित बहुमूल्य योगदान किए हैं।

अब तक, सभा में 24 माननीय सदस्य बोले और सभा पटल पर 114 सदस्यों ने अपने भाषण रखे। यदि सामान्य अवस्था रही होती, तो उनमें से कुछ ने अपने विचार हमारे लाभ के लिए प्रकट किया होता।

महोदया, मैं आपके और इस महान सभा के समक्ष खड़ा हूं, मेरा इरादा कोई वाद-विवाद करने या स्याह बिंदुओं को उजागर करने का नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं जैसा कि मैंने बजट के प्रस्तुतीकरण के दौरान अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ किया और सभा के भीतर और बाहर की गई विभिन्न टिप्पणियों के उत्तर में जिनमें से कुछ का मैंने उत्तर दिया है। मैं उन बातों की व्याख्या करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे देश के भीतर और बाहर की परिस्थितियों के संदर्भ में बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रेरित किया। देश के बाहर की स्थिति भी हमारे लिए प्रासंगिक है और हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।

कुछ मिनट पहले, मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मैं पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ा रहा हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ यह बताना चाहता हूं कि जून 2011 से पिछले एक वर्ष में हमने एक बार भी पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। पर दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ रहे हैं। जून, 2011 में हमने पेट्रोल को विनियमों से मुक्त किया और डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस का मूल्य कुछ बढ़ाया। हमने कराधान के रूप में 49000 करोड़ गंवाए। अतः शि.अ.द. (एस.ए.डी.) के ऊर्जावान और स्पष्टवादी सदस्य को मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने मूल्य नहीं बढ़ाए हैं, मेरे पास क्षमता भी नहीं है, मैं खुश होता यदि मेरे पास विश्व बाजार को नियंत्रित करने की क्षमता होती। मैंने नहीं बढ़ाया है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो मेरे साथी श्री यशवंत सिन्हा को मिला था, रा.ज.ग. सरकार के छह वर्ष की पूरा अवधि के दौरान पेट्रोल और कच्चे तेल के मूल्य 12 से 32 डॉलर प्रति बैरल रहे और पूरे वर्ष के दौरान मुझे ब्रेन्ट कच्चा तेल, जिसका हम उपयोग करते हैं, 115 डॉलर प्रति बैरल की दर से खरीदना पड़ा।

हम केवल 39 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं और 100 मिलियन टन से अधिक का आयात करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री यहां उपस्थित हैं, हो सकता है यह आंकड़ा 106 या 110 मिलियन टन हो। यही अंतर है। तेल, मुद्रास्फीति टोकरी का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक है; हमारे पास खाद्य, उर्वरक और ईंधन है। इसलिए, हमें बजटीय प्रस्तावों को हमारे आसपास की मौजूदा स्थिति के आलोक में रखना होगा। हम एकांत में नहीं रह रहे हैं। हम अपने देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं; हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए, मध्य पूर्व में जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव उर्वरक की कीमतों पर पड़ता है। मुझे एनपीके का पूर्ण रूप से आयात करना पड़ता है, यह देश में उपलब्ध नहीं है। यदि लीबिया में कोई संकट होता है या सीरिया में कोई संकट होता है, तो हमारे किसानों को एनपीके उर्वरक नहीं मिलता है, इससे हम प्रभावित होते हैं। हम कवच में नहीं रह रहे हैं।

जब यूरोप में गंभीर संकट होता है तो हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हमारा 36% निर्यात यूरोप को होता है और यदि हमारा निर्यात कम होता है और इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटे

में वृद्धि होती है तो मुझे यूरो जोन की घटनाओं के बारे में चिंता होती है। मैंने देखा कि पिछले दो महीनों को छोड़कर वर्ष भर विदेशी संस्थागत निवेशक बाहर जाते रहे हैं लेकिन ऐसा मेरी नीतियों के कारण नहीं है। यह विदेशी वित्त संस्थाओं की घरेलू आवश्यकताओं के कारण हुआ है जिन्होंने भारत में निवेश किया है। जब वे निवेश वापस लेते हैं तो निःसंदेह यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब यूरोप में धीमी वापसी, अमेरिका में कमजोर वापसी हो और जापान की मुख्य अर्थव्यवस्था पर भूकंप और परमाणु दुर्घटना की मार पड़ी हो, तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आरंभ से ही जापान ओडीए के माध्यम से हमारी विकासात्मक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंशदाता रहा है। इसलिए, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात करता हूं तो उसे हल्का करने की जरूरत नहीं है।

आपकी चिंता जायज है। कई बार, मैं सोचता हूं कि इस वृद्ध व्यक्ति के पास जादुई दीपक या जादू की छड़ी है और वह सभी विरोधाभासी स्थितियों का समाधान कर सकता है और ऐसा कुछ उपाय कर सकता हूं जो कि हम सभी को स्वीकार्य हो। इससे मुझे संतोष प्राप्त होता है। जब मैं देखता हूं कि इस प्रकार का विश्वास मुझमें है तो मुझे गर्व होता है। लेकिन, इसके साथ-साथ, मुझे जमीनी वास्तविकता को ध्यान में रखना होगा। जमीनी वास्तविकता यह है कि हमारे पास स्पष्ट जनादेश नहीं है। हां, हमारे पास जनादेश है लेकिन वह जनादेश सीमित है, जो अन्यों को आपके साथ लाता है। इसलिए, हमें अन्य लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा। हो सकता है कि कई निर्णयों, जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं, उससे अन्य लोग सहमत न हों। लेकिन, मैं उनकी अवधारणा को दरकिनार नहीं कर सकता। यह कितना भी असाध्य और समय लेने वाला क्यों न हो, मुझे अन्य लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा अंतिम उद्देश्य किसी विद्यालयी वाद-विवाद को जीतना नहीं बल्कि सर्वसम्मति द्वारा कार्य करना है, जिसका और अधिक स्थायी प्रभाव होगा। अध्यक्ष महोदया, मैं ठीक यही करने का प्रयास कर रहा हूं।

बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुझे किसने प्रेरित किया? मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि अंतर्राष्ट्रीय और बाहरी वातावरण में मौजूद अनिश्चितता के संदर्भ में–हमें एक घरेलू मांग से प्रेरित रणनीति बनानी होगी जो कि मुझे उच्च जीडीपी प्राप्त करने में सहायक होगी। इसके बारे में मैंने अपने बजट भाषण में जिक्र किया है। मैं उन सभी तीन उद्देश्यों की व्याख्या करूंगा। मेरे मुख्य रूप से तीन उद्देश्य थे। मुझे उच्च विकास मार्ग पर अवश्य वापस आना चाहिए। वर्ष 2007-08 तक हमारा विकास 9.50% हुआ है। विशेषकर पिछले तीन वर्षों में और शायद पहली बार, यशवंत सिन्हा जी ने माना है कि पिछले तीन वर्षों में हमारा विकास अधिक था, मुद्रास्फीति कम थी और राजकोषीय घाटा दक्ष प्रबंधन के हाथों में था। लेकिन, हमारे सामने संकट आ गया। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। हां, मैंने अंतरिम बजट, जिसे मैंने फरवरी, 2009 में यहां से पेश किया था और तत्पश्चात जुलाई, 2009 में पूरा बजट पेश किया था, में 1,86,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज दिया है। मैंने इसे वापस नहीं लिया। मैंने उत्पाद शुल्क को 14% से कम करके 8% किया। मैंने उसे वापस नहीं लिया। 8% से मैंने 10% किया और 10% से मैंने 12% किया लेकिन 14% नहीं किया। कृपया याद करें कि संकट से पूर्व की अवधि में उत्पाद शुल्क 14% था।

मैंने सेवा कर क्यों बढ़ाया? यह स्पष्ट सहमति के आधार पर हुआ? श्री जसवंत सिंह तथा श्री मुलायम सिंह यादव सहित अन्य अनेक माननीय सदस्यों, हमारे अच्छे मित्र, श्री जगदंबिका पाल ने आभूषण पर उत्पाद शुल्क और केंद्रीय सेवा कर (सीएसटी) के बारे में जिक्र किया था। इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। माननीय सदस्य, श्री हरिन पाठक ने एक शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। मैं इस पर थोड़ी देर में आऊंगा।

लेकिन, इस समय जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि इस बात पर स्पष्ट सहमति थी कि अंततः जब हम जीएसटी लाना चाहेंगे, तो हमें करों का मिलान करना होगा। वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर होना चाहिए जो कि मैं 12% सेवा कर और 12% केंद्रीय उत्पाद शुल्क करके करने का प्रयास कर रहा हूं। अगले चरण में, राज्य करों के साथ मिलान किया जाएगा जिससे कि दूरगामी प्रभाव से बचा जा सके और इसकी दरें बहुत ऊंची होंगी। जब जीएसटी को प्रचालन में लाया जाएगा तो अंतरण सुचारू ढंग से हो सकेगा–इसके पीछे यही तर्क था।

नकारात्मक सूची बनाए जाने के बारे में, मद-वार इसमें 17 मदें हैं लेकिन इसमें अनेक उप-मदें हैं। नकारात्मक सूची के अलावा, छूट प्राप्त श्रेणियां हैं जिसमें कई सेवाओं को कर मुक्त रखा गया है। इसे हमने दो चरणों में क्यों किया है? नकारात्मक सूची में, यदि किसी परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता हुई तो प्रत्येक बार हमें संसद में आना पड़ेगा। छूट प्राप्त श्रेणियों में समाधान नियमों में संशोधन करके किया जा सकता है जो कि सरकार की कार्यकारी शक्ति में निहित है। जब जीएसटी आता है, तो उसमें राज्यों की महत्वपूर्ण रूचि होती है और जब मुझे उनकी समस्याओं का निवारण करना होगा तो मैंने सोचा कि मैं एक टोकरी को एक अलग समूह के रूप में रख सकूंगा जहां उनकी देनदारियों को रखा जा सके और इसलिए मैंने छूट प्राप्त श्रेणी बनाई।

अब मुझे तीन मुख्य बिंदुओं–घरेलू मांग प्रेरित वृद्धि कैसे प्राप्त करें, राजकोषीय समेकन कैसे हासिल करें एवं मुद्रास्फीति में कमी कैसे हासिल करें पर बात कहने दें। घरेलू मांग प्रेरित वृद्धि के मामले में हमसे क्या किए जाने की आशा है? हमें कृषि में निवेश

करना है। हमें अवसंरचना में निवेश करना है। हमें ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करना है। हमें ग्रामीण जनसंख्या के हाथों में पैसे देने की जरूरत है। कृपया बजटीय प्रस्ताव की जांच करें। मैंने इन तीन क्षेत्रों पर ध्यान देने की कोशिश की है।

आप कह सकते हैं: "श्रीमान मंत्री महोदय आपने जो किया है वह पर्याप्त नहीं है।" अत्यंत आदरपूर्वक मैं उसे स्वीकार करूंगा। हां, यह पर्याप्त नहीं है। यदि मैं कृषि हेतु आवंटन को 20 से 25 प्रतिशत और बढ़ा पाता तो मैं सबसे अधिक खुशी महसूस करता। मैं इस अवसर पर अपने प्रतिष्ठित सहकर्मी श्री शरद पवार को बधाई देता हूं क्योंकि पहली बार चावल का उत्पादन भारत में 100 मिलियन टन से अधिक हुआ है। यह सराहना सिर्फ हम लोगों की तरफ से ही नहीं हो रही है। हम एक-दूसरे की प्रशंसा करने की गतिविधि में नहीं लग रहे हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला के महानिदेशक श्री रॉबर्ट एस. जेइगलर द्वारा सराहा गया है। मैं उन्हें उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा: "भारत में चावल उत्पादन 100 मिलियन टन से अधिक होने का सबसे आह्लादक पहलू यह है कि इसमें पूर्वी भारत का प्रमुख योगदान रहा है।"

जब मैंने पूर्वी भारत तक हरित क्रांति को विस्तारित करने की बात की एवं 400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की, किसी ने इस विचार पर संशय प्रकट किया और पूछा: "इससे क्या होगा?" लेकिन कुछ तो हुआ। पिछले खरीफ मौसम में सात मिलियन टन का अतिरिक्त चावल उत्पादन उसी क्षेत्र से आया। पहचान मिलने से मैंने आवंटन को 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ किया। मैं आश्वस्त हूं कि चावल उत्पादन के इस स्तर को कायम रखना संभव होगा।

मैं पूरी तरह सहमत हूं कि खाद्य उत्पादन खाद्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। खाद्य उत्पादन के बिना हम कैसी सुरक्षा दे सकते हैं? विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो 121 करोड़ से अधिक लोगों को खिलाए। हमें स्वयं का खाद्यान्न उत्पादन करना होगा। लेकिन यह महज शब्दों से हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें सही योजना, प्रभावी प्रबंध की जरूरत है, हमें किसानों का हित सुनिश्चित करना है, हमें उन्हें लाभकारी कीमत देनी है, हमें विस्तारित सेवाएं उपलब्ध कराना है एवं सबसे महत्वपूर्ण है जिसने इस देश में हरित क्रांति लाई, हमें अच्छा अनुसंधान माहौल उपलब्ध कराना है। इसी कारण मैंने कुछ सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान संस्थानों के हमारे युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है जिसका बजट में विस्तृत विवरण मैंने दिया है तथा मैं उसे दोहराने नहीं जा रहा हूं। हमने इन वैज्ञानिकों को नवोन्मेषी नए युगांतकारी अनुसंधान कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपये दिए हैं।

कृपया हमारे द्वारा किए गए निवेशों पर नजर डालें। मैं जानता हूं कि विदर्भ में समस्या है। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। वहां अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2008 में 65,000 करोड़ रुपये से 70,000 करोड़ रुपये के ऋण माफी के बावजूद। इसी कारण मैंने कृषि क्षेत्रों को संरक्षित कृषि के अंतर्गत लाने के लिए विदर्भ संघनित सिंचाई विकास कार्यक्रम को आरकेवीवाई के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपये दिए हैं।

महत्वपूर्ण कमियों में एक है-भंडारण सुविधाओं का अभाव। हममें से हरेक ने भंडारण सुविधाओं की बात की है। वर्ष 2009-10 से ही हमने 47 मिलियन टन भंडारण क्षमता सृजित कर ली है। हम 31 मार्च 2012 तक इसमें तीन मिलियन टन की वृद्धि करने जा रहे हैं। विद्यमान क्षमता है-47 मिलियन टन एवं कुछ ही दिन में तीन मिलियन टन और जोड़ने जा रहे हैं तथा 31 मार्च 2013 एवं 31 दिसंबर 2013 तक 12 मिलियन टन और जोड़ दिया जाएगा। हमने जो प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं उनमें व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के सृजन सुनिश्चित करने में सहयोग शामिल हैं यदि हम वास्तव में खाद्य सुरक्षा चाहते हैं तो हमें पर्याप्त उत्पादन, पर्याप्त खरीद, पर्याप्त भंडारण करना होगा तथा सेंधमारी एवं बर्बादी रोकना होगा। हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का वाहन होगा, को लागू करना सुनिश्चित करना होगा जो निःसंदेह दुरूह एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन एक साथ राष्ट्र एवं सभी संबंधित सभा के इस, उस एवं सभी तरफ से-सहयोग से हमें इसे लागू करना होगा। हम वैसा कर सकते हैं।

महोदया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं सहमत हूं कि इसमें कोई विवाद एवं मतभेद नहीं है कि यद्यपि मूल रूप से यह मजदूरी अर्जन योजना है, मांग संचालित मजदूरी अर्जन योजना है इसे परिसंपत्ति सृजन गतिविधियों से जोड़ा नहीं जा सकता। मुझे उससे कोई विवाद नहीं है। लेकिन कृपया यह मत भूलिए कि हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया। भारत की स्वतंत्रता के एक वर्ष के भीतर, संविधान के प्रारूपण एवं अंगीकरण के पूर्व अनंतिम संसद ने तीन महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए-1948 औद्योगिक समाधान, 1948 मजदूर संघ अधिनियम तथा 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। लेकिन अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका। कम से कम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने सुनिश्चित किया है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा मजदूरी अर्जक नहीं मिल सकता जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा न्यूनतम मजदूरी के रूप में प्रदत्त राशि से कम मजदूरी मिल रही हो। हां, किसी भी योजना को लागू करने में समस्याएं हैं। आपको उन

चुभनेवाली समस्याओं का सामना करना होगा और उन समस्याओं का समाधान किया जाना है। मुझे उससे इंकार नहीं। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि इस योजना वहां प्रभावी नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हुआ जब किसी ने सुझाव दिया कि यदि हम इसे जल निकायों की पुनर्बहाली के माध्यम से लागू कर सकते हैं जिसे बहुत पहले वित्त मंत्री के रूप में श्री चिदंबरम ने योजना के रूप में घोषित किया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जल निकायों की पुनर्बहाली से जोड़ना होगा जो टिकाऊ परिसंपत्ति सृजित करेंगे एवं जो महत्वपूर्ण परिसंपत्ति सृजन तथा सिंचाई लाभ, मत्स्य गतिविधि भी प्रदान करेगा तथा यह ऐसा बड़ा क्षेत्र है जो थोड़ा-थोड़ा स्थानीय पर्यटन गतिविधि जैसा है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत आवंटन को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रु. कर दिया गया है। मैं पहले ही अर्थक्षम अंतर निधियन के बारे में उल्लेख कर चुका हूं। यह अवसंरचना में पीपीपी का समर्थन करता है, जो इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

इस वर्ष यह तय किया गया है कि बांधों, चैनलों, तटबंधों, टर्मिनल बाजारों, कृषि बाजारों में समान अवसरंचना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित कृषि और उर्वरक क्षेत्र में पूंजी निवेश को भी अर्थक्षम अंतर निधियन व्यवस्था से निधियां लेने के लिए पात्र बनाया जाए। अवसंरचना में निवेश, सिंचाई में निवेश, ग्रामीण अवसंरचना में निवेश, कृषि में निवेश—ये सभी घरेलू मांग के सृजन की मजबूती को बढ़ावा दे रहे हैं, जो वांछित जीडीपी वृद्धि को प्राप्त करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इसी कारण से मैंने एआईबीपी हेतु आवंटन को 12,620 करोड़ रु. से बढ़ाकर 14,242 करोड़ रुपए कर दिया है। पेयजल हेतु मैंने इसे बढ़ा दिया है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए मैंने इसमें पर्याप्त वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त मैं एक कंपनी का गठन करने जा रहा हूं, जोकि सौ प्रतिशत सरकार के स्वामित्व में होगी, सिंचाई और जल संसाधन वित्त कंपनी ताकि दीर्घावधि और मध्यावधि सिंचाई परियोजनाओं हेतु संसाधन सृजित किए जा सकें।

हम कर छूटों की श्रृंखला देने जा रहे हैं। मैं भंडारण सुविधाओं हमारे किसानों हेतु ब्याज परिदान सहित सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क में से किसी में वृषि उपस्कर हेतु प्रदान की गई छूटों को नहीं पढ़ रहा हूं। जब वह अपने उत्पाद को वेयरहाउस, भंडार में रखता है तो उसे ब्याज परिदान के साथ बैंक ऋण मिलेगा ताकि वह कटाई के समय अपने उत्पाद को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए बाधित न हो। उन्हें छह माह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यह सब घरेलू मांग को मजबूत करने के लिए किया गया है, जो हमारी जीडीपी को बढ़ाएगा और यदि पूरी तरह नहीं, तो कुछ हद तक अर्थव्यवस्था को बाह्य परिवेश के प्रतिकूल प्रभाव से बचाएगा।

अब प्रश्नों पर आते हुए, क्या हम इस वित्तीय समेकन को प्राप्त कर सकेंगे, क्या हम राजकोषीय घाटे को वांछित स्तर पर रख सकेंगे, मैं यह कहना चाहूंगा। मैं यहां और वहां बैठे अनेक सदस्यों से सहमत हूं जो कहेंगे: मंत्री जी आपका संदेश कड़ा होना चाहिए। 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटा वहने की बजाए आपको इसे और कम करना चाहिए था क्योंकि पिछले ही वर्ष 4.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त किया गया था परंतु मैं व्यवहारिक और कुछ हद तक रूढ़िवादी बन गया। जब मैं कहता हूं सिवाय खाद्य मदों, सिवाय खाद्य सुरक्षा, अन्य सभी क्षेत्रों में हमें जीडीपी के 2 प्रतिशत के स्तर पर राजसहायता को रखना होगा, मेरा यही अर्थ है। मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप जैसे ही विशेषकर श्री आडवाणी ने कहा। यद्यपि वे आयु में मुझसे वे दो या तीन वर्ष बड़े हैं संभवत: फिर भी मैं उनसे संसद में नौ माह वरिष्ठ हूं। वह अप्रैल, 1970 में राज्य सभा में आए थे, मैं जुलाई 1969 में राज्य सभा आया था। संभवत: मैं अपनी वरिष्ठता का दर्जे में दावा नहीं कर सकता, उनका संसद में काफी ऊंचा दर्जा है— *...(व्यवधान)* इन अनेक वर्षों में मैंने महसूस किया है कि वास्तविक आर्थिक संकट का अर्थ क्या है। मैंने वह समय भी देखा है जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गर्त में था, वित्त मंत्री के रूप में—कई दिनों तक—कई सप्ताह तक नींद नहीं आई होगी—परंतु उन्हें कई सप्ताह तक अपनी नींद खोनी पड़ी क्योंकि बिल्कुल भी विदेशी मुद्रा नहीं थी, उस संकट की घड़ी में भारत को मदद करने वाला कोई नहीं था। यह काफी पहले की बात नहीं है। कृपया याद कीजिए। इसलिए हम वित्तीय अपव्यय में शामिल नहीं हो सकते। इस समस्या का हम सभी को मिलकर समाधान करना होगा। यदि कोई यह आशा करता है कि यह वित्त मंत्री का कार्य है; वित्त मंत्री आ और जा सकते हैं। इस देश में वित्त मंत्रियों की कोई कमी नहीं है। गुणवत्ता-वार इस सभा में न्यूनतम दर्जन व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझसे बेहतर वित्त मंत्री हो सकते हैं। मुद्दा यह नहीं है। इस मुद्दे को मिलकर हल करना होगा। यदि पेट्रोल मूल्य इसी प्रकार बढ़ते रहे, यदि यह बढ़कर 150 डॉलर प्रति बैरल हो जाता है; यदि यह 200 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच जाता है; तो क्या देश पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों को आयात करने की स्थिति में है? हमें इसे संयुक्त रूप से हल करना होगा।

इसलिए केवल बजट ही ऐसा कार्य नहीं है, जिसके द्वारा हम सही या गलत का निर्णय ले सकते हैं या अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सही, उपयुक्त निर्णय ले सकते हैं, बल्कि सभी संबंधितों के सहयोग की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हमने विगत कुछ वर्षों में इस संकट को निर्मित किया है, पुन: मैं पिछले कुछ वर्षों—बल्कि दो दशक पूर्व का संदर्भ दे रहा हूं—1989 से किसी भी एक दल को लोकसभा चुनावों में स्पष्ट अधिदेश नहीं मिला है। 1985 से 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 से

पूर्ण संख्या के संदर्भ में किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के समूह को; पूर्व चुनाव गठबंधन को स्पष्ट अधिदेश नहीं मिला है। इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक प्रकांतर वर्ष पर आम चुनाव होंगे। कोई सरकार नहीं होगी। संवैधानिक संकट होगा। इस देश की राजनीतिक स्थापनाओं ने इस महत्ता को पहचाना है और एक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमने सफलता प्राप्त की है—फिर चाहे वह एनडीए नेतृत्व हो—या चाहे यूपीए-I या यूपीए-II नेतृत्व में हो हमने गठबंधन सरकारें प्रदान की हैं, विरोधों के बावजूद, मतों में अंतर के बावजूद, दृष्टिकोण में अंतर के बावजूद राजनीतिक संस्थानों के रूप में हम इसे स्वीकारते हैं, जिस प्रकार पिछली सुबह सभा ने सिविल समाज के एक वर्ग की टिप्पणियों के प्रति प्रतिक्रिया की। यह सभा की अंतर्निहित शक्ति को दर्शाता है। मैं सभा की उसी अंतर्निहित शक्ति से अपील करता हूं कि यह गंभीर आर्थिक संकट है और हमें मिलकर इसका समाधान करना होगा। कुछ प्रयास बजट कार्य के माध्यम से किए जा रहे हैं; परंतु कुछ और अधिक प्रयास वर्ष भर संयुक्त प्रयासों के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि इसका परिणाम क्या होगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं स्पष्ट रूप में अपने साथियों से सहमत हूं कि मुझे आश्चर्य है यूरो जोन संकट यूरोप के बाहर भी इन चार पीआईजीएस देशों—पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन में फैलता है तो क्या होगा? मंदी से उबारने हेतु यूरोपीय बैंकों अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए गए पैकेज की कोई राशि इस संकट का समाधान नहीं कर पाएगा और इसका प्रभाव पड़ेगा। हम इस नाजुक स्थिति को इंकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए, हमारी आकस्मिक योजना क्या होगी? हम इससे कैसे बच सकते हैं? मैं अपने सहयोगी वाणिज्य मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने हमारे निर्यात गंतव्यों की विविधता के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और जहां तक हमारे निर्यात कार्य निष्पादन का संबंध है तो जापान, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में खराब विकास दर, खराब वसूली, कम मांग जो पूर्व में हमारे निर्यात आयों के 60 प्रतिशत से अधिक रहा है, के बावजूद हमारे निर्यात में गिरावट तो आई है किंतु बहुत गिरावट नहीं आई है।

जसवंत सिंह जी ने सही कहा है कि इस वर्तमान खाता संतुलन का समाधान मैं कैसे करूंगा। हां, हमें इसका समाधान निकालना होगा। किंतु मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ मैंने यह संख्या प्रस्तुत की है और मैंने कोई भ्रांतिपूर्ण संख्या देने की कोशिश नहीं की है। जो घाटा है वह घाटा है, आपको कहीं भी कोई छिपी संख्या और आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे। मैंने ऐसा नहीं किया है। जी हां, मैं स्पष्टत: यह स्वीकार करता हूं कि तेल कंपनियों सहित कारपोरेट क्षेत्र की खराब लाभप्रदता के कारण प्रत्यक्ष कर में 32,000 करोड़ रुपये की कमी आई है। मैंने अपने सहयोगी पेट्रोलियम मंत्री से अनुरोध किया है कि वे कुछ विशेषज्ञों से इसकी जांच कराएं। तथापि, जब कच्चे तेलों की कीमत बढ़ रही थी तो अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने कुछ अधिक लाभ कमाया होगा क्योंकि मैंने आयातित कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल की गणना की थी, उन्होंने भी यही गणना की थी, किंतु जब उन्होंने ग्राहक के रूप में 115 डॉलर प्रति बैरल लिया तो मुझ पर इसके भुगतान का अत्यधिक बोझ पड़ा। किंतु उन्हें कुछ लाभ अर्जित करना चाहिए था। विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे और हम जैसे सामान्य जन इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

सभी दृष्टि से मैंने उचित परिप्रेक्ष्य में इन संख्याओं को रखने की कोशिश की है। इसलिए हमें राजकोषीय समेकन के रास्ते पर वापस आना होगा। एफआरबीएम संशोधनों, जिसे मैंने किया है के माध्यम से मैंने तीन वर्षों के व्यय के लिए चल लक्ष्य तय किया है। क्यों? ऐसा इसलिए कि जब किसी वर्ष हमें यह पता चले कि हम सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो हमारे पास वर्ष के बीच में सुधार की गुंजाइश रहे। इसलिए मैंने इस तीन वर्षीय लक्ष्य को रखा है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि हम इसका पालन करें।

यशवंत सिन्हा जी ने पूछा कि आजकल हम मितव्ययिता के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दो वर्ष पूर्व ही मैंने मितव्ययिता उपायों को अपनाया था। मेरे कई कैबिनेट सहयोगी को जब मैंने कहा कि उन्हें अब इकोनोमिक क्लास से यात्रा करनी है तो वे बड़े नाखुश थे। कई बार मैंने ऐसा पाया कि मैं इकोनोमिक क्लास में यात्रा कर रहा था जबकि संसद के मेरे कई सहयोगी एक्सीक्यूटिव क्लास में यात्रा कर रहे थे।

इसलिए, ये मानक प्रचलन हैं जिनका हम पालन करते हैं और निश्चित ही मैं इसकी जांच करूंगा। यदि किसी खंड में कोई अपव्यय होता है तो मैं इसे नियंत्रित करना चाहूंगा। यह व्यय के प्रभारी के रूप में वित्त मंत्री का काम है कि वे इसे सुनिश्चित करें। मेरे सभी कैबिनेट सहयोगी कम से कम यह स्पष्ट करें कि जब कभी भी वे मेरे पास आते हैं और उनमें से कुछ मुझे 'गुड मार्निंग' कहते हैं तो मेरा जवाब होता है कि मंत्री जी "कोई पैसा नहीं"। इसलिए मैं गुड मार्निंग नहीं कहता हूं, गुड मार्निंग का मेरा जवाब होता है—"कोई पैसा नहीं।" ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। किंतु निश्चित ही मैं कोई भयावह स्थिति पैदा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना है कि ये चीजें सही दिशा में हो।

अध्यक्ष महोदया, मैं मुद्रास्फीति के नियमन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। कच्चे तेल, कतिपय धातुओं

इत्यादि जैसे मुद्रास्फीति दबाव के बाह्य भाग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की अस्थिरता हमें कुछ सीमा तक प्रभावित करेगा। तथापि, इसे किस प्रकार समायोजित और समाधान करें, जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि हमें सामूहिक रूप से इस पर विचार करना होगा।

किंतु पिछले वर्ष, यदि आपने ध्यान दिया है, श्री यशवंत सिन्हा जी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि मैंने इसे आठ प्रतिशत तक लाया है। हां, मैंने कहा कि मैंने खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति को आठ प्रतिशत तक लाया है क्योंकि यह 20 प्रतिशत तक पहुंच गया था। फरवरी, 2010 में यदि यह 22 प्रतिशत तक पहुंच गया तो यह सामान्यत: अस्वीकार्य था और इसलिए, जब यह आठ प्रतिशत तक आया, जो वर्ष 2011-12 में औसतन रहा परंतु दिसंबर-जनवरी के महीने में यह निसंदेह नकारात्मक बन गया किंतु यह संतोषजनक है।

किंतु इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जो अत्यधिक नकदी का है जो प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से बाजार में आया है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू कड़ी मौद्रिक नीति द्वारा इनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया और सीआरआर द्वारा इसका अभी भी समाधान किया जा रहा है। बैंकों को अतिरिक्त नकदी जारी की गई है किंतु, ब्याज दर अभी भी बहुत अधिक है और जब पुनरीक्षा का अगला समय आएगा तो निश्चित ही रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय से परामर्श कर उपयुक्त कदम उठाएगा।

किंतु हम मुद्रास्फीति दबाव से पूर्णत: अवगत हैं। हमें एक लाभ है और एक सांख्यिकी दृष्टि से हमें एक लाभ जो प्राप्त हुआ है वह यह कि विगत वर्ष यह दोहरे अंक से शुरू हुआ था जबकि इस वर्ष हमने थोड़े कम में शुरूआत की है। किंतु हमारे लिए यह कोई गर्व की बात नहीं है। हमें इसका समाधान करना होगा और जिसे हमने कृषि उत्पादों की आपूर्ति संबंधी बाधाओं, जिस कारण मुद्रास्फीति का दबाव आया है, को दूर कर अपने बजट प्रस्तावों में पर्याप्त रूप से जिक्र किया है।

लगभग 60,000 से अधिक गांव, कुंआ-पंप कार्यक्रम, चारा कार्यक्रम, जिन्हें अब विभिन्न कृषि मिशनों में परिवर्तित किया जा रहा है, तिलहन ग्राम, विशेष महत्व वाले कार्यक्रम, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के साथ दुग्ध की पर्याप्त प्रमात्रा, इन सभी का लक्ष्य फलों, सब्जियों के उत्पादन, संरक्षण, अंडे, दूध, दालों, खाद्य तेल के उत्पादों में वृद्धि में सुधार लाना है। इसलिए यदि हम आवश्यक खाद्य कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बाधाओं को दूर करें और खपत पैटर्न में बदलाव हो तो निश्चिय ही इसे संतुलित स्तर तक रखना संभव होगा।

यद्यपि, मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि हम साढ़े तीन प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे। इसमें कुछ समय लगेगा। किंतु इस स्थिति में यदि हम शुरू से सावधान रहे और यदि हम आपूर्ति संबंधी बाधाओं को समाप्त करें और यदि मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति का निकट संयोग हो तो, अध्यक्ष महोदया यह संभव है कि इन मुद्दों का समाधान होगा।

मैं अब दो-तीन मुद्दों का समाधान करना चाहता हूं क्योंकि जब हम वित्त विधेयक पारित करेंगे तब मेरे पास विस्तार से बताने का एक और अवसर होगा। पहला मुद्दा राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति के बारे में है। केवल बिहार ही नहीं है। मैंने अभी उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष से विचार-विमर्श किया है।

मैं तथ्यों को सभा के विचारार्थ रख रहा हूं। वर्ष 2007-08 में निर्णय लिया गया था कि सीएसटी को कम किया जाएगा। पहले वर्ष, चार प्रतिशत से तीन प्रतिशत, दूसरे वर्ष तीन प्रतिशत से दो प्रतिशत, तीसरे वर्ष दो प्रतिशत से एक प्रतिशत और चौथे वर्ष एक प्रतिशत से शून्य प्रतिशत। यही व्यवस्था 2007-08 और उसके बाद के लिए की गई थी। राज्यों को कुछ बाध्यताओं को स्वीकार करना था, केंद्र को कुछ बाध्यताओं को स्वीकार करना था। जब 2009-10 आया तो यह मुद्दा उठा क्योंकि वह वित्तीय संकट का वर्ष था। यह वित्त मंत्री के रूप में मेरा एकतरफा निर्णय नहीं था बल्कि राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार समिति और तत्कालीन अध्यक्ष के परामर्श से हमने निर्णय लिया कि हम इसे और कम करके दो से एक प्रतिशत तक नहीं लाएंगे। यह सामूहिक निर्णय था। इस पर क्या सहमति बनी थी? सहमति यह बनी थी कि केंद्र सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा 2007-08 के बाद की गई खरीद पर सीएसटी दर संबंधी भ्रामक रियायत को वापस ले लेगा तथा हमने ऐसा ही किया एवं 2007-08 के बाद राज्य के भीतर चिन्हित 333 सेवाओं पर कराधान की अनुमति दी। 44 अतिरिक्त मदों को बाद में जोड़ा गया। वर्ष 2007-08 में 33 सेवाओं से 3480 करोड़ रुपये, 2008-09 में 4750 करोड़ रुपये एवं 2009-10 में 5171 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया था। मैंने इन तीनों वर्षों में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया।

इसके बाद प्रश्न आता है कि हां मैंने यह प्रश्न उठाया था एवं हमें जीएसटी लागू करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। यदि हम समय-सीमा का निर्धारण नहीं करते तो कब तक इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। विचार यह था कि तंबाकू और चीनी पर राज्य भी वैट बढ़ाएंगे ताकि संपूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति में कमी हो। अब कुछ राज्यों ने वैट बढ़ा दिया है। किंतु उनकी स्थिति यह है कि "देखिए यह मेरा अंतर्निहित अधिकार है। मैं वैट

को चार प्रतिशत बढ़ाकर पांच और पांच से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर सकता हूं, आप केंद्रीय बिक्री पर क्षतिपूर्ति की गणना करते समय इसे शामिल न करें।'' मैं सुझाव दे रहा हूं तथा उनके मुद्दों का उत्तर देते हुए सुझाव दे रहा हूं। मैं सोच-विचारकर सुझाव दे रहा हूं। मैं उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हूं और मैं उनके साथ बातचीत करूंगा तथा एक तंत्र विकसित करूंगा ताकि मैं उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति दे सकूं किंतु हमें समय-सीमा, चाहे वह जो भी हो बनानी होगी।

हमारे साथी यशवंत सिन्हा जी भी कुछ कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि मानसून सत्र तक वह संविधान संशोधन और विधेयक, जिसे हमने उन्हें संदर्भित किया है क्योंकि वह राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति एवं अन्य पणधारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्ट देने की स्थिति में होंगे। इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करें तो स्थायी समिति जो भी सिफारिश करेगी मैं उस पर समुचित विचार करूंगा और मैं राज्य के वित्त मंत्रियों एवं अधिकार प्राप्त वित्त समिति के प्राधिकृत फोरम से बातचीत करूंगा। मैं एक ऐसा तंत्र विकसित करूंगा जिसके माध्यम से हम अंतत: जीएसटी को लागू कर सकते हैं।

यह कहना सही नहीं है कि कुछ भी नहीं किया गया है। एक साझा पोर्टल बनाया गया है और उस साझा पोर्टल के माध्यम से रिटर्न प्राप्तियों, जमा और भुगतान करने को सरल बनाया गया है। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) शीघ्र स्थापित किया जा रहा है। हमने प्रारंभिक कदमों को उठाया है। मैं भी मानता हूं कि हम आधारभूत कानून बनाएंगे। क्योंकि मेरी उत्सुकता यह है कि आप जो भी सिफारिश करेंगे, सरकार उस पर विचार करेगी। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सभाओं में विशेष बहुमत आवश्यक होगा। मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। यदि मानसिकता में बदलाव आता है तो किसी राज्य के पास बिक्री कर लगाने का प्रभुत्व अधिकार नहीं होगा और किसी को भी उस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा सब बेकार हो जाएगा।

अपराह्न 5.00 बजे

जैसा कि मैं इस बात की अनुमति दे रहा हूं कि आपके पास सेवा कर और उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार होगा और केंद्र के पास बिक्री कर लगाने का अधिकार होगा। इसलिए संवैधानिक संशोधन अनिवार्य है क्योंकि आज संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अत: हमें तैयार रहना होगा। यदि हम सहमत हैं तो हां हमें कुछ समझौते करने होंगे और हां, हमारे पास अधिकार होगा। जीएसटी परिषद में क्या हुआ? वित्त मंत्री और राज्य मंत्री केवल दो सदस्य हैं तथा 28 राज्यों के अपने प्रतिनिधि हैं। कोई निषेधाकार नहीं है। हम सामूहिक रूप से इसका समाधान 'विवाद निवारण तंत्र' की मदद से कर सकते हैं। जब निष्पक्ष रूप से विचार करें तथा स्थायी संस्था हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई होगी।

मैं इस संदर्भ में, इस अंतिम मुद्दे का सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे दिन हम सुषमा जी की शानदार हिंदी की बात करते हैं जिसका मैं अनुकरण नहीं कर सकता कि [हिंदी] संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है।

[अनुवाद]

संघीय ढांचे पर प्रहार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मैं यह कहूं कि किस प्रकार प्रथम वित्त आयोग से बारहवें वित्त आयोग तक अंतरण में वृद्धि हुई है। पहले वित्त आयोग में 1952 से 1957 तक यह था कि आयकर का हिस्सा 55 प्रतिशत था और उत्पाद शुल्क का हिस्सा 40 प्रतिशत था। यह संपूर्ण था। आज तेरहवां वित्त आयोग कार्य कर रहा है और उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क एवं सेवा कर सहित कुल राजस्व का अंतरण 32 प्रतिशत है। 41000 करोड़ रुपये जिसके लिए मैं अतिरिक्त संसाधन जुटा रहा हूं तथा मुझे इसके लिए गाली सुननी पड़ी का विनियोजन मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा तथा 41,000 करोड़ रुपये में से 32 प्रतिशत राज्यों को जाएगा। उन्हें भी हिस्सा मिलेगा लेकिन गाली और आलोचना में कोई भी भागीदार नहीं होगा जो हमें इस सभा में और सभा के बाहर मिल रही है।

दसवें वित्त आयोग में आयकर 77.5% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 47.5% था। ग्यारहवें वित्त आयोग में यह 29.5% था और बारहवें वित्त आयोग में 30.5% और तेरहवें वित्त आयोग में 32% था। कृपया न्यागत के आधार को याद करें।

बारहवें और तेरहवें वित्त आयोगों के बीच में सभी नहीं किंतु कुछ राज्यों को 159 प्रतिशत तक का न्यागत प्राप्त हुआ है। इन आंकड़ों को देखकर नहीं पता चलता है कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। हम विस्तार कर रहे हैं और भागीदारी कर रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। हमने देखा है कि जब-जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है हमारी बहुत आलोचना हुई है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों के कर रहित मूल्य इस प्रकार होंगे-मैं दिल्ली शहर का उदाहरण देता हूं-प्रति लीटर पेट्रोल का मूल्य 39/- रुपये; प्रति लीटर डीजल का मूल्य 33.51 रुपये, प्रति लीटर मिट्टी के तेल का मूल्य 14.12 रुपये होगा। मिट्टी के तेल के लिए बमुश्किल कोई कर होगा। केंद्र सरकार कर नहीं लगाती है। कुछ राज्य कुछ

अर्थात 4.8 प्रतिशत कर लगाते हैं, लेकिन इन पर केंद्र कोई कर नहीं लगाता है। यदि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और राज्य वैट सभी को मिला दिया जाए तो यह 26.55 रुपये बैठता है।

आप 26 रुपये में 39 रुपये जोड़िए तो यह 65 रुपये हो जाता है। मैं राज्यों को नहीं कह सकता कि वे इसमें से लगभग आधी राशि छोड़ दें क्योंकि वह बोलेंगे कि हमें धन कहां से प्राप्त होगा? लेकिन मुझे तो कटौती करनी ही है। अभी हाल ही की बात कि विगत जून के महीने में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि मुझे 49,000 करोड़ रुपये के राजस्व को छोड़ना पड़ा था।

अंतिम बात जिससे काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, मैं छोड़ दिए गए राजस्व और बताए गए परंतु नहीं वसूले जा सके और जो स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। आपको मात्र एक उदाहरण दूंगा। लोगों ने कहा है कि हम बड़े घरानों और कार्पोरेट क्षेत्रों को ये रियायतें दे रहे हैं। हां, हम कुछ कर रियायतें कार्पोरेट क्षेत्र को दे रहे हैं जो कि "छूट" की श्रेणी में हैं यही कारण है कि हम डीटीसी की वकालत कर रहे हैं। डीटीसी की सिफारिशों को मैं इस वर्ष के बजट में लागू नहीं कर सकता क्योंकि मैं समझता हूं मुझे 6 या 9 मार्च को रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसलिए जो मैंने अंतर्विष्ट किया है वह डी.टी.सी. विधेयक के मूल प्रावधान है जिसे मैंने सभा में प्रस्तुत किया और जो स्थाई समिति के विचाराधीन था। इसके अनुमोदन हेतु सभा में पहुंचने से पहले मैं स्थाई समिति द्वारा जो भी सिफारिशें की गई हैं उनकी जांच करूंगा। लेकिन बजट के एक सीमित उद्देश्य के लिए मैंने व्यक्तिगत आयकर हेतु एक कर दर को स्वीकार किया है। मूल सिफारिश में 2,00,000 रुपये तक की छूट थी; तत्पश्चात 2,00,000 और 5,00,000 रुपये के बीच 10 प्रतिशत; 5,00,000 और 10,00,000 रुपये के बीच 20 प्रतिशत और 10,00,000 से अधिक पर 30 प्रतिशत, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

मैंने जनरल एंटी एवोयडेंस रूल्स (गार) को स्वीकार कर लिया है। मेरे पास वित्त विधेयक में सम्मिलित करने के लिए स्थाई समिति की सिफारिशों की जांच करने का विशेषाधिकार नहीं है लेकिन मैं जांच अवश्य करूंगा और जब भी आवश्यक हुआ मैं संशोधन करूंगा। यह निश्चित रूप से एक परिहार-रोधी (एंटी-एवोयडेंस) उपाय है। इस सभा ने मुझे काले धन पर चर्चा में जनादेश दिया है कि न केवल विदेशों में पड़े काले धन को वापिस लाया जाए, बल्कि काले धन के सृजन को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएं। इसके लिए गार एक रास्ता है। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि हम कभी-कभी देखते हैं कि निवेश कोई कर नहीं, 'शून्य कर' या 'कर पनाहगाह' देशों से आ रहा है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है यदि निवेश भावी निवेशकों से आता है जिनका अपना नियमित व्यापार है। लेकिन जब मैं देखता हूं जहां कोई प्रतिष्ठान नहीं है, कार्यालय नहीं है कोई अत्यधिक निवेश कर रहा है और पूंजी लाभ कर पर छूट प्राप्त कर रहा है और जो पता है वह पता किसी सनदी लेखाकार का है या किसी कर सलाहकार का। या किसी कर परामर्शदाता का है, क्या मुझे इसे नहीं रोकना चाहिए? हम पुन: गार की लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह ईमानदार करदाताओं को परेशान करने के लिए नहीं है लेकिन हमें उनके खिलाफ जो कर जमा नहीं करके फायदा उठा रहे हैं कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि यह आपका अधिदेश है। इस सभा ने मुझे स्थगन प्रस्ताव में कहा "न केवल विदेशों में पड़े काले धन को वापस लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं बल्कि काले धन के सृजन पर भी रोक लगाएं।" यही कारण है कि मैं अंतरण मूल्य निर्धारण को सुदृढ़ कर रहा हूं। यही कारण है कि प्रत्येक कर के एएपी को पूर्णत: स्वीकार कर रहा हूं। मैं वित्त संबंधी स्थाई समिति की सिफारिशों के संदर्भ में इसकी जांच करूंगा।

मैं एक अन्य बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि कराधान के संबंध में भूतलक्षी प्रस्ताव वाले विधान के बारे में बहुत सारे विचार व्यक्त किए गए हैं।

कृपया मेरी गलती ठीक करें। यहां पर कई योग्य सदस्य बैठे हैं। शायद ही कोई वित्त विधेयक हो जिसमें कराधान मदों के संबंध में न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में भूतलक्षी प्रभाव से कोई विधान नहीं बनाए गए हों। एक वर्ष में वित्त विधेयक में एक विशेष नई धारा जोड़ी गई थी जो मेरे या श्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान नहीं थी। एक नई धारा जोड़ दी गई थी। स्वयं मेंने यह नहीं किया। 2008 में मैंने यह किया है। 2009 में भी मैंने यह किया है। हम क्या हासिल करना चाहते हैं?

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप कर निर्धारण के विषय में कानून का अभिप्राय स्पष्ट करें और उसमें कर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आप कानून का अभिप्राय बताएं। कानून का अभिप्राय कानून के दिन से ही प्रभावी होगा। यह इसके बीच में नहीं हो सकता है। इसीलिए, यदि अधिनियम 1961 या 1962 में अधिनियमित हो गया था जब मैं उस विधान की व्याख्या दे रहा हूं तो यह उस दिन के संदर्भ में होगा। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि 1961 या 1962 से सभी वर्षों के लिए सभी मामले पुन: खोले जाएंगे। आयकर अधिनियम में एक और प्रावधान है जो वहां पर प्रचलित होगा जहां छह वर्षों के बाद कोई कर मामला पुन: नहीं खोला जा सकेगा। इसलिए यह आशंका वहां है कि 20 वर्ष या 50 वर्ष पुराने मामले पुन: खोले जाएंगे।

भारत कोई कर नहीं वाला देश नहीं है। भारत में निर्धारित कर दर है लेकिन यह कर पनाहगाह नहीं है। यह कोई कर नहीं वाला देश नहीं है। हमारा अभिप्राय कर प्रावधान रखने का है।

हमारा अभिप्राय यह है कि आपको दोहरा-कर अदा नहीं करना होगा। यदि आप अपने मूल देश में कर अदा कर रहे हैं और यदि हमारा आपके मूल देश के साथ दोहरा कराधान परिवर्जन समझौता है तो आपको कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल वही स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। वोडाफोन मामले के संबंध में, हमारा कोई प्रतिशोधी रवैया नहीं है। परंतु, मुझे अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा। वरना, खजाना खाली हो जाएगा। इसी प्रकार के मामले वाले लोगों ने विभाग के विवेचन को स्वीकार कर अपने करों का भुगतान किया है। अगर मैं इस कानून में संशोधन न करूं और यदि कल को वे आकर कहें कि मैंने आपकी बात मानकर हमने कर का भुगतान किया था; और अब चूंकि उच्चतम न्यायालय ने आपकी व्याख्या को निरस्त कर दिया है और आपने इसमें आवश्यक कोई वैधानिक सुधार भी नहीं किया है तो इसलिए अब आप मेरे कर का पैसा वापस कीजिए। आप बताइए, क्या कोई सरकार इस स्थिति को स्वीकार कर सकती है? हम कोई करमुक्त व्यवस्था बना सकते हैं और हम यह भी नहीं कहते कि कर संबंधी कानून मनमाने तरीके से बनाएंगे। कर-संबंधी कानून पारदर्शी हैं और यह बात अटल और निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक अंतिम सुझाव देना चाहता हूं। छोटे जौहरियों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के बारे में मुझे विभिन्न राजनेताओं, विभिन्न लोगों से व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिमंडल में और उससे बाहर के मेरे दलीय सहयोगियों सहित अन्यान्य संसद सदस्यों से बहुत सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मेरा इरादा उनके उत्पीड़न या उनके व्यापार के लिए परेशानी पैदा करने का नहीं है। मेरा इरादा बहुत स्पष्ट था। कृपया आप ध्यान रखिए कि सभी राज्य सरकारें उनसे 'वैट' वसूल कर रही हैं। मैंने बस यही इंगित किया था कि यदि आप 'वैट' चुका रहे हैं, तो फिर आप उत्पाद-शुल्क भी चुका सकते हैं। परंतु, क्योंकि बहुत सारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं इस पर विचार कर रहा हूं। अभी और वित्त विधेयक के पारित होने के बीच के समय के दौरान, मैं एक स्वीकार्य फार्मूला लेकर आऊंगा।

इसके तीन पहलू हैं। पहला: 2 लाख रुपये के सोने के आभूषण की खरीद के लिए पैन कार्ड की जरूरत। इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। उत्पाद शुल्क की वसूली अतिक्रमण-कर के पुनराधान के मुद्दे को सुलझा लिया गया है। तीसरी बात आयात शुल्क के बारे में है। मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ आयातित किए जा रहे सोने की मात्रा के बारे में यहां बताना चाहूंगा। पिछले वर्ष यह 46 खरब डॉलर से ज्यादा था याने पेट्रोलियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात। मैं मानता हूं कि सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन साथ ही कृपया बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी ध्यान रखें। यदि इसे सोने जैसी मृत सम्पत्ति के आयात पर खर्च कर दिया जाए, तो इससे दिक्कत होगी। अत:, मैं छोटे जौहरियों की व्यथा समझता हूं; मैं मूल्य से जुड़ी पैन-कार्ड की आवश्यकता के सवाल को समझता हूं; परंतु निश्चित रूप से सोने और प्लैटिनम के आयात-शुल्क वाली बात मेरे मत में नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के विचारार्थ बजट प्रस्तुत करता हूं *(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, यदि आप आज्ञा दें, तो एक और मामला है, जिस पर भी मुझे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। परंतु, इसके दो पहलू हैं। पिछले वर्ष, मैंने कच्चे रेशम पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया था। ऐसा मुख्य रूप से देश भर के अधिकांश बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि वे यथार्थत: अपनी गतिविधियां बंद कर रहे थे। परंतु, इससे रेशम-उत्पादकों को कुछ दिक्कतें हुईं हैं। रेशम-उत्पादकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके और बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए, मैं राज्य सरकारों और केंद्रीय रेशम बोर्ड की सलाह से एक विशेष पैकेज तैयार करना चाहता हूं, जैसा कि मैं बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाकर और उसे सस्ते में उपलब्ध कराकर पहले ही कर चुका हूं। और जब भी जरूरत होगी, मैं ऐसा करूंगा। धन्यवाद महोदया *(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): क्या वित्त मंत्री इस सदन को यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जब तक वह स्वर्ण-आभूषणों के मामले पर पुनर्विचार नहीं कर लेते, तब तक इस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यह भविष्य में तय किया जाएगा, न कि बजट की तारीख से लागू होगा। हम सिर्फ यह आश्वासन चाहते हैं *(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदया: पूर्व वित्त मंत्री कानूनी पेचीदगियों से पूरी तरह अवगत हैं। मुझे इसके कानूनी निहितार्थ देखने होंगे, जिसके बिना मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इसकी जांच करूंगा। *(व्यवधान)...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं वर्ष 2012-13 के लिए लेखा अनुदानों की मांगों (सामान्य) सभा में मतदान हेतु रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 63, 65 से 75, 77, 78 और 80 से 106 के सामने दिखाए गए मांग-शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राजस्व-लेखा तथा पूंजी-लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2012-2013 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग सख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	3799,95,00,000	10,58,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	887,00,00,000	...
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	389,50,00,000	3,80,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
4.	परमाणु ऊर्जा	927,34,00,000	637,04,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	659,03,00,000	93,68,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
6.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	293,58,00,000	6,85,00,000
7.	उर्वरक विभाग	22396,38,00,000	40,67,00,000
8.	भेषज विभाग	35,17,00,000	3,34,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9.	नागर विमानन मंत्रालय	180,50,00,000	692,63,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	83,06,00,000	5,00,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	675,80,00,000	161,95,00,0000
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	249,03,00,000	12,18,00,000

1	2	3	4
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
13.	डाक विभाग	2396,60,00,000	102,63,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	1931,22,00,000	241,11,00,000
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	479,59,00,0000	28,91,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	97,27,00,0000	3,28,00,0000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	19462,59,00,0000	10108,37,00,000
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय			
18.	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	34,23,0,000	5,33,00,000
संस्कृति मंत्रालय			
19.	संस्कृति मंत्रालय	228,55,00,000	6,33,00,000
रक्षा मंत्रालय			
20.	रक्षा मंत्रालय	3537,24,00,000	312,43,00,000
21.	रक्षा पेंशन	6499,96,00,000	...
22.	रक्षा सेवा-थल सेना	13545,92,00,000	...
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	2123,64,00,000	...
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	3053,81,00,000	...
25.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	1796,48,00,000	...
26.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	1005,83,00,000	...
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	13254,49,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	291,72,00,000	58,17,00,000
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	268,91,00,000	34,64,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	502,05,00,000	11,69,00,000
विदेश मंत्रालय			
31.	विदेश मंत्रालय	1437,05,00,000	548,00,00,000

1	2	3	4
वित्त मंत्रालय			
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1513,55,00,000	9826,85,00,000
33.	वित्तीय सेवा विभाग	1422,54,00,000	2650,33,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	18825,50,00,000	...
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	41,67,00,000
38.	व्यय विभाग	22,54,00,000	...
39.	पेंशन	3285,00,00,000	...
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	567,90,00,000	1,67,00,000
41.	राजस्व विभाग	298,82,00,000	1,92,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	511,86,00,000	134,88,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	580,23,00,000	19,87,00,000
44.	विनिवेश विभाग	10,54,00,000	...
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	111,76,00,000	...
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	5060,30,00,000	383,05,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	192,98,00,000	2,77,00,000
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	151,33,00,000	...
49.	एड्स नियंत्रण विभाग	282,0,00,000	1,33,00,000
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
50.	भारी उद्योग विभाग	92,19,00,000	76,09,00,000
51.	सरकारी उद्यम विभाग	3,66,00,000	...
गृह मंत्रालय			
52.	गृह मंत्रालय	487,56,00,00	37,39,00,000
53.	मंत्रिमंडल	100,70,00,000	23,18,00,000
54.	पुलिस	6477,07,00,000	1867,53,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	287,59,00,000	24,62,00,000
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	359,15,00,000	12,00,00,000

1	2	3	4
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
57.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	173,83,00,000	...
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	22859,78,00,000	...
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग	4212,50,00,000	...
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
60.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	367,14,00,000	90,67,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय			
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	770,49,00,000	1,37,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
62.	निर्वाचन आयोग	12,03,00,000	...
63.	विधि और न्याय	252,60,00,000	3,34,00,000
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय			
65.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	511,98,00,000	13,97,00,000
खान मंत्रालय			
66.	खान मंत्रालय	104,79,00,000	11,60,00,000
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय			
67.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	509,12,00,000	16,67,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
68.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	224,37,00,000	15,33,00,000
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय			
69.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	15,80,00,000	3,33,00,000
पंचायती राज मंत्रालय			
70.	पंचायती राज मंत्रालय	891,79,00,000	...
संसदीय कार्य मंत्रालय			
71.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,95,00,000	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	159,20,00,000	18,78,00,000

1	2	3	4
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	7293,14,00,000	17,00,000
योजना मंत्रालय			
74.	योजना मंत्रालय	697,69,00,000	85,97,00,000
विद्युत मंत्रालय			
75.	विद्युत मंत्रालय	1809,87,00,000	738,74,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
77.	लोक सभा	72,36,00,000	...
78.	राज्य सभा	47,19,00,000	...
80.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	52,00,000	...
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3749,23,00,000	4107,24,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
82.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	37858,60,00,000	...
83.	भूमि संसाधन विभाग	534,70,00,000	...
84.	पेय जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग	3730,88,00,000	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	397,31,00,000	6,66,00,000
86.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान विभाग	540,60,00,000	1,48,00,000
87.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	250,07,00,000	...
पोत परिवहन मंत्रालय			
88.	पोत परिवहन मंत्रालय	233,34,00,000	89,21,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	920,22,00,000	50,00,00,000
अंतरिक्ष विभाग			
90.	अंतरिक्ष विभाग	643,79,00,000	752,21,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	821,06,00,000	2,87,00,000

1	2	3	4
इस्पात मंत्रालय			
92.	इस्पात मंत्रालय	19,98,00,000	...
कपड़ा मंत्रालय			
93.	कपड़ा मंत्रालय	1295,94,00,000	10,13,00,000
पर्यटन मंत्रालय			
94.	पर्यटन मंत्रालय	213,33,00,000	50,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय			
95.	जनजाति कार्य मंत्रालय	68,37,00,000	11,67,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)			
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	392,15,00,000	123,21,00,000
97.	चंड़ीगढ़	414,43,00,000	68,39,00,000
98.	दादरा और नगर हवेली	355,97,00,000	42,03,00,000
99.	दमन और दीव	175,60,00,000	58,41,00,000
100.	लक्षद्वीप	107,09,00,000	43,52,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
101.	शहरी विकास विभाग	221,12,00,000	1554,36,00,000
102.	लोक निर्माण कार्य	228,59,00,000	90,31,00,000
103.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	44,05,00,000	2,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
104.	जल संसाधन मंत्रालय	322,88,00,000	21,05,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय			
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	3092,63,00,000	...
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
106.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	189,12,00,000	22,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी		**227722,96,00,000**	**49521,68,00,000**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं वर्ष 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (समान्य) सभा में मतदान हेतु रखती हूं।

प्रश्न यह है

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व-लेखा तथा पूंजी-लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें: मांग संख्या 1 से 5, 7, 9 से 14, 17 से 20, 22 से 25, 29 से 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45 से 48, 50, 52 से 55, 58 से 61, 65, 67 से 70, 72 से 75, 77, 78, 81, 82, 85 से 91 और 93 से 106

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011-2012 के लिए तृतीय बैच की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपस्क अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपए में)	पूंजी (रुपए में)
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	4,00,000	...
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	50,03,00,000	...
3.	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	2,00,000	...
4.	परमाणु ऊर्जा	3,00,000	
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	312,34,00,000	...
7.	उर्वरक विभाग	7201,07,00,000	...
9.	नागर विमानन मंत्रालय	9,77,00,000	...
10.	कोयला मंत्रालय	...	46,83,00,000
11.	वाणिज्य विभाग	30,23,00,000	...
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	2,00,000	...
13.	डाक विभाग	240,06,00,000	1,00,000
14.	दूरसंचार विभाग	1,00,000	...
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9873,75,00,000	1,00,000
18.	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	1,00,000	...
19.	संस्कृति मंत्रालय	25,01,00,000	...
20.	रक्षा मंत्रालय	128,78,00,000	1,00,000
22.	रक्षा सेवा-थल सेना	3412,07,00,000	...
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	752,7600,000	...

1	2	3	4
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	149,24,00,000	...
25.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	858,93,00,000	...
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3,00,000	...
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	...
31.	विदेश मंत्रालय	1,00,000	100,00,00,000
32.	आर्थिक कार्य विभाग	3,00,000	1,00,000
33.	वित्तीय सेवा विभाग	1,00,000	6497,42,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	555,00,00,000	...
38.	व्यय विभाग	9,07,00,000	...
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	13,08,00,000	...
42.	प्रत्यक्ष पर	15,72,00,000	...
43.	अप्रत्यक्ष कर	7,50,00,000	...
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,00,000	...
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2,00,000	2,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	3,00,000	40,00,000
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,00,000	...
50.	भारी उद्योग विभाग	64,00,000	...
52.	गृह मंत्रालय	3,00,000	24,60,00,000
53.	मंत्रिमंडल	190,69,00,000	...
54.	पुलिस	2,00,000	2,00,000
55.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	3,00,000	1,00,000
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	70,02,00,000	...
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग	69,71,00,000	...
60.	सूचना एवं प्रसरण मंत्रालय	75,43,00,000	...
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2,00,000	...
65.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	3,00,000	...
67.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	1,00,000	...

1	2	3	4
68.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,00,000	...
69.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	6,50,00,000	....
70.	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	...
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	10,07,00,000	...
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14838,11,00,000	1,00,000
74.	योजना मंत्रालय	197,00,00,000	1,00,000
75.	विद्युत मंत्रालय	1,82,00,000	179,63,00,000
77.	लोक सभा	11,00,00,000	...
78.	राज्य सभा	33,01,00,000	...
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	485,15,00,000	731,38,00,000
82.	ग्रामीण विकास विभाग	2,00,000	...
85..	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
86..	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,00,000	...
87.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	...
88.	पोत परिवहन मंत्रालय	638,60,00,000	1,00,000
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3,00,000	...
90.	अंतरिक्ष विभाग	...	1,00,000
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4,00,000	...
93.	वस्त्र मंत्रालय	210,02,00,000	...
94.	पर्यटन मंत्रालय	1,00,000	...
95.	जनजाति कार्य मंत्रालय	23,26,00,000	...
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14,83,00,000	...
97.	चंडीगढ़	70,97,00,000	...

1	2	3	4
98.	दादरा और नगर हवेली	150,00,00,000	...
99.	दमण और दीव	135,00,00,000	...
101.	शहरी विकास विभाग	1,00,000	166,89,00,000
102.	लोक निर्माण कार्य	62,24,00,000	24,00,00,000
103.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	10,06,00,000	...
104.	जल संसाधन मंत्रालय	2,00,000	...
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2,00,000	...
106.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1,00,000	...
	जोड़	40949,22,00,000	7771,28,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं वर्ष 2009-2010 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान हेतु रखती हूं:

"कि कार्य सूची-1 के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिक्ति राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं। मांग संख्या 13, 14, 20 से 23 और 54।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-2010 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपए में)	पूंजी (रुपए में)
13.	डाक विभाग	818,12,99,976	...
14.	दूरसंचार विभाग	87,81,60,488	...
20.	रक्षा मंत्रालय	95,31,73,097	...
21.	रक्षा पेंशन	8999,54,01,305	...
22.	रक्षा सेवाएं - थल सेना	2464,11,11,895	...
23.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	150,51,03,457	...
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	36,21,40,006	...
	जोड़	12651,63,90,224	...

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.24 बजे

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 34, माननीय मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कपितय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 35। माननीय मंत्री।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 27.3.2012 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.25 बजे

विनियोग विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या-36 माननीय मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या-37 माननीय मंत्री जी।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कपितय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 27.3.2012 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कपितय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.26 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या-38 माननीय मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदान रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदान रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या-39 माननीय मंत्री।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 27.3.2012 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.28 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

सिविल समाज द्वारा संसद सदस्यों और केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक वक्तव्यों के बारे में

अध्यक्ष महोदया: अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय चर्चा शुरू करेंगे।

श्री शरद यादव।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, आप बताइए किस तरह आपने मुझे समय दिया है आप कल मुझे वक्त दीजिए। मैं आपके पास आया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात बोलिये। कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य तो बाहर जा रहे हैं। मैडम, बेतहर होगा कि आप कल मुझे मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बोल लीजिए। अभी सभी लोग उपस्थित हैं। कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैंने प्रणब बाबू से रात को बात की थी और आपने सुबह कहा था कि चार बजे आपको बालने का समय मिलेगा। प्रणब बाबू ने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। लेकिन सारे सदन की जो जिम्मेदारी थी, वह ऐसे समय पर आ गई है कि बहुत से लोग खिसक गए हैं।. ..*(व्यवधान)* हमारी तरफ के लिए बैठे हैं। ...*(व्यवधान)* माफ करना कुछ लोग वॉश रूम गए होंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए शरद जी, आपके भाषण में चुम्बकीय शक्ति है, सब आ जाएंगे।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, कल बातचीत सुषमा स्वराज जी से लेकर सभी लोगों ने शुरू की थी। कुछ माननीय सदस्य उसमें अपनी बात और भावनाएं नहीं रख सके। मैं सुबह आपके पास गया था, प्रणब बाबू ने मुझे फोन किया और कहा कि बजट पास करना है और मैं भी मानता हूं कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बजट के बाद इस सवाल को आप लीजिए। लेकिन उस लिहाज से शाम को गई है। लेकिन मेरे मित्र मैम्बर्स आज इस पर डटे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज यह सवाल नहीं उठता। यह जो संसद हैं, यह जो संस्थाएं हैं, इनको बड़ी कठिनाई से हमने खड़ा किया है। कई तरह के दौर को पार करके हम लोग यहां खड़े हैं। 39-40 वर्ष से हम यहां हैं। कई सवाल बाहर खड़े होते हैं। एक तो जो 162 सांसद अपराधी हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि एक बात तो यह होनी चाहिए कि इनमें से राजनैतिक मामले कितने हैं, आंदोलन के मामले कितने हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोग कितने हैं? यह जिम्मेदारी किसी की नहीं है। यह जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी है। बाहर अकेले जंतर-मंतर पर लोगों ने नहीं कहा, अखबारों, पर इंटरनेट पर, टीवी पर यह सब चलता रहता है। मुझे इस बात की चिंता इसलिए होती है कि सदन का सम्मान यदि घटेगा तो फिर देश कहां जाएगा? किस तरफ जाएगा? समाधान तो यही हो सकता है। किसी संस्था में भी एबरेशन होती है। राम के राज में भी रावण थे। कृष्ण के राज में भी कंस और दुर्योधन थे। आज भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सदन में बिलकुल साफ छवि के लोग आए हैं। कई बार ऐसे लोग आए हैं, जिन्हें नहीं आना था। लेकिन इसके मायने यह नहीं है कि इस संस्था का, जिसके पहले इस देश में कोई संस्था नहीं है। परमात्मा के बाद यह अंतिम सत्य है और सबसे ज्यादा शक्ति और सामर्थ्यवान यह सभा है। एक ट्रैंड लगातार चल रहा है। जबसे भ्रष्टाचार का आंदोलन चला है तबसे ज्यादा इस संसद ने और संसद से हम लोगों ने जेपीसी के लिए एक सत्र बंद किया। इससे जो ट्रेजरी बेंचेज हैं, वह बहुत परेशान रहीं। इतनी लड़ाई हुई कि एक सत्र हम लोगों ने बंद रखा और जेपीसी बनी। सारी पार्टियों ने जो

विरोध में बैठी हैं, सभी ने सभी जगह जुलूस निकाले, डिमॉन्स्ट्रेशन किया। कई जगह लाठी चार्ज हुई। हम लोगों ने भी रैलियां निकाली। यह भ्रष्टाचार की लड़ाई इतनी ऊपर तक गयी कि 27 लोग जेल में बंद हुए। 27 लोग कॉरपोरेट्स हैं, हमारे साथी हैं।

महोदया, रात को एक बहस में एक टीवी वाला बोल रहा था कि अच्छा कानून कैसे बन सकता है जब यहां कनिमोझी हों, सुरेश कलमाड़ी हों। किसी ने अगर गलत काम किया है तो कोई और संस्था ने नहीं बल्कि इसी संस्था ने, हम लोगों ने उनके खिलाफ कदम उठाए हैं। क्या वकीलों, मास्टरों, जजों की कोई संस्था बता सकती है कि उन्होंने कभी किसी को निकाला हो या कभी कहा है कि हम लोगों ने कोशिश की और निकाल नहीं पाए? अकेली यही संस्था है।...*(व्यवधान)*

महोदया, आपके आसन पर सोमनाथ बाबू थे। इस सदन में ग्यारह सांसद पचास हजार, चालीस हजार, दस हजार इत्यादि ले रहे थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बाकी सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आप बोलिए। आप इधर देखिए। आप इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत होइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: महोदया, इस संस्था ने ग्यारह सांसदों को निकाल दिया। सारे सदन के लोग इसके विपरीत थे। तब भी आडवाणी जी ने विनती की थी कि इनका ऐसा अपराध नहीं है कि इनकी मेम्बरी ले ली जाए। लेकिन, दोनों ने पूरी तरह से एक स्वर से, आम सहमति से, ग्यारह सांसदों को तेरह दिनों में निकाला। दुनिया में कोई संस्था नहीं है जिसने तेरह दिनों में इंसाफ किया हो।

महोदया, यहां आपकी जगह रवि राय जी बैठते थे। यह हमारा कानून हम लोगों ने नहीं लाया था। अब तो मैं यह मानता हूं कि यह जो एंटी डेफेक्शन लॉ है, इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इससे देश को कोई लाभ नहीं हुआ। जो पीठासीन अधिकारी हैं, वे इस कानून को नहीं मानते। इसमें इतनी ज्यादा खामियां हैं कि यदि वे इसे नहीं मानते तो यह उनकी बेइमानी नहीं है, मजबूरी है। जहां संख्या कम है, मेम्बर कम है तो यह सूबा चलाना है या नहीं, देश चलाना है या नहीं? यहां रवि राय जी ने, उन्होंने सात सदस्यों की सदस्यता पुराने दल-बदल कानून से ले जी। इसी सदन में कुछ लोगों का नाम आ गया तो सोमनाथ बाबू ने कुछ लोगों को एक इस दल में आने से रोक दिया।

मैं आपसे विनती करता हूं कि राजनीतिक जमात पर हमला करने का एक तरह से ट्रेंड चला हुआ है। मैं मानता हूं कि यह सर्वोच्च संस्था है और सर्वोच्च सत्ता भी यही है। सत्ता लोकतंत्र में निहित है। जनता उस पर हमला करती है। जनता उसकी खामियों पर गुस्सा जाहिर करती है और हमें इसे सहना चाहिए। हम लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इतनी दूर तक नहीं चले जाये कि कुछ लोग कहते हैं, फारुख साहब एक दिन कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने गलती की कि मुझे राजनीति में ले आये। मेरे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर हैं, मैं तो नहीं कहता कि मेरे पिताजी ने गलती की, क्यों गलती की। अरे, हम ईमानदारी से 40 साल से हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर की, हिन्दुस्तान की बेकारी और बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम, जिसे फकीर कहते हैं, उस फकीर से कोई कम नहीं हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, हममें से बहुत से सांसद हैं, एक सांसद दलपत सिंह परस्ते हैं, आजकल बी.जे.पी. में हैं, उनकी पत्नी यहां मर गई तो उनके पास अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए पैसे नहीं थे तो आप दलपत सिंह परस्ते को याद नहीं करोगे? हम ईमान से जो जी रहे हैं। उनकी याद नहीं करोगे, बेईमानों की तरफ ही इशारा करोगे, उजाले की तरफ करोगे ही नहीं तो देश तो अंधेरे में डूब जायेगा, अंधेरे में बैठेगा, ऐसी निराशा फैलाई जा रही है।

भ्रष्टाचार पर भी 2-4 दिन की बहस करो तो हम कुछ बात कह सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं। आज देश में सारी बीमारी 63 साल में सब आपके सामने खड़ी हो गई है, जाति है, रीजन है, रिलीजन है, किसी इलाके में किसी का कत्ल हो गया है, मुख्यमंत्री मारा गया है तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको फांसी मत दो तो देश में ऐसी परिस्थिति है। जैसे-जैसे आजादी बढ़ रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, देश जाग भी रहा है और देश में बीमारियां आपके सामने खड़ी हैं, लेकिन हम उनसे आंख मूंदना चाहते हैं? अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, लेकिन हम कभी सोचते नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 50 से 60 फीसदी पैसा पार्टियों का और पार्टियां क्या करें, 50 से 60 फीसदी प्रत्याशियों का और पार्टियों का पैसा काहे में गया है, मीडिया में गया है। बड़ी चुनाव सुधार की बात होती है चुनाव सुधार की बहुत बात होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा, थैली किसके पास जा रही है, कौन ले जा रहा है, यानि जो प्रत्याशी हैं, उससे भी ले रहे हैं, पार्टियों से भी ले रहे हैं, यानि कोई खराबी अकेले यहीं नहीं घुस गई है।

महात्मा जी ने सन् 1931 में लिखा था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो आजादी के बाद हमारे जहां बहुत पुरानी कहावत है, 'जस राजा, तस प्रजा', लेकिन आजादी के बाद यह कहावत उल्टी हो जायेगी, पलट जायेगी, जस प्रजा, तस एम.पी. होगी, जस प्रजा, तस एम.एल.ए. होगी और जैसी प्रजा, वैसी ही राज्य सरकार होगी, जैसी प्रजा है, वैसी ही केन्द्र सरकार होगी, यह कोई आकाश से नहीं टपक रही है। भारतीय समाज से ये सब चीजें निकल रही हैं, हम उस समाज को तो बदलना नहीं चाहते, उस समाज के ऊपर तो गौर नहीं करना चाहते, हम दिन-भर कहेंगे कि जाति-पाति नहीं होनी चाहिए और सैण्ट्रल हॉल में चले जाइये तो जातियों के ग्रुप बैठे हुए हैं और ग्रुप क्यों नहीं बैठें, वे इसलिए बैठते हैं कि खाने में, पीने में, मौत में हजारों साल की एक संस्था है। आपकी चर्चा से वह टूटेगी नहीं, लेकिन स्वामी दयानन्द जी ने, डॉ. लोहिया ने, जयप्रकाश जी ने इन सवालों पर लड़ने का काम किया है। इन सवालों को छेड़ने का काम किया है हम तो यहां आकर खड़े हो गये हैं कि कभी हम इसको एड्रैस ही नहीं करते हैं कि यह बीमारी कहां से आई है। जाति-पाति नहीं होनी चाहिए तो फिर रास्ता क्या है। भई, कोई रास्ता तो बताना चाहिए कि एक ऐसा परसेंट का, तीन परसेंट का इंसेंटिव दो कि जो अन्तर्जातीय शादी करेगा, अन्तर्धर्मी शादी करेगा, उसे आप नौकरी में विशेष अवसर देंगे। कोई आदमी किसी तरह का रास्ता अख्तियार करेगा तो मैंने तो एक बात कही, लेकिन कोई भी रास्ता, किसी तरह का भी रास्ता निकालो, सदन में चर्चा तो करो, आजकल राज गोली से नहीं चल रहा है, बोली से चल रहा है और जो लोग पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, मेरा उन पर कोई एतराज नहीं है, वे व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैं, मेरा कोई एतराज नहीं हैं, वे सारे नाम लेकर कह रहे हैं, मेरे बारे में उन्होंने बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है। वे तो कम बोलते हैं, हम लोगों के खिलाफ तो बहुत से लोग बोलते हैं। इतना असत्य बोलते हैं कि क्या बतायें, कुछ कह नहीं सकते। यदि आदमी में अपमान सहने की ताकत न हो, महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा, भगवान बुद्ध तो आगम और निगम के परे मानते नहीं थे कि कोई चीज है, वह एथिक्स थे, आनंद ने पूछा कि बताइए कि सहज और सरल रास्ता बुद्ध बनने का क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आदमी अपने धर्म के लिए निरंतर संघर्ष करता रहे, अपमान सहता रहे, वह बड़ा आदमी हो जाएगा और उस बड़प्पन से जिसको पद और प्रतिष्ठि मिल जाए और वह पद और प्रतिष्ठा के बाद बौराय नहीं, संतुलित रह जाए, तो वह बुद्ध हो जाएगा। मैं यह कहता हूं कि कमियां हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिए।

श्री शरद यादव: महोदया, मैं जो बात कह रहा हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मैं तो एक सदस्य हूं, जबकि आप इस सदन की कस्टोडियन हैं, रक्षा, सुरक्षा आपके हाथ में है। हमारी जो खराबी हो, उस पर अटैक करो। आलोचना करो, कोई हर्ज नहीं है। जितनी आलोचना होगी, उतनी ही मंथन होगा, मंथन से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। इसलिए मेरी आपसे वितनी है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुषमा जी से कहें या आप बंसल जी से कहें या आप स्वयं इस पर मानें कि किसी की आलोचना नहीं हो। यह बात इसमें हो कि संसद जो है, वह संस्था है, इलेक्शन कमीशन संस्था है सुप्रीम कोर्ट संस्था है, इन पर कोई इस तरह का हमला न करे। इस तरह का हमला न करे कि ये टूटने के कगार पर पहुंच जाएं और इन पर लोगों का विश्वास टूट जाए। जनता का जिस दिन इस सदन पर विश्वास टूट गया तो मुझे लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए इसको रोकने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस जिम्मेदारी को मेरी जगह आपको निभाना चाहिए था, सुषमा जी की जगह आपको निभाना चाहिए था, बसुदेव आचार्य जी की जगह आपको निभाना चाहिए था। में आपसे यही कहता हूं कि देर आये, दुरुस्त आये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी की आलोचना करना है। जिन लोगों ने व्यक्तियों की आलोचना की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिए।

श्री शरद यादव: मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन पर कोई भी मर्यादा रखे, संतुलित होकर लोक सभा के बारे में बोले, हमारे कृत्यों के बारे में बोले। हमारे कृत्यों के बारे में बोले। लेकिन ऐसा न हो कि हमारे ऊपर पूरा विश्वास ही टूट जाए। इसलिए इस विश्वास को पूरी तरह से रीस्टोर करने के लिए, इस विश्वास को जमाने के लिए, इस विश्वास को बनाये रखने के लिए, इस विश्वास को मजबूती से खड़ा रखने के लिए, जिससे लोकतंत्र खड़ा रहे। यह लोकतंत्र को खड़ा करने का सबसे बड़ा स्तंभ है। यह तंबू में सबसे बड़ा बंबू है। इसे टूटने मत दो, इसे लगाये रखो, इस टिकाए रखो।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि एक इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। यह प्रश्न केवल हमारी सरकार का नहीं है, यह प्रश्न किसी व्यक्ति का, जगदम्बिका पाल का नहीं है। आज जो बात माननीय शरद यादव जी ने उठायी है, आज वह बात इस सम्पूर्ण विधायिका के इस सर्वोच्च सदन की मर्यादा के साथ है और न केवल इस सम्पूर्ण या इस सर्वोच्च सदन की उस मर्यादा का प्रश्न है, इस सदन की प्रोसिडिंग जो आप तय करती हैं कि इस सदन की प्रोसिडिंग कैसे चलेगी, कौन सा विषय स्वीकार किया जायेगा, कौन सा विषय स्वीकार नहीं होगा और चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हां, चाहे विपक्ष के लोग हों, जो एजेंडा आप स्वीकार

करती हैं, उसी एजेंडे पर आपकी अनुमति से यह सदन चलता है। अगर आज उस कार्रवाई पर भी प्रहार किया जाये, तो मैं समझता हूं कि दुनिया के शायद किसी मुल्क में अगर इस तरह का कोई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सर्वोच्च सदन के उस मंदिर पर जिस तरह से सिविल सोसाइटी के नाम पर एक लगातार प्रहार किया जा रहा है, मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के लोग इस नाते दुखी हैं और इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं। आज उस सवाल को किस नाम पर कि लोकपाल बिल सदन पारित करे। उस लोकपाल बिल को पारित करने के लिए जब माननीय अन्ना जी जंतर-मंतर पर बैठे उसी समय हमारी सरकार ने एक मंत्रिपरिषद के समूह के साथ उनकी बैठक की। एक सिविल सोसाइटी, पहली बार हमने इस बात के लिए आलोचना भी सुनी।...*(व्यवधान)* क्यों सिविल सोसाटी के पांच लोगों को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब आप समाप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं अभी कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एसोसिएट कर लिजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: आज संसद सदस्यों पर ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): शरद जी ने जो सवाल उठाया। ...*(व्यवधान)* सर्वसम्मति से इसकी निंदा करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह बोल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बोलने का मौका देती हूं।

श्री जगदम्बिका पाल: आदरणीय अध्यक्षा जी, आज जिस बात को लेकर कह रहे हैं, मैं उस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उस मंच से कहा गया कि आज इस सदन में आईपीएस नरेन्द्र जी की हत्या पर चर्चा नहीं होती है। शरद पवार जी पर चर्चा होती है। आपने जीरो अवर में नरेन्द्र जी की हत्या पर बोलने के लिए मुझे अनुमति दी। मैंने चर्चा की। अगर इस तरह से कोई चर्चा होती है उस पर भी कोई हमला हो रहा है। अगर स्पीकर के कन्डक्ट पर भी हो रहा है तो क्या देश में लोगों को आज इजाजत दी जाए कि संपूर्ण लोक सभा जिसकी स्पीकर, कस्टोडियन आप में क्या उनके द्वारा भी कार्रवाई पर चर्चा हो। आज यह कहा जाता है कि सदन में कौन लोग बैठे हैं? यह कहा जाता है कि सदन में 162 अपराधी सांसद और मंत्री के रूप में बैठे हैं। ...*(व्यवधान)* शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। शायद एक दिन गेट नम्बर एक पर खड़े हो जाएं, 2/3 से ज्यादा संसद सदस्य फेरी से आते हैं। ये अपना पूरे जीवन समर्पित भाव से अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। यहां उनके पास कार नहीं है। इसके बावजूद वह अपनी संपूर्ण विधायिका की उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी के लिए इस सदन में ईमानदारी से काम करते हैं। आज हम तो इसका उल्लेख नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)* अगर वह भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वह चुनाव सुधार की बात करते हैं। तो हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 23 मार्च को बैठक की। अभी 23 मार्च को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई कि किस तरह से सहमति बनें ताकि लोकपाल बिल दोनों हाउस से पास हो। मैं समझता हूं कि जब दुबारा हाउस फिर बैठेगा तो हमारी सरकार कटिबद्ध है कि लोकपाल बिल को पारित कराएंगे लेकिन मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। जहां सरकार लगातार इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि उस लोकपाल बिल को दोनों सदनों में पारित कराएंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ और चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं। आप कौन-सी चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं? जब वोट पड़ेगा तो वोट डालने के बजाय वे पुणे जाने की तैयारी करेंगे और चुनाव सुधार की बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदया: बस हो गया। अब आप समाप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, यह इतनी गंभीर बात है कि आज इस लोक सभा पर हमला हो रहा है। यह हमला केवल मेरी सरकार पर नहीं है।...*(व्यवधान)* यह हमला केवल किसी सदस्य पर नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप जल्दी से समाप्त करिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं खत्म कर रहा हूं। आज जिस तरीके की घटनाएं संपूर्ण सदन में हो रही हैं। आज उस स्टेटस रिपोर्ट में आया है कि दो-दो जो संस्थाएं चला रहे हैं, नवज्योति फाउंडेशन और इंडिया विजय फाउंडेशन, अन्ना सोसायटी के एक सदस्य को पचास लाख रुपया मिला और इसलिए मिला कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आटीबीटी और सीआरपीएफ एवं अन्य पुलिस संगठन के बच्चों को निःशुल्क कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। वे ईमानदारी की बात करते हैं। आज पटियाला कोर्ट में स्टेटस सिम्बल रिपोर्ट पेश हुआ है कि उन दोनों एनजीओज ने पचास लाख रुपये का दुरुपयोग किया है।...*(व्यवधान)* आज पुलिस के बच्चों को कोई कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं दी गई है। आज अन्ना टीम के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप दारा सिंह चौहान जी को बोलने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: हमने उसी हाउस में अन्ना जी का सम्मान किया। ...*(व्यवधान)* उनको चिट्ठी लिखी गई। ...*(व्यवधान)*

हम लोगों ने उनकी तीनों बातें मानी।...*(व्यवधान)* हमने हाउस बनाकर मानी।

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह यादव जी बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): शरद यादव जी ने सवाल उठाया है वह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसद एक सर्वोच्च संस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता यही है। इस पर अगर कोई नाजायज हमला करता है तो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। यह पूरा सदन जब आप पर छोड़ते हैं, मैं भी सहमत हूं लेकिन कोई न कोई कार्रवाई किसी तरह की हो जिससे इस संस्था पर कोई हमला न कर सके। इसे केवल प्रस्ताव पास करके नहीं छोड़ा जाए। यह बाकायदा प्रिविलेज है। विशेषधिकार समिति में दिया जाए। उन्हें बुलाया जाए और इसी सदन के अंदर हाजिर किया जाए। आपकी तरफ से यह निर्देश जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसमें पूरा सदन एकमत हो।...*(व्यवधान)* कौन है, क्या है, यह सवाल नहीं है। इसलिए आप इसे विशेषाधिकार का मामला समझकर तत्काल उन्हें यहां बुलवाइए। जिन लोगों ने इस संस्था पर हमला किया है, उन्हें इसी सदन में मुजरिम बनाकर खड़ा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान सभा में ऐसे लोग बुलाए गए हैं। हम वहां विपक्ष के लीडर थे। उन्होंने वहां आकर खड़े होकर अपना बयान दिया था। बाद में सदन ने जो फैसला दिया, वह अलग बात है। इसलिए उन्हें बुलाइए, सदन में मुजरिम की तरह खड़ा कीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, कल से श्रीमती सुषमा स्वराज और माननीय शरद यादव जी द्वारा जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, उसकी निरंतरता में आज जो चर्चा हो रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस देश के कुछ लोगों द्वारा संसद और सांसदों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि अन्ना टीम के बारे में चर्चा हो रही थी। उस टीम के लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी,...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल मत कीजए। कृपया इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: पार्लियामैंट जो सबसे संवैधानिक संस्था है, उस पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इसे पूरा देश देख रहा है। संसद का हर सांसद जो देश की 15 लाख से 25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इस कारण पूरे देश की जनता का अपमान है, क्योंकि उस जनता को गाली दी गई है, उस जनता का अपमान किया गया है। इसलिए स्पीकर मैडम, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के अन्य देशों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ा डोमोक्रेटिक कंट्री है। आज देश के पूंजीपतियों के इशारे पर इस देश के लोकतंत्र को तहत-नहस करने की साजिश की जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि संविधान से ऊपर कोई नही है। जिस संविधान को बाबा साहेब ने बड़े संघर्ष और मेहनत के बाद बनाया, जिस संविधान ने गरीब, बेजुबान को जुबान दी, वे बेजुबान जो पहले लोगों की बात सुना करते थे, आज जब यहां उनकी बात सुनी जा रही है, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। इसलिए उस जुबान को बंद करने, लोकतंत्र के खात्मे की साजिश हो रही है। आर्थिक भ्रष्टाचार की आड़ में इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था और सांसदों को अपमानित करने की साजिश हो रही है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय शरद यादव जी कह रहे थे, मैं भी जानता हूं कि इसी देश के पूर्व सांसद जो बिहार के पूर्व मंत्री भी थे, जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पूरे परिवार के पास बिहार जाने तक के लिए पैसे नहीं थे। किसी तरह कुछ लोगों ने मिलकर उनके पूरे परिवार को बिहार के धनबाद में पहुंचाया। मैं भी वहां मौजूद था। सांसदों की यह हालत है। लेकिन आर्थिक भ्रष्टाचार की आड़ में जिस तरह इस सर्वोच्च संस्था को अपमानित करने के लिए पूंजीपतियों की साजिश हो रही है, उसे यह संसद कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

सायं 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गयी, इसलिए अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, इस देश में जो सामाजिक भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब आप आपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: मैं सभ्य समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजादी के 64 सालों में जो सामाजिक भ्रष्टाचार हुआ, उस पर क्या आपने कभी विचार किया? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वे लोग यह कहने वाले कौन होते हैं कि इस संसद में कौन दागी है और कौन बेदागी है।...*(व्यवधान)* इसी संसद के सांसदों ने जो अधिकार दिया है...*(व्यवधान)* अन्ना टीम के लोगों,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभ्य समाज के लोगों से कोई प्रमाण पत्र संसद को नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)* बल्कि यह विचार न्यायपालिका को हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गयी, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से बड़ा निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए।...*(व्यवधान)* तब जाकर इस मुल्क में एक सही संदेश जायेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: तम्बिदुरई जी, आप स्वयं को सम्बद्ध कर लें।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): अध्यक्ष महोदया, श्री शरद यादव जी ने एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परंतु इसके साथ ही कोई लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच अर्थात निर्वाचित संस्थाओं की आलोचना नहीं कर सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

आज भी अनेक संसद सदस्य 'फेरी सेवा' का इस्तेमाल कर रहे हैं वे अमीर नहीं है। जब आप यह देखेगे कि संसद सदस्य अपने आवास पर कैसे पहुंचते हैं तभी आप उनकी स्थिति से अवगत हो सकते हैं। संसद सदस्यों की आलोचना करना अच्छी नहीं है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें किसी प्रकार का संकल्प पारित करना होगा और यह देखा होगा कि जो लोग देश की सर्वोच्च संस्था पर हमला कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मसले पर बात करने की इजाजत दे दी, उसके लिए मैं तहे दिले से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शायद मुझे पहली बार लगा कि इस मुल्क के बुजुर्गों ने, रहनुमाओं ने एक सौ साल तक कुर्बानियां देकर आईन और जमहूरियत का मंदिर, यह इबादतगाह हमें अदा की है। ...*(व्यवधान)* आज हमें लग रहा है कि कुछ लोग इस मंदिर को दरहम-बरहम करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* 'कुछ और तबाही से गुजरेगी अभी दुनिया, जंजीर अगर तुमने* न पहनाई।' यह शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। वहां अनाप-शनाप बका जा रहा है कि इस हाउस में* ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक: मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह क्या हो रहा है? शारिक जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। आपने अपनी भावनायें व्यक्त कर दी हैं, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए। आप समय का भी ध्यान रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरीफुद्दीन शारिक: मैं एक सैकिंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री शरीफुद्दीन शारिक: वहां लीडरशिप के खिलाफ, इस हाउस के वकार के खिलाफ अनाप-शनाप बका जा रहा है। कोई* क्या सवाल है, मुझे नहीं मालूम।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: शारिक साहब, ऐसे मत कहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शारिक साहब, आप अनपार्लियामैंट्री वर्ड मत यूज कीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: वे बोलते रहते हैं। ...*(व्यवधान)* उन्होंने यह भी कहा ...*(व्यवधान)* चंद लीडरों के नाम लेकर कहा। उनके नाम लेकर वहां बदनामी की जिसमें डॉ. फारुख अब्दुल्ला का नाम उन्होंने ले लिया। ...*(व्यवधान)* मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि अगर के एक पांच पैसे का सिक्का फारुख अब्दुल्ला साहब के खिलाफ साबित कर दें, तो हम सियासत छोड़ देंगे, हम इस पार्लियामेंट को छोड़कर चले जायेंगे। वे गैर-जिम्मेदार लोग, जो वहां वायदे करते हैं और दिन-रात, मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहता, लेकिन आप यहां हमेशा मुझे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शारिक साहब, आपकी बात पूरी हो गयी है, इसलिए आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरीफुद्दीन शारिक: मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि दिखावे की इबादत कर रहा है, खुदा से भी सियासत कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): محترمہ اسپیکر صاحبہ! آپ نے مجھے اس مسئلہ پر بات کرنے کی اجازت دے دی اس کے لئے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاید مجھے پہلی بار لگا کہ اس ملک کے بزرگوں نے رہنماؤں نے ایک سو سال تک قربانیاں دے کر یہ آئین اور جمہوریت کا مندر، یہ عبادت گاہ ہمیں عطا کی ہے۔۔(مداخلت)۔۔ آج ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس مندر کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔۔(مداخلت)۔۔ کچھ اور تباہی سے گزرنے کی ابھی دنیا، زنجیر اگر تم نے (پروسیڈنگ میں شامل نہیں کیا گیا) نہ پہنائی۔ یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ اناپ شناپ بکا جا رہا ہے کہ اس ہاؤس میں (پروسیڈنگ میں شامل نہیں کیا گیا)۔۔۔ وہ لیڈرشپ کے خلاف اس ہاؤس کے وقار کے خلاف اناپ شناپ بکا جا رہا ہے (پروسیڈنگ میں شامل نہیں کیا گیا)۔

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): وہ بولتے رہتے ہیں (مداخلت) انہوں نے یہ بھی کہا (مداخلت) چند لیڈروں کے نام لے کر کہا۔ ان کے نام لے کر وہاں بدنامی کی جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا نام انہوں نے لیا (مداخلت) میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ پانچ پیسے کا سکہ فاروق عبداللہ صاحب کے خلاف ثابت کر دیں تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے، ہم اس پارلیمنٹ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ غیر ذمہ دار لوگ، جو وہاں وعدے کرتے ہیں اور دن۔رات، میں ایسے الفاظ نہیں کہتا لیکن آپ ہمیشہ مجھے (مداخلت)

[अनुवाद]

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): सभापति महोदय, मैं इससे ज्यादा कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

शरद जी ने मेरा नाम लिया। शरद जी, मुझे अफसोस इसलिए आता है कि हम वतन की खिदमत करने के लिए आते हैं, गालियां सुनने के लिए नहीं आते हैं।...*(व्यवधान)* मगर अफसोस इस बात का है कि चोरी कोई और करे और जेल में कोई और भुगते। मुसीबत तो यह है कि जो कुछ जानते नहीं हैं, वही उंगलियां उठाते हैं और यह भूल जाते हैं कि जब वे किसी पर उंगली उठाते हैं, तो ये तीन उंगलियां उनकी तरफ भी देखती हैं। मैं संसद में इस बात के बारे में आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर एक पैसा भी फारूख अब्दुल्ला पर चढ़ा, तो अब्दुल्ला न सिर्फ यह संसद छोड़ देगा, फारूख अब्दुल्ला सियासत से निकल जाएगा।

[अनुवाद]

श्री टी.के. एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा यहां व्यक्त भावनाओं और शेष से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मेरा मानना है कि वहां जो भीड़ एकत्रित हुई थी उससे प्रेरित हो कर ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब भीड़ ज्यादा होती है तब जाकर ज्यादा अभिनय करते है। वे तब ज्यादा अभिनय करेंगे, जब ज्यादा भीड़ होगी। यहां, मैं केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा व्यक्त विचारों की पुष्टि करता हूं कि उन्हें विशेषाधिकार समिति के समक्ष बुलाया जाए और विशेषधिकार समिति को इस सभा की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस मामले की जांच करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों में साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदया, डेमोक्रेसी में ऑगस्ट हाउस के बारे इस प्रकार से बोलना ठीक नहीं है। इस बारे में शरद यादव जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके साथ मैं पूरी तरह एसोशिएट करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, संसद की गरिमा सर्वोच्च है, ससंद की महिमा पर कोई आंच नही आनी चाहिए, ससंद को पूरा अधिकार भी प्राप्त है अपनी गरिमा-महिमा की रक्षा करने का। संसद संवैधानिक संस्था है और संविधान में ही प्रावधान है विशेषाधिकार का कि माननीय सदस्यों की गरिमा की रक्षा करना, सदन की गरिमा की रक्षा करना इसके अधिकारक्षेत्र में है, महोदया, यह आपके हाथ में है। कुछ दिनों से मैं देख-सुन रहा हूं कि संसद के खिलाफ कुछ सिरफिरे लोग इधर-उधर बोलते रहते हैं। यह ठीक नहीं है। देश की जनता, आम लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन हम में भी ऐसे लोग हैं, जो जंतर-मंतर पर चले जाते हैं। यहां हमारी जगह है, जनता ने चुनकर भेज दिया, जंतर-मंतर पर भी बुलाने पर जाते हैं और वहां लोगों की भीड़ का फायदा उठाने के लिए लोग चले जाते हैं, एक बार नहीं दो-तीन बार चले गए। रामलीला मैदान सभी जगह गए और यहां आकर एकतरफा भाषण चलाए जा रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, कभी-कभी वाजिब भी बोलना चाहिए। संसद में प्रस्ताव पारित हुआ तीन तारीख को सर्वसम्मति से, फिर ना-ना करते हैं।...*(व्यवधान)* लोकपाल और लोकायुक्त बिल को हम पार्लियामेंट से कानून के रूप में पास करेंगे, फिर जब वह कानून आया तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करने लगे, राज्य का कैसे बनेगा, कहने लगे। सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया सबने बेंच थपथपाकर, लेकिन जब बिल आया, तो फेडरल स्ट्रक्चर-फेडरल स्ट्रक्चर की बात करने लगे। बाहर में लोग क्या कमेंट करेंगे? अपना भी सोचना चाहिए। फारूख अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे जैसे तीन उंगलियां अपनी ओर देखती हैं, उसी तरह हम लोगों को अपने में भी देखना चाहिए संसद की गरिमा की रक्षा करने का सबसे प्राथमिक दायित्व हम लोगों का है। बाहर वाले लोग क्या करेंगे? संविधान ने हमको अधिकार दिया है। जनता के हित की संसद दर्पण है। देश की जनता का यह प्रतीक है। प्रतीक है लोकतंत्र का, इसे कोई हिला नहीं सकता। अब किसी ने खिलाफ में कुछ बोल दिया, तो उसे लोग इतना तूल दे रहे हैं, उसको इतना तूल दे रहे हैं।

दुंद आघात सहहिं गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): जो नहीं दंड दई समतोरा, ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसमें अतुल गरल हो, उसे नहीं जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को अपराध। महोदया, हमारे पास अधिकार है, यदि विशेषाधिकार का कोई प्रस्ताव यहां पर आएगा तो उस पर कार्यवाही होगी, पहले भी कार्यवाही होती रही हैं। लेकिन इसे इतना तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें यहा पर जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जो कमेंट्स बाहर दिए जाते हैं, *लोग बोलते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: श्री सिंह अगर कोई शब्द असंसदीय बोल रहे हैं, तो वह रिकार्ड से हटा दिया जाए। अब आप बैठ जाएं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अगर 400-500 लोग अनशन पर बैठते हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, मामला कुछ नहीं है और ये उसी को तूल दे रहे हैं। इसलिए इस सबको ठीक किया जाए।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं। कल प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय सुषमा जी ने, आदरणीय शरद यादव जी और अन्य साथियों ने एक मुद्दा उठाया। *और उनके साथियों ने संसद का जो घोर अपमान किया है, उस बारे में संसद में एक अलग जागृति आई, इसके लिए मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूं। सही मायने में अण्णा हजारे को बड़ा करने का काम सत्ताधारी पक्ष ने किया। अगर उनके अनशन को परमिशन दे देते, अरैस्ट नहीं करते तो शायद *इतने बड़े नहीं होते।

अध्यक्ष महोदया: आप बिना नाम लिए बोलिए। आप संसद में बोल रहे हैं इसलिए संसद की गरिमा का ध्यान रखिए और फिर बोलिए।

[अनुवाद]

नाम हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल: सरकार ने, बड़े-बड़े नेता जो थे, उन्हें नही बुलाया, लेकिन *को बुलाया।

अध्यक्ष महोदया: फिर आप नाम ले रहे हैं। मैं आपसे कुछ कह रही हूं उस पर आप ध्यान दीजिए।

श्री आनंदराव अडसुल: इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि मैं सबसे बड़ा हूं। उनकी यह मानसिकता क्यों बनी, उन्हें इतना महत्व देने के कारण ही उन्हें लगा कि मैं सांसद से भी बडा हूं। इसलिए वह घोर अपमान करने का काम कर रहे हैं, वह और उनके साथी। जो भी यहां प्रस्ताव कि *को या उनके साथियों को....

अध्यक्ष महोदया: आप फिर नाम ले रहे हैं। आप देखिए, संसद की गरिमा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए।

श्री आनंदराव अडसुल: नाम तो सब जाहिर है, इसमें क्या है। उन्हें यहां बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए और माफी मांगने की भी उनसे बात होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों जैसा कि सर्वविदित है, जब इस सभा के सदस्यगण लोक सभा चुनावों के लिए अपना नामांकन भरते हैं, तब निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आदर्श आचार संहिता के उपबंधों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं के अंतर्गत उनकी कड़ाई से संवीक्षा करता है। उनके आचरण और कार्य निष्पादन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के उपरांत भारत की जनता अपने विवेक से उनका चुनाव करती है। इसलिए संसद हमारे देश के लोगों की सामूहिक इच्छा को प्रतिबिम्बित करता है।

इस सम्मानित सभा की प्रतिष्ठा और सम्मान को कम करने संबंधी कोई टिप्पणी आवंछनीय और एकदम अस्वीकार्य है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा 'शून्यकाल' के विषयों पर विचार करेगी।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): अध्यक्ष महोदया, मुझे लोक महत्व के अविलंबनीय मामले को उठाने हेतु यह अवसर प्रदान करने के लिए आपकी आभारी हूं, जो तपेदिक के संक्रमण को फैलने से नियंत्रित करने हेतु किए जाने वाले उपायों के संबंध में है।

महोदया, तपेदिक के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तपेदिक के 100 मामलों में से तीन से पांच प्रतिशत का उपचार संभव नहीं है। देश में पोलियो के उन्मूलन के अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण सरकार ने इसके उन्मूलन हेतु गंभीर प्रयास किया है। देश में इस वर्ष कहीं से भी कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। मैं सरकार की इस उपलब्धि की सराहना करती हूं।

सायं 6.14 बजे

[श्री सतपाल महाराज *पीठासीन हुए***]**

गरीब लोग तपेदिक के हमले से अनजान हैं। वे सोचते हैं कि यह एक आम खांसी है। इसलिए गरीब लोगों को उनके निवास स्थान के आसपास रक्त संबंधी (सिरोलॉजिकल टेस्ट) की सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता है। गर्भधारण जांच के मामले में, सिंगल किट (एक किट) उपलब्ध करा दी गई है। इसी तरह रक्त सिरोलॉजिकल किट भी लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि कोई निजी चिकित्सक तपेदिक का उपचार करता है, तो उसे इसकी मामले के सभी ब्यौरे के साथ सरकारी अस्पतालों में जानकारी देनी चाहिए। इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

अत: मैं सरकार से आम आदमी को बड़े पैमाने पर उचित मूल्य पर उनके घरों में सिरोलॉजिकल टेस्ट किट्स उपलब्ध कराने का अनुरोध करती हूं तथा तपेदिक रोगियों को नि:शुल्क तपेदिक रोधी औषधियां वितरित की जानी चाहिए। साथ ही, सरकार को तपेदिक के लिए औषधि-निरोधक संबंधी अनुसंधान करवाना चाहिए तथा तपेदिक को नियंत्रित करने के लिए नए संपाकों का तत्काल पता लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, आपदा राहत कोष के अंदर पाला और शीत लहर से किसानों को जो नुकसान होता है, वह शामिल नहीं है। हम लोगों के यहां राजस्थान में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर व जैसलमेर के अंदर सर्दियों के अंदर पाला और शीतलहर से बहुत बड़ा नुकसान फसलों को होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सीआरएफ के अंदर पाला और शीतलहर को सम्मलित करें। अरंडी की फसल ही बुवाई खरीफ के समय होती है और रबी के समय उसकी कटाई होती है लेकिन जब उसकी गिरदावरी भरी जाती है तो गिरदावरी केवल खरीफ के वक्त की ही भरी जाती है। इसलिए किसानों को जो नुकसान होता है चाहे कृषि बीमा के माध्यम से या और किसी भी सरकारी सहायता के माध्यम से वह अरंडी की फसल को नहीं मिलता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों फसलों के लिए कोई न कोई प्रावधान करें जिससे किसानों को फायदा मिल सके।

सभापति महोदय: श्री इज्यराज सिंह, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमतीा जयश्रीबेन पटेल व श्री देवजी एम पटेल को श्री हरीश चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र आगरा है और आगरा, मथुरा व जलेसर क्षेत्र में खारा पानी है, जमीन के नीचे कहीं भी मीठा पानी नहीं है। उस पानी में 2000 से लेकर 5000 तक फ्लोराइड की मात्रा है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है। सभापति महोदय, वहां यमुना पूरी तरह से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं आता है, हथिनीकुंड बेराज से पानी छोड़ा नहीं जाता है, वहां से चलता है तो दिल्ली में रुक जाता है और आगे चलकर मथुरा में रुक जाता है। पहले पीने का पानी यमुना से सप्लाई होता था व पूरी तरह से बंद है। गंदे नाले जो यमुना में गिरते हैं उससे शहर को पानी सप्लाई होता है। वहां के 30 प्रतिशत लोग पानी खरीदते हैं व 70 प्रतिशत गरीब व मजदूर लोग वहीं खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण वहां कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। वहां के लोग 40 साल तक आते-आते मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। बच्चे बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में आगरा के लोग माननीय प्रधान मंत्री से दो बार और दो बार माननीय राष्ट्रपति जी से मिल चुके हैं। हमारी मांग है कि यमुना में पानी छोड़ा जाए और यमुना पर बेराज बनाया जाए जिससे आगरा की जनता को मीठा पानी पीने के लिए मिल सके। पानी के अभाव में ताजमहल भी खतरे में है और उसकी नींव की लकड़ी सूख रही है। मेरी मांग है कि वहां पर बेराज बनाया जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश में घटवार जाति जो भारत के विभिन्न राज्यों में बसती है और जिसकी संख्या 40 लाख है। घटवार जाति पिछले कई वर्षों से अपनी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मलित करने हेतु आंदोलन व मांग करती आ रही है। वर्ष 1908 से 1938 तक घटवार जाति छोटा नागपुर-काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत आदिवासी सूची में 11वें स्थान पर थी, परन्तु 1938

के अपरांत इसे किस जाति और किस श्रेणी में रखा गया है यह समझ से परे है। झारखंड राज्य जिसमें घटवारों की जनसंख्या 20 लाख है, राज्य के जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के द्वारा घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मलित करने की अनुशंसा की गयी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा इस बारे में पुन: जांच का आदेश दे दिया गया और इसके चलते जमीन की खरीद और बिक्री के संबंध में सीएनटी एक्ट के आधार पर धारा 46 के तहत सिर्फ घटवार जाति के लोगों में आपस में ही खरीद बिक्री करने की प्रक्रिया वर्ष 1957 तक रही है। इसके बाद सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को हटा दिया गया है।

अत: भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची द्वारा पूर्व में अनुशंसित आलोक में चालीस लाख घटवार जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति में शामिल करें।

श्री रवनीत सिंह (आनंदपुर साहिब): महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में घरेलू गैस की भारी किल्लत की तरफ लेकर जाना चाहता हूं।

महोदय, मेरे क्षेत्र में जिला रूप नगर, शहीद भगत सिंह नगर और मोहाली में ज्यादातर गैस एजेंसीज एचपीसीएल की हैं और एचपीसीएल का बोटलिंग प्लांट साथ ही में जिला होशियापुर के मन्डायला में होने के बावजूद इन गैस एजेंसीज को कस्टमर होल्डिंग के हिसाब से सिर्फ 50-55 प्रतिश की आपूर्ति की जा रही है। जिससे लोगों को घरेलू गैस की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कई-कई दिन गैस सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि लोग तंग आ कर धरने प्रदर्शन व सड़कें जाम करने लगे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय तेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि वे इस बात की जांच करवाएं कि जब दूसरी तेल कंपनियां बीपीसीएल और इंडियन आयल अपने डीलर के कस्टमर होल्डिंग के हिसाब से 80-90 प्रतिशत तक घरेलू गैस की आपूर्ति कर रही हैं, तो फिर एचपीसीएल क्यों नहीं कर पा रही है।

श्री रतन सिंह (भरतपुर): महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत ओडिशा के सुन्दरगढ़ में स्थित कुआरमुडा रेलवे स्टेशन पर एक साईडिंग जतना के लिए बनाया गया था, परन्तु रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से कुआरमुंडा रेलवे स्टेशन पर बने साईडिंग का उपयोग जनता नहीं कर पा रही है। इस रेलवे स्टेशन के आस-पास उद्योग कार्यरत हैं, जो अपने निर्मित माल को अन्य शहरों में भेजते हैं एवं उद्योग होने वाला कच्चा माल इसी स्टेशन से आता है। यह जनता का उपयोग के लिए बनायी गयी थी। इस संबंध में बताया गया है कि रेलवे में इस साईडिंग में काम करने के लिए कर्मचारियों की कमी है। इस तरह से रेलवे के लापरवाह अधिकारियों की वजह से उपरोक्त साईडिंग का उपयोग जनहित में अभी तक नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने उपरोक्त साईडिंग शेड का उपयोग क्यों नहीं किया? इससे रेलवे के राजस्व की हानि हुई एवं जनता को निर्माण होने के बाद पूरी सुविधा नहीं मिली है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत कुआरमुंडा स्टेशन का साईडिंग का समय पर उपयोग न होने के संबंध में हुए राजस्व हानि की जिम्मेदारी निश्चित की जाए एवं इसे शीघ्र जनता के उपयोग में लिया जाए से संचालित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं औषध प्रतिरोधी क्षय रोग के होने की ओर संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसने हम सभी को न केवल चौंका कर रख दिया है, बल्कि भयावह स्थिति अख्तियार कर ली है। निजी बाजार में मिलने वाली क्षय रोग की दवाओं पर नियंत्रण लगाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रतिरोधी-औषध क्षय रोग पर नियंत्रण रखने के लिए विनियामक उपाय किए जाने की भी जरूरत है। हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हर तीन मिनट में दो व्यक्ति क्षय रोग का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ हम प्रगति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा कमजोर पक्ष यह है कि हम अभी भी लोगों को क्षय रोग संक्रमण से बचाने में बुरी तरह असफल रहे हैं।

अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक विनियामक उपाय किया जाए, ताकि बाजार में घटिया दवाएं उपलब्ध न हों, क्योंकि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र पहले से ही बढ़ते औषध प्रतिरोधी क्षय रोग के लक्षण ही देख रहा है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अपशकुन है। इसलिए, सरकार को आगे आना चाहिए और तत्काल उपाय करने चाहिए ताकि बाजार में उपलब्ध ऐसी क्षय रोग दवाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र जनपद देवरिया और जनपद बलिया गंगा, राप्ती गोरी, घाघरा, गंडक नदियों का केन्द्र है। कुत्ता, बंदर और सियार के काटने से हो रही मौतों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में भाटपार विधान सभा के वनकटा थाना क्षेत्र में बोलिया पांडे, अहरौली, बघेल, गुड़वार, कोठा, दल्लन, छपरा और बहुलिया पांड गांव में 14 लोगों को अभी दो महीने पहले कुत्ते ने काटा। उन 14 लोगों को इंजेक्शन भी लगा। 3-3 इंजेक्शन उन लोगों को लग चुके थे और चौथा इंजेक्शन लगने में तीन दिन बाकी थे जिसमें श्रीनिवास राजभर जो कक्षा 9 का छात्र था, उसकी मौत हो गई। विश्वकर्मा राजभर जो कक्षा 11 का छात्र था, उसकी भी मौत हो गई। जब मैंने अधिकारियों से बात की कि इनको आखिर इंजेक्शन भी तीन-तीन लग चुके थे, फिर भी ये लोग क्यों मर रहे हैं?

12 लोग जो आज बचे हुए हैं, उनके घर भी जैसे आफत आई हुई है और जैसे काल के मुहाने पर वे खड़े हुए हैं, में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग करता हूं कि रेबीज के इंजेक्शन लगने के बाद भी ये जो मौतें हो रही हैं जिसके कारण लोगों में दहशत व्याप्त है और जब मैंने सीएमओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत में रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। मुझे यह बताया गया कि यह इंजेक्शन केवल रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लगाया जता है। जब रोग रोधक क्षमता बढ़ जाएगी तब कुत्ते के काटने का असर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल निन्दनीय है। भारत सरकार को जल्दी से जल्दी ऐसे जानवरों के काटने से हो रही मौतों को रोकने की दवा खोजनी चाहिए और जो मेरे संसदीय क्षेत्र में 14 लोग काल के गाल में समाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए उन दवाओं की जांच की जानी चाहिए और जीवन बचाने वाली अच्छी दवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। वे कैसे इंजेक्शन हैं जिनके लगने के बाद हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग मर रहे हैं?

सभापति महोदय: कहीं वे दवाइयां एक्सपायर्ड तो नहीं हैं?

...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, मैं आपके निर्देश के आलोक में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार अपना शताब्दी वर्ष ज्योति वर्ष के रूप में मना रहा है। वह विकास के क्षेत्र में पिछड़ने के कारण सदमे में है और वह सदमे से जल्दी निकलने के लिए दीक्षित बिहार की उपलब्धि हासिल करना चाहता है। बिहार में बिजली उत्पादन शून्य पर है। इसके सारे थर्मल पावर स्टेशंस झारखंड में चले गये। बिहार अंधेरे में है। अधार की बिजली रोशनी नहीं दे सकती। वह केवल रोशनी का भ्रम पैदा करती है। वर्ष 2017 तक बिहार अंधेरे में रहने के लिए विवश दिखाई पड़ता है। इसी संदर्भ में केन्द्र सरकार ने बिहार के नवादा जिले में रजौली का चन वहां आणविक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए किया है। रजौली विद्युत ताप केन्द्र स्थापित करने के मामले में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक में कई बार अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि आणविक विद्युत ताप केन्द्र स्थापित करने में पर्याप्त जल की सुविधा बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी पर पता नहीं क्यों जब कभी भी बिहार के विकास का, कोल लिंकेज का अथवा रजौली आणविक ताप विद्युत केन्द्र स्थापना का प्रश्न उठता है, केन्द्र सरकार की नसें ढ़ीली पड़ जाती हैं। वह कोमा में चली जाती है। क्या बिहार भारत मां के जिस्म का हिस्सा नहीं है, क्या उसने देश की आजादी के संघर्ष में व राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका नहीं निभाई? बिहार के साथ क्या केन्द्र अपनी संस्कृति और संस्कार को भूल बैठा है। मैं बिहार की जनता की ओर से केन्द्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो उसने राष्ट्र के सामने रजौली को आणविक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए वचन दिया है, उसकी अस्मिता की रक्षा आणविक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करके करे और यह अवश्य याद रखना चाहिए कि बिहार के विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना अधूरी है। मैं सदन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री राधे मोहन सिंह (गाजीपुर): माननीय सभापति ही, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अंतिम कड़ी कोटेदार है, जिसे वितरण कहा जाता है। मैं उसी वितरक की समस्याओं, उनकी कठिनाइयों और उनके प्रति अन्याय को सदन में रखना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल गरीबी की रेखा के नीचे एपीएल और एडीएम मिड डे मील का राशन एवं केरोसिन तेल का वितरण इन्हीं कोटेदारों के माध्यम से किया जाता है। जिसके अनुसार राशन में कोटेदार को छः रुपये से लेकर 12 रुपये प्रति कुंतल कमीशन मिलता है। जबकि मिट्टी के तेल में मात्रा 53 पैसे प्रति लीटर कमीशन मिलता है तथा मिड डे मील में 12 रुपये प्रति कुंतल की दर उन्हें कमीशन मिलता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि उन्हें ब्लाक मुख्यालयों से जो भाड़ा दिया जाता है, वह छः रुपये प्रति कुंतल की दर से दिया जाता है। वह माल ब्लाक मुख्याल से कोटेदार अपनी दुकानों तक ले जाता है। लेकिन उसे मात्र छः रुपये से लेकर 12 रुपये तक का भाड़ा दिया जाता है। जबकि सत्य यह है कि माल ढुलाई में वह जो माल अपनी दुकानों तक ले जाता है, उसे उसका भुगतान 25 रुपये प्रति कुंतल की दर से करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में यह आश्चर्य का विषय है कि एक तरफ अंत्योदय में और एक तरफ एपीएल और बीपीएल में और यहां तक कि केरोसिन के तेल में महज 53 पैसे उसे भाड़े के रूप में मिलते हैं...

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिए, जो आपकी अपेक्षा है।

श्री राधे मोहन सिंह: महोदय, मैं अपनी मांग ही रख रहा हूं। इन परिस्थितियों में जहां कोटेदार को भाड़े में छः से लेकर 12 रुपये तक प्रति कुंतल मिलते हैं, वहां दूसरी तरफ प्रति कुंतल ढुलाई में उसे 13 से लेकर 19 रुपये तक का नुकसान होता है। इन परिस्थितियों में कोटेदार अपने को साफ-सुथरा कैसे रख सकता है।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बाकी उसके पास बचता हैं, उसमें बीएससी से लेकर कालाबाजारी के लिए इंस्पैक्टर्स और तमाम तरह के अधिकारी उसका शोषण करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज रामलीला मैदान में देश भर के कोटेदार अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं।

सभापति महोदय: आप अपनी मांग रखिये।

श्री राधे मोहन सिंह: हमारी भारत सरकार की वितरण प्रणाली में सबसे सशक्त और सबसे मजबूत कड़ी वितरक की है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री राधे मोहन सिंह: महोदय, जहां तक मिड डे मील का सवाल है, 1998 के बाद मिड डे मील का जो भाड़ा है,

सभापति महोदय: मिड डे मील अलग टॉपिक है, आप जो पीडीएस की बात कर रहे हैं, उसकी बात करिये। आप दो टॉपिक नहीं, एक टॉपिक की बात रखिये।

श्री राधे मोहन सिंह: मिड डे मील वही होता है, वहां मिड डे मील का जो राशन जाता है, उसका भी भाड़ा उन्हें नहीं मिलता है।

सभापति महोदय: इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आया है।

श्री राधे मोहन सिंह: हां, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का आया है। उन्हें वह भाड़ा भी नहीं दिया जाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनकी रोजी-रोटी के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके प्रतिष्ठान के लिए उन्हें भी महीना दिया जाए, जैसे अन्य प्रावधानों में दिया जाता है। मैं मांग करता हूं कि कोटेदारों के भाड़े को बढ़ाया जाए और मानदेय के रूप में उन्हें यह दिया जाए।

सभापति महोदय: श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, आप बोलिये।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदय, मैं इनके विषय के साथ अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

सभापति महोदय: आप स्लिम भेज दीजिए। श्रीमती रमा देवी को उपरोक्त विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूं। रेल मंत्रालय रेलवे प्रोटेक्शन फार्स एक्ट, 1957 को संशोधन हेतु लाने जा रही है। गृह मंत्रालय एवं विधि तथा न्याय मंत्रालय ने इसे स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने निर्देशानुसार इस बिल पर अपने सुझाव दिनांक 7.3.2012 को गृह विभाग द्वारा भेज दिए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान द्वारा दिए गए राज्य सरकारों के अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा है।

इसमें दिए जाने वाले कमल/मसुदे भारतीय संविधान के आर्टीकल 246 के अनुसार नहीं हैं। पब्लिक ऑकर तथा पुलिस राज्य सरकारों के अधीन है। इसमें परिवर्तन करना राज्य सरकारों के अधिकारों पर आक्रमण करना तथा देश के फेडरल स्ट्रक्चर को धक्का देना होगा। यह बॉम्बे पोलिस एक्ट, 1956 का सरासर उल्लंघन है।

रेल मंत्रालय यह दावा करता है कि देश की समग्र रेल संपदा का स्वतंत्र अस्तित्व है। उस पर रेल मंत्रालय का स्वामित्व है। इसकी जांच एवं गिरफ्तारी करने के अधिकार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं। यह अजीब सा लगता है, जबकि रेल विभिन्न राज्यों से गुजरती है, स्थानांतर होता रहता है। ऐसे में प्रवासियों को रेलवे पुलिस अधिकारी से शिकायत दर्ज करनी हो तो मुश्किल होगी क्योंकि ज्युरिस्डिक्शन बदलता रहता है। तदुपरांत राज्य पुलिस सत्ता में हस्तक्षेप करना भी गंभीर मामला है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त एक्ट को पारित होने से दूर रखे एवं पुलिस सत्ता अधिकारों में होने वाले द्वंद समाप्त करे।

[अनुवाद]

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): महोदय, भारत में दिसम्बर 2011 के अंत में विद्युत क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता 185.5 गीगावाट थी। यह विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अधिष्ठापित क्षमता है। जहां तक बिजली की कमी का संबंध है वर्तमान में भारत विद्युत उत्पादन की भारी कमी से जूझ रहा है। पूर्ण भारत विद्युत की कमी से जूझ रहा है और तमिलनाडु भी इसका अपवाद नहीं है।

तमिलनाडु में सत्ता में आते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने विद्युत संकट से निपटने के लिए विशेष पहल की है। यह पहल अगले कुछ महीनों में अच्छे परिणाम देगी। लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु में लगभग 3000 मेगावाट विद्युत की कमी है। वर्तमान में 10,000 मेगावाट क्षमता के मुकाबले लगभग 7300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। तमिलनाडु राज्य लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए वल्लूर मेट्टूर और उत्तरी चेन्नई में ताप विद्युत केंद्रों की स्थापना करके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी बीच, तमिलनाडु ने संकट से निपटने के लिए केंद्रीय पूल से लगभग 1000 मेगावाट और अधिक विद्युत आवंटित करने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया है लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। विद्युत की कमी समग्र रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में संकट को बढ़ा रही है और इसलिए केन्द्र सरकार, कमी को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को अधिक विद्युत आवंटित करने के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं नागपुर शहर के मिहान में भूमि हस्तांतरण के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि

महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मिहान (मल्टीमॉडल हब एयरपोर्ट) प्रकल्प की घोषणा हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। देश तथा विदर्भ की तकदीर बदलने वाला यह प्रकल्प आज ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जिस रफ्तार से मिहान का काम होना चाहिए, वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकल्प पर पिछले तीन वर्ष में महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना पर 830 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसी प्रकार सड़कों के निर्माण पर भी 229 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसी तरह केन्द्रीकृत सुविधा केन्द्र पर भी महाराष्ट्र सरकार 80 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।

इसके अलावा सामाजिक ढांचा निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से इस प्रकल्प को पूरा करने की लगातार कोशिश की है, किन्तु नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के कारण इस प्रकल्प में देरी हो रही है। भारतीय वायु सेना की 278 हेक्टेअर जमीन और उसके बदले वायु सेना 400 हेक्टेअर जमीन देने के करार पर मिहान कंपनी और वायु सेना में सहमति बन चुकी है, पर इस समझौते पर कार्रवाई होना अभी तक बाकी है। जिस कारण मिहान प्रकल्प पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रता से भूमि का हस्तांतरण किया जाए, ताकि यह प्रकल्प समय पर पूरा हो जाए।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): महोदय, मैं हमारे क्षेत्र नागपुर, बड़गांव के रहने वाले श्री भानुदास विठ्ठल कराले की बात आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। ये 6 महीने से पाकिस्तान की जेल में हैं। इनकी पाकिस्तान की जेल में से रिहाई भी हो गयी। मैंने अपने विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया, विदेश मंत्रालय से बात हुई और उन्होंने मुझे आश्वासित किया कि हम इस पर ध्यान देकर इन्हें जल्द से जल्द छुड़ाकर लेकर आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। मैंने 15 सितंबर को लेटर लिखा था और 14 अक्टूबर को इनका लेटर आया कि हम इस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। अक्टूबर हुए छः महीने भी हो चुके हैं, पर जिस प्रकार से विदेश मंत्रालय को इसमें भूमिका अदा करनी चाहिए थी, भारत सरकार की ओर से तुरंत इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, वह ध्यान न देने के कारण इस आदमी को जेल में पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। उसे सिर्फ पहचान पत्र देना है। वह देने से पाकिस्तान सरकार तुरन्त उसे रिहा करने को तैयार है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से इसमें कठिनाई आ रही है।

सभापति महोदयः आप अपनी मांग रखिए।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधीः महोदय, मेरा मांग है कि विदेश मंत्रालय इस पर जल्द से जल्द ध्यान देकर इस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करे।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, आज मैं रेलवे की मांग लेकर खड़ा हूं। ऐसा लग रहा है कि शायद रेल मंत्रालय को जालौर सीरोही से कुछ समस्या है। पिछले बजट में जालौर को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया है, लेकिन वह कागजों पर ही बना हुआ है। ऐसे ही जो हमारा मोदरण रेलवे स्टेशन है, वहां पर हमने कम्प्लेन भी लिखवाई थी, लेकिन वहां पर भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वे हमें वहां नहीं मिल रही हैं।

महोदय, जालौर रेलवे स्टेशन पर पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहां कुछ भी सुविधा नहीं है। वहां प्लेटफार्म बहुत गंदे पड़े हैं, वहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। शेड-पूरा प्लेटफार्म 500 मीटर लम्बा है, लेकिन प्लेटफार्म के ऊपर छाया के लिए कोई व्यवस्था बनी हुई नहीं है।

महोदय, रेलवे स्टेशन पर कोई भी ए.टी.एम. नहीं लगा है। वहां पर वेटिंग रूम आदि की कोई भी व्यवस्था नही है और कागजों में ही उसे आदर्श रेलवे स्टेशन बनाकर घोषित कर दिया है।

महोदय, जो मेरा मोदरण रेलवे स्टेशन है, मोदरण रेलवे स्टेशन के फाटक नम्बर 74 के सामने आशा पुरी माताजी का बहुत का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पर वर्ष में कई मेले भी लगते हैं। मैंने कई बार रेल मंत्रालय को बोला है कि उस पर फाटक लगायें क्योंकि वह मानव रहित है और अगर मेले में कोई अनहोनी घटना हो जायेगी तो वहां बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहां पर फाटक भी लगाने का काम नहीं हुआ है।

महोदय, मैंने खुद ने मोदरण रेलवे स्टेशन पर जाकर 3.5.2011 को कम्प्लेन लिखवायी थी। वह कम्प्लेन खुद मेरे हाथों से लिखी है। उसका कम्प्लेन नम्बर 20051 है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां जो हमने सुविधायें मांगी थी, जैसे विक्लांगों के लिए रैम्प बनाना है, वह 11 फिट ऊंचा प्लेटफार्म है, लेकिन वहां पर जाने के लिए कोई रैम्प नहीं है। वहां तक विक्लांग को कैसे ले जाये जायेगा। आज जो मेरा सीरोही रेलवे स्टेशन है, महोदय वहां पर जो बुकिंग होती है, उसे दो बजे बंद कर देते हैं।

सभापति महोदयः आप अपनी मांग रखिये।

श्री देवजी एम. पटेलः महोदय, पहले थोड़ा बोलना पड़ता है और अगर उसके बाद मांग रखी जाये तो अच्छा रहता है। मेरी मांग है कि जो मूलभूत सुविधाएं हमें वहां चाहिए, जो वहां के यात्री हैं, उन्हें फायदा पहुंचे। सीरोही शहर में पूरे दिन रिजर्वेशन काउन्टर चालू रहे और जालौर को जो आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया है, उसे हकीकत में आदर्श स्टेशन बनायें। वहां पर हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरी हों। पीण्डवाडा स्वरूपगढ़ में आरओबी बनाया जाये।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाडा): सभापति महोदय, धन्यवाद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों विशेरूप से उनके लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की। उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन हमें अक्सर पता चलता है कि इन वर्गों में बहुत से अनाथों को शामिल नहीं किया गया है। उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है।

हमारा अनुरोध यह है कि सरकार को एक व्यापक विधान बनाना चाहिए जिससे वे उन्हें वर्गीकृत करें। देश में 20 से 30 लाख से अधिक अनाथ हैं जो कि बेसहारा हैं; उन्हें छोड़ दिया गया है; उनके मां-बाप नहीं हैं; और विभिन्न अनाथालयों में जो कि गैर-सरकारी संगठनों और अन्य मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे हैं में पल-बढ़ रहे हैं।

हम चाहते हैं कि सरकार एक विधान बनाए और उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विशेष वर्ग के रूप में वर्गीकृत करे; और उनकी जनसंख्या के यथानुपात में आरक्षण उपलब्ध कराए। वर्तमान में यह 2 से 3 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ ही निश्चित रूप से भारत सरकार अनाथालयों की सहायता कर रही है लेकिन हमने विभिन्न अनाथालयों को देखा है जहां उनको संपत्ति कर भुगतान करने के लिए कहा जाता है; जहां उनको गैस की कीमतें वाणिज्यिक दरों पर भुगतान करने के लिए कहा जाता है; और विद्युत का वाणिज्यिक दरों पर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में, अनाथालय जो धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर विभिन्न प्रभार लगाकर बोझ डाला जा रहा है।

हम चाहते हैं सरकार अनाथालयों और अनाथों दोनों के लिए एक व्यापक विधान बनाए और कोशिश करे कि वह उनकी जिम्मेदारी संभालें। हम नहीं कह सकते कि वे समाज पर बोझ हैं। हमारे ऊपर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि सभी अनाथों का ठीक प्रकार से पालन-पोषण हो। वे सामान्य श्रेणी; अन्य अगडी जातियों और आर्थिक रूप से अगड़े व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। हमें, उनको शिक्षा और रोजगार दोनों में पूर्णत: आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष श्रेणी बनाने को आवश्काता है।

सभापति महोदय: महोदय श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी को श्री एल. राजगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सिंचाई की सृजित क्षमता और प्रयुक्त क्षमता के बीच करीब 10 मिलियन हैक्टेयर के अंतर को कम करने के उपायों का उल्लेख किया था। इसी के अनुरूप वित्त मंत्री जी ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने का प्रावधान भी बजट में किया है किन्तु देश के अंदर कई ऐसी सिंचाई परियोजनाएं अर्थाभाव के कारण या तो अधूरी पड़ी हैं या बहुत धीमी गति से निर्माणाधीन हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी बांध बना हुआ है। उसकी दाईं तट नहर से जबलपुर कटनी सतना तथा रीवा जिले की 2,45,010 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई प्रस्तावित है। इससे इन जिलों की 81,53,684 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु राज्य सरकार ने मार्च 2010 में सभी मानदंडों को पूरा करके केन्द्र सरकार के पास 3796 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु भेजा है। मैं लगातार लोक सभा में इस लोकहित के मामले को उठाते हुए उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की मांग करता रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने 17 मार्च 2011 को एक पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी दी है कि उक्त परियोजना को व्यव वित्तीय समिति ईएफसी के अनुमोदन हेतु भेजा गया है लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, यह मैं जानना चाहता हूं।

महोदय, मेरी मांग है कि बरगी बांध की गईं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल किया जाए, मध्य प्रदेश के अदर महाकौशल एवं विन्ध्य क्षेत्रों की जीवनदायिनी योजना, बरगी बांध की दाईं तट नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए लगातार मैं मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मिलता रहा हूं, मंत्रालय में भी मैंने संपर्क किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उसका वित्त पोषण नहीं किया गया।

मैं पुन: आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त परियाजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर उस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करने का काम करें।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति जी, मैं एक बड़े गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इंडियन मुजाहिदीन तथा सिमी के आतंकवादियों द्वारा महाराष्ट्र को अपना अड्डा बनाने की योजना की ओर ले जाना चाहता हूं।

कल 26 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर औरंगाबाद में महाराष्ट्र एटीएस ने मुठभेड़ में खलील कुरैशी नामक एक आतंकवादी को मार गिराया जबकि दो अन्य आतंकवादी मोहम्मद अबरार खान और मोहम्मद शकील की गिरफ्तारी उन्होंने कर ली है। इन सभी आतंकवादियों का संबंध इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के साथ है तथा सभी अहमदाबाद के सीरियल बम विस्फोट, सन् 2008 के मुख्य आरोपी हैं। इतना ही नहीं, मारे गए आतंकवादी खलील का ग्रुप बैंक डकैती, दो कांस्टेबलों की हत्या करने तथा मध्य प्रदेश के एक भाजपा नेता एवं एक वीएचपी नेता की हत्या का प्रयास करने जैसे संगीन मामले में भी शामिल है। मैं हमारे महाराष्ट्र एटीएस, स्थानीय एटीएस और स्थानीय पुलिस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनको अरैस्ट करके बहुत बड़े कांड को होने से बचाया। यह सफलता इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये आतंकवादी महाराष्ट्र से वृहद स्तर पर संगठन संचालन करना करना चाह रहे थे। महाराष्ट्र में ये आतंकवादी अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी चिखली और बुलढाना में दो आतंकवादी अकीर और जफर पकड़े गए हैं। जितने आतंकवादी महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, जिनमें मेरे औरंगाबाद, जालना और बुलढाना डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। यहां आतंकवादियों को तुरंत पनाह मिल रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से विनती करूंगा कि इस मामले की गंभीरता से जांच करवाएं और महाराष्ट्र के सभी लोगों को सुरक्षा दीजिए। महाराष्ट्र में इस तरह के आतंकवादियों का अड्डा न बनने दीजिए ताकि हमारी जनता सुख से रह सके।

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी में दो वर्ष पूर्व नगर पालिकाओं के पास प्राकृतिक आपदा में कार्य करने एवं उनमें राहत एवं बचाव कार्य के लिए फण्ड की व्यवस्था थी जो बंद कर दी गई ह। जिसके कारण आगजनी, बाढ़, मकानों के नुकसान एवं सड़क निर्माण संबंधी कार्यो को करने में कई दिक्कत हो रही है और नागरिकों के सुविधा कार्यों को समय पर नहीं करवाया जा सकता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से राहत पहुंचने में प्रशासनिक कारणों की वजह से समय लगता है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा में राहत एवं बचाव कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी के अंतर्गत, सांगोद, केथून, लाखेरी, इन्द्रगढ़, काम्प्रेन, केशवराय पाटन, बून्दी एवं रामगंज मंडी में नगर पालिकाएं हैं जो प्राकृतिक आपदा की स्थति में हाथ पर हाथ धरे रहती हैं, क्योंकि उनके पास आज कोई फंड की व्यवस्था नहीं है जो कि जनहित में नहीं है।

महोदय, सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि शहरों में जहां-जहां पर नगर पालिकाएं हैं, उन सभी में प्राकृतिक आपदा के समय अपने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा में राहत एवं बचाव कार्य को करने के लिए फंड का प्रावधान किया जाए, जिससे बचाव एवं राहत कार्य को समय पर कर सकें और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आपने मुझे अति आवश्यक विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिला की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी, किन्तु शिक्षा का समुचित विकास इस जिले में आज तक नहीं हो सका है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह बिहार का सबसे सघन आबादी वाला जिला है। इस जिला की साक्षरता प्रतिशत भी अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है। यहां उच्च व तकनीकी शिक्षा की स्वीकृति तो मिली है, किन्तु अब तक कोई शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं हो सका है। जिस कारण यहां के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पड़ोस के मुजफ्फरपुर जिले में जाना पड़ता है जो कि सभी के लिए सम्भव नहीं है। इस जिले में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की पढ़ाई के लिए कोई आवासीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। न ही पड़ोस के जिला सीतामढ़ी व पूर्वी चम्पारण में कोई आवासीय विद्यालय है जिससे अनुसूचित जाति की बालिकाओं का शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। आजादी के वर्षों बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति की बालिकाओं की कोई सुध नहीं ले पाया है। इनका शैक्षणिक विकास ठहर-सा गया है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शिवहर जिला में अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए एक आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास हो सके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ते समय पैरा 213 में नॉन ब्राण्डेड ज्वैलरी पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी की घोषणा की और आज जवाब देते समय भी यह कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विषय को कोई समझ नहीं पा रहा है। नॉन ब्रांडेड ज्वैलरी उसे कहते हैं, जैसे गांव में नाक में लौंग, कांटा, फीणी, नथ पहनी जाती है। शहर के लोग भी उसे कस्बों में पहनते हैं। कान में बाली, मुर्की, बाटा पहनी जाती है। गले में चेन, मंगलसूत्र ॐ भी लोग धारण करते हैं। सिर पर टीका या बोरला गांव के लोग धारण करते हैं और हाथ में अंगूठी धारण करते हैं। इन्हें ही गांव में आम तौर पर नॉन ब्राण्डेड ज्वैलरी कहते हैं। अब विषय यह है कि ब्राण्डेड ज्वैलरी पर वित्तमंत्री

ने पिछले साल एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगायी तो जो ब्राण्डेड ज्वैलरी बनाने वाले लोग हैं, उनका दबाव रहा कि इसको रेशन्लाइज करिए और नॉन ब्राण्डेड ज्वैलरी बनाने वालों पर भी टैक्स लगाइए।

महोदय, मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां बहुत सारे लोगों ने मुझे से कहा कि आम आदमी ये नॉन ब्राण्डेड ज्वैलरी को पहनता है। राजस्थान में चार लाख लोग सोना जड़ने का काम करते हैं। इस पर टैक्स लगने से यह होगा कि जो आम आदमी अपने बच्चों की शादी करने वाला है, उसके लिए ये छोटी-छोटी चीजें, जो उन्हें अपने बच्चों को देनी होती हैं, वे महंगी हो जाएंगी। दुकानदार कहता है कि मैं एक रजिस्टर रखूंगा। एक्साइज इंस्पेक्टर आएगा। वह हिसाब करेगा इससे एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ेगा और दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा।

मेरी मांग यह है कि बजट भाषण के पैरा 213 में जो नॉन ब्राण्डेड ज्वैलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है, वह हटायी जाए। मैं इसका एक अल्टरनेट देता हूं। अभी वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि पिछले साल सोना बहुत आयात हुआ है। ब्राण्डेड ज्वैलरी के लिए भी हुआ है और नॉन ब्राण्डेड ज्वैलरी के लिए भी हुआ है। इसका सेग्रेगेशन कीजिए। नॉन ब्राण्डेड ज्वैलरी पर सोना आयात होने पर मैं एक अल्टरनेटिव देता हूं कि सोना आयात होने पर आप इन्ट्री प्वायंट पर टैक्स लगा दीजिए ताकि व्यवसायियों को राहत मिले और जो लोग अपने बच्चों की शादी करने वाले हैं, उनको छोटे-छोटे सामानों को खरीदने के लिए महंगाई की मार न सहनी पड़े।

सभापति महोदय: इस पर टैक्स की ज्यादा कलेक्शन होगी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अगर इन्ट्री प्वायंट पर सोने पर टैक्स लगाया जाए तो इससे टैक्स की ज्यादा कलेक्शन होगी। मैं आपके माध्यम से यह बात वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्रीमती रमा देवी, श्री अर्जुन राम मेघवाल के विषय से अपने को संबद्ध करती हैं।

[अनुवाद]

सभा कल 28 मार्च 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

सायं 6.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 28 मार्च, 2012/8 चैत्र, 1934 (शक) पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री हर्ष वर्धन श्री अर्जुन राय	181
2.	श्री राधा मोहन सिंह	182
3.	श्री जोसेफ टोप्पो	183
4.	श्री वरुण गांधी श्री आनंदराव अडसुल	184
5.	श्री जयराम पांगी	185
6.	श्री अजय कुमार श्रीमती मीना सिंह	186
7.	श्री ए.के.एस. विजयन	187
8.	श्री मंगनी लाल मंडल श्री के. नारायण राव	188
9.	श्री एम. आनंदन	189
10.	डॉ. पी. वेणुगोपाल श्री नित्यानंद प्रधान	190
11.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	191
12.	श्री एस. पक्कीरप्पा	192
13.	श्री अर्जुन राम मेघवाल श्री राजेन्द्रसिंह राणा	193
14.	योगी आदित्यनाथ श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	194
15.	श्री एंटो एंटोनी	195
16.	श्री गणेश सिंह	196
17.	श्री निखिल कुमार चौधरी	197
18.	श्री प्रबोध पांडा श्री राधे मोहन सिंह	198
19.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी श्री अशोक तंवर	199
20.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश श्री भूपेन्द्र सिंह	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2087, 2171, 2244, 2253, 2255
2.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	2223
3.	श्री आनंदराव अडसुल	2171, 2244, 2253, 2255
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2117, 2194, 2245
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2131, 2171, 2261
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	2136, 2259, 2267, 2273
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2079
8.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2206, 2210
9.	श्री एम. आनंदन	2250
10.	श्री अनंत कुमार	2168, 2273
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2262
12.	श्री सुरेश अंगड़ी	2248
13.	श्री अशोक अर्गल	2186
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2188
15.	श्री कीर्ति आजाद	2076
16.	श्री गजानन ध. बाबर	2087, 2171, 2253, 2255, 2271
17.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2120, 2273
18.	श्री रमेश बैस	2248, 2252
19.	श्री कामेश्वर बैठा	2147
20.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2121, 2262, 2298
21.	डॉ. बलीराम	2151
22.	श्री अम्बिका बनर्जी	2171, 2179
23.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	2268
24.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2163, 2268

1	2	3
25.	श्री अवतार सिंह भडाना	2270
26.	श्री सुदर्शन भगत	2252
27.	श्री ताराचन्द भगोरा	2270
28.	श्री संजय भोई	2166, 2195, 2219, 2267
29.	श्री समीर भुजबल	2184
30.	श्री पी.के. बिजू	2227
31.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2138
32.	श्री हेमानंद बिसवाल	2178
33.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2252
34.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2081, 2248
35.	श्री सी. शिवासामी	2096, 2258
36.	श्री हरीश चौधरी	2144, 2196, 2204
37.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2093, 2272
38.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2152, 2154, 2194, 2248
39.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2248, 2260
40.	श्री भूदेव चौधरी	2233, 2248, 2260, 2268
41.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2125, 2194, 2224
42.	श्री अधीर चौधरी	2109
43.	श्री खगेन दास	2234
44.	श्री राम सुन्दर दास	2166, 2170, 2254
45.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	2169, 2202, 2261, 2273
46.	श्रीमती अश्वमेध देवी	2080
47.	श्रीमती रमा देवी	2204, 2215, 2238
48.	श्री के.पी. धनपालन	2130
49.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2113, 2288
50.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2171, 2174
51.	श्री चार्ल्स डिएस	2242

1	2	3
52.	डॉ. रामचन्द्र डोम	2210, 2268
53.	श्री निशिकांत दुबे	2169, 2246
54.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	2171
55.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2166, 2195, 2219, 2267
56.	श्रीमती मेनका गांधी	2232, 2248
57.	श्री वरुण गांधी	2142
58.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	2263
59.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2166
60.	डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	2273
61.	श्री राजेन गोहैन	2220
62.	श्री एल. राजगोपाल	2166, 2183, 2240
63.	श्री शिवराम गौडा	2077
64.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2161
65.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	2218, 2256
66.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	2197
67.	श्री महेश्वर हजारी	2097, 2169, 2268
68.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2273, 2289
69.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2241, 2264
70.	डॉ. संजय जायसवाल	2137
71.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2238, 2241, 2273
72.	श्री बद्रीराम जाखड़	2106, 2285
73.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2099, 2163
74.	श्री हरिभाऊ जावले	2083, 2280
75.	श्री नवीन जिन्दल	2112, 2201, 2243, 2287
76.	श्री महेश जोशी	2224
77.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2177
78.	श्री प्रहलाद जोशी	2100, 2191, 2282
79.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2253

1	2	3
80.	श्री सुरेश कलमाडी	2214, 2266
81.	श्री पी. करुणाकरन	2268
82.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2140, 2170, 2254
83.	श्री राम सिंह कस्वां	2092, 2256
84.	श्री नलिन कुमार कटील	2107, 2286
85.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	2251, 2271
86.	श्री चंद्रकांत खैरे	2199
87.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	2139
88.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2209
89.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2157
90.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	2134
91.	श्री मिथिलेश कुमार	2221, 2273
92.	श्री विश्व मोहन कुमार	2211
93.	श्री अजय कुमार	2249
94.	श्री वी. कुमार	2095, 2252, 2271, 2279
95.	श्री शैलेन्द्र कुमार	2181
96.	श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली	2189
97.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	2116, 2291
98.	श्री यशवंत लागुरी	2117, 2171
99.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2072, 2221, 2256, 2273, 2293
100.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2155, 2273
101.	श्री नरहरि महतो	2176, 2251
102.	श्री भर्तृहरि महताब	2236
103.	श्री प्रदीप माझी	2143, 2216
104.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2115, 2250
105.	श्री जोस के. मणि	2195
106.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2273
107.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	2270

1	2	3
108.	श्री दत्ता मेघे	2185, 2260
109.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2252, 2295
110.	श्री भरत राम मेघवाल	2142
111.	श्री महाबल मिश्रा	2157
112.	श्री सोमेन मित्रा	2201
113.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2248
114.	श्री विलास मुत्तेमवार	2183
115.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2091
116.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2207, 2265, 2266
117.	श्री नामा नागेश्वर राव	2153, 2166, 2181, 2252
118.	श्री इंदर सिंह नामधारी	2205
119.	श्री जफर अली नकवी	2212
120.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2171, 2172, 2218
121.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	2114, 2169, 2290
122.	श्री पी.आर. नटराजन	2146
123.	श्री जगदम्बिका पाल	2222
124.	श्री वैजयंत पांडा	2158
125.	श्री राकेश पाण्डेय	2175, 2257
126.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2237, 2268
127.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2089, 2269
128.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	2230
129.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2218, 2235
130.	श्री जयराम पांगी	2297
131.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2166, 2195, 2219, 2267
132.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	2141
133.	श्री देवराज सिंह पटेल	2180
134.	श्री देवजी एम. पटेल	2259
135.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2122, 2252, 2273

1	2	3
136.	श्री बाल कुमार पटेल	2165
137.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2143, 2216
138.	श्री हरिन पाठक	2200
139.	श्री संजय दिना पाटील	2207, 2265, 2266
140.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2100, 2282
141.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2203
142.	श्री सी.आर. पाटिल	2093
143.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	2170, 2172, 2252
144.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2195, 2219, 2267
145.	श्रीमती कमला देवी पटले	2089, 2102, 2174, 2249,
146.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2110
147.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2149
148.	श्री प्रेमदास	2228
149.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2128
150.	श्री एम.के. राघवन	2162, 2252
151.	श्री रमाशंकर राजभर	2269
152.	श्री सी. राजेन्द्रन	2243, 2257 2273
153.	श्री एम.बी. राजेश	2226
154.	श्री पूर्णमासी राम	2078, 2294
155.	प्रो. रामशंकर	2273
156.	श्री निलेश नारायण राणे	2273
157.	श्री के. नारायण राव	2274
158.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2129
159.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2164, 2270
160.	श्री रामसिंह राठवा	2133, 2248
161.	डॉ. रत्ना डे	2140
162.	श्री अर्जुन राय	2262
163.	श्री रुद्रमाधव राय	2094

1	2	3
164.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2123, 2221, 2256
165.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2150, 2171
166.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2131, 2273
167.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2176, 2251
168.	श्री महेन्द्र कुमार राय	2268
169.	श्री एस. अलागिरी	2075, 2246, 2256, 2264
170.	श्री एस. सेम्मलई	2103, 2283
171.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2207, 2251, 2273
172.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2260
173.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2074, 2115, 2144, 2171, 2261
174.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2231
175.	श्रीमती सुशीला सरोज	2071, 2097, 2169, 2268
176.	श्री तथागत सत्पथी	2273
177.	श्री हमदुल्लाह सईद	2098, 2115, 2160, 2268, 2281
178.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	2160, 2259
179.	श्री एम.आई. शानवास	2213
180.	श्रीमती जे. शांता	2148
181.	श्री नीरज शेखर	2181, 2190, 2229
182.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2171, 2198, 2259, 2263
183.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2086, 2171, 2276
184.	श्री राजू शेट्टी	2124
185.	श्री एंटो एंटोनी	2273
186.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2084, 2256, 2299
187.	डॉ. भोला सिंह	2182, 2256, 2260
188.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2275
189.	श्री दुष्यंत सिंह	2087, 2277

1	2	3
190.	श्री इज्यराज सिंह	2144
191.	श्री जगदानंद सिंह	2169, 2258, 2273
192.	श्री मुरारी लाल सिंह	2119
193.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2073, 2228, 2256, 2274
194.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2171, 2248, 2273
195.	श्री राधा मोहन सिंह	2248,
196.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2187
197.	श्री रतन सिंह	2249
198.	श्री रवनीत सिंह	2171, 2274
199.	श्री सुशील कुमार सिंह	2234
200.	श्री उदय सिंह	2217, 2271
201.	श्री यशवीर सिंह	2181, 2186, 2190, 2229
202.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	2208
203.	श्री रेवती रमण सिंह	2257
204.	श्री राधे मोहन सिंह	2212, 2251
205.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2090, 2171, 2196
206.	डॉ. संजय सिंह	2090, 2171, 2246, 2256
207.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2132
208.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2104, 2252, 2256, 2284
209.	श्री के. सुधाकरण	2127
210.	श्री ई.जी. सुगावनम	2135, 2273
211.	श्री के. सुगुमार	2118, 2261, 2292
212.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2207, 2265, 2266
213.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2082, 2273
214.	श्री एन. चेलुवराया स्वामी	2105
215.	श्री मानिक टैगोर	2193
216.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2145,

1	2	3
217.	श्री अशोक तंवर	2142, 2171, 2248, 2296
218.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2212
219.	श्री मनीष तिवारी	2247
220.	श्री जगदीश ठाकोर	2101
221.	श्री आर. थामराईसेलवन	2108
222.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2169, 2195, 2225
223.	श्री पी.टी. थॉमस	2156
324.	श्री मनोहर तिरकी	2115, 2250
225.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2154, 2169, 2176, 2261
226.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2163
227.	श्री लक्ष्मण टुडु	2192
228.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2097, 2169, 2268
229.	श्री हर्ष वर्धन	2271
230.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2088, 2278
231.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2071, 2097, 2159, 2169, 2268
232.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2173, 2248
233.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	2167
234.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2126
235.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2075, 2117, 2215, 2278, 2292
236.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2171, 2244, 2253, 2255, 2271
237.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2177, 2271
238.	श्री ओम प्रकाश यादव	2097
239.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2210, 2239
240.	श्री अरुणा यादव	2085, 2300
241.	श्री मधुसूदन यादव	2152

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	183, 184, 187, 189, 195, 196
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	181, 192
संस्कृति	:	185
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	200
गृह	:	188, 190, 194, 197
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
सूचना और प्रसारण	:	193
शहरी विकास	:	182, 198, 199
युवा कार्यक्रम और खेल	:	186, 191.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2077, 2079, 2081, 2082, 2085, 2088, 2095, 2098, 2099, 2101, 2102, 2104, 2105, 2107, 2110, 2114, 2116, 2122, 2123, 2125, 2126, 2134, 2137, 2156, 2158, 2162, 2165, 2167, 2175, 2176, 2189, 2191, 2192, 2198, 2200, 2202, 2204, 2210, 2212, 2221, 2223, 2225, 2226, 2230, 2232, 2236, 2237, 2238, 2240, 2243, 2244, 2250, 2251, 2252, 2257, 2259, 2260, 2262, 2271, 2280, 2284, 2286, 2288, 2289, 2291, 2293, 2300
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2072, 2080, 2083, 2084, 2087, 2111, 2112, 2113, 2124, 2129, 2133, 2166, 2170, 2171, 2179, 2180, 2194, 2195, 2197, 2208, 2213, 2228, 2229, 2233, 2241, 2247, 2256, 2267, 2273, 2274, 2276, 2292,
संस्कृति	:	2076, 2089, 2130, 2131, 2154, 2155, 2172, 2199, 2205, 2222, 2235, 2242, 2258, 2296, 2299
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	–
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2086, 2091, 2106, 2109, 2139, 2203, 2231, 2246, 2253, 2295
गृह	:	2078, 2092, 2093, 2094, 2100, 2108, 2119, 2120, 2121, 2127, 2128, 2135, 2136, 2138, 2142, 2143, 2148, 2150, 2151, 2153, 2159, 2160, 2161, 2168, 2169, 2173, 2181, 2183, 2185, 2186, 2187, 2190, 2201, 2206, 2214, 2215, 2216, 2217, 2220, 2234, 2245, 2248, 2249, 2254, 2255, 2261, 2264, 2265, 2268, 2269, 2270, 2277, 2279, 2281, 2282, 2283, 2285, 2287, 2290, 2298
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2145, 2157, 2163, 2207, 2224, 2297
सूचना और प्रसारण	:	2090, 2103, 2118, 2174, 2177, 2193, 2196, 2227, 2263, 2272
शहरी विकास	:	2071, 2073, 2074, 2075, 2132, 2141, 2146, 2149, 2164, 2188, 2209, 2211, 2239, 2266, 2278, 2294
युवा कार्यक्रम और खेल	:	2096, 2097, 2115, 2117, 2140, 2144, 2147, 2152, 2178, 2182, 2184, 2218, 2219, 2275.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/24/11/2012 (एन.)
230

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।